राजस्थान

वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल

वर्षा जल प्रणालियों की योजना, डिजाइन, निर्माण,
प्रचालन और रखरखाव के लिए मानक

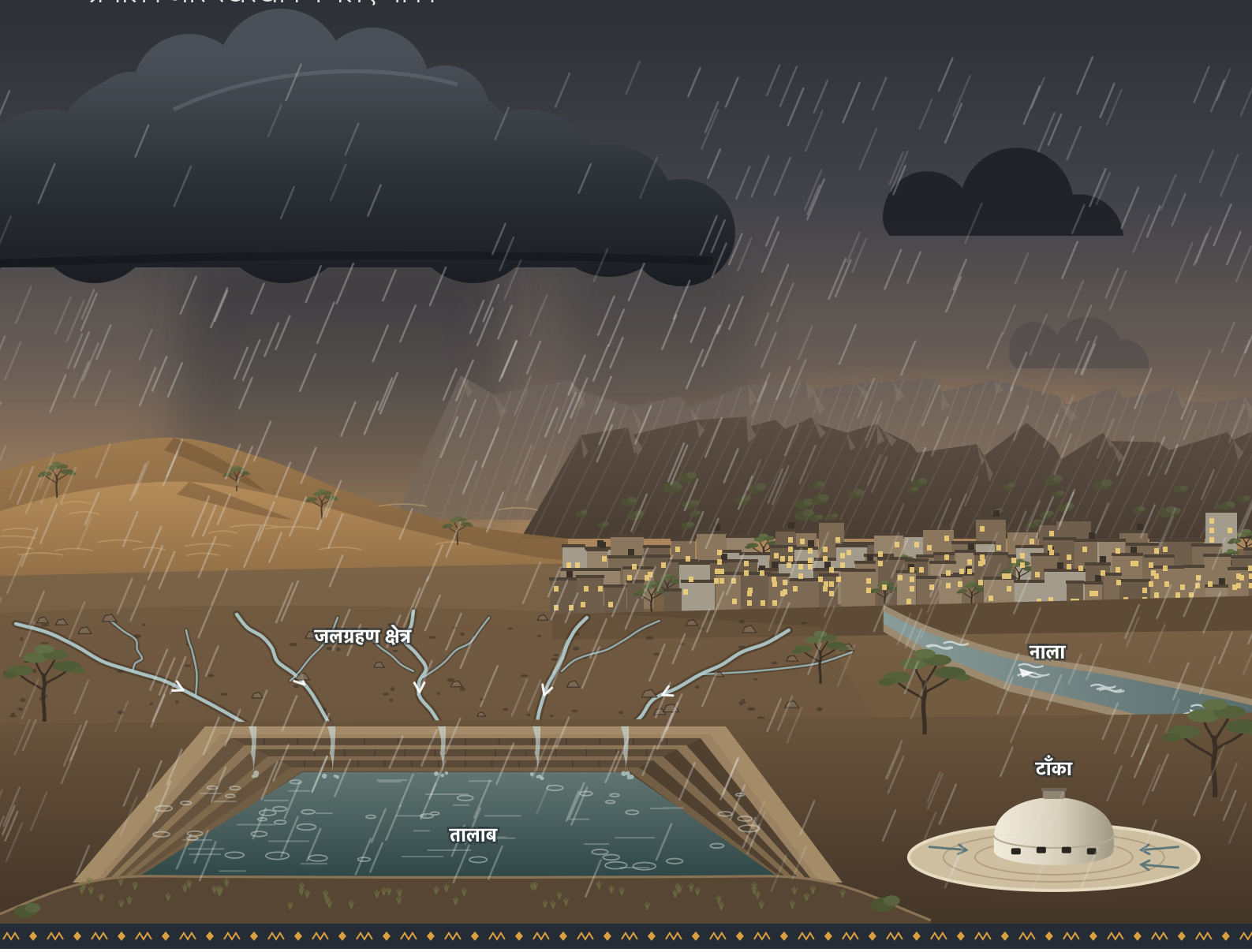

संरक्षण | प्रतिधारण | अस्थायी भंडारण | वहन | रखरखाव

प्रारूप संस्करण 1.0

नवंबर 2026

तैयार करने वाली संस्था

Neer.

इस प्रारूप के बारे में

स्थिति. यह *राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल* का प्रारूप संस्करण 1.0 है। इसे Neer ने राजस्थान के लिए एक प्रस्तावित वर्षा जल डिजाइन मानक के रूप में तैयार किया है।

अंगीकृत नहीं. यह मैनुअल राजस्थान सरकार या उसके किसी विभाग, स्थानीय निकाय या एजेंसी द्वारा अंगीकृत, अधिसूचित या समर्थित नहीं किया गया है। विशेष रूप से, यह नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (UDH), स्वायत्त शासन विभाग (LSG) या उसके स्थानीय निकाय निदेशालय (DLB), जल संसाधन विभाग (WRD), राजस्थान झील विकास प्राधिकरण, किसी विकास प्राधिकरण, किसी नगर सुधार न्यास (UIT), किसी नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका बोर्ड या अन्य स्थानीय निकाय, राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना (RUIDP), या किसी अन्य एजेंसी द्वारा अंगीकृत, अधिसूचित या समर्थित नहीं किया गया है। जहाँ यह किसी निकाय का नाम लेता है, जैसे राजस्व विभाग, भू-जल विभाग, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED), राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB), राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (RSDMA), राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICO), जयपुर नगर निगम (JMC), जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA), वह नदी आयोग या प्राधिकरण जिसे गठित करने का निर्देश उच्चतम न्यायालय ने राज्य को दिया है, या कोई जिला प्रशासन, वहाँ यह केवल उस भूमिका का वर्णन करता है जो यह मैनुअल अंगीकृत होने पर उस निकाय की होगी। यह नहीं कहता कि उस निकाय ने वह भूमिका स्वीकार कर ली है या उसके लिए सहमति दी है।

कोई विधिक बल नहीं. जब तक कोई सक्षम प्राधिकारी इसे परिवर्तनों सहित या बिना परिवर्तन के अंगीकार नहीं करता, तब तक इस मैनुअल का कोई विधिक बल नहीं है। प्रत्येक स्थानीय निकाय या प्राधिकरण द्वारा प्रवृत्त किए गए मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025, मास्टर विकास योजनाएँ, जल निकासी योजनाएँ, न्यायालयों और अधिकरणों के आदेश और प्रवृत्त अनुमोदन-शर्तें लागू रहेंगी।

नाम. कुछ स्थानों, नदियों और झीलों के अधिनियमों में, स्रोतों में और IMD और CWC के केंद्रों पर एक से अधिक नाम या वर्तनी हैं:

- पुराने स्रोत चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh) को Chittor, साँचोर (Sanchore) को Sachor, करौली (Karauli) को Karoli, श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar) को Ganganagar, माउंट आबू (Mount Abu) को Abu, पोकरण (Pokaran) को Pokharan और झालरापाटन (Jhalrapatan) को Jhalara Patan लिखते हैं। राजस्थान के जिलों का नक्शा 2023–24 में पुनर्गठित हुआ, जिसमें बालोतरा, फलोदी और डीडवाना-कुचामन जैसे नए जिले बने; IMD और CWC के स्रोत, और इस मैनुअल के वर्षा आँकड़े, पहले के जिले लेते हैं, और जिस खंड में किसी जिले का नाम है उसे वर्तमान सूची से जाँचना होगा;
- जयपुर के लिए IMD की वेधशाला हवाई अड्डे पर **सांगानेर** (Sanganer) में है, जिसे इस मैनुअल में Jaipur (Sanganer) कहा गया है। सांगानेर शहर के दक्षिण में द्रव्यवती पर बसा पुराना कस्बा भी है, और उसके पास सांगानेर–सीतापुरा औद्योगिक पट्टी है। उदयपुर में IMD के दो केंद्र हैं, Udaipur City और हवाई अड्डे पर Udaipur (Dabok), और कोटा में हवाई अड्डे पर Kota (A) और एक पुरानी Kota वेधशाला है;
- **द्रव्यवती** (Dravyavati) जयपुर की वह नदी है जो समय के साथ एक नाला बन गई, जिसे **अमानीशाह** (Amanishah; Amanisha भी) **नाला** भी कहा जाता है। JDA ने नाहरगढ़ की पहाड़ियों से ढूँढ नदी में उसके आउटफॉल तक उसका चैनल फिर से बनाया है। परियोजना दस्तावेजों में नाला शब्द *nallah* या *nalla* भी लिखा जाता है;
- **Kota City** (कोटा सिटी) कोटा में चंबल पर CWC का नदी गेज है, जिसके सापेक्ष यह मैनुअल शहर के आउटफॉलों की जाँच करता है। यह कोटा बैराज नहीं है, जिसका जलाशय का पूर्ण जल स्तर और छोड़ा गया पानी जलाशय के आँकड़े हैं। जोधपुर की नदी और लूणी की सहायक नदी जोजरी (Jojari) को Jojri भी लिखा जाता है;
- उदयपुर की झीलों (पिछोला, फतह सागर, उदय सागर) और अजमेर के आना सागर के स्तर **गेज फुट** (gauge feet) में बताए जाते हैं, जो ऐसे गेज पर पढ़े जाते हैं जिसका शून्य किसी भी मिले स्रोत में औसत समुद्र तल से जुड़ा नहीं है। यह मैनुअल उन्हें बताए गए रूप में उद्धृत करता है और गेज के शून्य का सर्वेक्षण होने तक उन्हें मीटर में नहीं बदलता [TBC]; और

- **मारवाड़** (Marwar) जोधपुर और लूणी बेसिन का क्षेत्र है, **शेखावाटी** (Shekhawati) सीकर, झुंझुनूँ और चूरू का, **ढूँढाड़** (Dhundhar) जयपुर का, **मेवात** (Mewat) और **ब्रज** (Braj) अलवर और भरतपुर के आसपास के उत्तर-पूर्व के, **हाड़ौती** (Hadoti) कोटा, बूंदी, बाराँ और झालावाड़ के आसपास के दक्षिण-पूर्व का, **मेवाड़** (Mewar) उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का, और **वागड़** (Vagad) बाँसवाड़ा और डूंगरपुर के आसपास के दक्षिण का क्षेत्र है। ये नाम क्षेत्रों के हैं, प्रशासनिक इकाइयों के नहीं। **अरावली** (Aravalli) की पहाड़ियाँ राज्य के आर-पार दक्षिण-पश्चिम से उत्तर-पूर्व तक फैली हैं और सूखे पश्चिम को, जिसका पानी लूणी में या भीतर की ओर जाता है, पूर्व और दक्षिण से अलग करती हैं, जिनका पानी अधिकतर बनास और चंबल की अन्य सहायक नदियों से होकर चंबल में, और माही में जाता है।

यह मैनुअल पहला रूप लिखता है और अन्य रूप वहीं रखता है जहाँ कोई शीर्षक, स्रोत या केंद्र उनका प्रयोग करता है। निकायों के कुछ नामों को थोड़ी व्याख्या की आवश्यकता है:

- **नगर निगम** (Municipal Corporation), **नगर परिषद** (Municipal Council) या **नगरपालिका बोर्ड** (Municipal Board) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गठित होता है। तीनों शहरी स्थानीय निकाय (ULB) हैं। उस अधिनियम के अंतर्गत सार्वजनिक तालाब, धाराएँ और जलाशय, उनसे लगी ऐसी भूमि सहित जो निजी संपत्ति नहीं है, और किसी सड़क में, उसके साथ-साथ या उसके नीचे की सार्वजनिक ड्रेनें और जलमार्ग नगरपालिका में निहित होते हैं, जिन्हें वह न्यासी के रूप में धारित करती है (धारा 68)। 2019 में बने जयपुर के दो नगर निगम, ग्रेटर और हैरिटेज, 2025 में फिर से एक जयपुर नगर निगम में मिला दिए जाने की खबर है, और जोधपुर और कोटा के जुड़वाँ नगर निगम भी; अधिसूचनाएँ देखी नहीं गईं;
- इस मैनुअल में **JDA** जयपुर विकास प्राधिकरण है, जो जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 के अंतर्गत गठित है। यह जबलपुर विकास प्राधिकरण नहीं है, जिसे मध्य प्रदेश संस्करण JDA कहता है। **JoDA** जोधपुर विकास प्राधिकरण (2009 का अधिनियम) है, **AjDA** अजमेर विकास प्राधिकरण (2013 का अधिनियम), **KDA** कोटा विकास प्राधिकरण और **UDA** उदयपुर विकास प्राधिकरण (2023 के अधिनियम); बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरणों (2025 के अधिनियम) के नाम पूरे लिखे गए हैं। अन्य शहरों में राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत गठित **UIT** (नगर सुधार न्यास; Urban Improvement Trust) भूमि का नियोजन और विकास करता है;
- **UDH** नगरीय विकास एवं आवासन विभाग है, जो भवन विनियम जारी करता है और विकास प्राधिकरणों, UIT और मास्टर प्लानों की देखरेख करता है। **LSG** स्वायत्त शासन विभाग है, और **DLB** उसका स्थानीय निकाय निदेशालय, जो ULB की देखरेख करते हैं;
- **RUIDP** राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना (Rajasthan Urban Infrastructure Development Project) है, एशियाई विकास बैंक से वित्तपोषित शहरी जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी कार्यों का एक कार्यक्रम, जिसके कार्य स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से निष्पादित हुए हैं;
- **WRD** राज्य का जल संसाधन विभाग है, जो उसके डैमों और जलाशयों का प्रचालन करता है। इस मैनुअल में **भू-जल विभाग** (Ground Water Department) को राज्य की भूजल एजेंसी के रूप में नामित किया गया है; राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 20) राज्य द्वारा अधिसूचित तिथि से ही प्रवृत्त होगा, और ऐसी कोई अधिसूचना नहीं मिली। **PHED** जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग है, जो पेयजल कनेक्शन देता है;
- **राजस्थान झील विकास प्राधिकरण** वह प्राधिकरण है जिसका उपबंध राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 करता है;
- **गैर मुमकिन** (gair mumkin; "संभव नहीं", अर्थात् खेती योग्य नहीं) राजस्व अभिलेख में भूमि की एक श्रेणी है। **गैर मुमकिन नाला**, **गैर मुमकिन नदी** (nadi; नदी, river) या **गैर मुमकिन तालाब** के रूप में दर्ज भूमि किसी नाले, नदी या तालाब के नीचे की भूमि है, और उच्च न्यायालय ने ठहराया है कि गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि एक प्राकृतिक जल निकासी चैनल है जिसे न मोड़ा जा सकता है और न उस पर निर्माण किया जा सकता है;
- राजस्थानी प्रयोग में **आगोर** (agor) किसी तालाब का जलग्रहण क्षेत्र है। देखे गए मानक शब्दकोश यह अर्थ नहीं देते (प्लैट्स केवल "watchman", चौकीदार, देता है), इसलिए इस मैनुअल के खंड *जलग्रहण क्षेत्र* (catchment), या झील अधिनियम का शब्द *बहाव क्षेत्र* (flow area), लिखते हैं; और
- **तहसील** (tehsil) जिले का राजस्व उप-भाग है, जो तहसीलदार के अधीन होता है।

कुछ संक्षिप्त रूपों के एक से अधिक अर्थ हैं:

- अध्याय 2 और 3 में AMC पूर्ववर्ती नमी स्थिति (antecedent moisture condition) है; यह मैनुअल इसका प्रयोग किसी नगर निकाय के लिए नहीं करता;
- HFL गेज पर दर्ज उच्चतम बाढ़ स्तर है, जैसा CWC इसका प्रयोग करता है। यह डिजाइन स्तर नहीं है, और स्रोत कभी-कभी एक ही गेज के लिए अलग-अलग मान देते हैं। जिस "High Flood Line" (उच्च बाढ़ रेखा) का सीमांकन अपनी नदियों के साथ करने का निर्देश उच्चतम न्यायालय ने राज्य को दिया है, वह भूमि पर एक रेखा है; यह मैनुअल उसे न्यायालय की उच्च बाढ़ रेखा कहता है, और प्रस्ताव करता है कि डिजाइन बाढ़ रेखा कैसे खींची जाए (अध्याय 7);
- FTL किसी झील या तालाब का पूर्ण जल स्तर है और FRL किसी डैम के जलाशय का पूर्ण जल स्तर; एक ही झील के लिए प्रकाशित मान कभी-कभी भिन्न होते हैं, और कुछ गेज फुट में दिए गए हैं;
- भवन विनियम, 2025 से अभिप्राय संबंधित स्थानीय निकाय या प्राधिकरण द्वारा प्रकाशित मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 है; जिन 2020 के विनियमों को ये निरस्त करते हैं, वे इनके पूर्ववर्ती के रूप में उद्धृत हैं;
- NGT CZ भोपाल स्थित राष्ट्रीय हरित अधिकरण की केंद्रीय क्षेत्र पीठ है, जो राजस्थान के मामले सुनती है; और
- SWD वर्षा जल ड्रेन (storm water drain) है।

संदर्भ से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। पाठ में प्रयुक्त हिन्दी और राजस्थानी शब्द, जैसे *तालाब* (talab; वर्षा जल रोकने वाला तालाब या पोखर), *जोहड़* (johad; गाँव का कच्चा तालाब, "कच्चा तालाब"), *नाडी* (nadi; मारवाड़ का गाँव का तालाब; नदी (river) नहीं), *सागर* और *सरोवर* (sagar, sarovar; बड़ा तालाब या झील, जो आना सागर और फतह सागर जैसे नामों में आता है), *बावड़ी* (baori, bawdi; सीढ़ियों वाला कुआँ), *कुंड* (kund; दीवारों से घिरा छोटा तालाब), *टाँका* (taanka; दीवारों से बना, प्रायः ढका हौज, जो छत या पलस्तर की गई ढलवाँ सतह का अपवाह भंडारित करता है), *खड़ीन* (khadin; पश्चिम में खेती के लिए अपवाह रोकने वाला खेत का बाँध), *नाला* (nala; प्राकृतिक ड्रेन या बड़ी वर्षा जल ड्रेन), *नाली* (nali; गली की छोटी ड्रेन), *आगोर* (agor) और *गैर मुमकिन* (gair mumkin), वहीं समझाए गए हैं जहाँ वे पहली बार आते हैं।

सावधानी से उपयोग करें. समीक्षा के बाद खंडों और मानों में परिवर्तन हो सकता है। डिजाइनकर्ता अपने डिजाइन के लिए और अपने द्वारा प्रयुक्त आँकड़ों की जाँच के लिए उत्तरदायी बने रहेंगे। इस प्रारूप के आधार पर लिए गए निर्णयों के लिए Neer कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता।

हित-प्रकटन. Neer इंडिया फ्लड एटलस (India Flood Atlas) प्रकाशित करता है, जो मॉडल की गई 1% AEP बाढ़ गहराई का एक राष्ट्रीय मानचित्र है। खंड 6.11.3 में इसका नाम ऐसे क्षेत्रीय मानचित्र के एक उदाहरण के रूप में लिया गया है जिसे कोई अनुमोदन प्राधिकारी फर्श स्तरों के लिए अंगीकार कर सकता है। यह मैनुअल इस एटलस को अनिवार्य नहीं करता; खंड 7.3.4 के अंतर्गत अंगीकृत किसी भी मानचित्र का उपयोग किया जा सकता है।

सुझाव. सुझावों और सुधारों का info@neer.ai पर स्वागत है।

प्रस्तावना

राजस्थान के शहरों में तीन कारणों से बाढ़ आती है। जयपुर ने पहला कारण 19 जुलाई 1981 को दिखाया, जब एक दिन में 326.0 mm वर्षा हुई, जो पूरे मानसून में शहर की सामान्य वर्षा के आधे से अधिक थी; रामगढ़, वह झील जो कभी जयपुर को पानी देती थी, दूसरा कारण दिखाती है: उसके जलग्रहण क्षेत्र पर तब तक निर्माण और खनन होता रहा जब तक न्यायालयों ने हस्तक्षेप नहीं किया, और 2017 में झील अब भी सूखी पाई गई; और बाड़मेर ने तीसरा कारण अगस्त 2006 में दिखाया, जब प्रकाशित खबरों के अनुसार, नगर के आसपास तीन दिनों में लगभग 577 mm वर्षा हुई और पानी, जिसके निकलने का कोई रास्ता नहीं था, महीनों तक खड़ा रहा।

1. **सूखी भूमि पर छोटी अवधि की तीव्र वर्षा, और 1- से 2-वर्ष की वर्षा के लिए बनी ड्रेनें।** राज्य का एकमात्र मिला जल निकासी दिशानिर्देश, 2008 का RUIDP का परिपत्र संख्या 8, अपने कार्यक्रम के नगरों को ड्रेनों का डिजाइन 1 से 2 वर्ष की पुनरावृत्ति अवधि के लिए, पुलियों का 25 वर्ष के लिए और पुलों का 50 वर्ष के लिए करने देता है, और कहता है कि भारत में डिजाइन तीव्रता "सामान्यतः 12mm/hr से 20mm/hr की सीमा में" ("usually in the range of 12mm/hr to 20mm/hr") होती है। राज्य में अल्प-अवधि वर्षा का एकमात्र केंद्र विश्लेषण, जो IMD के 1970–2013 के घंटेवार अभिलेख से जयपुर (सांगानेर) के लिए किया गया है, 5-वर्ष की वर्षा घटना के लिए एक घंटे में 53.1 mm और 50-वर्ष की वर्षा घटना के लिए 93 mm देता है। 19 जुलाई 1981 को जयपुर (सांगानेर) में 326.0 mm वर्षा दर्ज हुई, जो उसका सबसे बड़ा दैनिक मान है; शहर में 18 से 20 जुलाई तक तीन दिनों में 82 cm वर्षा दर्ज हुई, और उसी दिन कानोता में 589.2 mm और दौसा में 550.0 mm वर्षा दर्ज हुई। दर्ज रिकॉर्ड CWC मानचित्रों से बहुत अधिक हैं: 10 जून 2002 को अजमेर में 412.3 mm वर्षा दर्ज हुई, जो शहर के लिए मानचित्र पर 100-वर्ष के दैनिक मान (लगभग 220 mm) का लगभग दोगुना है, और 8 सितंबर 1992 को माउंट आबू में 653.0 mm। प्रकाशित खबरों के अनुसार, 31 जुलाई और 1 अगस्त 2024 को जयपुर में लगभग 173 mm वर्षा हुई, और विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में पानी से भरे एक बेसमेंट में एक परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हुई। प्रकाशित खबरों के अनुसार, जुलाई 2022 में जोधपुर में लगभग 119 mm वर्षा हुई, जो 1943 के बाद जुलाई की सबसे अधिक वर्षा बताई गई, और 30 से अधिक कॉलोनियाँ जलमग्न हुईं। जब झील को पूर्ण गेज स्तर पर रखने के लिए आना सागर के एस्केप गेट खोले जाते हैं, तब अजमेर की कॉलोनियों में बाढ़ आती है, जैसा सितंबर 2024 और जुलाई 2025 में प्रकाशित खबरों में बताया गया। पश्चिम में एक ही वर्षा घटना एक वर्ष की वर्षा से अधिक हो सकती है: जैसलमेर जिले के सम में 17 अगस्त 1973 को 540.0 mm वर्षा दर्ज हुई, जबकि जिले की सामान्य वार्षिक वर्षा 172.9 mm है, और प्रकाशित खबरों के अनुसार 19 से 22 अगस्त 2006 तक बाड़मेर के आसपास लगभग 577 mm वर्षा हुई, जबकि जिले की सामान्य वार्षिक वर्षा 251.7 mm है; कवास के महीनों बाद भी पानी में डूबे रहने की खबर थी, और बताई गई मौतें लगभग 140 से 300 से अधिक तक हैं।
2. **प्राकृतिक प्रवाह मार्गों और झीलों के जलग्रहण क्षेत्रों पर निर्माण, जिनकी रक्षा न्यायालयों को करनी पड़ी है।** 1903 में बना रामगढ़ बाँध, जिसका जलग्रहण क्षेत्र चार तहसीलों में फैला लगभग 769.20 km² है, जयपुर को पीने का पानी देता था। 2004 से उच्च न्यायालय ने उसके जलग्रहण क्षेत्र में पानी का निर्बाध प्रवाह बहाल करने का आदेश दिया (*Abdul Rahman*, 2 अगस्त 2004), फिर उसकी जल निकासी धाराओं, चैनलों और नालों में अतिक्रमण और निर्माण रोकने का (*Suo Motu*, 23 अगस्त 2011), और 29 मई 2012 को किसी भी "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर" ("Johar, Nala, Tank, River, Pond") के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि के आवंटन पर रोक लगाई; 2017 में उच्चतम न्यायालय ने पाया कि झील "अब भी पूरी तरह सूखी" ("still bone dry") है और यह कि "वर्षों में जमीन पर कुछ भी ठोस प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता" ("nothing substantive appears to have been achieved on the ground over the years")। 2017 में उच्च न्यायालय ने राज्य की यह स्वीकारोक्ति दर्ज की कि मास्टर प्लान नदियों, झीलों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों को बाधित नहीं कर सकते, और नाडियों, पोखरों, नदी-तलों और जलग्रहण क्षेत्रों पर से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया (*Gulab Kothari*), और 7 मई 2026 को ठहराया कि गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि एक प्राकृतिक चैनल है जिसे "केवल इस आधार पर कि उपयोग किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है" ("merely on the ground that the utilisation is for a public purpose") मोड़ा नहीं जा सकता (*Ramji Lal Saini*)। अजमेर में NGT ने 2023 में आर्द्रभूमि नियमों के उल्लंघन के कारण आना सागर के किनारे से एक पार्क और अन्य निर्माण हटाने का आदेश दिया, उच्चतम न्यायालय ने आदेश पर रोक लगाने से इनकार किया और मार्च 2025 में उन्हें फिर से बनाने की योजना अस्वीकार की, और प्रकाशित खबरों के अनुसार 12 सितंबर 2025 को ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। 7 अगस्त 2026 को, जोधपुर में

जोजरी के मामले में, उच्चतम न्यायालय ने राज्य को "राज्य की सभी नदी प्रणालियों के संबंध में उच्च बाढ़ रेखा और अपेक्षित पारिस्थितिक बफर जोन" ("the High Flood Line and the requisite ecological buffer zone qua all the river systems in the State") का सीमांकन करने का निर्देश दिया, तब तक चिह्नित नदी गलियारों के भीतर विकास के लिए नई अनुमतियों पर रोक लगाई, और राज्य के नदी बेसिन प्राधिकरण को "लगभग निष्क्रिय" ("largely defunct") पाते हुए एक नदी आयोग या प्राधिकरण गठित करने का निर्देश दिया। जयपुर की अपनी नदी, द्रव्यवती, वर्षा जल और सीवेज ले जाने वाला नाला बन गई, जिसके बाद JDA ने उसे 100-वर्ष की बाढ़ पार कराने के लिए डिजाइन किए गए 47.5 km के चैनल के रूप में, 170 MLD सीवेज शोधन के साथ, फिर से बनाया।

3. **राज्य के बड़े भाग का कोई आउटफॉल ही नहीं है।** प्रकाशित खबरों के अनुसार, राजस्थान के लगभग 60% भाग का पानी भीतर की ओर बहता है। थार और लूणी बेसिन को सम्मिलित करने वाले CWC उप-क्षेत्र में नदियाँ "या तो रेतीले [मरुस्थलों] में या 'कच्छ के रण' की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती हैं" ("either disappear in the sandy [wastes] or the marshy land in 'Runn of Kutch'"); बीकानेर और जैसलमेर तथा बाड़मेर के बड़े भाग की कोई निर्धारित जल निकासी नहीं है; और सांभर की खारी झील से पानी बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं है। जहाँ पानी को बाहर नहीं भेजा जा सकता, वहाँ उसका भंडारण करना होगा, और उसे रिसने या वाष्पित होने देना होगा, और राज्य को वह पानी भूमि के भीतर चाहिए: 2024 में राजस्थान ने अपने निकालने योग्य भूजल का 149.86% निकाला, और उसकी 302 आकलन इकाइयों में से 214 अति-दोहित थीं। दो स्थान इसके अपवाद हैं: जोधपुर के पुराने शहर में 1997 में नहर का पानी आने के बाद से भूजल स्तर ऊपर उठा है, कुछ भागों में भूमि से लगभग 1 m नीचे तक, और गंगानगर–हनुमानगढ़ की नहर पट्टी में कुछ स्थानों पर पानी सतह से 2 m के भीतर है और भूमि जलभराव से ग्रस्त है।

इन तीनों के पीछे भंडारण की हानि है। जो *तालाब, जोहड़, नाडियाँ, टाँके, कुंड* और *बावड़ियाँ* कभी वर्षा का पानी रोकते और भंडारित करते थे, वे मुख्यतः राजस्व अभिलेख और न्यायालयों के माध्यम से संरक्षित हैं। तालाब-तल की भूमि में खातेदारी (काश्तकारी) अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 16); राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 झीलों की सीमाओं, संरक्षित क्षेत्रों और किसी झील की संभरक धाराओं के "बहाव क्षेत्र" ("flow area") को अधिसूचित करने का उपबंध करता है, किंतु ऐसी कोई अधिसूचना नहीं मिली; प्रकाशित खबरों के अनुसार, जनवरी 2026 तक आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत लगभग 75 आर्द्रभूमियाँ अधिसूचित की जा चुकी थीं, और जून 2026 में उच्च न्यायालय ने आर्द्रभूमियों और उनके जलग्रहण क्षेत्रों में भराई, निर्माण और अनुपचारित सीवेज पर रोक लगाई। राज्य में चार रामसर स्थल हैं: केवलादेव (1981), सांभर (1990), और खीचन और मेनार (2025)।

इसलिए राजस्थान के लिए डिजाइन को ऐसे मानसून को ध्यान में रखना होगा जो उत्तर-पश्चिम में सबसे अंत में आता है, चट्टान, रेत और काली मिट्टी पर, ऐसे शहरों में जिनका पानी गेटों से नियंत्रित झीलों में, डैमों से छोड़े गए पानी से चढ़ी नदियों में, और राज्य के बड़े भाग में कहीं भी नहीं जाता। मानसून सामान्यतः 24 जून तक झालावाड़, 25 जून तक उदयपुर, 26 जून तक कोटा, 29 जून तक जयपुर, 1 जुलाई तक अजमेर, 2 जुलाई तक जोधपुर और 6 जुलाई तक बीकानेर और पोकरण पहुँचता है, और पोकरण पर 17 सितंबर और झालावाड़ पर 28 सितंबर के बीच लौट जाता है; वर्ष की 91% वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून में होती है। वार्षिक सामान्य वर्षा जैसलमेर जिले में 172.9 mm और बाड़मेर और बीकानेर में लगभग 250 mm से झालावाड़ जिले में 921.2 mm तक है, और माउंट आबू में 1,677.0 mm। बड़े दैनिक मान मौसम के बाहर भी दर्ज हुए हैं: 26 अप्रैल 1982 को जोधपुर में 156.8 mm, 10 जून 2002 को अजमेर में 412.3 mm, 5 अक्तूबर 1989 को नसीराबाद में 500.0 mm और 5 अक्तूबर 1997 को झालावाड़ में 350.0 mm।

राष्ट्रीय मार्गदर्शन सार्वजनिक ड्रेनों का आकार तो तय करता है, किंतु नए निर्माण से बढ़ने वाले अपवाह को नियंत्रित नहीं करता। यह मैनुअल वर्षा जल को **विकास अनुमोदन की एक शर्त** बनाता है। एक साधारण आकार से बड़े प्रत्येक विकास को:

- बार-बार होने वाली वर्षा को साइट पर ही रोकना होगा;
- बड़ी वर्षा घटनाओं का पानी अविकसित भूमि की तुलना में अधिक तेजी से नहीं छोड़ना होगा, या जहाँ जलग्रहण क्षेत्रों में पहले से बाढ़ आती है वहाँ उससे भी धीमे छोड़ना होगा, और, जहाँ कोई आउटफॉल नहीं है, वहाँ डिजाइन आयतन का भंडारण करना होगा और उसे रिसने या वाष्पित होने देना होगा; और
- यह दिखाना होगा कि उसका आउटफॉल तब भी काम करता है जब प्राप्तकर्ता नाले, झील या नदी में जल स्तर ऊँचा हो, जब किसी झील के एस्केप गेट या किसी बैराज के गेट खुले हों, या जब उसके आउटफॉल का फ्लैप गेट बंद हो।

यह मैनुअल यह भी निर्धारित करता है कि सार्वजनिक ड्रेनों, सड़कों, नालों, तालाबों, झीलों और अन्य जलाशयों, गेटयुक्त और पंप द्वारा संचालित आउटफॉलों और बेसिन-स्तरीय मास्टर प्लानों का डिजाइन कैसे किया जाए, ताकि निजी साइटें और लोक निर्माण कार्य एक ही मानक को लक्ष्य करें।

यह मैनुअल भारत और विदेश के प्रमुख वर्षा जल मानकों पर आधारित है। प्रत्येक को राजस्थान की परिस्थितियों के अनुसार ढाला गया है: जून के अंत से सितंबर तक का दक्षिण-पश्चिम मानसून और उसके साथ आने वाली छोटी अवधि की तीव्र वर्षा घटनाएँ और कभी-कभार कई दिनों तक चलने वाली मूसलधार वर्षा; चंबल, बनास, लूणी, माही और घग्घर, उन्हें नियंत्रित करने वाले डैम और बैराज, वे झीलें जिनमें शहरों की इतनी अधिक ड्रेनें गिरती हैं, और वे अंतःस्थलीय बेसिन जिनका कोई आउटफॉल नहीं है; थार की टीलों की रेत और कैल्क्रीट की परतें, अरावली की चट्टान और पतली मिट्टी, पूर्व का जलोढ़ और हाड़ौती की काली मिट्टी, ऐसे जलभृतों के ऊपर जिनका जल स्तर राज्य के अधिकांश भाग में नीचे गया है और कुछ स्थानों पर ऊपर उठ रहा है; तालाब, जोहड़, नाडियाँ, टाँके, कुंड और बावड़ियाँ; और ऐसे शहर जिनके पुराने केंद्रीय भाग, जलग्रहण क्षेत्रों और नालों पर बसी नई कॉलोनियाँ और बेसमेंट साधारण वर्षा घटनाओं को बाढ़ में बदल देते हैं।

1. **राष्ट्रीय आधार.** CPHEEO का *Manual on Storm Water Drainage Systems* (2019)। यह मैनुअल उस पर आधारित है और जहाँ वह किसी राज्य को अनुमति देता है वहाँ उच्चतर मानक निर्धारित करता है। IRC की सड़क जल निकासी संहिताओं और NDMA के शहरी बाढ़ दिशानिर्देशों का भी उपयोग किया गया है।
2. **समग्र संरचना.** Kansas City Metro APWA Section 5600 (Version 2025.01), सबसे नवीनतम व्यापक क्षेत्रीय मानक। इससे संरक्षण, प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, वहन और रखरखाव का क्रम और आवश्यक प्रतिधारण आयतन लिया गया है।
3. **डिजाइन वर्षा.** अंतरिम स्रोत के रूप में राजस्थान को सम्मिलित करने वाले चार उप-क्षेत्रों, 1(a) Luni, 1(b) Chambal, 1(e) Upper Indo-Ganga Plains और 3(a) Mahi and Sabarmati, के लिए CWC की *Flood Estimation Reports*। Ghate और Timbadiya (2022) द्वारा जयपुर (सांगानेर) के IMD के घंटेवार अभिलेख का विश्लेषण जयपुर और उसके आसपास एक घंटे तक की वर्षा घटनाओं के लिए, और राज्य के मध्य भाग में अन्यत्र न्यूनतम सीमा के रूप में, प्रयुक्त है। जयपुर और जैसलमेर के लिए IMD के वर्षा तीव्रता वक्र (Das et al., 2022) कई अन्य शहरों के लिए छपा वक्र ही दोहराते हैं और प्रयुक्त नहीं हैं; IMD के पुनरावृत्ति-अवधि वर्षा मानचित्रों के एटलस का वह भाग, जो राजस्थान को सम्मिलित करता है, नहीं मिला; और राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (NIH), रुड़की द्वारा ग्रिड वर्षा का आवृत्ति विश्लेषण केवल तुलना के लिए प्रयुक्त है।
4. **मानसून पद्धति.** छोटी साइटों के लिए नियत-गुणांक मार्ग और जल निकासी आरक्षित पट्टियों के लिए PUB सिंगापुर का *Code of Practice on Surface Water Drainage* (7th ed., 2025)। मानसूनी डिजाइन वर्षा घटनाओं और सरलीकृत साइट पर अस्थायी भंडारण के लिए मलेशिया का MSMA 2 (2012)।
5. **अपवाह में कमी और उपचार.** अपवाह में कमी और अनुप्रवाह विश्लेषण के लिए Georgia Stormwater Management Manual (2016)। उपचार शृंखला के लिए CIRIA C753 *The SuDS Manual* (2015)। आउटलेट और भंडारण डिजाइन के लिए Mile High Flood District का मानदंड मैनुअल।
6. **स्थानीय नियम.** मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025; राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009; राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 और विकास प्राधिकरणों के अधिनियम; राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015; राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 और राजस्व अभिलेख; आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017; और जलग्रहण क्षेत्रों, नालों, झीलों, आर्द्रभूमियों, नदियों और सीवेज पर उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय और NGT के आदेश। यह मैनुअल उनका पालन करता है या, जहाँ प्रकट किया गया है, उन्हें अधिक कठोर बनाता है। भवन विनियम 12 मई 2025 के UDH के आदेश के साथ जारी हिन्दी पाठ से उद्धृत किए गए हैं, जो तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया; वे प्रत्येक क्षेत्र में संबंधित स्थानीय निकाय या प्राधिकरण द्वारा राजपत्र में उनके प्रकाशन से प्रभावी होते हैं (विनियम 1.2), इसलिए तिथि शहर-दर-शहर भिन्न है [TBC], और भवनों की ऊँचाई पर 2026 के एक संशोधन की खबर है, किंतु वह पढ़ा नहीं गया। नगरपालिका अधिनियम एक तृतीय-पक्ष प्रति से उद्धृत है जिसके संशोधन जाँचे नहीं गए, झील अधिनियम 2015 के विधेयक के पाठ से, और नगर सुधार अधिनियम की धारा 73(c) विनियमों में उद्धृत रूप में; उद्धृत प्रत्येक प्रावधान की वर्तमान पाठ से जाँच करनी होगी।

यह मैनुअल क्यों आवश्यक है

भारत में वर्षा जल डिजाइन का कोई एकसमान मानक नहीं है. CPHEEO का *Manual on Storm Water Drainage Systems* (2019) वर्षा जल निकासी को समर्पित देश का पहला मैनुअल है, किंतु वह परामर्शी है। आवास और शहरी कार्य मंत्रालय उसे परामर्शी दिशानिर्देशों में सूचीबद्ध करता है और शहरी बाढ़ को राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों का विषय मानता है। इस मैनुअल के लिए समीक्षा किए गए राष्ट्रीय नियमों या राज्य भवन नियमों में से कोई भी अपवाह नियंत्रण को भवन अनुमोदन की शर्त नहीं बनाता, और न ही आदर्श भवन उपविधियाँ, 2016 ऐसा करती हैं।

राष्ट्रीय दस्तावेज प्रमुख मानों को खुला छोड़ देते हैं, या अलग-अलग उत्तर देते हैं.

- **पुनरावृत्ति अवधि.** CPHEEO श्रेणी I शहरों में ड्रेनों के लिए 5 वर्ष और अन्यत्र 2 वर्ष की सिफारिश करता है, और राज्य की समिति को उच्चतर मान अंगीकार करने देता है। CPHEEO की 2023 की एक प्रस्तुति एक अलग तालिका दिखाती है। IRC:SP:50-2013 शहरी सड़क ड्रेनों के लिए 1–2 वर्ष सुझाता है; IRC:SP:42-2014 25 वर्ष सुझाता है। राजस्थान में ड्रेन का डिजाइन करने वाला अभियंता चुनी गई संहिता के अनुसार 1, 2, 5 या 25 वर्ष का हवाला दे सकता है।
- **अस्थायी भंडारण.** CPHEEO चरम बहिर्वाह को विकास-पूर्व दरों तक सीमित करने को सामान्य पद्धति के रूप में वर्णित करता है। वह "shall" (अनिवार्य) का प्रयोग नहीं करता और किसी वर्षा घटना की आवृत्ति का नाम नहीं लेता।
- **जलवायु.** NDMA के शहरी बाढ़ दिशानिर्देश (2010) अस्थायी भंडारण और प्रतिधारण सुविधाओं की तथा जलवायु परिवर्तन के लिए समायोजित वर्षा वक्रों की माँग करते हैं, किंतु कोई आकार-निर्धारण नियम या पुनरावृत्ति अवधि नहीं देते।
- **डिजाइन वर्षा.** कोई भी राष्ट्रीय दस्तावेज ऐसी डिजाइन वर्षा नहीं देता जिसे डिजाइनकर्ता किसी दिए गए नगर पर सीधे लागू कर सके। प्रत्येक परियोजना अपना स्रोत स्वयं चुनती है। IMD के 2022 के वर्षा तीव्रता वक्रों के राष्ट्रीय संग्रह में राज्य के लिए दो पैनल हैं, जयपुर और जैसलमेर, और दोनों वही वक्र दोहराते हैं जो कई अन्य शहरों के लिए छपा है: जैसलमेर के लिए उससे 2-वर्ष का दैनिक मान लगभग 170 mm निकलता है, जबकि जिले की सामान्य वार्षिक वर्षा 172.9 mm है। राज्य के चार उप-क्षेत्रों के लिए CWC की रिपोर्टें 1984 से 1993 की हैं; उनमें 1-घंटे और 24-घंटे की वर्षा के अनुपात 0.34 से 0.36 तक हैं, और उनके द्वारा मानी गई हानियाँ 1.7 से 5 mm/h तक। लूणी उप-क्षेत्र का इकाई हाइड्रोग्राफ, जो राज्य के लगभग 59% भाग को सम्मिलित करता है, अरावली के किनारे के सात गेज किए गए पुल जलग्रहण क्षेत्रों पर आधारित है, जिनमें से कोई भी टीलों वाले क्षेत्र में नहीं है। जयपुर का केंद्र विश्लेषण 50-वर्ष के घंटे के लिए 93 mm देता है, जो CWC मानचित्र और अनुपात से शहर के लिए प्राप्त 70 mm से लगभग एक-तिहाई अधिक है। NIH-DHAARA के पुनर्विश्लेषण ग्रिड जयपुर पर 50-वर्ष के दिन के लिए 151 mm देते हैं, जबकि मानचित्र पर लगभग 200 mm और केंद्र के अभिलेख से 194.6–249.9 mm है, और बीकानेर पर 89 mm, जबकि मानचित्र पर लगभग 180 mm है।

राजस्थान का जल निकासी डिजाइन का अपना कोई मानक नहीं है। इस मैनुअल के लिए किए गए अनुसंधान में राज्य का एक जल निकासी दिशानिर्देश मिला, 2008 का RUIDP का परिपत्र संख्या 8, जो नगरों की ड्रेनों का डिजाइन 1- से 2-वर्ष की वर्षा घटना के लिए, जयपुर में मापी गई तीव्रताओं से बहुत कम तीव्रताओं पर, करने देता है, और एक घोषित डिजाइन बाढ़ मिली, वह 100-वर्ष की बाढ़ जिसके लिए JDA ने द्रव्यवती को फिर से बनाया, और जिसकी डिजाइन प्रवाह दर नहीं मिली। UDH, LSG, WRD, किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर निगम का ऐसा कोई मानक, IDF संबंध या परिपत्र नहीं मिला जो शहर की वर्षा जल ड्रेनों के लिए पुनरावृत्ति अवधि या डिजाइन वर्षा निर्धारित करता हो, और अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) या स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत किसी वर्षा जल ड्रेन की ऐसी कोई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) नहीं मिली जो कोई पुनरावृत्ति अवधि बताती हो। यह मैनुअल भवन विनियम, 2025, नगरपालिका अधिनियम, झील अधिनियम और मास्टर प्लानों के तकनीकी सहायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है: यह वे डिजाइन वर्षा घटना, अस्थायी भंडारण, जल स्तर और बफर मान देता है जिन्हें वे खुला छोड़ देते हैं। इसे UDH, LSG या किसी अन्य निकाय द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है। विशेष रूप से:

- **भवन नियम वर्षा जल संचयन की अपेक्षा करते हैं, पर अस्थायी भंडारण की नहीं।** भवन विनियम, 2025 225 m^2 या अधिक के प्रत्येक भूखंड पर वर्षा जल संचयन संरचना, या फिल्टर सहित छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक, की अपेक्षा करते हैं (विनियम 8.3; 2020 के विनियमों में सीमा-मान 300 m^2 था), जो ₹50,000 से ₹5 लाख की वापसी योग्य धरोहर राशि से सुनिश्चित की जाती है, और यह राशि तभी लौटाई जाती है जब भू-जल विभाग, WRD या इस क्षेत्र का अनुभवी सेवानिवृत्त अभियंता यह रिपोर्ट दे कि संरचना काम करती है; जिन क्षेत्रों को

स्थानीय निकाय जलभराव वाले क्षेत्र चिह्नित करे, वे छूट-प्राप्त हैं। वे 750 m^2 से बड़े गैर-वाणिज्यिक भूखंडों के 10 से 20% भाग पर हरित क्षेत्र की अपेक्षा करते हैं, जिसका कम से कम आधा भाग प्राकृतिक भूमि पर हो (विनियम 8.1), और 5,000 से 20,000 m^2 निर्मित क्षेत्र के लिए यह अपेक्षा करते हैं कि प्राकृतिक जल निकासी के इनलेट और आउटलेट बिंदु यथावत् रखे जाएँ, प्रति 5,000 m^2 एक पुनर्भरण बोर हो और खुले स्थान का कम से कम 20% बिना पक्का रहे (पर्यावरणीय शर्तों की अनुसूची)। नगरपालिका अधिनियम वर्षा जल संचयन को जुर्माने सहित एक कर्तव्य बनाता है, और किसी नए भवन को तब तक जल कनेक्शन देने पर रोक लगाता है जब तक नगरपालिका का यह प्रमाण-पत्र न हो कि संरचना प्रदान की गई है (धारा 238)। कोई नियम साइट पर अस्थायी भंडारण की अपेक्षा नहीं करता, चरम अपवाह को सीमित नहीं करता या "शून्य अपवाह" ("zero runoff") निर्धारित नहीं करता;

- **जल से कोई सेटबैक नहीं है।** न 2025 के विनियम और न 2020 के विनियम किसी नाले, नदी या झील से कोई दूरी निर्धारित करते हैं। नगरपालिका अधिनियम नगरपालिका में निहित किसी ड्रेन के ऊपर उसकी लिखित सम्मति के बिना भवन निर्माण पर रोक लगाता है (धारा 213(2)), और किसी भवन के निर्माण या अधिभोग पर तब तक रोक लगाता है जब तक उसकी "प्रभावी जल निकासी" ("effectual drainage") के लिए ड्रेन न बन जाए (धारा 202)। झील अधिनियम झीलों के चारों ओर संरक्षित क्षेत्रों का उपबंध करता है, किंतु कोई दूरी निर्धारित नहीं करता, और कोई संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित नहीं मिला। प्लिंथ सामने की सड़क से कम से कम 0.45 m ऊँचा होना चाहिए (विनियम 6.6), किंतु बेसमेंट में सतही पानी आने से रोकने वाला कोई नियम नहीं मिला;
- **एक को छोड़कर, कोई डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि निर्धारित नहीं है।** द्रव्यवती की 100-वर्ष की बाढ़ के अतिरिक्त, राज्य में किसी शहरी ड्रेन, नाले या नदी गलियारे के लिए कोई डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि नहीं मिली; 2025 के JDA के जल निकासी उन्नयन के लिए भी कोई नहीं मिली, जिसमें प्रकाशित खबरों के अनुसार एक वर्षा जल मॉडल का उपयोग होता है;
- **रेखाएँ न्यायालयों ने निर्धारित की हैं, और एक विधि माँगी है।** व्यवहार में लागू सीमाएँ न्यायालयों से आती हैं: 2012 से तालाबों और नालों के जलग्रहण क्षेत्र आवंटन से बंद; गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि उसके दर्ज स्वरूप में रखी जाए (2026); प्रकाशित खबरों के अनुसार, 1997 में अधिसूचित उदयपुर की झीलों के चारों ओर एक निर्माण-निषिद्ध जोन, और उदय सागर के उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 m के भीतर होने के कारण एक होटल का शून्य ठहराया जाना; आर्द्रभूमियों या उनके जलग्रहण क्षेत्रों में कोई भराई या निर्माण नहीं (उच्च न्यायालय, 1 जून 2026); प्रकाशित खबरों के अनुसार 24 अगस्त 2026 के एक आदेश से जोजरी के किनारे 100 m; और, 7 अगस्त 2026 को, राज्य की प्रत्येक नदी प्रणाली के लिए उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और एक पारिस्थितिक बफर का सीमांकन करने का उच्चतम न्यायालय का निर्देश, और इस बीच चिह्नित नदी गलियारों में कोई नई अनुमति नहीं। पढ़ा गया आदेश यह नहीं बताता कि रेखा किस बाढ़ के लिए खींची जाए। यह मैनुअल उस कार्य के लिए एक तकनीकी विधि प्रस्तुत करता है (अध्याय 7); यह किसी न्यायालय या राज्य द्वारा खींची गई किसी रेखा का स्थान नहीं लेता, और जहाँ ऐसी रेखा बाध्यकारी हो और अधिक चौड़ी हो, वहाँ वही लागू होगी; और
- **कोई दस्तावेज वह झील या नदी स्तर निर्धारित नहीं करता जिसके लिए आउटफॉल डिजाइन किया जाता है।** उदयपुर की झीलें और आना सागर फुट में गेज पाठ्यांकों के अनुसार चलाए जाते हैं, जिनका शून्य औसत समुद्र तल से जुड़ा नहीं है; सितंबर 2019 में, जब प्रतिप्रवाह के बैराज ने अपने ऊपर के डैमों का पानी छोड़ा, कोटा सिटी पर चंबल 248.68 m तक पहुँची, जबकि खतरे का स्तर 242 m है; और शहर के आउटफॉलों पर द्रव्यवती या जोजरी के लिए कोई स्तर नहीं मिला। खतरे के स्तर और उच्चतम बाढ़ स्तर बाढ़ चेतावनी के स्तर और रिकॉर्ड हैं, डिजाइन स्तर नहीं।

इसलिए प्रत्येक एजेंसी और प्रत्येक स्थानीय निकाय केंद्रीय मैनुअल की अपने ढंग से व्याख्या करता है। JMC और अन्य नगर निगम, नगर परिषदें और नगरपालिका बोर्ड, JDA और अन्य विकास प्राधिकरण, UIT, RUIDP, WRD, PHED, RIICO, स्मार्ट सिटी कंपनियाँ, सड़क एजेंसियाँ, उनके परामर्शदाता और वित्तपोषक एजेंसियाँ इन कमियों को अलग-अलग ढंग से भरते हैं। एक ही सड़क पर अलग-अलग एजेंसियों द्वारा बनाई गई दो ड्रेनों का आकार अलग-अलग वर्षा स्रोतों से अलग-अलग वर्षा घटनाओं के लिए निर्धारित हो सकता है। जयपुर का कोई नाला नाहरगढ़ की पहाड़ियों से निकलकर, JDA द्वारा बसाई गई कॉलोनियों और JMC द्वारा साफ किए जाने वाले वार्डों से होकर, द्रव्यवती में मिल सकता है, जो 100-वर्ष की बाढ़ के लिए बना चैनल है, जबकि उसमें पानी पहुँचाने वाली ड्रेनों की योजना 1 या 2 वर्ष की वर्षा घटना के लिए बनाई गई थी। और समीक्षक के पास कोई साझा आधार नहीं है जिसके सापेक्ष वह किसी डिजाइन की जाँच कर सके।

यह मैनुअल इसके लिए क्या करता है. यह उन खुले विकल्पों को राज्य के एक मानक में बदलता है:

- डिजाइन वर्षा के लिए चारों CWC उप-क्षेत्रों में, तीन वर्षा जोनों में, एक स्रोत और विधि, जहाँ जाँचा हुआ केंद्र विश्लेषण उपलब्ध हो वहाँ वही मान्य, और जहाँ CWC के अनुपात छोटी अवधि की वर्षा घटनाओं को कम आँकते हैं वहाँ न्यूनतम सीमाएँ (अध्याय 2);

- प्रत्येक जल निकासी अवयव के लिए निर्धारित पुनरावृत्ति अवधि (अध्याय 2 और 6);
- निजी साइटों के लिए विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात का एक अनिवार्य नियम, और जहाँ कोई आउटफॉल नहीं है वहाँ भंडारित करके भूमि में रिसाया जाने वाला एक डिजाइन आयतन (अध्याय 4);
- नालों, झीलों, जलाशयों और नदियों में गिरने वाले गेटयुक्त, फ्लैप-गेटयुक्त या पंप द्वारा संचालित आउटफॉलों के लिए डिजाइन झील या नदी स्तर के सापेक्ष अनिवार्य टेलवाटर जाँच (अध्याय 5);
- एक डिजाइन बाढ़ रेखा, और नालों के साथ और तालाबों और झीलों के चारों ओर कॉरिडोर और सेटबैक, जिनका आकार अभी कोई नियम निर्धारित नहीं करता, जो इस मैनुअल द्वारा न्यायालयों की खींची गई रेखाओं के साथ उपयोग के लिए प्रस्तावित हैं (अध्याय 7);
- ऐसे राज्य में पहले पुनर्भरण जिसके जलभृतों का अति-दोहन हुआ है, पुराने जोधपुर और नहर पट्टी में भूजल की जाँच के साथ, काली मिट्टी पर दरारें बंद हो जाने के बाद अंत:स्यंदन का कोई श्रेय नहीं, और उपचार वहाँ जहाँ नाले सीवेज ले जाते हैं (अध्याय 8); और
- बेसिन-स्तरीय मास्टर प्लान, ताकि एक बेसिन साझा करने वाली एजेंसियाँ मिलकर योजना बनाएँ (अध्याय 11)।

यह वही मार्ग अपनाता है जो CPHEEO का मैनुअल स्वयं प्रदान करता है: कोई राज्य राष्ट्रीय मानों से उच्चतर मानक अंगीकार कर सकता है (CPHEEO 2019, तालिका 4.1, टिप्पणी 2)। कोई नगर निगम, कोई विकास प्राधिकरण या UDH फिर भी इससे अधिक कठोर मानक अंगीकार कर सकता है (अध्याय 1)।

स्रोत: CPHEEO (2019) Part A §4.4–4.5 और Table 4.1; CPHEEO presentation to CSE (August 2023); IRC:SP:50-2013 §6; IRC:SP:42-2014 §6; NDMA (2010) Urban Flooding Guidelines, para 6.6.2; MoHUA Model Building Bye-Laws (2016); Government of Rajasthan, UDH, Model Rajasthan Building Regulations, 2025 (मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025), issued with UDH order No. P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025 of 12 May 2025 (हिन्दी पाठ और आदेश तृतीय-पक्ष प्रतियों से पढ़े गए), regs. 1.2, 4.13, 6.5, 6.6, 8.1–8.6 और 18, और Schedule 2, item 4; प्रत्येक स्थानीय निकाय या प्राधिकरण द्वारा प्रकाशन की तिथि की पुष्टि नहीं [TBC]; भवनों की ऊँचाई पर 2026 का संशोधन (प्रकाशित खबरों के अनुसार; पढ़ा नहीं गया); JDA (Jaipur Region) Building Regulations, 2020, Rajasthan Gazette (Extraordinary), 7 January 2021, regs. 10.4, 10.11 और 11.6 और Annexure 4, और Model Rajasthan Building Regulations, 2020, reg. 10.11.1; Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act 18 of 2009), ss.45, 68, 200, 202, 204, 213 और 238 (तृतीय-पक्ष प्रति; संशोधन जाँचे नहीं गए); Rajasthan Urban Improvement Act, 1959, s.73(c) (विनियमों में उद्धृत रूप में; पढ़ा नहीं गया); Rajasthan Lakes (Protection and Development) Authority Bill, 2015 (Bill No. 11 of 2015, प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद), ss.1–6 और 27; Rajasthan Tenancy Act, 1955, s.16 (उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्धृत रूप में); Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority Act, 2024 (Act No. 20 of 2025); Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017; High Court of Rajasthan, Abdul Rahman v. State of Rajasthan, D.B. C.W.P. 1536/2003, 2 अगस्त 2004 का निर्णय, Suo Motu v. State, S.B. C.W.P. 11153/2011, 23 अगस्त 2011 और 29 मई 2012 के आदेश, और Gulab Kothari v. State, D.B. C.W.P. 1554/2004, 12 जनवरी 2017 का आदेश (सभी बाद के निर्णयों में उद्धृत रूप में); High Court of Rajasthan, Ramji Lal Saini v. State, D.B. C.W.P. (PIL) 6614/2021, 7 मई 2026 का आदेश; High Court of Rajasthan (Jodhpur), राजस्थान की आर्द्रभूमियों पर स्वतः संज्ञान मामला, 1 जून 2026 का आदेश; Supreme Court of India, National Institute of Medical Science University v. State of Rajasthan, SLP (C) 38040-38041 of 2012, 9 नवंबर 2017 का निर्णय; Supreme Court of India, In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan, Suo Motu W.P. (C) 8 of 2025, 21 नवंबर 2025 और 18 मार्च 2026 के निर्णय और 7 अगस्त 2026 का आदेश, और 24 अगस्त 2026 का आदेश (प्रकाशित खबरों के अनुसार); आना सागर पर NGT (Central Zone) का आदेश (2023) और उच्चतम न्यायालय के दिसंबर 2023 और मार्च 2025 के आदेश (प्रकाशित खबरों के अनुसार); उदयपुर की झीलों पर उच्च न्यायालय के आदेश और 17 जनवरी 1997 की अधिसूचना (प्रकाशित खबरों के अनुसार); RUIDP, Circular No. 8, General guide lines for Drainage Sector work to be taken under RUSDIP, 4 March 2008; JDA, Dravyavati River Rejuvenation Project, environmental impact assessment, Chapter 2; Ghate and Timbadiya (2022), MAUSAM 73(2): 341–354; Gupta and Jindal (1987), MAUSAM 38(3): 362–364; CWC, Flood Estimation Reports for Subzones 1(a) (L/20/1992), 1(b) (C/16/1988), 1(e) (1984) और 3(a) (MS/13/1986), उनकी isopluvial plates सहित; IMD, Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012); IMD, Climate of Rajasthan (2010); IMD, Pai et al. (2020), दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन और वापसी की नई सामान्य तिथियाँ, Table 2; Das et al. (2022),

MAUSAM 73(4), Fig. 4(xiv) और 4(xv); NIH-DHAARA (6–7 नवंबर 2026 को देखा गया); CGWB और राज्य, Dynamic Ground Water Resources of Rajasthan, 2024; CGWB, Ground Water Year Book 2020-21, Rajasthan; NIH, जोधपुर में भूजल स्तर के उठने का अध्ययन (2025); 16–17 सितंबर 2019 के CWC बाढ़ बुलेटिन और बाढ़ पूर्वानुमान स्थलों की CWC सूची (SANDRP द्वारा प्रतिलिपि किए गए रूप में); राज्य के भीतर की ओर बहने वाले भाग का अनुपात (द्वितीयक स्रोत); रामसर स्थलों की MoEF&CC सूची और अधिसूचित आर्द्रभूमियों की संख्या (प्रकाशित खबरों के अनुसार); जयपुर (1981, 2024), बाड़मेर (2006), कोटा (2019), जोधपुर (2022) और अजमेर (2024, 2025) की बाढ़ों, नगर निगमों के विलय (2025) और JDA के जल निकासी उन्नयन (2025) की रिपोर्टें (समाचार माध्यम और द्वितीयक स्रोत)।

इस मैनुअल का उपयोग कैसे करें

खंड और भाष्य. क्रमांकित खंड (उदाहरण के लिए 4.5.2) इस मैनुअल की अपेक्षाएँ हैं और उनमें "shall" (...किया जाएगा, अनिवार्य) का प्रयोग होता है। **भाष्य** शीर्ष वाले पैराग्राफ किसी खंड का कारण समझाते हैं और उसके पूर्व-उदाहरण का हवाला देते हैं। ये मार्गदर्शन हैं, अपेक्षाएँ नहीं। जहाँ किसी मान का अन्यत्र कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है, वहाँ भाष्य यह बताता है और समझाता है कि यह मैनुअल उसे क्यों निर्धारित करता है।

पुनरावृत्ति अवधि. वर्षा घटनाओं का वर्णन वार्षिक अतिक्रमण प्रायिकता (AEP) और पुनरावृत्ति अवधि, दोनों से किया गया है। उदाहरण के लिए, "1% AEP (100-वर्ष)" का अर्थ ऐसी वर्षा घटना है जिसके किसी भी वर्ष में बराबर होने या उससे अधिक होने की 100 में 1 की संभावना है।

उदाहरणार्थ मान. "केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं" चिह्नित हल किए गए उदाहरण और चित्र केवल विधि और परिमाण दिखाते हैं। डिजाइन मान अध्याय 2 में निर्धारित स्रोतों से लिए जाते हैं।

परिशिष्ट और प्रपत्र. प्रत्येक अध्याय उन परिशिष्टों और प्रपत्रों को सूचीबद्ध करता है जिन पर वह निर्भर है। वे अध्यायों के बाद, अध्यायवार समूहित, आते हैं, और उनमें प्रस्तुत किए जाने वाले प्रपत्र, हल किए गए उदाहरण, टेम्पलेट, आदर्श पाठ और मानक ड्रॉइंग हैं। जिन परिशिष्टों के लिए ऐसे आँकड़े चाहिए जो अभी एकत्र नहीं हुए, वे *तैयार किया जाना है* चिह्नित हैं। वे बताते हैं कि उनमें क्या होगा, और उन पर निर्भर खंड वह नियम बताता है जो इस बीच लागू होता है।

चित्र. सभी चित्र इस मैनुअल के लिए तैयार की गई मूल ड्रॉइंग हैं। जहाँ कोई चित्र किसी प्रकाशित अवधारणा पर आधारित है, वहाँ उसका कैप्शन स्रोत का श्रेय देता है।

कहाँ से शुरू करें.

यदि आप...	पहले पढ़ें
विकासकर्ता या वास्तुकार हैं	अध्याय 1 (क्या यह लागू होता है?), अध्याय 4 (क्या प्रदान करना है), अध्याय 10 (क्या प्रस्तुत करना है)
डिजाइन अभियंता हैं	अध्याय 2–6, फिर 8 और 9
स्थानीय निकाय या अनुमोदन प्राधिकारी हैं	अध्याय 1, 10 और 11
योजनाकार या जलाशय प्रबंधक हैं	अध्याय 7 और 11

विषय-सूची

अध्याय	शीर्षक	परिशिष्ट और प्रपत्र
1	नीति, प्रयोज्यता और अंगीकरण	परिशिष्ट 1
2	डिजाइन वर्षा और डिजाइन वर्षा घटनाएँ	परिशिष्ट 2
3	जलवैज्ञानिक विधियाँ	परिशिष्ट 3
4	साइट अपवाह नियंत्रण: प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण	परिशिष्ट 4
5	अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण	परिशिष्ट 5
6	लघु और प्रमुख जल निकासी प्रणालियाँ	परिशिष्ट 6
7	जलाशय, तालाब (पोखर) और सेटबैक	परिशिष्ट 7
8	जल गुणवत्ता और पुनर्भरण	परिशिष्ट 8
9	संरचनाओं का हाइड्रोलिक डिजाइन	परिशिष्ट 9
10	प्रस्तुतियाँ, समीक्षा, प्रचालन और रखरखाव तथा प्रवर्तन	परिशिष्ट 10
11	बेसिन और शहर वर्षा जल मास्टर प्लान	परिशिष्ट 11

तालिकाओं की सूची

तालिका	शीर्षक
1.1	टियर A और टियर B प्राधिकारियों के बीच अंतर
1.2	नीति अनुपूरक: अंगीकरणीय विकल्प S-1 से S-5
1.3	अन्य लिखतों के साथ संबंध
1.4	इस मैनुअल के अंतर्गत भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व
1.5	इस मैनुअल के अंतर्गत जल निकासी तत्वों का कार्यकारी आवंटन
2.1	डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि (सारांश)
2.2	अंतरिम जलवायु गुणक
2.3	मिश्रित-आवृत्ति नियम का उदाहरणार्थ परिमाण (डिजाइन मान नहीं)
3.1	अनुमत जलवैज्ञानिक विधियाँ
3.2	अपवाह गुणांक C (10% या उससे अधिक बार होने वाले AEP के लिए)
3.3	आवृत्ति गुणक Cf
3.4	परत प्रवाह के लिए मैनिंग का n (USDA SCS TR-55, 1986, Table 3-1)

तालिका	शीर्षक
3.5	अपवाह कर्व नंबर, AMC II, Ia = 0.2S (USDA SCS TR-55, 1986, Tables 2-2a और 2-2c)
4.1	अस्थायी भंडारण के आकार-निर्धारण के लिए रूट की जाने वाली डिजाइन वर्षा घटनाएँ
4.2	उदाहरण: अवधि के अनुसार चरम प्रवाह दरें और प्रयुक्त भंडारण (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4.3	टियर B साइट की अनुमेय प्रवाह दर और साइट पर आवश्यक भंडारण (टेम्पलेट)
4.3A	नियत निकास गुणांक (अनंतिम)
5.1	ज्वारीय आउटफॉलों के लिए डिजाइन टेलवाटर स्तर
5.2	ज्वारीय और नदी आउटफॉलों के लिए संयुक्त प्रायिकता की स्थितियाँ
6.1	वहन के लिए डिजाइन AEP (खंड 2.4 के अनुरूप)
6.2	सड़क पर प्रवाह की सीमाएँ
6.3	सडकों और सतही प्रवाह मार्गों के लिए प्रवाह जोखिम की सीमाएँ
6.4	संयुक्त बाढ़ जोखिम संवेदनशीलता वर्ग (संदर्भ के लिए पुनःप्रस्तुत)
6.5	इनलेट अवरोध गुणक (स्वच्छ क्षमता का नष्ट माना गया अंश)
6.6	डिजाइन के लिए मैनिंग n (CPHEEO 2019 से)
6.7	खुली और ढकी ड्रेन में न्यूनतम फ्रीबोर्ड
6.8	सीधे पाइप खंडों पर मैनहोल की अधिकतम दूरी
6.9	जल निकासी आरक्षित पट्टी की न्यूनतम चौड़ाई (PUB Singapore से ली गई)
7.1	जहाँ 1% AEP विस्तार उपलब्ध नहीं है वहाँ नियत-चौड़ाई सेटबैक
8.1	चिंता के प्रदूषक, स्रोत और प्राथमिक नियंत्रण
8.2	पुनर्विकास से भिन्न साइटों के लिए आवश्यक सेवा स्तर
8.3	BMP की मूल्य श्रेणियाँ और राजस्थान में उपयुक्तता
9.1	प्रवेश हानि गुणांक ke (आउटलेट नियंत्रण, पूर्ण या आंशिक रूप से भरा)
9.2	चैनलों में अधिकतम अनुमेय माध्य वेग
9.3	रिपरैप वर्ग और एप्रन के आयाम (HEC-14)
9.4	मैनहोलों का न्यूनतम आंतरिक आकार
9.5	राजस्थान के स्थानों के लिए न्यूनतम IS 456 अनावरण वर्ग
10.1	प्रस्तुति के चरण और उनसे जुड़े अनुमोदन
10.2	प्रस्तुतियों में प्रयुक्त प्रपत्र
10.3	स्वामी द्वारा निरीक्षण की न्यूनतम आवृत्तियाँ
10.4	प्रवर्तन की क्रमिक कार्रवाई
11.1	BSMP के लिए न्यूनतम आँकड़े और सर्वेक्षण

तालिका	शीर्षक
11.2	न्यूनतम सेवा स्तर
1A.1	खंड 1.6.1 में परिभाषित टियर A प्राधिकारी
1A.2	टियर A प्राधिकारियों का रजिस्टर (ढाँचा)
1B.1	खंड 4.5.3.2 में सूचीबद्ध बाढ-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र
1B.2	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र परत के गुण (ढाँचा)
1C.1	इस संकल्प द्वारा अंगीकृत विकल्प
1D.1	अनुसूची: अंगीकृत विकल्प (ढाँचा)
2A.1	डिजाइन गहराइयों की बेंचमार्क तुलना (ढाँचा)
2A.2	वर्षा जोन (ढाँचा)
2B.1	जोनवार अनुपात P(t)/P(24h) (ढाँचा)
2B.2	नियत-अंतराल समायोजन गुणक (खंड 2.6.3)
2C.1	ग्रिड-से-बिंदु गुणक (ढाँचा)
2D.1	वर्षा घटना के समय के संचयी अंश के सापेक्ष वर्षा गहराई का संचयी अंश (ढाँचा, प्रत्येक जोन, अवधि वर्ग और चतुर्थक के लिए एक तालिका)
2E.1	जोनवार प्रतिधारण गहराई P_R (ढाँचा)
3A.1	मृदा श्रृंखला से HSG की मिलान-सूची (रूपरेखा)
3A.2	मानचित्रण इकाईवार मौसमी उच्चतम भूजल स्तर (रूपरेखा)
3B.1	पूरक भू-आवरण, AMC II (रूपरेखा)
3B.2	CN अंशांकन जलग्रहण क्षेत्र (रूपरेखा)
3C.1	समस्या 3C-1 का हल
3C.2	समस्या 3C-2 का हल
3C.3	समस्या 3C-3 का हल
3C.4	समस्या 3C-4 का हल
3C.5	समस्या 3C-5 का जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर संबंध
3C.6	समस्या 3C-5 का रूट किया गया बहिर्वाह
3C.7	आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बेंचमार्क परिणाम
3D.1	अंशांकित चरम दर गुणक (रूपरेखा)
3E.1	उप-क्षेत्रवार SUH संबंध (रूपरेखा)
3E.2	हल किए गए उदाहरण की रूपरेखा (रूपरेखा)
4A.1	उथले भूजल जोन परत के गुण (रूपरेखा)
4B.1	परिशिष्ट 4B की विषय-वस्तु और उसकी स्थिति

तालिका	शीर्षक
4B.2	टियर B PSD और SSR (तालिका 4.3 की रूपरेखा)
4B.3	प्रतिधारण क्रेडिट गुणक C_R (रूपरेखा)
4B.4	दिए गए हेड पर अनुमेय प्रवाह दर के लिए ऑरिफिस का सबसे बड़ा व्यास (mm) (Cd = 0.60, मुक्त निस्सरण)
4B.5	नियत निकास गुणांक C_10 और C_2 (अनंतिम, तालिका 4.3A)
4C.1	इनपुट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.2	डिजाइन वर्षा की गहराइयाँ, mm (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.3	कर्व नंबर और हानियाँ (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.4	वर्षा घटना के अपवाह की गहराई Q, mm (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.5	इकाई हाइड्रोग्राफ के प्राचल (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.6	जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर, परीक्षण आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.7	परीक्षण आउटलेट से होकर 100-वर्ष 72-घंटे की वर्षा घटना की रूटिंग, चरम के आसपास (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.8	परीक्षण आउटलेट से होकर 100-वर्ष 72-घंटे की वर्षा घटना की रूटिंग, प्रति घंटा (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.9	परीक्षण आउटलेट (120 mm और 470 mm ऑरिफिस) के परिणाम (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.10	जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर, संशोधित आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.11	संशोधित आउटलेट (170 mm और 460 mm ऑरिफिस) के परिणाम (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.12	रूटिंग द्वारा प्रतिधारण क्रेडिट, संशोधित आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.13	आउटलेट की जाँचें, संशोधित आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
4C.14	संशोधित डिजाइन का सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
5A.1	डिजाइन टेलवाटर (तालिका 5.1) में परिशिष्ट 5A के मानों का उपयोग
5A.2	तटीय खंडवार ज्वारीय डेटम, महोर्मि और स्थिर जल स्तर (रूपरेखा)
5B.1	अध्याय 5 में नामित जलाशय
5B.2	परिशिष्ट 5B की परतों के गुण (रूपरेखा)
5C.1	इनपुट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
5C.2	आउटफॉल-बंद जाँच के परिणाम (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
5C.3	आयतन संतुलन, 1% AEP 48 घंटे की वर्षा घटना, रन B (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
5C.4	जल स्तर–समय आलेख, 1% AEP 48 घंटे की वर्षा घटना, रन B (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
5C.5	सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
6A.1	परिशिष्ट 6A के प्रकाशित होने तक इनलेट के लिए अंतरिम अपेक्षाएँ (अध्याय 6 और 9 से)
6A.2	मानक इनलेट प्रकारों का रजिस्टर (ढाँचा)
6A.3	ढलान पर क्षमता (ढाँचा; प्रत्येक इनलेट प्रकार के लिए एक तालिका)

तालिका	शीर्षक
6A.4	निचले बिंदु पर क्षमता (ढाँचा; प्रत्येक इनलेट प्रकार के लिए एक तालिका)
6B.1	अध्याय 6 द्वारा पहले से निर्धारित तलछट प्रावधान (अनंतिम, अंशांकन किया जाना है)
6B.2	भूमि उपयोग और ड्रेन के प्रकार के अनुसार तलछट उत्पादन (ढाँचा)
6B.3	तलछट प्रावधान का अंशांकन (ढाँचा)
6C.1	मानक ड्रॉइंग पर आयाम और उनके स्रोत खंड
7A.1	जलाशय सूची के गुण क्षेत्र (WB_POLY)
7A.2	कोड सूचियाँ
7A.3	संरचनाओं के गुण क्षेत्र (WB_STRUCT)
7B.1	जलाशय वर्ग के अनुसार नियत-चौड़ाई सेटबैक (विकल्प S-3)
7B.2	खंड 7.4.6 में उद्धृत स्रोत बफर (KC APWA 5600, 2006, §5605.3)
7C.1	अवधि के अनुसार नियम स्तर (प्रत्येक तालाब के लिए पूरी की जानी है)
7C.2	स्तर के अनुसार आउटलेट की सेटिंग (प्रत्येक तालाब के लिए पूरी की जानी है)
7C.3	प्रारंभक और कार्रवाइयाँ (प्रत्येक तालाब के लिए पूरी की जानी है)
7D.1	गाद निकालने और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए रोक बिंदु
7E.1	जलाशय
7E.2	चैनल, जलग्रहण क्षेत्र, तटबंध और प्रणाली के भाग
7E.3	सांविधिक और न्यायालयी शब्द
7E.4	अभी असत्यापित शब्द
8A.1	जोन के अनुसार जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराइयाँ (ढाँचा)
8A.2	अवधि के अनुसार 3-माह ARI तीव्रता (ढाँचा)
8B.1	पुनर्विकास के लिए आवश्यक LoS (ढाँचा)
8B.2	हल किया गया उदाहरण: संयुक्त VR (उदाहरणार्थ)
8B.3	उपचार शृंखलाओं की संयुक्त VR (ढाँचा)
8C.1	निगरानी स्थल रजिस्टर (ढाँचा)
8C.2	घटना अभिलेख (ढाँचा; खंड 8.13.2 के प्राचल)
8C.3	प्रदर्शन सारांश और प्रस्तावित VR (ढाँचा)
8D.1	पूर्व-उपचार (सभी BMP)
8D.2	बायोरिटेंशन और वर्षा उद्यान (चित्र 8.2)
8D.3	वनस्पति स्वेल
8D.4	वनस्पति फिल्टर पट्टियाँ

तालिका	शीर्षक
8D.5	पारगम्य पेवमेंट
8D.6	अंतःस्यंदन खाइयाँ और बेसिन (चित्र 8.3)
8D.7	वेट पॉन्ड (विस्तारित आर्द्र अस्थायी भंडारण)
8D.8	निर्मित आर्द्रभूमियाँ
8D.9	स्थूल प्रदूषक जाल और आउटफॉल की जालियाँ
8D.10	तेल-ग्रिट पृथक्कारी
8D.11	अंतःस्यंदन और भूजल पुनर्भरण के मानदंड (सभी अंतःस्यंदन BMP)
8D.12	बायोरिटेंशन फिल्टर माध्यम और परतें
8D.13	बायोरिटेंशन, स्वेल और फिल्टर पट्टियों के लिए सांकेतिक पौधे
8D.14	निर्मित आर्द्रभूमियों और वेट पॉन्ड के लिए सांकेतिक पौधे
8D.15	न लगाई जाने वाली प्रजातियाँ
8E.1	उपायों का चयन (खंड 8.12.3)
8E.2	ESC का समय और निरीक्षण (खंड 8.12.2 और 8.12.5)
9A.1	सामान्य इनलेटों के लिए HDS-5 इनलेट-नियंत्रण गुणांक
9A.2	हल किए गए उदाहरण के इनपुट
9A.3	क्रांतिक गहराई और विशिष्ट हेड (D = 1.2 m)
9A.4	इनलेट-नियंत्रण हेडवाटर
9A.5	आउटलेट-नियंत्रण हेडवाटर
9A.6	निर्णायक हेडवाटर और जाँचें
9A.7	रिपरैप एप्रन का आकार निर्धारण
9A.8	हल किए गए उदाहरण का सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)
9B.1	मानक ड्रॉइंग पर आयाम और नियम तथा उनके स्रोत खंड
9C.1	पंपिंग स्टेशन डिजाइन जाँच-सूची
9C.2	नियंत्रण स्तर (मान डिजाइन में निर्धारित किए जाने हैं)
10A.1	कैलकुलेटर के इनपुट
10A.2	कैलकुलेटर द्वारा की जाने वाली गणनाएँ
10B.1	परतें
10B.2	SW_FAC (सुविधाएँ) के गुण
10B.3	SW_OUTF (आउटफॉल) के गुण
10B.4	SW_CATCH (जलग्रहण क्षेत्र) के गुण

तालिका	शीर्षक
10B.5	SW_FLOW और SW_CONV (प्रवाह मार्ग और वहन) के गुण
10B.6	मेटाडेटा (SW_META)
10B.7	सुविधा के प्रकार के कोड (FAC_TYPE)
10B.8	स्थिति के कोड (STATUS)
10B.9	निरीक्षण परिणाम के कोड (INSP_RES)
10C.1	मैनुअल द्वारा निर्धारित पहुँच आयाम
10C.2	मैनुअल द्वारा निर्धारित न किए गए पहुँच आयाम (डिजाइन में पुष्टि की जानी है)
10D.1	O&M योजना की विषय-वस्तु
10D.2	प्रतिधारण और अंतःस्यंदन (सोख गड्ढे, खाइयाँ, बायोरिटेंशन, पारगम्य पेवमेंट)
10D.3	सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान
10D.4	भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट
10D.5	पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण, पंप और नियंत्रण
10D.6	फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट, नॉन-रिटर्न वाल्व
10D.7	स्थूल प्रदूषक जाल या प्रथम प्रवाह युक्ति
10D.8	निजी ड्रेन और इनलेट
11A.1	सुपुर्दगी योग्य सामग्री
11B.1	खंड 11.3.3 में नामित बेसिन (अनंतिम)
11B.2	बेसिन सीमा परत के गुण (रूपरेखा)
11C.1	गहराई–क्षति वक्र (रूपरेखा, प्रत्येक भवन प्रकार के लिए एक तालिका)
11D.1	प्रकाशित की जाने वाली मदें

चित्रों की सूची

चित्र	शीर्षक
1.1	वर्षा जल प्रबंधन का पदानुक्रम
1.2	प्रयोज्यता निर्णय फ्लोचार्ट
2.1	डिजाइन वर्षा के स्रोतों का पदानुक्रम और समायोजन
2.2	डिजाइन हायटोग्राफ
2.3	डिजाइन वर्षा के स्रोत से डिजाइन वर्षा घटना तक

चित्र	शीर्षक
3.1	जलवैज्ञानिक विधि का चयन
3.2	सांद्रण समय: सबसे लंबे प्रवाह मार्ग के साथ प्रवाह खंड (योजनाबद्ध)
3.3	SCS-CN अपवाह की गहराई बनाम वर्षा की गहराई
3.4	दो-पदीय सतत सिमुलेशन: तालाब का प्रारंभिक स्तर (योजनाबद्ध)
3.5	विकास-पूर्व और विकास-पश्चात हाइड्रोग्राफ
4.1	विकास-पूर्व 10-वर्ष, विकास-पश्चात 100-वर्ष अनियंत्रित, और भंडारण सहित हाइड्रोग्राफ (उदाहरणार्थ)
4.2	अस्थायी भंडारण के स्तर-क्रम और बहु-चरणीय आउटलेट (योजनाबद्ध)
4.3	नियत-गुणांक मार्ग: निकास सीमाएँ, मास-वक्र विधि द्वारा भंडारण और दो-चरणीय आउटलेट (योजनाबद्ध)
5.1	अनुप्रवाह विश्लेषण का विस्तार
5.2	फ्लैप गेट और डिजाइन टेलवाटर स्तरों सहित ज्वारीय आउटफॉल का खंड-चित्र
5.3	ज्वार से अवरुद्ध आउटफॉल की समय-रेखा (उदाहरणार्थ)
6.1	कर्बयुक्त सडक में लघु और प्रमुख जल निकासी
6.2	कर्ब चैनल फैलाव, इनलेट द्वारा प्रवाह ग्रहण और अवरोध
6.3	ड्रेन के खंड: फ्रीबोर्ड, तलछट प्रावधान और पहुँच
6.4	जल निकासी आरक्षित पट्टी: अनुप्रस्थ काट (योजनाबद्ध)
6.5	तटीय पट्टी: फर्श स्तर की परतें और पट्टी का विस्तार (योजनाबद्ध)
7.1	जलाशय के सेटबैक जोन
7.2	ऊँचाई पट्टी के अनुसार प्रतिपूरक भंडारण (योजनाबद्ध)
7.3	तालाब और उसका आगोर: जलग्रहण क्षेत्र, उसके प्रवाह मार्ग, अपने FTL और अतिप्रवाह (escape) के साथ तालाब, पुनर्भरण, संरक्षित जलग्रहण क्षेत्र की सीमा, और एक टाँका और एक खड़ीन
8.1	उपचार शृंखला
8.2	बायोरिटेंशन सेल
8.3	अंतःस्यंदन खाई
9.1	पुलिया की हाइड्रोलिक्स: इनलेट नियंत्रण और आउटलेट नियंत्रण
9.2	पाइप या पुलिया के आउटलेट पर रिपरैप एप्रन (योजनाबद्ध)
9.3	वर्षा जल पंपिंग स्टेशन: वेट वेल, जालियाँ, स्तर और आउटफॉल
10.1	प्रस्तुति, समीक्षा और अनुमोदन का कार्यप्रवाह
10.2	अनुमोदन से हस्तांतरण तक निर्माण के रोक बिंदु
10.3	रखरखाव चक्र और उत्तरदायित्व
11.1	बेसिन मास्टर प्लान की प्रक्रिया

चित्र	शीर्षक
11.2	BSMP मॉडल का योजनाबद्ध चित्र
6C.1	हटाने योग्य ढक्कनों वाली ढकी सड़क किनारे की ड्रेन
6C.2	ढकी ड्रेन पर निरीक्षण और संगम कक्ष
6C.3	गाद संप सहित कर्ब इनलेट
8E.1	गाद बाड़: काट और योजना (योजनाबद्ध)
8E.2	सतही जल-निष्कासन आउटलेट वाला तलछट बेसिन: काट (योजनाबद्ध)
8E.3	स्थिरीकृत निर्माण निकास: प्लान और काट (योजनाबद्ध)
8E.4	ड्रेन इनलेट सुरक्षा (योजनाबद्ध)
9B.1	पुलिया के हेडवॉल, विंगवॉल और कट-ऑफ दीवारें
9B.2	सीधी ऊर्ध्वाधर ड्रॉप संरचना
9B.3	वाहिका के प्रवेश पर कचरा-रोधी जाली
9B.4	अस्थायी भंडारण आउटलेट राइजर और आपातकालीन स्पिलवे

संक्षिप्त रूप

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
AEP	वार्षिक अतिक्रमण प्रायिकता
AjDA	अजमेर विकास प्राधिकरण
AMC	पूर्ववर्ती नमी स्थिति
AMRUT	अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
APWA	American Public Works Association
ARF	क्षेत्रीय न्यूनीकरण गुणक
AWS	स्वचालित मौसम केंद्र
BSMP	बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान
CAG	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
CAZRI	केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जोधपुर
CGWA	केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण
CGWB	केंद्रीय भूमि जल बोर्ड
CN	कर्व नंबर (SCS/NRCS विधि)

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
CPCB	केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
CPHEEO	केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन
CSE	विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment)
CWC	केंद्रीय जल आयोग
DLB	स्थानीय निकाय निदेशालय, राजस्थान सरकार
DPR	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
DWF	शुष्क मौसम प्रवाह
EIA	पर्यावरण प्रभाव आकलन
ESC	अपरदन और तलछट नियंत्रण
FAR	तल क्षेत्र अनुपात
FER	बाढ़ आकलन रिपोर्ट (CWC)
FRL	जलाशय का पूर्ण जल स्तर
FTL / MWL	तालाब का पूर्ण जल स्तर / अधिकतम जल स्तर
HAT / MHWS	उच्चतम खगोलीय ज्वार / वृहत् ज्वार का औसत उच्च जल स्तर (तटीय शब्द; राजस्थान में लागू नहीं)
HFL	उच्चतम बाढ़ स्तर (गेज पर दर्ज उच्चतम स्तर); न्यायालय की उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) के लिए "इस प्रारूप के बारे में" देखें
HGL	हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन
HSG	जलवैज्ञानिक मृदा समूह
IDF	तीव्रता–अवधि–आवृत्ति
IMD	भारत मौसम विज्ञान विभाग
IRC	इंडियन रोड्स कांग्रेस
JDA	जयपुर विकास प्राधिकरण (मध्य प्रदेश संस्करण का जबलपुर विकास प्राधिकरण नहीं)
JMC	जयपुर नगर निगम
JoDA	जोधपुर विकास प्राधिकरण
KDA	कोटा विकास प्राधिकरण
LSG	स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार
MLD	मिलियन लीटर प्रतिदिन
MoEF&CC	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
MoHUA	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय
NDMA	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
NGT	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (CZ: उसकी केंद्रीय क्षेत्र पीठ, भोपाल)

संक्षिप्त रूप	पूर्ण रूप
NIH	राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान, रुड़की
NOC	अनापत्ति प्रमाण-पत्र
PHED	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान
PSD	साइट की अनुमेय प्रवाह दर
RIICO	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम
RRV	आवश्यक प्रतिधारण आयतन
RSDMA	राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
RSPCB	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल
RUIDP	राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना
RWH	वर्षा जल संचयन
SANDRP	South Asia Network on Dams, Rivers and People
SLA	समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई (तटीय शब्द; राजस्थान में लागू नहीं)
SoI	भारतीय सर्वेक्षण विभाग
SRRG	स्व-अभिलेखी वर्षामापी
STP	सीवेज शोधन संयंत्र
SUH	संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ (CWC)
SW monsoon / JJAS	दक्षिण-पश्चिम मानसून, जून–सितंबर
SWD	वर्षा जल ड्रेन
UDA	उदयपुर विकास प्राधिकरण
UDH	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार
UIT	नगर सुधार न्यास (राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत)
ULB	शहरी स्थानीय निकाय (नगर निगम, नगर परिषद या नगरपालिका बोर्ड)
UTM	Universal Transverse Mercator
WQv	जल गुणवत्ता आयतन
WRD	जल संसाधन विभाग, राजस्थान सरकार
WSUD	जल-संवेदी शहरी डिजाइन

अध्याय 1

नीति, प्रयोज्यता और अंगीकरण

1.1 उद्देश्य और लक्ष्य

1.1.1 यह मैनुअल राजस्थान में वर्षा जल प्रणालियों की योजना, डिजाइन, निर्माण, प्रचालन और रखरखाव के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है। यह खंड 1.5 में निर्धारित रूप में निजी विकास और लोक निर्माण कार्यों पर लागू होता है।

1.1.2 इस मैनुअल के निम्नलिखित लक्ष्य हैं:

- (a) वर्षा जल प्रबंधन को **विकास अनुमोदन की शर्त** बनाना, ताकि नया विकास और पुनर्विकास अनुप्रवाह (downstream) में बाढ़ के चरम प्रवाह या अपवाह के आयतन को न बढ़ाए;
- (b) बार-बार होने वाली वर्षा को साइट पर ही रोके रखना, ताकि भूजल पुनर्भरण बना रहे और प्रदूषक भार कम हों;
- (c) भंडारण का आकार अल्प अवधि की तीव्रताओं के साथ-साथ जुलाई–सितंबर की दीर्घ अवधि वाली दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा घटनाओं (storm events) के लिए भी निर्धारित करना, जो उन मानसून अवदाबों (monsoon depressions) से आती हैं जो अपने मार्ग के अंतिम भाग में राज्य तक पहुँचते हैं, और जो बिना आउटफॉल वाले किसी मरुस्थलीय कस्बे पर कई दिनों की वर्षा गिरा सकती हैं, उदयपुर और अजमेर की झीलों को उनके अतिप्रवाह स्तरों (spill levels) तक भर सकती हैं, और प्रतिप्रवाह (upstream) के डैमों से छोड़े गए पानी से कोटा में चंबल को चढ़ा सकती हैं;
- (d) आउटफॉल (outfall) को उन झीलों के स्तरों के लिए डिजाइन करना जिनमें नगर की ड्रेनें गिरती हैं, जैसे उदयपुर में पिछोला, फतह सागर और उदय सागर की झील-शृंखला, अजमेर में आना सागर, और जोधपुर में कायलाना और तख्त सागर, जिनका अतिरिक्त पानी गेटों और एस्केप चैनलों (escape channels) से होकर निकलता है; नदियों के जल स्तर (river stage) के लिए, अर्थात् कोटा और धौलपुर में चंबल, जो प्रतिप्रवाह के डैमों से छोड़े गए पानी से चढ़ती है, बालोतरा में लूणी और टोंक में बनास; उन नालों (nala) और तालाबों (talab) के स्तरों के लिए, जिनमें स्थानीय ड्रेनें गिरती हैं; और, जहाँ किसी कस्बे का कोई आउटफॉल ही नहीं है, उस गर्त (depression) के स्तर के लिए जिसमें उसका अपवाह एकत्र होता है, जिसमें वह स्थिति भी सम्मिलित है जब आउटफॉल बंद हो;
- (e) तालाबों (talab), दलदलों, नदियों, आपूर्ति चैनलों और अतिरिक्त जल मार्गों की जल निकासी प्रणाली के अंग के रूप में रक्षा करना;
- (f) जल निकासी नेटवर्क के प्रत्येक तत्व को 1% AEP (100-वर्ष) वर्षा घटना के लिए सुरक्षित सतही प्रवाह मार्ग देना;
- (g) डिजाइन इनपुट, अनुमोदन और सुविधा अभिलेख सार्वजनिक करना, ताकि डिजाइनों की जाँच की जा सके और उन्हें दोहराया जा सके; और
- (h) यह सुनिश्चित करना कि सुविधाओं का निर्माण हो जाने के बाद उनका रखरखाव हो और वे प्रभावी बनी रहें।

1.1.3 यह मैनुअल वर्षा जल संचयन (RWH) की अनिवार्यता का, उन भवन विनियमों का जिन्हें प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरण नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा 12 मई 2025 के उसके आदेश के साथ जारी मॉडल (मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025) के आधार पर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन द्वारा प्रवृत्त करता है, या जलाशयों से संबंधित कानूनों का स्थान नहीं लेता। यह उनमें अपवाह नियंत्रण की अपेक्षाएँ जोड़ता है (खंड 1.8)।

भाष्य. राजस्थान में बाढ़ तीन स्रोतों से आती है, और प्रायः एक साथ। पहला स्रोत लंबी, भारी वर्षा घटना है। 18–20 जुलाई 1981 को राज्य के ऊपर बने और वहीं ठहरे एक कम दबाव के क्षेत्र (low) से जयपुर शहर में तीन दिनों में 82 cm वर्षा हुई, जिसमें से 35 cm 19 जुलाई के 24 घंटों में गिरी; शहर का संपर्क कट गया, और अनुप्रवाह में टोंक में ढूँढ और मोरेल में बाढ़ आई और हिंगोनिया (Hingonia) गाँव बह गया (Gupta & Jindal, *Mausam*, 1987)। IMD ने उस दिन जयपुर (सांगानेर) में 326.0 mm, और पास में कानोता में 589.2 mm और दौसा में 550.0 mm वर्षा दर्ज की (IMD)। मरुस्थल में, जहाँ किसी कस्बे का कोई आउटफॉल ही नहीं हो सकता, वर्षा घटना को वर्ष के सापेक्ष मापा जाता है: 19–22 अगस्त 2006 को बाड़मेर जिले में, जिसका वार्षिक सामान्य 251.7 mm है (IMD), तीन दिनों में लगभग 577 mm वर्षा हुई, और कवास (Kawas) और उसके आसपास के गाँव महीनों तक पानी में डूबे रहे; बताई गई मृत्यु संख्या लगभग 140 से लेकर 300 से अधिक तक है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। उसी सप्ताह उदयपुर के आसपास का हर जलाशय उफनता हुआ बताया गया और सेना को सतर्क किया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। दूसरा स्रोत नदियाँ और झीलें हैं, और वे गेट जिनसे उनका पानी छोड़ा जाता है। सितंबर 2019 में चंबल के डैमों से छोड़े गए पानी से कोटा सिटी (Kota City) पर नदी 248.68 m तक पहुँच गई, जो उसका दर्ज उच्चतम स्तर है, जबकि खतरे का स्तर 242 m है (CWC), और कोटा बैराज से लगभग 6.5–6.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने और लगभग 2,500 घरों के जलमग्न होने की खबर थी (प्रकाशित खबरों के अनुसार); अजमेर में आना सागर के एस्केप चैनल (escape channel) से, जो झील के अपने पूर्ण गेज स्तर से ऊपर जाने पर खोला जाता है, 11 सितंबर 2024 को हाथी भाटा, ब्रह्मपुरी और शिवपुरी जलभराव से ग्रस्त हो गए और 18–20 जुलाई 2025 को शहर फिर जलमग्न हुआ (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। तीसरा स्रोत नगर की वह जल निकासी है जो ऐसी वर्षा में भी विफल हो जाती है जो असाधारण नहीं है। 18–19 जुलाई 2022 को जोधपुर में लगभग पाँच घंटों में लगभग 118–119 mm वर्षा हुई, जो 1943 के बाद जुलाई की उसकी सबसे अधिक वर्षा थी, और 30 से अधिक कॉलोनियाँ जलमग्न हुईं (प्रकाशित खबरों के अनुसार); जयपुर में 31 जुलाई–1 अगस्त 2024 को 173 mm वर्षा के बाद, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में पानी से भरे एक बेसमेंट में एक परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हुई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। 2025 का मौसम 1901 के बाद राज्य का दूसरा सबसे अधिक वर्षा वाला मौसम था, सामान्य से 64% अधिक (IMD)।

डिजाइन का अभाव तीनों को और बदतर बनाता है। नगर की ड्रेनों के डिजाइन के लिए मिला राज्य का एकमात्र नियम 2008 का RUIDP का परिपत्र संख्या 8 है, जिसमें 1–2-वर्ष की वर्षा घटना माँगी गई और 12–20 mm/h को सामान्य डिजाइन तीव्रता कहा गया, जो 5-वर्ष की वर्षा घटना के लिए जयपुर के गेज से मिलने वाली 1-घंटे की गहराई का लगभग एक-चौथाई से दो-पाँचवाँ भाग है (अध्याय 2); मिला नगर का एकमात्र डिजाइन मानक वह 100-वर्ष की बाढ़ है जिसके लिए JDA ने द्रव्यवती को फिर से बनाया, और उसका डिजाइन प्रवाह (design discharge) नहीं मिला। जलग्रहण क्षेत्रों, नालों और नदी गलियारों (river corridors) की रक्षा मुख्यतः न्यायालयों ने की है, 2004 में रामगढ़ के जलग्रहण क्षेत्र से लेकर जोजरी पर उच्चतम न्यायालय के 7 अगस्त 2026 के आदेश तक, और भवन विनियम, 2025 वर्षा जल संचयन का नियंत्रण करते हैं, अपवाह का नहीं। लक्ष्य (b) से (e) भंडारण, आउटफॉल और भवन-स्तर की उन विफलताओं को संबोधित करते हैं, जिन्हें केवल ड्रेन का आकार तय करने वाला मैनुअल ठीक नहीं कर सकता।

कोई राष्ट्रीय लिखत (instrument) साइट पर अस्थायी भंडारण (on-site detention) को अनिवार्य नहीं करता। CPHEEO (2019) परामर्शी है और चरम प्रवाह नियंत्रण को केवल सामान्य पद्धति के रूप में वर्णित करता है। NDMA (2010) कहता है कि अस्थायी भंडारण और प्रतिधारण को सम्मिलित "किया जाएगा" ("will"), किंतु आकार निर्धारण का कोई नियम नहीं देता। MBBL 2016 और भवन विनियम, 2025 केवल RWH को अनिवार्य करते हैं। इसलिए लक्ष्य (a) वह मुख्य नया कदम है जो यह मैनुअल उठाता है।

1.2 वर्षा जल प्रबंधन का पदानुक्रम

1.2.1 प्रत्येक विकास, जिस पर अध्याय 4 लागू होता है, वर्षा जल उपायों पर निम्नलिखित क्रम में विचार करेगा। डिजाइनकर्ता किसी ऐसे उच्चतर उपाय के स्थान पर, जो साइट पर व्यवहार्य हो, किसी निचले उपाय का उपयोग नहीं करेगा।

1. **संरक्षण** — प्राकृतिक जल निकासी स्वरूपों, तालाबों, आर्द्रभूमियों, पारगम्य मिट्टी, वृक्षों और सतही प्रवाह मार्गों को बनाए रखना या पुनर्स्थापित करना (अध्याय 7)।

2. **प्रतिधारण** — परिशिष्ट 2E की प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (retention depth) से उत्पन्न अपवाह को अंतःस्यंदन, पुनः उपयोग या वाष्पोत्सर्जन द्वारा साइट पर रोके रखना (अध्याय 4 और 8)।
3. **अस्थायी भंडारण** — बड़ी वर्षा घटनाओं के पानी का अस्थायी भंडारण करना और उसे अध्याय 4 की दरों पर या उनसे कम दर पर छोड़ना, जिसकी जाँच अनुप्रवाह और टेलवाटर (tailwater) स्थितियों के विरुद्ध की गई हो (अध्याय 4 और 5)।
4. **वहन** — शेष प्रवाह को लघु प्रणाली में, और 1% AEP प्रवाह को प्रमुख प्रणाली में, सुरक्षित रूप से ले जाना (अध्याय 6 और 9)।

1.2.2 **रखरखाव** चारों उपायों का आधार है। जिस उपाय का रखरखाव उसका स्वामी अध्याय 10 के अंतर्गत नहीं कर सकता, उसे क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।

1.2.3 उच्चतर उपायों से मिलने वाले क्रेडिट निचले उपायों की अपेक्षाओं को घटाते हैं। संरक्षित क्षेत्र और प्रतिधारित आयतन, अध्याय 4 में निर्धारित रूप में, अस्थायी भंडारण की आवश्यकता को घटाते हैं।

चित्र 1.1 — वर्षा जल प्रबंधन का पदानुक्रम: संरक्षण, प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, वहन, और प्रत्येक उपाय के आधार में रखरखाव। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Mid-America Regional Council / Kansas City Metro Chapter APWA, "Layers of Stormwater Management", APWA 5600 Manual Factsheet, 2025 (अवधारणा) से रूपांतरित।

भाष्य. यह क्रम Kansas City Metro APWA Section 5600, Version 2025.01 की "परतों" ("layers") का अनुसरण करता है: संरक्षण या पुनर्स्थापन, प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, वहन, रखरखाव (MARC factsheet, 2025)। यही तर्क जॉर्जिया के अपवाह-न्यूनीकरण मानक और CSE के "पहले क्षीण करो और अंतःस्यंदित करो" ("attenuate and infiltrate first") सिद्धांत के पीछे भी है (CSE, 2023)। राजस्थान के लिए सबसे ऊपरी परत का विशेष अर्थ है। ऐसे राज्य में, जहाँ लगभग 60% भूमि का पानी भीतर की ओर बहता है (किसी नदी या समुद्र तक नहीं) और पश्चिम के बड़े भाग का कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), जो भंडारण मायने रखता है वह तालाबों (talab) में और गाँवों के कच्चे जोहड़ों (johad) और नाडियों (nadi) में, छत और आँगन का पानी रखने वाले दीवारों से बने टाँकों (taanka) और कुंडों (kund) में, पुराने नगरों की बावड़ियों (baori) में, जैसलमेर के मैदानों के खड़ीनों (khadin) में, और उन बड़े सागरों (sagar) और झीलों में है जिनके चारों ओर नगर बसाए गए: उदयपुर में पिछोला–फतह सागर–उदय सागर की शृंखला, अजमेर में आना सागर, जोधपुर में कायलाना और तख्त सागर, और जयपुर में मान सागर। राज्य में चार रामसर स्थल हैं: केवलादेव (1981),

सांभर (1990), और खीचन और मेनार (दोनों 4 जून 2025) (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इस भंडारण की हानि का अभिलेख मौजूद है: उच्च न्यायालय ने पाया कि रामगढ़ बाँध के जलग्रहण क्षेत्र पर, जो लगभग 769.20 km^2 का है और कभी जयपुर को पानी देता था, इतना निर्माण और खनन हुआ कि बाँध सूख गया, और उच्चतम न्यायालय ने 2017 में पाया कि वह "अब भी पूरी तरह सूखा" ("still bone dry") है (*National Institute of Medical Science University v. State of Rajasthan*, 9 नवंबर 2017)। कानून इस भंडारण के कुछ भाग की रक्षा करता है। किसी नगरपालिका के सार्वजनिक तालाब, धाराएँ और ड्रेनें न्यासी के रूप में उसमें निहित होते हैं (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68); चरागाह भूमि और तालाब-तल की भूमि में कोई खातेदारी (khatedari) अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 16); उच्च न्यायालय ने "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर" ("Johar, Nala, Tank, River, Pond") के जलग्रहण क्षेत्रों में आवंटन पर रोक लगाई है (29 मई 2012) और ठहराया है कि गैर मुमकिन (gair mumkin) नाला के रूप में दर्ज भूमि एक प्राकृतिक चैनल है जिसे किसी लोक प्रयोजन के लिए भी मोड़ा नहीं जा सकता (*Ramji Lal Saini*, 7 मई 2026); और 2015 का झील अधिनियम किसी झील के "बहाव क्षेत्र" ("flow area") की, अर्थात् उस क्षेत्र की जिससे होकर उसकी संभरक धाराएँ (feeders) बहती हैं, रक्षा करता है (धारा 2(viii), विधेयक के पाठ के अनुसार)। तालाब के जलग्रहण क्षेत्र के लिए प्रयुक्त राजस्थानी शब्द आगोर (agor) का इस मैनुअल के लिए कोई शब्दकोश या सांविधिक स्रोत नहीं मिला, इसलिए उसके स्थान पर सांविधिक शब्द "बहाव क्षेत्र" लिया गया है। इस भंडारण की हानि की भरपाई पाइपों और पंपों से किफायती रूप से नहीं की जा सकती।

1.3 विधिक आधार और स्थिति

1.3.1 **अधिसूचना.** इस मैनुअल को राजस्थान सरकार द्वारा निम्नलिखित के माध्यम से सांविधिक प्रभाव दिया जाएगा:

- (a) भवन विनियम, 2025 में ऐसा संशोधन जो, उस विकास के लिए जिस पर खंड 1.5 लागू होता है, इस मैनुअल के अनुपालन को योजना अनुमति, भवन अनुमति, लेआउट अनुमोदन और समापन प्रमाण-पत्र की शर्त बनाए; और
- (b) प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय (ULB) की उपविधियाँ या स्थायी आदेश, जो उस ULB द्वारा निष्पादित या अनुमोदित कार्यों के लिए, जिनमें ULB की अपनी ड्रेनें और सड़कें सम्मिलित हैं, इस मैनुअल को अंगीकार करें।

1.3.2 **राज्य के उच्चतर मानक.** इस मैनुअल की डिजाइन पुनरावृत्ति अवधियाँ और निष्पादन मानदंड CPHEEO के Manual on Storm Water Drainage Systems (2019) के राष्ट्रीय परामर्शी न्यूनतम मानों से अधिक हैं। इन उच्चतर मानकों को अंगीकार करने के लिए राज्य अधिसूचना द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (**राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति**, खंड 1.9) का गठन करेगा। उच्चतर पुनरावृत्ति अवधियों के लिए CPHEEO (2019) यही मार्ग प्रदान करता है।

1.3.3 **पूर्वता.** अपने दायरे में, जहाँ यह मैनुअल CPHEEO (2019), IRC:SP:42-2014, IRC:SP:50-2013 या किसी विभागीय मानक से अधिक कठोर है, वहाँ यह मैनुअल अभिभावी होगा। जहाँ कोई कानून या सांविधिक नियम अधिक कठोर अपेक्षा निर्धारित करता है (उदाहरण के लिए जलाशय सेटबैक), वहाँ वह कानून अभिभावी होगा।

1.3.4 **लोक निर्माण कार्यों के लिए डिजाइन-पद्धति मानक.** जल निकासी, सड़क या जलाशय कार्यों का प्रापण करने वाले विभाग और ULB, खंड 1.11 की तिथियों से, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों (DPR) और संविदाओं में इस मैनुअल के अनुपालन की अपेक्षा करेंगे।

भाष्य. राजस्थान में भवन नियम मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 (Model Rajasthan Building Regulations, 2025) हैं, जिन्हें नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (UDH) ने 12 मई 2025 के अपने आदेश क्रमांक P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025 के साथ जारी किया, और यह आदेश राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (धारा 337), राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (धारा 104-A), और जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर के विकास प्राधिकरणों के अधिनियमों की उपविधि और विनियम बनाने की शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण इन विनियमों को राजस्थान राजपत्र में अपने प्रकाशन द्वारा प्रवृत्त करता है (विनियम 1.2), इसलिए जिस तिथि से ये लागू होते हैं वह शहर-दर-शहर भिन्न है और प्रत्येक के लिए उसकी पुष्टि की जानी है [TBC]; एक द्वितीयक स्रोत 5 दिसंबर 2025 की तिथि देता है। प्रभावी होने पर ये पहले के भवन विनियमों और

उनके संशोधनों को निरस्त करते हैं (विनियम 18.1)। इनके पूर्ववर्ती 2020 के मॉडल भवन विनियम और प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित उनके रूप थे, जैसे JDA के जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन) भवन विनियम, 2020, जो 7 जनवरी 2021 को राजपत्र में प्रकाशित हुए। 2026 के एक संशोधन द्वारा भवनों की ऊँचाई की सीमाएँ हटाए जाने की खबर है (प्रकाशित खबरों के अनुसार; पाठ पढ़ा नहीं गया)। यह मैनुअल 2025 के पाठ को तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़े गए रूप में उद्धृत करता है। ये विनियम 225 m^2 और उससे बड़े भूखंडों पर वर्षा जल संचयन की (विनियम 8.3; 2020 के विनियमों के अंतर्गत 300 m^2), बड़े भूखंडों के 10–20% हरित क्षेत्र (green area) की, जिसका कम से कम आधा भाग प्राकृतिक भूमि पर हो (विनियम 8.1), और 5,000–20,000 m^2 निर्मित क्षेत्र (built-up area) वाले भवनों के लिए इस बात की अपेक्षा करते हैं कि प्राकृतिक जल निकासी के इनलेट और आउटलेट बिंदु यथावत् रखे जाएँ, प्रत्येक 5,000 m^2 के लिए एक पुनर्भरण बोर (recharge bore) हो और खुले स्थान का कम से कम 20% बिना पक्का रहे (पर्यावरणीय शर्तों की अनुसूची, JDA के 2020 के पाठ में पढ़े गए रूप में); ये प्लिंथ को सामने की सड़क से कम से कम 0.45 m ऊपर निर्धारित करते हैं (विनियम 6.6)। ये कोई डिजाइन वर्षा घटना, पुनरावृत्ति अवधि, निकास दर या अस्थायी भंडारण आयतन निर्धारित नहीं करते, न कोई "शून्य अपवाह" ("zero runoff") नियम, और न किसी नाले, नदी या झील से कोई सेटबैक। इसलिए खंड 1.3.1(a) का मार्ग UDH से होकर जाता है, जो मॉडल में संशोधन करेगा, और प्रत्येक शहरी निकाय और प्राधिकरण से होकर, जो अपने क्षेत्र के लिए वह संशोधन प्रकाशित करेगा। यह मैनुअल एक प्रारूप है; इसे न सरकार ने अंगीकार किया है, न किसी प्राधिकरण ने। MoHUA ने जुलाई 2026 में संसद को बताया कि शहरी बाढ़ "राज्य सरकारों और ULB के अधिकार क्षेत्र में आती है" ("falls under the purview of the State Governments and the ULBs") और CPHEEO मैनुअल को "परामर्शी दिशानिर्देशों" ("advisory guidelines") में सूचीबद्ध किया (Lok Sabha AU1847)। इसलिए उच्चतर मानक अंगीकार करने के लिए राज्य को किसी केंद्रीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। CPHEEO की तालिका 4.1 की टिप्पणी 2 (§4.4.1.4) "राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकार द्वारा अधिसूचना के माध्यम से गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति" ("a high powered committee constituted by State/UT Government through a notification") को उच्चतर पुनरावृत्ति अवधियाँ अंगीकार करने की अनुमति देती है। खंड 1.3.2 इसी मार्ग का उपयोग करता है, ताकि केंद्र द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के लिए उच्चतर मानक अभिलेख पर रहें।

1.4 परिभाषाएँ

1.4.1 निम्नलिखित शब्द इस पूरे मैनुअल में लागू होते हैं। अध्याय-विशिष्ट शब्द प्रत्येक अध्याय में परिभाषित किए गए हैं (उदाहरण के लिए खंड 2.2)।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
अनुमोदन प्राधिकारी (प्राधिकारी)	वह निकाय जो किसी विकास के लिए योजना अनुमति, भवन अनुमति या लेआउट अनुमोदन देता है, या जो किसी लोक निर्माण कार्य को संस्वीकृति देता है: वह नगर निगम, नगर परिषद या नगरपालिका बोर्ड, विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास, जो वहाँ प्रवृत्त भवन विनियमों के अंतर्गत अपने क्षेत्र में भवन नक्शों और लेआउट का अनुमोदन करता है, जिसमें, जहाँ वे विनियम अनुमति देते हैं, किसी सूचीबद्ध वास्तुकार (empanelled architect) के माध्यम से अनुमोदन भी सम्मिलित है (भवन विनियम, 2025, अध्याय 11); या अपने औद्योगिक क्षेत्रों में, अपने स्वयं के भवन विनियमों के अंतर्गत, RIICO [TBC]; या अपने कार्यों के लिए कोई विभाग।
आवेदक	वह स्वामी, विकासकर्ता या विभाग जो अनुमोदन चाहता है, और उसके हक-उत्तराधिकारी (successors in title)।
विकास	कोई भी भवन, लेआउट, उप-विभाजन, सड़क, पक्की सतह या भूमि उपयोग परिवर्तन, जिसके लिए भवन विनियम, 2025 के अंतर्गत अनुमोदन अपेक्षित हो या जो लोक निर्माण कार्य के रूप में निष्पादित किया जाए।
पुनर्विकास	ऐसी साइट पर विकास जहाँ अपारगम्य आवरण पहले से विद्यमान है।
भूमि विक्षोभ	भूमि की सफाई, समतलन, खुदाई, भराई या उसे पक्का करना, जिसे विकास की संपूर्ण साझा योजना पर प्लान क्षेत्रफल (plan area) में मापा जाए (खंड 1.5.5)।
अपारगम्य क्षेत्र	छतें, पक्की सतहें, संघनित बजरी, डेक और अन्य सतहें जो अंतःस्यंदन को रोकती हैं। अध्याय 8 के अनुसार डिजाइन किए गए पारगम्य पेवमेंट को केवल उस क्षेत्र के लिए पारगम्य गिना जाता है जिसका वह उपचार करता है।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
नया या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र	विकास द्वारा बनाया गया, या सबग्रेड तक हटाकर पुनः बनाया गया, अपारगम्य क्षेत्र। आधार परत को यथावत छोड़ने वाला पुनः सतह बिछाना (resurfacing) "प्रतिस्थापित" नहीं है।
प्रतिधारण	साइट पर अंतःस्यंदन, पुनः उपयोग या वाष्पोत्सर्जन द्वारा अपवाह को जल निकासी प्रणाली से स्थायी रूप से हटाना (अध्याय 4)।
अस्थायी भंडारण	नियंत्रित आउटलेट के साथ अपवाह का अस्थायी भंडारण, जिसे वर्षा घटना के बाद खाली किया जाता है (अध्याय 4)।
वर्षा जल संचयन (RWH)	RWH की अनिवार्यता के अंतर्गत आपूर्ति या पुनर्भरण के लिए वर्षा का संग्रह। RWH भंडारण अस्थायी भंडारण नहीं है, जब तक अध्याय 4 इसकी अनुमति न दे।
लघु प्रणाली	अध्याय 6 के लघु-प्रणाली AEP के लिए डिजाइन की गई ड्रेनें, पाइप और इनलेट।
प्रमुख प्रणाली	वह सतही और बाढ़ मार्ग जो 1% AEP (100-वर्ष) प्रवाह को ले जाता है (अध्याय 6)।
विकास-पूर्व स्थिति	अविकसित खुली भूमि (greenfield): मानचित्रित जलवैज्ञानिक मृदा समूह के लिए अच्छी दशा वाली खुली भूमि। विद्यमान अपारगम्य आवरण की गणना नहीं की जाती (अध्याय 3)।
बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र	द्रव्यवती और जयपुर से होकर उसमें मिलने वाले नालों के जलग्रहण क्षेत्र, नगर की उन निचली कॉलोनियों सहित जिनका पानी उनमें जाता है; जोधपुर में जोजरी और भैरव (Bhairav), RTO और अन्य नगर नालों के जलग्रहण क्षेत्र, और जोधपुर का पुराना शहर, जहाँ भूजल स्तर ऊपर उठकर जमीन के निकट आ गया है; उदयपुर की पिछोला, स्वरूप सागर, फतह सागर, आयड़ (आहड़) और उदय सागर की झील-शृंखला में जाने वाली भूमि; अजमेर में आना सागर का जलग्रहण क्षेत्र और उसके एस्केप चैनल (escape channel) के किनारे की भूमि; कोटा की वह भूमि जिसका पानी चंबल में जाता है, जहाँ नदी प्रतिप्रवाह के डैमों से छोड़े गए पानी से चढ़ती है; और बालोतरा और वहाँ लूणी में जाने वाली भूमि, बाड़मेर नगर और उसके जिले की निचली भूमि सहित, और कोई भी जलग्रहण क्षेत्र जिसे प्राधिकारी अधिसूचित करे (अध्याय 4; परिशिष्ट 1B)।
जलाशय	नदी, धारा, नहर, तालाब (talab), झील, पोखर, दलदल, आपूर्ति चैनल या अतिरिक्त जल मार्ग, चाहे बारहमासी हो या मौसमी (अध्याय 7)।
क्षेत्रीय सुविधा	एक से अधिक विकासों को सेवा देने वाली अस्थायी भंडारण, प्रतिधारण या तालाब भंडारण सुविधा, जो बेसिन प्लान के अंतर्गत निर्मित या पुनर्स्थापित की गई हो (अध्याय 4)।
टियर A / टियर B प्राधिकारी	खंड 1.6 के अंतर्गत वर्गीकृत अनुमोदन प्राधिकारी।
नीति अनुपूरक	खंड 1.7 और परिशिष्ट 1C के अंगीकरणीय वैकल्पिक खंडों का समूह।
जल निकासी रिपोर्ट	अध्याय 10 द्वारा अपेक्षित प्रारंभिक या अंतिम रिपोर्ट।
पंजीकृत पेशेवर	भवन विनियम, 2025 के अंतर्गत संबंधित नक्शे तैयार करने और उन पर हस्ताक्षर करने के लिए पंजीकृत व्यक्ति, जिसके पास खंड 10.6 द्वारा अपेक्षित कोई अतिरिक्त योग्यता भी हो।
अनुपालन कैलकुलेटर	अनुपालन की गणना और रिपोर्टिंग के लिए राज्य द्वारा जारी उपकरण (खंड 10.5)।
रखरखाव घोषणा-पत्र	किसी वर्षा जल सुविधा के रखरखाव के लिए स्वामी द्वारा दिया गया पंजीकृत वचन-पत्र (खंड 10.10)।
विचलन	किसी संख्यात्मक अपेक्षा से हटने का अनुमोदन, जिसके साथ समतुल्य निष्पादन दर्शाया गया हो (खंड 1.10)।
अधित्याग	यह अनुमोदन कि खंड 1.10 के आधारों पर कोई अपेक्षा किसी साइट पर लागू नहीं होती।
अधिसूचित	सरकार या राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित।

> **भाष्य.** "प्रतिस्थापित" अपारगम्य क्षेत्र की परिभाषा सबग्रेड तक इसलिए दी गई है कि पूरी तरह पक्की साइट का पुनर्विकास इसके दायरे में आए, जबकि नियमित रूप से पुनः सतह बिछाना न आए। यह APWA 5600 (2025.01) के पुनर्विकास संबंधी प्रारंभक मानों (triggers) की पद्धति का अनुसरण करता है (MARC Supplement, 2025)।

1.5 प्रयोज्यता

1.5.1 **किन पर लागू.** यह मैनुअल निम्नलिखित पर लागू होता है:

- (a) भवन विनियम, 2025 के अंतर्गत योजना अनुमति, भवन अनुमति या लेआउट अनुमोदन की अपेक्षा वाला सभी विकास;
- (b) किसी ULB, राज्य विभाग, बोर्ड या राज्य उपक्रम द्वारा निष्पादित सभी जल निकासी, सड़क, पुल, पुलिया, जलाशय और बाढ़-शमन कार्य; और
- (c) राजस्थान के भीतर केंद्रीय एजेंसियों या उनके ठेकेदारों द्वारा निष्पादित कार्य, उस सीमा तक जहाँ तक प्राधिकारी का अनुमोदन या अनापत्ति अपेक्षित है।

1.5.2 **प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण का सीमा-मान.** अध्याय 4 और 5 (प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण) ऐसे किसी भी विकास पर लागू होते हैं जिसमें, विकास की साझा योजना पर, निम्नलिखित सम्मिलित हो:

- (a) **0.1 ha या अधिक** का भूमि विक्षोभ; **या**
- (b) **500 m² या अधिक** का नया या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र।

1.5.3 **RWH.** RWH की विद्यमान अनिवार्यता भवन विनियम, 2025 के विनियम 8.3 के अंतर्गत **225 m²** और उससे बड़े प्रत्येक भूखंड पर, वर्षा जल संचयन इकाई या संरचना या फिल्टर सहित छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक द्वारा, ₹50,000–₹5 लाख की वापसी योग्य धरोहर राशि (refundable deposit) की शर्त के साथ, जो केवल तब लौटाई जाती है जब भू-जल विभाग, WRD या कोई अनुभवी अभियंता यह रिपोर्ट दे कि संरचना काम करती है, सिवाय उन जलभराव वाले क्षेत्रों के जिन्हें स्थानीय निकाय ने चिह्नित कर दिया हो; और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 238 के अंतर्गत, जो नगरपालिका के इस प्रमाण-पत्र के बिना कि संरचना बना दी गई है, किसी नए भवन को सार्वजनिक जल कनेक्शन देने पर रोक लगाती है (तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया), पहले की भाँति लागू रहती है। यह मैनुअल इसमें परिवर्तन नहीं करता।

1.5.4 **हर आकार पर लागू प्रावधान.** खंड 1.5.1 के अंतर्गत सभी विकास पर, उसका आकार चाहे जो हो, निम्नलिखित लागू होते हैं, जब तक खंड 1.5.8 द्वारा छूट न दी गई हो:

- (a) वर्षा जल ड्रेन में कोई सीवेज कनेक्शन नहीं (अध्याय 8);
- (b) जहाँ 1% AEP स्तर मानचित्रित या निर्धारण योग्य है, वहाँ सबसे निचला आवास योग्य तल और खुले भाग (openings) 1% AEP स्तर से 0.5 m अधिक पर या उससे ऊपर (अध्याय 6);
- (c) जलाशय सेटबैक और भराई-निषिद्ध जोन (no-fill zone) (अध्याय 7); और
- (d) किसी प्राकृतिक जल निकासी मार्ग या प्रमुख-प्रणाली प्रवाह मार्ग में कोई अवरोध नहीं (अध्याय 6)।

1.5.5 **विकास की साझा योजना.** खंड 1.5.2 के सीमा-मान किसी विकास के कुल क्षेत्र पर लागू होते हैं, जिसमें आवेदन की तिथि पर एक लेआउट अनुमोदन या एक स्वामित्व के अंतर्गत आने वाले सभी चरण, भूखंड और उप-विभाजन सम्मिलित हैं। सीमा-मानों से बचने के लिए किसी विकास को विभाजित नहीं किया जाएगा।

1.5.6 **पुनर्विकास.** पुनर्विकास के लिए सीमा-मान नए और प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र के योग पर लागू होते हैं। प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण संपूर्ण नए और प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र पर लागू होते हैं, और विकास-पूर्व स्थिति अविकसित खुली भूमि (greenfield) है (खंड 1.4)। जहाँ किसी सीमित पुनर्विकास साइट पर अविकसित खुली भूमि के स्तर का नियंत्रण प्राप्त नहीं किया जा सकता, वहाँ खंड 4.5.6 का राहत मार्ग लागू होता

है: विद्यमान चरम प्रवाह से साइट पर न्यूनतम 50% की कमी, और शेष कमी के लिए बेसिन भंडारण में एवज शुल्क (fee-in-lieu) का भुगतान।

1.5.7 **रैखिक लोक निर्माण कार्य.** सड़कों, चौड़ीकरण और अन्य रैखिक कार्यों के लिए, अपारगम्य क्षेत्र का सीमा-मान पार किए गए प्रत्येक जल निकासी जलग्रहण क्षेत्र के भीतर जोड़े गए अपारगम्य क्षेत्र पर लागू होता है। प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण मार्गाधिकार (right of way) के भीतर उपलब्ध कराए जाएँगे, या, जहाँ मार्गाधिकार में उनके लिए स्थान न हो, अध्याय 4 के अंतर्गत किसी क्षेत्रीय सुविधा में।

1.5.8 **छूट.** निम्नलिखित को अध्याय 4 और 5 से छूट प्राप्त है:

- (a) अपने ही भूखंड पर एकल आवास, जहाँ खंड 1.5.2 के सीमा-मान पूरे नहीं होते; और
- (b) सड़क का रैखिक पुनः सतह बिछाना, जिससे कोई अपारगम्य क्षेत्र नहीं जुड़ता।

छूट प्राप्त विकास RWH अनिवार्यता और खंड 1.5.4 के अधीन बना रहता है।

1.5.9 **प्रयोज्यता निर्धारण.** आवेदक अध्याय 10 के अंतर्गत पहली प्रस्तुति के साथ प्रयोज्यता संबंधी निर्णय **प्रपत्र 1-1** (प्रयोज्यता निर्धारण) पर दर्ज करेगा। प्राधिकारी आवेदन-पूर्व चरण में इसकी पुष्टि या इसमें सुधार कर सकता है।

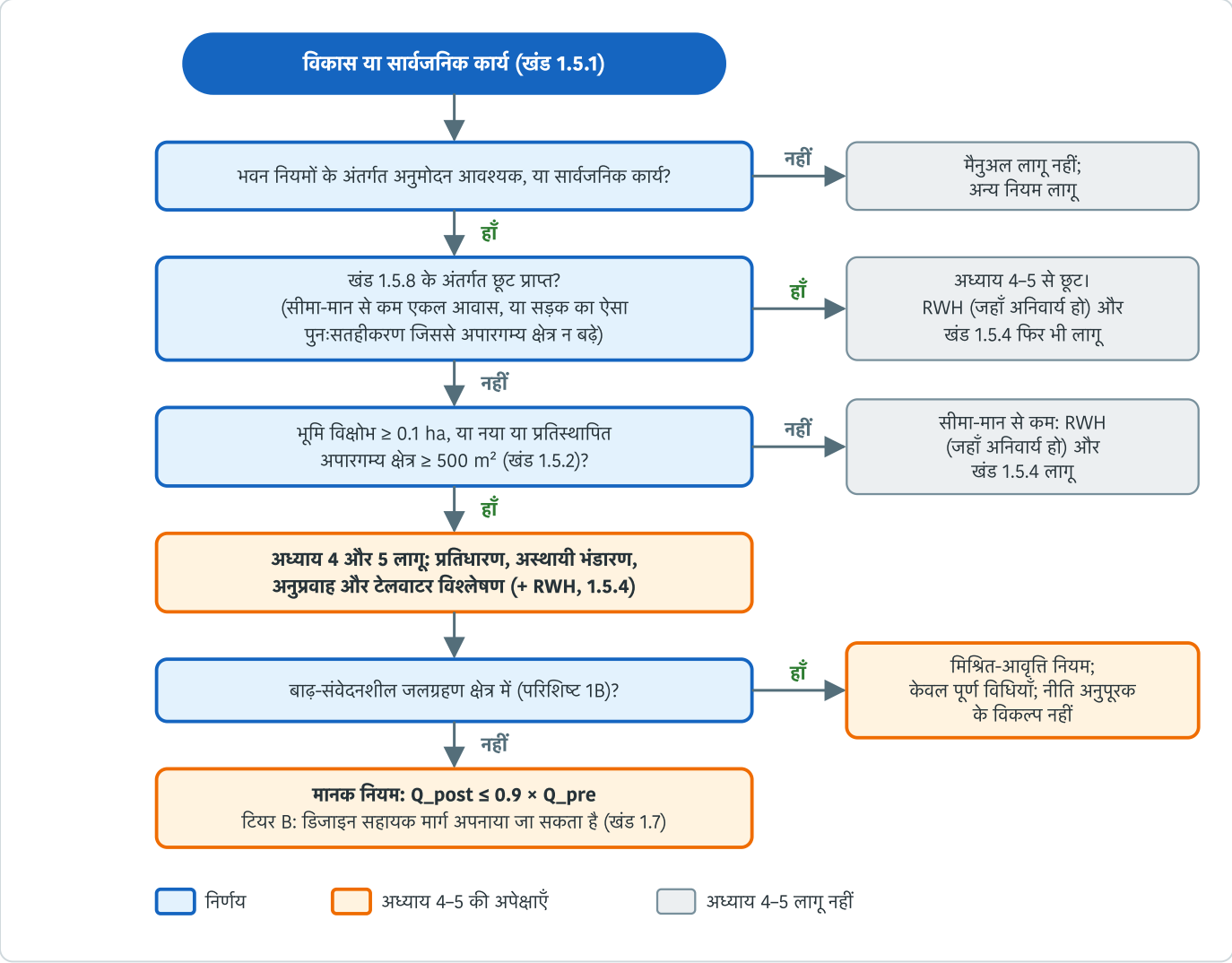

चित्र 1.2 — खंड 1.5 के लिए प्रयोज्यता निर्णय फ्लोचार्ट। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग।

भाष्य. सीमा-मानों का कोई एकल प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। पूर्व-उदाहरण व्यापक दायरे में फैले हैं:

- सिंगापुर 0.2 ha या अधिक के विकासों से चरम अपवाह को नियंत्रित करता है (PUB Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed., cl. 7.1.5)।
- मलेशिया की 2008 की DID जाँच-सूची में 0.1 ha तक की साइटों के लिए साइट पर अस्थायी भंडारण और उससे बड़ी साइटों के लिए सामुदायिक तालाबों का उपयोग किया गया।
- APWA 5600 (2025.01) का Policy Supplement ¼ एकड़ (लगभग 0.1 ha) विक्षोभ, या 10,000 वर्ग फुट (लगभग 930 m²) अपारगम्य क्षेत्र के साथ 1 एकड़ (लगभग 0.4 ha), के वैकल्पिक प्रारंभक मान प्रस्तुत करता है, और एजेंसियों को 1 एकड़ के प्रारंभक मान से आगे न जाने की चेतावनी देता है।
- MBBL 2016 500 m² से बड़े भवनों के लिए पुनर्भरण को अनिवार्य करती हैं।

0.1 ha / 500 m² का प्रारंभक मान इनमें सबसे कठोर सिरे पर है, क्योंकि राजस्थान के सामान्य भूखंड छोटे हैं और अनेक छोटे भूखंडों का संचयी प्रभाव ही जयपुर की ड्रेनों को भरता है। राजस्थान में छोटे भवनों के लिए भवन विनियम, 2025 का विनियम 8.3 225 m² और उससे बड़े भूखंडों पर वर्षा जल संचयन इकाई या संरचना, या फिल्टर सहित छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक की अपेक्षा करता है, सबसे छोटे भूखंडों पर ₹50,000 की वापसी योग्य धरोहर राशि की शर्त के साथ, जो भू-जल विभाग, WRD या किसी अनुभवी अभियंता द्वारा यह रिपोर्ट दिए जाने के बाद लौटाई जाती है कि संरचना काम करती है (अनुसूची 2)। इनमें से किसी का भी आकार किसी अपवाह आयतन के अनुसार निर्धारित नहीं है, कोई भी यह सीमित नहीं करता कि भूखंड से क्या बाहर जाता है, 225 m² से छोटे भूखंडों के लिए कोई नियम ही नहीं है, और जलभराव वाले जिस क्षेत्र को स्थानीय निकाय ने चिह्नित किया हो, उसका भूखंड छूट-प्राप्त है (विनियम 8.3(iii))। भवन विनियम प्लिंथ को सामने की सड़क से कम से कम 0.45 m और अधिकतम 1.2 m ऊपर निर्धारित करते हैं (विनियम 6.6), और JDA के 2020 के विनियमों ने भवन के बाहर के बेसमेंट की छत को सड़क से 1.20 m ऊपर तक सीमित रखा (विनियम 11.6(v)); किंतु इनमें से कोई भी ऊँचाई किसी बाढ़ स्तर से संबंधित नहीं है, और पढ़े गए पृष्ठों में बेसमेंट से सतही जल को बाहर रखने का कोई प्रावधान नहीं मिला। अगस्त 2024 के आरंभ में जयपुर में पानी से भरे एक बेसमेंट में तीन लोगों की मृत्यु हुई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इसी कारण खंड 1.5.4(b) प्रत्येक भवन पर लागू होता है, उसका आकार चाहे जो हो।

खंड 1.5.4(b) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे इसलिए निर्धारित करता है कि फर्श स्तर किसी भवन की सबसे सस्ती सुरक्षा है, और केवल बड़े विकासों की रक्षा करना विसंगत होगा। जहाँ कोई 1% AEP स्तर मानचित्रित नहीं है, वहाँ अध्याय 6 छोटी साइटों के लिए विधि देता है।

1.6 टियर-आधारित अंगीकरण

1.6.1 **टियर A प्राधिकारी.** निम्नलिखित टियर A हैं:

- (a) जयपुर नगर निगम (JMC), और JDA और JDA के जयपुर क्षेत्र (Jaipur Region) के भीतर प्रत्येक अन्य अनुमोदन प्राधिकारी;
- (b) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गठित प्रत्येक अन्य नगर निगम, जैसा समय-समय पर गठित हो; और
- (c) राज्य के किसी अधिनियम द्वारा गठित प्रत्येक अन्य विकास प्राधिकरण (JoDA, AjDA, KDA, UDA और बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण, और बाद में गठित कोई भी विकास प्राधिकरण), अपने क्षेत्र के भीतर के प्रत्येक अनुमोदन प्राधिकारी सहित।

1.6.2 **टियर B प्राधिकारी.** अन्य सभी नगर परिषदें और नगरपालिका बोर्ड टियर B हैं।

1.6.3 **टियरों के बीच क्या भिन्न है.** इस मैनुअल के सभी मानदंड दोनों टियरों में लागू होते हैं। टियर केवल विधि और समीक्षा में भिन्न हैं:

तालिका 1.1 — टियर A और टियर B प्राधिकारियों के बीच अंतर

मद	टियर A	टियर B
निष्पादन मानदंड (अध्याय 2–9)	पूर्ण रूप से लागू	पूर्ण रूप से लागू
भंडारण के लिए जलवैज्ञानिक विधि	हाइड्रोग्राफ विधि (अध्याय 3)	हाइड्रोग्राफ विधि, या पात्र होने पर खंड 1.7 का डिजाइन-सहायिका मार्ग
अनुपालन कैलकुलेटर (खंड 10.5)	सारांश के रूप में अपेक्षित	अपेक्षित; डिजाइन-सहायिका मार्ग पर एकमात्र गणना हो सकता है
नीति अनुपूरक के विकल्प (खंड 1.7)	केवल राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति की सहमति से	परिषद संकल्प द्वारा अंगीकार किए जा सकते हैं
तकनीकी समीक्षा	प्राधिकारी द्वारा	प्राधिकारी द्वारा, UDH की क्षेत्रीय सहायता या किसी सूचीबद्ध समीक्षक के साथ (खंड 10.7)
बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र का नियम	लागू	लागू

1.6.4 **टियरों के बीच परिवर्तन.** कोई टियर B प्राधिकारी परिषद संकल्प द्वारा टियर A का विकल्प चुन सकता है। सरकार किसी टियर B प्राधिकारी को टियर A के रूप में अधिसूचित कर सकती है, जब वह नगर निगम बन जाए, किसी विकास प्राधिकरण (JDA, JoDA, AjDA, KDA, UDA या बीकानेर या भरतपुर विकास प्राधिकरण) के, उसके अधिनियम के अंतर्गत यथा अधिसूचित, क्षेत्र में सम्मिलित हो जाए, या किसी घटना-पश्चात समीक्षा (खंड 10.16) में यह पाया जाए कि उसे पूर्ण विधियों की आवश्यकता है।

1.6.5 **बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र टियर पर अभिभावी हैं.** किसी बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में, टियर चाहे जो हो, खंड 1.7 के विकल्प केवल उतने ही उपलब्ध हैं जितनी तालिका 1.2 अनुमति देती है: 0.5 ha या उससे छोटी साइटों के लिए S-1 (डिजाइन-सहायिका मार्ग) (खंड 4.14.1), और जहाँ बेसिन प्लान अधिसूचित किया गया हो वहाँ S-5 एवज शुल्क (खंड 1.10.3(d))। S-2, S-3 और S-4 उपलब्ध नहीं हैं।

> **भाष्य.** जयपुर नगर निगम से, जिसके पास अपनी अभियांत्रिकी शाखा है और जिसका नगर ऐसे नालों का नगर है जिनका पानी द्रव्यवती में, अर्थात् उस 47.5 km चैनल में जाता है जिसे JDA ने 100-वर्ष की बाढ़ पार कराने के लिए फिर से बनाया, और एक सहायक अभियंता वाले किसी छोटे नगरपालिका बोर्ड से, एक ही हाइड्रोग्राफ मॉडलों की समीक्षा की अपेक्षा नहीं की जा सकती। कैनसस सिटी का समाधान यह था कि एक क्षेत्रीय मानक रखा जाए और सबसे विवादित मानदंडों के लिए अंगीकरणीय विकल्प प्रकाशित किए जाएँ, ताकि छोटी एजेंसियाँ मानक को छोड़े बिना "निचला विकल्प चुन" ("opt down") सकें (MARC Supplement, Nov 2025)। यहाँ के टियर दोनों टियरों में निष्पादन मानदंड एक समान रखते हैं और केवल विधि बदलते हैं, ताकि टियर B के किसी कस्बे में बना भवन उसी स्तर तक सुरक्षित रहे जितना जयपुर में बना भवन।

1.7 नीति अनुपूरक: अंगीकरणीय विकल्प

1.7.1 सरकार इस मैनुअल के साथ वैकल्पिक खंडों का एक **नीति अनुपूरक** (परिशिष्ट 1C) प्रकाशित करेगी। कोई अनुमोदन प्राधिकारी खंड 1.7.3 की शर्तों के अंतर्गत एक या अधिक विकल्प अंगीकार कर सकता है।

1.7.2 विकल्प निम्नलिखित हैं:

तालिका 1.2 — नीति अनुपूरक: अंगीकरणीय विकल्प S-1 से S-5

क्र.	मुख्य पाठ की अपेक्षा	अंगीकरणीय विकल्प	पात्रता
S-1	हाइड्रोग्राफ विधि द्वारा भंडारण का आकार निर्धारण (अध्याय 3)	**डिजाइन-सहायिका मार्ग:** प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण आयतन परिशिष्ट 4 की इकाई-भंडारण तालिकाओं (m^3 प्रति ha, वर्षा जोन, मृदा समूह और अपारगम्य अंश के अनुसार) और अनुपालन कैलकुलेटर से लिए जाते हैं	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर ≤ 2 ha की साइटें; उनके भीतर ≤ 0.5 ha (खंड 4.14.1 के अनुसार)
S-2	निकास दर Q_post(T) ≤ 0.9 × Q_pre(T), साइट के लिए गणना की गई	**साइट की अनुमेय प्रवाह दर (PSD):** जोन और AEP के अनुसार तालिकाबद्ध इकाई-क्षेत्र निकास दर ($m^3/s/ha$), जो 0.9 × Q_pre नियम से व्युत्पन्न है	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर कोई भी साइट
S-3	मानचित्रित 1% AEP बाढ़ विस्तार और अतिरिक्त मार्जिन तक बढ़ाया गया जलाशय सेटबैक (अध्याय 7)	जहाँ कोई 1% AEP विस्तार मानचित्रित नहीं है, वहाँ जलाशय वर्ग के अनुसार **नियत-चौड़ाई सेटबैक तालिका**। खंड 7.4.7 के जोन 1 न्यूनतम से कभी कम नहीं	ऐसे जलाशय जिनका कोई मानचित्रित 1% AEP विस्तार नहीं है
S-4	हाइड्रोलिक मॉडल द्वारा अनुप्रवाह विश्लेषण (अध्याय 5)	अनुप्रवाह क्षमता और ज्ञात बाढ़ की **स्क्रीनिंग जाँच-सूची**, और मॉडल केवल वहाँ जहाँ स्क्रीनिंग विफल हो	< 1 ha की साइटें, बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर, जो ज्वारीय आउटफॉल में पानी न छोड़ती हों
S-5	साइट पर अस्थायी भंडारण	मास्टर प्लान वाले बेसिन में किसी क्षेत्रीय सुविधा या पुनर्स्थापित तालाब भंडारण के लिए **एवज शुल्क** (अध्याय 4)	जहाँ बेसिन प्लान अधिसूचित किया गया हो

1.7.3 अंगीकरण की शर्तें.

- (a) कोई विकल्प किसी मानदंड को इस मैनुअल के मानों से नीचे नहीं करेगा। S-1 और S-2 उसी मानदंड को पूरा करने की सरलीकृत विधियाँ हैं। वे निचले मानदंड नहीं हैं।
- (b) कोई टियर B प्राधिकारी परिषद संकल्प द्वारा विकल्प अंगीकार करता है, जिसे 30 दिनों के भीतर राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को भेजा जाता है। किसी टियर A प्राधिकारी को अंगीकरण से पहले समिति की सहमति आवश्यक है।
- (c) अंगीकृत विकल्प प्राधिकारी की वेबसाइट पर और खंड 10.17 के रजिस्टर में प्रकाशित किए जाएँगे।
- (d) प्रतिधारण (परिशिष्ट 2E की गहराई) को किसी विकल्प द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता, सिवाय वहाँ के जहाँ S-5 के अंतर्गत एवज शुल्क उसी बेसिन में समतुल्य प्रतिधारण का वित्तपोषण करता है।
- (e) S-1, S-2 और S-3 की तालिकाएँ राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा जारी की जाएँगी, और अध्याय 2 के साथ उनकी समीक्षा की जाएगी (खंड 2.14)।

> **भाष्य.** यह अनुपूरक APWA 5600 (2025.01) Policy Supplement के मॉडल का अनुसरण करता है, जो चार सबसे विवादित मानदंडों (प्रयोज्यता, रेशनल विधि की सीमाएँ, धारा (stream) सेटबैक का प्रारंभक मान, और जोन 2 सेटबैक की चौड़ाई) के लिए विकल्प देता है। उनमें से दो S-3 और खंड 1.5.2 के प्रयोज्यता सीमा-मान से मेल खाते हैं। विकल्प S-3 उसी समस्या के लिए APWA का उत्तर अपनाता है: छोटे जल निकासी क्षेत्रों के लिए 1% AEP विस्तार मानचित्रित नहीं है, इसलिए एक नियत-चौड़ाई तालिका प्रस्तुत की गई है। S-2 कैनसस सिटी के 2011 के उस बदलाव का अनुसरण करता है जिसमें "विद्यमान स्थिति के बराबर" ("match existing") के स्थान पर नियत इकाई-क्षेत्र निकास दरें अपनाई गईं। स्थानीय एजेंसियों ने नियत दर को प्राथमिकता दी, क्योंकि विद्यमान स्थितियों को एकरूपता से निर्धारित करना कठिन था (MARC Evolution deck)। यह सिडनी वॉटर (Sydney Water) की साइट की अनुमेय प्रवाह दर (PSD) विधि को भी दर्शाता है। S-1 के लिए 2 ha / 0.5 ha की सीमाओं (खंड 4.14.1 के अनुरूप) और S-4 के लिए 1 ha की सीमा का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

1.8 अन्य लिखतों के साथ संबंध

1.8.1 यह मैनुअल नीचे दिए गए लिखतों (instruments) के साथ लागू किया जाएगा। जहाँ वे परस्पर व्याप्त हों, वहाँ खंड 1.3.3 अभिभावी होगा।

तालिका 1.3 — अन्य लिखतों के साथ संबंध

लिखत	संबंध
मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 (12 मई 2025 का UDH का आदेश क्रमांक P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025; प्रत्येक शहरी क्षेत्र में स्थानीय निकाय या प्राधिकरण द्वारा राजस्थान राजपत्र में उनके प्रकाशन से प्रवृत्त, जिसकी तिथि की पुष्टि प्रत्येक के लिए की जानी है [TBC]); उनके पूर्ववर्ती, 2020 के मॉडल भवन विनियम और प्राधिकरणों के रूप, जैसे 7 जनवरी 2021 के JDA के विनियम, जिन्हें विनियम 18.1 निरस्त करता है	जारी हैं। ये 225 m^2 और उससे बड़े भूखंडों पर वर्षा जल संचयन (विनियम 8.3); 750 m^2 से बड़े गैर-वाणिज्यिक भूखंडों के 10–20% का हरित क्षेत्र, जिसका कम से कम आधा भाग ऐसी प्राकृतिक भूमि पर हो जिसके नीचे कोई स्लैब न हो (विनियम 8.1); 5,000–20,000 m^2 निर्मित क्षेत्र वाले भवनों के लिए, प्राकृतिक जल निकासी के इनलेट और आउटलेट यथावत् रखे जाएँ, निर्बाध प्रवाह के लिए पर्याप्त आकार के चैनल हों, प्रत्येक 5,000 m^2 के लिए एक पुनर्भरण बोर हो और खुले स्थान का कम से कम 20% बिना पक्का रहे (पर्यावरणीय शर्तों की अनुसूची; JDA के 2020 के पाठ में पढ़ी गई); और सामने की सड़क से कम से कम 0.45 m ऊँचे प्लिंथ (विनियम 6.6) की अपेक्षा करते हैं। सेटबैक में भूमिगत टैंक, ड्रेनें और कैच चैंबर (catch chambers) भू-आच्छादन (ground coverage) में नहीं गिने जाते (विनियम 4.13)। झील संरक्षित क्षेत्रों के लिए निर्धारित मानदंड इन विनियमों पर अभिभावी होते हैं (JDA के 2020 के विनियम, विनियम 10.4)। ये कोई डिजाइन वर्षा घटना, निकास दर या अस्थायी भंडारण आयतन निर्धारित नहीं करते, न किसी नाले, नदी या झील से कोई सेटबैक; अध्याय 2–6 के डिजाइन मानदंड और अध्याय 7 का हाइड्रोलिक कॉरिडोर और सेटबैक, जिनका जोन 1 कम से कम 15 m है, इस मैनुअल के प्रस्ताव हैं; वे सांविधिक मान नहीं हैं, और किसी प्राधिकरण ने उन्हें अंगीकार नहीं किया है। जहाँ भवन विनियम, कोई मास्टर प्लान, कोई कानून या न्यायालय का कोई आदेश अधिक कठोर हो, वहाँ वही शासित करता है (खंड 1.3.3)।
वर्षा जल संचयन: भवन विनियम, 2025, विनियम 8.3 और अनुसूची 2; राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 238; राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, धारा 73(c)	बिना परिवर्तन के जारी हैं। विनियम 8.3 225 m^2 और उससे बड़े भूखंडों पर वर्षा जल संचयन इकाई या संरचना, या फिल्टर सहित छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक अनिवार्य करता है, ₹50,000–₹5 लाख की वापसी योग्य धरोहर राशि की शर्त के साथ, जो केवल तब लौटाई जाती है जब भू-जल विभाग, WRD या इस क्षेत्र का कोई अनुभवी सेवानिवृत्त अभियंता यह रिपोर्ट दे कि वह काम करती है, और जलभराव वाले क्षेत्रों को, स्थानीय निकाय द्वारा उन्हें चिह्नित कर दिए जाने पर, छूट देता है। धारा 238 सरकारी भवनों में और, उपविधियों द्वारा यथा विहित, प्रत्येक अन्य भवन में संचयन अनिवार्य करती है, ₹10,000–20,000 के जुर्माने के साथ, और नगरपालिका के इस प्रमाण-पत्र के बिना कि संरचना बना दी गई है, किसी नए भवन को सार्वजनिक जल कनेक्शन देने पर रोक लगाती है (तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया)। 2020 के विनियम 1959 के अधिनियम की धारा 73(c) को उद्धृत करते हैं, जो पढ़ी नहीं गई [TBC]। राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 20) केवल अधिसूचित की जाने वाली तिथि से प्रवृत्त होगा, और प्रारंभ की कोई अधिसूचना नहीं मिली [TBC]। 2024 में राज्य ने अपने वार्षिक निष्कर्षण-योग्य भूजल का 149.86% निकाला, और उसकी 302 आकलन इकाइयों में से 214 अति-दोहित (over-exploited) थीं (CGWB)। इनमें से कोई भी आउटलेट नियम या ऐसा भंडारण नहीं देता जो वर्षा घटना आने पर खाली हो। RWH भंडारण अस्थायी भंडारण नहीं है, जब तक वह आउटलेट सहित ऐसा समर्पित आयतन न हो जो वर्षा आने पर खाली रहता है, और दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा घटनाओं के आरंभ में टैंकों को भरा हुआ माना जाता है (अध्याय 4)। पुनर्भरण संरचनाएँ प्रतिधारण में वहाँ गिनी जा सकती हैं जहाँ वे अध्याय 4 और 8 की अपेक्षाएँ पूरी करें, जो पूरे राज्य में, पूर्व-उपचार के साथ, पुनर्भरण को पहली पसंद बनाते हैं, सिवाय जोधपुर के पुराने शहर और गंगानगर–हनुमानगढ़ की नहर पट्टी के, जहाँ भूजल स्तर उथला है और पहले भूजल की जाँच आवश्यक है।
राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम संख्यांक 18), धारा 45, 68, 200–215 और 238 (तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया; संशोधन जाँचे नहीं गए [TBC])	जारी हैं। जल निकासी, सीवरेज और क्षेत्र की ड्रेनें, पुलियाएँ, तालाब और डैम नगरपालिका के कर्तव्यों में हैं (धारा 45); सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, जलाशय और उनसे लगी सार्वजनिक भूमि, और किसी सड़क में, उसके साथ-साथ या उसके नीचे की सार्वजनिक ड्रेनें, चैनल, पुलियाएँ और जलमार्ग न्यासी के रूप में उसमें निहित होते हैं (धारा 68); नगरपालिका के भीतर की सभी ड्रेनें उसके सर्वेक्षण और नियंत्रण में हैं (धारा 200); कोई भी भवन नगरपालिका द्वारा अपेक्षित स्तर और ढाल वाली ऐसी ड्रेन के बिना, जो 50 ft के भीतर किसी नगरपालिका ड्रेन में, या अन्यथा किसी मलकूप (cess-pool) में, पानी छोड़े, न बनाया जा सकता है, न फिर से बनाया जा सकता है और न अधिभोग में लिया जा सकता है (धारा 202); सीवेज और वर्षा जल की ड्रेनें अलग-अलग होनी हैं (धारा 204, उसके शीर्षक के अनुसार; पाठ प्राप्त नहीं हुआ [TBC]); और नगरपालिका की लिखित सम्मति के बिना कोई ड्रेन किसी नगरपालिका ड्रेन से नहीं जोड़ी जा सकती, और न किसी नगरपालिका ड्रेन के ऊपर कोई भवन बनाया जा सकता है (धारा 213)। यह मैनुअल इन शक्तियों में परिवर्तन नहीं करता; अध्याय 7 तालाबों को जल निकासी परिसंपत्तियों के रूप में मानता है और अध्याय 8 सीवेज को वर्षा जल ड्रेनों से बाहर रखता है।

लिखत	संबंध
राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959; जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009, अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013, कोटा और उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023, और बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2025	जारी हैं। ये नगर सुधार न्यासों और विकास प्राधिकरणों का गठन करते हैं, जो अपने क्षेत्रों में मास्टर प्लान और जोनल प्लान तैयार करते हैं और स्कीमों और लेआउट का अनुमोदन करते हैं, और ये भवन विनियम, 2025 के मूल अधिनियमों में से हैं (1959 के अधिनियम की धारा 104-A, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 90, जोधपुर और अजमेर के अधिनियमों की धारा 85 और अन्य की धारा 88, जैसा 12 मई 2025 के आदेश में उद्धृत है)। इनके पाठ इस मैनुअल के लिए नहीं पढ़े गए [TBC]। उच्च न्यायालय ने ठहराया है कि कोई मास्टर विकास योजना (Master Development Plan) पहाड़ियों, वनों, नदियों, झीलों या जलग्रहण क्षेत्रों को बाधित नहीं कर सकती (*Gulab Kothari*, 12 जनवरी 2017)। यह मैनुअल जोनिंग का निर्णय नहीं करता; अध्याय 4 और 7 की ड्रेनों के लिए आरक्षित पट्टियाँ (drain reserves) और क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थल उन प्लानों में दर्शाए जाने के लिए हैं।
राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 5; विधेयक के प्राधिकृत अनुवाद से पढ़ा गया, अधिनियमित पाठ से नहीं [TBC])	जारी है। "झील" ("lake") भूमि पर स्थित कोई भी जलराशि है, चाहे वह अभिलिखित हो या न हो और उसमें जल हो या न हो, जिसका अधिनियम से पहले के पचास वर्षों में किसी भी समय कम से कम 3 ha (सामाजिक-सांस्कृतिक, विरासत या धार्मिक महत्व की होने पर) या 10 ha (अन्यथा) का जलमग्न क्षेत्र रहा हो; उसका "बहाव क्षेत्र" ("flow area") वह क्षेत्र है जिससे होकर जल धाराएँ या संभरक धाराएँ (feeders) उसकी ओर बहती हैं (धारा 2)। राज्य किसी झील की सीमाएँ और उसके चारों ओर एक संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित कर सकता है; नगर नियोजन प्राधिकरणों को राजस्थान झील विकास प्राधिकरण से परामर्श करना होगा, और किसी झील को समाविष्ट करने वाली योजना के लिए उसका पूर्व अनुमोदन आवश्यक है; संरक्षित क्षेत्र में अनुमति के बिना कोई निर्माण अनुमत नहीं है; और झील विकास प्राधिकरण संरक्षित क्षेत्र या बहाव क्षेत्र में किसी अवरोध को हटा सकता है (धारा 4–6)। अधिनियम के अंतर्गत झील की सीमाओं या संरक्षित क्षेत्रों की कोई अधिसूचना नहीं मिली [TBC]। अध्याय 7 बहाव क्षेत्र को उस जलग्रहण क्षेत्र के रूप में मानता है जिसकी यह अधिनियम रक्षा करता है।
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 16, और राजस्व अभिलेख (गैर मुमकिन (gair mumkin) नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि)	जारी हैं। चरागाह भूमि, तालाब-तल की भूमि और सूचीबद्ध अन्य श्रेणियों में खातेदारी (khatedari) अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते (धारा 16, उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्धृत रूप में; पूरी सूची पढ़ी नहीं गई [TBC])। उच्च न्यायालय ने "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर" ("Johar, Nala, Tank, River, Pond") के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि के आवंटन पर रोक लगाई है और धारा 16 के विरुद्ध किए गए आवंटनों को रद्द करने का आदेश दिया है (29 मई 2012), और ठहराया है कि गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि एक प्राकृतिक जल निकासी चैनल है जिसे किसी लोक प्रयोजन के लिए भी मोड़ा, अवरुद्ध या परिवर्तित नहीं किया जा सकता (*Ramji Lal Saini*, 7 मई 2026)। अध्याय 7 किसी नाले, नदी या तालाब के अभिलिखित विस्तार को उसके कॉरिडोर के न्यूनतम विस्तार के रूप में लेता है।
आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017; राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण; राज्य के चार रामसर स्थल	जारी हैं। नियम अधिसूचित आर्द्रभूमियों और उनके प्रभाव क्षेत्र (zone of influence) के भीतर गतिविधियों का विनियमन करते हैं। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण 2019 में स्थापित हुआ और 2020 में उसका पुनर्गठन हुआ, और जनवरी 2026 तक 75 आर्द्रभूमियों के अधिसूचित होने की खबर है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। रामसर स्थल केवलादेव (1981), सांभर (1990), और खीचन और मेनार (4 जून 2025) हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। 1 जून 2026 को उच्च न्यायालय ने आर्द्रभूमियों के जिलेवार सर्वेक्षण का आदेश दिया और आगे के आदेशों तक आर्द्रभूमियों या उनके जलग्रहण क्षेत्रों में अतिक्रमण, भराई, निर्माण और अनुपचारित सीवेज छोड़ने पर रोक लगाई (स्वतः संज्ञान मामला, जोधपुर)। जहाँ कोई अधिसूचना या आदेश अध्याय 7 के सेटबैक से अधिक व्यापक हो, वहाँ वही शासित करता है (खंड 1.3.3)।

लिखत	संबंध
जलग्रहण क्षेत्रों, चैनलों, झीलों और नदियों पर उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश	जहाँ वे बाध्यकारी हों, वहाँ लागू होते हैं। रामगढ़ बाँध: उच्च न्यायालय ने बाँध के लगभग 769.20 km² के जलग्रहण क्षेत्र को निर्माण और खनन से मुक्त करने का आदेश दिया (*Abdul Rahman*, DBCWP 1536/2003, 2 अगस्त 2004; स्वतः संज्ञान मामला SBCWP 11153/2011, 23 अगस्त 2011 और 29 मई 2012 के आदेश), और उच्चतम न्यायालय ने 2017 में रेखा की पुष्टि की और अतिक्रमित भूमि पर ध्वस्तीकरण का आदेश दिया (*NIMS University*, 9 नवंबर 2017)। प्राकृतिक चैनल: *Gulab Kothari* (DBCWP 1554/2004, 12 जनवरी 2017) और *Ramji Lal Saini* (7 मई 2026), ऊपर देखें। नदियाँ: 7 अगस्त 2026 को उच्चतम न्यायालय ने राज्य को आदेश दिया कि वह राज्य की सभी नदी प्रणालियों के लिए उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और एक पारिस्थितिक बफर (ecological buffer) का निर्धारण और सीमांकन करे, तब तक चिह्नित नदी गलियारों (river corridors) के भीतर औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय विकास के लिए नई अनुमतियों पर रोक लगाई, और मुख्य सचिव के अधीन एक नदी आयोग या नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण (River Commission or River Rejuvenation Authority) के गठन का निर्देश दिया (*In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*, Suo Motu WP (C) 8 of 2025); 24 अगस्त 2026 के एक अंतरिम आदेश द्वारा जोजरी के किनारे से 100 m के भीतर निर्माण पर रोक लगाए जाने की खबर है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। आर्द्रभूमियाँ: उच्च न्यायालय का 1 जून 2026 का आदेश, ऊपर देखें। उदयपुर: पिछोला और फतह सागर के चारों ओर का निर्माण-निषिद्ध जोन (no-construction zone) 17 जनवरी 1997 की एक अधिसूचना से है, और उच्च न्यायालय द्वारा उदय सागर के उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 m के भीतर की एक परियोजना को शून्य ठहराए जाने की खबर है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। अजमेर: NGT ने 2023 में आना सागर आर्द्रभूमि पर बनी संरचनाओं को, जिनमें सेवन वंडर्स पार्क (Seven Wonders park) भी था, हटाने का आदेश दिया, उच्चतम न्यायालय ने 2023–2025 में हस्तक्षेप करने से इनकार किया, और 12 सितंबर 2025 को पार्क का ध्वस्तीकरण शुरू हुआ (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। अध्याय 7 का हाइड्रोलिक कॉरिडोर और सेटबैक, जिनका जोन 1 कम से कम 15 m है, इस मैनुअल के प्रस्ताव हैं; जहाँ न्यायालय की कोई रेखा बाध्यकारी हो और अधिक व्यापक हो, वहाँ वही शासित करती है।
आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005; RSDMA; राज्य और जिला नियंत्रण कक्ष	जारी हैं। राज्य और जिला नियंत्रण कक्षों के प्रत्येक मानसून में 15 जून से चौबीसों घंटे चलने की खबर है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। RSDMA की कोई शहरी बाढ़ योजना या SOP नहीं मिली, और जो राज्य आपदा प्रबंधन योजना मिली वह 2014 की है (प्रकाशित खबरों के अनुसार) [TBC]। अध्याय 10 अपनी मानसून-पूर्व जाँचों को इन तिथियों से जोड़ता है।
RUIDP का परिपत्र संख्या 8 ("General guide lines for Drainage Sector work to be taken under RUSDIP"), 4 मार्च 2008	इस मैनुअल के अंतर्गत डिजाइन किए गए कार्यों के लिए अधिक्रमित। परिपत्र में RUSDIP कस्बों की ड्रेनों के लिए 1–2 वर्ष की डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि, पुलियों के लिए 25 वर्ष और पुलों के लिए 50 वर्ष माँगी गई, और डिजाइन तीव्रताओं को "सामान्यतः 12mm/hr से 20mm/hr की सीमा में" ("usually in the range of 12mm/hr to 20mm/hr") बताया गया। इसे प्रचलित पद्धति के इतिहास के रूप में उद्धृत किया गया है; इसके स्थान पर तालिका 2.1 की पुनरावृत्ति अवधियाँ और अध्याय 2 की वर्षा लागू होती हैं।
CPHEEO Manual on Storm Water Drainage Systems (2019)	अभियांत्रिकी संदर्भ। यह मैनुअल खंड 1.3.2 के अंतर्गत उच्चतर पुनरावृत्ति अवधियाँ निर्धारित करता है।
शहरी बाढ़ प्रबंधन पर NDMA के दिशानिर्देश (2010) और MoHUA SOP (2017)	यह मैनुअल जलग्रहण-आधारित डिजाइन, अस्थायी भंडारण और प्रतिधारण, जलाशय संरक्षण और जलवायु-समायोजित IDF पर NDMA के निर्देशों को व्यावहारिक रूप देता है।
NDMA का शहरी बाढ़ जोखिम प्रबंधन कार्यक्रम (UFRMP) और AMRUT 2.0	इन कार्यक्रमों के अंतर्गत वित्तपोषित कार्य इस मैनुअल का अनुपालन करेंगे। अध्याय 4–5 के विकास नियंत्रण उन कार्यों द्वारा सृजित क्षमता की रक्षा करते हैं।
IRC:SP:42-2014 और IRC:SP:50-2013	सड़क जल निकासी पर केवल वहीं लागू होते हैं जहाँ वे अध्याय 6 के विरोध में न हों।
MBBL 2016, अध्याय 9	RWH और अध्याय 10 की निरीक्षण व्यवस्था के लिए आदर्श।

भाष्य. राजस्थान में RWH को जल आपूर्ति और पुनर्भरण के उपाय के रूप में देखा गया है। उस उद्देश्य के लिए यह अच्छी तरह काम करता है। किंतु दक्षिण-पश्चिम मानसून में बाढ़ नियंत्रण के लिए इस पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि जब तक हफ्तों की वर्षा के बाद जुलाई या अगस्त में कोई मानसून अवदाब आता है, तब तक RWH संप प्रायः भरे होते हैं या भूमि संतृप्त हो चुकी होती है। इसलिए यह मैनुअल संचयन आयतन और प्रवाह-क्षीणन (attenuation) आयतन को अलग रखता है, और पुनर्भरण को वहाँ प्रतिधारण के रूप में गिनने देता है जहाँ वह वास्तव में प्रणाली से पानी हटाता है।

राजस्थान अपने नालों और नगरों की नदियों पर व्यय कर रहा है। JDA ने जयपुर से होकर बहने वाली द्रव्यवती (अमानीशाह नाला) के लगभग 47.5 km भाग को 100-वर्ष की बाढ़ पार कराने वाले चैनल के रूप में फिर से बनाया, 170 MLD के सीवेज शोधन संयंत्रों के साथ, जिसकी बताई गई लागत ₹1,490.85–1,676 करोड़ है (JDA EIA; अधिक आँकड़े में दस वर्ष का रखरखाव सम्मिलित है, प्रकाशित खबरों के अनुसार); उसने 2025 में वर्षा जल मॉडल के साथ नगर की जल निकासी के ₹80 करोड़ के उन्नयन का कार्य शुरू किया (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और ADB से वित्तपोषित RUIDP कार्यक्रम जोधपुर में नई ड्रेनें बना रहा है, अर्थात् जोजरी तक 13.1 km का भैरव नाला और 7.0 km का RTO नाला (ADB resettlement plan, 2023)। इन कार्यों में से केवल द्रव्यवती का कोई बताया गया डिजाइन मानक है, और उसका डिजाइन प्रवाह और वर्षा नहीं मिली। विकास नियंत्रण की कोई शर्त उन्हीं जलग्रहण क्षेत्रों के नए भूखंडों को ऐसे कार्यों द्वारा सृजित क्षमता का उपभोग करने से नहीं रोकती। अध्याय 4–5 को अनुमोदनों से जोड़ना इस कमी को दूर करता है।

राज्य के कानून में कई उपकरण पहले से हैं। सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, ड्रेनें और जलमार्ग न्यासी के रूप में नगरपालिका में निहित होते हैं (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68); कोई भी भवन नगरपालिका द्वारा अपेक्षित स्तर और ढाल पर, उसकी "प्रभावी निकासी के लिए" ("for the effectual drainage") ड्रेन के बिना, न बनाया जा सकता है और न अधिभोग में लिया जा सकता है (धारा 202), और न सम्मति के बिना किसी नगरपालिका ड्रेन के ऊपर बनाया जा सकता है (धारा 213(2)); और सीवेज और वर्षा जल की ड्रेनें अलग-अलग रखी जानी हैं (धारा 204, उसके शीर्षक के अनुसार)। 2015 का झील अधिनियम झीलों और उनके बहाव क्षेत्रों को एक ऐसे प्राधिकरण को सौंपता है जिसका अनुमोदन किसी झील को समाविष्ट करने वाली योजना के लिए आवश्यक है; राजस्व कानून और उच्च न्यायालय गैर मुमकिन (gair mumkin) नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि को उसके दर्ज उपयोग तक सीमित रखते हैं; और उच्चतम न्यायालय ने राज्य को उसकी सभी नदी प्रणालियों के लिए उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और एक पारिस्थितिक बफर का सीमांकन करने का आदेश दिया है (7 अगस्त 2026)। कानून में जिसकी कमी है, वह है डिजाइन मानक। इनमें से कोई भी लिखत यह नहीं बताता कि कोई ड्रेन कितनी बड़ी हो, उसे कौन-सी वर्षा घटना वहन करनी है, किसी नाले का कॉरिडोर कितना चौड़ा हो, या भरा गया कोई तालाब (talab) या पक्का किया गया कोई भूखंड कितना भंडारण हटा देता है। इस मैनुअल की जाँचें स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और नगर सुधार न्यासों के भवन नक्शा और लेआउट अनुमोदन के, और उस जाँच के, जिसके आधार पर वर्षा जल संचयन की धरोहर राशि लौटाई जाती है, भाग के रूप में रखी गई हैं, अलग NOC के रूप में नहीं। यह मैनुअल इन लिखतों के, जलग्रहण क्षेत्रों, चैनलों, झीलों और नदियों पर न्यायालयों के आदेशों के, और नगरों के जल निकासी कार्यों के तकनीकी सहायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है: यह वे डिजाइन वर्षा घटना, अस्थायी भंडारण और बफर संख्याएँ देता है जो वे निर्धारित नहीं करते, सरकार और प्राधिकारियों के विचार के लिए एक प्रस्ताव के रूप में। इसे न तो नगरीय विकास एवं आवासन विभाग ने अंगीकार किया है, न किसी अन्य निकाय ने।

1.9 भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

1.9.1 नीचे दिए गए उत्तरदायित्व इस मैनुअल के अंतर्गत लागू होते हैं। ये किसी एजेंसी की सांविधिक शक्तियों में कोई परिवर्तन नहीं करते।

तालिका 1.4 — इस मैनुअल के अंतर्गत भूमिकाएँ और उत्तरदायित्व

एजेंसी	इस मैनुअल के अंतर्गत भूमिका
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (UDH)	भवन विनियम, 2025 जारी करता है (12 मई 2025 का आदेश) और मुख्य नगर नियोजक के माध्यम से विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों और मास्टर प्लानों की देखरेख करता है। खंड 1.3.1(a) का संशोधन शहरी निकायों द्वारा प्रकाशित किए जाने के लिए एक मॉडल के रूप में तैयार करेगा, टियर B प्राधिकारियों को क्षेत्रीय सहायता देगा (तालिका 1.1) और सूचीबद्ध समीक्षकों की सूची रखेगा (खंड 10.7)।
राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति (खंड 1.3.2)	उच्चतर मानक अंगीकार करेगी, परिशिष्ट, तालिकाएँ और अनुपालन कैलकुलेटर जारी करेगी, टियर A के विकल्पों पर सहमति देगी, उसे भेजे गए विचलनों पर निर्णय करेगी और मैनुअल की समीक्षा करेगी (खंड 1.12)।
स्वायत्त शासन विभाग और स्थानीय निकाय निदेशालय (LSG/DLB; Directorate of Local Bodies)	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिका बोर्डों की देखरेख करते हैं; विभाग RUIDP की निष्पादन एजेंसी है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। खंड 1.3.1(b) की आदर्श ULB उपविधि जारी करेंगे और स्थानीय निकायों के जल निकासी कार्यों में इस मैनुअल के अनुपालन की अपेक्षा करेंगे।
जयपुर नगर निगम (JMC) और अन्य नगर निगम; नगर परिषदें और नगरपालिका बोर्ड	अपने क्षेत्रों की सार्वजनिक ड्रेनें, जलमार्ग और तालाब न्यासी के रूप में धारित करते हैं (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68), सभी ड्रेनों को अपने सर्वेक्षण और नियंत्रण में रखते हैं (धारा 200), प्रत्येक भवन के लिए ड्रेन की अपेक्षा करते हैं (धारा 202), और भवन नक्शों का अनुमोदन करते हैं। जयपुर, जोधपुर और कोटा के जुड़वाँ नगर निगमों को 2025 में फिर से एक किए जाने की खबर है (प्रकाशित खबरों के अनुसार; अधिसूचनाएँ देखी नहीं गईं [TBC])। अपने कार्यों पर इस मैनुअल को लागू करेंगे, हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ प्राप्त करेंगे (खंड 10.14), और निरीक्षण और प्रवर्तन करेंगे (खंड 10.12–10.15)।
विकास प्राधिकरण (JDA, JoDA, AjDA, KDA, UDA और बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण) और नगर सुधार न्यास	अपने क्षेत्रों में मास्टर प्लान और जोनल प्लान तैयार करते हैं और स्कीमों, लेआउट और भवन नक्शों का अनुमोदन करते हैं; JDA ने द्रव्यवती को फिर से बनाया है और जलग्रहण क्षेत्र की भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करता है (जैसा उच्चतम न्यायालय ने 2017 में दर्ज किया)। उनके अधिनियमों के अंतर्गत इनके जल निकासी संबंधी कार्यों पर इस मैनुअल के लिए शोध नहीं किया गया [TBC]। अपनी स्कीमों पर इस मैनुअल को लागू करेंगे, अपने प्लानों में ड्रेनों के लिए आरक्षित पट्टियाँ और क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थल दर्शाएँगे, और खंड 10.14 के अंतर्गत ड्रेनें और भंडारण स्थानीय निकाय को हस्तांतरित करेंगे।
राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना (RUIDP)	ADB से वित्तपोषित शहरी कार्य निष्पादित करती है, जिनमें जोधपुर में वर्षा जल ड्रेनें भी सम्मिलित हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार); 2008 के उसके परिपत्र संख्या 8 ने RUSDIP कस्बों के लिए जल निकासी डिजाइन के नियम निर्धारित किए। अपनी DPR और डिजाइनों में इस मैनुअल को लागू करेगी।
WRD	राज्य के डैम, जलाशय और सिंचाई तालाब और उनके गेट इसके पास हैं, और यह जिला पर्यावरण समितियों (District Environment Committees) के साथ उच्चतम न्यायालय के आदेशों (2026) के अंतर्गत जोजरी पर उच्च बाढ़ रेखाओं और बफर का सर्वेक्षण कर रहा है। अध्याय 5 के लिए डिजाइन नदी और जलाशय स्तर, अधिकतम जल स्तर, गेट प्रचालन के नियम और पानी छोड़ने की समय-सारणी उपलब्ध कराएगा, अपने कार्यों में आउटफॉल के लिए सम्मति देगा, और जहाँ कहा जाए वहाँ धरोहर राशि की वापसी के लिए वर्षा जल संचयन को प्रमाणित करेगा (विनियम 8.3(ii))।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED)	पेयजल की आपूर्ति करता है, और बताया जाता है कि 225 m^2 और उससे बड़े भूखंडों पर बने भवनों को जल कनेक्शन केवल पुनर्भरण संरचना बन जाने के बाद देता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। आपूर्ति स्रोतों की वर्षा जल अपवाह से रक्षा पर अध्याय 8 लागू करेगा।
भू-जल विभाग (Ground Water Department)	धरोहर राशि की वापसी के लिए वर्षा जल संचयन संरचनाओं को प्रमाणित करता है (विनियम 8.3(ii))। CGWB के साथ अध्याय 4 और 8 के लिए भूजल स्तर और गुणवत्ता की जानकारी उपलब्ध कराएगा, और जोधपुर के पुराने शहर और नहर पट्टी में भूजल की जाँच पर परामर्श देगा।
राजस्थान झील विकास प्राधिकरण	2015 के झील अधिनियम के अंतर्गत गठित; किसी झील को समाविष्ट करने वाली योजनाओं पर इससे परामर्श किया जाता है, और यह किसी अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र में निर्माण के लिए अनुमति देता है (धारा 5–6)। अध्याय 7 के लिए किसी अधिसूचित झील की सीमा, पूर्ण स्तर और बहाव क्षेत्र को प्रमाणित करेगा।
राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण	आर्द्रभूमि नियम, 2017 के अंतर्गत स्थापित; अधिसूचित आर्द्रभूमियों की सूची रखता है, जनवरी 2026 तक 75 (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और उच्च न्यायालय के आर्द्रभूमि मामले (2026) में प्रत्यर्थी (respondent) है। अधिसूचित आर्द्रभूमियों में विनियमित गतिविधियों की अनुमति देगा (अध्याय 7)।

एजेंसी	इस मैनुअल के अंतर्गत भूमिका
RSDMA और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	राज्य और जिला आपदा प्रबंधन योजनाओं का अनुमोदन करते हैं; नियंत्रण कक्षों के 15 जून से चौबीसों घंटे चलने की खबर है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); RSDMA के शहरी बाढ़ संबंधी कार्य पर शोध नहीं किया गया [TBC]। बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की अनुशंसा करेंगे, कलक्टरों के साथ बाढ़-प्रवण स्थानों का अभिलेख रखेंगे, और घटना-पश्चात समीक्षा का नेतृत्व करेंगे (खंड 10.16)।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB)	उद्योगों को सम्मति देता है और नदियों, झीलों और ड्रेनों की निगरानी करता है, जिनमें उच्चतम न्यायालय की निगरानी में जोजरी भी सम्मिलित है। वर्षा जल ड्रेनों से सीवेज और बहिःस्राव हटाने में सहयोग करता है (अध्याय 8)।
राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICO)	अपने भवन विनियमों के अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्रों का विकास और विनियमन करता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); उच्चतम न्यायालय के अनुसार जोधपुर में इसकी ड्रेनें नगरपालिका ड्रेनों में गिरती हैं। अपने औद्योगिक क्षेत्रों में इस मैनुअल को लागू करेगा।
राजस्व विभाग: कलक्टर और तहसील कार्यालय	वे राजस्व अभिलेख रखते हैं जिनमें तालाब, नाले, नाडियाँ (nadi) और उनके जलग्रहण क्षेत्र गैर मुमकिन (gair mumkin) भूमि के रूप में दर्ज होते हैं, लोक भूमि पर अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, और बाढ़ राहत का नेतृत्व करते हैं। अध्याय 7 के लिए किसी नाले, नदी या तालाब का अभिलिखित विस्तार प्रमाणित करेंगे।
नदी आयोग या नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण (River Commission or River Rejuvenation Authority; उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्देशित, 7 अगस्त 2026)	मुख्य सचिव के अधीन गठित किया जाना है, ऐसे अधिदेश के साथ जिसमें राज्य की नदियों की उच्च बाढ़ रेखाएँ और जलग्रहण क्षेत्र सम्मिलित हैं; उसका गठन नहीं मिला [TBC]। वे उच्च बाढ़ रेखाएँ और बफर उपलब्ध कराएगा जिन्हें अध्याय 7 वहाँ लागू करता है जहाँ वे बाध्यकारी हों।
केंद्रीय जल आयोग (CWC), संघ का एक निकाय	अध्याय 2 और 3 में प्रयुक्त उप-क्षेत्र 1(a), 1(b), 1(e) और 3(a) की बाढ़ आकलन रिपोर्टें (Flood Estimation Reports), और अपने बाढ़ पूर्वानुमान स्थलों पर नदी स्तर प्रकाशित करता है, जैसे चंबल पर कोटा सिटी और धौलपुर। अध्याय 5 के लिए नदी जल स्तर के अभिलेख और पूर्वानुमान उपलब्ध कराएगा।
केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB), संघ का एक निकाय	राज्य की भूजल इकाइयों और उनकी श्रेणियों का आकलन करता है। भू-जल विभाग के साथ भूजल स्तर और गुणवत्ता की जानकारी उपलब्ध कराएगा।
राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (NIH), रुड़की	NIH-DHAARA चलाता है (अध्याय 2)।
IMD (मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर), और सड़क और रेल के स्वामी (सार्वजनिक निर्माण विभाग, NHAI, भारतीय रेल)	IMD के केंद्र अध्याय 2 के वर्षा अभिलेख उपलब्ध कराते हैं। सड़क और रेल के स्वामी सड़क जल निकासी (अध्याय 6), पुलियों और रैखिक कार्यों (खंड 1.5.7) पर इस मैनुअल को लागू करेंगे।

भाष्य. राजस्थान में वर्षा जल का दायित्व बँटा हुआ है: भवन विनियमों, मास्टर प्लानों और विकास प्राधिकरणों और नगर सुधार न्यासों के माध्यम से UDH का; नगर निगमों, परिषदों और बोर्डों और उनमें निहित ड्रेनों के माध्यम से स्वायत्त शासन विभाग का; डैमों, जलाशयों और सिंचाई तालाबों और उनके गेटों के माध्यम से WRD का; अधिसूचित झीलों और उनके बहाव क्षेत्रों के माध्यम से झील विकास प्राधिकरण का; नालों, नदियों और तालाबों के राजस्व अभिलेखों के माध्यम से राजस्व विभाग का; और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का, जबकि जलग्रहण क्षेत्र, चैनल, झील और नदी की रेखाएँ न्यायालय निर्धारित करते हैं। अजमेर दिखाता है कि यह बँटवारा क्यों मायने रखता है। भारी वर्षा में आना सागर का एस्केप चैनल खोले जाने पर शहर में बाढ़ आती है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), किंतु झील, उसके गेट, एस्केप चैनल और उसके किनारे की कॉलोनियाँ अलग-अलग निकायों के अधीन हैं, और मिला कोई भी आदेश यह नहीं बताता कि गेट किस स्तर पर खुलेंगे, यह कौन निर्धारित करता है [TBC]। नगरपालिका अधिनियम सार्वजनिक ड्रेनों, धाराओं और तालाबों को नगरपालिका में निहित करता है (धारा 68), किंतु मिला कोई भी नियम या आदेश प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से, या झीलों को उनके नीचे के डैमों और चैनलों से अलग करके, स्थानीय निकायों, विकास प्राधिकरणों और राज्य के विभागों के बीच नहीं बाँटता [TBC]। जब तक ऐसा कोई नियम नहीं बनता, यह मैनुअल जल निकासी तत्वों का आवंटन तालिका 1.5 के अनुसार करता है। यह आवंटन इस मैनुअल के खंडों को लागू करने के लिए उसका कार्यकारी विभाजन है; यह किसी एजेंसी की शक्तियों में परिवर्तन नहीं करता।

तालिका 1.5 — इस मैनुअल के अंतर्गत जल निकासी तत्वों का कार्यकारी आवंटन

तत्व	किसको आवंटित
नदियाँ और उनके डूब क्षेत्र, गेटों सहित डैम और जलाशय (जैसे कोटा बैराज, रामगढ़ और बीसलपुर), और सिंचाई तालाब	WRD, और गठित हो जाने पर उच्च बाढ़ रेखाओं के लिए नदी आयोग या नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण
किसी नगर के भीतर की झीलें (जैसे उदयपुर में पिछोला और फतह सागर, अजमेर में आना सागर, और जोधपुर में कायलाना और तख्त सागर), उनके गेटों और एस्केप चैनलों सहित	अधिसूचित झील के लिए झील विकास प्राधिकरण, और अन्यथा झील के लिए स्थानीय निकाय और गेटों के लिए WRD, जब तक कोई आदेश उन्हें अन्यथा आवंटित न करे [TBC]
किसी नगर निगम या विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर प्राकृतिक नाले और नगर की नदियाँ (जैसे जयपुर में द्रव्यवती और जोधपुर में भैरव और RTO नाले), उनकी आरक्षित पट्टियों सहित	नगर निगम (धारा 68), या अपने द्वारा बनाए गए चैनल के लिए, उसे हस्तांतरित करने तक, विकास प्राधिकरण
नगरपालिका सीमा के बाहर गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि, और गाँव के तालाब	राजस्व विभाग (कलक्टर), तालाब का प्रबंधन करने वाली पंचायत के साथ
किसी स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर सड़क किनारे और गली की ड्रेनें और सार्वजनिक तालाब	नगर निगम, नगर परिषद या नगरपालिका बोर्ड
किसी विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास की स्कीम के भीतर ड्रेनें और भंडारण, हस्तांतरण होने तक	विकास प्राधिकरण या न्यास
किसी औद्योगिक क्षेत्र के भीतर ड्रेनें	RIICO
सीवर, इंटरसेप्टर और नालों का अवरोधन और मोड़, और सीवेज शोधन संयंत्र	स्थानीय निकाय या उसके लिए कार्य निष्पादित करने वाला निकाय
राज्य और राष्ट्रीय राजमार्गों की ड्रेनें	सार्वजनिक निर्माण विभाग या NHAI
अधिसूचित आर्द्रभूमियाँ और रामसर स्थल	राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, भूमि के स्वामी के साथ

यह मैनुअल विभागों और प्राधिकरणों का नाम उसी रूप में लेता है जैसे कानून, आदेश और अभिलेख उनका नाम लेते हैं। प्रत्येक कार्य के लिए एक स्वामी का नाम देने वाला मैनुअल अपने आप संस्थाओं को ठीक नहीं करता, किंतु यह इस बारे में अस्पष्टता दूर करता है कि कौन किस पर हस्ताक्षर करेगा।

1.10 विचलन और अधित्याग

1.10.1 **विचलन.** प्राधिकारी किसी संख्यात्मक अपेक्षा से विचलन प्रदान कर सकता है, जहाँ आवेदक खंड 10.6 के अंतर्गत प्रमाणित रिपोर्ट के माध्यम से यह दर्शाए कि:

- (a) उच्च भूजल स्तर, दूषित मिट्टी, चट्टान, या अपेक्षित सुविधा के लिए बहुत छोटे साइट क्षेत्र जैसी साइट स्थितियों के कारण अनुपालन अव्यवहार्य है; और
- (b) प्रस्तावित विकल्प अध्याय 5 के अनुप्रवाह बिंदु पर समान या बेहतर निष्पादन देता है, या कमी की पूर्ति उसी जलग्रहण क्षेत्र में एवज शुल्क या साइट से बाहर के कार्यों द्वारा की जाती है।

1.10.2 **अधित्याग.** प्राधिकारी अध्याय 4 की अस्थायी भंडारण अपेक्षाओं (प्रतिधारण नहीं) का अधित्याग कर सकता है, जहाँ खंड 10.6 के अंतर्गत प्रमाणित हाइड्रोलिक विश्लेषण यह दर्शाए कि साइट सीधे समुद्र में, या ऐसे ज्वारीय नदी-भाग (tidal reach) में जिसके अनुप्रवाह में कोई बाढ़-प्रवण संपत्ति नहीं है, पानी छोड़ती है, और बिना अस्थायी भंडारण वाला प्रवाह अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद स्थिति को बदतर नहीं बनाता। राजस्थान का कोई तट और कोई ज्वारीय नदी-भाग नहीं है, इसलिए राज्य की कोई साइट इस अधित्याग के लिए पात्र नहीं है। जो साइट किसी ऐसी झील में,

जिसका स्तर गेटों या किसी एस्केप चैनल से नियंत्रित होता है, जैसा उदयपुर और अजमेर में, या डैमों से छोड़े गए पानी से चढ़ी किसी नदी में, जैसे कोटा में चंबल, या बिना आउटफॉल वाले किसी गर्त में, जैसा पश्चिम के बड़े भाग में, पानी छोड़ती है, वह जब भी प्राप्तकर्ता जलाशय (receiving water) ऊँचा हो, अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद स्थिति में होती है, और उसके लिए अस्थायी भंडारण का अधित्याग नहीं किया जाता।

1.10.3 **कोई विचलन या अधित्याग नहीं.** निम्नलिखित के लिए कोई विचलन या अधित्याग प्रदान नहीं किया जाएगा:

- (a) वर्षा जल ड्रेन में सीवेज कनेक्शन;
- (b) अध्याय 6 का सबसे निचला आवास योग्य तल स्तर;
- (c) खंड 7.4.7 के जोन 1 न्यूनतम से नीचे जलाशय सेटबैक में कोई कमी, या अध्याय 7 के भराई-निषिद्ध जोन में कोई भराई या निर्माण; या
- (d) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में प्रतिधारण की अपेक्षा, सिवाय खंड 1.7 के अंतर्गत एवज शुल्क द्वारा।

1.10.4 **प्रक्रिया.**

- (a) अनुरोध प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट के साथ **प्रपत्र 1-2** (विचलन / अधित्याग अनुरोध) पर किया जाएगा।
- (b) कोई टियर B प्राधिकारी 1 ha या उससे बड़ी साइट पर किसी भी विचलन को राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को भेजेगा।
- (c) निर्णय में उसके कारण और कोई शर्तें बताई जाएँगी, और उसे खंड 10.17 के सार्वजनिक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।
- (d) विचलन अनुमोदन के साथ जुड़ा रहता है। अनुमोदन व्यपगत होने पर यह भी व्यपगत हो जाता है।

> **भाष्य.** 2006 के APWA 5600 में अधित्याग का एक भाग (5601.6) था, और जॉर्जिया अधित्याग की अनुमति देता है जहाँ अनुप्रवाह विश्लेषण दर्शाए कि चरम प्रवाह नियंत्रण अनावश्यक है। खंड 1.10.2 का अधित्याग सीमित है: ज्वारीय तट पर बिना अस्थायी भंडारण वाला प्रवाह, ज्वार द्वारा आउटफॉल बंद होने से पहले निकलकर, सहायक हो सकता है, किंतु यह केवल विश्लेषण से ही दर्शाया जा सकता है। यह मैनुअल हर निर्णय के प्रकाशन की अपेक्षा करता है, क्योंकि प्रकाशन मामला-दर-मामला मानक के क्षरण को रोकता है; राजस्थान में उच्च न्यायालय ने पाया कि रामगढ़ बाँध के, जो कभी जयपुर को पानी देता था, जलग्रहण क्षेत्र पर इतना निर्माण और खनन हुआ कि बाँध सूख गया, और उच्चतम न्यायालय ने 2017 में दर्ज किया कि "वर्षों में जमीन पर कुछ भी ठोस प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता" ("nothing substantive appears to have been achieved on the ground over the years") (*National Institute of Medical Science University v. State of Rajasthan*, 9 नवंबर 2017)।

1.11 संक्रमणकालीन प्रावधान

1.11.1 **प्रभावी तिथि.** यह मैनुअल नए आवेदनों के लिए अधिसूचना के **6 महीने** बाद प्रभावी होगा (प्रभावी तिथि)।

1.11.2 **प्रक्रियाधीन आवेदन.** प्रभावी तिथि से पहले पूर्ण रूप से दाखिल किए गए आवेदन का निर्णय, दाखिल करने के समय प्रवृत्त नियमों के अंतर्गत किया जा सकता है, यदि निर्णय प्रभावी तिथि के 12 महीनों के भीतर जारी किया जाए। अन्यथा यह मैनुअल लागू होगा।

1.11.3 **टियर B के लिए चरणबद्ध आरंभ.** टियर B प्राधिकारियों में अध्याय 4 और 5 अधिसूचना के **24 महीने** बाद से लागू होंगे, सिवाय बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के, जहाँ वे प्रभावी तिथि से लागू होंगे।

1.11.4 **लोक निर्माण कार्य.** प्रभावी तिथि से पहले संस्वीकृत DPR संस्वीकृति के अनुसार आगे बढ़ सकती हैं। प्रभावी तिथि के बाद संशोधित या पुनः निविदा की गई कोई भी DPR इस मैनुअल का अनुपालन करेगी। विभाग प्रगतिरत गैर-अनुपालक कार्यों की रिपोर्ट 12 महीनों के भीतर राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को देंगे।

1.11.5 **परिशिष्ट जारी होने से पहले.** जब तक इस मैनुअल में उल्लिखित कोई परिशिष्ट जारी नहीं होता, तब तक आवेदक खंड में बताई गई विधि का उपयोग करेगा, ऐसे मानों के साथ जिन पर प्राधिकारी के साथ सहमति हुई हो और जो जल निकासी रिपोर्ट में दर्ज हों।

> **भाष्य.** 6 महीने का अग्रिम समय खंड 2.14.2 में NIH-DHAARA अद्यतनों के अग्रिम समय के अनुरूप है। सिंगापुर ने अपने 2025 के अस्थायी भंडारण ऐडेंडम (addendum) के लिए समान अंतराल दिया (16 अप्रैल 2025 को जारी, 1 अक्तूबर 2025 से लागू)। 12 और 24 महीने की अवधियाँ इस मैनुअल द्वारा इसलिए निर्धारित की गई हैं कि टियर B प्राधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षित कर सकें और राज्य डिजाइन-सहायिका तालिकाएँ जारी कर सके (खंड 1.7)।

1.12 समीक्षा और संशोधन

1.12.1 राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति इस मैनुअल की समीक्षा प्रत्येक **10 वर्ष** में, और खंड 2.14.1 में निर्धारित रूप में 1% AEP डिजाइन गहराई से अधिक वर्षा वाली किसी भी घटना के बाद, करेगी।

1.12.2 संशोधन राजपत्र में अधिसूचित किए जाएँगे, परिवर्तन-अभिलेख (change log) के साथ प्रकाशित किए जाएँगे, और अधिसूचना के 6 महीने बाद प्रभावी होंगे, जब तक अधिसूचना में अन्यथा न कहा गया हो।

1.12.3 कोई भी व्यक्ति समिति को संशोधन का प्रस्ताव दे सकता है। प्रस्ताव और समिति के निर्णय प्रकाशित किए जाएँगे।

संदर्भ (अध्याय)

- Urban Development and Housing Department, Government of Rajasthan (2025). Model Rajasthan Building Regulations, 2025 (मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025), with the order No. P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025 dated 12 May 2025 (हिन्दी; विनियम 1.2, 4.13, 6.5, 6.6, 8.1–8.6 और 18 तथा अनुसूची 2; तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया; प्रत्येक शहरी निकाय द्वारा विनियमों का प्रकाशन, और प्रत्येक की तिथि, देखे नहीं गए [TBC])। https://frontdesk.co.in/wp-content/uploads/2025/05/Order-Modal-Building-Bye-Laws-2025.pdf
- TeamLease RegTech. Model Rajasthan Building Regulations, 2025 (5 दिसंबर 2025 की अधिसूचना तिथि देने वाला सारांश; द्वितीयक स्रोत)। https://teamleaseregtech.com/updates/article/51208/model-rajasthan-building-regulations-2025/
- Jaipur Development Authority (2021). जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम, 2020 [JDA (Jaipur Region) Building Regulations, 2020], notification No. ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2021/डी-36, Rajasthan Gazette Extraordinary, Part 6(ख), 7 January 2021 (विनियम 1–2, 10.4, 10.11, 11.2, 11.6 और अनुलग्नक 4; urban.rajasthan.gov.in की फाइल की Wayback Machine प्रति)। http://web.archive.org/web/2023id_/https://urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/lsgs/lsg-jaipur/onlineservices/BUILDING%20BYE%20LAWS%202020.pdf
- Urban Development and Housing Department / Local Self Government Department. Model Rajasthan {Urban Area (city)} Building Regulations, 2020, विनियम 10.11.1 (Wayback Machine प्रति)। http://web.archive.org/web/2023id_/https://urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/lsgs/lsg-jaipur/Order/order2021/July/Model%20Byelaws%20%202020.pdf
- भवनों की ऊँचाई पर मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 के 2026 के संशोधन की समाचार रिपोर्ट (द्वितीयक स्रोत; पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC])। https://jaipur.visitinrajasthan.com/?p=15751
- Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act 18 of 2009; राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009), ss.45, 68, 200, 202, 204, 213, 238 और 337 (India Code से व्युत्पन्न तृतीय-पक्ष प्रति; संशोधन जाँचे नहीं गए [TBC])। https://lawgist.in/states/rajasthan/rajasthan-municipalities-act-2009
- Rajasthan Urban Improvement Act, 1959; Jaipur Development Authority Act, 1982; Jodhpur Development Authority Act, 2009; Ajmer Development Authority Act, 2013; Kota and Udaipur Development Authority Acts, 2023; Bikaner and Bharatpur Development Authority Acts, 2025 (12 मई 2025 के UDH के आदेश में उद्धृत; इस मैनुअल के लिए पढ़े नहीं गए [TBC])।
- Rajasthan Lakes (Protection and Development) Authority Bill, 2015 (Bill No. 11 of 2015, प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद; Act No. 5 of 2015 के रूप में अधिनियमित, जिसका पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC])। https://www.ielrc.org/Content/e1501.pdf
- Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority Act, 2024 (Act No. 20 of 2025; राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण अधिनियम, 2024)। https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/rajasthan/2025/Act20of2025RJ.pdf
- Rajasthan Tenancy Act, 1955 (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955), s.16 (*NIMS University*, 2017 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्धृत रूप में)।
- Supreme Court of India. *National Institute of Medical Science University v. State of Rajasthan*, SLP (C) 38040–38041 of 2012, 9 Nov 2017 का निर्णय (*Abdul Rahman v. State of Rajasthan*, DBCWP 1536/2003, 2 Aug 2004, और स्वतः संज्ञान मामले SBCWP 11153/2011 के 23 Aug 2011 और 29 May 2012 के आदेशों के इतिहास सहित)। https://hcraj.nic.in/sci/2012/1-38041-2012_2017-11-09.pdf

- High Court of Rajasthan (Jaipur). *Ramji Lal Saini v. State of Rajasthan*, D.B. CWP (PIL) 6614/2021, 7 May 2026 का आदेश (*Abdul Rahman*, 2004, और *Gulab Kothari v. State of Rajasthan*, DBCWP 1554/2004, 12 Jan 2017 को उद्धृत करते हुए)। https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/05/22/ramji-lal-675710.pdf
- High Court of Rajasthan (Jodhpur). स्वतः संज्ञान मामला *In re: Protection, Conservation and Notification of Wetlands in the State of Rajasthan*, 1 Jun 2026 का आदेश। https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/06/05/suot-motu-wetlands-uploaded-678250.pdf
- Supreme Court of India. *In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*, Suo Motu WP (C) 8 of 2025: 21 Nov 2025 (2025 INSC 1341) और 18 Mar 2026 (2026 INSC 316) के निर्णय, और 7 Aug 2026 का आदेश (2026 INSC 812)। https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_2_58_72891_Judgement_07-Aug-2026.pdf
- जोजरी पर उच्चतम न्यायालय के 24 Aug 2026 के अंतरिम आदेश, 1997 की उदयपुर की झीलों की अधिसूचनाओं और उन पर उच्च न्यायालय के आदेशों, और आना सागर पर 2023–2025 के NGT और उच्चतम न्यायालय के आदेशों की समाचार रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत; आदेश पढ़े नहीं गए [TBC])।
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2017). Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017.
- SANDRP (2026). Notified wetlands of Rajasthan, RTI के एक उत्तर और Wetlands of India portal से (द्वितीयक स्रोत); Ramsar sites of India, सूची (प्रकाशित खबरों के अनुसार; द्वितीयक स्रोत)। https://indianwetlands.in/wetlands-overview/indias-wetlands-of-international-importance/
- Central Ground Water Board (2024). Dynamic Ground Water Resources of India, 2024: Rajasthan (Wayback Machine प्रति)। https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17422956315926010 65file.pdf
- जयपुर, जोधपुर और कोटा के नगर निगमों के विलय (2025), जल कनेक्शन और वर्षा जल संचयन पर PHED के नियम (2024), और राज्य के मानसून नियंत्रण कक्षों (2026) की समाचार रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत)। https://theprint.in/india/rajasthan-steps-up-monsoon-preparedness-orders-control-rooms-to-operate-24x7/2957202/
- Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (2008). Circular No. 8, General guide lines for Drainage Sector work to be taken under RUSDIP, Ref. F3(106)(32)/RUSDIP/PMU/CMS/2007, 4 Mar 2008 (lsg.urban.rajasthan.gov.in की फाइल की Wayback Machine प्रति)। https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/organizations/ruidp/Downloads/Circular%20No.%208%20(Drainage%20sector%20guidelines)_4.03.2008.pdf
- MoHUA / CPHEEO (2019). Manual on Storm Water Drainage Systems, Part A, §4.4.1.4 (Table 4.1 और टिप्पणियाँ)।
- Kakkar, R. (CPHEEO) (2023). Understanding Urban Stormwater Management. CSE, Aug 2023.
- National Disaster Management Authority (2010). National Guidelines on Management of Urban Flooding.
- MoHUA (2016). Model Building Bye-Laws, Chapter 9.
- Lok Sabha Unstarred Question 1847, 30 Jul 2026 (MoHUA). https://sansad.in/getFile/lsapps/loksabhaquestions/annex/188/AU1847_x29brZ.pdf
- Gupta, H.N. & Jindal, O.P. (1987). Unprecedented heavy rainfall in Jaipur (Rajasthan) during 18–20 July 1981. *Mausam* 38(3), 362–364. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3120
- India Meteorological Department. Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012), राजस्थान के केंद्र। https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf
- India Meteorological Department (2010). Climate of Rajasthan, Climatological Summaries of States Series No. 16 (जिलों के सामान्य मान)। https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20Rajashtan.pdf

- India Meteorological Department, Meteorological Centre Jaipur. Monsoon Report 2025. https://mausam.imd.gov.in/jaipur/mcdata/monsoon2025.pdf
- Central Water Commission. कोटा पर चंबल के लिए 14–17 Sep 2019 के बाढ़ बुलेटिन (Wayback Machine प्रतियाँ), और राजस्थान में उसके बाढ़ पूर्वानुमान स्थलों की सूची (SANDRP द्वारा प्रतिलिपित; द्वितीयक स्रोत)। https://cwc.gov.in/sites/default/files/dfsrca14092019.pdf
- अगस्त 2006 की बाड़मेर और उदयपुर बाढ़ों, सितंबर 2019 की कोटा बाढ़, जुलाई 2022 की जोधपुर वर्षा, अगस्त 2024 में जयपुर के बेसमेंट में हुई मौतों और सितंबर 2024 और जुलाई 2025 की अजमेर बाढ़ों की समाचार रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत)।
- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01.
- Mid-America Regional Council (2025). APWA 5600 Manual Factsheet; APWA Stormwater Standards Supplement (7 Nov 2025). https://www.marc.org/document/apwa-stormwater-standards-supplement
- Mid-America Regional Council. The Evolution of Regional Stormwater Design Standards (प्रस्तुति)। https://www.marc2.org/Assets/Environment/WQEC/The_Evolution_of_Regional_Strormwater_Design_Standards.pdf
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). Section 5600, §5601.6 Waivers.
- PUB Singapore (2018, 16 Apr 2025 के Addendum No. 3 सहित). Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed.
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2008). Submission Checklist for Stormwater Management.
- Centre for Science and Environment (2023). Urban Stormwater Management (प्रस्तुति)।
- Jaipur Development Authority. Dravyavati River Rejuvenation Project, EIA/EMP Chapter 2 (Phase II), चरण I के 1 July 2016 के पर्यावरणीय अनापत्ति-पत्र (environmental clearance) सहित। https://environmentclearance.nic.in/writereaddata/FormB/EC/FORM_1/170520176S4VOAIDChapter-2.pdf
- Tata Projects (2020). NGT Monitoring Committee के समक्ष द्रव्यवती परियोजना पर प्रस्तुति, 30 Jan 2020। https://cpcb.nic.in/NGTMC/T_2_d.pdf
- Asian Development Bank (2023). Rajasthan Secondary Towns Development Sector Project, additional financing: Jodhpur storm water drainage, resettlement plan (42267-034). https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/42267/42267-034-rp-en_1.pdf
- एकीकृत वर्षा जल मॉडल के साथ JDA के 2025 के जल निकासी उन्नयन की समाचार रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत; डिजाइन आधार नहीं मिला [TBC])।

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
1A	टियर A प्राधिकारियों की सूची, नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों की सीमाओं सहित
1B	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के मानचित्र
1C	नीति अनुपूरक: विकल्प S-1 से S-5 का पाठ और आदर्श परिषद संकल्प
1D	भवन विनियम, 2025 का आदर्श संशोधन और आदर्श ULB उपविधि
प्रपत्र 1-1	प्रयोज्यता निर्धारण
प्रपत्र 1-2	विचलन / अधित्याग अनुरोध

अध्याय 2

डिजाइन वर्षा और डिजाइन वर्षा घटनाएँ

2.1 प्रयोजन और विस्तार

2.1.1 यह अध्याय इस मैनुअल की प्रत्येक जलवैज्ञानिक गणना के लिए वर्षा संबंधी इनपुट निर्धारित करता है: ड्रेन और इनलेट का आकार निर्धारण (अध्याय 6), प्रतिधारण (retention) और अस्थायी भंडारण (detention) का आकार निर्धारण (अध्याय 4), अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण (अध्याय 5), तथा जलाशय और तालाब संबंधी कार्य (अध्याय 7)।

2.1.2 यह अध्याय निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करता है:

- (a) डिजाइन वर्षा की गहराई और तीव्रता के अनुमोदित स्रोत;
- (b) गहराई को एक अवधि से दूसरी अवधि में, बिंदु से क्षेत्र में और वर्तमान जलवायु से भविष्य की जलवायु में कैसे परिवर्तित किया जाए;
- (c) डिजाइन वर्षा घटनाएँ (हायटोग्राफ) कैसे बनाई जाएँ; और
- (d) वे वर्षा घटनाएँ जिन्हें विकास-पूर्व और विकास-पश्चात स्थितियों पर लागू करना होगा।

2.1.3 यह अध्याय संपूर्ण राजस्थान में लागू होता है। जहाँ किसी नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका बोर्ड, विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास ने अध्याय 1 के अंतर्गत वर्षा का कोई अधिक कठोर मानक अंगीकार किया है, वहाँ वह अधिक कठोर मानक लागू होगा।

भाष्य. राजस्थान में जल निकासी की पिछली अधिकांश विफलताओं का कारण हाइड्रोलिक गणना नहीं, बल्कि वर्षा संबंधी इनपुट रहा है। राजस्थान इसका उदाहरण है। नगरों की ड्रेनों के डिजाइन के लिए मिला राज्य का एकमात्र नियम, 2008 का RUIDP का परिपत्र संख्या 8, RUSDIP नगरों की ड्रेनों में 1–2-वर्ष की वर्षा घटना की अपेक्षा करता था और डिजाइन तीव्रताओं को "सामान्यतः 12mm/hr से 20mm/hr की परास में" ("usually in the range of 12mm/hr to 20mm/hr") बताता था, जबकि जयपुर का IMD स्व-अभिलेखी वर्षामापी 5-वर्ष की वर्षा घटना के लिए 1 घंटे में 53.1 mm देता है (Ghate & Timbadiya, 2022)। मिला एकमात्र नगर मानक, अर्थात 100-वर्ष की वह बाढ़ जिसके लिए JDA ने द्रव्यवती को फिर से बनाया, अपनी डिजाइन प्रवाह दर या वर्षा के बिना प्रकाशित हुआ, और इस मैनुअल के लिए किसी भी नगर की वर्षा जल ड्रेन की कोई DPR, निर्दिष्ट पुनरावृत्ति अवधि और वर्षा विश्लेषण सहित, नहीं मिली। बाढ़ के बाद प्रचलित होने वाले वर्षा के आँकड़ों का प्रायः कोई स्रोत नहीं होता या वे परस्पर विरोधी होते हैं: अगस्त 2006 की बाड़मेर की वर्षा तीन दिनों में लगभग 577 mm, 72 घंटों में 600 mm और एक सप्ताह में 723–750 mm बताई गई है, और *Climate of Rajasthan* परबतसर (Parbatsar) में 780.3 mm और चित्तौड़गढ़ (Chittor) में 802.9 mm के ऐसे जिलेवार अभिलेख देता है जिनका समर्थन IMD और CWC के अन्य स्रोत नहीं करते। जो दो प्रकाशित स्रोत इस कमी को पूरा करते प्रतीत होते हैं, वे वास्तव में इसे पूरा नहीं करते। IMD Das et al. (2022) के जयपुर और जैसलमेर के पैनल वही वक्र दोहराते हैं जो शोधपत्र एक दर्जन अन्य नगरों के लिए छापता है, और जैसलमेर के लिए वह वक्र 2-वर्ष का ऐसा दैनिक मान देता है जो जिले की वार्षिक वर्षा के बराबर है; और NIH-DHAARA की पुनर्विश्लेषण (reanalysis) पर आधारित गहराइयाँ लगभग हर स्थान पर CWC प्लेटों और केंद्रों के अभिलेखों से कम हैं, बीकानेर में लगभग आधी, और 1 घंटे पर हर स्थान पर कम हैं (खंड 2.3.6)। CWC की बाढ़ आकलन रिपोर्टें उप-दैनिक (sub-daily) वर्षा का एकमात्र क्षेत्रीय स्रोत हैं, और उनके अनुपात जयपुर में 50-वर्ष की 1-घंटे की ऐसी गहराई देते हैं जो केंद्र के मान से लगभग एक-तिहाई कम है। पूरे राज्य के लिए एक पारदर्शी स्रोत और एक विधि निर्धारित करना इस अध्याय का मुख्य प्रयोजन है।

2.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
वार्षिक अतिक्रमण प्रायिकता (AEP)	यह प्रायिकता कि किसी एक वर्ष में वर्षा की दी गई गहराई के बराबर या उससे अधिक वर्षा होगी। 1% AEP की वर्षा घटना "100-वर्ष" की वर्षा घटना है। यहाँ दोनों रूप प्रयुक्त हैं: T-वर्ष = 1/AEP।
IDF / DDF	किसी स्थान के लिए तीव्रता–अवधि–आवृत्ति और गहराई–अवधि–आवृत्ति संबंध।
बिंदु वर्षा (point rainfall)	किसी एक स्थान पर हुई वर्षा, जैसी वर्षामापी द्वारा मापी जाती है।
डिजाइन वर्षा घटना (design storm)	निर्दिष्ट AEP, अवधि और कालिक वितरण वाला हायटोग्राफ (वर्षा की गहराई बनाम समय)।
क्रांतिक अवधि (critical duration)	वर्षा घटना की वह अवधि जो डिजाइन किए जा रहे घटक के लिए सबसे बड़ा चरम प्रवाह, जल स्तर या भंडारण की आवश्यकता उत्पन्न करती है।
क्षेत्रीय न्यूनीकरण गुणक (ARF)	समान AEP और अवधि के लिए जलग्रहण क्षेत्र की औसत वर्षा और बिंदु वर्षा का अनुपात।
दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (JJAS)	जून–सितंबर; राज्य की वार्षिक वर्षा का लगभग 91% दक्षिण-पश्चिम मानसून में होता है (IMD, *Climate of Rajasthan*)। वार्षिक सामान्य मान जैसलमेर जिले में 172.9 mm और श्रीगंगानगर, बाड़मेर और बीकानेर में लगभग 240–260 mm से लेकर जयपुर में 596.8 mm, कोटा में 758.7 mm, बाँसवाड़ा में 882.2 mm और झालावाड़ में 921.2 mm, और माउंट आबू में 1,677.0 mm तक हैं (IMD, 1951–2000 के जिलेवार सामान्य मान)। मानसून के आगमन (onset) की सामान्य तिथि झालावाड़ में 24 जून, उदयपुर में 25 जून, कोटा में 26 जून, जयपुर में 29 जून, अजमेर में 1 जुलाई, जोधपुर में 2 जुलाई, चूरू में 4 जुलाई, बाड़मेर में 5 जुलाई और बीकानेर और पोकरण में 6 जुलाई है, और वापसी (withdrawal) की सामान्य तिथि पोकरण में 17 सितंबर, बीकानेर में 18 सितंबर, जोधपुर और चूरू में 19 सितंबर, बाड़मेर में 20 सितंबर, अजमेर में 21 सितंबर, जयपुर में 23 सितंबर, कोटा और उदयपुर में 25 सितंबर और झालावाड़ में 28 सितंबर है (IMD, 2020 की नई सामान्य तिथियाँ)। खंड 2.11.4 का पूर्ववर्ती नमी नियम इसी ऋतु से संबंधित है; 15 जून की मानसून-पूर्व समय-सीमा सबसे पहले आगमन से पहले रखी गई है (अध्याय 10)।
ऋतु के बाहर की वर्षा घटनाएँ	बड़ी वर्षाएँ ऋतु से पहले, उसके आरंभ में और उसके बाद होती हैं। कई केंद्रों का सबसे अधिक वर्षा वाला दिन जून में है: 10 जून 2002 को अजमेर में 412.3 mm, 30 जून 1983 को उदयपुर सिटी में 292.0 mm और 23 जून 1996 को नागौर में 310.6 mm (IMD), और जून 2023 में चक्रवात बिपरजॉय अजमेर में भारी वर्षा लाया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। मानसून से पहले 26 अप्रैल 1982 को जोधपुर में 156.8 mm और 22 मई 1999 को जैसलमेर में 116.3 mm दर्ज हुए; उसके बाद 5 अक्तूबर 1989 को नसीराबाद में 500.0 mm और 5 अक्तूबर 1997 को झालावाड़ में 350.0 mm दर्ज हुए, और 9 नवंबर 1982 को डूंगरपुर में 144.6 mm और उदयपुर (डबोक) में 118.7 mm दर्ज हुए (IMD)। डिजाइन सांख्यिकी में सभी महीनों के वार्षिक अधिकतम मान प्रयुक्त होते हैं, और कोई भी कार्य की समय-सीमा या प्रचालन नियम यह नहीं मानेगा कि भारी वर्षा जून–सितंबर तक सीमित है।
जलवायु गुणक (CF)	वह गुणक जिससे वर्तमान डिजाइन गहराइयों को गुणा करके डिजाइन आयु की जलवायु का प्रतिनिधित्व किया जाता है।
अनुमोदित स्रोत	खंड 2.3 में सूचीबद्ध वर्षा का कोई स्रोत।

2.3 डिजाइन वर्षा के अनुमोदित स्रोत

2.3.1 **प्राथमिक स्रोत.** डिजाइन वर्षा की गहराइयाँ और तीव्रताएँ राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (NIH), रुड़की के **NIH-DHAARA** प्लेटफॉर्म (Design Hydrology and Advanced Rainfall Analysis, nihdhaara.in) से ली जाएँगी। साइट के निर्देशांकों के लिए, खंड 2.4 द्वारा अपेक्षित प्रत्येक अवधि और AEP के लिए, इसके IDF / आवृत्ति उपकरणों का उपयोग करें। राजस्थान में यह खंड परिशिष्ट 2A के प्रकाशित होने तक निलंबित है: अंतरिम स्रोत खंड 2.3.6 निर्धारित करता है।

2.3.2 **केंद्र IDF.** किसी केंद्र-विशिष्ट IDF संबंध का उपयोग 2.3.1 के स्थान पर केवल तभी किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

- (a) वह कम से कम 30 वर्ष के स्व-अभिलेखी वर्षामापी (recording gauge; प्रति घंटा या उससे सूक्ष्म) आँकड़ों से निकाला गया हो;
- (b) वह IMD, राज्य जलविज्ञान प्राधिकरण या अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित या अनुमोदित किया गया हो; और
- (c) वर्षामापी साइट से 10 km के भीतर हो, और बीच में भू-भाग या तटीय अनावरण में कोई बड़ा परिवर्तन न हो।

जहाँ केंद्र IDF का उपयोग किया जाता है, वहाँ डिजाइन मान केंद्र मान और NIH-DHAARA मान में से **अधिक** मान होगा।

2.3.3 **प्रति-जाँच (अनिवार्य, विकल्प नहीं).** डिजाइनकर्ता तुलना के लिए निम्नलिखित मान प्रस्तुत करेगा, किंतु उन्हें लेना उसके लिए आवश्यक नहीं है:

- (a) 1–24 h की अवधियों के लिए Das et al. (2022), *MAUSAM* 73(4) के IMD समवर्षा (isopluvial) / IDF मान;
- (b) 25–5,000 km² के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए, यथा लागू, उप-क्षेत्र 1(a) (Luni), 1(b) (Chambal), 1(e) (Upper Indo-Ganga Plains) या 3(a) (Mahi and Sabarmati) की CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट से 24-घंटे की बिंदु वर्षा।

जहाँ डिजाइन मान समान AEP के लिए CWC 1(a)/1(b)/1(e)/3(a) मान से कम है, वहाँ CWC मान को न्यूनतम सीमा (floor) के रूप में लिया जाएगा।

2.3.4 **अनुमत नहीं.** निम्नलिखित में से किसी का भी डिजाइन वर्षा के स्रोत के रूप में उपयोग नहीं किया जाएगा:

- (a) सामान्यीकृत अखिल भारतीय IDF सूत्र (उदाहरण के लिए Kothyari & Garde, 1992);
- (b) वर्षा के ऐसे मान जिनका कोई स्रोत उद्धृत नहीं है, जिनमें विक्रेता या वेब-कैलकुलेटर की तालिकाएँ सम्मिलित हैं;
- (c) किसी एक घटना के अधिकतम मान; या
- (d) किसी पिछली परियोजना से बिना निर्दिष्ट AEP के आगे लाई गई डिजाइन तीव्रताएँ।

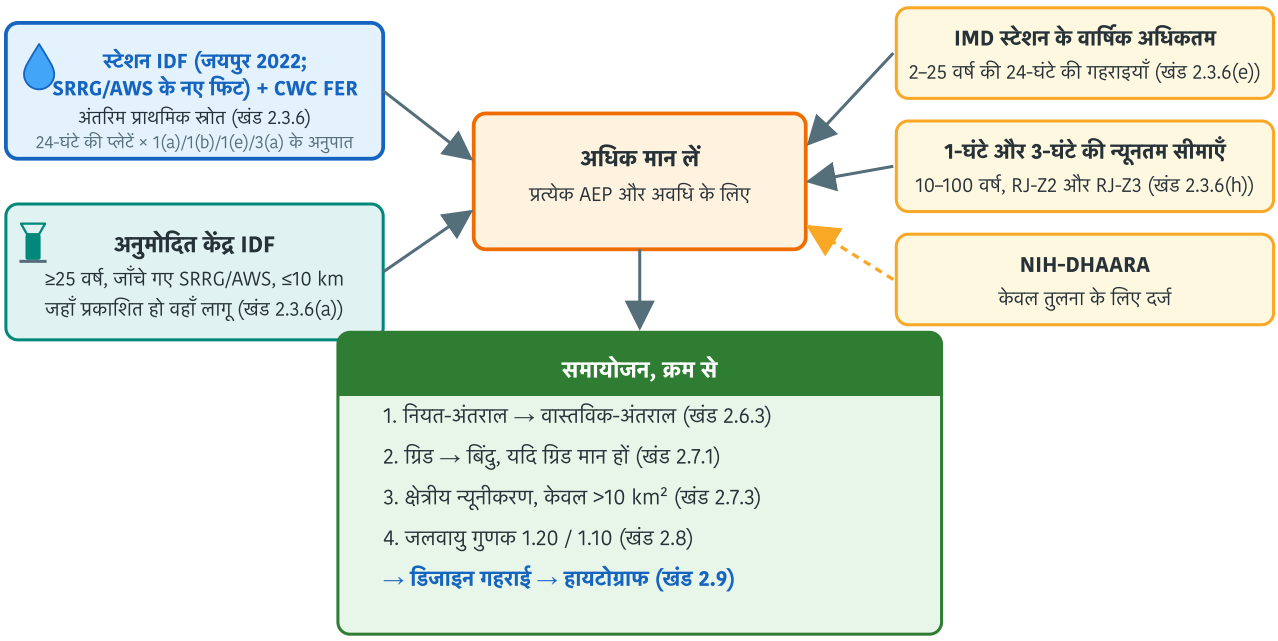

चित्र 2.1 — डिजाइन वर्षा के स्रोतों का पदानुक्रम और समायोजन का क्रम। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग।

2.3.5 **संस्करण नियंत्रण.** प्रत्येक प्रस्तुति (submittal) में स्रोत, उसका संस्करण या उपयोग की तिथि, जिन निर्देशांकों के लिए मान लिए गए, और निकाले गए मान दर्ज किए जाएँगे (खंड 2.13)।

2.3.6 **राजस्थान में अंतरिम स्रोत.** जब तक परिशिष्ट 2A प्रकाशित होकर किसी जोन के लिए NIH-DHAARA की, या किसी अनुमोदित केंद्र IDF की, पुष्टि नहीं करता, तब तक राजस्थान में खंड 2.3.1 लागू नहीं होगा, और डिजाइन वर्षा निम्नानुसार ली जाएगी:

- (a) **केंद्र IDF.** जहाँ IMD के किसी जाँचे गए स्व-अभिलेखी वर्षामापी (SRRG) या स्वचालित मौसम केंद्र के कम से कम 25 वर्ष के अभिलेख पर फिट किया गया केंद्र IDF परिशिष्ट 2B में प्रकाशित हो चुका है, वहाँ केंद्र से 10 km के भीतर, जिन अवधियों और AEP को वह सम्मिलित करता है उनके लिए, (g) और (h) के स्थान पर वही लागू होगा; तब खंड 2.3.2 की तुलना (d) से (f) की 24-घंटे और उससे अधिक अवधि की गहराइयों से की जाती है, और खंड 2.3.3 की CWC न्यूनतम सीमा फिर भी लागू होती है। कोई अभिलेख तब जाँचा गया माना जाता है जब उसके वार्षिक योगों और वार्षिक अधिकतम मानों की तुलना उस केंद्र के IMD सामान्य मानों और केंद्र के चरम मानों से की गई हो, और असंगत प्रत्येक वर्ष का स्पष्टीकरण दिया गया हो या उसे हटा दिया गया हो। एक-तिहाई नियम (खंड 2.6.4) या किसी अन्य नियत अनुपात द्वारा दैनिक आँकड़ों से निकाला गया IDF केंद्र IDF नहीं है। राजस्थान में खंड 2.3.2(a) को 30 के स्थान पर 25 वर्ष के साथ पढ़ा जाता है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित, ताकि विश्लेषण हो जाने पर राज्य के मुख्य नगरों के स्व-अभिलेखी वर्षामापी इसके योग्य हो सकें)। परिशिष्ट 2B में अभी तक कोई IDF प्रकाशित नहीं हुआ है; राज्य में अल्पकालिक वर्षा घटनाओं का एकमात्र प्रकाशित आवृत्ति विश्लेषण (b) का है।
- (b) **जयपुर.** Ghate & Timbadiya (2022) ने जयपुर के IMD स्व-अभिलेखी वर्षामापी (26°48'N, 75°48'E) के 44 वर्षों (1970–2013) के प्रति घंटा आँकड़ों का विश्लेषण किया है, और वे 1-घंटे की गहराई 5 वर्ष पर 53.1 mm और 50 वर्ष पर 93 mm देते हैं। JDA के जयपुर क्षेत्र (Jaipur Region) के भीतर 1-घंटे की डिजाइन गहराई प्रत्येक AEP के लिए नीचे दिया गया मान होगी, और उसे (g) के गुणनफल की ओर घटाया नहीं जाएगा; RJ-E में अन्यत्र यह 1-घंटे की गहराई पर न्यूनतम सीमा है। जयपुर के किसी लंबे अभिलेख पर (a) के अंतर्गत किया गया फिट वहाँ लागू होता है जहाँ वह अधिक हो, किंतु वहाँ नहीं जहाँ वह कम हो। 2, 10, 25 और 100 वर्ष के मान इस मैनुअल द्वारा, शोधपत्र के 5- और 50-वर्ष के मानों से होकर, गंबल समानीत चर (Gumbel reduced variate) पर निर्धारित किए गए हैं; लेखकों का सुझाया गया 25 वर्ष पर 70 mm का डिजाइन मान इससे कम है और प्रयुक्त नहीं किया जाता। शोधपत्र 2 से 12 घंटे की अवधियों के लिए कोई गहराई नहीं देता; उन अवधियों पर (g) और (h) लागू होते हैं।

अवधि	50% (2)	20% (5)	10% (10)	4% (25)	2% (50)	1% (100)
1 घंटा (mm)	34	53.1	66	81	93	105

- (c) **उप-क्षेत्र.** साइट का CWC उप-क्षेत्र उस बाढ़ आकलन रिपोर्ट का उप-क्षेत्र है जिसके क्षेत्र में साइट स्थित है, रिपोर्टों की प्लेटों पर खींची गई सीमाओं के अनुसार। राज्य को चार उप-क्षेत्र सम्मिलित करते हैं: 1(a) (Luni, L/20/1992), जिसमें राज्य का 202,422 km², अर्थात उसका लगभग 59%, आता है, और जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा, **जोधपुर** और फलोदी, **बीकानेर**, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, सीकर, पाली, जालोर, माउंट आबू सहित सिरोही, अजमेर जिले का पश्चिमी भाग (पुष्कर) और जयपुर जिले का पश्चिमी भाग (सांभर, फुलेरा और दूदू) सम्मिलित हैं; 1(b) (Chambal, C/16/1988), जिसमें **जयपुर** नगर और जयपुर जिले का शेष भाग, दौसा, टोंक, **अजमेर** नगर, नसीराबाद और केकड़ी सहित अजमेर जिले का पूर्वी भाग, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, **उदयपुर** नगर और उसकी झीलों सहित उदयपुर जिले का उत्तरी और पूर्वी भाग, उत्तरी प्रतापगढ़, **कोटा**, बूंदी, बाराँ, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर सम्मिलित हैं; 1(e) (Upper Indo-Ganga Plains, 1984), जिसमें भिवाड़ी और बहरोड़ सहित अलवर, भरतपुर और डीग सम्मिलित हैं; और 3(a) (Mahi and Sabarmati, MS/13/1986), जिसमें बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर जिले का दक्षिणी भाग, दक्षिणी प्रतापगढ़ और दक्षिण-पूर्वी सिरोही में साबरमती का उद्गम क्षेत्र (headwaters) सम्मिलित हैं। झुंझुनूँ, और हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर की घग्घर पट्टी, 1(a)/1(e) रेखा पर स्थित हैं। किसी उप-क्षेत्र की सीमा से 5 km के भीतर दोनों प्लेट मानों में से अधिक मान प्रयुक्त होता है, और प्रत्येक अवधि पर (g) के अंतर्गत दोनों गुणनफलों में से अधिक। यह विशेष रूप से **जयपुर** और **अजमेर** पर लागू होता है, जो 1(a) और 1(b) की सीमा पर स्थित हैं (जयपुर नगर की ड्रेनें दक्षिण की ओर ढूँढ और बनास में जाती हैं, जो 1(b) में हैं, जबकि सांभर की ओर का भाग भीतर की ओर बहता है, जो 1(a) में है; आना सागर और अजमेर का पूर्वी भाग बनास में जाते हैं, जबकि पुष्कर और पश्चिमी भाग लूणी में जाते है), और **उदयपुर** पर, जो 1(b) और 3(a) की सीमा पर स्थित है (उसकी झील-शृंखला का पानी आयड़ से होकर बनास में जाता है, जो 1(b) में है, और उसके दक्षिणी उपनगरों का पानी माही या साबरमती में, जो 3(a) में है); इन तीनों नगरों में पूरे नगर निगम क्षेत्र में अधिक मान प्रयुक्त होता है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। जिलों के नाम स्रोतों के हैं, जो 2023–24 के जिलों के पुनर्गठन से पहले के हैं; उसके बाद बना कोई जिला उस भूमि का उप-क्षेत्र लेता है जिससे वह बना था। जिलों की सूचियाँ केवल मार्गदर्शन के लिए हैं: प्लेटों की सीमाएँ लागू होती हैं, और उनकी पुष्टि रिपोर्टों के सूचकांक मानचित्रों (index maps) पर की जानी है [TBC]। साइट का वर्षा जोन और उप-भाग परिशिष्ट 2A के अनुसार हैं।

- (d) **24-घंटे की गहराई, 2% और 1% AEP (50- और 100-वर्ष).** साइट के उप-क्षेत्र की रिपोर्ट की 50- और 100-वर्ष की समवर्षा प्लेटों (1(a), 1(b) और 1(e) की प्लेट 9 और 10, और 3(a) की प्लेट 10 और 11) से पढ़ा गया साइट पर 24-घंटे का बिंदु मान, जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल चाहे जो हो। जहाँ साइट दो समोच्च रेखाओं के बीच स्थित है, वहाँ अधिक समोच्च मान प्रयुक्त होता है; जहाँ वह किसी ऐसी बंद समोच्च रेखा के भीतर स्थित है जिसके भीतर कोई उच्चतर समोच्च रेखा नहीं है, वहाँ मान उस समोच्च रेखा का मान और एक समोच्च अंतराल है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। प्लेटें साइट के निर्देशांकों से पढ़ी जाती हैं, नगरों के नाम-चिह्नों (labels) से नहीं। केवल दिशा-बोध के लिए, आँख से लगभग एक समोच्च रेखा की परिशुद्धता तक पढ़ने पर, 50-वर्ष की प्लेटें जैसलमेर में लगभग 120–160 mm और पोकरण में लगभग 120 mm, श्रीगंगानगर और नागौर में लगभग 160 mm, बीकानेर में लगभग 180 mm, बाड़मेर और अजमेर में 180–200 mm, जोधपुर, जयपुर, अलवर और धौलपुर में लगभग 200 mm, उदयपुर में 200–220 mm, भरतपुर में 220–240 mm, कोटा, टोंक और भीलवाड़ा में 240–280 mm, चित्तौड़गढ़ में और पाली–सिरोही के मैदानों पर लगभग 280 mm, झालावाड़, सवाई माधोपुर, बाँसवाड़ा और डूंगरपुर में 280–320 mm, और माउंट आबू पर 440–480 mm और उससे अधिक का एक बंद सेल देती हैं; 100-वर्ष के मान लगभग 20–40 mm अधिक हैं, और माउंट आबू पर 560 mm से अधिक। 1(a) की रिपोर्ट का हल किया गया उदाहरण, खेरवा–भूमद्रा सड़क (Kherwa–Bhumadra) पर मीठड़ी (Mithri) पर, 50 वर्ष पर 25.0 cm पढ़ता है। राज्य के केंद्रों के अभिलेख प्लेटों से बहुत अधिक हैं, जैसे जयपुर (सांगानेर) (326.0 mm), अजमेर (412.3 mm), जैसलमेर (204.0 mm, और उसी वर्षा घटना में सम में 540.0 mm), भरतपुर (630.0 mm) और माउंट आबू (653.0 mm) (IMD); जहाँ साइट के केंद्र के लिए (e) का गंबल अनुमान समान AEP के लिए अधिक है, वहाँ वही लागू होगा।

- (e) **24-घंटे की गहराई, 50%, 20%, 10% और 4% AEP (2-, 5-, 10- और 25-वर्ष).** रिपोर्टों में इनके लिए कोई प्लेट नहीं है। गहराई प्राधिकारी की सहमति से तय किए गए IMD केंद्र की, सभी महीनों की, वार्षिक अधिकतम दैनिक वर्षा शृंखला से प्राप्त गंबल (EV1) अनुमान है, जिसकी जाँच (a) के अनुसार की गई हो, और जिसे खंड 2.6.3 के नियत-अंतराल गुणक से गुणा किया जाता है। उदाहरण के

लिए, केंद्र जयपुर के लिए Jaipur (Sanganer) (A), 42348 (दैनिक अभिलेख 1901–2012); Jodhpur, 10202 (1901–2012); Bikaner, 42165 (1901–2008); उदयपुर के लिए Udaipur City, 42543 (1898–2012), और Udaipur (Dabok) (A), 42542 (1965–2010), में से अधिक; कोटा के लिए Kota, 42451 (1901–2008), और Kota (A), 42452 (1961–2012), में से अधिक; Ajmer, 42343 (1879–2012); Mount Abu, 42540 (1901–2012); Barmer, 42435 (1931–2012); Jaisalmer, 42328 (1949–2012); Sriganganagar, 42123 (1951–2012); Phalodi, 42237 (1901–2012); Sikar, 42249 (1946–2012); Jhalawar, 42555 (1930–2012); Alwar, 42255 (1956–2000); या Bharatpur, 42258 (1974–2012) है। अन्यत्र, केंद्र परिशिष्ट 2A के संभावित केंद्रों में से 30 या अधिक वर्षों के अभिलेख वाला निकटतम IMD केंद्र है। पूरा अभिलेख प्रयुक्त होता है, और किसी वर्ष को इस कारण बाहर नहीं रखा जाता कि वह असामान्य मान (outlier) है। अभिलेख का जो दिन IMD द्वारा पुष्ट नहीं है, उसे श्रृंखला से बाहर रखा जाता है, और उसे सम्मिलित करके किया गया फिट उसके बिना किए गए फिट के साथ प्रपत्र 2-1 में दर्ज किया जाता है: यह *Climate of Rajasthan* द्वारा 16 सितंबर 1900 को परबतसर (Parbatsar) के लिए दिए गए 780.3 mm और 14 जुलाई 1982 को चित्तौड़गढ़ (Chittor) के लिए दिए गए 802.9 mm पर, जिनका समर्थन CWC रिपोर्ट (परबतसर में 306.8 mm) और IMD के केंद्र चरम मान (चित्तौड़गढ़ में 227.0 mm) नहीं करते, तब तक लागू होता है जब तक IMD उनकी पुष्टि न करे [TBC]; और माउंट आबू का 8 सितंबर 1992 का दिन IMD के केंद्र चरम मानों के 653.0 mm पर प्रयुक्त होता है, और *Climate of Rajasthan* का 700.0 mm उसके साथ दर्ज किया जाता है [TBC] (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)।

- (f) **48- और 72-घंटे की गहराइयाँ.** उसी केंद्र की वार्षिक अधिकतम 2-दिवसीय और 3-दिवसीय वर्षा श्रृंखला से प्राप्त गंबल अनुमान, खंड 2.6.3 के नियत-अंतराल गुणकों के साथ, और समान AEP के लिए 24-घंटे की गहराई से कम नहीं।

- (g) **1 से 24 घंटे की अवधियाँ.** (d) या (e) की 24-घंटे की गहराई को, प्रत्येक AEP पर, तालिका 2B.1 में साइट के उप-क्षेत्र की रिपोर्ट के अनुपातों से गुणा किया जाता है: 1(a) में, रिपोर्ट के 10-वर्ष के आधार पर, 1 घंटे पर 0.36, 3 घंटे पर 0.58, 6 घंटे पर 0.72, 9 घंटे पर 0.79, 12 घंटे पर 0.85, 15 घंटे पर 0.89 और 18 घंटे पर 0.94; 1(b) में, 50-वर्ष के आधार पर, उन्हीं अवधियों पर 0.35, 0.53, 0.67, 0.74, 0.80, 0.85 और 0.90; 1(e) में 1 घंटे पर 0.34, 2 घंटे पर 0.475, 3 घंटे पर 0.56, 4 घंटे पर 0.607, 5 घंटे पर 0.647, 6 घंटे पर 0.68, 9 घंटे पर 0.77, 12 घंटे पर 0.84, 15 घंटे पर 0.89 और 18 घंटे पर 0.93; और 3(a) में 1, 3, 6, 9, 12, 15 और 18 घंटे पर 0.36, 0.57, 0.70, 0.78, 0.85, 0.89 और 0.93। 1(a) की रिपोर्ट में उसके अनुपात 5 वर्ष से अधिक की प्रत्येक पुनरावृत्ति अवधि के लिए तुलनीय पाए गए, और वह सभी के लिए अपने 10-वर्ष के अनुपातों की सिफारिश करती है; 1(b), 1(e) और 3(a) के अनुपात भी प्रत्येक AEP पर इसी प्रकार लागू किए जाते हैं (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। सारणीबद्ध अवधियों के बीच अनुपात का लघुगणकीय अक्षों पर अंतर्वेशन (interpolation) किया जाता है। इसके बाद RJ-Z2 और RJ-Z3 में 1-, 2- और 3-घंटे की गहराइयों पर (h) लागू होता है, और RJ-E में 1-घंटे की गहराई पर (b)।

- (h) **अल्पकालिक वर्षा घटनाओं के लिए न्यूनतम सीमा, 10-वर्ष और उससे दुर्लभ, RJ-Z2 और RJ-Z3 में.** 1-घंटे और 3-घंटे की गहराइयाँ (i) समान AEP के लिए (d) या (e) की 24-घंटे की गहराई के 0.37 गुना (1 घंटा) और 0.56 गुना (3 घंटे), और (ii) परिशिष्ट 2A के RJ-Z2 या RJ-Z3 में स्थित साइट के लिए निम्नलिखित मान, जो सभी इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं, इन दोनों में से अधिक से कम नहीं होंगी; 2-घंटे की गहराई समान AEP के लिए 1- और 3-घंटे के मानों के बीच लघुगणकीय अक्षों पर अंतर्वेशित मान से कम नहीं होगी:

जोन	अवधि	10% (10)	4% (25)	2% (50)	1% (100)
RJ-Z2 पूर्व और मध्य; RJ-Z3 दक्षिण और आबू की पहाड़ियाँ	1-घंटे की गहराई इससे कम नहीं (mm)	66	81	93	105
RJ-Z2 पूर्व और मध्य; RJ-Z3 दक्षिण और आबू की पहाड़ियाँ	3-घंटे की गहराई इससे कम नहीं (mm)	100	125	140	160

इसका कारण यह है कि उप-क्षेत्रों के अनुपात, जो 1984–1993 में प्रत्येक उप-क्षेत्र पर औसत किए गए स्व-अभिलेखी वर्षामापियों के छोटे अभिलेखों से निकाले गए थे, राज्य के उस एकमात्र केंद्र की अल्पकालिक वर्षा घटनाओं को कम आँकते हैं जिसका प्रकाशित विश्लेषण उपलब्ध है। जयपुर में 1(b) की प्लेटें और अनुपात 50-वर्ष की वर्षा घटना के लिए 1 घंटे में लगभग 70 mm देते हैं (लगभग 200 mm × 0.35); (b) का केंद्र विश्लेषण 93 mm देता है, जो लगभग 33% अधिक है। 25 वर्ष के लिए लेखकों के सुझाए गए डिजाइन मान, 1 घंटे में 70 mm और 24 घंटे में 190 mm, 0.37 का अनुपात देते हैं, जो राज्य के प्रत्येक उप-क्षेत्र अनुपात (0.34–0.36) से अधिक है; (i) की अनुपात-आधारित न्यूनतम सीमा 1 घंटे पर यही मान लेती है, और 3 घंटे पर यही मान 1(b) के 3-घंटे और 1-घंटे की गहराइयों के अनुपात (0.53/0.35) से गुणित करके, अर्थात 0.56। (ii) की 1-घंटे की गहराइयाँ 10, 25, 50 और 100 वर्ष पर (b) के जयपुर के मान हैं, और 3-घंटे की गहराइयाँ यही मान 0.53/0.35 से गुणित करके 5 mm तक पूर्णांकित किए गए मान हैं। ये दोनों जोनों में इसलिए लागू किए जाते हैं क्योंकि वहाँ 24-घंटे के प्लेट मान, पूर्व और मध्य में लगभग 180–320 mm और दक्षिण और आबू की पहाड़ियों में लगभग 200 mm से लेकर 480 mm से अधिक तक, अधिकांशतः जयपुर के 200 mm के बराबर या उससे अधिक हैं; जहाँ 24-घंटे की गहराई बड़ी है, जैसे हाड़ौती, वागड़ और आबू की पहाड़ियों में, वहाँ (i) की अनुपात-आधारित न्यूनतम सीमा लागू होती है। ये न्यूनतम सीमाएँ वर्तमान, वास्तविक-अंतराल (true-interval) मान हैं: खंड 2.6.3 का नियत-अंतराल गुणक इन पर नहीं लगाया जाता, और खंड 2.8 का जलवायु गुणक लगाया जाता है। शोधपत्र अपनी शृंखला के लिए 1.176–1.212 के घड़ी-घंटा संशोधन गुणक (clock-hour correction factors) बताता है, और इस मैनुअल के लिए किए गए शोध में उसके 1-घंटे के मान इस रूप में पढ़े गए कि वे 24-घंटे की गहराई पर 0.39 के गुणक के साथ दिए गए हैं; 53.1 mm और 93 mm प्रति घंटा अधिकतम मानों पर किए गए फिट हैं या इस प्रकार गुणित 24-घंटे की गहराइयाँ, और क्या वे नियत घड़ी-घंटों के लिए हैं, इसकी पुष्टि शोधपत्र से की जानी है [TBC]। ये न्यूनतम सीमाएँ अंतरिम हैं: इस मैनुअल के लिए किए गए शोध में राज्य की किसी हाल की वर्षा घटना का IMD प्रति घंटा अधिकतम मान नहीं मिला [TBC], और परिशिष्ट 2B को इन न्यूनतम सीमाओं के स्थान पर राज्य के IMD स्व-अभिलेखी वर्षामापी और स्वचालित मौसम केंद्र अभिलेखों के आवृत्ति विश्लेषण देने हैं, जिनका आरंभ जयपुर (सांगानेर), जोधपुर, उदयपुर, कोटा (A), अजमेर और बीकानेर से होगा।

- (i) **शुष्क पश्चिम और उत्तर (RJ-Z1), और ऐसे जलग्रहण क्षेत्र जिनका कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है.** RJ-Z1 में 1-घंटे या 3-घंटे की गहराई पर कोई निरपेक्ष न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और (h) लागू नहीं होता: उन अवधियों की गहराइयाँ 1(a) के अनुपातों के साथ (g) के गुणनफल हैं, या, 1(e) रेखा से 5 km के भीतर, अधिक गुणनफल। इसका कारण यह है कि जोन के किसी भी स्व-अभिलेखी वर्षामापी पर अल्पकालिक वर्षा घटनाओं का कोई विश्लेषण नहीं मिला, 1(a) के अनुपात 8 या अधिक वर्षों के अभिलेख वाले 12 स्व-अभिलेखी वर्षामापियों पर आधारित हैं, और मरुस्थल में नगर को चरम घंटा नहीं, बल्कि कई दिनों की वर्षा घटना डुबोती है: वहाँ एक-एक दिन की वर्षा वार्षिक सामान्य मान से अधिक होती है (सम में 540.0 mm, ऐसे जिले में जिसका सामान्य मान 172.9 mm है, IMD), अगस्त 2006 की बाड़मेर की वर्षा तीन दिनों में लगभग 577 mm लाई (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और जोन के बड़े भाग का कोई आउटफॉल नहीं है, इसलिए ऐसी वर्षा घटना का पानी जहाँ गिरता है वहीं रहता है। इसलिए RJ-Z1 में प्रत्येक घटक के भंडारण की जाँच, खंड 2.5.2 की अवधियों के अतिरिक्त, **72-घंटे के डिजाइन आयतन** के लिए की जाती है: (f) की 1% AEP (100-वर्ष) की 72-घंटे की डिजाइन वर्षा घटना का अपवाह आयतन, खंड 2.8 के जलवायु गुणक के साथ, भंडारण की ओर बहने वाले पूरे क्षेत्र से, बाहर से आने वाले अपवाह (run-on) सहित, विकास-पश्चात स्थिति के लिए AMC III पर खंड 3.8 द्वारा परिकलित (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। राज्य में कहीं भी, जहाँ किसी जलग्रहण क्षेत्र का कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है, वहाँ 72-घंटे का डिजाइन आयतन साइट पर या किसी सार्वजनिक बेसिन में भंडारित किया जाएगा और एक सुरक्षित अतिप्रवाह मार्ग के साथ अंतःस्यंदन और वाष्पीकरण द्वारा हटाया जाएगा, और उसे पड़ोसी की भूमि पर नहीं छोड़ा जाएगा; खंड 4.12.7 इसकी रीति निर्धारित करता है। 72-घंटे की गहराई (f) की है; RJ-Z1 में उसकी 2-दिवसीय और 3-दिवसीय शृंखलाएँ केंद्र के पूरे अभिलेख पर ली जाती हैं, जिसमें 1973, 1990, 1992 और 2006 की वर्षा घटनाएँ, जहाँ वे उसके भीतर आती हैं, सम्मिलित हैं।

- (j) **1 घंटे से कम की अवधियाँ.** इस मैनुअल के लिए किए गए शोध में राज्य के किसी भी केंद्र का 1 घंटे से कम अवधि का आवृत्ति विश्लेषण नहीं मिला। जब तक परिशिष्ट 2B ऐसा विश्लेषण नहीं देता, तब तक 1 घंटे से कम की किसी अवधि की गहराई और 1-घंटे की डिजाइन गहराई का अनुपात प्राधिकारी की सहमति से, किसी ऐसे प्रकाशित स्व-अभिलेखी वर्षामापी विश्लेषण से जिसका स्रोत बताया गया हो, तय किया जाता है और प्रपत्र 2-1 में दर्ज किया जाता है [TBC]; 1 घंटे से कम की किसी अवधि की औसत तीव्रता समान AEP की 1-घंटे की डिजाइन तीव्रता से कम नहीं होगी (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)।

- (k) **गहराइयों का क्रम.** समान AEP के लिए कोई भी गहराई किसी कम अवधि की गहराई से कम नहीं होगी।
- (l) **NIH-DHAARA.** साइट पर इसके वर्तमान मान प्रपत्र 2-1 में अंतरिम मानों के साथ, केवल तुलना के लिए, दर्ज किए जाते हैं: राज्य में वे 24 घंटे पर लगभग हर स्थान पर बहुत कम हैं, बीकानेर में लगभग आधे, हाड़ौती में बहुत अधिक, और 1 घंटे पर हर स्थान पर कम हैं (भाष्य)। खंड 2.8.4 के अंतर्गत इसकी प्रक्षेपित गहराइयाँ प्रयुक्त नहीं होतीं; इसकी प्रक्षेपित और वर्तमान गहराइयों का अनुपात तालिका 2.2 के जलवायु गुणकों की जाँच के रूप में दर्ज किया जा सकता है, और वे गुणक ही लागू होते हैं।
- (m) **IMD Das et al. (2022).** शोधपत्र के जयपुर और जैसलमेर के पैनल वही वक्र दोहराते हैं जो वह एक दर्जन अन्य नगरों के लिए छापता है, अर्थात 2–100 वर्ष के लिए 1 घंटे पर लगभग 60–109 mm/h; जैसलमेर के लिए वह वक्र लगभग 170 mm का 2-वर्ष का दैनिक मान दर्शाता है, जो जिले के 172.9 mm के वार्षिक सामान्य मान के बराबर है। किसी भी पैनल का उपयोग मान, जाँच या न्यूनतम सीमा के रूप में नहीं किया जाता, और खंड 2.3.3(a) की प्रति-जाँच प्रपत्र 2-1 में उपलब्ध नहीं के रूप में दर्ज की जाती है। पश्चिमी क्षेत्र (West region) के लिए शोधपत्र की परास, 1 घंटे पर 3–8 cm और 24 घंटे पर 8–24 cm, प्रयुक्त नहीं की जाती: शोधपत्र उस क्षेत्र के केंद्रों के नाम नहीं देता, और उसकी 24-घंटे की ऊपरी सीमा राज्य के एक दर्जन केंद्रों के अभिलेखों से कम है, जैसे जयपुर (सांगानेर) (326.0 mm, 19 जुलाई 1981) और अजमेर (412.3 mm, 10 जून 2002)।
- (n) **पिछले डिजाइन मान.** 2008 के RUIDP के परिपत्र संख्या 8 के मान, अर्थात RUSDIP नगरों की ड्रेनों के लिए 1–2 वर्ष की डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि और "सामान्यतः 12mm/hr से 20mm/hr की परास में" ("usually in the range of 12mm/hr to 20mm/hr") डिजाइन तीव्रताएँ, डिजाइन का स्रोत नहीं हैं: तालिका 2.1 की पुनरावृत्ति अवधियाँ लागू होती हैं, और ये तीव्रताएँ बिना निर्दिष्ट AEP के आगे लाई गई डिजाइन तीव्रताएँ हैं (खंड 2.3.4(d))। परिपत्र की अनुमति के अनुसार IMD के 15 वर्षों के आँकड़ों से बनाया गया IDF केवल तभी केंद्र IDF है जब वह (a) की शर्तें पूरी करता हो।
- (o) **अन्य खंड.** जहाँ खंड 2.3.2, 2.6.1, 2.7.1 और 2.13, परिशिष्ट 2A से 2C और प्रपत्र 2-1 NIH-DHAARA मान का उल्लेख करते हैं, वहाँ इस खंड के अंतर्गत प्राप्त मान अभिप्रेत है।

भाष्य. NIH-DHAARA भारत सरकार की एक संस्था का राष्ट्रीय, सार्वजनिक रूप से सुलभ उत्पाद है, और राज्य के किसी भी बिंदु के लिए इससे मान प्राप्त किए जा सकते हैं। इससे यह एक ऐसा पुनरुत्पादनीय डिफॉल्ट बनता है जिसकी जाँच अनुमोदन प्राधिकारी कर सकता है। NIH-DHAARA के उप-दैनिक मान प्रति घंटा अभिलेखों से निकाले गए हैं, दैनिक योग से विभाजित नहीं किए गए। इससे यह ड्रेन के आकार निर्धारण के लिए उपयुक्त एकमात्र सार्वजनिक स्रोत बनता है, क्योंकि ड्रेन अल्पकालिक तीव्रता पर निर्भर करती हैं। फिर भी 24 घंटे और उससे अधिक की अवधि पर इसके मानों की जाँच IMD के लंबे दैनिक अभिलेख से की जानी चाहिए (परिशिष्ट 2A)। राजस्थान में यह प्लेटफॉर्म अभी यह प्रयोजन पूरा नहीं करता। वहाँ इसके वर्तमान मान वर्षामापियों से नहीं, बल्कि IMDAA पुनर्विश्लेषण (लगभग 12 km) से आते हैं, और उनकी त्रुटि अधिकतर कम की ओर है। इसकी 50-वर्ष की 24-घंटे की गहराइयाँ राज्य के अधिकांश भाग में CWC प्लेटों और केंद्रों के अभिलेखों से कम हैं: जयपुर में 151 mm, जबकि प्लेट मान लगभग 200 mm और केंद्र विश्लेषण 194.6–249.9 mm है; अजमेर में 127 mm, जबकि प्लेट मान लगभग 180–200 mm और अभिलेख 412.3 mm है; जोधपुर में 153 mm, जबकि प्लेट मान लगभग 200 mm है; उदयपुर में 175 mm, जबकि प्लेट मान लगभग 200–220 mm है; बीकानेर में 89 mm, जबकि प्लेट मान लगभग 180 mm है; जैसलमेर में 94 mm और बाड़मेर में 123 mm, जबकि प्लेट मान लगभग 120–160 mm और 180–200 mm हैं; और माउंट आबू में 407 mm, जबकि प्लेट मान 440–480 mm और उससे अधिक है। झालावाड़ (283 mm) और बाँसवाड़ा (249 mm) में ये प्लेटों के निकट हैं, और केवल हाड़ौती में उनसे अधिक हैं: कोटा में 318 mm, जबकि प्लेट मान लगभग 240–280 mm है, और टोंक में 270 mm। इसकी 50-वर्ष की 1-घंटे की गहराइयाँ, 33–68 mm, इसकी 24-घंटे की गहराइयों की 0.16–0.45 हैं, और सबसे अधिक अनुपात वहाँ हैं जहाँ इसकी 24-घंटे की गहराइयाँ सबसे कम हैं; जयपुर में यह 46.3 mm देता है, जो केंद्र विश्लेषण के 93 mm का आधा है (NIH-DHAARA, 6–7 नवंबर 2026 को देखा गया; IMD; CWC; Ghate & Timbadiya, 2022)। जो स्रोत इतने अंतर से त्रुटि करता हो, उसे अपनाया नहीं जा सकता, इसलिए खंड 2.3.6 परिशिष्ट 2A का कार्य पूरा होने तक जयपुर के केंद्र विश्लेषण, CWC रिपोर्टों और IMD केंद्रों के लंबे अभिलेखों का उपयोग करता है, और NIH-DHAARA का उपयोग केवल तुलना के लिए और जलवायु गुणकों की जाँच के रूप में करता है। एक बात में राजस्थान गंगा के मैदान जैसा है और दूसरी में उससे भिन्न। उस मैदान की तरह, CWC के उप-दैनिक अनुपात राज्य के एकमात्र केंद्र विश्लेषण, जयपुर के

विश्लेषण, से कम मान देते हैं, और इसी कारण खंड 2.3.6(h) पूर्व और दक्षिण में 1 और 3 घंटे पर न्यूनतम सीमाएँ निर्धारित करता है। शुष्क पश्चिम में, जहाँ कोई प्रति घंटा विश्लेषण नहीं मिला, कई नगरों का कोई आउटफॉल नहीं है और एक ही दिन की वर्षा वर्ष के सामान्य मान से अधिक हो सकती है, वहाँ निर्णायक जाँच चरम घंटे की नहीं, बल्कि 72-घंटे की वर्षा घटना के आयतन की है (खंड 2.3.6(i))। जल निकासी डिजाइन का राज्य का एकमात्र मिला नियम, 2008 का RUIDP का परिपत्र संख्या 8, RUSDIP नगरों की ड्रेनों के लिए 1–2-वर्ष की वर्षा घटना और 12–20 mm/h की तीव्रताओं की अपेक्षा करता था, जो जयपुर की 53.1 mm की 5-वर्ष की 1-घंटे की गहराई का लगभग एक-चौथाई से दो-पाँचवाँ भाग है; यह व्यवहार का इतिहास है, डिजाइन का आधार नहीं (खंड 2.3.6(n))। अधिक बार होने वाले AEP के अंतरिम नियम, 48- और 72-घंटे की गहराइयाँ, प्लेटों को पढ़ने की रीति, प्रत्येक जिले का उप-क्षेत्र, 2, 10, 25 और 100 वर्ष पर जयपुर के मान, (h) की न्यूनतम सीमाएँ, 72-घंटे का डिजाइन आयतन और 1 घंटे से कम की अवधियाँ इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। कई बिंदु अनसुलझे हैं। प्लेट के मान स्कैन पर आँख से, लगभग एक समोच्च रेखा की परिशुद्धता तक, पढ़े गए थे, और जैसलमेर और श्रीगंगानगर के निकट 1(a) की प्लेटों की बेहतर प्रतियों की आवश्यकता है [TBC]। 1(a) की रिपोर्ट के समय-वितरण और क्षेत्रीय न्यूनीकरण संबंधी अनुलग्नक (annexes) स्कैन में इतने विकृत हैं कि पढ़े नहीं जा सकते [TBC], और उसका इकाई हाइड्रोग्राफ अरावली के किनारे के 18–682 km² के 7 पुल-जलग्रहण क्षेत्रों पर आधारित है, जिनमें से कोई भी टीलों वाले भू-भाग में नहीं है (अध्याय 3)। जयपुर के 1-घंटे के मानों के आधार की पुष्टि की जानी है (खंड 2.3.6(h)) [TBC]। *Climate of Rajasthan* परबतसर में 780.3 mm (1900) और चित्तौड़गढ़ (Chittor) में 802.9 mm (1982) के ऐसे जिलेवार अभिलेख देता है जिनका समर्थन CWC रिपोर्टें और IMD के केंद्र चरम मान नहीं करते, और 8 सितंबर 1992 को माउंट आबू में IMD के 653.0 mm के सामने 700.0 mm देता है; IMD द्वारा पुष्टि होने तक इन मानों पर निर्भर नहीं रहा जाता [TBC]। द्रव्यवती का 100-वर्ष का डिजाइन अपनी डिजाइन प्रवाह दर या वर्षा के बिना प्रकाशित हुआ, और किसी अन्य नगर की वर्षा जल ड्रेन की कोई DPR नहीं मिली [TBC], इसलिए अभी बन रहे जल निकासी कार्यों के डिजाइन आधार की तुलना इस खंड से नहीं की जा सकी।

2.4 डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि (सारांश)

2.4.1 डिजाइन AEP प्रत्येक घटक के लिए संबंधित अध्यायों में निर्धारित हैं। उनका सारांश यहाँ दिया गया है ताकि डिजाइन के आरंभ में ही सही वर्षा निकाली जा सके।

तालिका 2.1 — डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि (सारांश)

घटक	डिजाइन AEP (पुनरावृत्ति अवधि)	जाँच घटना	अध्याय
लघु ड्रेन: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर के केंद्रीय भाग और उच्च-घनत्व क्षेत्र	10% (10-वर्ष)	1% (100-वर्ष) सतही प्रवाह मार्ग	6
लघु ड्रेन: अन्य श्रेणी I शहरी क्षेत्र	20% (5-वर्ष)	1% सतही प्रवाह मार्ग	6
लघु ड्रेन: अन्य क्षेत्र	50% (2-वर्ष)	1% सतही प्रवाह मार्ग	6
धमनी सड़कें और क्रॉसिंग	2–4% (25–50-वर्ष)	अगला उच्चतर AEP	6
संग्राहक / स्थानीय सड़कें	4% / 10% (25 / 10-वर्ष)	2% / 4% (50 / 25-वर्ष), साथ में 1% सतही प्रवाह मार्ग	6
प्रमुख (सतही) प्रणाली	1% (100-वर्ष)	—	6
प्रतिधारण आयतन	दैनिक वर्षा का शततमक (खंड 2.10)	—	4

घटक	डिजाइन AEP (पुनरावृत्ति अवधि)	जाँच घटना	अध्याय
अस्थायी भंडारण: मानक जलग्रहण क्षेत्र	50%, 10%, 1% (2, 10, 100-वर्ष)	1% आपातकालीन स्पिलवे	4
अस्थायी भंडारण: बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र	मिश्रित-आवृत्ति नियम, खंड 2.11	1%	4
भवनों के फर्श स्तर	1% + 0.5 m फ्रीबोर्ड	—	6
अस्थायी भंडारण का आपातकालीन स्पिलवे	1%, आउटलेट अवरुद्ध मानकर	0.2% (500-वर्ष), जहाँ जोखिम अधिक हो	4

भाष्य. ये मान CPHEEO (2019) के राष्ट्रीय परामर्शी न्यूनतम मानों, 5-वर्ष (श्रेणी I शहर) और 2-वर्ष (अन्य क्षेत्र), से अधिक हैं। CPHEEO राज्य को उच्चतर मान निर्धारित करने की अनुमति देता है। ये मान अध्याय 4 और 6 में निर्धारित हैं, और सुविधा के लिए तालिका यहाँ दोहराई गई है।

2.5 डिजाइन अवधियाँ

2.5.1 **वहन घटकों** (पाइप, खुली ड्रेन, इनलेट, पुलिया) का डिजाइन योगदान देने वाले क्षेत्र के सांद्रण समय (Tc) के बराबर अवधि की तीव्रता से किया जाएगा (अध्याय 3)। न्यूनतम अवधि **10 मिनट** है।

2.5.2 **भंडारण घटकों** (अस्थायी भंडारण, प्रतिधारण, तालाब, पंप वाले संप) की जाँच समुच्चय {1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72 h} की प्रत्येक अवधि के लिए की जाएगी। सबसे बड़ा आवश्यक भंडारण या जल स्तर लागू होगा। क्रांतिक अवधि का परिणाम जो भी हो, 24-, 48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाएँ प्रत्येक साइट पर **अनिवार्य** जाँच हैं।

2.5.3 **ज्वार से प्रभावित आउटफॉल.** ज्वार से प्रभावित आउटफॉल (अध्याय 5) में खाली होने वाले भंडारण के लिए 48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाओं को खंड 2.12 की टेलवाटर सीमा-स्थिति के साथ भी चलाया जाएगा।

भाष्य. राजस्थान की सबसे भीषण बाढ़ें दो से सात दिनों की वर्षा घटनाओं से आई हैं। जयपुर में 18–20 जुलाई 1981 को नगर में तीन दिनों में 82 cm वर्षा हुई, जिसमें से 35 cm 19 जुलाई को हुई (Gupta & Jindal, 1987), और जुलाई 1981 में सांगानेर के वर्षामापी पर 956.9 mm वर्षा हुई, जो उसके वार्षिक सामान्य मान के डेढ़ गुने से अधिक है (IMD)। बाड़मेर जिले में 19–22 अगस्त 2006 को, 251.7 mm के वार्षिक सामान्य मान के सामने, तीन दिनों में लगभग 577 mm वर्षा हुई, और कवास के गर्तों में पानी महीनों तक खड़ा रहा (प्रकाशित खबरों के अनुसार); जुलाई 1990 में बाली (पाली) में छह दिनों में लगभग 714 mm वर्षा हुई (Singh et al., 1992)। मरुस्थल में एक-एक दिन की वर्षा पूरे वर्ष की वर्षा से अधिक होती है: 17 अगस्त 1973 को सम में 540.0 mm दर्ज हुए, ऐसे जिले में जिसका सामान्य मान 172.9 mm है (IMD)। जहाँ किसी नगर का कोई आउटफॉल नहीं है, जैसा पश्चिम के बड़े भाग में है, वहाँ ऐसी वर्षा घटना के पानी के पास भूमि में और वायु में जाने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं होता, और बाढ़ की गहराई उसके चरम घंटे से नहीं, बल्कि पूरी वर्षा घटना के आयतन से तय होती है। उदयपुर और अजमेर में झीलें हफ्तों की वर्षा के बाद ही अपने अतिप्रवाह स्तर (spill level) तक पहुँचती हैं, और तब आना सागर का एस्केप चैनल खोला जाता है, इसलिए झीलों और चैनलों में गिरने वाली ड्रेनों को ऐसा ऊँचा जल स्तर मिलता है जो पूरी गीली अवधि ने तय किया है। केवल क्रांतिक अवधि पर आधारित नियम, किसी छोटी साइट पर लागू करने पर, 1–2 घंटे की वर्षा घटना चुनता है और विफलता के इस रूप को छोड़ देता है। इसी कारण लंबी अवधि की जाँचें अनिवार्य हैं।

2.6 उप-दैनिक वर्षा

2.6.1 जहाँ NIH-DHAARA या कोई अनुमोदित केंद्र IDF अपेक्षित अवधि के लिए सीधे मान देता है, वहाँ वही मान प्रयुक्त किए जाएँगे।

2.6.2 जहाँ 24 घंटे से कम की किसी अवधि के लिए केवल दैनिक (24-घंटे की) गहराइयाँ उपलब्ध हैं, वहाँ उप-दैनिक गहराई **परिशिष्ट 2B के अनुपात समुच्चय** से निकाली जाएगी। ये राजस्थान के स्व-अभिलेखी वर्षामापियों से अंशांकित (calibrated) अवधि-से-24-घंटे के अनुपात हैं। ये उप-क्षेत्र (1(a), 1(b), 1(e) या 3(a)) की CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट के अनुपातों से कम नहीं होंगे। IMD Das et al. (2022) के जयपुर और जैसलमेर के पैनल एक सामान्य वक्र दोहराते हैं और प्रयुक्त नहीं किए जाते।

2.6.3 **नियत-अंतराल समायोजन.** नियत प्रेक्षण अवधियों से प्राप्त गहराइयों (उदाहरण के लिए 08:30–08:30 IST के दैनिक आँकड़े, या घड़ी के घंटे के आँकड़े) को खिसकती अवधि (sliding-window; "वास्तविक अंतराल", "true interval") की गहराइयों में परिवर्तित किया जाएगा:

- एक नियत प्रेक्षण अंतराल के लिए 1.13;
- 2 अंतरालों के लिए 1.04;
- 3–4 अंतरालों के लिए 1.02।

जहाँ अनुमोदित स्रोत पहले से ही वास्तविक-अंतराल मान देता है, वहाँ यह समायोजन लागू नहीं होता।

2.6.4 आनुभविक संबंध P(t) = P(24)·(t/24)^(1/3) का उपयोग डिजाइन के लिए तब तक नहीं किया जाएगा जब तक परिशिष्ट 2B संबंधित जोन के लिए उसकी पुष्टि न करे।

> **भाष्य.** एक-तिहाई घात का नियम भारतीय परियोजना रिपोर्टों में आम है, किंतु इस मैनुअल के लिए किए गए शोध में इसका कोई प्राथमिक IMD स्रोत नहीं मिला। यह हर स्थान पर वक्र का एक ही नियत आकार लागू करता है: P(1h)/P(24h) = 0.35, P(3h) = 0.50, P(6h) = 0.63 और P(12h) = 0.79। यह अल्पकालिक संवहनी (convective) तीव्र बौछार और दक्षिण-पश्चिम मानसून की लंबी झड़ी के अंतर को नहीं दर्शा सकता, और तटीय संवहनी वर्षा घटनाओं में अल्पकालिक गहराइयों को कम आँकने की प्रवृत्ति रखता है। परिशिष्ट 2B में जोनवार NIH-DHAARA अनुपात P(t)/P(24h) इन मानों के सामने सारणीबद्ध किए जाएँगे। उस तुलना से पता चलता है कि यह नियम राज्य में कहीं स्वीकार्य है या नहीं, और उससे पुराने दैनिक-आधारित विश्लेषण सुधरते हैं। नियत-अंतराल गुणक मानक WMO (हर्शफील्ड, Hershfield) मान हैं। IMD का 2022 का अध्ययन घड़ी के घंटे से किसी भी घंटे के लिए इसी प्रकार के संशोधन लागू करता है।

2.7 बिंदु, ग्रिड और क्षेत्रीय वर्षा

2.7.1 डिजाइन गहराइयाँ बिंदु मान हैं। जहाँ कोई अनुमोदित स्रोत ग्रिड-औसत मान (उदाहरण के लिए 0.25° के सेल) देता है, वहाँ उपयोग से पहले उन्हें परिशिष्ट 2C के ग्रिड-से-बिंदु गुणकों से बिंदु मानों में परिवर्तित किया जाएगा।

2.7.2 **≤ 10 km²** के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए ARF = 1.0।

2.7.3 **> 10 km²** के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए ARF निम्नानुसार लागू करें:

- उप-क्षेत्र 1(a), 1(b), 1(e) या 3(a) में 25–5,000 km² के लिए: लागू CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट के ARF वक्रों का उपयोग करें;
- 10–25 km² के लिए: 10 km² पर ARF = 1.0 और 25 km² पर CWC मान के बीच रैखिक अंतर्वेशन करें।

2.7.4 किसी एकल विकास साइट के भंडारण डिजाइन पर ARF कभी लागू नहीं किया जाएगा।

भाष्य. ग्रिड-आधारित और जिला-औसत पुनरावृत्ति स्तर बिंदु मानों से बहुत कम होते हैं। उदाहरण के लिए, जयपुर में NIH-DHAARA का IMDAA सेल लगभग 151 mm की 50-वर्ष की 24-घंटे की गहराई देता है, जबकि CWC प्लेट लगभग 200 mm देती है और जयपुर (सांगानेर) वर्षामापी पर 326.0 mm (19 जुलाई 1981) दर्ज हो चुकी है; अजमेर में उसका सेल लगभग 127 mm देता है, जबकि अजमेर वर्षामापी पर 412.3 mm (10 जून 2002) दर्ज हो चुकी है; और बीकानेर में उसका सेल लगभग 89 mm देता है, जो लगभग 180 mm के प्लेट मान का आधा है (NIH-DHAARA, 6–7 नवंबर 2026 को देखा गया; IMD; CWC FER 1(a) और 1(b))। हाड़ौती में वही उत्पाद दूसरी दिशा में त्रुटि करता है: कोटा में लगभग 318 mm, जबकि प्लेट मान लगभग 240–280 mm है। एकल वर्षा घटनाएँ इतने छोटे पैमाने पर असमान होती हैं जिसे लगभग 12 km का कोई भी सेल नहीं दर्शा सकता: 19 जुलाई 1981 को कानोता में 589.2 mm और दौसा में 550.0 mm दर्ज हुए, जबकि कुछ किलोमीटर दूर सांगानेर में 326.0 mm दर्ज हुए (IMD)। परिशिष्ट 2C के गुणकों के बिना इनमें से किसी भी त्रुटि को ठीक नहीं किया जा सकता। ग्रिड मानों को बिना संशोधन के बिंदु मानों के रूप में प्रयुक्त करने से साइट-स्तरीय डिजाइन असुरक्षित हो जाएगा।

2.8 जलवायु गुणक

2.8.1 जब तक भविष्य की जलवायु के लिए राज्यव्यापी वर्षा उत्पाद अंगीकार नहीं किया जाता, तब तक वर्तमान डिजाइन गहराइयों को निम्नलिखित अंतरिम जलवायु गुणकों से गुणा किया जाएगा:

तालिका 2.2 — अंतरिम जलवायु गुणक

अवधि	जलवायु गुणक (CF)
≤ 6 h	**1.20**
> 6 h से 72 h	**1.10**

2.8.2 CF 25 वर्ष से अधिक डिजाइन आयु वाले सभी घटकों पर लागू होता है। अस्थायी कार्यों (डिजाइन आयु ≤ 5 वर्ष) के लिए CF = 1.0।

2.8.3 जलवायु गुणक प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (खंड 2.10) या जल गुणवत्ता आयतन की गहराई (अध्याय 8) पर लागू नहीं होता। वे गहराइयाँ रोजमर्रा की वर्षा के शततमक या बार-बार होने वाली घटनाओं की सांख्यिकी हैं, AEP डिजाइन मान नहीं।

2.8.4 जहाँ NIH-DHAARA, या खंड 2.14 के अंतर्गत समीक्षा पर अंगीकृत कोई उत्पाद, भविष्य की जलवायु की प्रक्षेपित गहराइयाँ देता है, वहाँ वे गहराइयाँ अंतरिम गुणकों का स्थान लेंगी।

भाष्य. CPHEEO (2019) राष्ट्रीय स्तर पर नियत जलवायु गुणक को "व्यवहार्य नहीं" ("not feasible") मानता है और उसके स्थान पर प्रवृत्ति परीक्षण की सिफारिश करता है। इससे डिजाइनकर्ताओं के पास कोई प्रयोग योग्य संख्या नहीं रहती। 1.20 का अल्पकालिक गुणक CPHEEO द्वारा स्वयं उद्धृत UK मान के अनुरूप है। यह भारत के लिए प्रकाशित प्रक्षेपणों के बराबर या उनसे कम है: Ali और Mishra (2018) 1.5 °C तापन पर 3-घंटे के 100-वर्ष के अधिकतम मानों में लगभग 20% और 2.0 °C पर 25% वृद्धि का प्रक्षेपण करते हैं। राजस्थान में कोई डिजाइन वृद्धि गुणक अंगीकार नहीं किया गया है। प्रवृत्तियों के साक्ष्य अलग-अलग दिशाओं की ओर संकेत करते हैं। बताया गया है कि 1989–2018 के IMD के विश्लेषण में किसी भी जिले की मानसून या वार्षिक वर्षा में कोई सार्थक (significant) प्रवृत्ति नहीं मिली, जबकि दक्षिण-पूर्व में भारी वर्षा वाले दिनों में सार्थक वृद्धि मिली (सारांश के अनुसार [TBC]); उसी अवधि के IMD के एक विश्लेषण की एक समाचार रिपोर्ट भारी वर्षा वाले दिनों में, विशेषकर पश्चिम में, वृद्धि बताती है, और यह भी कि 2010 के बाद से पश्चिमी राजस्थान की सामान्य वर्षा 32% बढ़ी है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); 1871–2016 का एक अध्ययन पश्चिमी राजस्थान में मानसून और वार्षिक वर्षा में वृद्धि पाता है (Mehta & Yadav, 2022, केवल सार); और जयपुर के चरम मान 1970–2013 में एक असार्थक (non-significant) गिरावट दर्शाते हैं

(Ghate & Timbadiya, 2022)। हाल के चरम मान कम नहीं हुए हैं: माउंट आबू (1992), पचपदरा (1992), नागौर (1996), भरतपुर (1996 और 2003), कोटा (A) (2001), अजमेर (2002) और चित्तौड़गढ़ (2008) में उनके सर्वाधिक दैनिक मान 1984–1993 की CWC प्लेटें बनाए जाने के बाद दर्ज हुए, जैसलमेर में अगस्त 2006 उसका सबसे अधिक वर्षा वाला महीना रहा (IMD), नैनवाँ (बूंदी) में 23 अगस्त 2025 को 502 mm दर्ज हुए, और 2025 की ऋतु 1901 के बाद राज्य की दूसरी सबसे अधिक वर्षा वाली ऋतु रही (IMD)। गंगा के मैदान के विपरीत, शुष्क पश्चिम संभवतः अधिक गीला हो रहा है, जिससे वहाँ खंड 2.3.6(i) की 72-घंटे की आयतन जाँच वृद्धि गुणक से अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। NIH-DHAARA एक प्रक्षेपण देता है, किंतु उसी मॉडल का कोई ऐतिहासिक रन नहीं देता, इसलिए भविष्य और वर्तमान गहराइयों का कोई अनुपात नहीं बनाया जा सकता; खंड 2.3.6(l) के अंतर्गत यह केवल जाँच का काम करेगा। अतः तालिका 2.2 के गुणक अंतरिम मान हैं, राजस्थान के अनुमान नहीं।

2.9 कालिक वितरण (डिजाइन हायटोग्राफ)

2.9.1 **24 घंटे तक की वर्षा घटनाएँ.** नेस्टेड **ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक** विधि (alternating block method) का उपयोग करें:

- वर्षा घटना को उसी IDF संबंध से (जलवायु गुणक लगाने के बाद) ऐसे समय पदों पर बनाएँ जो Tc/3 से अधिक न हों और 15 मिनट से अधिक न हों;
- चरम ब्लॉक को वर्षा घटना की अवधि के **50%** पर रखें।

2.9.2 **48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाएँ (दक्षिण-पश्चिम मानसून पैटर्न).** निम्नानुसार बनाएँ:

- (a) वर्षा घटना की कुल गहराई पूरी अवधि (48 या 72 h) की डिजाइन गहराई के बराबर होती है।
- (b) **अंतिम 24 घंटों** में समान AEP की 24-घंटे की डिजाइन गहराई होती है, जो 2.9.1 की ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक विधि से वितरित की जाती है।
- (c) शेष गहराई (कुल में से 24-घंटे की गहराई घटाकर) पिछले 24 या 48 घंटों में समान रूप से फैलाई जाती है।

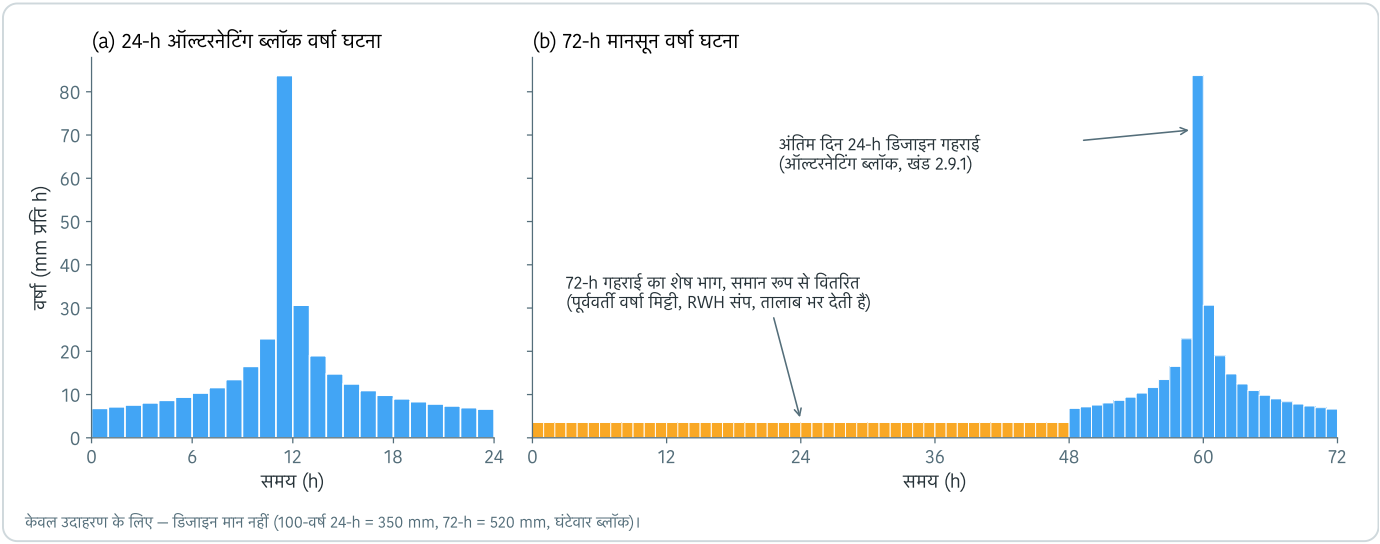

चित्र 2.2 — (a) 24-घंटे की ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक डिजाइन वर्षा घटना; (b) 72-घंटे की दक्षिण-पश्चिम मानसून डिजाइन वर्षा घटना, जिसमें 24-घंटे की डिजाइन गहराई अंतिम दिन पर है। गहराइयाँ केवल उदाहरण के लिए। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग। ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक विधि Chow, Maidment & Mays, Applied Hydrology (1988), §14.4 के अनुसार है।

2.9.3 **अन्य कालिक वितरण.** राजस्थान की वर्षा घटनाओं से निकाले गए हफ (Huff) प्रकार या संचयी वक्र (mass-curve) पैटर्न का उपयोग 2.9.1 और 2.9.2 के स्थान पर केवल परिशिष्ट 2D में उनके प्रकाशित होने के बाद किया जा सकता है। SCS Type I, IA, II और III वितरणों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

2.9.4 **बड़े जलग्रहण क्षेत्र.** 25–5,000 km² के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट के समय-वितरण वक्रों का उपयोग किया जा सकता है, और 2.9.1 के साथ एक संवेदनशीलता रन (sensitivity run) प्रस्तुत किया जाएगा।

> **भाष्य.** ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक वर्षा घटना प्रत्येक कम अवधि की डिजाइन तीव्रता को एक ही हायटोग्राफ में समाहित करती है। इससे यह सुरक्षित पक्ष की (conservative) और सभी अवधियों में सुसंगत बनती है। 72-घंटे का पैटर्न सबसे तीव्र दिन को अंत में रखता है। यह राजस्थान के मानसून के क्रम को दोहराता है: सबसे भारी वर्षाएँ जुलाई-सितंबर में उन मानसून अवदाबों से आती हैं जो अपने मार्ग के अंतिम भाग में राज्य तक पहुँचते हैं, और वे ऐसे कई दिनों की वर्षा के बाद आती हैं जिसने रेत को गीला कर दिया होता है, तालाबों (talab) और मरुस्थलीय नगरों के गर्तों को भर दिया होता है, हाड़ौती की काली मिट्टी की दरारें बंद कर दी होती हैं, उदयपुर और अजमेर की झीलों को उनके अतिप्रवाह स्तर तक पहुँचा दिया होता है, और प्रतिप्रवाह के डैमों से छोड़े गए पानी के साथ कोटा में चंबल को ऊँचा कर दिया होता है। SCS वितरण इसलिए बाहर रखे गए हैं क्योंकि वे अमेरिका की संवहनी और खाड़ी (Gulf) वर्षा घटनाओं के आँकड़ों से बने हैं और राजस्थान के अभिलेखों में उनका कोई आधार नहीं है।

2.10 प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई

2.10.1 **प्रतिधारण डिजाइन गहराई** 24-घंटे की वर्षा की वह गहराई है जो दीर्घकालिक अभिलेख में वर्षा वाले (≥ 2.5 mm) **90%** दिनों में पार नहीं होती, और इसे परिशिष्ट 2E के जोन मान से पढ़ा जाता है।

2.10.2 साइट को इस गहराई से उत्पन्न अपवाह को साइट पर ही प्रतिधारित करना होगा (अध्याय 4)। प्रतिधारण से अस्थायी भंडारण क्रेडिट मिलता है, जो प्रतिधारण को यथास्थान रखकर रूटिंग करने पर आवश्यक अस्थायी भंडारण में पाई गई कमी के बराबर होता है (खंड 4.4.6)। यह क्रेडिट प्रतिधारित आयतन को एक-के-बदले-एक घटाना नहीं है।

> **भाष्य.** यह Kansas City Metro APWA 5600 (2025.01) की आवश्यक प्रतिधारण आयतन (Required Retention Volume) अवधारणा और जॉर्जिया के 1.0-इंच अपवाह कमी मानक के अनुसार है। दोनों शततमक वर्षा घटनाओं पर आधारित हैं। शततमक गहराई रोजमर्रा की वर्षा की सांख्यिकी है, AEP मान नहीं, इसलिए इसकी गणना आवृत्ति वक्रों से नहीं बल्कि दैनिक अभिलेख से की जाती है।

2.11 विकास-पूर्व और विकास-पश्चात तुलना के लिए डिजाइन वर्षा घटनाएँ

2.11.1 **दोनों परिदृश्यों के लिए एक ही वर्षा घटना.** विकास-पूर्व और विकास-पश्चात रन में एक ही डिजाइन वर्षा घटनाएँ प्रयुक्त की जाएँगी:

- वही AEP, अवधि, कालिक वितरण और जलवायु गुणक;
- वही पूर्ववर्ती नमी स्थिति (AMC) (खंड 2.11.4)।

दोनों रन केवल भू-सतह प्राचलों और Tc में भिन्न होते हैं।

2.11.2 **मानक जलग्रहण क्षेत्र.** 50%, 10% और 1% AEP की प्रत्येक वर्षा घटना और खंड 2.5.2 की प्रत्येक अवधि के लिए:

> $Q_{post}(T) \le 0.9 \times Q_{pre}(T)$

2.11.3 **बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र** (जैसा अध्याय 4 में सूचीबद्ध है: जयपुर में द्रव्यवती और निचली कॉलोनियों के जलग्रहण क्षेत्र, जोधपुर में जोजरी और पुराने शहर के, उदयपुर की झील-शृंखला के, अजमेर में आना सागर और उसके एस्केप चैनल के, कोटा में चंबल के, और बालोतरा और बाड़मेर में लूणी के जलग्रहण क्षेत्र, और प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित कोई भी जलग्रहण क्षेत्र)। **मिश्रित-आवृत्ति नियम** (mixed-frequency rule) लागू होता है:

> Q_post(1% AEP, 100-yr) ≤ Q_pre(10% AEP, 10-yr), और Q_post(50% AEP, 2-yr) ≤ Q_pre(50% AEP, 2-yr),

विकास-पश्चात चरम प्रवाह की जाँच खंड 2.5.2 की प्रत्येक अवधि के लिए की जाती है। सीमाएँ **विकास-पूर्व क्रांतिक अवधि** पर ली जाती हैं। 10-वर्ष की सीमा सभी अवधियों में विकास-पूर्व 10-वर्ष का सबसे बड़ा चरम प्रवाह है, और 2-वर्ष की सीमा सभी अवधियों में विकास-पूर्व 2-वर्ष का सबसे बड़ा चरम प्रवाह है। प्रत्येक सीमा विकास-पश्चात की प्रत्येक अवधि पर लागू होती है।

2.11.4 **पूर्ववर्ती नमी.** परिशिष्ट 2A के उप-भाग RJ-G हाड़ौती और चंबल या RJ-H मेवाड़ और वागड़ में स्थित साइट पर, और राज्य में कहीं भी काली मिट्टी (वर्टिसोल, vertisols) पर (खंड 3.7.2), 15 अगस्त से 15 सितंबर तक प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए, उसकी अवधि जो भी हो, **AMC III** (गीली स्थिति) का उपयोग करें। किसी अन्य समय पर, और प्रत्येक अन्य साइट पर, ऐसी डिजाइन वर्षा घटना के लिए AMC III का उपयोग करें जो 53 mm से अधिक के 5-दिवसीय वर्षा योग के बाद आती हो या उसे अपने भीतर रखती हो। अन्य प्रत्येक वर्षा घटना के लिए AMC II (औसत स्थिति) का उपयोग करें। डिजाइन के लिए AMC I का उपयोग नहीं किया जाता।

2.11.5 **विकास-पूर्व स्थिति.** विकास-पूर्व स्थिति अध्याय 3 में परिभाषित है: अविकसित खुली भूमि (greenfield), अर्थात मानचित्रित जलवैज्ञानिक मृदा समूह के लिए अच्छी दशा वाली खुली भूमि। विद्यमान अपारगम्य आवरण को विकास-पूर्व स्थिति में नहीं गिना जाता।

> **भाष्य.** प्रत्येक साइट के विकास-पश्चात चरम प्रवाह को उसी साइट के विकास-पूर्व चरम प्रवाह के बराबर करने से जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा नहीं होती। डेनवर के विश्लेषण में पाया गया कि प्रत्येक साइट पर 100% मिलान करने पर भी अनुप्रवाह में ऐतिहासिक चरम प्रवाह का 106% उत्पन्न हुआ, जिससे 90% का नियम बना। मिश्रित-आवृत्ति नियम इससे अधिक कठोर है। यह 100-वर्ष की विकास-पश्चात निकासी को उस प्रवाह तक सीमित करता है जो अविकसित साइट 10-वर्ष की वर्षा घटना में उत्पन्न करती थी। मलेशिया (DID 2008: सभी ARI ≤ विकास-पूर्व 2-वर्ष) इस प्रकार की सीमा का एक उष्णकटिबंधीय पूर्व-उदाहरण है। लंबी वर्षा घटनाओं के लिए AMC III इस तथ्य को दर्शाता है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की चरम वर्षाएँ हफ्तों की वर्षा के बाद आती हैं। राजस्थान में यह केवल आंशिक रूप से सही है। राज्य के अधिकांश भाग में भूमि वर्ष के अधिकांश समय सूखी रहती है, भूजल स्तर गहरा है, मानसून से पहले लगभग एक-पाँचवें कुओं में भूमि से 40 m से अधिक नीचे (CGWB), और पश्चिम के टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत पहली वर्षा को तेजी से सोख लेती है; वहाँ मौसमी AMC III अपवाह को बढ़ा-चढ़ाकर आँकेगा, इसलिए AMC II डिफॉल्ट है (खंड 2.11.4)। अपवाद हाड़ौती की काली मिट्टी (वर्टिसोल, vertisol) और मेवाड़ की मिश्रित लाल-और-काली मिट्टी है, जो सूखी ऋतु में फट जाती है, किंतु गीली होकर दरारें बंद हो जाने के बाद चंबल श्रेणी (Chambal series) में लगभग 1–3 mm/h की दर से ही पानी सोखती है (Nathani et al., सारांश के अनुसार), और चंबल उप-क्षेत्र के लिए CWC की हानि दर, 1.7 mm/h, राज्य में सबसे कम है। मानसून हाड़ौती और मेवाड़ में सबसे पहले पहुँचता है (झालावाड़ 24 जून, उदयपुर 25 जून, कोटा 26 जून) और वहाँ से सबसे बाद में लौटता है (25–28 सितंबर) (IMD), इसलिए अगस्त के मध्य तक उनकी मिट्टी की दरारें बंद हो चुकी होती हैं। इसलिए यह मैनुअल RJ-G और RJ-H में और कहीं भी काली मिट्टी पर 15 अगस्त से 15 सितंबर तक AMC III लेता है (मध्य भारत की काली मिट्टी के लिए प्रयुक्त तिथि से एक महीना बाद, क्योंकि यहाँ मानसून बाद में आता है), और किसी अन्य समय पर केवल 53 mm से अधिक के 5-दिवसीय योग के बाद, जो AMC III के लिए NRCS की वृद्धि-ऋतु (growing-season) सीमा है। थार में भी AMC I का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ निर्णायक वर्षा घटनाएँ कई दिनों की होती हैं जो मिट्टी की परत को गीला कर देती हैं, जैसे 2006 में बाड़मेर में। ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित अंतरिम विकल्प हैं; राज्य के किसी भी अध्ययन ने अभी तक प्रेक्षित अपवाह से AMC वर्गों का वैधीकरण नहीं किया है।

> **मिश्रित-आवृत्ति नियम का उदाहरणार्थ परिमाण.** नीचे दिए गए मान डिजाइन मान नहीं हैं। इनमें दक्षिणी जयपुर में द्रव्यवती के एक सहायक नाले पर स्थित एक कॉलोनी में 2 ha की साइट मानी गई है, जिसमें 24-h गहराइयाँ 200 mm (10-वर्ष) और 350 mm (100-वर्ष), Ia = 0.2S के साथ SCS-CN अपवाह, और विकास-पूर्व CN 70 तथा विकास-पश्चात CN 92 हैं:

तालिका 2.3 — मिश्रित-आवृत्ति नियम का उदाहरणार्थ परिमाण (डिजाइन मान नहीं)

स्थिति	अपवाह की गहराई	अपवाह आयतन (2 ha)
विकास-पूर्व, 10-वर्ष 24 h	111 mm	2,210 m^3
विकास-पश्चात, 100-वर्ष 24 h	325 mm	6,500 m^3

विकास-पश्चात 100-वर्ष की वर्षा घटना विकास-पूर्व 10-वर्ष की वर्षा घटना से लगभग तीन गुना अपवाह आयतन उत्पन्न करती है। विकास-पूर्व 10-वर्ष के स्तर पर चरम दर की सीमा का अर्थ है कि अधिकांश अंतर को भंडारित करके धीरे-धीरे छोड़ना होगा, इसलिए साइट के प्रति m^2 लगभग 0.2 m^3 के क्रम का भंडारण आवश्यक हो सकता है। इसी कारण यह नियम केवल बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों में लागू होता है (खंड 2.11.3); अन्यत्र खंड 2.11.2 का 0.9 × Q_pre नियम लागू होता है।

2.12 टेलवाटर के साथ संयुक्त घटना

2.12.1 ज्वारीय या नदी के पश्चजल (backwater) प्रभाव वाले आउटफॉल के लिए इस अध्याय की डिजाइन वर्षा को अध्याय 5 की टेलवाटर स्थितियों के साथ निम्नानुसार संयोजित किया जाएगा। अधिक गंभीर स्थिति लागू होगी।

- (a) डिजाइन वर्षा (अपेक्षित AEP) के साथ वृहत् ज्वार का औसत उच्च जल स्तर (MHWS) टेलवाटर और समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई।
- (b) 10% AEP (10-वर्ष) की 48-घंटे की वर्षा घटना के साथ 1% AEP का स्थिर जल स्तर (ज्वार और तूफानी महोर्मि) और समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई।

राजस्थान का कोई तट नहीं है, इसलिए राज्य का कोई आउटफॉल ज्वारीय नहीं है और स्थितियाँ (a) और (b) उत्पन्न नहीं होतीं। टेलवाटर वह नदी या झील है जिसमें कोई नगर अपना पानी छोड़ता है, वे नाले और तालाब हैं जिनमें स्थानीय ड्रेनें पानी छोड़ती हैं, या, जहाँ किसी नगर का कोई आउटफॉल नहीं है, वह गर्त है जिसमें उसका अपवाह एकत्र होता है। नदी या झील के पश्चजल वाले आउटफॉल के लिए साइट की वर्षा घटना को खंड 5.8.4 के अंतर्गत प्राप्तकर्ता जलाशय (receiving water) के जल स्तर के साथ संयोजित किया जाता है, जो स्थिति (b) की ही तरह एक ओर डिजाइन घटना को दूसरी ओर 10-वर्ष की घटना के साथ जोड़ता है। चंबल पर कोटा सिटी (Kota City) के CWC स्थल का खतरे का स्तर 242 m और उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) 248.68 m है, जो 16 सितंबर 2019 को दर्ज हुआ, जब कोटा बैराज (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 260.3 m) से, गाँधी सागर और राणा प्रताप सागर से छोड़े गए पानी के बाद, लगभग 6.5–6.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबर थी (CWC; छोड़ा गया पानी प्रकाशित खबरों के अनुसार); HFL खतरे के स्तर से 6.7 m ऊपर है, इसलिए उससे नीचे का कोई आउटफॉल कई दिनों तक बंद रह सकता है। धौलपुर में खतरे का स्तर 130.79 m और HFL 145.54 m (23 अगस्त 1996) है (CWC)। HFL बालोतरा पर लूणी के लिए 108.755 m (18 जुलाई 1979), टोंक पर बनास के लिए 262.05 m (9 सितंबर 1973) और आबू रोड पर पश्चिमी बनास के लिए 265.4 m (31 अगस्त 1973) हैं (CWC की सूची से प्रतिलिपि के अनुसार; CWC के स्थल-पत्रक पढ़े नहीं गए [TBC])। जोधपुर में कायलाना और तख्त सागर के जलाशय के पूर्ण जल स्तर 273.7 m और 269.75 m हैं (NIH, 2025)। उदयपुर और अजमेर की झीलों का प्रबंधन फुट में ऐसे गेजों पर किया जाता है जिनका शून्य नहीं मिला है: पिछोला 11 ft पर पूर्ण होती है, और फतह सागर 13 ft पर (एक रिपोर्ट 14 ft बताती है), उदय सागर 24 ft पर और आना सागर 13 ft पर पूर्ण होते हैं, और आना सागर को इसी स्तर पर उसका एस्केप चैनल खोलकर रखा जाता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); मीटर में उनके स्तरों की पुष्टि की जानी है [TBC]। जयपुर में द्रव्यवती को 100-वर्ष की बाढ़ पार कराने के लिए फिर से बनाया गया, किंतु उसके डिजाइन स्तर और प्रवाह दर नहीं मिले [TBC]। राज्य का लगभग 60% भाग भीतर की ओर बहता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); अंतःस्थलीय जल निकासी वाले नगर का कोई

बाहरी टेलवाटर नहीं होता, और उसका अपवाह ऐसे गर्त में एकत्र होता है जिसका स्तर वर्षा घटना के दौरान बढ़ता जाता है, इसलिए खंड 2.3.6(i) और खंड 4.12.7 लागू होते हैं। जब कोई झील अपने अतिप्रवाह स्तर पर हो या चंबल ऊँची हो, तब उनमें गिरने वाले आउटफॉल रुक जाते हैं, इसलिए भंडारण और पंपों की जाँच आउटफॉल-बंद स्थिति के लिए की जाती है, जिसमें स्थानीय वर्षा घटना ऊँचे जल से पहले, उसके दौरान या उसके बाद हो। इस मैनुअल के लिए किए गए शोध में ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जो राज्य के किसी नगर के आउटफॉल के लिए प्राप्तकर्ता जलाशय का डिजाइन जल स्तर निर्धारित करता हो [TBC], और अंतरिम नियम अध्याय 5 निर्धारित करता है: झील के लिए, WRD या अभिरक्षक से प्राप्त उसका अधिकतम जल स्तर, या उसका पूर्ण जल स्तर और डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज (surcharge), और जहाँ इनमें से कोई प्रकाशित न हो, वहाँ पूर्ण जल स्तर और 0.5 m (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित); नदी के लिए, निकटतम गेज पर दर्ज उच्चतम स्तर से संबंधित स्तर। जैसा अध्याय 5 अपेक्षित करता है, प्रत्येक स्तर किसी नामित डेटम पर बताया जाता है; यहाँ उद्धृत स्तरों के डेटम की पुष्टि की जानी है [TBC]।

> **भाष्य.** राजस्थान का कोई तट नहीं है, इसलिए कोई आउटफॉल ज्वारीय नहीं है और कोई तूफानी महोर्मि (storm surge) नहीं है; संयोगी (coincident) भार उन नदियों और झीलों का जल स्तर है जो नगरीय ड्रेनों का पानी प्राप्त करती हैं, या, जहाँ किसी नगर का कोई आउटफॉल नहीं है, उस गर्त में पहले से खड़ा पानी जिसमें उसका पानी जाता है। यह संयोग अभिलेख में दर्ज है। सितंबर 2019 में कोटा सिटी पर चंबल अपने दर्ज उच्चतम स्तर, 248.68 m, तक पहुँची (CWC), जबकि प्रतिप्रवाह के डैमों से छोड़े गए पानी के बाद कोटा बैराज से लगभग 6.5–6.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया और कोटा के निचले क्षेत्र खाली कराए गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); अजमेर में आना सागर का एस्केप चैनल उन्हीं वर्षा घटनाओं में खोला गया जिनसे 11 सितंबर 2024 और 18–20 जुलाई 2025 को नगर जलभराव से ग्रस्त हुआ (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और उदयपुर में झीलें उन वर्षा घटनाओं में आयड़ में और आगे उदय सागर तक उफनती हैं जिनसे नगर की कॉलोनियों में बाढ़ आती है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। ये स्तर ऊपर के जलग्रहण क्षेत्रों की वर्षा और गेटों के प्रचालन से तय होते हैं, इसलिए वे उस स्थानीय वर्षा घटना की कोई चेतावनी नहीं देते जो उनके ऊँचे रहने के दौरान होती है। स्रोतों के स्तर अलग-अलग डेटम पर हैं, और उदयपुर और अजमेर की झीलों के स्तर फुट में ऐसे गेजों पर रखे जाते हैं जिनका शून्य नहीं मिला है, और इसी कारण अध्याय 5 अपेक्षित करता है कि प्रत्येक स्तर अपना डेटम बताए। क्योंकि वर्षा और महोर्मि का मौसमी कारण एक ही होता है (राजस्थान में, जिसका कोई तट नहीं है, महोर्मि का समकक्ष उन नदियों और झीलों का जल स्तर है जो नगरीय ड्रेनों का पानी प्राप्त करती हैं, और जो उन्हीं मानसूनी प्रणालियों से, जो नगरों में सबसे भारी वर्षा लाती हैं, और उनके ऊपर के डैमों और गेटों से छोड़े गए पानी से बढ़ता है: सितंबर 2019 में कोटा सिटी पर चंबल अपने दर्ज उच्चतम स्तर, 248.68 m, तक पहुँची (CWC), जबकि प्रतिप्रवाह में गाँधी सागर और राणा प्रताप सागर से छोड़े गए पानी के बाद कोटा बैराज से लगभग 6.5–6.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया, और जुलाई 2025 में उस वर्षा घटना में आना सागर का एस्केप चैनल खोला गया जिससे अजमेर में बाढ़ आई, दोनों प्रकाशित खबरों के अनुसार), इसलिए उन्हें स्वतंत्र नहीं माना जा सकता। जब तक कोई सांख्यिकीय संयुक्त विश्लेषण नहीं अपनाया जाता, तब तक स्थिति (b) संयुक्त प्रायिकता का एक सरल स्थानापन्न है।

2.13 प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाएँ

प्रत्येक जलवैज्ञानिक प्रस्तुति में एक **डिजाइन वर्षा पत्रक** (प्रपत्र 2-1) सम्मिलित होगा, जिसमें निम्नलिखित बताया जाएगा:

1. साइट के निर्देशांक और जोन;
2. स्रोत (खंड 2.3), संस्करण या उपयोग की तिथि, और निकाले गए मानों का स्क्रीनशॉट या निर्यात (export);
3. प्रयुक्त प्रत्येक AEP और अवधि के लिए गहराई की तालिका, नियत-अंतराल गुणक, ग्रिड-से-बिंदु गुणक, ARF और जलवायु गुणक लगाने से पहले और बाद में;
4. खंड 2.3.3 के प्रति-जाँच मान और न्यूनतम सीमा की जाँच;
5. प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए प्रयुक्त हायटोग्राफ, तालिका और आलेख दोनों रूपों में; और
6. ली गई AMC और अपनाई गई विकास-पूर्व परिभाषा।

चित्र 2.3 में इस अध्याय के पद उसी क्रम में दर्शाए गए हैं जिस क्रम में पत्रक उन्हें दर्ज करता है।

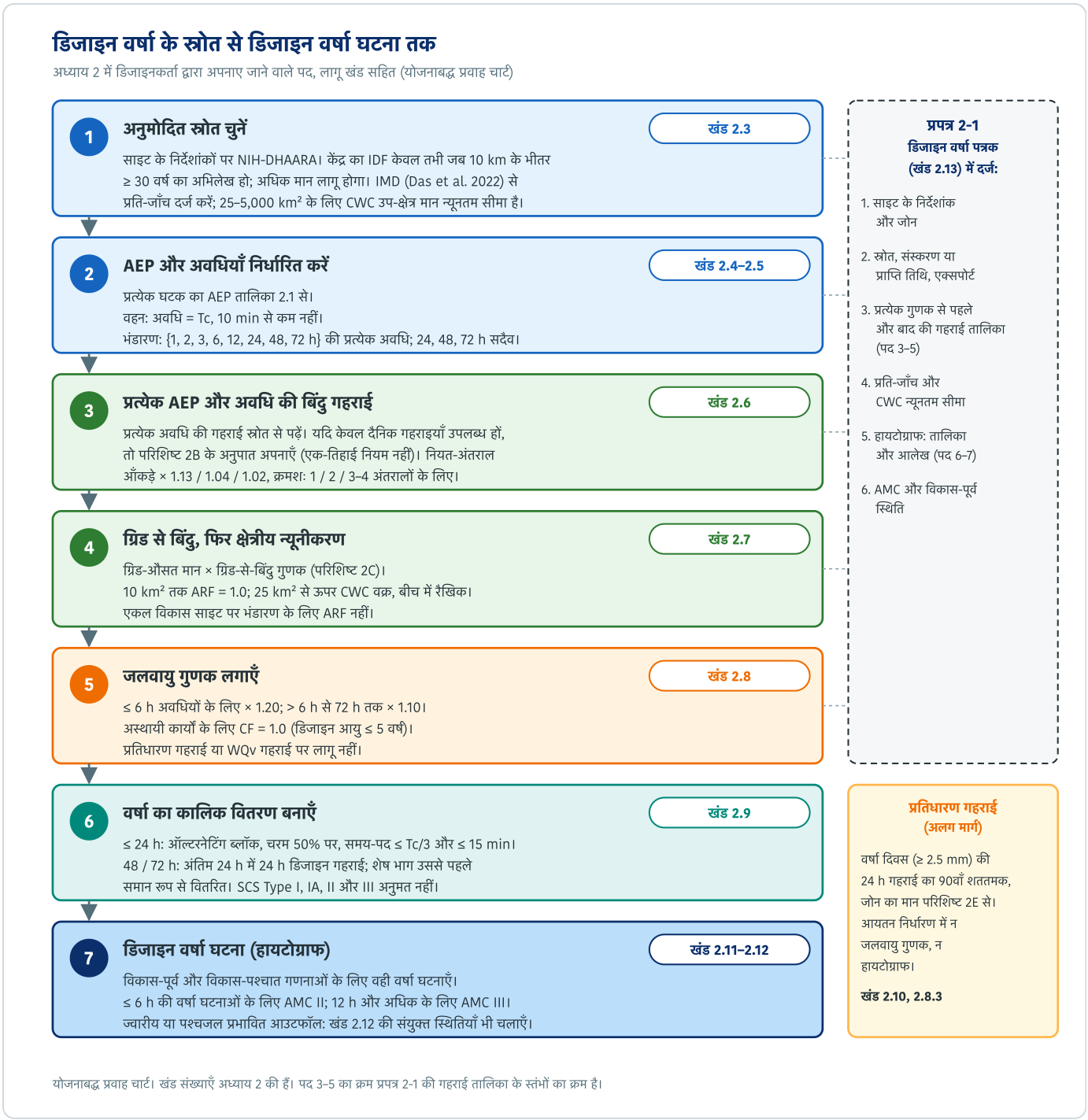

चित्र 2.3 — डिजाइन वर्षा के स्रोत से डिजाइन वर्षा घटना तक: डिजाइनकर्ता द्वारा अपनाए जाने वाले पद (स्रोत, AEP और अवधियाँ, बिंदु गहराई, ग्रिड-से-बिंदु और क्षेत्रीय न्यूनीकरण, जलवायु गुणक, कालिक वितरण, डिजाइन वर्षा घटना), प्रत्येक पद पर लागू खंड, प्रपत्र 2-1 में क्या दर्ज होता है, और प्रतिधारण गहराई का अलग मार्ग। योजनाबद्ध। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग।

2.14 समीक्षा और अद्यतन

2.14.1 अनुमोदन प्राधिकारी इस अध्याय की समीक्षा **प्रत्येक 10 वर्ष में** करेगा। वह ऐसी किसी भी घटना के 2 वर्ष के भीतर भी इसकी समीक्षा करेगा जिसमें राज्य के दो या अधिक अनुमोदित वर्षामापियों पर दर्ज वर्षा 1% AEP की 24-घंटे या 72-घंटे की डिजाइन गहराई से अधिक हो।

2.14.2 NIH-DHAARA के अद्यतन नई प्रस्तुतियों पर जारी होने के **6 महीने** बाद प्रभावी होंगे, जब तक कि प्राधिकारी अन्यथा अधिसूचित न करे।

संदर्भ (अध्याय)

- National Institute of Hydrology, Roorkee. NIH-DHAARA: Design Hydrology and Advanced Rainfall Analysis. http://www.nihdhaara.in/
- Das, S.K. et al. (2022). Isopluvial analysis and intensity–duration–frequency curves for different cities in India. *MAUSAM* 73(4), 887–898. https://metnet.imd.gov.in/docs/mausamdocs/173412_F.pdf
- Central Water Commission (1993). Flood Estimation Report for Luni Subzone 1(a), Report No. L/20/1992 (आवरण पर "L-20/1993"), November 1993, approved at the 50th meeting of the Planning and Co-ordination Committee, 17 Jan 1992 (राज्य में उप-क्षेत्र की स्थिति और उसका क्षेत्रफल; प्लेट 9 और 10, अर्थात 50- और 100-वर्ष के मानचित्र; 10-वर्ष के आधार पर अल्पकालिक अनुपात तालिका; खेरवा–भूमद्रा सड़क (Kherwa–Bhumadra) पर मीठड़ी (Mithri) का हल किया गया उदाहरण; और अनुलग्नक 4.3; cwc.gov.in की प्रति के 12 Apr 2016 के Wayback Machine कैप्चर से, OCR के साथ, पढ़ा गया; अनुलग्नक 4.1 और 4.2 स्कैन में इतने विकृत हैं कि पढ़े नहीं जा सकते [TBC])। https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report
- Central Water Commission (1988). Flood Estimation Report for Chambal Subzone 1(b), Report No. C/16/1988, Dec 1988 (प्लेट 9 और 10 का राजस्थान वाला भाग, अर्थात 50- और 100-वर्ष के मानचित्र; अल्पकालिक अनुपात तालिका; Table 7; डिजाइन वर्षा-अवधि संबंध, पृ. 40; cwc.gov.in की प्रति का 12 Apr 2016 का Wayback Machine कैप्चर)। https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report
- Central Water Commission (1984). Flood Estimation Report for Upper Indo-Ganga Plains Subzone 1(e), approved at the 40th meeting of the Planning and Co-ordination Committee, 23–24 Jul 1984 (प्लेट 9 और 10 का राजस्थान वाला कोना; अल्पकालिक अनुपात तालिका; cwc.gov.in की प्रति का Wayback Machine कैप्चर; डिजाइन कार्यालय की रिपोर्ट संख्या स्कैन किए गए पृष्ठों पर नहीं है [TBC])। https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report
- Central Water Commission (1987). Flood Estimation Report for Mahi and Sabarmati Subzone 3(a), Report No. MS/13/1986 (मुद्रित "M5/13/1986"), January 1987 (प्लेट 10 और 11 का राजस्थान वाला कोना, अर्थात 50- और 100-वर्ष के मानचित्र; अल्पकालिक अनुपात तालिका; cwc.gov.in की प्रति का 12 Apr 2016 का Wayback Machine कैप्चर)। https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report
- MoHUA / CPHEEO (2019). Manual on Storm Water Drainage Systems, Part A.
- India Meteorological Department. Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012), राजस्थान के केंद्र (पृ. M173–M189), आँकड़ा-अवधि तालिका सहित। https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf
- India Meteorological Department (2010). Climate of Rajasthan, Climatological Summaries of States Series No. 16 (1951–2000 के सामान्य मान और सर्वाधिक 24-घंटे की वर्षा के जिलेवार अभिलेख; इसकी पाठ-परत (text layer) से पढ़ा गया, तालिकाएँ पृष्ठ-छवियों से जाँची नहीं गईं [TBC])। https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20Rajashtan.pdf
- India Meteorological Department, Meteorological Centre Jaipur. Climate of Jaipur; Monsoon Report 2025. https://mausam.imd.gov.in/jaipur/docs/climate.pdf ; https://mausam.imd.gov.in/jaipur/mcdata/monsoon2025.pdf
- India Meteorological Department (2020). New normal dates of onset/progress and withdrawal of the southwest monsoon over India (Pai et al.), 15 मई 2020 की प्रेस विज्ञप्ति, Table 2। https://internal.imd.gov.in/press_release/20200515_pr_804.pdf
- India Meteorological Department (2020). Observed Rainfall Variability and Changes over Rajasthan State, ESSO/IMD/HS/Rainfall Variability/22(2020)/46 (केवल एक सारांश के माध्यम से देखा गया; पढ़ा नहीं गया [TBC])।

- Ghate, A.S. & Timbadiya, P.V. (2022). Effect of discretisation on extreme rainfall analysis: A study of Jaipur city in India. *MAUSAM* 73(2), 341–354. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3570
- Gupta, H.N. & Jindal, O.P. (1987). Unprecedented heavy rainfall in Jaipur (Rajasthan) during 18–20 July 1981. *Mausam* 38(3), 362–364. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3120
- Singh, R.S., Ramakrishna, Y.S., Sharma, K.D., Purohit, R.S. & Bohra, D.N. (1992). Some hydrometeorological aspects of an unprecedented rainstorm in the Indian desert. *Annals of Arid Zone* 31(3), 205–210. https://epubs.icar.org.in/index.php/AAZ/article/download/66155/28315/165909
- Nathani, Sharma & Nagar. Infiltration of the soils of the Chambal command (*Journal of Soil and Water Conservation*; केवल एक सारांश के माध्यम से देखा गया [TBC])। https://epubs.icar.org.in/index.php/JSWC/article/view/128278
- Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (2008). Circular No. 8, General guide lines for Drainage Sector work to be taken under RUSDIP, 4 Mar 2008 (Wayback Machine प्रति)। https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/organizations/ruidp/Downloads/Circular%20No.%208%20(Drainage%20sector%20guidelines)_4.03.2008.pdf
- Jaipur Development Authority. Dravyavati River Rejuvenation Project, EIA/EMP Chapter 2. https://environmentclearance.nic.in/writereaddata/FormB/EC/FORM_1/170520176S4VOAIDChapter-2.pdf
- National Institute of Hydrology, Roorkee. NIH-DHAARA IDF Curve Tool (IMDAA reanalysis), राजस्थान के 19 सेलों के लिए 6–7 Nov 2026 को देखा गया। http://117.252.14.251:8080/
- National Institute of Hydrology (2025). Assessment of water level rise crises in Jodhpur (कायलाना और तख्त सागर के स्तर)। https://nihroorkee.gov.in/studies_2014-2025/135-Assessment%20of%20water%20level%20rise%20crises%20in%20Jodhpur_S.%20Nema.pdf
- Central Water Commission. Flood bulletins of 14–17 Sep 2019 (Wayback Machine प्रतियाँ), और राजस्थान में उसके बाढ़ पूर्वानुमान और निगरानी स्थलों की सूची, चेतावनी, खतरे और उच्चतम बाढ़ स्तरों सहित (SANDRP द्वारा प्रतिलिपि के अनुसार; द्वितीयक स्रोत; डेटम की पुष्टि की जानी है [TBC])।
- Central Ground Water Board. Ground Water Year Book 2020–21, Rajasthan (Wayback Machine प्रति)। https://www.cgwb.gov.in/old_website/Regions/WR/Reports/GW%20Year%20Book%202020-21-Rajasthan.pdf
- Mehta & Yadav (2022). Trends in the precipitation of Rajasthan, 1871–2016 (Mann-Kendall test). *International Journal of Hydrology Science and Technology* (केवल सार; लेखकों के आद्याक्षर और शीर्षक की पुष्टि नहीं हुई [TBC])।
- Down To Earth (2022). Change in rainfall patterns is behind regular floods in Rajasthan, 27 Jul 2022 (द्वितीयक स्रोत)। https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/change-in-rainfall-patterns-is-behind-regular-floods-in-rajasthan-83980
- Ali, H. & Mishra, V. (2018). Increase in subdaily precipitation extremes in India under 1.5 and 2.0 °C warming worlds. *Geophysical Research Letters* 45. https://repository.ias.ac.in/142345
- अगस्त 2006 की बाड़मेर की वर्षा, सितंबर 2019 की कोटा की बाढ़, जुलाई 2022 की जोधपुर की वर्षा, अगस्त 2024 की जयपुर की वर्षा, सितंबर 2024 और जुलाई 2025 में आना सागर के एस्केप चैनल और उदयपुर और अजमेर की झीलों के गेजों संबंधी समाचार रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत)। https://www.redalyc.org/pdf/568/56820740001.pdf
- Chow, V.T., Maidment, D.R. & Mays, L.W. (1988). *Applied Hydrology*. McGraw-Hill (ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक विधि, §14.4)।
- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01.
- Mile High Flood District (Denver). Urban Storm Drainage Criteria Manual (90% निकासी का औचित्य)।

- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2008, 2012). Urban Stormwater Management Manual (MSMA).

परिशिष्ट

परिशिष्ट	विषय-वस्तु
2A	बेंचमार्क बिंदुओं पर NIH-DHAARA बनाम IMD केंद्र और IMD ग्रिड आँकड़ों की जाँच; जोन मानचित्र
2B	जोनवार उप-दैनिक अनुपात P(t)/P(24h): NIH-DHAARA (घंटेवार आँकड़ों पर आधारित) बनाम एक-तिहाई नियम
2C	ग्रिड-से-बिंदु गुणक
2D	राजस्थान के वर्षा कालिक वितरण (हफ वक्र)
2E	जोनवार प्रतिधारण शततमक गहराइयाँ
प्रपत्र 2-1	डिजाइन वर्षा पत्रक

अध्याय 3

जलवैज्ञानिक विधियाँ

3.1 प्रयोजन और विस्तार

3.1.1 यह अध्याय बताता है कि अध्याय 2 की डिजाइन वर्षा को निम्नलिखित के लिए अपवाह (runoff) के चरम मानों, आयतनों और हाइड्रोग्राफ में कैसे परिवर्तित किया जाए:

- (a) ड्रेन, इनलेट और पुलिया का आकार निर्धारण (अध्याय 6);
- (b) प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण का आकार निर्धारण, और विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना (अध्याय 4);
- (c) अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण (अध्याय 5); और
- (d) जलाशय, तालाब (talab) और क्षेत्रीय सुविधा संबंधी अध्ययन (अध्याय 7)।

3.1.2 यह अध्याय निम्नलिखित विनिर्दिष्ट करता है:

- (a) किस प्रयोजन और जलग्रहण क्षेत्र के किस आकार के लिए कौन-सी विधि प्रयुक्त की जा सकती है (खंड 3.4);
- (b) विकास-पूर्व और विकास-पश्चात भू-सतह कैसे परिभाषित की जाती है (खंड 3.3);
- (c) प्रत्येक विधि के प्राचल: अपवाह गुणांक, सांद्रण समय, मृदा, कर्व नंबर, इकाई हाइड्रोग्राफ और रूटिंग (खंड 3.5–3.12);
- (d) सतत सिमुलेशन और मॉडल अंशांकन कब अपेक्षित हैं (खंड 3.13 और 3.15);
- (e) पद-दर-पद विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना (खंड 3.14); और
- (f) सॉफ्टवेयर स्वीकार्यता और प्रलेखन (खंड 3.16 और 3.17)।

3.1.3 वर्षा संबंधी इनपुट (गहराई, अवधि, क्षेत्रीय न्यूनीकरण, जलवायु गुणक, कालिक वितरण और पूर्ववर्ती नमी) अध्याय 2 द्वारा शासित हैं और इस अध्याय में उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा।

> **भाष्य.** CPHEEO (2019) का *Manual on Storm Water Drainage Systems* रेशनल विधि (Rational Method) की पूरी प्रक्रिया देता है और हाइड्रोग्राफ संबंधी कार्य के लिए SWMM का नाम लेता है, किंतु वह ड्रेन के आकार निर्धारण की मार्गदर्शिका है। वह यह नहीं बताता कि कोई विनियामक "विकास-पूर्व" स्थिति को कैसे परिभाषित करे या उसके सापेक्ष किसी विकास की जाँच के लिए कौन-सी विधि अवश्य प्रयुक्त की जाए (CPHEEO Part A §4.4, §8.5.1)। APWA Section 5600 दोनों काम करता है: वह रेशनल विधि को सीमित करता है, आधारभूत हाइड्रोग्राफ विधियों के नाम देता है, और विद्यमान तथा प्रस्तावित स्थितियों के लिए भूमि उपयोग संबंधी मान्यताएँ निर्धारित करता है (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.2–5602.3; Version 2025.01, §5603.4)। यह अध्याय उसी मॉडल का अनुसरण करता है।

3.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
विकास-पूर्व स्थिति	खंड 3.3.2 में परिभाषित संदर्भ भू-सतह, जिसके सापेक्ष विकास-पश्चात अपवाह की जाँच की जाती है। यह विद्यमान स्थिति नहीं है।
विकास-पश्चात स्थिति	प्रस्तावित कार्य पूरे होने के बाद की भू-सतह, जैसा खंड 3.3.3 में परिभाषित है।
तुलना बिंदु (POC)	वह स्थान जहाँ साइट का अपवाह साइट से बाहर निकलता है, और जिस पर विकास-पूर्व और विकास-पश्चात प्रवाहों की तुलना की जाती है (खंड 3.14)।
सांद्रण समय (Tc)	जलग्रहण क्षेत्र के हाइड्रोलिक दृष्टि से सबसे दूर के बिंदु से विचाराधीन बिंदु तक अपवाह के पहुँचने का समय।
पश्चता समय (tL)	अतिरिक्त वर्षा (rainfall excess) के केंद्रक से अपवाह हाइड्रोग्राफ के चरम तक का समय।
जलवैज्ञानिक मृदा समूह (HSG)	गीली अवस्था में न्यूनतम अंतःस्यंदन दर के आधार पर मृदा का NRCS वर्गीकरण (A, B, C, D) (USDA NRCS, NEH Part 630, Ch. 7)।
कर्व नंबर (CN)	NRCS का वह प्राचल जो मृदा समूह, भू-आवरण और पूर्ववर्ती नमी को अपवाह-क्षमता के एक सूचकांक में संयोजित करता है (USDA NRCS, NEH Part 630, Ch. 9–10)।
पूर्ववर्ती नमी स्थिति (AMC)	वर्षा घटना के आरंभ में मृदा का गीलापन: AMC I (सूखी), II (औसत), III (गीली)।
प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा अपारगम्य क्षेत्र (DCIA)	ऐसी अपारगम्य सतह जिसका पानी पहले किसी पारगम्य सतह पर बहे बिना किसी ड्रेन, पाइप या चैनल में जाता है।
असंबद्ध अपारगम्य क्षेत्र	ऐसी अपारगम्य सतह जिसका अपवाह जल निकासी प्रणाली तक पहुँचने से पहले परत प्रवाह (sheet flow) के रूप में किसी पारगम्य सतह पर बहता है, और जो खंड 3.9.3 की शर्तें पूरी करती है।
चरम दर गुणक (PRF)	इकाई हाइड्रोग्राफ के चरम समीकरण का स्थिरांक (US प्रचलित इकाइयों में 484; खंड 3.11.2 के SI रूप में 0.208)।
सतत सिमुलेशन	वर्षा के लंबे अभिलेख (वर्षों) पर चलाया गया मॉडल, जिसमें मृदा नमी, भंडारण और तालाब के जल स्तर एक वर्षा घटना से अगली तक आगे ले जाए जाते हैं।
तालाब शृंखला (tank cascade)	तालाबों (talabs) की ऐसी शृंखला जिसमें एक तालाब का अतिरिक्त जल अगले तालाब को मिलता है।

3.3 विकास-पूर्व और विकास-पश्चात भू-सतह

3.3.1 **वही साइट, वही वर्षा घटना.** विकास-पूर्व और विकास-पश्चात रन प्रत्येक POC की ओर बहने वाले उसी क्षेत्र को सम्मिलित करेंगे, और उन्हीं डिजाइन वर्षा घटनाओं का उपयोग करेंगे (खंड 2.11.1)। वे केवल इस खंड के भू-सतह प्राचलों, उनसे प्राप्त Tc और वर्षा जल नियंत्रणों में भिन्न होंगे।

3.3.2 **विकास-पूर्व स्थिति.** विकास-पूर्व भू-सतह **अविकसित खुली भूमि (greenfield), अर्थात मानचित्रित जलवैज्ञानिक मृदा समूह के लिए अच्छी दशा वाली खुली भूमि** होगी, निम्नानुसार:

- (a) साइट के भीतर की सारी भूमि, जिसमें वह भूमि भी सम्मिलित है जिस पर अभी निर्माण है, जो पक्की, संघनित या जोती गई है, अच्छी दशा वाली खुली भूमि (घास आवरण > 75%) मानी जाती है। **विद्यमान अपारगम्य आवरण नहीं गिना जाएगा।**
- (b) कर्व नंबर खंड 3.7 के HSG के लिए "खुला स्थान, अच्छी दशा" ("open space, good condition") का TR-55 मान है: AMC II पर **CN 39 (A), 61 (B), 74 (C), 80 (D)** (तालिका 3.5)।
- (c) HSG खंड 3.7 का प्राकृतिक HSG है, जिसमें उच्च भूजल स्तर के लिए द्वि-समूह नियम (खंड 3.10.1) सम्मिलित है। जल निकासी कार्यों के कारण HSG में किसी सुधार की अनुमति नहीं है।

- (d) Tc की गणना विकास-पूर्व भू-सतह पर केवल बिना चैनल वाले सतही प्रवाह, उथले संकेंद्रित प्रवाह और प्राकृतिक चैनलों के आधार पर की जाती है (खंड 3.6)। विद्यमान पाइप, पक्की ड्रेन और कर्ब की उपेक्षा की जाती है।
- (e) विद्यमान जलाशय, तालाब के पूर्ण जल स्तर (FTL) तक के जल-फैलाव क्षेत्र, प्राकृतिक चैनल और आपूर्ति या अतिरिक्त जल चैनल जैसे हैं वैसे ही रखे जाते हैं, और उन्हें खुली भूमि के रूप में नहीं, बल्कि जल सतह या चैनल के रूप में मॉडल किया जाता है।

3.3.3 **विकास-पश्चात स्थिति.** विकास-पश्चात भू-सतह पूर्ण निर्माण की स्थिति में प्रस्तावित कार्यों का प्रतिनिधित्व करेगी:

- (a) अपारगम्य क्षेत्र साइट नक्शे से मापे जाएँगे, छतों, पक्की सतहों, सड़कों और अन्य सीलबंद सतहों के लिए अलग-अलग, और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से जुड़े या असंबद्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा (खंड 3.9)। साइट के लिए TR-55 की भूखंड-आकार आधारित आवासीय पंक्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (b) निर्माण से विक्षुब्ध (समतल किए गए, भरे गए या वाहनों से रौंदे गए) पारगम्य क्षेत्रों को प्राकृतिक HSG से अंतःस्यंदन क्षमता में एक HSG नीचे (A से B, B से C, C से D) रखा जाएगा, जब तक कि निर्माण-पश्चात अंतःस्यंदन परीक्षण (खंड 3.7.3) अन्यथा न दर्शाएँ। निर्माण से विक्षुब्ध मृदा को कभी भी HSG A में वर्गीकृत नहीं किया जाएगा।
- (c) 12 घंटे या अधिक की वर्षा घटनाओं के आरंभ में वर्षा जल संचयन (RWH) संपों को भरा हुआ माना जाएगा, और उन वर्षा घटनाओं के लिए उनमें पानी देने वाले छत क्षेत्र को प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा माना जाएगा (अध्याय 4)।
- (d) प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण सुविधाओं को CN घटाकर नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से भंडारण के रूप में दर्शाया जाएगा (खंड 3.12)।

3.3.4 **पुनर्विकास.** खंड 3.3.2 की विकास-पूर्व स्थिति पुनर्विकास पर भी लागू होती है। जो साइट पहले से पूरी तरह पक्की है, उसकी जाँच उसकी विद्यमान स्थिति के सापेक्ष नहीं, बल्कि अविकसित खुली भूमि के सापेक्ष की जाती है। खंड 4.5.6 के सीमित पुनर्विकास मार्ग के लिए विद्यमान स्थिति को भी, सर्वेक्षण के अनुसार विद्यमान अपारगम्य क्षेत्रों के साथ, मॉडल किया जाएगा, ताकि 50% की न्यूनतम सीमा की जाँच की जा सके।

3.3.5 **साइट के बाहर के क्षेत्र.**

- (a) वहन डिजाइन (अध्याय 6) के लिए साइट के प्रतिप्रवाह (upstream) के क्षेत्रों को अनुमोदित मास्टर प्लान या विकास योजना के अंतर्गत उनके अंतिम भूमि उपयोग पर लिया जाएगा। जहाँ कोई योजना नहीं है, वहाँ प्रतिप्रवाह की अविकसित भूमि को कम से कम 35% अपारगम्य माना जाएगा।
- (b) विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना के लिए साइट के बाहर से आने वाले अपवाह (run-on) को दोनों रन में उसकी विद्यमान स्थिति पर एक समान मॉडल किया जाएगा (खंड 3.14.2)।

> **भाष्य.** अविकसित खुली भूमि का संदर्भ प्रत्येक पुनर्विकास को पहले से बिगड़ी हुई आधार-रेखा के सापेक्ष आँके जाने से रोकता है। UK के गैर-सांविधिक मानक और KC APWA भिन्न रूपों में यही दृष्टिकोण अपनाते हैं: APWA, HSG C के लिए विद्यमान कृषि भूमि को अधिकतम "अच्छी दशा का चरागाह, घास का मैदान या रेंज (C = 0.30, CN = 74)" ("good condition pasture, grassland or range (C = 0.30, CN = 74)") तक सीमित करता है, और विक्षुब्ध मृदा को HSG A या B में वर्गीकृत करने से मना करता है (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.3A और E)। (b) में प्रयुक्त TR-55 के "खुला स्थान, अच्छी दशा" मान TR-55 के "चरागाह, घास का मैदान या रेंज, अच्छी" ("pasture, grassland or range, good") मानों के समान हैं (USDA SCS TR-55, 1986, Tables 2-2a और 2-2c), इसलिए इस मैनुअल का विकास-पूर्व CN, HSG C मृदा पर APWA की सीमा के बराबर है। 3.3.3(b) में विक्षुब्ध मृदा के लिए एक वर्ग की कमी इस मैनुअल द्वारा APWA नियम के एक सरल, कम कठोर रूप के रूप में निर्धारित की गई है, जो राजस्थान की टीलों की रेत, कैल्क्रीट से ढकी मरुस्थलीय मिट्टी, अरावली की चट्टान, जलोढ़ और हाड़ौती की काली मिट्टी के लिए उपयुक्त है, जहाँ HSG A से C की छलाँग अत्यधिक होगी। 3.3.5(a) में अनियोजित प्रतिप्रवाह भूमि के लिए 35% की न्यूनतम अपारगम्यता APWA का मान है (2011, §5602.3E.2)। वहन के लिए मास्टर प्लान का भूमि उपयोग लेना CPHEEO के अनुसार है, जो अपेक्षा करता है कि C "मास्टर प्लान के अनुसार जलग्रहण क्षेत्र के अंतिम विकास" ("ultimate development of the catchment as per the master plan") को दर्शाए (CPHEEO 2019, Part A §4.4.1.5)।

3.4 विधि का चयन

3.4.1 विधि का चयन तालिका 3.1 से प्रयोजन और जलग्रहण क्षेत्र के आकार के आधार पर किया जाएगा। चित्र 3.1 में यही नियम एक प्रवाह-चित्र (flowchart) के रूप में दर्शाए गए हैं।

तालिका 3.1 — अनुमत जलवैज्ञानिक विधियाँ

प्रयोजन	जलग्रहण क्षेत्र / स्थिति	अनुमत विधि	खंड
किसी एक वहन घटक (इनलेट, पाइप का भाग, ड्रेन का भाग (reach), पुलिया) के लिए चरम प्रवाह	≤ 16 ha योगदान देने वाला क्षेत्र, प्रतिप्रवाह में कोई भंडारण नहीं, कोई पश्चजल नहीं	रेशनल विधि	3.5
वहन के लिए चरम प्रवाह	> 16 ha, या प्रतिप्रवाह में कोई भी भंडारण, तालाब या पोखर	हाइड्रोग्राफ विधि (SCS इकाई हाइड्रोग्राफ के साथ SCS-CN, SWMM या HEC-HMS)	3.8–3.12
प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, कोई भी भंडारण; विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना	कोई भी आकार	हाइड्रोग्राफ विधि; **रेशनल विधि अनुमत नहीं**	3.8–3.12, 3.14
पश्चजल, ज्वारीय या तालाब टेलवाटर वाला पाइप या ड्रेन नेटवर्क	कोई भी आकार	डायनेमिक-वेव (dynamic-wave) हाइड्रोलिक रूटिंग के साथ हाइड्रोग्राफ विधि	3.12.4; अध्याय 5
जलग्रहण-स्तरीय प्रवाह	CWC उप-क्षेत्र 1(a), 1(b), 1(e) या 3(a) में 25–5,000 km²	HEC-HMS या SWMM, CWC संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ (SUH) के सापेक्ष तुलना-मानक (benchmark) के साथ	3.11.4
क्षेत्रीय सुविधाएँ	> 25 km² की निकासी करने वाली	डिजाइन वर्षा घटना हाइड्रोग्राफ विधि **और साथ में** सतत सिमुलेशन	3.13
तालाब (talab) शृंखलाएँ	कोई भी आकार	डिजाइन वर्षा घटना हाइड्रोग्राफ विधि **और साथ में** सतत सिमुलेशन	3.13
टियर B: अध्याय 1 के अंतर्गत छोटी साइटें	डिजाइन सहायिका की सीमाओं के भीतर	अध्याय 4 के अंतर्गत जारी डिजाइन सहायिकाएँ, जो स्वयं इस अध्याय की विधियों से निकाली गई हैं	3.4.4
छोटी साइटें, कोई भी प्राधिकारी	≤ 1 ha, खंड 4.14.3 की सीमाओं के भीतर	अध्याय 4 का नियत-गुणांक मार्ग (नियत निकास गुणांक, वर्षा-द्रव्यमान आधारित भंडारण)	3.4.4; 4.14.3

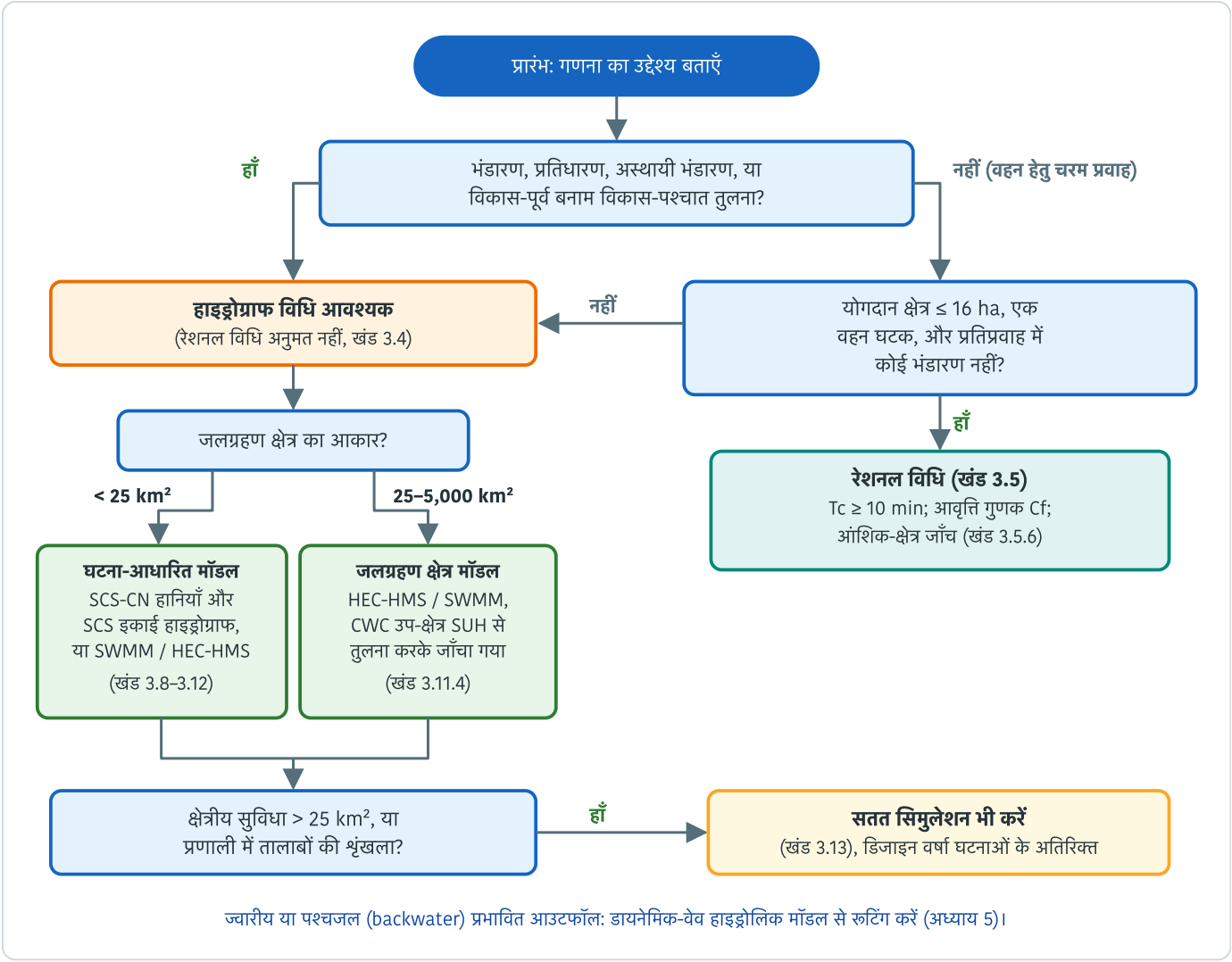

चित्र 3.1 — जलवैज्ञानिक विधि का चयन। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, KC Metro APWA, Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, 2011 (§5602.2) और Version 2025.01 (§5603.4, Policy Supplement, 2025) से अनुकूलित।

3.4.2 **रेशनल विधि की सीमाएँ.** रेशनल विधि का उपयोग केवल **16 ha या उससे कम** के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए और केवल **किसी एक वहन घटक** तक के चरम प्रवाह की गणना के लिए किया जाएगा। इसका उपयोग प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण या किसी अन्य भंडारण के आकार निर्धारण के लिए, या हाइड्रोग्राफ या अपवाह आयतन निकालने के लिए **कभी नहीं** किया जाएगा।

3.4.3 **हाइड्रोग्राफ विधियाँ.** 16 ha से ऊपर, और भंडारण की प्रत्येक गणना के लिए, हाइड्रोग्राफ विधि का उपयोग किया जाएगा: SCS (NRCS) इकाई हाइड्रोग्राफ के साथ SCS-CN हानियाँ, EPA SWMM, या HEC-HMS। 25–5,000 km² के लिए तुलना-मानक के रूप में CWC संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ की भी गणना की जाएगी (खंड 3.11.4)।

3.4.4 **सरलीकृत मार्ग.** टियर B क्षेत्रों (अध्याय 1) में, अध्याय 4 के अंतर्गत जारी किसी डिजाइन सहायिका पर बताई गई सीमाओं के भीतर की साइटें साइट-विशिष्ट हाइड्रोग्राफ मॉडल के स्थान पर उस डिजाइन सहायिका का उपयोग कर सकती हैं। किसी भी क्षेत्र में 1 ha या उससे कम की साइटें खंड 4.14.3 के नियत-गुणांक मार्ग का उपयोग कर सकती हैं; 3.4.2 के इस नियम का कि वर्षा-आधारित चरम विधियों का उपयोग भंडारण के लिए नहीं किया जाएगा, यही एकमात्र अपवाद है। 3.4.2 के अंतर्गत वहन के लिए रेशनल विधि उपलब्ध रहती है।

3.4.5 **5,000 km² से बड़े जलग्रहण क्षेत्र.** ये इस मैनुअल के विस्तार से बाहर हैं और इनके लिए जल संसाधन विभाग (WRD) द्वारा अनुमोदित बेसिन अध्ययन अपेक्षित है।

भाष्य. 16 ha की सीमा और एकल-घटक नियम APWA 5600 Version 2025.01 के अनुसार हैं, जिसने रेशनल विधि की सीमा 200 ac से घटाकर 40 ac कर दी और उसे "एकल पाइप खंड" ("a single pipe segment") तक सीमित कर दिया। MARC Policy Supplement जोड़ता है कि इसका "उपयोग अपवाह कमी उपायों के आकार निर्धारण या प्रतिधारण आयतन और अस्थायी भंडारण आयतन निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता" ("cannot be used to size runoff reduction practices or determine retention volumes and detention volumes") (MARC, APWA Stormwater Standards Supplement, 2025)। CPHEEO (2019, Part A §4.4.1.3) रेशनल विधि को 8–10 km² तक अनुमति देता है, जो ऐसी विधि के लिए बहुत बड़ा है जो पूरे Tc के दौरान पूरे जलग्रहण क्षेत्र पर वर्षा की एकसमान तीव्रता मानती है और कोई आयतन नहीं देती। रेशनल विधि को भंडारण डिजाइन से इसलिए बाहर रखा गया है क्योंकि यह हाइड्रोग्राफ नहीं, केवल चरम मान देती है, जबकि भंडारण आयतन और समय पर निर्भर करता है।

3.5 रेशनल विधि

3.5.1 **समीकरण.** चरम प्रवाह की गणना इस प्रकार की जाएगी:

$$Q = C \cdot Cf \cdot i \cdot A / 360$$

जहाँ Q चरम प्रवाह (m³/s) है; C अपवाह गुणांक (तालिका 3.2) है; Cf आवृत्ति गुणक (तालिका 3.3) है, और C · Cf ≤ 1.0; i अध्याय 2 से (खंड 2.8 के जलवायु गुणक सहित) Tc के बराबर अवधि के लिए वर्षा की तीव्रता (mm/h) है; और A योगदान देने वाला क्षेत्र (ha) है।

भाष्य. यह CPHEEO का समीकरण Qp = 10 C I A है, जिसमें Qp m³/h में है (CPHEEO 2019, Part A §4.4.1.1–4.4.1.3), और जिसे m³/s में परिवर्तित किया गया है।

3.5.2 **अपवाह गुणांक.** C तालिका 3.2 से लिया जाएगा। किसी परास के भीतर डिजाइनकर्ता परास के ऊपरी आधे भाग का उपयोग करेगा, जब तक कि साइट के आँकड़े कम मान को उचित न ठहराएँ।

तालिका 3.2 — अपवाह गुणांक C (10% या उससे अधिक बार होने वाले AEP के लिए)

सतह या भूमि उपयोग	C	स्रोत
वाणिज्यिक	0.70–0.95	CPHEEO 2019, Table 4.2
औद्योगिक	0.60–0.90	CPHEEO 2019, Table 4.2
संस्थागत	0.70–0.95	CPHEEO 2019, Table 4.2
आवासीय, उच्च घनत्व	0.60–0.75	CPHEEO 2019, Table 4.2
आवासीय, निम्न घनत्व	0.40–0.60	CPHEEO 2019, Table 4.2
मनोरंजन संबंधी	0.10–0.25	CPHEEO 2019, Table 4.2
एस्फाल्ट	0.70–0.95	CPHEEO 2019, Table 4.2
कंक्रीट	0.80–0.95	CPHEEO 2019, Table 4.2

सतह या भूमि उपयोग	C	स्रोत
ईंट का फर्श	0.70–0.85	CPHEEO 2019, Table 4.2
छतें: टाइल	0.80–0.90	CPHEEO 2019, Table 4.2
छतें: धातु	0.70–0.90	CPHEEO 2019, Table 4.2
छतें: कंक्रीट	0.70–0.90	CPHEEO 2019, Table 4.2
लॉन, रेतीली मृदा, समतल (≤ 2%)	0.05–0.10	ASCE/WPCF 1969
लॉन, रेतीली मृदा, औसत (2–7%)	0.10–0.15	ASCE/WPCF 1969
लॉन, रेतीली मृदा, तीव्र ढलान (> 7%)	0.15–0.20	ASCE/WPCF 1969
लॉन, भारी (चिकनी) मृदा, समतल (≤ 2%)	0.13–0.17	ASCE/WPCF 1969
लॉन, भारी मृदा, औसत (2–7%)	0.18–0.22	ASCE/WPCF 1969
लॉन, भारी मृदा, तीव्र ढलान (> 7%)	0.25–0.35	ASCE/WPCF 1969
अविकसित भूमि (किसी भी दशा के लिए अधिकतम)	0.30	KC APWA 5600 (2011), §5602.3E

3.5.3 **आवृत्ति गुणक.** 10% से दुर्लभ डिजाइन AEP के लिए C को तालिका 3.3 के Cf से गुणा किया जाएगा। गुणनफल C · Cf, 1.0 से अधिक नहीं होगा।

तालिका 3.3 — आवृत्ति गुणक Cf

डिजाइन AEP (पुनरावृत्ति अवधि)	Cf
10% (10-वर्ष) और उससे अधिक बार	1.00
4% (25-वर्ष)	1.10
2% (50-वर्ष)	1.20
1% (100-वर्ष)	1.25

3.5.4 **संयुक्त C.** जहाँ किसी जलग्रहण क्षेत्र में एक से अधिक सतहें हैं, वहाँ C क्षेत्र-भारित मान C = Σ(Cj · Aj) / ΣAj होगा, जिसकी गणना प्रत्येक सतह के मापे गए क्षेत्रफल से की जाएगी। Cf संयुक्त C पर लगाया जाता है।

3.5.5 **सांद्रण समय और नेटवर्क.**

- (a) Tc की गणना खंड 3.6 के अनुसार की जाएगी और यह **10 मिनट** से कम नहीं होगा।
- (b) 16 ha की सीमा के भीतर नेटवर्क के प्रत्येक भाग (reach) के लिए चरम प्रवाह की गणना उस भाग के प्रतिप्रवाह के संचयी Σ(C · A) और उस भाग तक के सबसे लंबे Tc से की जाएगी। प्रतिप्रवाह भागों के चरम प्रवाह जोड़े नहीं जाएँगे।

3.5.6 **आंशिक-क्षेत्र जाँच.** जहाँ जलग्रहण क्षेत्र के किसी सघन, अत्यधिक अपारगम्य भाग का Tc पूरे क्षेत्र से बहुत कम है, वहाँ उस भाग के लिए भी, उसके अपने क्षेत्रफल, C और Tc से, अलग से चरम प्रवाह की गणना की जाएगी। बड़ा चरम प्रवाह लागू होगा।

भाष्य. तालिका 3.2 में विकसित सतहों के गुणांक CPHEEO की Table 4.2 के हैं, जिसे CPHEEO ने ASCE/WPCF (1969) से अनुकूलित किया था। CPHEEO सभी पुनरावृत्ति अवधियों के लिए C को स्थिर रखता है। इसके स्थान पर तालिका 3.3 में APWA के पूर्ववर्ती-वर्षा गुणक लिए गए हैं (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.2A: 4%, 2% और 1% की वर्षा घटनाओं के लिए K = 1.1, 1.2 और 1.25, और C·K ≤ 1.0)। ये गुणक यहाँ इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राजस्थान की दुर्लभ वर्षा घटनाएँ गीली भूमि पर आती हैं (खंड 2.11.4)। 10 मिनट का न्यूनतम Tc खंड 2.5.1 की न्यूनतम डिजाइन अवधि के अनुरूप है। APWA 2011 इनलेट समय को 5 और 15 मिनट के बीच सीमित करता है (§5602.7A)। आंशिक-क्षेत्र जाँच CPHEEO द्वारा "आंशिक क्षेत्र प्रभाव" ("partial area effect") के निरूपण के अनुसार है (CPHEEO 2019, Part A §4.4.1.7)। यह मैनुअल 3.5.2 में प्रत्येक परास के ऊपरी आधे भाग की अपेक्षा इसलिए करता है क्योंकि भारतीय शहरी भूखंड सामान्यतः ASCE परासों के पीछे के अमेरिकी भूमि उपयोगों की तुलना में अधिक सघन रूप से आच्छादित होते हैं।

3.6 सांद्रण समय

3.6.1 **सामान्य.** Tc की गणना विकास-पूर्व और विकास-पश्चात स्थितियों के लिए अलग-अलग, उस प्रवाह मार्ग के साथ की जाएगी जो विचाराधीन बिंदु तक सबसे लंबा यात्रा समय देता है, और यह प्रत्येक प्रवाह खंड के यात्रा समयों का योग होगा। किसी भी स्थिति के लिए Tc **10 मिनट** से कम नहीं होगा।

3.6.2 **NRCS वेग (खंड) विधि.** NRCS खंड विधि सभी जलग्रहण क्षेत्रों के लिए डिफॉल्ट विधि है। Tc = Tt(sheet) + Tt(shallow) + Tt(channel), जहाँ:

- (a) **परत प्रवाह (sheet flow):**

  > Tt = 0.091 (n · L)^0.8 / (P2^0.5 · S^0.4)

  जहाँ Tt घंटों में है; n तालिका 3.4 से परत प्रवाह की खुरदरापन है; L परत प्रवाह की लंबाई (m) है; P2 खंड 2.3 से, जलवायु गुणक के बिना, वर्तमान 50% AEP (2-वर्ष) की 24-घंटे की वर्षा (mm) है; और S भूमि का ढलान (m/m) है।

- (b) **परत प्रवाह की लंबाई.** शहरी क्षेत्रों में, और विकास-पश्चात की सभी स्थितियों के लिए, परत प्रवाह की लंबाई **30 m** से अधिक नहीं होगी। विकास-पूर्व अविकसित खुली भूमि की सतहों के लिए 90 m तक का उपयोग केवल वहीं किया जा सकता है जहाँ सर्वेक्षण बिना चैनल वाली समतल भूमि दर्शाता है; अन्यथा 30 m लागू होता है।

- (c) **उथला संकेंद्रित प्रवाह:** Tt = L / (3,600 V), जहाँ V = 4.918 S^0.5 (कच्ची सतह) या V = 6.196 S^0.5 (पक्की सतह), V m/s में, L m में और S m/m में।

- (d) **चैनल और पाइप प्रवाह:** Tt = L / (3,600 V), जहाँ V पूर्ण-तट (bank-full) या पूर्ण-पाइप प्रवाह पर मैनिंग समीकरण (Manning's equation) से प्राप्त होता है।

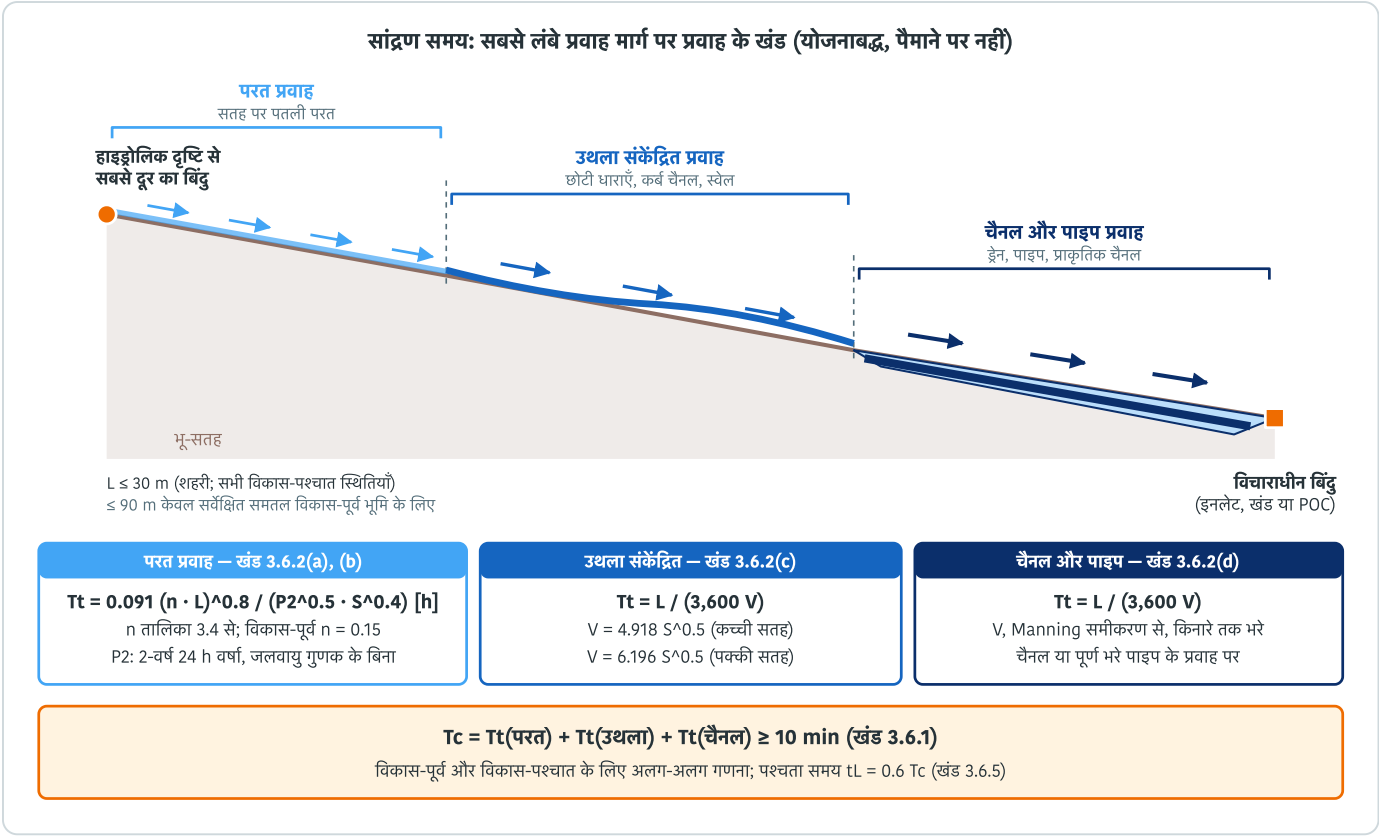

चित्र 3.2 — NRCS खंड विधि द्वारा सांद्रण समय: सबसे लंबे प्रवाह मार्ग के साथ परत प्रवाह, उथला संकेंद्रित प्रवाह और चैनल या पाइप प्रवाह, खंड 3.6 के यात्रा समय समीकरणों और सीमाओं के साथ। योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, USDA SCS TR-55 (1986), Ch. 3, और USDA NRCS, NEH Part 630, Ch. 15 (2010) से अनुकूलित।

तालिका 3.4 — परत प्रवाह के लिए मैनिंग का n (USDA SCS TR-55, 1986, Table 3-1)

सतह	n
चिकनी सतहें (कंक्रीट, एस्फाल्ट, बजरी, खुली मिट्टी)	0.011
परती (कोई अवशेष नहीं)	0.05
जोती गई, अवशेष आवरण ≤ 20%	0.06
जोती गई, अवशेष आवरण > 20%	0.17
घास: छोटी घास का मैदान (प्रेयरी)	0.15
घास: घनी घास	0.24
रेंज (प्राकृतिक)	0.13
वन: हल्की झाड़ी	0.40
वन: घनी झाड़ी	0.80

3.6.3 **विकास-पूर्व खुरदरापन.** खंड 3.3.2 की विकास-पूर्व अविकसित खुली भूमि की सतह के लिए परत प्रवाह का n **0.15** होगा, जब तक कि डिजाइनकर्ता क्षेत्र की प्राकृतिक वनस्पति के आधार पर तालिका 3.4 के किसी अन्य मान को उचित न ठहराए।

3.6.4 **किरपिच सूत्र.** किरपिच (Kirpich) सूत्र का उपयोग केवल प्रति-जाँच के रूप में, या परिभाषित मुख्य चैनल वाले विकास-पूर्व ग्रामीण जलग्रहण क्षेत्रों के लिए, किया जा सकता है:

> tc = 0.0195 L^0.77 S^−0.385

जहाँ tc मिनटों में है, L मुख्य प्रवाह मार्ग की लंबाई (m) है और S उसका औसत ढलान (m/m) है। इसका उपयोग शहरी या विकास-पश्चात जलग्रहण क्षेत्रों के लिए नहीं किया जाएगा।

3.6.5 **पश्चता समय.** जहाँ किसी इकाई हाइड्रोग्राफ विधि में पश्चता समय अपेक्षित है, वहाँ tL = 0.6 Tc।

3.6.6 **जाँच.** विकास-पश्चात Tc सामान्यतः विकास-पूर्व Tc से कम होगा। जहाँ यह अधिक है, वहाँ डिजाइनकर्ता प्रस्तुति में इसका कारण स्पष्ट करेगा।

> **भाष्य.** खंड विधि और उसके समीकरण TR-55 (USDA SCS, 1986, Ch. 3) और NEH Part 630, Ch. 15 (USDA NRCS, 2010) से लिए गए हैं। SI स्थिरांक अमेरिकी समीकरणों के सीधे रूपांतरण हैं: L को m में और P2 को mm में लेने पर 0.007, 0.091 हो जाता है, और 16.1345 और 20.3282 ft/s, 4.918 और 6.196 m/s हो जाते हैं। TR-55 (1986) ने परत प्रवाह को 300 ft (≈ 90 m) तक अनुमति दी थी। NEH 630 Ch. 15 बताता है कि परत प्रवाह सामान्यतः लगभग 100 ft (≈ 30 m) से अधिक नहीं रहता और फिर उथला संकेंद्रित प्रवाह बन जाता है (Merkel, 2001 का हवाला देते हुए), और अब अनेक अमेरिकी एजेंसियाँ इसे वहीं सीमित करती हैं। यह मैनुअल इसी आधार पर 3.6.2(b) में 30 m की शहरी सीमा निर्धारित करता है: भारतीय शहरी भूखंडों में प्रवाह कुछ ही मीटर के भीतर किसी ड्रेन, कर्ब या चारदीवारी के रिसाव छिद्र (weep hole) तक पहुँच जाता है। परत प्रवाह समीकरण में बिना समायोजन वाला P2 इसलिए प्रयुक्त होता है क्योंकि P2 यात्रा समय संबंध का एक प्राचल है, डिजाइन भार नहीं। अविकसित खुली भूमि के लिए डिफॉल्ट n = 0.15 TR-55 का छोटी घास वाला मान है; यह मैनुअल इसे इसलिए लेता है ताकि विकास-पूर्व Tc के ऐसे लंबे मानों से बचा जा सके जो Q_pre को कृत्रिम रूप से कम कर दें। किरपिच सूत्र Chow, Maidment और Mays (1988, Table 15.1.2) द्वारा दिया गया SI रूप है, जो टेनेसी के छोटे कृषि जलग्रहण क्षेत्रों से लिया गया है (Kirpich, 1940), इसलिए यह शहरी सतहों के लिए उपयुक्त नहीं है। पश्चता अनुपात 0.6 NRCS का मान है, जिसे APWA भी प्रयुक्त करता है (2011, §5602.7C)।

3.7 मृदा और जलवैज्ञानिक मृदा समूह

3.7.1 **मानचित्रण.** HSG, राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (NBSS&LUP) द्वारा, या शुष्क क्षेत्र के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) द्वारा, या राजस्थान के कृषि विभाग (मृदा सर्वेक्षण) [TBC] द्वारा मानचित्रित मृदा श्रृंखला से, परिशिष्ट 3A की मृदा-श्रृंखला-से-HSG मिलान-सूची (lookup) का उपयोग करके, निर्धारित किया जाएगा। स्रोत मानचित्र और उसका पैमाना बताया जाएगा।

3.7.2 **निर्धारण नियम.** जहाँ किसी श्रृंखला के लिए परिशिष्ट 3A अभी उपलब्ध नहीं है, वहाँ HSG, NEH Part 630, Ch. 7 के मानदंडों का उपयोग करके, मापी गई संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता और अपारगम्य परत या भूजल स्तर तक की गहराई से निर्धारित किया जाएगा। परिशिष्ट 3A के प्रकाशित होने तक यह मैनुअल राजस्थान के लिए निम्नलिखित अंतरिम समूह निर्धारित करता है: थार के टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत (Typic Torripsamments), HSG A, सिवाय इसके कि जिस रेत में सतह से 1 m के भीतर कैल्क्रीट (कंकड़) या पेट्रोकैल्सिक परत, जिप्सम की परत या चट्टान हो वह HSG C है, और जहाँ परत या चट्टान 50 cm के भीतर हो वहाँ HSG D (NEH Part 630, Ch. 7), और लवणीय गर्त और उनके किनारे HSG D हैं; मारवाड़, शेखावाटी और लूणी बेसिन की रेतीली दोमट, दोमट रेत और धूसर-भूरी मरुस्थलीय मिट्टी (Psammentic और coarse-loamy Haplocambids), HSG B, और HSG A केवल वहाँ जहाँ क्षेत्रीय परीक्षण यह दर्शाए; जयपुर, अलवर और भरतपुर के मैदानों का, बनास और चंबल का और घग्घर का जलोढ़, बनावट के अनुसार HSG B या C, और जहाँ कंकड़ की परत 1 m के भीतर हो वहाँ HSG C; कोटा,

बूंदी, बाराँ और झालावाड़ में हाड़ौती की मध्यम और गहरी काली मिट्टी (वर्टिसोल, vertisols), और जहाँ कहीं अन्यत्र काली चिकनी मिट्टी हो, जैसे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ की मिश्रित लाल-और-काली मिट्टी के भीतर, प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए HSG D, सूखी भूमि पर किया गया परीक्षण चाहे जो दर्शाए; सूखी मिट्टी की दरारों का एकमात्र क्रेडिट वह AMC II है जिसकी अनुमति खंड 3.8.4 15 अगस्त से पहले देता है, जब तक कि 5-दिवसीय नियम लागू न हो, और इस मिट्टी में स्थापित किसी भी अंतःस्यंदन उपाय को 15 अगस्त या उसके बाद की किसी वर्षा घटना के लिए, या सूखी, फटी हुई भूमि पर किए गए परीक्षण के आधार पर, प्रतिधारण क्रेडिट नहीं मिलता; उदयपुर, राजसमंद, अजमेर, जयपुर की पहाड़ियों, अलवर, सिरोही और माउंट आबू में अरावली की पहाड़ियों की चट्टान और पतली मिट्टी, HSG D; बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर के दक्षिणी भाग में मेवाड़ और वागड़ की लाल दोमट, और मिश्रित लाल-और-काली मिट्टी के लाल भाग, HSG C, और जहाँ चट्टान 50 cm के भीतर हो वहाँ HSG D; और कृत्रिम भूमि (made ground) तथा भराई, HSG C, जब तक कि क्षेत्रीय परीक्षण अन्यथा न दर्शाए। खंड 4.14.1 की सरलीकृत विधि की सीमाओं से बड़ी प्रत्येक साइट पर क्षेत्रीय अंतःस्यंदन परीक्षण अपेक्षित है, जो प्रस्तावित सुविधा की गहराई पर, पहले से गीला करने (pre-wetting) के बाद, गड्ढा या बोरहोल परीक्षण के रूप में किया जाएगा और सुविधा की गहराई के भीतर आने वाली किसी भी कैल्क्रीट या कंकड़ की परत के आर-पार ले जाया जाएगा; छोटी साइटों पर जिस मृदा का परीक्षण नहीं हुआ है, उसे उसके लिए सूचीबद्ध समूहों में से कम पारगम्य समूह दिया जाएगा। खंड 3.10.1 इन सभी समूहों पर लागू होता है, और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के घग्घर–नहर के मैदानों में और जोधपुर के पुराने शहर में D के अतिरिक्त कोई अन्य समूह प्रयुक्त करने से पहले मौसमी उच्चतम भूजल स्तर निर्धारित किया जाएगा (खंड 3.10.2)।

3.7.3 **साइट पर सत्यापन.** अंतःस्यंदन द्वारा प्रतिधारण पर निर्भर प्रत्येक साइट (अध्याय 4) के लिए मानचित्रित HSG का सत्यापन प्रत्येक अंतःस्यंदन सुविधा के स्थान और गहराई पर साइट अंतःस्यंदन परीक्षणों द्वारा किया जाएगा। जहाँ परीक्षण मानचित्रित HSG से कम अंतःस्यंदन क्षमता दर्शाते हैं, वहाँ प्रतिधारण डिजाइन और विकास-पश्चात CN दोनों के लिए परीक्षण का परिणाम लागू होगा। जहाँ वे अधिक क्षमता दर्शाते हैं, वहाँ प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना विकास-पूर्व HSG नहीं बदला जाएगा।

3.7.4 **विक्षुब्ध और भराई वाली भूमि.** खंड 3.3.3(b) लागू होता है।

> **भाष्य.** NBSS&LUP के मृदा मानचित्र सामान्यतः 1:250,000 से 1:50,000 पैमाने पर होते हैं और मृदाओं को HSG के आधार पर नहीं, बल्कि श्रृंखला और वर्गिकी (taxonomy) के आधार पर वर्गीकृत करते हैं। इसलिए एक मिलान-सूची (परिशिष्ट 3A) आवश्यक है। साइट परीक्षण सबसे अधिक महत्वपूर्ण पश्चिम की टीलों की रेत पर हैं, जहाँ एक मीटर नीचे की कैल्क्रीट या जिप्सम की परत ऐसी रेत को, जो सतह पर 100 mm/h से अधिक पानी सोखती है, ऐसी मृदा में बदल सकती है जिसमें पानी परत के ऊपर टिक जाता है (perched) और भर जाता है; हाड़ौती की काली मिट्टी पर, जहाँ मई या जून में सूखी, फटी हुई भूमि पर किया गया परीक्षण ऊँची दर दर्शा सकता है, जबकि वही मिट्टी गीली होने पर 1–3 mm/h या उससे भी कम पानी सोखती है; और उदयपुर, अजमेर और जयपुर के आसपास अरावली के किनारे पर, जहाँ चट्टान तक की गहराई एक ही साइट के भीतर कुछ सेंटीमीटर से कई मीटर तक बदल सकती है। इस मैनुअल के लिए शोध के दौरान राजस्थान का कोई राज्यव्यापी HSG मानचित्र नहीं मिला [TBC], और न ही मृदा समूहों के राज्यव्यापी क्षेत्र-अंश के कोई आधिकारिक आँकड़े मिले; गुणात्मक स्वरूप यह है कि अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय मिट्टी, हाड़ौती में मध्यम काली मिट्टी, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और उदयपुर में लाल दोमट, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में मिश्रित लाल-और-काली मिट्टी, और पूर्व में और घग्घर के मैदान में जलोढ़ है (द्वितीयक संकलन [TBC])। शुष्क क्षेत्र का विस्तृत मानचित्रण हुआ है। मानचित्रित लगभग 196,000 km² में से 51.84% पर Entisols हैं, जो लगभग सभी रेत हैं: टीला प्रावस्था (dune phase) की Typic Torripsamments 34.28% और ऊबड़-खाबड़ मैदान प्रावस्था (hummocky-plain phase) की 16.34%; 41.05% पर Aridisols हैं, जिनमें Cambids 30.83% और Calcids 9.34% हैं, और इनमें कैल्क्रीट की कठोर परत (hardpan) वाली पेट्रोकैल्सिक मृदाएँ लगभग 3.6% हैं (NEER के योग के अनुसार); और लवणीय गर्त 660 km² पर हैं (Dhir et al., 1997, *Annals of Arid Zone* 36(4))। उप-क्षेत्र 1(a) की CWC रिपोर्ट दर्ज करती है कि बीकानेर और जैसलमेर के निकट "थार मरुस्थल में मुख्यतः रेगोसोलिक मृदाएँ हैं, जिनमें लिथोसोलिक मृदाओं के छोटे टुकड़े हैं" ("the Thar desert contains mainly Rhegosolic soils with small pockets of Lithosolic soils"), और कि लूणी के जलग्रहण क्षेत्र में उप-पर्वतीय (submontane) मृदाएँ और आहोर से रन (Rann) तक पुराने जलोढ़ की एक पट्टी है; 1(e) की रिपोर्ट अपनी दक्षिण-पश्चिमी सीमा के निकट "मरुस्थलीय और धूसर भूरी मृदाओं" ("desert and grey brown soils") का और मध्य घग्घर के साथ चूनेदार जलोढ़ का वर्णन करती है। मापी गई दरें इस परास को दर्शाती हैं, सभी खोज सारांशों से [TBC]: पश्चिम की वायूढ़ (aeolian) रेत में 15–30 cm/h का प्रारंभिक अंतःस्यंदन (CAZRI); जोधपुर के निकट Jassi Pauwali श्रेणी में, जिसमें लगभग 91% रेत है, लगभग 156 mm/h की अंतिम दर, और जोधपुर क्षेत्र की दोमट रेत

और रेतीली दोमट में 30–54 mm/h (*Annals of Arid Zone*); और चंबल कमान क्षेत्र की Kota श्रेणी की वर्टिसोल में 5.1–13.6 mm/h, Chambal श्रेणी की चिकनी दोमट (clay loam) में 1.5–3.0 mm/h और उसकी चिकनी मिट्टी में 0.9 mm/h, जिसे "7 cm सोखने में 8 h से अधिक" ("more than 8 h to absorb 7 cm") लगते हैं (Nathani, Sharma और Nagar, *J. Soil Water Conserv.*)। कैल्क्रीट या पेट्रोकैल्सिक परत की कोई मापी गई दर नहीं मिली [TBC]। इसलिए यह मैनुअल गहरी रेत को समूह A में केवल वहीं रखता है जहाँ 1 m के भीतर कोई परत नहीं है, क्योंकि परत कुछ डेसीमीटर रेत के ऊपर पानी रोक लेती है और तब मृदा C या D की तरह व्यवहार करती है, और हाड़ौती की काली मिट्टी को प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए समूह D में रखता है, और उसकी दरारों को केवल ऋतु के आरंभ का क्रेडिट, 15 अगस्त से पहले AMC II के माध्यम से, देता है। यह तिथि इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है: मानसून लगभग 24 जून तक झालावाड़, 25 जून तक उदयपुर और 26 जून तक कोटा पहुँचता है (IMD, Pai et al., 2020), इसलिए 15 अगस्त तक सामान्य वर्ष में मिट्टी को गीला करके बंद करने के लिए मानसून के लगभग सात सप्ताह मिल जाते हैं; यह तिथि उस राज्य की तुलना में बाद की है जहाँ मानसून का आगमन पहले होता है, और राजस्थान में दरारें बंद होने का कोई क्षेत्रीय अभिलेख नहीं मिला [TBC]। इसके बाद AMC III 15 सितंबर तक लागू होता है, जो कोटा (25 सितंबर) और झालावाड़ (28 सितंबर) से मानसून की वापसी से लगभग दस दिन पहले है। अन्यत्र राज्य के अधिकांश भाग की रेतीली मृदाएँ और गहरे भूजल स्तर किसी मौसमी AMC III नियम को अनुचित बनाते हैं, और AMC III केवल खंड 3.8.4 के 5-दिवसीय नियम के अनुसार लागू होता है। हानियों के एकमात्र क्षेत्रीय माप CWC उप-क्षेत्रों की डिजाइन हानि दरें हैं: 1(a) में 5 mm/h, 3(a) में 4.5 mm/h, 1(e) में 3.0 mm/h और 1(b) में 1.7 mm/h (परिशिष्ट 3E)। ये पूरे ग्रामीण जलग्रहण क्षेत्रों की बाढ़ों पर फिट किए गए φ-सूचकांक हैं, जिनमें खड़े पानी के नीचे का क्षेत्र और संतृप्त चैनलों के पास की भूमि सम्मिलित है, ये किसी मिट्टी की अंतःस्यंदन क्षमता नहीं हैं; 1(a) की दर अरावली के किनारे के बजरी और रेत वाले जलग्रहण क्षेत्रों से आती है, टीलों से नहीं, और 1(b) की दर संतृप्ति के निकट की काली मिट्टी को दर्शाती है। इनका उपयोग HSG निर्धारित करने या किसी अंतःस्यंदन उपाय (infiltration practice) का आकार निर्धारित करने के लिए नहीं किया जाएगा। खंड 3.7.2 के अंतरिम समूह, परत और चट्टान के लिए 1 m और 50 cm के नियम, काली मिट्टी के लिए 15 अगस्त की सीमा, पहले से गीला करके और किसी भी परत के आर-पार किया जाने वाला परीक्षण और छोटी साइटों पर बिना परीक्षण वाली मृदा का नियम, राजस्थान के लिए मृदा-शृंखला मिलान-सूची बनने तक, इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

3.8 SCS कर्व नंबर (SCS-CN) हानि विधि

3.8.1 **अपवाह समीकरण.** अपवाह की गहराई की गणना इस प्रकार की जाएगी:

$$Q = (P - Ia)^2 / (P - Ia + S), \text{ जब } P > Ia; \text{ अन्यथा } Q = 0 \quad S = 25{,}400 / CN - 254$$

जहाँ Q अपवाह की गहराई (mm) है, P संचयी वर्षा की गहराई (mm) है, S संभावित अधिकतम प्रतिधारण (mm) है और Ia प्रारंभिक हानि (initial abstraction) (mm) है। हाइड्रोग्राफ मॉडलों में यह समीकरण प्रत्येक समय पद पर संचयी वर्षा पर लगाया जाता है ताकि वृद्धिशील अतिरिक्त वर्षा प्राप्त हो।

3.8.2 **कर्व नंबर.** AMC II पर CN, खंड 3.7 के HSG के लिए, तालिका 3.5 से लिया जाएगा।

तालिका 3.5 — अपवाह कर्व नंबर, AMC II, Ia = 0.2S (USDA SCS TR-55, 1986, Tables 2-2a और 2-2c)

आवरण का प्रकार	HSG A	HSG B	HSG C	HSG D
विकास-पूर्व संदर्भ (खंड 3.3.2): खुला स्थान, अच्छी दशा (घास > 75%)	39	61	74	80
खुला स्थान, मध्यम दशा (घास 50–75%)	49	69	79	84
खुला स्थान, खराब दशा (घास < 50%)	68	79	86	89

आवरण का प्रकार	HSG A	HSG B	HSG C	HSG D
अपारगम्य: छतें, पक्की पार्किंग, ड्राइववे, कर्ब और ड्रेन वाली पक्की सड़कें	98	98	98	98
खुली खाइयों वाली पक्की सड़कें (मार्गाधिकार सहित)	83	89	92	93
बजरी की सड़कें (मार्गाधिकार सहित)	76	85	89	91
कच्ची सड़कें (मार्गाधिकार सहित)	72	82	87	89
नए समतल किए गए क्षेत्र (पारगम्य, कोई वनस्पति नहीं)	77	86	91	94
परती, खुली मिट्टी	77	86	91	94
घास का मैदान (निरंतर घास, चराई से सुरक्षित)	30	58	71	78
झाड़ी, अच्छी दशा	30	48	65	73
वन, अच्छी दशा	30	55	70	77
वन, मध्यम दशा	36	60	73	79
वन, खराब दशा	45	66	77	83
जल सतहें, तालाब के जल-फैलाव क्षेत्र, आर्द्र अस्थायी भंडारण बेसिन	अपवाह = वर्षा (कोई हानि नहीं)			

3.8.3 **तालिका 3.5 का उपयोग.**

- (a) विकास-पश्चात CN मापी गई सतहों से बनाया जाएगा (खंड 3.9)। साइट के लिए TR-55 की शहरी जिला और आवासीय भूखंड-आकार पंक्तियों का उपयोग नहीं किया जाएगा।
- (b) विकास-पश्चात स्थिति में पारगम्य क्षेत्रों के लिए "खुला स्थान" उस दशा में लिया जाएगा जो लैंडस्केप योजना से प्राप्त होगी। जहाँ कोई लैंडस्केप योजना प्रस्तुत नहीं की गई है, वहाँ मध्यम दशा लागू होती है।
- (c) TR-55 की जोती गई भूमि की पंक्तियों का उपयोग साइट के बाहर की विद्यमान स्थितियों के लिए किया जा सकता है, किंतु खंड 3.3.2 के विकास-पूर्व संदर्भ के लिए कभी नहीं।

3.8.4 **पूर्ववर्ती नमी.** AMC खंड 2.11.4 के अनुसार होगी: परिशिष्ट 2A के उप-भाग RJ-G हाड़ौती और चंबल या RJ-H मेवाड़ और वागड़ में स्थित साइट पर, और राज्य में कहीं भी काली मिट्टी (वर्टिसोल, vertisols; खंड 3.7.2) पर, 15 अगस्त से 15 सितंबर तक प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए, उसकी अवधि जो भी हो, AMC III; किसी अन्य समय पर, और प्रत्येक अन्य साइट पर, ऐसी डिजाइन वर्षा घटना के लिए AMC III जो 53 mm से अधिक के 5-दिवसीय वर्षा योग के बाद आती हो या उसे अपने भीतर रखती हो; और अन्य प्रत्येक वर्षा घटना के लिए AMC II। AMC I और III के लिए CN, AMC II से इस प्रकार प्राप्त किया जाएगा:

> CN(I) = 4.2 CN(II) / (10 − 0.058 CN(II)) CN(III) = 23 CN(II) / (10 + 0.13 CN(II))

यह रूपांतरण **केवल पारगम्य घटक पर** लगाया जाएगा। अपारगम्य सतहें सभी AMC के लिए CN 98 पर रहती हैं। संयुक्त CN को सीधे परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं। AMC III पर विकास-पूर्व संदर्भ CN हैं: HSG A 59.5; HSG B 78.2; HSG C 86.7; HSG D 90.2।

3.8.5 **प्रारंभिक हानि.**

- (a) **डिफॉल्ट:** तालिका 3.5 के CN के साथ Ia = 0.2S।
- (b) **संवेदनशीलता रन (अनिवार्य):** प्रत्येक भंडारण डिजाइन को Ia = 0.05S के साथ भी चलाया जाएगा। इस रन के लिए S को S0.05 = 1.33 · S0.20^1.15 (S इंच में) के रूप में परिवर्तित किया जाएगा, जो SI में है:

  > S0.05 = 25.4 × 1.33 × (S0.20 / 25.4)^1.15 (mm)

- (c) डिजाइन डिफॉल्ट रन पर आधारित होगा। संवेदनशीलता के परिणाम प्रपत्र 3-2 में दर्ज किए जाएँगे। जहाँ संवेदनशीलता रन आवश्यक प्रतिधारण आयतन या जल गुणवत्ता आयतन को बढ़ाता है, वहाँ उस आयतन के लिए बड़ा मान लागू होगा।

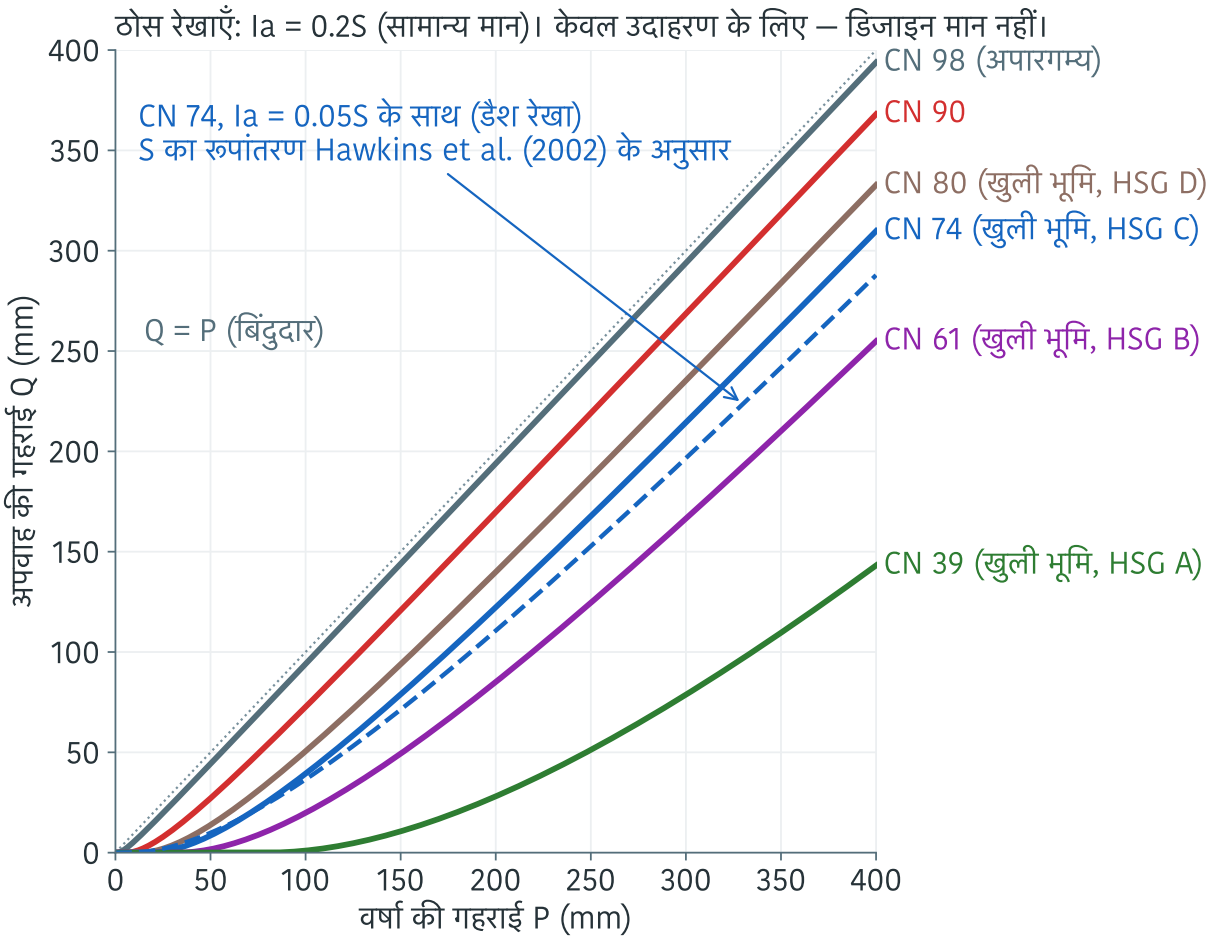

चित्र 3.3 — Ia = 0.2S पर चयनित कर्व नंबरों के लिए SCS-CN अपवाह की गहराई बनाम वर्षा की गहराई, CN 74 के लिए Ia = 0.05S संवेदनशीलता स्थिति के साथ। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, USDA NRCS, NEH Part 630, Ch. 10 (2004) और USDA SCS TR-55 (1986) के अपवाह समीकरण, और Hawkins et al. (2002) के S-रूपांतरण से परिकलित। केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं।

भाष्य. तालिका 3.5 मानक NRCS TR-55 (1986) मानों को दोहराती है। ये अमेरिकी जलग्रहण क्षेत्रों से निकाले गए थे और राजस्थान में इनका अंशांकन नहीं हुआ है। AMC रूपांतरण समीकरण Chow, Maidment और Mays (1988, §5.5) द्वारा दिए गए मानक NEH-4 संबंध हैं। केवल पारगम्य घटक का रूपांतरण APWA के अनुसार है, जो कहता है कि "संयुक्त पूर्ववर्ती नमी स्थितियों का सीधा रूपांतरण

उचित नहीं है" ("direct conversion of composite antecedent moisture conditions is not appropriate") (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.2C)। संयुक्त CN को परिवर्तित करने से अपारगम्य भाग का CN गलत रूप से कम हो जाएगा।

Ia = 0.2S मूल NRCS अनुपात है। अमेरिकी वर्षा–अपवाह आँकड़ों के विश्लेषण में पाया गया कि औसतन 0.05S बेहतर बैठता है (Hawkins et al., 2002; Woodward et al., 2003), और उसी से 3.8.5(b) का रूपांतरण मिला। NRCS ने औपचारिक रूप से 0.2S को प्रतिस्थापित नहीं किया है, इसलिए यह मैनुअल इसे डिफॉल्ट के रूप में रखता है। चित्र 3.3 दर्शाता है कि संवेदनशीलता रन क्यों आवश्यक है: CN 74 के लिए 0.05S स्थिति छोटी वर्षा घटनाओं में **अधिक** अपवाह देती है (25 mm वर्षा से लगभग 2.0 mm बनाम 0.5 mm), किंतु बड़ी वर्षा घटनाओं में **कम** (350 mm से लगभग 242 mm बनाम 262 mm)। *केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं।* अतः यह अनुपात प्रतिधारण और जल गुणवत्ता आयतनों के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, और चरम प्रवाह तथा अस्थायी भंडारण डिजाइन के लिए डिफॉल्ट 0.2S सुरक्षित पक्ष का विकल्प है। 3.8.5(c) के इस नियम का कि बड़ा प्रतिधारण या जल गुणवत्ता आयतन लागू होगा, कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि 0.05S स्थिति उन छोटी वर्षा घटनाओं से अधिक अपवाह देती है जिनसे ये आयतन निर्धारित होते हैं।

3.9 अपारगम्य क्षेत्रों की संबद्धता

3.9.1 **वर्गीकरण.** विकास-पश्चात स्थिति में प्रत्येक अपारगम्य सतह को प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी (DCIA) या असंबद्ध के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा, और जल निकासी नक्शे पर दर्शाया जाएगा।

3.9.2 **वरीय निरूपण.** हाइड्रोग्राफ मॉडलों में DCIA और पारगम्य क्षेत्रों को अलग-अलग उप-भागों के रूप में (या SWMM उप-जलग्रहण क्षेत्र के अलग अपारगम्य और पारगम्य अंशों के रूप में) मॉडल किया जाएगा, और प्रत्येक के अपने हानि प्राचल होंगे। असंबद्ध अपारगम्य क्षेत्रों के अपवाह को प्राप्तकर्ता पारगम्य क्षेत्र पर रूट किया जाएगा।

3.9.3 **असंबद्धता के मानदंड.** किसी अपारगम्य क्षेत्र को असंबद्ध के रूप में केवल तभी वर्गीकृत किया जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

- (a) उसका अपवाह बिना किसी पाइप, चैनल या कर्ब के, परत प्रवाह के रूप में किसी पारगम्य क्षेत्र पर गिरता है;
- (b) पारगम्य प्रवाह मार्ग कम से कम उतना लंबा है जितना उसमें पानी देने वाला अपारगम्य प्रवाह मार्ग;
- (c) पारगम्य क्षेत्र संघनित नहीं है, HSG D नहीं है, और अनुमोदित योजना द्वारा पक्का किए जाने से सुरक्षित है; और
- (d) 12 घंटे या अधिक की वर्षा घटनाओं के लिए, उसका पानी किसी RWH संप या टैंक में नहीं जाता (खंड 3.3.3(c))।

3.9.4 **संयुक्त CN.** जहाँ 3.9.2 के स्थान पर एक ही संयुक्त CN का उपयोग किया जाता है, वहाँ उसकी गणना इस प्रकार की जाएगी:

- प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अपारगम्य क्षेत्र के लिए: CNc = CNp + (Pimp / 100)(98 − CNp);
- जहाँ कुल अपारगम्य क्षेत्र 30% से कम है और उसका कुछ भाग असंबद्ध है: CNc = CNp + (Pimp / 100)(98 − CNp)(1 − 0.5 R),

जहाँ CNp पारगम्य CN है, Pimp अपारगम्य क्षेत्र का प्रतिशत है और R असंबद्ध और कुल अपारगम्य क्षेत्र का अनुपात है। संयुक्त CN का उपयोग प्रतिधारण या जल गुणवत्ता आयतनों के लिए नहीं किया जाएगा।

भाष्य. संयुक्त समीकरण TR-55 (USDA SCS, 1986, Ch. 2, Figures 2-3 और 2-4) से लिए गए हैं। यह मैनुअल 3.9.2 में अलग निरूपण को इसलिए वरीयता देता है क्योंकि संयुक्त CN अपारगम्य प्रतिक्रिया को पूरे क्षेत्र पर फैला देता है, जिससे छोटी वर्षा घटनाओं का अपवाह दब जाता है। HSG B खुले स्थान (CNp 61) पर 50% प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अपारगम्य क्षेत्र वाली साइट के लिए, 25 mm वर्षा से दोनों भागों को अलग-अलग मॉडल करने पर लगभग 9.9 mm अपवाह मिलता है, किंतु 79.5 के संयुक्त CN से केवल लगभग 1.8 mm। 200 mm पर दोनों विधियाँ मेल खाती हैं (139.5 mm बनाम 138.4 mm)। *केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं।* त्रुटि उन बार-बार होने वाली

वर्षा घटनाओं के लिए सबसे अधिक है जिनसे प्रतिधारण और जल गुणवत्ता आयतन निर्धारित होते हैं। 3.9.3 के असंबद्धता मानदंड इस मैनुअल द्वारा, अमेरिका के अपवाह-कमी मैनुअलों की सामान्य पद्धति के आधार पर, निर्धारित हैं। मानदंड (d) खंड 3.3.3(c) के इस नियम के अनुसार है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा घटनाओं के आरंभ में RWH संप भरे होते हैं।

3.10 भूजल, उच्च भूजल स्तर और तालाब का पश्चजल

3.10.1 **उच्च भूजल स्तर (द्वि-HSG).** जहाँ मौसमी उच्चतम भूजल स्तर भू-सतह से 0.6 m के भीतर है, वहाँ मृदा को, उसकी बनावट जो भी हो, विकास-पूर्व और विकास-पश्चात दोनों रन के लिए HSG D दिया जाएगा, जब तक कि उसकी निकासी अध्याय 10 के अंतर्गत अनुरक्षित कार्यों द्वारा स्थायी रूप से न की जाती हो। यह नियम 12 घंटे या अधिक की वर्षा घटनाओं पर, जो AMC III पर चलाई जाती हैं (खंड 2.11.4), प्रत्येक स्थिति में लागू होता है।

3.10.2 **भूजल स्तर के आँकड़े.** मौसमी उच्चतम भूजल स्तर दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु (जून–सितंबर) में दर्ज उच्चतम स्तर के रूप में लिया जाएगा, जो साइट के पीजोमीटरों या परीक्षण गड्ढों से, या केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) या भू-जल विभाग के निकटतम प्रेक्षण कुएँ से, भूतल के स्तर के लिए समायोजित करके, प्राप्त हो।

3.10.3 **अंतःस्यंदन-आधारित हानियाँ.** जहाँ SCS-CN के स्थान पर ग्रीन–एम्प्ट (Green–Ampt), हॉर्टन (Horton) या मृदा-नमी लेखांकन (soil-moisture accounting) हानियों का उपयोग किया जाता है, वहाँ किसी भी वर्षा घटना में संचयी अंतःस्यंदन मौसमी उच्चतम भूजल स्तर के ऊपर मृदा में उपलब्ध भंडारण से अधिक नहीं होगा।

3.10.4 **तालाब और जलाशय का पश्चजल.** जहाँ कोई साइट या उप-जलग्रहण क्षेत्र किसी तालाब (tank), तालाब (talab), दलदल या अन्य जलाशय में पानी छोड़ता है:

- (a) प्राप्तकर्ता जलाशय का जल स्तर, अध्याय 5 और अध्याय 7 के अनुसार, मॉडल की अनुप्रवाह सीमा-स्थिति के रूप में लगाया जाएगा;
- (b) डिजाइन घटना में प्राप्तकर्ता जलाशय के स्तर से नीचे की भूमि (FTL से नीचे तालाब के अग्रतट सहित) को बिना किसी हानि के जल सतह या भंडारण के रूप में मॉडल किया जाएगा; और
- (c) जहाँ आउटफॉल जलाशय के स्तर से डूबा हुआ है, वहाँ रूटिंग में खंड 3.12.4 की डायनेमिक-वेव विधि का उपयोग किया जाएगा।

भाष्य. द्वि-समूह नियम NEH Part 630, Ch. 7 (USDA NRCS, 2009) के अनुसार है, जो सतह से 60 cm (24 in) के भीतर भूजल स्तर वाली गीली मृदाओं को उनकी बिना निकासी वाली अवस्था में समूह D में रखता है, और जहाँ निकासी व्यवहार्य हो वहाँ द्वि-समूह (A/D, B/D, C/D) देता है। राजस्थान के अधिकांश भाग में द्वि-समूह नियम कभी-कभार ही निर्णायक होता है, क्योंकि भूजल स्तर गहरा है। 2020 के मानसून से पहले राज्य के 1,266 प्रेक्षण कुओं में जल की गहराई भूतल से 0.1 m से लेकर जोधपुर जिले के रानीसर में 142.90 m तक थी; 20.2% कुएँ 40 m से अधिक गहरे थे और केवल 2.7% 2 m से कम गहरे, और मानसून के बाद यह परास 0.17–119.02 m थी, जिसमें 5.2% कुएँ 2 m से कम गहरे थे (CGWB, *Ground Water Year Book 2020-21, Rajasthan*)। झुंझुनूँ, सीकर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर और अलवर के बड़े भाग के नीचे पानी 40 m से अधिक गहराई पर है, और राज्य के दक्षिण-पूर्वी आधे भाग में 20 m से कम गहराई पर। भूजल का दोहन भारत में कहीं और की तुलना में अधिक होता है: 2024 के आकलन में राज्य के लिए दोहन का चरण 149.86% था, और उसकी 302 आकलन इकाइयों में से 214 अति-दोहित, 27 गंभीर, 21 अर्ध-गंभीर, 37 सुरक्षित और 3 लवणीय थीं (CGWB, *Dynamic Ground Water Resources* 2024)। अपवाद स्थानीय हैं, और इसी कारण उनका नाम खंड 3.7.2 और 4.12.1 में दिया गया है। श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के नहर कमान क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भूजल स्तर भूतल से 2 m के भीतर है और भूमि जलभराव से ग्रस्त हो जाती है (CGWB)। जोधपुर में, 1997 में नगर तक नहर का पानी पहुँचने के बाद से, पुराने शहर के नीचे भूजल स्तर प्रति वर्ष लगभग 1–1.5 m बढ़ा है और कुछ स्थानों पर भूतल से लगभग 1 m नीचे तक आ गया है, जहाँ कम से कम 5 m सामान्य होता; यह स्थिति नगर के कम से कम 40% भाग में है, और दुकानों के बेसमेंटों से प्रतिदिन पानी पंप किया जाता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान के एक अध्ययन में पाया गया कि नगर का पानी दक्षिण और दक्षिण-पूर्व की ओर जोजरी में जाता है और कि "सतह पर जल निकासी

> सुविकसित नहीं है" ("The drainage is not well developed on the surface") (NIH, 2025)। जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर या बीकानेर के लिए मानसून में भूजल स्तर की कोई गहराई, और नहर पट्टी के या झीलों के अग्रतटों (foreshores) के भूजल स्तर का कोई मानचित्र, प्राप्त नहीं हुआ [TBC]; परिशिष्ट 3A में ये दिए जाने हैं। खंड 3.10.4 राज्य के प्राप्तकर्ता जलाशयों को दर्शाता है, जिनमें से कई नदियाँ नहीं, बल्कि गेज स्तर पर रखी गई झीलें हैं: उदयपुर में पिछोला स्वरूप सागर की ओर से उफनकर आयड़ में जाती है, फतह सागर अपने गेटों द्वारा रोका जाता है, और उदय सागर अनुप्रवाह में आयड़ पर स्थित है; अजमेर में आना सागर को चार एस्केप गेटों द्वारा उसके पूर्ण गेज स्तर पर रखा जाता है; और जोधपुर के ऊपर कायलाना और तख्त सागर के जलाशय के पूर्ण जल स्तर 273.7 m और 269.75 m हैं (NIH, 2025)। उदयपुर की झीलों और आना सागर के स्तर केवल फुट में ऐसे गेजों पर ज्ञात हैं जिनका शून्य औसत समुद्र तल से जोड़ा नहीं गया है [TBC]। पश्चिम और उत्तर के अंतःस्थलीय बेसिनों में साइट का पानी बिना आउटफॉल वाले किसी गर्त में जाता है, जैसे सांभर की खारी झील, इसलिए उसकी अनुप्रवाह सीमा वह स्तर है जिस तक गर्त डिजाइन घटना में पहुँचता है, और खंड 4.12.7 लागू होता है।

3.11 इकाई हाइड्रोग्राफ और अपवाह रूपांतरण

3.11.1 **अनुमत रूपांतरण.**

- (a) 25 km² से छोटे जलग्रहण क्षेत्रों के लिए, और किसी बड़े मॉडल के किसी भी उप-भाग के लिए, SCS (NRCS) आयामहीन इकाई हाइड्रोग्राफ, वक्ररेखीय या त्रिभुजाकार;
- (b) काइनेमैटिक (kinematic) सतही प्रवाह के साथ SWMM का अरैखिक जलाशय (non-linear reservoir);
- (c) HEC-HMS में क्लार्क (Clark) या ModClark इकाई हाइड्रोग्राफ, जहाँ प्राचल खंड 3.15 के अंतर्गत अंशांकित हों; और
- (d) 25–5,000 km² के लिए CWC संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ (खंड 3.11.4)।

3.11.2 **SCS इकाई हाइड्रोग्राफ.** इकाई हाइड्रोग्राफ का चरम और चरम तक समय इस प्रकार होगा:

> $q_p = PRF' \cdot A \cdot Q / t_p$, जहाँ $PRF' = 0.208$ (मानक चरम दर गुणक 484 का SI रूप) $t_p = \Delta t / 2 + t_L$, $t_L = 0.6\, T_c$

जहाँ q_p चरम प्रवाह (m^3/s) है; A क्षेत्रफल (km^2) है; Q अपवाह की गहराई (mm) है, जो इकाई हाइड्रोग्राफ के लिए 1 mm के बराबर है; t_p चरम तक समय (h) है; और Δt गणना अंतराल (h) है।

3.11.3 **गणना अंतराल और उप-भाग.**

- (a) Δt सबसे छोटे उप-भाग के $0.133\, T_c$ से अधिक नहीं होगा, और न ही खंड 2.9.1 के हायटोग्राफ समय पद से अधिक होगा।
- (b) उप-भाग HSG, भू-आवरण और ढलान में यथोचित रूप से एकसमान होंगे। पारगम्य और प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अपारगम्य क्षेत्र, खंड 3.9.2 के अनुसार, अलग-अलग उप-भाग होंगे।

3.11.4 **CWC संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ.** CWC उप-क्षेत्र 1(a) (Luni), 1(b) (Chambal), 1(e) (Upper Indo-Ganga Plains) या 3(a) (Mahi and Sabarmati) में 25–5,000 km² के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए:

- (a) SUH प्राचल, डिजाइन वर्षा घटना की अवधि, हानि दर, आधार प्रवाह (base flow), क्षेत्रीय न्यूनीकरण और समय वितरण लागू CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट से, सर्वेक्षण या DEM से मापे गए जलग्रहण क्षेत्र के भू-आकृतिक प्राचलों का उपयोग करके, लिए जाएँगे;
- (b) 24-घंटे की डिजाइन वर्षा खंड 2.3.3(b) और खंड 2.7.3 के अनुसार होगी, और खंड 2.8 का जलवायु गुणक लगाया जाएगा;
- (c) SUH का परिणाम विद्यमान प्राकृतिक स्थिति के लिए HEC-HMS या SWMM के परिणाम के साथ प्रस्तुत किया जाएगा; और

- (d) जहाँ हाइड्रोग्राफ मॉडल CWC SUH से कम 1% AEP चरम प्रवाह देता है, वहाँ डिजाइनकर्ता या तो खंड 3.15 के अंतर्गत अंशांकन द्वारा मॉडल को उचित ठहराएगा या CWC SUH का चरम प्रवाह लेगा।

3.11.5 **समतल तटीय भूमि के लिए चरम दर गुणक.** मानक गुणक (484; PRF' = 0.208) डिफॉल्ट है। कम गुणक का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है:

- (a) बिना पाइप या पक्की जल निकासी वाली, बिना चैनल की समतल तटीय मैदानी भूमि के लिए;
- (b) जो भूमि बिना चैनल के रहती है उसके लिए विकास-पूर्व और विकास-पश्चात दोनों रन में एक ही प्रकार से; और
- (c) प्राधिकारी द्वारा परिशिष्ट 3D में अंशांकित मान अंगीकार किए जाने के बाद।

विकास-पश्चात स्थिति में पाइप, पक्की ड्रेन या कर्ब द्वारा निकासी वाली भूमि के लिए मानक गुणक का उपयोग किया जाएगा।

> **भाष्य.** SCS इकाई हाइड्रोग्राफ, 0.6 का पश्चता अनुपात और 0.133 Tc का अंतराल NEH Part 630, Ch. 16 (USDA NRCS, 2007) से लिए गए हैं। अंतराल इकाई हाइड्रोग्राफ की ज्यामिति से निकलता है: tp = Δt/2 + 0.6 Tc और Tc + Δt = 1.7 tp होने पर Δt = 0.133 Tc। SI स्थिरांक 0.208, 484 (cfs, mi², in, h) का सीधा रूपांतरण है। APWA अपने आधार के रूप में SCS आयामहीन इकाई हाइड्रोग्राफ का उपयोग करता है (2011, §5602.5)। CWC की बाढ़ आकलन रिपोर्टें प्रत्येक उप-क्षेत्र के लिए SUH प्राचलों के समाश्रयण (regression) समीकरण, डिजाइन वर्षा घटना की अवधि, एक स्थिर हानि दर, और ARF तथा समय-वितरण वक्र देती हैं (CWC 1984, 1987, 1988 और 1993; अध्याय 2 देखें)। ये प्राकृतिक, अधिकांशतः ग्रामीण जलग्रहण क्षेत्रों से ऐसे आँकड़ों से निकाले गए थे जो 1984 से 1993 की रिपोर्टों से पहले के हैं, इसलिए ये शहरीकृत नहीं, बल्कि विकास-पूर्व स्थितियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसी कारण SUH को विकास-पश्चात मॉडल के रूप में नहीं, बल्कि तुलना-मानक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। खंड 3.11.4(d) खंड 2.3.3 के न्यूनतम सीमा सिद्धांत को प्रतिबिंबित करता है। भारतीय अध्ययनों में HEC-HMS को CWC उप-क्षेत्र SUH प्रतिक्रियाओं के सापेक्ष अंशांकित किया गया है, जिससे पता चलता है कि दोनों को जोड़ा जा सकता है।

3.11.5 के कम-गुणक विकल्प का आधार NRCS का डेलमार्वा (Delmarva) इकाई हाइड्रोग्राफ है, जो डेलमार्वा प्रायद्वीप के समतल, कम चैनल वाले तटीय मैदानी जलग्रहण क्षेत्रों के लिए 284 (PRF' ≈ 0.122) के चरम दर गुणक का उपयोग करता है (Welle et al., 1980, जैसा NRCS ने अपनाया; New Jersey Department of Agriculture, Delmarva bulletin, जो 285 का उपयोग करता है)। कम गुणक कम और देर से आने वाला चरम प्रवाह देता है। केवल विकास-पूर्व रन में प्रयुक्त करने पर यह Q_pre को कम करेगा और निकास सीमा को अधिक कठोर बनाएगा; पाइप वाले विकास-पश्चात रन में प्रयुक्त करने पर यह Q_post को कम आँकेगा। खंड 3.11.5(b) दोनों पूर्वाग्रहों को रोकता है।

3.12 रूटिंग

3.12.1 **भंडारण रूटिंग.** अस्थायी भंडारण और प्रतिधारण सुविधाओं, तालाबों, पोखरों और तटबंधों के पीछे के किसी भी भंडारण से होकर रूटिंग में स्तर-ताल रूटिंग (level-pool; modified Puls, storage-indication) का उपयोग किया जाएगा, जिसमें:

- (a) डिजाइन समतलन या सर्वेक्षण से जल स्तर–भंडारण संबंध;
- (b) प्रत्येक आउटलेट (ऑरिफिस, वियर, सरप्लस वियर, पंप) के लिए जल स्तर–प्रवाह दर संबंध, जिसमें अध्याय 4 का न्यूनतम ऑरिफिस और कचरा-रोधी जाली सम्मिलित हैं; और
- (c) जहाँ टेलवाटर आउटलेट के हेड–प्रवाह दर संबंध को प्रभावित करता है, वहाँ अध्याय 5 की टेलवाटर सीमा-स्थिति।

3.12.2 **चैनल रूटिंग.** चैनलों और ड्रेन से होकर रूटिंग में मस्किंगम–कुंज (Muskingum–Cunge) विधि का, या चैनल ज्यामिति या अंशांकन से निकाले गए प्राचलों K और X के साथ मस्किंगम विधि का, उपयोग किया जाएगा। मस्किंगम विधि के लिए रूटिंग अंतराल Δt, 2KX ≤ Δt ≤ 2K(1 − X) को संतुष्ट करेगा।

3.12.3 **आनुषंगिक भंडारण.** सड़क तटबंधों, पुलियों या सीमा दीवारों के पीछे का ऐसा भंडारण जो किसी अनुमोदित सुविधा का भाग नहीं है, डिजाइन में तब तक नहीं गिना जाएगा जब तक प्राधिकारी संतुष्ट न हो कि उसका डिजाइन आयु तक रखरखाव किया जाएगा।

3.12.4 **डायनेमिक-वेव रूटिंग.** डायनेमिक-वेव (पूर्ण सेंट-वेनांट, Saint-Venant) रूटिंग का, SWMM में या HEC-RAS के अस्थिर प्रवाह (unsteady flow) में, उपयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ:

- (a) आउटफॉल ज्वारीय, नदी या तालाब के पश्चजल के अधीन है (अध्याय 5, खंड 3.10.4);
- (b) प्रवाह उलट सकता है, या नेटवर्क में लूप या अतिप्रवाह कड़ियाँ हैं; या
- (c) डिजाइन घटना में नेटवर्क सरचार्ज होता है और हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन डिजाइन को निर्धारित करती है।

3.12.5 **तालाब शृंखलाएँ.** शृंखला के प्रत्येक तालाब को खंड 3.12.1 के अनुसार, सरप्लस वियर और स्लूइस के हेड–प्रवाह दर संबंधों और अध्याय 7 के प्रलेखित प्रचालन नियम के साथ, रूट किया जाएगा। प्रत्येक तालाब का प्रारंभिक जल स्तर FTL होगा, जब तक कि सतत सिमुलेशन (खंड 3.13) कम स्तर का समर्थन न करे।

> **भाष्य.** भंडारण के लिए modified Puls रूटिंग और चैनलों के लिए मस्किंगम-कुंज APWA की अपेक्षाएँ हैं (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.8)। APWA तटबंधों के पीछे के "आनुषंगिक अस्थायी भंडारण" ("incidental detention") को भी बाहर रखता है, जब तक कि उसका रखरखाव न किया जाए, और 3.12.3 यही नियम अपनाता है। CPHEEO की अस्थायी भंडारण प्रक्रिया 3.12.1 वाले ही तीन इनपुट का उपयोग करती है: अंतर्वाह हाइड्रोग्राफ, जल स्तर–भंडारण वक्र और जल स्तर–प्रवाह दर वक्र (CPHEEO 2019, Part A §8.5.3)। मस्किंगम स्थिरता सीमाएँ मानक हैं (Chow, Maidment और Mays, 1988, §8.4)। यह मैनुअल 3.12.5 में तालाबों (talab), झीलों और जलाशयों को FTL से इसलिए आरंभ करता है क्योंकि राजस्थान की सबसे भारी वर्षा मानसून के मध्य और अंतिम भाग में ऐसे जलाशयों पर होती है जिनमें पहले की वर्षा का पानी आ चुका होता है, और क्योंकि नगरीय जल निकासी के लिए सबसे महत्वपूर्ण झीलें गेटों और एस्केप चैनलों द्वारा अपने पूर्ण स्तर पर रखी जाती हैं। दक्षिण-पश्चिम मानसून राज्य की वार्षिक वर्षा का लगभग 91% लाता है, और 1891–2000 में राज्य को प्रभावित करने वाले 197 चक्रवाती तूफानों और अवदाबों में से अधिकांश अगस्त और सितंबर में राज्य तक पहुँचे (IMD, *Climate of Rajasthan*, 2010)। केंद्रों की सबसे भारी 24-घंटे की वर्षाएँ मानसून के प्रत्येक महीने में हुई हैं, जिनमें 10 जून 2002 को अजमेर में 412.3 mm, 30 जून 1983 को उदयपुर सिटी में 292.0 mm, 2 जुलाई 2001 को कोटा (A) पर 251.7 mm, 19 जुलाई 1981 को जयपुर (सांगानेर) पर 326.0 mm, 16 अगस्त 1973 को जैसलमेर में 204.0 mm, 17 अगस्त 1969 को झालावाड़ में 350.2 mm और 8 सितंबर 1992 को माउंट आबू में 653.0 mm सम्मिलित हैं (IMD, *Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations*)। अजमेर में आना सागर को उसके एस्केप गेट खोलकर उसके गेज पर 13 ft पर रखा जाता है, और जुलाई 2025 में गेट खोले जाने से पहले वह 15 ft 11 in पर था; पिछोला अपने गेज पर 11 ft पर पूर्ण होती है, और फतह सागर 13 ft पर (एक रिपोर्ट 14 ft बताती है) और उदय सागर 24 ft पर पूर्ण होते हैं, और फतह सागर के 11 ft पर पहुँचते ही पिछोला से फतह सागर तक का संपर्क गेट (link gate) बंद कर दिया जाता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। ये स्थानीय शून्य के ऊपर के गेज पाठ्यांक हैं, औसत समुद्र तल के ऊपर के स्तर नहीं, और ये शून्य नहीं मिले हैं [TBC]। राज्य के नगरों में ऐसा कोई तालाब, झील या जलाशय नहीं मिला जिसका बाढ़ के लिए जल स्तर घटाने (flood drawdown) का प्रकाशित प्रचालन नियम हो [TBC]। इसलिए तालाबों, झीलों और जलाशयों को जुलाई के मध्य से भरा हुआ माना जाना चाहिए, गेटों से नियंत्रित झील को WRD या उसके अभिरक्षक से प्राप्त उसके गेट या एस्केप नियम के साथ मॉडल किया जाना चाहिए, और किसी जलाशय को FTL से नीचे केवल वहीं मॉडल किया जाना चाहिए जहाँ खंड 3.13 के अंतर्गत सतत सिमुलेशन या कोई अधिसूचित प्रचालन नियम इसका समर्थन करता हो। खंड 3.13.5(a) में 10 जुलाई से 30 सितंबर की अवधि इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। यह तब आरंभ होती है जब मानसून सामान्यतः लगभग 6 जुलाई तक पूरे राज्य में फैल चुका होता है (आगमन की नई सामान्य तिथि झालावाड़ में 24 जून, जयपुर में 29 जून, जोधपुर में 2 जुलाई और बीकानेर और पोकरण में 6 जुलाई; IMD, Pai et al., 2020), क्योंकि पश्चिम में जुलाई के आरंभ के सूखे दिन प्रारंभिक स्तर को कम कर देंगे। यह 30 सितंबर को समाप्त होती है, वह तिथि जिस तक यह मैनुअल गेटों, पंपों और एस्केप चैनलों को स्टैंडबाय पर रखता है, क्योंकि मानसून की वापसी सामान्यतः पोकरण में 17 सितंबर और झालावाड़ में 28 सितंबर के बीच

पूरी होती है (IMD, Pai et al., 2020)। अक्तूबर में भी भारी वर्षा घटनाएँ हुई हैं, जैसे 5 अक्तूबर 1989 को नसीराबाद में 500.0 mm (IMD, *Climate of Rajasthan*) और 5 अक्तूबर 1997 को झालावाड़ में 350.0 mm (IMD, *Extremes*), इसलिए सतत सिमुलेशन अभिलेख को अक्तूबर और नवंबर तक चलाएगा, यद्यपि प्रारंभिक स्तर उसी अवधि से लिया जाता है।

3.13 सतत सिमुलेशन

3.13.1 **कब अपेक्षित है.** डिजाइन वर्षा घटना विश्लेषण के अतिरिक्त, निम्नलिखित के लिए सतत सिमुलेशन किया जाएगा:

- (a) 25 km² से अधिक की निकासी करने वाली क्षेत्रीय सुविधाएँ; और
- (b) ऐसी कोई भी प्रणाली जिसमें ऐसी तालाब शृंखला सम्मिलित है जिसका भंडारण डिजाइन में गिना जाता है (अध्याय 7)।

प्राधिकारी किसी भी ऐसी सुविधा के लिए भी इसकी अपेक्षा कर सकता है जहाँ प्रारंभिक भंडारण स्तर डिजाइन को निर्धारित करता है।

3.13.2 **वर्षा इनपुट.**

- (a) IMD या जलग्रहण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी अन्य अनुमोदित स्व-अभिलेखी वर्षामापी का सबसे लंबा उपलब्ध प्रति घंटा अभिलेख प्रयुक्त किया जाएगा।
- (b) जहाँ प्रति घंटा आँकड़े 30 वर्ष से कम के हैं, वहाँ अभिलेख को IMD के 0.25° ग्रिड दैनिक आँकड़ों से बढ़ाया जाएगा। पूरे ग्रिड अभिलेख (1901 से वर्तमान तक) का उपयोग किया जाना चाहिए; कम से कम सबसे हाल के 30 वर्षों का उपयोग किया जाएगा। दैनिक आँकड़ों को प्रस्तुति में बताई गई किसी विधि से प्रति घंटा आँकड़ों में विभाजित किया जाएगा और अतिव्यापी वर्षों के लिए प्रति घंटा वर्षामापी से उनकी जाँच की जाएगी। जहाँ लागू हो, ग्रिड मानों को खंड 2.7.1 के अंतर्गत बिंदु मानों में परिवर्तित किया जाएगा।
- (c) भविष्य की जलवायु वाला रन अभिलेख को खंड 2.8 के जलवायु गुणकों से मापित करेगा।

3.13.3 **मॉडल की विषय-वस्तु.** मॉडल में वाष्पीकरण (IMD पैन वाष्पीकरण या समतुल्य) के साथ मृदा-नमी लेखांकन, भूजल या आधार प्रवाह, प्रचालन नियमों और सिंचाई के लिए निकासी के साथ तालाब भंडारण, और अध्याय 5 की टेलवाटर शृंखला (तटीय आउटफॉल के लिए पूर्वानुमानित ज्वार और महोर्मि के लिए अतिरिक्त प्रावधान) सम्मिलित होंगे।

3.13.4 **परिणामों का उपयोग.** जल स्तर, भंडारण और आयतन के वार्षिक अधिकतम मान, और आउटफॉल बंद रहने की अवधि, निकाले जाएँगे और उन पर आवृत्ति विश्लेषण फिट किया जाएगा। परिणामों की तुलना डिजाइन वर्षा घटना के परिणामों से की जाएगी। प्रत्येक AEP पर अधिक गंभीर परिणाम लागू होगा। जहाँ सतत अभिलेख दैनिक आँकड़ों से विभाजित किया गया था, वहाँ एक दिन से कम प्रतिक्रिया समय वाली ड्रेन और चैनलों के चरम प्रवाह डिजाइन वर्षा घटना विश्लेषण से लिए जाएँगे, क्योंकि विभाजित प्रति घंटा चरम मान कृत्रिम होते हैं।

3.13.5 **दो-पदीय पद्धति.** सतत सिमुलेशन में पूर्ण हाइड्रोलिक मॉडल का उपयोग आवश्यक नहीं है। इसमें दैनिक या प्रति घंटा समय पद पर एक सरलीकृत जलवैज्ञानिक और भंडारण मॉडल का उपयोग किया जा सकता है, जो 3.13.3 की मृदा नमी, भूजल, तालाब भंडारण, प्रचालन नियमों और टेलवाटर का प्रतिनिधित्व करता हो। इसके परिणाम पूर्ण हाइड्रोलिक मॉडल के डिजाइन वर्षा घटना रनों को निम्नलिखित रूप में दिए जाएँगे:

- (a) **प्रत्येक तालाब का प्रारंभिक स्तर**, जो अभिलेख की अवधि में 10 जुलाई से 30 सितंबर तक के 10% दिनों में पार होने वाला स्तर लिया जाएगा; और
- (b) **पूर्ववर्ती मृदा-नमी स्थिति**, जो उन्हीं दिनों से ली जाएगी और खंड 3.8 के AMC नियम से तुलना की जाएगी।

डिजाइनकर्ता यह दर्शाएगा कि सरलीकृत मॉडल कम से कम एक दर्ज घटना के लिए पूर्ण मॉडल के जल संतुलन को दोहराता है।

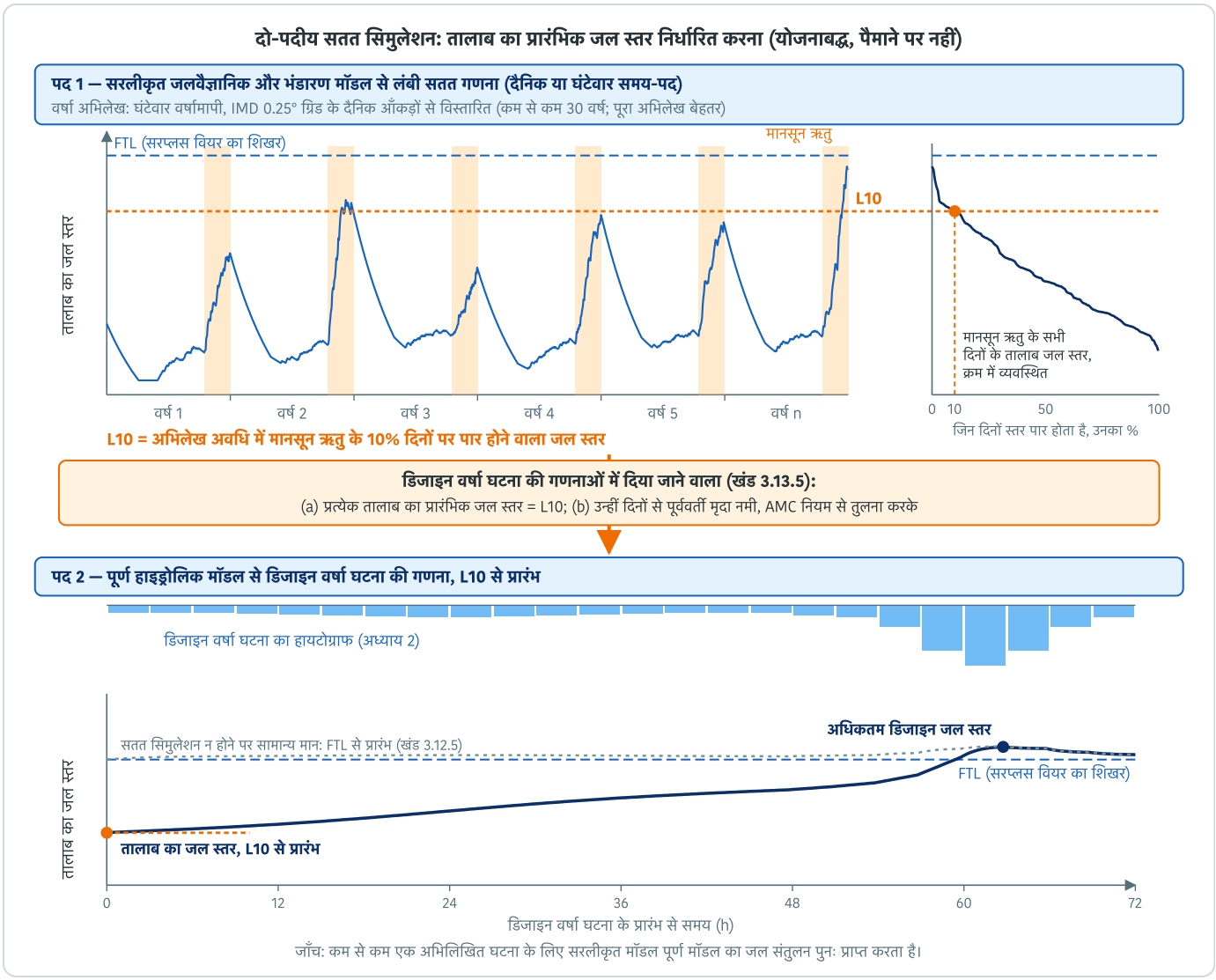

चित्र 3.4 — खंड 3.13.5 की दो-पदीय पद्धति। पद 1: सरलीकृत जलवैज्ञानिक और भंडारण मॉडल से एक लंबा सतत रन 10 जुलाई से 30 सितंबर तक के 10% दिनों में पार होने वाला तालाब का स्तर (L10) देता है। पद 2: डिजाइन वर्षा घटनाएँ पूर्ण हाइड्रोलिक मॉडल में खंड 3.12.5 के FTL वाले डिफॉल्ट प्रारंभ के स्थान पर उसी प्रारंभिक स्तर से चलाई जाती हैं। योजनाबद्ध, वास्तविक आँकड़े नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, जो खंड 3.13.5 में इस मैनुअल द्वारा निर्धारित दो-पदीय पद्धति को दर्शाती है।

भाष्य. डिजाइन वर्षा घटनाएँ एक ही प्रारंभिक स्थिति मानती हैं, किंतु तालाब शृंखला में निर्णायक चर यह है कि वर्षा घटना आने पर तालाब कितने भरे हैं, जो उससे पहले के हफ्तों की वर्षा पर निर्भर करता है। 20 वास्तविक साइट-स्तरीय अस्थायी भंडारण प्रणालियों के एक ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन में पाया गया कि एक कालिक वितरण, या दस के समूह, पर आधारित डिजाइन भी वास्तविक वर्षा में "विश्वसनीय रूप से ऐसा OSD प्रणाली डिजाइन नहीं दे सकते जो सदा प्रभावी रहे" ("cannot reliably produce an OSD system design that will always be effective"), और सतत सिमुलेशन ने दर्शाया कि बार-बार होने वाली घटनाओं के चरम प्रवाह विकास-पूर्व स्तरों से अधिक थे (Water Science and Engineering, 2019)। 3.13.2(b) में 30 वर्ष की न्यूनतम अवधि खंड 2.3.2 के केंद्र IDF नियम के अनुरूप है; लंबा अभिलेख बेहतर है, और 1901 से आरंभ होने वाला IMD का ग्रिड दैनिक अभिलेख राजस्थान के लिए व्यावहारिक लंबी शृंखला है। अभिलेख की लंबाई इतनी महत्वपूर्ण नहीं जितना यह कि सिमुलेशन किसलिए है। यहाँ इसका मुख्य प्रयोजन यह पता लगाना है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून की वर्षा घटना आने पर तालाब और मृदा सामान्यतः कितने भरे होते हैं, और भारी वर्षा कितनी बार बंद आउटफॉल के साथ होती है। डिजाइन वर्षा घटना इनमें से किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकती, क्योंकि वह एक मानी गई स्थिति से आरंभ होती है। इसका उद्देश्य शहरी ड्रेन में चरम प्रवाह के लिए डिजाइन वर्षा घटनाओं का स्थान लेना नहीं है। इसलिए खंड 3.13.5 लंबे रन को एक सरल भंडारण मॉडल से चलाने की अनुमति देता है, जिसमें कुछ ही मिनट लगते हैं, और तालाबों के प्रारंभिक स्तर विस्तृत हाइड्रोलिक मॉडल को देता है, जिसे

फिर केवल डिजाइन वर्षा घटनाओं के लिए चलाया जाता है। शहर के विस्तृत 1D–2D मॉडल को दशकों तक लगातार चलाना शायद ही कभी व्यावहारिक होता है और यह अपेक्षित नहीं है। 3.13.5(a) में 10% अतिक्रमण स्तर इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है: यह गीले किंतु असाधारण नहीं मानसून का प्रतिनिधित्व करता है, ताकि डिजाइन वर्षा घटना ऐसे तालाबों पर आए जो पहले से अच्छी तरह भरे हों, जैसे वे अगस्त 2006 में उदयपुर में थे, जब क्षेत्र के सभी जलाशयों के उफनने की खबर थी, या जुलाई 2025 में अजमेर में, जब एस्केप गेट खोले जाने से पहले आना सागर अपने गेज पर 13 ft के पूर्ण गेज स्तर के सामने 15 ft 11 in पर था (प्रकाशित खबरों के अनुसार)।

3.14 विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना की प्रक्रिया

3.14.1 खंड 2.11 और अध्याय 4 द्वारा अपेक्षित तुलना निम्नलिखित पदों द्वारा की जाएगी। परिणाम प्रपत्र 3-2 में दर्ज किए जाएँगे।

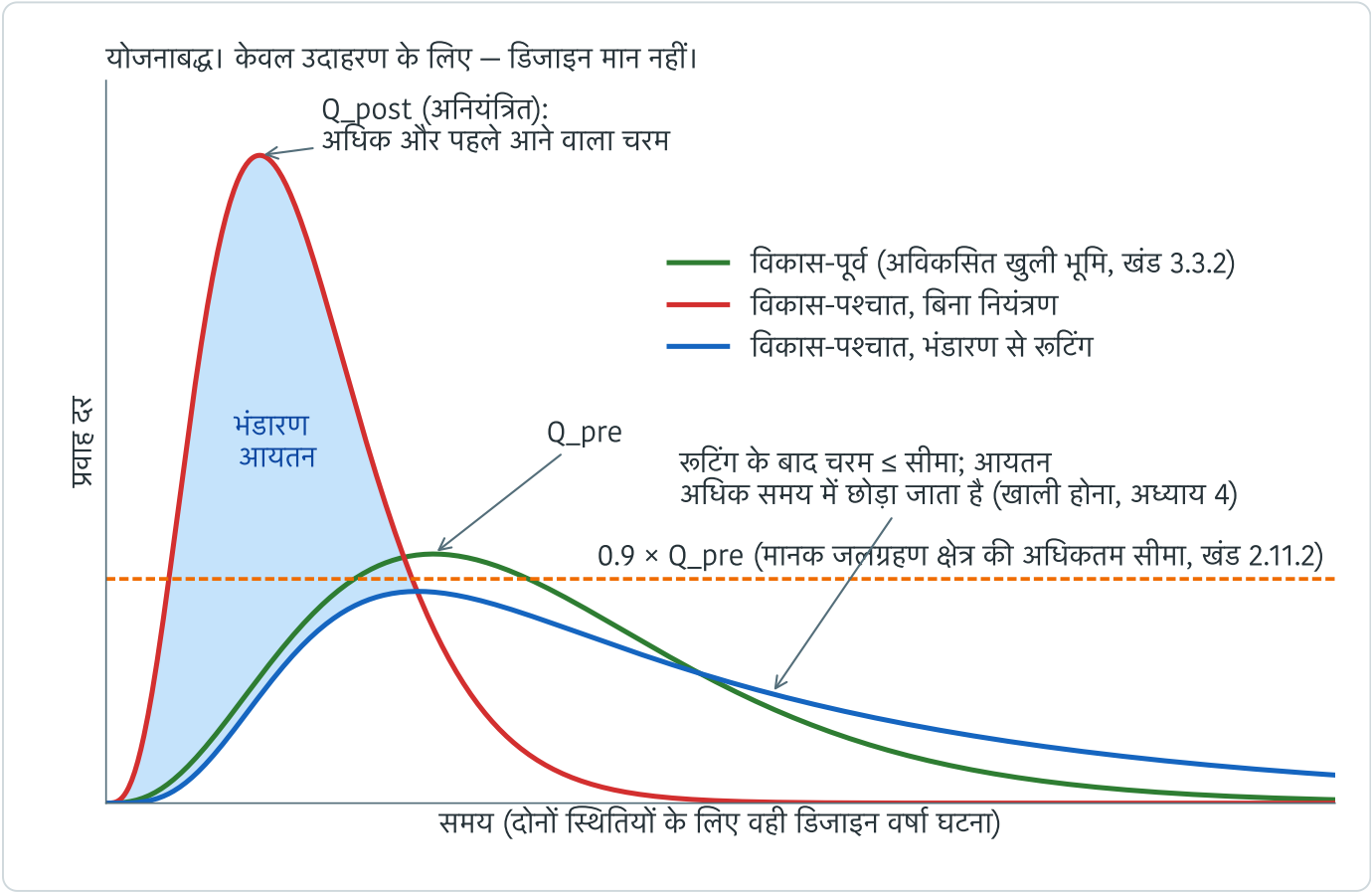

चित्र 3.5 — एक ही डिजाइन वर्षा घटना के लिए विकास-पूर्व, अनियंत्रित विकास-पश्चात और रूट किए गए विकास-पश्चात हाइड्रोग्राफ। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems, Part A §8.5, 2019, और KC Metro APWA Section 5600, 2025.01 की विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात अस्थायी भंडारण अवधारणा से अनुकूलित। योजनाबद्ध। केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं।

3.14.2 **पद 1 — साइट, जलग्रहण क्षेत्र और तुलना बिंदु परिभाषित करें.**

- (a) सर्वेक्षण से साइट और उसकी ओर बहने वाले प्रत्येक क्षेत्र का सीमांकन करें।
- (b) प्रत्येक ऐसे POC की पहचान करें जहाँ अपवाह साइट से बाहर निकलता है। प्रत्येक POC की जाँच अलग से की जाएगी। मानदंड पूरा करने के लिए अपवाह को एक प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्र से दूसरे में नहीं मोड़ा जाएगा।

- (c) साइट के बाहर से आने वाले अपवाह को दोनों रन में उसकी विद्यमान स्थिति पर एक समान मॉडल करें (खंड 3.3.5(b))। जहाँ यह साइट के भंडारण से होकर गुजरता है, वहाँ मानदंड POC पर कुल बहिर्वाह पर लागू होता है।

3.14.3 **पद 2 — मृदा.** HSG का मानचित्रण करें (खंड 3.7), उच्च भूजल स्तर नियम (खंड 3.10.1) लागू करें और अंतःस्यंदन परीक्षण दर्ज करें।

3.14.4 **पद 3 — विकास-पूर्व मॉडल.** खंड 3.3.2 के अनुसार विकास-पूर्व मॉडल बनाएँ: अविकसित खुली भूमि का CN (तालिका 3.5), Tc (खंड 3.6, n = 0.15 के साथ), और विद्यमान जलाशय तथा चैनल। AMC II और AMC III पर CN की गणना करें।

3.14.5 **पद 4 — विकास-पश्चात मॉडल.** खंड 3.3.3 के अनुसार विकास-पश्चात मॉडल बनाएँ: मापे गए अपारगम्य क्षेत्र, संबद्धता (खंड 3.9), विक्षुब्ध मृदा का HSG, CN, Tc, और प्रस्तावित प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण और आउटलेट भंडारण के रूप में (खंड 3.12.1)।

3.14.6 **पद 5 — डिजाइन वर्षा घटनाएँ.** अध्याय 2 से प्रत्येक अपेक्षित AEP (50%, 10% और 1%; 2-, 10- और 100-वर्ष) और {1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72 h} की प्रत्येक अवधि के लिए तैयार करें:

- जलवायु गुणक (खंड 2.8) सहित गहराई, साइट के लिए ARF = 1.0 (खंड 2.7.4);
- हायटोग्राफ (खंड 2.9); और
- AMC (खंड 2.11.4)।

दोनों रन में वही वर्षा घटनाएँ प्रयुक्त की जाएँगी (खंड 2.11.1)।

3.14.7 **पद 6 — विकास-पूर्व मॉडल चलाएँ**, प्रत्येक वर्षा घटना के लिए, और Q_pre(T, d) को सारणीबद्ध करें। बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के लिए सभी अवधियों में 10% AEP का सबसे बड़ा विकास-पूर्व चरम प्रवाह पहचानें; वही मान खंड 2.11.3 की सीमा है।

3.14.8 **पद 7 — नियंत्रणों के बिना विकास-पश्चात मॉडल चलाएँ** और Q_post(T, d) तथा अपवाह आयतनों को सारणीबद्ध करें। इससे समस्या का आकार पता चलता है, और इसे प्रस्तुत किया जाता है, इसकी जाँच नहीं की जाती।

3.14.9 **पद 8 — प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण जोड़ें.**

- (a) अध्याय 4 के प्रतिधारण आयतन को ऐसे भंडारण के रूप में दर्शाएँ जो अध्याय 4 के अंतर्गत सत्यापित अवधि के भीतर अंतःस्यंदन या पुनः उपयोग में चला जाता है (POC की ओर नहीं छोड़ा जाता)।
- (b) शेष हाइड्रोग्राफ को अस्थायी भंडारण और आउटलेटों से होकर रूट करें (खंड 3.12.1)।
- (c) जहाँ आउटफॉल ज्वारीय है या पश्चजल के अधीन है, वहाँ अध्याय 5 का टेलवाटर, खंड 2.12 की संयुक्त स्थितियों सहित, लागू करें।
- (d) भंडारण और आउटलेटों को तब तक समायोजित करें जब तक पद 9 पूरा न हो।

3.14.10 **पद 9 — मानदंड की जाँच करें**, प्रत्येक POC पर, प्रत्येक AEP और प्रत्येक अवधि के लिए:

- (a) मानक जलग्रहण क्षेत्र: 50%, 10% और 1% AEP के लिए Q_post(T) ≤ 0.9 × Q_pre(T) (खंड 2.11.2);
- (b) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र: Q_post(1% AEP) ≤ Q_pre(10% AEP), और Q_post(50% AEP) ≤ Q_pre(50% AEP) (खंड 2.11.3)।

भंडारण के लिए निर्णायक अवधि वह है जिसमें सबसे बड़े भंडारण की आवश्यकता होती है या जो सबसे ऊँचा जल स्तर देती है; 24, 48 और 72 h के रन सदा प्रस्तुत किए जाते हैं (खंड 2.5.2)।

3.14.11 **पद 10 — संवेदनशीलता रन.** निर्णायक वर्षा घटनाओं के लिए पद 6–9 को Ia = 0.05S (खंड 3.8.5) के साथ, और जहाँ कम चरम दर गुणक प्रयुक्त किया गया है वहाँ मानक गुणक (खंड 3.11.5) के साथ, दोहराएँ। चरम प्रवाहों और आवश्यक भंडारण में परिवर्तन प्रस्तुत करें।

3.14.12 **पद 11 — संबद्ध जाँचें.** अंतिम रूट किए गए मॉडल का उपयोग करके अध्याय 4 के खाली होने के समय, न्यूनतम ऑरिफिस और आपातकालीन स्पिलवे, अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद भंडारण जाँच, और अध्याय 5 के अनुप्रवाह विश्लेषण की जाँच करें।

3.14.13 **पद 12 — परिणामों का प्रलेखन** प्रपत्र 3-1 और 3-2 में करें (खंड 3.17)।

> **भाष्य.** पदों का क्रम मानक घटना-आधारित कार्यप्रवाह के अनुसार है: सीमांकन करें; विकास-पूर्व CN और Tc निर्धारित करें; विकास-पश्चात CN और कम Tc निर्धारित करें; एक जैसी वर्षा घटनाओं को इकाई हाइड्रोग्राफ या काइनेमैटिक मॉडल से चलाएँ; चरम प्रवाहों और आयतनों की तुलना करें; और modified Puls रूटिंग से भंडारण का आकार निर्धारित करें। इसमें राजस्थान के तत्व जोड़े गए हैं: 48–72 h की वर्षा घटनाएँ, AMC III और टेलवाटर। चित्र 3.5 दर्शाता है कि लंबी अवधि के रन क्यों महत्वपूर्ण हैं: रूट किया गया चरम प्रवाह सीमा के भीतर हो सकता है, जबकि भंडारण विकास-पश्चात और विकास-पूर्व हाइड्रोग्राफ के बीच के आयतन के अंतर को रोके रखता है, जिसे फिर अध्याय 4 की सीमाओं के भीतर खाली होना होगा। 3.14.2(b) में जलग्रहण क्षेत्रों के बीच अपवाह मोड़ने पर रोक किसी साइट को प्रवाह को पड़ोसी की ड्रेन में भेजकर एक POC पर नियम पूरा करने से रोकती है।

3.15 मॉडल अंशांकन और वैधीकरण

3.15.1 **कब अपेक्षित है.** अंशांकन और वैधीकरण निम्नलिखित के लिए अपेक्षित हैं:

- (a) 25 km^2 या अधिक के जलग्रहण क्षेत्र मॉडल;
- (b) खंड 3.13 के अंतर्गत क्षेत्रीय सुविधाएँ और सतत सिमुलेशन;
- (c) शहर या बेसिन के जल निकासी मास्टर प्लान; और
- (d) ऐसा कोई भी मॉडल जिसके प्राचल इस अध्याय के डिफॉल्ट मानों से भिन्न हैं (उदाहरण के लिए क्लार्क रूपांतरण या कम चरम दर गुणक)।

3.15.2 **आँकड़े.** अंशांकन में प्रेक्षित वर्षा (वर्षामापी, और जहाँ उपलब्ध हो वहाँ रडार) और प्रेक्षित प्रवाह या जल स्तर (WRD के गेजिंग स्थल, JMC या RSDMA के स्तर संवेदक, तालाब गेज, या सर्वेक्षित बाढ़ चिह्न) का उपयोग किया जाएगा।

3.15.3 **घटनाएँ.** अंशांकन के लिए कम से कम तीन स्वतंत्र घटनाओं का और वैधीकरण के लिए कम से कम एक और घटना का उपयोग किया जाएगा। कम से कम एक घटना दक्षिण-पश्चिम मानसून या चक्रवात की लंबी अवधि की घटना होगी (उदाहरण के लिए, जहाँ आँकड़े उपलब्ध हों, 18–20 जुलाई 1981 की जयपुर की वर्षा घटना (19 जुलाई को जयपुर (सांगानेर) पर 24 घंटों में 326.0 mm, IMD), 19–22 अगस्त 2006 की बाड़मेर की वर्षा (3 दिनों में लगभग 577 mm, प्रकाशित खबरों के अनुसार), जुलाई 2022 की जोधपुर की वर्षा घटना (5 घंटों में लगभग 118 mm, प्रकाशित खबरों के अनुसार) या कोटा में सितंबर 2019 की चंबल की बाढ़)।

3.15.4 **निष्पादन.** प्रस्तुति में प्रत्येक घटना के लिए प्रेक्षित और मॉडल किए गए चरम प्रवाह, आयतन और चरम तक समय, और सतत मॉडलों के लिए नैश–सटक्लिफ दक्षता (Nash–Sutcliffe efficiency, NSE) और प्रतिशत पूर्वाग्रह (percent bias) प्रस्तुत किए जाएँगे। मार्गदर्शन के रूप में, अंशांकित मॉडल को घटना के चरम प्रवाहों और आयतनों को ±25% के भीतर दोहराना चाहिए, और सतत मॉडल को NSE ≥ 0.5 और ±25% के भीतर प्रतिशत पूर्वाग्रह प्राप्त करना चाहिए।

3.15.5 **अंशांकन की सीमाएँ.** अंशांकन का उपयोग इस अध्याय की डिफॉल्ट विधियों द्वारा दिए गए डिजाइन प्रवाहों से कम डिजाइन प्रवाहों को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जाएगा, जब तक कि साइट-विशिष्ट कारकों की पूरी तरह जाँच और प्रलेखन न किया गया हो और प्राधिकारी सहमत न हो।

3.15.6 **औचित्य जाँच.** डिजाइन चरम प्रवाहों को जलग्रहण क्षेत्रफल के सापेक्ष प्रति इकाई क्षेत्र प्रवाह दर के रूप में आलेखित किया जाएगा और CWC SUH परिणामों, क्षेत्रीय गेज-आधारित अनुमानों और ज्ञात ऐतिहासिक बाढ़ों से उनकी तुलना की जाएगी।

भाष्य. खंड 3.15.5 और 3.15.6 APWA के अनुसार हैं, जो कहता है कि "मॉडल अंशांकन का उपयोग ऐसे प्रवाह दर अनुमानों को उचित ठहराने के लिए नहीं किया जाएगा जो आधारभूत इकाई हाइड्रोग्राफ विधि द्वारा दिए गए अनुमानों से कम हों" ("model calibration shall not be used to justify discharge estimates that are lower than those provided by the baseline unit hydrograph method") और अपेक्षा करता है कि इकाई प्रवाह दरों को सहायक क्षेत्रफल के सापेक्ष आलेखित किया जाए और समाश्रयण, गेज और ऐतिहासिक मानों से उनकी तुलना की जाए (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.9)। 3.15.3 और 3.15.4 में घटनाओं की संख्या और निष्पादन मान इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। NSE ≥ 0.5 और ±25% पूर्वाग्रह की सीमाएँ Moriasi et al. (2007) की "संतोषजनक" ("satisfactory") धारा-प्रवाह श्रेणियाँ हैं, जो मासिक सतत सिमुलेशन के लिए विकसित की गई थीं; यहाँ घटना के चरम प्रवाहों और आयतनों के लिए उनका उपयोग एक विस्तार है।

3.16 सॉफ्टवेयर स्वीकार्यता

3.16.1 **स्वीकार्य सॉफ्टवेयर.** निम्नलिखित, प्रस्तुति के समय प्रचलित संस्करण में, बिना किसी और प्रदर्शन के स्वीकार किए जाते हैं:

- (a) EPA Storm Water Management Model (SWMM 5.x);
- (b) USACE HEC-HMS और HEC-RAS;
- (c) USDA NRCS WinTR-55 और WinTR-20; और
- (d) रेशनल विधि और एकल-क्षेत्र SCS-CN गणनाओं के लिए स्प्रेडशीट, जहाँ प्रत्येक सूत्र और इनपुट दर्शाया गया हो।

3.16.2 **अन्य सॉफ्टवेयर.** SWMM या HEC इंजनों पर बने वाणिज्यिक पैकेज स्वीकार किए जाते हैं, यदि इंजन और संस्करण बताया गया हो। कोई अन्य विधि या सॉफ्टवेयर केवल तभी स्वीकार किया जाता है जब डिजाइनकर्ता प्रत्येक उप-भाग के लिए उस विधि और 3.16.1 की किसी आधारभूत विधि, दोनों से चरम प्रवाह, पश्चता समय, अपवाह आयतन और समतुल्य CN प्रस्तुत करे, 5% से अधिक के प्रत्येक अंतर की पहचान करे, और कम सुरक्षित परिणाम देने वाले प्रत्येक अंतर का औचित्य दे।

3.16.3 **बेंचमार्क समस्याएँ.** प्राधिकारी बेंचमार्क परीक्षण समस्याएँ प्रकाशित करेगा (परिशिष्ट 3C)। 3.16.1 में सूचीबद्ध न किया गया सॉफ्टवेयर उन्हें बताई गई सहनसीमा के भीतर दोहराएगा।

3.16.4 **मॉडल फाइलें.** हाइड्रोग्राफ-आधारित प्रत्येक डिजाइन के साथ मूल (native) मॉडल इनपुट और आउटपुट फाइलें प्रस्तुत की जाएँगी।

भाष्य. 5% समतुल्यता परीक्षण वैकल्पिक विधियों के लिए APWA का नियम है (KC Metro APWA 5600, 2011, §5602.2D)। APWA आधारभूत विधियों के रूप में TR-55, TR-20, HEC-1 और HEC-HMS का नाम लेता है (§5602.2B)। CPHEEO हाइड्रोग्राफ और सतत मॉडलिंग के लिए SWMM का नाम लेता है (CPHEEO 2019, Part A §4.4.2)। मूल मॉडल फाइलें प्रस्तुत करने से प्राधिकारी मॉडल को फिर से चला सकता है, और यह समीक्षा न किए जा सकने वाले "ब्लैक-बॉक्स" परिणामों के विरुद्ध मुख्य सुरक्षा उपाय है।

3.17 प्रलेखन

प्रत्येक जलवैज्ञानिक प्रस्तुति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

1. **प्रपत्र 3-1, जलवैज्ञानिक गणना सारांश**, जिसमें प्रयुक्त विधि और उसका कारण (तालिका 3.1), सॉफ्टवेयर और संस्करण, और गणना अंतराल बताया गया हो।

2. विकास-पूर्व और विकास-पश्चात स्थितियों के लिए **जलग्रहण क्षेत्र मानचित्र**, जिनमें उप-भाग, Tc के लिए प्रयुक्त प्रवाह मार्ग, POC, और साइट के बाहर से आने वाला अपवाह दर्शाया गया हो।
3. **मृदा:** HSG मानचित्र और उसका स्रोत तथा पैमाना (खंड 3.7), भूजल स्तर के आँकड़े (खंड 3.10), और अंतःस्यंदन परीक्षण के परिणाम।
4. प्रत्येक उप-भाग और स्थिति के लिए **प्राचल तालिकाएँ**: क्षेत्रफल, प्रकार और संबद्धता के अनुसार अपारगम्य क्षेत्र, HSG, AMC II और III पर CN (या C और Cf), Tc की कार्य-पत्रिकाएँ, और n के मान।
5. **वर्षा:** डिजाइन वर्षा पत्रक (प्रपत्र 2-1) और प्रयुक्त हायटोग्राफ।
6. **परिणाम:** प्रत्येक वर्षा घटना के लिए हाइड्रोग्राफ तालिकाएँ और आलेख; जल स्तर–भंडारण और जल स्तर–प्रवाह दर तालिकाएँ; रूट किए गए बहिर्वाह; और चरम जल स्तर।
7. **प्रपत्र 3-2, विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना**, जिसमें प्रत्येक POC, AEP और अवधि के लिए Q_pre, Q_post (अनियंत्रित और रूट किया गया) और मानदंड, तथा खंड 3.14.11 के संवेदनशीलता रन हों।
8. जहाँ खंड 3.15 लागू होता है, वहाँ **अंशांकन रिपोर्ट**।
9. **मॉडल फाइलें** (खंड 3.16.4)।
10. **उत्तरदायी अभियंता का एक कथन** कि इस अध्याय की विधियों और प्राचलों का उपयोग किया गया है, और किसी भी विचलन की सूची और उसका औचित्य दिया गया हो।

संदर्भ (अध्याय)

- MoHUA / CPHEEO (2019). Manual on Storm Water Drainage Systems, Volume I, Part A: Engineering Design. Ministry of Housing and Urban Affairs, New Delhi. §4.4 (Rational Method, Table 4.2 runoff coefficients, time of concentration, partial area effect), §8.5 (detention).
- Kansas City Metro Chapter APWA (2011). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities (Feb 16, 2011), §5602.2–5602.9.
- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01, §5603.4. https://kcmetro.apwa.org/wp-content/uploads/sites/23/2026/01/APWA-Section-5600_Storm-Drainage-Systems-Facilities.pdf
- Mid-America Regional Council (2025). APWA Stormwater Standards Supplement (Policy Supplement). https://www.marc.org/document/apwa-stormwater-standards-supplement
- USDA Soil Conservation Service (1986). Urban Hydrology for Small Watersheds, Technical Release 55 (TR-55), 2nd ed. Tables 2-2a, 2-2c, 3-1; Figures 2-3, 2-4, 3-1.
- USDA NRCS. National Engineering Handbook, Part 630 Hydrology: Ch. 7 Hydrologic Soil Groups (2009); Ch. 9 Hydrologic Soil-Cover Complexes; Ch. 10 Estimation of Direct Runoff from Storm Rainfall (2004); Ch. 15 Time of Concentration (2010); Ch. 16 Hydrographs (2007). https://directives.nrcs.usda.gov/
- Hawkins, R.H., Jiang, R., Woodward, D.E., Hjelmfelt, A.T. and Van Mullem, J.A. (2002). Runoff curve number method: examination of the initial abstraction ratio. Proc. Second Federal Interagency Hydrologic Modeling Conference, Las Vegas.
- Woodward, D.E., Hawkins, R.H., Jiang, R., Hjelmfelt, A.T., Van Mullem, J.A. and Quan, Q.D. (2003). Runoff curve number method: examination of the initial abstraction ratio. World Water & Environmental Resources Congress, ASCE.
- Welle, P.I., Woodward, D.E. and Moody, H.F. (1980). A dimensionless unit hydrograph for the Delmarva Peninsula. American Society of Agricultural Engineers paper. New Jersey Department of Agriculture, Delmarva Unit Hydrograph bulletin भी देखें। https://nj.gov/agriculture/divisions/anr/pdf/DelmarvaBulletin.pdf
- Chow, V.T., Maidment, D.R. and Mays, L.W. (1988). Applied Hydrology. McGraw-Hill. §5.5 (SCS method, AMC), §8.4 (Muskingum), Table 15.1.2 (Kirpich).
- Kirpich, Z.P. (1940). Time of concentration of small agricultural watersheds. Civil Engineering 10(6), 362.
- Merkel, W.H. (2001), परत प्रवाह की लंबाई के संबंध में, जैसा USDA NRCS NEH Part 630, Ch. 15 (2010) में उद्धृत है।
- ASCE and WPCF (1969). Design and Construction of Sanitary and Storm Sewers. ASCE Manual of Practice No. 37.
- Texas Department of Transportation. Hydraulic Design Manual, Ch. 4, §12 Runoff Coefficients. https://www.txdot.gov/manuals/des/hyd/chapter-4--hydrology/section-12--rational-method/runoff-coefficients.html
- Central Water Commission (1993). Flood Estimation Report for Luni Subzone 1(a). Report No. L/20/1992 (आवरण पर L-20/1993), November 1993, approved at the 50th meeting of the Committee, 17 January 1992. https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report (12 अप्रैल 2016 की Internet Archive प्रति से पढ़ा गया, फाइल "Luni subzone 1(a)", 93 पृष्ठ; स्थान का पाठ, नदी प्रणाली, वर्षा और मृदाएँ प्रकाशीय अक्षर पहचान से पढ़े गए, और हल किया गया उदाहरण (पृ. 19), सर्वाधिक वर्षा का अनुलग्नक 4.3 और प्लेट 9 और 10 का राजस्थान वाला भाग पृष्ठ-छवियों से जाँचे गए; पढ़ी गई प्रति में अनुलग्नक 4.1 और 4.2 विकृत हैं [TBC])

- Central Water Commission (1987). Flood Estimation Report for Mahi and Sabarmati Subzone 3(a). Design Office Report No. MS/13/1986 (मुद्रित "M5/13/1986"), January 1987, approved at the 44th meeting of the Flood Estimation Planning and Co-ordination Committee, 7–8 August 1986, Gandhinagar। https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report (Internet Archive प्रति से पढ़ा गया; राजस्थान के लिए क्षेत्र-विस्तार का पाठ प्रकाशीय अक्षर पहचान से और प्लेट 10 और 11 का राजस्थान वाला कोना आँख से पढ़ा गया)
- Central Water Commission (1988). Flood Estimation Report for Chambal Subzone 1(b). Design Office Report No. C/16/1988, December 1988, placed before the Flood Estimation Planning and Co-ordination Committee at Bhopal in September 1988 (दिन प्रकाशीय अक्षर पहचान से 16 सितंबर पढ़ा गया [TBC])। https://cwc.gov.in/regional-flood-estimation-report (12 अप्रैल 2016 की Internet Archive प्रति से पढ़ा गया; संबंध तालिका, डिजाइन वर्षा घटना का सूत्र (पृ. 40), सर्वाधिक वर्षा की Table 7 और प्लेट 9 और 10 का राजस्थान वाला भाग पृष्ठ-छवियों से जाँचे गए, शेष प्रकाशीय अक्षर पहचान से)
- Central Water Commission (1984). Flood Estimation Report for Upper Indo-Ganga Plains Subzone 1(e). Approved at the 40th meeting of the Planning and Co-ordination Committee, RDSO, Lucknow, 23–24 July 1984; इस मैनुअल के लिए पढ़ी गई स्कैन प्रति पर डिजाइन कार्यालय की रिपोर्ट संख्या नहीं है [TBC]। 17 अप्रैल 2016 की Internet Archive प्रति (78 पृष्ठ) से पढ़ा गया; राजस्थान के लिए स्थान का पाठ प्रकाशीय अक्षर पहचान से और प्लेट 9 और 10 का राजस्थान वाला कोना आँख से। http://web.archive.org/web/20160417155336/http://www.cwc.gov.in:80/main/downloads/Upper%20Indo-Ganga%20Plains%20subzone%201(e).Pdf
- Moriasi, D.N. et al. (2007). Model evaluation guidelines for systematic quantification of accuracy in watershed simulations. Trans. ASABE 50(3), 885–900.
- "OSD for Australian development projects: does it meet frequent flow management objectives?" Water Science and Engineering (2019). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674237019300213
- India Meteorological Department (2010). *Climate of Rajasthan*, Climatological Summaries of States Series No. 16 (1951–2000 के सामान्य मान; जिलों के सामान्य मान और सर्वाधिक 24-घंटे की वर्षा; 1891–2000 के चक्रवाती तूफान और अवदाब; पाठ-परत से पढ़ा गया, तालिकाएँ पृष्ठ-छवियों से जाँची नहीं गईं)। https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20Rajashtan.pdf
- India Meteorological Department. Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012) (राजस्थान के केंद्र, पृ. M173–M189)। https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf
- India Meteorological Department (2020). New normal dates of onset/progress and withdrawal of the southwest monsoon (Pai et al.), 15 मई 2020 की प्रेस विज्ञप्ति, Table 2। https://internal.imd.gov.in/press_release/20200515_pr_804.pdf
- Ghate, A.S. and Timbadiya, P.V. (2022). Effect of discretisation on extreme rainfall analysis: a study of Jaipur city in India. *MAUSAM* 73(2), 341–354. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3570
- Gupta, H.N. and Jindal, O.P. (1987). Unprecedented heavy rainfall in Jaipur (Rajasthan) during 18–20 July 1981. *Mausam* 38(3), 362–364. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3120
- Dhir, R.P., Joshi, D.C., Singh, N., Sharma, B.K. and Kolarkar, A.S. (1997). Taxonomy and distribution of arid soils of Rajasthan. *Annals of Arid Zone* 36(4), 327–333. https://epubs.icar.org.in/index.php/AAZ/article/download/65446/27729/164388

- जोधपुर क्षेत्र की वायूढ़ रेत और दोमट रेत की अंतःस्यंदन दरें (CAZRI monograph, Gupta 1983; *Annals of Arid Zone*) और चंबल कमान क्षेत्र की Kota, Chambal और Sultanpur श्रेणियों की अंतःस्यंदन दरें (Nathani, Sharma और Nagar, *Journal of Soil and Water Conservation*) (खोज सारांशों से उद्धृत) [TBC]। https://epubs.icar.org.in/index.php/JSWC/article/view/128278
- Central Ground Water Board. *Dynamic Ground Water Resources of India* 2023 and 2024 (राजस्थान के आँकड़े; Internet Archive प्रतियों से पढ़े गए)। https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17422956315926010 65file.pdf
- Central Ground Water Board. *Ground Water Year Book 2020-21, Rajasthan* (Internet Archive प्रति से पढ़ी गई)। https://www.cgwb.gov.in/old_website/Regions/WR/Reports/GW%20Year%20Book%202020-21-Rajasthan.pdf
- National Institute of Hydrology (2025). Assessment of water level rise crises in Jodhpur (S. Nema; NWRC Jodhpur, दिसंबर 2023 से मार्च 2025 तक का अध्ययन)। https://nihroorkee.gov.in/studies_2014-2025/135-Assessment%20of%20water%20level%20rise%20crises%20in%20Jodhpur_S.%20Nema.pdf
- जोधपुर के बढ़ते भूजल स्तर पर रिपोर्टें (DNA; Down To Earth, 17 मार्च 2022)। https://www.dnaindia.com/india/report-groundwater-level-rising-in-jodhpur-1271212/amp
- उदयपुर की झीलों और आना सागर के स्तरों पर रिपोर्टें (India Water Portal, 2010; Rajasthan Patrika)। https://www.indiawaterportal.org/climate-change/disasters/storage-above-design-full-tank-level-pichola-swaroop-saagar-and-fatah-saagar-lakes-udaipur ; https://www.patrika.com/ajmer-news/heavy-rain-water-flows-from-anasagar-channel-gate-4925040/
- अगस्त 2006 की बाड़मेर की वर्षा (Down To Earth; Dawn), अगस्त 2006 में उदयपुर की झीलों (OneIndia/UNI), जुलाई 2022 की जोधपुर की वर्षा घटना (IANS) और जुलाई 2025 की अजमेर की वर्षा (The Week; The Tribune) पर रिपोर्टें (समाचार माध्यम; शोध टिप्पणियों में URL नहीं रखे गए) [TBC]।
- Central Water Commission. Daily flood bulletins of 14, 16 and 17 September 2019 (कोटा पर चंबल; Internet Archive प्रतियों से पढ़े गए)। https://cwc.gov.in/sites/default/files/cfcr-cwcdfb-16092019_0.pdf
- US EPA. Storm Water Management Model (SWMM 5). US Army Corps of Engineers, Hydrologic Engineering Center. HEC-HMS and HEC-RAS.

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
3A	राजस्थान की मृदा श्रृंखला से HSG की मिलान-सूची; मौसमी उच्चतम भूजल स्तर का मानचित्र
3B	राजस्थान का CN अंशांकन और पूरक भू-आवरण (टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत, कैल्क्रीट की परतें और लवणीय गर्त, फटी हुई काली मिट्टी की परती भूमि, तालाबों, जोहड़ों, नाडियों और खड़ीनों के तल, अरावली की चट्टान और पतली मिट्टी, मरुस्थलीय झाड़ियाँ और घास के मैदान)
3C	सॉफ्टवेयर स्वीकार्यता के लिए बेंचमार्क परीक्षण समस्याएँ
3D	समतल तटीय भूमि के लिए चरम दर गुणक का अध्ययन
3E	उप-क्षेत्र 1(a), 1(b), 1(e) और 3(a) के लिए CWC SUH प्राचल, हल किए गए उदाहरण के साथ
प्रपत्र 3-1	जलवैज्ञानिक गणना सारांश
प्रपत्र 3-2	विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना

अध्याय 4

साइट अपवाह नियंत्रण: प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण

4.1 उद्देश्य और विस्तार

4.1.1 यह अध्याय वह कार्य-निष्पादन मानक निर्धारित करता है जिसे प्रत्येक विनियमित विकास साइट से बाहर जाने वाले अपवाह के लिए पूरा करेगा। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (a) वह क्रम जिसमें अपवाह नियंत्रण के उपाय लागू किए जाने हैं (खंड 4.3);
- (b) बार-बार होने वाली वर्षा का प्रतिधारण, और प्रतिधारित आयतन को अस्थायी भंडारण के सापेक्ष क्रेडिट कैसे दिया जाता है (खंड 4.4);
- (c) सामान्य और बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के लिए निकास दर मानदंड (खंड 4.5);
- (d) अस्थायी भंडारण और आउटलेटों का आकार निर्धारित करने की प्रक्रिया (खंड 4.6 से 4.9);
- (e) सुविधाओं के प्रकार, वर्षा जल संचयन (RWH) का लेखा, और उच्च भूजल वाली साइटें (खंड 4.10 से 4.12);
- (f) क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण और एवज शुल्क (fee-in-lieu) (खंड 4.13);
- (g) छोटी साइटों के लिए सरलीकृत विधियाँ: टियर B तालिकाएँ और नियत-गुणांक मार्ग (खंड 4.14); और
- (h) सार्वजनिक सुरक्षा (खंड 4.15)।

4.1.2 यह अध्याय अध्याय 1 में निर्धारित अनुसार **0.1 ha या अधिक** के भूमि विक्षोभ पर, या **500 m² या अधिक** के नए या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र पर लागू होता है। उस सीमा-मान से नीचे के एकल आवास, और ऐसा सड़क पुनः सतह बिछाना (resurfacing) जिससे कोई अपारगम्य क्षेत्र न बढ़े, छूट प्राप्त हैं। भवन नियमों की विद्यमान RWH अनिवार्यता (संबंधित शहरी निकाय द्वारा प्रकाशित रूप में मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 के विनियम 8.3 के अंतर्गत, 225 m² या अधिक के प्रत्येक भूखंड पर वर्षा जल संचयन इकाई या संरचना, या फिल्टर सहित छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक, वापसी योग्य धरोहर राशि के साथ, और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 238 के अंतर्गत प्रत्येक स्वामी का कर्तव्य; इन नियमों की चर्चा खंड 4.11 के भाष्य में की गई है) उन सभी भवनों पर लागू रहती है जिन पर वह लागू होती है, चाहे यह अध्याय लागू हो या नहीं।

4.1.3 वर्षा संबंधी इनपुट अध्याय 2 से आते हैं। जलवैज्ञानिक विधियाँ अध्याय 3 से आती हैं। टेलवाटर, अनुप्रवाह विश्लेषण और आउटफॉल-बंद जाँच अध्याय 5 से आते हैं। जल गुणवत्ता आयतन (WQv) का उपचार अध्याय 8 से आता है। जहाँ यह अध्याय और वे अध्याय एक-दूसरे पर व्याप्त होते हैं, वहाँ अधिक कठोर अपेक्षा लागू होगी।

भाष्य. इस मैनुअल के लिए किए गए अनुसंधान में मिला कोई भी भारतीय राष्ट्रीय नियम या राजस्थान का नियम किसी साइट से निकास की दर को सीमित नहीं करता, और कोई भी साइट पर अस्थायी भंडारण या "शून्य अपवाह" ("zero run-off") की अपेक्षा नहीं करता। भवन नियम मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 हैं, जिन्हें UDH ने राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 104-A और विकास प्राधिकरणों के अधिनियमों (जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982, जोधपुर का 2009 का अधिनियम, अजमेर का 2013 का अधिनियम, कोटा और उदयपुर के 2023 के अधिनियम और बीकानेर और भरतपुर के 2025 के अधिनियम) की तत्संबंधी धाराओं के अंतर्गत 12 मई 2025 के अपने आदेश क्रमांक P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025 के साथ जारी किया। प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण उन्हें राजपत्र में अपने प्रकाशन द्वारा प्रवृत्त करता है (विनियम 1.2), इसलिए जिस तिथि से वे लागू होते हैं वह शहर-दर-शहर भिन्न है और प्रत्येक के लिए उसकी पुष्टि की जानी है [TBC]; एक द्वितीयक स्रोत 5 दिसंबर 2025 देता है। वे पहले के भवन विनियमों को निरस्त करते हैं (विनियम 18.1), जिनमें मॉडल भवन विनियम, 2020 और

प्रत्येक प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित उनके रूप सम्मिलित हैं, जैसे जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन) भवन विनियम, 2020 (राजपत्र, 7 जनवरी 2021); भवनों की ऊँचाई की सीमाएँ हटाने वाले 2026 के एक संशोधन की खबर है, किंतु वह पढ़ा नहीं गया [TBC]। यह मैनुअल 2025 के पाठ को हिन्दी विनियमों की तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़े गए रूप में उद्धृत करता है। विनियमों के वर्षा जल संबंधी प्रावधान भवन और भूजल की रक्षा करते हैं, जलग्रहण क्षेत्र की नहीं। 225 m² या अधिक के भूखंड वर्षा जल संचयन प्रदान करेंगे (विनियम 8.3; खंड 4.11 का भाष्य); 750 m² से बड़े गैर-वाणिज्यिक भूखंड अपने क्षेत्रफल का 10–20% हरित क्षेत्र के रूप में रखेंगे, जिसका कम से कम आधा भाग ऐसी प्राकृतिक भूमि पर हो जिसके नीचे कोई स्लैब न हो (विनियम 8.1); 5,000–20,000 m² निर्मित क्षेत्र वाले भवनों के लिए पर्यावरणीय शर्तें यह अपेक्षा करती हैं कि प्राकृतिक जल निकासी के इनलेट और आउटलेट बिंदु यथावत् रखे जाएँ, निर्बाध प्रवाह के लिए पर्याप्त आकार के चैनलों के साथ, प्रति 5,000 m² निर्मित क्षेत्र कम से कम एक पुनर्भरण बोर हो, और खुले स्थान का कम से कम 20% बिना पक्का क्षेत्र हो (2025 के विनियमों की अनुसूची 4, जिसके पृष्ठ प्रदर्शित नहीं हुए, और JDA के 2020 के विनियमों का अनुलग्नक 4, जो पढ़े गए [TBC]); और सेटबैक में भूमिगत टैंक, ड्रेनें और कैच चैंबर भू-आच्छादन में नहीं गिने जाते (विनियम 4.13, भवन विनियमों की तालिका 6), इसलिए अस्थायी भंडारण टैंक वहाँ रखा जा सकता है। विनियम कोई अस्थायी भंडारण आयतन, निकास दर, डिजाइन वर्षा घटना या अतिप्रवाह मार्ग निर्धारित नहीं करते, और किसी नाले, नदी, झील या तालाब से कोई सेटबैक भी नहीं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 जल निकासी को नगरपालिका का कर्तव्य बनाता है (धारा 45) और सार्वजनिक तालाबों, धाराओं, ड्रेनों और जलमार्गों को न्यासी के रूप में उसमें निहित करता है (धारा 68); यह किसी भवन के निर्माण या अधिभोग की अनुमति तब तक नहीं देता जब तक उसकी "प्रभावी जल निकासी" ("effectual drainage") के लिए नगरपालिका द्वारा आवश्यक समझे गए "ऐसे स्तर पर और ऐसे ढाल के साथ" ("at such level and with such fall") ड्रेन न बना दी जाए, जो पचास फुट के भीतर किसी नगरपालिका ड्रेन में, या अन्यथा किसी मलकूप (cess-pool) में खाली हो (धारा 202), और लिखित सम्मति के बिना किसी नगरपालिका ड्रेन के ऊपर भवन निर्माण वर्जित करता है (धारा 213) (अधिनियम की तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया [TBC])। इनमें से कोई भी डिजाइन मानक निर्धारित नहीं करता। राजस्थान का एकमात्र मिला जल निकासी डिजाइन नियम 4 मार्च 2008 का RUIDP का परिपत्र संख्या 8 है, जिसने ADB से वित्तपोषित उसके कार्यक्रम के नगरों को अपनी ड्रेनों का डिजाइन "1-2 वर्ष" ("1-2 years") की पुनरावृत्ति अवधि के लिए करने दिया, पुलियों के लिए 25 वर्ष और पुलों के लिए 50 वर्ष के साथ, और जो बताता है कि भारत में डिजाइन तीव्रताएँ "सामान्यतः 12mm/hr से 20mm/hr की सीमा में" ("usually in the range of 12mm/hr to 20mm/hr") होती हैं, जो जयपुर में 5-वर्ष की 1-घंटे की 53.1 mm वर्षा से बहुत कम है (Ghate और Timbadiya, 2022); यह मैनुअल उसका उपयोग नहीं करता। JDA ने द्रव्यवती चैनल का डिजाइन 100-वर्ष की बाढ़ पार कराने के लिए किया, किंतु उसकी डिजाइन प्रवाह दर नहीं मिली [TBC]। जो रेखाएँ हैं, वे विनियमों ने नहीं, न्यायालयों ने निर्धारित की हैं: जोहड़ों, नालों, तालाबों, नदियों और पोखरों के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि का कोई आवंटन नहीं (राजस्थान उच्च न्यायालय, *Abdul Rahman*, D.B.C.W.P. 1536/2003, 2 अगस्त 2004, और रामगढ़ बाँध के 769.20 km² के जलग्रहण क्षेत्र पर S.B.C.W.P. 11153/2011 में 23 अगस्त 2011 और 29 मई 2012 के स्वतः संज्ञान आदेश, जिन्हें उच्चतम न्यायालय के 2017 के NIMS निर्णय में बरकरार रखा गया); ऐसे मास्टर प्लान जो नदियों, झीलों, नालों या उनके जलग्रहण क्षेत्रों को बाधित नहीं कर सकते (*Gulab Kothari*, D.B.C.W.P. 1554/2004, 12 जनवरी 2017); गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि को ऐसा प्राकृतिक चैनल माना जाना जिसे न मोड़ा जा सकता है और न उस पर निर्माण किया जा सकता है (*Ramji Lal Saini*, 7 मई 2026); और राज्य की सभी नदी प्रणालियों के लिए उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और पारिस्थितिक बफर का सीमांकन, और इस बीच चिह्नित नदी गलियारों में कोई नई अनुमति नहीं (उच्चतम न्यायालय, 7 अगस्त 2026 का आदेश; अध्याय 7)। इसलिए इस अध्याय की अपेक्षाओं की जाँच किसी अलग अनापत्ति के रूप में करने के बजाय शहरी निकाय या प्राधिकरण की भवन और लेआउट अनुमति के भीतर, उस वर्षा जल संचयन शपथ-पत्र और ड्रॉइंगों के साथ करना सबसे अच्छा है जिनकी अपेक्षा विनियम पहले से करते हैं। बेसमेंट विनियमित हैं, किंतु बाढ़ की दृष्टि से नहीं। प्लिंथ भूखंड के सामने की सड़क से कम से कम 0.45 m और अधिक से अधिक 1.2 m ऊँचा होगा (विनियम 6.6); बेसमेंट भूखंड के आकार के अनुसार अनुमत हैं, 1,500 m² या अधिक के भूखंडों पर तीन तक (विनियम 6.5); और JDA के 2020 के विनियमों के अंतर्गत भवन के बाहर बेसमेंट की छत सड़क के स्तर से 1.20 m से अधिक ऊँची नहीं हो सकती थी (विनियम 11.6(v))। पढ़े गए पृष्ठों में बेसमेंट में सतही पानी आने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं मिला [TBC]। सड़क से 0.45 m ऊँचा प्लिंथ बेसमेंट को तब कोई सुरक्षा नहीं देता जब सड़क स्वयं प्रवाह मार्ग बन जाती है, जैसा भारी वर्षा में शहर की कई सड़कें बन जाती हैं: प्रकाशित खबरों के अनुसार, लगभग 1 अगस्त 2024 को, जयपुर में लगभग 173 mm वर्षा के बाद, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में पानी से भरे एक बेसमेंट में एक परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हुई। इसलिए यह मैनुअल प्रत्येक बेसमेंट के लिए अपनी अपेक्षाएँ जोड़ता है: आवास योग्य बेसमेंट में कोई अस्थायी भंडारण नहीं (खंड 4.10.1); प्रत्येक बेसमेंट रैंप का शिखर और प्रत्येक बेसमेंट द्वार की सिल 1% AEP बाढ़ जल स्तर से कम से कम 0.5 m ऊपर, और बेसमेंट की जल निकासी नॉन-रिटर्न वाल्व के माध्यम से सतही ड्रेन में पंप की जाए (खंड 6.11.1 और

6.11.4); और जोन 2 में कोई बेसमेंट नहीं (खंड 7.5.2)। खंड 4.5.3.2 के बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों में और खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी जलग्रहण क्षेत्र में, यह सिफारिश करता है कि जहाँ 1% AEP बाढ़ जल स्तर सामने की सड़क से 0.45 m या अधिक ऊपर हो वहाँ कोई बेसमेंट अनुमत न किया जाए, क्योंकि तब विनियम 6.6 का प्लिंथ नियम भूतल और प्लिंथ स्तर के प्रत्येक द्वार को बाढ़ से नीचे छोड़ देता है; और जोधपुर के पुराने शहर और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की नहर पट्टी में, जहाँ भूजल स्तर उथला है या उठ रहा है, यह सिफारिश करता है कि बेसमेंट केवल ऐसी जलरोधी संरचना के रूप में अनुमत किया जाए जिसकी डिजाइन भूजल स्तर पर उत्प्लावन के विरुद्ध जाँच की गई हो (खंड 4.12.1 और 4.12.3)। ये इस मैनुअल के प्रस्ताव हैं, विनियमों के प्रावधान नहीं। यह अध्याय इस प्रकार लिखा गया है कि यह विनियमों और नगरपालिका अधिनियम के तकनीकी सहायक के रूप में वह डिजाइन वर्षा घटना, निकास दरें और भंडारण आयतन दे सके जिन्हें वे खुला छोड़ देते हैं; इसे इनमें से किसी भी प्रयोजन के लिए अंगीकृत नहीं किया गया है। व्यवहार में शहर के कई नाले सीवेज ले जाते हैं: जयपुर के नाले द्रव्यवती तक पहुँचते हैं, जिसकी परियोजना में 170 MLD सीवेज शोधन सम्मिलित है, जोधपुर में जोजरी वस्त्र उद्योग का बहिःस्राव और सीवेज ले जाती है, और उदयपुर में आयड़ में सीवेज आता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार; खंड 8.9)। प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण प्रत्येक साइट पर पूर्ण रूप से लागू होते हैं, ड्रेन चाहे जो ले जाए: वर्षा घटना के चरम पर कोई साइट जो भी लीटर पानी छोड़ती है, वह उस ड्रेन की क्षमता घेरता है जो पहले से सीवेज से आंशिक रूप से भरी है। CPHEEO (2019) मैनुअल बहिर्वाह को विकास-पूर्व चरम तक सीमित करने को सामान्य पद्धति के रूप में वर्णित करता है, किंतु वह "shall" (अनिवार्य) का प्रयोग नहीं करता और किसी वर्षा घटना की आवृत्ति का नाम नहीं लेता (CPHEEO Part A §8.5.1)। यह अध्याय उस वर्णन को विकास-नियंत्रण की अपेक्षा में बदलता है।

4.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
प्रतिधारण (retention)	अंतःस्यंदन, वाष्पोत्सर्जन या पुनः उपयोग द्वारा सतही जल निकासी प्रणाली से अपवाह को स्थायी रूप से हटाना, ताकि पानी कभी आउटफॉल तक न पहुँचे।
प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (retention depth)	साइट के जोन के लिए 90वें शततमक की आर्द्र-दिवस 24-घंटे वर्षा की गहराई (खंड 2.10, परिशिष्ट 2E)।
आवश्यक प्रतिधारण आयतन (RRV)	विकास-पश्चात साइट पर प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई से उत्पन्न अपवाह आयतन (खंड 4.4.2)।
अस्थायी भंडारण (detention)	अपवाह का अस्थायी भंडारण, जिसे नियंत्रित आउटलेट से खंड 4.5 द्वारा निर्धारित दर पर छोड़ा जाता है।
प्रतिधारण क्रेडिट (retention credit)	प्रतिधारण पद्धतियों के परिणामस्वरूप आवश्यक अस्थायी भंडारण में होने वाली कमी, जो खंड 4.4.6 के अंतर्गत रूटिंग द्वारा निर्धारित की जाती है। यह प्रतिधारित आयतन के समान **नहीं** है।
साइट की अनुमेय प्रवाह दर (PSD)	वह अधिकतम दर जिस पर कोई साइट किसी निर्दिष्ट AEP के लिए पानी छोड़ सकती है, L/s या L/s/ha में।
साइट पर आवश्यक भंडारण (SSR)	खंड 4.14 की सरलीकृत विधि के अंतर्गत साइट के प्रति हेक्टेयर आवश्यक अस्थायी भंडारण।
बहु-चरणीय आउटलेट (multi-stage outlet)	अलग-अलग स्तरों पर पृथक छिद्रों वाली आउटलेट संरचना, जिसमें प्रत्येक छिद्र एक अलग AEP को नियंत्रित करता है (चित्र 4.2)।
खाली होने का समय (drawdown time)	अधिकतम भंडारित आयतन से लेकर उस आयतन का निर्दिष्ट अंश छोड़े जाने तक का समय।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
आपातकालीन स्पिलवे (emergency spillway)	एक द्वितीयक अतिप्रवाह, जो प्राथमिक आउटलेट की क्षमता से अधिक प्रवाह को, या प्राथमिक आउटलेट के अवरुद्ध होने पर संपूर्ण प्रवाह को, तटबंध के ऊपर से बहे बिना निकाल देता है।
फ्रीबोर्ड (freeboard)	अधिकतम डिजाइन जल स्तर और तटबंध के शिखर या अन्य क्रांतिक स्तर के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी।
बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र	खंड 4.5.3 में सूचीबद्ध या खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचित जलग्रहण क्षेत्र।
प्राधिकारी	अध्याय 1 के अंतर्गत अनुमोदन प्राधिकारी (यथास्थिति: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत नगर निगम, नगर परिषद या नगरपालिका बोर्ड, अपने क्षेत्र में विकास प्राधिकरण (JDA, या जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर या भरतपुर विकास प्राधिकरण) या राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत नगर सुधार न्यास, जो मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 के अंतर्गत, जिस रूप में उसने उन्हें प्रकाशित किया है, भवन या लेआउट अनुमति देता है, और अपने औद्योगिक क्षेत्रों में RIICO [TBC])।
टियर A / टियर B	अध्याय 1 में परिभाषित अंगीकरण टियर। टियर A: जयपुर नगर निगम (JMC), और JDA और JDA के जयपुर क्षेत्र के भीतर प्रत्येक अन्य अनुमोदन प्राधिकारी; राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गठित प्रत्येक अन्य नगर निगम; और राज्य के किसी अधिनियम द्वारा गठित प्रत्येक अन्य विकास प्राधिकरण (जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण, और बाद में गठित कोई भी), अपने क्षेत्र के भीतर प्रत्येक अनुमोदन प्राधिकारी सहित। टियर B: नगर परिषदें और नगरपालिका बोर्ड।

4.3 उपायों का क्रम

4.3.1 साइट अपवाह नियंत्रण का प्रत्येक डिजाइन उपायों को निम्नलिखित क्रम में लागू करेगा, और प्रस्तुति में यह दस्तावेजित करेगा कि प्रत्येक पूर्ववर्ती पद इससे अधिक क्यों नहीं कर सका:

1. **संरक्षण.** विद्यमान जलाशयों, तालाबों (talab), प्राकृतिक जल निकासी रेखाओं, आर्द्रभूमियों, और पारगम्य मिट्टी और वनस्पति को बनाए रखें। बाढ़ भंडारण में भराई से बचें (अध्याय 7)।
2. **प्रतिधारण.** अंतःस्यंदन, पुनः उपयोग या वाष्पोत्सर्जन द्वारा साइट पर RRV का प्रतिधारण करें (खंड 4.4)।
3. **अस्थायी भंडारण.** शेष अपवाह का अस्थायी भंडारण करें ताकि प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना और अवधि के लिए खंड 4.5 के निकास दर मानदंड पूरे हों (खंड 4.6 से 4.9)।
4. **वहन.** 1% AEP (100-वर्ष) प्रवाह को एक निर्धारित सतही मार्ग पर साइट से होकर सुरक्षित रूप से प्राप्तकर्ता प्रणाली तक ले जाएँ (अध्याय 6), और अनुप्रवाह की ओर प्राप्तकर्ता प्रणाली की जाँच करें (अध्याय 5)।

4.3.2 संरक्षण और प्रतिधारण आवश्यक अस्थायी भंडारण को कम करते हैं (खंड 4.4.6 और 4.4.7)। वे साइट को खंड 4.5 के निकास दर मानदंडों से या अध्याय 5 के अनुप्रवाह विश्लेषण से मुक्त नहीं करते।

> **भाष्य.** यह क्रम Kansas City Metro APWA Section 5600 Version 2025.01 में अपनाई गई "वर्षा जल प्रबंधन की परतों" ("layers of stormwater management") का अनुसरण करता है: संरक्षण या पुनर्स्थापन, प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, वहन, रखरखाव (MARC factsheet; MARC Supplement, Nov 2025)। रखरखाव पाँचवीं परत है और अध्याय 10 में निर्धारित है। 2025.01 मैनुअल प्रतिधारण और प्राकृतिक क्षेत्र के संरक्षण को अस्थायी भंडारण के आकार के सापेक्ष क्रेडिट देता है (MARC Supplement, Nov 2025)। खंड 4.4.6 वह क्रेडिट लेता है, और उसे इस प्रकार परिभाषित करता है कि उसका दावा दो बार न किया जा सके।

4.4 प्रतिधारण

4.4.1 अपेक्षा

साइट RRV का प्रतिधारण करेगी। प्रतिधारण निम्नलिखित में से एक या अधिक द्वारा किया जाएगा:

- अंतःस्यंदन पद्धतियाँ (सोख गड्ढे, अंतःस्यंदन खाइयाँ, अंतःस्यंदन आधार वाला पारगम्य पेवमेंट, बायोरिटेंशन);
- वर्षा जल का ऐसा पुनः उपयोग जो किसी प्रदर्शित गैर-पेय माँग द्वारा खाली होता हो;
- हरित छतें और लैंडस्केप क्षेत्र जो प्रतिधारण-गहराई वाली वर्षा घटना में आउटफॉल की ओर नहीं बहते।

खंड 4.4.4 की सीमाएँ लागू होती हैं।

4.4.2 RRV की गणना

> $\text{RRV}\ (\text{m}^3) = 10 \times Q_R \times A$

जहाँ:

- Q_R (mm) प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई P_R (परिशिष्ट 2E) से उत्पन्न अपवाह की गहराई है। इसकी गणना प्रत्येक उप-भाग के विकास-पश्चात आवरण के लिए SCS-CN विधि से, AMC II पर, $I_a = 0.2S$ के साथ की जाती है (अध्याय 3); और
- A (ha) साइट का वह क्षेत्र है जो आउटफॉल की ओर बहता है।

Q_R की गणना प्रत्येक उप-भाग के लिए अलग-अलग की जाएगी और उनका योग किया जाएगा। जहाँ अपारगम्य और पारगम्य क्षेत्रों के CN में 20 अंकों से अधिक का अंतर हो, वहाँ क्षेत्र-भारित CN का उपयोग नहीं किया जाएगा।

आयतनात्मक विधि $\text{RRV} = 10 \times P_R \times R_v \times A$, जिसमें $R_v = 0.05 + 0.009 \times I$ (I = प्रतिशत अपारगम्यता), का उपयोग 0.5 ha से कम की साइटों के लिए और टियर B विधि के अंतर्गत किया जा सकता है।

> **भाष्य.** R_v सूत्र वही है जो KC जल गुणवत्ता आयतन में प्रयुक्त होता है (MARC BMP Manual 2012)। छोटी साइटों के लिए इसकी समीक्षा सरल है। बड़ी साइटों के लिए SCS-CN रूप अनिवार्य है ताकि प्रतिधारण की गणना में वही अपवाह मॉडल प्रयुक्त हो जो अस्थायी भंडारण की रूटिंग में होता है। इससे खंड 4.4.6 की क्रेडिट गणना सुसंगत रहती है।

4.4.3 सत्यापन

अंतःस्यंदन द्वारा प्रतिधारण के समर्थन में निम्नलिखित होंगे:

- (a) प्रत्येक पद्धति के स्थान और गहराई पर, अध्याय 8 में निर्धारित आवृत्ति पर, साइट पर अंतःस्यंदन परीक्षण;
- (b) मापी गई दर के **आधे** से अधिक नहीं की डिजाइन अंतःस्यंदन दर; और
- (c) भूजल संबंधी साक्ष्य, जो दर्शाए कि मौसमी उच्चतम भूजल स्तर पद्धति के आधार से कम से कम **1.0 m** नीचे है (अध्याय 8)।

पुनः उपयोग द्वारा प्रतिधारण के समर्थन में माँग की गणना होगी, जो दर्शाए कि RRV किसी सतत गैर-पेय उपयोग, जैसे शौचालय फ्लशिंग, शीतलन या सिंचाई, द्वारा 72 घंटों के भीतर खाली हो जाता है।

> **भाष्य.** मापी गई अंतःस्यंदन दर पर 2 के गुणक का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे अवरोध (clogging) के लिए और परीक्षण गड्ढे तथा पूर्ण आकार की पद्धति के बीच के अंतर के लिए निर्धारित करता है। अध्याय 8 कोई अलग गुणक निर्धारित कर सकता है; यदि वह ऐसा करता है, तो अध्याय 8 लागू होगा।

4.4.4 प्रतिधारण की सीमाएँ

4.4.4.1 अंतःस्यंदन पद्धतियों का उपयोग नहीं किया जाएगा:

- जहाँ मौसमी उच्चतम भूजल स्तर आधार से 1.0 m से कम नीचे है (अध्याय 8);
- दूषित भूमि पर;
- अध्याय 8 में निर्धारित नींवों, कुओं और सेप्टिक प्रणालियों से सेटबैक के भीतर; या
- भराई पर, जब तक कि भराई के बाद परीक्षण न किया गया हो।

4.4.4.2 जहाँ RRV का पूर्ण प्रतिधारण नहीं किया जा सकता, वहाँ कमी प्रस्तुति में बताई जाएगी। उस कमी को अध्याय 8 के अंतर्गत WQv माना जाएगा और उसे कोई प्रतिधारण क्रेडिट नहीं मिलेगा।

4.4.5 प्रतिधारण का खाली होना

प्रतिधारण भंडारण को प्रतिधारण-गहराई वाली वर्षा घटना की समाप्ति के **72 घंटों** के भीतर अंतःस्यंदन या पुनः उपयोग द्वारा खाली किया जाएगा, जिसका सत्यापन खंड 4.4.3 के परीक्षणों द्वारा किया जाएगा।

4.4.6 प्रतिधारण क्रेडिट: परिभाषा और गणना

4.4.6.1 **क्रेडिट क्या है.** प्रतिधारण क्रेडिट आवश्यक अस्थायी भंडारण में वह कमी है जो विकास-पश्चात रूटिंग में प्रतिधारण पद्धतियों को सम्मिलित करने पर होती है। इसकी गणना की जाती है। इसे RRV के बराबर नहीं माना जाता।

4.4.6.2 **टियर A विधि (रूटिंग).** खंड 4.6.3 की प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना और अवधि के लिए:

- (a) प्रत्येक प्रतिधारण पद्धति को स्पष्ट रूप से ऐसे भंडारण के रूप में मॉडल करें जो **वर्षा घटना के आरंभ में खाली** हो, जब तक कि खंड 4.11 अन्यथा न कहे;
- (b) पद्धति को वर्षा घटना के आरंभिक भाग से भरने दें, और वर्षा घटना के दौरान उसे केवल खंड 4.4.3 की डिजाइन अंतःस्यंदन या पुनः उपयोग दर पर पानी खोने दें;
- (c) भर जाने के बाद, उसके अतिप्रवाह को अस्थायी भंडारण सुविधा की ओर रूट करें; और
- (d) अवशिष्ट हाइड्रोग्राफ के लिए अस्थायी भंडारण का आकार निर्धारित करें।

आवश्यक अस्थायी भंडारण सभी वर्षा घटनाओं और अवधियों में सबसे बड़ा भंडारण है। क्रेडिट उस भंडारण और बिना प्रतिधारण के आवश्यक भंडारण के बीच का अंतर है। कोई और कटौती नहीं की जाएगी।

4.4.6.3 **टियर B विधि (सरलीकृत).** खंड 4.14 द्वारा अपेक्षित अस्थायी भंडारण को निम्नलिखित से कम किया जा सकता है:

> V_credit = C_R × RRV_provided

जहाँ C_R जोन, मृदा समूह और खाली होने की दर के लिए परिशिष्ट 4B से लिया गया प्रतिधारण क्रेडिट गुणक है। जब तक परिशिष्ट 4B प्रकाशित नहीं होता, **C_R = 0**।

4.4.6.4 जिस प्रतिधारण का सत्यापन खंड 4.4.3 के अंतर्गत नहीं किया गया है, उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलता।

> **भाष्य.** "अस्थायी भंडारण के सापेक्ष क्रेडिट" ("Credited against detention") (APWA 5600 2025.01) के दो अर्थ लगाए जा सकते हैं। एक अर्थ प्रतिधारित आयतन को अस्थायी भंडारण आयतन में से घन मीटर-दर-घन मीटर घटाता है। दूसरा अर्थ प्रतिधारण को यथास्थान रखकर वर्षा घटनाओं की रूटिंग करता है और देखता है कि अब भी कितना अस्थायी भंडारण आवश्यक है। राजस्थान में दोनों अर्थ बहुत भिन्न उत्तर देते हैं, क्योंकि अनिवार्य 48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाएँ (खंड 2.5.2) किसी भी प्रतिधारण पद्धति को पहले ही दिन भर देती हैं, अंतिम दिन चरम आने से बहुत पहले (खंड 2.9.2)। जब तक पद्धति वर्षा घटना के दौरान अंतःस्यंदन करती न रहे, वह चरम पर भरी रहती है और चरम भंडारण को कम करने में कुछ नहीं करती।
>
> खंड 4.6.7 का उदाहरण इस प्रभाव का परिमाण दिखाता है। 552 m^3 प्रतिधारण (वर्षा घटना के दौरान कोई अंतःस्यंदन नहीं) वाली 2 ha की साइट को 24-घंटे की वर्षा घटना के लिए 138 m^3 कम अस्थायी भंडारण चाहिए। यह प्रतिधारित आयतन के लगभग एक-चौथाई का क्रेडिट है। 48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाओं के लिए, जो निर्णायक होती हैं, क्रेडिट लगभग शून्य है। प्रतिधारित आयतन को सीधे घटाने से अस्थायी भंडारण का आकार लगभग 545 m^3 (लगभग 19%) कम रह जाता।
>
> इसलिए यह मैनुअल क्रेडिट को रूटिंग के परिणाम के रूप में परिभाषित करता है। तेजी से पानी सोखने वाली रेतीली मिट्टी पर प्रतिधारण, जो कई दिनों की वर्षा घटना में अंतःस्यंदन करता रहता है, वास्तविक क्रेडिट अर्जित करेगा। जो प्रतिधारण केवल भरता है, वह बहुत कम अर्जित करेगा। दोनों परिणाम भौतिक रूप से सही हैं। परिशिष्ट 4B के अस्तित्व में आने तक C_R = 0 रखना टियर B के लिए एक सुरक्षित डिफॉल्ट है, यह निर्णय नहीं कि प्रतिधारण का कोई मूल्य नहीं है: जल गुणवत्ता और पुनर्भरण के लिए प्रतिधारण अब भी अनिवार्य है (अध्याय 8)।

4.4.7 संरक्षण क्रेडिट

साइट के जो क्षेत्र प्राकृतिक आवरण में स्थायी रूप से संरक्षित हैं, उन्हें विकास-पश्चात स्थिति में उनके विकास-पूर्व CN पर मॉडल किया जा सकता है, बशर्ते कि:

- वे पंजीकृत प्रसंविदा (covenant) या समर्पण द्वारा संरक्षित हों; और
- उनका अपवाह अपारगम्य सतहों पर संकेंद्रित न हो।

इससे RRV और आवश्यक अस्थायी भंडारण, दोनों कम होते हैं। कोई अन्य संरक्षण क्रेडिट लागू नहीं होता।

4.5 निकास दर मानदंड

4.5.1 सामान्य

4.5.1.1 साइट से चरम प्रवाह दर की गणना विकास-पूर्व और विकास-पश्चात स्थितियों के लिए समान डिजाइन वर्षा घटनाओं के साथ (खंड 2.11.1) हाइड्रोग्राफ विधि (अध्याय 3) से की जाएगी। भंडारण के आकार-निर्धारण के किसी भी भाग के लिए रेशनल विधि का उपयोग नहीं किया जाएगा।

4.5.1.2 विकास-पूर्व स्थिति अविकसित खुली भूमि (greenfield) है: मानचित्रित HSG के लिए अच्छी दशा वाली खुली भूमि। विद्यमान अपारगम्य आवरण नहीं गिना जाता (खंड 2.11.5, अध्याय 3)। यह पुनर्विकास पर भी लागू होता है, केवल खंड 4.5.6 के सीमित पुनर्विकास मार्ग के अधीन।

4.5.1.3 मानदंड प्रत्येक उस बिंदु पर लागू होते हैं जहाँ अपवाह साइट से बाहर जाता है। जहाँ कोई साइट एक से अधिक आउटफॉल की ओर बहती है, वहाँ मानदंड प्रत्येक आउटफॉल पर उसकी ओर बहने वाले क्षेत्र के लिए लागू होते हैं। अपवाह को जलग्रहण क्षेत्रों के बीच मोड़ा नहीं जाएगा।

4.5.2 सामान्य जलग्रहण क्षेत्र

50%, 10% और 1% AEP (2-, 10- और 100-वर्ष) की प्रत्येक वर्षा घटना के लिए, और {1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72 h} में से प्रत्येक अवधि के लिए:

> Q_post(T, d) ≤ 0.9 × Q_pre(T, d)

4.5.3 बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र

4.5.3.1 नीचे सूचीबद्ध जलग्रहण क्षेत्रों में, खंड 2.5.2 की प्रत्येक अवधि के लिए, खंड 2.11.3 का **मिश्रित-आवृत्ति नियम** लागू होता है:

> Q_post(1% AEP, 100-वर्ष) ≤ Q_pre(10% AEP, 10-वर्ष), और Q_post(50% AEP, 2-वर्ष) ≤ Q_pre(50% AEP, 2-वर्ष)।

प्रत्येक सीमा उस अवधि पर विकास-पूर्व चरम है जो उसे अधिकतम करती है: 100-वर्ष की जाँच के लिए 10-वर्ष का चरम, और 2-वर्ष की जाँच के लिए 2-वर्ष का चरम। यह सीमा विकास-पश्चात की प्रत्येक अवधि पर लागू होती है (खंड 2.11.3)।

4.5.3.2 बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र हैं:

- (a) **द्रव्यवती पर जयपुर**: द्रव्यवती नदी (पूर्व अमानीशाह नाला) का और उससे मिलने वाले नालों का जलग्रहण क्षेत्र, जिनमें नाहरिका (Naharika) और अंबाबाड़ी (Ambabari) नाले, परकोटे (walled city) का गंदा नाला (Ganda nala), जवाहर नाला और सांगानेर कस्बे के नाले हैं, और शहर की वे निचली कॉलोनियाँ जिनकी जल निकासी उनमें होती है;
- (b) **जोजरी और पुराने शहर पर जोधपुर**: शहर से होकर बहने वाली जोजरी का, और भैरव और RTO नालों और उसमें जल निकासी करने वाले शहर के अन्य नालों का जलग्रहण क्षेत्र, और पुराना शहर, जहाँ कुछ स्थानों पर भूजल स्तर भूमि से लगभग 1–1.5 m नीचे तक उठ आया है;
- (c) **उदयपुर की झील-शृंखला**: वह भूमि जिसकी जल निकासी पिछोला, स्वरूप सागर, फतह सागर, आयड़ (आहड़) और उदय सागर में होती है, जिनके आउटफॉल झीलें भरी होने और उनके गेट खुले होने पर अवरुद्ध रहते हैं;
- (d) **आना सागर और उसके एस्केप चैनल पर अजमेर**: आना सागर का जलग्रहण क्षेत्र और उसके एस्केप चैनल के किनारे की भूमि, जिसमें झील को पूर्ण गेज स्तर पर रखने के लिए एस्केप गेट खोले जाने पर बाढ़ आती है;
- (e) **चंबल पर कोटा**: वह भूमि जिसकी जल निकासी शहर से होकर चंबल में होती है, जहाँ गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैमों और कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से नदी का स्तर बढ़ जाता है;
- (f) **लूणी पर बाड़मेर और बालोतरा**: बालोतरा नगर और वह भूमि जिसकी जल निकासी वहाँ लूणी में होती है, और बाड़मेर नगर और उसके जिले की निचली भूमि, जैसे कवास, जहाँ अगस्त 2006 के बाद महीनों तक पानी खड़ा रहा; और
- (g) खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचित कोई भी जलग्रहण क्षेत्र।

सीमाएँ वही होंगी जो परिशिष्ट 4A में मानचित्रित हैं।

4.5.4 अतिरिक्त बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की अधिसूचना

4.5.4.1 प्राधिकारी किसी जलग्रहण क्षेत्र को बाढ़-संवेदनशील के रूप में अधिसूचित करने का प्रस्ताव कर सकता है जहाँ निम्नलिखित में से एक या अधिक दस्तावेजित हो:

- (a) पिछले 20 वर्षों में कम से कम दो अवसरों पर 1% AEP या उससे अधिक बार होने वाली घटना में भवनों या धमनी सड़कों पर बाढ़;
- (b) विद्यमान स्थितियों में 10% AEP प्रवाह से कम क्षमता वाली प्राप्तकर्ता ड्रेनें या चैनल;
- (c) किसी ऐसी झील में गिरने वाला आउटफॉल जिसका स्तर उसके गेट या एस्केप चैनल खोलकर पूर्ण गेज स्तर पर रखा जाता है, जैसे अजमेर में आना सागर और उदयपुर में पिछोला और फतह सागर, या ऐसा आउटफॉल जो दक्षिण-पश्चिम मानसून के कुछ भाग में बाढ़ग्रस्त नदी द्वारा या प्रतिप्रवाह के डैमों से छोड़े गए पानी द्वारा अवरुद्ध रहता है, जैसे कोटा में चंबल, जिसका स्तर गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैमों और कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से बढ़ता है (अध्याय 5);
- (d) प्राचीनतम उपलब्ध सर्वेक्षण के बाद से जलग्रहण क्षेत्र में मानचित्रित तालाब (tank) और तालाब (talab) भंडारण के एक-चौथाई से अधिक की हानि; या
- (e) ऐसा बेसिन मास्टर प्लान जो साइट से प्रवाह छोड़ने को सीमित करने पर निर्भर है।

4.5.4.2 प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:

1. प्राधिकारी GIS रूप में जलग्रहण क्षेत्र की सीमा और 4.5.4.1 के साक्ष्य सहित एक तकनीकी टिप्पणी तैयार करता है।
2. अध्याय 1 के अंतर्गत गठित राज्य-स्तरीय तकनीकी समिति टिप्पणी की समीक्षा करती है।
3. प्रारूप अधिसूचना और मानचित्र कम से कम 60 दिनों के लिए जन टिप्पणी हेतु प्रकाशित किए जाते हैं।
4. सरकार जलग्रहण क्षेत्र को अधिसूचित करती है और मानचित्र परिशिष्ट 4A में जोड़ा जाता है।
5. यह नियम अधिसूचना के **6 माह** या अधिक बाद प्राप्त आवेदनों पर लागू होता है। पहले प्राप्त आवेदनों का आकलन खंड 4.5.2 के अंतर्गत किया जाता है।

4.5.4.3 किसी अधिसूचित जलग्रहण क्षेत्र को केवल उसी प्रक्रिया द्वारा, और केवल तब विअधिसूचित किया जा सकता है जब कोई बेसिन अध्ययन यह दर्शाए कि खंड 4.5.2 के अंतर्गत सभी विकास के साथ अनुप्रवाह प्रणाली अध्याय 5 की अपेक्षाएँ पूरी करती है।

> **भाष्य.** 0.9 गुणक डेनवर (MHFD) के विश्लेषण से व्युत्पन्न है। उस विश्लेषण में, ऐतिहासिक 100-वर्ष चरम का 100% छोड़ने वाले दस बेसिनों ने आउटलेट पर फिर भी ऐतिहासिक चरम का 106% उत्पन्न किया; प्रत्येक पर 90% छोड़ने से 97% मिला (UDFCD Full Spectrum Detention Release Rate Memorandum, 2012)। मिश्रित-आवृत्ति नियम का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; निकटतम मलेशियाई DID (2008) की जाँच-सूची है, जिसमें विकास-पश्चात 2-, 10-, 50- और 100-वर्ष के चरम विकास-पूर्व 2-वर्ष के चरम से कम होने अपेक्षित थे। विशिष्ट "100-वर्ष पश्चात ≤ 10-वर्ष पूर्व" रूप न्यू बर्लिन, विस्कॉन्सिन की एक योजना चर्चा में मिलता है (कोई अंगीकृत नियम नहीं)। जयपुर की प्रविष्टि द्रव्यवती का अनुसरण करती है, जिसे JDA ने लगभग 47.5 km में ऐसे चैनल के रूप में फिर से बनाया है जिसका डिजाइन "नदी के अनुप्रस्थ काट को सौ वर्ष की बाढ़ सुरक्षित रूप से पार कराने योग्य बनाने" ("to make the river section capable of safely passing the hundred year flood") के लिए किया गया; यह नाहरिका और अंबाबाड़ी नालों, परकोटे के गंदा नाला (Ganda nala), सांगानेर कस्बे और जवाहर नाले का पानी एकत्र करती है और ढूँढ में गिरती है (JDA, Dravyavati EIA), किंतु उसकी डिजाइन प्रवाह दर नहीं मिली [TBC]। शहर की संदर्भ वर्षा घटना 18–20 जुलाई 1981 की है, जब जयपुर में तीन दिनों में 82 cm और 19 जुलाई को 24 घंटों में 35 cm वर्षा दर्ज हुई और शहर का संपर्क "कट गया" ("cut-off") (Gupta और Jindal, *Mausam*, 1987); उस दिन जयपुर (सांगानेर) में 326.0 mm और कानोता में 589.2 mm वर्षा दर्ज हुई (IMD)। जयपुर के घंटेवार अभिलेख पर फिट की गई 50-वर्ष की 1-घंटे की गहराई 93 mm है (Ghate और Timbadiya, 2022)। लगभग 1 अगस्त 2024 को, जयपुर में लगभग 173 mm वर्षा के बाद, विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में पानी से भरे एक बेसमेंट में एक परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हुई (प्रकाशित खबरों के अनुसार), JDA ने 2025 में एक वर्षा जल मॉडल के साथ पूरे शहर में जल निकासी उन्नयन शुरू किया, जिसमें सोडाला को एक क्रांतिक जोन बताया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और जुलाई 2026 में उच्च न्यायालय ने JDA से यह स्पष्ट करने को कहा कि द्रव्यवती पर

अंबावाड़ी के पास ड्रेन चैनल क्यों नहीं बनाए गए (*Alok Gupta v. State*, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जोधपुर की प्रविष्टि जोजरी का अनुसरण करती है, जिसकी ओर शहर का पानी दक्षिण और दक्षिण-पूर्व में बहता है: ADB से वित्तपोषित एक कार्यक्रम के अंतर्गत बने नए भैरव नाला (13.1 km) और RTO नाला (7.0 km) दोनों उसी में समाप्त होते हैं, और विद्यमान प्राथमिक नाले 4–15 m चौड़े और 1.2–4 m गहरे हैं (ADB, Resettlement Plan, 2023)। जुलाई 2022 में लगभग पाँच घंटों में लगभग 118 mm वर्षा हुई, जो 1943 के बाद जुलाई की सबसे भारी वर्षा थी, और 30 से अधिक कॉलोनियाँ जलमग्न हुईं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जोजरी वस्त्र उद्योग का बहिःस्राव और सीवेज ले जाती है और उच्चतम न्यायालय के समक्ष है, जिसने अगस्त 2026 में उसकी बाढ़ रेखा के सीमांकन तक उसके किनारे से 100 m के भीतर निर्माण पर रोक लगाई (प्रकाशित खबरों के अनुसार; अध्याय 7), और पुराने शहर का उठता भूजल स्तर बेसमेंटों में नीचे से पानी भर देता है (खंड 3.10 का भाष्य)। उदयपुर की प्रविष्टि झील-शृंखला का अनुसरण करती है: अगस्त 2006 में क्षेत्र के सभी जलाशय उफनते बताए गए और सेना को सतर्क किया गया, और तब से कुछ कॉलोनियों में हर मौसम में बाढ़ आई है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); जुलाई 2025 में दो घंटे की भारी वर्षा ने शहर के कुछ भागों को डुबो दिया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। झीलें एक अज्ञात शून्य से ऊपर फुट में गेज स्तरों पर रखी जाती हैं, पिछोला 11 ft पर, फतह सागर 13 ft पर और उदय सागर 24 ft पर (प्रकाशित खबरों के अनुसार [TBC]), और 2010 में फतह सागर के मुख्य बाँध में केवल लगभग 0.75 m फ्रीबोर्ड होने की खबर थी। अजमेर की प्रविष्टि आना सागर का अनुसरण करती है, जिसे उसके चार एस्केप गेट खोलकर अपने गेज पर 13 ft पर रखा जाता है: 11 सितंबर 2024 को एस्केप चैनल खोला गया और हाथी भाटा, ब्रह्मपुरी और शिवपुरी जलभराव से ग्रस्त हुए, और 18–20 जुलाई 2025 को गेट खोले जाने से पहले झील 15 ft 11 in पर थी, JLN अस्पताल में पानी भर गया और नाला बाजार में लोग बह गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); एस्केप चैनल की क्षमता नहीं मिली [TBC]। 10 जून 2002 को अजमेर में 412.3 mm वर्षा दर्ज हुई (IMD)। कोटा की प्रविष्टि चंबल का अनुसरण करती है, जिसका कोटा सिटी पर खतरे का स्तर 242 m है और उच्चतम बाढ़ स्तर 248.68 m, जो 16 सितंबर 2019 को दर्ज हुआ (CWC), जब कोटा बैराज (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 260.3 m) से लगभग 6.5–6.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबर थी और नयापुरा, बालिता और गावंडी खाली कराए गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार; 14 सितंबर का CWC बुलेटिन 4.42 लाख क्यूसेक देता है)। बाड़मेर और बालोतरा की प्रविष्टि लूणी का अनुसरण करती है, जिसका बालोतरा पर उच्चतम बाढ़ स्तर 108.755 m है, जो 18 जुलाई 1979 को दर्ज हुआ (CWC सूची, प्रकाशित खबरों के अनुसार), और 19–22 अगस्त 2006 की वर्षा घटना का भी, जब 251.7 mm की जिले की सामान्य वार्षिक वर्षा के मुकाबले तीन दिनों में लगभग 577 mm वर्षा बताई गई (IMD, *Climate of Rajasthan*), 21 और 22 अगस्त को बाड़मेर में 120 mm और 160 mm वर्षा हुई, और कवास महीनों तक पानी में डूबा रहा; बताई गई मौतें लगभग 140 से 300 से अधिक तक हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। भरतपुर, जहाँ 1981 की गंभीर और बाणगंगा की बाढ़ों ने अजान बाँध (Ajan bund) को खतरे में डाला और 25 अगस्त 1996 को 630.0 mm वर्षा हुई (IMD, *Climate of Rajasthan*), बनास पर टोंक (उच्चतम बाढ़ स्तर 262.05 m, 1973, प्रकाशित खबरों के अनुसार), घग्घर पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ (1976, 1981, 1993, 2004, 2010 और 2023 की बाढ़ें, प्रकाशित खबरों के अनुसार), बीकानेर, अलवर, और पश्चिमी बनास पर माउंट आबू और आबू रोड (उच्चतम बाढ़ स्तर 265.4 m, 1973, प्रकाशित खबरों के अनुसार; 8 सितंबर 1992 को माउंट आबू में 653.0 mm, IMD) खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचना के अभ्यर्थी हैं। 4.5.4.1 के अधिसूचना प्रारंभकों का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और वे इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। 6 माह की अग्रिम अवधि खंड 2.14.2 के अद्यतन नियम का अनुसरण करती है। खंड 4.16 बताता है कि विकास-पूर्व से कम निकास की आवश्यकता ही क्यों है।

4.5.5 न्यूनतम आउटलेट और अल्प-अवधि 2-वर्ष जाँच

4.5.5.1 जहाँ किसी AEP और अवधि के लिए PSD संगत जल स्तर पर **50 mm** ऑरिफिस (खंड 4.8.2) की प्रवाह दर से कम है, वहाँ उस AEP और अवधि के लिए 50 mm ऑरिफिस को अनुपालक माना जाएगा।

4.5.5.2 जहाँ 3 घंटे या उससे कम की अवधि पर 2-वर्ष मानदंड को पूरा करने के लिए इतने छोटे अल्प-प्रवाह ऑरिफिस की आवश्यकता हो कि खंड 4.7 की खाली होने संबंधी अपेक्षा पूरी न हो सके, वहाँ डिजाइनकर्ता:

- अल्प-प्रवाह ऑरिफिस का आकार उस सबसे छोटे छिद्र के रूप में निर्धारित करेगा जो खंड 4.7 को पूरा करता है; और
- उन अवधियों के लिए परिणामी 2-वर्ष अतिक्रमण की रिपोर्ट करेगा।

यदि अतिक्रमण 2-वर्ष जल स्तर पर 50 mm ऑरिफिस की प्रवाह दर से कम है, या यदि अध्याय 5 का अनुप्रवाह विश्लेषण कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं दर्शाता, तो प्राधिकारी डिजाइन स्वीकार कर सकता है।

> **भाष्य.** AMC II के अंतर्गत, अविकसित खुली भूमि वाली साइट 1- या 2-घंटे की 2-वर्ष वर्षा घटना में लगभग कोई अपवाह उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि अधिकांश वर्षा प्रारंभिक हानि में चली जाती है। कुछ लीटर प्रति सेकंड का विकास-पूर्व चरम, अवधि-दर-अवधि तुलना करने पर, बहुत छोटे अल्प-प्रवाह ऑरिफिस को अनिवार्य बना देता है। वह ऑरिफिस 10-वर्ष के आयतन को 48 घंटों के भीतर नहीं छोड़ सकता। यदि खंड 4.6.7 के उदाहरण की जाँच ऐसे की जाए मानो वह बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र के बाहर हो, तो 1-घंटे, 2-वर्ष के विकास-पूर्व चरम से मेल खाने के लिए लगभग 75 mm के अल्प-प्रवाह ऑरिफिस की आवश्यकता होगी। तब 10-वर्ष के आयतन के 90% को खाली होने में, स्वच्छ ऑरिफिस के साथ भी, 48 घंटे की सीमा के विरुद्ध लगभग 84 घंटे लगेंगे। जो 170 mm ऑरिफिस 50% अवरोध के साथ खाली होने की अपेक्षा पूरी करता है, वह 1-घंटे, 2-वर्ष के विकास-पूर्व चरम से लगभग 11 L/s अधिक है। खंड 4.5.5.2 इस विरोध को खाली होने के पक्ष में हल करता है, क्योंकि जो बेसिन अगली दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा घटना आने पर भी आंशिक रूप से भरा हो, वह उस घटना में विफल होता है जो अधिक महत्वपूर्ण है। KC APWA 5600 (2006) में कचरा-रोधी जालियों के साथ 75 mm (3 in) का न्यूनतम ऑरिफिस प्रयुक्त था। यह मैनुअल 50 mm का न्यूनतम निर्धारित करता है (खंड 4.8.2)।

4.5.6 सीमित पुनर्विकास साइटें

4.5.6.1 **पात्रता.** इस खंड का राहत मार्ग केवल ऐसे **पुनर्विकास** के लिए उपलब्ध है जहाँ निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हों:

- (a) ध्वस्तीकरण से पहले किए गए सर्वेक्षण के अनुसार विद्यमान साइट कम से कम **60% अपारगम्य** है;
- (b) साइट **1 ha या उससे कम** है; और
- (c) डिजाइनकर्ता प्रपत्र 4-1 के साथ प्रस्तुत बाधा विवरण (Constraint Statement) में यह दर्शाता है कि साइट पर खंड 4.5.2 या 4.5.3 के अविकसित भूमि मानदंड पूरे नहीं किए जा सकते। विवरण में यह दर्शाना होगा कि खंड 4.10 के भंडारण के प्रत्येक विकल्प का आकलन किया गया है: छत और पोडियम भंडारण, पार्किंग या लैंडस्केप के नीचे टैंक, उप-आधार भंडारण वाला पारगम्य पेवमेंट, और लैंडस्केप गड्ढे। इसमें यह भी बताना होगा कि प्रत्येक विकल्प कितना भंडारण प्रदान कर सकता है।

अविकसित भूमि पर नया विकास कभी पात्र नहीं है।

4.5.6.2 **साइट पर न्यूनतम कार्य-निष्पादन.** पात्र साइट साइट पर निम्नलिखित सभी प्रदान करेगी:

- (a) बिना किसी राहत के पूर्ण प्रतिधारण आयतन (खंड 4.4) और WQv उपचार (अध्याय 8);
- (b) 50%, 10% और 1% AEP की वर्षा घटनाओं के लिए, खंड 2.5.2 की प्रत्येक अवधि पर, विकास-पश्चात चरम प्रवाह दर **विद्यमान स्थिति के चरम के 50%** से अधिक नहीं। विद्यमान स्थिति को खंड 3.3.4 के अंतर्गत मॉडल किया जाता है; और
- (c) अनुप्रवाह की ओर किसी भवन या सड़क पर 1% AEP जल स्तर में कोई वृद्धि नहीं (अध्याय 5)।

4.5.6.3 **कमी.** कमी वह अस्थायी भंडारण है जो अविकसित भूमि मानदंडों (खंड 4.6) को पूरा करने के लिए आवश्यक है, उसमें से 4.5.6.2 के अंतर्गत साइट पर प्रदान किया गया भंडारण घटाकर। आवेदक कमी के लिए खंड 4.13.3 की इकाई दर पर एवज शुल्क का भुगतान करेगा। शुल्क:

- (a) उस बेसिन के पृथक रखे गए खाते (ring-fenced account) में जमा किया जाएगा जिसमें साइट स्थित है;
- (b) केवल क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण पर, या बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (अध्याय 11) में चिह्नित तालाब (talab) या तालाब (tank) के बाढ़ भंडारण के पुनर्स्थापन पर खर्च किया जाएगा; और
- (c) खंड 4.13.4 की सार्वजनिक खाता-बही में दर्ज किया जाएगा, जो प्रत्येक बेसिन में देय आयतन और प्रदत्त आयतन दर्शाएगी।

जहाँ अभी तक कोई बेसिन मास्टर प्लान अनुमोदित नहीं हुआ है, वहाँ शुल्क **5 वर्ष** तक रखा जाएगा। यदि उस अवधि में कोई प्लान अनुमोदित नहीं होता, तो उसे WRD की सहमति से उसी बेसिन में तालाब के बाढ़ भंडारण के पुनर्स्थापन पर खर्च किया जाएगा।

4.5.6.4 **बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र.** खंड 4.5.3 के जलग्रहण क्षेत्रों में यह मार्ग उन्हीं शर्तों पर उपलब्ध है। तथापि, जहाँ अध्याय 5 का अनुप्रवाह विश्लेषण विश्लेषण के विस्तार के भीतर 10% AEP घटना में भवनों की विद्यमान बाढ़ दर्शाता है, वहाँ प्राधिकारी इसे अस्वीकार कर सकता है।

> **भाष्य.** सभी पुनर्विकास का लक्ष्य अविकसित भूमि की स्थिति है, क्योंकि घना शहर अपना अपवाह तभी कम करता है जब उसका पुनर्निर्माण होता है। जयपुर के परकोटे (walled city), जोधपुर के पुराने शहर, या उदयपुर, अजमेर, बीकानेर और कोटा के पुराने केंद्रीय भागों जैसे क्षेत्रों में छोटे, पूरी तरह निर्मित भूखंडों पर प्रायः अविकसित भूमि के पूर्ण भंडारण के लिए स्थान नहीं होता। जो नियम पूरा न किया जा सके, वह विचलनों और अननुपालन को आमंत्रित करता है, जिससे अनुप्रवाह की ओर किसी को लाभ नहीं होता। यह खंड UK Non-statutory Technical Standards for Sustainable Drainage (Defra, 2015, S2–S3) की पद्धति का अनुसरण करता है। पहले से विकसित साइटों के लिए वे मानक चरम अपवाह को "अविकसित भूमि की अपवाह दर के जितना निकट युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य हो" ("as close as reasonably practicable to the greenfield runoff rate") रखने और कभी भी पुनर्विकास-पूर्व दर से अधिक न होने की अपेक्षा करते हैं। 50% की नियत न्यूनतम कमी का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे इसलिए निर्धारित करता है ताकि समीक्षकों को "युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य" के निर्णय के स्थान पर एक स्पष्ट संख्या मिले। एवज शुल्क कमी को उसी बेसिन में क्षेत्रीय भंडारण में बदल देता है, जिससे बेसिन को कुल मिलाकर अविकसित भूमि के समतुल्य नियंत्रण मिलता रहता है। प्रतिधारण और जल गुणवत्ता को कोई राहत नहीं मिलती, क्योंकि ये छोटे आयतन हैं जिन्हें लगभग प्रत्येक साइट रख सकती है।

4.6 अस्थायी भंडारण के आकार-निर्धारण की प्रक्रिया

4.6.1 विधि

अस्थायी भंडारण का आकार सुविधा के जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर संबंध के माध्यम से हाइड्रोग्राफ रूटिंग द्वारा, स्तर-ताल रूटिंग (Modified Puls) या किसी समतुल्य संख्यात्मक विधि (SWMM, HEC-HMS) से निर्धारित किया जाएगा। नियत-अनुपात और रेशनल-आधारित भंडारण सूत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा। खंड 4.14 की सरलीकृत विधियाँ (टियर B तालिकाएँ और नियत-गुणांक मार्ग) ही एकमात्र अपवाद हैं।

4.6.2 पद

1. साइट और उप-भागों का सीमांकन करें। HSG का मानचित्रण करें और परीक्षण द्वारा पुष्टि करें (अध्याय 3)।
2. 50%, 10% और 1% AEP तथा खंड 2.5.2 की प्रत्येक अवधि के लिए जलवायु गुणक सहित डिजाइन वर्षा निकालें (अध्याय 2, प्रपत्र 2-1)।
3. डिजाइन हायटोग्राफ बनाएँ: ≤ 24 h के लिए ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक; 48 और 72 h के लिए "चरम दिन अंत में" ("peak day last") पैटर्न (खंड 2.9)।
4. विकास-पूर्व हाइड्रोग्राफ की गणना करें (अविकसित भूमि का CN; उप-भाग RJ-G और RJ-H में और काली मिट्टी पर 15 अगस्त से 15 सितंबर तक प्रत्येक अवधि की वर्षा घटनाओं के लिए, और अन्य समय और स्थानों पर 53 mm से अधिक के 5-दिवसीय योग के बाद, AMC III; अन्यथा AMC II)।
5. खंड 4.5.2 या 4.5.3 के अंतर्गत प्रत्येक AEP और अवधि के लिए निकास सीमाओं की गणना करें।
6. उन्हीं वर्षा घटनाओं और AMC के साथ, प्रतिधारण पद्धतियों सहित (खंड 4.4.6), विकास-पश्चात हाइड्रोग्राफ की गणना करें।
7. सुविधा की एक परीक्षण ज्यामिति (जल स्तर–भंडारण) और एक बहु-चरणीय आउटलेट चुनें (खंड 4.6.5)।
8. प्रत्येक वर्षा घटना और अवधि की रूटिंग करें। **5 मिनट** से अधिक नहीं, और विकास-पश्चात जलग्रहण क्षेत्र के Tc/3 से अधिक नहीं, का समय पद प्रयोग करें।
9. प्रत्येक निकास की उसकी सीमा से जाँच करें, और खाली होने की जाँच करें (खंड 4.7)। आउटलेट और भंडारण को समायोजित करें और दोहराएँ।

10. खंड 4.6.6 की टेलवाटर स्थिति और अध्याय 5 के अनुप्रवाह विश्लेषण की जाँच करें।
11. आपातकालीन स्पिलवे का आकार निर्धारित करें और फ्रीबोर्ड तय करें (खंड 4.9)।
12. भंडारण के लिए, प्रत्येक आउटलेट चरण के लिए, और स्पिलवे के लिए निर्णायक वर्षा घटना की रिपोर्ट करें (खंड 4.17)।

4.6.3 रूट की जाने वाली वर्षा घटनाएँ

प्रत्येक सुविधा की रूटिंग पूर्ण मैट्रिक्स के लिए की जाएगी:

तालिका 4.1 — अस्थायी भंडारण के आकार-निर्धारण के लिए रूट की जाने वाली डिजाइन वर्षा घटनाएँ

AEP	अवधियाँ (h)	AMC
50% (2-वर्ष)	1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72	≤ 6 h के लिए II; ≥ 12 h के लिए III
10% (10-वर्ष)	1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72	≤ 6 h के लिए II; ≥ 12 h के लिए III
1% (100-वर्ष)	1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72	≤ 6 h के लिए II; ≥ 12 h के लिए III

क्रांतिक अवधि का परिणाम जो भी हो, 24-, 48- और 72-घंटे के रन अनिवार्य हैं (खंड 2.5.2)। जहाँ अध्याय 3 द्वारा Ia = 0.05S संवेदनशीलता अपेक्षित है, वहाँ उसे निर्णायक भंडारण स्थिति के लिए चलाया जाएगा।

4.6.4 प्रारंभिक स्थितियाँ

प्रत्येक रन निम्नलिखित के साथ आरंभ होगा:

- अस्थायी भंडारण खाली, सबसे निचले आउटलेट के इनवर्ट तक;
- कोई भी स्थायी जल-भंडार भरा हुआ;
- प्रतिधारण पद्धतियाँ खाली, खंड 4.11 द्वारा सीमित स्थिति के अतिरिक्त; और
- RWH भंडारण भरा हुआ (खंड 4.11)।

48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाओं में उनकी पूर्ववर्ती वर्षा पहले से सम्मिलित है, इसलिए कोई अतिरिक्त पूर्व-भराई लागू नहीं की जाती।

4.6.5 बहु-चरणीय आउटलेट का डिजाइन

4.6.5.1 आउटलेट में प्रत्येक मानदंड के लिए एक पृथक नियंत्रण होगा, जो सामान्यतः चित्र 4.2 के अनुसार एक के ऊपर एक रखे जाएँगे:

- **चरण 1**, इनवर्ट पर: अल्प-प्रवाह ऑरिफिस। यह WQv को 24–48 h में छोड़ता है (अध्याय 8) और 2-वर्ष निकास को नियंत्रित करता है।
- **चरण 2**: अधिकतम 2-वर्ष स्तर पर या उसके निकट रखा गया ऑरिफिस या स्लॉट। यह 10-वर्ष निकास को नियंत्रित करता है।
- **चरण 3**: अधिकतम 10-वर्ष स्तर पर या उसके निकट रखा गया वियर, राइजर शिखर या बड़ा ऑरिफिस। यह 100-वर्ष निकास को नियंत्रित करता है।
- **आपातकालीन स्पिलवे**: प्राथमिक आउटलेट से पृथक (खंड 4.9)।

जहाँ रूटिंग यह दर्शाए कि प्रत्येक सीमा पूरी होती है, वहाँ चरणों को संयुक्त किया जा सकता है।

4.6.5.2 ऑरिफिस की गणना 0.60 के प्रवाह गुणांक से की जाएगी, जब तक कि कोई अंशांकित (rated) युक्ति प्रयुक्त न हो। वियरों के लिए उनके आकार के अनुरूप गुणांक का प्रयोग किया जाएगा। जलमग्न आउटलेट और टेलवाटर के प्रभाव सम्मिलित किए जाएँगे (खंड 4.6.6)।

4.6.5.3 भँवर प्रवाह नियंत्रक (vortex flow controls) और अन्य स्वामित्वाधीन युक्तियों का उपयोग वहाँ किया जा सकता है जहाँ आपूर्तिकर्ता प्रमाणित हेड–प्रवाह दर वक्र प्रदान करे और न्यूनतम स्पष्ट छिद्र कम से कम 50 mm हो।

4.6.6 आउटलेट पर टेलवाटर

जहाँ भी प्राप्तकर्ता जल स्तर आउटलेट के इनवर्ट से ऊपर उठ सकता है, वहाँ आउटलेट की रूटिंग मुक्त आउटफॉल के बजाय प्राप्तकर्ता प्रणाली के टेलवाटर के सापेक्ष की जाएगी। टेलवाटर निम्नलिखित होगा:

- प्राप्तकर्ता ड्रेन के लिए: उसी वर्षा घटना में उसका जल स्तर, अध्याय 5 के विश्लेषण से या, टियर B के लिए, ड्रेन का ऑबवर्ट;
- ज्वारीय या पश्चजल प्रभावित आउटफॉलों के लिए: खंड 2.12 और अध्याय 5 के स्तर और संयुक्त स्थितियाँ, आउटफॉल-बंद जाँच (खंड 5.10) सहित।

जहाँ टेलवाटर निर्णायक है, वहाँ आउटलेट पर फ्लैप गेट लगाया जाएगा (खंड 5.11)। टेलवाटर स्तर से नीचे के भंडारण को तब तक उपलब्ध नहीं गिना जाएगा जब तक कि रूटिंग में गेट का बंद होना सम्मिलित न हो।

4.6.7 उदाहरण

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. यह उदाहरण प्रक्रिया और उससे प्राप्त होने वाले आकार दिखाता है। इनपुट दक्षिण जयपुर में द्रव्यवती के किसी सहायक नाले पर बसी किसी कॉलोनी के लिए संभाव्य होने के लिए कल्पित हैं। वे NIH-DHAARA मान नहीं हैं और उनका उपयोग डिजाइन के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

इनपुट:

- साइट: 2.0 ha, बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र (खंड 4.5.3)।
- भूमि आवरण: विकास-पूर्व पूर्णतः पारगम्य, CN 70। विकास-पश्चात दो उप-भागों के रूप में (खंड 3.9.2): CN 98 पर 1.57 ha प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी अपारगम्य सतह, जिसे AMC के लिए कभी परिवर्तित नहीं किया जाता, और CN 70 पर 0.43 ha पारगम्य खुला स्थान, विकास-पूर्व वाली मिट्टी पर ही; AMC II पर क्षेत्र-भारित CN 92 है। 12 h और उससे लंबी वर्षा घटनाओं के लिए केवल पारगम्य CN को AMC III में परिवर्तित किया जाता है: CN_III = 23·CN / (10 + 0.13·CN) = 84.3 (खंड 3.8.4)।
- सांद्रण समय (Tc): विकास-पूर्व 45 min, विकास-पश्चात 15 min (दोनों उप-भागों के लिए प्रयुक्त)। SCS त्रिकोणीय इकाई हाइड्रोग्राफ; 5-मिनट समय पद।
- 24-h गहराइयाँ: 2-, 10- और 100-वर्ष के लिए 110, 200 और 350 mm (10- और 100-वर्ष के मान वही हैं जो खंड 2.11 में हैं)।
- छोटी अवधियाँ: P(t) = P24·(t/24)^0.40, एक कल्पित अनुपात समूह, परिशिष्ट 2B नहीं।
- लंबी अवधियाँ: 48-h और 72-h गहराइयाँ 1.25 और 1.40 × P24 ली गईं, खंड 2.9.2 के अनुसार व्यवस्थित।
- भंडारण: ऊर्ध्वाधर दीवारों वाला, 2,500 m^2 प्लान क्षेत्रफल।
- आउटलेट, जिसका आकार इस प्रकार निर्धारित है कि अल्प-प्रवाह ऑरिफिस के 50% अवरुद्ध होने पर भी खाली होने की अपेक्षा पूरी हो (खंड 4.8.3)। परिशिष्ट 4C वह परीक्षण आउटलेट दिखाता है जो इस जाँच में विफल रहा।
    - चरण 1: इनवर्ट पर 170 mm ऑरिफिस।
    - चरण 2: 460 mm ऑरिफिस, जिसका इनवर्ट तल से 0.53 m ऊपर है।
    - चरण 3: आवश्यक नहीं, क्योंकि 100-वर्ष सीमा चरण 1 और 2 से पूरी हो जाती है।

परिणाम (प्रवाह दरें L/s में; भंडारण m^3 में):

तालिका 4.2 — उदाहरण: अवधि के अनुसार चरम प्रवाह दरें और प्रयुक्त भंडारण (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

अवधि (h)	2-वर्ष विकास-पूर्व	2-वर्ष विकास-पश्चात, भंडारण सहित	10-वर्ष विकास-पूर्व	10-वर्ष विकास-पश्चात, भंडारण सहित	100-वर्ष विकास-पश्चात, अनियंत्रित	100-वर्ष विकास-पश्चात, भंडारण सहित	प्रयुक्त 100-वर्ष भंडारण	10-वर्ष खाली होने का समय, 50% अवरुद्ध (h)
1	4	15	51	28	922	42	1,426	31.3
2	14	20	84	34	961	79	1,911	32.1
3	19	22	104	37	981	139	1,999	32.8
6	32	25	150	41	1,010	194	2,154	34.2
12	127	30	302	46	1,074	276	2,512	39.0
24	149	32	327	49	1,081	320	2,766	**45.3**
48	173	34	349	82	1,087	343	**2,913**	44.8
72	180	34	356	84	1,089	343	2,911	44.7

इसे कैसे पढ़ें:

- **100-वर्ष सीमा.** सीमा सबसे बड़ा विकास-पूर्व 10-वर्ष चरम है, 356 L/s (72 h)। भंडारण सहित प्रत्येक 100-वर्ष चरम इसके बराबर या इससे नीचे है; सबसे बड़ा 343 L/s है।
- **2-वर्ष सीमा.** साइट बाढ़-संवेदनशील है, इसलिए 2-वर्ष सीमा सबसे बड़ा विकास-पूर्व 2-वर्ष चरम है, 180 L/s (72 h; खंड 4.5.3.1)। भंडारण सहित सबसे बड़ा 2-वर्ष चरम 34 L/s है। 1, 2 और 3 घंटों पर भंडारण सहित 2-वर्ष चरम उसी अवधि के विकास-पूर्व चरम से ऊपर है (4 के विरुद्ध 15 L/s, 14 के विरुद्ध 20 L/s, और 19 के विरुद्ध 22 L/s)। यहाँ वह तुलना अपेक्षित नहीं है। खंड 4.5.2 के अंतर्गत आने वाली साइट के लिए वह अपेक्षित होती, और तब खंड 4.5.5.2 लागू होता।
- **निर्णायक भंडारण.** भंडारण **48- और 72-घंटे** की वर्षा घटनाओं से निर्धारित होता है: 2,913 m^3, जो साइट के प्रति m^2 0.146 m^3 है, 1.17 m की अधिकतम गहराई पर। जो डिजाइन केवल क्रांतिक अवधि की चरम वर्षा घटना (यहाँ 1–3 h) की जाँच करता, वह लगभग 2,000 m^3 प्रदान करता, जो आवश्यक का लगभग दो-तिहाई है।
- **खाली होना.** अल्प-प्रवाह ऑरिफिस के 50% अवरुद्ध होने पर (खंड 4.8.3), 10-वर्ष भंडारण का 90% अधिकतम 45.3 h (24-घंटे की वर्षा घटना) में खाली होता है, जो खंड 4.7 के 48 घंटों के भीतर है। 120 mm का ऑरिफिस स्वच्छ होने पर इसे लगभग 42 h में खाली करेगा किंतु आधा अवरुद्ध होने पर 54 से 75 h में, इसलिए वह विफल है। परिशिष्ट 4C वह परीक्षण और रूटिंग पद-दर-पद दिखाता है।
- **प्रतिधारण क्रेडिट.** प्रतिधारण के लिए वर्षा की 40 mm की उदाहरणार्थ गहराई के साथ, प्रत्येक उप-भाग के लिए गणना करने पर (खंड 3.9.4), RRV = 552 m^3। वर्षा घटना के आरंभ से भरने वाले और उसके दौरान कोई अंतःस्यंदन न करने वाले के रूप में मॉडल किए जाने पर, प्रतिधारण 24-घंटे के भंडारण को 138 m^3 से और 48- और 72-घंटे के भंडारण को 7 m^3 या उससे कम से घटाता है। इसलिए इस साइट के लिए खंड 4.4.6 के अंतर्गत क्रेडिट व्यावहारिक रूप से शून्य है।

परिमाण का क्रम, साइट के प्रति m^2 लगभग 0.15 m^3, खंड 2.11 के संकेत के अनुरूप है।

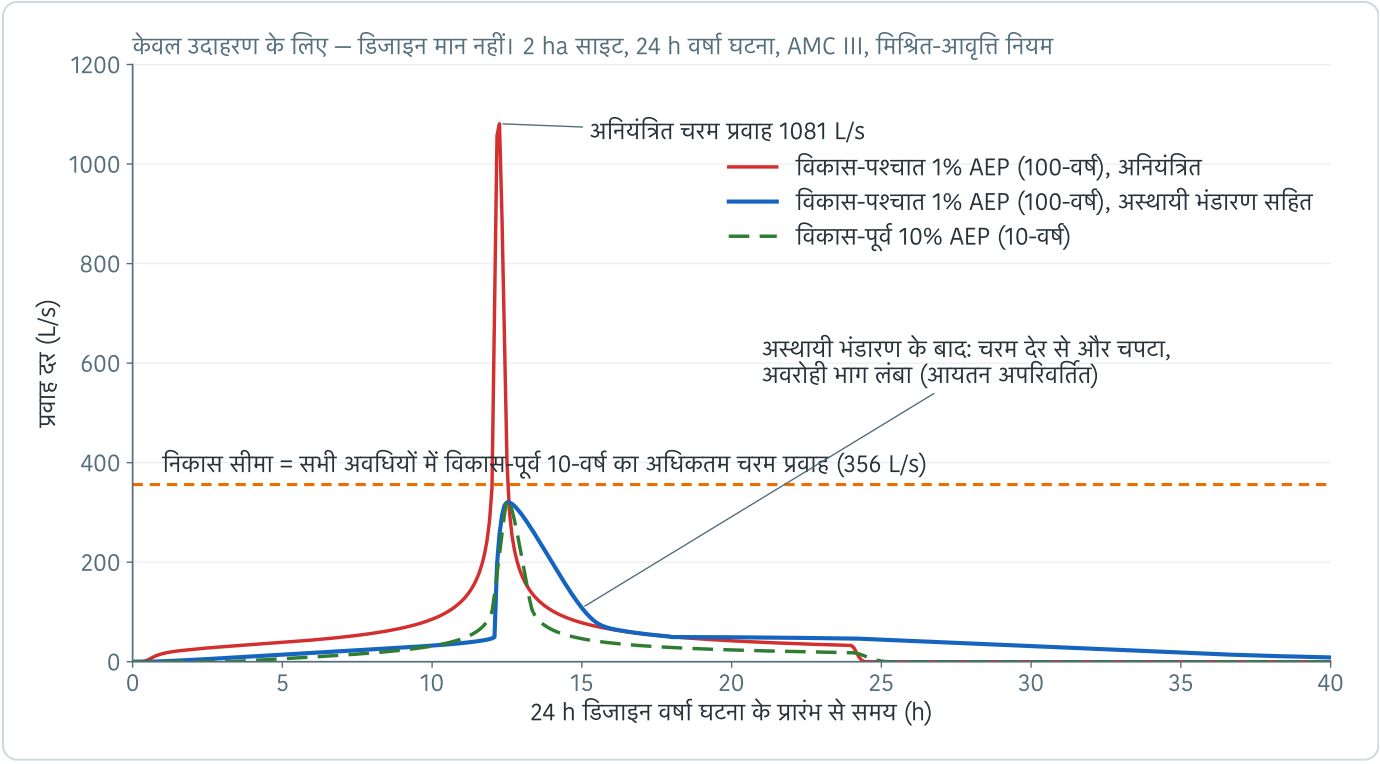

चित्र 4.1 — उदाहरण (खंड 4.6.7) की 24-घंटे की वर्षा घटना के लिए विकास-पूर्व 10-वर्ष, विकास-पश्चात 100-वर्ष अनियंत्रित और भंडारण सहित हाइड्रोग्राफ। केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, MARC/KC APWA Section 5600 और Georgia Stormwater Management Manual (2016) की विकास-पूर्व/विकास-पश्चात हाइड्रोग्राफ अवधारणा से रूपांतरित।

> **भाष्य.** चित्र 4.1 दिखाता है कि अस्थायी भंडारण क्या करता है और क्या नहीं करता। यह चरम को घटाता और विलंबित करता है। यह आयतन को कम नहीं करता: भंडारण सहित वक्र के नीचे का क्षेत्रफल अनियंत्रित वक्र के नीचे के क्षेत्रफल के बराबर है, जो विकास-पूर्व 10-वर्ष आयतन के दोगुने से अधिक है। अतिरिक्त आयतन वर्षा घटना के बाद अनेक घंटों में साइट से बाहर जाता है। यह लंबा निकास अनुप्रवाह की ओर बड़े जलग्रहण क्षेत्र के चरम के साथ मेल खा सकता है (खंड 4.16), और जब आउटफॉल ज्वार से अवरुद्ध हो तब भी इसे खाली होना ही होगा (अध्याय 5)।

4.7 खाली होना

4.7.1 **अस्थायी भंडारण.** प्रत्येक अवधि की 10% AEP (10-वर्ष) वर्षा घटना में भंडारित अधिकतम आयतन का कम से कम **90%** अधिकतम भंडारण के समय से **48 घंटों** के भीतर, खंड 4.6.6 के टेलवाटर के साथ, गुरुत्व द्वारा छोड़ा जाएगा।

4.7.2 **जल गुणवत्ता आयतन.** WQv को कम से कम 24 घंटों और अधिकतम 48 घंटों में छोड़ा जाएगा (अध्याय 8)।

4.7.3 **प्रतिधारण.** प्रतिधारण भंडारण को अंतःस्यंदन या पुनः उपयोग द्वारा 72 घंटों के भीतर खाली किया जाएगा (खंड 4.4.5)।

4.7.4 **ज्वारीय आउटफॉल.** जहाँ प्रत्येक चक्र के कुछ भाग में ज्वार के कारण गुरुत्व द्वारा खाली होना रुक जाता है, वहाँ ज्वारीय टेलवाटर को मॉडल करके 48 घंटे की सीमा लागू होती है। जहाँ इसे गुरुत्व द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता, वहाँ खंड 5.12 के अंतर्गत पंप द्वारा खाली करने का प्रावधान किया जाएगा।

भाष्य. KC APWA 5600 (2006) में शुष्क बेसिनों से अंतर्वाह चरम के 24 घंटों के भीतर भंडारण का कम से कम 80% छोड़ने और 72 घंटों के भीतर खाली होने की अपेक्षा थी। सिंगापुर PUB अस्थायी भंडारण को 4 घंटों के भीतर पुनः उपलब्ध करने की अपेक्षा करता है। 48-घंटे, 90% का नियम PUB से लंबा है क्योंकि राजस्थान के भंडारण को कई दिनों के आयतन रखने होते हैं। फिर भी यह इतना छोटा है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून के एक अवदाब से भरे बेसिन का अधिकांश आयतन अगले अवदाब से पहले वापस उपलब्ध हो जाएगा, जो अगस्त 2006 में बाड़मेर में (19 अगस्त से लगातार कई दिनों तक भारी वर्षा, जिले में 3 दिनों में लगभग 577 mm, और बाड़मेर में 21 तारीख को 120 mm और 22 तारीख को 160 mm, प्रकाशित खबरों के अनुसार) कुछ ही दिनों में आया था।

4.8 आउटलेट संरचनाएँ

4.8.1 **सामान्य.** प्राथमिक आउटलेट:

- बिना निगरानी के चलने वाले होंगे, जिनमें कोई चलने वाला पुर्जा, वाल्व या पंप नहीं होगा, सिवाय वहाँ के जहाँ खंड 5.12 पंप द्वारा खाली करने की अनुमति देता है;
- जहाँ व्यवहार्य हो, सीमित स्थान (confined space) में प्रवेश किए बिना सतह से निरीक्षण और सफाई के लिए सुलभ होंगे; और
- टिकाऊ सामग्री से बने होंगे। तटीय क्षेत्रों में ये संक्षारण-रोधी होंगी (खंड 4.12.5)।

4.8.2 **न्यूनतम ऑरिफिस.** कोई भी नियंत्रण ऑरिफिस व्यास में **50 mm** से छोटा नहीं होगा, या स्लॉट के लिए न्यूनतम आयाम में 50 mm से छोटा नहीं होगा।

4.8.3 **कचरा-रोधी जालियाँ और जालियाँ.** प्रत्येक ऑरिफिस और वियर कचरा-रोधी जाली (trash rack) या जाली (screen) द्वारा सुरक्षित किया जाएगा। जाली:

- की छड़ों के बीच की स्पष्ट दूरी उसके द्वारा सुरक्षित सबसे छोटे छिद्र के आधे से अधिक नहीं, और 25 mm से कम नहीं होगी;
- का स्पष्ट खुला क्षेत्र उसके द्वारा सुरक्षित छिद्र के क्षेत्रफल का कम से कम **10 गुना** होगा;
- झुकी हुई होगी, या राइजर के चारों ओर पिंजरे के रूप में लगाई जाएगी, ताकि मलबा पानी के साथ ऊपर उठे और छड़ों से चिपके नहीं;
- सफाई के लिए हटाने योग्य या कब्जेदार होगी; और
- रूटिंग में, खाली होने की जाँच करते समय, अल्प-प्रवाह ऑरिफिस पर **50% अवरुद्ध** मानी जाएगी।

4.8.4 **भँवर-रोधी युक्तियाँ.** जिन राइजर शिखरों और ऑरिफिसों पर उनके व्यास के 1.5 गुना से अधिक हेड आ सकता है, उनमें भँवर-रोधी प्लेट या हुड होगा (चित्र 4.2)।

4.8.5 **आउटलेट बैरल.** तटबंधों से होकर जाने वाले आउटलेट बैरल:

- कम से कम 300 mm व्यास के होंगे (अध्याय 6);
- के जोड़ जलरोधी होंगे;
- में तटबंध के भीतर की लंबाई पर फिल्टर डायाफ्राम या रिसाव कॉलर होंगे; और
- का आउटफॉल ऊर्जा क्षयकारी होगा (अध्याय 9)।

4.8.6 **पृथक्करण.** 1 ha से अधिक क्षेत्र की सेवा करने वाली सुविधाओं में रखरखाव के लिए आउटलेट को पृथक करने का साधन होगा, जैसे स्टॉप-लॉग स्लॉट या पेनस्टॉक। सामान्य सेवा में इसे पूरा खुला रखा जाएगा।

भाष्य. 50 mm का न्यूनतम KC APWA 5600 (2006) के 75 mm (3 in) से छोटा है, इसलिए कचरा-रोधी जाली की अपेक्षाएँ उसी अनुपात में अधिक कठोर हैं। 4.8.3 के अनुपातों (छिद्र के आधे पर छड़ों की दूरी, छिद्र का 10 गुना खुला क्षेत्र, खाली होने की जाँच के लिए 50% अवरोध) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और वे इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। अवरोध गुणक अध्याय 6 में निचले बिंदु (sag) के इनलेटों के लिए 50% जाली अवरोध गुणक से मेल खाता है। भारतीय शहरी ड्रेनें ठोस अपशिष्ट का भारी बोझ ले जाती हैं, इसलिए प्रभावी जाली के बिना अल्प-प्रवाह ऑरिफिस एक ही मौसम में अवरुद्ध हो जाएगा।

भंडारण की परतें और बहु-चरणीय आउटलेट — योजनाबद्ध काट, पैमाने पर नहीं

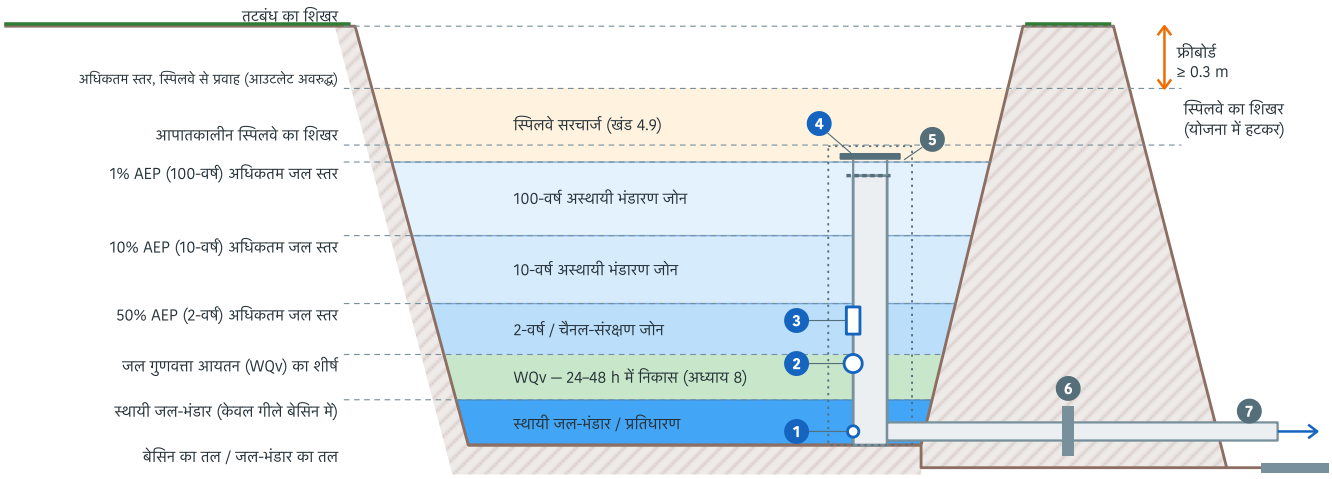

संकेत

1 चरण 1 अल्प-प्रवाह ऑरिफिस (≥ 50 mm, खंड 4.8.2) — WQv को 24–48 h में छोड़ता है
2 चरण 1 दूसरा ऑरिफिस — 1 के साथ 50% AEP (2-वर्ष) निकास नियंत्रित करता है
3 चरण 2 ऑरिफिस या वियर खाँचा — 10% AEP (10-वर्ष) निकास नियंत्रित करता है
4 चरण 3 राइजर शिखर / भँवर-रोधी प्लेट सहित ओवरफ्लो जाली — 1% AEP (100-वर्ष) निकास नियंत्रित करता है
5 सभी छिद्रों को घेरने वाली कचरा-रोधी जाली (खंड 4.8.3)
6 आउटलेट बैरल पर रिसाव कॉलर या फिल्टर डायाफ्राम
7 आउटलेट बैरल, ऊर्जा क्षय और आउटफॉल एप्रन
स्तर और जोन की मोटाई केवल सांकेतिक हैं।

चित्र 4.2 — अस्थायी भंडारण के स्तर-क्रम (स्थायी जल-भंडार, WQv, 2-वर्ष, 10-वर्ष और 100-वर्ष जोन, स्पिलवे सरचार्ज और फ्रीबोर्ड) और बहु-चरणीय राइजर आउटलेट। योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, MARC/KC APWA Section 5600 (2006, 2025.01) और Mile High Flood District Urban Storm Drainage Criteria Manual, Volume 2 (full-spectrum detention) की बहु-चरणीय आउटलेट और भंडारण-जोन अवधारणाओं से रूपांतरित।

4.9 आपातकालीन स्पिलवे, फ्रीबोर्ड और तटबंध सुरक्षा

4.9.1 **स्पिलवे की क्षमता.** पूर्णतः या आंशिक रूप से तटबंध द्वारा बनी प्रत्येक अस्थायी भंडारण सुविधा में, या जिसका अतिप्रवाह भवनों तक पहुँच सकता है, ऐसा आपातकालीन स्पिलवे होगा जो **1% AEP (100-वर्ष) चरम अंतर्वाह** को निकाले:

- प्राथमिक आउटलेट को पूर्णतः अवरुद्ध मानते हुए;
- वर्षा घटना के आरंभ में सुविधा को स्पिलवे शिखर तक भरा मानते हुए; और
- अधिकतम जल स्तर से तटबंध के शिखर तक कम से कम **0.3 m फ्रीबोर्ड** के साथ।

4.9.2 **उच्च-जोखिम सुविधाएँ.** कोई सुविधा उच्च-जोखिम है यदि उसकी विफलता या अतिप्रवाह से:

- जीवन को खतरा हो सकता है;
- किसी आवास योग्य भवन या महत्वपूर्ण सुविधा में बाढ़ आ सकती है; या
- कोई धमनी सड़क बंद हो सकती है।

उच्च-जोखिम सुविधाओं की 4.9.1 की स्थितियों में **0.2% AEP (500-वर्ष)** चरम अंतर्वाह के लिए भी जाँच की जाएगी, और तटबंध के ऊपर से पानी नहीं बहना चाहिए।

4.9.3 **स्पिलवे का शिखर.** स्पिलवे का शिखर प्राथमिक आउटलेट के कार्यरत रहते हुए की गई रूटिंग से प्राप्त 1% AEP अधिकतम जल स्तर पर या उससे ऊपर होगा। अनुशंसित अंतराल 0.15 m है।

4.9.4 **स्पिलवे का स्थान.** स्पिलवे:

- प्राकृतिक भूमि या प्रबलित खंड पर होगा, भराई पर नहीं, जब तक कि पूर्ण डिजाइन प्रवाह के लिए अपरदन से सुरक्षित न हो;
- अध्याय 6 के 1% AEP सतही प्रवाह मार्ग में पानी छोड़ेगा; और
- इस प्रकार रखा जाएगा कि उसका प्रवाह किसी भवन तक न पहुँचे।

4.9.5 **भूमिगत और बंद सुविधाएँ.** टैंकों, वॉल्टों और पोडियम भंडारण में ऐसा अतिप्रवाह मार्ग होगा जो आउटलेट अवरुद्ध होने पर काम करे। यह मार्ग 1% AEP अंतर्वाह को किसी भवन, बेसमेंट या लिफ्ट पिट में सरचार्ज किए बिना सतही मार्ग तक ले जाएगा।

4.9.6 **तटबंध.**

- (a) **2 m** से अधिक ऊँचे तटबंध (अनुप्रवाह की ओर के आधार से शिखर तक मापे गए) का डिजाइन योग्य भू-तकनीकी अभियंता द्वारा किया जाएगा। डिजाइन में स्थिरता, रिसाव और धँसाव का विश्लेषण सम्मिलित होगा।
- (b) किसी भी ऐसे फलक पर, जिस पर घास काटी जाती है या जो जनता के लिए सुलभ है, पार्श्व ढलान 3H:1V से अधिक तीव्र नहीं होंगे। जहाँ खंड 4.15 अपेक्षा करता है, वहाँ ढलान अधिक सपाट होंगे।
- (c) तटबंधों में:
  - शिखर की चौड़ाई कम से कम 3 m होगी;
  - संघनित, अभियांत्रिकी भराई होगी, जिसमें रिसाव विश्लेषण द्वारा अपेक्षित होने पर कोर या कट-ऑफ होगा; और
  - कोई पेड़ या बड़ी झाड़ियाँ नहीं होंगी।
- (d) जो तटबंध संरचना बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021) के अंतर्गत आती है, वह इस मैनुअल के अतिरिक्त उस अधिनियम के अधीन है।

4.9.7 **खोदकर बनाई गई सुविधाएँ.** जो सुविधाएँ पूर्णतः आसपास की भूमि से नीचे हैं और जिनमें कोई तटबंध नहीं है, उन्हें 4.9.6 पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें फिर भी 4.9.1 पूरा करना होगा, जिसमें अतिप्रवाह मार्ग को स्पिलवे माना जाएगा।

> **भाष्य.** स्पिलवे मानदंड (1% अंतर्वाह, आउटलेट अवरुद्ध, बेसिन भरा, 0.3 m फ्रीबोर्ड; उच्च-जोखिम के लिए 0.2%) KC APWA 5600 (2006) के नियम का अनुसरण करता है: स्पिलवे शून्य भंडारण और अवरुद्ध प्राथमिक आउटलेट मानते हुए 1% वर्षा घटना को डैम के शीर्ष तक 1 ft (0.3 m) फ्रीबोर्ड के साथ निकालता है, और उसका शिखर 1% अधिकतम जल सतह से कम से कम 0.5 ft (0.15 m) ऊपर होता है। KC ने 10 ft (3 m) से ऊँचे डैमों का डिजाइन SCS TR-60 Class C के अनुसार किया। 2 m का तटबंध प्रारंभक मान, 3H:1V ढलान (KC वेट पॉन्ड), और 3 m शिखर चौड़ाई का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

4.10 सुविधाओं के प्रकार

4.10.1 **सामान्य.** खंड 4.5 से 4.9 को पूरा करने वाले किसी भी भंडारण का उपयोग किया जा सकता है। ऐसे सतही भंडारण को वरीयता दी जाती है जो दिखाई दे और जिसका निरीक्षण सीमित स्थान में प्रवेश किए बिना किया जा सके। भंडारण किसी आवास योग्य बेसमेंट में या ऐसे किसी स्थान में नहीं रखा जाएगा जिसमें बाढ़ आने से जीवन को खतरा हो।

4.10.2 **भूमिगत टैंक और वॉल्ट.**

- (a) जहाँ प्राप्तकर्ता ड्रेन अनुमति देती है, वहाँ गुरुत्व आउटलेट अनिवार्य है। पंप द्वारा संचालित आउटलेट केवल खंड 5.12 के अंतर्गत, पंजीकृत रखरखाव घोषणा-पत्र (अध्याय 10) के साथ, अनुमत हैं।
- (b) आउटलेट कक्ष के ऊपर और प्रत्येक इनलेट के ऊपर प्रवेश द्वार प्रदान किए जाएँगे। 500 m² से बड़े टैंकों में वे 30 m से अधिक दूरी पर नहीं होंगे।
- (c) फर्श आउटलेट पर स्थित संप की ओर कम से कम 1% ढलान वाला होगा, और अल्प-प्रवाह ऑरिफिस के इनवर्ट के नीचे तलछट के लिए एक गड्ढा होगा।
- (d) टैंक संवातित होगा।
- (e) इनलेट गाद-जाल या स्थूल प्रदूषक जाल (अध्याय 8) से होकर जाएँगे।
- (f) उत्प्लावन और भूजल के प्रवेश की जाँच खंड 4.12 के अंतर्गत की जाएगी।

4.10.3 **छत पर अस्थायी भंडारण.**

- (a) यह उन सपाट छतों पर अनुमत है जिनका डिजाइन आउटलेट अवरुद्ध होने पर रुके पानी के पूर्ण भार के लिए किया गया हो। रुके पानी की गहराई **150 mm** से अधिक नहीं होगी, जब तक कि कोई संरचना अभियंता अधिक गहराई प्रमाणित न करे।
- (b) छत के प्रत्येक आउटलेट में प्रमाणित रेटिंग वाला प्रवाह-नियंत्रण रिंग या वियर होगा, और छत के प्रत्येक क्षेत्र में नियंत्रित आउटलेटों से स्वतंत्र कम से कम एक अतिप्रवाह निकास (scupper) होगा जो 1% AEP अंतर्वाह को निकाले।
- (c) RWH संग्रह के लिए प्रयुक्त छतें छत पर अस्थायी भंडारण भी प्रदान कर सकती हैं। अस्थायी रूप से भंडारित आयतन नियंत्रक के माध्यम से छोड़ा जाता है, RWH संप में नहीं।

4.10.4 **पोडियम और लैंडस्केप-डेक पर अस्थायी भंडारण.**

- (a) यह भूमि स्तर से ऊपर या बेसमेंट के कार पार्क के ऊपर अनुमत है, बशर्ते संरचना का डिजाइन पूर्ण संतृप्ति और रुके पानी के लिए किया गया हो, और उसे जलरोधी बनाया गया हो।
- (b) छत पर अस्थायी भंडारण (4.10.3) के निकास, अतिप्रवाह और सुरक्षा संबंधी नियम लागू होते हैं।

4.10.5 **पार्किंग स्थल पर अस्थायी भंडारण.**

- (a) यह केवल सतही पार्किंग पर अनुमत है। रुके पानी की गहराई निम्नलिखित से अधिक नहीं होगी:
  - किसी भी पार्किंग बे पर 10% AEP वर्षा घटना में **200 mm** और 1% AEP वर्षा घटना में **300 mm**;
  - सुगम्य मार्गों, रैंपों और पैदल पारपथों पर शून्य; और
  - अग्निशमन वाहन के पहुँच मार्गों पर 10% AEP वर्षा घटना में शून्य।
- (b) संकेत-पट चेतावनी देंगे कि क्षेत्र में पानी भरता है।
- (c) रुका पानी किसी भवन की दीवार तक नहीं पहुँचेगा, जब तक कि दीवार 1% स्तर और फ्रीबोर्ड से ऊपर तक जलरोधी न हो (अध्याय 6)।

4.10.6 **बहु-उपयोगी अस्थायी भंडारण (पार्क, खेल के मैदान, खुले स्थान के लिए आरक्षित भूमि).**

- (a) खुले स्थान की भूमि का उपयोग अस्थायी भंडारण के लिए किया जा सकता है, बशर्ते उसका प्राथमिक उपयोग कम से कम 50% AEP वर्षा घटना में उपलब्ध रहे।

- (b) भंडारण क्षेत्रों का समतलन इस प्रकार किया जाएगा कि वे खंड 4.7 के समय के भीतर पूरी तरह खाली हो जाएँ।
- (c) एक अल्प-प्रवाह चैनल या अंडरड्रेन शुष्क मौसम और बार-बार होने वाले प्रवाहों को ले जाएगा, ताकि पार्क में जलभराव न हो।
- (d) खंड 4.15 की गहराई और ढलान की सीमाएँ लागू होती हैं।
- (e) खेल उपकरण और बैठने की व्यवस्था 10% AEP स्तर से ऊपर रखी जाएगी।

4.10.7 **तालाब और आर्द्र बेसिन.**

- (a) खरपतवार की वृद्धि और मच्छरों के प्रजनन को हतोत्साहित करने के लिए स्थायी जल-भंडार अपने अधिकांश क्षेत्र में कम से कम 1.2 m गहरा होगा, और किनारे पर वनस्पति से ढकी सुरक्षा बेंच होगी (खंड 4.15)।
- (b) केवल स्थायी जल-भंडार के ऊपर का भंडारण अस्थायी भंडारण के रूप में गिना जाता है।

भाष्य.

- छत की गहराई (150 mm) और पार्किंग की गहराइयों (200 और 300 mm) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। यह मैनुअल इन्हें इसलिए निर्धारित करता है ताकि अवरुद्ध आउटलेट खतरनाक होने से पहले ही ध्यान में आ जाए।
- 1.2 m जल-भंडार की गहराई KC APWA 5600 (2006) के 4 ft न्यूनतम स्थायी जल-भंडार के बराबर है। यह मैनुअल इसे मुख्यतः खरपतवार और मच्छर नियंत्रण के लिए लेता है।
- सिंगापुर में पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण टैंकों के लिए रखरखाव घोषणा-पत्र आवश्यक हैं (PUB Addendum No. 3, April 2025)। यह मैनुअल अध्याय 10 के माध्यम से यही पद्धति अपनाता है।
- बहु-उपयोगी अस्थायी भंडारण के लिए खुले स्थान का उपयोग मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 के अनुरूप है, जो 750 m^2 से बड़े गैर-वाणिज्यिक भूखंड से अपने क्षेत्रफल का 10–20% हरित क्षेत्र के रूप में रखने की अपेक्षा करते हैं, जिसका कम से कम आधा भाग ऐसी प्राकृतिक भूमि पर हो जिसके नीचे कोई स्लैब न हो, और जिसका कोई भाग छत पर न हो (विनियम 8.1), और 5,000–20,000 m^2 निर्मित क्षेत्र वाली परियोजना से अपने खुले स्थान का कम से कम 20% बिना पक्का रखने की (अनुसूची 4)। सार्वजनिक पार्क, उद्यान और खुले स्थान नगरपालिका में निहित होते हैं (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68(1)(f)); पार्कों या खुले स्थानों के पक्कीकरण को सीमित करने वाला राजस्थान का कोई नियम नहीं मिला [TBC]। सड़क के स्तर से नीचे खुले स्थान में ढाला गया अस्थायी भंडारण क्षेत्र उसे पारगम्य और उपयोग योग्य रखता है, जिसकी अपेक्षा 4.10.6 करता है। इस प्रयोजन के लिए तीन प्रकार की भूमि खुला स्थान नहीं है। भूमि पर स्थित तालाब (talab), जोहड़ (johad), नाडी (nadi) या झील को खंड 4.3.1 के पद 1 के अंतर्गत संरक्षित रखा जाता है और उसे ऐसी जल सतह के रूप में मॉडल किया जाता है (खंड 3.3.2(e)) जो अपने पूर्ण स्तर से आरंभ होती है (खंड 3.12.5), इसलिए केवल उस स्तर से ऊपर का उसका बाढ़ भंडारण गिना जा सकता है, और केवल उतना जितना अध्याय 7 अनुमति देता है: सार्वजनिक तालाब और उनसे लगी वह भूमि जो निजी संपत्ति नहीं है, न्यासी के रूप में नगरपालिका में निहित होते हैं (2009 के अधिनियम की धारा 68(1)(c)); चरागाह भूमि में और तालाब-तल और नदी-तल की भूमि में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 16); गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि एक प्राकृतिक चैनल या जलाशय है जिसे उसके दर्ज स्वरूप में रखा जाना है (*Ramji Lal Saini*, राजस्थान उच्च न्यायालय, 7 मई 2026); और विरासत या धार्मिक महत्व की 3 ha या अधिक की झील, या अन्यथा 10 ha या अधिक की झील, अपनी संभरक धाराओं के "बहाव क्षेत्र" ("flow area") सहित, राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आती है। न्यायालय या अधिसूचना द्वारा निर्धारित बफर की भूमि भी अतिरिक्त भूमि नहीं है: उदयपुर की झीलों का निर्माण-निषिद्ध जोन (1997 की अधिसूचना; उच्च न्यायालय ने उदय सागर के चारों ओर उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 m की रेखा लागू की है, प्रकाशित खबरों के अनुसार); जोजरी के किनारे से वह 100 m जिसके भीतर उच्चतम न्यायालय ने उसकी बाढ़ रेखा के सीमांकन तक निर्माण पर रोक लगाई है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); वे नदी गलियारे जिनमें राज्य की नदियों की उच्च बाढ़ रेखाओं (High Flood Lines) के सीमांकन तक कोई नई अनुमति नहीं दी जा सकती (उच्चतम न्यायालय, 7 अगस्त 2026); वे आर्द्रभूमियाँ और उनके जलग्रहण क्षेत्र जिन्हें उच्च न्यायालय ने भराई और निर्माण से मुक्त रखने का आदेश दिया है (1 जून 2026 का स्वतः संज्ञान आदेश); और आना सागर का अग्रतट, जहाँ NGT ने आर्द्रभूमि नियमों के उल्लंघन में बनी संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया और 12 सितंबर 2025 को सेवन वंडर्स पार्क (Seven Wonders park) का ध्वस्तीकरण शुरू हुआ (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। और अध्याय 7 के

अंतर्गत किसी नाले, तालाब या नदी के हाइड्रोलिक कॉरिडोर की भूमि, जिसकी 15 m की न्यूनतम चौड़ाई इस मैनुअल का प्रस्ताव है, पहले से ही कॉरिडोर या बाढ़ भूमि है: पानी सबसे पहले उस तक पहुँचता है, इसलिए उसे उसके बगल के विकास के लिए अस्थायी भंडारण के रूप में नहीं गिना जाता (अध्याय 7)।

4.11 वर्षा जल संचयन बनाम अस्थायी भंडारण का लेखा

4.11.1 **दोहरी गणना नहीं.** RWH भंडारण (RWH अनिवार्यता के अंतर्गत प्रदान किए गए संप, टैंक, पुनर्भरण गड्ढे और कुएँ) को अस्थायी भंडारण के रूप में **नहीं** गिना जाएगा।

4.11.2 **RWH संप भरे हुए माने जाएँगे.** इस अध्याय के अंतर्गत सभी रूटिंग के लिए, RWH संपों और टैंकों को प्रत्येक मौसम में **प्रत्येक वर्षा घटना के आरंभ में भरा हुआ** माना जाएगा। उनके अतिप्रवाह को अस्थायी भंडारण सुविधा की ओर, या यदि वह अस्थायी भंडारण को बायपास करता है तो सीधे आउटफॉल की ओर, रूट किया जाएगा। बाद वाली स्थिति में बायपास प्रवाह PSD में गिना जाता है।

4.11.3 **संयुक्त टैंक.** एक ही टैंक RWH और अस्थायी भंडारण, दोनों तभी प्रदान कर सकता है यदि:

- (a) अस्थायी भंडारण जोन पूर्णतः RWH अतिप्रवाह स्तर के **ऊपर** है;
- (b) अस्थायी भंडारण जोन RWH अतिप्रवाह स्तर पर रखे गए अपने स्वयं के गुरुत्व नियंत्रण ऑरिफिस द्वारा खाली होता है, जो खंड 4.7 और 4.8 को पूरा करता है;
- (c) कोई पंप, वाल्व या उपयोगकर्ता की कार्रवाई अस्थायी भंडारण जोन में पानी नहीं रोक सकती; और
- (d) दोनों जोन और ऑरिफिस का स्तर ड्रॉइंगों में और रखरखाव घोषणा-पत्र में दर्शाए गए हैं।

केवल RWH अतिप्रवाह स्तर और अस्थायी भंडारण अतिप्रवाह स्तर के बीच का आयतन अस्थायी भंडारण के रूप में गिना जाता है।

4.11.4 **पुनर्भरण संरचनाएँ.** पुनर्भरण गड्ढे, खाइयाँ, शाफ्ट और कुएँ **प्रतिधारण** (अस्थायी भंडारण नहीं) के रूप में गिने जा सकते हैं यदि वे खंड 4.4.3 से 4.4.5 को पूरा करते हैं। विशेष रूप से, मौसमी उच्चतम भूजल स्तर उनके आधार से कम से कम 1.0 m नीचे होगा। रूटिंग में उन्हें दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु के भूजल स्तर के साथ खंड 4.4.6 के अंतर्गत लिया जाता है।

4.11.5 **RWH अनिवार्य बना रहता है.** इस अध्याय की कोई भी बात संबंधित शहरी निकाय द्वारा प्रकाशित रूप में मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 के विनियम 8.3 और अनुसूची 2 की, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 238 की, किसी भवन या लेआउट अनुमति की किसी शर्त की, या किसी अनुमोदन प्राधिकारी के किसी वर्षा जल संचयन नियम या निर्देश की RWH अपेक्षा को कम नहीं करती।

भाष्य. राजस्थान में RWH मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 के विनियम 8.3 द्वारा अपेक्षित है: 225 m^2 या अधिक के प्रत्येक भूखंड पर वर्षा जल संचयन इकाई या संरचना, या फिल्टर सहित छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक, अनिवार्य है (8.3(i))। 2020 के विनियमों ने सीमा-मान 300 m^2 निर्धारित किया था और 1,000 m^2 से बड़े भूखंडों के लिए भूविज्ञान विभाग या किसी विशेषज्ञ की सहायता से डिजाइन की गई पुनर्भरण संरचनाएँ माँगी थीं (मॉडल 2020 और JDA 2020 के विनियम, विनियम 10.11.1)। आवेदक वापसी योग्य धरोहर राशि जमा करता है, 225–500 m^2 के भूखंड के लिए ₹50,000 से लेकर 10,000 m^2 से बड़े भूखंड के लिए ₹5 लाख तक (अनुसूची 2, मद 4), जो तभी लौटाई जाती है जब भू-जल विभाग, WRD या इस क्षेत्र का अनुभवी सेवानिवृत्त अभियंता यह रिपोर्ट दे कि संरचना काम करती है (8.3(ii)), और अनुमोदन के समय एक शपथ-पत्र देता है जिसकी जाँच समापन प्रमाण-पत्र के समय की जाती है (अनुसूची 3)। जलभराव वाले क्षेत्रों में, जब प्राधिकरण, न्यास या शहरी निकाय उन्हें चिह्नित कर दे, संरचना अनिवार्य नहीं है (8.3(iii))। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 प्रत्येक स्वामी पर एक सांविधिक कर्तव्य, ₹10,000–20,000 का जुर्माना, और नगरपालिका के RWH प्रमाण-पत्र के बिना किसी नए भवन को कोई सार्वजनिक जल कनेक्शन देने पर रोक जोड़ता है (धारा 238, तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया [TBC]); विनियम RWH के लिए राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 का हवाला देते हैं (धारा 73(c)), किंतु उसका पाठ पढ़ा नहीं गया [TBC]; RIICO के 500 m^2 या

अधिक के औद्योगिक भूखंडों की अपनी अपेक्षा है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 20) अपने प्रयोजनों में पुनर्भरण और वर्षा जल संचयन को सम्मिलित करता है, किंतु उसे प्रवृत्त करने वाली कोई अधिसूचना नहीं मिली [TBC]। विनियम कोई भंडारण आयतन, अपवाह गणना, अंतःस्यंदन परीक्षण या भूजल स्तर तक की गहराई निर्धारित नहीं करते, इसलिए धरोहर राशि के पीछे की सुचारु संचालन जाँच का कोई निर्धारित मानक नहीं है; खंड 4.4.3 और 4.11.4 के परीक्षण वह मानक दे सकते हैं। यह मैनुअल इन संरचनाओं को अपनी प्रतिधारण अपेक्षा (खंड 4.4) के सापेक्ष निम्नानुसार क्रेडिट देता है:

- RWH भंडारण टैंक, जिसमें विनियम 8.3(i) का छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक सम्मिलित है, या संप, टाँका (taanka) या कुंड (kund), RWH भंडारण है। यह अस्थायी भंडारण नहीं है (खंड 4.11.1), और इसे प्रत्येक वर्षा घटना के आरंभ में भरा हुआ माना जाता है (खंड 4.11.2)। कोई टैंक अस्थायी भंडारण भी तभी प्रदान कर सकता है यदि वह खंड 4.11.3 के अंतर्गत संयुक्त टैंक के रूप में बनाया गया हो, जिसमें उसके RWH अतिप्रवाह स्तर के ऊपर एक अस्थायी भंडारण जोन हो जो अपने स्वयं के ऑरिफिस से खाली होता हो; केवल वही जोन गिना जाता है।
- RWH टैंक खंड 4.4 की **प्रतिधारण** अपेक्षा में केवल उतना ही गिना जाता है जितना वह किसी सतत गैर-पेय उपयोग, जैसे शौचालय फ्लशिंग, द्वारा 72 घंटों के भीतर खाली होता है, जिसका प्रदर्शन खंड 4.4.3 के अंतर्गत किया गया हो; तब उसे किसी अन्य प्रतिधारण पद्धति की तरह खंड 4.4.6 के अंतर्गत मॉडल किया जाता है।
- पुनर्भरण गड्ढे, खाइयाँ, शाफ्ट, बोर और कुएँ, जिनमें अनुसूची 4 के पुनर्भरण बोर सम्मिलित हैं, केवल वहीं प्रतिधारण के रूप में गिने जाते हैं जहाँ वे खंड 4.11.4 को पूरा करते हैं: उन्हें केवल उतना क्रेडिट मिलता है जितना वे साइट परीक्षण में मापी गई दर के आधे पर 72 घंटों के भीतर खाली होते हैं (खंड 4.4.3 और 4.4.5), उनका आधार मौसमी उच्चतम भूजल स्तर से कम से कम 1.0 m ऊपर हो, और क्रेडिट खंड 4.4.6 के अंतर्गत रूटिंग द्वारा निकाला जाता है, उनका आयतन घटाकर नहीं।
- **पूरे राज्य में पहले पुनर्भरण.** राजस्थान जितना भूजल पुनर्भरित होता है उससे कहीं अधिक निकालता है: 2024 के आकलन में दोहन का चरण 149.86% था, और राज्य की 302 आकलन इकाइयों में से 214 अति-दोहित, 27 गंभीर और 21 अर्ध-गंभीर थीं (CGWB, *Dynamic Ground Water Resources* 2024)। इसलिए, जहाँ नीचे के बुलेट अन्यथा कहते हैं उसके सिवाय, जहाँ भी साइट परीक्षण अनुमति दें वहाँ प्रतिधारण पुनः उपयोग या अस्थायी भंडारण से पहले पुनर्भरण द्वारा प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक गड्ढे, शाफ्ट, बोर या कुएँ से पहले पूर्व-उपचार (गाद-जाल और फिल्टर तथा प्रथम प्रवाह डायवर्टर) होगा, क्योंकि जलभृतों में फ्लोराइड, नाइट्रेट और लवणता पहले से आम हैं (2024 में 43.2% नमूनों में फ्लोराइड 1.5 mg/L से और 49.5% में नाइट्रेट 45 mg/L से अधिक था; CGWB) और किसी बोर में प्रवेश करने वाला अपवाह बहुत कम छनकर उन तक पहुँचता है (अध्याय 8)। सड़क और पार्किंग के अपवाह का पुनर्भरण केवल फिल्टर सहित किसी सतही अंतःस्यंदन पद्धति के माध्यम से किया जाएगा, जैसे वनस्पतियुक्त बेसिन या खाई, कभी भी सीधे किसी बोर या कुएँ में नहीं, और सीवेज या बहिःस्राव ले जाने वाली किसी ड्रेन के अपवाह का, जैसे जोजरी, बाँडी या द्रव्यवती के शहरी नाले, पुनर्भरण बिल्कुल नहीं किया जाएगा।
- **जोधपुर के पुराने शहर और नहर पट्टी में पहले भूजल से दूरी की जाँच.** जोधपुर के पुराने शहर में 1997 में नहर का पानी आने के बाद से भूजल स्तर प्रति वर्ष लगभग 1–1.5 m ऊपर उठा है, कुछ स्थानों पर भूमि से लगभग 1 m नीचे तक (प्रकाशित खबरों के अनुसार; NIH, 2025), और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के नहर कमान क्षेत्र में कुछ हिस्से भूमि से 2 m के भीतर हैं और जलभराव से ग्रस्त होते हैं (CGWB)। वहाँ पुनर्भरण को तब तक कोई क्रेडिट नहीं मिलता जब तक भूजल से दूरी की जाँच यह न दिखाए कि मौसमी उच्चतम भूजल स्तर पद्धति के आधार से कम से कम 1.0 m नीचे है (खंड 4.11.4) और अभिलेख के पिछले तीन वर्षों में उठ नहीं रहा है; तब पुनः उपयोग ही प्रतिधारण अर्जित करने का व्यावहारिक तरीका है। यही वे क्षेत्र हैं जिन पर विनियम 8.3(iii) की जलभराव वाले क्षेत्रों की छूट सबसे स्पष्ट रूप से लागू होती है, जब प्राधिकरण उन्हें चिह्नित कर दे।
- **गीली काली मिट्टी में अंतःस्यंदन का कोई क्रेडिट नहीं.** हाड़ौती की गहरी काली मिट्टी (खंड 3.7.2) में, जिस गड्ढे, खाई या बेसिन का तल चिकनी मिट्टी में है, उसे 15 अगस्त से किसी भी डिजाइन वर्षा घटना के लिए कोई प्रतिधारण क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि मिट्टी के गीली हो जाने और दरारें बंद हो जाने के बाद उसका अंतःस्यंदन घटकर लगभग 1–3 mm/h या उससे कम रह जाता है (Chambal series की चिकनी मिट्टी में 0.9 mm/h, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। ऐसी मिट्टी में गड्ढा वह RWH है जिसकी विनियम अपेक्षा करते हैं, किंतु वह इस मैनुअल के अंतर्गत प्रतिधारण नहीं है जब तक कि वह चिकनी मिट्टी के नीचे किसी पारगम्य परत तक न पहुँचे और वहाँ उसका परीक्षण न किया जाए।

- **कैल्क्रीट की परतें.** जहाँ किसी पद्धति की गहराई के भीतर कैल्क्रीट (कंकड़) या पेट्रोकैल्सिक परत हो, वहाँ पद्धति को क्रेडिट केवल तभी मिलता है जब उसे परत के पार ले जाया जाए और उसके नीचे उसका परीक्षण किया जाए; परत पर रुकने वाला गड्ढा पानी को परत के ऊपर ही टिका देता है (perched) और प्रतिधारण नहीं है।
- विनियम 8.1 का हरित क्षेत्र और अनुसूची 4 का बिना पक्का क्षेत्र पारगम्य क्षेत्र हैं। वे विकास-पश्चात रन में खंड 3.9.2 के अंतर्गत पारगम्य भूमि के रूप में आते हैं, और जब तक उन्हें अंतःस्यंदन पद्धति के रूप में बनाया और परखा न जाए, उन्हें प्रतिधारण या अस्थायी भंडारण के रूप में कोई अतिरिक्त क्रेडिट नहीं मिलता।

काली मिट्टी में, नहर पट्टी में और जोधपुर के पुराने शहर में दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान पुनर्भरण गड्ढा धीरे-धीरे खाली होता है या बिल्कुल नहीं होता, और पहली भारी वर्षा के बाद संप या टाँका भर जाता है। इसलिए RWH को अस्थायी भंडारण मानने से उस भंडारण को क्रेडिट मिल जाएगा जो आवश्यकता के समय अस्तित्व में नहीं होता। इसी कारण यह मैनुअल मानता है कि RWH संप प्रत्येक वर्षा घटना के आरंभ में भरे होते हैं। इस धारणा को प्रत्येक मौसम पर लागू करने से एक सरल नियम बना रहता है। संयुक्त टैंक का प्रावधान (4.11.3) स्वामी को एक ही संरचना बनाने देता है, बशर्ते वर्षा घटना आने पर अस्थायी भंडारण वाला भाग खाली हो। पहले पुनर्भरण का नियम और उसके अपवाद, काली मिट्टी के लिए 15 अगस्त की सीमा, कैल्क्रीट की परतों का नियम, उठते भूजल स्तर की तीन वर्ष की जाँच, और पूर्व-उपचार और सड़क अपवाह के नियम इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं; पुनर्भरण को कहाँ क्रेडिट दिया जा सकता है या नहीं, इस पर राजस्थान का कोई नियम नहीं मिला।

4.12 उच्च भूजल और रेतीली तटीय साइटें

4.12.1 **डिजाइन भूजल स्तर.** श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के घग्घर–नहर के मैदानों, जोधपुर के पुराने शहर, चंबल, बनास, लूणी और घग्घर के डूब क्षेत्रों, और उदयपुर, अजमेर, जयपुर और अन्य शहरों की झीलों और तालाबों के अग्रतटों में स्थित प्रत्येक साइट, या कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्ष के किसी भी समय भूजल स्तर सतह से 3 m के भीतर रहता है, सुविधा के लिए एक डिजाइन भूजल स्तर (DGWL) निर्धारित करेगी। DGWL दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान या उसके बाद का मौसमी उच्चतम स्तर है, जो निम्नलिखित से लिया जाएगा:

- (a) कम से कम एक पूर्ण जून–नवंबर ऋतु की साइट पीजोमीटर रीडिंग; या
- (b) जहाँ (a) उपलब्ध नहीं है, वहाँ निकटतम प्रेक्षण कुएँ के CGWB या भू-जल विभाग के अभिलेख में **0.5 m** जोड़कर, और किसी भी निकटवर्ती नदी, नाले (nala) या तालाब (talab) का डिजाइन बाढ़ स्तर, या किसी निकटवर्ती झील का पूर्ण जल स्तर, इनमें से जो उच्चतर हो।

श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के घग्घर–नहर के मैदानों और जोधपुर के पुराने शहर की साइटों पर 4.12.3 की उत्प्लावन जाँच के लिए, जहाँ (a) उपलब्ध नहीं है, DGWL को विद्यमान भूमि स्तर लिया जाएगा।

4.12.2 **लाइनरयुक्त भंडारण.** जहाँ DGWL किसी भंडारण सुविधा के आधार से 1.0 m से कम नीचे है:

- (a) सुविधा जलरोधी होगी (लाइनरयुक्त या जलरोधी कंक्रीट की), और कोई अंतःस्यंदन क्रेडिट लागू नहीं होगा (खंड 4.4.4); या
- (b) यदि अस्तर नहीं है, तो DGWL से नीचे के आयतन को अस्थायी भंडारण के रूप में नहीं गिना जाएगा, और भूजल अंतर्वाह को रूट किए गए अंतर्वाह में जोड़ा जाएगा।

4.12.3 **उत्थान और उत्प्लावन.** भूमि के नीचे स्थित प्रत्येक टैंक, वॉल्ट, लाइनरयुक्त तालाब या कक्ष की उत्प्लावन के लिए जाँच की जाएगी:

- सुविधा खाली होने पर;
- भूजल DGWL पर होने पर; और
- तटीय साइटों के लिए, भूजल अध्याय 5 के प्रमुख प्रणाली टेलवाटर स्तर पर भी होने पर, जहाँ वह उच्चतर हो।

उत्थान के विरुद्ध सुरक्षा गुणक, केवल स्थायी मृत भारों को गिनते हुए और दीवार के घर्षण की उपेक्षा करते हुए जब तक कि भू-तकनीकी डिजाइन द्वारा समर्थित न हो, कम से कम **1.2** होगा। भार (ballast), आधार विस्तार या तनाव पाइलों द्वारा स्थिरीकरण का उपयोग किया जा सकता है।

4.12.4 **उथले और भूमि के ऊपर के भंडारण को वरीयता.** जिन साइटों पर DGWL भूमि से 1.5 m के भीतर है, वहाँ जहाँ संभव हो भंडारण भूमि के ऊपर प्रदान किया जाना चाहिए: छत, पोडियम, लैंडस्केप या सतही भंडारण। गहरे टैंकों से बचा जाना चाहिए।

4.12.5 **टिकाऊपन.** लवणीय या खारे भूजल या ज्वारीय जल के संपर्क में आने वाले कंक्रीट और धातु के भागों का डिजाइन IS 456:2000 के अंतर्गत तटीय स्थितियों के अनुरूप अनावरण वर्ग के लिए किया जाएगा। आउटलेट फिटिंग, कचरा-रोधी जालियाँ और गेट स्टेनलेस स्टील, HDPE, FRP या किसी अन्य संक्षारण-रोधी सामग्री के होंगे।

4.12.6 **गहरे भूजल वाली रेतीली मिट्टी.** जहाँ DGWL आधार से 1.0 m या अधिक नीचे है, वहाँ रेतीली मिट्टी में अंतःस्यंदन द्वारा प्रतिधारण को प्रोत्साहित किया जाता है। खंड 4.4.3 की डिजाइन अंतःस्यंदन दर लागू होती है, और उथले जलभृतों के प्रदूषण संबंधी अध्याय 8 की अपेक्षाएँ पूरी की जाएँगी।

4.12.7 **ऐसी साइटें और जलग्रहण क्षेत्र जिनका कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है.** जहाँ किसी साइट का, या उस जलग्रहण क्षेत्र का जिसमें उसकी जल निकासी होती है, किसी ऐसी नदी, नाले, नगरपालिका ड्रेन या जलाशय तक कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है जो उससे पानी को दूर ले जाए, जैसा पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान की अंतःस्थलीय जल निकासी (inland drainage) के बड़े भाग में है (थार, शेखावाटी और नहर कमान क्षेत्र के टीलों के बीच के गर्त (interdunal depressions) और नगरों के स्थल, और सांभर की खारी झील का बेसिन), वहाँ खंड 4.5 के निकास दर मानदंड अस्थायी भंडारण द्वारा पूरे नहीं किए जा सकते और लागू नहीं होते। उनके स्थान पर, 72-घंटे का डिजाइन आयतन (72-hour design volume) साइट पर या किसी सार्वजनिक बेसिन में भंडारित किया जाएगा और एक सुरक्षित अतिप्रवाह मार्ग के साथ अंतःस्यंदन और वाष्पीकरण द्वारा हटाया जाएगा, और पड़ोसी की भूमि पर नहीं छोड़ा जाएगा (खंड 2.3.6(i))। इस नियम को लागू करने में:

- (a) **72-घंटे का डिजाइन आयतन** खंड 2.3.6 की 1% AEP (100-वर्ष) 72-घंटे की डिजाइन वर्षा घटना का, खंड 2.8 के जलवायु गुणक के साथ, भंडारण की ओर बहने वाले पूरे क्षेत्र से, बाहर से आने वाले अपवाह (run-on) सहित, अपवाह आयतन है, जिसकी गणना विकास-पश्चात स्थिति के लिए AMC III पर खंड 3.8 द्वारा की जाती है;
- (b) आयतन को साइट पर, या किसी ऐसे सार्वजनिक बेसिन में जो किसी बेसिन या शहर प्लान में चिह्नित हो और जिसमें उसके लिए क्षमता हो (खंड 4.13), उसके अतिप्रवाह के स्तर से नीचे रखा जाएगा, और केवल अंतःस्यंदन और वाष्पीकरण द्वारा, या खंड 4.4.3 के अंतर्गत प्रदर्शित पुनः उपयोग द्वारा, हटाया जाएगा; वर्षा घटना के दौरान अंतःस्यंदन केवल खंड 4.4.3 की डिजाइन दर पर गिना जाता है;
- (c) 10% AEP (10-वर्ष) 72-घंटे की वर्षा घटना का भंडारित आयतन वर्षा घटना की समाप्ति के **7 दिनों** के भीतर खाली किया जाएगा; जो भंडारण इसे पूरा नहीं कर सकता, वह खंड 4.10.7 और 4.15.2 के अंतर्गत आर्द्र बेसिन है;
- (d) प्रत्येक भंडारण में एक सुरक्षित अतिप्रवाह मार्ग होगा जो भंडारण भरा होने पर 1% AEP चरम अंतर्वाह को किसी भवन में बाढ़ लाए बिना किसी सार्वजनिक सड़क, खुले स्थान या सार्वजनिक बेसिन तक ले जाए (खंड 4.9.4); और
- (e) कोई भी साइट पाइप, चैनल या अतिप्रवाह द्वारा पड़ोसी की भूमि पर पानी नहीं छोड़ेगी, और अपवाह को किसी अन्य जलग्रहण क्षेत्र की ओर नहीं मोड़ा जाएगा (खंड 4.5.1.3)।

प्रतिधारण (खंड 4.4), जल गुणवत्ता (अध्याय 8), इस खंड के भूजल संबंधी नियम और खंड 4.15 के सुरक्षा प्रावधान अतिरिक्त रूप से लागू होते हैं। 72-घंटे का डिजाइन आयतन (खंड 2.3.6(i)), 7 दिन का खाली होने का समय और अतिप्रवाह नियम इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

> **भाष्य.** राजस्थान भू-आबद्ध है, इसलिए इस खंड के तटीय प्रावधान, यानी 4.12.1 और 4.12.3 के ज्वारीय जल स्तर, राज्य में लागू नहीं होते। 4.12.5 के अनावरण संबंधी प्रावधान वहाँ लागू होते हैं जहाँ किसी साइट पर भूजल लवणीय या खारा हो, जो शुष्क पश्चिम में आम है: बाड़मेर जिले में कुड़ी (Kuri) पर भूजल की चालकता 47,670 µS/cm तक पहुँचती है, और 2024 में राज्य के 48.6% नमूने 3,000 µS/cm से अधिक थे (CGWB)। राज्य के अधिकांश भाग में भूजल स्तर गहरा है, 2020 के मानसून से पहले भूमि से 0.1 m से 142.90 m नीचे, और कुओं का पाँचवाँ भाग 40 m से अधिक गहरा था (CGWB, *Ground Water Year Book 2020-21*), इसलिए लाइनरयुक्त टैंक शायद ही कभी तैरता है और बिना लाइनर वाला टैंक शायद ही कभी नीचे से भरता है। अपवाद श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का नहर कमान क्षेत्र है, जहाँ

कुछ हिस्से भूमि से 2 m के भीतर हैं और जलभराव से ग्रस्त होते हैं, और जोधपुर का पुराना शहर, जहाँ भूजल स्तर भूमि से लगभग 1–1.5 m नीचे तक उठ आया है और दुकानों के बेसमेंटों से रोज पानी पंप किया जाता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार; NIH, 2025); वहाँ खाली लाइनरयुक्त टैंक तैर सकता है, और उत्प्लावन जाँच के लिए 4.12.1 का डिजाइन भूजल स्तर, जब तक पीजोमीटर अन्यथा न दिखाएँ, विद्यमान भूमि स्तर लिया जाता है। कोटा में चंबल, बनास, लूणी और घग्घर के किनारे, और उदयपुर और अजमेर की झीलों के अग्रतटों पर, मानसून में नदी या झील भूजल स्तर तय करती है, इसलिए 4.12.1(b) का डिजाइन भूजल स्तर निकटवर्ती नदी, नाले या तालाब का डिजाइन बाढ़ स्तर, या निकटवर्ती झील का पूर्ण स्तर, लेता है जहाँ वह कुएँ के अभिलेख से ऊँचा हो। अन्यत्र पुनर्भरण का औचित्य किसी भी राज्य से अधिक प्रबल है: 2024 में भूजल दोहन का चरण 149.86% था, और 302 में से 214 आकलन इकाइयाँ अति-दोहित थीं (CGWB, *Dynamic Ground Water Resources* 2024), और यह मैनुअल नहर पट्टी, जोधपुर के पुराने शहर और गीली काली मिट्टी को छोड़कर सर्वत्र पुनर्भरण को पहला स्थान देता है (खंड 4.11 का भाष्य; अध्याय 8)। जयपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर या बीकानेर के लिए मानसून में भूजल स्तर की वर्तमान गहराइयाँ प्राप्त नहीं हुईं [TBC]। 4.12.1(a) की जून–नवंबर निगरानी ऋतु इस मैनुअल द्वारा इसलिए निर्धारित की गई है ताकि उसमें दक्षिण-पश्चिम मानसून और मानसून-पश्चात का वह उच्चतम स्तर आ जाए जिसे CGWB नवंबर में मापता है। 1.2 के गुणक, 0.5 m के अतिरिक्त प्रावधान और नहर पट्टी और जोधपुर के पुराने शहर के लिए "भूमि स्तर" डिफॉल्ट का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इन्हें इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि अनुसंधान के दौरान राजस्थान के लिए साइट-स्तर की मौसमी भूजल गहराइयाँ प्रकाशित रूप में नहीं मिलीं।

खंड 4.12.7 की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि राज्य के बड़े भाग का कोई आउटफॉल ही नहीं है। राजस्थान के लगभग 60% भाग का पानी भीतर की ओर बहता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); लूणी उप-क्षेत्र की नदियाँ "या तो रेतीले [मरुस्थलों] में या 'कच्छ के रण' की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती हैं" ("either disappear in the sandy [wastes] or the marshy land in 'Runn of Kutch'") (CWC, उप-क्षेत्र 1(a) की रिपोर्ट); जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के बड़े भाग की कोई निर्धारित जल निकासी नहीं है, और बीकानेर के नहर कमान क्षेत्र में कोई प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली न होने की बात कही गई है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। वहाँ चरम नियंत्रण के लिए अनुप्रवाह में बचाने को कुछ नहीं है: निर्णायक विफलता वह पानी है जो सबसे निचली भूमि में जमा होकर रुका रहता है, जैसे बाड़मेर जिले के कवास में, जो अगस्त 2006 में तीन दिनों में लगभग 577 mm वर्षा के महीनों बाद भी पानी में डूबा था (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। पश्चिम में एक-एक दिन की वर्षा सामान्य वार्षिक वर्षा से अधिक होती है: 17 अगस्त 1973 को सम में 540.0 mm वर्षा हुई, जबकि जैसलमेर जिले की सामान्य वार्षिक वर्षा 172.9 mm है (IMD, *Climate of Rajasthan*), इसलिए डिजाइन आयतन कई दिनों की वर्षा घटना से निर्धारित होता है, और इसी कारण क्रांतिक अवधि के बजाय अध्याय 2 की 72-घंटे की वर्षा घटना का उपयोग किया जाता है। आयतन के लिए 1% AEP का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि बिना आउटफॉल वाली साइट का भंडारण भर जाने के बाद उसके पास निर्भर रहने के लिए अनुप्रवाह की ओर पानी छोड़ने का कोई साधन नहीं होता; खाली होने की जाँच के लिए 10% AEP का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि अगले मानसूनी दौर से पहले भंडारण को किसी ऑरिफिस को नहीं, बल्कि वाष्पीकरण और अंतःस्यंदन को पुनः उपलब्ध करना होता है। 7 दिन की सीमा इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है: यह इतनी छोटी है कि एक दौर से भरे बेसिन का अधिकांश आयतन अगले दौर से पहले वापस उपलब्ध हो जाए, और इतनी लंबी कि टीलों की रेत का या बोर किया गया अंतःस्यंदन तल अपनी परीक्षित दर के आधे पर खाली हो सके; जो भंडारण 7 दिनों में खाली नहीं हो सकता वह तालाब (pond) की तरह खड़ा रहता है, और तब उसका डिजाइन और बाड़बंदी तालाब के रूप में ही की जाती है। (d) का अतिप्रवाह मार्ग और (e) की पड़ोसी की भूमि पर पानी छोड़ने पर रोक उस कर्तव्य को एक डिजाइन रूप देते हैं जो किसी भवन के निर्माण या अधिभोग से पहले उसकी "प्रभावी जल निकासी" ("effectual drainage") की व्यवस्था करने के लिए विधि में पहले से लागू है (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 202)। किसी बंद बेसिन में (b) का सार्वजनिक बेसिन स्वयं अंतिम गर्त (terminal depression) है, और खंड 3.10.4 की अनुप्रवाह सीमा वह स्तर है जिस तक वह डिजाइन घटना में पहुँचता है; राज्य के किसी भी अंतिम गर्त की सर्वेक्षित क्षमता या डिजाइन स्तर नहीं मिला [TBC]। FER 1(a) में टीलों वाले भूभाग पर अंशांकित कोई विधि नहीं है (परिशिष्ट 3E), इसलिए इन जलग्रहण क्षेत्रों के लिए डिजाइन मात्रा आयतन है, इकाई हाइड्रोग्राफ का चरम नहीं।

4.13 क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण और एवज शुल्क

4.13.1 **कहाँ अनुमत है.** अध्याय 11 के अंतर्गत अनुमोदित बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान के अंतर्गत आने वाले बेसिन में, कोई विकास अपनी अस्थायी भंडारण अपेक्षा को पूर्णतः या आंशिक रूप से निम्नलिखित के माध्यम से पूरा कर सकता है:

- (a) प्लान में चिह्नित क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण सुविधा; या
- (b) प्लान में चिह्नित तालाब (talab) या तालाब (tank) भंडारण के पुनर्स्थापन के लिए भुगतान किया गया एवज शुल्क।

4.13.2 **शर्तें.** क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण या एवज शुल्क केवल वहीं स्वीकार किया जाएगा जहाँ:

- (a) क्षेत्रीय सुविधा या पुनर्स्थापित तालाब चालू है, या उसके लिए धन उपलब्ध है और उसे **3 वर्षों** के भीतर चालू करने का कार्यक्रम निर्धारित है। तब तक अंतरिम रूप से साइट पर अस्थायी भंडारण अपेक्षित है।
- (b) साइट से सुविधा तक का वहन मार्ग उनके बीच के भवनों या सड़कों पर जल स्तर बढ़ाए बिना 1% AEP विकास-पश्चात प्रवाह ले जाता है (अध्याय 5);
- (c) किसी तालाब पर क्रेडिट दिया गया भंडारण केवल **बाढ़ भंडारण** है। यह तालाब के पूर्ण जल स्तर (FTL) और उस अधिकतम जल स्तर के बीच का आयतन है जिसे बाँध और सरप्लस वियर सुरक्षित रूप से रोक सकते हैं, साथ में FTL से नीचे का कोई भी ऐसा आयतन जिसे कोई अधिसूचित प्रचालन नियम दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले खाली करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। जून से सितंबर तक सिंचाई या आपूर्ति के लिए रखे गए FTL से नीचे के भंडारण को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा।
- (d) तालाब अध्याय 7 की अपेक्षाएँ पूरी करता है: सर्वेक्षित FTL, दस्तावेजित प्रचालन नियम, और रखरखाव किया गया सरप्लस वियर;
- (e) साइट फिर भी साइट पर **प्रतिधारण** (खंड 4.4) और **WQv** उपचार (अध्याय 8) प्रदान करती है; और
- (f) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों में, क्षेत्रीय सुविधा अपने संपूर्ण योगदान क्षेत्र के लिए मिश्रित-आवृत्ति नियम पूरा करती है।

4.13.3 **शुल्क.** एवज शुल्क की गणना इस प्रकार की जाएगी:

> शुल्क = (खंड 4.6 के अंतर्गत साइट पर आवश्यक अस्थायी भंडारण आयतन, m^3) × (प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित इकाई दर, ₹/m^3)

इकाई दर में भूमि, निर्माण और 10 वर्षों का रखरखाव सम्मिलित होगा। शुल्क पृथक रखे गए बेसिन खाते में रखे जाएँगे और केवल प्लान में नामित सुविधाओं पर खर्च किए जाएँगे।

4.13.4 **खाता-बही.** प्राधिकारी निम्नलिखित की सार्वजनिक खाता-बही रखेगा:

- प्रत्येक क्षेत्रीय सुविधा को क्रेडिट किया गया अस्थायी भंडारण आयतन;
- प्रदत्त आयतन; और
- प्राप्त और खर्च किए गए शुल्क।

> **भाष्य.** मलेशियाई DID (2008) की जाँच-सूची 0.1 ha से बड़ी साइटों के लिए साइट पर अस्थायी भंडारण की तुलना में सामुदायिक तालाबों को वरीयता देती थी। साइट पर अस्थायी भंडारण के अध्ययन दर्शाते हैं कि इसका लाभ स्थान पर निर्भर करता है और अनुप्रवाह की ओर दूरी के साथ घटता जाता है (Colorado State University thesis; McEnroe for Kansas City), और यह कि जलग्रहण क्षेत्र के निचले भाग में स्थित तालाब मुख्य धारा के चरम के साथ मेल खा सकता है (*Water* 2016)। इसलिए क्षेत्रीय भंडारण का स्थान बेसिन मॉडलिंग द्वारा तय किया जाना चाहिए, केवल जोड़कर नहीं।

राजस्थान में एक झील कानून है, और उसके अन्य जलाशय राजस्व अभिलेखों और न्यायालयों के माध्यम से संरक्षित हैं। राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 राज्य की सभी झीलों का संरक्षण और विकास राज्य सरकार में निहित करता है; "झील" कोई भी अंतःस्थलीय जलराशि है, "चाहे उसमें जल हो या न हो, और चाहे वह ... इस रूप में अभिलिखित हो या न हो" ("whether it contains water or not and whether it has been recorded as such ... or not"), जिसका अधिनियम से पहले के पचास वर्षों में किसी भी समय कम से कम 3 ha का डूब क्षेत्र रहा हो, यदि वह सामाजिक-सांस्कृतिक, विरासत या धार्मिक महत्व की हो, या अन्यथा 10 ha; उसका "बहाव क्षेत्र" ("flow area") "वह क्षेत्र है जिसमें होकर जल धाराएँ या संभरक धाराएँ झील की ओर उसके पुनर्भरण के लिए बहती हैं" ("the area through which streams or feeders flow to the lake for its recharge"); राज्य झीलों की सीमाएँ और प्रत्येक झील के चारों ओर संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित कर सकता है; किसी झील को सम्मिलित करने वाली योजनाओं के लिए झील विकास प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है, जो संरक्षित या बहाव क्षेत्र के भीतर बाधाएँ हटा सकता है (2015 के विधेयक के पाठ के अनुसार [TBC])। अधिनियम के अंतर्गत किसी झील की सीमा, संरक्षित क्षेत्र या बहाव क्षेत्र की कोई अधिसूचना नहीं मिली [TBC]। किसी नगरपालिका में सार्वजनिक तालाब और उनसे लगी वह भूमि जो निजी संपत्ति नहीं है, न्यासी के रूप में नगरपालिका में निहित होते हैं (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68(1)(c)); नगरों के बाहर, तालाब-तल या नदी-तल की भूमि में खातेदारी अधिकार प्रो.द्भूत नहीं होते (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 16), उच्च न्यायालय ने "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर" ("Johar, Nala, Tank, River, Pond") के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि के आवंटन पर रोक लगाई है (29 मई 2012 का स्वतः संज्ञान आदेश, *Gulab Kothari*, 2017 में उद्धृत रूप में), और गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि को उसके दर्ज स्वरूप में रखा जाना है (*Ramji Lal Saini*, 7 मई 2026)। रामगढ़ बाँध का 769.20 km^2 का जलग्रहण क्षेत्र प्रमुख मामला है (उच्चतम न्यायालय, NIMS निर्णय, 2017)। प्रकाशित खबरों के अनुसार राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण ने जनवरी 2026 तक 75 आर्द्रभूमियाँ अधिसूचित की थीं, और चार आर्द्रभूमियाँ रामसर स्थल हैं: केवलादेव (1981), सांभर (1990), और खीचन और मेनार (दोनों 4 जून 2025); उच्च न्यायालय ने पूरे राज्य में सर्वेक्षण का आदेश दिया है और आर्द्रभूमियों और उनके जलग्रहण क्षेत्रों में भराई, निर्माण और अनुपचारित सीवेज पर रोक लगाई है (1 जून 2026 का स्वतः संज्ञान आदेश)। राज्य का क्षेत्रीय भंडारण पाँच प्रकार का है: शहरों की झीलें, जैसे उदयपुर में पिछोला, फतह सागर और उदय सागर, अजमेर में आना सागर, जयपुर में मान सागर और जोधपुर में कायलाना और तख्त सागर; WRD के डैम, रामगढ़ और बीसलपुर से लेकर कोटा बैराज तक; गाँवों और नगरों के तालाब, जोहड़ और नाडियाँ, जो राजस्व अभिलेखों में दर्ज हैं; पारंपरिक संरचनाएँ, जैसे बावड़ियाँ, कुंड, टाँके और खड़ीन; और अंतःस्थलीय बेसिनों के अंतिम गर्त। इससे तीन बातें निकलती हैं:

- अभिलेख में दर्ज तालाब आवश्यक नहीं कि कार्यरत तालाब हो। किसी भी नगर निगम के भीतर के तालाबों की कोई सूची नहीं मिली [TBC]। किसी तालाब, जोहड़ या नाडी को क्रेडिट केवल तब दिया जाता है जब सर्वेक्षण उसका तल, बाँध और आउटलेट दर्शाए, और केवल उसके पूर्ण स्तर से ऊपर के भंडारण के लिए।
- गेटों से नियंत्रित झीलें और जलाशय किसी साइट के लिए अतिरिक्त क्षमता नहीं हैं। उनके पूर्ण स्तर से नीचे का भंडारण पूरे मानसून आपूर्ति या सौंदर्य-सुविधा (amenity) के लिए रखा जाता है और उसे क्रेडिट नहीं दिया जाता (खंड 4.13.2(c)), और पूर्ण स्तर से ऊपर के भंडारण का उपयोग झील का अपना जलग्रहण क्षेत्र करता है; आना सागर और उदयपुर की झीलें अपने गेट खोलकर अपने पूर्ण गेज स्तरों पर रखी जाती हैं, और कायलाना और तख्त सागर शहर के पानी का भंडारण करते हैं। उदयपुर की झीलों और आना सागर के पूर्ण स्तर केवल गेज फुट में ज्ञात हैं [TBC], इसलिए जब तक गेजों के शून्य का सर्वेक्षण नहीं होता, उनके बाढ़ भंडारण की गणना नहीं की जा सकती।
- WRD का कोई डैम, गेट या नहर क्षेत्रीय भंडारण नहीं है। किसी जलाशय, नहर या नदी में छोड़ा गया वर्षा जल उस क्षमता का उपयोग करता है जिसका प्रचालन पूरे बेसिन के लिए होता है, और गेट खुले होने या नदी ऊँची होने पर आउटफॉल अवरुद्ध रहता है; उस पर केवल WRD की लिखित सहमति से, किसी निर्दिष्ट प्रवाह और स्तर के लिए, निर्भर रहा जा सकता है। कोई अंतिम गर्त खंड 4.12.7 के सार्वजनिक बेसिन के रूप में केवल वहीं गिना जाता है जहाँ उसका सर्वेक्षण हुआ हो, उसकी क्षमता किसी बेसिन या शहर प्लान में दर्शाई गई हो, और भूमि को भवन निर्माण से मुक्त रखा गया हो। प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग करने वाला कोई नियम नहीं मिला [TBC]। जब तक ऐसा नियम नहीं बनता, यह मैनुअल नदियों, जलाशयों, डैमों, नहरों और उनके गेटों को WRD का; किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर के नालों, ड्रेनों और सार्वजनिक तालाबों को नगरपालिका का (2009 के अधिनियम की धारा 68), और किसी विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास द्वारा अपनी योजनाओं में बनाए गए नालों, ड्रेनों और तालाबों को हस्तांतरण तक उसी निकाय का; 2015 के अधिनियम के सीमा-मानों को पूरा करने वाली झीलों को झील विकास प्राधिकरण के

> दायरे में; गैर मुमकिन भूमि के रूप में दर्ज गाँव के तालाबों, जोहड़ों, नाडियों और नालों को कलक्टर के अधीन राज्य सरकार का; और रामसर स्थलों और किसी भी अधिसूचित आर्द्रभूमि को राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण के दायरे में मानता है। यह इस मैनुअल का कार्यकारी आवंटन है, सांविधिक नहीं।
>
> पहली बात राजस्थान में शर्त 4.13.2(c) का आधार है। तालाब केवल अपने पूर्ण स्तर से ऊपर बाढ़ भंडारण देता है, जब तक कि कोई अधिसूचित प्रचालन नियम उसे दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले नीचे लाने के लिए प्रतिबद्ध न करे। 3 वर्ष की चालू होने की सीमा और 10 वर्ष के रखरखाव प्रावधान का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

4.14 छोटी साइटों के लिए सरलीकृत विधियाँ

4.14.1 **प्रयोज्यता.** टियर B स्थानीय निकाय बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर **2 ha या उससे कम** की साइटों के लिए सरलीकृत विधि की अनुमति दे सकते हैं। बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों में इसका उपयोग **0.5 ha या उससे कम** की साइटों के लिए किया जा सकता है। अन्य सभी साइटें खंड 4.6 का उपयोग करेंगी। जब तक तालिका 4.3 (परिशिष्ट 4B) प्रकाशित नहीं होती, सभी टियर B साइटें भी खंड 4.6 का उपयोग करेंगी।

4.14.2 **विधि.**

1. साइट के जोन, HSG और विकास-पश्चात अपारगम्यता के लिए PSD (L/s/ha) और SSR (m^3/ha) **तालिका 4.3** (परिशिष्ट 4B) से पढ़ें।
2. आवश्यक भंडारण: V = SSR × A − V_credit (खंड 4.4.6.3)।
3. अनुमेय प्रवाह दरें: 2-वर्ष और 100-वर्ष चरणों के लिए Q_PSD,T = PSD_T × A।
4. 50 mm न्यूनतम के अधीन, परिशिष्ट 4B की मानक आउटलेट तालिका (निर्दिष्ट गहराइयों पर PSD के लिए ऑरिफिस आकार) से अल्प-प्रवाह ऑरिफिस और ऊपरी नियंत्रक चुनें।
5. खंड 4.9 के अंतर्गत स्पिलवे या अतिप्रवाह, खंड 4.11 का RWH लेखा, और खंड 4.15 के सुरक्षा प्रावधान प्रदान करें।
6. प्रपत्र 4-2 (टियर B साइट पत्रक) भरें।

तालिका 4.3 — टियर B साइट की अनुमेय प्रवाह दर और साइट पर आवश्यक भंडारण (टेम्पलेट)

जोन (परिशिष्ट 2A)	HSG	अपारगम्यता	PSD 2-वर्ष (L/s/ha)	PSD 100-वर्ष (L/s/ha), सामान्य	PSD 100-वर्ष (L/s/ha), बाढ़-संवेदनशील	SSR (m^3/ha), सामान्य	SSR (m^3/ha), बाढ़-संवेदनशील
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-A थार का केंद्रीय भाग	A / C / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-B मारवाड़ और लूणी बेसिन	A / B / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-C शेखावाटी और बीकानेर	A / B / C	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-D घग्घर–IGNP नहर के मैदान	B / C / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]

जोन (परिशिष्ट 2A)	HSG	अपारगम्यता	PSD 2-वर्ष (L/s/ha)	PSD 100-वर्ष (L/s/ha), सामान्य	PSD 100-वर्ष (L/s/ha), बाढ़-संवेदनशील	SSR (m^3/ha), सामान्य	SSR (m^3/ha), बाढ़-संवेदनशील
RJ-Z2 पूर्व और मध्य: RJ-E ढूँढाड़–अजमेर (मध्य)	B / C / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]
RJ-Z2 पूर्व और मध्य: RJ-F मेवात–ब्रज (उत्तर-पूर्व)	B / C	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]
RJ-Z2 पूर्व और मध्य: RJ-G हाड़ौती और चंबल	C / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]
RJ-Z3 दक्षिण और आबू की पहाड़ियाँ: RJ-H मेवाड़ और वागड़	C / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]
RJ-Z3 दक्षिण और आबू की पहाड़ियाँ: RJ-I माउंट आबू और सिरोही की पहाड़ियाँ	C / D	50% / 70% / 90%	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]	[TBC]

हल किया गया उदाहरण (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं).

किसी टियर B नगरपालिका में, बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में, लगभग 80% प्रत्यक्ष रूप से जुड़े अपारगम्य क्षेत्र (क्षेत्र-भारित विकास-पश्चात CN लगभग 92) वाला 0.4 ha का आवासीय लेआउट। मान लीजिए तालिका 4.3 की गणना हो चुकी होती और वह खंड 4.6.7 के उदाहरण का प्रति हेक्टेयर समतुल्य देती:

- PSD 100-वर्ष = 356 / 2.0 = 178 L/s/ha
- SSR = 2,913 / 2.0 ≈ 1,460 m^3/ha
- PSD 2-वर्ष ≈ 17 L/s/ha

तब:

- भंडारण: V = 1,460 × 0.4 = **584 m^3**। C_R = 0, इसलिए कोई प्रतिधारण क्रेडिट नहीं है।
- 100-वर्ष निकास: 178 × 0.4 = **71 L/s**।
- 2-वर्ष निकास: 17 × 0.4 = **7 L/s**। लगभग 1 m हेड पर इसके लिए लगभग 60 mm के अल्प-प्रवाह ऑरिफिस की आवश्यकता है, जो 50 mm न्यूनतम (खंड 4.8.2) से ऊपर है।
- लेआउट के विकल्प:
  - 1.5 m गहरा 400 m^2 का भूमिगत टैंक; या
  - 0.3 m पर 250 m^2 पोडियम भंडारण (75 m^3) और 1.5 m गहरा 350 m^2 का टैंक (525 m^3)।
  - छत के 1,200 m^2 पर 150 mm की दर से छत भंडारण (180 m^3) टैंक के एक भाग का स्थान ले सकता है।
- RWH संप अतिरिक्त हैं, और उन्हें भरा हुआ माना जाता है (खंड 4.11)।

> **भाष्य.** ऑस्ट्रेलियाई परिषदें साइट की अनुमेय प्रवाह दर और साइट पर आवश्यक भंडारण की तालिकाओं का उपयोग इसी प्रकार करती हैं (Sydney Water OSD guide; Upper Parramatta River Catchment Trust handbook में लगभग 455 m^3/ha का SSR सूचीबद्ध था)। यहाँ उदाहरणार्थ SSR, लगभग 1,460 m^3/ha, बहुत बड़ा है। मिश्रित-आवृत्ति सीमा को AMC III पर अनिवार्य 48–72-घंटे की

> वर्षा घटनाओं के साथ जोड़ने का यही अपेक्षित प्रभाव है। मलेशिया में MSMA 2, 5 ha से कम की साइटों के लिए इसी प्रकार की सरलीकृत OSD विधि प्रदान करता है। MARC नीति अनुपूरक कैनसस सिटी की छोटी नगरपालिकाओं को क्षेत्रीय मानक के भीतर अंगीकरणीय विकल्प देता है; खंड 4.14 टियर B के लिए उसी मॉडल का अनुसरण करता है।

4.14.3 **नियत-गुणांक मार्ग.** खंड 4.6 और 4.14.2 के विकल्प के रूप में, किसी भी अनुमोदन प्राधिकारी के अंतर्गत और किसी भी जलग्रहण क्षेत्र में **1 ha या उससे कम** की किसी भी साइट का डिजाइनकर्ता खंड 4.14.4 से 4.14.7 द्वारा अस्थायी भंडारण का आकार निर्धारित कर सकता है। इस मार्ग का उपयोग वहाँ नहीं किया जाएगा जहाँ:

- (a) साइट अपने डिजाइन में तालाब या जलाशय भंडारण को गिनती है (अध्याय 7);
- (b) साइट का कोई भाग जलाशय सेटबैक के भीतर है (अध्याय 7); या
- (c) साइट ऐसी तालाब शृंखला की ओर बहती है जिसका भंडारण अनुप्रवाह की ओर किसी डिजाइन में गिना गया है।

यह मार्ग निकास सीमाएँ नियत गुणांकों द्वारा निर्धारित करता है और इसके लिए तालिका 4.3 की आवश्यकता नहीं है। इसलिए इसका उपयोग परिशिष्ट 4B के प्रकाशन से पहले किया जा सकता है। प्रतिधारण (खंड 4.4), खाली होना (खंड 4.7), आउटलेट (खंड 4.8), स्पिलवे (खंड 4.9), अनुप्रवाह और टेलवाटर जाँच (अध्याय 5) और जल गुणवत्ता (अध्याय 8) फिर भी लागू होते हैं।

4.14.4 **निकास सीमाएँ.** प्रत्येक उस बिंदु पर जहाँ अपवाह साइट से बाहर जाता है, दो सीमाएँ लागू होती हैं:

$Q_{cap,10} = 2.78 \times C_{10} \times i_{10} \times A$ और $Q_{cap,2} = 2.78 \times C_2 \times i_2 \times A$

जहाँ Q_{cap} L/s में है; A साइट का क्षेत्रफल (ha) है; i_{10} और i_2 साइट पर **15-मिनट** की अवधि के लिए 10% AEP (10-वर्ष) और 50% AEP (2-वर्ष) की वर्षा तीव्रताएँ (mm/h) हैं, जो अध्याय 2 के स्रोतों से, खंड 2.8 के जलवायु गुणक सहित, ली जाती हैं; और C_{10} तथा C_2 साइट के जलवैज्ञानिक मृदा समूह (खंड 3.7) के लिए तालिका 4.3A के नियत गुणांक हैं। एक से अधिक मृदा समूह वाली साइट के लिए गुणांक क्षेत्र-भारित होते हैं।

तालिका 4.3A — नियत निकास गुणांक (अनंतिम)

जलवैज्ञानिक मृदा समूह	C_{10}	C_2
A (रेतीली, अच्छी जल निकासी वाली)	0.05	0.02
B	0.08	0.03
C	0.15	0.08
D (चिकनी मिट्टी, खराब जल निकासी वाली)	0.25	0.15

$Q_{cap,10}$ प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र में **1% AEP (100-वर्ष) वर्षा घटना तक और उसे सम्मिलित करते हुए प्रत्येक वर्षा घटना** के लिए अधिकतम निकास है। $Q_{cap,2}$ 50% AEP (2-वर्ष) वर्षा घटना के लिए अधिकतम निकास है। जहाँ कोई सीमा संगत जल स्तर पर 50 mm ऑरिफिस की प्रवाह दर से कम है, वहाँ 50 mm ऑरिफिस को अनुपालक माना जाता है (खंड 4.5.5.1)।

4.14.5 **भंडारण.** अस्थायी भंडारण V (m^3) V_{100} और V_2 में से बड़ा है, जिनमें से प्रत्येक खंड 2.5.2 की अवधियों d (1 से 72 घंटे) में सबसे बड़ा है:

$V_{100} = \text{सभी d में अधिकतम } [\, 10 \times C_v \times P_{100}(d) \times A - 1.8 \times Q_{cap,10} \times d \,]$

$V_2 = \text{सभी d में अधिकतम } [\, 10 \times C_v \times P_2(d) \times A - 1.8 \times Q_{cap,2} \times d \,]$

जहाँ P_100(d) और P_2(d) अवधि d (घंटे) के लिए जलवायु गुणक सहित 1% और 50% AEP वर्षा की गहराइयाँ (mm) हैं; और C_v विकास-पश्चात आयतनात्मक गुणांक है: तालिका 3.2 का संयुक्त C (प्रत्येक परास का ऊपरी आधा), 1% AEP के लिए तालिका 3.3 के Cf से गुणा किया हुआ। 12 घंटे या उससे अधिक की अवधियों के लिए, प्रत्येक पारगम्य सतह का C **0.50** से कम नहीं लिया जाएगा। गुणक 1.8 यह मानता है कि वर्षा घटना के दौरान औसत निकास सीमा का आधा है (3.6 × 0.5)।

4.14.6 **आउटलेट.** आउटलेट दो-चरणीय नियंत्रक होगा: एक अल्प-प्रवाह ऑरिफिस जो V_2 रखने वाले भंडारण के भरे होने पर Q_cap,2 निकाले, और एक ऊपरी ऑरिफिस या वियर जो V के शीर्ष पर कुल निकास को Q_cap,10 तक सीमित करे। परिशिष्ट 4B की आउटलेट तालिका प्रकाशित होने के बाद उसका उपयोग किया जा सकता है।

4.14.7 **प्रतिधारण.** खंड 4.4 का प्रतिधारण आयतन V के अतिरिक्त प्रदान किया जाता है। इस मार्ग के अंतर्गत कोई प्रतिधारण क्रेडिट (खंड 4.4.6) नहीं लिया जाता।

1 ha या उससे छोटी साइटों के लिए नियत-गुणांक मार्ग (खंड 4.14.3–4.14.7) — योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं

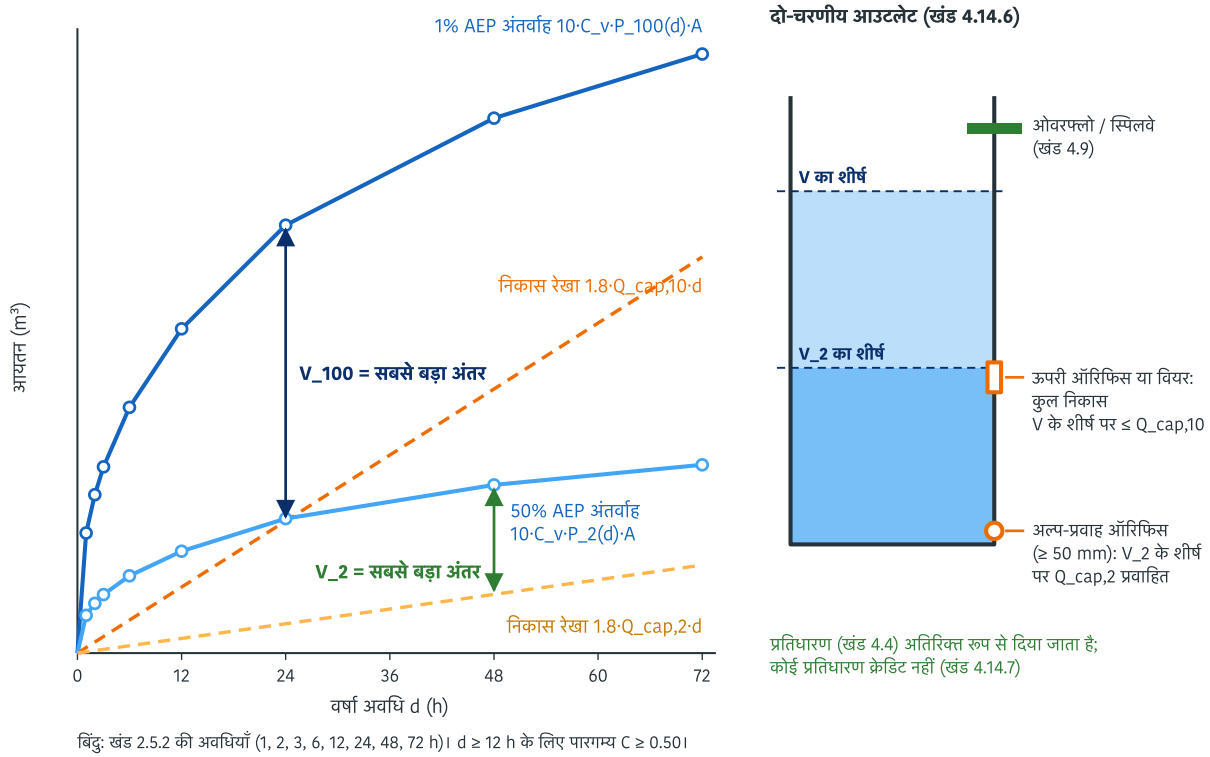

बिंदु: खंड 2.5.2 की अवधियाँ (1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72 h)। d ≥ 12 h के लिए पारगम्य C ≥ 0.50।

Q_cap,10 = 2.78 × C_10 × i_10 × A ; Q_cap,2 = 2.78 × C_2 × i_2 × A (L/s; A, ha में; i, mm/h में)

C_10, C_2 मृदा समूह के अनुसार तालिका 4.3A से; i_10, i_2 जलवायु गुणक सहित 15 मिनट की अवधि के लिए (खंड 2.8)

V = max(V_100, V_2); V_T = सभी d पर max [10 × C_v × P_T(d) × A − 1.8 × Q_cap × d] (m³) ; 1.8 = 3.6 × 0.5 (औसत निकास = सीमा का आधा)

चित्र 4.3 — 1 ha या उससे कम की साइटों के लिए नियत-गुणांक मार्ग (खंड 4.14.3 से 4.14.7): तालिका 4.3A से निकास सीमाएँ Q_cap,10 और Q_cap,2; 1% और 50% AEP वर्षा घटनाओं के लिए, खंड 2.5.2 की अवधियों में, संचयी अंतर्वाह 10·C_v·P(d)·A और निकास रेखा 1.8·Q_cap·d के बीच सबसे बड़े अंतर के रूप में भंडारण V; और दो-चरणीय आउटलेट जो V_2 के शीर्ष पर Q_cap,2 और V के शीर्ष पर Q_cap,10 निकालता है। योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, वर्षा मास-वक्र (अंतर्वाह घटा बहिर्वाह) भंडारण अवधारणा और PUB Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed. (cl. 7.1.5) की एकल-गुणांक चरम सीमा से रूपांतरित।

भाष्य. नियत-गुणांक मार्ग सिंगापुर का अनुसरण करता है, जो 0.2 ha या उससे अधिक के प्रत्येक विकास से चरम अपवाह को 10-वर्ष वर्षा घटना पर लागू एक ही अपवाह गुणांक, C = 0.55, से सीमित करता है (PUB Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed., cl. 7.1.5, Addendum No. 3, 2025)। इसे लागू करना और जाँचना शीघ्र होता है: सीमा के लिए केवल साइट का क्षेत्रफल, मृदा समूह और दो तीव्रताएँ चाहिए। PUB का 0.55 यहाँ प्रयुक्त नहीं है, क्योंकि सिंगापुर का आधार विद्यमान शहरी जल निकासी प्रणाली है, जबकि इस मैनुअल का आधार अविकसित खुली भूमि है (खंड 4.5.1.2)। तालिका 4.3A के गुणांक इस मैनुअल द्वारा खंड 3.3 के अविकसित भूमि कर्व नंबरों (मृदा समूह A से D के लिए CN 39, 61, 74 और 80) से निर्धारित किए गए हैं। वे अपवाह और वर्षा के वे अनुपात हैं जो ये कर्व नंबर जयपुर के मैदान की विशिष्ट 1-घंटे की गहराइयों के लिए देते हैं, नीचे की ओर पूर्णांकित। इसलिए वे **अनंतिम** हैं। राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति परिशिष्ट 4B जारी करते समय प्रत्येक जोन के लिए NIH-DHAARA मानों के सापेक्ष उनकी पुष्टि या संशोधन करेगी।

यह मार्ग जानबूझकर पूर्ण विधि से **अधिक कठोर** है, ताकि सरलता की कीमत अनुप्रवाह की ओर के लोगों के बजाय विकासकर्ता भंडारण के रूप में चुकाए। 100-वर्ष निकास को हर जगह लगभग अविकसित भूमि के 10-वर्ष चरम पर रखा जाता है, जो खंड 4.5.3 का बाढ़-संवेदनशील नियम है; भंडारण यह मानता है कि आउटलेट औसतन सीमा का केवल आधा छोड़ता है; लंबी वर्षा घटनाओं में पारगम्य भूमि को गीला माना जाता है; और कोई प्रतिधारण क्रेडिट नहीं लिया जाता। जो डिजाइनकर्ता छोटा टैंक चाहता है, वह खंड 4.6 की पूर्ण विधि का उपयोग कर सकता है। भंडारण सूत्र वर्षा-मास (अंतर्वाह घटा बहिर्वाह) विधि है। खंड 3.4.2 अन्यथा भंडारण के लिए वर्षा-आधारित चरम विधियों को वर्जित करता है, क्योंकि वे हाइड्रोग्राफ के आकार की उपेक्षा करती हैं; यह मार्ग एक घोषित अपवाद है क्योंकि इसकी सुरक्षित पक्ष की धारणाएँ छोटी साइटों के लिए उस त्रुटि को ढक लेती हैं, और 24- से 72-घंटे की अवधियों की सदा जाँच की जाती है।

4.15 सुरक्षा, बाड़ और बहु-उपयोग

4.15.1 **जनता के लिए सुलभ भंडारण की गहराई सीमाएँ.** जहाँ जनता की पहुँच किसी भंडारण क्षेत्र तक है (पार्क, खेल के मैदान, खुला स्थान, विद्यालय परिसर):

- (a) 10% AEP वर्षा घटना में अधिकतम गहराई: **0.45 m**;
- (b) 1% AEP वर्षा घटना में अधिकतम गहराई: **1.2 m**, सिवाय 4.15.3 के अंतर्गत बाड़ से घिरे जोन के;
- (c) पार्श्व ढलान: **4H:1V** से अधिक तीव्र नहीं, और बाहर निकलने के लिए परिधि का कम से कम एक-चौथाई भाग **6H:1V** या उससे सपाट; और
- (d) भंडारण क्षेत्र के भीतर या उसके किनारे पर **0.3 m** से अधिक की कोई ऊर्ध्वाधर गिरावट नहीं।

4.15.2 **आर्द्र बेसिन.** स्थायी जल-भंडारों में होगी:

- कम से कम 3 m चौड़ी सुरक्षा बेंच, जो सामान्य जल स्तर से 0.3 m से अधिक नीचे न हो; और
- जल से ऊपर उभरने वाले पौधों की किनारी, जो प्रवेश को हतोत्साहित करे।

4.15.3 **बाड़.** कम से कम **1.2 m** ऊँची, न चढ़ी जा सकने वाली डिजाइन की, ताला लगने योग्य गेट वाली बाड़ भंडारण के ऐसे किसी भी भाग के चारों ओर अपेक्षित है जिसमें:

- **0.6 m** से अधिक की ऊर्ध्वाधर दीवार या हेडवॉल गिरावट हो;
- 4H:1V से अधिक तीव्र ढलानों के साथ 1% AEP वर्षा घटना में गहराई 1.2 m से अधिक हो; या
- 300 mm से बड़े छिद्र वाली आउटलेट संरचना हो जिस पर जाली न लगी हो।

4.15.4 **आउटलेट.** जनता के लिए सुलभ 300 mm से बड़े प्रत्येक इनलेट और आउटलेट छिद्र पर जाली या रैक लगाया जाएगा। जाली का डिजाइन ऐसा होगा कि उससे चिपका व्यक्ति बच निकल सके: कम पहुँच वेग, झुकी हुई, बड़े खुले क्षेत्र के साथ।

4.15.5 **संकेत-पट और गहराई चिह्न.** जनता के लिए सुलभ प्रत्येक भंडारण पर हिन्दी और अंग्रेजी में संकेत-पट होंगे, जिन पर लिखा हो कि वर्षा के दौरान क्षेत्र में पानी भरता है, और सबसे गहरे बिंदु पर गहराई चिह्न होगा।

4.15.6 **सीमित स्थान.** भूमिगत टैंकों के ढक्कन ताला लगने योग्य होंगे। उन्हें सीमित स्थान के रूप में चिह्नित किया जाएगा, और रखरखाव घोषणा-पत्र (अध्याय 10) में प्रवेश की प्रक्रिया बताई जाएगी।

4.15.7 **रोगवाहक नियंत्रण.** शुष्क भंडारण पूरी तरह खाली होगा (खंड 4.7) और उसमें ऐसे कोई निचले बिंदु नहीं होंगे जिनमें 72 घंटे से अधिक पानी रुके। आर्द्र बेसिन खंड 4.10.7 को पूरा करेंगे।

भाष्य. खंड 4.15 की संख्यात्मक सीमाओं का कोई एक प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। वे सामान्य अंतरराष्ट्रीय पद्धति से ली गई हैं, उदाहरण के लिए KC APWA 5600 (2006), जिसमें शुष्क तालाब की परिधि का कम से कम एक-चौथाई भाग 5:1 या उससे सपाट, संपत्ति सीमाओं से 20 ft (6 m) की दूरी और 15 ft (4.6 m) की रखरखाव पट्टी अपेक्षित थी। यहाँ उन्हें कुछ अधिक कठोर बनाया गया है क्योंकि खुले स्थान की भूमि पर और विद्यालयों में बहु-उपयोगी भंडारण का उपयोग मानसून के दौरान बच्चे करेंगे। शुष्क बेसिनों में खड़ा पानी मच्छरों के प्रजनन का जोखिम है, इसलिए पूर्ण जल निकासी (खंड 4.15.7) जन स्वास्थ्य की अपेक्षा है, सुविधा मात्र नहीं।

4.16 आधार: केवल चरम मिलान क्यों विफल होता है

भाष्य. इस खंड में कोई अपेक्षा नहीं है। यह दर्ज करता है कि यह अध्याय केवल चरम मिलान के बजाय विकास-पूर्व दरों से **कम** निकास, प्रतिधारण, लंबी अवधि की जाँच और अनुप्रवाह विश्लेषण की अपेक्षा क्यों करता है।

1. **समय.** अस्थायी भंडारण साइट के चरम को घटाता है किंतु उसके हाइड्रोग्राफ को फैला देता है (चित्र 4.1)। अनुप्रवाह की ओर, अनेक साइटों से फैले हुए निकास एक-दूसरे के साथ और मुख्य धारा के चरम के साथ व्याप्त हो जाते हैं। डेनवर के अध्ययन में, ऐतिहासिक 100-वर्ष चरम का 100% छोड़ने वाले दस बेसिनों ने आउटलेट पर ऐतिहासिक चरम का 106% उत्पन्न किया। केवल प्रत्येक साइट पर 90% छोड़ने से यह 97% पर आया (UDFCD memo, 2012)। Colorado State University के एक शोध-प्रबंध में पाया गया कि स्थान की उपेक्षा करने वाला साइट पर अस्थायी भंडारण "वास्तव में चरम प्रवाहों को विकास-पश्चात चरमों से भी ऊपर बढ़ा सकता है" ("can actually increase peak flows above post-development peaks")। एक इष्टतमीकरण अध्ययन में पाया गया कि अनुप्रवाह की ओर स्थित तालाब ने प्रतिप्रवाह की ओर के तालाबों से खराब प्रदर्शन किया क्योंकि उसका बहिर्वाह मुख्य धारा के साथ मेल खा गया (Water 2016, 8(7):290)।
2. **आयतन.** अस्थायी भंडारण आयतन को नहीं हटाता। उदाहरण में, विकास-पश्चात 100-वर्ष वर्षा घटना विकास-पूर्व 10-वर्ष वर्षा घटना के लगभग तीन गुना अपवाह आयतन उत्पन्न करती है (खंड 2.11)। केवल प्रतिधारण, या ऐसा भंडारण जो प्राप्तकर्ता ड्रेन के अतिरिक्त कहीं और खाली होता हो, आयतन को कम करता है।
3. **पैमाना.** कैनसस सिटी की मॉडलिंग (McEnroe, 2005) में पाया गया कि एकसमान 3 cfs/ac नियंत्रण ने 200-ac जलविभाजक में Q100 को 36% कम किया। हर जगह उसी नियंत्रण के साथ भी, 14 sq mi पर Q100 40% बढ़ गया, और लगभग 1–2 sq mi से आगे लाभ समाप्त हो गया। KC समिति ने निष्कर्ष निकाला कि "'विद्यमान से मिलान' धाराओं को हानि पहुँचा सकता है" ("'match existing' can harm streams") (MARC Evolution deck)। जॉर्जिया इसी कारण दस-प्रतिशत अनुप्रवाह विश्लेषण अनिवार्य करता है: "चरम प्रवाह के समय और अपवाह आयतन के प्रभावों के कारण, कुछ संरचनात्मक पद्धतियाँ अनुप्रवाह की ओर चरम प्रवाह दरों को विकास-पूर्व स्तरों तक कम करने में विफल रहती हैं" ("Due to peak flow timing and runoff volume effects, some structural practices fail to reduce discharge peaks to pre-development levels downstream") (GSMM 2016)।

4. **डिजाइन वर्षा घटना पर निर्भरता.** साइट पर अस्थायी भंडारण की 20 वास्तविक प्रणालियों के एक ऑस्ट्रेलियाई अध्ययन में पाया गया कि दस कालिक वितरणों का उपयोग करने वाले डिजाइन भी वास्तविक वर्षा में "विश्वसनीय रूप से ऐसा OSD प्रणाली डिजाइन नहीं दे सकते जो सदा प्रभावी हो" ("cannot reliably produce an OSD system design that will always be effective") (Water Science and Engineering, 2019)। इसी कारण खंड 4.6.3 एक क्रांतिक वर्षा घटना के बजाय अवधियों के पूर्ण मैट्रिक्स की रूटिंग करता है।
5. **बंद आउटफॉल.** राजस्थान में आउटफॉल दो तरह से विफल होते हैं। झीलों वाले शहरों में और कोटा में आउटफॉल पहले से ऊँचे जल द्वारा अवरुद्ध होता है: अपने गेटों द्वारा पूर्ण गेज स्तर पर रखी गई झील, या अपने ऊपर के डैमों से छोड़े गए पानी से चढ़ी नदी। अजमेर में आना सागर को उसके चार एस्केप गेट खोलकर अपने गेज पर 13 ft पर रखा जाता है, और उनके खोले जाने पर एस्केप चैनल के किनारे की कॉलोनियों में बाढ़ आती है, जैसा सितंबर 2024 और जुलाई 2025 में हुआ (प्रकाशित खबरों के अनुसार); उदयपुर में पिछोला और फतह सागर एक गेटयुक्त चैनल से जुड़े हैं और दोनों का अतिप्रवाह आयड़ (आहड़) में जाता है, जो उदय सागर तक बहती है, और अगस्त 2006 में सभी झीलें उफन रही थीं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। किसी झील या जलाशय में गिरने वाले आउटफॉल के लिए यह मैनुअल टेलवाटर को WRD या अभिरक्षक से प्राप्त अधिकतम जल स्तर, या पूर्ण जल स्तर और डिजाइन बाढ़ में सरचार्ज (surcharge), के रूप में लेता है, और, जहाँ इनमें से कोई प्रकाशित न हो, पूर्ण जल स्तर और 0.5 m, जो इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है [TBC], और कभी भी दर्ज उच्चतम स्तर से नीचे नहीं (अध्याय 5); उदयपुर की झीलों और आना सागर के पूर्ण स्तर केवल ऐसे गेजों पर फुट में ज्ञात हैं जिनका शून्य औसत समुद्र तल से जुड़ा नहीं है, इसलिए उन्हें अभी मीटर में बदला जाना है [TBC]। चंबल पर कोटा डैमों के प्रचालन पर निर्भर है: 16 सितंबर 2019 को कोटा सिटी पर नदी 248.68 m तक पहुँची, जो उसका दर्ज उच्चतम स्तर है, जबकि खतरे का स्तर 242 m है (CWC), और कोटा बैराज से लगभग 6.5–6.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबर थी; अनुप्रवाह में धौलपुर का खतरे का स्तर 130.79 m है और उच्चतम बाढ़ स्तर 145.54 m, जो 23 अगस्त 1996 को दर्ज हुआ (CWC)। चंबल या कोई शहरी झील किसी शहर के आउटफॉलों से कितने समय तक ऊपर रहती है, इसका कोई घंटेवार अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ [TBC]। नदी आउटफॉल के लिए यह मैनुअल निकटतम गेज पर दर्ज उच्चतम स्तर का उपयोग करता है, 10% AEP स्तर खतरे के स्तर से नीचे नहीं, और बंद रहने की अवधि अभिलेख से ली जाती है और, डैमों से छोड़े गए पानी से प्रेरित बाढ़ के लिए, कम से कम 72 घंटे होती है, जब तक कोई अध्ययन अन्यथा न दिखाए (अध्याय 5)। पश्चिम और उत्तर में आउटफॉल बंद नहीं होता; वह होता ही नहीं। राज्य के लगभग 60% भाग का पानी भीतर की ओर बहता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और बाड़मेर जिले के कवास में अगस्त 2006 के बाद महीनों तक पानी खड़ा रहा (प्रकाशित खबरों के अनुसार): वहाँ भंडारण को खंड 2.3.6(i) और 4.12.7 के अंतर्गत आयतन को रोकना होगा। बंद आउटफॉल के पीछे पूर्णतः सही ऑरिफिस वाला बेसिन बस भर जाता है। कोई भी निकास दर नियम इसे ठीक नहीं कर सकता; इसका समाधान अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच द्वारा किया जाता है।

इस मैनुअल में उत्तर परतदार है:

- विकास-पूर्व से कम निकास (खंड 4.5);
- बार-बार होने वाली वर्षा घटनाओं का प्रतिधारण (खंड 4.4);
- दक्षिण-पश्चिम मानसून की लंबी वर्षा घटनाओं की रूटिंग (खंड 4.6.3);
- तालाब प्रणाली में क्षेत्रीय भंडारण को वरीयता (खंड 4.13); और
- अनुप्रवाह की ओर और आउटफॉल पर जाँच (अध्याय 5)।

कैनसस सिटी का अपना इतिहास इसकी कीमत दिखाता है। एक परीक्षण साइट पर चरम मिलान के लिए 3.0 ac-ft भंडारण की आवश्यकता थी और 2011 के व्यापक मानदंडों के लिए 4.9 ac-ft की (MARC Evolution deck)। अधिक अस्थायी भंडारण का अर्थ अधिक भंडारण की लागत है। यही केवल साइट की सीमा के बजाय जलग्रहण क्षेत्र की रक्षा करने की कीमत है।

4.17 प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाएँ

साइट अपवाह नियंत्रण की प्रत्येक प्रस्तुति में एक **साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट** (प्रपत्र 4-1) सम्मिलित होगी, जिसमें निम्नलिखित होंगे:

1. डिजाइन वर्षा पत्रक (प्रपत्र 2-1) और जलवैज्ञानिक इनपुट (अध्याय 3);
2. खंड 4.3.1 के अंतर्गत उपायों के क्रम के साक्ष्य;
3. RRV की गणना, अंतःस्यंदन परीक्षण, भूजल संबंधी साक्ष्य और खाली होने की गणना (खंड 4.4);
4. प्रतिधारण क्रेडिट की गणना (खंड 4.4.6);
5. लागू किया गया निकास दर मानदंड, सामान्य या बाढ़-संवेदनशील, परिशिष्ट 4A के मानचित्र के उद्धरण सहित (खंड 4.5);
6. प्रत्येक AEP और अवधि के लिए खंड 4.6.7 के प्रारूप में परिणाम तालिका, निर्णायक स्थिति को रेखांकित करते हुए;
7. जल स्तर–भंडारण और जल स्तर–प्रवाह दर तालिकाएँ और आलेख, तथा निर्णायक स्थितियों के लिए अंतर्वाह/बहिर्वाह हाइड्रोग्राफ;
8. खाली होने की गणना (खंड 4.7);
9. आउटलेट का विवरण, जिसमें ऑरिफिस के आकार और स्तर, कचरा-रोधी जालियाँ और भँवर-रोधी युक्तियाँ सम्मिलित हैं (खंड 4.8);
10. स्पिलवे या अतिप्रवाह की गणना, फ्रीबोर्ड और जोखिम वर्गीकरण, और जहाँ अपेक्षित हो वहाँ भू-तकनीकी रिपोर्ट (खंड 4.9);
11. जोन स्तरों को दर्शाने वाले टैंक के खंडचित्रों सहित RWH और अस्थायी भंडारण का लेखा (खंड 4.11);
12. डिजाइन भूजल स्तर और उत्प्लावन जाँच (खंड 4.12);
13. अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट (अध्याय 5, प्रपत्र 5-1); और
14. सुरक्षा प्रावधान (खंड 4.15) और रखरखाव घोषणा-पत्र का प्रारूप (अध्याय 10)।

खंड 4.14.2 का उपयोग करने वाली टियर B साइटें मद 6 और 7 के स्थान पर प्रपत्र 4-2 प्रस्तुत करेंगी। नियत-गुणांक मार्ग (खंड 4.14.3) का उपयोग करने वाली साइटें मद 6 और 7 के स्थान पर प्रपत्र 4-3 प्रस्तुत करेंगी।

संदर्भ (अध्याय)

- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01 (approved 10 Dec 2025). https://kcmetro.apwa.org/wp-content/uploads/sites/23/2026/01/APWA-Section-5600_Storm-Drainage-Systems-Facilities.pdf
- Mid-America Regional Council (2025). APWA 5600 Stormwater Standards Policy Supplement (7 Nov 2025); APWA 5600 Manual factsheet. https://www.marc.org/document/apwa-stormwater-standards-supplement ; https://www.marc.org/document/apwa-5600-manual-factsheet
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities (5601.8, 5608.4). https://www.kcwater.us/wp-content/uploads/2020/08/Design-Criteria-%E2%80%93-Section-5600-%E2%80%93-Storm-Drainage-Systems-and-Facilities.pdf
- MARC / APWA (2012). Manual of Best Management Practices for Stormwater Quality. https://www.marc.org/sites/default/files/2022-05/Best_Management_Practices_for_Stormwater_Quality.pdf
- MARC. The Evolution of Regional Stormwater Design Standards (प्रस्तुति; McEnroe 2005 के परिणाम)। https://www.marc2.org/Assets/Environment/WQEC/The_Evolution_of_Regional_Strormwater_Design_Standards.pdf
- Atlanta Regional Commission / Georgia EPD (2016). Georgia Stormwater Management Manual, Volume 1. https://documents.atlantaregional.com/gastormwater/GSMM_2016%20EDITION_FINAL_V1.pdf
- Urban Drainage and Flood Control District (अब MHFD) (2012). Full Spectrum Detention Release Rate Memorandum. https://mhfd.specialdistrict.org/files/23cb85ce8/UDFCD_Full_Spectrum_Detention_Release_Rate_Memorandum.pdf
- Mile High Flood District. Urban Storm Drainage Criteria Manual, Volume 2 (Storage).
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2008). Submission Checklist for Stormwater Management. https://www.water.gov.my/jps/resources/auto%20download%20images/5844dfbba8fc1.pdf
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2012). Urban Stormwater Management Manual for Malaysia (MSMA), 2nd ed.
- PUB Singapore (2024). On-site Detention Tank Technical Guide, Rev. 3; Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed., Addendum No. 3 (16 Apr 2025). https://www.pub.gov.sg/-/media/PUB/PDF/detentionTank.pdf
- Sydney Water (2020). On-site Stormwater Detention Guide (SW201). https://www.sydneywater.com.au/content/dam/sydneywater/documents/on-site-stormwater-detention-guide.pdf
- Upper Parramatta River Catchment Trust (2005). On-site Stormwater Detention Handbook, 4th ed.
- "On-site stormwater detention for Australian development projects: does it meet frequent flow management objectives?" *Water Science and Engineering* (2019). https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674237019300213
- Optimisation of urban detention (2016). *Water* 8(7):290. https://doi.org/10.3390/w8070290
- Colorado State University. Spatially Dependent On-Site Detention Policies (शोध-प्रबंध)। https://mountainscholar.org/bitstreams/f4dbec4e-a44f-4933-8d54-a097e741f44a/download

- Rajasthan Lakes (Protection and Development) Authority Bill, 2015 (Bill No. 11 of 2015, प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद; अधिनियमित अधिनियम, जो 25 जनवरी 2015 से प्रवृत्त समझा गया, पढ़ा नहीं गया) [TBC]। https://www.ielrc.org/Content/e1501.pdf
- Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act 18 of 2009), sections 45, 68, 200, 202, 213 और 238 (IndiaCode से व्युत्पन्न तृतीय-पक्ष प्रति; संशोधन जाँचे नहीं गए) [TBC]। https://lawgist.in/states/rajasthan/rajasthan-municipalities-act-2009
- Supreme Court of India, *National Institute of Medical Science University v. State of Rajasthan*, SLP (C) 38040–38041 of 2012, 9 नवंबर 2017 का निर्णय (रामगढ़ बाँध का जलग्रहण क्षेत्र; राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 को उद्धृत करते हुए)। https://hcraj.nic.in/sci/2012/1-38041-2012_2017-11-09.pdf
- Rajasthan High Court (Jaipur), *Ramji Lal Saini v. State*, D.B. Civil Writ Petition (PIL) No. 6614/2021, 7 मई 2026 का आदेश (*Abdul Rahman*, 2004, *Gulab Kothari*, 2017, और 29 मई 2012 के स्वतः संज्ञान आदेश को उद्धृत करते हुए)। https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/05/22/ramji-lal-675710.pdf
- Rajasthan High Court (Jodhpur), suo motu *In re: Protection, Conservation and Notification of Wetlands in the State of Rajasthan*, 1 जून 2026 का आदेश। https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/06/05/suot-motu-wetlands-uploaded-678250.pdf
- Rajasthan State Wetland Authority द्वारा अधिसूचित आर्द्रभूमियों (जनवरी 2026 तक 75, एक RTI उत्तर से) और 4 जून 2025 को खीचन और मेनार को रामसर स्थल नामित किए जाने पर रिपोर्टें (समाचार माध्यम) [TBC]।
- MoHUA / CPHEEO (2019). Manual on Storm Water Drainage Systems, Part A (§8.5).
- Urban Development and Housing Department, Government of Rajasthan (2025). Model Rajasthan Building Regulations, 2025 (मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025), with the order No. P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025 dated 12 May 2025 (हिन्दी पाठ, तृतीय-पक्ष प्रति; विनियम 1.2, 4.13, 6.5, 6.6, 8.1–8.6 और 18 और अनुसूची 2 पढ़े गए; अनुसूची 3 और 4 प्रदर्शित नहीं हुईं; प्रत्येक शहरी निकाय द्वारा राजपत्र में प्रकाशन देखा नहीं गया) [TBC]। https://frontdesk.co.in/wp-content/uploads/2025/05/Order-Modal-Building-Bye-Laws-2025.pdf
- Jaipur Development Authority (2021). JDA (Jaipur Region) Building Regulations, 2020, notification No. ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2021/डी-36, Rajasthan Gazette (Extraordinary) Part 6(ख), 7 January 2021 (विनियम 10.4, 10.11, 11.2, 11.6 और अनुलग्नक 4; Internet Archive की प्रति से पढ़ा गया)। http://web.archive.org/web/2023id_/https://urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/lsgs/lsg-jaipur/onlineservices/BUILDING%20BYE%20LAWS%202020.pdf
- Urban Development and Housing Department and Local Self Government Department, Government of Rajasthan (2020). Model Rajasthan Urban Area (City) Building Regulations, 2020, regulation 10.11.1 (Internet Archive की प्रति से पढ़ा गया)। http://web.archive.org/web/2023id_/https://urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/lsgs/lsg-jaipur/Order/order2021/July/Model%20Byelaws%20%202020.pdf
- Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act 18 of 2009), sections 45, 68, 202, 213 और 238 (तृतीय-पक्ष प्रति) [TBC]। https://lawgist.in/states/rajasthan/rajasthan-municipalities-act-2009
- Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority Act, 2024 (Act No. 20 of 2025) (PRS प्रति; प्रारंभ की तिथि नहीं मिली) [TBC]। https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/rajasthan/2025/Act20of2025RJ.pdf
- Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (2008). Circular No. 8: General guide lines for Drainage Sector work to be taken under RUSDIP, Ref. F3(106)(32)/RUSDIP/PMU/CMS/2007, 4 March 2008 (18 जनवरी 2026 की Internet Archive प्रति से पढ़ा गया)।

https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/organizations/ruidp/Downloads/Circular%20No.%208%20(Drainage%20sector%20guidelines)_4.03.2008.pdf

- Jaipur Development Authority. Dravyavati River Rejuvenation Project, EIA/EMP Chapter 2 (Phase II). https://environmentclearance.nic.in/writereaddata/FormB/EC/FORM_1/170520176S4VOAIDChapter-2.pdf
- Asian Development Bank (2023). Rajasthan Secondary Towns Development Sector Project, Additional Financing: Jodhpur Storm Water Drainage, Resettlement Plan (42267-034). https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/42267/42267-034-rp-en_1.pdf
- Ghate, A.S. and Timbadiya, P.V. (2022). Effect of discretisation on extreme rainfall analysis: a study of Jaipur city in India. *MAUSAM* 73(2), 341–354. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3570
- Gupta, H.N. and Jindal, O.P. (1987). Unprecedented heavy rainfall in Jaipur (Rajasthan) during 18–20 July 1981. *Mausam* 38(3), 362–364. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3120
- India Meteorological Department. Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012) (राजस्थान के केंद्र); और *Climate of Rajasthan* (2010)। https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf ; https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20Rajashtan.pdf
- Central Ground Water Board. *Dynamic Ground Water Resources of India* 2024 और *Ground Water Year Book 2020-21, Rajasthan* (Internet Archive की प्रतियों से पढ़े गए)। https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17422956315926010 65file.pdf ; https://www.cgwb.gov.in/old_website/Regions/WR/Reports/GW%20Year%20Book%202020-21-Rajasthan.pdf
- National Institute of Hydrology (2025). Assessment of water level rise crises in Jodhpur. https://nihroorkee.gov.in/studies_2014-2025/135-Assessment%20of%20water%20level%20rise%20crises%20in%20Jodhpur_S.%20Nema.pdf
- Supreme Court of India, *In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*, Suo Motu W.P. (C) No. 8 of 2025: 21 नवंबर 2025 और 18 मार्च 2026 के निर्णय और 7 अगस्त 2026 का आदेश; 100 m रेखा पर 24 अगस्त 2026 का अंतरिम आदेश केवल समाचार रिपोर्टों में देखा गया [TBC]। https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_2_58_72891_Judgement_07-Aug-2026.pdf
- Supreme Court of India, *National Institute of Medical Science University v. State of Rajasthan*, 9 नवंबर 2017 का निर्णय (रामगढ़ बाँध का जलग्रहण क्षेत्र)। https://hcraj.nic.in/sci/2012/1-38041-2012_2017-11-09.pdf
- Rajasthan High Court, *Ramji Lal Saini v. State*, 7 मई 2026 का आदेश। https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/05/22/ramji-lal-675710.pdf
- Central Water Commission. 14, 16 और 17 सितंबर 2019 के दैनिक बाढ़ बुलेटिन (कोटा पर चंबल और कोटा बैराज; Internet Archive की प्रतियों से पढ़े गए), और SANDRP (2022) द्वारा प्रतिलिपि की गई बाढ़ पूर्वानुमान स्थलों की CWC सूची। https://cwc.gov.in/sites/default/files/cfcr-cwcdfb-16092019_0.pdf ; https://sandrp.in/2022/10/02/2022-overview-of-cwc-flood-monitoring-sites-in-west-india/
- आना सागर के स्तरों और एस्केप गेटों पर (Rajasthan Patrika) और उदयपुर की झीलों के स्तरों पर (India Water Portal, 2010) रिपोर्टें। https://www.patrika.com/ajmer-news/heavy-rain-water-flows-from-anasagar-channel-gate-4925040/ ; https://www.indiawaterportal.org/climate-change/disasters/storage-above-design-full-tank-level-pichola-swaroop-saagar-and-fatah-saagar-lakes-udaipur
- जोधपुर के उठते भूजल स्तर पर रिपोर्टें (DNA; Down To Earth, 17 मार्च 2022)। https://www.dnaindia.com/india/report-groundwater-level-rising-in-jodhpur-1271212/amp

- जुलाई 2025 में उदयपुर पर रिपोर्ट (Amar Ujala, 6 जुलाई 2025)। https://www.amarujala.com/rajasthan/udaipur-news-city-submerged-due-to-two-hours-of-torrential-rain-in-udaipur-drainage-system-failed-2025-07-06
- लगभग 1 अगस्त 2024 की जयपुर बेसमेंट मौतों (Deccan Herald; NewsOnAir), 2025 के JDA जल निकासी उन्नयन, *Alok Gupta v. State* में उच्च न्यायालय के 25 जुलाई 2026 के आदेश (LiveLaw, 27 जुलाई 2026), जुलाई 2022 की जोधपुर वर्षा (IANS), सितंबर 2024 और जुलाई 2025 की अजमेर बाढ़ों (ANI; Free Press Journal), सितंबर 2019 की कोटा बाढ़, अगस्त 2006 की बाड़मेर वर्षा (Down To Earth; Dawn), अगस्त 2006 में उदयपुर की झीलों (OneIndia/UNI), 2025 के आना सागर ध्वस्तीकरणों और RIICO के वर्षा जल संचयन नियम (Drishti IAS, 4 जून 2024) पर समाचार रिपोर्टें (अनुसंधान टिप्पणियों में URL सुरक्षित नहीं रखे गए) [TBC]।
- Bureau of Indian Standards. IS 456:2000 Plain and Reinforced Concrete — Code of Practice.
- Government of India. Dam Safety Act, 2021.
- Chow, V.T., Maidment, D.R. and Mays, L.W. (1988). *Applied Hydrology*. McGraw-Hill (AMC रूपांतरण)।

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
4A	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ (GIS); उथले भूजल के जोन का मानचित्र
4B	टियर B तालिकाएँ: PSD और SSR (तालिका 4.3), प्रतिधारण क्रेडिट गुणक C_R, मानक आउटलेट आकार; पुष्ट नियत निकास गुणांक (तालिका 4.3A)
4C	पूर्ण रूटिंग तालिकाओं सहित हल किया गया उदाहरण (टियर A)
प्रपत्र 4-1	साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट
प्रपत्र 4-2	टियर B साइट पत्रक
प्रपत्र 4-3	नियत-गुणांक मार्ग पत्रक (खंड 4.14.3 से 4.14.7)

अध्याय 5

अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण

5.1 प्रयोजन और विस्तार

5.1.1 यह अध्याय दो जाँचें निर्धारित करता है, जिन्हें प्रत्येक विनियमित विकास और प्रत्येक सार्वजनिक जल निकासी परियोजना को उत्तीर्ण करना होगा।

- **अनुप्रवाह विश्लेषण** (downstream analysis; खंड 5.3 से 5.5) यह पुष्टि करता है कि परियोजना अपने आउटफॉल के नीचे बाढ़ की स्थिति को और खराब नहीं करती।
- **टेलवाटर विश्लेषण** (tailwater analysis; खंड 5.6 से 5.13) वह जल स्तर निर्धारित करता है जिसमें प्रणाली पानी छोड़ती है, जिसमें ज्वार-भाटा, तूफानी महोर्मि, समुद्र स्तर वृद्धि, नदी का पश्चजल और रेत अवरोध से मुख का बंद होना सम्मिलित है। यह यह भी अपेक्षा करता है कि आउटफॉल बंद होने पर भी प्रणाली काम करती रहे।

5.1.2 यह अध्याय निम्नलिखित पर लागू होता है:

- (a) प्रत्येक साइट, जिस पर अध्याय 4 लागू होता है;
- (b) अध्याय 6 के अंतर्गत लघु प्रणाली और प्रमुख प्रणाली की प्रत्येक जल निकासी परियोजना; और
- (c) खंड 4.13 और अध्याय 7 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण या तालाब पुनर्स्थापन परियोजना।

5.1.3 वर्षा और संयुक्त घटना (joint occurrence) संबंधी इनपुट अध्याय 2 से, विशेष रूप से खंड 2.5.3 और 2.12 से, लिए जाते हैं। जलवैज्ञानिक विधियाँ अध्याय 3 से ली जाती हैं। साइट के निकास मानदंड अध्याय 4 से लिए जाते हैं। गेटों, पुलियों और पंपों का हाइड्रोलिक डिजाइन अध्याय 9 के अनुसार होता है।

5.1.4 **राजस्थान में कोई ज्वारीय आउटफॉल नहीं.** राजस्थान भू-आबद्ध (landlocked) है: यहाँ न कोई तट है, न ज्वार-भाटा और न कोई तटीय विनियमन क्षेत्र। राज्य का कोई भी आउटफॉल समुद्र, किसी ज्वारीय खाड़ी (tidal creek) या ज्वारनदमुख (estuary) में पानी नहीं छोड़ता, इसलिए इस अध्याय के वे प्रावधान जो ज्वार-भाटा, तूफानी महोर्मि, समुद्र स्तर वृद्धि या नदी मुख पर निर्भर हैं, राजस्थान में लागू नहीं होते: खंड 5.7 और परिशिष्ट 5A, तालिका 5.2 की स्थितियाँ J1 से J3, खंड 5.10.3 की ज्वारीय अवरोध अवधियाँ, खंड 5.11.3(a) की समुद्री जल संबंधी अपेक्षा (गेट और सीट फिर भी संक्षारण-रोधी सामग्री के बनाए जाएँगे), और खंड 5.13। इन्हें इसलिए रखा गया है कि इस मैनुअल की खंड संख्याएँ इसके अन्य राज्य संस्करणों से मेल खाएँ। राजस्थान में प्राप्तकर्ता जलाशय (receiving water) तीन में से किसी एक प्रकार का होता है: कोई भी नहीं, जहाँ किसी साइट का या उस जलग्रहण क्षेत्र का, जिसमें उसका पानी जाता है, कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है और वह किसी बंद गर्त में समाप्त होता है, जैसा पश्चिम और उत्तर की अंतःस्थलीय जल निकासी के बड़े भाग में है (खंड 4.12.7); कोई झील, सागर (sagar) या तालाब (talab), जिसे प्रायः गेटों या एस्केप चैनल (escape channel) द्वारा उसके पूर्ण स्तर पर रखा जाता है; या कोई नदी, जिस तक सीधे, किसी किनारे या घाट की दीवार में लगे गेट के माध्यम से, या किसी पंपिंग स्टेशन के माध्यम से पहुँचा जाता है, और जिसका स्तर प्रायः प्रतिप्रवाह की ओर के डैमों से छोड़े गए पानी से निर्धारित होता है, साथ में WRD की वे ड्रेनें और नहरें और किसी नगर निगम, नगर परिषद या नगरपालिका बोर्ड, किसी विकास प्राधिकरण, किसी नगर सुधार न्यास या RIICO के वे नाले (nala) जो उस तक जाते हैं, और:

- (a) इसका टेलवाटर खंड 5.6 और 5.8 द्वारा, जिसमें खंड 5.8.5 सम्मिलित है, निर्धारित होता है;

- (b) जहाँ खंड 5.10 से 5.12, प्रपत्र 5-1 या अध्याय 6 में J1 टेलवाटर या J1 ज्वारीय वक्र का उल्लेख है, वहाँ खंड 5.6.2 या 5.8.5 का लघु प्रणाली टेलवाटर लागू होता है, और जहाँ प्राप्तकर्ता स्तर बदलता है वहाँ समय-शृंखला के रूप में; जहाँ J2 टेलवाटर या HAT + महोर्मि + SLA का उल्लेख है, वहाँ प्रमुख प्रणाली टेलवाटर लागू होता है: खंड 5.8.4(b) का डिजाइन-AEP नदी स्तर, या खंड 5.8.5 का प्रमुख प्रणाली टेलवाटर, इनमें से जो भी आउटफॉल पर अधिक हो;
- (c) खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच (outfall-closed check) वहाँ लागू होती है जहाँ कोई आउटफॉल किसी झील, किसी नदी या किसी प्राप्तकर्ता ड्रेन द्वारा बंद हो जाता है, और ज्वारीय अवरोध अवधियों के स्थान पर खंड 5.8.5(b) का नदी अवरोध (river lock) और खंड 5.8.5(c) के अनुसार झील द्वारा बंद होना (lake closure) लागू होता है; और
- (d) जहाँ कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है, वहाँ खंड 4.12.7 और खंड 5.8.5(a) लागू होते हैं: आउटफॉल को पूरी वर्षा घटना के दौरान और उसके बाद भी बंद माना जाता है (खंड 5.9.4), और अनुप्रवाह विश्लेषण उस भंडारण पर या उस बंद गर्त पर समाप्त होता है जो उसे प्राप्त करता है।

भाष्य. राजस्थान के नगरों की ड्रेनें उन स्थानों पर विफल होती हैं जिन्हें साइट डिजाइन नहीं देख पाता, और तीन अलग-अलग तरीकों से। राज्य का लगभग 60% भाग भीतर की ओर बहता है, किसी नदी या समुद्र तक नहीं (प्रकाशित खबरों के अनुसार); वहाँ, थार, शेखावाटी और नहर के कमान क्षेत्र के टीलों के बीच के गर्तों (interdunal depressions) और नगर-स्थलों में, और सांभर की खारी झील के बेसिन में, बहने वाला पानी जहाँ जमा होता है वहीं रुका रहता है, और अगस्त 2006 की बाड़मेर की वर्षा के बाद (लगभग 277 mm के वार्षिक सामान्य के मुकाबले 3 दिनों में लगभग 577 mm, प्रकाशित खबरों के अनुसार) कवास के सात महीने बाद भी पानी में डूबे रहने की खबर थी। पूर्व और दक्षिण में ड्रेनें गेटों या एस्केप चैनलों द्वारा पूर्ण स्तर पर रखी गई झीलों में, या ऐसी नदियों में समाप्त होती हैं जिनका स्तर उनके ऊपर के डैमों से निर्धारित होता है। उदयपुर की झीलें एक शृंखला बनाती हैं: पिछोला और फतह सागर एक गेट वाले चैनल से जुड़े हैं और दोनों का अतिप्रवाह आयड़ (आहड़) में जाता है, जो उदय सागर तक बहती है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। अजमेर में आना सागर को एस्केप गेट खोलकर उसके पूर्ण गेज स्तर पर रखा जाता है, और एस्केप चैनल अपने किनारे की कॉलोनियों में बाढ़ लाता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार, 2024 और 2025)। जयपुर के नाले द्रव्यवती (Dravyavati) में समाप्त होते हैं, जो ढूँढ में गिरती है (JDA, द्रव्यवती EIA), और जोधपुर के नाले जोजरी में। कोटा में चंबल गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से चढ़ती है, और सितंबर 2019 में कोटा सिटी (Kota City) पर नदी ने 242 m के खतरे के स्तर के मुकाबले अपना अभिलिखित उच्चतम स्तर, 248.68 m, बनाया (CWC)। आउटफॉल भी एक निकाय के हैं जबकि उनके ऊपर की ड्रेनें अन्य निकायों की: डैम, जलाशय और नहरें WRD के अधीन हैं, सार्वजनिक तालाब और सड़कों की ड्रेनें नगरपालिका के, गैर मुमकिन (gair mumkin) नाला के रूप में दर्ज भूमि राजस्व विभाग के, और नई योजनाओं की ड्रेनें विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या कॉलोनी विकासकर्ता के, और कोई नियम उनका विभाजन नहीं करता (अध्याय 6, खंड 6.9)। शोध के दौरान मिला कोई भी दस्तावेज किसी झील या नदी आउटफॉल के लिए डिजाइन स्तर निर्धारित नहीं करता, और किसी शहरी चैनल के लिए प्रकाशित एकमात्र डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि द्रव्यवती की 100-वर्ष की बाढ़ है (JDA, द्रव्यवती EIA)। अध्याय 4 की हर निकास दर को पूरा करने वाला अस्थायी भंडारण बेसिन भी विफल हो जाता है यदि उसके नीचे की ड्रेन पहले से भरी हो, यदि जिस झील या नदी में वह पानी छोड़ता है वह कई दिनों तक उसके आउटफॉल से ऊपर बनी रहे, या यदि पानी के जाने के लिए कोई स्थान ही न हो। यह अध्याय विफलता के इन तीनों रूपों को डिजाइन का भाग बनाता है। राजस्थान में कोई ज्वारीय आउटफॉल नहीं है, इसलिए खंड 5.1.4 बताता है कि अध्याय के कौन-से तटीय प्रावधान लागू नहीं होते और उनका स्थान क्या लेता है।

5.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
विश्लेषण बिंदु (analysis point)	अनुप्रवाह प्रणाली पर वह स्थान जहाँ परियोजना-पूर्व और परियोजना-पश्चात स्थितियों की तुलना की जाती है (खंड 5.3.3)।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
योगदान देने वाला जलग्रहण क्षेत्र (contributing catchment)	किसी विश्लेषण बिंदु की ओर जल निकासी करने वाला संपूर्ण क्षेत्र, साइट पर और साइट के बाहर।
प्रमुख ड्रेन (major drain)	बेसिन प्लान या परिशिष्ट 5B में प्रमुख ड्रेन के रूप में सूचीबद्ध कोई चैनल, या कोई नदी, WRD की नहर, जयपुर की द्रव्यवती (पूर्व अमानीशाह नाला) और वह ढूँढ जिसमें उसका पानी जाता है, नाहरिका (Naharika), अंबाबाड़ी (Ambabari), गंदा (Ganda), जवाहर (Jawahar), ब्रह्मपुरी और नागतलाई (Nagtalai) नाले और जयपुर के अन्य नाले, जोजरी और बाँडी और जोधपुर के भैरव, RTO और अन्य नाले जिनका पानी जोजरी में जाता है, उदयपुर में आयड़ (आहड़), अजमेर में आना सागर का एस्केप चैनल, कोटा के वे नाले जिनका पानी चंबल में जाता है, WRD की कोई ड्रेन या नहर, जिसमें इंदिरा गाँधी नहर (IGNP) और उसकी वितरिकाएँ और एस्केप सम्मिलित हैं, किसी नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका बोर्ड, विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या RIICO द्वारा अनुरक्षित कोई ड्रेन जिसकी भीतरी चौड़ाई 1.0 m या अधिक हो, वर्षा जल प्राप्त करने वाली कोई सिंचाई नहर, या कोई ज्वारीय खाड़ी।
चार्ट डेटम (CD)	प्रकाशित ज्वार सारणियों और नौवहन चार्टों का डेटम, जिसके सापेक्ष ज्वारीय ऊँचाइयाँ दी जाती हैं।
माध्य समुद्र तल (MSL)	किसी ज्वार गेज पर लंबी अवधि का औसत समुद्र तल।
MHWS	वृहत् ज्वार का औसत उच्च जल स्तर: वृहत् ज्वारों के समय उच्च जल स्तरों का औसत।
HAT	उच्चतम खगोलीय ज्वार: पूर्ण ज्वारीय चक्र (18.6 वर्ष) में औसत मौसमी परिस्थितियों में पूर्वानुमानित उच्चतम स्तर।
तूफानी महोर्मि (storm surge)	मुख्यतः चक्रवातों के दौरान हवा और कम दबाव के कारण खगोलीय ज्वार से ऊपर समुद्र तल में होने वाली वृद्धि।
स्थिर जल स्तर (still-water level)	खगोलीय ज्वार और महोर्मि का योग, अलग-अलग लहरों को छोड़कर।
समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई (SLA)	डिजाइन आयु के दौरान समुद्र स्तर वृद्धि के लिए वर्तमान ज्वारीय स्तरों में जोड़ा जाने वाला अतिरिक्त प्रावधान (खंड 5.7.4)।
टेलवाटर (tailwater)	किसी ड्रेन, आउटलेट या भंडारण के अनुप्रवाह सिरे पर जल स्तर।
ज्वार-अवरोध (tide-lock)	वह स्थिति जिसमें टेलवाटर प्रतिप्रवाह जल स्तर के बराबर या उससे ऊपर होता है, जिससे गुरुत्व आउटफॉल पानी नहीं छोड़ सकता।
अवरोध अवधि (lock window)	वह अवधि जिसके दौरान खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच गुरुत्व निकास को शून्य मानती है।
रेत अवरोध (sand bar)	समुद्र तट की रेत का अवरोध, जो किसी नदी मुख या खाड़ी के प्रवेश को आंशिक या पूर्ण रूप से बंद कर देता है।
परियोजना डेटम (project datum)	परियोजना के नक्शों में प्रयुक्त समतलन डेटम। इसे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के किसी बेंचमार्क से जोड़ा जाना होगा (खंड 5.7.2)।

5.3 अनुप्रवाह विश्लेषण का विस्तार

5.3.1 अनुप्रवाह विश्लेषण प्रत्येक साइट या परियोजना के आउटफॉल से आरंभ किया जाएगा। यह अनुप्रवाह की ओर निम्नलिखित में से **पहले** बिंदु तक जारी रखा जाएगा:

- (a) वह बिंदु जहाँ परियोजना क्षेत्र योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र का **10% या उससे कम** हो;

- (b) सरप्लस वियर या नियंत्रित आउटलेट वाला अगला **तालाब (tank), तालाब (talab)** या अन्य जलाशय; या
- (c) अगली **प्रमुख ड्रेन**, या समुद्र।

अंतिम बिंदु का भी विश्लेषण किया जाएगा (चित्र 5.1)।

5.3.2 जहाँ विश्लेषण 5.3.1(b) के अंतर्गत किसी तालाब (tank) या तालाब (talab) पर समाप्त होता है, वहाँ उसमें खंड 5.4.3 की AEP और अवधियों के लिए निम्नलिखित की रिपोर्ट दी जाएगी:

- तालाब के अधिकतम जल स्तर में परिवर्तन; और
- सरप्लस वियर की प्रवाह दर में परिवर्तन।

यदि अधिकतम जल स्तर बढ़ता है, तो विश्लेषण सरप्लस वियर के नीचे अगले अंतिम बिंदु तक जारी रखा जाएगा।

5.3.3 विश्लेषण बिंदु कम से कम निम्नलिखित स्थानों पर रखे जाएँगे:

- (a) साइट का प्रत्येक आउटफॉल;
- (b) किसी ड्रेन या चैनल के साथ प्रत्येक संगम, जिसका योगदान देने वाला जलग्रहण क्षेत्र उस बिंदु पर प्राप्तकर्ता ड्रेन के जलग्रहण क्षेत्र का कम से कम आधा हो;
- (c) प्रत्येक पुलिया, पुल या सड़क क्रॉसिंग;
- (d) स्थानीय निकाय, JMC, RSDMA या WRD द्वारा बाढ़-प्रवण के रूप में दर्ज प्रत्येक स्थान; और
- (e) मार्ग के साथ 1% AEP बाढ़ के विस्तार के भीतर स्थित प्रत्येक भवन या सड़क खंड। जहाँ भवन पास-पास हों, वहाँ प्रतिनिधि बिंदु प्रयुक्त किए जा सकते हैं।

5.3.4 **छोटी साइटें. 0.5 ha** से कम क्षेत्र की साइटों के लिए, प्राधिकारी पूर्ण विश्लेषण के स्थान पर सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण (प्रपत्र 5-2) स्वीकार कर सकता है, जहाँ निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी होती हों:

- प्राप्तकर्ता सार्वजनिक ड्रेन की अपने लघु प्रणाली डिजाइन प्रवाह के लिए दस्तावेजित क्षमता हो (अध्याय 6);
- अनुप्रवाह की ओर 500 m के भीतर कोई बाढ़-प्रवण स्थान दर्ज न हो; और
- साइट किसी ज्वारीय या पश्चजल-प्रभावित आउटफॉल में जल निकासी न करती हो।

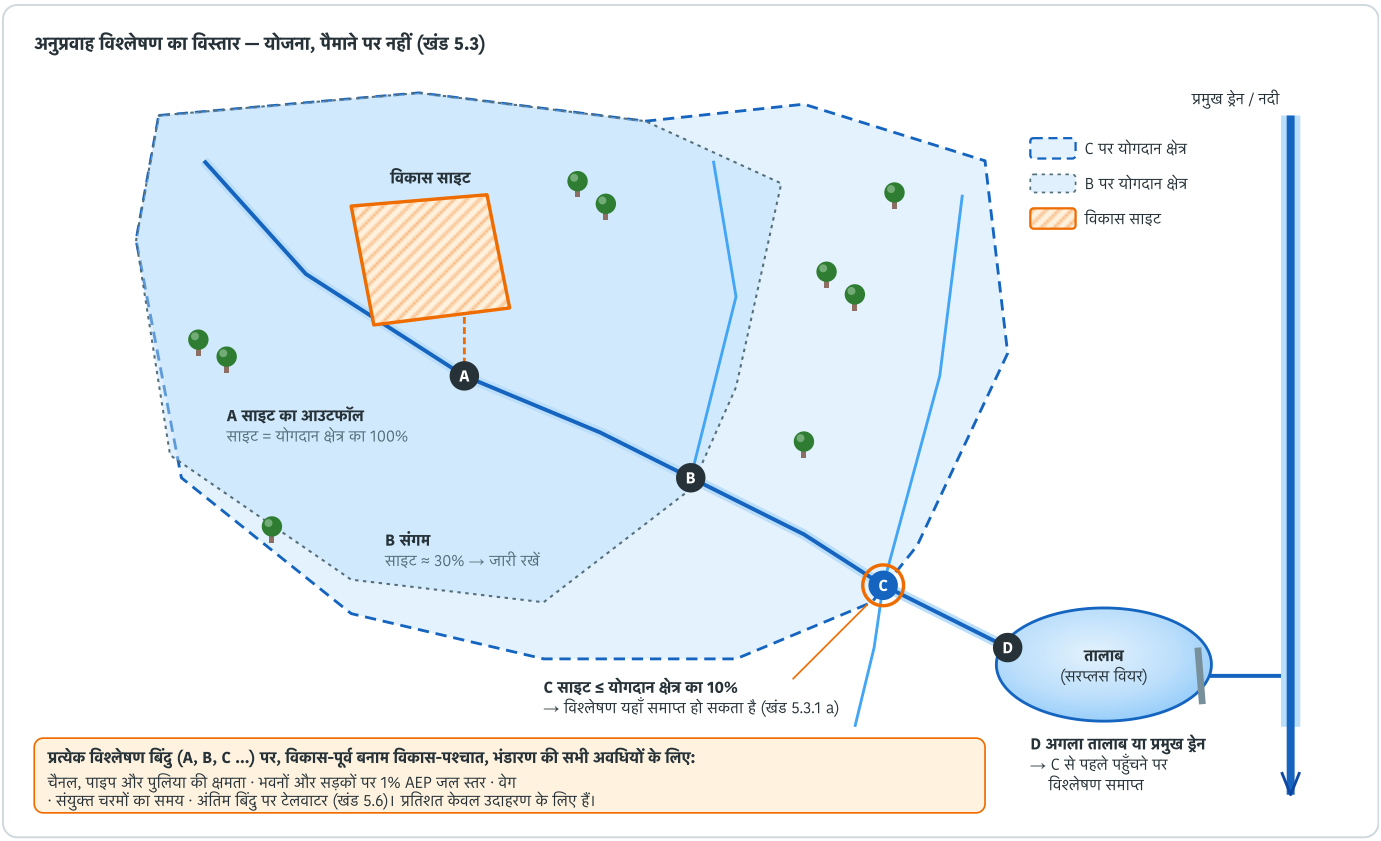

चित्र 5.1 — अनुप्रवाह विश्लेषण का विस्तार: विश्लेषण बिंदु A–D, प्रत्येक बिंदु पर योगदान देने वाला क्षेत्र, 10% बिंदु, और वैकल्पिक अंतिम बिंदु के रूप में अगला तालाब (talab) या प्रमुख ड्रेन। योजनाबद्ध; प्रतिशत केवल उदाहरण के लिए हैं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Georgia Stormwater Management Manual (2016, Vol. 2 §3.1.9) और KC APWA Section 5600 (2006, 5601.5) के दस-प्रतिशत नियम पर आधारित।

भाष्य. 10% नियम का स्थापित पूर्व-उदाहरण है। KC APWA 5600 (2006) में अपेक्षा थी कि अनुप्रवाह प्रणाली का विश्लेषण "उस बिंदु तक किया जाए जहाँ विकास का भूभाग कुल जलसंभर के 10% से कम हो" ("to the point the development's land mass is less than 10% of the total watershed")। जॉर्जिया मैनुअल दस-प्रतिशत विश्लेषण को एक अनिवार्य मानक बनाता है (GSMM 2016, Standard #8)। तालाब या प्रमुख ड्रेन वाले अंतिम बिंदु का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे राजस्थान के लिए जोड़ता है। जयपुर में, जहाँ द्रव्यवती (पूर्व अमानीशाह नाला) ढूँढ में गिरने से पहले लगभग 47.5 km के अपने मार्ग में परकोटे (walled city), सांगानेर और नई कॉलोनियों के नाले एकत्र करती है (JDA, द्रव्यवती EIA), उदयपुर में, जहाँ झीलें पिछोला और फतह सागर से आयड़ (आहड़) होकर उदय सागर तक एक शृंखला बनाती हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और जोधपुर में, जहाँ नगर के नाले दक्षिण और दक्षिण-पूर्व की ओर लूणी की सहायक नदी जोजरी तक बहते हैं (NIH, 2025), 10% बिंदु कई तालाबों को पार करते हुए अनुप्रवाह की ओर कई किलोमीटर दूर हो सकता है। कार्यशील सरप्लस वियर वाला तालाब हाइड्रोग्राफ को पूरी तरह बदल देता है, इसलिए विश्लेषण को वहीं समाप्त करना और तालाब का स्तर रिपोर्ट करना बेहतर है। खंड 5.3.2 यह सुनिश्चित करता है कि वह अंतिम बिंदु तालाब के स्तर में वृद्धि को छिपा न सके। छोटी साइट के विवरण (5.3.4) और उसकी 500 m की दूरी का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

5.4 विश्लेषण में क्या जाँचना होगा

5.4.1 **परिदृश्य.** प्रत्येक विश्लेषण में निम्नलिखित की तुलना की जाएगी:

- (a) **विद्यमान**: संपूर्ण योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र की वर्तमान अनुप्रवाह प्रणाली और वर्तमान भूमि उपयोग, और परियोजना साइट अपनी परियोजना-पूर्व स्थिति में; और
- (b) **परियोजना सहित**: वही स्थिति, जिसमें परियोजना और उसके सभी नियंत्रण (अध्याय 4) विद्यमान हों।

जहाँ प्राधिकारी का बेसिन प्लान भविष्य का भूमि उपयोग परिभाषित करता है, वहाँ प्राधिकारी निम्नलिखित की भी अपेक्षा कर सकता है:

- (c) **भविष्य**: प्लान के अनुसार पूर्णतः विकसित जलग्रहण क्षेत्र, सब कुछ अध्याय 4 के मानकों के अनुसार, परियोजना सहित और परियोजना के बिना।

5.4.2 **प्रत्येक विश्लेषण बिंदु पर जाँची जाने वाली मात्राएँ:**

- (a) **क्षमता**: प्रत्येक चैनल, पाइप, पुलिया और क्रॉसिंग की क्षमता की तुलना में चरम प्रवाह, उस तत्व की लघु प्रणाली AEP (अध्याय 6) के लिए और 1% AEP के लिए;
- (b) **बाढ़ जल स्तर**: भवनों पर (सबसे निचले खुले भाग पर) और सड़कों पर (शीर्ष पर और सबसे गहरे बिंदु पर) 1% AEP का अधिकतम जल स्तर;
- (c) **वेग**: 50%, 10% और 1% AEP के लिए चरम वेग;
- (d) **संयुक्त चरमों का समय**: प्रत्येक संगम पर हाइड्रोग्राफ, जिसमें परियोजना के बहिर्वाह और प्राप्तकर्ता ड्रेन के चरम तक समय दर्शाया गया हो; और
- (e) **जलमग्नता की अवधि**: सड़कों पर और भवनों पर, अध्याय 6 की गहराई सीमाओं से ऊपर पानी रहने का समय।

5.4.3 **वर्षा घटनाएँ.** विश्लेषण में निम्नलिखित का उपयोग किया जाएगा:

- 50%, 10% और 1% AEP;
- खंड 2.5.2 की अवधियों का समूह, कम से कम वे अवधियाँ जो प्रत्येक विश्लेषण बिंदु पर उच्चतम स्तर देती हैं (ये सामान्यतः साइट की तुलना में लंबी होंगी); और
- प्रत्येक स्थिति में 24, 48 और 72 घंटे की वर्षा घटनाएँ।

खंड 2.11.4 का AMC नियम लागू होता है। क्षेत्रीय न्यूनीकरण खंड 2.7 के अनुसार होता है, जो प्रत्येक विश्लेषण बिंदु पर योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र पर लागू किया जाता है और साइट भंडारण पर कभी नहीं।

5.4.4 **विधि.** विश्लेषण में:

- ऐसी हाइड्रोग्राफ विधि का उपयोग किया जाएगा जो संगमों पर हाइड्रोग्राफों को जोड़ती हो (SWMM, HEC-HMS, या समतुल्य);
- जहाँ भी टेलवाटर या पश्चजल किसी विश्लेषण बिंदु को प्रभावित करता है, वहाँ पश्चजल प्रभाव सहित हाइड्रोलिक मॉडल (SWMM dynamic wave, HEC-RAS, या समतुल्य) सम्मिलित किया जाएगा; और
- किसी भी विश्लेषण बिंदु पर रेशनल विधि का उपयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि यह समय को प्रदर्शित नहीं कर सकती।

साइट से बाहर के क्षेत्रों का मॉडल उनके वर्तमान भूमि उपयोग पर बनाया जाएगा। प्रतिप्रवाह का अस्थायी भंडारण केवल वहीं सम्मिलित किया जाएगा जहाँ वह निर्मित, अनुरक्षित और दस्तावेजित हो।

5.4.5 **टेलवाटर.** मॉडल के अनुप्रवाह सिरे पर खंड 5.6 से 5.9 का टेलवाटर और, जहाँ लागू हो, खंड 5.13 की रेत अवरोध स्थिति का उपयोग किया जाएगा।

भाष्य. खंड 5.4.2(d) इसलिए है कि अस्थायी भंडारण केवल यह नहीं बदलता कि साइट का कितना पानी पहुँचता है, बल्कि यह भी बदलता है कि वह कब पहुँचता है (खंड 4.16)। कोलोराडो स्टेट यूनिवर्सिटी के एक शोध-प्रबंध और *Water* (2016) के एक इष्टतमीकरण अध्ययन, दोनों ने पाया कि साइट से विलंबित निकास मुख्य धारा के चरम (main-stem peak) के साथ मिलकर उसे बढ़ा सकता है। जॉर्जिया का मैनुअल यह परिणाम सीधे बताता है: कुछ संरचनात्मक पद्धतियाँ "अनुप्रवाह की ओर चरम प्रवाह दरों को विकास-पूर्व स्तर तक कम करने में विफल रहती हैं" ("fail to reduce discharge peaks to pre-development levels downstream") क्योंकि "चरम प्रवाह के समय और अपवाह आयतन के प्रभाव" ("peak flow timing and runoff volume effects") होते हैं (GSMM 2016)। जलमग्नता की अवधि की जाँच (5.4.2(e)) राजस्थान के झीलों और नदियों से नियंत्रित नगरों में और उसके बंद गर्तों में महत्वपूर्ण है: सितंबर 2019 में कोटा बैराज से अपने 19 में से 18 या सभी 19 गेटों के माध्यम से लगभग 6.5 से 6.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबर थी, और कोटा के निचले नयापुरा, बालिता और गावंडी खाली कराए गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); जुलाई 2025 में आना सागर अपने 13 ft के पूर्ण स्तर के मुकाबले अपने गेज पर 15 ft 11 इंच पर बताया गया, उसके एस्केप गेट खोले गए और अजमेर में JLN अस्पताल और चौपाटी जलमग्न हुए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और अगस्त 2006 की बाड़मेर की वर्षा के बाद कवास के सात महीने बाद भी 3 से 4 ft पानी में डूबे रहने की खबर थी, क्योंकि जिस निचली भूमि में वह बसा है उसका कोई आउटफॉल नहीं है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। निकास को लंबा खींचने वाला अस्थायी भंडारण चरम को कम करते हुए भी उस समय को बढ़ा सकता है।

5.5 स्वीकार्यता मानदंड

5.5.1 परियोजना स्वीकार्य है यदि प्रत्येक विश्लेषण बिंदु पर और खंड 5.4.3 की प्रत्येक AEP और अवधि के लिए, "परियोजना सहित" की "विद्यमान" से तुलना करने पर:

- (a) किसी आवास योग्य भवन पर, किसी भवन के सबसे निचले खुले भाग पर, या किसी सड़क के कैरिजवे पर 1% AEP का अधिकतम जल स्तर **10 mm** से अधिक नहीं बढ़ता;
- (b) कोई भवन जो विद्यमान स्थिति में जलमग्न नहीं होता, परियोजना के साथ जलमग्न नहीं होता, और कोई भवन या सड़क जो विद्यमान स्थिति में अध्याय 6 की फ्रीबोर्ड या गहराई सीमाओं को पूरा करती है, उन्हें पूरा करने में विफल नहीं होती;
- (c) चरम प्रवाह प्रत्येक तत्व की लघु प्रणाली AEP पर, या 1% AEP पर, विद्यमान चरम से अधिक नहीं होता;
- (d) पक्के चैनलों में चरम वेग अस्तर के लिए अनुमेय वेग के भीतर रहता है (अध्याय 6: अधिकतम 3.0 m/s); और
- (e) कच्चे या प्राकृतिक चैनलों में, 50% और 10% AEP के लिए चरम वेग **10%** से अधिक नहीं बढ़ता, जब तक कि अध्याय 9 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान न की गई हो।

5.5.2 5.4.2(e) के अंतर्गत जलमग्नता की अवधि की रिपोर्ट दी जाएगी। प्राधिकारी ऐसी परियोजना को अस्वीकार कर सकता है जो किसी धमनी सड़क या आपातकालीन मार्ग के बंद रहने की अवधि को बढ़ाती है।

5.5.3 **जहाँ मानदंड पूरे नहीं होते**, वहाँ परियोजना निम्नलिखित में से एक या अधिक उपाय करेगी:

- (a) निकास दरें घटाना या भंडारण बढ़ाना (अध्याय 4);
- (b) अनुप्रवाह प्रणाली के स्वामी की सम्मति से अनुप्रवाह सुधार कार्य बनाना। ये समस्या को और अनुप्रवाह की ओर स्थानांतरित नहीं करेंगे, और इस अध्याय के अंतर्गत इनका पुनः विश्लेषण किया जाएगा;
- (c) खंड 4.13 के अंतर्गत किसी क्षेत्रीय सुविधा में योगदान देना; या
- (d) खंड 5.5.4 के अंतर्गत निकास की रणनीति बदलना।

5.5.4 **समय संबंधी अपवाद.** जहाँ विश्लेषण दर्शाता है कि समय के कारण अस्थायी भंडारण अनुप्रवाह स्तरों को बढ़ाता है, वहाँ प्राधिकारी खंड 4.5 के साइट निकास दर मानदंडों में परिवर्तन कर सकता है। यह केवल वहीं लागू होता है जहाँ साइट योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र के निचले दसवें भाग के भीतर, सीधे किसी प्रमुख ड्रेन, ज्वारीय खाड़ी या समुद्र में पानी छोड़ती है, और केवल निम्नलिखित शर्तों पर:

- (a) परिवर्तित रणनीति 5.5.1 को पूरा करती है;
- (b) प्रतिधारण की अपेक्षा (खंड 4.4) और WQv उपचार (अध्याय 8) पूर्ण रूप से पूरे होते हैं; और
- (c) आउटफॉल-बंद जाँच (खंड 5.10) पूरी होती है।

> **भाष्य.** 10 mm की सहनसीमा (5.5.1(a)) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। इसका आशय यह है कि यह किसी सामान्य एक-आयामी मॉडल की संख्यात्मक परिशुद्धता के बराबर या उससे नीचे हो, ताकि "कोई वृद्धि नहीं" की जाँच पूर्णांकन पर विवाद के बिना की जा सके। वेग की 10% सहनसीमा भी इसी प्रकार इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। 5.5.4 का समय संबंधी अपवाद जॉर्जिया मैनुअल के अनुसार है, जहाँ अनुप्रवाह विश्लेषण यह दर्शा सकता है "कि चरम नियंत्रणों की आवश्यकता नहीं है" ("that peak controls are not needed") और उन्हें छोड़ने की अनुमति दे सकता है (GSMM 2016, Standard #8)। यहाँ इसे जलग्रहण क्षेत्र के निचले भाग की साइटों तक सीमित रखा गया है, क्योंकि मुख्य धारा के चरम के साथ समकालिकता वहीं सबसे अधिक संभावित है (*Water* 2016, 8(7):290)। इससे ऊपर यह उपलब्ध नहीं है, क्योंकि पैमाने संबंधी साक्ष्य (खंड 4.16) दर्शाते हैं कि प्रतिप्रवाह की अनेक साइटों से शीघ्र निकास चरमों को बढ़ाता है।

5.6 टेलवाटर: सामान्य और गैर-ज्वारीय आउटफॉल

5.6.1 प्रत्येक ड्रेन, आउटलेट और भंडारण का डिजाइन किसी निर्दिष्ट टेलवाटर के विरुद्ध किया जाएगा। मुक्त आउटफॉल (free outfall) केवल वहीं माना जाएगा जहाँ आउटलेट का इनवर्ट जाँची जा रही स्थिति के लिए प्राप्तकर्ता जलाशय के अधिकतम जल स्तर से ऊपर हो।

5.6.2 **लघु प्रणाली टेलवाटर, गैर-ज्वारीय.** टेलवाटर, अनुप्रवाह मॉडल से प्राप्त, लघु प्रणाली के चरम के समय प्राप्तकर्ता प्रणाली का जल स्तर है। जहाँ कोई मॉडल नहीं है, वहाँ निम्नलिखित का उपयोग करें:

- प्राप्तकर्ता पाइप के लिए, उसका ऑबवर्ट; या
- प्राप्तकर्ता खुली ड्रेन के लिए, उसका पूर्ण-किनारा स्तर (full-bank level) घटा फ्रीबोर्ड (अध्याय 6)।

5.6.3 **प्रमुख प्रणाली टेलवाटर, गैर-ज्वारीय.** टेलवाटर प्राप्तकर्ता प्रणाली का 1% AEP जल स्तर है, जब तक कि खंड 5.8 किसी संयोगी निचले स्तर की अनुमति न दे।

5.6.4 **ज्वारीय और पश्चजल आउटफॉल.** खंड 5.7 से 5.13 अतिरिक्त रूप से लागू होते हैं।

5.6.5 **भंडारण तत्व.** अस्थायी भंडारण, तालाबों और पंप द्वारा खाली किए जाने वाले संपों की रूटिंग, जहाँ भी टेलवाटर ज्वार-भाटे के साथ या प्राप्तकर्ता प्रणाली के हाइड्रोग्राफ के साथ बदलता है, स्थिर स्तर के बजाय समय के साथ बदलते टेलवाटर (खंड 4.6.6) के साथ की जाएगी।

5.7 ज्वारीय टेलवाटर: डेटम, महोर्मि और समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई

5.7.1 **डिजाइन टेलवाटर स्तर.** समुद्र, ज्वारीय खाड़ियों, ज्वारनदमुखों, पश्चजलों और नदियों और नहरों के ज्वारीय भागों (reaches) में गिरने वाले आउटफॉलों के लिए:

तालिका 5.1 — ज्वारीय आउटफॉलों के लिए डिजाइन टेलवाटर स्तर

डिजाइन स्थिति	टेलवाटर
लघु प्रणाली डिजाइन (अध्याय 6)	**MHWS + SLA**
प्रमुख प्रणाली डिजाइन और भंडारण डिजाइन	**HAT + महोर्मि + SLA**, महोर्मि पद खंड 5.7.3 में परिभाषित
संयुक्त स्थिति (खंड 2.12(b))	1% AEP स्थिर जल स्तर + SLA

SLA **न्यूनतम +0.3 m** है (खंड 5.7.4)। चलाई जाने वाली स्थितियाँ खंड 5.9 में सूचीबद्ध हैं।

5.7.2 **स्रोत और डेटम.**

- (a) **ज्वारीय स्तर.** MHWS, HAT और MSL निकटतम मानक या द्वितीयक बंदरगाह के लिए राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय (NHO) या भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित भारतीय ज्वार सारणियों के वर्तमान संस्करण से, या बंदरगाह प्राधिकरण के प्रकाशित ज्वारीय स्तरों से लिए जाएँगे। संस्करण और बंदरगाह का उल्लेख किया जाएगा।
- (b) **डेटम रूपांतरण.** ज्वार सारणी की ऊँचाइयाँ चार्ट डेटम के सापेक्ष होती हैं। इन्हें चार्ट डेटम, ज्वार गेज के शून्य और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के किसी बेंचमार्क के बीच दस्तावेजित संबंध के माध्यम से परियोजना डेटम में बदला जाएगा। अंतर (offset) और उसका स्रोत प्रपत्र 5-1 में बताया जाएगा।
- (c) **ज्वारनदमुख, खाड़ियाँ और नहरें.** ज्वारनदमुखों, खाड़ियों, पश्चजलों या ज्वारीय नहरों के भीतर के आउटफॉलों के लिए (उदाहरण के लिए तटीय राज्यों के ज्वारनदमुख; राजस्थान में ऐसा कोई नहीं है, खंड 5.1.4), ज्वारीय स्तर खुले तट से भिन्न हो सकते हैं। खुले तट के स्तरों का उपयोग किया जाएगा, जब तक कि कम से कम एक वृहत्–लघु ज्वार चक्र (spring–neap cycle) के मापे गए स्तर, या कोई अंशांकित हाइड्रोडायनामिक मॉडल, भिन्न मान को उचित न ठहराए। ऐसे साक्ष्य के बिना खुले तट के स्तरों से कम कोई कटौती नहीं ली जाएगी।
- (d) **अंतरिम.** जब तक परिशिष्ट 5A प्रकाशित नहीं होता, तब तक डिजाइनकर्ता (a) में दिए गए स्रोतों से मान सीधे प्राप्त करेगा और उन्हें अभिलिखित करेगा।

5.7.3 **तूफानी महोर्मि.**

- (a) **प्रमुख प्रणाली और भंडारण डिजाइन.** "HAT + महोर्मि" में महोर्मि पद तटीय खंड के लिए परिशिष्ट 5A में दी गई **10% AEP (10-वर्ष) तूफानी महोर्मि** है। 1% AEP महोर्मि का उपयोग केवल खंड 2.12(b) की संयुक्त स्थिति में, 10-वर्ष की 48 घंटे की वर्षा घटना के साथ, किया जाता है। इससे दोनों स्थितियाँ सममित रहती हैं, ताकि किसी दुर्लभ वर्षा को कभी किसी दुर्लभ महोर्मि के साथ न जोड़ा जाए।
- (b) **संयुक्त स्थिति.** खंड 2.12(b) के लिए 1% AEP स्थिर जल स्तर परिशिष्ट 5A से लिया जाता है।
- (c) जब तक परिशिष्ट 5A प्रकाशित नहीं होता, तब तक दोनों मान INCOIS, IMD या NCCR के महोर्मि पश्च-अनुमानों (hindcasts) या प्रत्यावर्तन-स्तर विश्लेषणों (return-level analyses) का उपयोग करने वाले साइट-विशिष्ट अध्ययन से लिए जाएँगे। अध्ययन में उसका स्रोत, विधि और अभिलेख की अवधि बताई जाएगी।
- (d) जहाँ आउटफॉल बिना संरक्षित प्रवेश के खुले समुद्र की ओर हो, वहाँ लहर उत्थान (wave set-up) जोड़ा जाएगा।

5.7.4 **समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई.** SLA:

- (a) प्रत्येक तत्व के लिए न्यूनतम **+0.3 m** होगी;
- (b) 0.3 m से अधिक होगी जहाँ राज्य, JDA या प्राधिकारी योजना क्षेत्र के लिए कोई उच्चतर प्रक्षेपण अंगीकार करता है; और
- (c) तत्व की डिजाइन आयु के लिए आँकी जाएगी। 50 वर्ष से अधिक डिजाइन आयु वाले तत्वों के लिए, डिजाइनकर्ता SLA की दोगुनी समुद्र स्तर वृद्धि के प्रभाव की रिपोर्ट संवेदनशीलता रन के रूप में देगा।

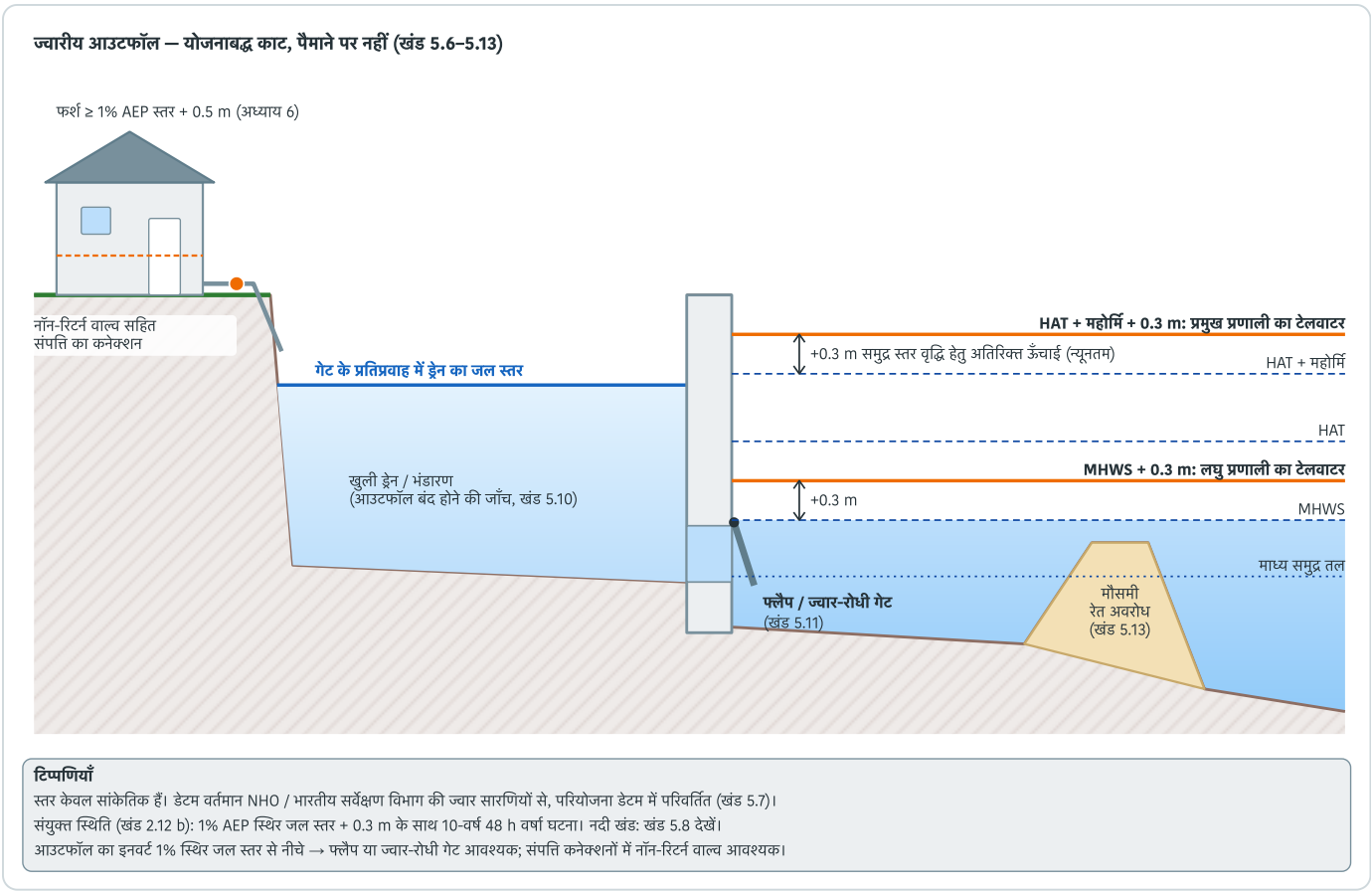

चित्र 5.2 — ज्वारीय आउटफॉल: फ्लैप गेट, संपत्ति का नॉन-रिटर्न वाल्व, और डिजाइन टेलवाटर स्तर (लघु प्रणाली के लिए MHWS + 0.3 m; प्रमुख प्रणाली के लिए HAT + महोर्मि + 0.3 m), मुख पर मौसमी रेत अवरोध के साथ। योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, MoHUA/CPHEEO Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), Part A, Table 6.2 की ज्वारीय टेलवाटर तालिका पर आधारित।

भाष्य. CPHEEO (2019) की Table 6.2 तटीय आउटफॉलों के लिए डिजाइन टेलवाटर इस प्रकार निर्धारित करती है:

- लघु वर्षा घटना (5 वर्ष में 1 बार से अधिक बार होने वाली) के लिए MHWN से MHWS;
- प्रमुख वर्षा घटना के लिए MHWS से HAT; और
- "जलवायु परिवर्तन का प्रभाव: अतिरिक्त 0.3 m" ("Effect of climate change: additional 0.3 m")।

CPHEEO यह भी कहता है कि वर्षा, ज्वार और महोर्मि की संयुक्त प्रायिकता पर, राज्य समुद्री बोर्ड से परामर्श करके, विचार किया "जाना चाहिए" ("should")। यह मैनुअल CPHEEO की प्रत्येक सीमा का ऊपरी छोर लेता है, प्रमुख प्रणाली के लिए महोर्मि जोड़ता है, और संयुक्त स्थिति को स्पष्ट बनाता है (खंड 2.12)। CPHEEO महोर्मि जोड़ने की अपेक्षा नहीं करता; यह मैनुअल इसे इसलिए जोड़ता है कि तटीय राज्यों के महोर्मि अभिलेखों ने दिखाया कि वहाँ इसकी आवश्यकता क्यों है; राजस्थान का कोई तट नहीं है, और राज्य में महोर्मि पद का प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय ज्वार सारणियाँ उन्नीसवीं शताब्दी से भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती रही हैं (Survey of India, Tidal Predictions)। वर्तमान भारतीय ज्वारीय पूर्वानुमान NHO की ज्वार सारणियों में भी आते हैं। एक बंदरगाह दस्तावेज वर्तमान संस्करण को 95 भारतीय बंदरगाहों को समाविष्ट करने वाला बताता है, जो NHO के प्रेक्षणों और नागरिक बंदरगाहों, NIO तथा INCOIS के आँकड़ों पर

आधारित है (Adani Ports, Dahej tide table 2025, NHO INP-12 का हवाला देते हुए)। INCOIS तटीय ज्वार गेज चलाता है और तूफानी महोर्मि तथा स्वेल-महोर्मि (swell-surge) की चेतावनियाँ जारी करता है। इनमें से किसी का भी उपयोग राजस्थान में डिजाइन के लिए नहीं होता, जिसका कोई तट नहीं है, और परिशिष्ट 5A राज्य के लिए तैयार नहीं किया गया है (खंड 5.1.4)।

5.8 नदी का पश्चजल

5.8.1 **यह कहाँ लागू होता है.** उन नदियों और नहरों में गिरने वाले आउटफॉलों का डिजाइन, जिनका जल स्तर किसी वर्षा घटना में आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर जा सकता है, नदी के पश्चजल (riverine backwater) को ध्यान में रखकर किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- **कोटा** में **गाँधी सागर**, **राणा प्रताप सागर** और **जवाहर सागर** डैमों और **कोटा बैराज** के नीचे **चंबल**, और नगर के वे नाले जो उसमें समाप्त होते हैं (खंड 5.8.3 और 5.8.5(b) और (d));
- **धौलपुर** में **चंबल** (खंड 5.8.5(b) और (d));
- **बीसलपुर** डैम के नीचे **टोंक** में **बनास**, **बालोतरा** में **लूणी**, **आबू रोड** में **पश्चिमी बनास** और **चित्तौड़गढ़** में **गंभीरी** (खंड 5.8.5(b));
- **जयपुर** की **द्रव्यवती** (पूर्व अमानीशाह नाला) और उसके नीचे **ढूँढ**, **जोधपुर** में **जोजरी** और **बाँडी**, **उदयपुर** में **आयड़** (आहड़), और **हनुमानगढ़** और **श्रीगंगानगर** में **घग्घर**, जिनके लिए कोई गेज स्तर नहीं मिला (खंड 5.8.5(b));
- **उदयपुर** में **पिछोला**, **स्वरूप सागर**, **फतह सागर** और **उदय सागर**, **अजमेर** में **आना सागर** और उसका एस्केप चैनल, **जोधपुर** में **कायलाना** और **तख्त सागर**, **जयपुर** में **मान सागर** (जल महल), और **कोटा बैराज** का जलाशय (pond), उनमें समाप्त होने वाले प्रत्येक नाले सहित (खंड 5.8.5(c));
- **WRD** की कोई ड्रेन या नहर, **इंदिरा गाँधी नहर** (IGNP) और उसकी वितरिकाएँ और एस्केप, और वर्षा जल प्राप्त करने वाली कोई सिंचाई या लिफ्ट नहर (खंड 5.8.5(f)); और
- अन्यत्र: परिशिष्ट 5B में सूचीबद्ध कोई नदी या WRD का चैनल।

5.8.2 **नदी का जल स्तर.** नदी का जल स्तर निम्नलिखित से लिया जाएगा:

- (a) उस नदी-भाग (reach) के लिए WRD के डिजाइन बाढ़ स्तर या अभिलिखित उच्चतम बाढ़ स्तर, जहाँ प्रकाशित हों; या
- (b) उस नदी-भाग का हाइड्रोलिक मॉडल (HEC-RAS या समतुल्य)। मॉडल में निम्नलिखित का उपयोग किया जाएगा:
    - हाइड्रोग्राफ विधि (अध्याय 3) से प्राप्त नदी की डिजाइन बाढ़, और जहाँ अध्याय 3 अपेक्षा करता है वहाँ सतत सिमुलेशन;
    - मुख पर खंड 5.7 की ज्वारीय सीमा-स्थिति; और
    - खंड 5.13 की रेत अवरोध स्थिति।

5.8.3 **जलाशय और तालाब से छोड़ा गया पानी.** जहाँ प्रतिप्रवाह की ओर कोई जलाशय या तालाब नदी में पानी छोड़ सकता है (उदाहरण के लिए कोटा और धौलपुर के ऊपर चंबल पर गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैम और कोटा बैराज, टोंक के ऊपर बनास पर बीसलपुर डैम, करौली में पाँचना डैम, अजमेर में आना सागर के एस्केप गेट, और उदयपुर की झीलों के बीच के गेट वाले संपर्क चैनल), वहाँ नदी के स्तर में जाँची जा रही वर्षा घटना के लिए जलाशय के प्रचालन नियम के अनुसार छोड़ा गया पानी सम्मिलित किया जाएगा। जहाँ कोई प्रकाशित नियम नहीं है, वहाँ उसमें अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़ा गया पानी सम्मिलित किया जाएगा।

5.8.4 **साइट की वर्षा घटना और नदी की बाढ़ का संयोग.** जब तक प्राधिकारी द्वारा कोई संयुक्त प्रायिकता अध्ययन स्वीकार नहीं किया जाता, तब तक निम्नलिखित में से अधिक गंभीर स्थिति निर्णायक होगी:

- (a) साइट की डिजाइन वर्षा घटना (अपेक्षित AEP), नदी अपने **10% AEP (10-वर्ष)** स्तर पर; और
- (b) साइट की **10% AEP** वर्षा घटना, नदी अपने डिजाइन-AEP स्तर पर (प्रमुख प्रणाली के लिए 1% AEP)।

प्रत्येक जोड़ी की दोनों वर्षा घटनाओं की अवधि और समय समान होगा, जहाँ वे एक ही वर्षा घटना से उत्पन्न होती हों।

5.8.5 **बिना आउटफॉल वाले जलग्रहण क्षेत्र, नदी से अवरुद्ध आउटफॉल, झील आउटफॉल और एस्केप गेट, डैमों से छोड़े गए पानी से संचालित नदियाँ, कोटा और धौलपुर में चंबल, और WRD के चैनलों और नहरों में निकास.**

- (a) **बिना आउटफॉल वाले जलग्रहण क्षेत्र.** जहाँ किसी साइट का, या उस जलग्रहण क्षेत्र का जिसमें उसका पानी जाता है, कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है (खंड 4.12.7), जैसे थार, शेखावाटी और नहर के कमान क्षेत्र के टीलों के बीच के गर्तों और नगर-स्थलों में, और सांभर बेसिन में:
    - कोई प्राप्तकर्ता जलाशय और कोई टेलवाटर नहीं है। आउटफॉल को पूरी वर्षा घटना के दौरान और उसके बाद भी बंद माना जाता है (खंड 5.9.4): भंडारण अपने अतिप्रवाह के स्तर से नीचे खंड 4.12.7(a) का 72-घंटे का डिजाइन आयतन रोकेगा, और उसे केवल अंतःस्यंदन, वाष्पीकरण या पुनः उपयोग द्वारा खंड 4.12.7(c) के समय के भीतर खाली किया जाएगा, और किसी ड्रेन, नाले या सड़क में गुरुत्व या पंप द्वारा निकास का कोई क्रेडिट नहीं दिया जाएगा;
    - जहाँ साइट का पानी किसी सार्वजनिक बेसिन में या किसी ऐसे बंद गर्त में जाता है जो अन्य भूमि का पानी भी प्राप्त करता है, वहाँ खंड 5.3 से 5.5 का अनुप्रवाह विश्लेषण उस बेसिन या गर्त पर समाप्त होगा, और 1% AEP 72-घंटे की वर्षा घटना में उसका अधिकतम जल स्तर, उसमें पानी भेजने वाले संपूर्ण क्षेत्र को उसके वर्तमान भूमि उपयोग पर रखकर, परियोजना सहित और परियोजना के बिना, रिपोर्ट करेगा; उसके चारों ओर के प्रत्येक भवन, सड़क और भूखंड पर खंड 5.5.1 लागू होता है। बेसिन या गर्त वर्षा घटना उस स्तर पर आरंभ करेगा जो 10% AEP 72-घंटे की वर्षा घटना उसमें उस वर्षा घटना के समाप्त होने के 7 दिन बाद छोड़ती है, या जहाँ उसके बाढ़ चिह्न या स्थानीय निकाय या कलक्टर के अभिलेख अधिक स्तर दर्शाएँ वहाँ उस अधिक स्तर पर (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित);
    - खंड 4.12.7(d) के अतिप्रवाह मार्ग को वहाँ तक अनुरेखित किया जाएगा जहाँ वह समाप्त होता है, उसके द्वारा पार की जाने वाली प्रत्येक सड़क और भूखंड पर उसकी गहराई और वेग के साथ, तालिका 6.3 की सीमाओं के भीतर; वह किसी पड़ोसी की भूमि पर या किसी अन्य जलग्रहण क्षेत्र में समाप्त नहीं होगा (खंड 4.12.7(e)), और पानी को किसी सड़क, पड़ोसी की भूमि या अन्य जलग्रहण क्षेत्र पर ले जाने वाला कोई पंप या पाइप आउटफॉल नहीं है; और
    - जहाँ गर्त कोई झील या आर्द्रभूमि है, जैसे सांभर झील (एक रामसर स्थल), वहाँ मद (c) भी लागू होता है, और उस मद की सम्मतियों के बिना उसमें कोई वर्षा जल नहीं छोड़ा जाएगा।
- (b) **नदी से अवरुद्ध आउटफॉल.** किसी नदी में सीधे, किसी किनारे (bank), घाट की दीवार या तटबंध में लगे गेट के माध्यम से या किसी पंपिंग स्टेशन के माध्यम से गिरने वाले आउटफॉल के लिए, या किसी ऐसी ड्रेन में गिरने वाले आउटफॉल के लिए जो स्वयं इनमें से किसी तरीके से पानी छोड़ती है, डिजाइनकर्ता प्रत्येक गेट और पंपिंग स्टेशन का प्रचालन करने वाले निकाय की पहचान करेगा, और प्रत्येक गेट की सिल, किनारे या दीवार का शिखर, स्थापित पंपिंग क्षमता और प्रचालन स्तर, जिनमें वह नदी स्तर सम्मिलित है जिस पर प्रत्येक गेट बंद किया जाता है, प्राप्त करेगा। प्रत्येक स्तर के साथ उसका डेटम और निकटतम CWC या WRD गेज के गेज डेटम से उसका संबंध बताया जाएगा।
    - **डिजाइन नदी स्तर.** प्रमुख प्रणाली की स्थितियों (खंड 5.8.4(b)) के लिए आउटफॉल पर खंड 5.8.2 का नदी स्तर **आउटफॉल पर 1% AEP नदी स्तर** होगा: किसी ऐसे बाढ़-आवृत्ति अध्ययन या डूब क्षेत्र सीमांकन का 100-वर्ष का स्तर जो आउटफॉल पर कोई स्तर देता हो, या खंड 5.8.2(b) के अंतर्गत हाइड्रोलिक मॉडल से प्राप्त स्तर, मद (d) के अनुसार डैमों से छोड़े गए पानी के साथ। यह स्तर किसी भी स्थिति में उसी नदी पर निकटतम CWC या WRD गेज के **अभिलिखित उच्चतम स्तर** से, जिसे आउटफॉल तक अंतरित किया गया हो, कम नहीं होगा। शोध के दौरान मिले उच्चतम स्तर (तालिका 5B.1), जो सितंबर 2019 के CWC बुलेटिनों और CWC की स्थल-सूची की 2022 की एक प्रति से हैं और जिनमें से कोई भी CWC के किसी स्थल-पत्रक (site sheet) में पढ़ा नहीं गया [TBC], ये हैं: कोटा सिटी पर चंबल **248.68 m** (16 सितंबर 2019) और धौलपुर पर **145.54 m** (23 अगस्त 1996; एक अन्य मान, 142.55 m, पढ़े गए CWC बुलेटिनों से समर्थित नहीं है), टोंक पर बनास **262.05 m** (9 सितंबर 1973), बालोतरा पर लूणी **108.755 m** (18 जुलाई 1979), आबू रोड पर पश्चिमी बनास **265.4 m** (31 अगस्त 1973) और चित्तौड़गढ़ पर गंभीरी **409.24 m** (24 जुलाई 1992)। जहाँ किसी बाद की बाढ़ ने सूचीबद्ध स्तर को पार कर लिया हो, वहाँ बाद का स्तर निर्णायक होगा। अभिलिखित स्तर को CWC और WRD के गेज अभिलेखों से, या मॉडल से, उस बाढ़ की जल सतह ढलान के साथ, जिसने वह स्तर बनाया, नदी के अनुदिश अंतरित किया जाएगा। जब तक इनमें से कोई उपलब्ध नहीं होता, तब तक प्रतिप्रवाह की ओर के निकटतम गेज का अभिलिखित स्तर आउटफॉल पर बिना परिवर्तन के लागू होता है, सिवाय इसके कि जहाँ आउटफॉल एक ही नदी पर दो गेजों के बीच हो, और उनके बीच कोई सहायक नदी न मिलती हो, वहाँ स्तर को दोनों गेजों के अभिलिखित उच्चतम स्तरों के बीच नदी की

दूरी के अनुसार रैखिक रूप से अंतर्वेशित (interpolate) किया जा सकता है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। कोटा सिटी का गेज कोटा बैराज के नीचे की चंबल पर लागू होता है; बैराज के ऊपर के जलाशय (pond) में गिरने वाला आउटफॉल मद (c) का जलाशय स्तर लेता है, और प्रत्येक आउटफॉल के सापेक्ष गेज की स्थिति की पुष्टि CWC से की जानी है [TBC]। **द्रव्यवती, जोजरी या बाँडी, उदयपुर में आयड़, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर में घग्घर, या राज्य के बंद बेसिनों की किसी भी नदी के लिए कोई खतरे का स्तर या उच्चतम बाढ़ स्तर नहीं मिला** [TBC]। द्रव्यवती को 100-वर्ष की बाढ़ पार कराने के लिए डिजाइन किया गया था, किंतु न उसका डिजाइन प्रवाह मिला और न उसके डिजाइन जल स्तर (JDA, द्रव्यवती EIA) [TBC]। ऐसे नदी-भाग पर, और अपने नदी-भाग के हर गेज के प्रतिप्रवाह की ओर स्थित किसी आउटफॉल के लिए, नदी स्तर निम्नलिखित में से अधिक होगा: खंड 5.8.2(b) के अंतर्गत मॉडल से प्राप्त स्तर, या जहाँ JDA द्रव्यवती के लिए 100-वर्ष की बाढ़ का अपना डिजाइन जल-सतह प्रोफाइल उपलब्ध कराए वहाँ वह प्रोफाइल, और बाढ़ चिह्नों से तथा स्थानीय निकाय, WRD या कलक्टर के अभिलेखों से आउटफॉल पर सर्वेक्षित उच्चतम बाढ़ स्तर, जिसका स्रोत बताया जाएगा; ऐसे नदी-भाग पर इनमें से किसी एक के बिना कोई आउटफॉल डिजाइन नहीं किया जाएगा (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। जिन स्थितियों में नदी अपने 10% AEP स्तर पर है (खंड 5.8.4(a)), उनके लिए स्तर उसी मॉडल से या गेज अभिलेख के आवृत्ति विश्लेषण से लिया जाएगा, और निकटतम गेज पर **खतरे के स्तर** से, जिसे उसी प्रकार अंतरित किया गया हो, कम नहीं होगा: कोटा सिटी पर **242 m** (2019 के CWC बुलेटिन में 240 m; 2022 से 242 m), धौलपुर पर **130.79 m** (2019 में 129.79 m), टोंक पर **262.8 m**, आबू रोड पर **259 m** और चित्तौड़गढ़ पर **407.9 m** (सभी इस मैनुअल द्वारा निर्धारित, CWC से [TBC])। जहाँ खतरे का स्तर अभिलिखित उच्चतम स्तर से ऊँचा है, जैसे टोंक पर, वहाँ इस मद का डिजाइन नदी स्तर खतरे के स्तर से कम नहीं होगा (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। जहाँ कोई खतरे का स्तर नहीं मिला है, जैसे बालोतरा पर, वहाँ 10% AEP स्थिति में, जब तक कोई आवृत्ति विश्लेषण स्वीकार नहीं किया जाता, इस मद के डिजाइन नदी स्तर का उपयोग किया जाएगा (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। प्रत्येक स्तर के डेटम की पुष्टि प्रत्येक गेज के लिए की जानी है [TBC]।
    - **टेलवाटर.** आउटफॉल पर टेलवाटर निम्नलिखित में से अधिक होगा: गेट, किनारे या दीवार के उस पार का वह नदी स्तर, और उसके पीछे की ड्रेन का अधिकतम स्तर, जिसकी गणना ड्रेन को एक बंद भंडारण मानकर तब तक रूटिंग द्वारा की जाएगी जब तक नदी उसके पीछे के स्तर से ऊपर रहती है, जिसमें उसमें जल निकासी करने वाले संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र का अंतर्वाह, उसकी वर्तमान स्थिति में सर्वेक्षित भंडारण, गाद, रेत, अतिक्रमण और वनस्पति को घटाकर, और बहिर्वाह के रूप में वह पंपिंग क्षमता ली जाएगी जिसके बारे में संचालक लिखित रूप में पुष्टि करे कि वह वर्षा घटना में उपलब्ध है, और जो किसी भी स्थिति में स्थायी पंपों की स्थापित क्षमता घटा सबसे बड़े पंप की क्षमता से अधिक नहीं होगी (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित), और गेट से गुरुत्व निकास केवल तब तक लिया जाएगा जब तक नदी उसके पीछे के स्तर से नीचे हो। पंप इस मद के डिजाइन नदी स्तर के विरुद्ध पानी देंगे, और प्रत्येक पंप, पैनल और नियंत्रण नदी के उस स्तर पर होने पर भी प्रचालन योग्य बना रहेगा (खंड 5.12.5)।
    - **नदी अवरोध.** किसी घटना के लिए लाए गए पोर्टेबल जल-निष्कासन पंप, और वह क्षमता जो संस्वीकृत या प्रस्तावित है किंतु चालू नहीं की गई है, नहीं गिनी जाएगी। खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच एक ही अवरोध के साथ लागू होती है, जो तब तक रहता है जब तक नदी आउटफॉल के इनवर्ट से, या यदि उस स्तर से नीचा हो तो उस स्तर से जिस पर उसका गेट बंद किया जाता है, ऊपर रहती है, जिसे नदी मॉडल से, या उस बाढ़ में जिसने अभिलिखित उच्चतम स्तर बनाया (कोटा सिटी पर 2019; धौलपुर पर 1996; टोंक और आबू रोड पर 1973; बालोतरा पर 1979; चित्तौड़गढ़ पर 1992) या किसी तुलनीय बाढ़ में निकटतम CWC या WRD गेज के जल स्तर अभिलेख से, मद (d) के अनुसार डैमों से छोड़े गए पानी के साथ, लिया जाएगा, और जो **72 घंटे से कम नहीं** होगा, और जो खंड 5.10.2 की 48 और 72 घंटे की वर्षा घटनाओं को पूरी तरह समाविष्ट करेगा, ताकि भंडारण और पंपिंग वर्षा घटना का पूरा आयतन संभाल सकें (खंड 5.9.4) और अवरोध समाप्त होने तक पंपिंग द्वारा खंड 5.10.5 के जल स्तर घटाने की अपेक्षा पूरी हो (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। कम अवधि का अवरोध केवल वहीं लिया जा सकता है जहाँ आउटफॉल का इनवर्ट इस मद के 1% AEP नदी स्तर से ऊपर हो, या जहाँ खंड 5.10.6 के अंतर्गत गेज विश्लेषण, ऊपर के डैमों से छोड़े गए पानी सहित, ऐसा दर्शाता हो और प्राधिकारी उसका अनुमोदन करे। किसी गेट, किनारे, घाट की दीवार या तटबंध के पीछे के फर्श स्तरों और पंप द्वारा संचालित आउटफॉलों की जाँच गेट के विफल होने और किनारे या दीवार के टूटने की स्थिति के लिए भी की जाएगी, जिसमें उसके पीछे की भूमि और ड्रेनें उसके उस पार के नदी स्तर तक भरी मानी जाएँ।
- (c) **झील आउटफॉल और एस्केप गेट.** किसी झील, सागर (sagar) या तालाब (talab) में, सीधे या उसमें समाप्त होने वाले किसी नाले के माध्यम से, गिरने वाले आउटफॉल के लिए, जैसे उदयपुर में पिछोला, स्वरूप सागर, फतह सागर और उदय सागर, अजमेर में आना सागर,

जोधपुर में कायलाना और तख्त सागर, जयपुर में मान सागर (जल महल), और कोटा बैराज का जलाशय (pond):

- **सम्मति.** किसी झील में उसके अभिरक्षक (custodian), अर्थात उसे धारण करने और उसका प्रचालन करने वाले निकाय, की लिखित सम्मति के बिना वर्षा जल नहीं छोड़ा जाएगा: अपने जलाशयों और कोटा बैराज के लिए WRD, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 68 के अंतर्गत नगरपालिका में निहित किसी तालाब के लिए नगरपालिका, या राज्य सरकार द्वारा नामित कोई अन्य अभिरक्षक (शोध के दौरान उदयपुर की प्रत्येक झील के, आना सागर और उसके एस्केप गेटों के, और कायलाना और तख्त सागर के अभिरक्षक की पुष्टि नहीं हुई [TBC])। जहाँ झील राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत झील है, वहाँ झील की सीमाओं या संरक्षित क्षेत्र के भीतर झील विकास प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई भी अनुमति भी प्राप्त की जाएगी; जहाँ वह कोई रामसर स्थल (सांभर, केवलादेव, मेनार या खीचन) या अधिसूचित आर्द्रभूमि है, वहाँ राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई भी अनुमति प्राप्त की जाएगी, और आर्द्रभूमियों और उनके जलग्रहण क्षेत्रों पर उच्च न्यायालय के अंतरिम निर्देश (1 जून 2026 का आदेश) लागू होते हैं (अध्याय 7)। कायलाना और तख्त सागर राजीव गाँधी लिफ्ट नहर से पोषित हैं (NIH, 2025), और उनमें से किसी में भी आउटफॉल के लिए पानी के आयतन के साथ-साथ उसकी गुणवत्ता पर भी अभिरक्षक की लिखित सम्मति आवश्यक है। शुष्क मौसम प्रवाह ले जाने वाले आउटफॉल का निपटारा खंड 8.9 के अंतर्गत किया जाता है।
- **डिजाइन झील स्तर.** प्रमुख प्रणाली और भंडारण की स्थितियों के लिए टेलवाटर झील का **अधिकतम जल स्तर (MWL)** होगा, जैसा WRD या अभिरक्षक उसे प्रकाशित करे, या, जहाँ केवल पूर्ण जल स्तर (FTL) प्रकाशित हो, वहाँ **FTL जमा झील की डिजाइन बाढ़ में सरचार्ज (surcharge)**, जिसकी गणना उसके स्पिलवे, वियर, एस्केप चैनल और गेटों की रेटिंग से की जाएगी, और गेटों का प्रचालन केवल वैसा ही माना जाएगा जैसा अभिरक्षक का लिखित नियम प्रावधान करता है। जहाँ न MWL और न सरचार्ज प्रकाशित हुआ है, वहाँ टेलवाटर **FTL + 0.5 m** है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित) [TBC]। प्रत्येक स्थिति में यह झील पर अभिलिखित उच्चतम स्तर से कम नहीं होगा (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। लघु प्रणाली का टेलवाटर FTL है, या, यदि अधिक हो, वह स्तर जिस पर अभिरक्षक का नियम गेट खोलता है। परियोजना का निकास झील के स्तर में सम्मिलित किया जाएगा (खंड 5.3.2 और 5.12.3)।
- **केवल गेज पाठ्यांकों के रूप में ज्ञात स्तर.** उदयपुर की झीलों और आना सागर के पूर्ण स्तर केवल प्रत्येक झील के अपने गेज पर पाठ्यांकों के रूप में ज्ञात हैं, ऐसे गेज शून्य से ऊपर फुट में जिसका स्तर नहीं मिला: पिछोला 11 ft, फतह सागर 13 ft (एक अन्य रिपोर्ट में 14 ft), उदय सागर 24 ft और आना सागर 13 ft, और जुलाई 2025 में आना सागर के एस्केप गेट खोले जाने से पहले वहाँ 15 ft 11 इंच तक के पाठ्यांक बताए गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इसलिए मीटर में उनका FTL [TBC] है। ऐसी किसी झील में आउटफॉल के लिए, डिजाइनकर्ता समतलन (levelling) द्वारा गेज के शून्य को परियोजना डेटम और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के किसी बेंचमार्क से जोड़ेगा, पूर्ण गेज पाठ्यांक और अभिलिखित उच्चतम पाठ्यांक की अभिरक्षक से पुष्टि के साथ, और इस संबंध (tie) को प्रपत्र 5-1 पर बताएगा; उस संबंध के बिना ऐसी किसी झील में कोई आउटफॉल डिजाइन नहीं किया जाएगा (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। जहाँ दो पूर्ण पाठ्यांक बताए गए हैं, वहाँ अभिरक्षक द्वारा स्तर की पुष्टि किए जाने तक उच्चतर लागू होता है (फतह सागर 14 ft)। आना सागर पर अभिलिखित उच्चतम पाठ्यांक (15 ft 11 इंच, प्रकाशित खबरों के अनुसार) FTL + 0.5 m से ऊपर है, इसलिए कोई सरचार्ज प्रकाशित होने तक वही निर्णायक है।
- **मीटर में प्रकाशित स्तर.** कायलाना का FRL **273.7 m** और तख्त सागर का **269.75 m** है, MSL से ऊपर (NIH, 2025), इसलिए जहाँ कोई MWL प्रकाशित नहीं है वहाँ उनका झील टेलवाटर **274.2 m** और **270.25 m** है। कोटा बैराज के जलाशय (pond) का FRL **260.3 m** है और CWC की दो सूचियों में MWL 260.9 m या 261.2 m है; WRD की पुष्टि तक **261.2 m** लागू होता है [TBC]। मान सागर, स्वरूप सागर या रामगढ़ के लिए कोई FTL नहीं मिला [TBC]।
- **उदयपुर की शृंखला.** शृंखला की प्रत्येक झील की रूटिंग उसी वर्षा घटना में उसके ऊपर की झीलों के बहिर्वाह के साथ की जाएगी: बड़ा मदार (Bada Madar) से फतह सागर, पिछोला और फतह सागर से आयड़, और आयड़ से उदय सागर, और पिछोला और फतह सागर के बीच का गेट, प्रकाशित खबरों के अनुसार, फतह सागर के अपने गेज पर 11 ft तक पहुँचते ही बंद माना जाएगा, जब तक कि अभिरक्षक का लिखित नियम अन्यथा न कहे (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)।
- **बंद आउटफॉल.** जहाँ आउटफॉल का इनवर्ट इस मद के डिजाइन झील स्तर से नीचे है, वहाँ आउटफॉल को पूरी वर्षा घटना के लिए बंद माना जाएगा (खंड 5.9.4), और भंडारण और पंपिंग वर्षा घटना का पूरा आयतन संभालेंगे, जब तक कि अभिरक्षक का जल स्तर अभिलेख तुलनीय वर्षा घटनाओं के आरंभ में झील को इनवर्ट से नीचे न दर्शाए और प्राधिकारी उसे स्वीकार न करे। झील प्रत्येक

डिजाइन वर्षा घटना FTL पर, या अपने पूर्ण गेज पाठ्यांक पर, आरंभ करती है (खंड 7.7.3)। वर्षा घटना से पहले झील को नीचा करना, और गेटों का जल्दी या अतिरिक्त खोला जाना, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक अभिरक्षक का लिखित प्रचालन नियम और अभिलेख उसे न दर्शाएँ।

    - **गेटों के नीचे.** किसी झील के गेटों, वियर या एस्केप के नीचे के चैनल में गिरने वाला आउटफॉल, जैसे आना सागर का एस्केप चैनल, पिछोला और फतह सागर के नीचे आयड़, और कोटा बैराज के नीचे चंबल, मद (b) का नदी या चैनल स्तर लेगा, जिसमें उसके ऊपर के गेटों से खंड 5.8.3 के अनुसार छोड़ा गया पानी, अभिरक्षक द्वारा बताए गए अभिलिखित सबसे बड़े गेट-खुलाव पर (प्रकाशित खबरों के अनुसार: जुलाई 2025 में आना सागर के एस्केप गेट 30 इंच खोले गए; सितंबर 2019 में कोटा बैराज के 19 में से 18 या सभी 19 गेट), मद (d) के अंतर्गत नगर पर डिजाइन वर्षा घटना के साथ संयोगी रूप से, सम्मिलित होगा। किसी डैम, गेट वाली झील या एस्केप के नीचे के फर्श स्तरों और पंप द्वारा संचालित आउटफॉलों की जाँच किसी गेट के खुला रहकर विफल होने से छोड़े गए पानी के लिए भी की जाएगी।

- (d) **डैमों से छोड़े गए पानी से संचालित नदियाँ.** किसी डैम या गेट वाली झील के नीचे की किसी नदी में गिरने वाले आउटफॉल के लिए, जैसे गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैमों और कोटा बैराज के नीचे कोटा और धौलपुर में चंबल, बीसलपुर डैम के नीचे टोंक में बनास, और आना सागर का एस्केप चैनल:
    - खंड 5.8.4 की स्थितियों के अतिरिक्त, साइट की डिजाइन वर्षा घटना (प्रत्येक अपेक्षित AEP) नदी को उस स्तर पर रखकर चलाई जाएगी जो ऊपर के डैमों से अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़े गए पानी से बनता है, उनके नीचे के जलग्रहण क्षेत्र के उसी घटना में घटित प्रवाह के साथ (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित), जब तक WRD कोई प्रचालन नियम प्रकाशित नहीं करता [TBC]। प्रकाशित खबरों के अनुसार, सितंबर 2019 में कोटा बैराज ने 4.42 लाख क्यूसेक (CWC, 14 सितंबर 2019) से 7.9 लाख क्यूसेक (लगभग 22,400 m^3/s) के बीच पानी छोड़ा; WRD द्वारा अभिलेख दिए जाने तक उच्चतर मान लागू होता है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। प्रत्येक डैम से अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़ा गया पानी WRD से प्राप्त किया जाएगा और बताया जाएगा [TBC];
    - नदी स्तर को इस आधार पर कम नहीं किया जाएगा कि बाढ़ नगर के बाहर या राज्य के बाहर होने वाली वर्षा से आती है या साइट की वर्षा घटना छोटी है, और छोड़े गए पानी को साइट की वर्षा घटना से पहले, उसके दौरान और उसके बाद रखा जाएगा;
    - कोटा में बैराज के नीचे चंबल में गिरने वाला आउटफॉल मद (b) का स्तर लेगा, जो आउटफॉल तक अंतरित कोटा सिटी गेज पर 248.68 m से कम नहीं होगा, और जिसमें चारों डैमों से छोड़ा गया पानी सम्मिलित होगा; और
    - धौलपुर में आउटफॉल मद (b) का स्तर लेगा, जो आउटफॉल तक अंतरित धौलपुर गेज पर 145.54 m से कम नहीं होगा।
- (e) **WRD की सम्मति; उच्च बाढ़ रेखा; न्यायालयों की रेखाएँ.** WRD की सम्मति के बिना किसी नदी के, या WRD के किसी जलाशय या नहर के, तल, किनारे या डूब क्षेत्र में कोई आउटफॉल संरचना, गेट, पंपिंग स्टेशन या ड्रेन नहीं बनाई जाएगी; शोध के दौरान उस सम्मति की प्रक्रिया नहीं मिली [TBC]।
    - **राज्य की उच्च बाढ़ रेखा.** उच्चतम न्यायालय ने राज्य को राज्य की सभी नदी प्रणालियों के लिए उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और एक पारिस्थितिक बफर जोन निर्धारित और सीमांकित करने का, और जब तक यह न हो जाए, चिह्नित नदी गलियारों के भीतर औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय विकास को सुगम बनाने वाली कोई नई अनुमति न देने का निर्देश दिया है (*In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*, 7 अगस्त 2026 का आदेश)। डिजाइनकर्ता बताएगा कि आउटफॉल किसी चिह्नित नदी गलियारे में स्थित है या नहीं, और उस नदी-भाग के लिए उच्च बाढ़ रेखा का सीमांकन हुआ है या नहीं। जहाँ हुआ है, वहाँ मद (b) का डिजाइन नदी स्तर आउटफॉल पर उच्च बाढ़ रेखा के स्तर से कम नहीं होगा, और उच्च बाढ़ रेखा को मद (b) के 1% AEP स्तर के रूप में केवल वहीं लिया जा सकता है जहाँ उसे तैयार करने वाला अध्ययन उसकी पुनरावृत्ति अवधि 100 वर्ष या उससे दुर्लभ बताता हो; आदेश में पुनरावृत्ति अवधि नहीं बताई गई है [TBC] (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)।
    - **न्यायालयों की रेखाएँ.** डिजाइनकर्ता आउटफॉल की जाँच उन रेखाओं के विरुद्ध भी करेगा जो न्यायालयों ने निर्धारित की हैं या कर रहे हैं, जैसी वे डिजाइन के समय हों (अध्याय 7): जोजरी के किनारे से 100 m, और उसकी बाढ़ रेखा या प्रवाह मार्ग से खतरनाक उद्योगों के लिए 500 m (उच्चतम न्यायालय, 24 अगस्त 2026 का अंतरिम आदेश, प्रकाशित खबरों के अनुसार); उदयपुर की झीलों के चारों ओर का निर्माण-निषिद्ध जोन (17 जनवरी 1997 की अधिसूचना; उदय सागर के चारों ओर उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 m, प्रकाशित खबरों के अनुसार) और फतह सागर के जलग्रहण क्षेत्र और उदयपुर की झीलों पर उच्च न्यायालय के 2025 और 2026 के निर्देश (प्रकाशित खबरों के अनुसार); आना सागर आर्द्रभूमि से संरचनाओं को हटाया जाना (NGT, 2023; उच्चतम न्यायालय, 2023–

2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार); रामगढ़ बाँध का जलग्रहण क्षेत्र (*Abdul Rahman*, 2004; स्वतः संज्ञान, 2011 और 2012; उच्चतम न्यायालय, 2017); और गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि (*Ramji Lal Saini*, 2026)। प्रत्येक रेखा के भीतर ड्रेन आउटफॉल अनुमत है या नहीं, इसकी पुष्टि डिजाइन से पहले संबंधित प्राधिकारी से की जानी है [TBC]।

- (f) **WRD के चैनल, नहरें और नहर एस्केप, और अन्य निकायों के नाले.** WRD की किसी ड्रेन या नहर में, इंदिरा गाँधी नहर (IGNP), उसकी वितरिकाओं, उसके एस्केप या किसी अन्य सिंचाई या लिफ्ट नहर में, या RIICO या किसी अन्य स्वामी की ड्रेन में, WRD या चैनल के स्वामी की लिखित सम्मति के बिना वर्षा जल नहीं छोड़ा जाएगा। कोई आपूर्ति नहर या लिफ्ट नहर जल निकासी आउटफॉल नहीं है, और IGNP का एस्केप नहर के पानी के लिए आउटलेट है, वर्षा जल के लिए नहीं, जब तक WRD लिखित रूप में सम्मति न दे (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। जहाँ सम्मति दी जाती है:
    - निकास सम्मति द्वारा अनुमत दर से अधिक नहीं होगा;
    - टेलवाटर निम्नलिखित में से अधिक है: WRD या स्वामी द्वारा बताया गया चैनल का डिजाइन जल स्तर, और खंड 5.8.4 की संयोगी स्थिति में उसका स्तर, जिसकी गणना उसके द्वारा प्राप्त समस्त वर्षा जल से, जिसमें अन्य निकायों के नाले सम्मिलित हैं, और मद (b) और (c) के नदी या झील स्तर पर उसकी अनुप्रवाह सीमा रखकर की जाएगी; जब तक किसी चैनल के लिए डिजाइन जल स्तर प्रकाशित नहीं होता, तब तक परिकलित स्तर निर्णायक होगा [TBC];
    - चैनल को उसकी वर्तमान स्थिति में, गाद, रेत, अतिक्रमण और पार करने वाली सेवाओं द्वारा अवरोध को घटाकर, लिया जाएगा, और कोई चौड़ीकरण, लाइनिंग, पुनर्निर्माण या मार्ग परिवर्तन जो प्रस्तावित है किंतु पूरा नहीं हुआ है, नहीं गिना जाएगा; और
    - जहाँ डिजाइन जल स्तर या परिकलित स्तर आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर हो, वहाँ आउटफॉल पर फ्लैप गेट (खंड 5.11) होगा।

जल निकासी में सहायक किसी पंप, गेट, स्लूइस या डैम प्रचालन को, जैसे वर्षा घटना से पहले किसी ड्रेन को पंप करके खाली करना, वर्षा घटना से पहले किसी झील को नीचा करना, किसी गेट को देर से बंद करना या डैम के गेट जल्दी खोलना, तब तक नहीं माना जाएगा जब तक संचालक के लिखित अभिलेख उसे न दर्शाएँ। जहाँ आउटफॉल का इनवर्ट इस खंड के टेलवाटर से नीचे है, वहाँ आउटफॉल का अपना फ्लैप गेट (खंड 5.11) होगा और, जहाँ आउटफॉल-बंद जाँच अपेक्षा करती है, पंपिंग (खंड 5.12) होगी, और पंप किया गया आयतन ड्रेन, झील या नदी की रूटिंग में सम्मिलित किया जाएगा (खंड 5.12.3)। पंपिंग का उपयोग बिना आउटफॉल वाले जलग्रहण क्षेत्र (मद (a)) से पानी बाहर ले जाने के लिए नहीं किया जाएगा।

> **भाष्य.** बड़े महाद्वीपीय नदी बेसिनों में, साइट की वर्षा घटना और नदी की बाढ़ को सामान्यतः लगभग स्वतंत्र माना जाता है। FHWA HEC-22 Table 7.3 जैसी संयोगी आवृत्तियों की तालिकाओं का यही आधार है। राजस्थान की नदियाँ इस धारणा को तोड़ती हैं, क्योंकि डैम मानसून के किसी दौर की पहली वर्षा को संगृहीत करता है और तब पानी छोड़ता है जब वह पहले से भरा होता है, उसी समय जब वही दौर नीचे के नगर पर बरस रहा होता है, और क्योंकि राज्य की सबसे बड़ी वर्षा घटनाएँ धीमी गति से चलने वाली मानसून प्रणालियाँ हैं जो नगर और उसकी नदी पर एक साथ बरसती हैं। सितंबर 2019 की कोटा की बाढ़ चंबल के डैमों से छोड़े गए पानी से आई, जब उसी मानसून दौर ने उन्हें भर दिया था (SANDRP, 2019)। 19 जुलाई 1981 की जयपुर की वर्षा घटना ने, जब एक दिन में जयपुर में 326.0 mm और कानोता में 589.2 mm वर्षा हुई (IMD), 20 जुलाई को बरनवाड़ा (Baranwada) पर बनास को उसके अभिलिखित उच्चतम स्तर, 202.865 m, तक चढ़ा दिया (CWC सूची, SANDRP द्वारा प्रतिलिपित रूप में)। आबू रोड पर पश्चिमी बनास का उच्चतम स्तर, 265.4 m, 31 अगस्त 1973 को उस वर्षा घटना में बना जिसने 1 सितंबर को पिंडवाड़ा में 635.0 mm वर्षा दी (IMD)। दोनों को स्वतंत्र नहीं माना जा सकता, और स्थानीय वर्षा घटना छोड़े गए पानी से पहले, उसके दौरान या उसके बाद हो सकती है। इसलिए खंड 5.8.4 एक ओर की डिजाइन घटना को दूसरी ओर की 10-वर्ष की घटना के साथ जोड़ता है, उसी प्रकार जैसे खंड 2.12(b)। इस जोड़ी का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। यह स्वतंत्रता की धारणा से प्राप्त परिणाम की तुलना में अधिक गंभीर है।
>
> खंड 5.8.3 राज्य के नगरों के ऊपर के डैमों को दर्शाता है। चंबल चार डैमों की एक शृंखला के नीचे से कोटा पहुँचती है: मध्य प्रदेश में गाँधी सागर (जलाशय का पूर्ण जल स्तर लगभग 399.9 m, अधिकतम जल स्तर 401 m), राणा प्रताप सागर (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 352.8 m, अधिकतम जल स्तर 354.18 m), जवाहर सागर, और कोटा बैराज (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 260.3 m; अधिकतम जल स्तर 2019 के CWC बुलेटिन में 260.9 m और CWC सूची की 2022 की एक प्रति में 261.2 m) (CWC; SANDRP, 2022); बैराज में 19 रेडियल गेट हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। सितंबर 2019 में, जब गाँधी सागर के गेट देर से खोले जाने की खबर थी (SANDRP, 2019) और 13–14 सितंबर को कोटा बैराज पर 12 से 19 गेट खोले गए, 14 सितंबर को बैराज से लगभग 4.42 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबर थी

(CWC की दैनिक रिपोर्ट, केवल खोज सारांश के रूप में देखी गई), और उसके बाद के दिनों में 18 गेटों से 6.5 लाख क्यूसेक, 19 गेटों से 6.93 लाख क्यूसेक या 7.9 लाख क्यूसेक (प्रकाशित खबरों के अनुसार); केवल उद्धरण-अंश के रूप में देखा गया एक सरकारी दस्तावेज 7.2 लाख क्यूसेक और 24,953 m^3/s का संशोधित डिजाइन स्पिलवे प्रवाह देता है, और उसका उपयोग नहीं किया गया है [TBC]। इसके बाद चंबल धौलपुर तक बहती है, जहाँ उसका अभिलिखित उच्चतम स्तर, 145.54 m, 23 अगस्त 1996 को बना (CWC)। बनास पर टोंक के ऊपर बीसलपुर डैम (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 315.5 m, CWC) है। पाँचना डैम (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 258.62 m, सूची के अनुसार) भरतपुर की ओर पानी छोड़ता है, जहाँ उसका पानी अजान बाँध (Ajan bund) से होकर केवलादेव तक पहुँचने की खबर है। नगरों में आना सागर को चार एस्केप गेटों द्वारा पूर्ण गेज स्तर पर रखा जाता है, और उदयपुर की झीलें गेट वाले चैनलों से जुड़ी हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। शोध के दौरान इनमें से किसी भी डैम या गेट के लिए कोई प्रचालन नियम या छोड़े गए पानी का अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ, और राज्य के किसी भी गेज का CWC का प्रति घंटा जल स्तर अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ [TBC]। जब तक ये प्राप्त नहीं होते, तब तक अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़ा गया पानी, डैम के नीचे के जलग्रहण क्षेत्र के उसी घटना में घटित प्रवाह के साथ, लागू होता है (खंड 5.8.5(d))। इस मैनुअल में प्रयुक्त स्तर 16 और 17 सितंबर 2019 के CWC बुलेटिनों से, जो संग्रहीत प्रतियों के माध्यम से पढ़े गए, बाद के बुलेटिनों के खोज सारांशों से और CWC स्थल-सूची की 2022 की एक प्रति (SANDRP) से हैं; उनके डेटम और गेज शून्य (gauge zero) की पुष्टि CWC से की जानी है [TBC]।

खंड 5.8.5 इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। राजस्थान में नगर के किसी आउटफॉल पर टेलवाटर ज्वार द्वारा नहीं, बल्कि गेटों या एस्केप चैनल द्वारा पूर्ण गेज स्तर पर रखी गई किसी झील द्वारा, ऊपर के डैमों से छोड़े गए पानी से ऊँची रखी गई किसी नदी द्वारा, या, पश्चिम और उत्तर के बड़े भाग में, किसी के भी द्वारा नहीं, निर्धारित होता है, क्योंकि वहाँ भूमि का कोई आउटफॉल ही नहीं है। शोध के दौरान मिला कोई भी दस्तावेज इनमें से किसी के लिए डिजाइन स्तर नहीं देता। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 अपेक्षा करता है कि किसी भवन की ड्रेन किसी नगरपालिका ड्रेन में या पचास फुट के भीतर अलग रखे गए किसी स्थान में, अन्यथा किसी मलकूप (cess-pool) में खाली हो (धारा 202(2), तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़े गए रूप में), किंतु यह नहीं बताता कि किस स्तर के विरुद्ध। राज्य का कोई डूब क्षेत्र जोनिंग कानून या WRD का आदेश नहीं मिला, और किसी शहरी चैनल के लिए प्रकाशित एकमात्र डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि द्रव्यवती की 100-वर्ष की बाढ़ है।

पहली स्थिति बिना आउटफॉल वाले जलग्रहण क्षेत्र की है। राज्य का लगभग 60% भाग भीतर की ओर बहता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर के बड़े भाग की कोई निर्धारित जल निकासी नहीं है, बीकानेर के पास IGNP के कमान क्षेत्र में कोई प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली ही न होने की खबर है, और सांभर की खारी झील लगभग 5,500–5,700 km^2 के एक बंद बेसिन का अंतिम छोर है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। ऐसे जलग्रहण क्षेत्र में निर्णायक विफलता 1-घंटे के चरम की नहीं, कई दिनों की वर्षा घटना के आयतन की होती है: अगस्त 2006 में बाड़मेर पर लगभग 277 mm के वार्षिक सामान्य के मुकाबले 3 दिनों में लगभग 577 mm वर्षा हुई, और कवास में पानी महीनों तक खड़ा रहा (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इसलिए मद (a) खंड 4.12.7 का 72-घंटे का डिजाइन आयतन लागू करता है, आउटफॉल को पूरी वर्षा घटना के दौरान और उसके बाद भी बंद मानता है, और अतिप्रवाह मार्ग को सार्वजनिक भूमि पर समाप्त कराता है, क्योंकि बंद गर्त में पानी भेजने वाली साइट या तो अपना पानी भंडारित करती है या उसे किसी और की भूमि पर डालती है। किसी साझा बेसिन या गर्त का प्रारंभिक स्तर, अर्थात एक सप्ताह पहले की 10-वर्ष की 72-घंटे की वर्षा घटना द्वारा छोड़ा गया स्तर, इस मैनुअल द्वारा इसलिए निर्धारित किया गया है कि किसी पहले के दौर का पानी पहले से रखने वाले गर्त को खाली न मान लिया जाए; इसे गर्त के अपने बाढ़ चिह्नों और अभिलेखों से प्रतिस्थापित किया जाना है।

दूसरी स्थिति झील की है। राज्य के कई नगर झीलों के आसपास बसे हैं: उदयपुर पिछोला, फतह सागर और उदय सागर के आसपास, अजमेर आना सागर के आसपास, जोधपुर कायलाना और तख्त सागर के साथ, और जयपुर मान सागर (जल महल) के साथ। अपने पूर्ण स्तर पर पहुँची झील शेष मानसून में नीचे नहीं उतरती; वह अपना अंतर्वाह किसी वियर के ऊपर से या अपने गेटों या एस्केप से होकर आगे भेजती है, और उसका स्तर FTL से उतना ऊपर उठता है जितने शीर्ष (head) की बाढ़ को आवश्यकता हो। आना सागर को उसके एस्केप गेट खोलकर उसके गेज पर 13 ft पर रखा जाता है, किंतु गेट खोले जाने से पहले 14 ft से 15 ft 11 इंच तक के पाठ्यांक बताए गए हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और फतह सागर को रेत की बोरियों से उसके डिजाइन पूर्ण स्तर से 20–25 cm ऊपर रखे जाने की खबर है (India Water Portal, 2010)। इसलिए मद (c) MWL को, या FTL जमा डिजाइन बाढ़ के सरचार्ज को, और अभिलिखित उच्चतम स्तर से कम नहीं, टेलवाटर के रूप में लेता है, और उससे नीचे के आउटफॉल को पूरी वर्षा घटना के लिए बंद मानता है, जो खंड 5.9.4 पहले से अपेक्षित करता है जब टेलवाटर आउटफॉल से ऊपर बना रहता है। किसी भी झील के लिए न कोई MWL मिला और न कोई सरचार्ज, इसलिए FTL + 0.5

m को अंतरिम मान के रूप में निर्धारित किया गया है: यह वह फ्रीबोर्ड है जिसका उपयोग यह मैनुअल फर्श स्तरों के लिए करता है (खंड 6.11.1), और यह एक न्यूनतम सीमा है, सरचार्ज का अनुमान नहीं, जो गेटों और बाढ़ पर निर्भर करता है [TBC]। उदयपुर की झीलों और आना सागर के स्तर एक और समस्या उठाते हैं: अभिरक्षक और समाचार माध्यम, दोनों, उन्हें ऐसे गेज शून्य से ऊपर फुट में गेज पाठ्यांकों के रूप में प्रकाशित करते हैं जिसका स्तर नहीं मिला, इसलिए आना सागर के गेज पर 13 ft की तुलना मीटर में किसी ड्रेन इनवर्ट से तब तक नहीं की जा सकती जब तक गेज शून्य को समतलन द्वारा किसी बेंचमार्क से न जोड़ा जाए। इसीलिए मद (c) ऐसी किसी झील में कोई आउटफॉल डिजाइन करने से पहले सर्वेक्षण द्वारा यह संबंध (survey tie) स्थापित करने की अपेक्षा करता है। केवल कायलाना और तख्त सागर के जलाशय के पूर्ण जल स्तर MSL से ऊपर मीटर में प्रकाशित हैं (NIH, 2025)। अभिरक्षक की सम्मति इसलिए आवश्यक है कि झील में जोड़ी गई वर्षा जल ड्रेन हर अन्य आउटफॉल के लिए उसका स्तर बढ़ाती है, और इसलिए कि झीलों में नगरों का सीवेज भी आता है: उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि कोई अनुपचारित सीवेज राज्य की आर्द्रभूमियों या उनके जलग्रहण क्षेत्रों तक न पहुँचे (1 जून 2026 का आदेश), जो खंड 8.9 का विषय है।

तीसरी स्थिति डैम के नीचे की नदी की है। चंबल के बाहर, राज्य की अधिकांश नदियों में बाढ़ अल्पकालिक होती है: लूणी और उसकी सहायक नदियाँ सूखे तलों में आकस्मिक बाढ़ (flash floods) के रूप में चढ़ती हैं, जैसे जुलाई 1979 की बाढ़, जिसने बालोतरा पर उच्चतम स्तर बनाया (Dhir et al., 1982, Singh et al., 1992 द्वारा उद्धृत)। अपने आप में वे किसी आउटफॉल को कई दिनों तक नहीं, घंटों तक अवरुद्ध रखतीं। किंतु डैम तभी पानी छोड़ता है जब वह भरा हो, और तब तक छोड़ता रहता है जब तक अंतर्वाह रहता है और जब तक उसका स्तर वापस उसके जलाशय के पूर्ण जल स्तर तक नहीं लाया जाता। कोटा में बैराज के गेट 13–14 सितंबर 2019 से खोले गए, बाद के दिनों में 4.42 से 7.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबरें आईं, और कोटा सिटी पर नदी ने 16 सितंबर को अपना उच्चतम स्तर बनाया (CWC; प्रकाशित खबरों के अनुसार), इसलिए नदी कम से कम लगभग तीन दिन तक ऊँची रही। शोध के दौरान राज्य के किसी भी गेज का प्रति घंटा जल स्तर अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ [TBC]। इसलिए कम से कम 72 घंटे का एकल अवरोध खंड 2.5.2 की सबसे लंबी डिजाइन वर्षा घटना को पूरी तरह समाविष्ट करता है, ताकि साइट वर्षा घटना के दौरान नदी के उतरने पर निर्भर न रहे, जिसकी अनुमति डैम से छोड़ा गया पानी नहीं देता; यह खंड 4.12.7 के 72-घंटे के डिजाइन आयतन से मेल खाता है, और इसे प्रत्येक नदी पर अभिलिखित उच्चतम स्तर बनाने वाली बाढ़ के गेज अभिलेख से बढ़ाया जाना है। मद (b) में सूचीबद्ध CWC स्तर सितंबर 2019 के CWC बुलेटिनों से, जो संग्रहीत प्रतियों के माध्यम से पढ़े गए, और CWC स्थल-सूची की 2022 की एक प्रति से हैं; उनके डेटम और गेज शून्य की पुष्टि की जानी है [TBC]। खतरे के स्तर को 10% AEP स्तर की न्यूनतम सीमा के रूप में इसलिए प्रयुक्त किया गया है कि हाल की बाढ़ों में नदियाँ उसे बड़े अंतर से पार कर चुकी हैं, 2019 में कोटा सिटी पर 6.68 m और 1996 में धौलपुर पर 14.75 m (CWC), इसलिए दस वर्ष में लगभग एक बार पहुँचने वाले स्तर के उससे नीचे होने की संभावना नहीं है; इसे CWC अभिलेख के आवृत्ति विश्लेषण से प्रतिस्थापित किया जाना है [TBC]। टोंक पर खतरे का स्तर (262.8 m) अभिलिखित उच्चतम स्तर (262.05 m, 1973) से ऊपर है, इसलिए मद (b) दोनों स्थितियों की न्यूनतम सीमा के रूप में खतरे का स्तर लेता है, ताकि 1% AEP स्तर 10% AEP स्तर से नीचे न आ जाए। मद (b) केवल स्थायी पंपों में से सबसे बड़े पंप को घटाकर गिनता है, उसी कारण से जिससे खंड 5.12.2(b) स्टैंडबाय पंप की अपेक्षा करता है।

चौथी स्थिति छोड़े गए पानी और वर्षा घटना के संयोग की है। मद (d) नगर पर डिजाइन वर्षा घटना को नदी को अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़े गए पानी पर रखकर इसलिए चलाता है कि जलाशय को भरने वाली वर्षा और नगर पर होने वाली वर्षा मानसून के एक ही दौर से आती हैं (खंड 5.8.4 का भाष्य देखें)। कोटा में चंबल की बाढ़ें नगर के बाहर और आंशिक रूप से राज्य के बाहर के डैमों से संचालित होती हैं, और SANDRP 2019 की बाढ़ का कारण गाँधी सागर के गेटों का देर से खोला जाना बताता है (SANDRP, 2019)। छोड़े गए पानी के बताए गए आँकड़े परस्पर विरोधी हैं, 14 सितंबर की CWC रिपोर्ट के 4.42 लाख क्यूसेक से लेकर समाचार माध्यमों के 7.9 लाख क्यूसेक तक, इसलिए WRD द्वारा अभिलेख दिए जाने तक मद (d) उच्चतम मान लेता है। द्रव्यवती, जोजरी, आयड़ और घग्घर के लिए कोई भी स्तर नहीं मिला, इसीलिए मद (b) उन नदी-भागों पर मॉडल से प्राप्त या सर्वेक्षित स्तर की अपेक्षा करता है और उसके बिना किसी आउटफॉल का डिजाइन नहीं होने देता।

पाँचवीं स्थिति उस निकाय की है जो प्राप्तकर्ता जलाशय का स्वामी है, और उस रेखा की जो न्यायालय खींच रहे हैं। डैम, जलाशय और नहरें WRD की हैं, सार्वजनिक तालाब और सड़कों की ड्रेनें नगरपालिका में निहित हैं (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68), झीलें अधिसूचित होने पर झील अधिनियम, 2015 के अधीन आती हैं, और प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग करने वाला कोई नियम नहीं मिला (अध्याय 6, खंड 6.9)। मद (c), (e) और (f) स्वामी की सम्मति और डिजाइन स्तर इसलिए माँगते हैं कि किसी चैनल या झील में

पानी छोड़ने वाले डिजाइन की जाँच उनके बिना नहीं की जा सकती। इंदिरा गाँधी नहर और नगरों के जलाशयों को पोषित करने वाली लिफ्ट नहरें आपूर्ति का पानी ले जाती हैं; वर्षा घटना में वर्षा जल लेने वाला नहर एस्केप उसे वहाँ पहुँचा देगा जहाँ नहर संचालक उसकी अपेक्षा नहीं करता। 7 अगस्त 2026 के उच्चतम न्यायालय के आदेश से राज्य की प्रत्येक नदी के लिए एक उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) बनेगी, और मद (e) इस मैनुअल के डिजाइन नदी स्तर को, उस रेखा के सीमांकित होने पर, उससे नीचा नहीं होने देता, ताकि किसी ड्रेन को ऐसे स्तर पर डिजाइन न किया जाए जिसे राज्य पहले ही बहुत नीचा पा चुका है। मद (e) की न्यायालयों की रेखाएँ इसलिए सूचीबद्ध हैं कि वे तय करती हैं कि आउटफॉल कहाँ बनाया जा सकता है, न कि उसका स्तर; उनकी स्थिति अध्याय 7 में दी गई है।

5.9 संयुक्त प्रायिकता की स्थितियाँ

5.9.1 किसी ज्वारीय या पश्चजल-प्रभावित आउटफॉल में जल निकासी करने वाले प्रत्येक तत्व की जाँच नीचे दी गई स्थितियों के लिए की जाएगी। प्रत्येक डिजाइन मात्रा के लिए सबसे गंभीर स्थिति निर्णायक होगी: भंडारण, जल स्तर, पाइप का आकार और पंप की क्षमता।

तालिका 5.2 — ज्वारीय और नदी आउटफॉलों के लिए संयुक्त प्रायिकता की स्थितियाँ

स्थिति	वर्षा	टेलवाटर	किस पर लागू	आधार
J1	लघु प्रणाली डिजाइन AEP, Tc से 24 h	MHWS + SLA (ज्वारीय वक्र)	लघु प्रणाली	खंड 2.12(a); खंड 5.7.1
J2	1% AEP, खंड 2.5.2 की सभी अवधियाँ	HAT + महोर्मि + SLA	प्रमुख प्रणाली, अस्थायी भंडारण, तालाब, पंप द्वारा संचालित प्रणालियाँ	खंड 5.7.1
J3	10% AEP, **48 h**	1% AEP स्थिर जल स्तर + SLA	प्रमुख प्रणाली, अस्थायी भंडारण, तालाब, पंप द्वारा संचालित प्रणालियाँ	खंड 2.12(b)
J4	डिजाइन AEP, **48 h** (72 h की रिपोर्ट)	J1 के अनुसार ज्वारीय वक्र, दो **6 h अवरोध अवधियों** के साथ (खंड 5.10)	सभी भंडारण और प्रत्येक गेटयुक्त या ज्वार-प्रभावित आउटफॉल	खंड 5.10
R1	साइट की डिजाइन AEP	नदी 10% AEP स्तर पर	नदी आउटफॉल	खंड 5.8.4(a)
R2	साइट की 10% AEP	नदी डिजाइन-AEP स्तर पर	नदी आउटफॉल	खंड 5.8.4(b)

5.9.2 भंडारण तत्वों के लिए, 48 और 72 घंटे की वर्षा घटनाएँ J2 और J3 टेलवाटर के साथ चलाई जाएँगी (खंड 2.5.3)।

5.9.3 ज्वार से प्रभावित नदी आउटफॉलों के लिए, R1 और R2 नदी मॉडल की अनुप्रवाह सीमा को J1 ज्वारीय वक्र पर रखकर चलाई जाएँगी। प्राधिकारी इन्हें J2 पर भी चलाने की अपेक्षा कर सकता है।

5.9.4 जहाँ टेलवाटर पूरी वर्षा घटना के दौरान आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर किसी स्तर पर स्थिर रहता है, वहाँ उस स्थिति को पूरी तरह बंद आउटफॉल माना जाता है। तब भंडारण और पंप वर्षा घटना का पूरा आयतन संभालेंगे।

भाष्य. खंड 2.12 दो संयुक्त स्थितियाँ निर्धारित करता है। स्थिति (a) MHWS और समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई के साथ डिजाइन वर्षा है। स्थिति (b) 1% स्थिर जल स्तर के साथ 10-वर्ष, 48 घंटे की वर्षा घटना है। यह मैनुअल प्रमुख प्रणाली डिजाइन के लिए HAT और महोर्मि जोड़ता है (खंड 5.7.1)। स्थिति J2 इन्हें संयुक्त करती है। J4 आउटफॉल-बंद जाँच है, जो किसी एकल स्तर के बजाय वर्षा

> घटना के सापेक्ष ज्वार के समय की जाँच करती है। वर्षा और महोर्मि का कारण एक ही चक्रवात होता है, इसलिए उन्हें स्वतंत्र नहीं माना जा सकता (खंड 2.12 का भाष्य)। ये स्थितियाँ सरल प्रतिनिधि (surrogates) हैं, जिन्हें IMD के वर्षा अभिलेखों और ज्वार गेज अभिलेखों का सांख्यिकीय संयुक्त विश्लेषण अपनाए जाने पर प्रतिस्थापित किया जाना है।

5.10 आउटफॉल-बंद (ज्वार से अवरुद्ध) भंडारण जाँच

5.10.1 **यह कहाँ लागू होती है.** यह जाँच निम्नलिखित पर लागू होती है:

- प्रत्येक भंडारण सुविधा;
- लघु और प्रमुख प्रणाली का प्रत्येक तत्व; और
- पंप द्वारा संचालित प्रत्येक प्रणाली

जिसके आउटफॉल का इनवर्ट HAT + महोर्मि + SLA से नीचे है, या जो ज्वार-अवरोध या रेत अवरोध से मुख बंद होने (खंड 5.13) के अधीन किसी नदी-भाग में जल निकासी करती है।

5.10.2 **वर्षा घटना.** खंड 2.9.2 के अनुसार बनाई गई 48 घंटे की डिजाइन वर्षा घटना (चरम दिन अंत में) का उपयोग करें, निम्नलिखित पर:

- तत्व की AEP: अस्थायी भंडारण, तालाबों और प्रमुख प्रणाली के लिए 1% AEP; लघु ड्रेन के लिए लघु प्रणाली AEP; और
- AMC III।

72 घंटे की वर्षा घटना भी चलाई जाएगी और उसकी रिपोर्ट दी जाएगी।

5.10.3 **अवरोध अवधियाँ.** जब तक 5.10.6 के अंतर्गत कोई साइट अध्ययन अन्यथा न दर्शाए:

- (a) आउटफॉल **6 घंटे की दो लगातार अवरोध अवधियों** के लिए बंद रहता है, जो स्थानीय ज्वारीय वक्र के दो लगातार ज्वारों पर केंद्रित होती हैं। अर्ध-दैनिक ज्वार के लिए, अवधियों के आरंभ लगभग 12.4 घंटे के अंतर पर होते हैं।
- (b) प्रत्येक अवरोध अवधि के दौरान, गुरुत्व निकास **शून्य** होता है।
- (c) अवरोध अवधियों के बीच, गुरुत्व निकास की गणना J1 ज्वारीय वक्र के विरुद्ध की जाती है, जिसमें फ्लैप गेट और किसी नॉन-रिटर्न वाल्व की हेड हानि सम्मिलित होती है।
- (d) पहली अवरोध अवधि इस प्रकार रखी जाएगी कि वह वर्षा घटना के अंतिम 24 घंटों के चरम 1-घंटे के ब्लॉक पर केंद्रित हो। पहली अवधि को उसी चरम ब्लॉक पर **आरंभ** करते हुए एक दूसरा रन भी किया जाएगा। अधिक गंभीर परिणाम निर्णायक होगा।

5.10.4 **अपेक्षा.** भंडारण और पंपिंग (जहाँ प्रदान की गई हो) मिलकर अंतर्वाह को इस प्रकार रोकेंगे कि पूरी जाँच के दौरान:

- (a) किसी भी अस्थायी भंडारण सुविधा में अधिकतम जल स्तर उसके आपातकालीन स्पिलवे के शिखर से नीचे रहे, ताकि स्पिलवे काम न करे। जहाँ आउटफॉल-बंद स्थिति का जल स्तर मुक्त-आउटफॉल डिजाइन के 1% AEP अधिकतम जल स्तर से अधिक हो, वहाँ वह खंड 4.9.3 के लिए सुविधा का 1% AEP अधिकतम जल स्तर बन जाता है, और स्पिलवे का शिखर, फ्रीबोर्ड और दीवार की ऊँचाई उसी से निर्धारित की जाती है;
- (b) लघु और प्रमुख प्रणालियों में अधिकतम जल स्तर अध्याय 6 की सीमाओं को पूरा करे: भवनों के फर्श स्तर, और सड़क पर गहराई शीर्ष पर 150 mm से अधिक नहीं और सबसे गहरे बिंदु पर 350 mm से अधिक नहीं; और
- (c) कोई भी संपत्ति कनेक्शन उसके द्वारा सेवित सबसे निचले खुले भाग से ऊपर सरचार्ज न हो, या खंड 5.11 के अंतर्गत नॉन-रिटर्न वाल्व लगाया जाए।

आयतन के रूप में, प्रत्येक अवरोध अवधि और पूरी वर्षा घटना के लिए:

> V_inflow ≤ V_storage available + V_pumped + V_gravity (अवरोधों के बीच)

यह रूटिंग द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, किसी एकल आयतन संतुलन द्वारा नहीं। किसी अवरोध अवधि के समाप्त होने के बाद प्रत्येक सुविधा से निकास अध्याय 4 की निकास सीमाओं से अधिक हो सकता है, क्योंकि सुविधा ऐसी ड्रेन में खाली हो रही होती है जो अभी-अभी फिर खुली है। वह निकास अनुप्रवाह विश्लेषण (खंड 5.4 और 5.9) में सम्मिलित किया जाएगा।

5.10.5 **वर्षा घटना के बाद जल स्तर घटाना.** दूसरी अवरोध अवधि के बाद, भंडारण J1 ज्वारीय वक्र के अंतर्गत खाली होगा। खंड 4.7 की खाली होने के समय की अपेक्षा पूरी की जाएगी, और जहाँ गुरुत्व से यह पूरी नहीं हो सकती वहाँ पंपिंग द्वारा (खंड 5.12)।

5.10.6 **साइट अध्ययन.** लंबी या छोटी अवधि का अवरोध वहाँ लिया जा सकता है जहाँ कोई साइट अध्ययन डिजाइन स्थिति के लिए स्थिर जल स्तर की समय-श्रृंखला देता है। अध्ययन में अंशांकित हाइड्रोडायनामिक मॉडल, पिछली घटनाओं के गेज अभिलेख, या महोर्मि पश्च-अनुमान का उपयोग किया जा सकता है। डिफॉल्ट से छोटे अवरोधों के लिए प्राधिकारी का अनुमोदन आवश्यक है। लंबी अवधि का अवरोध वहाँ लिया जाएगा जहाँ:

- रेत अवरोध से मुख का बंद होना (खंड 5.13) या नदी का पश्चजल (खंड 5.8) आउटफॉल को अधिक समय तक बंद रखता है; या
- गेज अभिलेख तुलनीय पिछली घटनाओं में प्रति ज्वार 6 घंटे से अधिक समय तक टेलवाटर को आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर दर्शाता है।

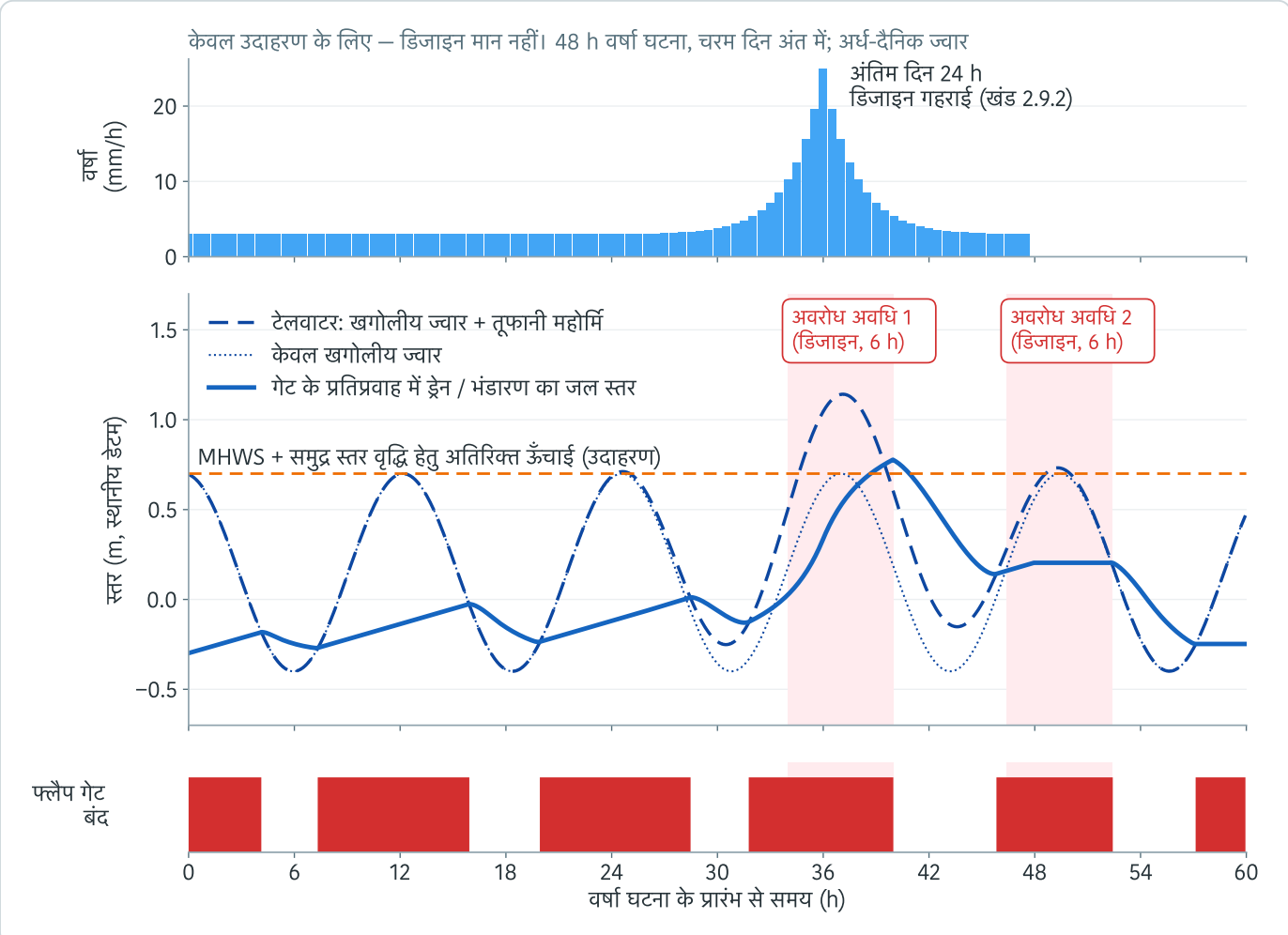

चित्र 5.3 — आउटफॉल-बंद जाँच: चरम दिन अंत में रखी गई 48 घंटे की वर्षा घटना (खंड 2.9.2), खगोलीय ज्वार और महोर्मि का टेलवाटर, 6 घंटे की दो डिजाइन अवरोध अवधियाँ, और फ्लैप गेट के प्रतिप्रवाह की ओर परिणामी जल स्तर। केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, MoHUA/CPHEEO Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), Part A, §6.3.6 की ज्वारीय

टेलवाटर और संयुक्त प्रायिकता की अवधारणाओं पर आधारित।

> **भाष्य.** आउटफॉल-बंद जाँच इस मैनुअल में राजस्थान की विशिष्ट अपेक्षा है। राजस्थान में यह वहाँ लागू होती है जहाँ कोई आउटफॉल ज्वार द्वारा नहीं, बल्कि पूर्ण गेज स्तर पर रखी गई किसी झील द्वारा, ऊपर के डैमों से छोड़े गए पानी से चढ़ी किसी नदी द्वारा, या किसी भी आउटफॉल के अभाव से बंद होता है। सितंबर 2019 में कोटा बैराज से लगभग 6.5 से 7.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने की खबर थी, कोटा सिटी पर चंबल ने अपना अभिलिखित उच्चतम स्तर, 248.68 m, बनाया, जो उसके खतरे के स्तर से 6.68 m ऊपर था (CWC), और निचले नयापुरा, बालिता और गावंडी खाली कराए गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जुलाई 2025 में आना सागर अपने 13 ft के पूर्ण स्तर के मुकाबले अपने गेज पर 15 ft 11 इंच पर बताया गया, और उसके एस्केप गेट खोलने से चैनल के किनारे की भूमि जलमग्न हो गई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। पश्चिम के बंद गर्तों में पानी के जाने के लिए कोई स्थान नहीं है: अगस्त 2006 की बाड़मेर की वर्षा के बाद कवास के सात महीने बाद भी 3 से 4 ft पानी में डूबे रहने की खबर थी। अपने पूर्ण गेज स्तर पर पहुँची झील शेष मानसून में वहीं बनी रहती है, पानी छोड़ रहे डैम के नीचे की नदी तब तक ऊँची रहती है जब तक डैम पानी छोड़ता है, और बंद गर्त केवल अंतःस्यंदन और वाष्पीकरण से खाली होता है, इसीलिए खंड 5.8.5 नीचे वर्णित 6 घंटे की दो अवधियों के स्थान पर झील आउटफॉल पर और जहाँ कोई आउटफॉल नहीं है वहाँ पूरी वर्षा घटना के लिए बंद होना, और कम से कम 72 घंटे का एकल नदी अवरोध रखता है। जब कोई निकास ही नहीं है तब दर का नियम सहायता नहीं कर सकता: बंद गेट के पीछे ऑरिफिस वाला बेसिन बस भरता जाता है।
>
> 6 घंटे के दो लगातार अवरोधों के डिफॉल्ट का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। यह दर्शाता है कि गुरुत्व आउटफॉल वर्षा के चरम के निकटतम दो ज्वारों के आसपास प्रत्येक ज्वारीय चक्र के लगभग आधे समय पानी नहीं छोड़ पाते। चित्र 5.3 दर्शाता है कि दोनों अवधियाँ क्यों महत्वपूर्ण हैं। पहला अवरोध वर्षा के चरम को पकड़ता है। दूसरा भंडारण के खाली होने से पहले आ जाता है, इसलिए जल स्तर फिर बढ़ता है।
>
> पहली अवधि को वर्षा के चरम पर रखना जानबूझकर प्रतिकूल है। चक्रवाती वर्षा और महोर्मि का कारण एक ही होता है, और खंड 2.12 उन्हें पहले से ही आश्रित मानता है। यह जाँच न तो J2 और J3 की स्तर जाँचों का स्थान लेती है और न ही अनुप्रवाह विश्लेषण का; यह समय और आयतन की एक जाँच जोड़ती है।

5.11 फ्लैप गेट, ज्वार-रोधी गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व

5.11.1 **कहाँ आवश्यक.** प्रत्येक ऐसे आउटफॉल पर, जिसका इनवर्ट **1% AEP स्थिर जल स्तर** (खंड 5.7.3) से नीचे है, फ्लैप गेट, ज्वार-रोधी गेट या समतुल्य नॉन-रिटर्न युक्ति आवश्यक है। खंड 5.8.5 के अंतर्गत सिंचाई चैनलों में गिरने वाले आउटफॉलों पर भी यह आवश्यक है।

5.11.2 **हाइड्रोलिक्स.** डिजाइन में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- निर्माता के प्रमाणित हेड–प्रवाह दर वक्र से गेट की हेड हानि और खुलाव हेड; और
- गेट के आंशिक रूप से खुले होने पर आउटफॉल की प्रभावी क्षमता में कमी।

आउटफॉल-बंद जाँच में गेटों को पूरी तरह सील होने वाला नहीं माना जाएगा, जब तक कि उनका परीक्षण न किया गया हो।

5.11.3 **निर्माण.**

- (a) गेट, कब्जे और सीटें समुद्री जल के लिए उपयुक्त संक्षारण-रोधी सामग्री की होंगी (खंड 4.12.5)।
- (b) गेट इस प्रकार लगाया जाएगा कि अनुप्रवाह की ओर की रेत, गाद या मलबा उसे बंद या खुला न रख सके। जहाँ तल गतिशील है, वहाँ गेट का इनवर्ट तल से ऊपर उठाया जाएगा, या पहुँच मार्ग को सुरक्षित किया जाएगा।
- (c) जहाँ गेट मलबे से जाम हो सकता है, वहाँ प्रतिप्रवाह की ओर कचरा-रोधी जाली प्रदान की जाएगी।

- (d) 600 mm से बड़े आउटफॉलों पर रखरखाव के लिए पृथक्करण हेतु प्रतिप्रवाह की ओर स्टॉप-लॉग खाँचा या पेनस्टॉक प्रदान किया जाएगा।
- (e) गेट कक्ष सभी ज्वारों पर पहुँच योग्य होगा, और उसका प्रवेश HAT + महोर्मि + SLA से ऊपर होगा।

5.11.4 **संपत्ति कनेक्शनों पर नॉन-रिटर्न वाल्व.** प्रत्येक ऐसे संपत्ति जल निकासी कनेक्शन पर, जहाँ सेवित सबसे निचला खुला भाग निम्नलिखित से नीचे है, नॉन-रिटर्न वाल्व, या पहुँच योग्य सफाई छिद्र (cleaning eye) वाला बैकवाटर वाल्व, आवश्यक है:

- कनेक्शन के बिंदु पर प्रमुख प्रणाली टेलवाटर (J2); या
- आउटफॉल-बंद जाँच में अधिकतम जल स्तर (खंड 5.10)।

बेसमेंट की जल निकासी को, इसके अतिरिक्त, अपने नॉन-रिटर्न वाल्व के साथ, दोनों से ऊपर के स्तर तक पंप किया जाएगा।

5.11.5 **निरीक्षण.** गेटों और वाल्वों का निरीक्षण और प्रचालन किया जाएगा:

- प्रत्येक वर्ष **20 जून** से पहले;
- प्रत्येक ऐसी घटना के बाद जिसमें वे वर्षा प्रवाह के विरुद्ध बंद हुए; और
- रखरखाव योजना (अध्याय 10) में निर्धारित अनुसार।

> **भाष्य.** 1% स्थिर जल स्तर से नीचे गेटों की अपेक्षा इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। निर्माण संबंधी विवरण सामान्य तटीय जल निकासी पद्धति के अनुसार हैं। मलबे से खुला जाम हुआ गेट ज्वार को ड्रेन में आने देता है। रेत के ढेर से बंद रखा गया गेट गुरुत्व आउटफॉल को बंद सिरा बना देता है। राजस्थान में आउटफॉल किसी समुद्र तट को पार नहीं करते, किंतु उनमें से कई किसी ऐसी झील में समाप्त होते हैं जिसका स्तर गेटों द्वारा रखा जाता है, या किसी ऐसी नदी में जिसका स्तर प्रतिप्रवाह के डैमों के गेटों से निर्धारित होता है। अजमेर में आना सागर को उसके चार एस्केप गेट खोलकर उसके गेज पर 13 ft पर रखा जाता है, किंतु गेट खोले जाने से पहले 14 ft से 15 ft 11 इंच तक के पाठ्यांक बताए गए हैं, और जब सितंबर 2024 और जुलाई 2025 में उन्हें खोला गया तब एस्केप चैनल के किनारे की कॉलोनियाँ जलभराव से ग्रस्त रहीं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। उदयपुर में पिछोला और फतह सागर के बीच का गेट फतह सागर के 11 ft तक पहुँचते ही बंद किए जाने की खबर है, और फतह सागर के मुख्य बाँध में लगभग 0.75 m का फ्रीबोर्ड बताया गया है, जबकि रेत की बोरियाँ झील को उसके डिजाइन पूर्ण जल स्तर से 20–25 cm ऊपर रखती हैं (India Water Portal, 2010)। चंबल पर, SANDRP सितंबर 2019 की कोटा की बाढ़ का कारण प्रतिप्रवाह में गाँधी सागर के गेटों का देर से खोला जाना बताता है (SANDRP, 2019)। देर से खोला गया, या बिल्कुल न खोला गया, गेट झील को और उसमें पानी छोड़ने वाले हर आउटफॉल को ऊँचा करता है; जल्दबाजी में खोला गया गेट नीचे के चैनल या नदी को ऊँचा करता है। झीलें, डैम और गेट WRD, नगर निगम या किसी अन्य अभिरक्षक के अधीन हैं, जबकि उन तक पहुँचने वाली ड्रेनें नगर निगम, किसी विकास प्राधिकरण, किसी नगर सुधार न्यास या किसी कॉलोनी विकासकर्ता की हैं, और शोध के दौरान इनमें से किसी भी गेट के प्रचालन को ड्रेनों के स्तरों से जोड़ने वाला कोई नियम नहीं मिला [TBC], इसलिए कोई गेट और उसके पीछे की ड्रेनें अलग-अलग निकायों की हो सकती हैं। 20 जून की निरीक्षण तिथि दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले रखी गई है।

5.12 पंप द्वारा संचालित आउटफॉल

5.12.1 **कब आवश्यक.** पंपिंग वहाँ प्रदान की जाएगी जहाँ गुरुत्व निकास निम्नलिखित को पूरा नहीं कर सकता:

- खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच;
- खंड 4.7 की खाली होने के समय की अपेक्षा; या
- J2 और J3 स्थितियाँ।

जहाँ कोई गुरुत्व समाधान इन अपेक्षाओं को पूरा करता है, वहाँ पंपिंग का उपयोग नहीं किया जाएगा।

5.12.2 **क्षमता.**

- (a) कार्यरत पंप मिलकर, प्रदान किए गए भंडारण के साथ, खंड 5.9 की प्रत्येक स्थिति (J4 सहित) को पार करेंगे, जो रूटिंग द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा।
- (b) सबसे बड़े कार्यरत पंप के कम से कम बराबर **स्टैंडबाय** क्षमता स्थापित की जाएगी (न्यूनतम के रूप में कार्यरत + 1 स्टैंडबाय)।
- (c) पंप की क्षमता **J2** टेलवाटर के स्थैतिक हेड पर बताई जाएगी, माध्य ज्वार पर नहीं।

5.12.3 **प्राप्तकर्ता जलाशय पर प्रभाव.** किसी नदी, नहर या खाड़ी में पंप किया गया पानी खंड 5.8 के नदी या खाड़ी स्तर विश्लेषण में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसी पंपिंग जो अन्यत्र प्राप्तकर्ता जलाशय के जल स्तर को खंड 5.5 के स्वीकार्यता मानदंडों से ऊपर बढ़ाती है, अनुमत नहीं है।

5.12.4 **विद्युत आपूर्ति.** पंपिंग स्टेशनों में निम्नलिखित में से एक होगा:

- दो स्वतंत्र विद्युत आपूर्तियाँ; या
- कार्यरत क्षमता के 100% के लिए स्टैंडबाय उत्पादन, कार्यरत प्रचालन के कम से कम **72 घंटे** के लिए साइट पर ईंधन के साथ।

परिवर्तन (changeover) स्वचालित होगा।

5.12.5 **बाढ़ से सुरक्षा.** विद्युत पैनल, नियंत्रण उपकरण, जनरेटर और ईंधन भंडारण निम्नलिखित में से अधिक स्तर से ऊपर रखे जाएँगे:

- 1% AEP बाढ़ जल स्तर + 0.5 m; और
- HAT + महोर्मि + SLA + 0.5 m।

स्टेशन तक पहुँच 1% AEP घटना में उपयोग योग्य बनी रहेगी।

5.12.6 **निकास व्यवस्था.** राइजिंग मेन निम्नलिखित के माध्यम से पानी छोड़ेंगे:

- J2 टेलवाटर से ऊपर के किसी स्तर के ऊपर से; या
- नॉन-रिटर्न वाल्व और फ्लैप गेट के माध्यम से।

व्यवस्था पश्च-साइफनन (back-siphoning) को रोकेगी।

5.12.7 **नियंत्रण और निगरानी.** प्रत्येक स्टेशन में निम्नलिखित होंगे:

- स्वचालित स्तर नियंत्रण;
- उच्च स्तर, पंप विफलता और विद्युत विफलता के लिए दूरस्थ अलार्म, जो संचालक को भेजे जाएँ; और
- स्तर और चलने के समय का लॉग, जो कम से कम 5 वर्ष तक रखा जाए।

वेट वेल का आकार ऐसा रखा जाएगा कि पंप के चालू होने की संख्या निर्माता की सीमाओं के भीतर रहे।

5.12.8 **जालियाँ.** इनलेट जालियाँ ऐसी सफाई विधि के साथ प्रदान की जाएँगी जो वर्षा घटना के दौरान काम करे (यांत्रिक रेक, या दोहरी जालियाँ)।

5.12.9 **परीक्षण.** पंप द्वारा संचालित प्रत्येक आउटफॉल को प्रत्येक वर्ष **20 जून** से पहले पूर्ण कार्यरत क्षमता पर, स्टैंडबाय विद्युत पर भी, परीक्षण के रूप में चलाया जाएगा। निजी पंप द्वारा संचालित प्रणालियाँ पंजीकृत रखरखाव घोषणा-पत्र (अध्याय 10) के अंतर्गत आएँगी।

> **भाष्य.** कार्यरत + स्टैंडबाय, 72 घंटे का ईंधन और बाढ़-सुरक्षित विद्युत व्यवस्था का कोई एकल प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। 72 घंटे के ईंधन का आँकड़ा सबसे लंबी अनिवार्य डिजाइन वर्षा घटना (खंड 2.5.2) से मेल खाता है। केवल ग्रिड बिजली पर निर्भर पंपिंग स्टेशन ठीक उसी समय रुक सकता है जब उसकी आवश्यकता हो, क्योंकि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों की आपूर्ति प्रायः सुरक्षा के

लिए बंद कर दी जाती है। सिंगापुर के अप्रैल 2025 के संशोधनों ने पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण टैंकों के लिए वार्षिक रखरखाव घोषणा-पत्र जोड़े (PUB Addendum No. 3)। खंड 5.12.9 और अध्याय 10 वही पद्धति अपनाते हैं। खंड 5.12.3 ऐसी पंपिंग को रोकता है जो केवल ज्वार से अवरुद्ध एक ड्रेन से पानी को ज्वार से अवरुद्ध नदी में डाल देती है।

5.13 रेत अवरोध से नदी मुखों का बंद होना

5.13.1 **यह कहाँ लागू होता है.** यह खंड किसी भी ऐसी नदी या खाड़ी में गिरने वाले आउटफॉलों पर लागू होता है जिसका मुख मौसमी रूप से रेत अवरोध से बंद होने के अधीन है। इसमें तटीय राज्यों के मुख (राजस्थान में कोई नहीं: खंड 5.1.4), और परिशिष्ट 5B में सूचीबद्ध कोई अन्य मुख सम्मिलित हैं।

5.13.2 **दक्षिण-पश्चिम मानसून के आरंभ में धारणा.** जून–सितंबर ऋतु के आरंभ में मुख को रेत अवरोध द्वारा, सबसे हाल के मानसून-पूर्व सर्वेक्षण के शिखर स्तर पर, **बंद** माना जाएगा। यह तब तक लागू होता है जब तक WRD यह प्रमाणित नहीं करता कि:

- किसी मुख-रखरखाव कार्यक्रम (ड्रेजिंग, रेत अवरोध काटना या प्रशिक्षण दीवारें) ने पिछली तीन दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतुओं में से प्रत्येक के आरंभ में मुख को खुला रखा है; और
- कार्यक्रम के लिए वर्तमान ऋतु हेतु धन उपलब्ध कराया गया है।

5.13.3 **बंद मुख के साथ टेलवाटर.** मुख बंद होने पर, आउटफॉल पर टेलवाटर निम्नलिखित में से अधिक होगा:

- (a) खंड 5.7 का ज्वारीय टेलवाटर; और
- (b) रेत अवरोध के पीछे नदी-भाग में स्तर, जिसकी गणना रेत अवरोध को उसके सर्वेक्षित शिखर स्तर पर एक वियर मानकर की जाएगी। उस स्तर में खंड 5.8 का नदी प्रवाह और प्रवाह को रेत अवरोध के ऊपर से या उसमें से पार कराने के लिए आवश्यक हेड सम्मिलित होगा।

5.13.4 **आपातकालीन कटाई का कोई क्रेडिट नहीं.** वर्षा घटना के दौरान रेत अवरोध को काटना या तोड़ना डिजाइन में नहीं माना जाएगा, जब तक कि WRD के पास इसके लिए तैनात उपकरणों के साथ कोई दस्तावेजित प्रचालन प्रक्रिया न हो। जहाँ ऐसी प्रक्रिया है, वहाँ रेत अवरोध को प्रक्रिया के लक्ष्य स्तर तक नीचा केवल प्रक्रिया में बताए गए समय के बाद माना जा सकता है।

5.13.5 **आउटफॉल-बंद जाँच.** जहाँ 5.13.3(b) का बंद-मुख स्तर डिफॉल्ट अवरोध अवधियों से अधिक समय तक आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर रहता है, वहाँ खंड 5.10 की अवरोध अवधि को उस समय तक बढ़ाया जाएगा।

भाष्य. राजस्थान का कोई तट और कोई नदी मुख नहीं है, इसलिए खंड 5.13 राज्य में लागू नहीं होता (खंड 5.1.4)। इसके निकटतम अंतर्देशीय समकक्ष इसकी झीलों के गेट वाले आउटलेट और एस्केप चैनल और वह गाद और रेत हैं जो इसकी नदियाँ किसी आउटफॉल पर छोड़ जाती हैं। जिस झील के गेट उसके पूर्ण गेज स्तर पर पहुँचने पर नहीं खोले जाते, वह उससे ऊपर उठती है और उसमें समाप्त होने वाली हर ड्रेन को रोके रखती है, जैसा आना सागर के बारे में 13 ft के पूर्ण गेज के मुकाबले 14 ft से 15 ft 11 इंच पर बताया गया है, और किसी सूखे नदी-तल में आकस्मिक बाढ़ द्वारा छोड़ी गई गाद और रेत किसी फ्लैप गेट को बंद या खुला रख सकती है। शोध के दौरान आना सागर के एस्केप गेटों, उदयपुर की झीलों के गेटों या किसी अन्य झील आउटलेट के लिए गेट प्रचालन का कोई लिखित नियम नहीं मिला [TBC]। खंड 5.8.5 इन दोनों से इस प्रकार निपटता है कि वह किसी ऐसे गेट प्रचालन या भंडारण का कोई क्रेडिट नहीं देता जिसे अभिरक्षक के अभिलेख नहीं दर्शाते। खंड 5.13.2 का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। यह मुख के खुले होने को मान लेने के बजाय उसे सिद्ध करने का भार डालता है।

5.14 प्रलेखन

इस अध्याय के अधीन प्रत्येक परियोजना एक **अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट** (प्रपत्र 5-1) प्रस्तुत करेगी। इसमें निम्नलिखित होंगे:

1. विश्लेषण के विस्तार का एक नक्शा, जिसमें दर्शाया गया हो:
    - साइट;
    - प्रत्येक विश्लेषण बिंदु, उसके योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र के क्षेत्रफल और उसमें साइट के प्रतिशत के साथ; और
    - अंतिम बिंदु और उसे चुनने का कारण (खंड 5.3);
2. मॉडल का विवरण:
    - सॉफ्टवेयर और संस्करण;
    - नेटवर्क का योजनाबद्ध चित्र, ड्रेन और क्रॉसिंग के सर्वेक्षण स्रोतों के साथ;
    - साइट से बाहर के क्षेत्रों के लिए भूमि उपयोग और CN;
    - सम्मिलित किया गया कोई प्रतिप्रवाह अस्थायी भंडारण; और
    - जहाँ उपलब्ध हो, अंशांकन या वैधीकरण के साक्ष्य;
3. प्रत्येक विश्लेषण बिंदु, AEP और अवधि के लिए, विद्यमान और परियोजना सहित:
    - चरम प्रवाह;
    - चरम तक समय;
    - अधिकतम जल स्तर और वेग; और
    - जलमग्नता की अवधि (खंड 5.4);
4. खंड 5.5 के विरुद्ध तुलना, जिसमें प्रत्येक विफलता की पहचान और अपनाया गया उपाय हो;
5. टेलवाटर की व्युत्पत्ति:
    - ज्वार सारणी का संस्करण और बंदरगाह;
    - चार्ट डेटम के सापेक्ष MHWS, HAT और MSL;
    - भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बेंचमार्क और परियोजना डेटम से डेटम संबंध;
    - महोर्मि का स्रोत और मान;
    - SLA; और
    - नदी के जल स्तर और उनके स्रोत (खंड 5.6 से 5.8);
6. परिणामों सहित खंड 5.9 की संयुक्त स्थिति की तालिका;
7. आउटफॉल-बंद जाँच (खंड 5.10):
    - वर्षा घटना और अवरोध का संरेखण;
    - जल स्तर–समय आलेख; और
    - प्रत्येक अवरोध अवधि के लिए आयतन संतुलन;
8. फ्लैप गेटों, ज्वार-रोधी गेटों और नॉन-रिटर्न वाल्वों की अनुसूची, प्रमाणित हेड-प्रवाह दर आँकड़ों के साथ (खंड 5.11);
9. जहाँ प्रदान किया गया हो, पंप द्वारा संचालित आउटफॉल का डिजाइन, विद्युत आपूर्ति, बाढ़ से सुरक्षा और नियंत्रण (खंड 5.12);
10. जहाँ प्रासंगिक हो, रेत अवरोध संबंधी धारणा और उसके समर्थन में WRD का प्रमाणन (खंड 5.13); और
11. अध्याय 10 के लिए निरीक्षण और रखरखाव की अपेक्षाएँ।

खंड 5.3.4 के अंतर्गत छोटी साइटें इसके स्थान पर प्रपत्र 5-2 (सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण) प्रस्तुत करेंगी।

संदर्भ (अध्याय)

- MoHUA / CPHEEO (2019). Manual on Storm Water Drainage Systems, Part A, §6.3.6 और Table 6.2 (तटीय टेलवाटर; +0.3 m जलवायु प्रावधान)। https://web.archive.org/web/2024/https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/VolumeI-Part%20A-Engineering-Design.pdf
- MoHUA / CPHEEO (2013). Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems (पंपिंग स्टेशन)।
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities (5601.5, दस-प्रतिशत अनुप्रवाह विश्लेषण)। https://www.kcwater.us/wp-content/uploads/2020/08/Design-Criteria-%E2%80%93-Section-5600-%E2%80%93-Storm-Drainage-Systems-and-Facilities.pdf
- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01.
- Atlanta Regional Commission / Georgia EPD (2016). Georgia Stormwater Management Manual, Vol. 1 (Standard #8) और Vol. 2 §3.1.9। https://documents.atlantaregional.com/gastormwater/GSMM_2016%20EDITION_FINAL_V1.pdf
- MARC. The Evolution of Regional Stormwater Design Standards. https://www.marc2.org/Assets/Environment/WQEC/The_Evolution_of_Regional_Strormwater_Design_Standards.pdf
- Optimisation of urban detention (2016). *Water* 8(7):290. https://doi.org/10.3390/w8070290
- Colorado State University. Spatially Dependent On-Site Detention Policies (शोध-प्रबंध)। https://mountainscholar.org/bitstreams/f4dbec4e-a44f-4933-8d54-a097e741f44a/download
- Central Water Commission. Central Flood Control Room, Daily Flood Situation Summary, 16 और 17 सितंबर 2019 के बुलेटिन (Bulletin No. 140), संग्रहीत प्रतियों के माध्यम से पढ़े गए (Kota City और Dholpur पर चेतावनी स्तर, खतरे के स्तर और उच्चतम बाढ़ स्तर; कोटा बैराज, राणा प्रताप सागर, बीसलपुर और गाँधी सागर के स्तर)। https://cwc.gov.in/sites/default/files/cfcr-cwcdfb17092019.pdf ; और 23 अगस्त 2022 का बुलेटिन और 14 सितंबर 2019 की दैनिक बाढ़ स्थिति रिपोर्ट, केवल खोज सारांशों के रूप में देखे गए। प्रत्येक गेज के डेटम और गेज शून्य की पुष्टि की जानी है। https://cwc.gov.in/
- SANDRP (2022). 2022 overview of CWC flood monitoring sites in West India (CWC स्थल-सूची की एक प्रति: चंबल, बनास, लूणी, पश्चिमी बनास, गंभीरी और अन्य स्थलों के लिए चेतावनी स्तर, खतरे के स्तर और उच्चतम बाढ़ स्तर; जलाशयों के पूर्ण और अधिकतम स्तर)। https://sandrp.in/2022/10/02/2022-overview-of-cwc-flood-monitoring-sites-in-west-india/ ; और SANDRP (2019). Man-made national crisis that Gandhi Sagar dam faced in Sept 2019. https://sandrp.in/2019/09/24/man-made-national-crisis-that-gandhi-sagar-dam-faced-in-sept-2019/
- National Institute of Hydrology, North Western Regional Centre (2025). *Assessment of the Water Level Rise Crisis in Jodhpur City*, final report (कायलाना और तख्त सागर: जलाशय के पूर्ण जल स्तर और क्षमताएँ; राजीव गाँधी लिफ्ट नहर; जोजरी की ओर जल निकासी)। https://nihroorkee.gov.in/studies_2014-2025/135-Assessment%20of%20water%20level%20rise%20crises%20in%20Jodhpur_S.%20Nema.pdf
- Jaipur Development Authority. Dravyavati River Rejuvenation Project, EIA/EMP Chapter 2 (47.50 km; 100-वर्ष की बाढ़; ढूँढ में मिलना)। https://environmentclearance.nic.in/writereaddata/FormB/EC/FORM_1/170520176S4VOAIDChapter-2.pdf
- *Rajasthan Municipalities Act, 2009* (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009; 2009 का अधिनियम संख्यांक 18), धारा 68 और 202, तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़े गए रूप में (संशोधन जाँचे नहीं गए)। https://lawgist.in/states/rajasthan/rajasthan-municipalities-act-2009

- *Rajasthan Lakes (Protection and Development) Authority Act, 2015* (राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015; 2015 का अधिनियम संख्यांक 5), विधेयक (2015 का विधेयक संख्या 11, प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद) के पाठ के अनुसार पढ़ा गया, धारा 2–6। https://www.ielrc.org/Content/e1501.pdf
- Supreme Court of India. *In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*, Suo Motu WP (C) 8 of 2025: 21 नवंबर 2025 का निर्णय (2025 INSC 1341), https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_3_50_66079_Judgement_21-Nov-2025.pdf ; और 7 अगस्त 2026 का आदेश (2026 INSC 812; सभी नदी प्रणालियों के लिए उच्च बाढ़ रेखा और पारिस्थितिक बफर; चिह्नित नदी गलियारों में कोई नई अनुमति नहीं), https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_2_58_72891_Judgement_07-Aug-2026.pdf ; और 24 अगस्त 2026 का अंतरिम आदेश (जोजरी के किनारे से 100 m; खतरनाक उद्योगों के लिए 500 m), प्रकाशित खबरों के अनुसार (PTI, ThePrint)।
- High Court of Rajasthan. *Ramji Lal Saini v. State of Rajasthan*, D.B. CWP (PIL) 6614/2021, 7 मई 2026 का आदेश (*Abdul Rahman v. State of Rajasthan*, DBCWP 1536/2003, 2 अगस्त 2004, और *Gulab Kothari v. State of Rajasthan*, DBCWP 1554/2004, 12 जनवरी 2017 को उद्धृत करते हुए), https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/05/22/ramji-lal-675710.pdf ; राज्य की आर्द्रभूमियों पर स्वतः संज्ञान आदेश, 1 जून 2026, https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/06/05/suot-motu-wetlands-uploaded-678250.pdf ; स्वतः संज्ञान SBCWP 11153/2011 (रामगढ़ का जलग्रहण क्षेत्र; 23 अगस्त 2011 और 29 मई 2012 के आदेश), *National Institute of Medical Science University v. State of Rajasthan*, 9 नवंबर 2017 के निर्णय में उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्धृत रूप में, https://hcraj.nic.in/sci/2012/1-38041-2012_2017-11-09.pdf ; और उदयपुर की झीलें (17 जनवरी 1997 की निर्माण-निषिद्ध जोन संबंधी अधिसूचना; नवंबर 2025 का फतह सागर के जलग्रहण क्षेत्र संबंधी आदेश; स्वतः संज्ञान CW 12630/2026), प्रकाशित खबरों के अनुसार (Down To Earth; Udaipur Times; Verdictum, 10 जून 2026)।
- National Green Tribunal, Central Zone, और Supreme Court of India: आना सागर, अजमेर (आर्द्रभूमि में संरचनाएँ; 2023 और 2025 के आदेश; 12 सितंबर 2025 से ध्वस्तीकरण), प्रकाशित खबरों के अनुसार (ThePrint; The Week)।
- Soni, G.P. (2010). Storage above design full tank level in Pichola, Swaroop Sagar and Fatah Sagar lakes, Udaipur. India Water Portal. https://www.indiawaterportal.org/climate-change/disasters/storage-above-design-full-tank-level-pichola-swaroop-saagar-and-fatah-saagar-lakes-udaipur
- India Meteorological Department. *Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012)*, राजस्थान के पृष्ठ (Jaipur और Kanota, 19 जुलाई 1981; Pindwara, 1 सितंबर 1973)। https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf
- Singh, R.S., Ramakrishna, Y.S., Sharma, K.D., Purohit, R.S. and Bohra, D.N. (1992). Some hydrometeorological aspects of an unprecedented rainstorm in the Indian desert. *Annals of Arid Zone* 31(3), 205–210 (लूणी में जुलाई 1979 की आकस्मिक बाढ़ पर Dhir et al., 1982 का हवाला देते हुए)। https://epubs.icar.org.in/index.php/AAZ/article/download/66155/28315/165909
- राजस्थान के रामसर स्थल: केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (Keoladeo National Park) (1981), सांभर झील (Sambhar Lake) (1990), और खीचन और मेनार (4 जून 2025), द्वितीयक स्रोतों में सूची के अनुसार।
- राज्य का वह भाग जो भीतर की ओर बहता है (लगभग 60%), द्वितीयक स्रोतों से, और Ground Water Year Book 2016–17 की बेसिन तालिका, पुनःप्रस्तुत रूप में; दोनों भिन्न परिभाषाओं का प्रयोग करते हैं।
- सितंबर 2019 की कोटा की बाढ़ और कोटा बैराज से छोड़े गए पानी पर समाचार रिपोर्टें (PTI/Business Standard; Hindustan Times; Lokmat Times); आना सागर के गेज और एस्केप गेटों पर (Patrika), https://www.patrika.com/ajmer-news/heavy-rain-water-flows-from-anasagar-channel-gate-4925040/ और https://www.patrika.com/ajmer-news/ajmer-anasagar-13-not-20-feet-of-water-in-anasagar-5071793/ ; सितंबर 2024 और जुलाई 2025 की अजमेर की बाढ़ों पर (ANI; Free Press Journal; The Week); उदयपुर की झीलों के स्तरों पर (Amar Ujala, जुलाई 2025),

https://www.amarujala.com/rajasthan/udaipur-news-city-submerged-due-to-two-hours-of-torrential-rain-in-udaipur-drainage-system-failed-2025-07-06 , और Udaipur Times; अगस्त 2006 की बाड़मेर की बाढ़ पर (Down To Earth); और घग्घर और ओट्टू वियर (Ottu weir) पर (The Statesman)।

- Survey of India. Tidal Predictions: Geodetic and Research Branch. https://www.geographyandyou.com/survey-of-india/tidal-predictions-geodetic-and-research-branch-survey-of-india
- GLOSS. India national report (ज्वार गेज नेटवर्क और डेटम)। https://gloss-sealevel.org/gloss/gloss/sites/gloss/files/publications/documents/india_ge9.pdf
- Adani Ports (2025). Tide Table 2025, Dahej (NHO INP-12 के कवरेज और आँकड़ों के स्रोतों पर टिप्पणियाँ)। https://www.adaniports.com/-/media/Project/Ports/PortsAndTerminals/Dahej-Port/Marine-Documents/Tide-Table-2025-Dahej.pdf
- INCOIS. Storm-surge and swell-surge warning services. https://incois.gov.in/
- FHWA. HEC-22 Urban Drainage Design Manual (वर्तमान संस्करण), Table 7.3 (संयोगी आवृत्तियाँ)।
- Purdue University JTRP (2023). Development of a Multiple Water Course Joint Probability Analysis Procedure for Indiana Watersheds, FHWA/IN/JTRP-2023/09. https://docs.lib.purdue.edu/jtrp/1820
- PUB Singapore (2025). Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed., Addendum No. 3. https://info.corenet.gov.sg/docs/default-source/pub-circulars/pub-circular_cop-7th-ed-addendum-no-3_16-apr-2025.pdf?sfvrsn=5a2c1e1a_2

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
5A	ज्वारीय डेटम (CD और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डेटम के सापेक्ष MSL, MHWS, HAT), तटीय खंडवार महोर्मि प्रावधान और 1% स्थिर जल स्तर
5B	प्रमुख ड्रेन, नदी आउटफॉल वाले नदी-भाग, और रेत अवरोध से बंद होने के अधीन नदी मुख; मानचित्र
5C	हल किया गया उदाहरण: दक्षिण जयपुर में द्रव्यवती के एक सहायक नाले पर स्थित एक साइट के लिए आउटफॉल-बंद जाँच
प्रपत्र 5-1	अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट
प्रपत्र 5-2	सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण (छोटी साइटें)

अध्याय 6

लघु और प्रमुख जल निकासी प्रणालियाँ

6.1 उद्देश्य और विस्तार

6.1.1 यह अध्याय उस वहन प्रणाली (conveyance system) के लिए सेवा स्तर और हाइड्रोलिक मानदंड निर्धारित करता है जो किसी विकास, सड़क या सार्वजनिक जल निकासी योजना से अपवाह को किसी प्राप्तकर्ता जलमार्ग, तालाब या आउटफॉल तक ले जाती है। इसमें सम्मिलित हैं:

- (a) द्वैध जल निकासी अवधारणा (dual drainage concept): एक लघु प्रणाली (minor system) और एक प्रमुख प्रणाली (major system) (खंड 6.3);
- (b) भूमि उपयोग और सड़क वर्ग के अनुसार डिजाइन पुनरावृत्ति अवधियाँ (खंड 6.4);
- (c) सड़क हाइड्रोलिक्स: फैलाव, गहराई और प्रवाह जोखिम (खंड 6.5);
- (d) इनलेट, अवरोध (clogging) सहित (खंड 6.6);
- (e) पाइप तथा खुली और ढकी ड्रेन (खंड 6.7);
- (f) हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन (HGL) विश्लेषण (खंड 6.8);
- (g) सतही प्रवाह मार्ग, निचले बिंदुओं (sag) पर जल का रुकना और भवनों के फर्श स्तर (खंड 6.9 से 6.11);
- (h) पुलिया और सड़क क्रॉसिंग (खंड 6.12); और
- (i) ढकी ड्रेन, गाद, ठोस अपशिष्ट, उपयोगिता सेवाओं और गाद निकासी के लिए पहुँच से संबंधित राजस्थान की निर्माण-पद्धति की अपेक्षाएँ (खंड 6.13)।

6.1.2 अलग-अलग संरचनाओं (पुलिया, चैनल, ऊर्जा क्षयकारी, जाली, पंप, गेट, मैनहोल) का विस्तृत हाइड्रोलिक डिजाइन अध्याय 9 में है। वर्षा अध्याय 2 में, अपवाह की विधियाँ अध्याय 3 में, साइट पर भंडारण अध्याय 4 में, टेलवाटर अध्याय 5 में, जलाशय अध्याय 7 में और जल गुणवत्ता अध्याय 8 में है।

6.1.3 यह अध्याय सभी सार्वजनिक ड्रेन, कर्ब या सड़क किनारे की ड्रेन वाली सभी सड़कों, और उन विकासों की सभी निजी जल निकासी प्रणालियों पर लागू होता है जो अध्याय 1 के प्रयोज्यता सीमा-मानों को पूरा करते हैं। टियर B स्थानीय निकायों में ≤ 16 ha की सेवा करने वाले अवयवों के लिए अध्याय 1 में उल्लिखित सरलीकृत प्रक्रियाओं और डिजाइन सहायिकाओं का उपयोग किया जा सकता है, किंतु इस अध्याय के मानदंड फिर भी लागू होते हैं।

> **भाष्य.** राजस्थान की ड्रेनें निम्न घोषित सेवा स्तर के साथ और ड्रेन की क्षमता से बड़ी बाढ़ के लिए बिना किसी योजना के डिजाइन की गई हैं। शोध के दौरान राज्य का जल निकासी डिजाइन का एकमात्र नियम राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना (RUIDP; Rajasthan Urban Infrastructure Development Project) का उसके नगर जल निकासी कार्यों के लिए 2008 का दिशानिर्देश मिला, जिसमें कहा गया है कि "अधिकांश RUSDIP शहरी क्षेत्र 1-2 वर्ष [sic] की डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि ले सकते हैं" ("Most RUSDIP city areas may adopt a design return period of 1-2 yeas [sic]"), पुलियों के लिए 25 वर्ष और पुलों के लिए 50 वर्ष के साथ, और कि "भारतीय परिस्थितियों में डिजाइन में ली गई वर्षा की तीव्रता सामान्यतः 12mm/hr से 20mm/hr की सीमा में होती है" ("In Indian conditions, intensity of rainfall adopted in design is usually in the range of 12mm/hr to 20mm/hr") (RUIDP का परिपत्र संख्या 8, 4 मार्च 2008)। जयपुर का अपना गेज 53.1 mm की 5-वर्ष 1-घंटे की वर्षा और 93 mm की 50-वर्ष 1-घंटे

की वर्षा देता है (Ghate और Timbadiya, 2022, 1970–2013 के IMD के घंटेवार अभिलेखों से), इसलिए परिपत्र की तीव्रताओं के अनुसार बनी ड्रेन उस वर्षा घटना के केवल एक अंश के लिए आकारित होती है जिसकी नगर लगभग पाँच वर्ष में एक बार अपेक्षा कर सकता है। द्रव्यवती (Dravyavati) को 100-वर्ष की बाढ़ के लिए डिजाइन किया गया था (JDA, द्रव्यवती EIA), किंतु किसी भी नगर के लिए डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि वाला कोई अनुमोदित जल निकासी मास्टर प्लान नहीं मिला। जयपुर की अभिलिखित सबसे अधिक 24 घंटे की वर्षा, 326.0 mm, 19 जुलाई 1981 को हुई (IMD); 31 जुलाई–1 अगस्त 2024 को नगर में पानी से भरे एक बेसमेंट में एक परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हुई (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और जुलाई 2022 में 24 घंटों में 119 mm वर्षा से, जो 1943 के बाद जोधपुर की जुलाई की सबसे अधिक वर्षा थी, नगर की 30 से अधिक कॉलोनियाँ जलमग्न हुईं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जहाँ ड्रेनें उफनती हैं, वहाँ पानी सड़कों के साथ बहता है और निचली कॉलोनियों में जमा होता है: जुलाई 2026 में टोंक रोड, रामबाग और जयपुर का परकोटा (walled city) जलभराव से ग्रस्त रहे (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और परकोटे का पानी गंदा नाला (Ganda nala) से होकर द्रव्यवती में जाता है (JDA, द्रव्यवती EIA)। जिन नालों को अतिप्रवाह ले जाना चाहिए, उनकी रक्षा मुख्यतः न्यायालय करते हैं: उच्च न्यायालय ने ठहराया है कि गैर मुमकिन (gair mumkin) नाला के रूप में दर्ज भूमि एक प्राकृतिक चैनल है जिसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भी न मोड़ा जा सकता है और न उस पर निर्माण किया जा सकता है (*Ramji Lal Saini v. State of Rajasthan*, 7 मई 2026)। ड्रेनें स्वामियों में बँटी हुई भी हैं: नगर निगम, नगर परिषदें और नगरपालिका बोर्ड, विकास प्राधिकरण और नगर सुधार न्यास, कॉलोनी विकासकर्ता, RIICO, WRD और राजस्व विभाग, सभी एक ही नगर में ड्रेनें और प्राप्तकर्ता जलाशय बनाते या धारण करते हैं, और कोई नियम उनका विभाजन नहीं करता (खंड 6.9 का भाष्य देखें)। वर्षा को ठीक करना (अध्याय 2) उत्तर का केवल आधा भाग है। दूसरा आधा भाग सतह के स्तर पर एक दूसरी प्रणाली है जो वह प्रवाह ले जाती है जो पाइप नहीं ले जा सकते, भवनों में बाढ़ लाए बिना। यही इस अध्याय की द्वैध जल निकासी अवधारणा है, जो Kansas City Metro APWA Section 5600 (5601.8, Levels of Service) से ली गई है, जिसमें प्रत्येक अवयव के लिए 1% AEP अतिप्रवाह मार्ग अनिवार्य है।

6.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
लघु प्रणाली	इनलेट, पाइप, ढकी ड्रेन और खुली ड्रेन जो तालिका 6.1 के लघु डिजाइन AEP तक का अपवाह खंड 6.8 की सीमाओं से ऊपर सरचार्ज के बिना ले जाती हैं।
प्रमुख प्रणाली	सतही प्रवाह मार्ग (सड़कें, सतही प्रवाह मार्ग, खुले चैनल, बाढ़ मार्ग और भंडारण) जो लघु प्रणाली की क्षमता से अधिक प्रवाह को 1% AEP (100-वर्ष) घटना तक ले जाते हैं।
सतही प्रवाह मार्ग	सार्वजनिक भूमि में या दर्ज सुखाधिकार (easement) में एक परिभाषित सतही मार्ग, जो प्रमुख प्रणाली के प्रवाह को किसी प्राप्तकर्ता जलमार्ग तक ले जाता है।
फैलाव (T)	कर्ब चैनल और कैरिजवे में प्रवाह की चौड़ाई, कर्ब के फलक से मापी गई।
निचला बिंदु	किसी सड़क या प्रवाह मार्ग पर एक निचला बिंदु जहाँ से पानी केवल किसी इनलेट के माध्यम से या अतिप्रवाह स्तर तक रुककर ही निकल सकता है। बंद निचले बिंदु (trapped sag) का कोई सतही अतिप्रवाह मार्ग नहीं होता।
अवरोध गुणक	किसी इनलेट की स्वच्छ हाइड्रोलिक क्षमता का वह अंश जो कचरे के कारण नष्ट माना जाता है (खंड 6.6.3)।
हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन (HGL)	किसी वाहिका प्रणाली में मुक्त सतह के स्तरों को, या प्रणाली के दाब में होने पर पीजोमीट्रिक स्तरों को, जोड़ने वाली रेखा।
ढकी ड्रेन	एक आयताकार ड्रेन, सामान्यतः सड़क के किनारे, जो स्थल पर ढाली गई या पूर्वनिर्मित ढकने की स्लैबों से बंद होती है और जिनसे फुटपाथ बनता है।
तलछट प्रावधान	किसी ड्रेन या पाइप की वह गहराई या क्षेत्रफल जो उसकी डिजाइन क्षमता की गणना करते समय गाद से भरा माना जाता है (खंड 6.7.8)।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
जाँच घटना	डिजाइन AEP से दुर्लभतर कोई AEP जिस पर संयुक्त लघु और प्रमुख प्रणाली को फिर भी तालिका 6.2 की सीमाएँ पूरी करनी होंगी।
उच्च-घनत्व क्षेत्र	खंड 6.4.4 के अंतर्गत अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा इस रूप में अधिसूचित क्षेत्र।
श्रेणी I क्षेत्र	1 लाख या अधिक जनसंख्या वाला शहरी स्थानीय निकाय (CPHEEO की परिभाषा)।

6.3 द्वैध जल निकासी अवधारणा

6.3.1 प्रत्येक जल निकासी प्रणाली को एक साथ काम करने वाली दो प्रणालियों के रूप में डिजाइन किया जाएगा:

- (a) एक **लघु प्रणाली** जो तालिका 6.1 का लघु डिजाइन प्रवाह भूमि के नीचे या ड्रेन में ले जाती है, सड़कों को उपयोग योग्य और फैलाव को तालिका 6.2 के भीतर रखते हुए; और
- (b) एक **प्रमुख प्रणाली** जो लघु प्रणाली की क्षमता से अधिक का सारा प्रवाह, 1% AEP (100-वर्ष) प्रवाह तक, सतह पर, भवनों में प्रवेश किए बिना और खंड 6.5 की गहराई और जोखिम सीमाओं के भीतर ले जाती है।

6.3.2 **प्रत्येक अवयव का 1% मार्ग.** प्रत्येक इनलेट, निचले बिंदु, पाइप, ड्रेन, पुलिया और भंडारण अवयव का किसी प्राप्तकर्ता जलमार्ग, तालाब या आउटफॉल तक एक चिह्नित 1% AEP सतही प्रवाह मार्ग होगा। यह मार्ग जल निकासी नक्शे पर दर्शाया जाएगा (खंड 6.15)।

6.3.3 **प्रमुख प्रणाली का डिजाइन प्रवाह.** किसी भी बिंदु पर प्रमुख प्रणाली 1% AEP चरम प्रवाह में से उस बिंदु पर लघु प्रणाली की क्षमता घटाकर बचा प्रवाह ले जाएगी। इस घटाव में प्रयुक्त लघु प्रणाली की क्षमता खंड 6.6.3 के अवरोध गुणकों के बाद इनलेट की क्षमता, या पाइप की क्षमता, जो भी कम हो, होगी। निचले बिंदुओं पर और भवनों के फर्श स्तर निर्धारित करने के लिए प्रयुक्त किसी भी स्थान पर प्रमुख प्रणाली की जाँच लघु प्रणाली को **पूर्ण रूप से अवरुद्ध** मानकर भी की जाएगी (खंड 6.10.3)।

6.3.4 **वर्षा और विधि.** डिजाइन प्रवाह में अध्याय 2 की वर्षा (खंड 2.8 के जलवायु गुणक सहित) और अध्याय 3 की विधियों का उपयोग किया जाएगा:

- (a) रेशनल विधि केवल ≤ 16 ha के जलग्रहण क्षेत्रों और एकल वहन अवयव के लिए। इसका उपयोग ऐसे नेटवर्क में नीचे की ओर प्रवाह जोड़ने के लिए नहीं किया जाएगा जिसका कुल जलग्रहण क्षेत्र 16 ha से अधिक हो;
- (b) 16 ha से बड़े नेटवर्क के लिए और भंडारण, पंपिंग या ज्वारीय आउटफॉल वाले किसी भी नेटवर्क के लिए हाइड्रोलिक रूटिंग सहित हाइड्रोग्राफ विधि (उदाहरण के लिए SWMM, हाइड्रोलिक मॉडल के साथ HEC-HMS, या समतुल्य 1D/2D मॉडल);
- (c) न्यूनतम सांद्रण समय 10 मिनट।

6.3.5 **जलग्रहण क्षेत्रों के बीच कोई स्थानांतरण नहीं.** न लघु प्रणाली और न प्रमुख प्रणाली एक प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्र से दूसरे में प्रवाह मोड़ेगी, जब तक अनुमोदन प्राधिकारी कोई ऐसा जलग्रहण-व्यापी अध्ययन स्वीकार न करे जो कोई प्रतिकूल प्रभाव न दर्शाता हो।

> **भाष्य.** CPHEEO (2019) मैनुअल अपनी शब्दावली में प्रमुख और लघु प्रणालियों को परिभाषित करता है, किंतु प्रमुख प्रणाली के लिए कोई पुनरावृत्ति अवधि नहीं देता। APWA 5600 (2006, 5601.8) में प्रणाली द्वारा 1% चरम प्रवाह का वहन अनिवार्य है और, जहाँ प्रणाली के भीतर की क्षमता कम हो, वहाँ शेष प्रवाह ले जाने के लिए एक अतिप्रवाह प्रणाली। खंड 6.3.3 केवल *अवरोध के बाद* की इनलेट क्षमता घटाता है, पूरी पाइप क्षमता नहीं, क्योंकि व्यवहार में पाइप उससे अधिक पानी नहीं ले सकते जितना इनलेट प्रवेश करने देते हैं। निचले बिंदुओं पर पूर्ण-अवरुद्ध जाँच का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे जयपुर के इस अनुभव के कारण निर्धारित करता है कि सबसे

भारी वर्षा आने के समय फुटपाथों के नीचे की ड्रेनें अक्सर गाद से भरी या ठोस अपशिष्ट से अवरुद्ध होती हैं (CPHEEO 2019 Part A, Ch 1 और 2, ड्रेन में ठोस अपशिष्ट फेंकने पर Figures 1.2 और 2.1)। जलग्रहण क्षेत्रों के बीच स्थानांतरण का निषेध DID Malaysia 2008 की प्रस्तुति जाँच-सूची के अनुसार है, जो जलग्रहण क्षेत्रों के बीच प्रवाह मोड़ने का निषेध करती है।

6.4 डिजाइन पुनरावृत्ति अवधियाँ

6.4.1 लघु प्रणाली, सड़कों और क्रॉसिंग को तालिका 6.1 के AEP के लिए डिजाइन किया जाएगा। जहाँ किसी अवयव पर भूमि-उपयोग की पंक्ति और सड़क-वर्ग की पंक्ति दोनों लागू हों, वहाँ **दुर्लभतर** AEP (लंबी पुनरावृत्ति अवधि) निर्णायक होगा।

तालिका 6.1 — वहन के लिए डिजाइन AEP (खंड 2.4 के अनुरूप)

अवयव	डिजाइन AEP (पुनरावृत्ति अवधि)	जाँच घटना	आधार
लघु प्रणाली: जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर और अजमेर का केंद्रीय भाग और अन्य उच्च-घनत्व क्षेत्र	10% (10-वर्ष)	1% (100-वर्ष) सतही मार्ग	यह मैनुअल (भाष्य देखें)
लघु प्रणाली: अन्य श्रेणी I क्षेत्र	20% (5-वर्ष)	1% सतही मार्ग	यह मैनुअल; CPHEEO की तालिका 4.1
लघु प्रणाली: अन्य क्षेत्र	50% (2-वर्ष)	1% सतही मार्ग	यह मैनुअल; CPHEEO की तालिका 4.1
धमनी सड़क की जल निकासी और क्रॉसिंग	अधिसूचित निष्क्रमण या आपातकालीन मार्ग वाली धमनी सड़कों के लिए 2% (50-वर्ष); अन्य धमनी सड़कों के लिए 4% (25-वर्ष)	अगला उच्चतर AEP: 2% डिजाइन के लिए 1%; 4% डिजाइन के लिए 2%	यह मैनुअल (25–50-वर्ष); विभाजन इस मैनुअल द्वारा निर्धारित
संग्राहक सड़क की जल निकासी और क्रॉसिंग	4% (25-वर्ष)	2% (50-वर्ष)	यह मैनुअल
स्थानीय सड़क की जल निकासी और क्रॉसिंग	10% (10-वर्ष)	4% (25-वर्ष)	यह मैनुअल
सार्वजनिक सड़कों पर सड़क अंडरपास और अन्य बंद निचले बिंदु	2% (50-वर्ष)	1% (100-वर्ष)	यह मैनुअल (खंड 6.10.5)
हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, बिजलीघर और अन्य महत्वपूर्ण अवसंरचना	श्रेणी I क्षेत्रों में 1% (100-वर्ष); अन्यत्र 2% (50-वर्ष)	—	CPHEEO 2019 की तालिका 4.1
प्रमुख (सतही) प्रणाली, प्रत्येक अवयव	1% (100-वर्ष)	—	यह मैनुअल
भवनों के फर्श स्तर	1% स्तर + 0.5 m फ्रीबोर्ड	—	यह मैनुअल (खंड 6.11)

6.4.2 **जाँच घटनाएँ.** तालिका 6.1 की जाँच घटना पर संयुक्त लघु और प्रमुख प्रणाली जाँच-घटना का प्रवाह तालिका 6.2 की 1% AEP सीमाओं के भीतर और किसी भवन में पानी प्रवेश किए बिना ले जाएगी। खंड 6.3.2 की 1% सतही मार्ग की अपेक्षा जाँच घटना के अतिरिक्त लागू होती है।

6.4.3 **उच्चतर मानक.** कोई अनुमोदन प्राधिकारी किसी भी अवयव के लिए दुर्लभतर AEP अंगीकार कर सकता है, जिसमें CPHEEO की तालिका 4.1 की टिप्पणी 2 का उच्चाधिकार प्राप्त समिति वाला मार्ग भी सम्मिलित है। वह तालिका 6.1 से अधिक बारंबार AEP अंगीकार नहीं करेगा।

6.4.4 **उच्च-घनत्व क्षेत्र.** अनुमोदन प्राधिकारी मानचित्र द्वारा उन उच्च-घनत्व क्षेत्रों को अधिसूचित करेगा जिन पर 10% AEP लघु प्रणाली मानक लागू होता है। जब तक वह ऐसा नहीं करता, तब तक 10% AEP मानक इन पर लागू होता है:

- (a) जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर के परकोटे (walled cities) और कोटा का पुराना शहर: नगर निगम के क्षेत्र के भीतर का पुराना, सघन रूप से निर्मित शहर, जिसे लागू मास्टर प्लान परकोटे, पुराने शहर, केंद्रीय भाग (core) या विरासत क्षेत्र के रूप में चिह्नित करता है, जिसमें जयपुर का परकोटा भी सम्मिलित है, जिसे जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन) भवन विनियम, 2020 अपनी व्याप्ति से बाहर रखते हैं, और प्रत्येक की सीमा की पुष्टि नगर निगम और विकास प्राधिकरण द्वारा की जानी है [TBC];
- (b) प्रत्येक अन्य नगर निगम में, वह क्षेत्र जिसे लागू मास्टर प्लान परकोटे, पुराने शहर या केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्र (central business district) के रूप में चिह्नित करता है, और उन गाँवों की पुरानी आबादी (abadi) जो निर्मित क्षेत्र में सम्मिलित कर लिए गए हैं; और
- (c) टियर A निकाय का कोई भी क्षेत्र जहाँ मास्टर प्लान जोन के आधार मान से अधिक तल स्थान सूचकांक (floor space index) की अनुमति देता है।

6.4.5 **रेट्रोफिट.** जहाँ किसी विद्यमान ड्रेन को व्यावहारिक रूप से तालिका 6.1 के AEP तक बड़ा नहीं किया जा सकता, वहाँ कमी की पूर्ति प्रतिप्रवाह भंडारण (अध्याय 4), क्षेत्रीय भंडारण (अध्याय 7) या उन्नत प्रमुख प्रणाली मार्ग द्वारा की जाएगी। अनुमोदन प्राधिकारी शेष सेवा स्तर दर्ज करेगा।

> **भाष्य.** तालिका 6.1 के मान खंड 2.4 के सारांश के अनुरूप हैं और इनमें अंडरपास और महत्वपूर्ण अवसंरचना की पंक्तियाँ जोड़ी गई हैं। ये CPHEEO (2019) के राष्ट्रीय परामर्शी न्यूनतम मानों, श्रेणी I शहरों के लिए 5-वर्ष और अन्यत्र 2-वर्ष, से अधिक हैं (CPHEEO Part A, तालिका 4.1)। उस तालिका की टिप्पणी 2 राज्य की समिति को उच्चतर मान अंगीकार करने की अनुमति देती है। उच्च-घनत्व क्षेत्रों के लिए 10-वर्ष का स्तर Gupta (IIT Bombay) के अनुसार है, जो "आवासीय-उच्च घनत्व के लिए 10 वर्ष में 1" ("1 in 10 year for residential-high density") की सिफारिश करते हैं, और मलेशिया के MSMA 2 के अनुसार, जो लिंक हाउस, अपार्टमेंट, वाणिज्यिक और औद्योगिक भूमि के लिए 10-वर्ष की लघु और 100-वर्ष की प्रमुख प्रणालियों का उपयोग करता है। सड़कों के मान भारतीय संहिताओं के एक अंतर्विरोध को सुलझाते हैं। IRC:SP:50-2013 शहरी सड़क ड्रेन के लिए 1–2 वर्ष की सिफारिश करता है। IRC:SP:42-2014 शहरी सड़क किनारे की ड्रेन के लिए 25 वर्ष और अगली उच्चतर पुनरावृत्ति अवधि पर जाँच बाढ़ का सुझाव देता है। APWA 5600 (2006) धमनी सड़कों के लिए 50-वर्ष, संग्राहक सड़कों के लिए 25-वर्ष और आवासीय सड़क क्रॉसिंग के लिए 10-वर्ष का उपयोग करता है। तालिका 6.1 में APWA के स्तर और IRC:SP:42 की जाँच-बाढ़ अवधारणा अपनाई गई है। धमनी सड़कों को 50-वर्ष के निष्क्रमण मार्गों और 25-वर्ष की अन्य सड़कों में विभाजित करने का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और यह इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। अंडरपास के लिए 50-वर्ष का मानक भी इसी प्रकार इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है, क्योंकि अंडरपास एक बंद निचला बिंदु है जहाँ विफलता का रूप चालू कैरिजवे पर गहरा पानी है। खंड 6.4.4 के डिफॉल्ट उच्च-घनत्व क्षेत्र इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं और तब तक लागू रहते हैं जब तक अनुमोदन प्राधिकारी कोई मानचित्र अधिसूचित नहीं करता।

6.5 सड़क हाइड्रोलिक्स: फैलाव, गहराई और प्रवाह जोखिम

6.5.1 **कर्ब चैनल प्रवाह.** त्रिकोणीय कर्ब और कर्ब चैनल खंड (kerb-and-gutter section) में प्रवाह की गणना संशोधित मैनिंग (इजाई) समीकरण से की जाएगी:

> Q = (Ku / n) · Sx^(5/3) · SL^(1/2) · T^(8/3)

जहाँ Q कर्ब चैनल प्रवाह (m^3/s) है, Ku = 0.376 (SI), n कर्ब चैनल का मैनिंग खुरदरापन (तालिका 6.6) है, Sx अनुप्रस्थ ढलान (cross slope, m/m) है, SL अनुदैर्ध्य ढलान (longitudinal slope, m/m) है और T फैलाव (m) है। संयुक्त और अवनमित कर्ब चैनल खंडों का विश्लेषण FHWA HEC-22 (4th edition, 2024) की विधियों से किया जाएगा।

6.5.2 **फैलाव और गहराई की सीमाएँ.** सड़क पर प्रवाह तालिका 6.2 की सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

तालिका 6.2 — सड़क पर प्रवाह की सीमाएँ

सड़क वर्ग	लघु डिजाइन घटना (तालिका 6.1)	जाँच घटना और 1% AEP घटना
धमनी	फैलाव ऐसा होगा कि प्रत्येक दिशा में कम से कम एक सीधी लेन पानी से मुक्त रहे। सड़क के शीर्ष के आर-पार कोई प्रवाह नहीं।	सड़क के शीर्ष पर गहराई ≤ 150 mm और सबसे गहरे बिंदु पर ≤ 350 mm; खंड 6.5.3 की जोखिम सीमाएँ
संग्राहक	फैलाव T ≤ 3 m। निचले बिंदु वाले चौराहे के सिवाय सड़क के शीर्ष के आर-पार कोई प्रवाह नहीं।	उपर्युक्त के अनुसार
स्थानीय	फैलाव T ≤ 3 m। प्रवाह कर्ब के ऊपर से नहीं बहेगा।	उपर्युक्त के अनुसार
सभी वर्ग, चौराहों पर	निचले बिंदु वाले चौराहों और अधि-उन्नयन संक्रमणों पर सड़क के शीर्ष के ऊपर आड़ा प्रवाह (cross-flow) ≤ 0.03 m^3/s; ब्लॉक के बीच के निचले बिंदुओं पर कोई नहीं।	उपर्युक्त के अनुसार

6.5.3 **प्रवाह जोखिम की सीमाएँ.** जाँच घटना और 1% AEP घटना में सड़क और सतही प्रवाह की गहराई (D, m) और वेग (V, m/s) का गुणनफल तालिका 6.3 की सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

तालिका 6.3 — सड़कों और सतही प्रवाह मार्गों के लिए प्रवाह जोखिम की सीमाएँ

स्थान	अपेक्षित जोखिम वर्ग (तालिका 6.4)	सीमाएँ
सभी सड़कों के कैरिजवे	H2 या बेहतर	D·V ≤ 0.6 m^2/s; D ≤ 0.35 m (तालिका 6.2); V ≤ 2.0 m/s
फुटपाथ, पैदल पारपथ, स्कूल, अस्पताल और परिवहन-स्टॉप के अग्रभाग	H1	D·V ≤ 0.3 m^2/s; D ≤ 0.3 m; V ≤ 2.0 m/s
अधिसूचित निष्क्रमण और आपातकालीन मार्ग	H1	D·V ≤ 0.3 m^2/s; D ≤ 0.3 m; V ≤ 2.0 m/s
सड़कों से दूर सार्वजनिक खुले स्थान या सुखाधिकार में सतही प्रवाह मार्ग	H3 या बेहतर, चेतावनी संकेतों सहित	D·V ≤ 0.6 m^2/s; D ≤ 1.2 m; V ≤ 2.0 m/s

तालिका 6.4 — संयुक्त बाढ़ जोखिम संवेदनशीलता वर्ग (संदर्भ के लिए पुनःप्रस्तुत)

वर्ग	विवरण	D·V सीमा (m^2/s)	गहराई सीमा D (m)	वेग सीमा V (m/s)
H1	वाहनों, लोगों और भवनों के लिए सामान्यतः सुरक्षित	≤ 0.3	0.3	2.0
H2	छोटे वाहनों के लिए असुरक्षित	≤ 0.6	0.5	2.0
H3	वाहनों, बच्चों और वृद्धों के लिए असुरक्षित	≤ 0.6	1.2	2.0
H4	वाहनों और लोगों के लिए असुरक्षित	≤ 1.0	2.0	2.0
H5	वाहनों और लोगों के लिए असुरक्षित; भवनों को संरचनात्मक क्षति का खतरा	≤ 4.0	4.0	4.0

वर्ग	विवरण	D·V सीमा (m²/s)	गहराई सीमा D (m)	वेग सीमा V (m/s)
H6	वाहनों और लोगों के लिए असुरक्षित; सभी भवनों के ढहने का खतरा	> 4.0	—	—

स्रोत: AIDR Guideline 7-3, *Technical flood risk management guideline: Flood hazard* (2014), Tables 1 and 2, जो Smith and Wasko (2012) के मॉडल पर आधारित हैं।

6.5.4 खंड 6.5.3 के लिए गहराई और वेग सरल खंडों के लिए कर्ब चैनल प्रवाह गणना से, या जहाँ प्रवाह कर्ब और कर्ब चैनल खंड से बाहर निकलता हो वहाँ 1D या 2D हाइड्रोलिक मॉडल से लिए जाएँगे।

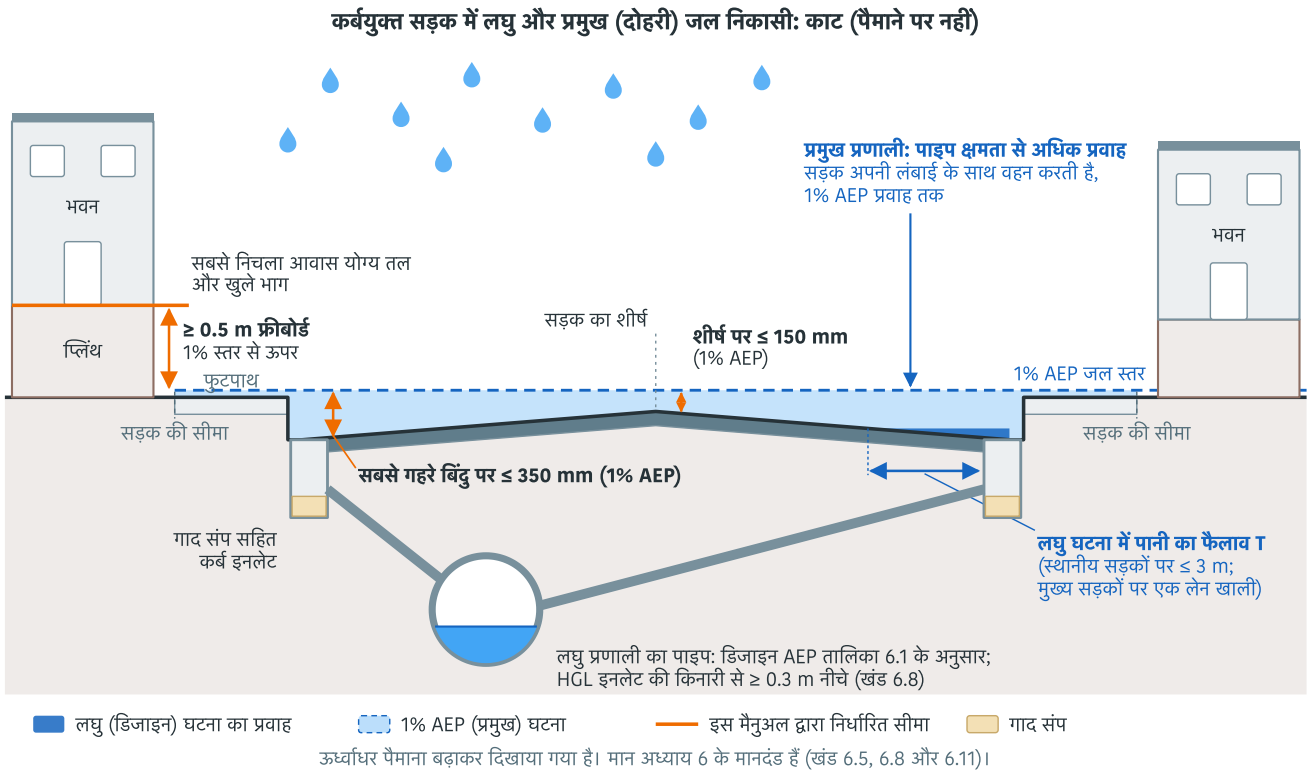

चित्र 6.1 — कर्बयुक्त सड़क में लघु और प्रमुख जल निकासी। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Kansas City Metro APWA, Section 5600 (2006, 5601.8) और FHWA, HEC-22 Urban Drainage Design Manual (4th ed., 2024) से रूपांतरित।

भाष्य. Ku = 0.376 के साथ मैनिंग समीकरण का इजार्ड रूप FHWA HEC-22 और CPHEEO (2019) मैनुअल दोनों में प्रयुक्त है (Part A, Example 5.5, जहाँ स्थिरांक Kc = 0.376 लिखा गया है)। धमनी सड़क के फैलाव का नियम (एक लेन मुक्त) और स्थानीय तथा संग्राहक सड़कों के लिए 3 m का फैलाव APWA 5600 (2006, 5604.2) की प्रत्येक बाहरी लेन में कर्ब के पिछले भाग से 12 ft (3.66 m) की सीमा के निकट हैं। 0.03 m^3/s की आड़े प्रवाह की सीमा चौराहों के संपों और अधि-उन्नयन संक्रमणों पर APWA की 1.0 cfs की सीमा का SI समतुल्य है, और ब्लॉक के बीच के संपों पर कोई आड़ा प्रवाह नहीं। 150 mm और 350 mm की गहराई सीमाएँ सड़क क्रॉसिंग पर 1% अतिप्रवाह के लिए APWA 5600 की सीमाओं (सड़क के शीर्ष पर 7 in, लगभग 180 mm; सबसे गहरे बिंदु पर 14 in, लगभग 360 mm) के निकट हैं। 15 cm से ऊपर बाढ़ न होने का मुंबई का मानदंड (IRC:SP:50-2013, §6.4.1) सड़क के शीर्ष के 150 mm मान का एक स्थानीय पूर्व-उदाहरण है।

तालिका 6.4 के जोखिम वर्ग ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर रेजिलिएंस (AIDR Guideline 7-3, 2014) द्वारा प्रकाशित संयुक्त जोखिम वक्र हैं, जो Smith और Wasko (2012) के मॉडल पर आधारित हैं। कैरिजवे पर H2 या बेहतर की अपेक्षा का अर्थ है कि 350 mm की 1% गहराई सीमा (तालिका 6.2) गहराई के लिए निर्णायक है, और D·V गुणनफल तीव्र ढलान वाली सड़कों पर तेज, उथले प्रवाह

को नियंत्रित करता है। H2 को "छोटे वाहनों के लिए असुरक्षित" ("unsafe for small vehicles") बताया गया है। राजस्थान की सड़कों पर दोपहिया वाहन प्रमुख हैं, इसलिए अधिसूचित निष्क्रमण मार्गों को छोड़कर, जिन्हें H1 पूरा करना होगा, सभी सड़कों पर 1% घटना को सड़क बंद करने वाली घटना माना जाना होगा। तालिका 6.3 में स्थानों को जोखिम वर्ग देने का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और यह इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

6.6 इनलेट

6.6.1 **इनलेट के प्रकार.** इनलेट कर्ब ओपनिंग इनलेट (kerb-opening inlet), जाली इनलेट (grate inlet), संयुक्त इनलेट (combination inlet; कर्ब ओपनिंग सहित जाली) या स्लॉटेड और ट्रेंच ड्रेन (slotted and trench drains) हो सकते हैं। सार्वजनिक सड़कों पर:

- (a) कर्ब ओपनिंग या संयुक्त इनलेट उपयोग किए जाएँगे, जब तक अनुमोदन प्राधिकारी किसी विशिष्ट स्थान के लिए केवल-जाली इनलेट स्वीकार न करे;
- (b) इनलेट के ओपनिंग सड़क स्तर पर रखे जाएँगे, जहाँ व्यवहार्य हो वहाँ कर्ब चैनल अवनमन (gutter depression) के साथ, ताकि ऊँचे कर्ब या फुटपाथ के कारण पानी कैरिजवे पर न रुके;
- (c) कैरिजवे, साइकिल लेन और फुटपाथ में जालियाँ साइकिल और पैदल यात्रियों के लिए सुरक्षित पैटर्न की होंगी (अध्याय 9, खंड 9.11)।

6.6.2 **इनलेट की क्षमता.** ढलान पर और निचले बिंदुओं पर इनलेट की स्वच्छ क्षमता की गणना FHWA HEC-22 (4th edition, 2024) की विधियों से, या उसी जाली और कर्ब ओपनिंग ज्यामिति के लिए निर्माता द्वारा प्रकाशित परीक्षित रेटिंग से की जाएगी। CPHEEO (2019) Part A §5.6.2 के अनुभवजन्य कर्ब इनलेट समीकरणों का उपयोग केवल प्रति-जाँच के लिए किया जा सकता है।

6.6.3 **अवरोध गुणक.** प्रत्येक इनलेट की डिजाइन क्षमता उसकी स्वच्छ क्षमता को तालिका 6.5 के अवरोध गुणकों से घटाकर प्राप्त क्षमता होगी:

तालिका 6.5 — इनलेट अवरोध गुणक (स्वच्छ क्षमता का नष्ट माना गया अंश)

इनलेट का प्रकार	ढलान पर	निचले बिंदु पर
जाली	50%	50%
कर्ब ओपनिंग	10%	20%
संयुक्त	प्रत्येक भाग पर जाली और कर्ब के गुणक अलग-अलग लगाएँ	प्रत्येक भाग पर जाली और कर्ब के गुणक अलग-अलग लगाएँ

डिजाइन क्षमता = (1 − अवरोध गुणक) × स्वच्छ क्षमता।

6.6.4 **इनलेट की दूरी.** इनलेट की स्थिति एक क्रमिक गणना द्वारा तय की जाएगी जो प्रत्येक कर्ब चैनल खंड (gutter run) के शीर्ष से आरंभ होती है। प्रत्येक इनलेट पर ग्रहीत प्रवाह (intercepted flow) की गणना की जाती है, और बाईपास प्रवाह (bypass flow) अगले इनलेट तक पहुँचने वाले कर्ब चैनल प्रवाह में जोड़ा जाता है। दूरी ऐसी होगी कि लघु डिजाइन घटना में तालिका 6.2 की फैलाव सीमाएँ हर स्थान पर पूरी हों। इसके अतिरिक्त:

- (a) कर्बयुक्त सड़कों पर इनलेट की दूरी 30 m से अधिक नहीं होगी, गणना चाहे जो दे;
- (b) प्रत्येक निचले बिंदु पर, पैदल पारपथों और चौराहों से ठीक प्रतिप्रवाह की ओर, पुल डेकों और अधि-उन्नयन संक्रमणों से प्रतिप्रवाह की ओर, और प्रत्येक कर्ब चैनल खंड के अंत में इनलेट लगाए जाएँगे;
- (c) किसी खंड के अंतिम इनलेट का बाईपास प्रवाह उच्चतर वर्ग की सड़क पर या निजी भूमि में नहीं छोड़ा जाएगा।

6.6.5 **निचले बिंदु के इनलेट.** कर्बयुक्त सड़क पर किसी निचले बिंदु पर:

- (a) निचले बिंदु के इनलेट की डिजाइन क्षमता (अवरोध के बाद) निचले बिंदु पर पहुँचने वाले कुल लघु डिजाइन प्रवाह से कम नहीं होगी;
- (b) किसी भी ऐसी सड़क पर जहाँ रुका पानी तालिका 6.2 की सीमाओं से आगे फैल सकता है, और प्रत्येक अंडरपास पर, निचले बिंदु के दोनों ओर पार्श्व इनलेट (flanking inlets) लगाए जाएँगे;
- (c) निचले बिंदु पर जल का रुकना खंड 6.10 का अनुपालन करेगा।

6.6.6 **इनलेट कनेक्शन.** इनलेट को मुख्य ड्रेन से जोड़ने वाले पाइप का व्यास कम से कम 300 mm होगा और वह ऐसी ढलान पर बिछाया जाएगा जिससे इनलेट के डिजाइन प्रवाह पर कम से कम 0.9 m/s वेग मिले।

6.6.7 **गाद संप.** सार्वजनिक सड़क पर प्रत्येक इनलेट कक्ष में उसके आउटलेट पाइप के इनवर्ट से कम से कम 300 mm गहरा गाद संप होगा, जो सतह से सफाई के लिए सुलभ हो।

कर्ब चैनल में फैलाव, इनलेट द्वारा प्रवाह ग्रहण और अवरोध: योजना (पैमाने पर नहीं)

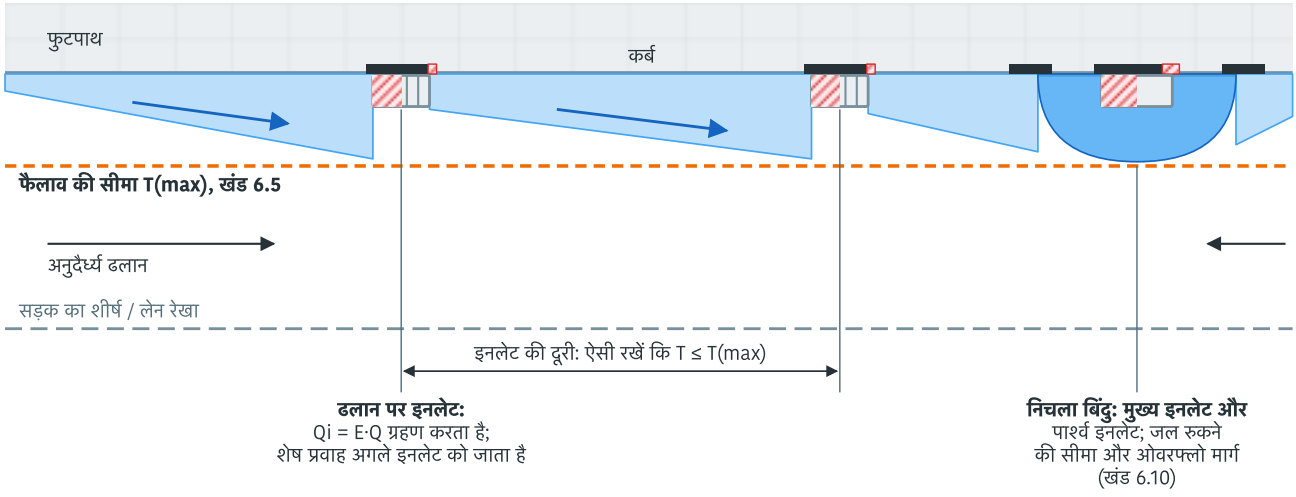

अवरोध गुणक (स्वच्छ क्षमता का घटा हुआ अंश), खंड 6.6

इनलेट का प्रकार	ढलान पर	निचला बिंदु
जाली	**50%**	**50%**
कर्ब में खुला भाग	10%	20%
संयुक्त	प्रत्येक भाग ऊपर के अनुसार	प्रत्येक भाग ऊपर के अनुसार

कर्ब चैनल में फैलाव (लघु घटना)
निचले बिंदु पर जल का रुकना
अवरुद्ध माना गया भाग
कर्ब में खुला भाग

चित्र 6.2 — कर्ब चैनल फैलाव, इनलेट द्वारा प्रवाह ग्रहण और अवरोध। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, FHWA, HEC-22 Urban Drainage Design Manual (3rd ed., 2009; 4th ed., 2024) और CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019) से रूपांतरित।

> **भाष्य.** ये अवरोध गुणक APWA 5600 (2006, 5604.2) में संप इनलेट की सैद्धांतिक क्षमता के 80% की रेटिंग (20% कमी) से अधिक कठोर हैं, क्योंकि राजस्थान की सड़कों की जालियाँ नियमित रूप से प्लास्टिक और पत्तियों से ढक जाती हैं। CPHEEO (2019) Part A में ड्रेन में फेंके गए ठोस अपशिष्ट को ड्रेन की विफलता का एक प्राथमिक कारण दर्शाया गया है (Figures 1.2 और 2.1)। APWA 5600 (2006) सार्वजनिक सड़कों पर केवल कर्ब ओपनिंग इनलेट की अनुमति देता है; खंड 6.6.1(a) कम कठोर है क्योंकि समतल सड़कों पर संयुक्त इनलेट उपयोगी हैं। 30 m की अधिकतम दूरी और तालिका 6.5 में संयुक्त इनलेट के प्रति व्यवहार का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं

है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। एक नियत अधिकतम सीमा किसी एक अवरुद्ध इनलेट के कारण कर्ब चैनल के लंबे भाग को बिना निकास के रहने से रोकती है। 300 mm का गाद संप इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। यह CPHEEO के कैच-बेसिन विवरण में दर्शाए गए 0.3 m के संप के अनुरूप है (CPHEEO 2019, Figure 5.9)।

6.7 पाइप तथा खुली और ढकी ड्रेन

6.7.1 **एकसमान प्रवाह.** पाइप और ड्रेन की क्षमता की गणना मैनिंग समीकरण से की जाएगी:

> $V = (1/n) \cdot R^{(2/3)} \cdot S^{(1/2)}$; $Q = A \cdot V$

जहाँ V औसत वेग (m/s) है, n मैनिंग खुरदरापन (तालिका 6.6) है, R हाइड्रोलिक त्रिज्या (m) है, S घर्षण ढलान (friction slope, m/m) है, A प्रवाह क्षेत्रफल (m^2) है और Q प्रवाह दर (m^3/s) है। जहाँ टेलवाटर, संगम या किसी संरचना से पश्चजल प्रभाव (backwater) जल स्तर को प्रभावित करता हो, वहाँ क्रमशः परिवर्तित प्रवाह (gradually varied flow; standard step) या हाइड्रोलिक नेटवर्क मॉडल का उपयोग किया जाएगा, और खंड 6.8 की HGL अपेक्षाएँ लागू होंगी।

6.7.2 **मैनिंग खुरदरापन.** n के डिजाइन मान तालिका 6.6 से लिए जाएँगे। कंक्रीट पाइपों और चिनाई या कंक्रीट की ड्रेन के लिए डिजाइन मान तलछट, जैविक परत (biofilm) और पुरानेपन को ध्यान में रखते हुए सूचीबद्ध "ठीक" (fair) या "खुरदरी" (rough) स्थिति के मान से कम नहीं होगा।

तालिका 6.6 — डिजाइन के लिए मैनिंग n (CPHEEO 2019 से)

सामग्री	स्थिति	n (CPHEEO)	इस मैनुअल में न्यूनतम डिजाइन n
सीमेंट कंक्रीट पाइप (कॉलर जोड़)	अच्छी / ठीक	0.013 / 0.015	0.015
S/S जोड़ों वाले स्पन कंक्रीट पाइप (RCC, PSC)	निर्माता का डिजाइन मान	0.011	0.013
HDPE / uPVC पाइप	—	0.010	0.011
प्लास्टिक (चिकना), एस्बेस्टस सीमेंट	—	0.011	0.011
कंक्रीट ड्रेन, स्टील से / लकड़ी से करणी की गई	—	0.014 / 0.015	0.015
रेत और सीमेंट का प्लास्टर	—	0.015	0.015
ईंट की चिनाई	अच्छी / खुरदरी	0.015 / 0.017	0.017
चिनाई	खराब स्थिति	0.020	0.020
सीमेंट में जुड़ी रोड़ी (rubble)	—	0.017	0.017
मिट्टी का चैनल	नियमित, अच्छा / सामान्य	0.020 / 0.025	0.025
मिट्टी का चैनल	पत्थरों और खरपतवार सहित / खराब	0.030 / 0.035	0.035
मिट्टी का चैनल	कचरे या खरपतवार से आंशिक रूप से अवरुद्ध	0.050	0.050
कर्ब चैनल: कंक्रीट	—	0.013	0.013

सामग्री	स्थिति	n (CPHEEO)	इस मैनुअल में न्यूनतम डिजाइन n
कर्ब चैनल: हॉट-मिक्स एस्फाल्ट	—	0.015	0.015
कर्ब चैनल: स्प्रे सील	—	0.018	0.018

CPHEEO स्तंभ का स्रोत: CPHEEO (2019) Part A, Table 5.1 (जो स्वयं CPHEEO Manual on Sewerage and Sewage Treatment Systems, 2013 से है) और Table 5.8 (कर्ब चैनल)।

6.7.3 **वेग की सीमाएँ.** लघु डिजाइन प्रवाह पर:

- (a) न्यूनतम (स्व-सफाई, self-cleansing) वेग: खुली और ढकी ड्रेन में **0.6 m/s** और पाइपों में **0.9 m/s**;
- (b) अधिकतम वेग: पक्की ड्रेन और पाइपों में **3.0 m/s**, जब तक ड्रेन या पाइप को अध्याय 9 के अंतर्गत ढलवाँ चैनल (chute) के रूप में डिजाइन न किया गया हो। CPHEEO पहाड़ी क्षेत्रों में प्लास्टिक या प्लास्टिक-परत वाले पाइपों में 6.0 m/s तक की अनुमति देता है; इसका उपयोग माउंट आबू में, अरावली की पहाड़ियों के नगरों में और अन्य पहाड़ी नगरों में अनुमोदन प्राधिकारी की सहमति से किया जा सकता है;
- (c) कच्चे और वनस्पतियुक्त चैनलों में अधिकतम वेग: अध्याय 9, तालिका 9.2;
- (d) खुली और ढकी ड्रेन में प्रवाह की फ्रूड संख्या डिजाइन प्रवाह पर 0.8 से अधिक नहीं होगी, जब तक ड्रेन को अध्याय 9 के अंतर्गत अतिक्रांतिक प्रवाह के लिए डिजाइन न किया गया हो।

6.7.4 **ढलान.** प्रत्येक पाइप और ड्रेन ऐसी ढलान पर बिछाई जाएगी जिससे खंड 6.7.3(a) प्राप्त हो। जहाँ समतल भू-भाग या नियत आउटफॉल स्तर के कारण यह असंभव हो, वहाँ डिजाइनकर्ता:

- (a) प्राप्त वेग दर्ज करेगा;
- (b) खंड 6.7.8 का तलछट प्रावधान दोगुना करेगा; और
- (c) खंड 6.13.2 की दूरी पर यांत्रिक गाद निकासी के लिए पहुँच का प्रावधान करेगा।

6.7.5 **पाइप में प्रवाह की स्थिति.** पाइपों का आकार ऐसा रखा जाएगा कि लघु डिजाइन प्रवाह पूर्ण-भरे पाइप की क्षमता (pipe-full capacity) से अधिक न हो। वृत्ताकार पाइप अपनी गहराई के लगभग 0.95 पर जो अधिक प्रवाह ले जाता है, उस पर निर्भर नहीं किया जाएगा।

6.7.6 **न्यूनतम आकार.**

- (a) पाइप: 300 mm आंतरिक व्यास; सार्वजनिक मुख्य पाइपों के लिए **450 mm**।
- (b) खुली ड्रेन: तल की चौड़ाई 0.3 m।
- (c) ढकी सार्वजनिक ड्रेन (ढकने की स्लैबों से बंद ड्रेन): स्पष्ट आंतरिक चौड़ाई **0.6 m** और स्पष्ट आंतरिक गहराई **0.6 m**।

6.7.7 **पाइपों के ऊपर आवरण.** पाइपों के ऊपर तैयार स्तर तक कम से कम 0.6 m का आवरण होगा, और कैरिजवे के नीचे कम से कम 0.9 m, जब तक यातायात भार के लिए संरचनात्मक डिजाइन प्रस्तुत न किया जाए। जहाँ मौसमी उच्चतम भूजल स्तर पाइप के शीर्ष से 1 m के भीतर हो, वहाँ खाली पाइप के लिए उत्प्लावन (flotation) की जाँच की जाएगी (CPHEEO 2019, Table 11.2) और आवश्यक होने पर उसे स्थिर (anchor) किया जाएगा।

6.7.8 **तलछट प्रावधान.** खुली ड्रेन, ढकी ड्रेन और 600 mm या अधिक व्यास के पाइपों की डिजाइन क्षमता की गणना इनवर्ट पर तलछट की निम्नलिखित गहराई के साथ की जाएगी:

- (a) खुली और ढकी ड्रेन: **75 mm** और स्पष्ट आंतरिक गहराई के **10%** में से जो अधिक हो;
- (b) 600 mm या अधिक व्यास के पाइप: आंतरिक व्यास का **5%**;
- (c) 600 mm से कम के पाइप: कोई प्रावधान नहीं, किंतु खंड 6.7.3(a) पूरा किया जाएगा।

घटे हुए अनुप्रस्थ काट (section) के लिए मैनिंग n तालिका 6.6 में ड्रेन की सामग्री का मान होगा।

6.7.9 **खुली और ढकी ड्रेन में फ्रीबोर्ड.** लघु डिजाइन प्रवाह पर जल सतह (तलछट प्रावधान के साथ परिकलित) ड्रेन की दीवार के शीर्ष से, या ढकी ड्रेन में ढकने की स्लैब के सॉफिट से, कम से कम तालिका 6.7 के फ्रीबोर्ड जितनी नीचे होगी।

तालिका 6.7 — खुली और ढकी ड्रेन में न्यूनतम फ्रीबोर्ड

ड्रेन	न्यूनतम फ्रीबोर्ड	स्रोत
तल की चौड़ाई 300 mm तक	100 mm	CPHEEO 2019 Table 5.3 (IRC:SP:50-2013 से)
तल की चौड़ाई 300–900 mm	150 mm	CPHEEO 2019 Table 5.3
तल की चौड़ाई 900–1,500 mm	300 mm	CPHEEO 2019 Table 5.3
अधिक चौड़ी ड्रेन और अभियांत्रिक चैनल, Q < 3 m^3/s	450 mm	CPHEEO 2019 Table 5.12 (IS 7784 (Part 1): 1993 से)
Q 3 से < 30 m^3/s	600 mm	उपर्युक्त के अनुसार
Q 30 से < 300 m^3/s	900 mm	उपर्युक्त के अनुसार
Q 300 से < 3,000 m^3/s	1,200 mm	उपर्युक्त के अनुसार
Q ≥ 3,000 m^3/s	1,500 mm	उपर्युक्त के अनुसार
कोई भी सड़क किनारे की ड्रेन	150 mm से कम नहीं	IRC:SP:42-2014
तीव्र ढलान वाले (अतिक्रांतिक) चैनल	प्रवाह की गहराई के बराबर	CPHEEO 2019 §5.3.2

मोड़ों पर फ्रीबोर्ड मोड़ के बाहरी ओर के जल स्तर से मापा जाएगा, जिसमें अधि-उन्नयन $\Delta y = V^2 T / (2\,g\,r_c)$ सम्मिलित है, जहाँ T शीर्ष चौड़ाई है और r_c मध्य-रेखा की त्रिज्या है (CPHEEO 2019, Eq. 5.29)।

6.7.10 **मोड़ और संगम.**

- (a) किसी ड्रेन में मोड़ की मध्य-रेखा त्रिज्या ड्रेन की चौड़ाई की कम से कम 3 गुना होगी (CPHEEO 2019 §5.3.3)। अभियांत्रिक चैनलों में यह शीर्ष चौड़ाई की कम से कम 2 गुना और 30 m से कम नहीं होगी (CPHEEO 2019 Table 5.11)।
- (b) जहाँ ड्रेन मिलती हैं, वहाँ बाहर जाने वाली ड्रेन की चौड़ाई से कम से कम दोगुनी आंतरिक चौड़ाई वाला संगम संप बनाया जाएगा। आने वाली ड्रेन बाहर जाने वाले प्रवाह से समकोण से कम कोण पर प्रवेश करेंगी, और बाहर जाने वाला इनवर्ट संप के फर्श से नीचे होगा ताकि संप में पानी न रुके (CPHEEO 2019 §5.3.4)।

6.7.11 **पाइपों पर मैनहोल और निरीक्षण कक्ष.** प्रत्येक संगम, आकार, संरेखण या ढलान के परिवर्तन पर, और प्रत्येक पाइप के शीर्ष पर मैनहोल बनाए जाएँगे। सीधे खंडों पर दूरी तालिका 6.8 से अधिक नहीं होगी।

तालिका 6.8 — सीधे पाइप खंडों पर मैनहोल की अधिकतम दूरी

पाइप का व्यास	अधिकतम दूरी
300–600 mm	40 m
700–1,000 mm	100 m
1,050–1,400 mm	150 m
1,500 mm और अधिक	300 m

स्रोत: CPHEEO 2019 Table 11.5। मैनहोल के आकार, ड्रॉप और ढक्कन: अध्याय 9, खंड 9.12।

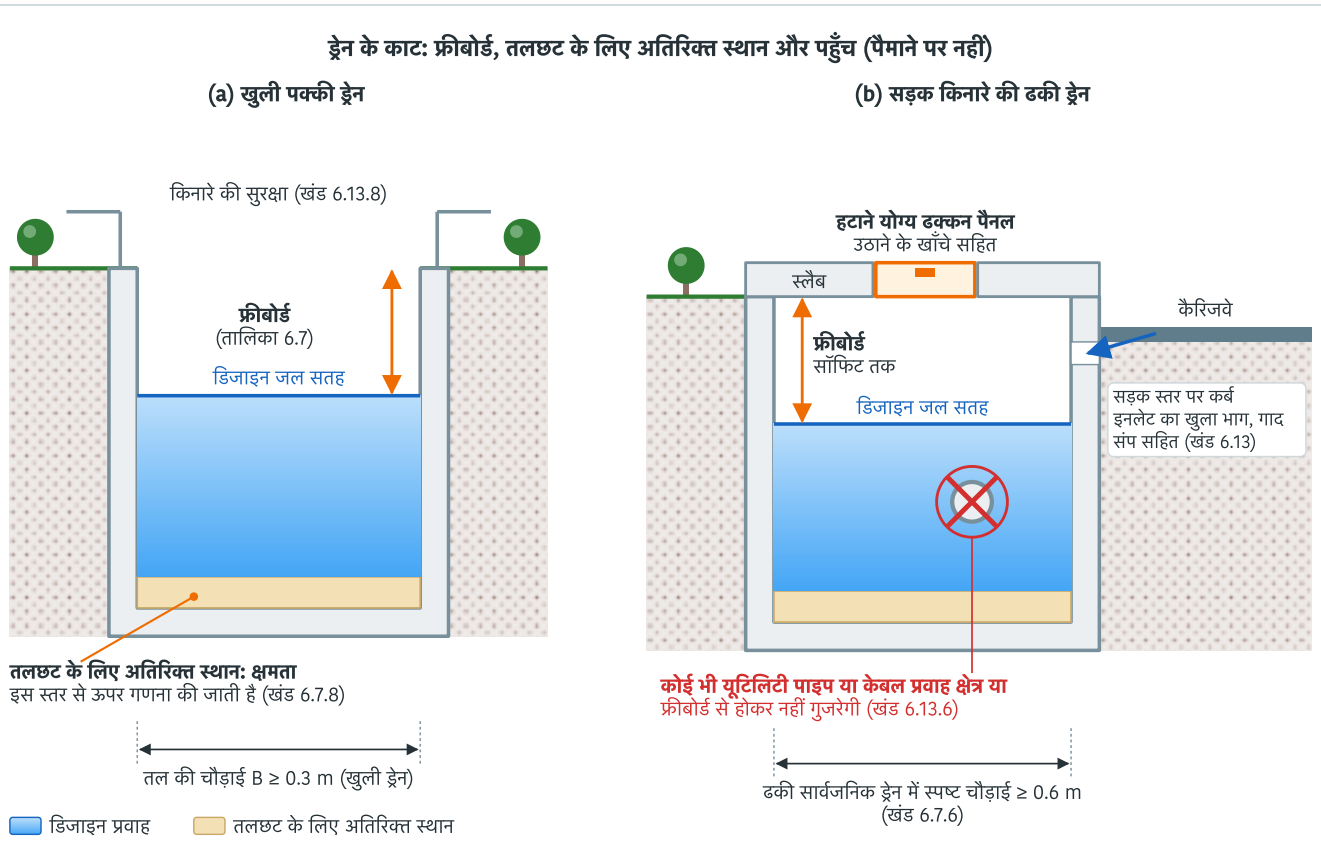

चित्र 6.3 — ड्रेन के खंड: फ्रीबोर्ड, तलछट प्रावधान और पहुँच। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), Tables 5.3 और 5.12, और IRC:SP:50-2013 से रूपांतरित।

भाष्य. n के मान CPHEEO (2019) Table 5.1 के हैं। उच्चतर न्यूनतम डिजाइन मानों का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इन्हें इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि CPHEEO के अनुसार स्पन पाइपों के लिए 0.011 का मान "निर्माता द्वारा दिए गए मान के अनुसार लिया जा सकता है" ("may be taken as given by the manufacturer")। वह स्वच्छ पाइप का मान है, और राजस्थान की ड्रेनें भारी गाद और ठोस अपशिष्ट ले जाती हैं। 0.6 m/s का न्यूनतम वेग CPHEEO का है (Table 5.2), जो 0.09 mm रेत के वहन पर आधारित है (§5.3.1)। पाइपों के लिए 0.9 m/s का मान अधिक कठोर है, क्योंकि गाद से भरा पाइप खुली ड्रेन जितनी आसानी से साफ नहीं किया जा सकता। 3.0 m/s की अधिकतम सीमा CPHEEO Table 5.2 (WPCF/ASCE 1982) से है। 0.8 की फ्रूड सीमा CPHEEO §5.3 से है, जो क्रांतिक प्रवाह से बचने की सलाह देता है क्योंकि उसमें जल सतह अस्थिर हो जाती है।

ढकी ड्रेन के लिए 0.6 m × 0.6 m के न्यूनतम आकार का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और यह इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। इससे संकरी ढकी ड्रेन से ढक्कन के ओपनिंग के माध्यम से हाथ से या छोटी मशीनों से गाद नहीं निकाली जा सकती, और गाद से भरी, दुर्गम ड्रेनें अन्य राज्यों में बाढ़ों के बाद बार-बार सामने आने वाला निष्कर्ष थीं; शोध के दौरान राजस्थान के किसी भी नगर की ड्रेनों की स्थिति का कोई सर्वेक्षण नहीं मिला [TBC], किंतु जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री द्वारा ड्रेनों की पूरी सफाई का निर्देश दिए जाने की खबर है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और उसी महीने उच्च न्यायालय ने JDA से यह स्पष्ट करने को कहा कि उसने NEERI की एक रिपोर्ट में द्रव्यवती के जलग्रहण क्षेत्र के लिए अनुशंसित अंबावाड़ी (Ambawadi) के पास के ड्रेन चैनल क्यों नहीं बनाए (*Alok Gupta v. State*, 25 जुलाई 2026 का आदेश, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। 0.6 m का न्यूनतम आवरण वह मान है जो CPHEEO (2019) की पाइप डिजाइन गणना-पत्रक के हल किए गए उदाहरण में प्रयुक्त है (Part A, Chapter 5)। कैरिजवे के नीचे 0.9 m का आवरण इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

तलछट प्रावधान के मान (ड्रेन के लिए 75 mm या 10%, बड़े पाइपों के लिए 5%) इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। कोई भी भारतीय मानक डिजाइन के लिए तलछट प्रावधान निर्धारित नहीं करता। जयपुर का अनुभव यह है कि ड्रेनें वर्ष के अधिकांश समय आंशिक रूप से गाद से भरी चलती हैं, इसलिए स्वच्छ अनुप्रस्थ काट (section) के लिए परिकलित क्षमता वास्तविक क्षमता को बढ़ा-चढ़ाकर बताती है।

CPHEEO की फ्रीबोर्ड तालिका (Table 5.3) में पहली पंक्ति "Beyond 300 mm bed width" के रूप में छपी है। दूसरी पंक्ति ("Beyond 300 mm & up to 900 mm") के साथ पढ़ने पर पहली पंक्ति का अर्थ अवश्य ही "300 mm तक" होगा; तालिका 6.7 इसी प्रकार लिखी गई है। CPHEEO की मैनहोल दूरी तालिका (Table 11.5) में परस्पर व्यापी श्रेणियाँ (700–1,050 mm और 1,000–1,400 mm) दी गई हैं; तालिका 6.8 में 1,050 mm को 150 m वर्ग में रखकर यह व्यापन हटाया गया है।

6.8 हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन

6.8.1 **HGL विश्लेषण.** प्रत्येक पाइप और ढकी ड्रेन नेटवर्क के लिए डिजाइनकर्ता लघु डिजाइन घटना और जाँच घटना के लिए HGL की गणना करेगा, आउटफॉल से आरंभ करके प्रतिप्रवाह की ओर बढ़ते हुए। विश्लेषण में घर्षण हानियाँ और संगमों, मैनहोलों, मोड़ों, इनलेट, आउटलेट और गेटों पर होने वाली हानियाँ सम्मिलित होंगी।

6.8.2 **प्रारंभिक जल स्तर.** आउटफॉल पर प्रारंभिक (टेलवाटर) स्तर निम्नलिखित में से जो अधिक हो, वह होगा:

- (a) अध्याय 5 का टेलवाटर स्तर: ज्वारीय आउटफॉल पर लघु प्रणाली के डिजाइन के लिए वृहत् ज्वार का औसत उच्च जल स्तर (MHWS) और +0.3 m की समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई, और अन्य आउटफॉल पर संयोगी घटना के लिए प्राप्तकर्ता ड्रेन, नदी या तालाब का स्तर; और
- (b) जहाँ प्राप्तकर्ता जल निचला हो, वहाँ आउटलेट पाइप पर क्रांतिक गहराई और पाइप के व्यास से परिकलित स्तर, (dc + D)/2।

6.8.3 **लघु घटना की सीमा.** लघु डिजाइन घटना में HGL प्रत्येक इनलेट के रिम और प्रत्येक मैनहोल तथा निरीक्षण कक्ष के ढक्कन स्तर से कम से कम **0.3 m नीचे** होगी।

6.8.4 **जाँच घटना और 1% की सीमा.** जाँच घटना और 1% AEP घटना में HGL इनलेट रिमों से ऊपर उठ सकती है। लघु प्रणाली से बाहर निकलने वाला पानी तब प्रमुख प्रणाली द्वारा तालिका 6.2 की सीमाओं के भीतर ले जाया जाएगा और किसी भवन में प्रवेश नहीं करेगा। इन घटनाओं में भूमि से ऊपर सरचार्ज हो सकने वाले मैनहोलों के ढक्कन बोल्ट से कसे या ताला-बंद होंगे (अध्याय 9, खंड 9.12)।

6.8.5 **संरचनाओं पर हानियाँ.** मैनहोलों और संगमों पर हानियों की गणना FHWA HEC-22 (2009 या 2024 edition) की ऊर्जा-आधारित एक्सेस-होल विधि (access-hole method) से, या किसी अनुमोदित हाइड्रोलिक मॉडल में समतुल्य विधि से की जाएगी। 16 ha से छोटे टियर B नेटवर्क के लिए HEC-22 के गुणांकों के साथ सरलीकृत हानि-गुणांक विधि ($h = K\,V^2/2g$) का उपयोग किया जा सकता है।

6.8.6 **इनवर्ट और सॉफिट स्तर.** जहाँ किसी मैनहोल पर पाइप का आकार बढ़ता है, वहाँ आने वाले और बाहर जाने वाले पाइपों के सॉफिट (शीर्ष) मिलाए जाएँगे, या बाहर जाने वाला सॉफिट नीचे रखा जाएगा। बाहर जाने वाला इनवर्ट सबसे निचले आने वाले इनवर्ट से ऊँचा नहीं होगा। मैनहोलों में ऊर्ध्वाधर ड्रॉप अध्याय 9, खंड 9.12 के अनुसार होंगे।

6.8.7 **गेट और वाल्व.** खुली स्थिति में फ्लैप गेटों और नॉन-रिटर्न वाल्वों से होने वाली हेड हानि HGL में सम्मिलित की जाएगी (अध्याय 9, खंड 9.10)।

6.8.8 **निजी कनेक्शन.** किसी ऐसी सार्वजनिक ड्रेन से जुड़ने वाली भवन जल निकासी में, जिसकी 1% HGL भवन की सबसे निचली जल निकासी फिटिंग से ऊपर हो, नॉन-रिटर्न वाल्व होगा।

भाष्य. लघु घटना की HGL और इनलेट रिम के बीच 0.3 m का अंतर इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। यह उन हानियों के लिए मार्जिन रखता है जिन्हें कोई मॉडल कम आँकता है, और उस घटना में, जिसके लिए प्रणाली डिजाइन की गई है, इनलेट से पानी को उबलकर बाहर आने से रोकता है। राजस्थान में नगरों की कई ड्रेनें गेटों या एस्केप चैनल द्वारा पूर्ण गेज स्तर पर रखी गई किसी झील में, अपने ऊपर के डैमों से छोड़े गए पानी से ऊँची रखी गई किसी नदी में, या बिना किसी आउटफॉल वाले किसी बंद गर्त में समाप्त होती हैं (खंड 5.8.5)। जयपुर में नाले

> द्रव्यवती में समाप्त होते हैं, जो 100-वर्ष की बाढ़ के लिए डिजाइन किया गया एक चैनल है (JDA, द्रव्यवती EIA), इसलिए वर्षा घटना के दौरान प्रत्येक नाले के आउटफॉल पर स्तर द्रव्यवती से निर्धारित होता है, नाले की अपनी क्षमता से नहीं। उदयपुर में ड्रेनें उन झीलों में समाप्त होती हैं जो गेट वाले चैनलों से जुड़ी हैं और जिनका अतिप्रवाह आयड़ (Ayad) में जाता है, अजमेर में आना सागर या उसके एस्केप चैनल (escape channel) में, और कोटा में चार डैमों से छोड़े गए पानी से चढ़ी चंबल में। जिस ड्रेन की HGL किसी मुक्त आउटफॉल से आरंभ की जाती है, या झील, नदी या गर्त के स्तर और गेटों के बिना एक बार में एक लंबाई के लिए परिकलित की जाती है, वह ठीक इसी प्रकार विफल होती है। अध्याय 5 के ज्वारीय टेलवाटर के साथ आउटफॉल से परिकलित HGL इन त्रुटियों को डिजाइन के चरण में ही उजागर कर देती है। MHWS और 0.3 m का प्रारंभिक स्तर CPHEEO (2019) Table 6.2 से है। एक्सेस-होल विधि का वर्णन HEC-22 में 2009 के संस्करण से आगे किया गया है।

6.9 प्रमुख प्रणाली: सतही प्रवाह मार्ग, सुखाधिकार और जल निकासी आरक्षित पट्टियाँ

6.9.1 **प्राथमिक प्रमुख प्रणाली के रूप में सड़कें.** सड़कों की ढलान ऐसी रखी जाएगी कि 1% AEP प्रमुख प्रणाली का प्रवाह सड़क आरक्षित भूमि (road reserve) के साथ-साथ किसी प्राप्तकर्ता जलमार्ग तक बिना रुके ले जाया जाए, सिवाय खंड 6.10 के अंतर्गत डिजाइन किए गए निचले बिंदुओं के।

6.9.2 **सड़कों से बाहर सतही प्रवाह मार्ग.** जहाँ कोई प्रमुख प्रणाली मार्ग सड़क आरक्षित भूमि से बाहर निकलता है, वहाँ वह:

- (a) सार्वजनिक भूमि में, किसी लेआउट के खुले स्थान में, या लेआउट अनुमोदन और स्वत्व-पत्र (title) पर दर्ज सुखाधिकार में होगा;
- (b) कम से कम 1% AEP प्रवाह की शीर्ष चौड़ाई और प्रत्येक ओर 0.5 m जितना चौड़ा होगा, और 3.0 m से कम नहीं होगा;
- (c) भवनों, चारदीवारी, बाड़, भराई, संग्रहीत सामग्री और ऐसे पौधारोपण से मुक्त रखा जाएगा जो प्रवाह में बाधा डाले;
- (d) सतत ढलान पर होगा, जिसमें बिना निकास का कोई निचला बिंदु न हो; और
- (e) तालिका 6.3 की जोखिम सीमाओं के भीतर होगा।

6.9.3 **चारदीवारी.** किसी मानचित्रित सतही प्रवाह मार्ग के आर-पार चारदीवारी या बाड़ नहीं बनाई जाएगी। जहाँ किसी दीवार को उसे पार करना ही हो, वहाँ उसमें इतने कुल क्षेत्रफल के ओपनिंग होंगे जो 50% अवरोध के साथ 1% AEP प्रवाह पारित करें, प्रतिप्रवाह जल स्तर को इस अध्याय की सीमाओं से ऊपर उठाए बिना।

6.9.4 **खुली ड्रेन के साथ पहुँच.** 2 m या अधिक शीर्ष चौड़ाई वाली खुली ड्रेन के एक किनारे पर कम से कम 3.5 m चौड़ी रखरखाव पहुँच पट्टी (access strip) होगी, जो 500 m से अधिक नहीं के अंतराल पर किसी सार्वजनिक सड़क से जुड़ी हो।

6.9.5 **आपूर्ति चैनल, अतिरिक्त जल मार्ग और तालाब.** तालाबों के आपूर्ति चैनल और अतिरिक्त जल मार्ग प्रमुख प्रणाली के भाग हैं और अध्याय 7 के अंतर्गत संरक्षित किए जाएँगे।

6.9.6 **जल निकासी आरक्षित पट्टियाँ.** जल निकासी आरक्षित पट्टी (drainage reserve) भूमि की एक पट्टी है, ड्रेन सहित, जिसे भवनों से मुक्त रखा जाता है ताकि ड्रेन का रखरखाव किया जा सके, उसे चौड़ा किया जा सके और बाढ़ मार्ग के रूप में उसका उपयोग किया जा सके। जल निकासी आरक्षित पट्टी इनके साथ-साथ रखी जाएगी:

- (a) 1.0 m या अधिक आंतरिक चौड़ाई वाली प्रत्येक सार्वजनिक ड्रेन या चैनल, जो विकसित या पुनर्विकसित किए जा रहे किसी लेआउट या साइट से होकर या उसके साथ-साथ बहती हो;
- (b) किसी अंगीकृत बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (अध्याय 11) में दर्शाई गई प्रत्येक ड्रेन या चैनल, उस प्लान की भावी ड्रेन की चौड़ाई पर; और
- (c) किसी सार्वजनिक निकाय द्वारा बनाई गई 1.0 m या अधिक आंतरिक चौड़ाई वाली प्रत्येक नई सार्वजनिक ड्रेन।

6.9.7 **चौड़ाई.** आरक्षित पट्टी ड्रेन की आंतरिक चौड़ाई W से मापी गई तालिका 6.9 की चौड़ाई से कम नहीं होगी। चौड़ाई **अपेक्षित** ड्रेन आकार (नियोजित ड्रेन के लिए, मास्टर प्लान का आकार) पर आधारित है, विद्यमान आकार पर नहीं। जहाँ खंड 6.9.4 की पहुँच पट्टी तालिका 6.9 के मार्जिन से अधिक चौड़ी हो, वहाँ अधिक चौड़ाई निर्णायक होगी।

तालिका 6.9 — जल निकासी आरक्षित पट्टी की न्यूनतम चौड़ाई (PUB Singapore से ली गई)

ड्रेन की आंतरिक चौड़ाई, W	खुली ड्रेन	बंद (ढकी) ड्रेन
1.0 m से 1.2 m	3.0 m	W + 0.6 m
1.2 m से अधिक, 3.0 m तक	W + 2.6 m	W + 1.6 m
3.0 m से अधिक, 4.5 m तक	W + 3.5 m	W + 1.6 m
4.5 m से अधिक, 6.0 m तक	W + 4.5 m	W + 3.0 m
6.0 m से अधिक, 9.0 m तक	W + 6.0 m	W + 3.0 m
9.0 m से अधिक, 25.0 m तक	W + 7.5 m	W + 3.0 m
25.0 m से अधिक	W + 12.0 m	W + 3.0 m

खुली ड्रेन के लिए मार्जिन का बड़ा भाग उस ओर होगा जिसका उपयोग रखरखाव पहुँच के लिए किया जाता है।

6.9.8 **उपयोग और संरक्षण.**

- (a) आरक्षित पट्टी को लेआउट योजना या साइट नक्शे पर एक अलग भूखंड के रूप में दर्शाया जाएगा और सड़कों और खुले स्थान के आरक्षणों की भाँति अनुमोदन प्राधिकारी को निःशुल्क हस्तांतरित किया जाएगा। जहाँ ड्रेन WRD का चैनल हो, वहाँ आरक्षित पट्टी WRD को हस्तांतरित की जाती है।
- (b) आरक्षित पट्टी में कोई भवन, चारदीवारी, बाड़, रैंप, सीढ़ी, भराई या अन्य संरचना नहीं बनाई जाएगी। चारदीवारी और सीमा बाड़ उसके बाहर होंगी।
- (c) आरक्षित पट्टी में पहुँच पट्टी समतल और सतत होगी, और किसी सार्वजनिक सड़क से जुड़ी होगी। रखरखाव वाहनों के सिवाय अन्य वाहनों को रोकने के लिए प्रवेश स्थानों पर बोलार्ड (bollards) या खंभों और जंजीरों का उपयोग किया जा सकता है।
- (d) जहाँ आरक्षित पट्टी पर बाड़ न लगी हो, वहाँ उसके किनारे को 50 m से अधिक नहीं की दूरी पर कंक्रीट के चिह्नकों से चिह्नित किया जाएगा।
- (e) सेवाएँ ड्रेन के नीचे से, इनवर्ट से कम से कम 1.0 m नीचे, या किसी अनुमोदित संरचना पर उसके ऊपर से पार होंगी। सेवाएँ ड्रेन के अनुप्रस्थ काट के भीतर आरक्षित पट्टी के साथ-साथ नहीं चलेंगी।
- (f) आरक्षित पट्टी के किनारे से 2 m के भीतर कोई संरचना ऐसी डिजाइन की जाएगी कि ड्रेन को उसके इनवर्ट से 1.0 m नीचे तक खोदे जाने पर भी वह स्थिर रहे। डिजाइन पर एक योग्य संरचनात्मक अभियंता के हस्ताक्षर होंगे।
- (g) आरक्षित पट्टी साइट की खुले स्थान की अपेक्षाओं में केवल वहीं गिनी जाती है जहाँ अनुमोदन प्राधिकारी के नियम इसकी अनुमति देते हैं; यह अध्याय 7 द्वारा अपेक्षित किसी सेटबैक को कम नहीं करती।

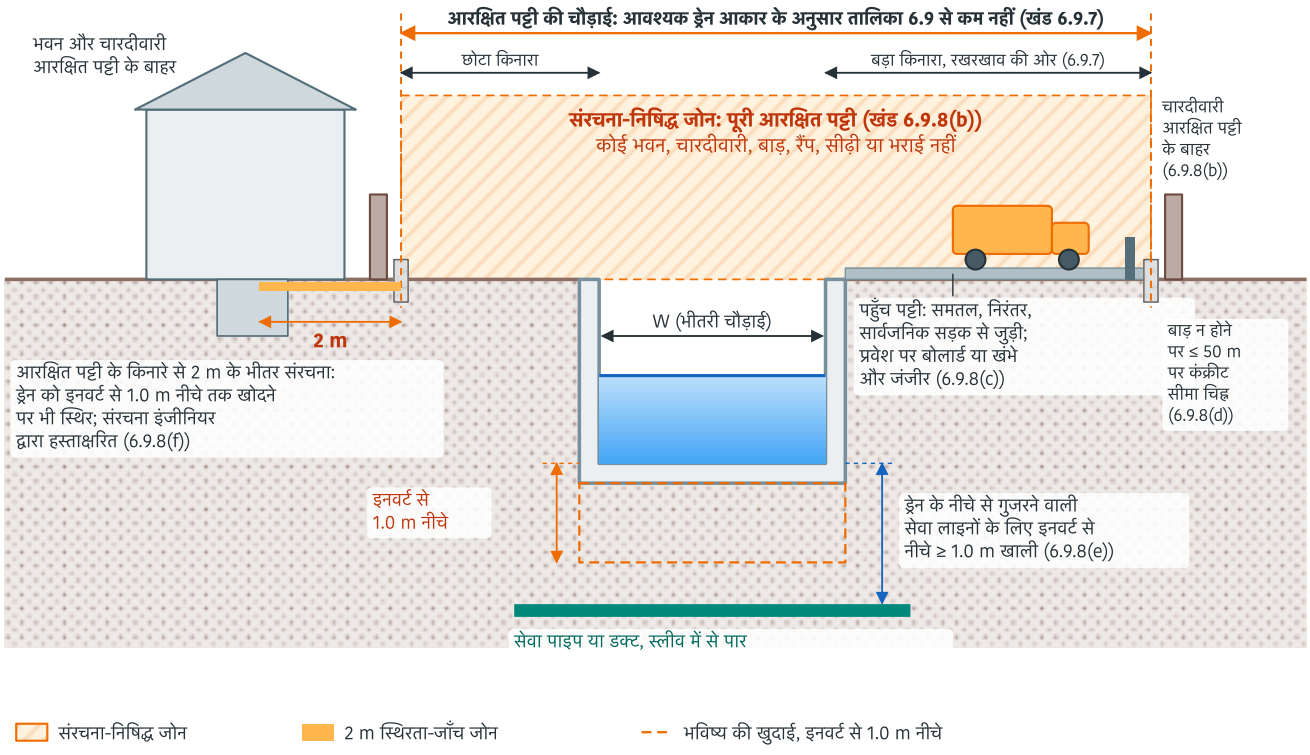

चित्र 6.4 — खुली ड्रेन के साथ जल निकासी आरक्षित पट्टी: तालिका 6.9 से आरक्षित पट्टी की चौड़ाई, संरचना-निषिद्ध क्षेत्र, रखरखाव की ओर पहुँच पट्टी, इनवर्ट के नीचे सेवाओं के लिए 1.0 m का अंतर और 2 m का स्थिरता-जाँच क्षेत्र (खंड 6.9.6 से 6.9.8)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, PUB Singapore, Code of Practice on Surface Water Drainage (7th ed., with Addendum No. 3, 2025), clauses 5.1, 5.3, 9.6 और 9.7 तथा Appendix 1 से रूपांतरित।

भाष्य. जल निकासी आरक्षित पट्टियाँ सिंगापुर के अनुसार हैं, जहाँ "जल निकासी आरक्षित पट्टी की चौड़ाई अपेक्षित ड्रेन आकार पर आधारित होती है" ("the width of a drainage reserve is based on the required drain size") और आरक्षित पट्टी एक अलग भूखंड के रूप में रखी जाती है, "सभी भारों से मुक्त" ("kept free of all encumbrances") (PUB Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed. with Addendum No. 3, 2025, cl. 1.1)। तालिका 6.9 में PUB के Appendix 1 की चौड़ाइयाँ पुनःप्रस्तुत की गई हैं। खंड 6.9.8(b) से (f) PUB के clauses 5.1 (ड्रेन या जल निकासी आरक्षित पट्टी के भीतर कोई संरचना नहीं), 5.3 और 5.3.1 (इनवर्ट से 1.0 m नीचे खुदाई के लिए स्थिरता; आरक्षित पट्टी से 2 m के भीतर अभियंता की गणनाएँ), 9.6 (बोलार्ड या खंभों और जंजीरों सहित समतल, सतत पहुँच) और 9.7 (अधिकतम 50 m पर चिह्नक) के अनुसार हैं। ड्रेन के नीचे से पार होने वाली सेवाओं के लिए 1.0 m का अंतर PUB के विकास-प्लान मार्गदर्शन से है। राजस्थान में भवन और चारदीवारी अक्सर ड्रेन के किनारे तक बना दी जाती हैं, जिससे उसे न चौड़ा किया जा सकता है और न मशीन से उसकी गाद निकाली जा सकती है। किसी भूखंड के विकास या पुनर्विकास के समय भूमि आरक्षित करना उसे सुरक्षित करने का सबसे सस्ता समय है, क्योंकि बाद में चौड़ा करने के लिए भूमि अधिग्रहण आवश्यक होता है। चौड़ाई को मास्टर प्लान के ड्रेन आकार पर आधारित करना (6.9.6(b)) उस भूमि की रक्षा करता है जिसकी भावी ड्रेन को आवश्यकता होगी। राजस्थान में किसी नाले के साथ आरक्षित पट्टी की कोई सांविधिक चौड़ाई नहीं है। मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 में, या उनके पूर्ववर्तियों, मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2020 और JDA के 2020 के भवन विनियमों में, किसी नाले, नदी या झील से कोई सेटबैक नहीं मिला; 5,000–20,000 m^2 निर्मित क्षेत्र वाली परियोजना के लिए JDA के विनियम केवल यह अपेक्षा करते हैं कि "प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली के इनलेट और आउटलेट बिंदु यथावत् रखे जाएँ" ("the inlet and outlet points of the natural drainage system be kept as they are") और कि चैनल "पानी का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त" ("adequate to ensure the unobstructed flow of water") हो (अनुलग्नक 4, अनूदित; 2025 की अनुसूची में यही पाठ है, जो पूरा पढ़ा नहीं गया), और वे झील संरक्षित क्षेत्र के मानदंडों को

अपने ऊपर प्रभावी होने देते हैं (विनियम 10.4)। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 "सभी सार्वजनिक तालाबों, धाराओं, जलाशयों" ("all public tanks, streams, reservoirs") को, "किसी सार्वजनिक तालाब से संलग्न ऐसी किसी भूमि के साथ, जो निजी संपत्ति नहीं है" ("any adjacent land, not being private property, appertaining to any public tank"), और "किसी सड़क में, उसके साथ-साथ या उसके नीचे के सभी सार्वजनिक सीवर और ड्रेनें, चैनल, सुरंगें, पुलियाँ और जलमार्ग" ("all public sewers and drains, channels, tunnels, culverts and watercourses in, alongside, or under, any street") नगरपालिका में न्यासी के रूप में निहित करता है (धारा 68(1)(c) और (d)); यह उपबंध करता है कि "नगरपालिका की लिखित सम्मति के बिना नगरपालिका में निहित किसी सीवर, ड्रेन, पुलिया या कर्ब चैनल के ऊपर कोई भवन नए सिरे से निर्मित या पुनर्निर्मित नहीं किया जाएगा" ("No building shall be newly constructed or reconstructed over any sewer, drain, culvert or gutter vested in the Municipality without the written consent of the Municipality"), और नगरपालिका ऐसे भवन को गिराने की अपेक्षा कर सकती है (धारा 213(2)); और यह किसी भवन के निर्माण या अधिभोग पर तब तक रोक लगाता है जब तक "ऐसे स्तर पर और ऐसे ढाल के साथ" ("at such level and with such fall") ड्रेन न बना दी जाए जैसी नगरपालिका उसकी "प्रभावी जल निकासी के लिए आवश्यक" ("necessary for the effectual drainage") समझे (धारा 202) (सभी अधिनियम की तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़े गए रूप में)। धारा 213(2) केवल नगरपालिका में निहित ड्रेनों की रक्षा करती है, सड़कों के बाहर के प्राकृतिक नालों की नहीं। उनके लिए रेखा न्यायालयों ने खींची है। उच्च न्यायालय ने नाडियों (nadis), पोखरों, झीलों, नदी-तलों और जलग्रहण क्षेत्रों की भूमि पर एक प्रश्न का उत्तर देते हुए राज्य की यह स्वीकारोक्ति दर्ज की कि "नदी, झील आदि" जैसे प्राकृतिक संसाधन "मास्टर विकास योजना तैयार करते या उसमें परिवर्तन करते समय बाधित नहीं किए जा सकते" ("river, lake etc. cannot be disturbed while preparing the Master Development Plan or modifying the same") (*Gulab Kothari v. State of Rajasthan*, DBCWP 1554/2004, 12 जनवरी 2017), और पहले ही "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर जैसे जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में आने वाली" ("falling in catchment areas of water reservoirs like Johar, Nala, Tank, River, Pond") भूमि के आवंटन पर रोक लगा दी थी (स्वतः संज्ञान SBCWP 11153/2011, 29 मई 2012 का आदेश, उद्धृत रूप में)। 2026 में उसने ठहराया कि "गैर मुमकिन नाला" ("Gair Mumkin Nala") के रूप में दर्ज भूमि "एक प्राकृतिक जल निकासी और जल प्रवाह चैनल है" ("constitutes a natural drainage and water flow channel"), जिसे "केवल इस आधार पर कि उपयोग सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है, किसी असंगत प्रयोजन के लिए मोड़ा, अवरुद्ध या परिवर्तित नहीं किया जा सकता" ("diverted, obstructed or altered for any non-conforming purpose merely on the ground that the utilisation is for a public purpose"), ऐसी भूमि पर बनी एक सड़क और एक श्मशान को हटाने का आदेश दिया, और निर्देश दिया कि इस रूप में दर्ज संलग्न भूमि उसके दर्ज स्वरूप में रखी जाए (*Ramji Lal Saini v. State of Rajasthan*, D.B. CWP 6614/2021, 7 मई 2026)। उच्चतम न्यायालय ने राज्य को "राज्य की सभी नदी प्रणालियों के संबंध में उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और अपेक्षित पारिस्थितिक बफर जोन" ("the High Flood Line and the requisite ecological buffer zone qua all the river systems in the State") निर्धारित और सीमांकित करने का, और जब तक यह न हो जाए, "चिह्नित नदी गलियारों के भीतर औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय विकास को सुगम बनाने वाली" ("facilitating industrial, commercial or residential development within the identified river corridors") कोई नई अनुमति न देने का निर्देश दिया है (*In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*, Suo Motu WP (C) 8 of 2025, 7 अगस्त 2026 का आदेश)। इनमें से कोई भी किसी नाले के साथ आरक्षित पट्टी की चौड़ाई नहीं देता। इसलिए यह मैनुअल आरक्षित पट्टी को एक चौड़ाई देता है, अपने प्रस्ताव के रूप में, सांविधिक चौड़ाई के रूप में नहीं: एक **हाइड्रोलिक कॉरिडोर** (hydraulic corridor), जो तालिका 6.9 की आरक्षित पट्टी से बनता है, जो डिजाइन प्रवाह ले जाने के लिए आवश्यक ड्रेन आकार पर आधारित है (खंड 6.9.7), पहुँच वाले किनारे पर खंड 6.9.4 की पहुँच पट्टी से, और किसी प्राकृतिक ड्रेन या 8 ha या अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाली WRD की ड्रेन के साथ, उसके किनारे के शीर्ष से, या जहाँ गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि अधिक चौड़ी हो वहाँ उस भूमि के किनारे से, मापे गए खंड 7.4 के सेटबैक से, जिसमें जोन 1 कम से कम 15 m हो; जहाँ 1% AEP बाढ़ का विस्तार मानचित्रित किया गया हो, वहाँ वह जोन 2 के लिए निर्णायक है, और जहाँ किसी न्यायालय या राज्य ने कोई अधिक चौड़ी रेखा निर्धारित की हो, जैसे 24 अगस्त 2026 के उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश में जोजरी के किनारे से 100 m (प्रकाशित खबरों के अनुसार), उदयपुर की झीलों के चारों ओर का निर्माण-निषिद्ध जोन (17 जनवरी 1997 की अधिसूचना; उदय सागर के चारों ओर उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 m, प्रकाशित खबरों के अनुसार), या 7 अगस्त 2026 के आदेश के अंतर्गत राज्य द्वारा सीमांकित की जाने वाली उच्च बाढ़ रेखा और पारिस्थितिक बफर, वहाँ वह रेखा तब तक लागू होती है जब तक वह बाध्यकारी है (अध्याय 7)। इस मैनुअल के लिए, 8 ha या अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाला प्रत्येक नाला खंड 7.4.1(b) के अंतर्गत एक प्राकृतिक चैनल है, चाहे उसका अनुरक्षण कोई भी करता हो और चाहे

वह पक्का, पाइपयुक्त या ढका हो या नहीं, और राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि, उसका वर्तमान उपयोग चाहे जो हो, चैनल या जलाशय का भाग है (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। यह कॉरिडोर इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। इसे मास्टर प्लानों में, और विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों और स्थानीय निकायों द्वारा अनुमोदित लेआउट योजनाओं और स्कीम योजनाओं (scheme plans) में, राजस्व (खसरा) नक्शे को अध्यारोपित (overlay) करके दर्शाया जाना चाहिए, ताकि प्रत्येक गैर मुमकिन नाला, नदी और तालाब दिखाई दे, न कि उसे एक नया NOC बनाया जाए।

आरक्षित पट्टी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि राजस्थान के नगरों की ड्रेनें स्वामियों में बँटी हैं, और कोई नियम उनका विभाजन नहीं करता। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 सार्वजनिक ड्रेनों को, किसी सड़क में, उसके साथ-साथ या उसके नीचे की ड्रेनों को, और सार्वजनिक तालाबों को नगरपालिका में निहित करता है (धारा 68(1)); निहित ड्रेनों के बाहर गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि राजस्व विभाग के अधीन राज्य की भूमि है, जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तालाब और नदी के तलों में कोई खातेदारी (khatedari) अधिकार प्रोद्भूत नहीं होने देता (धारा 16, प्रकाशित खबरों के अनुसार); WRD डैमों, जलाशयों और नहरों को धारण करता है; विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास और कॉलोनी विकासकर्ता अपने द्वारा विकसित योजनाओं और लेआउटों की ड्रेनें बनाते हैं; RIICO अपने औद्योगिक क्षेत्रों की ड्रेनें बनाता है; और 3 ha या अधिक की (विरासत या धार्मिक) या 10 ha या अधिक की झील अपनी सीमाएँ अधिसूचित होने पर राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के अधीन आती है, और ऐसी कोई अधिसूचना नहीं मिली। शोध के दौरान प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग करने वाला कोई नियम नहीं मिला। इस मैनुअल के प्रयोजनों के लिए, और जब तक राज्य ऐसा कोई नियम जारी नहीं करता [TBC], ड्रेनें इस प्रकार सौंपी जाती हैं: नदियाँ, डैम और उनके गेट, जलाशय, नहरें, जिनमें इंदिरा गाँधी नहर और उसके एस्केप सम्मिलित हैं, और नहर कमांडों की ड्रेनें WRD को; किसी शहरी स्थानीय निकाय की सीमा के भीतर के नाले, सड़क ड्रेनें और गली की ड्रेनें, और धारा 68 के अंतर्गत उसमें निहित तालाब, उसके नगर निगम, नगर परिषद या नगरपालिका बोर्ड को; किसी ऐसी योजना या कॉलोनी की आंतरिक ड्रेनें जो स्थानीय निकाय को हस्तांतरित नहीं की गई है, उसे बनाने वाले विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या विकासकर्ता को; किसी औद्योगिक क्षेत्र की ड्रेनें RIICO को; राजमार्गों की ड्रेनें PWD या NHAI को; और उन ड्रेनों के बाहर गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि कलक्टर को, उसके दर्ज स्वरूप में रखे जाने के लिए (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित)। खंड 6.9.8(a) के अंतर्गत, WRD की ड्रेन के साथ की आरक्षित पट्टी WRD को हस्तांतरित की जाती है। जहाँ किसी चैनल की स्थिति विवादित हो, वहाँ कॉरिडोर चैनल का अनुसरण करता है, उसके नाम का नहीं: द्रव्यवती एक नदी भी है और जयपुर की मुख्य (trunk) ड्रेन भी। राज्य में किसी शहरी चैनल के लिए मिला एकमात्र डिजाइन मानक द्रव्यवती का है, जिसे "नदी के अनुप्रस्थ काट को सौ वर्ष की बाढ़ सुरक्षित रूप से पार कराने योग्य बनाने के लिए" ("to make the river section capable of safely passing the hundred year flood") डिजाइन किया गया (JDA, द्रव्यवती EIA), और जिसका डिजाइन प्रवाह (design discharge) नहीं मिला [TBC]; RUIDP के 2008 के जल निकासी दिशानिर्देशों ने नगर ड्रेनों के लिए "1-2 वर्ष" ("1-2 years") की पुनरावृत्ति अवधि की अनुमति दी थी (RUIDP का परिपत्र संख्या 8), जो तालिका 6.1 के प्रत्येक मान से कम है, और डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि वाला कोई अनुमोदित नगर जल निकासी मास्टर प्लान नहीं मिला। जब तक कोई बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान अंगीकृत नहीं हो जाता (खंड 6.9.6(b)), तब तक खंड 6.9.7 का अपेक्षित ड्रेन आकार वह आकार है जो डिजाइनकर्ता इस अध्याय के अंतर्गत परिकलित करता है। यह मैनुअल पक्के या कच्चे अनुप्रस्थ काट (section) को निर्धारित नहीं करता। इसमें यह अनिवार्य है कि अनुप्रस्थ काट खंड 6.7.3 और अध्याय 9 की वेग सीमाएँ पूरी करे, और कच्चे या वनस्पतियुक्त अनुप्रस्थ काट के लिए पर्याप्त चौड़ी आरक्षित पट्टी ऐसी पट्टी है जो दोनों विकल्प खुले रखती है।

भाष्य. अपेक्षाओं 6.9.2(b)–(e), 6.9.3 और 6.9.4 का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। अलग-अलग भूखंडों के चारों ओर चारदीवारी राजस्थान में लगभग सर्वत्र है और सतही प्रवाह मार्गों के अवरुद्ध होने के सबसे सामान्य कारणों में से एक है। दीवार के ओपनिंग के लिए 50% अवरोध की मान्यता खंड 6.6.3 के जाली अवरोध गुणक के अनुरूप रखी गई है। 3.5 m की पहुँच चौड़ाई इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है, जो एक छोटे खुदाई यंत्र या गाद निकालने वाले वाहन के लिए है। तुलना के लिए, APWA 5600 (2006, 5608.4) में अस्थायी भंडारण सुविधाओं के लिए 15 ft (लगभग 4.6 m) की रखरखाव पहुँच पट्टी अनिवार्य है।

6.10 निचले बिंदुओं और निम्न स्थानों पर जल का रुकना

6.10.1 **लघु घटना.** प्रत्येक निचले बिंदु पर लघु डिजाइन प्रवाह को इनलेट (अवरोध के बाद) द्वारा हटाया जाएगा, और रुके पानी का फैलाव तालिका 6.2 के भीतर रहेगा।

6.10.2 **1% AEP घटना.** प्रत्येक निचले बिंदु पर:

- (a) कैरिजवे के सबसे गहरे बिंदु पर रुके पानी की गहराई 350 mm से अधिक नहीं होगी;
- (b) एक सतही अतिप्रवाह मार्ग का प्रावधान किया जाएगा (उदाहरण के लिए नीचे किए गए कर्ब और फुटपाथ के ऊपर से किसी निर्दिष्ट सतही प्रवाह मार्ग में), ताकि रुके पानी का स्तर अतिप्रवाह स्तर से ऊपर न उठ सके; और
- (c) निचले बिंदु के आसपास भवनों के फर्श स्तर खंड 6.11 का अनुपालन करेंगे।

6.10.3 **पूर्ण-अवरुद्ध जाँच.** निचले बिंदुओं पर 1% AEP में रुके पानी के स्तर की गणना लघु प्रणाली को पूर्ण रूप से अवरुद्ध मानकर और सारे प्रवाह के सतही अतिप्रवाह मार्ग से निकलने की स्थिति में भी की जाएगी। निचले बिंदु के आसपास फर्श स्तर रुके पानी के दोनों स्तरों में से उच्चतर के आधार पर निर्धारित किए जाएँगे।

6.10.4 **बंद निचले बिंदु.** जहाँ किसी निचले बिंदु का कोई सतही अतिप्रवाह मार्ग न हो, वहाँ इनलेट और वाहिकाएँ (अवरोध के बाद) 1% AEP प्रवाह ले जाएँगी, और अनुमोदन प्राधिकारी इस व्यवस्था पर सहमति देगा।

6.10.5 **सड़क अंडरपास.** सार्वजनिक सड़कों पर अंडरपास और अन्य बंद निचले बिंदु:

- (a) 2% AEP (50-वर्ष) प्रवाह के लिए डिजाइन की गई और 1% AEP प्रवाह पर जाँची गई लघु प्रणाली द्वारा जल निकासी वाले होंगे (जहाँ गुरुत्व से जल निकासी संभव न हो वहाँ अध्याय 9, खंड 9.9 के अंतर्गत पंपिंग सहित);
- (b) निचले बिंदु तक पहुँचने से पहले प्रवाह को रोकने के लिए दोनों पहुँच मार्गों पर पार्श्व इनलेट वाले होंगे;
- (c) जहाँ व्यवहार्य हो, ऊँचे किए गए पहुँच शिखरों (approach crests) द्वारा आसपास की सड़कों से आने वाले प्रवाह से सुरक्षित होंगे; और
- (d) गहराई चिह्नक और स्वचालित चेतावनी या बंद करने वाले संकेत वाले होंगे जो कैरिजवे पर 150 mm गहराई पर सक्रिय हों।

> **भाष्य.** पूर्ण-अवरुद्ध जाँच, बंद निचले बिंदु का नियम और अंडरपास की अपेक्षाओं का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। शोध के दौरान राजस्थान में किसी अंडरपास के जलमग्न होने का कोई अभिलेख नहीं मिला [TBC]। यही विफलता एक भवन में बताई गई है: 31 जुलाई–1 अगस्त 2024 को जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में पानी से भरे एक बेसमेंट में, जो बिना अतिप्रवाह मार्ग वाला एक बंद निचला बिंदु था, एक परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हुई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। सड़कें पहले से ही प्रमुख प्रणाली का काम करती हैं: जुलाई 2026 में लगभग 35 मिनट की भारी वर्षा के बाद टोंक रोड, रामबाग और जयपुर का परकोटा जलभराव से ग्रस्त हो गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। खंड 6.10.5(d) तालिका 6.2 की सड़क के शीर्ष पर 150 mm की गहराई सीमा को उस बिंदु से जोड़ता है जिस पर यातायात रुक जाना चाहिए।

6.11 भवनों के फर्श स्तर

6.11.1 सबसे निचला आवास योग्य तल, और प्रत्येक ऐसा ओपनिंग जिससे पानी भवन में प्रवेश कर सकता है (दरवाजे, रोशनदान, बेसमेंट के रैंप, लिफ्ट पिट और सेवा प्रवेश), **1% AEP बाढ़ स्तर से कम से कम 0.5 m ऊपर** होगा।

6.11.2 1% AEP बाढ़ स्तर निम्नलिखित में से उच्चतम है:

- (a) भवन से लगी सड़क या सतही प्रवाह मार्ग में 1% AEP प्रमुख प्रणाली का जल स्तर (खंड 6.9 और 6.10, निचले बिंदुओं पर पूर्ण-अवरुद्ध जाँच सहित);
- (b) किसी नदी, चैनल, तालाब या जलाशय का 1% AEP बाढ़ स्तर (अध्याय 7); और
- (c) अध्याय 5 के टेलवाटर के साथ 1% AEP स्तर; और
- (d) जहाँ अनुमोदन प्राधिकारी ने खंड 7.3.4 के अंतर्गत 1% AEP बाढ़ गहराई मानचित्र अंगीकार किया हो, वहाँ भूखंड पर भूमि स्तर और मानचित्रित 1% AEP गहराई का योग।

6.11.3 **जहाँ कोई स्तर परिकलित न हो वहाँ डिफॉल्ट.** अध्याय 1 के सीमा-मानों से छोटे भूखंड के लिए, या जहाँ भूखंड के लिए कोई 1% AEP स्तर परिकलित न किया गया हो, सबसे निचला आवास योग्य तल और ओपनिंग कम से कम निम्नलिखित में से उच्चतर पर होंगे:

- (a) **उस सड़क के सबसे ऊँचे शीर्ष स्तर से 0.65 m ऊपर जिसकी ओर भूखंड का अग्रभाग है**; और
- (b) जहाँ कोई अंगीकृत 1% AEP बाढ़ गहराई मानचित्र भूखंड को आच्छादित करता हो, **भूमि स्तर, मानचित्रित 1% AEP गहराई और 0.5 m का योग**।

अनुमोदन प्राधिकारी कोई क्षेत्रीय मानचित्र, जैसे राज्य द्वारा अनुमोदित मानचित्र या मॉडल की गई 1% AEP बाढ़ गहराई का कोई प्रकाशित राष्ट्रीय मानचित्र (उदाहरण के लिए इंडिया फ्लड एटलस (India Flood Atlas)), तब तक के लिए अंगीकार कर सकता है जब तक कोई स्थानीय अध्ययन उसका स्थान न ले ले। जो मानचित्र तूफानी महोर्मि (storm surge) का मॉडल नहीं करता, उसका उपयोग खंड 6.11.6 के स्थान पर नहीं किया जाएगा।

6.11.4 **बेसमेंट.** प्रत्येक बेसमेंट के रैंप का शिखर और बेसमेंट के प्रत्येक ओपनिंग की देहली (sill) खंड 6.11.1 को पूरा करेगी। बेसमेंट की जल निकासी को नॉन-रिटर्न वाल्व के माध्यम से सतही ड्रेन तक पंप किया जाएगा।

6.11.5 **सेवाएँ.** किसी भवन की सेवा करने वाले विद्युत पैनल, ट्रांसफॉर्मर, स्टैंडबाय जनरेटर, लिफ्ट मशीनरी और पंप खंड 6.11.1 को पूरा करेंगे।

6.11.6 **तटीय पट्टी.** तटीय पट्टी समुद्र तट के साथ उच्च ज्वार रेखा (High Tide Line) से स्थल की ओर **500 m** के भीतर की भूमि है, जैसा CRZ अधिसूचना, 2019 द्वारा परिभाषित है, और उच्च ज्वार रेखा वही है जो अनुमोदित तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना में सीमांकित है। जहाँ भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जोखिम रेखा (Hazard Line) 500 m से अधिक भीतर स्थित हो, वहाँ पट्टी जोखिम रेखा तक विस्तृत होती है। तटीय पट्टी के भीतर, खंड 6.11.1 से 6.11.5 के अतिरिक्त:

- (a) सबसे निचला आवास योग्य तल और प्रत्येक ओपनिंग **तटीय बाढ़ स्तर से कम से कम 0.5 m ऊपर** भी होगा, जो 1% AEP स्थिर जल स्तर (खंड 5.7.3(b), परिशिष्ट 5A) और खंड 5.7.4 की समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई के **दोगुने** (अर्थात कम से कम 0.6 m) का योग है, क्योंकि भवनों की डिजाइन आयु 50 वर्ष से अधिक होती है (खंड 5.7.4(c));
- (b) जहाँ भूखंड का अग्रभाग खुले समुद्र तट की ओर हो, वहाँ तटीय बाढ़ स्तर में साइट अध्ययन से लहर उत्थान (wave set-up) सम्मिलित होगा;
- (c) कोई आवास योग्य कक्ष, विद्युत सेवा कक्ष या खंड 6.11.5 में सूचीबद्ध संयंत्र बेसमेंट में नहीं रखा जाएगा; और
- (d) बेसमेंट का प्रत्येक ओपनिंग, रैंप का शिखर और वायु-संचार ओपनिंग खंड 6.11.6(a) को पूरा करेगा।

खंड 6.11.6 ऐसे किसी निर्माण को प्राधिकृत नहीं करता जिसे CRZ अधिसूचना प्रतिषिद्ध करती है। जहाँ दोनों लागू हों, वहाँ अधिक कठोर प्रावधान निर्णायक होगा।

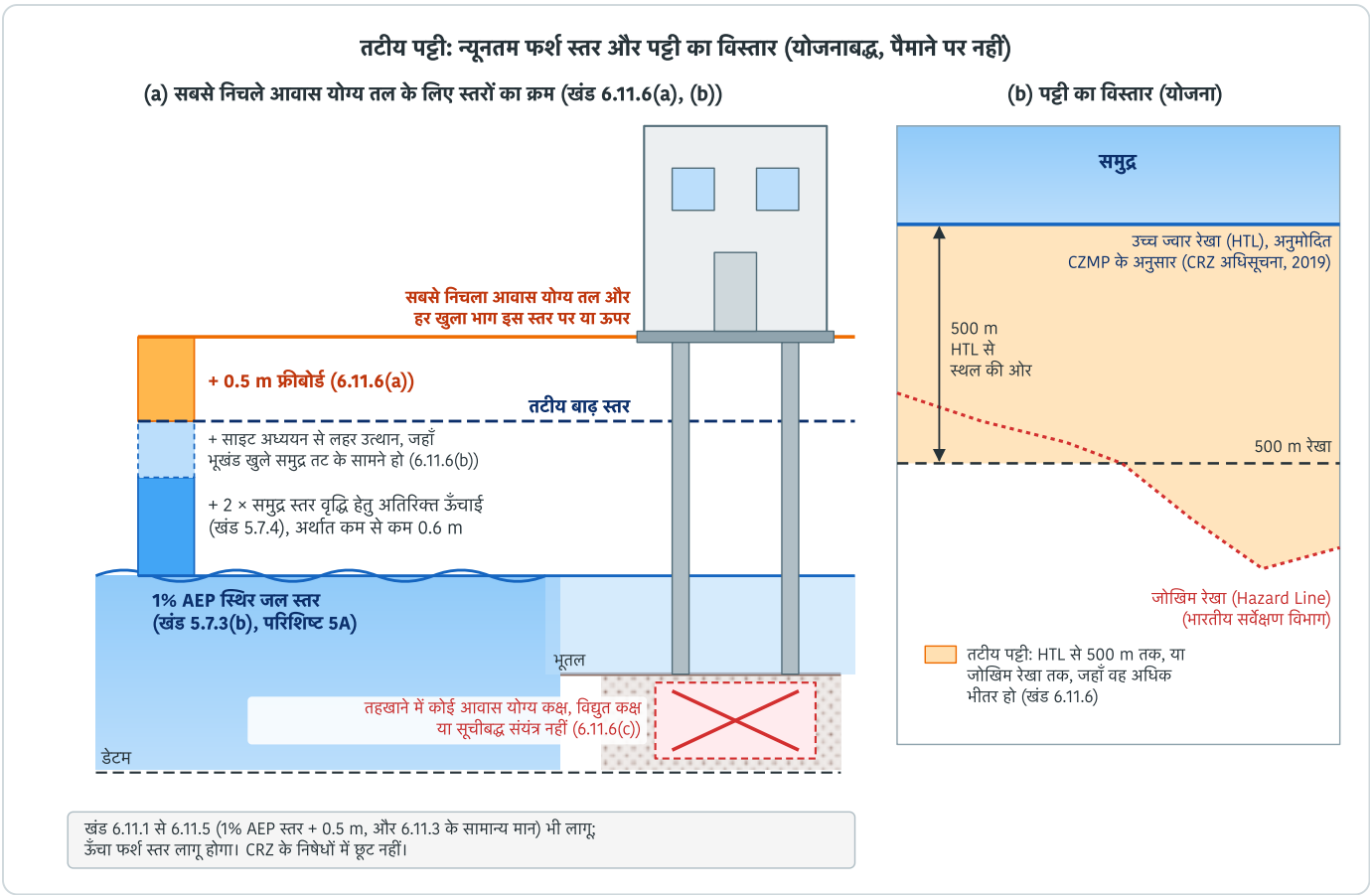

चित्र 6.5 — तटीय पट्टी: 1% AEP स्थिर जल स्तर, समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई के दोगुने, भूखंड के खुले समुद्र तट की ओर होने पर लहर उत्थान और 0.5 m फ्रीबोर्ड से बना न्यूनतम फर्श स्तर; और पट्टी का विस्तार, उच्च ज्वार रेखा से 500 m तक या जोखिम रेखा के अधिक भीतर होने पर उस तक (खंड 6.11.6)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CRZ अधिसूचना, 2019 (पैरा 1(i) और Annexure IV) और PUB Singapore, Code of Practice on Surface Water Drainage (7th ed.), cl. 2.1.1 से रूपांतरित।

भाष्य. 1% AEP स्तर से ऊपर 0.5 m का फ्रीबोर्ड DID Malaysia 2008 की जाँच-सूची के अनुसार है (प्लेटफॉर्म और सबसे निचला तल 100-वर्ष ARI + 0.5 m पर)। यह 1% स्तर से 1 ft (लगभग 0.3 m) ऊपर की APWA 5600 (2006, 5601.8 A2) की अपेक्षा से अधिक है। खंड 6.11.3 का 0.65 m का डिफॉल्ट इस अध्याय की अन्य सीमाओं से व्युत्पन्न है, अलग से किसी स्रोत से नहीं लिया गया: सड़क के शीर्ष पर 1% जल स्तर 150 mm तक हो सकता है (तालिका 6.2), और उसमें 0.5 m का फ्रीबोर्ड जुड़ता है। इसका कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और यह उन भूखंडों पर लागू होता है जहाँ कोई बाढ़ स्तर उपलब्ध नहीं है। URDPFI (2015) भी अपने डूब क्षेत्र के जोनिंग (floodplain zoning) में न्यूनतम प्लिंथ स्तरों को बाढ़ की आवृत्ति से जोड़ते हैं, जिसका विवरण अध्याय 7 में है।

खंड 6.11.3(b) किसी छोटे भूखंड को, जहाँ कोई स्थानीय अध्ययन न हो, केवल सड़क के स्तर से अनुमान लगाने के बजाय मानचित्रित 1% AEP गहराई का उपयोग करने देता है। मॉडल किए गए राष्ट्रीय मानचित्र स्थूल (लगभग 30 m) होते हैं, और अधिकांश वर्षा और नदी की बाढ़ का मॉडल करते हैं किंतु तूफानी महोर्मि का नहीं, इसीलिए 6.11.3 में सड़क के शीर्ष की जाँच रखी गई है और खंड 6.11.6 एक अलग तटीय नियम निर्धारित करता है।

खंड 6.11.6 की तटीय पट्टी CRZ अधिसूचना, 2019 की 500 m रेखा का उपयोग करती है (G.S.R. 37(E), पैरा 1(i): "उच्च ज्वार रेखा से ... स्थल की ओर 500 मीटर तक का भूमि क्षेत्र" ("the land area from High Tide Line ... to 500 meters on the landward side")), क्योंकि प्रत्येक तटीय प्राधिकरण इसे पहले से मानचित्रित करता है और इसके लिए किसी नए सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा बाढ़ और तटरेखा परिवर्तन का विस्तार दर्शाने के लिए सीमांकित जोखिम रेखा, जहाँ वह अधिक भीतर स्थित हो, पट्टी का विस्तार करती है (CRZ अधिसूचना, 2019, Annexure IV)। पट्टी तटीय स्तर को वर्षा मानचित्र से नहीं, बल्कि अध्याय 5 के संयुक्त-स्थिति वाले स्थिर जल स्तर से लेती है। उच्चतर मानक परिवेश को दर्शाता है: तटीय बाढ़ समुद्र के साथ उठती है, ज्वार के रहते उसकी

निकासी नहीं की जा सकती, और समुद्र के साथ वह और ऊपर उठेगी। सिंगापुर भी यही दृष्टिकोण अपनाता है, अपने दक्षिणी तट पर डेटम से 4.0 m और उत्तरी तट पर 4.5 m के नियत न्यूनतम प्लेटफॉर्म स्तर के साथ, वर्षा बाढ़ स्तर चाहे जो हो (PUB Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed., cl. 2.1.1)। प्रत्येक तटीय राज्य के ज्वार और महोर्मि स्तर उसके तट के साथ इतने अधिक बदलते हैं कि एक नियत स्तर उपयुक्त नहीं है, इसलिए यह मैनुअल इसके बजाय परिकलित स्थिर जल स्तर का उपयोग करता है। समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई के दोगुने का उपयोग खंड 5.7.4(c) की संवेदनशीलता स्थिति को डिजाइन स्थिति के रूप में लागू करता है, क्योंकि ड्रेन के विपरीत, भवन को बाद में आसानी से ऊँचा नहीं किया जा सकता। 6.11.6(c) का बेसमेंट प्रतिबंध इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है: तटीय पट्टी में बेसमेंट वर्षा के साथ-साथ समुद्र से भी भरता है, और ज्वार से अवरुद्ध आउटफॉल में उसे पंप करके खाली नहीं किया जा सकता। राजस्थान का कोई तट नहीं है, कोई उच्च ज्वार रेखा नहीं और कोई तटीय विनियमन क्षेत्र नहीं, इसलिए राज्य में तटीय पट्टी रिक्त है और खंड 6.11.6 वहाँ लागू नहीं होता। इसके स्थान पर खंड 6.11.3 और 6.11.4 महत्वपूर्ण हैं। भवन विनियम, 2025 अपेक्षा करते हैं कि प्लिंथ भूखंड के सामने की सड़क से कम से कम 0.45 m और किसी आंतरिक ड्राइववे से कम से कम 0.15 m ऊँचा हो, और प्लिंथ की अधिकतम ऊँचाई 1.2 m हो (विनियम 6.6); वे भूखंड के आकार के अनुसार बेसमेंटों की संख्या सीमित करते हैं और बेसमेंटों को सेटबैक रेखाओं के भीतर रखते हैं (विनियम 6.5), और JDA के 2020 के भवन विनियम भवन से बाहर तक फैले बेसमेंट की छत को सड़क के स्तर से 1.20 m ऊपर तक सीमित करते हैं (विनियम 11.6(v))। पढ़े गए पृष्ठों में बेसमेंट में सतही पानी आने से रोकने का कोई प्रावधान नहीं मिला, और भवन विनियम जलभराव वाले क्षेत्रों को केवल इसलिए मान्यता देते हैं कि स्थानीय निकाय द्वारा चिह्नित किए जाने पर उन्हें वर्षा जल संचयन से छूट दी जाए (विनियम 8.3(iii)); वे वहाँ बेसमेंटों को प्रतिबंधित नहीं करते। खंड 6.11.3, जो जहाँ कोई बाढ़ स्तर परिकलित न किया गया हो वहाँ सबसे निचले आवास योग्य तल और प्रत्येक ओपनिंग को सड़क के शीर्ष से 0.65 m ऊपर रखता है, और खंड 6.11.4, जो वही स्तर, या 1% AEP बाढ़ स्तर से 0.5 m ऊपर का स्तर, बेसमेंट के प्रत्येक रैंप के शिखर और बेसमेंट के प्रत्येक ओपनिंग की सिल पर लागू करता है, इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं और भवन विनियमों से अधिक कठोर हैं; 0.65 m भवन विनियमों द्वारा अनुमत 1.2 m के प्लिंथ के भीतर है, इसलिए दोनों को एक साथ पूरा किया जा सकता है। अगस्त 2024 में जयपुर में पानी से भरे एक बेसमेंट में हुई मौतें (प्रकाशित खबरों के अनुसार) वही विफलता हैं जिसका समाधान ये खंड करते हैं। उदयपुर की झीलों, आना सागर और जोजरी के निकट, और गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि पर, अध्याय 7 की रेखाएँ भी लागू होती हैं।

6.12 पुलिया और सड़क क्रॉसिंग

6.12.1 **डिजाइन AEP.** किसी ड्रेन या जलमार्ग के ऊपर सड़क ले जाने वाली पुलिया या पुल उस सड़क वर्ग के लिए तालिका 6.1 का डिजाइन AEP प्रवाह सड़क के ऊपर से बहे बिना, और अध्याय 9, खंड 9.4 की हेडवाटर सीमाओं के भीतर पारित करेगा। जहाँ जलमार्ग राज्य राजमार्ग या राष्ट्रीय राजमार्ग का क्रॉसिंग हो, वहाँ डिजाइन AEP उस स्पैन के लिए IRC:SP:42-2014 §7.1.4 के AEP से भी कम नहीं होगा। दुर्लभतर AEP निर्णायक होगा।

6.12.2 **जाँच घटना और 1% AEP.** जाँच घटना और 1% AEP घटना पर क्रॉसिंग और सड़क मिलकर प्रवाह पारित करेंगे:

- (a) सड़क के शीर्ष पर ऊपर से बहने की गहराई ≤ 150 mm और सड़क के सबसे गहरे बिंदु पर ≤ 350 mm के साथ;
- (b) तालिका 6.3 की जोखिम सीमाओं के भीतर;
- (c) अधिसूचित निष्क्रमण मार्ग वाली धमनी सड़कों के ऊपर से बिल्कुल भी बहे बिना; और
- (d) किसी प्रतिप्रवाह भवन या संपत्ति सीमा पर 1% AEP बाढ़ स्तर को विद्यमान स्थिति के स्तर से ऊपर उठाए बिना, जब तक प्रभावित स्वामी और अनुमोदन प्राधिकारी सहमत न हों।

6.12.3 **जहाँ ऊपर से बहने की अनुमति नहीं है.** 1% AEP घटना में ऊपर से बहने की अनुमति केवल वहीं है जहाँ संरचना का स्पैन 6 m से कम हो **और** 1% AEP चरम प्रवाह 7 m^3/s से अधिक न हो, जब तक ऊपर से बहने वाले खंड के अनुप्रवाह की ओर सुरक्षा रेलिंग (guard rail) न लगाई गई हो। अन्यथा क्रॉसिंग 1% AEP प्रवाह को ऊपर से बहे बिना पारित करेगी।

6.12.4 **अवरोध जाँच.** 1% AEP जाँच अवरुद्ध इनलेट के साथ दोहराई जाएगी:

- (a) 1.5 m से कम स्पैन या व्यास वाली पुलियों के लिए इनलेट क्षेत्रफल का 50% अवरुद्ध; और
- (b) बड़ी पुलियों के लिए 20% अवरुद्ध।

इस जाँच के परिणाम खंड 6.12.2(a) और (d) को पूरा करेंगे।

6.12.5 **न्यूनतम आकार.** सार्वजनिक सड़कों के नीचे पुलियों का व्यास कम से कम 900 mm होगा, या बॉक्स पुलियों के लिए 900 mm × 900 mm।

6.12.6 **हाइड्रोलिक डिजाइन.** पुलिया का हाइड्रोलिक्स, इनलेट और आउटलेट नियंत्रण, टेलवाटर, सड़क के ऊपर से बहना और आउटलेट सुरक्षा सहित, अध्याय 9, खंड 9.4 और 9.6 के अनुसार होगा।

> **भाष्य.** डिजाइन AEP तालिका 6.1 के हैं। ऊपर से बहने की सीमाएँ तालिका 6.2 की सड़क-गहराई सीमाएँ हैं। खंड 6.12.3 में स्पैन और प्रवाह का सीमा-मान APWA 5600 (2006) का SI रूपांतरण है: ऊपर से बहने की अनुमति केवल वहीं जहाँ संरचना का स्पैन 20 ft से कम हो और 1% चरम प्रवाह 250 cfs या उससे कम हो, जब तक अनुप्रवाह की ओर सुरक्षा बाड़ न लगाई गई हो। IRC:SP:42-2014 (§7.1.4) 2 m तक के स्पैन वाली NH/SH पुलियों के लिए 25-वर्ष और 2–6 m के स्पैन के लिए 50-वर्ष निर्धारित करता है। खंड 6.12.4 के अवरोध प्रतिशत और 900 mm के न्यूनतम आकार का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। 50% का मान जाली अवरोध गुणक के अनुरूप है।

6.13 राजस्थान की निर्माण-पद्धति की अपेक्षाएँ

6.13.1 **ढकी सड़क किनारे की ड्रेन.** जहाँ कोई सड़क किनारे की ड्रेन फुटपाथ बनाने वाली स्लैबों से ढकी हो:

- (a) उसे ढकने की स्लैब के सॉफिट तक मापे गए तालिका 6.7 के फ्रीबोर्ड के साथ खुले चैनल के रूप में डिजाइन किया जाएगा, और उसकी HGL फुटपाथ और इनलेट स्तरों तक मापी जाकर खंड 6.8 को पूरा करेगी;
- (b) सड़क का अपवाह सड़क स्तर पर ड्रेन की दीवार में बने ओपनिंग से प्रवेश करेगा (खंड 6.6.1(b)), प्रत्येक में गाद संप होगा (खंड 6.6.7), और ये खंड 6.6.4 की दूरी पर होंगे;
- (c) फुटपाथ का अपवाह ढक्कन में बने स्लॉट या जालीदार ओपनिंग से प्रवेश करेगा, फुटपाथ पर रुककर नहीं; और
- (d) स्पष्ट अनुप्रस्थ काट (clear section) खंड 6.7.6(c) को पूरा करेगा।

6.13.2 **हटाने योग्य ढक्कन और प्रवेश द्वार.** ढकी ड्रेन में होंगे:

- (a) केंद्र से केंद्र **10 m** से अधिक नहीं की दूरी पर हटाने योग्य ढक्कन पैनल, प्रत्येक कम से कम 0.6 m लंबा और पूरी स्पष्ट चौड़ाई को ढकने वाला, धँसे हुए उठाने के बिंदुओं सहित, दो कर्मियों द्वारा या हाथ से चलने वाले उठाने के उपकरण से उठाया जा सकने वाला, और फुटपाथ के समतल;
- (b) प्रत्येक संगम, मोड़ और अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन (change of section) के स्थान पर, और सीधे खंडों पर केंद्र से केंद्र **30 m** से अधिक नहीं की दूरी पर, कम से कम 0.6 m × 0.6 m के स्पष्ट प्रवेश द्वार वाले निरीक्षण कक्ष; और
- (c) अपने स्थान के यातायात या पैदल भार के लिए निर्धारित ढक्कन (अध्याय 9, खंड 9.11)।

6.13.3 **गाद-जाल.** खंड 6.6.7 के इनलेट संपों के अतिरिक्त, गाद-जाल कक्ष बनाए जाएँगे:

- (a) धमनी सड़क के नीचे की प्रत्येक पुलिया से प्रतिप्रवाह की ओर;
- (b) प्रत्येक पंपिंग स्टेशन और अस्थायी भंडारण सुविधा से प्रतिप्रवाह की ओर; और

- (c) किसी तालाब, नदी या अन्य जलाशय में प्रत्येक आउटफॉल पर (अध्याय 8 द्वारा अपेक्षित स्थूल प्रदूषक जाल सहित)।

प्रत्येक गाद-जाल का आकार परिशिष्ट 6B के तलछट उत्पादन का उपयोग करते हुए निर्धारित सफाइयों के बीच अपेक्षित तलछट रखने के लिए निर्धारित किया जाएगा, और वह गाद निकालने वाले वाहन की पहुँच में होगा।

6.13.4 **कचरा और स्थूल प्रदूषक जालियाँ.** जहाँ कोई खुली ड्रेन किसी ढकी ड्रेन, पाइप या पुलिया में प्रवेश करती है, वहाँ और अध्याय 8 के अंतर्गत आउटफॉल पर जालियाँ लगाई जाएँगी। प्रत्येक जाली:

- (a) अध्याय 9, खंड 9.8 के अंतर्गत डिजाइन की जाएगी;
- (b) में बाईपास या अतिप्रवाह होगा, ताकि पूर्ण रूप से ढकी जाली संपत्तियों या सड़क में इस अध्याय की सीमाओं से अधिक बाढ़ न लाए; और
- (c) की हाइड्रोलिक जाँच उसके 50% क्षेत्रफल को अवरुद्ध मानकर की जाएगी।

6.13.5 **ड्रेन के ऊपर कोई भवन नहीं.** किसी सार्वजनिक ड्रेन के ऊपर अनुमोदित क्रॉसिंग या हटाने योग्य ढक्कन के सिवाय कोई संरचना नहीं बनाई जाएगी। ड्रेन को पार करने वाले दुकानों के अग्रभाग, रैंप और सीढ़ियाँ हटाने योग्य होंगी या ऐसे प्रवेश द्वार छोड़ेंगी जो खंड 6.13.2 को पूरा करें।

6.13.6 **उपयोगिता सेवाएँ.** कोई जल मुख्य पाइप, सीवर, बिजली या दूरसंचार केबल, गैस पाइप या डक्ट किसी ड्रेन के प्रवाह क्षेत्र या फ्रीबोर्ड के साथ-साथ नहीं बिछाई जाएगी, न उससे होकर गुजरेगी। किसी ड्रेन को पार करने वाली उपयोगिता सेवा:

- (a) एक स्लीव के भीतर ढक्कन के सॉफिट से ऊपर या ड्रेन के इनवर्ट से नीचे पार होगी; और
- (b) जल निकासी नक्शे पर अपने स्तर सहित दर्शाई जाएगी।

जहाँ कोई विद्यमान उपयोगिता क्रॉसिंग किसी ड्रेन को अवरुद्ध करती हो, वहाँ उसका क्षेत्रफल, उसमें फँसने वाले कचरे के लिए 50% अवरोध प्रावधान के साथ, उपयोगिता के स्थानांतरित होने तक ड्रेन के अनुप्रस्थ काट (section) से घटाया जाएगा। ड्रेन के पुनर्निर्माण के समय उपयोगिता स्वामी उसे स्थानांतरित करेगा।

6.13.7 **सीवेज.** किसी वर्षा जल ड्रेन में कोई सीवेज कनेक्शन अनुमत नहीं है (अध्याय 8)। जहाँ ढकी ड्रेन सीवर के पास से गुजरती हैं, वहाँ उन्हें सीलबंद जोड़ों के साथ बनाया जाएगा।

6.13.8 **किनारा सुरक्षा.** फुटपाथ, कैरिजवे या सार्वजनिक खुले स्थान के पास 1.0 m से अधिक गहरी खुली ड्रेन पर रेलिंग या अवरोधक होंगे। किसी भी गहराई की खुली ड्रेन फुटपाथ के आर-पार बिना ढके नहीं छोड़ी जाएगी।

6.13.9 **यथा-निर्मित स्तर.** प्रत्येक सार्वजनिक ड्रेन, पाइप और मैनहोल के यथा-निर्मित इनवर्ट स्तरों का सर्वेक्षण करके उन्हें प्रस्तुत किया जाएगा (अध्याय 10)। इनवर्ट डिजाइन के ±15 mm के भीतर होंगे। जहाँ ऐसा न हो, वहाँ HGL की पुनः जाँच प्रस्तुत की जाएगी।

6.13.10 **गाद निकासी.** सार्वजनिक ड्रेन से प्रत्येक वर्ष दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले गाद निकाली जाएगी, जैसा अध्याय 10 में निर्धारित है।

> **भाष्य.** खंड 6.13 का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे राजस्थान की पद्धति के आधार पर निर्धारित करता है। राज्य की अधिकांश शहरी ड्रेनें फुटपाथों के नीचे ढकी सड़क किनारे की ड्रेनें हैं। इन्हें अक्सर स्थल पर ढाली गई सतत स्लैबों और बहुत कम ओपनिंग के साथ बनाया जाता है, इसलिए इन्हें साफ नहीं किया जा सकता और एक ही मौसम में ये गाद और ठोस अपशिष्ट से भर जाती हैं। CPHEEO (2019) के अनुसार खुले चैनलों में "कचरा फेंके जाने की प्रवृत्ति रहती है" ("are prone to the dumping of garbage") (Part A, Ch 2), इसीलिए ड्रेनें ढकी जाती हैं। प्रवेश द्वारों के बिना ढकना समस्या को केवल आँखों से ओझल कर देता है। NDMA (2010) सिफारिश करता है कि मानसून-पूर्व गाद निकासी 31 मार्च तक पूरी हो जाए। राजस्थान में दक्षिण-पश्चिम मानसून सामान्यतः झालावाड़ में 24 जून को, उदयपुर में 25 जून को, कोटा में 26 जून को, जयपुर में 29 जून को, अजमेर में 1 जुलाई को, जोधपुर में 2 जुलाई को और बीकानेर और पोकरण में 6 जुलाई को पहुँचता है, और सामान्यतः पोकरण से 17 सितंबर को, जयपुर से 23 सितंबर को, कोटा और उदयपुर से 25 सितंबर को और झालावाड़ से 28 सितंबर को वापस चला जाता है (IMD, नए सामान्य मान)। इसलिए खंड 6.13.10 दक्षिण-पश्चिम मानसून का

उल्लेख करता है, और अध्याय 10 में यह अपेक्षा है कि गाद निकासी और ड्रेन कार्य 15 जून तक पूरे हों, जब राज्य के आपदा नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे चलने लगते हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार); गेट, स्लूइस, एस्केप चैनल, फ्लैप गेट, पंप और स्टैंडबाय जनरेटर झालावाड़ को छोड़कर हर स्थान पर सामान्य आगमन से पहले, 20 जून तक, तैयार प्रमाणित किए जाते हैं और परीक्षण के रूप में चलाए जाते हैं (खंड 5.11.5 और 5.12.9); और पंप और गेट अंतिम सामान्य वापसी के बाद, 30 सितंबर तक, स्टैंडबाय पर रहते हैं। आगमन से पहले भी बड़ी वर्षा घटनाएँ होती हैं, जैसे 10 जून 2002 को अजमेर में 412.3 mm (IMD) और 18–19 जून 2023 को चक्रवात बिपरजॉय में अजमेर में 131.8 mm (प्रकाशित खबरों के अनुसार), इसीलिए ड्रेन कार्य 15 जून के बाद के लिए नहीं छोड़े जाते। शोध के दौरान राज्य का गाद निकासी का कोई आदेश नहीं मिला [TBC]: जयपुर के नगर निगमों के अभियानों की खबरें बिना तिथियों के हैं, और ड्रेनों की पूरी सफाई के बारे में जुलाई 2026 के मुख्यमंत्री के निर्देश की खबर भी बिना किसी तिथि के थी। इसलिए ये तिथियाँ इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

JDA के 2020 के भवन विनियम अपेक्षा करते हैं कि किसी बड़ी परियोजना की प्राकृतिक जल निकासी के इनलेट और आउटलेट बिंदु यथावत् रखे जाएँ (अनुलग्नक 4; मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 की अनुसूची में ऐसा ही पाठ है), और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 नगरपालिका में निहित किसी सीवर, ड्रेन, पुलिया या कर्ब चैनल (gutter) के ऊपर उसकी लिखित सम्मति के बिना किसी भवन के निर्माण या पुनर्निर्माण पर रोक लगाता है (धारा 213(2)) और किसी भवन के निर्माण या अधिभोग से पहले उसकी "प्रभावी जल निकासी" ("the effectual drainage") के लिए ड्रेन की अपेक्षा करता है (धारा 202)। प्राकृतिक ड्रेनें और WRD की ड्रेनें जल निकासी आरक्षित पट्टी (खंड 6.9) वाले खुले चैनल हैं, और उन्हें ढका, डेक किया या उन पर निर्माण नहीं किया जाना चाहिए: उच्च न्यायालय ने गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि पर बनी एक सड़क और एक श्मशान को हटाने और भूमि को पूर्व स्थिति में लाने का आदेश दिया है (*Ramji Lal Saini v. State of Rajasthan*, 7 मई 2026)। जहाँ कोई ड्रेन ढकी हो, वहाँ उस पर खंड 6.13.2 पूर्ण रूप से लागू होता है।

खंड 6.13.7 अभी व्यवहार में नहीं है। जयपुर के नाले वर्षा जल और अपशिष्ट जल को द्रव्यवती में ले जाते हैं (JDA, द्रव्यवती EIA), जिसके किनारे 170 MLD के शोधन संयंत्र बनाए गए हैं, और जुलाई 2026 के एक निरीक्षण में अनुप्रवाह में मोरेल डैम पर अब भी सीवेज या औद्योगिक बहिःस्राव के संकेत मिले (उच्चतम न्यायालय, 7 अगस्त 2026); जोधपुर में लगभग 230 MLD सीवेज उत्पन्न होता है, जबकि शोधन क्षमता नवंबर 2025 में 120 MLD और मार्च 2026 में लगभग 175 MLD थी, और शोधित और अनुपचारित सीवेज जोजरी में पहुँचता है (उच्चतम न्यायालय, 21 नवंबर 2025 और 18 मार्च 2026); और उदयपुर में, जहाँ आयड़ झीलों का अतिप्रवाह लेती है, उच्च न्यायालय ने 2026 में निर्देश दिया कि कोई अनुपचारित सीवेज झीलों तक न पहुँचे (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 पहले से ही अपेक्षा करता है कि सीवेज और वर्षा जल की ड्रेनें अलग रखी जाएँ (धारा 204, उसके शीर्षक के अनुसार)। खंड 8.9 यह निर्धारित करता है कि कनेक्शन हटाए जाने तक वर्षा जल ड्रेन में शुष्क मौसम प्रवाह का सर्वेक्षण और अवरोधन कैसे किया जाए, जिसमें यह नियम भी सम्मिलित है कि अवरोधन ड्रेन की क्षमता को कम नहीं करेगा (खंड 8.9.5(b))।

10 m और 30 m की दूरियों और ±15 mm की सहनसीमा का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। खंड 6.13.6 ड्रेन से होकर गुजरते जल मुख्य पाइपों और केबलों के आम दृश्य का उत्तर है। प्रत्येक ऐसी सेवा कचरा फँसाती है और अनुप्रस्थ काट को कम करती है। पूरे अध्याय में हाथ से प्रवेश के बजाय ढक्कन के ओपनिंग से यांत्रिक सफाई मानी गई है, जो हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013) के अनुरूप है।

6.14 आउटफॉल

6.14.1 आउटफॉल अध्याय 5 की टेलवाटर स्थितियों के लिए डिजाइन किए जाएँगे। 1% AEP स्थिर जल स्तर से नीचे के आउटफॉल में फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व होंगे (अध्याय 5 और अध्याय 9, खंड 9.10)।

6.14.2 आउटफॉल सुरक्षा और ऊर्जा क्षय अध्याय 9, खंड 9.6 के अंतर्गत डिजाइन किए जाएँगे। तालाबों और जलाशयों में आउटफॉल अध्याय 7 और 8 को भी पूरा करेंगे।

6.15 प्रस्तुति की अपेक्षाएँ

प्रत्येक वहन प्रस्तुति में एक **वहन डिजाइन रिपोर्ट** (प्रपत्र 6-1) सम्मिलित होगी, जिसमें होंगे:

1. उप-जलग्रहण क्षेत्रों, लघु प्रणाली, इनलेट के स्थानों और 1% AEP घटना के लिए प्रमुख प्रणाली के सतही प्रवाह मार्गों को दर्शाने वाला जलग्रहण क्षेत्र का नक्शा (खंड 6.3.2);
2. प्रत्येक अवयव के लिए लिया गया भूमि-उपयोग और सड़क-वर्ग AEP (तालिका 6.1), और उच्च-घनत्व क्षेत्र की स्थिति;
3. अध्याय 2 के वर्षा पत्रक और अध्याय 3 की विधि सहित डिजाइन प्रवाह;
4. लघु, जाँच और 1% घटनाओं के लिए कर्ब चैनल फैलाव, गहराई और D·V की जाँच (तालिका 6.2 और 6.3);
5. स्वच्छ क्षमता, अवरोध गुणक, डिजाइन क्षमता और बाईपास प्रवाह सहित इनलेट अनुसूची (खंड 6.6);
6. n, वेग, तलछट प्रावधान और फ्रीबोर्ड सहित पाइप और ड्रेन डिजाइन तालिकाएँ (खंड 6.7);
7. प्रयुक्त टेलवाटर सहित लघु और जाँच घटनाओं के लिए HGL प्रोफाइल (खंड 6.8);
8. पूर्ण-अवरुद्ध जाँच सहित निचले बिंदुओं पर जल रुकने के स्तर (खंड 6.10);
9. प्रत्येक भवन के लिए फर्श-स्तर अनुसूची (खंड 6.11);
10. पुलिया और क्रॉसिंग की गणनाएँ (खंड 6.12 और अध्याय 9); और
11. उपयोगिता-क्रॉसिंग अनुसूची और ढकी ड्रेन के लिए प्रवेश द्वारों का लेआउट (खंड 6.13)।

संदर्भ (अध्याय)

- MoHUA / CPHEEO (2019). *Manual on Storm Water Drainage Systems*, Volume I, Part A: Engineering Design. Tables 4.1, 5.1, 5.2, 5.3, 5.8, 5.11, 5.12, 6.2, 11.2, 11.5; §5.3, §5.6.2, Fig. 5.9. https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/8a2456c722036d78c72a698898ef846d.pdf
- PUB Singapore (2018, with Addendum No. 3, April 2025). *Code of Practice on Surface Water Drainage*, 7th edition. Clauses 1.1, 2.1.1, 5.1, 5.3, 9.6, 9.7 and Appendix 1 (Drainage Reserve Requirements). https://www.pub.gov.sg/-/media/PUB/PDF/Code-of-Practices-and-Submission-Guidelines/Surface-Water-Drainage/Code-of-Practice-on-Surface-Water-Drainage.pdf
- Indian Roads Congress (2013). IRC:SP:50-2013, *Guidelines on Urban Drainage* (First Revision). https://law.resource.org/pub/in/bis/irc/irc.gov.in.sp.050.2013.pdf
- Indian Roads Congress (2014). IRC:SP:42-2014, *Guidelines on Road Drainage* (First Revision). https://law.resource.org/pub/in/bis/irc/irc.gov.in.sp.042.2014.pdf
- Bureau of Indian Standards. IS 7784 (Part 1): 1993, *Code of practice for design of cross drainage works, Part 1: General features* (CPHEEO 2019 Table 5.12 में उद्धृत रूप में)।
- Federal Highway Administration (2024). *Urban Drainage Design Manual*, Hydraulic Engineering Circular No. 22, 4th edition, FHWA-HIF-24-006. (3rd edition 2009, FHWA-NHI-10-009.)
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). *Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities* (5601.8, 5604.2, 5608.4). https://www.kcwater.us/wp-content/uploads/2020/08/Design-Criteria-%E2%80%93-Section-5600-%E2%80%93-Storm-Drainage-Systems-and-Facilities.pdf ; और Version 2025.01 (Dec 2025)।
- Australian Institute for Disaster Resilience (2014). *Australian Disaster Resilience Guideline 7-3: Technical flood risk management guideline: Flood hazard*. Tables 1 and 2. https://knowledge.aidr.org.au/media/1891/guideline-7-3-technical-flood-risk-management.pdf
- Smith, G.P. and Wasko, C.D. (2012). *Australian Rainfall and Runoff Revision Project 15: Two-dimensional modelling in urban and rural floodplains*. Engineers Australia.
- Ball, J. et al. (eds) (2019). *Australian Rainfall and Runoff: A Guide to Flood Estimation*, Book 6 (Chapters 6 and 7). Commonwealth of Australia (Geoscience Australia).
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2008). *Submission Checklist for Stormwater Management*; और (2012) *Urban Stormwater Management Manual for Malaysia (MSMA)*, 2nd edition।
- Gupta, K. *Return Period and Rainfall Intensity for Drainage Design in India*. IIT Bombay. https://www.civil.iitb.ac.in/~kgupta/drainagedesign.pdf
- Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (2008). *Design & Construction Management System: Circular-8, General guide lines for Drainage Sector work to be taken under RUSDIP*, Ref. F3(106)(32)/RUSDIP/PMU/CMS/2007, 4 मार्च 2008 (नगर ड्रेनों के लिए 1–2 वर्ष, पुलियों के लिए 25 और पुलों के लिए 50 वर्ष की पुनरावृत्ति अवधि; डिजाइन तीव्रताएँ "सामान्यतः 12mm/hr से 20mm/hr की सीमा में" ("usually in the range of 12mm/hr to 20mm/hr")), एक संग्रहीत प्रति से पढ़ा गया। https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/organizations/ruidp/Downloads/Circular%20No.%208%20(Drainage%20sector%20guidelines)_4.03.2008.pdf
- Ghate, A.S. and Timbadiya, P.V. (2022). Effect of discretisation on extreme rainfall analysis: A study of Jaipur city in India. *MAUSAM* 73(2), 341–354 (IMD के घंटेवार अभिलेख, 1970–2013)। https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3570

- Jaipur Development Authority. Dravyavati River Rejuvenation Project, EIA/EMP Chapter 2 (100-वर्ष की बाढ़; गंदा नाला (Ganda), नाहरिका (Naharika), अंबाबाड़ी (Ambabari) और जवाहर (Jawahar) नाले; 170 MLD के शोधन संयंत्र)। https://environmentclearance.nic.in/writereaddata/FormB/EC/FORM_1/170520176S4VOAIDChapter-2.pdf
- India Meteorological Department (2020). 15 मई 2020 की प्रेस विज्ञप्ति, *New normal dates of onset/progress and withdrawal of southwest monsoon* (Pai et al.), Table 2 (Jhalawar, Udaipur, Kota, Jaipur, Ajmer, Jodhpur, Churu, Barmer, Bikaner, Pokaran)। https://internal.imd.gov.in/press_release/20200515_pr_804.pdf
- India Meteorological Department. *Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012)*, राजस्थान के पृष्ठ (Jaipur, 19 जुलाई 1981; Ajmer, 10 जून 2002)। https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf ; और Gupta, H.N. and Jindal, O.P. (1987). Unprecedented heavy rainfall in Jaipur (Rajasthan) during 18–20 July 1981. *Mausam* 38(3), 362–364. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3120
- Supreme Court of India. *In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*, Suo Motu WP (C) 8 of 2025: 21 नवंबर 2025 (2025 INSC 1341) और 18 मार्च 2026 (2026 INSC 316) के निर्णय, और 7 अगस्त 2026 का आदेश (2026 INSC 812) (जोधपुर में उत्पन्न और शोधित सीवेज; द्रव्यवती के शोधन संयंत्र)। https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_3_50_66079_Judgement_21-Nov-2025.pdf ; https://www.verdictum.in/pdf_upload/2026/04/07/53967202523569419judgement18-mar-2026watermark-1775389.pdf ; https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_2_58_72891_Judgement_07-Aug-2026.pdf
- 31 जुलाई–1 अगस्त 2024 को जयपुर में बेसमेंट में हुई मौतों पर समाचार रिपोर्टें (Deccan Herald; NewsOnAir); जुलाई 2022 की जोधपुर की वर्षा पर (IANS; National Herald); जुलाई 2026 में टोंक रोड, रामबाग और जयपुर के परकोटे के जलभराव पर (newkerala); 15 जून से राज्य के नियंत्रण कक्षों पर (PTI, ThePrint, 11 जून 2026), https://theprint.in/india/rajasthan-steps-up-monsoon-preparedness-orders-control-rooms-to-operate-24x7/2957202/ ; ड्रेन सफाई पर मुख्यमंत्री के निर्देश पर (जुलाई 2026); द्रव्यवती की ड्रेनों पर *Alok Gupta v. State* में उच्च न्यायालय के आदेश पर (LiveLaw, 27 जुलाई 2026); अजमेर में चक्रवात बिपरजॉय पर (The Federal, जून 2023); और उदयपुर की झीलों पर उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान मामले, CW 12630/2026, पर (Verdictum, 10 जून 2026)।
- National Disaster Management Authority (2010). *National Guidelines: Management of Urban Flooding*.
- MoHUA / TCPO (2015). *URDPFI Guidelines*, Volume I.
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2019). *Coastal Regulation Zone Notification, 2019*, G.S.R. 37(E), 18 January 2019. Para 1(i) and Annexure IV. https://crz.elaw.in/crz2019.html
- Urban Development and Housing Department, Government of Rajasthan. *Model Rajasthan Building Regulations, 2025* (मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025), 12 मई 2025 के आदेश क्रमांक P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025 के साथ; प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण में उसके अपने राजपत्र प्रकाशन से प्रवृत्त (विनियम 1.2), तिथि जो शहर-दर-शहर भिन्न है [TBC]; विनियम 6.5, 6.6, 8.1, 8.3 और 18.1, तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़े गए। https://frontdesk.co.in/wp-content/uploads/2025/05/Order-Modal-Building-Bye-Laws-2025.pdf
- Jaipur Development Authority. *JDA (Jaipur Region) Building Regulations, 2020*, अधिसूचना संख्या ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2021/डी-36, *Rajasthan Gazette* (Extraordinary), Part 6(ख), 7 जनवरी 2021 (पूर्ववर्ती पाठ; विनियम 10.4 और 11.6 और अनुलग्नक 4)। http://web.archive.org/web/2023id_/https://urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/lsgs/lsg-jaipur/onlineservices/BUILDING%20BYE%20LAWS%202020.pdf

- *Rajasthan Municipalities Act, 2009* (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009; 2009 का अधिनियम संख्यांक 18), धारा 68, 202, 204 (केवल शीर्षक) और 213, तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़े गए रूप में (संशोधन जाँचे नहीं गए)। https://lawgist.in/states/rajasthan/rajasthan-municipalities-act-2009
- *Rajasthan Tenancy Act, 1955* (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955), धारा 16 (चरागाह, तालाब-तल और नदी-तल की भूमि में कोई खातेदारी अधिकार नहीं), उच्चतम न्यायालय (2017) द्वारा और द्वितीयक स्रोतों में उद्धृत रूप में।
- *Rajasthan Lakes (Protection and Development) Authority Act, 2015* (राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015; 2015 का अधिनियम संख्यांक 5), विधेयक (2015 का विधेयक संख्या 11) के पाठ के अनुसार पढ़ा गया। https://www.ielrc.org/Content/e1501.pdf
- High Court of Rajasthan. *Ramji Lal Saini v. State of Rajasthan*, D.B. CWP (PIL) 6614/2021, 7 मई 2026 का आदेश [2026:RJ-JP:19286-DB], जिसमें *Gulab Kothari v. State of Rajasthan*, DBCWP 1554/2004, 12 जनवरी 2017 का आदेश, और SBCWP 11153/2011 में 29 मई 2012 का स्वतः संज्ञान आदेश उद्धृत हैं। https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/05/22/ramji-lal-675710.pdf
- Supreme Court of India. *In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*, Suo Motu WP (C) 8 of 2025, 7 अगस्त 2026 का आदेश (2026 INSC 812), https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_2_58_72891_Judgement_07-Aug-2026.pdf ; और 24 अगस्त 2026 का अंतरिम आदेश (जोजरी के किनारे से 100 m), प्रकाशित खबरों के अनुसार (PTI, ThePrint)।
- उदयपुर की झीलों का निर्माण-निषिद्ध जोन (17 जनवरी 1997 की अधिसूचना, पूर्ववर्ती राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 171 के अंतर्गत; उदय सागर के चारों ओर उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 m), प्रकाशित खबरों के अनुसार (Down To Earth)।
- Government of India. *The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013*.

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
6A	राजस्थान के लिए मानक इनलेट प्रकार और उनके क्षमता वक्र (ढलान पर और निचले बिंदु पर)
6B	गाद-जाल के आकार निर्धारण और तलछट प्रावधान के अंशांकन के लिए तलछट उत्पादन
6C	मानक ड्रॉइंग: हटाने योग्य ढक्कनों वाली ढकी सड़क किनारे की ड्रेन, निरीक्षण कक्ष, गाद संप सहित इनलेट
प्रपत्र 6-1	वहन डिजाइन रिपोर्ट जाँच-सूची

अध्याय 7

जलाशय, तालाब (पोखर) और सेटबैक

7.1 प्रयोजन और विस्तार

7.1.1 यह अध्याय जलाशयों (waterbodies) को जल निकासी प्रणाली का भाग मानता है। यह निम्नलिखित के लिए नियम निर्धारित करता है:

- (a) प्रत्येक उस जलाशय की पहचान और मानचित्रण, जिस पर कोई विकास या लोक निर्माण कार्य प्रभाव डालता है;
- (b) जलाशयों के चारों ओर सेटबैक (छोड़ी जाने वाली दूरी) जोन, और प्रत्येक जोन में अनुमत उपयोग;
- (c) बाढ़-प्रवण भूमि में भराई (fill), और जहाँ भराई की अनुमति है वहाँ आवश्यक प्रतिपूरक भंडारण (compensatory storage);
- (d) तालाब शृंखला (tank cascade) सहित तालाब (talab) के भंडारण को डिजाइन भंडारण के रूप में गिनना;
- (e) तालाबों और पोखरों का पुनर्स्थापन और उनसे गाद निकालना;
- (f) आपूर्ति चैनलों (supply channels), अतिरिक्त जल मार्गों (surplus courses), इनलेट और आउटलेट का संरक्षण;
- (g) आर्द्रभूमियाँ, दलदल और ज्वारनदमुख, जिनका अर्थ राजस्थान में, जहाँ न कोई तट है और न ज्वारीय जल, चार रामसर स्थल (केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (Keoladeo National Park), सांभर झील, खीचन और मेनार), वे आर्द्रभूमियाँ जिन्हें राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण 2017 के नियमों के अंतर्गत अधिसूचित या सूचीबद्ध करता है, जून 2026 में उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित राज्यव्यापी सर्वेक्षण में चिह्नित आर्द्रभूमियाँ, शहरी झीलें (city lakes) और सागर (sagar), खारी झीलें और अंतःस्थलीय गर्त, नदियों के डूब क्षेत्र की आर्द्रभूमियाँ, और राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित तालाब, जोहड़ (johad) और नाडियाँ (nadi) हैं;
- (h) अतिक्रमण और उसे हटाने से संबंध;
- (i) क्षेत्रीय तालाब भंडारण के लिए एवज शुल्क (fee-in-lieu) अंशदान (अध्याय 4 के साथ); और
- (j) तालाब के बाँधों (tank bunds) और अन्य तटबंधों की सुरक्षा।

7.1.2 यह अध्याय प्रत्येक उस विकास और लोक निर्माण कार्य पर लागू होता है जिस पर अध्याय 1 के अंतर्गत यह मैनुअल लागू होता है और जो:

- (a) किसी जलाशय से सटा है या पूर्णतः या अंशतः उसके सेटबैक (खंड 7.4) के भीतर स्थित है;
- (b) अध्याय 5 के अनुप्रवाह विश्लेषण के विस्तार के भीतर, सीधे या किसी ड्रेन के माध्यम से, किसी जलाशय में पानी छोड़ता है; या
- (c) किसी जलाशय, उसके बाँध, स्लूइस, सरप्लस वियर, आपूर्ति चैनल या अतिरिक्त जल मार्ग में परिवर्तन करता है।

7.1.3 जहाँ कोई कानून या सांविधिक नियम अधिक चौड़ा सेटबैक या अधिक कठोर प्रतिबंध निर्धारित करता है, वहाँ वह कानून लागू होगा (खंड 1.3.3)। इस अध्याय की कोई बात किसी ऐसे कार्य को प्राधिकृत नहीं करती जिसका निषेध राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (धारा 68, 202 और 213), राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (धारा 16), राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017, या कोई अन्य विधि करती है।

भाष्य. राजस्थान में झीलों के लिए एक अधिनियम है, पर तालाबों के लिए कोई अधिनियम नहीं, और उसके अधिकांश तालाब (talab), जोहड़ (johad) और नाडियाँ (nadi) अपने किसी कानून से नहीं, बल्कि राजस्व विधि, नगरपालिका विधि और न्यायालयों से संरक्षित हैं। **राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015** (2015 के विधेयक के पाठ के अनुसार; अधिनियमित पाठ पढ़ा नहीं गया) सभी झीलों का संरक्षण और विकास राज्य सरकार में निहित करता है। यह "झील" को भूमि पर स्थित किसी प्राकृतिक या मानव-निर्मित

जलराशि के रूप में परिभाषित करता है, "चाहे उसमें जल हो या न हो, और चाहे वह किसी राजस्व या अन्य शासकीय अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित हो या न हो" ("whether it contains water or not and whether it has been recorded as such in any revenue or other official record or not"), जिसका अधिनियम से पहले के पचास वर्षों में किसी भी समय कम से कम 3 ha (जहाँ उसका सामाजिक-सांस्कृतिक, विरासत या धार्मिक महत्व हो) या 10 ha (अन्य मामलों में) जलमग्न क्षेत्र रहा हो (धारा 2(x)); यह "बहाव क्षेत्र" (flow area) को "वह क्षेत्र जिसमें होकर जल धाराएँ या संभरक धाराएँ झील की ओर उसके पुनर्भरण के लिए बहती हैं" ("the area through which streams or feeders flow to the lake for its recharge") के रूप में परिभाषित करता है (धारा 2(viii)); यह राज्य को झीलों की सीमाएँ और किसी झील के चारों ओर संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित करने देता है (धारा 4); यह प्रत्येक नगर नियोजन प्राधिकरण से अपेक्षा करता है कि वह झील वाले किसी क्षेत्र की किसी भी स्थानिक या विकास संबंधी योजना के लिए झील विकास प्राधिकरण से परामर्श करे और उसका पूर्व अनुमोदन ले, और अनुमति के बिना संरक्षित क्षेत्र में निर्माण का निषेध करता है (धारा 5); और यह झील विकास प्राधिकरण को संरक्षित क्षेत्र या बहाव क्षेत्र के भीतर किसी भी बाधा को हटाने की शक्ति देता है (धारा 6(2))। इस मैनुअल के लिए अधिनियम के अंतर्गत झील की सीमा या संरक्षित क्षेत्र की कोई अधिसूचना नहीं मिली। नगरों में, सभी सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, जलाशय और हौज, उनसे लगी ऐसी भूमि सहित जो निजी संपत्ति नहीं है, और किसी सड़क में, उसके साथ-साथ या उसके नीचे की सभी सार्वजनिक ड्रेनें, चैनल, पुलियाँ और जलमार्ग नगरपालिका में निहित होते हैं, "जिन्हें वह न्यासी के रूप में धारित और प्रयुक्त करती है" ("held and applied by it as trustee") (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68(1)(c) और (d)); उस धारा में किसी निहित तालाब को किसी अन्य उपयोग में लाने पर कोई स्पष्ट रोक नहीं देखी गई। गाँवों में और शहरी सीमांत पर, चरागाह भूमि में और, प्रकाशित खबरों के अनुसार, नदी और तालाब के तलों में खातेदारी (khatedari) अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 16), और तालाब, नाडियाँ (nadi) और नाले (nala) राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन (gair mumkin) तालाब, नदी (river) या नाला (ऐसी भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती) के रूप में दर्ज होते हैं।

उच्च न्यायालय ने यह संरक्षण जलाशय से आगे उसके जलग्रहण क्षेत्र तक बढ़ाया है। *Abdul Rahman v. State of Rajasthan* (D.B. C.W.P. 1536/2003, 2 अगस्त 2004) में उसने "रामगढ़ बाँध के जलग्रहण क्षेत्रों में जल का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए" ("to ensure free flow of water in the catchment areas of Ramgarh Dam") निर्देश दिए, जो 1903 का वह जलाशय है जो जयपुर को पानी देता था और जिसका लगभग 769.20 km^2 का जलग्रहण क्षेत्र चार तहसीलों में फैला है (2017 में उच्चतम न्यायालय के सारांश के अनुसार); स्वतः संज्ञान से लिए गए एक मामले (S.B.C.W.P. 11153/2011) में उसने 2011 में विभागों को उन तहसीलों की "जल निकास मार्गों, चैनलों, नालों, नदी आदि में अतिक्रमण और अवैध निर्माण रोकने" ("to stop encroachment and illegal construction in the drainages, channels, nalas, river etc.") का, और अतिक्रमण हटाने की योजना "ताकि 15.08.1947 को विद्यमान स्थिति बहाल हो सके" ("so as to restore the position as was existing on 15.08.1947") बनाने का निर्देश दिया, और 29 मई 2012 को "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर आदि जैसे जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में आने वाली भूमि के आवंटन" ("allotment of the land falling in catchment areas of water reservoirs like Johar, Nala, Tank, River, Pond etc.") पर रोक लगाई (2026 में उच्च न्यायालय द्वारा उद्धृत रूप में)। उच्चतम न्यायालय ने 2017 में पाया कि रामगढ़ झील "अब भी पूरी तरह सूखी" ("still bone dry") थी (*National Institute of Medical Science University v. State of Rajasthan*, 9 नवंबर 2017)। *Gulab Kothari v. State of Rajasthan* (D.B. C.W.P. 1554/2004, 12 जनवरी 2017) में राज्य ने स्वीकार किया कि नदियों और झीलों जैसे प्राकृतिक संसाधन "मास्टर विकास योजना तैयार करते या उसमें परिवर्तन करते समय बाधित नहीं किए जा सकते" ("cannot be disturbed while preparing the Master Development Plan or modifying the same"), और *Ramji Lal Saini v. State of Rajasthan* (D.B. C.W.P. 6614/2021, 7 मई 2026) में उच्च न्यायालय ने ठहराया कि "'गैर मुमकिन नाला' एक प्राकृतिक जल निकासी और जल प्रवाह चैनल है, जो पारिस्थितिक ढाँचे और जलवैज्ञानिक प्रणाली का अभिन्न अंग है" ("a 'Gair Mumkin Nala' constitutes a natural drainage and water flow channel forming an integral part of the ecological framework and hydrological system"), जिसे "केवल इस आधार पर कि उपयोग किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए है, किसी असंगत प्रयोजन के लिए" ("for any non-conforming purpose merely on the ground that the utilisation is for a public purpose") मोड़ा नहीं जा सकता, और यह कि "राजस्थान जैसे राज्य में जलाशयों, प्राकृतिक ड्रेनों, जलग्रहण क्षेत्रों और पारंपरिक जल चैनलों का संरक्षण और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है" ("preservation of water bodies, natural drains, catchment areas and traditional water channels assumes even greater significance in a State like Rajasthan")। 7 अगस्त 2026 को

उच्चतम न्यायालय ने राज्य को "राज्य की सभी नदी प्रणालियों के संबंध में उच्च बाढ़ रेखा और अपेक्षित पारिस्थितिक बफर जोन" ("the High Flood Line and the requisite ecological buffer zone qua all the river systems in the State") का सीमांकन करने का, और तब तक चिह्नित नदी गलियारों के भीतर विकास के लिए कोई नई अनुमति न देने का निर्देश दिया (*In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River*, Suo Motu W.P. (C) 8 of 2025)। आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित आर्द्रभूमियाँ, और राज्य के चार रामसर स्थल, 1 जून 2026 के उच्च न्यायालय के स्वतः संज्ञान आदेश के अंतर्गत, **राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण** के दायित्व हैं (खंड 7.12, भाष्य)।

यह मैनुअल प्रत्येक अभिलिखित तालाब, जोहड़ और नाडी को, उसके अभिलिखित जलग्रहण क्षेत्र (आगोर; agor) और उसे पानी देने वाले प्रवाह मार्गों सहित, जल निकासी अवसंरचना मानता है। राजस्थान की पारंपरिक प्रणालियाँ किसी जलग्रहण क्षेत्र के अपवाह को पकड़ने और रोके रखने के लिए बनाई गई थीं: गाँवों और नगरों के तालाब, जोहड़ और नाडी, बावड़ी (baori) और झालरा (jhalra) (सीढ़ियों वाले कुएँ), कुंड (kund) और टाँका (taanka) (दीवारों से बने हौज), और खड़ीन (khadin) (ढलान के आर-पार बना बाँध, जिसके पीछे अपवाह रुकता है और फिर उसके तल में खेती होती है)। तालाब उतना ही अच्छा है जितना उसका आगोर (जलग्रहण क्षेत्र): रामगढ़ बाँध में "औसत और औसत से अधिक वर्षा के बावजूद कम/शून्य अंतर्वाह" ("Less/no inflow ... Despite Average and Above Average Rainfall") रहा (9 जनवरी 2013 की तकनीकी समिति की रिपोर्ट), और यह तब, जब उच्च न्यायालय उसके जलग्रहण क्षेत्र के उन भागों के सर्वेक्षण का आदेश दे चुका था जिनका "निर्माण और खनन के प्रयोजनों के लिए दुरुपयोग" ("misused for construction and mining purposes") हुआ था (18 जुलाई 2003 का आदेश; दोनों 2017 में उच्चतम न्यायालय के सारांश के अनुसार)। इस मैनुअल के अंतर्गत कोई भी डिजाइन किसी अभिलिखित तालाब के भरे जाने को, या उसे पानी देने वाले किसी प्रवाह मार्ग के अवरुद्ध किए जाने या मोड़े जाने को, न तो मानकर चलेगा और न उस पर निर्भर करेगा, जब तक कि अध्याय 3 से 5 के अंतर्गत जल निकासी आकलन यह न दर्शाए कि भंडारण और प्रवाह कहाँ जाते हैं, और खोए भंडारण का प्रतिस्थापन खंड 7.6.4 के अंतर्गत न किया जाए (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाओं में "अभिलिखित तालाब" और "आगोर" देखें)। आगोर और उसके प्रवाह मार्गों का संरक्षण ऊपर के न्यायालय आदेशों पर आधारित इस मैनुअल का प्रस्ताव है; यह सांविधिक नियम नहीं है, और जहाँ कोई न्यायालय आदेश या झील अधिनियम अधिक व्यापक संरक्षण देता है, वहाँ वही लागू होगा। न मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 और न 2020 के वे विनियम, जिनका वे स्थान लेते हैं, जल से कोई सेटबैक निर्धारित करते हैं; निकटतम प्रावधान 5,000 से 20,000 m^2 निर्मित क्षेत्र वाले भवनों के लिए यह पर्यावरणीय शर्त है कि "प्राकृतिक जल निकासी प्रणाली के इनलेट और आउटलेट बिंदु यथावत् रखे जाएँगे" ("the inlet and outlet points of the natural drainage system shall be kept as they are"), और निर्बाध प्रवाह के लिए पर्याप्त आकार के चैनल (JDA के 2020 के विनियमों का अनुलग्नक 4, अनुवाद में; बताया गया है कि 2025 के विनियमों की अनुसूची 4 में यही पाठ है)। यह अध्याय जलाशयों के भंडारण और वहन की रक्षा करने वाले डिजाइन नियम देता है। यह उन राजस्व, नगरपालिका, नियोजन, झील और आर्द्रभूमि प्रक्रियाओं का स्थान नहीं लेता जो विधि में जलाशयों को अभिलिखित और संरक्षित करती हैं, और न उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशों का।

7.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
जलाशय (waterbody)	कोई नदी या सूखा नदी-तल (जैसे चंबल, बनास, लूणी, जोजरी, माही, घग्घर और द्रव्यवती), प्राकृतिक ड्रेन या नाला (nala), नहर, झील, सागर (sagar) या जलाशय (जैसे पिछोला, फतह सागर, उदय सागर, आना सागर, मान सागर, कायलाना और रामगढ़ बाँध), तालाब या पोखर (talab, johad, nadi), बावड़ी (baori) या कुंड (kund) (सीढ़ियों वाला कुआँ या दीवारों से घिरा छोटा तालाब), अपवाह प्राप्त करने वाला टाँका (taanka) (दीवारों से बना हौज), खड़ीन (khadin) (अपवाह-खेती का बाँध और उसका तल), खारी झील, प्लाया (playa) या बिना आउटफॉल वाला अंतःस्थलीय गर्त (जैसे सांभर), दलदल या निचली गीली भूमि, डूब क्षेत्र की आर्द्रभूमि या निचला गड्ढा, परित्यक्त खदान या मिट्टी निकालने का गड्ढा (borrow pit), आपूर्ति चैनल या अतिरिक्त जल मार्ग, बारहमासी या मौसमी (जैसा अध्याय 1 में है)।
तालाब (talab)	मिट्टी के बाँध से रोका गया जलाशय, जिसे उसका अपना जलग्रहण क्षेत्र और/या कोई आपूर्ति चैनल पानी देता है, और जिसमें एक सरप्लस वियर और एक या अधिक स्लूइस होते हैं।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
तालाब शृंखला (tank cascade)	तालाबों की ऐसी शृंखला जिसमें एक तालाब का अतिरिक्त जल या स्लूइस से निकला प्रवाह अगले तालाब में जाता है (जैसा अध्याय 3 में है)।
तालाब का पूर्ण जल स्तर (FTL)	किसी तालाब के सरप्लस वियर (स्पिलवे, अतिप्रवाह, एस्केप (escape) या आउटलेट) का शिखर स्तर, या उसकी नियंत्रक संरचना का स्थायी शिखर। तालाब FTL तक पानी बिना छलके रोके रखता है।
अधिकतम जल स्तर (MWL)	किसी तालाब में वह उच्चतम जल स्तर जब सरप्लस वियर तालाब की डिजाइन बाढ़ को पार कराता है। इस मैनुअल के लिए, यह WRD द्वारा अभिलिखित स्तर और खंड 2.8 के जलवायु गुणक के साथ 1% AEP (100-वर्ष) अंतर्वाह के लिए परिकलित स्तर में से जो अधिक हो, वह है (खंड 7.7.4)।
बाँध का शीर्ष स्तर (TBL)	तालाब के बाँध का शिखर स्तर।
जल-फैलाव क्षेत्र (waterspread)	FTL पर तालाब का जलमग्न क्षेत्र।
तालाब का अग्रतट (foreshore)	तालाब के चारों ओर FTL समोच्च रेखा और MWL समोच्च रेखा के बीच की भूमि। जब भी तालाब उफनता है, अग्रतट की भूमि जलमग्न होती है, और यह तालाब के बाढ़ भंडारण का भाग है।
आपूर्ति चैनल (supply channel; feeder channel, नाला या नहर)	वह चैनल जो किसी नदी, एनीकट या प्रतिप्रवाह के तालाब से पानी किसी तालाब में लाता है।
अतिरिक्त जल मार्ग (surplus course)	वह चैनल जो सरप्लस वियर के अतिप्रवाह को अगले तालाब, किसी नदी, किसी ड्रेन या समुद्र तक ले जाता है।
स्लूइस (sluice; स्लूइस, स्लूइस गेट या रेगुलेटर)	तालाब के बाँध से होकर नियंत्रित आउटलेट, जो सामान्यतः किसी सिंचाई चैनल में खुलता है।
किनारे का शीर्ष (top of bank)	किसी चैनल के लिए, चैनल के किनारे पर ढलान का टूटना। जहाँ इसकी पहचान न हो सके, वहाँ 50% AEP (2-वर्ष) प्रवाह पर जल सतह का किनारा।
1% AEP बाढ़ का विस्तार	वह भूमि जो खंड 2.8 के जलवायु गुणक के साथ 1% AEP (100-वर्ष) बाढ़ से जलमग्न होती है, जैसा अध्याय 3 और अध्याय 5 की अपेक्षाएँ पूरी करने वाले हाइड्रोलिक मॉडल से, या खंड 7.3.4 के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा अंगीकृत मानचित्र से ज्ञात हो।
बाढ़ मार्ग (floodway)	जलाशय और उससे सटी वह भूमि जिसे अवरोध से मुक्त रखना आवश्यक है ताकि 1% AEP बाढ़ किसी भी बिंदु पर 1% AEP जल स्तर को **0.1 m** से अधिक बढ़ाए बिना निकल सके (खंड 7.6.1)। तालाब के लिए, MWL से नीचे की समस्त भूमि।
बाढ़ सीमांत क्षेत्र (flood fringe)	1% AEP बाढ़ के विस्तार का वह भाग जो बाढ़ मार्ग के बाहर है।
जोन 1 (जलाशय संरक्षण जोन)	खंड 7.4.3 में परिभाषित भीतरी सेटबैक जोन।
जोन 2 (बाढ़ सीमांत सेटबैक)	खंड 7.4.4 में परिभाषित बाहरी सेटबैक जोन।
सेटबैक (setback)	जोन 1 और जोन 2 एक साथ।
प्रतिपूरक भंडारण (compensatory storage)	खुदाई से बनाया गया भंडारण जो खंड 7.6.4 के अंतर्गत भराई के कारण खोए बाढ़ भंडारण का स्थान लेता है।
बाढ़ कुशन (flood cushion)	FTL से नीचे का भंडारण, जिसे किसी दस्तावेजित प्रचालन नियम के अंतर्गत बाढ़ को समाने के लिए खाली रखा जाता है (खंड 7.8)।

राजस्थान के शब्द. इस अध्याय में ऊपर दिए गए शब्दों के अतिरिक्त निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया गया है (परिशिष्ट 7E भी देखें):

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
तालाब (talab; जोहड़, नाडी)	सामान्यतः मिट्टी के बाँध वाला प्राकृतिक या खोदा गया गड्ढा, जो अपने जलग्रहण क्षेत्र से वर्षा के अपवाह को भंडारित करता है: प्लैट्स में "तालाब, जलकुंड, सरोवर, पानी का भंडार" ("Pond, pool, tank, reservoir of water") (परिशिष्ट 7E)। जोहड़ (johad) कच्चा (बिना पक्की परत का) तालाब है, और नाडी (nadi) मारवाड़ और पश्चिम का गाँव का तालाब है; इस अध्याय के लिए दोनों तालाब हैं। तालाब (talab) खंड 7.2 के अंतर्गत तालाब (tank) या पोखर (pond) है। अधिकांश तालाबों में कोई सरप्लस वियर या स्लूइस नहीं होता, केवल बाँध या किनारे का कोई निचला बिंदु होता है जिसके ऊपर से वे छलकते हैं; जहाँ किसी तालाब में इनमें से कुछ नहीं है, वहाँ उसका FTL वह स्तर है जिस पर वह अगले तालाब, किसी खड़ीन, किसी नाले या निचली भूमि में छलकता है, जिसे सर्वेक्षण से ज्ञात किया जाता है। तालाब होने के लिए तालाब में पानी होना आवश्यक नहीं है: जो तालाब एक साथ कई वर्षों तक सूखा रहता है, उसका तल, उसका बाँध, उसका आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) और उसके प्रवाह मार्ग बने रहते हैं।
अभिलिखित तालाब (recorded talab)	राजस्व अभिलेखों (गैर मुमकिन तालाब के रूप में दर्ज भूमि सहित), किसी नगरपालिका के अभिलेखों, किसी मास्टर विकास योजना (Master Development Plan), राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किसी अभिलेख या अधिसूचना, राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की किसी सूची, या किसी न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत किए गए किसी सर्वेक्षण में दर्शाया गया कोई तालाब, जोहड़, नाडी, सागर या झील। इस मैनुअल के लिए अभिलिखित तालाब जल निकासी प्रणाली का भाग है। जहाँ उसे पूर्णतः या अंशतः भरने या उस पर निर्माण करने का प्रस्ताव है, वहाँ अध्याय 3 से 5 के अंतर्गत जल निकासी आकलन खोए गए भंडारण और प्रवाह मार्गों को, और प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह की ओर उनके प्रभाव को, दर्शाएगा, और भरने पर निर्भर किसी डिजाइन का अनुमोदन किए जाने से पहले खोए भंडारण का प्रतिस्थापन खंड 7.6.4 के अंतर्गत किया जाएगा। यह परिभाषा और नियम इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं, और भरने का निषेध करने वाले किसी न्यायालय आदेश या कानून पर अभिभावी नहीं होते।
आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) और प्रवाह मार्ग	किसी तालाब, जोहड़ या नाडी का आगोर (agor) वह भूमि है जिसका पानी उसमें जाता है, और उसके प्रवाह मार्ग वे नाले, चैनल और गड्ढे हैं जिनसे होकर वह अपवाह उस तक पहुँचता है, चाहे वे अभिलिखित हों या नहीं। (राजस्थान में "आगोर" ("Agor") किसी तालाब के जलग्रहण क्षेत्र के लिए प्रयुक्त होता है; किसी शब्दकोश या राजस्व पाठ में इस अर्थ की पुष्टि नहीं हुई, और प्लैट्स केवल असंबंधित अर्थ "चौकीदार" ("watchman") देता है (परिशिष्ट 7E), इसलिए यहाँ यह शब्द सदा अपने अर्थ के साथ प्रयुक्त होता है।) जहाँ किसी अभिलिखित तालाब का जलग्रहण क्षेत्र अभिलिखित है (राजस्व अभिलेखों में, न्यायालय के आदेश पर हुए किसी सर्वेक्षण में, या झील अधिनियम, 2015, धारा 2(viii) के अंतर्गत किसी झील के बहाव क्षेत्र के रूप में), या अध्याय 3 के अंतर्गत भू-भाग से उसका सीमांकन किया जा सकता है, वहाँ उसे जलाशय पत्रक (प्रपत्र 7-1) पर दर्शाया जाएगा, और उसमें: (a) 8 ha या अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाला प्रत्येक प्रवाह मार्ग, अपने सेटबैक सहित, खंड 7.4.1(b) के अंतर्गत प्राकृतिक चैनल है, चाहे वह गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज हो या नहीं; (b) किसी भी प्रवाह मार्ग को अवरुद्ध नहीं किया जाएगा, भरा नहीं जाएगा, मोड़ा नहीं जाएगा या उसके आर-पार निर्माण नहीं किया जाएगा, सिवाय खंड 7.10.3 की अपेक्षाएँ पूरी करने वाली किसी क्रॉसिंग के; (c) किसी विकास का वह अपवाह जो अध्याय 4 के अंतर्गत साइट पर प्रतिधारित नहीं होता, अध्याय 8 के अंतर्गत उपचार के बाद, उसी प्रवाह मार्ग से साइट से निकलेगा जिसका वह विकास से पहले उपयोग करता था, ताकि तालाब का अंतर्वाह बना रहे; और (d) जलग्रहण क्षेत्र की सीमा अनुमोदित लेआउट योजना पर चिह्नित की जाएगी। जहाँ किसी न्यायालय ने किसी अभिलिखित जलग्रहण क्षेत्र में आवंटन या निर्माण पर रोक लगाई है, जैसे रामगढ़ बाँध के लिए, वहाँ वही आदेश लागू होगा (खंड 7.4.5)। यह परिभाषा और मद (a) से (d) जलग्रहण क्षेत्रों पर उच्च न्यायालय के आदेशों (खंड 7.1 का भाष्य) पर आधारित इस मैनुअल का प्रस्ताव हैं; वे सांविधिक नियम नहीं हैं।
गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब (gair mumkin nala, nadi or talab)	ऐसी भूमि के लिए राजस्व अभिलेख की श्रेणी (गैर मुमकिन, खेती योग्य नहीं) जो नाला, नदी या तालाब है। उच्च न्यायालय ने ठहराया है कि गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि एक प्राकृतिक जल निकासी चैनल है जिसे किसी असंगत प्रयोजन के लिए, चाहे वह सार्वजनिक प्रयोजन ही हो, मोड़ा, अवरुद्ध या परिवर्तित नहीं किया जा सकता, और यह कि इस रूप में दर्ज सटी भूमि को उसके दर्ज स्वरूप में रखा जाए (*Ramji Lal Saini*, 2026)। किसी साइट के भीतर या उससे सटा ऐसा प्रत्येक भूखंड, उसकी वर्तमान स्थिति जो भी हो, खंड 7.3 के अंतर्गत जलाशय है, और उसकी दर्ज चौड़ाई खंड 7.10.3(b) के अंतर्गत उसकी न्यूनतम चौड़ाई है।
मानसून जल रेखा (monsoon water line)	मानसून में किसी तालाब, झील या आर्द्रभूमि के पानी का बाहरी किनारा: अभिलेख के वर्षों में मानसून और उसके बाद के महीने (जुलाई से अक्तूबर) की दिनांकित इमेजरी से दिखने वाला किनारा, जिसके अभिलेख गीले वर्षों को शामिल करने के लिए कम से कम 20 वर्षों के होंगे, राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित किनारा, और छलकने के स्तर (FTL) की समोच्च रेखा, इनमें से सबसे बड़ा; जहाँ इनमें से कोई उपलब्ध न हो, वहाँ MWL समोच्च रेखा। खंड 7.3.3 और 7.13.1 के अंतर्गत किसी तालाब या झील की सीमा उसकी राजस्व अभिलेख सीमा, उसके सर्वेक्षित FTL और उसकी मानसून जल रेखा में से सबसे बड़ी है, और सेटबैक उसी सीमा से मापे जाते हैं। किसी सूखे वर्ष का किनारा कभी सीमा तय नहीं करता। यह परिभाषा, और 20 वर्ष, इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं, क्योंकि राजस्थान के कई तालाब केवल गीले वर्षों में भरते हैं।

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
झील (झील अधिनियम, 2015)	ऐसी जलराशि जो राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 की परिभाषा पूरी करती है (धारा 2(x); अधिनियम से पहले के पचास वर्षों में किसी भी समय 3 ha या 10 ha जलमग्न क्षेत्र, चाहे उसमें पानी हो या न हो और चाहे वह अभिलिखित हो या न हो); उसका बहाव क्षेत्र "वह क्षेत्र जिसमें होकर जल धाराएँ या संभरक धाराएँ झील की ओर उसके पुनर्भरण के लिए बहती हैं" ("the area through which streams or feeders flow to the lake for its recharge") है (धारा 2(viii))। ऐसी झील खंड 7.2 के अंतर्गत तालाब है, और उसका बहाव क्षेत्र उसका आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) है। जहाँ झील की सीमा या संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित है (धारा 4), वहाँ अधिसूचित रेखा, जहाँ वह अधिक चौड़ी हो, लागू होगी (खंड 7.4.5)।
सागर (sagar); शहरी झील (city lake)	सागर या सरोवर (sarovar) बड़ा तालाब या झील है (परिशिष्ट 7E), और राजस्थान में अनेक शहरी झीलों का नाम, जैसे उदयपुर में फतह सागर और उदय सागर, अजमेर में आना सागर और जयपुर में मान सागर। शहरी झील किसी नगर के भीतर या उससे सटी ऐसी झील या सागर है जिसका स्तर अतिप्रवाह, एस्केप चैनल (escape channel) या गेटों वाले किसी डैम या बाँध से नियंत्रित होता है, जैसे आना सागर, जो अपने एस्केप चैनल के गेटों से होकर नगर में पानी छोड़ता है। प्रत्येक खंड 7.2 के अंतर्गत तालाब (tank) है; जहाँ वह रामसर स्थल या अधिसूचित या सूचीबद्ध आर्द्रभूमि है, वहाँ खंड 7.12 भी लागू होता है।
झील के स्तर से अवरुद्ध आउटफॉल (lake-locked outfall)	किसी शहरी झील या तालाब में किसी ड्रेन या नाले का आउटफॉल, जो झील के अपने FTL पर या उससे ऊपर होने के दौरान स्वतंत्र रूप से पानी नहीं छोड़ सकता। इसका टेलवाटर झील का स्तर है: झील का MWL, या उसके FTL में डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज (surcharge) जोड़कर प्राप्त स्तर, जैसा अभिरक्षक उन्हें अभिलिखित करता है, और जहाँ दोनों में से कोई प्रकाशित नहीं है, वहाँ वह स्तर जो अध्याय 5 निर्धारित करता है। झील के गेट खंड 7.8 के अंतर्गत नियंत्रणीय आउटलेट केवल वहीं हैं जहाँ उनका संचालन किसी लिखित नियम के अनुसार किया जाता है।
टाँका (taanka); कुंड (kund); बावड़ी (baori), झालरा (jhalra)	टाँका दीवारों से बना छोटा हौज है, जो सामान्यतः भूमिगत होता है और किसी छत, आँगन या तैयार जलग्रहण क्षेत्र से अपवाह भंडारित करता है; कुंड दीवारों या बाँध से घिरा छोटा तालाब है, और पश्चिम में यह शब्द (और कुंडी (kundi)) तश्तरीनुमा जलग्रहण क्षेत्र से भरने वाले हौज के लिए भी प्रयुक्त होता है; बावड़ी (baori, bawdi) या झालरा सीढ़ियों वाला कुआँ (step-well) है (परिशिष्ट 7E)। प्रत्येक खंड 7.3 के लिए जलाशय है। टाँका या कुंड खंड 8.11.2(a) के अंतर्गत उपयोग के लिए भंडारण है, और उसका भंडारण अस्थायी भंडारण (detention) के रूप में नहीं गिना जाता; बावड़ी या झालरा पुनर्भरण और विरासत के लिए रखा जाता है, और सड़कों या पक्के क्षेत्रों का कोई अपवाह उसमें नहीं ले जाया जाएगा (खंड 8.11.3(b))।
खड़ीन (khadin)	ढलान वाले जलग्रहण क्षेत्र के निचले किनारे के आर-पार बनाया गया लंबा कच्चा बाँध, जिसके पीछे मानसून में अपवाह रुकता है और रिसता है, और फिर तल में खेती होती है। खंड 7.3 और 7.10 के लिए खड़ीन तालाब है: उसके बाँध, उसके तल और उसके आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) को काटा नहीं जाएगा, उन पर निर्माण नहीं किया जाएगा या उन्हें उनके प्रवाह मार्गों से अलग नहीं किया जाएगा, और उसका अतिप्रवाह अतिरिक्त जल मार्ग है। उसका भंडारण केवल खंड 7.7 के अंतर्गत गिना जाता है। इस शब्द के लिए कोई शब्दकोश स्रोत नहीं मिला (परिशिष्ट 7E)।
नाला (nala); नाली (nali)	नाला प्राकृतिक या काटा गया जलमार्ग या ड्रेन है (परिशिष्ट 7E), जैसे जयपुर में द्रव्यवती में मिलने वाले नाले; नाली गली या घर की छोटी ड्रेन है। 8 ha या अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाला हर नाला खंड 7.4.1(b) के अंतर्गत प्राकृतिक चैनल है, उसका रखरखाव चाहे कोई भी करे और वह पक्का, पाइप में बंद या ढका हो या नहीं। प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग करने वाला कोई नियम नहीं मिला; परिभाषा, न कि स्वामी या नाम, तय करती है कि कौन-से खंड लागू होंगे।

7.3 जलाशयों की सूची और मानचित्रण

7.3.1 **राज्यव्यापी सूची.** प्राधिकारी, WRD और राजस्व विभाग के साथ, अपने क्षेत्र के प्रत्येक जलाशय की एक GIS परत (परिशिष्ट 7A) रखेगा। प्रत्येक जलाशय के लिए वह निम्नलिखित अभिलिखित करेगा:

- (a) उसका प्रकार (खंड 7.2), नाम और सर्वे संख्याएँ;
- (b) उसका अभिरक्षक (कोई नगर निगम, नगर परिषद या नगरपालिका बोर्ड (जिसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 68 के अंतर्गत सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, जलाशय, हौज और उनसे लगी भूमि, और किसी सड़क में, उसके साथ-साथ या उसके नीचे की सार्वजनिक ड्रेनें और जलमार्ग न्यासी के रूप में निहित होते हैं), कोई विकास प्राधिकरण (जैसे JDA, JoDA, AjDA, KDA या UDA) या कोई नगर सुधार न्यास, WRD (अपने डैमों, जलाशयों, सिंचाई तालाबों और नहरों के लिए), झील विकास प्राधिकरण (राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किसी झील के लिए), कलक्टर और तहसीलदार के माध्यम से राज्य सरकार (गैर

मुमकिन तालाब, नदी या नाला के रूप में दर्ज भूमि, तालाब-तल की भूमि और अन्य राज्य भूमि के लिए), ग्राम पंचायत, राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि के लिए), RIICO (अपने औद्योगिक क्षेत्रों की ड्रेनों और तालाबों के लिए), कोई निजी स्वामी, या कोई अन्य निकाय);

- (c) राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित उसकी सीमा;
- (d) तालाबों के लिए: FTL, MWL, TBL, सरप्लस वियर के शिखर की लंबाई और प्रकार, स्लूइस, आपूर्ति चैनल और अतिरिक्त जल मार्ग, प्रत्येक अपने डेटम सहित;
- (e) किसी तालाब शृंखला में उसकी स्थिति, प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह के तालाबों सहित;
- (f) जहाँ मानचित्रित हो, 1% AEP बाढ़ का विस्तार; और
- (g) ज्ञात अतिक्रमण, अभिलिखित करने की तिथि सहित।

7.3.2 **परियोजना मानचित्रण.** प्रत्येक जल निकासी रिपोर्ट में एक जलाशय पत्रक (प्रपत्र 7-1) शामिल होगा जिसमें निम्नलिखित सभी जलाशय दर्शाए जाएँगे:

- (a) साइट के भीतर;
- (b) साइट की सीमा से 100 m के भीतर; और
- (c) अनुप्रवाह की ओर, अध्याय 5 के अनुप्रवाह विश्लेषण के विस्तार तक।

पत्रक में, (a) और (b) के लिए 1:1,000 या उससे बड़े पैमाने के नक्शे पर, निम्नलिखित दर्शाए जाएँगे:

- राजस्व अभिलेख की सीमा;
- सर्वेक्षित FTL या किनारे का शीर्ष;
- MWL समोच्च रेखा (तालाब) और 1% AEP बाढ़ का विस्तार;
- जोन 1 और जोन 2 (खंड 7.4); और
- प्रत्येक आपूर्ति चैनल, अतिरिक्त जल मार्ग, स्लूइस और सरप्लस वियर।

7.3.3 **स्रोत.** जलाशयों की पहचान निम्नलिखित सभी स्रोतों से की जाएगी। जहाँ वे परस्पर विरोधी हों, वहाँ जलाशय का बड़ा विस्तार लागू होगा:

- (a) राजस्व विभाग के राजस्व अभिलेख और खसरा नक्शे, जिनमें तालाब, जोहड़, नाडियाँ (nadi), नाले और नदियाँ (river), और जहाँ अभिलिखित हों वहाँ तालाबों और पोखरों के जलग्रहण क्षेत्र, गैर मुमकिन तालाब, नदी या नाला के रूप में या भूमि की ऐसी अन्य श्रेणियों में दर्ज हैं जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अंतर्गत खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते; राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 68 के अंतर्गत किसी नगरपालिका में निहित सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, जलाशय, ड्रेनें और जलमार्ग; झीलों का अभिलेख, उनकी सीमाओं और बहाव क्षेत्रों सहित, और राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित झील की सीमाएँ और संरक्षित क्षेत्र (इस मैनुअल के लिए कोई नहीं मिला); मास्टर विकास योजनाओं में दर्शाए गए जलाशय, नाले और जलग्रहण क्षेत्र; उच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत किए गए जलग्रहण क्षेत्र सर्वेक्षण, जैसे रामगढ़ बाँध का; उच्चतम न्यायालय के 7 अगस्त 2026 के आदेश के अंतर्गत सीमांकन हो जाने पर प्रत्येक नदी की उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और पारिस्थितिक बफर; आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित प्रत्येक आर्द्रभूमि की और चार रामसर स्थलों की सीमा; और 1 जून 2026 को उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित आर्द्रभूमि सर्वेक्षण;
- (b) FTL और MWL के अभिलेखों सहित WRD और ग्राम पंचायत के तालाब रजिस्टर (tank registers);
- (c) प्राधिकारी की सूची (खंड 7.3.1) और न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत प्रकाशित कोई सूची;
- (d) ऐतिहासिक स्थलाकृतिक मानचित्र और उपग्रह चित्र, जिनमें ISRO की राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन (National Wetland Inventory and Assessment) शामिल है; और
- (e) लाइसेंसधारी सर्वेक्षक द्वारा किया गया साइट सर्वेक्षण, जिसका स्तरांकन खंड 7.3.5 में बताए गए डेटम पर किया गया हो।

7.3.4 **बाढ़ विस्तार मानचित्र.** प्राधिकारी अपने क्षेत्र के लिए 1% AEP बाढ़ विस्तार या बाढ़ गहराई मानचित्र अंगीकार कर सकता है। इस खंड के अंतर्गत अंगीकृत गहराई मानचित्र खंड 6.11 के अंतर्गत फर्श स्तर भी निर्धारित करता है। जहाँ कोई मानचित्र अंगीकृत किया गया है, वहाँ उसका उपयोग किया जाएगा, जब तक कि अध्याय 3 और 5 के अंतर्गत साइट का हाइड्रोलिक अध्ययन बड़ा विस्तार न दर्शाए। जहाँ कोई मानचित्र अंगीकृत नहीं किया गया है, वहाँ आवेदक निम्नलिखित के लिए हाइड्रोलिक अध्ययन द्वारा 1% AEP विस्तार निर्धारित करेगा:

- (a) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र (अध्याय 1) में स्थित कोई साइट;
- (b) किसी जलाशय से सटी 1 ha या अधिक की कोई साइट; और
- (c) कोई साइट जहाँ प्राधिकारी ऐसी अपेक्षा करे।

अन्य साइटों के लिए खंड 7.4.6 के नियत-चौड़ाई सेटबैक का उपयोग किया जा सकता है।

7.3.5 **डेटम.** इस अध्याय के सभी स्तर एक ही डेटम पर बताए जाएँगे, जिसका उल्लेख प्रत्येक ड्रॉइंग पर किया जाएगा। जहाँ WRD के अभिलेख किसी स्थानीय या पुराने डेटम का प्रयोग करते हैं, वहाँ परियोजना डेटम में रूपांतरण का सर्वेक्षण किया जाएगा और उसे बताया जाएगा।

> **भाष्य.** राजस्थान के किसी भी शहर का 1% AEP बाढ़ मानचित्र नहीं मिला, और राजस्थान के किसी शहरी चैनल के लिए मिला एकमात्र डिजाइन मानक जयपुर में द्रव्यवती की 100-वर्ष की बाढ़ है, जिसे "सुरक्षित रूप से पार कराने योग्य बनाना" ("to make ... capable of safely passing") JDA की परियोजना का लक्ष्य है (EIA, अध्याय 2; कोई डिजाइन प्रवाह दर नहीं मिली)। नदियों के डूब क्षेत्रों का जोनिंग करने वाला राज्य का कोई कानून, नियम या WRD का आदेश भी नहीं मिला। आने वाली बाढ़ रेखाएँ न्यायालयों द्वारा निर्धारित हैं: 7 अगस्त 2026 को उच्चतम न्यायालय ने "राज्य की सभी नदी प्रणालियों के संबंध में उच्च बाढ़ रेखा और अपेक्षित पारिस्थितिक बफर जोन के निर्धारण और सीमांकन के लिए व्यापक वैज्ञानिक कार्य" ("comprehensive scientific exercise for determination and demarcation of the High Flood Line and the requisite ecological buffer zone qua all the river systems in the State") का निर्देश दिया, और राज्य ने न्यायालय को बताया कि लूणी और जोजरी के लिए "राजस्व अभिलेखों पर आधारित व्यापक नदी पुनरुद्धार ब्लूप्रिंट" ("comprehensive river restoration blueprints based on the revenue records") तैयार किए गए हैं, और यह कि जोजरी के निकट उच्च बाढ़ रेखा और बफर जोन नियत करने के सर्वेक्षण "संबंधित जिला पर्यावरण समितियों के परामर्श से वर्तमान में प्रगति पर" ("presently under progress in consultation with the concerned District Environment Committees") हैं (Suo Motu W.P. (C) 8 of 2025); इस मैनुअल के लिए पढ़े गए आदेश में उच्च बाढ़ रेखा की पुनरावृत्ति अवधि नहीं बताई गई है। झील अधिनियम, 2015 झीलों के सर्वेक्षण और "उनकी सीमाओं, बहाव क्षेत्र सहित" ("including their boundaries, flow area") उनके प्रकाशित अभिलेख की अपेक्षा करता है (धारा 6(1)(a)), पर ऐसा कोई अभिलेख नहीं मिला। इसलिए राजस्व अभिलेख ही राजस्थान के जलाशयों का मुख्य मानचित्र हैं: उच्च न्यायालय ने अभिलेख की श्रेणी गैर मुमकिन नाला को निर्णायक बना दिया है (*Ramji Lal Saini*, 2026), और इस मैनुअल के अंतर्गत प्रत्येक साइट नक्शे पर खसरा नक्शा अध्यारोपित किया जाएगा और जलाशय पत्रक (प्रपत्र 7-1) पर प्रत्येक गैर मुमकिन नाला, नदी और तालाब, और तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र, दर्शाए जाएँगे। स्तर एक ही डेटम पर बताए जाएँगे (खंड 7.3.5), क्योंकि उदयपुर और अजमेर की झीलों के स्तर केवल किसी अज्ञात शून्य से ऊपर फुट में गेज पाठ्यांकों के रूप में प्रकाशित होते हैं (उदाहरण के लिए, पिछोला 11 ft, फतह सागर 13 ft, उदय सागर 24 ft और आना सागर 13 ft, प्रकाशित खबरों के अनुसार), जिनका उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक उन्हें किसी सर्वेक्षित डेटम से न जोड़ा जाए [TBC]। खंड 7.3.4 प्राधिकारी को यह अनुमति देता है कि बाढ़ मानचित्र जारी होने पर वह उन्हें अंगीकार कर सके; तब तक आवेदक को बड़ी और बाढ़-संवेदनशील साइटों के लिए 1% AEP विस्तार प्रस्तुत करना होगा, और उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत सीमांकित उच्च बाढ़ रेखाएँ और बफर, खींचे जाने पर, ऐसी न्यूनतम सीमाएँ हैं जिनसे जलवायु गुणक के साथ इस मैनुअल का 1% AEP विस्तार अधिक हो सकता है पर कभी कम नहीं। खंड 7.3.3 अभिलिखित और सर्वेक्षित विस्तारों में से बड़े को लागू करता है, क्योंकि राजस्व सीमा और सर्वेक्षित जल-किनारा प्रायः भिन्न होते हैं, और दोनों में से कोई भी अतिक्रमण से घटाया गया हो सकता है। खंड 7.3.2 में 100 m की खोज पट्टी इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

7.4 सेटबैक

7.4.1 **वे जलाशय जिन पर सेटबैक लागू होते हैं.** सेटबैक निम्नलिखित पर लागू होते हैं:

- (a) खंड 7.3.1 के अंतर्गत अभिलिखित या खंड 7.3.3 के अंतर्गत पाया गया प्रत्येक जलाशय, उसका आकार कुछ भी हो; और
- (b) प्रत्येक प्राकृतिक चैनल, अभिलिखित हो या नहीं, जो साइट पर **8 ha** या अधिक क्षेत्र की निकासी करता है।

7.4.2 **दो जोन.** सेटबैक के दो जोन हैं, जो चित्र 7.1 में दर्शाए गए हैं:

- **जोन 1 (जलाशय संरक्षण जोन)**, जलाशय के ठीक बगल में; और
- **जोन 2 (बाढ़ सीमांत सेटबैक)**, जोन 1 के बाहर।

7.4.3 **जोन 1 की चौड़ाई.** जोन 1 को FTL समोच्च रेखा (तालाब, झीलें और पोखर) से या किनारे के शीर्ष (चैनल) से बाहर की ओर मापा जाता है। जहाँ दोनों लागू हों, वहाँ जिससे अधिक चौड़ा जोन बने उसका उपयोग करें। जोन 1 निम्नलिखित में से **सबसे अधिक** तक विस्तृत होता है:

- (a) **15 m**, इस मैनुअल द्वारा निर्धारित न्यूनतम (इस मैनुअल के लिए पढ़ा गया कोई कानून, नियम या भवन विनियम राजस्थान में किसी नाले, तालाब, झील या नदी से मीटर में कोई दूरी निर्धारित नहीं करता; नीचे प्रकटन देखें);
- (b) बाढ़ मार्ग का बाहरी किनारा (खंड 7.6.1); और
- (c) तालाब के लिए, MWL समोच्च रेखा।

7.4.4 **जोन 2 की चौड़ाई.** जोन 2 जोन 1 के बाहरी किनारे से **1% AEP बाढ़ के विस्तार और उसके अतिरिक्त 10 m** तक विस्तृत होता है। जहाँ 1% AEP बाढ़ का विस्तार जोन 1 के भीतर है, वहाँ जोन 2 की चौड़ाई 10 m है।

7.4.5 **सांविधिक और अनुमोदन सेटबैक.** जहाँ कोई कानून, कोई सांविधिक नियम, योजना अनुमति की कोई शर्त, WRD के किसी डैम, जलाशय, नहर या नदी पर या उसके निकट किसी कार्य के लिए उसका अनुमोदन, किसी झील को सम्मिलित करने वाली योजना के लिए या किसी झील के संरक्षित क्षेत्र में किसी निर्माण के लिए झील विकास प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन या अनुमति (राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015, धारा 5), किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि में किसी विनियमित गतिविधि के लिए राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की अनुमति, या उच्चतम न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण का कोई निर्देश (जैसे खंड 7.4 के प्रकटन में सूचीबद्ध नदियों, झीलों, जलग्रहण क्षेत्रों और आर्द्रभूमियों की रेखाएँ) जोन 1 या जोन 2 से अधिक चौड़ा सेटबैक निर्धारित करता है, वहाँ जिन उपयोगों को वह प्रतिबंधित करता है उनके लिए वही अधिक चौड़ा सेटबैक लागू होगा।

7.4.6 **जहाँ 1% AEP विस्तार उपलब्ध नहीं है वहाँ नियत-चौड़ाई सेटबैक.** जहाँ खंड 7.3.4 हाइड्रोलिक अध्ययन की अपेक्षा नहीं करता और कोई मानचित्र अंगीकृत नहीं किया गया है, वहाँ सेटबैक (जोन 1 और जोन 2), खंड 7.4.3 के अनुसार मापा जाकर, निम्नलिखित से कम नहीं होगा:

तालिका 7.1 — जहाँ 1% AEP विस्तार उपलब्ध नहीं है वहाँ नियत-चौड़ाई सेटबैक

जलाशय	कुल सेटबैक (जोन 1 + जोन 2)	जिसमें से जोन 1
8 ha से 65 ha क्षेत्र की निकासी करने वाला चैनल	25 m	15 m
65 ha से 20 km² क्षेत्र की निकासी करने वाला चैनल	40 m	15 m
20 km² से अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाला चैनल, और नदियाँ	50 m	20 m
तालाब, झील या पोखर	MWL समोच्च रेखा + 25 m	MWL समोच्च रेखा तक, और FTL से 15 m से कम नहीं

जलाशय	कुल सेटबैक (जोन 1 + जोन 2)	जिसमें से जोन 1
दलदल, ज्वारनदमुख या पश्चजल	जैसा प्राधिकारी अधिसूचित करे, और 50 m से कम नहीं	15 m

यह तालिका नीति अनुपूरक (परिशिष्ट 1C) का विकल्प S-3 है और खंड 1.7 के अंतर्गत अंगीकार की जा सकती है।

7.4.7 **सभी स्थितियों में न्यूनतम.** इस अध्याय के अंतर्गत कोई सेटबैक, और खंड 1.10 के अंतर्गत कोई विचलन, जोन 1 को 15 m से कम नहीं करेगा (खंड 1.10.3(c))।

भाष्य. 15 m का न्यूनतम इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। राजस्थान में जल से कोई सामान्य सांविधिक दूरी नहीं है: न भवन विनियम, 2025 और न 2020 के वे विनियम, जिनका वे स्थान लेते हैं, किसी नाले, नदी, झील या तालाब से कोई सेटबैक निर्धारित करते हैं, और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 केवल नगरपालिका में निहित किसी ड्रेन के ऊपर निर्माण पर रोक लगाता है (धारा 213(2))। जो रेखाएँ विद्यमान हैं, वे न्यायालयों द्वारा निर्धारित हैं या किसी एक जलाशय से जुड़ी हैं: गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि एक प्राकृतिक चैनल है जिसे न मोड़ा जा सकता है और न उस पर निर्माण किया जा सकता है (*Ramji Lal Saini*, उच्च न्यायालय, 2026); जोहड़ों, नालों, तालाबों, नदियों और पोखरों के जलग्रहण क्षेत्रों की भूमि का आवंटन नहीं किया जाना है (उच्च न्यायालय, 2012); राज्य की प्रत्येक नदी प्रणाली के लिए उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और एक पारिस्थितिक बफर का सीमांकन किया जाना है, और तब तक चिह्नित नदी गलियारों में कोई नई अनुमति नहीं दी जानी है (उच्चतम न्यायालय, 7 अगस्त 2026); और किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि के चारों ओर औसत उच्च बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कोई स्थायी निर्माण अनुमत नहीं है (आर्द्रभूमि नियम, 2017, नियम 4(2)(vi))। इस मैनुअल का 15 m प्रत्येक तालाब (talab), नाले (nala) और जलमार्ग को, जहाँ कोई अधिक चौड़ी बाध्यता नहीं है, एक हाइड्रोलिक कॉरिडोर देता है, और यह इस मैनुअल का प्रस्ताव है, सांविधिक चौड़ाई नहीं (नीचे प्रकटन देखें)। सेटबैक को मानचित्रित 1% AEP विस्तार और एक अतिरिक्त पट्टी तक बढ़ाना कैनसस सिटी मेट्रो APWA Section 5600 (2025.01) की दो-जोन संरचना के अनुरूप है:

- APWA का जोन 1 (धारा के किनारे का) किनारे के शीर्ष से मापा जाता है, और उसमें केवल उपयोगिता सेवाओं और सड़कों की क्रॉसिंग अनुमत हैं।
- APWA का जोन 2, 20–40 एकड़ क्षेत्र की निकासी करने वाली धाराओं के लिए, 1% AEP बाढ़ का विस्तार और उसके अतिरिक्त 10 ft (लगभग 3 m) है।
- APWA ने 2025.01 में धारा सेटबैक के प्रारंभक मान को 40 एकड़ से घटाकर 20 एकड़ (लगभग 8 ha) कर दिया।

(MARC, APWA 5600 Policy Supplement, नवंबर 2025.) खंड 7.4.1(b) 8 ha का प्रारंभक मान लेता है। इस मैनुअल की 10 m की अतिरिक्त पट्टी APWA के 10 ft से अधिक चौड़ी है और इसका कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है। यह मैनुअल इसे इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि राजस्थान के बाढ़ मानचित्र अधिकतर अमेरिकी मानचित्रों से कम सूक्ष्म हैं, जयपुर और अलवर के आसपास के जलोढ़ मैदान, हाड़ौती के काली मिट्टी के मैदान और शुष्क पश्चिम के अंतःस्थलीय बेसिन, जहाँ अपवाह फैलता है और खड़ा रहता है, समतल हैं (इसलिए स्तर में छोटी-सी त्रुटि भी बाढ़ के किनारे को बहुत दूर तक खिसका देती है), और यह पट्टी जलाशय के किनारे रखरखाव के लिए पहुँच का स्थान देती है।

खंड 7.4.6 की नियत-चौड़ाई तालिका इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। इसकी चैनल चौड़ाइयाँ 2006 के APWA के डिफॉल्ट धारा बफरों से अनुपातित हैं, जो 40 एकड़ से कम, 40–160 एकड़, 160–5,000 एकड़ और 5,000 एकड़ से अधिक जल निकासी क्षेत्रों के लिए 40 ft, 60 ft, 100 ft और 120 ft (12, 18, 30 और 37 m) थे (KC APWA 5600, 2006, §5605.3)। इन्हें ऊपर की ओर पूर्णांकित किया गया है और 15 m के न्यूनतम पर सीमित किया गया है। APWA ने नियत-चौड़ाई तालिका इसी कारण दी थी: समुदायों ने आपत्ति की थी कि छोटे जल निकासी क्षेत्रों के लिए 1% विस्तार प्रायः मानचित्रित नहीं होता (MARC Supplement, 2025)। जैसे ही प्राधिकारी मानचित्रित विस्तार अंगीकार करे, इस तालिका को उनसे प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए।

URDPFI (2015) 10 वर्ष की आवृत्ति पर जलमग्न होने वाले क्षेत्र को पार्कों और खेल के मैदानों के लिए आरक्षित करता है, और 25 वर्ष के बाढ़ जोन में आवासीय उपयोग की अनुमति केवल स्टिल्ट पर, न्यूनतम प्लिंथ स्तर के साथ और बिना बेसमेंट के देता है। यह अध्याय अधिक कठोर है। यह आवास योग्य भवनों को संपूर्ण 1% AEP विस्तार और अतिरिक्त पट्टी से बाहर रखता है, क्योंकि 1% AEP (100-वर्ष) घटना इस मैनुअल की प्रमुख प्रणाली का मानक है (अध्याय 6)।

राजस्थान के भवन विनियम जल से मीटर में कोई दूरी नहीं देते। भवन विनियम, 2025 और 2020 के वे विनियम, जिनका वे स्थान लेते हैं, नाला, नदी, झील, तालाब, प्रवाह और बाढ़ से संबंधित शब्दों के लिए खोजे गए, और वे इनमें से किसी से भी कोई सेटबैक निर्धारित नहीं करते; JDA के 2020 के विनियम केंद्र या राज्य द्वारा निर्धारित "झील संरक्षित क्षेत्र" ("lake protected area") के मानदंडों को अपने ऊपर अभिभावी होने देते हैं (विनियम 10.4)। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 कोई चौड़ाई नहीं जोड़ता: यह नगरपालिका में निहित किसी सीवर, ड्रेन, पुलिया या कर्ब चैनल (gutter) के ऊपर उसकी लिखित सम्मति के बिना नए भवन पर रोक लगाता है (धारा 213(2)), और सार्वजनिक तालाबों और उनसे लगी उस भूमि को, जो निजी संपत्ति नहीं है, नगरपालिका में निहित करता है (धारा 68(1)(c)), पर उनके चारों ओर कोई पट्टी निर्धारित नहीं करता। किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि के चारों ओर, औसत उच्च बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कोई स्थायी निर्माण अनुमत नहीं है (आर्द्रभूमि नियम, 2017, नियम 4(2)(vi))। अन्य रेखाएँ न्यायालयों द्वारा निर्धारित हैं या किसी एक जलाशय से जुड़ी हैं: राज्य की प्रत्येक नदी प्रणाली के लिए, सीमांकित की जाने वाली उच्च बाढ़ रेखा और एक पारिस्थितिक बफर, और इस बीच चिह्नित नदी गलियारों में औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय विकास के लिए कोई नई अनुमति नहीं (उच्चतम न्यायालय, 7 अगस्त 2026); जोजरी के किनारे, सीमांकन होने तक, नदी के किनारे से 100 m के भीतर कोई निर्माण या विकास नहीं, और बाढ़ रेखा या प्रवाह मार्ग से 500 m के भीतर कोई खतरनाक उद्योग नहीं (उच्चतम न्यायालय, 24 अगस्त 2026 का अंतरिम आदेश, प्रकाशित खबरों के अनुसार; आदेश पढ़ा नहीं गया); गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि पर कोई मोड़, अवरोध या अन्य असंगत उपयोग नहीं, और इस रूप में दर्ज सटी भूमि पर भी यही (*Ramji Lal Saini*, 2026); जोहड़ों, नालों, तालाबों, नदियों और पोखरों के जलग्रहण क्षेत्रों में कोई आवंटन नहीं (उच्च न्यायालय, 29 मई 2012, उद्धृत रूप में), और रामगढ़ बाँध के जलग्रहण क्षेत्र में कोई अतिक्रमण या निर्माण नहीं (उच्च न्यायालय, 2011); उदयपुर की झीलों के चारों ओर, 17 जनवरी 1997 की एक अधिसूचना के अंतर्गत एक निर्माण-निषिद्ध जोन, जिसके भीतर, बताया गया है, उच्च न्यायालय ने उदय सागर के उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 m के भीतर बने एक होटल को शून्य ठहराया, और फतह सागर के जलग्रहण क्षेत्र में निर्माण और मिट्टी डालने के विरुद्ध नवंबर 2025 का एक आदेश (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार; अधिसूचना और उसका डेटम पढ़े नहीं गए); झील अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किसी झील के चारों ओर, अधिसूचित होने पर, संरक्षित क्षेत्र (धारा 4; अधिनियम में कोई दूरी निर्धारित नहीं है, और कोई अधिसूचना नहीं मिली); और अजमेर में आना सागर के चारों ओर, झील के क्षेत्र में बनी संरचनाओं को हटाना, जिसका आदेश राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2023 में दिया और जिसे उच्चतम न्यायालय ने 2025 में बरकरार रखा (प्रकाशित खबरों के अनुसार; खंड 7.12, भाष्य)। खंड 7.4.7 हर जगह 15 m को जोन 1 की न्यूनतम सीमा बनाता है।

प्रकटन. राजस्थान में **किसी नाले, तालाब, झील या नदी से मीटर में कोई सांविधिक सेटबैक नहीं है**: इस मैनुअल के लिए पढ़ा गया कोई कानून, नियम या भवन विनियम ऐसा सेटबैक निर्धारित नहीं करता, और **राज्य का कोई डूब क्षेत्र जोनिंग कानून या आदेश नहीं मिला**। खंड 7.4.3 और 7.4.7 का **15 m का न्यूनतम** जोन 1, और तालिका 7.1 में उससे व्युत्पन्न प्रत्येक मान, हाइड्रोलिक कॉरिडोर के रूप में **इस मैनुअल द्वारा निर्धारित** है, और यही स्थिति प्रत्येक तालाब के आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) और प्रवाह मार्गों के संरक्षण की, और मानसून जल रेखा के पठन की है (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ)। ये **इस मैनुअल का प्रस्ताव हैं, सांविधिक चौड़ाई या नियम नहीं**, और किसी सरकार ने इन्हें अंगीकार नहीं किया है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा निर्धारित रेखाएँ **डिजाइन विस्तार नहीं हैं**: जहाँ भी जलवायु गुणक के साथ इस मैनुअल का 1% AEP विस्तार अधिक चौड़ा है, वहाँ जोन 2 पर वही लागू होता है। सेटबैक **कॉरिडोर और किसी भी सांविधिक या न्यायालयी रेखा में से बड़े** के रूप में लागू किया जाता है, इसलिए यह मैनुअल तालाबों, नालों और जलमार्गों के किनारे **कानून से अधिक कठोर** है, और कहीं भी कम कठोर नहीं। जो विद्यमान है, और जहाँ भी अधिक चौड़ा या अधिक कठोर हो वहाँ लागू होता है (खंड 7.4.5), वह यह है:

- **नदियाँ.** राज्य की प्रत्येक नदी प्रणाली की उच्च बाढ़ रेखा और पारिस्थितिक बफर, जिनका सीमांकन किया जाना है, और तब तक चिह्नित नदी गलियारों में विकास के लिए कोई नई अनुमति नहीं (उच्चतम न्यायालय, 7 अगस्त 2026); और जोजरी पर, नदी के किनारे से 100 m के भीतर कोई निर्माण नहीं और बाढ़ रेखा या प्रवाह मार्ग से 500 m के भीतर कोई खतरनाक उद्योग नहीं (उच्चतम न्यायालय, 24 अगस्त 2026 का अंतरिम आदेश, प्रकाशित खबरों के अनुसार)।

- **प्राकृतिक चैनल और जलग्रहण क्षेत्र.** गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि को उसके दर्ज स्वरूप में रखा जाना, और उसे न मोड़ा जाना और न उस पर निर्माण किया जाना (*Ramji Lal Saini*, उच्च न्यायालय, 2026); जोहड़ों, नालों, तालाबों, नदियों और पोखरों के जलग्रहण क्षेत्रों में भूमि का कोई आवंटन नहीं (उच्च न्यायालय, 2012); और रामगढ़ बाँध के जलग्रहण क्षेत्र में कोई अतिक्रमण या निर्माण नहीं (*Abdul Rahman*, 2004, और 2011 और 2012 के आदेश, जिनकी पुष्टि 2017 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय में हुई)।
- **झीलें.** राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किसी झील का संरक्षित क्षेत्र और बहाव क्षेत्र, अधिसूचित होने पर (कोई नहीं मिला); उदयपुर की झीलों के चारों ओर का निर्माण-निषिद्ध जोन (1997 की अधिसूचना; उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 m, प्रकाशित खबरों के अनुसार); और अजमेर में आना सागर पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण और उच्चतम न्यायालय के आदेश (2023 से 2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार)।
- **आर्द्रभूमियाँ.** किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि के औसत उच्च बाढ़ स्तर से 50 m के भीतर कोई स्थायी निर्माण नहीं (आर्द्रभूमि नियम, 2017, नियम 4(2)(vi)); और चिह्नित आर्द्रभूमियों या उनके जलग्रहण क्षेत्रों में कोई अतिक्रमण, भराई, निर्माण या अनुपचारित सीवेज नहीं (उच्च न्यायालय, 1 जून 2026 का स्वतः संज्ञान आदेश)।
- **सार्वजनिक तालाब, ड्रेनें और जलमार्ग.** सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, ड्रेनें और जलमार्ग नगरपालिका में न्यासी के रूप में निहित होते हैं (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68), और सम्मति के बिना किसी नगरपालिका ड्रेन के ऊपर कोई भवन नहीं बनाया जा सकता (धारा 213(2))। ये जलाशय की रक्षा करते हैं, किसी बाढ़ कॉरिडोर की नहीं; इस अध्याय के लिए संपूर्ण अभिलिखित और मानसून विस्तार जलाशय है।
- **WRD के डैम, जलाशय और नहरें.** उन पर या उनके निकट कार्यों के लिए अभिरक्षक का अनुमोदन आवश्यक है।

यह मैनुअल 15 m को न्यूनतम सीमा इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि राजस्थान में नालों या तालाबों के लिए कोई चौड़ाई है ही नहीं; क्योंकि 15 m APWA के सबसे छोटे डिफॉल्ट धारा बफर (12 m) से ऊपर है जिससे तालिका 7.1 अनुपातित है; और क्योंकि यह उस रखरखाव मार्ग और गाद निकालने की मशीनरी के लिए स्थान छोड़ता है जिसकी नालों को आवश्यकता है। कॉरिडोर और आगोर संबंधी नियम (agor rule) के कारण अभिलेख में दर्ज हैं: जयपुर की पुरानी जलापूर्ति का स्रोत रामगढ़ बाँध, जिसके जलग्रहण क्षेत्र पर निर्माण और खनन होता रहा, उसमें बहुत कम या कोई अंतर्वाह नहीं रहा (जैसा उच्च न्यायालय और उसकी तकनीकी समिति ने अभिलिखित किया), और उच्चतम न्यायालय ने पाया कि वर्षों में जमीन पर कुछ भी ठोस प्राप्त नहीं हुआ (2017); द्रव्यवती, "जयपुर की सक्रिय नदी" ("the active river of Jaipur"), एक नाला बन गई (JDA, EIA); और जोजरी पर, काकाणी औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयाँ नदी क्षेत्र से "केवल 30 से 60 मीटर" ("merely 30 to 60 metres") की दूरी पर हैं, और उस क्षेत्र का लगभग 12.805 ha "प्रत्यक्ष उच्च बाढ़ क्षेत्र" ("apparent High Flood Area") के भीतर है (उच्चतम न्यायालय, 7 अगस्त 2026)। जब तक कोई कानून, नियम, अधिसूचना या मास्टर प्लान इसे अंगीकार नहीं करता, तब तक 15 m का न्यूनतम इस मैनुअल का अनुशंसित मानक है, और ऊपर के सांविधिक और न्यायालयी नियंत्रण ही एकमात्र विधिक न्यूनतम बने रहते हैं। अनुमोदन प्राधिकारियों को प्रत्येक अनुमोदन में बताना चाहिए कि कौन-सा लागू किया गया।

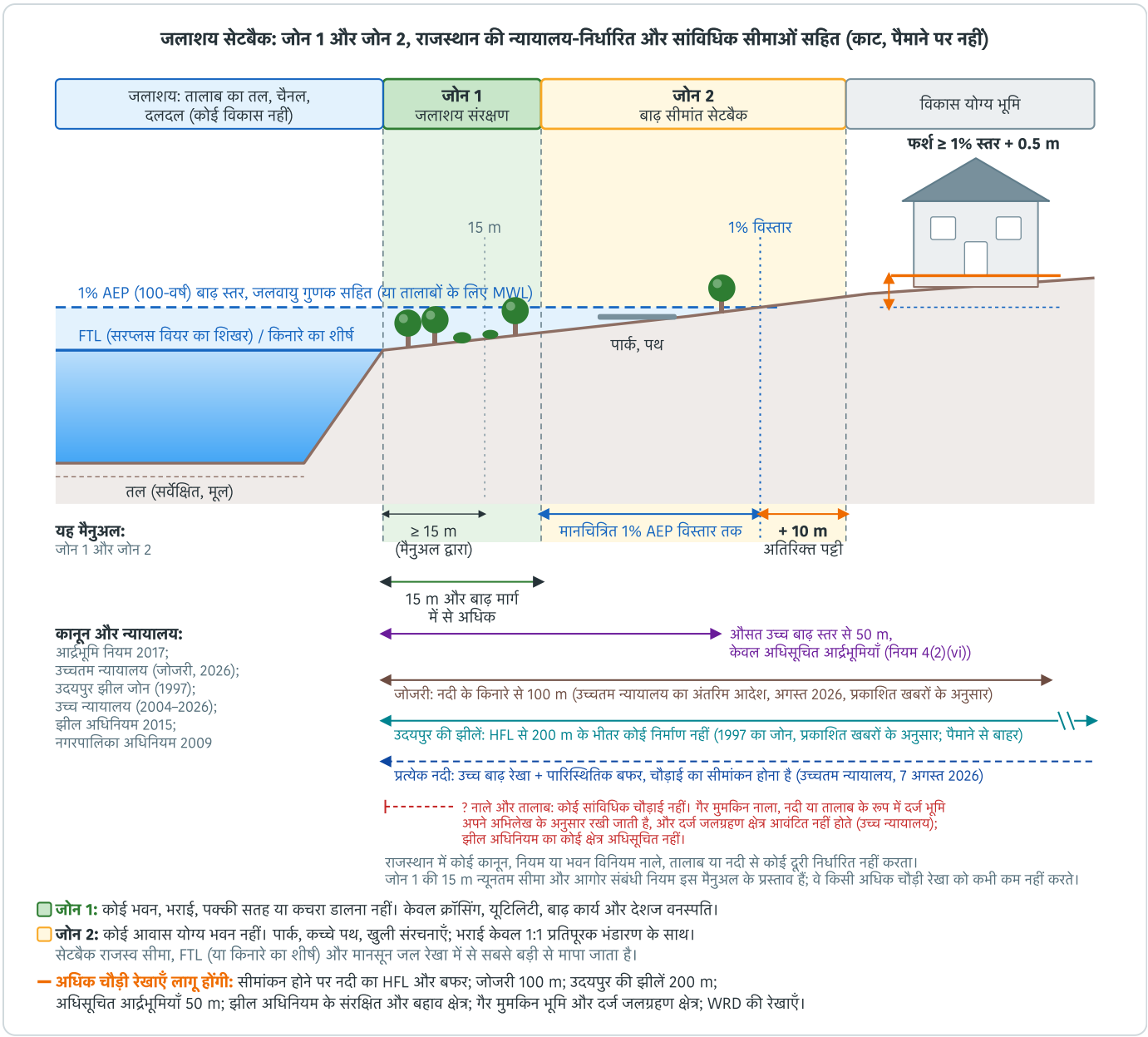

चित्र 7.1 — जलाशय के सेटबैक जोन: किसी तालाब या चैनल की अनुप्रस्थ काट जिसमें FTL, 1% AEP बाढ़ जल स्तर, 15 m न्यूनतम रेखा, जोन 1 और जोन 2 दर्शाए गए हैं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Kansas City Metro APWA, Section 5600 Version 2025.01 और Policy Supplement (MARC, 2025) से अनुकूलित।

7.5 प्रत्येक जोन में अनुमत उपयोग

7.5.1 **जोन 1.** जोन 1 में कोई भवन, भराई, पक्की सतह, प्रतिधारक दीवार, सीमा दीवार, चारदीवारी, मिट्टी, मलबे या ठोस अपशिष्ट का ढेर, सामग्री का भंडारण, या निर्माण-चरण का ढेर नहीं रखा जाएगा। केवल निम्नलिखित अनुमत हैं, प्रत्येक अभिरक्षक के NOC के अधीन:

- (a) सड़क, रेल और उपयोगिता क्रॉसिंग जो खंड 7.10.3 की अपेक्षाएँ पूरी करती हों;
- (b) बाढ़ और जल निकासी कार्य: आउटफॉल, इनलेट संरचनाएँ, स्थूल प्रदूषक जाल, स्लूइस, सरप्लस वियर, बाँध का सुदृढ़ीकरण और किनारे का संरक्षण;
- (c) देशज वनस्पति, पौधारोपण और पर्यावास कार्य;
- (d) विद्यमान भूतल स्तर पर कच्चे या पारगम्य फुटपाथ और रखरखाव मार्ग; और

- (e) खंड 7.9 के अंतर्गत जलाशय का पुनर्स्थापन।

7.5.2 **जोन 2.** जोन 2 में कोई आवास योग्य भवन, बेसमेंट, विद्यालय, अस्पताल, ईंधन भंडार या खतरनाक सामग्री का भंडार नहीं रखा जाएगा। निम्नलिखित अनुमत हैं:

- (a) जोन 1 में अनुमत सभी उपयोग;
- (b) पार्क, खेल के मैदान, खुले खेल मैदान और शहरी कृषि;
- (c) खुले किनारों वाली संरचनाएँ (शेल्टर, मंडप) जिनमें प्रवाह को अवरुद्ध करने वाली कोई दीवार न हो;
- (d) विद्यमान भूतल स्तर पर पारगम्य सतह वाली सतही पार्किंग, जहाँ 1% AEP बाढ़ की गहराई 0.3 m से अधिक न हो;
- (e) अध्याय 4 और 8 के अंतर्गत प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण और जल गुणवत्ता सुविधाएँ, बशर्ते वे बाढ़ मार्ग के बाहर हों और उनके भंडारण को दो बार न गिना जाए (खंड 7.6.5); और
- (f) भराई, केवल (a) से (e) के लिए या आवश्यक सार्वजनिक अवसंरचना के लिए, और केवल खंड 7.6.4 के अंतर्गत प्रतिपूरक भंडारण के साथ।

7.5.3 **बाड़.** जोन 1 और जोन 2 में बाड़ खुली (चेन-लिंक या रेलिंग) होंगी, जिनमें विद्यमान भूतल स्तर से ऊपर कोई प्लिंथ दीवार नहीं होगी, ताकि वे प्रवाह को अवरुद्ध न करें या मलबा न रोकें।

7.5.4 **खुले स्थान का आरक्षण.** जहाँ प्राधिकारी सहमत हो, वहाँ जोन 2 की भूमि को भवन विनियम, 2025 द्वारा अपेक्षित हरित क्षेत्र या खुले स्थान में गिना जा सकता है। जोन 1 की भूमि, जैसा प्राधिकारी निर्णय करे, अभिरक्षक को हस्तांतरित की जाएगी या निजी उपयोग से मुक्त रखी जाएगी।

> **भाष्य.** अनुमत उपयोग APWA 2025.01 के अनुरूप हैं: जोन 1 में केवल उपयोगिता सेवाओं और सड़कों की क्रॉसिंग; जोन 2 में रैखिक उपयोगिता सेवाएँ, पगडंडियाँ और खुले किनारों वाली संरचनाएँ; अनुमोदन के बिना किसी भी जोन में कोई सफाई, समतलन, भराई या पक्की सतह नहीं (MARC Supplement, 2025)। खंड 7.5.2 में पार्क और खेल के मैदान जोड़े गए हैं, जो वे उपयोग हैं जिनकी अनुमति URDPFI (2015) 10 वर्ष के बाढ़ जोन में देता है। खंड 7.5.1 और 7.5.3 में दीवारों पर रोक शहरी राजस्थान की प्रथा को देखते हुए है: चैनलों और तालाबों के किनारे चारदीवारियाँ बाढ़ में डैम की तरह काम करती हैं, और प्रायः अतिक्रमण की ओर पहला कदम होती हैं। खंड 7.5.2(d) में पार्किंग के लिए 0.3 m की गहराई सीमा का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और यह इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

7.6 बाढ़ मार्ग, बाढ़ सीमांत क्षेत्र और प्रतिपूरक भंडारण

7.6.1 **बाढ़ मार्ग का निर्धारण.** बाढ़ मार्ग का निर्धारण 1% AEP बाढ़ (जलवायु गुणक के साथ) के हाइड्रोलिक मॉडल द्वारा, अतिक्रमण विधि (encroachment method) से किया जाएगा: बाढ़ सीमांत क्षेत्र की वहन क्षमता को दोनों किनारों से बराबर-बराबर तब तक हटाया जाता है जब तक 1% AEP जल स्तर 0.1 m न बढ़ जाए। जहाँ बाढ़ मार्ग का निर्धारण नहीं किया गया है, वहाँ संपूर्ण 1% AEP बाढ़ विस्तार को बाढ़ मार्ग माना जाएगा। तालाब के लिए, MWL से नीचे की समस्त भूमि बाढ़ मार्ग है।

7.6.2 **बाढ़ मार्ग में भराई नहीं.** बाढ़ मार्ग के भीतर 1% AEP बाढ़ जल स्तर से नीचे कोई भराई, भवन, तटबंध, ऊँची सड़क या अन्य अवरोध नहीं रखा जाएगा, सिवाय उन कार्यों के जो खंड 7.5.1(a) और (b) के अंतर्गत जोन 1 में अनुमत हैं। हाइड्रोलिक विश्लेषण द्वारा दर्शाया जाएगा कि वे कार्य आवेदक की भूमि के बाहर, प्रतिप्रवाह या अनुप्रवाह की ओर, 1% AEP जल स्तर को 0.01 m से अधिक नहीं बढ़ाते।

7.6.3 **बाढ़ सीमांत क्षेत्र में भराई.** बाढ़ सीमांत क्षेत्र में 1% AEP बाढ़ जल स्तर से नीचे भराई केवल निम्नलिखित स्थिति में अनुमत है:

- (a) खंड 7.5.2 के अंतर्गत अनुमत उपयोगों के लिए, या सेटबैक के बाहर जहाँ प्राधिकारी ने खंड 7.6.6 के अंतर्गत विकसित सीमांत क्षेत्र (developed-fringe area) अधिसूचित किया है; और
- (b) खंड 7.6.4 के अंतर्गत प्रतिपूरक भंडारण के साथ।

7.6.4 **प्रतिपूरक भंडारण.** जहाँ बाढ़ सीमांत क्षेत्र में भराई की जाती है, वहाँ ऐसा प्रतिपूरक भंडारण उपलब्ध कराया जाएगा जो (चित्र 7.2):

- (a) 1% AEP बाढ़ जल स्तर से नीचे की गई **प्रत्येक 1.0 m^3 भराई के लिए कम से कम 1.0 m^3 भंडारण** का प्रतिस्थापन करे;
- (b) **समतुल्य स्तरों** पर उपलब्ध कराया जाए: सामान्य जल स्तर (या, जहाँ अधिक हो, 50% AEP स्तर) से 1% AEP बाढ़ जल स्तर तक, **0.3 m** से अधिक मोटाई की न होने वाली प्रत्येक ऊँचाई पट्टी (elevation band) में खोए गए आयतन और प्रतिस्थापित आयतन को संतुलित किया जाएगा;
- (c) उसी जलाशय की उसी भाग (reach) में हो, उससे हाइड्रोलिक रूप से जुड़ा हो, और भराई से अधिक अनुप्रवाह की ओर न हो;
- (d) बाढ़ उतरने पर गुरुत्व से स्वतंत्र रूप से जलाशय में वापस खाली हो, बिना पंपिंग के और सामान्य जल स्तर से नीचे किसी स्थायी जल-भंडार के बिना;
- (e) भराई किए जाने से पहले या उसी समय बनाया जाए; और
- (f) प्रसंविदा (covenant) या हस्तांतरण द्वारा सुरक्षित किया जाए ताकि उसे बाद में कभी भरा न जाए।

7.6.5 **दोहरी गणना नहीं.** प्रतिपूरक भंडारण को अध्याय 4 के अंतर्गत अस्थायी भंडारण या प्रतिधारण भंडारण के रूप में नहीं गिना जाएगा। 1% AEP बाढ़ विस्तार के भीतर रखे गए अस्थायी भंडारण और प्रतिधारण भंडारण को केवल 1% AEP बाढ़ जल स्तर से ऊपर के आयतन के लिए गिना जाएगा, जब तक कि संयुक्त घटना का मॉडल (खंड 2.12) यह न दर्शाए कि वह उपलब्ध है।

7.6.6 **विकसित सीमांत क्षेत्र.** प्राधिकारी, मानचित्र द्वारा, 1% AEP बाढ़ विस्तार के भीतर पर बाढ़ मार्ग के बाहर विद्यमान निर्मित भूमि के ऐसे क्षेत्र अधिसूचित कर सकता है जहाँ पुनर्विकास पर जोन 2 लागू करना व्यावहारिक नहीं है। किसी अधिसूचित विकसित सीमांत क्षेत्र में:

- (a) पुनर्विकास का अनुमोदन जोन 2 के प्रतिबंध के बिना किया जा सकता है;
- (b) सबसे निचला आवास योग्य तल और सभी खुले भाग 1% AEP बाढ़ जल स्तर से कम से कम 0.5 m ऊपर होंगे (अध्याय 6);
- (c) बेसमेंट अनुमत नहीं हैं;
- (d) पुनर्विकास से 1% AEP बाढ़ जल स्तर से नीचे बाढ़ भंडारण की कोई शुद्ध हानि नहीं होगी (खंड 7.6.4), और इसके लिए स्टिल्ट निर्माण का उपयोग किया जा सकता है; और
- (e) जोन 1 पूर्ण रूप से लागू रहता है।

भाष्य. समतुल्य स्तरों पर 1:1 प्रतिपूरक भंडारण इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। केवल आयतन का संतुलन पर्याप्त नहीं है: सामान्य जल स्तर से नीचे खोदा गया भंडारण बाढ़ आने से पहले ही भरा होता है और बाढ़ में कोई लाभ नहीं देता। ऊपर प्राप्त भंडारण नीचे खोए भंडारण का स्थान नहीं लेता, क्योंकि निचला भंडारण हर बाढ़ में उपयोग होता है और ऊपरी भंडारण केवल सबसे बड़ी बाढ़ में। प्रत्येक ऊँचाई पट्टी के भीतर आयतन का संतुलन दोनों समस्याओं से बचाता है। 0.3 m की पट्टी, क्रॉसिंग के लिए 0.01 m की छूट-सीमा, और खंड 7.6.1 में अतिक्रमण विधि का उपयोग इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं; अतिक्रमण विधि एक-आयामी हाइड्रोलिक मॉडल में बाढ़ मार्ग निर्धारित करने का मानक तरीका है। 1% AEP जल स्तर में वृद्धि पर 0.1 m की सीमा अमेरिका के National Flood Insurance Program द्वारा प्रयुक्त 1 ft (लगभग 0.3 m) से अधिक कठोर है। जयपुर और अलवर के आसपास के जलोढ़ मैदान, हाड़ौती के काली मिट्टी के मैदान और शुष्क पश्चिम के अंतःस्थलीय बेसिन और उथले गर्त (pans), जहाँ अपवाह का कोई आउटफॉल नहीं है और वह फैल जाता है, समतल हैं, इसलिए स्तर में छोटी-सी वृद्धि भी बाढ़ को बड़े क्षेत्र पर फैला देती है, और एक ही चैनल के किनारे कई छोटे अतिक्रमण मिलकर बड़े हो जाते हैं।

राजस्थान में झीलों के चारों ओर की रेखाएँ शुष्क मौसम की जल रेखा से नहीं, बल्कि एक ऊँचे स्तर से मापी जाती हैं: बताया गया है कि उदयपुर का निर्माण-निषिद्ध जोन उच्चतम बाढ़ स्तर से मापा जाता है, और आर्द्रभूमि नियम, 2017 अपने 50 m औसत उच्च बाढ़ स्तर से मापते हैं। झील अधिनियम, 2015 इससे आगे जाता है, और झील को उस सबसे बड़े क्षेत्र से परिभाषित करता है जो पचास वर्षों में किसी भी समय उसमें जलमग्न रहा हो, "चाहे उसमें जल हो या न हो" ("whether it contains water or not") (धारा 2(x))। यह अंतर राजस्थान में अन्यत्र की तुलना में अधिक महत्व रखता है, क्योंकि कई तालाब (talab), नाडियाँ (nadi) और झीलें केवल गीले वर्षों में भरती हैं और बीच के वर्षों में सूखी, या लगभग सूखी, रहती हैं: जैसलमेर की सामान्य वार्षिक वर्षा 172.9 mm है, और 1951 और 2000 के बीच बाड़मेर और जैसलमेर, प्रत्येक में, चौदह वर्ष ऐसे रहे जिनमें सामान्य की 125% या अधिक वर्षा हुई (IMD, *Climate of Rajasthan*, 2010)। किसी सूखे वर्ष के किनारे से खींची गई रेखा उस अग्रतट को, जिसे गीला वर्ष जलमग्न करता है और जिसकी तालाब को उस पानी के भंडारण के

लिए आवश्यकता है, निर्माण के लिए खुला छोड़ देगी। यह मैनुअल प्रत्येक तालाब, जोहड़ (johad), नाडी और झील के लिए इसी नियम को एक स्तर देता है: उसकी मानसून जल रेखा, जो कम से कम 20 वर्षों के अभिलेख से पढ़ी जाती है, और उसका FTL उसकी सीमा का भाग हैं (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ), और MWL तक का अग्रतट उसका बाढ़ भंडारण है। MWL से नीचे की समस्त भूमि को बाढ़ मार्ग मानने (खंड 7.6.1) का अर्थ है कि किसी तालाब के अग्रतट में कोई नया भवन या भराई अनुमोदित नहीं की जाती।

खंड 7.6.6 की विकसित सीमांत क्षेत्र व्यवस्था इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। राजस्थान के शहरों के नदी-किनारे और झील-किनारे के वार्डों के बड़े भाग, जैसे कोटा में कोटा बैराज के नीचे चंबल पर नयापुरा और बालिता (सितंबर 2019 में खाली कराए गए), अजमेर में आना सागर के एस्केप चैनल के किनारे हाथी भाटा, ब्रह्मपुरी और शिवपुरी (सितंबर 2024 में जलभराव से ग्रस्त), और 2006 में और उसके बाद झील और नदी के पानी से जलमग्न हुई उदयपुर की कॉलोनियाँ (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार), पहले से ही 1% AEP विस्तार के भीतर हैं। वहाँ पुनर्विकास पर जोन 2 की सर्वव्यापी रोक पुराने, निचले भवनों के स्थान पर बाढ़ स्तर से ऊपर उठाए गए भवन बनाने को रोक देगी। यह व्यवस्था 25 वर्ष के बाढ़ जोन के लिए URDPFI (2015) की पद्धति (स्टिल्ट, न्यूनतम प्लिंथ, बेसमेंट नहीं) के अनुरूप है, जिसे यहाँ 1% AEP विस्तार पर लागू किया गया है।

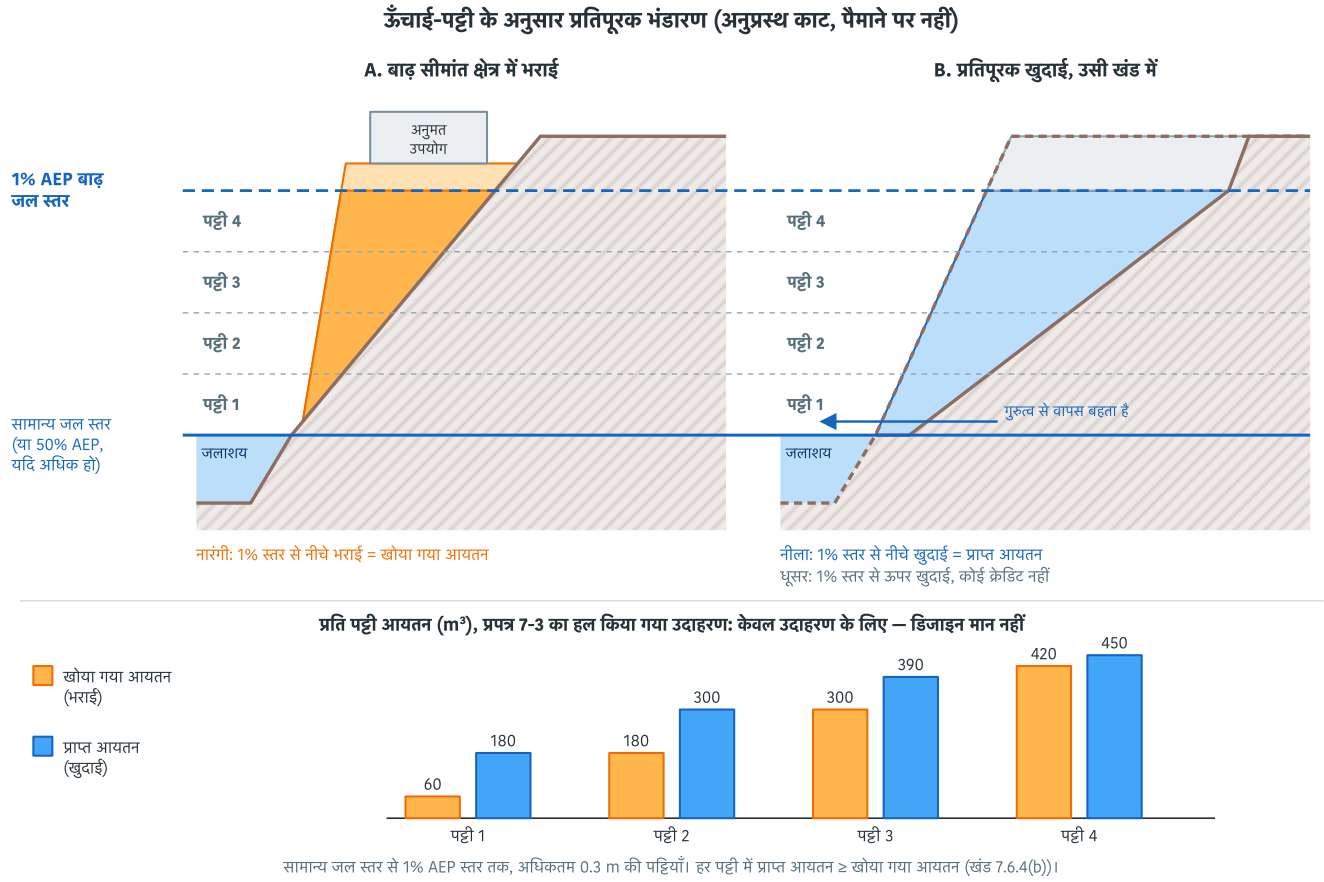

चित्र 7.2 — ऊँचाई पट्टी के अनुसार प्रतिपूरक भंडारण: बाढ़ सीमांत क्षेत्र की अनुप्रस्थ काट, जिसमें 1% AEP बाढ़ जल स्तर से नीचे की गई भराई और सामान्य जल स्तर (या 50% AEP स्तर) से 1% AEP स्तर तक, 0.3 m से अधिक मोटाई की न होने वाली प्रत्येक पट्टी के भीतर खोदा गया बराबर या अधिक आयतन दर्शाया गया है, और खुदाई गुरुत्व से जलाशय में वापस खाली होती है। पट्टी-दर-पट्टी गणना प्रपत्र 7-3 पर। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, जो खंड 7.6.4 की विधि को दर्शाती है, जो इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

7.7 डिजाइन भंडारण के रूप में तालाब शृंखलाएँ

राजस्थान में तालाबों के लिए कोई अधिनियम नहीं है, और उसके भंडारण एक घर के टाँके (taanka) से लेकर गेटयुक्त एस्केप चैनलों से नियंत्रित शहरी झीलों तक हैं। शहरी जल निकासी के लिए महत्वपूर्ण भंडारण छह प्रकार के हैं। पहला गाँव और शहर का तालाब (talab), जोहड़ (johad) या नाडी (nadi) है, जिसमें सामान्यतः कोई आउटलेट संरचना नहीं होती, जो राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन तालाब के रूप में दर्ज होता है या, किसी नगर के भीतर, नगरपालिका में निहित होता है (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68), और जिसे उसका आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) ऐसे प्रवाह मार्गों से पानी देता है जो प्रायः अभिलिखित नहीं होते। दूसरा डैम या बाँध और अतिप्रवाह, एस्केप चैनल या गेटों वाली शहरी झील या सागर (sagar) है, जो नगर के नालों का पानी लेती है और अनुप्रवाह के किसी चैनल में पानी छोड़ती है: अजमेर में आना सागर, जिसके एस्केप चैनल के गेट उसके भर जाने पर नगर में खोले जाते हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार); उदयपुर की झीलें, पिछोला, फतह सागर और उदय सागर, जो आयड़ से जुड़ी हैं, जो ऊपरी झीलों का छलका हुआ पानी उदय सागर तक ले जाती है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); जोधपुर में कायलाना और तख्त सागर, जिनके जलाशय के पूर्ण जल स्तर 273.7 m और 269.75 m बताए गए हैं; और जयपुर में मान सागर। ये वे तालाब हैं जिनके लिए खंड 7.7 और 7.8 सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं, और इनमें से किसी के लिए भी कोई प्रचालन नियम प्रकाशित नहीं किया गया। तीसरा WRD के जलाशय और बैराज हैं, जैसे चंबल पर कोटा बैराज, बनास पर बीसलपुर और माही बजाज सागर, और रामगढ़ बाँध; वे इन खंडों के लिए तालाब नहीं हैं, और उनसे छोड़ा गया पानी किसी डिजाइन में अंतर्वाह और टेलवाटर के रूप में आता है (अध्याय 5)। चौथा खड़ीन (khadin) है, जिसके तल में पानी रिस जाने के बाद खेती होती है; उसका भंडारण केवल खंड 7.7 के अंतर्गत गिना जाता है, और कभी भी तब नहीं जब तल में ऐसी फसल हो जिसे अभिरक्षक जलमग्न नहीं होने देगा। पाँचवाँ पुराने नगरों और गाँवों के टाँके, कुंड, कुंडियाँ, बावड़ियाँ और झालरे हैं, छोटे भंडारण जिन्हें अस्थायी भंडारण के रूप में गिनने के बजाय उपयोग, पुनर्भरण और विरासत के लिए रखना बेहतर है। छठा शुष्क पश्चिम की बिना आउटफॉल वाली खारी झीलें और अंतःस्थलीय गर्त हैं, जैसे रामसर स्थल सांभर झील, जो अपने जलग्रहण क्षेत्रों के अंतिम भंडारण हैं और खंड 7.12 के अंतर्गत आर्द्रभूमियाँ हैं। खंड 7.7 और 7.8 इनमें से किसी पर भी लागू होते हैं जिसका भंडारण गिना जाता है; कोई भी शहरी झील या सागर, जिसका भंडारण गिना जाना है, WRD, नगरपालिका, झील विकास प्राधिकरण या अन्य अभिरक्षक के साथ, पूर्ण रूप से खंड 7.7.1 के अधीन है, और प्रत्येक शहरी झील के अभिरक्षक की पुष्टि सूची (परिशिष्ट 7A) के लिए की जाएगी, क्योंकि इस मैनुअल के लिए उसका निर्धारण नहीं हुआ।

7.7.1 **तालाब का भंडारण कब गिना जा सकता है.** किसी तालाब या तालाब शृंखला के भंडारण को डिजाइन भंडारण के रूप में (किसी बेसिन प्लान, क्षेत्रीय सुविधा या खंड 7.11 के अंतर्गत एवज शुल्क योजना में) **केवल** तभी गिना जा सकता है जब निम्नलिखित सभी शर्तें पूरी हों:

- (a) **सर्वेक्षित स्तर.** FTL, MWL, TBL, सरप्लस वियर का शिखर और लंबाई, और स्लूइस के सिल स्तरों का सर्वेक्षण पिछले 5 वर्षों के भीतर खंड 7.3.5 के डेटम पर किया गया हो।
- (b) **जल स्तर–भंडारण वक्र.** पिछले 5 वर्षों के भीतर, या पिछली बार गाद निकालने के बाद, इनमें से जो बाद में हो, जल-फैलाव क्षेत्र और अग्रतट के जल-गहराई (bathymetric) और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण से जल स्तर–भंडारण वक्र (stage–storage curve) व्युत्पन्न किया गया हो।
- (c) **प्रचालन नियम.** अभिरक्षक के साथ एक दस्तावेजित प्रचालन नियम पर सहमति हुई हो (खंड 7.8)।
- (d) **अनुरक्षित संरचनाएँ.** सरप्लस वियर, स्लूइस और बाँध का रखरखाव O&M योजना (अध्याय 10) के अंतर्गत किया जाता हो, और नवीनतम मानसून-पूर्व निरीक्षण में वे सेवा योग्य पाए गए हों।
- (e) **अभिरक्षक की सहमति.** WRD, या अन्य अभिरक्षक, लिखित में सहमति देता है।

जो तालाब (a) से (e) में से किसी शर्त को पूरा नहीं करता, उसका भंडारण नहीं गिना जाएगा, यद्यपि उस तालाब का मॉडल फिर भी एक विद्यमान संरचना के रूप में बनाया जाएगा (अध्याय 3)।

7.7.2 **मॉडलिंग.** तालाब शृंखलाओं का मॉडल खंड 3.12.5 (प्रत्येक तालाब की स्तर-ताल रूटिंग, सरप्लस वियर और स्लूइस के हेड–प्रवाह दर संबंधों के साथ) और खंड 3.13 (सतत सिमुलेशन) के अंतर्गत बनाया जाएगा। संपूर्ण शृंखला का, सबसे ऊपरी उस तालाब से जिसका अतिरिक्त जल साइट या सुविधा तक पहुँच सकता है, अगली नदी, प्रमुख ड्रेन या समुद्री आउटफॉल तक, एक साथ मॉडल बनाया जाएगा, जिसमें प्रत्येक तालाब, जोहड़ या नाडी का आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) और उसे पानी देने वाले प्रवाह मार्ग, और अपने FTL और अगले तालाब, खड़ीन या नाले में अपने अतिप्रवाह या एस्केप (escape) के साथ तालाब, जैसा चित्र 7.3 में दर्शाया गया है, और, एस्केप गेटों वाली किसी शहरी झील के लिए, जैसे अजमेर में आना सागर, गेट और अनुप्रवाह का चैनल, झील के स्तर को आने वाली ड्रेनों का टेलवाटर मानते हुए (अध्याय 5), शामिल होंगे।

7.7.3 **प्रारंभिक स्तर.** डिजाइन वर्षा घटना के विश्लेषण के लिए प्रत्येक तालाब में प्रारंभिक स्तर **FTL** होगा। इससे निचले प्रारंभिक स्तर का उपयोग केवल ऐसे बाढ़ कुशन प्रचालन नियम के अंतर्गत किया जा सकता है जो खंड 7.8 की अपेक्षाएँ पूरी करता हो।

7.7.4 **डिजाइन अधिकतम स्तर.** जलवायु गुणक के साथ, शृंखला से होकर रूट किए गए 1% AEP अंतर्वाह के लिए:

- (a) परिकलित अधिकतम स्तर MWL (जैसा खंड 7.2 में परिभाषित है) से ऊँचा नहीं होगा; और
- (b) परिकलित अधिकतम स्तर से बाँध के सबसे निचले बिंदु (TBL) तक का फ्रीबोर्ड उस तालाब के लिए WRD के फ्रीबोर्ड मानक से कम नहीं होगा।

जहाँ (a) या (b) पूरा नहीं होता, वहाँ FTL से ऊपर का तालाब भंडारण तब तक नहीं गिना जाएगा जब तक खंड 7.7.6 के अंतर्गत सरप्लस वियर की क्षमता नहीं बढ़ाई जाती या बाँध ऊँचा नहीं किया जाता।

7.7.5 **क्रेडिट योग्य आयतन.** किसी तालाब का क्रेडिट योग्य डिजाइन भंडारण प्रारंभिक स्तर (खंड 7.7.3) और खंड 7.7.4 के परिकलित अधिकतम स्तर के बीच का आयतन है, जिसमें से किसी अन्य सुविधा या योजना के लिए पहले से प्रतिबद्ध आयतन घटा दिया जाता है।

7.7.6 **FTL, वियर और बाँधों में परिवर्तन.** कोई सरप्लस वियर का शिखर ऊँचा या नीचा नहीं किया जाएगा, कोई शटर या फॉलिंग बोर्ड नहीं जोड़े जाएँगे, और कोई बाँध ऊँचा नहीं किया जाएगा, काटा नहीं जाएगा या तोड़ा नहीं जाएगा, सिवाय अभिरक्षक द्वारा अनुमोदित ऐसे डिजाइन के अंतर्गत जो:

- (a) खंड 7.7.2 के अंतर्गत शृंखला की रूटिंग करता हो;
- (b) अग्रतट में और प्रतिप्रवाह की ओर बाढ़ स्तरों पर, और अतिरिक्त जल मार्ग में तथा अनुप्रवाह की ओर प्रवाहों पर प्रभाव दर्शाता हो; और
- (c) खंड 7.14 के अंतर्गत बाँध की जाँच करता हो।

> **भाष्य.** यह मैनुअल तीन मूल शर्तों (सर्वेक्षित FTL, दस्तावेजित प्रचालन नियम और अनुरक्षित सरप्लस वियर) के अधीन तालाब शृंखलाओं को डिजाइन भंडारण के रूप में उपयोग करने देता है। खंड 7.7.1 जल स्तर–भंडारण सर्वेक्षण और अभिरक्षक की सहमति जोड़ता है, क्योंकि कोई तालाब वास्तव में कितना भंडारण देता है यह उसके गाद स्तर पर और इस पर निर्भर करता है कि स्लूइस किसके नियंत्रण में हैं। 5 वर्ष का सर्वेक्षण अंतराल इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।
>
> FTL प्रारंभिक स्तर खंड 3.12.5 के अनुरूप है। राजस्थान के तालाब प्रायः सूखे रहते हैं, पर उसकी सबसे गंभीर शहरी बाढ़ें तब आई हैं जब झीलें और जलाशय भरे थे और पानी छोड़ रहे थे। अजमेर में, सितंबर 2024 में आना सागर के एस्केप चैनल के गेट खोले गए, और हाथी भाटा, ब्रह्मपुरी और शिवपुरी जलभराव से ग्रस्त हुए; जुलाई 2025 में, एक दिन में बताई गई 8 से 9 इंच वर्षा के बाद, झील उफन गई, गेट 30 इंच खोले गए, और JLN अस्पताल के आसपास का क्षेत्र जलमग्न हुआ (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार)। उदयपुर में अगस्त 2006 में "क्षेत्र के सभी जलाशय" ("all water bodies in the region") उफनते बताए गए, और कॉलोनियाँ झील और नदी के पानी में डूब गईं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। कोटा में सितंबर 2019 में, कोटा बैराज के 19 में से 18 गेटों से लगभग 6.5 से 6.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया (बताए गए आँकड़े परस्पर विरोधी हैं), और निचले वार्ड खाली कराए गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); कोटा सिटी पर चंबल का CWC का दर्ज उच्चतम स्तर 248.68 m (2019) है, जबकि खतरे का स्तर 242 m है। जयपुर में जुलाई 1981 में शहर पर तीन दिनों में 82 cm वर्षा हुई, जिसमें 19 जुलाई को 24 घंटों में 35 cm वर्षा शामिल है (Gupta and Jindal, *Mausam*, 1987), और अनुप्रवाह की ओर टोंक जिले में ढूँढ और मोरेल नदियों में बाढ़ आई। इस मैनुअल के लिए ऐसा कोई अभिलेख प्राप्त नहीं हुआ जो दर्शाए कि वर्षा के लंबे दौर में राजस्थान की झीलें कितने समय तक FTL पर या उससे ऊपर रहती हैं। ऋतु के आरंभ में सूखा तालाब डिजाइन की मान्यता नहीं है: वर्षा के लंबे दौर में तालाब भर जाता है, और जब तक वह भरा रहता है तब तक वह FTL से नीचे और कुछ भंडारित नहीं करता, उसमें आने वाले नाले ऊँचे स्तर के विरुद्ध पानी छोड़ते हैं, और छोड़ा गया हर पानी उसके नीचे के प्रवाह में जुड़ जाता है। तालाब शृंखला बाढ़ को एक तालाब से अगले तालाब तक पहुँचाती है, इसलिए जो डिजाइन एक तालाब में भंडारण गिनता है और उसके ऊपर के तालाब से आने वाले अतिरिक्त जल की अनदेखी करता है, वह लाभ को बढ़ा-चढ़ाकर आँकेगा। इसीलिए खंड 7.7.2 संपूर्ण शृंखला का मॉडल बनाने की अपेक्षा करता है।

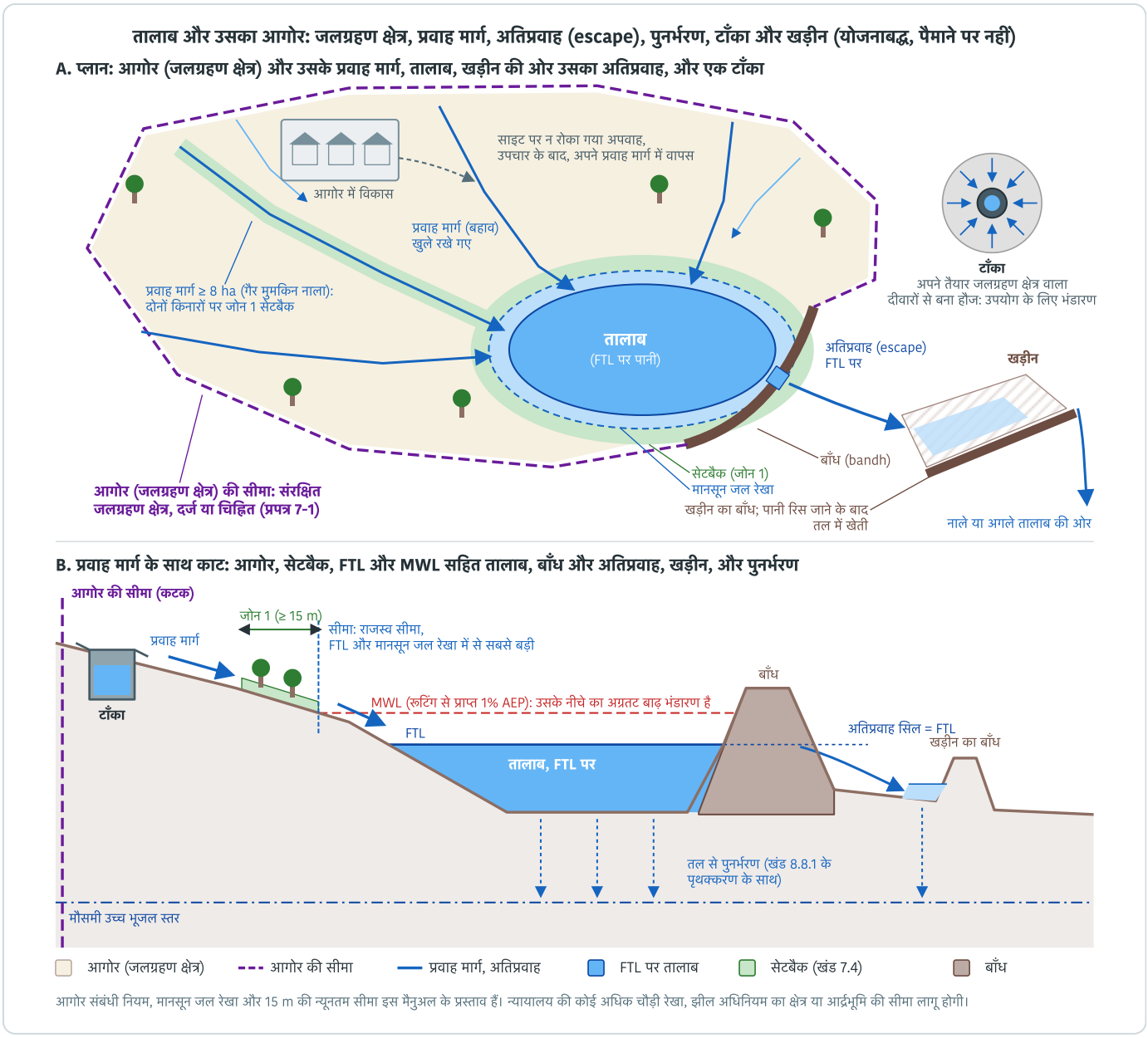

चित्र 7.3 — अपने आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) और अपने आसपास की पारंपरिक प्रणालियों के साथ एक तालाब (योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं; कोई विशेष तालाब नहीं दर्शाया गया)। A: योजना में, आगोर का पानी अपने प्रवाह मार्गों (बहाव; bahav) से होकर तालाब तक जाता है; तालाब अपने FTL पर अपने अतिप्रवाह (escape) के ऊपर से किसी खड़ीन या अगले तालाब में और आगे किसी नाले तक छलकता है; टाँका उपयोग के लिए अपने छोटे तैयार जलग्रहण क्षेत्र का अपवाह भंडारित करता है। इस मैनुअल के लिए जलग्रहण क्षेत्र की सीमा, प्रवाह मार्ग और तालाब एक ही जलाशय प्रणाली हैं (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ): आगोर में कोई विकास अपने प्रवाह मार्गों को खुला रखता है, 8 ha या अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाले प्रत्येक मार्ग पर खंड 7.4 के सेटबैक के साथ, और जो अपवाह वह साइट पर प्रतिधारित नहीं करता, उसे उपचार (अध्याय 8) के बाद उसी मार्ग से नीचे भेजता है जिसका वह पहले उपयोग करता था। B: अनुप्रस्थ काट में, तालाब अपने FTL तक पानी रोके रखता है और MWL तक का अग्रतट उसका बाढ़ भंडारण है; पानी उसके तल से और खड़ीन से भूमि में रिसता है (पुनर्भरण, खंड 8.8.1 के अधीन); सेटबैक राजस्व सीमा, FTL और मानसून जल रेखा में से सबसे बड़ी से मापा जाता है। आगोर संबंधी नियम, मानसून जल रेखा और 15 m का न्यूनतम इस मैनुअल के प्रस्ताव हैं, जो जलग्रहण क्षेत्रों और प्राकृतिक चैनलों पर उच्च न्यायालय के आदेशों पर आधारित हैं (खंड 7.1, भाष्य); न्यायालय की कोई रेखा, झील अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किसी झील का बहाव क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्र, या किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि की सीमा, जहाँ अधिक चौड़ी हो, वहाँ लागू होती है। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग।

7.8 प्रचालन नियम और मानसून-पूर्व बाढ़ कुशन

7.8.1 **प्रचालन नियम की विषय-वस्तु.** जिस भी तालाब का भंडारण खंड 7.7 के अंतर्गत गिना जाता है, उसका एक लिखित प्रचालन नियम होगा, जिस पर अभिरक्षक की सहमति हो और जिसे O&M योजना (अध्याय 10) के साथ रखा जाए। उसमें निम्नलिखित बताया जाएगा:

- (a) वर्ष भर भरने, रोके रखने और जल स्तर घटाने के स्तर और तिथियाँ;
- (b) प्रत्येक स्तर पर स्लूइस और रेगुलेटर की सेटिंग;
- (c) स्लूइस और रेगुलेटर कौन संचालित करता है, और पानी छोड़ने का आदेश कौन दे सकता है;
- (d) अधिकतम निकास दर, जो इस प्रकार निर्धारित हो कि छोड़ा गया पानी, अनुप्रवाह के जलग्रहण क्षेत्र के प्रवाह के साथ मिलकर, अनुप्रवाह की ओर भवनों में बाढ़ न लाए;
- (e) पूर्वानुमान और चेतावनी के प्रारंभक (IMD की जिला चेतावनियाँ, RSDMA की चेतावनियाँ (alerts), और जहाँ उपलब्ध हों वहाँ शहर की पूर्वानुमान प्रणालियाँ) और प्रत्येक प्रारंभक पर की जाने वाली कार्रवाइयाँ;
- (f) पानी छोड़ने से पहले अनुप्रवाह के ULB और निवासियों से संवाद; और
- (g) रखे जाने वाले अभिलेख: दक्षिण-पश्चिम मानसून में दैनिक स्तर, छोड़ा गया पानी, और गेट की सेटिंग।

7.8.2 **बाढ़ कुशन.** किसी तालाब को बाढ़ कुशन (दक्षिण-पश्चिम मानसून के कुछ भाग के दौरान FTL से नीचे का स्तर) के साथ संचालित किया जा सकता है, और कुशन को खंड 7.7.3 के अंतर्गत गिना जा सकता है, केवल तभी जब:

- (a) तालाब में गेटयुक्त स्लूइस, रेगुलेटर या अन्य नियंत्रणीय आउटलेट हो जो नियम में बताए गए समय में तालाब को कुशन स्तर तक खाली कर सके;
- (b) प्रचालन नियम कुशन स्तर और उसके लागू होने की तिथियाँ नियत करता हो;
- (c) सतत सिमुलेशन (खंड 3.13) यह दर्शाए कि अभिलेख के कम से कम **90%** दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतुओं में डिजाइन वर्षा घटना के आरंभ में कुशन उपलब्ध है, चरम वर्षा घटना से पहले सामान्यतः होने वाली वर्षा को ध्यान में रखते हुए;
- (d) अभिरक्षक सिंचाई या जल आपूर्ति की उपज की किसी हानि को स्वीकार करता हो, और कोई सहमत क्षतिपूर्ति अभिलिखित हो; और
- (e) कुशन बनाने या पुनः बनाने के लिए आवश्यक छोड़ा जाने वाला पानी खंड 7.8.1(d) की अपेक्षाएँ पूरी करता हो।

7.8.3 **नियंत्रण के बिना भंडारण क्रेडिट नहीं.** जहाँ किसी तालाब में कोई नियंत्रणीय आउटलेट नहीं है, वहाँ कोई बाढ़ कुशन नहीं माना जाएगा, पिछली प्रथा जो भी रही हो।

7.8.4 **समन्वय.** WRD के नियंत्रण वाले तालाबों के लिए, प्रचालन नियम WRD का नियम होगा। यह मैनुअल किसी अन्य निकाय को WRD के तालाब का संचालन करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता।

> **भाष्य.** राजस्थान के किसी तालाब (talab) या शहरी झील के लिए बाढ़ कुशन रखने वाला कोई प्रचालन नियम नहीं मिला, और अधिकांश तालाबों, जोहड़ों (johad) और नाडियों (nadi) में कोई नियंत्रणीय आउटलेट नहीं है, इसलिए उन पर खंड 7.8.3 लागू होता है। नगरों में महत्वपूर्ण नियंत्रित प्रवाह गेटयुक्त झीलों और जलाशयों से छोड़ा गया पानी है: बताया गया है कि अजमेर में आना सागर के एस्केप चैनल के गेट झील के भर जाने पर खोले जाते हैं और चैनल के किनारे की कॉलोनियों में बाढ़ लाते हैं (2024 और 2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार), और मध्य प्रदेश में प्रतिप्रवाह के चंबल के डैमों से छोड़े गए पानी से प्रेरित, कोटा बैराज से छोड़े गए पानी ने सितंबर 2019 में कोटा के निचले वार्डों को जलमग्न किया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। राज्य के आपदा नियंत्रण कक्ष हाल के मानसूनों में 15 जून से खुलते रहे हैं (2025 के लिए प्रकाशित खबरों के अनुसार), पर किसी झील से पानी छोड़े जाने से जुड़ा कोई चेतावनी प्रोटोकॉल नहीं मिला। तिथियों, स्तरों, निकास दरों और नामित संचालक वाले किसी सहमत नियम के बिना किसी झील के भंडारण पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, और अनुप्रवाह की कॉलोनियों को चेतावनी दिए बिना छोड़ा गया पानी स्वयं एक बाढ़ है। खंड 7.8.2 उस सिद्धांत को एक ऐसे नियम में बदलता है जिसकी जाँच की जा सके, एक विश्वसनीयता परीक्षण के साथ, क्योंकि जो कुशन सामान्यतः मानसून की आरंभिक वर्षा से फिर भर जाता है, वह जुलाई या अगस्त के मानसून अवदाब में कोई सुरक्षा नहीं देता। खंड 7.8.2(c) में 90% विश्वसनीयता का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और यह इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

> कई तालाबों और झीलों के अन्य उपयोगकर्ता भी हैं। कायलाना और तख्त सागर जोधपुर के लिए पानी का भंडारण करते हैं, रामगढ़ बाँध सूखने तक जयपुर को पानी देता था, उदयपुर की झीलें और पुष्कर सरोवर आस्था के स्थल हैं, और पानी रिस जाने के बाद खड़ीनों के तल में खेती होती है। वर्षा घटना से पहले किसी तालाब या झील का जल स्तर घटाने की लागत उन लोगों पर पड़ती है जो उसका उपयोग करते हैं, इसीलिए खंड 7.8.2(d) अपेक्षा करता है कि अभिरक्षक उसे स्वीकार करे।

7.9 पुनर्स्थापन, गाद निकालना और गहरा करना

7.9.1 **कार्य-पूर्व सर्वेक्षण.** गाद निकालने या पुनर्स्थापन से पहले, प्रस्तावक:

- (a) जल-फैलाव क्षेत्र, अग्रतट, बाँध, वियर और स्लूइस का सर्वेक्षण करेगा (खंड 7.7.1(a) और (b));
- (b) ग्रिड पर परीक्षण गड्ढों (test pits) या ऑगरिंग (augering) से, और जहाँ उपलब्ध हों वहाँ ऐतिहासिक अभिलेखों से, मूल तल स्तर ज्ञात करेगा; और
- (c) जहाँ तालाब में शहरी अपवाह या सीवेज आता है, वहाँ निपटान की योजना बनाने से पहले गाद का भारी धातुओं और अन्य संदूषकों के लिए परीक्षण करेगा।

7.9.2 **गाद निकालने की सीमा.** गाद निकालने में जमा तलछट को मूल तल स्तर तक हटाया जाएगा। इससे तालाब को मूल तल से नीचे गहरा नहीं किया जाएगा, सिवाय खंड 7.9.3 के अंतर्गत।

7.9.3 **गहरा करना.** मूल तल से नीचे गहरा करना केवल तभी अनुमत है जब कोई जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट यह दर्शाए कि:

- (a) इससे चिकनी मिट्टी या गाद की वह परत नहीं कटेगी जो तालाब में पानी रोके रखती है या किसी जलभृत को प्रदूषित पानी से बचाती है;
- (b) तटीय क्षेत्रों में, इससे खारा पानी तालाब या जलभृत में नहीं खिंचेगा; और
- (c) अतिरिक्त भंडारण फिर से भरेगा और उपयोग होगा, और स्लूइस सिल से नीचे स्थिर नहीं पड़ा रहेगा।

सबसे निचले स्लूइस सिल से नीचे बनाया गया भंडारण बाढ़ भंडारण के रूप में नहीं गिना जाएगा।

7.9.4 **सुरक्षित किनारे.** जहाँ जनता की पहुँच जलाशय के किनारे तक है:

- (a) FTL से 0.5 m ऊपर से FTL से 1.2 m नीचे तक किनारे के ढलान **1V:4H** से अधिक खड़े नहीं होंगे, या FTL से 0.3 m और 0.5 m नीचे के बीच कम से कम 3 m चौड़ी समतल सुरक्षा बेंच उपलब्ध कराई जाएगी; और
- (b) तल में कोई अलग-थलग गहरा गड्ढा या खड़ी कटान नहीं छोड़ी जाएगी।

7.9.5 **भंडारण कम नहीं किया जाएगा.** पुनर्स्थापन से MWL से नीचे का भंडारण कम नहीं होगा। जल-फैलाव क्षेत्र या अग्रतट के भीतर द्वीप, पैदल मार्ग, जल-फैलाव क्षेत्र में बाँध का चौड़ीकरण, रिंग रोड, पार्किंग, भवन और "झील-तट" ("lake-front") प्लेटफॉर्म खोया हुआ भंडारण गिने जाएँगे और खंड 7.6.4 के अंतर्गत उनकी प्रतिपूर्ति की जाएगी।

7.9.6 **गाद का निपटान.** निकाली गई गाद को सेटबैक के भीतर, बाँध पर (अनुमोदित बाँध सुदृढ़ीकरण के सिवाय), या किसी बाढ़ मार्ग पर नहीं रखा जाएगा। संदूषित पाई गई गाद का निपटान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) के निर्देशानुसार किया जाएगा।

7.9.7 **इनलेट पर उपचार.** शहरी अपवाह प्राप्त करने वाले तालाब के प्रत्येक पुनर्स्थापन में प्रत्येक इनलेट पर तलछट और स्थूल प्रदूषक नियंत्रण शामिल होगा: तलछट फोरबे (forebay), निर्मित आर्द्रभूमि का इनलेट जोन, या स्थूल प्रदूषक जाल (अध्याय 8), ताकि पुनर्स्थापित भंडारण फिर से गाद से न भर जाए।

7.9.8 **समय.** गाद निकालने का कार्य, और जलाशय को सुरक्षित बनाने का कार्य, प्रत्येक वर्ष **15 जून** तक पूरा किया जाएगा (अध्याय 10)।

भाष्य. नालों या तालाबों से मानसून-पूर्व गाद निकालने के लिए नगरीय विकास एवं आवासन विभाग या स्वायत्त शासन विभाग का कोई राज्यव्यापी आदेश नहीं मिला; जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री द्वारा सभी ड्रेनों की सफाई का निर्देश दिए जाने की खबर है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इस मैनुअल में 15 जून की तिथि इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है: यह वह तिथि है जिससे राज्य के आपदा नियंत्रण कक्ष हाल के मानसूनों में खुलते रहे हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और यह राज्य में मानसून के सामान्य आगमन से पहले है, जो झालावाड़ में लगभग 24 जून से बीकानेर और पोकरण में लगभग 6 जुलाई तक है (IMD, आगमन की नई सामान्य तिथियाँ, 2020)। गाँवों के जोहड़ (johad), नाडियाँ (nadi) और तालाब (talab) भी राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत गाद निकालकर गहरे किए जाते हैं, जैसे मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान, जिसके बारे में बताया गया है कि उसके अंतर्गत तीन चरणों में 3.8 लाख से अधिक संरचनाएँ बनाई गईं, और अमृत सरोवर मिशन (प्रकाशित खबरों के अनुसार); पुनर्भरण पर उनके प्रभाव का कोई प्रकाशित माप नहीं मिला। "क्षमता बढ़ाने" ("increase capacity") के लिए खुदाई पर खंड 7.9.3 लागू होता है। 15 जून की समय-सीमा अध्याय 10 की मानसून-पूर्व निरीक्षण तिथि से मेल खाती है। गहरा करने की सीमाएँ इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। "क्षमता बढ़ाने" ("increase capacity") के लिए तालाबों को गहरा करना आम है, पर इससे गाद और चिकनी मिट्टी की वह परत टूट सकती है जो तालाब में पानी रोके रखती है, प्रदूषित शहरी पानी जलभृत तक पहुँच सकता है, तट की ओर खारा पानी खिंच सकता है, और स्लूइस सिल से नीचे ऐसा भंडारण बनता है जो कभी खाली नहीं होता और बाढ़ में कोई लाभ नहीं देता। खड़े किनारों वाले गहरे गड्ढे डूबने का खतरा भी हैं। खंड 7.9.4 के ढलान और बेंच के मान तालाब-सुरक्षा की सामान्य प्रथा से अनुकूलित हैं; राजस्थान में इनका कोई पूर्व-उदाहरण नहीं है।

7.10 आपूर्ति चैनल, अतिरिक्त जल मार्ग, इनलेट और आउटलेट

7.10.1 **प्रमुख प्रणाली का भाग.** आपूर्ति चैनल और अतिरिक्त जल मार्ग प्रमुख जल निकासी प्रणाली (अध्याय 6) का भाग हैं। खंड 7.4 के अंतर्गत जोन 1 और जोन 2 सेटबैक के साथ उनका जलाशयों के रूप में संरक्षण किया जाएगा।

7.10.2 **बंद करना या ढकना नहीं.** कोई आपूर्ति चैनल या अतिरिक्त जल मार्ग बंद नहीं किया जाएगा, भरा नहीं जाएगा, मोड़ा नहीं जाएगा, ढका नहीं जाएगा, उसकी लंबाई में पुलिया में नहीं बदला जाएगा, या सड़क या बंद ड्रेन में नहीं बदला जाएगा, सिवाय अभिरक्षक द्वारा अनुमोदित ऐसे डिजाइन के अंतर्गत जो उसकी 1% AEP क्षमता और रखरखाव के लिए उसकी पहुँच को बनाए रखे या बढ़ाए।

7.10.3 **क्रॉसिंग.** किसी जलाशय, आपूर्ति चैनल या अतिरिक्त जल मार्ग की प्रत्येक सड़क, रेल, उपयोगिता या पहुँच क्रॉसिंग:

- (a) अध्याय 9 द्वारा अपेक्षित फ्रीबोर्ड के साथ, 1% AEP प्रवाह (जलवायु गुणक के साथ), या प्रतिप्रवाह के तालाब का उसके MWL पर अतिरिक्त जल, इनमें से जो अधिक हो, पार कराएगी;
- (b) क्रॉसिंग पर जलमार्ग की चौड़ाई को राजस्व अभिलेखों में अभिलिखित या सर्वेक्षित पूरी चैनल चौड़ाई, इनमें से जो अधिक हो, से कम नहीं करेगी;
- (c) चैनल का तल स्तर और ढाल बनाए रखेगी; और
- (d) 1% AEP जल स्तर को खंड 7.6.2 की सीमा से अधिक नहीं बढ़ाएगी।

7.10.4 **क्षमता.** किसी अतिरिक्त जल मार्ग की डिजाइन क्षमता, MWL पर सरप्लस वियर की प्रवाह दर और उसके अपने जलग्रहण क्षेत्र से 1% AEP प्रवाह, जिन्हें शृंखला मॉडल (खंड 7.7.2) के अनुसार संयोजित किया गया हो, में से अधिक होगी।

7.10.5 **संरचनाओं पर संरक्षण.** सरप्लस वियरों और स्लूइसों के आउटलेट, और जलाशयों में ड्रेनों के आउटफॉल, में अध्याय 9 के अंतर्गत डिजाइन किया गया ऊर्जा क्षय और कटाव से संरक्षण होगा, ताकि उनसे निकलने वाला प्रवाह बाँध, किनारे या चैनल के तल का अपरदन न करे।

7.10.6 **जलाशयों में ड्रेनों के आउटफॉल.** किसी तालाब, चैनल या आर्द्रभूमि में वर्षा जल ड्रेन का आउटफॉल:

- (a) का इनवर्ट प्राप्तकर्ता जलाशय के सामान्य जल स्तर पर या उससे ऊपर होगा, जब तक कि ड्रेन अध्याय 5 के अंतर्गत जलमग्न आउटफॉल के लिए डिजाइन न की गई हो;
- (b) इस प्रकार स्थित और संरेखित होगा कि वह तालाब के बाँध को न काटे या कमजोर न करे;
- (c) में स्थूल प्रदूषक जाल और प्रथम प्रवाह उपचार (अध्याय 8) होगा; और
- (d) सीवेज या शुष्क मौसम प्रवाह (DWF) नहीं ले जाएगा (अध्याय 8)।

भाष्य. यह मैनुअल आपूर्ति चैनलों और अतिरिक्त जल मार्गों का प्रमुख प्रणाली के भाग के रूप में संरक्षण करता है। शहरी क्षेत्रों में ये प्रायः सबसे पहले खो जाते हैं। अतिरिक्त जल मार्ग पुलियों और चारदीवारियों से संकरे कर दिए जाते हैं, और आपूर्ति चैनलों को ढककर सड़कों में बदल दिया जाता है, जिससे तालाब अपने स्रोत से कट जाता है या उसके अतिरिक्त जल के लिए कोई रास्ता नहीं रहता। राजस्थान में सड़कों की ड्रेनें और जलमार्ग नगरपालिका में निहित होते हैं, पर सड़कों के बाहर के प्राकृतिक नाले राजस्व अभिलेखों में राज्य की भूमि हैं, और उनके बीच का विभाजन लिखित रूप में नहीं है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 "किसी सड़क में, उसके साथ-साथ या उसके नीचे के सभी सार्वजनिक सीवर और ड्रेनें, चैनल, सुरंगें, पुलियाँ और जलमार्ग" ("all public sewers and drains, channels, tunnels, culverts and watercourses in, alongside, or under, any street") नगरपालिका में निहित करता है (धारा 68(1)(d)), नगरपालिका के भीतर की सभी ड्रेनों को "नगरपालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन" ("under the survey and control of the Municipality") रखता है (धारा 200), और उसमें निहित किसी सीवर, ड्रेन, पुलिया या कर्ब चैनल (gutter) के ऊपर उसकी लिखित सम्मति के बिना नए भवन पर रोक लगाता है, और ऐसे भवन को गिरवाने की शक्ति देता है (धारा 213(2))। सड़क के बाहर का नाला सामान्यतः गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज होता है, और उच्च न्यायालय ने ठहराया है कि ऐसी भूमि को न मोड़ा जा सकता है और न किसी असंगत प्रयोजन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है, और उस पर बनी एक सड़क और एक श्मशान को हटाने का आदेश दिया है (*Ramji Lal Saini*, 2026)। इस मैनुअल के लिए प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से, या नगरपालिकाओं की ड्रेनों को WRD की नदियों और नहरों से, अलग करने वाला कोई नियम या आदेश नहीं मिला। व्यवहार में नदियाँ, डैम, जलाशय और नहरें WRD के पास हैं (और नदियों की उच्च बाढ़ रेखाएँ (High Flood Lines), 2026 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत, राज्य के और उस नदी आयोग या नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण के पास, जिसे राज्य को गठित करना है); सड़कों की ड्रेनें नगरपालिका के पास; किसी विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास की योजना की ड्रेनें, उन्हें सौंपे जाने तक, उसी निकाय के पास; किसी औद्योगिक क्षेत्र की ड्रेनें RIICO के पास; गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज नाले, और गाँव के तालाब, राजस्व विभाग और ग्राम पंचायत के पास; और 3 या 10 ha और उससे अधिक की झीलें, अधिसूचित होने पर, झील विकास प्राधिकरण के पास। यह मैनुअल उस विभाजन को अपने कार्यकारी आवंटन के रूप में उपयोग करता है, विधि के कथन के रूप में नहीं। जयपुर का मुख्य चैनल दर्शाता है कि जब किसी नाले को ड्रेन मान लिया जाता है तो क्या खो जाता है: JDA द्रव्यवती का वर्णन "जयपुर की सक्रिय नदी, जो समय के साथ एक नाला (अमानीशाह नाला) बन गई" ("the active river of Jaipur which, over the time turned into a Nallah [Amanisha Nallah]") के रूप में करता है, और उसने उसे 100-वर्ष की बाढ़ के लिए 47.5 km के चैनल के रूप में फिर से बनाया (EIA, अध्याय 2); उच्च न्यायालय ने JDA से पूछा है कि उसने अंबावाड़ी के निकट वे कंक्रीट चैनल क्यों नहीं बनाए जिनकी सिफारिश NEERI की एक रिपोर्ट ने की थी (*Alok Gupta v. State*, 25 जुलाई 2026 का आदेश, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जोधपुर में जोजरी पर, उच्चतम न्यायालय ने काकाणी औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयाँ नदी क्षेत्र से "केवल 30 से 60 मीटर" ("merely 30 to 60 metres") की दूरी पर पाईं, और लगभग 12.805 ha क्षेत्र "प्रत्यक्ष उच्च बाढ़ क्षेत्र" ("apparent High Flood Area") के भीतर (7 अगस्त 2026)। भवन विनियम, 2025 किसी नाले के किनारे कोई चौड़ाई सुरक्षित नहीं रखते, और यही वह विफलता है जिसे रोकने के लिए खंड 7.10.2 और 7.10.3 लिखे गए हैं। खंड 7.10.3(b) किसी क्रॉसिंग को चैनल को उसकी वर्तमान, अतिक्रमित चौड़ाई तक संकरा करने से रोकता है।

7.11 एवज शुल्क और क्षेत्रीय तालाब भंडारण

7.11.1 जहाँ कोई बेसिन प्लान अधिसूचित किया गया है, और प्राधिकारी ने नीति अनुपूरक का विकल्प S-5 (खंड 1.7) अंगीकार किया है, वहाँ कोई विकास अध्याय 4 के अंतर्गत साइट पर अस्थायी भंडारण के एवज में शुल्क दे सकता है। यह शुल्क उसी बेसिन में किसी तालाब, पोखर या क्षेत्रीय सुविधा में भंडारण के पुनर्स्थापन या सृजन पर लगाया जाएगा।

7.11.2 एवज शुल्क से वित्तपोषित तालाब भंडारण:

- (a) गिने जाने से पहले खंड 7.7.1 की अपेक्षाएँ पूर्ण रूप से पूरी करेगा;
- (b) योगदान देने वाले विकास के अनुप्रवाह की ओर और उस बाढ़-प्रवण क्षेत्र के प्रतिप्रवाह की ओर होगा जिसकी रक्षा के लिए वह है;
- (c) जिस विकास के लिए वह है उसके अधिभोग से पहले, या बेसिन प्लान द्वारा नियत अवधि के भीतर, बनाया जा चुका होगा या निर्माणाधीन होगा; और
- (d) खंड 10.17 के रजिस्टर में उन विकासों के साथ अभिलिखित किया जाएगा जिन्होंने उसका वित्तपोषण किया, ताकि वही आयतन दो बार न बेचा जाए।

7.11.3 एवज शुल्क निम्नलिखित का स्थान नहीं लेता:

- (a) अध्याय 4 की प्रतिधारण अपेक्षा, जो सदैव साइट पर पूरी की जाती है; या
- (b) अध्याय 8 की जल गुणवत्ता अपेक्षा, जो साइट पर या किसी ऐसी क्षेत्रीय सुविधा में पूरी की जाती है जो उसी अपवाह का तालाब तक पहुँचने से पहले उपचार करती है।

> **भाष्य.** अध्याय 4 मास्टर प्लान वाले बेसिनों में पुनर्स्थापित तालाब (talab) या तालाब (tank) भंडारण के लिए एवज शुल्क का प्रावधान करता है। मलेशिया की 2008 की DID जाँच-सूची साइट पर अस्थायी भंडारण की अनुमति केवल छोटी साइटों के लिए देती थी और बड़े क्षेत्रों के लिए सामुदायिक तालाबों की अपेक्षा करती थी (DID, 2008)। राजस्थान में भवन विनियमों द्वारा भंडारण का कोई साझा रूप अपेक्षित नहीं है: भवन विनियम, 2025 का वर्षा जल संचयन भूखंड-स्तरीय है (विनियम 8.3, 225 m^2 या अधिक के भूखंड), बड़ी परियोजनाओं की शर्तें पुनर्भरण बोर और कच्चा खुला स्थान माँगती हैं, और विनियमों में कोई अस्थायी भंडारण, चरम प्रवाह या "शून्य अपवाह" ("zero runoff") नियम नहीं है। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान और अमृत सरोवर मिशन के अंतर्गत नवीकृत तालाब, जोहड़ (johad) और नाडियाँ (nadi), और जयपुर में द्रव्यवती चैनल, साझा भंडारण या वहन के निकटतम विद्यमान रूप हैं। इनमें से कोई भी भंडारण गिनने के लिए तकनीकी मानक निर्धारित नहीं करता। खंड 7.11.2(b) इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बाढ़-प्रवण क्षेत्र के अनुप्रवाह की ओर का तालाब किसी की रक्षा नहीं करता। खंड 7.11.3 प्रतिधारण को साइट पर रखता है: यह इस मैनुअल की आयतन-नियंत्रण परत है, और कोई क्षेत्रीय तालाब विकसित साइट के नीचे के जलभृत का पुनर्भरण नहीं कर सकता।

7.12 आर्द्रभूमियाँ, दलदल और ज्वारनदमुख

7.12.1 **विस्तार.** यह खंड दलदलों, दलदली भूमियों, पश्चजल, ज्वारनदमुखों, और ज्वारीय खाड़ियों और लैगूनों पर लागू होता है, जिनमें शामिल हैं:

- (a) आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित या राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध आर्द्रभूमियाँ;
- (b) राजस्थान के चार रामसर स्थल (केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, 1981 में नामित; सांभर झील, 1990 में नामित; और खीचन और मेनार, 2025 में नामित), प्रत्येक अपनी नामित सीमा तक, और 2017 के नियमों के अंतर्गत अधिसूचित या 1 जून 2026 को उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित राज्यव्यापी सर्वेक्षण में चिह्नित कोई भी आर्द्रभूमि;

- (c) शहरी झीलें और सागर (sagar), शुष्क पश्चिम की खारी झीलें, प्लाया (playa) और अंतःस्थलीय गर्त, और नदियों के डूब क्षेत्रों की दलदली निचली भूमि और गड्ढे, जैसे चंबल, बनास और लूणी के, जो खंड 7.3.4 के 1% AEP विस्तार या उच्चतम न्यायालय के 7 अगस्त 2026 के आदेश के अंतर्गत सीमांकन होने पर उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और बफर, इनमें से जो बड़ा हो, के भीतर हों (नदी का चैनल स्वयं इस अध्याय के शेष भाग के अंतर्गत जलाशय है); और
- (d) कोई अन्य दलदल, आर्द्रभूमि, तालाब या झील जिसे प्राधिकारी अधिसूचित करे, जिसे आर्द्रभूमि प्राधिकरण सूचीबद्ध करे, या जिसके संरक्षण का निर्देश कोई न्यायालय या राष्ट्रीय हरित अधिकरण दे।

7.12.2 **आर्द्रभूमियों का जल निकास नहीं.** कोई ड्रेन, चैनल, कटान या पंप किसी आर्द्रभूमि का पानी निकालने, उसके सामान्य जल स्तर को घटाने, या उसके गीले रहने की अवधि को कम करने के लिए डिजाइन नहीं किया जाएगा, सिवाय आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित योजना के अंतर्गत।

7.12.3 **अंतर्वाह.** खंड 7.12.1 की किसी आर्द्रभूमि में पानी छोड़ने वाली प्रत्येक ड्रेन:

- (a) खंड 7.10.6 की अपेक्षाएँ पूरी करेगी;
- (b) आर्द्रभूमि में प्रवेश करने से पहले अपने जलग्रहण क्षेत्र के WQv के लिए जल गुणवत्ता उपचार (अध्याय 8) से होकर गुजरेगी; और
- (c) जहाँ व्यवहार्य हो, एक बिंदु पर पानी छोड़ने के बजाय अपने प्रवाह को वनस्पतियुक्त किनारे पर फैलाएगी।

7.12.4 **हाइड्रोलिक संयोजकता.** किसी आर्द्रभूमि के आर-पार या उसके किनारे की सड़कों, तटबंधों और उपयोगिता कॉरिडोरों में ऐसे खुले मार्ग होंगे जो:

- (a) 1% AEP जल स्तर को खंड 7.6.2 की सीमा से अधिक बढ़ाए बिना 1% AEP प्रवाह पार कराएँ; और
- (b) आर्द्रभूमि के सामान्य जल-विनिमय को, जिसमें ज्वारनदमुखों में ज्वारीय विनिमय शामिल है, बनाए रखें, और खुले मार्ग क्रॉसिंग की लंबाई में फैले हों ताकि आर्द्रभूमि का कोई भाग कट न जाए।

7.12.5 **भंडारण केवल बेसिन स्तर पर गिना जाएगा.** आर्द्रभूमि के भंडारण को बेसिन और क्षेत्रीय मॉडलों में शामिल किया जाएगा। इसे किसी व्यक्तिगत विकास के लिए अस्थायी भंडारण के रूप में नहीं गिना जाएगा।

7.12.6 **ज्वारीय आर्द्रभूमियाँ और ज्वारनदमुख.** ज्वारनदमुखों और ज्वारीय आर्द्रभूमियों के लिए:

- (a) टेलवाटर अध्याय 5 से लिया जाएगा (खंड 2.12 की संयुक्त स्थितियाँ);
- (b) कार्य प्रवृत्त तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) अधिसूचना का भी अनुपालन करेंगे; और
- (c) मुहाना खोलने के कार्य, प्रशिक्षण दीवारें और ड्रेजिंग इस मैनुअल के विस्तार के बाहर हैं और इनके लिए अलग अध्ययन आवश्यक हैं।

7.12.7 **कचरा डालना नहीं.** किसी आर्द्रभूमि या उसके सेटबैक में कोई ठोस अपशिष्ट, निर्माण मलबा या ड्रेजिंग से निकली सामग्री नहीं डाली जाएगी।

> **भाष्य.** राजस्थान की आर्द्रभूमियाँ राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का दायित्व हैं, जो 2019 में गठित और 2020 में पुनर्गठित बताया गया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जुलाई 2023 में 19 जिलों की 44 आर्द्रभूमियों की एक प्रारूप अधिसूचना की खबर आई, अगस्त 2023 तक 67 आर्द्रभूमियों की, और जनवरी 2026 तक 75 अधिसूचित आर्द्रभूमियों की (प्रकाशित खबरों के अनुसार; अधिसूचनाएँ पढ़ी नहीं गईं)। राज्य में चार रामसर स्थल हैं (तिथियाँ और क्षेत्रफल राष्ट्रीय सूची से, प्रकाशित खबरों के अनुसार; रामसर सूचना पत्रक (Ramsar Information Sheets) पढ़े नहीं गए): भरतपुर में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो 1981 में लगभग 2,873 ha पर नामित हुआ; खारी झील सांभर झील, जो 1990 में लगभग 24,000 ha पर नामित हुई; और खीचन (फलोदी) और मेनार (उदयपुर), जो 4 जून 2025 को नामित हुए, जिनके बताए गए क्षेत्रफल परस्पर विरोधी हैं। उच्च न्यायालय ही वास्तविक नियामक है: स्वतः संज्ञान से कार्य करते हुए, उसने 1 जून 2026 को राज्य की आर्द्रभूमियों के जिलेवार सर्वेक्षण का आदेश दिया, जिनकी लगभग 46,748 इकाइयाँ बताई गई हैं (जैसा न्यायालय ने उद्धृत किया), और निर्देश दिया कि "चिह्नित आर्द्रभूमियों का आगे कोई अतिक्रमण, भूमि-उद्धार, कचरा डालना, भराई, निर्माण गतिविधि या उनकी भौतिक सीमाओं में परिवर्तन नहीं" ("no further encroachment, reclamation, dumping, filling, construction activity or alteration of the physical boundaries of identified wetlands") होगा, और यह कि कोई अनुपचारित सीवेज, नगरपालिका अपशिष्ट,

औद्योगिक बहिःस्राव या निर्माण मलबा "आर्द्रभूमियों या उनके जलग्रहण क्षेत्रों में" ("into wetlands or their catchment areas") नहीं छोड़ा जाएगा; और बताया गया है कि 2026 में उदयपुर की झीलों पर एक मामले (C.W. 12630/2026) में उसने चिह्नित झील, नहर और जलग्रहण क्षेत्रों में भराई, कचरा डालने और निर्माण पर रोक लगाई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। अजमेर में, राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने 2023 में पाया कि आना सागर के तल और किनारे पर बने एक पार्क और अन्य कार्यों ने आर्द्रभूमि नियम, 2017 का उल्लंघन किया, और उन्हें हटाने का आदेश दिया; उच्चतम न्यायालय ने रोक लगाने से इनकार किया, मार्च 2025 में उन्हें फिर से बनाने की योजना अस्वीकार की, और 12 सितंबर 2025 को ध्वस्तीकरण शुरू हुआ, जबकि राज्य ने झील को आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचित कराने का वचन दिया (सभी प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इसलिए किसी रामसर स्थल या अधिसूचित आर्द्रभूमि में या उसके निकट किसी ड्रेन आउटफॉल, गाद निकालने, मोड़ या गेट प्रचालन के लिए, जहाँ अधिसूचना या नियम उसे विनियमित करते हैं, आर्द्रभूमि प्राधिकरण की अनुमति, और उच्च न्यायालय और अधिकरण के निर्देशों का अनुपालन, और साथ ही इस अध्याय का अनुपालन भी आवश्यक है; जो तालाब और झीलें अधिसूचित नहीं हैं, उनके लिए यह अध्याय, झील अधिनियम, 2015 और राजस्व और नगरपालिका विधि ही एकमात्र नियंत्रण हैं। खंड 7.12.2 एक विशिष्ट जोखिम को लक्षित करता है: किसी दलदल के पास बाढ़ से राहत के लिए बनाई गई ड्रेनें स्वयं दलदल का पानी निकाल सकती हैं, और एक बार सूख जाने पर उस पर अतिक्रमण हो जाता है। सीवेज नालों के माध्यम से राजस्थान की झीलों, नदियों और आर्द्रभूमियों तक पहुँचता है (खंड 8.9, भाष्य)। जोधपुर में, उच्चतम न्यायालय ने नवंबर 2025 में अभिलिखित किया कि शहर लगभग 120 MLD की विद्यमान शोधन क्षमता के विरुद्ध लगभग 230 MLD सीवेज उत्पन्न करता है, और यह कि जोजरी में "शोधित और अनुपचारित सीवेज छोड़ा जाता है" ("Treated and untreated sewage is discharged"), और मार्च 2026 में अभिलिखित किया कि शोधन लगभग 175 MLD तक सीमित था, अर्थात् लगभग 55 MLD का अंतर, और बहिःस्राव छिपी पाइपलाइनों और वर्षा जल ड्रेनों से होकर नदी तक पहुँच रहा था; जयपुर के अनुप्रवाह की ओर, 2026 में मोरेल डैम पर लिए गए नमूनों ने "सीवेज और/या औद्योगिक बहिःस्रावों की संभावित उपस्थिति का संकेत दिया" ("indicated the possible presence of sewage and/or industrial effluents") (उच्चतम न्यायालय, 7 अगस्त 2026)। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया है कि कोई अनुपचारित सीवेज राज्य की आर्द्रभूमियों या उनके जलग्रहण क्षेत्रों तक (1 जून 2026) या उदयपुर की झीलों तक (2026, प्रकाशित खबरों के अनुसार) न पहुँचे। इसलिए खंड 7.10.6(d) और 7.12.3 की अपेक्षाएँ अभी अनेक विद्यमान आउटफॉलों द्वारा पूरी नहीं की जा सकतीं। राजस्थान में वे प्रत्येक नए आउटफॉल पर पूर्ण रूप से लागू होती हैं, और किसी झील, तालाब, आर्द्रभूमि या नदी में गिरने वाला प्रत्येक विद्यमान आउटफॉल, जो शुष्क मौसम प्रवाह ले जाता है, अपने स्रोत हटाए जाने तक खंड 8.9.4 और 8.9.5 के वार्षिक सर्वेक्षण और अवरोधन के अंतर्गत आता है।

7.13 अतिक्रमण से संबंध

7.13.1 **सीमा.** इस मैनुअल के अंतर्गत डिजाइन के लिए, किसी जलाशय की सीमा उसकी राजस्व अभिलेख सीमा और उसके सर्वेक्षित FTL (या किनारे के शीर्ष) में से बड़ी है, जैसा खंड 7.3.3 में है। सेटबैक उसी सीमा से मापे जाते हैं।

7.13.2 **अतिक्रमित भूमि पर निर्भरता नहीं.** कोई डिजाइन:

- (a) जलाशय की सीमा के भीतर अतिक्रमण से घिरी भूमि को भंडारण या वहन के रूप में नहीं गिनेगा, जब तक कि उसे हटाने का आदेश न दिया गया हो और उसके लिए धन उपलब्ध न कराया गया हो; या
- (b) किसी चैनल की अतिक्रमित चौड़ाई को उसकी डिजाइन चौड़ाई नहीं मानेगा।

7.13.3 **अतिक्रमित भागों (reaches) में लोक निर्माण कार्य.** जहाँ कोई सार्वजनिक जल निकासी कार्य किसी अतिक्रमित भाग से होकर गुजरता है:

- (a) उसे जलाशय की पूरी चौड़ाई (खंड 7.13.1) के लिए डिजाइन किया जाएगा;
- (b) जहाँ कार्य बनाए जाने से पहले पूरी चौड़ाई खाली नहीं कराई जा सकती, वहाँ डिजाइन रिपोर्ट में अंतरिम क्षमता और उसके खाली होने तक के बाढ़ जोखिम का उल्लेख किया जाएगा; और
- (c) कार्य इस प्रकार बनाया जाएगा कि पूरी चौड़ाई बाद में उसे दोबारा बनाए बिना पुनर्स्थापित की जा सके।

7.13.4 **सीमा का चिह्नांकन.** किसी जलाशय से सटा प्रत्येक विकास, समापन प्रमाण-पत्र से पहले:

- (a) जोन 1 के बाहरी किनारे को जमीन पर 30 m से अधिक के अंतराल पर और दिशा के प्रत्येक परिवर्तन पर स्थायी सर्वेक्षण चिह्नों से चिह्नित करेगा; और
- (b) सेटबैक जोनों को अनुमोदित लेआउट योजना पर और सेटबैक भूमि वाले प्रत्येक भूखंड के विक्रय दस्तावेजों में दर्शाएगा।

7.13.5 **प्रतिधारक दीवारें.** भूमि की रक्षा या उसे पुनः प्राप्त करने के लिए किसी जलाशय के किनारे, जोन 1 के भीतर, कोई प्रतिधारक दीवार, बाँध या तटबंध नहीं बनाया जाएगा, सिवाय अभिरक्षक के अनुमोदन से विद्यमान सार्वजनिक अवसंरचना की रक्षा के लिए।

> **भाष्य.** राजस्थान में तालाबों, नालों और उनके जलग्रहण क्षेत्रों को भरने और उनमें निर्माण पर मुख्य नियंत्रण राजस्व विधि और न्यायालय हैं। चरागाह भूमि में और, प्रकाशित खबरों के अनुसार, तालाब और नदी के तलों में खातेदारी (khatedari) अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 16), और उच्च न्यायालय ने 2012 में निर्देश दिया कि धारा 16 की अवहेलना में "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर" ("Johar, Nala, Tank, River, Pond") के जलग्रहण क्षेत्रों में किए गए भूमि आवंटन रद्द किए जाएँ (उद्धृत रूप में)। रामगढ़ के जलग्रहण क्षेत्र में उच्च न्यायालय ने 2011 में आदेश दिया कि अतिक्रमण "ताकि 15.08.1947 को विद्यमान स्थिति बहाल हो सके" ("so as to restore the position as was existing on 15.08.1947") हटाए जाएँ; उच्चतम न्यायालय ने, यह पाते हुए कि "वर्षों में जमीन पर कुछ भी ठोस प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता" ("nothing substantive appears to have been achieved on the ground over the years"), जलग्रहण क्षेत्र की 8,125 m² भूमि पर अतिक्रमण करने वाले एक विश्वविद्यालय की दो याचिकाओं में से प्रत्येक पर ₹10 लाख का हर्जाना लगाया और JDA को अतिक्रमण ध्वस्त करने का निर्देश दिया (*National Institute of Medical Science University*, 9 नवंबर 2017)। 2026 में उच्च न्यायालय ने गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि पर बनी एक सड़क और एक श्मशान को हटाने और भूमि को बहाल करने का आदेश दिया (*Ramji Lal Saini*)। बताया गया है कि उच्चतम न्यायालय ने 2022 में उच्च न्यायालय के जलग्रहण क्षेत्र संबंधी आदेशों का अर्थ वास्तविक जलग्रहण क्षेत्रों की रक्षा के उद्देश्य से लगाया, न कि राजस्व अभिलेखों में गलत प्रविष्टियों को बनाए रखने के उद्देश्य से (*State of Rajasthan v. Ultratech Cement*, सारांश के अनुसार; निर्णय पढ़ा नहीं गया)। झील अधिनियम, 2015 झील विकास प्राधिकरण को किसी झील के संरक्षित क्षेत्र या बहाव क्षेत्र में किसी भवन या बाधा को हटाने की शक्ति देता है (धारा 6(2)), और अजमेर में आना सागर पर बने कार्य राष्ट्रीय हरित अधिकरण और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत ध्वस्त किए गए हैं (2023 से 2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। नगरों में, सार्वजनिक तालाब नगरपालिका में न्यासी के रूप में निहित होते हैं (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68), पर उनके उपयोग-परिवर्तन पर कोई स्पष्ट रोक नहीं देखी गई; यह मैनुअल अभिलिखित तालाब को, और उसके आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) और प्रवाह मार्गों को, जल निकासी अवसंरचना मानता है (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ)। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956, तालाब-तल की भूमि और भू-उपयोग परिवर्तन (conversion) संबंधी उसके नियम, और विकास प्राधिकरण अधिनियमों की अतिक्रमण संबंधी धाराएँ इस मैनुअल के लिए पढ़ी नहीं गईं। यह मैनुअल किसी को बेदखल नहीं कर सकता। यह डिजाइनों को अतिक्रमण को स्थायी मानने से रोक सकता है (खंड 7.13.2), लोक निर्माण कार्यों को पूरी चौड़ाई तक पुनर्स्थापित किए जाने योग्य बना सकता है (खंड 7.13.3), और सेटबैक को जमीन पर और संपत्ति दस्तावेजों में दृश्य बना सकता है ताकि नए क्रेता जानें कि वह विद्यमान है (खंड 7.13.4)। 30 m का चिह्न-अंतराल इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

7.14 तालाब के बाँधों और तटबंधों की सुरक्षा

7.14.1 **बाँध सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जाँच.** प्रत्येक तालाब के लिए, और इस मैनुअल के अंतर्गत बनाए गए या परिवर्तित प्रत्येक तटबंध के लिए, डिजाइनकर्ता यह निर्धारित करेगा कि क्या वह बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021) के अंतर्गत "विनिर्दिष्ट डैम" ("specified dam") है। अधिनियम के अंतर्गत, विनिर्दिष्ट डैम वह डैम है जो:

- (a) सामान्य नींव क्षेत्र के सबसे निचले बिंदु से डैम के शीर्ष तक मापने पर 15 m से अधिक ऊँचा हो; या

- (b) 10 m और 15 m के बीच ऊँचा हो, जहाँ शिखर की लंबाई 500 m से कम न हो, या जलाशय की क्षमता दस लाख m^3 से कम न हो, या डैम द्वारा सँभाली जाने वाली अधिकतम बाढ़ प्रवाह दर 2,000 m^3/s से कम न हो, या डैम की नींव से संबंधित विशेष रूप से कठिन समस्याएँ हों, या डैम असामान्य डिजाइन का हो।

जहाँ वह विनिर्दिष्ट डैम है, वहाँ इस मैनुअल के अतिरिक्त अधिनियम और राज्य डैम सुरक्षा संगठन की अपेक्षाएँ लागू होंगी।

7.14.2 **जोखिम वर्ग.** प्रत्येक तालाब के बाँध और अस्थायी भंडारण तटबंध को, जो विनिर्दिष्ट डैम नहीं है, एक जोखिम वर्ग दिया जाएगा:

- **उच्च जोखिम:** तटबंध टूटने से कोई आवास योग्य भवन, विद्यालय, अस्पताल, धमनी सड़क या महत्वपूर्ण अवसंरचना जलमग्न हो सकती है।
- **निम्न जोखिम:** कोई अन्य स्थिति।

7.14.3 **उच्च जोखिम वाले तटबंध.** उच्च जोखिम वाले तालाब के बाँधों और तटबंधों के लिए:

- (a) सरप्लस वियर या स्पिलवे खंड 7.7.4(b) के फ्रीबोर्ड के साथ MWL पर 1% AEP अंतर्वाह पार कराएगा, और बाँध के ऊपर से बहे बिना 0.2% AEP (500-वर्ष) अंतर्वाह के लिए उसकी जाँच की जाएगी (जैसा अध्याय 4 में अस्थायी भंडारण बेसिनों के लिए है);
- (b) तटबंध टूटने का विश्लेषण (breach analysis) MWL पर तटबंध टूटने से जलमग्न होने वाले क्षेत्र का मानचित्र बनाएगा;
- (c) तटबंध टूटने से प्रभावित क्षेत्र के लिए चेतावनी और निष्क्रमण व्यवस्थाओं के साथ एक आपातकालीन कार्य योजना (emergency action plan) तैयार की जाएगी; और
- (d) खंड 10.6 के अंतर्गत डिजाइन प्रमाणित किया जाएगा और उसकी स्वतंत्र जाँच की जाएगी।

7.14.4 **निरीक्षण.** जिस भी तालाब का भंडारण खंड 7.7 के अंतर्गत गिना जाता है, और प्रत्येक उच्च जोखिम वाले तटबंध का, दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले (15 जून तक) और प्रत्येक भारी वर्षा की घटना के बाद (अध्याय 10) रिसाव, खिसकाव, दरारों, जानवरों के बिलों, बाँध पर पेड़ों, और वियर तथा स्लूइसों के अवरोध के लिए निरीक्षण किया जाएगा।

7.14.5 **अनधिकृत कटान नहीं.** कोई व्यक्ति बाढ़ के दौरान अभिरक्षक की आपातकालीन प्रक्रिया के सिवाय किसी तालाब के बाँध या सरप्लस वियर को नहीं काटेगा, नीचा नहीं करेगा या नहीं तोड़ेगा।

> **भाष्य.** विनिर्दिष्ट डैम की परिभाषा बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का अधिनियम संख्या 41) से उद्धृत है। अधिनियम "डैम" ("dam") को नदियों या सहायक नदियों के आर-पार पानी रोकने या मोड़ने के लिए बनाई गई कृत्रिम बाधा के रूप में परिभाषित करता है। इसमें बाढ़ तटबंध, डाइक और गाइड बाँध शामिल नहीं हैं। अधिकांश तालाबों (talab), जोहड़ों (johad), नाडियों (nadi) और खड़ीनों (khadin) के बाँध नीचे होते हैं और उनसे उन्हें विनिर्दिष्ट डैम बनाए जाने की अपेक्षा नहीं है, पर प्रत्येक की खंड 7.14.1 के अंतर्गत जाँच की जाएगी। शहरी झीलों और नगरों के जलाशयों के डैम और बाँध, जैसे उदयपुर में पिछोला, फतह सागर और उदय सागर के, अजमेर में आना सागर के, जोधपुर में कायलाना और तख्त सागर के, और रामगढ़ बाँध, ऐसी ऊँचाइयों के हैं जो इस मैनुअल के लिए नहीं मिलीं; प्रत्येक की जाँच की जाएगी, और उनमें से बड़े विनिर्दिष्ट डैम हो सकते हैं। जहाँ किसी तालाब, सागर या शहरी झील का भंडारण खंड 7.7 के अंतर्गत गिना जाता है, वहाँ उसका बाँध या डैम खंड 7.14.2 के लिए तालाब का बाँध है, जब तक कि अधिनियम लागू न हो। जो तालाब का बाँध किसी नदी या सहायक नदी के आर-पार नहीं है, वह अधिनियम के अंतर्गत "डैम" ("dam") है या नहीं, यह उसके पाठ से स्पष्ट नहीं है। राजस्थान में नगरों के लिए महत्वपूर्ण डैम और बाँध शहरी झीलों के हैं, जैसे आना सागर और उदयपुर की झीलें, नगरों को पानी देने वाले जलाशयों के, जैसे जोधपुर में कायलाना और तख्त सागर, और उनके प्रतिप्रवाह के बैराजों और जलाशयों के, जैसे कोटा बैराज। सितंबर 2019 में कोटा बैराज ने अपने 19 में से 18 गेटों से लगभग 6.5 से 6.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा और कोटा में 5,000 से अधिक लोगों को बचाया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार); अजमेर में आना सागर के एस्केप चैनल के गेट खोले जाने से चैनल के किनारे की कॉलोनियाँ जलमग्न हुई हैं (2024 और 2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। किसी शहरी झील के बाँध या तालाब के बाँध के लिए तटबंध टूटने का कोई मानचित्र या आपातकालीन कार्य योजना नहीं मिली। विफल हुआ या ऊपर से बहा झील का बाँध उसके नीचे की कॉलोनियों को जलमग्न कर देता है, और बिना घोषणा के छोड़ा गया पानी भी उन्हें जलमग्न कर देता है, इसीलिए खंड 7.14.3 उच्च जोखिम वाले तटबंधों के लिए तटबंध टूटने के मानचित्रण और आपातकालीन कार्य योजना की अपेक्षा करता है। उच्च जोखिम वाले तालाबों के लिए जोखिम वर्ग, तटबंध टूटने का विश्लेषण और

> आपातकालीन कार्य योजना इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। वे अस्थायी भंडारण बेसिनों के लिए अध्याय 4 की अपेक्षा (आउटलेट अवरुद्ध होने पर 1% AEP स्पिलवे, उच्च जोखिम वाले बेसिनों के लिए 0.2% AEP) को उन तालाबों तक विस्तारित करते हैं जिन्हें डिजाइन भंडारण के रूप में गिना जाता है।

7.15 प्रस्तुति की अपेक्षाएँ

खंड 7.1.2 के अंतर्गत किसी विकास या कार्य की प्रत्येक जल निकासी रिपोर्ट में निम्नलिखित शामिल होंगे:

1. खंड 7.3.2 के अंतर्गत **जलाशय पत्रक (प्रपत्र 7-1)**, सेटबैक जोनों और उनके आधार (मानचित्रित विस्तार, हाइड्रोलिक अध्ययन या नियत चौड़ाई) के साथ;
2. जहाँ खंड 7.3.4 अपेक्षा करता है, वहाँ 1% AEP विस्तार और बाढ़ मार्ग का हाइड्रोलिक अध्ययन;
3. जहाँ बाढ़ सीमांत क्षेत्र में भराई प्रस्तावित है, वहाँ ऊँचाई पट्टी के अनुसार **प्रतिपूरक भंडारण गणना (प्रपत्र 7-3)**;
4. गिने जाने वाले किसी भी तालाब भंडारण के लिए: **तालाब भंडारण क्रेडिट पत्रक (प्रपत्र 7-2)**, खंड 7.7.1 के सर्वेक्षण, जल स्तर–भंडारण वक्र, प्रचालन नियम, शृंखला मॉडल के परिणामों और अभिरक्षक की सहमति के साथ;
5. जोन 1 में किसी क्रॉसिंग, आउटफॉल या कार्य के लिए: अभिरक्षक का NOC और खंड 7.6.2 या 7.10.3 का हाइड्रोलिक विश्लेषण;
6. पुनर्स्थापन या गाद निकालने के लिए: खंड 7.9 का कार्य-पूर्व सर्वेक्षण, गाद परीक्षण और जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट; और
7. किसी भी तटबंध के लिए: खंड 7.14 की बाँध सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जाँच और जोखिम वर्ग।

7.16 समीक्षा और अद्यतन

7.16.1 इस अध्याय की समीक्षा मैनुअल के शेष भाग के साथ की जाएगी (अध्याय 1)। खंड 7.4.6 की नियत-चौड़ाई तालिका की समीक्षा प्राधिकारी द्वारा अपने क्षेत्र के लिए 1% AEP बाढ़ मानचित्र अंगीकार किए जाने के 2 वर्ष के भीतर भी की जाएगी।

7.16.2 जहाँ प्राधिकारी नए 1% AEP बाढ़ मानचित्र अंगीकार करता है, वहाँ वे अंगीकरण के **6 माह** बाद की नई प्रस्तुतियों पर लागू होंगे, जब तक कि प्राधिकारी अन्यथा अधिसूचित न करे।

संदर्भ (अध्याय)

- Government of Rajasthan, Urban Development and Housing Department. Model Rajasthan Building Regulations, 2025 (मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025), with the order No. P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025 of 12 May 2025 (विनियम 6.6, 8.1, 8.3 और 18, और अनुसूची 2; प्रत्येक नगरीय निकाय द्वारा राजपत्र में अपने प्रकाशन से प्रवृत्त, तिथि जो शहर-दर-शहर भिन्न है [TBC]; तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया)। https://frontdesk.co.in/wp-content/uploads/2025/05/Order-Modal-Building-Bye-Laws-2025.pdf
- Jaipur Development Authority. Jaipur Region Building Regulations, 2020, Rajasthan Gazette (Extraordinary) Part 6(ख), 7 January 2021 (विनियम 10.4 और 10.11 और अनुलग्नक 4; पूर्ववर्ती पाठ)। http://web.archive.org/web/2023id_/https://urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/lsgs/lsg-jaipur/onlineservices/BUILDING%20BYE%20LAWS%202020.pdf
- Government of Rajasthan. Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act 18 of 2009) (धारा 45, 68, 200, 202, 204 (केवल शीर्षक), 213 और 238), तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया; संशोधन जाँचे नहीं गए। https://lawgist.in/states/rajasthan/rajasthan-municipalities-act-2009
- Government of Rajasthan. Rajasthan Lakes (Protection and Development) Authority Bill, 2015 (2015 का विधेयक संख्या 11, प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद) (धारा 1–6 और 27); 25 जनवरी 2015 से प्रवृत्त माना गया अधिनियमित अधिनियम पढ़ा नहीं गया, और उसके अंतर्गत कोई अधिसूचना नहीं मिली। https://www.ielrc.org/Content/e1501.pdf
- Government of Rajasthan. Rajasthan Tenancy Act, 1955 (धारा 16, 2017 में उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्धृत रूप में और द्वितीयक स्रोतों के सारांश के अनुसार); Rajasthan Land Revenue Act, 1956 और Rajasthan Land Revenue (Allotment of Tank-bed Lands for Cultivation) Rules, 1961 (केवल शीर्षक; पढ़े नहीं गए)।
- Rajasthan High Court. *Abdul Rahman v. State of Rajasthan*, D.B. C.W.P. 1536/2003, 2 अगस्त 2004 का निर्णय; *Suo Motu v. State of Rajasthan*, S.B.C.W.P. 11153/2011, 23 अगस्त 2011 और 29 मई 2012 के आदेश; *Gulab Kothari v. State of Rajasthan*, D.B. C.W.P. 1554/2004, 12 जनवरी 2017 का आदेश (सभी नीचे के निर्णयों में उद्धृत या सारांशित रूप में; पूरा पढ़ा नहीं गया)।
- Rajasthan High Court. *Ramji Lal Saini v. State of Rajasthan*, D.B. C.W.P. (PIL) 6614/2021, 7 मई 2026 का आदेश [2026:RJ-JP:19286-DB]। https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/05/22/ramji-lal-675710.pdf
- Rajasthan High Court (Jodhpur). Suo motu, *In re: Protection, Conservation and Notification of Wetlands in the State of Rajasthan*, 1 जून 2026 का आदेश। https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/06/05/suot-motu-wetlands-uploaded-678250.pdf
- Supreme Court of India. *National Institute of Medical Science University v. State of Rajasthan*, S.L.P. (C) 38040-38041 of 2012, 9 नवंबर 2017 का निर्णय। https://hcraj.nic.in/sci/2012/1-38041-2012_2017-11-09.pdf
- Supreme Court of India. *In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*, Suo Motu W.P. (C) 8 of 2025: निर्णय, 21 नवंबर 2025 (2025 INSC 1341), https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_3_50_66079_Judgement_21-Nov-2025.pdf ; 18 मार्च 2026 (2026 INSC 316), https://www.verdictum.in/pdf_upload/2026/04/07/53967202523569419judgement18-mar-2026watermark-1775389.pdf ; और 7 अगस्त 2026 (2026 INSC 812), https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_2_58_72891_Judgement_07-Aug-2026.pdf ; 24 अगस्त 2026 का अंतरिम आदेश (प्रकाशित खबरों के अनुसार; पढ़ा नहीं गया)।
- Jaipur Development Authority. Dravyavati River Rejuvenation Project, EIA/EMP, Chapter 2 (Phase II). https://environmentclearance.nic.in/writereaddata/FormB/EC/FORM_1/170520176S4VOAIDChapter-2.pdf

- Gupta, H. N. and Jindal, O. P. (1987). Unprecedented heavy rainfall in Jaipur (Rajasthan) during 18–20 July 1981. *Mausam* 38(3): 362–364. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3120
- India Meteorological Department (2020). New normal dates of onset and withdrawal of the southwest monsoon. https://internal.imd.gov.in/press_release/20200515_pr_804.pdf ; India Meteorological Department (2010). *Climate of Rajasthan* (Series No. 16; 1951–2000 के जिला सामान्य मान और अधिक वर्षा वाले वर्ष)। https://imdpune.gov.in/library/public/Climate%20of%20Rajashtan.pdf
- Government of India. The Dam Safety Act, 2021 (Act 41 of 2021) (बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021)। https://www.casemine.com/act/in/626f9167714d58ef62b50d09 ; CWC, Specified Dam. https://rrssd.cwc.gov.in/specified-dam
- MoHUA (2015). Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI) Guidelines, Vol I. https://web.archive.org/web/2022/https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/URDPFI%20Guidelines%20Vol%20I(2).pdf
- Mid-America Regional Council (2025). APWA Stormwater Standards Supplement (Section 5600, Version 2025.01). https://www.marc.org/document/apwa-stormwater-standards-supplement
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities (§5605.3 stream buffers). https://www.kcwater.us/wp-content/uploads/2020/08/Design-Criteria-%E2%80%93-Section-5600-%E2%80%93-Storm-Drainage-Systems-and-Facilities.pdf
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2008). Submission Checklist for Stormwater Management. https://www.water.gov.my/jps/resources/auto%20download%20images/5844dfbba8fc1.pdf
- बाढ़ों, झीलों और गेट प्रचालन की रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत): बाड़मेर पर Down To Earth, Dawn और The Daily Star (अगस्त 2006); उदयपुर पर OneIndia और the Udaipur Times (अगस्त 2006 और बाद में); कोटा बैराज से छोड़े गए पानी (सितंबर 2019) और 14 सितंबर 2019 के CWC बाढ़ बुलेटिन की रिपोर्टें; अजमेर में आना सागर के एस्केप चैनल पर ANI और the Free Press Journal (सितंबर 2024 और जुलाई 2025); राज्य के मानसून नियंत्रण कक्षों पर ThePrint (2025)।
- झीलों, न्यायालयों और आर्द्रभूमियों की रिपोर्टें (द्वितीयक स्रोत): उदयपुर की झीलों और निर्माण-निषिद्ध जोन पर Down To Earth; फतह सागर के जलग्रहण क्षेत्र पर the Udaipur Times (नवंबर 2025); उदयपुर की झीलों के स्वतः संज्ञान मामले, C.W. 12630/2026, पर Verdictum (10 जून 2026); आना सागर पर ThePrint, The Week और LawChakra (2023–2025); *Alok Gupta v. State* पर LiveLaw (27 जुलाई 2026); 24 अगस्त 2026 के जोजरी अंतरिम आदेश पर PTI और ThePrint; राजस्थान में अधिसूचित आर्द्रभूमियों पर SANDRP (जनवरी 2026); झील विधेयक के पारित होने पर Business Standard (21 मार्च 2015), https://www.business-standard.com/article/news-ians/bill-to-conserve-rajasthan-s-lakes-passed-115032100616_1.html
- Ramsar sites of India (सूची, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। https://indianwetlands.in/wetlands-overview/indias-wetlands-of-international-importance/
- Platts, J. T. (1884). *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English*. London: W. H. Allen; और Dasa, Syamasundara (1965–1975). *Hindi Shabdasagara* (श्यामसुंदर दास, *हिंदी शब्दसागर*). Kashi: Nagari Pracarini Sabha; दोनों Digital South Asia Library, University of Chicago पर ऑनलाइन (देखा गया 7 नवंबर 2026)। https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/platts/ ; https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/dasa-hindi/
- Government of India. Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017 (आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017); Coastal Regulation Zone Notification, 2019।

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय
7A	राज्यव्यापी जलाशय GIS परत और सूची के क्षेत्र
7B	नियत-चौड़ाई सेटबैक तालिका (विकल्प S-3, परिशिष्ट 1C के साथ)
7C	तालाब प्रचालन नियम का टेम्पलेट, बाढ़ कुशन सहित
7D	गाद निकालने और पुनर्स्थापन का विनिर्देश
7E	जलाशयों के हिन्दी और राजस्थानी शब्दों तथा क्षेत्रीय रूपों की शब्दावली
प्रपत्र 7-1	जलाशय पत्रक
प्रपत्र 7-2	तालाब भंडारण क्रेडिट पत्रक
प्रपत्र 7-3	प्रतिपूरक भंडारण गणना (ऊँचाई पट्टी के अनुसार)

अध्याय 8

जल गुणवत्ता और पुनर्भरण

8.1 उद्देश्य और विस्तार

8.1.1 यह अध्याय किसी साइट या सार्वजनिक जल निकासी प्रणाली से निकलने वाले वर्षा जल (stormwater) की गुणवत्ता और भूजल पुनर्भरण (recharge) के लिए अपेक्षाएँ निर्धारित करता है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (a) जल गुणवत्ता आयतन (WQv) और जल गुणवत्ता के लिए डिजाइन प्रवाह;
- (b) उपचार शृंखला (treatment train), और सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियों (BMP) का चयन और डिजाइन;
- (c) अंतःस्यंदन (infiltration) और भूजल पुनर्भरण के मानदंड;
- (d) वर्षा जल ड्रेन से सीवेज (sewage) और शुष्क मौसम प्रवाह (DWF) को बाहर रखना;
- (e) जलाशयों में गिरने वाले आउटफॉल पर स्थूल प्रदूषक जाल (GPT), प्रथम प्रवाह (first flush) उपचार और जालियाँ;
- (f) वर्षा जल संचयन (RWH) का प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण के साथ तालमेल;
- (g) निर्माण के दौरान अपरदन और तलछट नियंत्रण; और
- (h) निगरानी (monitoring)।

8.1.2 यह अध्याय ऐसे प्रत्येक विकास और लोक निर्माण कार्य पर लागू होता है जिस पर अध्याय 4 लागू होता है (अध्याय 1)। खंड 8.9 (सीवेज) और 8.12 (निर्माण के दौरान अपरदन और तलछट नियंत्रण) ऐसे प्रत्येक विकास पर, जिसके लिए भवन अनुमति या लेआउट अनुमोदन आवश्यक है, और प्रत्येक सार्वजनिक जल निकासी कार्य पर, उसके आकार की परवाह किए बिना, लागू होते हैं।

8.1.3 अध्याय 4 के अंतर्गत प्रतिधारण (retention) जल गुणवत्ता नियंत्रण का पहला और पसंदीदा रूप है। साइट पर रोका गया अपवाह पूरी तरह उपचारित माना जाता है। इस अध्याय का शेष भाग WQv के उस अंश पर लागू होता है जो रोका नहीं गया है।

> **भाष्य.** CPHEEO (2019) एकमात्र भारतीय मैनुअल है जो वर्षा जल की गुणवत्ता को कुछ विस्तार से समझाता है। इसका अध्याय 9 अमेरिका की घटना माध्य सांद्रताएँ (event mean concentrations) उद्धृत करता है, परंतु सावधान करता है कि "भारतीय संदर्भ में ये मान कहीं अधिक होंगे" ("in an Indian context the values would be much higher"), क्योंकि ड्रेन में मानव मल (night soil), मूत्र और खाद्य अपशिष्ट आते हैं, और वह कोई भारतीय संख्यात्मक मानदंड निर्धारित नहीं करता (CPHEEO 2019, Part A §9.5)। इसका अध्याय 10 जल-संवेदी शहरी डिजाइन, LID और SuDS उपचार शृंखलाओं का वर्णन करता है (CPHEEO 2019, Part A Ch. 10)। यह अध्याय उस मार्गदर्शन को अपेक्षाओं में बदलता है। यह MARC/APWA BMP Manual (2012) की उपचार पद्धति का अनुसरण करता है, जो अब APWA 5600 (2025.01) में मिला दिया गया है, और उष्णकटिबंधीय और अमेरिकी तुलना-मानकों के रूप में मलेशिया की 3-माह ARI जल गुणवत्ता वर्षा घटना (MSMA 2, 2012) और जॉर्जिया के जल गुणवत्ता आयतन (GSMM, 2016) को लेता है।

8.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
जल गुणवत्ता आयतन (WQv)	अपवाह का वह आयतन जिसे रोकना या उपचारित करना आवश्यक है, जो जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराई से निकाला जाता है (खंड 8.4)।
जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराई (P_wq)	प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (परिशिष्ट 2E, खंड 2.10) और 24-घंटे की 3-माह ARI गहराई (परिशिष्ट 8A) में से जो अधिक हो।
3-माह ARI गहराई	24-घंटे की वह वर्षा गहराई जो औसतन वर्ष में चार बार बराबर होती है या पार होती है, जो दीर्घकालिक दैनिक अभिलेख की आंशिक-अवधि श्रृंखला से निकाली जाती है।
जल गुणवत्ता के लिए डिजाइन प्रवाह (Q_wq)	3-माह ARI वर्षा घटना से चरम प्रवाह, जिसका उपयोग प्रवाही युक्तियों (flow-through devices) और विपथन संरचनाओं के आकार निर्धारण में किया जाता है (खंड 8.4.5)।
WQv के लिए अपवाह गुणांक (Rv)	छोटी वर्षा घटनाओं के लिए आयतनी अपवाह गुणांक, Rv = 0.05 + 0.009·I।
BMP	सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धति (best management practice): कोई संरचनात्मक या गैर-संरचनात्मक उपाय जो प्रदूषक भार या अपवाह आयतन घटाता है।
उपचार श्रृंखला	स्रोत से साइट और क्षेत्रीय स्तर तक, क्रम में लगी दो या अधिक BMP (खंड 8.5)।
पूर्व-उपचार (pretreatment)	ऐसी BMP जो अपवाह के किसी फिल्टर या अंतःस्यंदन BMP तक पहुँचने से पहले मोटी तलछट, कचरा और तेल हटाती है।
प्रथम प्रवाह	अपवाह घटना का आरंभिक भाग, जिसमें सामान्यतः तलछट, कचरे और तेल की सांद्रता सबसे अधिक होती है।
स्थूल प्रदूषक जाल (GPT)	ऐसी युक्ति जो कचरा, प्लास्टिक, वनस्पति और मोटी तलछट, सामान्यतः लगभग 5 mm से बड़ी, पकड़ती है।
शुष्क मौसम प्रवाह (DWF)	किसी वर्षा जल ड्रेन में वह प्रवाह जब कम से कम 72 घंटे से वर्षा न हुई हो। पृथक वर्षा जल प्रणाली में DWF सीवेज, सलेज, भूजल के रिसाव या अवैध निस्सरण का प्रमाण है।
अवैध जुड़ाव (cross-connection)	कोई भी पाइप, चैनल या छिद्र जिससे सीवेज या सलेज (रसोई, स्नानघर और कपड़े धोने के स्थान का गंदा पानी) किसी वर्षा जल ड्रेन में प्रवेश करे।
अंतःस्यंदन सुविधा	ऐसी सुविधा जो अपवाह को भूमि की सतह के नीचे, या किसी गड्ढे में, संचित करने और मिट्टी में सोखने देने के लिए डिजाइन की गई हो: अंतःस्यंदन खाइयाँ और बेसिन, बिना लाइनर वाला बायोरिटेंशन, खुले आधार वाला पारगम्य पेवमेंट, सोख गड्ढे (soakaways), पुनर्भरण गड्ढे और पुनर्भरण कुएँ।
मौसमी उच्चतम भूजल स्तर	खंड 3.10.2 में परिभाषित अनुसार: दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु में उच्चतम स्तर।
हॉटस्पॉट (hotspot)	ऐसा भूमि उपयोग जिसमें रिसाव या दूषित अपवाह का उच्च जोखिम हो (खंड 8.8.8)।
सेवा स्तर (LoS) / मूल्य श्रेणी (VR)	खंड 8.6 की अंक प्रणाली, जो MARC/APWA BMP Manual (2012) से ली गई है।

8.3 उद्देश्य और चिंता के प्रदूषक

8.3.1 इस मैनुअल के अंतर्गत वर्षा जल उपचार का लक्ष्य होगा:

- (a) कचरा, प्लास्टिक और अन्य स्थूल प्रदूषकों को किसी जलाशय तक पहुँचने से पहले हटाना;
- (b) निलंबित तलछट को, और उस पर लदी धातुओं, पोषक तत्वों और तेल को, हटाना;

- (c) सीवेज और सलेज को वर्षा जल ड्रेन और जलाशयों से बाहर रखना;
- (d) जहाँ मिट्टी और भूजल की गहराई अनुमति दें, भूजल को प्रदूषित किए बिना उसका पुनर्भरण करना; और
- (e) निर्माण के दौरान अपरदन और तलछट के निस्सरण को रोकना।

8.3.2 डिजाइन में प्रत्येक साइट के लिए निम्नलिखित प्रदूषकों का, और जहाँ लागू हों वहाँ खंड 8.8.8 के हॉटस्पॉट प्रदूषकों का, समाधान किया जाएगा:

तालिका 8.1 — चिंता के प्रदूषक, स्रोत और प्राथमिक नियंत्रण

प्रदूषक	राजस्थान के नगरों में मुख्य स्रोत	प्राथमिक नियंत्रण
स्थूल प्रदूषक (प्लास्टिक, कचरा, वनस्पति)	सड़कें, बाजार, ड्रेन में खुले में कचरा फेंकना	स्रोत पर संग्रहण; GPT और जालियाँ (खंड 8.10)
निलंबित तलछट	निर्माण स्थल, कच्ची सड़कें और किनारे की पटरियाँ, सड़क की घिसाई, ड्रेन की गाद	अपरदन और तलछट नियंत्रण (खंड 8.12); पूर्व-उपचार; निस्यंदन
तेल, ग्रीस और ईंधन	सड़कें, पार्किंग, ईंधन स्टेशन, वर्कशॉप, बस डिपो	हॉटस्पॉट पर तेल-ग्रिट पृथक्कारी; बायोरिटेंशन
रोगाणु और कार्बनिक भार (BOD)	सीवेज और सलेज के अवैध जुड़ाव, पशु अपशिष्ट	बाहर रखना और DWF अवरोधन (खंड 8.9)
पोषक तत्व (N, P)	सीवेज, उर्वरक, खाद्य अपशिष्ट, डिटर्जेंट	बाहर रखना; बायोरिटेंशन; आर्द्रभूमि
भारी धातुएँ	सड़कें, छतें, औद्योगिक प्रांगण	निस्यंदन; अवसादन

> **भाष्य.** खंड 8.3 में स्थूल प्रदूषक और सीवेज सबसे पहले रखे गए हैं, क्योंकि राजस्थान में शहरी जलाशयों के प्रदूषण में इन्हीं का प्रभुत्व है, और क्योंकि यदि इन्हें हटाया न जाए तो कोई भी उपचार BMP लंबे समय तक काम नहीं करती। CPHEEO (2019) बताता है कि भारतीय ड्रेन मानव मल, मूत्र और खाद्य अपशिष्ट ले जाती हैं (Part A §9.5)। अपनी WSUD प्रक्रिया में वह TSS, कुल नाइट्रोजन, कुल फॉस्फोरस और स्थूल प्रदूषकों को मुख्य प्रदूषकों के रूप में सूचीबद्ध करता है (Part A Ch. 10)। AMRUT 2.0 "वर्षा जल ड्रेन के माध्यम से ऐसे जलाशय में जिसमें सीवेज/बहिःस्राव नहीं आ रहा हो" ("through storm water drains into water body"; "which is not receiving sewage/effluent") वर्षा जल के संचयन का वित्तपोषण करता है (लोक सभा अतारांकित प्रश्न AU1419), जो तभी काम करता है जब पहले सीवेज को ड्रेन से बाहर रखा जाए।

8.4 जल गुणवत्ता आयतन और डिजाइन प्रवाह

8.4.1 **जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराई.** जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराई है:

$$P_{wq} = \max(P_{ret}, P_{3m})$$

जहाँ:

- P_{ret} = साइट के जोन के लिए प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (परिशिष्ट 2E, खंड 2.10), mm; और
- P_{3m} = साइट के जोन के लिए 24-घंटे की 3-माह ARI गहराई (परिशिष्ट 8A), mm।

8.4.2 **जल गुणवत्ता आयतन.** WQv की गणना इस प्रकार की जाएगी:

> WQv = (P_wq / 1000) × Rv × A

जहाँ:

- WQv, m^3 में है;
- A = योगदान देने वाला क्षेत्र, m^2;
- Rv = 0.05 + 0.009·I; और
- I = खंड 3.9 के जुड़ाव नियमों के बाद, योगदान देने वाले क्षेत्र का अपारगम्य प्रतिशत (0–100)।

ऊपर दिए गए Rv रूप का उपयोग केवल 0.5 ha से कम की साइटों के लिए और टियर B सरलीकृत विधि (खंड 4.14) के अंतर्गत किया जा सकता है। यह वही सीमा है जो प्रतिधारण आयतन के लिए है (खंड 4.4.2)। अन्य सभी साइटों के लिए WQv की गणना SCS-CN विधि से की जाएगी, जैसे प्रतिधारण आयतन की की जाती है: WQv (m^3) = 10 × Q_wq × A, जहाँ Q_wq (mm) प्रत्येक उप-भाग के लिए P_wq से SCS-CN अपवाह है और A, ha में है।

8.4.3 **जलवायु गुणक.** खंड 2.8 का जलवायु गुणक P_wq पर लागू नहीं किया जाएगा। P_ret और P_3m सामान्य वर्षा के आवृत्ति सांख्यिकी मान हैं, AEP डिजाइन गहराइयाँ नहीं।

8.4.4 **प्रतिधारण द्वारा पूरा किया गया WQv.** अध्याय 4 के अंतर्गत साइट पर रोका गया आयतन WQv में पूरा गिना जाता है। जहाँ रोका गया आयतन WQv के बराबर या उससे अधिक है, वहाँ उस क्षेत्र के लिए किसी और उपचार की आवश्यकता नहीं है, सिवाय:

- (a) प्रत्येक प्रतिधारण सुविधा में आने वाले अंतर्वाह के पूर्व-उपचार के (खंड 8.5.3);
- (b) हॉटस्पॉट नियंत्रणों के (खंड 8.8.8); और
- (c) खंड 8.10 की आउटफॉल संबंधी अपेक्षाओं के, जहाँ साइट का पानी किसी जलाशय में गिरता है।

8.4.5 **जल गुणवत्ता के लिए डिजाइन प्रवाह.** प्रवाही युक्तियाँ (स्वेल, फिल्टर पट्टियाँ, तेल-ग्रिट पृथक्कारी, GPT) और ऑफ-लाइन BMP के लिए विपथन वियर, Q_wq के लिए आकारित किए जाएँगे। Q_wq की गणना योगदान देने वाले क्षेत्र के सांद्रण समय पर 3-माह ARI तीव्रता से की जाएगी:

- (a) रेशनल विधि से, जहाँ अध्याय 3 इसकी अनुमति देता है (कोई एकल तत्व जो 16 ha से अधिक की निकासी न करता हो); या
- (b) किसी हाइड्रोग्राफ विधि के चरम के रूप में, जिसमें खंड 2.9.1 के ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक कालिक वितरण के साथ 3-माह ARI 24-घंटे की गहराई ली जाती है।

8.4.6 **बाइपास.** Q_wq से अधिक प्रवाह, पहले से पकड़ी गई सामग्री को बहाए बिना, प्रवाही और ऑफ-लाइन उपचार युक्तियों को बाइपास करेंगे। बाइपास लघु या प्रमुख प्रणाली का भाग होगा (अध्याय 6)।

8.4.7 **खाली होने का समय.** जहाँ WQv को किसी विस्तारित अस्थायी भंडारण (extended detention) BMP (वेट पॉन्ड, निर्मित आर्द्रभूमि या शुष्क विस्तारित अस्थायी भंडारण बेसिन) में रोका जाता है, वहाँ उसे **24–48 घंटों** में छोड़ा जाएगा (अध्याय 4)।

> **भाष्य.** WQv की गहराई 3-माह ARI वर्षा घटना से अपवाह या प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई, इनमें से जो अधिक हो, है। 3-माह ARI मलेशिया की जल गुणवत्ता डिजाइन वर्षा घटना है (MSMA 2, 2012)। मलेशिया की 2008 की जाँच-सूची ने इसकी गहराई लगभग 40 mm बताई और कहा कि यह 24-घंटे की वर्षा घटनाओं के अपवाह आयतन का 90% या अधिक पकड़ती है (DID, 2008)। राजस्थान के मान की गणना की जानी है (परिशिष्ट 8A)। जॉर्जिया अपना WQv 1.2 इंच (लगभग 30 mm) से अपवाह के रूप में निर्धारित करता है, जो

औसत वर्ष में 85% वर्षा घटनाओं को समेटने वाली गहराई है, और विकास-पश्चात औसत वार्षिक TSS भार के 80% को हटाने की अपेक्षा करता है (GSMM 2016, Vol 1, Standard #4)। कैनसस सिटी की जल गुणवत्ता वर्षा घटना 1.37-इंच (लगभग 35 mm) की वह घटना है जो वर्ष में सभी 24-घंटे की वर्षा घटनाओं के अपवाह का 90% तक उत्पन्न करती है (MARC BMP Manual, 2012)।

Rv सूत्र MARC/APWA BMP Manual (2012) से है, जो Rv = 0.05 + 0.009·I के साथ WQv = P × Rv की गणना करता है। SCS कर्व नंबर के स्थान पर Rv का उपयोग इसलिए किया जाता है कि CN विधि पारगम्य भूमि पर छोटी वर्षा घटनाओं से अपवाह को बहुत कम आँकती है। जलवायु गुणक लागू न करने (खंड 8.4.3) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल ऐसा इसलिए करता है कि वह P_wq को प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई की तरह सामान्य वर्षा का एक सांख्यिकी मान मानता है। बड़े प्रवाहों का बाइपास और 24–48 घंटे में खाली होना अध्याय 4 के अनुसार है; MARC (2012) WQv के कम से कम 40 घंटे के विस्तारित अस्थायी भंडारण की अपेक्षा करता था।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. 80% अपारगम्य आवरण वाली 1.0 ha की साइट के लिए, 50 mm का P_wq मानते हुए:

- Rv = 0.05 + 0.009 × 80 = 0.77
- WQv = (50 / 1000) × 0.77 × 10,000 = 385 m^3

8.5 उपचार श्रृंखला और पूर्व-उपचार

8.5.1 **उपचार श्रृंखला.** जल गुणवत्ता नियंत्रण को चित्र 8.1 में दर्शाए गए क्रम में एक उपचार श्रृंखला के रूप में डिजाइन किया जाएगा:

- (a) भूखंड पर **स्रोत नियंत्रण**: छत के अपवाह को RWH में ले जाना, वर्षा उद्यान, पारगम्य पक्की सतह, अपारगम्य क्षेत्रों को असंबद्ध करना, और इनलेट पर गाद-जाल;
- (b) **साइट नियंत्रण**: बायोरिटेंशन, स्वेल, फिल्टर पट्टियाँ, अंतःस्यंदन, हॉटस्पॉट पर तेल-ग्रिट पृथक्कारी, वेट पॉन्ड और विस्तारित अस्थायी भंडारण; और
- (c) सार्वजनिक जल निकासी के लिए **क्षेत्रीय नियंत्रण**: आउटफॉल पर GPT और DWF इंटरसेप्टर, तालाबों के इनलेट पर निर्मित आर्द्रभूमि, और क्षेत्रीय तालाब।

8.5.2 कोई विकास (a) और (b) के माध्यम से साइट पर WQv पूरा करेगा। (c) के अंतर्गत क्षेत्रीय नियंत्रण किसी विकास के WQv में केवल तभी गिने जा सकते हैं जब उसी अपवाह का उपचार करने वाली क्षेत्रीय सुविधा किसी अधिसूचित बेसिन प्लान (खंड 7.11) के अंतर्गत बनाई जा चुकी हो।

8.5.3 **पूर्व-उपचार.** प्रत्येक बायोरिटेंशन सेल, अंतःस्यंदन सुविधा, बाहर से आने वाला अपवाह (run-on) प्राप्त करने वाले पारगम्य पेवमेंट, वेट पॉन्ड और निर्मित आर्द्रभूमि में प्रत्येक संकेंद्रित अंतर्वाह पर पूर्व-उपचार होगा। पूर्व-उपचार कोई तलछट फोरबे (forebay), घास फिल्टर पट्टी, गाद-जाल या स्वामित्वाधीन युक्ति होगी जो अपने योगदान देने वाले क्षेत्र के **WQv का कम से कम 10%** रोके, या प्रवाही युक्तियों के लिए Q_wq के लिए आकारित हो।

8.5.4 पूर्व-उपचार ऐसा होगा कि मुख्य BMP में प्रवेश किए या उसे छेड़े बिना उसकी सफाई की जा सके।

भाष्य. उपचार श्रृंखला CPHEEO (2019, Part A §10.2.3, SuDS उपचार श्रृंखला) और CIRIA C753 *The SuDS Manual* (2015) का अनुसरण करती है। यह इस मैनुअल की प्राथमिकताओं का क्रम भी है: संरक्षण, प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, वहन (अध्याय 1)। 10% फोरबे आयतन का कोई भारतीय पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह अमेरिकी मैनुअलों में फोरबे के आकार निर्धारण का एक सामान्य नियम है। राजस्थान में कच्ची पटरियाँ, निर्माण स्थल और ड्रेन की गाद भारी तलछट भार लाते हैं। पूर्व-उपचार के बिना बायोरिटेंशन और अंतःस्यंदन सुविधाएँ अवरुद्ध हो जाती हैं, प्रायः एक या दो वर्ष के भीतर।

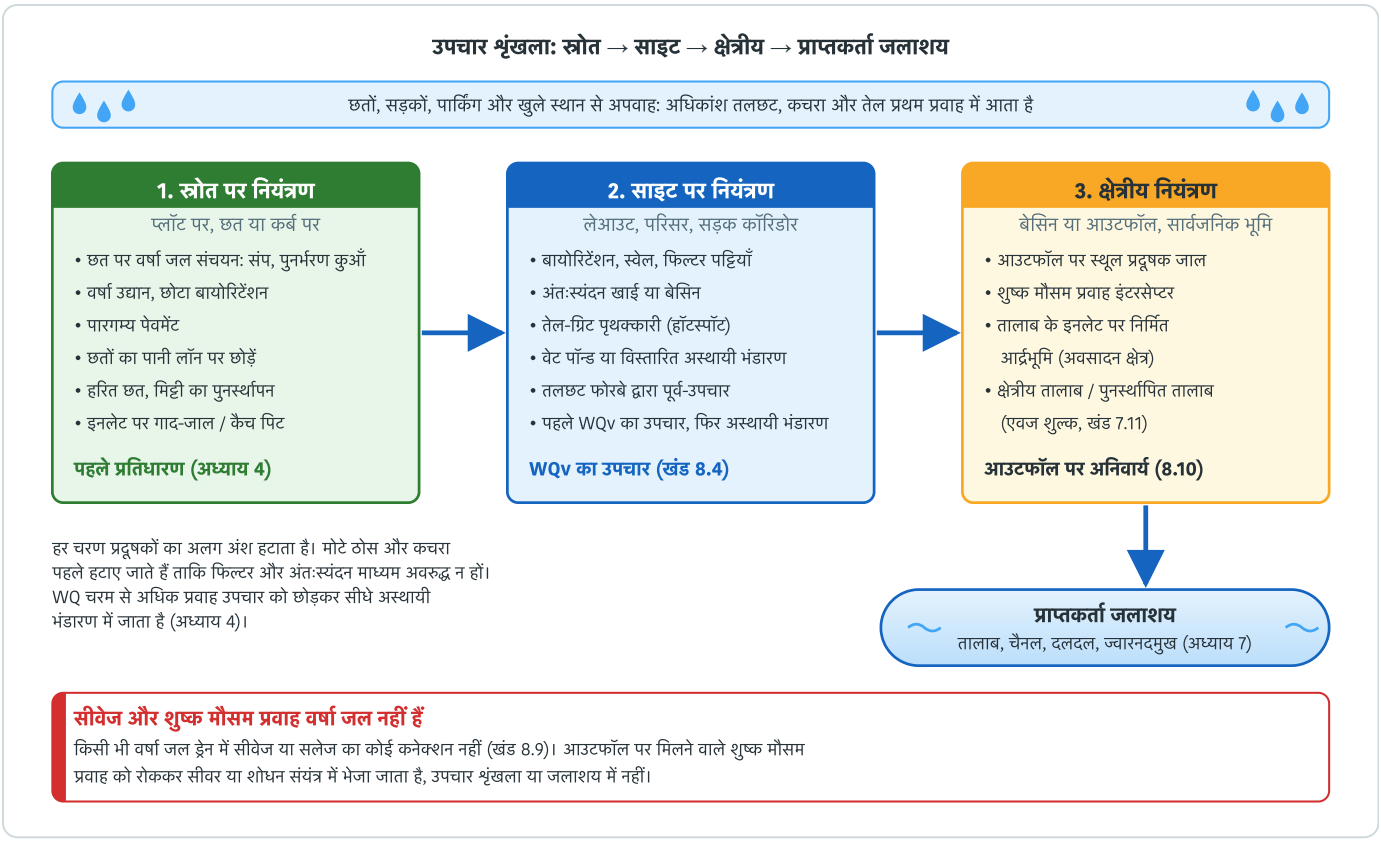

चित्र 8.1 — उपचार शृंखला: प्राप्तकर्ता जलाशय से पहले स्रोत, साइट और क्षेत्रीय नियंत्रण, सीवेज और शुष्क मौसम प्रवाह को प्रणाली से बाहर रखते हुए। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CIRIA, The SuDS Manual (C753), 2015, और MARC/APWA, Manual of Best Management Practices for Stormwater Quality, 2012 से अनुकूलित।

8.6 BMP का चयन: सेवा स्तर और मूल्य श्रेणी

8.6.1 **विधि.** टियर A क्षेत्रों में प्रत्येक साइट के लिए BMP का चयन इस खंड की सेवा स्तर (LoS) विधि से किया जाएगा। टियर B क्षेत्रों में खंड 8.6.5 का सरलीकृत मार्ग अपनाया जा सकता है।

8.6.2 **आवश्यक सेवा स्तर.** ऐसी साइट के लिए जो पुनर्विकास नहीं है, आवश्यक LoS विकास-पूर्व से विकास-पश्चात स्थिति तक कर्व नंबर में परिवर्तन (ΔCN) पर निर्भर करता है (अध्याय 3):

तालिका 8.2 — पुनर्विकास से भिन्न साइटों के लिए आवश्यक सेवा स्तर

ΔCN	प्रभाव	आवश्यक LoS
17 या अधिक	उच्च	8
7 से 16	मध्यम	7
4 से 6	निम्न	6
1 से 3	न्यूनतम	5

पुनर्विकास (साइट के 20% या अधिक पर विद्यमान अपारगम्य आवरण) के लिए आवश्यक LoS परिशिष्ट 8B से लिया जाएगा।

8.6.3 **मूल्य श्रेणी.** WQv का उपचार करने वाली प्रत्येक BMP की तालिका 8.3 से एक मूल्य श्रेणी (VR) होती है। साइट की संयुक्त VR, साइट के प्रत्येक भाग की सेवा करने वाली BMP की VR का क्षेत्र-भारित औसत है। उपचार शृंखलाओं को परिशिष्ट 8B के अंतर्गत संयुक्त VR मिलती है। संयुक्त VR आवश्यक LoS के बराबर या उससे अधिक होगी।

8.6.4 **मूल्य श्रेणी की शर्तें.** कोई BMP अपनी VR केवल तभी अर्जित करती है जब:

- (a) वह उसे क्रेडिट किए गए क्षेत्र के WQv (या प्रवाही युक्तियों के लिए Q_wq) के लिए आकारित हो;
- (b) वह खंड 8.7 की और, अंतःस्यंदन के लिए, खंड 8.8 की डिजाइन अपेक्षाएँ पूरी करे; और
- (c) उसमें खंड 8.5.3 के अंतर्गत पूर्व-उपचार हो।

8.6.5 **टियर B सरलीकृत मार्ग.** टियर B क्षेत्रों में, खंड 8.6.3 की अपेक्षा पूरी हुई मानी जाती है जहाँ साइट का पूरा WQv या तो:

- (a) अध्याय 4 के अंतर्गत साइट पर रोका जाता है; या
- (b) खंड 8.7 और 8.8 के अंतर्गत डिजाइन किए गए, पूर्व-उपचार सहित, किसी बायोरिटेंशन सेल, वर्षा उद्यान या अंतःस्यंदन सुविधा द्वारा उपचारित किया जाता है।

तालिका 8.3 — BMP की मूल्य श्रेणियाँ और राजस्थान में उपयुक्तता

BMP	VR (MARC 2012)	हटाए जाने वाले मुख्य प्रदूषक	आयतन में कमी / भूजल पुनर्भरण	टीलों की रेत, रेतीली दोमट और जलोढ़	लैटेराइट / कठोर चट्टान	काली कपास मिट्टी (black cotton soil) / कैल्क्रीट की परत / उच्च भूजल स्तर	राजस्थान संबंधी टिप्पणियाँ
देशज वनस्पति (संरक्षित)	9.25	सभी	उच्च	उपयुक्त	उपयुक्त	उपयुक्त	केवल संरक्षित, अछूते क्षेत्र के लिए गिनी जाती है
वर्षा उद्यान / अंतःस्यंदन	9.0	तलछट, धातुएँ, तेल, पोषक तत्व	उच्च	उपयुक्त, यदि 1.0 m की दूरी पूरी हो	सशर्त (परीक्षण)	अनुपयुक्त	मच्छर नियंत्रण: 48 h के भीतर खाली हो
बायोरिटेंशन	8.5	तलछट, धातुएँ, तेल, पोषक तत्व	मध्यम–उच्च (बिना लाइनर); निम्न (लाइनरयुक्त)	उपयुक्त	उपयुक्त, अंडरड्रेन सहित	लाइनरयुक्त, अंडरड्रेन सहित	माध्यम का स्रोत और फॉस्फोरस की मात्रा विनिर्दिष्ट की जानी है
पारगम्य पेवमेंट	7.5	तलछट, धातुएँ, तेल	मध्यम–उच्च	उपयुक्त	सशर्त	केवल लाइनरयुक्त	जहाँ बाहर से आने वाला अपवाह भारी गाद लाता हो वहाँ नहीं
विस्तारित अस्थायी भंडारण आर्द्रभूमि	7.0	तलछट, पोषक तत्व, धातुएँ	निम्न	सशर्त (जल संतुलन)	उपयुक्त	उपयुक्त	तालाबों के इनलेट पर उपयोगी (खंड 7.9.7)
माध्यम / रेत फिल्टर	6.0	तलछट, धातुएँ	निम्न	उपयुक्त	उपयुक्त	उपयुक्त (लाइनरयुक्त)	बार-बार सफाई आवश्यक
विस्तारित आर्द्र अस्थायी भंडारण (वेट पॉन्ड)	5.0	तलछट, धातुएँ, कुछ पोषक तत्व	निम्न	सशर्त (जल संतुलन)	उपयुक्त	उपयुक्त	शुष्क ऋतु का जल संतुलन (खंड 8.7.8)

BMP	VR (MARC 2012)	हटाए जाने वाले मुख्य प्रदूषक	आयतन में कमी / भूजल पुनर्भरण	टीलों की रेत, रेतीली दोमट और जलोढ़	लैटेराइट / कठोर चट्टान	काली कपास मिट्टी (black cotton soil) / कैल्क्रीट की परत / उच्च भूजल स्तर	राजस्थान संबंधी टिप्पणियाँ
वनस्पति फिल्टर पट्टी	5.0	तलछट	निम्न–मध्यम	उपयुक्त	उपयुक्त	उपयुक्त	अधिकतर पूर्व-उपचार के रूप में
देशज वनस्पति स्वेल	4.0	तलछट, तेल	निम्न–मध्यम	उपयुक्त	उपयुक्त	उपयुक्त	जहाँ Q_wq पर वेग अधिक हो वहाँ नहीं
विस्तारित शुष्क अस्थायी भंडारण	4.0	मोटी तलछट	निम्न	उपयुक्त	उपयुक्त	उपयुक्त	अस्थायी भंडारण के साथ मिलाएँ (अध्याय 4)
स्वामित्वाधीन / हाइड्रोडायनामिक युक्तियाँ	3.0–5.0	मोटी तलछट, तेल, कचरा	कोई नहीं	उपयुक्त	उपयुक्त	उपयुक्त	VR केवल सत्यापित परीक्षण आँकड़ों से
संकेत-पट (जन शिक्षा)	+0.25	—	—	—	—	—	संयुक्त VR में जोड़ी जाती है

VR स्तंभ MARC/APWA BMP Manual (2012) की Table 4.4 से है। उपयुक्तता के स्तंभों और टिप्पणियों का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

> **भाष्य.** LoS और VR विधि MARC/APWA Manual of Best Management Practices for Stormwater Quality (2012), Tables 4.2 और 4.4 से है। VR में International Stormwater BMP Database की बहिःस्राव TSS सांद्रताओं पर आधारित जल गुणवत्ता अंक को आयतन में कमी, तापमान, और तेल तथा तैरती वस्तुओं के अंकों के साथ जोड़ा जाता है। यह विधि राजस्थान के लिए दो कारणों से उपयुक्त है। यह आयतन में कमी और संरक्षण को पुरस्कृत करती है, जो भूजल पुनर्भरण में भी सहायक हैं। साथ ही, समीक्षक जल गुणवत्ता मॉडलिंग के बिना इसकी जाँच कर सकता है। इसकी कमजोरी यह है कि अंक अमेरिकी आँकड़ों से आते हैं। राजस्थान का वर्षा जल उन अंकों के पीछे के अमेरिकी अपवाह से अधिक कचरा और अधिक सीवेज ले जाता है (CPHEEO 2019, §9.5), इसलिए यह मैनुअल GPT और DWF को बाहर रखने की अपेक्षा अलग से करता है (खंड 8.9 और 8.10) और किसी VR को उनका स्थान नहीं लेने देता।

8.7 BMP डिजाइन सारांश

8.7.1 **सामान्य.** प्रत्येक BMP को नीचे दी गई अपेक्षाओं और परिशिष्ट 8D (BMP डिजाइन पत्रक) के अनुसार डिजाइन किया जाएगा। जहाँ चिह्नित है, वहाँ दिए गए आयाम **अनुशंसित प्रारंभिक मान** हैं; डिजाइनकर्ता किसी भी विचलन का औचित्य बताएगा। प्रत्येक BMP को Q_wq से अधिक प्रवाहों के सुरक्षित निकास (खंड 8.4.6) के लिए डिजाइन किया जाएगा और उसमें रखरखाव के लिए पहुँच होगी (अध्याय 10)।

8.7.2 **बायोरिटेंशन और वर्षा उद्यान** (चित्र 8.2)।

- (a) मल्च (mulch) के ऊपर सतही जल रुकने की गहराई **300 mm** से अधिक नहीं, अधिकतम जल रुकने के स्तर पर अतिप्रवाह के साथ।
- (b) सतह पर रुका जल **48 घंटों** के भीतर निकल जाए।
- (c) 600–900 mm गहरा फिल्टर माध्यम: कम महीन कणों और कम फॉस्फोरस वाली इंजीनियर्ड बलुई दोमट (परिशिष्ट 8D), 50–75 mm की मल्च परत के साथ।

- (d) माध्यम के नीचे एक संक्रमण (चोकर, choker) परत और एक बजरी जल निकासी परत।
- (e) जहाँ मूल मिट्टी की डिजाइन अंतःस्यंदन दर (खंड 8.8.4), (b) को पूरा करने के लिए आवश्यक दर से कम हो, या जहाँ सेल लाइनरयुक्त हो, वहाँ एक छिद्रित अंडरड्रेन।
- (f) बिना लाइनर वाले सेल खंड 8.8 के अंतःस्यंदन मानदंड पूरे करेंगे। जो सेल उन्हें पूरा नहीं कर सकते, और हॉटस्पॉट पर स्थित सेल, लाइनरयुक्त होंगे।
- (g) पौधे: देशज या प्राकृतिकीकृत प्रजातियाँ जो जलभराव और लंबी शुष्क अवधि दोनों सह सकें।

8.7.3 **वनस्पति स्वेल.**

- (a) समलंबी या परवलयिक काट, जिसके पार्श्व ढलान 1V:3H से अधिक खड़े न हों।
- (b) अनुदैर्ध्य ढलान 0.5% से 4%, अधिक खड़े ढलान पर चेक डैम के साथ।
- (c) Q_wq पर प्रवाह की गहराई घास की ऊँचाई से अधिक नहीं, और Q_wq पर वेग 0.3 m/s से अधिक नहीं।
- (d) 1% AEP प्रवाह (या बाइपास) स्वेल का अपरदन नहीं करेगा (अध्याय 9 के अनुमेय वेग)।
- (e) जहाँ अनुदैर्ध्य ढलान 1% से कम हों या उप-मृदा में जल निकासी कमजोर हो, वहाँ फिल्टर माध्यम सहित अंडरड्रेनयुक्त ("शुष्क") स्वेल।

8.7.4 **वनस्पति फिल्टर पट्टियाँ.**

- (a) केवल परत प्रवाह प्राप्त करें, जहाँ प्रवाह संकेंद्रित होकर आता हो वहाँ समतल प्रसारक (level spreader) के साथ।
- (b) प्रवाह की दिशा में लंबाई कम से कम 5 m, और ढलान 1% से 8%।
- (c) मुख्यतः बायोरिटेंशन, अंतःस्यंदन और स्वेल के लिए पूर्व-उपचार के रूप में उपयोग।

8.7.5 **पारगम्य पेवमेंट.**

- (a) अपारगम्य क्षेत्रों से आने वाले अपवाह का क्षेत्र पारगम्य क्षेत्र के दोगुने से अधिक नहीं, और कच्चे या अपरदित हो रहे क्षेत्रों से कोई अपवाह नहीं।
- (b) स्वच्छ, खुले श्रेणीकरण वाले एग्रीगेट का आधार जलाशय (base reservoir), जो अपने रिक्त स्थानों में WQv का अपना हिस्सा रोक सके।
- (c) खुला (अंतःस्यंदन करने वाला) आधार केवल जहाँ खंड 8.8 पूरा हो; अन्यथा अंडरड्रेन के साथ लाइनरयुक्त, और तब केवल निस्यंदन के रूप में गिना जाए।
- (d) सड़क प्राधिकारी के मानकों के अनुसार यातायात भार के लिए संरचनात्मक डिजाइन।
- (e) हॉटस्पॉट पर नहीं, और जहाँ सतह को अपारगम्य सामग्री से पुनः बिछाया जाएगा वहाँ नहीं।

8.7.6 **अंतःस्यंदन खाइयाँ और बेसिन** (चित्र 8.3)।

- (a) हर स्थिति में खंड 8.5.3 के अंतर्गत पूर्व-उपचार।
- (b) खाइयाँ स्वच्छ धुले एग्रीगेट से भरी हों, जिसका रिक्तता अनुपात परीक्षण से पुष्ट हो, जो पार्श्वों और ऊपर जियोटेक्सटाइल में लिपटा हो और रेत के आधार पर हो।
- (c) प्रत्येक खाई के आधार तक एक प्रेक्षण कुआँ।
- (d) भंडारण आयतन = WQv (या अध्याय 4 का प्रतिधारण आयतन, जहाँ अधिक हो), जो रिक्त स्थानों में रोका जाए; डिजाइन अंतःस्यंदन दर पर 72 घंटों के भीतर खाली हो।
- (e) सतह के स्तर पर लघु या प्रमुख प्रणाली में अतिप्रवाह।
- (f) योगदान देने वाले क्षेत्र के स्थिर होने तक सेवा में न लाई जाए (अध्याय 10)।

8.7.7 **वेट पॉन्ड (विस्तारित आर्द्र अस्थायी भंडारण).**

- (a) कम से कम WQv का स्थायी जल-भंडार (permanent pool), और उसके ऊपर WQv का विस्तारित अस्थायी भंडारण, जो 24–48 घंटों में छोड़ा जाए।
- (b) प्रत्येक इनलेट पर एक तलछट फोरबे (खंड 8.5.3)।
- (c) प्रवाह मार्ग का लंबाई-चौड़ाई अनुपात कम से कम 3:1, बिना शॉर्ट-सर्किट प्रवाह के।
- (d) स्थायी जल-भंडार की गहराई 1.0–2.5 m, सुरक्षा बेंच के साथ (खंड 7.9.4)।
- (e) शुष्क ऋतु का जल संतुलन (खंड 8.7.8)।
- (f) अध्याय 4 का अस्थायी भंडारण विस्तारित अस्थायी भंडारण स्तर के ऊपर हो सकता है।

8.7.8 **स्थायी जल-भंडार के लिए जल संतुलन.** वेट पॉन्ड और आर्द्रभूमियों के लिए, IMD वर्षा और पैन वाष्पन का उपयोग करते हुए मासिक जल संतुलन द्वारा यह दर्शाया जाएगा कि वे 10 वर्षों में सबसे शुष्क वर्ष में भी स्थायी जल-भंडार के आयतन का कम से कम 50% (या आर्द्रभूमि की न्यूनतम गहराई) बनाए रखते हैं। उन्हें भूजल, पेयजल या सीवेज से नहीं भरा जाएगा। जहाँ संतुलन विफल हो, वहाँ उसके स्थान पर शुष्क विस्तारित अस्थायी भंडारण बेसिन या छोटे स्थायी जल-भंडार वाली निर्मित आर्द्रभूमि का उपयोग किया जाएगा।

8.7.9 **निर्मित आर्द्रभूमियाँ.**

- (a) इनलेट पर एक अवसादन तालाब (फोरबे), जिसके बाद एक उथला वनस्पतियुक्त वृहत्पादप क्षेत्र (macrophyte zone)।
- (b) सामान्य जल स्तर के ऊपर WQv का विस्तारित अस्थायी भंडारण, जो 24–48 घंटों में छोड़ा जाए, और विस्तारित अस्थायी भंडारण की गहराई 0.5 m से अधिक नहीं।
- (c) प्रवाह मार्ग का लंबाई-चौड़ाई अनुपात कम से कम 3:1, प्रवाह को फैलाने के लिए प्रवाह मार्ग के आर-पार गहरे क्षेत्रों के साथ।
- (d) उच्च-प्रवाह बाइपास, ताकि बाढ़ वृहत्पादप क्षेत्र को न खुरचे।
- (e) जहाँ किसी तालाब (tank) के इनलेट पर बनाई जाए, वहाँ आर्द्रभूमि तालाब के सेटबैक के भीतर किंतु उसके जल-फैलाव क्षेत्र के बाहर होगी, और उसके भंडारण को तालाब के भंडारण के रूप में नहीं गिना जाएगा।

8.7.10 **स्थूल प्रदूषक जाल.**

- (a) Q_wq के उपचार के लिए आकारित, और 1% AEP तक के सभी प्रवाह पकड़ी गई सामग्री को बहाए बिना निकल जाएँ।
- (b) लगभग 5 mm तक के स्थूल प्रदूषकों को पकड़ें।
- (c) हेड हानि ड्रेन की हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन में सम्मिलित हो (अध्याय 9), जाली को **50% अवरुद्ध** मानते हुए।
- (d) पकड़ी गई सामग्री के लिए भंडारण O&M योजना के सफाई अंतराल के लिए आकारित हो, और अध्याय 10 की 3-मासिक सफाई से कम नहीं।
- (e) सक्शन या ग्रैब द्वारा सफाई के लिए वाहन की पहुँच।

8.7.11 **तेल-ग्रिट पृथक्कारी.**

- (a) खंड 8.8.8 के उन हॉटस्पॉट पर आवश्यक जिनमें ईंधन या तेल का संबंध है: ईंधन स्टेशन, वाहन वर्कशॉप और धुलाई स्थल, बस और ट्रक डिपो, और 50 से अधिक स्थानों वाले पार्किंग क्षेत्र।
- (b) उच्च-प्रवाह बाइपास के साथ, Q_wq के लिए आकारित।
- (c) एकमात्र उपचार के रूप में उपयोग नहीं किए जाएँगे: जहाँ साइट को 5 से अधिक VR की आवश्यकता हो वहाँ इनके बाद एक निस्यंदन BMP होगी।

8.7.12 **गाद-जाल और कैच पिट.**

- (a) कच्ची भूमि से अपवाह प्राप्त करने वाले प्रत्येक इनलेट पर, और किसी BMP या जलाशय में गिरने वाली प्रत्येक ड्रेन के इनलेट पर।
- (b) आउटलेट इनवर्ट से कम से कम 300 mm नीचे एक संप।

- (c) गाद-जाल केवल पूर्व-उपचार हैं और कोई VR अर्जित नहीं करते।

भाष्य. डिजाइन सारांश MARC/APWA BMP Manual (2012), Georgia Stormwater Management Manual (2016, Vol 2), CIRIA C753 *The SuDS Manual* (2015) और PUB सिंगापुर के ABC Waters Design Guidelines पर आधारित हैं। आयाम उन मैनुअलों के विशिष्ट मान हैं, परंतु राजस्थान में इनका अंशांकन नहीं किया गया है। तीन स्थानीय मुद्दे स्रोत मैनुअलों से परिवर्तन के कारण हैं:

- **मच्छर.** राजस्थान में डेंगू स्थानिक है। बायोरिटेंशन और वर्षा उद्यानों में सतह पर रुका जल 48 घंटों के भीतर निकल जाना चाहिए (खंड 8.7.2(b)), जो मच्छर के लार्वा के विकसित होने के समय से काफी कम है। यह खंड 8.4.7 के WQv के 24–48 घंटे में खाली होने के अनुरूप है।
- **शुष्क ऋतुएँ.** राजस्थान इस श्रृंखला के राज्यों में सबसे शुष्क राज्य है, और इसकी लगभग पूरी वर्षा दक्षिण-पश्चिम मानसून में होती है: वर्ष की वर्षा का लगभग 91% (IMD, *Climate of Rajasthan*, 2010), और जिलों के सामान्य मान जैसलमेर में 172.9 mm और बाड़मेर और बीकानेर में लगभग 250 mm से लेकर जयपुर में 596.8 mm, कोटा में 758.7 mm और झालावाड़ में 921.2 mm तक, और माउंट आबू पर 1,677 mm हैं (1951–2000 के सामान्य मान)। मानसून अब झालावाड़ में लगभग 24 जून को, जयपुर में लगभग 29 जून को और बीकानेर और पोकरण में लगभग 6 जुलाई को आता है, और पोकरण से लगभग 17 सितंबर तक और झालावाड़ से लगभग 28 सितंबर तक वापस चला जाता है (IMD, आगमन और वापसी की नई सामान्य तिथियाँ, 2020)। वर्ष के आठ या नौ महीनों में तालाबों (talab), जोहड़ों (johad) और नाडियों (nadi) का जल स्तर गिर जाता है या वे सूख जाते हैं, और नगरों में उन्हें पानी देने वाले नाले (nala) प्रायः केवल सीवेज ले जाते हैं (खंड 8.9, भाष्य)। जिस वेट पॉन्ड या निर्मित आर्द्रभूमि का जल संतुलन (खंड 8.7.8) अपने ही जलग्रहण क्षेत्र के अपवाह से शुष्क महीनों में उसका स्थायी जल-भंडार बनाए नहीं रख सकता, उसका उपयोग नहीं किया जाना है; राज्य के अधिकांश भाग में खंड 8.7 के शुष्क रूप (बायोरिटेंशन, स्वेल, अंतःस्यंदन और विस्तारित शुष्क अस्थायी भंडारण) ही व्यावहारिक विकल्प हैं। खंड 8.7.8 BMP पर लागू होता है, जिन्हें सीवेज से नहीं भरा जाएगा; तालाब, जोहड़, नाडियाँ, सागर (sagar) और शहरी झीलें अध्याय 7 के अंतर्गत जलाशय हैं और किसी विकास के लिए उपचार के रूप में उपयोग नहीं किए जाने हैं। सूख जाने वाले वेट पॉन्ड ठहरे हुए गड्ढे बन जाते हैं या उनमें कचरा फेंका जाने लगता है। खंड 8.7.8 जल संतुलन की अपेक्षा करता है और सीवेज से भरने पर रोक लगाता है, जो शहरी तालाबों को "भरा" ("full") रखने की एक आम प्रथा है।
- **कचरा और गाद.** GPT और गाद-जाल वैकल्पिक नहीं, अनिवार्य माने गए हैं, क्योंकि राजस्थान की ड्रेन भारी मात्रा में कचरा और गाद ले जाती हैं। जालियों के लिए 50% अवरोध गुणक अध्याय 6 के जाली इनलेट अवरोध गुणक से मेल खाता है।

तेल-ग्रिट पृथक्कारियों के लिए 50 स्थानों की सीमा-मान, GPT का 5 mm का पकड़ आकार, स्वेल का 0.3 m/s वेग और इस खंड के अन्य आयामों का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

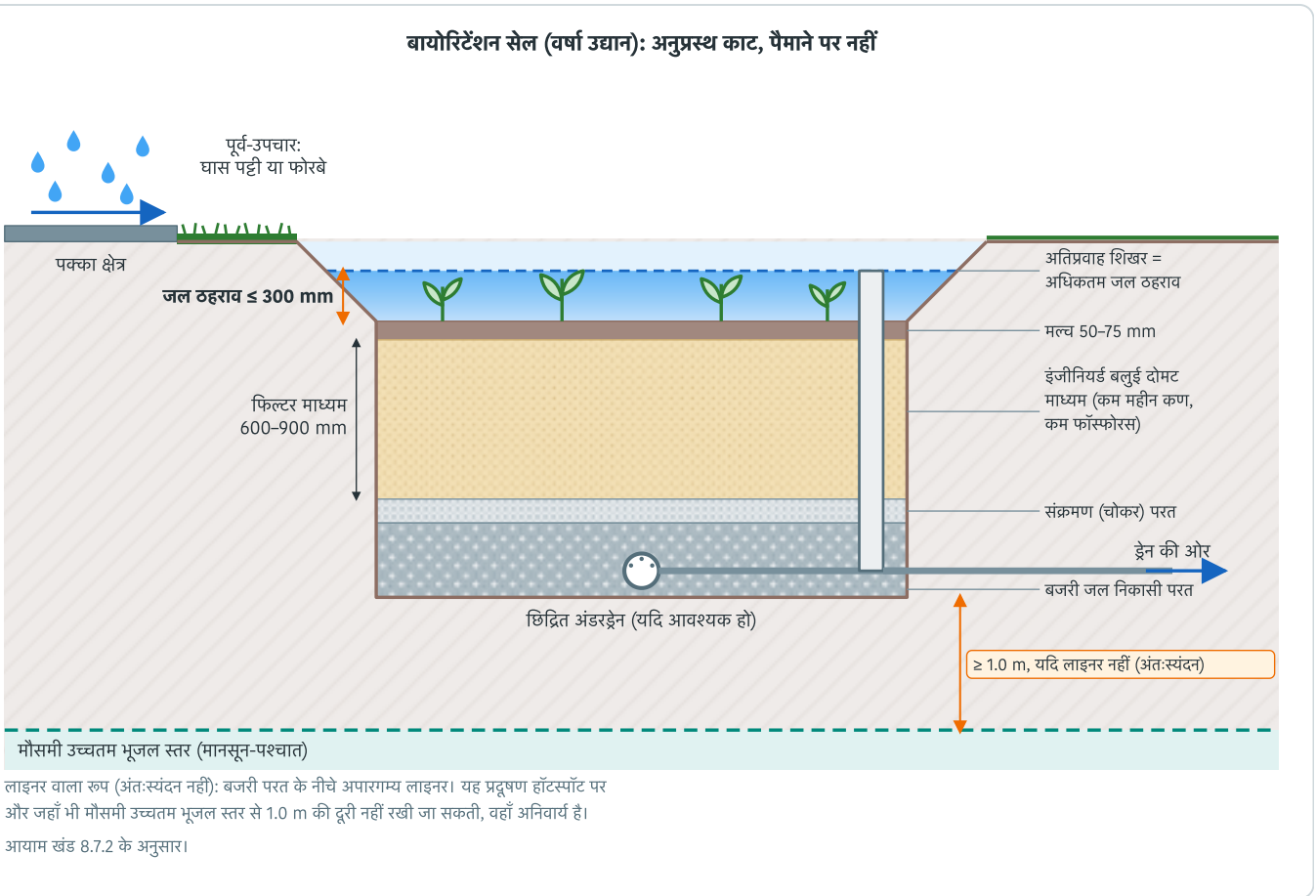

चित्र 8.2 — बायोरिटेंशन सेल (वर्षा उद्यान) की काट: पूर्व-उपचार, सतह पर रुका जल, फिल्टर माध्यम, संक्रमण और बजरी परतें, अंडरड्रेन, अतिप्रवाह, और बिना लाइनर वाले सेल के लिए मौसमी उच्चतम भूजल स्तर से 1.0 m की दूरी। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, MARC/APWA, Manual of Best Management Practices for Stormwater Quality, 2012, और CIRIA, The SuDS Manual (C753), 2015 से अनुकूलित।

8.8 अंतःस्यंदन और भूजल पुनर्भरण के मानदंड

8.8.1 **भूजल से दूरी.** अंतःस्यंदन सुविधा केवल वहीं अनुमत है जहाँ **मौसमी उच्चतम भूजल स्तर सुविधा के आधार से कम से कम 1.0 m नीचे** हो। राजस्थान में इसका कोई अपवाद नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई तटीय रेतीला क्षेत्र नहीं है (खंड 8.8.9)। निम्नलिखित में कोई अंतःस्यंदन सुविधा, पुनर्भरण गड्ढा, पुनर्भरण कुआँ या पुनर्भरण शाफ्ट किसी भी प्रकार का अपवाद प्राप्त नहीं करेगा, और खंड 8.11.3(c) में छत के पानी के लिए दिया गया अपवाद लागू नहीं होगा; वहाँ छत का पानी उपयोग के लिए भंडारण में, जैसे किसी टाँके (taanka) में, जाएगा: (i) नदी तल और डूब क्षेत्र, तालाबों (talab), जोहड़ों (johad), नाडियों (nadi) और झीलों के तल और अग्रतट (foreshore), और लवणीय गर्त (saline depressions); और (ii) कोई अन्य साइट जहाँ मौसमी उच्चतम भूजल स्तर सुविधा के आधार से इस दूरी के भीतर हो। **पुनर्भरण पहले।** राजस्थान के भूजल का दोहन इस शृंखला के किसी भी अन्य राज्य से अधिक है: 2024 में दोहन का चरण (stage of extraction) 149.86% था, और 302 आकलन इकाइयों (assessment units) में से 214 अति-दोहित (over-exploited) थीं (CGWB)। इसलिए पूरे राज्य में, जहाँ भी यह खंड पूरा होता है, पूर्व-उपचार सहित पुनर्भरण प्रतिधारण पूरा करने का पहला साधन है, निम्नलिखित को छोड़कर। जोधपुर के पुराने शहर (old city) में, जहाँ 1997 में नहर का पानी आने के बाद से भूजल स्तर ऊपर उठ रहा है, और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ की नहर पट्टी (canal belt; उप-भाग RJ-D) में, जहाँ कुछ स्थानों पर पानी भूमि से 2 m के भीतर है और भूमि जलभराव से ग्रस्त है, किसी पुनर्भरण या अंतःस्यंदन का क्रेडिट तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक भूजल से दूरी की जाँच (groundwater-clearance check), अर्थात् मौसमी उच्चतम भूजल स्तर और कम से कम पिछले पाँच वर्षों में उसकी प्रवृत्ति पर किसी जल-भूवैज्ञानिक (hydrogeologist) की रिपोर्ट, यह न दर्शाए कि यह खंड पूरा होता है और भूजल स्तर ऊपर नहीं उठ रहा है; जहाँ वह ऊपर उठ रहा है, वहाँ प्रतिधारण उपयोग के लिए भंडारण से, उथले लाइनरयुक्त भंडारण से वाष्पीकरण द्वारा, और अस्थायी भंडारण से

पूरा किया जाता है, और जिस क्षेत्र को प्राधिकारी ने मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 के विनियम 8.3(iii) के अंतर्गत जलभराव वाले क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया है, उसके साथ भी यही व्यवहार किया जाता है। हाड़ौती की काली मिट्टी (black soils of Hadoti; उप-भाग RJ-G) और अन्य काली मिट्टियों पर, सतही अंतःस्यंदन सुविधा को 15 अगस्त के बाद की वर्षा घटनाओं के लिए, जब मिट्टी गीली होती है और उसकी दरारें बंद हो चुकी होती हैं, कोई प्रतिधारण या WQv क्रेडिट नहीं मिलता; वहाँ पुनर्भरण केवल ऐसे पुनर्भरण कुएँ या शाफ्ट के माध्यम से होता है जो चिकनी मिट्टी को पार करता है, और केवल फिल्टर किए गए छत के पानी के लिए या ऐसे अपवाह के लिए जो किसी फिल्टर करने वाली BMP से होकर गुजरा हो (खंड 8.8.10(b))। जहाँ अंतःस्यंदन की गहराई के भीतर कैल्क्रीट (कंकड़) या पेट्रोकैल्सिक परत (calcrete (kankar) or petrocalcic pan) हो, वहाँ खंड 8.8.3 के परीक्षण उस परत के नीचे किए जाएँगे, और केवल वही संरचना क्रेडिट अर्जित करती है जो उस परत को पार करती है। पुनर्भरण अधिक फ्लोराइड, नाइट्रेट या लवणता वाले भूजल को पीने योग्य नहीं बनाता: जिन जिलों में ये आम हैं, वहाँ पुनर्भरित जलभृत से वापस निकाले गए पानी का पेयजल के रूप में उपयोग से पहले परीक्षण किया जाएगा, और कोई भी औद्योगिक या सीवेज-युक्त अपवाह किसी पुनर्भरण संरचना में नहीं ले जाया जाएगा। ये सीमाएँ इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। मौसमी उच्चतम भूजल स्तर खंड 3.10.2 के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा।

8.8.2 **अन्य दूरी.** अंतःस्यंदन सुविधा का आधार आधार-शैल (bedrock) या किसी अपारगम्य परत से भी कम से कम 1.0 m ऊपर होगा, जब तक कि सुविधा खंड 8.8.10 के अंतर्गत किसी विदरित या अपक्षयित चट्टानी जलभृत के पुनर्भरण के लिए डिजाइन न की गई हो।

8.8.3 **अंतःस्यंदन परीक्षण.** अंतःस्यंदन दर सुविधा के प्रस्तावित आधार स्तर पर मापी जाएगी:

- (a) बेसिन, बायोरिटेंशन और पारगम्य पेवमेंट के लिए डबल-रिंग इन्फिल्ट्रोमीटर परीक्षण (ASTM D3385) द्वारा;
- (b) खाइयों, सोख गड्ढों, पुनर्भरण गड्ढों और पुनर्भरण कुओं के लिए फॉलिंग-हेड बोरहोल या ट्रायल-पिट सोखन परीक्षण (उदाहरण के लिए BRE Digest 365) द्वारा;
- (c) **प्रति सुविधा कम से कम 2 परीक्षण**, और अंतःस्यंदन आधार क्षेत्र के प्रति 100 m^2 या खाई की लंबाई के प्रति 50 m पर कम से कम 1 परीक्षण; और
- (d) भू-तकनीकी परीक्षण में सक्षम व्यक्ति द्वारा, परिणाम अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख (प्रपत्र 8-2) पर दर्ज करते हुए।

शुष्क ऋतु में किए गए परीक्षणों के साथ परीक्षण के समय का भूजल स्तर और खंड 8.8.1 का मौसमी उच्चतम स्तर बताया जाएगा।

8.8.4 **डिजाइन अंतःस्यंदन दर.** डिजाइन अंतःस्यंदन दर, मापी गई दर को सुरक्षा गुणक से भाग देने पर प्राप्त दर है:

- (a) **2.0**, जहाँ परीक्षण खंड 8.8.3(c) को पूरा करते हों और परिणामों में 2 गुने से अधिक का अंतर न हो; और
- (b) अन्यथा **3.0**।

8.8.5 **न्यूनतम दरें.**

- (a) पूर्ण अंतःस्यंदन (बिना अंडरड्रेन) केवल जहाँ डिजाइन दर कम से कम **13 mm/h** हो।
- (b) आंशिक अंतःस्यंदन, अंडरड्रेन सहित, जहाँ डिजाइन दर 3 mm/h से 13 mm/h हो। केवल 72 घंटों के भीतर अंतःस्यंदित होने वाला आयतन प्रतिधारण के रूप में क्रेडिट किया जाता है।
- (c) जहाँ डिजाइन दर 3 mm/h से कम हो वहाँ कोई अंतःस्यंदन क्रेडिट नहीं।

8.8.6 **अंतःस्यंदन सुविधाओं के लिए सेटबैक.** सड़कों, पार्किंग या अन्य पक्की सतहों से अपवाह प्राप्त करने वाली अंतःस्यंदन सुविधाएँ कम से कम निम्नलिखित दूरी पर होंगी:

- (a) भवन की नींव से **3 m**, और बेसमेंट से **5 m**;
- (b) संपत्ति की सीमा से **1.5 m**, जब तक कि पड़ोसी लिखित रूप में सहमत न हो;
- (c) पेयजल कुएँ या बोरवेल से **30 m**;
- (d) सेप्टिक टैंक या सोख गड्ढे (soak pit) से **15 m**; और
- (e) 1V:3H से अधिक खड़े ढलान के शिखर से **6 m**, जब तक कि कोई भू-तकनीकी रिपोर्ट यह न दर्शाए कि ढलान स्थिर रहता है।

पुनर्भरण संरचनाओं में जाने वाले केवल छत के अपवाह पर केवल (a) और (b), और खंड 8.11.3, लागू होते हैं।

8.8.7 **खाली होना और सत्यापन.** प्रत्येक अंतःस्यंदन सुविधा डिजाइन दर पर **72 घंटों** के भीतर खाली होगी (अध्याय 4), और निर्माण के बाद उसका परीक्षण किया जाएगा (खंड 10.9.3)।

8.8.8 **हॉटस्पॉट.** निम्नलिखित से अपवाह का उपचार के बिना अंतःस्यंदन नहीं किया जाएगा, और जहाँ (d) या (e) लागू हो वहाँ बिल्कुल भी अंतःस्यंदन नहीं किया जाएगा:

- (a) ईंधन स्टेशन;
- (b) वाहन वर्कशॉप, धुलाई स्थल, और बस तथा ट्रक डिपो;
- (c) औद्योगिक प्रांगण और लदान क्षेत्र जहाँ खतरनाक सामग्री संभाली या संग्रहीत की जाती है;
- (d) ठोस अपशिष्ट अंतरण स्टेशन और लैंडफिल क्षेत्र; और
- (e) ऐसी भूमि जो दूषित ज्ञात हो या जिसके दूषित होने का संदेह हो।

(a) से (c) के लिए उपचार में किसी भी अंतःस्यंदन से पहले एक तेल-ग्रिट पृथक्कारी और एक लाइनरयुक्त निस्यंदन BMP सम्मिलित होगी।

8.8.9 **रेतीले तटीय जलभृत.** यह खंड केवल तटीय रेतीले जलभृतों पर लागू होता है। राजस्थान में ऐसा कोई जलभृत नहीं है, इसलिए राज्य में इस खंड का कोई प्रभाव नहीं है; इसे केवल इसलिए रखा गया है कि खंड संख्याएँ अपरिवर्तित रहें। थार के टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत और नदी तलों की रेत तटीय रेतीले क्षेत्र नहीं हैं: वहाँ खंड 8.8.1 पूरी तरह लागू होता है, और मद (d) की घटी हुई दूरी लागू नहीं होती। तटीय रेतीले क्षेत्रों में:

- (a) जहाँ कहीं खंड 8.8.1 पूरा होता है, वहाँ प्रतिधारण और WQv पूरा करने का पसंदीदा साधन अंतःस्यंदन है;
- (b) वर्षा जल ड्रेन भूजल स्तर को नीचे करने के लिए डिजाइन नहीं की जाएँगी: मौसमी उच्चतम भूजल स्तर से नीचे के इनवर्ट जलरोधी होंगे, ऐसे रिसाव छिद्रों या उप-मृदा ड्रेन के बिना जो भूजल को आउटफॉल में छोड़ें, जब तक कि कोई जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट यह न दर्शाए कि मीठे पानी के जलभृत को कोई हानि नहीं है;
- (c) भूजल को वर्षा जल ड्रेन में दीर्घकालिक रूप से पंप करना (उदाहरण के लिए बेसमेंट का जल-निष्कासन) अनुमोदित नहीं किया जाएगा; और
- (d) अधिसूचित तटीय रेतीले क्षेत्रों में, **केवल छत के अपवाह** का अंतःस्यंदन मौसमी उच्चतम भूजल स्तर से कम से कम **0.5 m** की दूरी के साथ किया जा सकता है, बशर्ते भूजल उभार (mounding) की जाँच यह दर्शाए कि उभार सुविधा के आधार से कम से कम 0.3 m नीचे रहता है और आसपास की नींवों या बेसमेंटों तक नहीं पहुँचता। कोई अन्य अपवाह इस घटी हुई दूरी का उपयोग नहीं कर सकता;
- (e) जहाँ न तो 1.0 m की दूरी और न ही खंड (d) पूरा किया जा सके, वहाँ साइट ऐसे सतही प्रतिधारण का उपयोग करेगी जो भूमि के नीचे अंतःस्यंदन न करे (उदाहरण के लिए उथले वनस्पतियुक्त गड्ढे, छतों के पानी को लॉन पर छोड़ना, और पुनः उपयोग), और अध्याय 4 के अंतर्गत अस्थायी भंडारण का।

8.8.10 **लैटेराइट और कठोर चट्टान के क्षेत्र.** लैटेराइट और कठोर चट्टान वाले भूभाग में (उदाहरण के लिए उदयपुर, राजसमंद, अजमेर और जयपुर की पहाड़ियों की अरावली की शिस्ट (schist), क्वार्टजाइट (quartzite) और ग्रेनाइट, माउंट आबू और सिरोही की पहाड़ियों का ग्रेनाइट और रायोलाइट (rhyolite), और मेवाड़ और वागड़ में चट्टान के ऊपर की पतली मिट्टी, जहाँ भूजल मुख्यतः अपक्षयित और विदरित क्षेत्र में रहता है):

- (a) परीक्षण सुविधा के आधार पर, किसी सतही पपड़ी या कठोर परत (hardpan) के नीचे, किए जाएँगे;
- (b) अपक्षयित या विदरित चट्टान में पुनर्भरण केवल छत के अपवाह के लिए, या किसी निस्यंदन BMP से होकर आए अपवाह के लिए, अनुमत है, क्योंकि दरारें बहुत कम उपचार करती हैं; और
- (c) ढलानों पर या उनके ऊपर अंतःस्यंदन के लिए ढलान की स्थिरता की जाँच की जाएगी।

8.8.11 **डेल्टा की चिकनी मिट्टी और काली कपास मिट्टी.** तालाबों (talab), जोहड़ों (johad), नाडियों (nadi) और झीलों के गाद भरे तलों में, शुष्क पश्चिम के लवणीय गर्तों पर, ऐसी भूमि पर जहाँ सतह से लगभग 1 m के भीतर कैल्क्रीट (कंकड़) या पेट्रोकैल्सिक परत हो, और फैलने वाली काली कपास मिट्टी (black cotton soil) में:

- (a) अंतःस्यंदन सुविधाएँ प्रायः खंड 8.8.5 में विफल होंगी, और जहाँ मृदा सर्वेक्षण (अध्याय 3) HSG D दर्शाए वहाँ उनका परीक्षण आवश्यक नहीं है; और
- (b) जहाँ फैलने वाली मिट्टी पर भवनों के निकट अंतःस्यंदन का उपयोग किया जाए, वहाँ खंड 8.8.6(a) का सेटबैक दोगुना किया जाएगा।

भाष्य. भूजल से 1.0 m की दूरी इस मैनुअल की एक मूल अपेक्षा है। इस खंड के अन्य मान (आधार-शैल से 1.0 m की दूरी, परीक्षणों की संख्या, सुरक्षा गुणक, न्यूनतम दरें और सेटबैक) अमेरिकी और ब्रिटिश व्यवहार के विशिष्ट मान हैं और इनका राजस्थान में कोई पूर्व-उदाहरण नहीं है। खंड 8.8.6(c) में कुएँ का सेटबैक पक्की सतहों से अपवाह पर लागू होता है, छत के पानी पर नहीं। राजस्थान में RWH का व्यवहार छत के पानी को खुले कुओं और पुनर्भरण कुओं में ले जाता है, और खंड 8.11 उस व्यवहार को बनाए रखता है।

राजस्थान के लिए जलविज्ञानीय मृदा समूहों का कोई राज्यव्यापी मानचित्र नहीं मिला, और प्रत्येक अंतःस्यंदन डिजाइन के लिए खंड 8.8.3 के परीक्षण आवश्यक हैं। राज्य की भूमि पाँच मोटे प्रकारों में बँटती है। अरावली के पश्चिम में, शुष्क क्षेत्र में, लगभग आधी भूमि रेत है: टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत (Torripsamments) मानचित्रित शुष्क क्षेत्र के लगभग 51.8% भाग पर है, और मरुस्थलीय मिट्टी (Aridisols) लगभग 41% पर, जिनमें लगभग 3.6% भाग पर सतह से लगभग एक मीटर के भीतर कैल्क्रीट (कंकड़) की कठोर परतें (hardpans) और छोटे लवणीय गर्त सम्मिलित हैं (Dhir और अन्य, *Annals of Arid Zone*, 1997)। रेत पानी तेजी से सोखती है, वायूढ़ रेत (aeolian sands) के लिए 15 से 30 cm/h और जोधपुर के पास की दोमट रेत (loamy sands) के लिए लगभग 30 से 54 mm/h की प्रारंभिक दरें बताई गई हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार), परंतु कैल्क्रीट की परतें और लवणीय गर्त पानी को सतह पर रोक रखते हैं। हाड़ौती में कोटा और चंबल शृंखलाओं (Kota and Chambal series) की मध्यम काली मिट्टी (वर्टिसोल, vertisols) केवल लगभग 1 से 14 mm/h पानी सोखती है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जयपुर, अलवर और भरतपुर के आसपास और घग्घर के मैदान में भूमि जलोढ़ और रेतीली दोमट है; मेवाड़, वागड़ और अरावली की पहाड़ियों में, जैसे उदयपुर, अजमेर और माउंट आबू के आसपास, यह चट्टान के ऊपर पतली मिट्टी है। इस मैनुअल के अंतरिम मृदा समूह इन्हीं से निकलते हैं: टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत A, परंतु जहाँ 1 m के भीतर कैल्क्रीट या पेट्रोकैल्सिक परत हो वहाँ C या D, और लवणीय गर्तों पर D; रेतीली दोमट और मरुस्थलीय मिट्टी B; जलोढ़ B या C; हाड़ौती की काली मिट्टी D, 15 अगस्त के बाद अंतःस्यंदन के किसी क्रेडिट के बिना; अरावली की चट्टान और पतली मिट्टी D; और भराव वाली भूमि C, जब तक परीक्षण न किया जाए। **भूजल राज्य की निर्णायक बाधा है।** 2024 के आकलन में राज्य के लिए भूजल दोहन का चरण (stage of extraction) 149.86% था, और 302 आकलन इकाइयों में से 214 अति-दोहित (over-exploited), 27 गंभीर (critical), 21 अर्ध-गंभीर (semi-critical), 37 सुरक्षित (safe) और 3 लवणीय (saline) थीं (CGWB)। मई 2020 में निगरानी कुओं में मानसून-पूर्व भूजल स्तर की गहराई भूमि से 0.1 m से 142.9 m नीचे तक थी; पाँचवें भाग के कुओं में यह 40 m से अधिक थी, अधिकतर झुंझुनूँ, सीकर, जयपुर, जोधपुर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर और अलवर में, और दक्षिण-पूर्व में और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के नहरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर यह 2 m से कम थी (CGWB, Ground Water Year Book 2020–21)। जोधपुर का पुराना शहर इसके विपरीत है: 1997 में शहर तक नहर का पानी पहुँचने के बाद से कुछ स्थानों पर उसका भूजल स्तर लगभग 1 से 1.5 m प्रति वर्ष ऊपर उठा है, कुछ भागों में भूमि से लगभग 1 m नीचे तक, और बेसमेंटों से प्रतिदिन पानी पंप किया जाता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार; राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (National Institute of Hydrology) का 2023–2025 का एक अध्ययन शहर की सतही जल निकासी को "पर्याप्त विकसित नहीं" ("not well developed") बताता है)। भूजल की गुणवत्ता खराब है: 2024 में परीक्षण किए गए 630 नमूनों में से 48.6% में विद्युत चालकता (electrical conductivity) 3,000 µS/cm से अधिक, 43.2% में फ्लोराइड 1.5 mg/L से अधिक और 49.5% में नाइट्रेट 45 mg/L से अधिक था (CGWB), और फ्लोराइड की स्थिति भरतपुर, जालोर, टोंक और बाड़मेर में सबसे खराब है। राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण अधिनियम, 2024 (2025 का अधिनियम संख्यांक 20), जो भूजल पुनर्भरण का उपबंध करता है, राज्य द्वारा अधिसूचित तिथि से प्रवृत्त होगा, और ऐसी कोई अधिसूचना नहीं मिली। **इसलिए राज्य को लगभग हर जगह पुनर्भरण की आवश्यकता है, और कुछ स्थानों पर उससे पहले एक जाँच की।** अति-दोहित इकाइयों में, जो राज्य का अधिकांश भाग हैं, पुनर्भरण पहले आता है, पूर्व-उपचार सहित; जोधपुर के पुराने शहर और नहर पट्टी में किसी भी पुनर्भरण का क्रेडिट दिए जाने से पहले भूजल से दूरी की जाँच आती है; अगस्त के मध्य के

बाद काली मिट्टी पर, कैल्क्रीट की परतों और लवणीय गर्तों पर, और नदी तलों और तालाबों के तलों पर अंतःस्यंदन का उपयोग नहीं किया जाता, या केवल ऐसी संरचना के माध्यम से किया जाता है जो चिकनी मिट्टी या उस परत को पार करती है (खंड 8.8.1)। हर जगह, सड़कों और खुली भूमि का अपवाह सतही प्रणालियों में जाता है और कभी भी सीधे किसी पुनर्भरण कुएँ, बोरवेल या शाफ्ट में नहीं (खंड 8.11.3(b)), और पुनर्भरित जलभृत से पेयजल के लिए वापस निकाले गए पानी का फ्लोराइड, नाइट्रेट और लवणता के लिए परीक्षण किया जाना चाहिए। खंड 8.8.9 का राजस्थान में, जहाँ कोई तट नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है।

अंतःस्यंदन खाई: अनुप्रस्थ काट, पैमाने पर नहीं

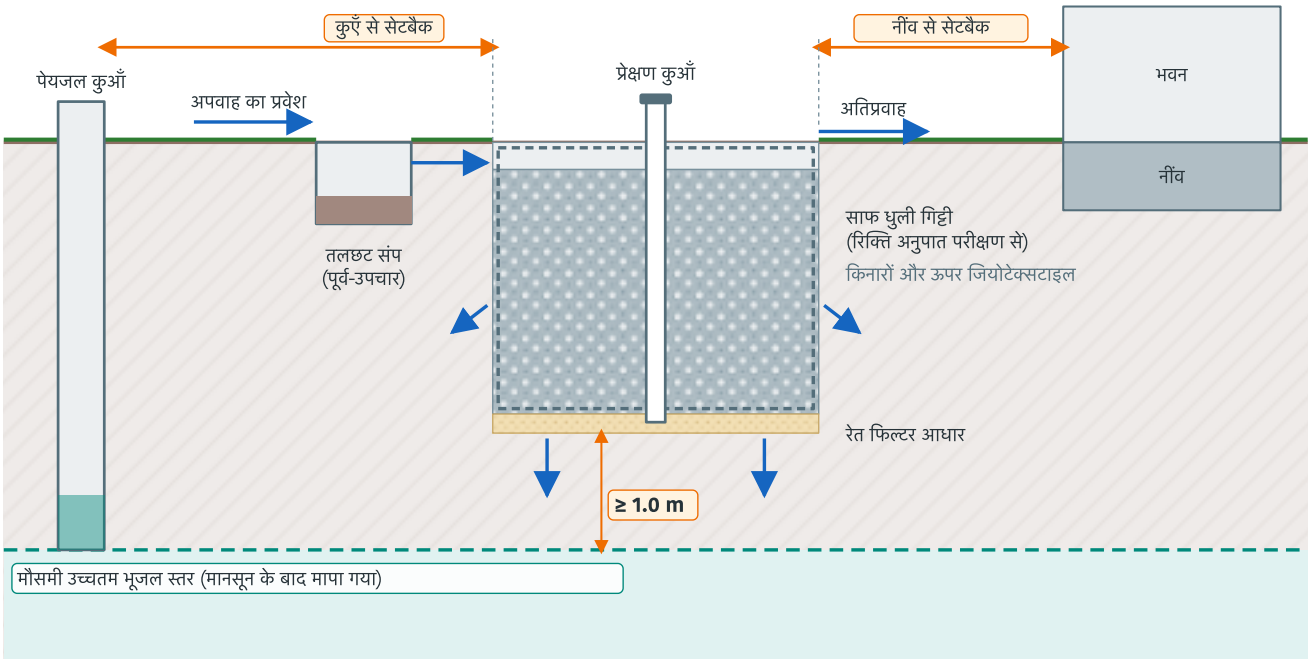

प्रस्तावित तल स्तर पर अंतःस्यंदन का परीक्षण करें। डिजाइन दर = मापी गई दर ÷ सुरक्षा गुणक। 72 h के भीतर खाली हो।
सेटबैक दूरियाँ और परीक्षण विधियाँ: खंड 8.8.3 से 8.8.6। सड़क और पार्किंग का अपवाह कभी भी पाइप से कुएँ में नहीं डाला जाता।
रेतीली तटीय मिट्टी: उच्च दर, उथला भूजल। लैटेराइट, कठोर चट्टान: कम दर। डेल्टा की चिकनी मिट्टी: प्रायः अनुपयुक्त।

चित्र 8.3 — अंतःस्यंदन खाई की काट: पूर्व-उपचार संप, जियोटेक्सटाइल में एग्रीगेट से भरी खाई, प्रेक्षण कुआँ, अतिप्रवाह, मौसमी उच्चतम भूजल स्तर से 1.0 m की न्यूनतम दूरी, और कुओं तथा नींवों से सेटबैक। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Georgia Stormwater Management Manual, 2016 (Vol 2), और CIRIA, The SuDS Manual (C753), 2015 से अनुकूलित।

8.9 सीवेज के अवैध जुड़ाव और शुष्क मौसम प्रवाह

8.9.1 **वर्षा जल ड्रेन में सीवेज नहीं.** कोई भी सीवेज या सलेज (रसोई, स्नानघर और कपड़े धोने के स्थान का गंदा पानी), सेप्टिक टैंक का बहिःस्राव, या व्यापारिक बहिःस्राव (trade effluent) किसी भी पाइप, चैनल या छिद्र द्वारा किसी वर्षा जल ड्रेन से जोड़ा नहीं जाएगा या उसमें छोड़ा नहीं जाएगा।

8.9.2 **अनुमोदन की शर्त.** समापन प्रमाण-पत्र से पहले, आवेदक, प्राधिकारी या सीवरेज एजेंसी की उपस्थिति में किए गए डाई या धुआँ परीक्षण द्वारा, यह दर्शाएगा कि साइट पर सीवेज और सलेज का प्रत्येक निकास किसी सीवर में या किसी अनुमोदित साइट-स्थित प्रणाली में जाता है, और कोई भी निकास वर्षा जल ड्रेन में नहीं जाता। साइट पर कोई भी विद्यमान अवैध जुड़ाव अनुमोदन की शर्त के रूप में हटाया जाएगा, पुनर्विकास पर और विद्यमान भवनों में परिवर्धन पर भी।

8.9.3 **जहाँ सीवर नहीं है.** जहाँ कोई सीवर उपलब्ध नहीं है, वहाँ सीवेज और सलेज किसी अनुमोदित साइट-स्थित या विकेंद्रीकृत शोधन प्रणाली में जाएँगे। ऐसी प्रणाली का शोधित बहिःस्राव केवल राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) और ड्रेन के स्वामी की लिखित सम्मति से ही किसी वर्षा जल ड्रेन में छोड़ा जा सकता है।

8.9.4 **सार्वजनिक ड्रेन: DWF सर्वेक्षण.** टियर A क्षेत्र में प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय (ULB) जलाशयों में गिरने वाले अपने वर्षा जल ड्रेन आउटफॉल का शुष्क मौसम प्रवाह के लिए वर्ष में कम से कम एक बार, दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले, सर्वेक्षण करेगा, और निम्नलिखित दर्ज करेगा:

- (a) DWF वाले आउटफॉल;
- (b) DWF की अनुमानित दर; और
- (c) अनुरेखण, CCTV, डाई या धुआँ परीक्षण द्वारा पाए गए प्रतिप्रवाह स्रोत।

परिणाम खंड 10.17 के रजिस्टर में प्रकाशित किए जाएँगे।

8.9.5 **DWF अवरोधन.** जब तक स्रोत हटाए नहीं जाते, DWF ले जाने वाले जलाशय के प्रत्येक आउटफॉल पर एक DWF इंटरसेप्टर (DWF interceptor) होगा जो:

- (a) DWF को किसी सीवर या शोधन संयंत्र की ओर मोड़े;
- (b) लघु या प्रमुख घटना (अध्याय 6) के लिए वर्षा जल ड्रेन की क्षमता को कम न करे, और उसके वियर या विपथन की हेड हानियाँ हाइड्रोलिक डिजाइन में सम्मिलित हों (अध्याय 9);
- (c) विपथन से पहले उसमें एक जाली हो; और
- (d) स्रोत जुड़ावों को हटाने का विकल्प न हो।

8.9.6 **सीवेज अतिप्रवाह.** कोई नया सीवेज अतिप्रवाह, आपातकालीन बाइपास या पंपिंग स्टेशन अतिप्रवाह किसी वर्षा जल ड्रेन या जलाशय में छोड़ने के लिए डिजाइन नहीं किया जाएगा, सिवाय वहाँ जहाँ सीवरेज एजेंसी यह दर्शाए कि कोई विकल्प नहीं है, और तब भी केवल जाली लगाकर और अतिप्रवाह की आवृत्ति बताते हुए।

> **भाष्य.** सीवेज जुड़ावों का निषेध और अनुमोदन की शर्त के रूप में विद्यमान अवैध जुड़ावों को हटाना इस मैनुअल की मूल अपेक्षाएँ हैं, और खंड 1.10.3 उनसे किसी विचलन की अनुमति नहीं देता। वर्षा जल ड्रेन में सीवेज राजस्थान में शहरी जल निकासी की सबसे बड़ी जल गुणवत्ता समस्या है। यह इस अध्याय के हर अन्य उपाय को निष्फल कर देता है: वर्षा जल के लिए डिजाइन की गई BMP पर अत्यधिक भार पड़ता है, GPT कीचड़ से भर जाते हैं, और प्राप्तकर्ता तालाब और चैनल सीवेज के लैगून बन जाते हैं। CPHEEO (2019) बताता है कि भारतीय ड्रेन मानव मल और मूत्र ले जाती हैं (Part A §9.5)। DWF अवरोधन (खंड 8.9.5) एक अंतरिम उपाय है। यह स्रोतों का पता लगाए जाने और उन्हें हटाए जाने तक जलाशय की रक्षा करता है, परंतु यदि स्रोत संबंधी काम न किया जाए तो यह स्थायी बन सकता है, इसीलिए खंड 8.9.4 का वार्षिक सर्वेक्षण और प्रकाशन आवश्यक है। वार्षिक सर्वेक्षण की आवृत्ति इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।
>
> राजस्थान में कानून पहले से ही दोनों को अलग करता है: राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 में "सीवेज और वर्षा जल की ड्रेनें अलग होंगी" ("Sewage and rain water drains to be distinct") शीर्षक वाली एक धारा है (धारा 204; इसका पाठ इस मैनुअल के लिए प्राप्त नहीं हुआ), यह अपेक्षा करता है कि प्रत्येक नए या फिर से बने भवन की जल निकासी, उसके अधिभोग से पहले, पचास फुट के भीतर किसी नगरपालिका ड्रेन में, अन्यथा किसी मलकूप (cess-pool) में की जाए (धारा 202), और नगरपालिका की लिखित सम्मति के बिना किसी नगरपालिका ड्रेन में बनाई गई किसी भी ड्रेन को दंडनीय बनाता है (धारा 213(1))। व्यवहार में शहरों के नाले (nala) सीवेज ले जाते हैं। जयपुर में द्रव्यवती, "जयपुर की सक्रिय नदी जो समय के साथ एक नाला बन गई" ("the active river of Jaipur which, over the time turned into a Nallah"), शहर के नालों से वर्षा जल और अपशिष्ट जल एकत्र करती है, और उसके पुनरुद्धार में सीवेज का अवरोधन करके उसे ऐसे शोधन संयंत्रों तक ले जाया जाता है जिनकी संयुक्त क्षमता उच्चतम न्यायालय को 170 MLD बताई गई है (JDA, EIA; उच्चतम न्यायालय, 7 अगस्त 2026)। जोधपुर में जोजरी शहर का शोधित और अनुपचारित सीवेज और कपड़ा उद्योग का बहिःस्राव प्राप्त करती है, और उच्चतम न्यायालय ने, जिसने इस नदी का स्वतः संज्ञान लिया है, 2026 में लगभग 55 MLD के शोधन अंतर को दर्ज

किया और निर्देश दिया कि कोई भी दूषित वर्षा जल नदी में न जाए (2025 और 2026)। उदयपुर में आयड़ ऊपर की झीलों का अतिप्रवाह उदय सागर तक ले जाती है, और उच्च न्यायालय ने 2026 में निर्देश दिया है कि कोई भी अनुपचारित सीवेज झीलों तक न पहुँचे (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। ये अवरोधन खंड 8.9.5 के अंतर्गत DWF इंटरसेप्टर हैं, और खंड 8.9.5(b) उन पर पूरी तरह लागू होता है: किसी नाले पर या झील के अंतर्वाह पर इंटरसेप्टर लघु और प्रमुख घटनाओं के लिए नाले की क्षमता को कम नहीं करेगा, और उसकी क्षमता से अधिक प्रवाह कॉलोनियों में वापस चढ़े बिना नाले में नीचे की ओर या झील में आगे जाएगा।

8.10 जलाशयों में गिरने वाले आउटफॉल: प्रथम प्रवाह, स्थूल प्रदूषक जाल और जालियाँ

8.10.1 **अपेक्षा.** किसी जलाशय में गिरने वाले प्रत्येक नए वर्षा जल ड्रेन आउटफॉल में, और ऐसी ड्रेन पर, जिसे पुनर्निर्मित, चौड़ा या विस्तारित किया जाता है, प्रत्येक विद्यमान आउटफॉल में निम्नलिखित होंगे:

- (a) खंड 8.7.10 के अंतर्गत डिजाइन किया गया एक GPT; और
- (b) प्रथम प्रवाह उपचार: खंड 8.7 की BMP द्वारा योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र के WQv (या Q_wq) का उपचार, या तो योगदान देने वाली साइटों पर या आउटफॉल पर।

8.10.2 **जहाँ आउटफॉल पर उपचार व्यावहारिक नहीं है.** जहाँ किसी सार्वजनिक आउटफॉल पर भूमि उपलब्ध नहीं है, वहाँ प्रथम प्रवाह उपचार निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है:

- (a) Q_wq के लिए आकारित कोई स्वामित्वाधीन प्रथम प्रवाह या हाइड्रोडायनामिक युक्ति; या
- (b) जलाशय के सेटबैक (खंड 7.5.1(b)) के भीतर, जल-फैलाव क्षेत्र के बाहर, कोई उपचार आर्द्रभूमि या फोरबे।

8.10.3 **जालियाँ और कचरा-रोधी जालियाँ.** आउटफॉल, पुलिया के इनलेट और पंप संप पर लगी जालियाँ:

- (a) हाइड्रोलिक क्षमता के लिए **50% अवरोध** मानकर डिजाइन की जाएँगी;
- (b) उनमें अतिप्रवाह या बाइपास मार्ग होगा ताकि पूरी तरह अवरुद्ध जाली संपत्ति को जलमग्न न करे;
- (c) उनकी छड़ों के बीच की दूरी खतरे के अनुसार चुनी जाएगी: कचरा पकड़ने के लिए कम दूरी, और जहाँ अवरोध से बाढ़ आएगी वहाँ अधिक दूरी; और
- (d) वे किसी सुरक्षित प्लेटफॉर्म से साफ की जा सकेंगी, और वहाँ तक वाहन की पहुँच होगी।

8.10.4 **विद्यमान आउटफॉल.** प्रत्येक ULB जलाशयों में गिरने वाले अपने विद्यमान आउटफॉल पर GPT और DWF इंटरसेप्टर लगाने का एक कार्यक्रम तैयार करेगा, जिसकी शुरुआत पेयजल आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले तालाबों और अधिसूचित आर्द्रभूमियों (खंड 7.12) में गिरने वाले आउटफॉल से होगी, और खंड 10.17 के रजिस्टर में प्रगति की रिपोर्ट देगा।

भाष्य. यह मैनुअल जलाशयों में गिरने वाले आउटफॉल पर प्रथम प्रवाह उपचार और स्थूल प्रदूषक जाल की अपेक्षा करता है। स्थूल प्रदूषक राजस्थान के जलाशयों में प्रदूषण का सबसे अधिक दिखाई देने वाला रूप हैं, और प्लास्टिक ड्रेन और पुलियों को भी अवरुद्ध करते हैं, जो जल गुणवत्ता को बाढ़ से जोड़ता है। जाली का 50% अवरोध अध्याय 6 के जाली इनलेट अवरोध गुणक से मेल खाता है। खंड 8.10.3(c) बड़ी ड्रेन पर महीन जालियों के विरुद्ध चेतावनी देता है, जो वर्षा घटना के पहले घंटे में ही अवरुद्ध हो जाती हैं और वही बाढ़ लाती हैं जिसे रोकने के लिए वे लगाई गई थीं।

8.11 वर्षा जल संचयन का एकीकरण

8.11.1 **RWH की अनिवार्यता जारी है.** भवन विनियम, 2025 (विनियम 8.3, जिसके अंतर्गत 225 m^2 या अधिक के भूखंडों पर वर्षा जल संचयन इकाई या संरचना, या फिल्टर सहित छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक, अनिवार्य है, और वापसी योग्य धरोहर राशि भू-जल विभाग, WRD या इस क्षेत्र के अनुभवी सेवानिवृत्त अभियंता से सुचारु संचालन रिपोर्ट मिलने के बाद ही लौटाई जाती है; और बड़ी परियोजनाओं के लिए पुनर्भरण बोर और बिना पक्के खुले स्थान संबंधी अनुसूची 4 की पर्यावरणीय शर्तें) द्वारा, और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 238 द्वारा, जिसके अंतर्गत नगरपालिका के इस प्रमाण-पत्र के बिना कि वर्षा जल संचयन का प्रावधान कर दिया गया है, किसी नए भवन को कोई सार्वजनिक जल कनेक्शन नहीं दिया जाता, अपेक्षित वर्षा जल संचयन खंड 8.8.1 की सीमाओं के अधीन लागू रहता है (अध्याय 1)। यह खंड निर्धारित करता है कि इस मैनुअल के अंतर्गत RWH संरचनाओं को कैसे गिना जाए।

8.11.2 **तीन भिन्न कार्य.** डिजाइनकर्ता ड्रॉइंग और गणनाओं में निम्नलिखित को अलग-अलग रखेगा:

- (a) **संचयन**: उपयोग के लिए भंडारण (संप और टैंक);
- (b) **पुनर्भरण**: पुनर्भरण गड्ढे, खाइयाँ, शाफ्ट और कुएँ जो पानी को भूमि में पहुँचाते हैं; और
- (c) **अस्थायी भंडारण**: ऑरिफिस आउटलेट वाला ऐसा भंडारण जो वर्षा घटना के आरंभ में खाली हो (अध्याय 4)।

8.11.3 **पुनर्भरण संरचनाएँ.**

- (a) छत का अपवाह किसी फिल्टर या अवसादन कक्ष के बाद पुनर्भरण कुओं, खुले कुओं, पुनर्भरण गड्ढों और शाफ्टों में ले जाया जा सकता है।
- (b) सड़कों, पार्किंग और अन्य पक्के क्षेत्रों का अपवाह किसी कुएँ, बोरवेल या पुनर्भरण शाफ्ट में सीधे नहीं ले जाया जाएगा। उसका पुनर्भरण केवल ऐसी अंतःस्यंदन सुविधा के माध्यम से किया जा सकता है जो खंड 8.8 को पूरा करे, पूर्व-उपचार सहित।
- (c) पुनर्भरण संरचनाएँ खंड 8.8.1 की भूजल से दूरी पूरी करेंगी, जो गड्ढे के आधार या फिल्टर माध्यम के तल से मापी जाएगी, सिवाय उन पुनर्भरण कुओं के जो केवल छना हुआ छत का पानी प्राप्त करते हैं।

8.11.4 **प्रतिधारण और WQv के लिए क्रेडिट.** कोई पुनर्भरण संरचना अध्याय 4 के प्रतिधारण आयतन और WQv में केवल तभी गिनी जाती है जब:

- (a) उसकी अंतःस्यंदन दर का परीक्षण खंड 8.8.3 के अंतर्गत किया गया हो;
- (b) वह डिजाइन दर पर 72 घंटों के भीतर खाली हो जाए; और
- (c) उसमें पूर्व-उपचार हो।

संचयन संप प्रतिधारण में केवल तभी गिना जाता है जब उसकी सामग्री का उपयोग, जल निकासी रिपोर्ट में बताई गई माँग द्वारा, 72 घंटों के भीतर हो जाए (अध्याय 4)।

8.11.5 **अस्थायी भंडारण के रूप में कोई क्रेडिट नहीं.** RWH भंडारण अस्थायी भंडारण के रूप में नहीं गिना जाता, जब तक कि वह एक समर्पित आयतन न हो जो वर्षा घटना आने पर खाली हो और जिसमें आउटलेट हो। प्रत्येक दक्षिण-पश्चिम मानसून (JJAS) डिजाइन वर्षा घटना के आरंभ में RWH संप **भरे हुए** माने जाते हैं (अध्याय 4)।

8.11.6 **अतिप्रवाह.** प्रत्येक RWH संरचना में एक अतिप्रवाह होगा जो सतह के स्तर पर साइट की जल निकासी में पानी छोड़े, कभी भी पड़ोसी भूखंड पर या किसी सीवर में नहीं।

8.11.7 **सार्वजनिक स्थानों में सतही अपवाह का पुनर्भरण.** सड़कों, मध्य पट्टियों, पार्कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में पुनर्भरण खाइयाँ, शाफ्ट और अंतःस्रवण गड्ढे (percolation pits), भारी यातायात वाली सड़कों के लिए हॉटस्पॉट नियमों सहित, खंड 8.8 को पूरी तरह पूरा करेंगे, और प्रत्येक इनलेट पर उनमें एक GPT या गाद-जाल होगा।

भाष्य. RWH भंडारण अस्थायी भंडारण के रूप में नहीं गिना जाता, यह नियम अध्याय 4 में निर्धारित है। राजस्थान के भवन विनियम वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाते हैं, परंतु उनमें से कोई भी अस्थायी भंडारण का नियम निर्धारित नहीं करता। भवन विनियम, 2025 के अंतर्गत 225 m² या अधिक के प्रत्येक भूखंड पर वर्षा जल संचयन इकाई या संरचना, या फिल्टर सहित "छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक" ("Rooftop Rain Water Storage Tank"), अनिवार्य है (विनियम 8.3(i)); वापसी योग्य धरोहर राशि, जो 225 से 500 m² के भूखंडों के लिए ₹50,000 से लेकर 10,000 m² से अधिक के भूखंडों के लिए ₹5 लाख तक है, भू-जल विभाग, WRD या इस क्षेत्र के अनुभवी सेवानिवृत्त अभियंता से सुचारु संचालन रिपोर्ट मिलने के बाद ही लौटाई जाती है (विनियम 8.3(ii) और अनुसूची 2); और जिन क्षेत्रों को प्राधिकरण, न्यास या शहरी स्थानीय निकाय जलभराव वाले क्षेत्र के रूप में चिह्नित करे, वहाँ ये संरचनाएँ अनिवार्य नहीं हैं (विनियम 8.3(iii))। जिन 2020 के विनियमों को ये प्रतिस्थापित करते हैं, उन्होंने सीमा-मान 300 m² रखा था, और 1,000 m² से अधिक के भूखंडों पर पुनर्भरण संरचनाओं का डिजाइन भूविज्ञान विभाग या किसी विशेषज्ञ की तकनीकी सहायता से करने की अपेक्षा की थी (2020 के मॉडल और JDA विनियमों का विनियम 10.11.1), और 225 m² में परिवर्तन 2024 से बताया गया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार; अधिसूचना नहीं मिली)। 5,000 से 20,000 m² निर्मित क्षेत्र वाले भवनों के लिए पर्यावरणीय शर्तें प्रति 5,000 m² कम से कम एक पुनर्भरण गड्ढे या बोर की और खुले स्थान के कम से कम 20% भाग के बिना पक्का रहने की अपेक्षा करती हैं (JDA के 2020 के विनियमों का अनुलग्नक 4)। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 सरकारी भवनों में, और उपविधियों द्वारा विहित रूप में अन्य सभी भवनों में, वर्षा जल संचयन को अनिवार्य बनाता है, ₹10,000 से ₹20,000 के जुर्माने सहित, और नगरपालिका के इस प्रमाण-पत्र के बिना कि इसका प्रावधान कर दिया गया है, किसी नए भवन को सार्वजनिक जल कनेक्शन देने पर रोक लगाता है (धारा 238); बताया गया है कि PHED 225 m² या अधिक के भूखंडों पर बने भवनों को पुनर्भरण संरचना बन जाने के बाद ही कनेक्शन देता है (2024, प्रकाशित खबरों के अनुसार), और RIICO 500 m² या अधिक के औद्योगिक भूखंडों पर संचयन की अपेक्षा करता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। विनियम आकार निर्धारण की कोई विधि, प्रथम प्रवाह मानक, वर्षा घटना से पहले भंडारण के खाली रहने की कोई अपेक्षा या चरम प्रवाह की कोई सीमा निर्धारित नहीं करते। टाँका (taanka), दीवारों से बना वह हौज जो छत और आँगन के अपवाह को उपयोग के लिए भंडारित करता है, राजस्थान का संचयन का अपना रूप है, और 2025 के विनियमों का छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक उसका आधुनिक रूप है। क्योंकि राज्य के भूजल का दोहन इस शृंखला में सबसे अधिक है (खंड 8.8.1), इसलिए राज्य के अधिकांश भाग में संचयन का मुख्य कार्य पुनर्भरण है (खंड 8.11.2(b)); जोधपुर के पुराने शहर, नहर पट्टी और जलभराव वाले चिह्नित क्षेत्रों में उपयोग के लिए भंडारण पहले आता है, और पुनर्भरण खंड 8.8.1 की भूजल से दूरी की जाँच की प्रतीक्षा करता है। RWH जल आपूर्ति और पुनर्भरण का काम करता है। हफ्तों की वर्षा के बाद जुलाई या अगस्त में मानसून अवदाब (monsoon depression) आने तक वह प्रायः भरा होता है, या उसकी मिट्टी संतृप्त होती है, इसीलिए उसे अस्थायी भंडारण के रूप में नहीं गिना जा सकता।

खंड 8.11.3(b) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे इसलिए निर्धारित करता है कि सड़क का अपवाह तेल, धातुएँ और रोगाणु ले जाता है। पुनर्भरण शाफ्ट या बोरवेल उस मिट्टी को बाइपास कर देता है जो अन्यथा उसे छानती, और उसे सीधे उस जलभृत तक पहुँचा देता है जो आसपास के कुओं को पानी देता है। CGWB का *Manual on Artificial Recharge of Ground Water* (2007) पुनर्भरण संरचनाओं के प्रकार और फिल्टर डिजाइन देता है; यह मैनुअल स्रोत जल पर प्रतिबंध जोड़ता है।

8.12 निर्माण चरण में अपरदन और तलछट नियंत्रण

8.12.1 **ESC योजना. 0.1 ha** या अधिक भूमि विक्षोभ वाले प्रत्येक विकास के लिए, और प्रत्येक सार्वजनिक जल निकासी या सड़क कार्य के लिए, एक अपरदन और तलछट नियंत्रण (ESC) योजना होगी, जो जल निकासी रिपोर्ट के साथ अनुमोदित की जाएगी। उसमें दर्शाया जाएगा:

- (a) सफाई, मिट्टी के काम और स्थिरीकरण का क्रम;
- (b) प्रत्येक चरण में खुला क्षेत्र;
- (c) खंड 8.12.3 के उपाय, उनके स्थानों और आकारों के साथ;
- (d) अंतःस्यंदन और प्रतिधारण क्षेत्रों की सुरक्षा (अध्याय 10);

- (e) सामग्री के ढेर, कंक्रीट धुलाई और ईंधन भंडारण के स्थान; और
- (f) निरीक्षण और रखरखाव की अनुसूची।

8.12.2 **मानसून के अनुसार समय.** मिट्टी के काम की योजना इस प्रकार बनाई जाएगी कि:

- (a) दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून से सितंबर) के दौरान खुला क्षेत्र यथासंभव छोटा हो;
- (b) सभी पूरे हो चुके मिट्टी के काम **15 जून** तक वनस्पति, मल्च, मैटिंग या पक्की सतह द्वारा स्थिर कर दिए जाएँ; और
- (c) 15 जून और 30 सितंबर के बीच खुले किसी भी क्षेत्र की सफाई से पहले वहाँ तलछट नियंत्रण लगा दिए जाएँ।

8.12.3 **उपाय.**

- (a) परत प्रवाह प्राप्त करने वाले विक्षुब्ध क्षेत्रों के निचले ढलान वाले किनारे पर **गाद बाड़ (silt fence)**, जिसमें प्रत्येक बाड़ तक बहने वाला क्षेत्र परिशिष्ट 8E में निर्धारित अनुसार सीमित हो।
- (b) 2 ha तक के विक्षुब्ध क्षेत्रों से संकेंद्रित प्रवाह के लिए **तलछट जाल (sediment traps)**।
- (c) 2 ha से अधिक के विक्षुब्ध क्षेत्रों के लिए **तलछट बेसिन (sediment basins)**। आउटलेट के नीचे भंडारण आयतन कम से कम 50% AEP (2-वर्ष) 24-घंटे की वर्षा घटना से अपवाह और जल निकासी क्षेत्र के **प्रति हेक्टेयर 250 m³**, इनमें से जो अधिक हो, होगा, और उसमें सतह से पानी निकालने वाला जल-निष्कासन आउटलेट होगा।
- (d) साइट से अपवाह प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यमान ड्रेन इनलेट पर **इनलेट सुरक्षा**।
- (e) **स्थिरीकृत निर्माण निकास**, जहाँ वाहन सार्वजनिक सड़कों पर आते हैं वहाँ पहिया धुलाई के साथ।
- (f) **सामग्री के ढेर** किसी भी जलाशय सेटबैक के जोन 1 (अध्याय 7) के बाहर, किसी भी ड्रेन से कम से कम 10 m दूर, और दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान ढके हुए।
- (g) **जल-निष्कासन** का पानी किसी तलछट बेसिन, अवसादन टैंक या फिल्टर बैग से होकर जाए, कभी भी सीधे किसी ड्रेन या जलाशय में पंप न किया जाए।
- (h) **कंक्रीट धुलाई** लाइनरयुक्त गड्ढे में, कभी भी किसी ड्रेन में नहीं।

8.12.4 **अस्थायी कार्यों के लिए डिजाइन वर्षा घटना.** अस्थायी ESC उपाय 1.0 के जलवायु गुणक (खंड 2.8.2) के साथ अध्याय 2 की वर्षा का उपयोग करते हैं।

8.12.5 **निरीक्षण.** ESC उपायों का निरीक्षण साप्ताहिक और प्रत्येक भारी वर्षा घटना (अध्याय 10 में परिभाषित अनुसार) के 24 घंटों के भीतर किया जाएगा, 48 घंटों के भीतर मरम्मत की जाएगी, और तलछट से आधा भर जाने पर सफाई की जाएगी।

8.12.6 **हटाना.** अस्थायी उपाय केवल तभी हटाए जाएँगे जब उन तक बहने वाला क्षेत्र स्थिर हो जाए। तलछट नियंत्रण के लिए उपयोग की गई किसी भी स्थायी सुविधा से तलछट उसके यथा-निर्मित सर्वेक्षण से पहले हटाई जाएगी (अध्याय 10)।

> **भाष्य.** 0.1 ha की सीमा-मान अध्याय 1 की प्रयोज्यता सीमा-मान है। 250 m³/ha का तलछट बेसिन आयतन, US EPA Construction General Permit का, निकासी किए गए प्रति एकड़ 3,600 ft³ का न्यूनतम मान है, जिसे SI में बदला गया है (US EPA, 2022 CGP); CGP विकल्प के रूप में 2-वर्ष, 24-घंटे के अपवाह की अनुमति देता है। यह मैनुअल दोनों में से अधिक की अपेक्षा करता है, क्योंकि राजस्थान की 2-वर्ष 24-घंटे की गहराइयाँ अधिक हैं और निर्माण स्थल प्रायः दक्षिण-पश्चिम मानसून भर खुले छोड़ दिए जाते हैं। जाल और बेसिन के बीच 2 ha का विभाजन, 15 जून की स्थिरीकरण तिथि, ढेर की 10 m की दूरी और निरीक्षण की आवृत्ति का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। 15 जून की तिथि अध्याय 10 की मानसून-पूर्व समय-सीमा से मेल खाती है। निर्माण की तलछट प्रदूषक होने के साथ-साथ बाढ़ का प्रत्यक्ष खतरा भी है: यह ड्रेन, पुलियों और तालाबों को भर देती है, और राजस्थान में यह उन तालाबों (talab), जोहड़ों (johad) और नाडियों (nadi) में, जिन्हें नाले (nala) और प्रवाह मार्ग पानी देते हैं, और शहरी झीलों में जम जाती है (खंड 7.9, भाष्य)।

8.13 निगरानी

8.13.1 **आउटफॉल की निगरानी.** प्रत्येक टियर A प्राधिकारी जलाशयों में गिरने वाले अपने आउटफॉल के एक प्रतिनिधि समूह पर जल गुणवत्ता की निगरानी करेगा, जिसमें पेयजल तालाब या अधिसूचित आर्द्रभूमि में गिरने वाला प्रत्येक आउटफॉल सम्मिलित होगा। निगरानी में सम्मिलित होगा:

- (a) शुष्क मौसम में नमूना संग्रह (खंड 8.9.4), वर्ष में कम से कम एक बार, दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले; और
- (b) सूचक आउटफॉल के एक समूह पर प्रत्येक दक्षिण-पश्चिम मानसून में कम से कम तीन घटनाओं का वर्षा के समय नमूना संग्रह।

8.13.2 **प्राचल.** कम से कम: TSS, BOD, COD, फीकल कोलीफॉर्म, कुल नाइट्रोजन, कुल फॉस्फोरस, तेल और ग्रीस, और औद्योगिक जलग्रहण क्षेत्रों के लिए भारी धातुएँ। परिणामों की तुलना प्राप्तकर्ता जलाशय के निर्धारित सर्वोत्तम उपयोग के लिए CPCB के जल गुणवत्ता मानदंडों से की जाएगी।

8.13.3 **स्थूल प्रदूषकों के अभिलेख.** प्रत्येक सफाई पर प्रत्येक GPT और जाली से हटाई गई सामग्री का द्रव्यमान या आयतन O&M अभिलेखों में दर्ज किया जाएगा (अध्याय 10)।

8.13.4 **BMP के प्रदर्शन की निगरानी.** राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति BMP के प्रदर्शन का अंशांकन कार्यक्रम चलाएगी और उसके परिणामों से तालिका 8.3 और परिशिष्ट 8C को संशोधित करेगी।

8.13.5 **प्रकाशन.** निगरानी के परिणाम खंड 10.17 के रजिस्टर में प्रकाशित किए जाएँगे।

> **भाष्य.** इस मैनुअल के लिए शोध के दौरान राजस्थान में वर्षा जल की गुणवत्ता की निगरानी का कोई कार्यक्रम नहीं मिला, और CPHEEO (2019) कोई भारतीय लक्ष्य निर्धारित नहीं करता। खंड 8.13 की निगरानी तालिका 8.3 के अंशांकन और यह दर्शाने के लिए आवश्यक न्यूनतम है कि DWF अवरोधन और स्रोत हटाने का काम प्रभावी है या नहीं। प्राचलों की सूची CPHEEO की WSUD प्रक्रिया में बताए गए मुख्य प्रदूषकों (TSS, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और स्थूल प्रदूषक) का अनुसरण करती है, जिसमें सीवेज संदूषण के कारण BOD और फीकल कोलीफॉर्म जोड़े गए हैं। निगरानी की आवृत्तियाँ इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

8.14 प्रस्तुति संबंधी अपेक्षाएँ

इस अध्याय के अंतर्गत प्रत्येक जल निकासी रिपोर्ट में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

1. **जल गुणवत्ता पत्रक (प्रपत्र 8-1)**: P_ret, P_3m और P_wq; प्रत्येक जल निकासी क्षेत्र के लिए WQv और Q_wq; अध्याय 4 के अंतर्गत रोका गया आयतन; और प्रत्येक क्षेत्र की सेवा करने वाली BMP;
2. टियर A के लिए: LoS गणना (ΔCN, आवश्यक LoS) और संयुक्त VR (खंड 8.6);
3. पूर्व-उपचार सहित, खंड 8.7 और परिशिष्ट 8D के अनुसार प्रत्येक BMP का डिजाइन;
4. अंतःस्यंदन और पुनर्भरण के लिए: **अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख (प्रपत्र 8-2)**, मौसमी उच्चतम भूजल स्तर और उसका स्रोत, डिजाइन दर, खाली होने का समय, और खंड 8.8.6 के सेटबैक;
5. सीवेज और सलेज जुड़ाव योजना और खंड 8.9.2 का डाई या धुआँ परीक्षण अभिलेख;
6. किसी जलाशय में गिरने वाले किसी भी आउटफॉल के लिए GPT और प्रथम प्रवाह डिजाइन (खंड 8.10);
7. संचयन, पुनर्भरण और अस्थायी भंडारण को अलग-अलग दर्शाता RWH लेआउट (खंड 8.11); और
8. ESC योजना (खंड 8.12)।

8.15 समीक्षा और अद्यतन

8.15.1 इस अध्याय की समीक्षा मैनुअल के शेष भाग के साथ की जाएगी (अध्याय 1)। तालिका 8.3 की समीक्षा तब भी की जाएगी जब खंड 8.13.4 का अंशांकन कार्यक्रम रिपोर्ट दे, और किसी भी स्थिति में अधिसूचना के 5 वर्षों के भीतर।

संदर्भ (अध्याय)

- MoHUA / CPHEEO (2019). Manual on Storm Water Drainage Systems, Part A: Engineering Design (§9.5, Ch. 10). https://web.archive.org/web/2024/https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/VolumeI-Part%20A-Engineering-Design.pdf
- Mid-America Regional Council and Kansas City Metro Chapter APWA (2012). Manual of Best Management Practices for Stormwater Quality (Tables 4.2–4.6). https://www.marc.org/sites/default/files/2022-05/Best_Management_Practices_for_Stormwater_Quality.pdf
- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01; MARC factsheet and Supplement. https://www.marc.org/document/apwa-5600-manual-factsheet ; https://www.marc.org/document/apwa-stormwater-standards-supplement
- Atlanta Regional Commission / Georgia EPD (2016). Georgia Stormwater Management Manual, 2016 Edition, Vols 1–2. https://documents.atlantaregional.com/gastormwater/GSMM_2016%20EDITION_FINAL_V1.pdf
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2012). Urban Stormwater Management Manual for Malaysia (MSMA), 2nd Edition. https://did.sarawak.gov.my/web/attachment/show/?docid=clRsMlRycU1lNnFRcnl3eDZnNkJMdz09OjpY0au0UPvQ9zUHVWRMbCKX
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2008). Submission Checklist for Stormwater Management. https://www.water.gov.my/jps/resources/auto%20download%20images/5844dfbba8fc1.pdf
- CIRIA (2015). The SuDS Manual (C753). London: CIRIA.
- PUB, Singapore's National Water Agency. Active, Beautiful, Clean Waters Design Guidelines (वर्तमान संस्करण)।
- Central Ground Water Board (2007). Manual on Artificial Recharge of Ground Water. Ministry of Water Resources, Government of India.
- US Environmental Protection Agency (2022). NPDES Construction General Permit (तलछट बेसिन का आकार निर्धारण)।
- ASTM D3385. Standard Test Method for Infiltration Rate of Soils in Field Using Double-Ring Infiltrometer.
- BRE Digest 365. Soakaway Design. Building Research Establishment, UK.
- Government of Rajasthan, Urban Development and Housing Department. Model Rajasthan Building Regulations, 2025 (मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025; विनियम 8.3 और अनुसूची 2); Jaipur Development Authority, Jaipur Region Building Regulations, 2020 (जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन) भवन विनियम, 2020; विनियम 10.11.1 और अनुलग्नक 4) (अध्याय 7 के संदर्भ)।
- Government of Rajasthan. Rajasthan Municipalities Act, 2009 (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009; धारा 202, 204 (केवल शीर्षक), 213 और 238) (अध्याय 7 के संदर्भ)।
- Government of Rajasthan. Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority Act, 2024 (राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण अधिनियम, 2024; 2025 का अधिनियम संख्यांक 20) (प्रारंभ की तिथि नहीं मिली)। https://prsindia.org/files/bills_acts/acts_states/rajasthan/2025/Act20of2025RJ.pdf
- Central Ground Water Board. *Dynamic Ground Water Resources of India, 2024* (राजस्थान: दोहन का चरण और आकलन इकाइयों की श्रेणियाँ; भूजल की गुणवत्ता)। https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17422956315926010 65file.pdf ; CGWB, *Ground Water Year Book 2020–21, Rajasthan* (भूजल स्तर की गहराई)। https://www.cgwb.gov.in/old_website/Regions/WR/Reports/GW%20Year%20Book%202020-21-Rajasthan.pdf

- National Institute of Hydrology. Assessment of water level rise crises in Jodhpur (दिसंबर 2023 से मार्च 2025 तक का अध्ययन)। https://nihroorkee.gov.in/studies_2014-2025/135-Assessment%20of%20water%20level%20rise%20crises%20in%20Jodhpur_S.%20Nema.pdf ; जोधपुर के उठते भूजल स्तर की खबरें (द्वितीयक स्रोत): Down To Earth (17 मार्च 2022), DNA और Gulf News।
- Dhir, R. P., Joshi, D. C., Singh, N., Sharma, B. K. and Kolarkar, A. S. (1997). Taxonomy and distribution of arid soils of Rajasthan. *Annals of Arid Zone* 36(4): 327–333. https://epubs.icar.org.in/index.php/AAZ/article/download/65446/27729/164388 ; वायूढ़ रेत, जोधपुर की दोमट रेत और कोटा और चंबल श्रृंखलाओं के वर्टिसोल की अंतःस्यंदन दरें (केवल खोज सारांशों के माध्यम से पढ़ी गईं), जिनमें Nathani, Sharma और Nagar, *Journal of Soil and Water Conservation* सम्मिलित है। https://epubs.icar.org.in/index.php/JSWC/article/view/128278
- India Meteorological Department (2010). *Climate of Rajasthan* (1951–2000 के सामान्य मान); IMD (2020), दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन और वापसी की नई सामान्य तिथियाँ (अध्याय 7 के संदर्भ)।
- Supreme Court of India. *In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*, Suo Motu W.P. (C) 8 of 2025 (21 नवंबर 2025, 18 मार्च 2026 और 7 अगस्त 2026 के निर्णय); Jaipur Development Authority, Dravyavati EIA (अध्याय 7 के संदर्भ)।
- वर्षा जल संचयन की खबरें (द्वितीयक स्रोत): 225 m^2 की सीमा और PHED कनेक्शनों पर Zee News (8 अगस्त 2024), https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan/jaipur/jaipur-news-rajasthan-government-system-of-water-harvesting-rain-water-recharge-structure-system/2373664 ; RIICO के नियमों पर Drishti IAS (4 जून 2024), https://www.drishtiias.com/state-pcs-current-affairs/new-rainwater-harvesting-rules-in-rajasthan
- Platts, J. T. (1884). *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English* (परिशिष्ट 8D में पौधों के नाम, पृ. 39, 130, 208, 229, 301, 371, 372, 402, 404, 489, 531, 801, 830, 831, 849, 888, 889, 926, 1132, 1152, 1168 और 1169); और Dasa, Syamasundara (1965–1975). *Hindi Shabdasagara* (पृ. 1178, 2455 और 4695)। https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/platts/ ; https://dsal.uchicago.edu/dictionaries/dasa-hindi/
- AMRUT 2.0 के स्वीकार्य घटकों पर संसद का उत्तर AU1419। https://eparlib.sansad.in/bitstream/123456789/2988692/1/AU1419_tzCIvw.pdf

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
8A	जोन के अनुसार 3-माह ARI 24-घंटे की गहराई और IDF
8B	पुनर्विकास के लिए LoS तालिका और उपचार श्रृंखला की संयुक्त VR
8C	राजस्थान में BMP के प्रदर्शन का अंशांकन
8D	BMP डिजाइन पत्रक, माध्यम विनिर्देश, पौधों की सूचियाँ
8E	अपरदन और तलछट नियंत्रण के मानक विवरण
प्रपत्र 8-1	जल गुणवत्ता पत्रक
प्रपत्र 8-2	अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख

अध्याय 9

संरचनाओं का हाइड्रोलिक डिजाइन

9.1 उद्देश्य और विस्तार

9.1.1 यह अध्याय लघु और प्रमुख प्रणालियों (अध्याय 6) में, प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण सुविधाओं (अध्याय 4) में, आउटफॉलों (अध्याय 5) पर और जलाशयों (अध्याय 7) पर प्रयुक्त संरचनाओं के हाइड्रोलिक डिजाइन की विधियाँ निर्धारित करता है। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (a) पाइप और बॉक्स ड्रेन (खंड 9.3);
- (b) पुलियाएँ (culverts) (खंड 9.4);
- (c) खुले चैनल (खंड 9.5);
- (d) ऊर्जा क्षयकारी (energy dissipators), आउटलेट संरक्षण और ड्रॉप संरचनाएँ (खंड 9.6);
- (e) अस्थायी भंडारण की आउटलेट संरचनाएँ (खंड 9.7);
- (f) कचरा-रोधी जालियाँ (trash racks) और जालियाँ (screens) (खंड 9.8);
- (g) पंप और संप (खंड 9.9);
- (h) ज्वार-रोधी गेट (tide gates), फ्लैप गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व (खंड 9.10);
- (i) इनलेट और जालियाँ (gratings) (खंड 9.11);
- (j) मैनहोल, संगम कक्ष (junction chambers) और प्रवेश व्यवस्था (खंड 9.12); और
- (k) सामग्री और स्थायित्व (durability), जिसमें तटीय और लवणीय अनावरण सम्मिलित है (खंड 9.13)।

9.1.2 **संरचनात्मक डिजाइन इस मैनुअल के विस्तार से बाहर है।** संरचनाओं का संरचनात्मक डिजाइन लागू भारतीय मानकों और IRC संहिताओं के अनुसार किया जाएगा, उदाहरण के लिए IS 456 (सादा और प्रबलित कंक्रीट), IS 458 (कंक्रीट पाइप), IRC:SP:13 (छोटे पुल और पुलियाएँ) और IRC की पुल संहिताएँ। जहाँ यह अध्याय किसी संरचनात्मक मानक का उल्लेख करता है, वहाँ वह केवल स्थायित्व (खंड 9.13) या हाइड्रोलिक निष्पादन के लिए करता है।

9.1.3 डिजाइन प्रवाह, डिजाइन AEP और सेवा स्तर की सीमाएँ अध्याय 2 से 7 से ली जाती हैं। यह अध्याय उन्हें नहीं बदलता।

> **भाष्य.** APWA Section 5600 संरचनाओं की अधिकांश हाइड्रोलिक्स को इनलेट और मैनहोल (5604), बंद पाइप प्रणालियों (5606), अभियांत्रिक चैनलों (5607) और अस्थायी भंडारण (5608) संबंधी अपने खंडों में रखता है। CPHEEO (2019) इन्हें अध्याय 5, 6, 8 और 11 में फैलाता है। यह अध्याय इन्हें एक स्थान पर एकत्र करता है और उन विधियों के लिए, जिन्हें भारतीय संहिताएँ पर्याप्त विस्तार से नहीं समेटतीं, अमेरिकी संघीय राजमार्ग प्रशासन (US Federal Highway Administration, FHWA) के हाइड्रोलिक परिपत्रों का संदर्भ देता है: पुलियाओं के लिए HDS-5, ऊर्जा क्षयकारियों के लिए HEC-14, इनलेट और प्रवेश छिद्रों (access holes) के लिए HEC-22, और पंपिंग स्टेशनों के लिए HEC-24। उद्धृत FHWA संस्करण वे हैं जो अक्तूबर 2026 तक FHWA हाइड्रोलिक्स पुस्तकालय में सूचीबद्ध थे।

9.2 सामान्य अपेक्षाएँ

9.2.1 **टेलवाटर (tailwater).** जो भी संरचना किसी ऐसी नदी, नाले (nala), तालाब (talab), झील या जलाशय में पानी छोड़ती है जिसका जल स्तर आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर उठ सकता है, उसका विश्लेषण अध्याय 5 की इन टेलवाटर स्थितियों के साथ किया जाएगा: लघु और प्रमुख प्रणाली के डिजाइन के लिए खंड 5.6 का गैर-ज्वारीय टेलवाटर; खंड 5.8 का नदी का पश्चजल प्रभाव (riverine backwater), जिसमें प्रतिप्रवाह की ओर स्थित किसी डैम या बैराज, जैसे चंबल पर गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज, या बनास पर बीसलपुर, से छोड़े गए पानी से आने वाली बाढ़ सम्मिलित है; जहाँ भी प्राप्तकर्ता जलाशय आउटफॉल के इनवर्ट से ऊपर उठ सकता है वहाँ खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच (outfall-closed check), जो कोटा की उन नगर ड्रेनों के लिए जो चंबल में गिरती हैं, और उन ड्रेनों और नालों के लिए जो उदयपुर की झीलों (पिछोला, फतह सागर और आयड़ पर उनके नीचे की झीलें) में, अजमेर में आना सागर में और उन अन्य शहरी झीलों और तालाबों में गिरते हैं जिनके जल स्तर गेटों या एस्केप चैनलों (escape channel) द्वारा रोके जाते हैं, लागू स्थिति है; किसी झील या जलाशय में आउटफॉल के लिए, झील का अधिकतम जल स्तर (maximum water level), या उसका पूर्ण जल स्तर (full tank level) और उसके ऊपर डिजाइन बाढ़ में होने वाला सरचार्ज, जैसा अध्याय 5 निर्धारित करता है, या, जहाँ इनमें से कोई भी प्रकाशित नहीं है, पूर्ण जल स्तर और उसके ऊपर 0.5 m (इस मैनुअल द्वारा निर्धारित); आउटफॉल के अनुप्रवाह में किसी स्लूइस, अवरोधन संरचना (interception structure), एनीकट (anicut), चेक डैम या पंपिंग स्टेशन द्वारा ड्रेन में रोका गया जल स्तर, जिसे उसके गेट-बंद स्तर, उसके वियर शिखर (weir crest) या उसके पंपों के प्रारंभ स्तर पर एक नियत नियंत्रण के रूप में लिया जाएगा; और खंड 2.12 की संयुक्त स्थिति। जहाँ किसी जलग्रहण क्षेत्र का कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है और वह किसी गर्त, टीलों के बीच के खोखले (dune hollow) या अंतःस्यंदन बेसिन में समाप्त होता है, वहाँ टेलवाटर वह स्तर है जो उस अंतिम भंडारण (terminal storage) में तब पहुँचता है जब वह अंतःस्यंदन और वाष्पीकरण के अतिरिक्त किसी बहिर्वाह के बिना 72-घंटे का डिजाइन आयतन धारण करता है, जैसा यह मैनुअल बिना आउटफॉल वाले जलग्रहण क्षेत्रों के लिए अपेक्षा करता है (खंड 4.12.7)। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जो राजस्थान में किसी भी आउटफॉल पर नदी या झील का डिजाइन जल स्तर निर्धारित करता हो; जब तक ऐसा स्तर प्रकाशित नहीं होता, अध्याय 5 के स्तर लागू होंगे।

9.2.2 **जलवायु गुणक.** डिजाइन प्रवाहों में खंड 2.8 का जलवायु गुणक सम्मिलित किया जाएगा।

9.2.3 **रखरखाव के लिए प्रवेश.** प्रत्येक संरचना खंड 9.12 और अध्याय 10 की विधियों द्वारा निरीक्षण और सफाई के लिए सुलभ होगी, और जहाँ भी व्यवहार्य हो, सीमित स्थानों (confined spaces) में मनुष्य के प्रवेश के बिना।

9.2.4 **डिजाइन आयु.** संरचनाओं का डिजाइन कंक्रीट और चिनाई कार्यों के लिए कम से कम 50 वर्ष की सेवा आयु के लिए, और यांत्रिक तथा विद्युत उपकरणों के लिए कम से कम 25 वर्ष की सेवा आयु के लिए किया जाएगा, जब तक कि अनुमोदन प्राधिकारी अन्यथा सहमत न हो।

9.2.5 **अवरोध.** जहाँ कोई संरचना मलबे से अवरुद्ध हो सकती है, वहाँ उसकी जाँच इस अध्याय में निर्धारित अवरुद्ध स्थिति में की जाएगी, और उस स्थिति के लिए एक सुरक्षित अतिप्रवाह मार्ग उपलब्ध होगा (अध्याय 6, खंड 6.3.2)।

> **भाष्य.** खंड 9.2.4 के डिजाइन आयु मानों का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल उन्हें इसलिए निर्धारित करता है क्योंकि यह तय करने के लिए उनकी आवश्यकता है कि जलवायु गुणक कब लागू होता है (खंड 2.8.2 इसे 25 वर्ष से अधिक डिजाइन आयु वाले घटकों पर लागू करता है)।

9.3 पाइप और बॉक्स ड्रेन

9.3.1 **क्षमता और खुरदरापन.** पाइप और बॉक्स ड्रेन की क्षमता की गणना मैनिंग समीकरण (Manning's equation) द्वारा अध्याय 6 की तालिका 6.6 के डिजाइन n के साथ की जाएगी। प्रीकास्ट या स्थल पर ढाली गई (cast-in-situ) RCC बॉक्स ड्रेनों के लिए डिजाइन n कम से कम 0.015 होगा।

9.3.2 **आंशिक रूप से भरा प्रवाह.** आंशिक रूप से भरे वृत्ताकार पाइपों में गहराई, वेग और प्रवाह दर की गणना वृत्ताकार अनुप्रस्थ काटों (circular sections) के हाइड्रोलिक-तत्व संबंधों (hydraulic-element relationships) से की जाएगी (उदाहरण के लिए CPHEEO 2019, तालिका 5.5)। डिजाइन प्रवाह पर खंड 6.7.3 का न्यूनतम वेग लागू होता है।

9.3.3 **दाब प्रवाह.** जहाँ कोई पाइप पूरा भरकर या सरचार्ज में चलता है, वहाँ HGL की गणना अध्याय 6 के खंड 6.8 के अंतर्गत घर्षण और संरचना हानियों के साथ की जाएगी।

9.3.4 **खड़ी ढलान वाले पाइप.** जहाँ किसी पाइप में डिजाइन प्रवाह अतिक्रांतिक (supercritical) है (फ्रूड संख्या 1 से अधिक), वहाँ डिजाइनकर्ता:

- (a) किसी भी हाइड्रोलिक जंप (hydraulic jump) का स्थान निर्धारित करेगा और दर्शाएगा कि वह पाइप की लंबाई में नहीं, बल्कि उसे समाहित करने के लिए डिजाइन की गई संरचना में होता है;
- (b) जहाँ जंप पाइप को बंद कर सकता है, वहाँ वायु निकास (air venting) का प्रावधान करेगा; और
- (c) खंड 6.7.3(b) के अधिकतम वेग का पालन करेगा।

9.3.5 **आकार और दिशा में परिवर्तन.**

- (a) पाइप का आकार अनुप्रवाह की ओर घटेगा नहीं।
- (b) पाइप केवल मैनहोल या संगम कक्षों पर ही जुड़ेंगे, सिवाय इसके कि इनलेट कनेक्शन 1,200 mm या उससे बड़े पाइपों से कारखाने में बने जंक्शन के माध्यम से जुड़ सकते हैं।
- (c) एक ही संरचना में 90° से अधिक के दिशा परिवर्तन की अनुमति नहीं है।

9.3.6 **उत्प्लावन.** उच्च भूजल वाले क्षेत्रों में पाइपों और बॉक्स ड्रेनों की उत्प्लावन (flotation) के लिए जाँच की जाएगी (अध्याय 6, खंड 6.7.7)।

> **भाष्य.** बॉक्स ड्रेनों के लिए 0.015 का डिजाइन n इस मैनुअल द्वारा तालिका 6.6 के "सामान्य" (fair) कंक्रीट मान के अनुरूप निर्धारित किया गया है। खंड 9.3.4 और 9.3.5 FHWA HEC-22 और अन्य मैनुअलों की सामान्य पद्धति का अनुसरण करते हैं। पाइप की लंबाई के भीतर जंप दाब के झटके (pressure surges) पैदा करता है और मैनहोल के ढक्कन उड़ा सकता है।

9.4 पुलियाएँ

9.4.1 **विधि.** पुलियाओं का डिजाइन FHWA *Hydraulic Design of Highway Culverts*, HDS-5, संस्करण 3 (2012) की विधियों द्वारा, या उन्हें लागू करने वाले सॉफ्टवेयर (उदाहरण के लिए FHWA HY-8) द्वारा किया जाएगा। डिजाइन हेडवाटर इनलेट नियंत्रण के अंतर्गत हेडवाटर (HWi) और आउटलेट नियंत्रण के अंतर्गत हेडवाटर (HWo) में से **अधिक** होता है।

9.4.2 **इनलेट नियंत्रण.** HWi की गणना वास्तव में निर्मित बैरल (barrel) के आकार, सामग्री और इनलेट किनारे की स्थिति के लिए HDS-5 के इनलेट-नियंत्रण समीकरणों या नोमोग्राफों से की जाएगी।

9.4.3 **आउटलेट नियंत्रण.** HWo की गणना इस प्रकार की जाएगी:

> $$HW_o = h_o + H - L \cdot S$$

> $H = [1 + ke + (19.63\ n^2\ L) / R^{1.33}] \cdot V^2 / 2g$ (SI इकाइयाँ, पूर्ण बैरल)

> ho = TW और (dc + D)/2 में से जो अधिक हो

जहाँ ho नियंत्रण के लिए प्रयुक्त आउटलेट जल गहराई (m) है, H बैरल में कुल हेड हानि (m) है, L बैरल की लंबाई (m) है, S बैरल का ढलान (m/m) है, ke प्रवेश हानि गुणांक (तालिका 9.1) है, n बैरल का खुरदरापन है, R हाइड्रोलिक त्रिज्या (m) है, V बैरल में वेग (m/s) है, TW आउटलेट इनवर्ट के ऊपर टेलवाटर की गहराई (m) है, dc क्रांतिक गहराई (m) है और D बैरल की ऊँचाई (rise) (m) है। आउटलेट नियंत्रण के अंतर्गत आंशिक रूप से भरे बैरलों का विश्लेषण HDS-5 में निर्धारित पश्चजल गणना (backwater calculation) द्वारा किया जाएगा।

तालिका 9.1 — प्रवेश हानि गुणांक ke (आउटलेट नियंत्रण, पूर्ण या आंशिक रूप से भरा)

बैरल और इनलेट	ke
कंक्रीट पाइप, भराई से बाहर निकला हुआ, सॉकेट (ग्रूव) सिरा	0.2
कंक्रीट पाइप, भराई से बाहर निकला हुआ, सीधा कटा सिरा	0.5
कंक्रीट पाइप, हेडवॉल या विंगवॉल सहित हेडवॉल, सॉकेट सिरा	0.2
कंक्रीट पाइप, हेडवॉल या विंगवॉल सहित हेडवॉल, चौकोर किनारा	0.5
कंक्रीट पाइप, हेडवॉल, गोलाई वाला प्रवेश (त्रिज्या = D/12)	0.2
कंक्रीट पाइप, भराई के ढलान के अनुरूप तिरछा कटा (mitred)	0.7
कंक्रीट पाइप, बेवल किए गए किनारे	0.2
नालीदार धातु पाइप (corrugated metal pipe), भराई से बाहर निकला हुआ	0.9
RCC बॉक्स, तटबंध के समानांतर हेडवॉल, तीन ओर चौकोर किनारा	0.5
RCC बॉक्स, तटबंध के समानांतर हेडवॉल, तीन किनारे गोल या बेवल किए गए	0.2
RCC बॉक्स, बैरल से 30°–75° पर विंगवॉल, चौकोर किनारे वाला शीर्ष	0.4
RCC बॉक्स, बैरल से 10°–25° पर विंगवॉल, चौकोर किनारे वाला शीर्ष	0.5
RCC बॉक्स, समानांतर विंगवॉल (पार्श्वों का विस्तार), चौकोर किनारे वाला शीर्ष	0.7

स्रोत: FHWA HDS-5 (2012), प्रवेश हानि गुणांक तालिका (Appendix C)।

9.4.4 **टेलवाटर.** TW निम्नलिखित में से उच्चतर होगा:

- (a) डिजाइन प्रवाह पर अनुप्रवाह चैनल में सामान्य (normal) या पश्चजल गहराई; और
- (b) ज्वारीय या नदी के पश्चजल क्षेत्र के भीतर की पुलियाओं के लिए, खंड 9.2.1 का टेलवाटर स्तर।

9.4.5 **हेडवाटर की सीमाएँ.** अध्याय 6 की तालिका 6.1 के डिजाइन AEP पर:

- (a) HW/D 1.2 से अधिक नहीं होगा;

- (b) हेडवाटर, प्रतिप्रवाह फलक पर सड़क के शोल्डर (shoulder) के किनारे से कम से कम 0.3 m नीचे होगा; और
- (c) हेडवाटर किसी भी प्रतिप्रवाह भवन या संपत्ति की सीमा पर जल स्तर को अध्याय 6 के खंड 6.12.2(d) की सीमाओं से ऊपर नहीं उठाएगा।

9.4.6 **सड़क के ऊपर से बहना.** जाँच घटना और 1% AEP घटना में सड़क के ऊपर से होने वाले प्रवाह की गणना चौड़े शिखर वाले वियर (broad-crested weir) के समीकरण से की जाएगी:

> Qr = Cd · L · h^1.5

जहाँ Qr सड़क के ऊपर से होने वाला प्रवाह (m^3/s) है, L ऊपर से बहने वाले खंड की लंबाई (m) है और h सड़क के शिखर के ऊपर हेडवाटर की गहराई (m) है। Cd सड़क की सतह और h तथा सड़क की चौड़ाई के अनुपात के लिए HDS-5 से लिया जाएगा, और यह 1.66 (SI) से अधिक नहीं होगा। पुलिया के प्रवाह और ऊपर से होने वाले प्रवाह को एक साझा हेडवाटर पर संतुलित किया जाएगा। ऊपर से बहने की गहराइयाँ और जोखिम अध्याय 6 के खंड 6.12 का पालन करेंगे।

9.4.7 **आउटलेट वेग.** डिजाइन AEP पर और 1% AEP पर आउटलेट वेग की गणना की जाएगी और आउटलेट को खंड 9.6 के अंतर्गत संरक्षित किया जाएगा।

9.4.8 **बैरल और मलबा.**

- (a) मलबा-प्रवण शहरी ड्रेनों में बहु-बैरल पुलियाओं से बचा जाएगा। जहाँ उनका उपयोग किया जाता है, वहाँ एक बैरल शुष्क मौसम प्रवाह को वहन करेगा, और इनलेट पर मलबा-फिन (debris fin) या विक्षेपक (deflector) होगा।
- (b) पुलियाएँ अध्याय 6 के खंड 6.12.4 और 6.12.5 के न्यूनतम आकार और अवरोध जाँच का पालन करेंगी।
- (c) पुलिया के इनवर्ट ड्रेन के तल से मेल खाएँगे। उन्हें तल से ऊपर नहीं रखा जाएगा, क्योंकि इससे प्रतिप्रवाह की ओर गाद और पानी रुकता है।

9.4.9 **हेडवॉल और कट-ऑफ.** इनलेट और आउटलेट पर हेडवॉल, विंगवॉल और कट-ऑफ दीवारें होंगी, जिनका डिजाइन पाइपिंग (piping) और नींव के कटाव (undermining) को रोकने के लिए किया गया हो।

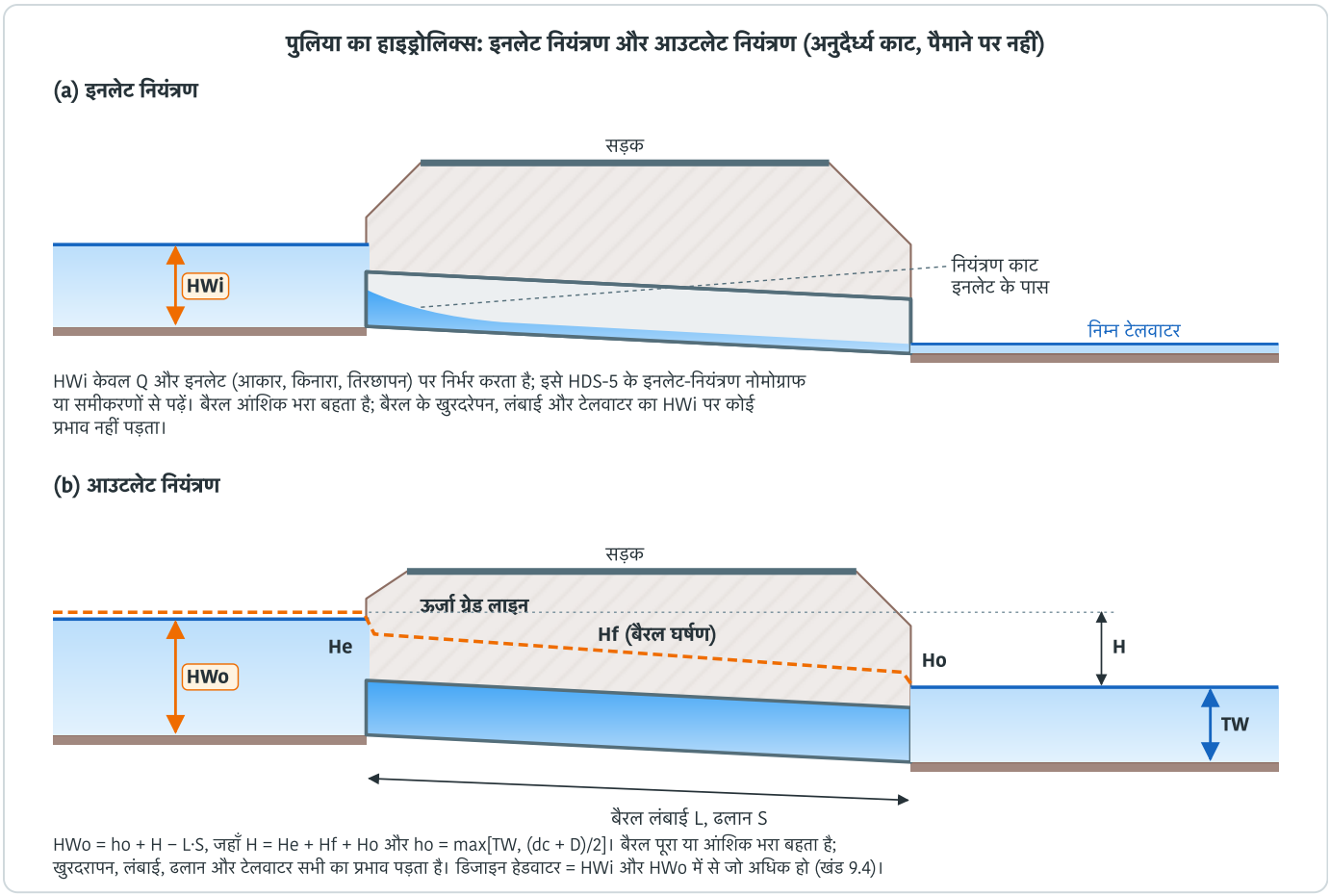

चित्र 9.1 — पुलिया की हाइड्रोलिक्स: इनलेट नियंत्रण और आउटलेट नियंत्रण। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, FHWA, Hydraulic Design of Highway Culverts, HDS-5 (3rd ed., 2012) से अनुकूलित।

भाष्य. HDS-5 (संस्करण 3, FHWA-HIF-12-026, अप्रैल 2012) ने HEC-5, HEC-10 और HEC-13 की पुलिया डिजाइन सामग्री को एक में मिलाया और यह FHWA का वर्तमान पुलिया मैनुअल है। खंड 9.4.3 का आउटलेट-नियंत्रण समीकरण SI इकाइयों में HDS-5 का ऊर्जा समीकरण है: घर्षण गुणांक 19.63, 2g के बराबर है। तालिका 9.1 के ke मान HDS-5 से लिए गए हैं। वियर गुणांक की 1.66 (SI) की सीमा, ऊपर से बहने की गणनाओं के लिए APWA 5600 (2006) की C ≤ 3.0 (US इकाइयाँ) की सीमा का रूपांतरण है। खंड 9.4.5 की हेडवाटर सीमाएँ इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं: HW/D ≤ 1.2 यह सुनिश्चित करता है कि डिजाइन घटना पर इनलेट जलमग्न-ऑरिफिस प्रवाह (submerged-orifice flow) में अधिक दूर तक न चले, जहाँ प्रवाह में छोटी वृद्धि से हेडवाटर में बड़ी वृद्धि होती है। खंड 9.4.8(c) का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; इसे इसलिए सम्मिलित किया गया है क्योंकि राजस्थान में जहाँ किसी पुरानी पुलिया के ऊपर सड़क दोबारा बनाई जाती है, वहाँ ऊँचे किए गए पुलिया इनवर्ट आम हैं, और वे प्रतिप्रवाह की ओर पानी और गाद रोक कर रखते हैं।

9.5 खुले चैनल

9.5.1 **प्रवाह की गणना.** खुले चैनलों का डिजाइन एकसमान प्रवाह के लिए मैनिंग समीकरण द्वारा, तालिका 6.6 के n के साथ किया जाएगा। जहाँ टेलवाटर, पुल, पुलियाएँ, मोड़ या अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन (changes of section) जल स्तरों को प्रभावित करते हैं, वहाँ जल स्तरों की गणना क्रमशः परिवर्ती प्रवाह (gradually varied flow; standard step) विश्लेषण द्वारा की जाएगी; कोटा की उन नगर ड्रेनों पर जो चंबल में गिरती हैं, जिसका जल स्तर कोटा बैराज और उसके ऊपर के डैमों से छोड़ा गया पानी निर्धारित करता है, उदयपुर की झीलों में और अजमेर में आना सागर में

गिरने वाली उन ड्रेनों और नालों (nala) पर, जिनके जल स्तर गेटों और एस्केप चैनलों द्वारा रोके जाते हैं, और ड्रॉप संरचनाओं, एनीकटों (anicut) और चेक डैमों द्वारा सीढ़ीनुमा बनाए गए नालों पर, जैसे जयपुर में द्रव्यवती का चैनल अपनी ड्रॉप संरचनाओं (fall structures) द्वारा है, यही सामान्य स्थिति है।

9.5.2 **प्रवाह व्यवस्था.** डिजाइन प्रवाह पर फ्रूड संख्या 0.8 से अधिक नहीं होगी (CPHEEO 2019, §5.3), जब तक कि चैनल का डिजाइन अतिक्रांतिक ढलवाँ चैनल (supercritical chute) के रूप में न किया गया हो। किसी भी चैनल में डिजाइन प्रवाह पर 0.8 और 1.2 के बीच फ्रूड संख्या वाले प्रवाह की अनुमति नहीं है।

9.5.3 **अनुमेय वेग.** डिजाइन प्रवाह पर माध्य वेग तालिका 9.2 की सीमाओं से अधिक नहीं होगा।

तालिका 9.2 — चैनलों में अधिकतम अनुमेय माध्य वेग

अस्तर या मिट्टी	अधिकतम वेग (m/s)	स्रोत
कंक्रीट अस्तर	3.0	CPHEEO 2019 तालिका 5.11
रिपरैप अस्तर	1.8	CPHEEO 2019 तालिका 5.11
घास का अस्तर	1.2	CPHEEO 2019 तालिका 5.11
स्थिरीकृत मिट्टी का चैनल (संशोधित प्राकृतिक चैनल)	2.0, या क्रांतिक वेग यदि वह कम हो	CPHEEO 2019 §5.10.3
कच्चा, महीन रेत	0.46	Fortier और Scobey (1926), स्वच्छ जल
कच्चा, बलुई दोमट	0.53	उपर्युक्त के अनुसार
कच्चा, गादयुक्त दोमट (silt loam)	0.61	उपर्युक्त के अनुसार
कच्चा, सख्त दोमट (firm loam)	0.76	उपर्युक्त के अनुसार
कच्चा, कड़ी चिकनी मिट्टी (stiff clay)	1.14	उपर्युक्त के अनुसार
कच्चा, महीन बजरी	0.76	उपर्युक्त के अनुसार
कच्चा, मोटी बजरी	1.22	उपर्युक्त के अनुसार

लचीले अस्तरों (वनस्पति, रिपरैप, जियोसिंथेटिक) का डिजाइन इसके स्थान पर FHWA HEC-15, *Design of Roadside Channels with Flexible Linings*, संस्करण 3 (2005) की अनुमेय अपरूपण प्रतिबल विधि (permissible shear stress method) द्वारा किया जा सकता है।

9.5.4 **अनुदैर्ध्य ढलान.** अभियांत्रिक चैनलों में अनुदैर्ध्य ढलान प्राकृतिक अस्तरों के लिए 0.4% और कंक्रीट अस्तरों के लिए 0.2% से अधिक नहीं होगा, जब तक कि ड्रॉप संरचनाओं (खंड 9.6.6) या ढलवाँ चैनल का प्रावधान न किया गया हो (CPHEEO 2019, तालिका 5.11)।

9.5.5 **फ्रीबोर्ड और मोड़.** फ्रीबोर्ड अध्याय 6 की तालिका 6.7 का पालन करेगा, और उसे मोड़ों पर अधि-उन्नयन (superelevation) सहित जल स्तर के ऊपर मापा जाएगा। मोड़ की त्रिज्याएँ अध्याय 6 के खंड 6.7.10 का पालन करेंगी।

9.5.6 **पार्श्व ढलान.** जब तक कोई संरचनात्मक या भू-तकनीकी डिजाइन अधिक खड़े ढलान का समर्थन न करे:

- (a) कच्चे मिट्टी के चैनलों के पार्श्व ढलान 1V:2H से अधिक खड़े नहीं होंगे; और
- (b) घास वाले जिन चैनलों की घास काटी जाती है, उनके पार्श्व ढलान 1V:3H से अधिक खड़े नहीं होंगे।

9.5.7 **अल्प-प्रवाह चैनल.** 3 m या अधिक तल चौड़ाई वाले चैनलों में एक निर्धारित अल्प-प्रवाह चैनल (low-flow channel) होगा, जो खंड 6.7.3 के स्व-सफाई वेग पर शुष्क मौसम प्रवाह को वहन करे।

9.5.8 **संक्रमण.** अनुप्रस्थ काट में परिवर्तनों पर क्रमिक संक्रमणों (transitions) का उपयोग किया जाएगा। अतिक्रांतिक प्रवाह में अचानक विस्तार और संकुचन की अनुमति नहीं है।

9.5.9 **उच्च भूजल में अस्तर.** उच्च भूजल या ज्वारीय प्रभाव वाले क्षेत्रों में पक्के चैनलों में फिल्टर सहित रिसाव छिद्र होंगे, या उनका डिजाइन चैनल खाली होने की स्थिति में उत्थान का प्रतिरोध करने के लिए किया जाएगा।

9.5.10 **प्राकृतिक चैनल.** जहाँ संभव हो, प्राकृतिक चैनलों को संरक्षित किया जाएगा (CPHEEO 2019, §5.10.3 की टिप्पणी; अध्याय 7)। जहाँ किसी प्राकृतिक चैनल में परिवर्तन करना आवश्यक हो, वहाँ उसकी क्षमता अध्याय 6 के डिजाइन AEP का पालन करेगी और उसके वेग तालिका 9.2 का पालन करेंगे।

> **भाष्य.** पक्के चैनलों के वेग और ढलान CPHEEO (2019) तालिका 5.11 के मान हैं। कच्ची मिट्टी के मान स्वच्छ जल के लिए Fortier और Scobey (1926) के प्रचलित अनुमेय वेग हैं, जैसा कि Chow (1959) में दिए गए हैं। ये राजस्थान में आम मिट्टियों के लिए दिए गए हैं (थार के टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत और रेतीली मरुस्थलीय मिट्टी, शुष्क मैदानों की कैल्क्रीट से ढकी और लवणीय मिट्टी, पूर्व और घग्घर के मैदानों की रेतीली दोमट और जलोढ़, हाड़ौती की गहरी काली मिट्टी, और अरावली की पतली मिट्टी और अपक्षयित चट्टान)। 0.8 और 1.2 के बीच फ्रूड संख्याओं पर प्रतिबंध, क्रांतिक प्रवाह से बचने की CPHEEO की सलाह का विस्तार है, जहाँ जल सतह "अस्थिर और लहरदार हो जाती है" (becomes unstable and wavy) (§5.3)। यह विस्तार इस मैनुअल द्वारा किया गया है। पार्श्व ढलान और अल्प-प्रवाह चैनल भी इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं, क्योंकि राजस्थान के अनेक शहरी चैनल तब तक सीवेज-मिश्रित शुष्क मौसम प्रवाह वहन करते हैं जब तक अध्याय 8 के अनुसार सीवेज के अवैध जुड़ाव (cross-connections) हटा नहीं दिए जाते। तब चौड़ा समतल तल अपनी पूरी चौड़ाई में कीचड़ (sludge) जमा करता है, और अल्प-प्रवाह चैनल शुष्क मौसम प्रवाह को संकेंद्रित रखता है।

9.6 ऊर्जा क्षयकारी, आउटलेट संरक्षण और ड्रॉप संरचनाएँ

9.6.1 **कब आवश्यक है.** प्रत्येक पाइप, पुलिया और चैनल के उस आउटलेट पर, जहाँ डिजाइन AEP या 1% AEP पर आउटलेट वेग तालिका 9.2 में प्राप्तकर्ता चैनल के अनुमेय वेग से अधिक है, और किसी कच्चे चैनल, तालाब या जलाशय में प्रत्येक आउटलेट पर, आउटलेट संरक्षण या ऊर्जा क्षयकारी का प्रावधान किया जाएगा।

9.6.2 **विधि.** ऊर्जा क्षयकारियों और आउटलेट संरक्षण का डिजाइन FHWA HEC-14, *Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and Channels*, संस्करण 3 (2006) की विधियों द्वारा किया जाएगा, और क्षयकारी का प्रकार उसकी प्रयोज्यता की सीमा के आधार पर चुना जाएगा।

9.6.3 **रिपरैप एप्रन.** समतल एप्रन पर पानी छोड़ने वाले वृत्ताकार आउटलेट के लिए, रिपरैप के माध्यिका आकार (median size) की गणना HEC-14 के एप्रन समीकरण से की जाएगी:

```
D50 = 0.2 · D · [Q / (g^0.5 · D^2.5)]^(4/3) · (D / TW)
```

जहाँ D50 पत्थर का माध्यिका आकार (m) है, D पुलिया का व्यास या ऊँचाई (m) है, Q डिजाइन प्रवाह दर (m^3/s) है, g = 9.81 m/s^2 है और TW टेलवाटर की गहराई (m) है। जहाँ TW ज्ञात न हो, वहाँ उसे 0.4D लिया जाएगा।

एप्रन की लंबाई और मोटाई HEC-14 की रिपरैप-वर्ग तालिका (तालिका 9.3) के अनुसार होगी। आउटलेट पर एप्रन की चौड़ाई कम से कम 3D होगी और वह अनुप्रवाह चैनल की ओर फैलती जाएगी।

तालिका 9.3 — रिपरैप वर्ग और एप्रन के आयाम (HEC-14)

वर्ग	D50 (mm)	एप्रन की लंबाई	एप्रन की मोटाई
1	125	4D	3.5 D50
2	150	4D	3.3 D50
3	250	5D	2.4 D50
4	350	6D	2.2 D50
5	500	7D	2.0 D50
6	550	8D	2.0 D50

स्रोत: FHWA HEC-14 (2006), §10.2 और Table 10.1, जैसा कि राज्य-एजेंसी डिजाइन वर्कशीटों में दिया गया है। जहाँ गणना किया गया D50 वर्ग 6 से अधिक हो, वहाँ रिपरैप बेसिन या संरचनात्मक स्टिलिंग बेसिन का उपयोग किया जाएगा।

9.6.4 **रिपरैप फिल्टर और श्रेणीकरण.** रिपरैप को दानेदार फिल्टर या जियोटेक्सटाइल पर रखा जाएगा। पत्थर कोणीय, टिकाऊ और इस प्रकार श्रेणीकृत होंगे कि खंड 9.6.3 का D50 पूरा हो।

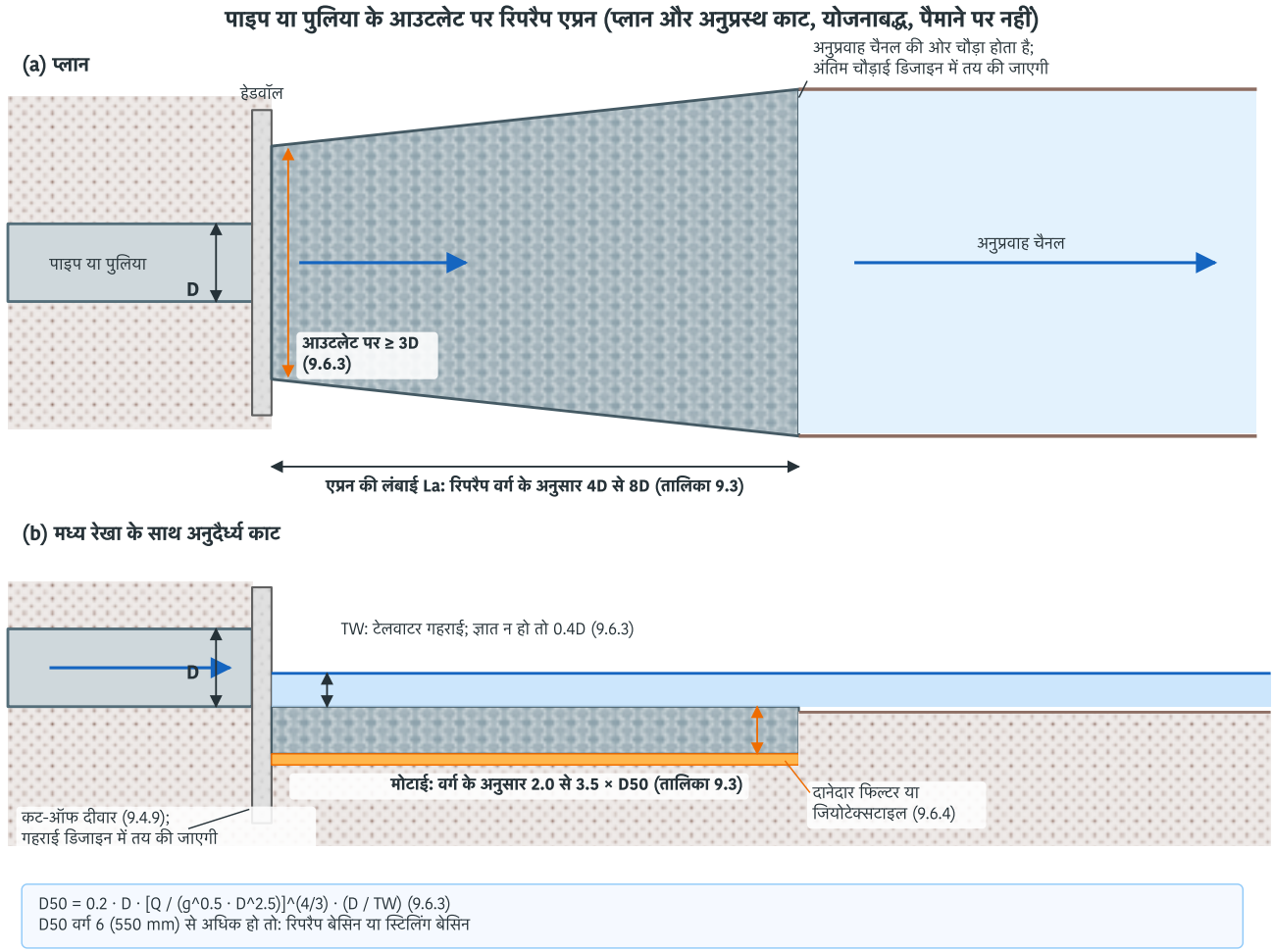

चित्र 9.2 — पाइप या पुलिया के आउटलेट पर रिपरैप एप्रन: आउटलेट पर एप्रन की चौड़ाई कम से कम 3D, अनुप्रवाह चैनल की ओर फैलती हुई; लंबाई और मोटाई तालिका 9.3 से; पत्थर दानेदार फिल्टर या जियोटेक्सटाइल पर (खंड 9.6.3 और 9.6.4)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, FHWA, Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and Channels, HEC-14 (3rd ed., 2006), §10.2 से अनुकूलित।

9.6.5 **स्टिलिंग बेसिन.** जहाँ वेग या फ्रूड संख्याएँ रिपरैप एप्रनों और बेसिनों की सीमा से अधिक हों, वहाँ संरचनात्मक स्टिलिंग बेसिन या आघात बेसिन (impact basin) का डिजाइन HEC-14 से, या उसमें वर्णित US Bureau of Reclamation के बेसिन प्रकारों से किया जाएगा।

9.6.6 **ड्रॉप संरचनाएँ.** ड्रॉप संरचनाओं का उपयोग वहाँ किया जाएगा जहाँ अन्यथा चैनल का ढलान खंड 9.5.4 या तालिका 9.2 की वेग सीमा से अधिक हो जाएगा।

- (a) सीधे ऊर्ध्वाधर ड्रॉप के लिए ड्रॉप संख्या (drop number) $D = q^2 / (g\,h^3)$ की गणना की जाएगी, जहाँ q इकाई प्रवाह दर (m^2/s) है और h ड्रॉप की ऊँचाई (m) है। कुंड (pool) की ज्यामिति Rand (1955) संबंधों से निर्धारित की जाएगी: ड्रॉप लंबाई Ld/h = 4.30 D^0.27; कुंड की गहराई Yp/h = 1.00 D^0.22; अनुगामी गहराइयाँ (sequent depths) y1/h = 0.54 D^0.425 और y2/h = 1.66 D^0.27।
- (b) अवरोधक-युक्त ढलवाँ चैनलों (baffled chutes) और सीढ़ीदार ड्रॉप (stepped drops) का डिजाइन HEC-14 या US Bureau of Reclamation की विधियों द्वारा किया जाएगा।
- (c) किसी सार्वजनिक ड्रेन में एकल ऊर्ध्वाधर ड्रॉप की ऊँचाई 1.5 m से अधिक नहीं होगी। ड्रॉप पर अध्याय 6 के खंड 6.13.8 के अंतर्गत किनारे का सुरक्षा प्रावधान होगा।

9.6.7 **तटीय और समुद्र-तट आउटफॉल.** समुद्र-तटों पर या ज्वारनदमुखों (estuaries) में गिरने वाले आउटफॉलों को लहरों की क्रिया और कटाव (scour) से संरक्षित किया जाएगा। जहाँ तटीय रेत (littoral sand) आउटफॉल को बंद कर सकती है, वहाँ आउटफॉल का डिजाइन इस प्रकार किया जाएगा कि उसे मशीन द्वारा फिर से खोला जा सके, और जल निकासी प्रणाली की जाँच अध्याय 5 के अंतर्गत आउटफॉल बंद होने की स्थिति में की जाएगी।

> **भाष्य.** HEC-14 (संस्करण 3, FHWA-NHI-06-086, जुलाई 2006) FHWA का वर्तमान ऊर्जा-क्षयकारी मैनुअल है। एप्रन समीकरण और वर्ग तालिका HEC-14 §10.2 (Equation 10.4 और Table 10.1) से हैं। समीकरण और तालिका यहाँ उसी रूप में दी गई हैं जैसे वे द्वितीयक डिजाइन दस्तावेजों (टेनेसी की एक पुस्तिका और एक राज्य-एजेंसी की रिपरैप वर्कशीट) में दी गई हैं। 3D एप्रन चौड़ाई भी उन्हीं स्रोतों से है। Purdue के एक अध्ययन (JTRP) ने पाया कि HEC-14 की एप्रन विधि अपनी प्रयोज्यता की सीमा के भीतर कुछ हद तक सुरक्षित पक्ष की (conservative) है। Rand (1955) के ड्रॉप संबंध मानक हैं और Chow (1959) में दिए गए हैं। एकल ऊर्ध्वाधर ड्रॉप पर 1.5 m की सीमा का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे शहरी ड्रेनों में सार्वजनिक सुरक्षा के लिए निर्धारित करता है।

9.7 अस्थायी भंडारण की आउटलेट संरचनाएँ

9.7.1 **प्राथमिक आउटलेट.** अस्थायी भंडारण सुविधा का प्राथमिक आउटलेट:

- (a) अध्याय 4 की निकास दरें और खाली होने के समय उत्पन्न करेगा;
- (b) पंप वाली सुविधाओं (खंड 9.9) को छोड़कर, यांत्रिक पुर्जों या संचालक की कार्रवाई के बिना काम करेगा;
- (c) में **50 mm** से छोटा कोई ऑरिफिस नहीं होगा, और प्रत्येक ऑरिफिस कचरा जाली (trash screen) द्वारा संरक्षित होगा (खंड 9.8.5); और
- (d) सतह से सफाई के लिए सुलभ होगा।

9.7.2 **ऑरिफिस.** ऑरिफिस प्रवाह की गणना इस प्रकार की जाएगी:

> Q = Cd · A · (2 g h)^0.5

जहाँ A ऑरिफिस का क्षेत्रफल (m²) है और h ऑरिफिस के केंद्रक पर हेड (m) है, या जहाँ ऑरिफिस जलमग्न हो वहाँ प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह जल स्तरों का अंतर है। पतली प्लेट में तीक्ष्ण किनारे वाले ऑरिफिस के लिए Cd 0.60 होगा। किनारे की अन्य स्थितियों के लिए प्रकाशित परीक्षित मानों का उपयोग किया जाएगा।

9.7.3 **वियर.** वियर प्रवाह की गणना Q = Cw · L · H^1.5 के रूप में की जाएगी, जिसमें:

- (a) तीक्ष्ण शिखर वाले आयताकार वियर: Cw = 1.84 (SI), प्रत्येक सिरे के संकुचन के लिए प्रभावी लंबाई 0.1 H घटाई जाएगी;
- (b) V-नॉच वियर: Q = 1.38 · tan(θ/2) · H^2.5 (SI), जहाँ θ नॉच का कोण है; और
- (c) चौड़े शिखर वाले वियर और स्पिलवे शिखर: Cw = 1.44 से 1.70 (SI), शिखर के आकार और हेड के लिए प्रकाशित तालिकाओं से चुना गया।

जलमग्न वियरों को प्रकाशित संबंधों से जलमग्नता के लिए संशोधित किया जाएगा।

9.7.4 **जल स्तर–प्रवाह दर संबंध (stage–discharge rating).** बहु-चरणीय आउटलेटों (राइजर में ऑरिफिस और वियर, आउटलेट पाइप सहित) के लिए डिजाइनकर्ता प्रत्येक जल स्तर पर, प्रत्येक संभव नियंत्रण (प्रत्येक ऑरिफिस, प्रत्येक वियर, राइजर का शिखर, और इनलेट तथा आउटलेट नियंत्रण के अंतर्गत आउटलेट पाइप) के अंतर्गत प्रवाह दर की गणना करेगा और **सबसे छोटा** संयुक्त मान लेगा। यह संबंध आउटलेट इनवर्ट से लेकर आपातकालीन स्पिलवे के शिखर और डिजाइन हेड तक तालिकाबद्ध किया जाएगा।

9.7.5 **टेलवाटर.** संबंधों की गणना खंड 9.2.1 के टेलवाटर के साथ की जाएगी। जहाँ प्राप्तकर्ता जलाशय आउटलेट से ऊपर उठ सकता है, वहाँ आउटलेट पर खंड 9.10 के अंतर्गत फ्लैप गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व होगा, और भंडारण अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच का पालन करेगा।

9.7.6 **आपातकालीन स्पिलवे.** आपातकालीन स्पिलवे, प्राथमिक आउटलेट को अवरुद्ध और प्रारंभ में बेसिन को भरा हुआ मानकर, 1% AEP अंतर्वाह को तटबंध के शिखर तक **0.3 m** फ्रीबोर्ड के साथ निकालेगा। उच्च-जोखिम बेसिनों की 0.2% AEP अंतर्वाह के लिए भी जाँच की जाएगी (अध्याय 4)।

9.7.7 **तटबंधों से होकर जाने वाले आउटलेट पाइप.** तटबंधों से होकर जाने वाले आउटलेट पाइपों में पाइप के साथ-साथ पाइपिंग को रोकने के लिए फिल्टर डायाफ्राम या रिसाव कॉलर, और फैला हुआ (flared) या हेडवॉल वाला इनलेट होगा।

9.7.8 **भँवर-रोधी.** जिन राइजर आउटलेटों में राइजर शिखर के ऊपर डिजाइन हेड राइजर के व्यास से अधिक है, उनमें भँवर-रोधी प्लेट (anti-vortex plate) होगी।

> **भाष्य.** कचरा जाली सहित 50 mm का न्यूनतम ऑरिफिस, आपातकालीन स्पिलवे का मानदंड और खाली होने के समय इस मैनुअल के मूल मानदंड हैं (अध्याय 4)। न्यूनतम ऑरिफिस APWA 5600 (2006, 5608.4) के 3 इंच (लगभग 75 mm) के न्यूनतम से छोटा है। यह छोटे स्थलों पर अध्याय 4 के मिश्रित-आवृत्ति नियम की कम निकास दरों को संभव बनाता है, और एक अच्छी जाली (खंड 9.8.5) पर निर्भर करता है। "कोई यांत्रिक पुर्जा नहीं" का नियम APWA 5600 (2006, 5608.4) का अनुसरण करता है, जो अपेक्षा करता है कि प्राथमिक आउटलेट बिना देखरेख के काम करे। ऑरिफिस और वियर गुणांक पाठ्यपुस्तकों के मानक मान हैं (उदाहरण के लिए Brater और King, *Handbook of Hydraulics*; Chow 1959)। 1.84 का तीक्ष्ण-शिखर गुणांक और 0.1H का सिरा-संकुचन संशोधन SI इकाइयों में फ्रांसिस सूत्र (Francis formula) है। चौड़े शिखर की 1.44–1.70 की सीमा, आमतौर पर तालिकाबद्ध की जाने वाली 2.6–3.1 की US सीमा का SI समतुल्य है। खंड 9.7.7 और 9.7.8 डैम और अस्थायी भंडारण की सामान्य पद्धति का अनुसरण करते हैं।

9.8 कचरा-रोधी जालियाँ और जालियाँ

9.8.1 **कहाँ आवश्यक है.** कचरा-रोधी जालियों या जालियों का प्रावधान किया जाएगा:

- (a) जहाँ कोई खुली ड्रेन 30 m से अधिक लंबे पाइप, ढकी ड्रेन या पुलिया में प्रवेश करती है (अध्याय 6, खंड 6.13.4);
- (b) अस्थायी भंडारण के प्रत्येक आउटलेट ऑरिफिस पर (खंड 9.7.1);
- (c) प्रत्येक पंप संप के इनलेट पर (खंड 9.9); और
- (d) जलाशयों में आउटफॉलों पर, अध्याय 8 के स्थूल प्रदूषक जाल के भाग के रूप में।

9.8.2 **वाहिका-प्रवेश जालियाँ.** वाहिकाओं (conduits) और पुलियाओं के प्रवेश पर जालियों में:

- (a) छड़ों के बीच की स्पष्ट दूरी (clear bar spacing) 75 mm से कम नहीं और वाहिका के सबसे छोटे आंतरिक आयाम के आधे से अधिक नहीं होगी;
- (b) सकल क्षेत्रफल वाहिका के अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल का कम से कम 4 गुना होगा;
- (c) डिजाइन प्रवाह पर, जाली के 50% अवरुद्ध होने की स्थिति में, जाली से होकर माध्य वेग 1.0 m/s से अधिक नहीं होगा; और
- (d) जहाँ जाली को हाथ से रेक (rake) किया जाना है, वहाँ उसका झुकाव 1V:2H से अधिक खड़ा नहीं होगा, और उसके साथ कार्य मंच (working platform) और रेलिंग होगी।

9.8.3 **हेड हानि.** स्वच्छ जाली से होकर हेड हानि की गणना किर्शमर समीकरण (Kirschmer equation) से की जाएगी:

> $h_r = \beta \cdot (t / b)^{(4/3)} \cdot (V^2 / 2g) \cdot \sin\theta$

जहाँ t छड़ की मोटाई है, b छड़ों के बीच की स्पष्ट दूरी है, V पहुँच वेग (approach velocity) है, θ क्षैतिज से जाली का कोण है, और β छड़ आकृति गुणक (bar shape factor) है (तीक्ष्ण किनारे वाली आयताकार छड़ों के लिए 2.42; वृत्ताकार छड़ों के लिए 1.79)। HGL और हेडवाटर की जाँच जाली को **50% अवरुद्ध** मानकर की जाएगी (हेड हानि आधे खुले क्षेत्रफल के साथ गणना की गई)।

9.8.4 **अवरुद्ध होने पर अतिप्रवाह.** प्रत्येक जाली के लिए एक अतिप्रवाह मार्ग होगा, ताकि पूरी तरह अवरुद्ध जाली भवनों को जलमग्न न करे या अध्याय 6 की सीमाओं से अधिक न हो।

9.8.5 **अस्थायी भंडारण आउटलेट की जालियाँ.** अस्थायी भंडारण ऑरिफिसों के ऊपर की जालियों के छिद्र उनके द्वारा संरक्षित ऑरिफिस से छोटे होंगे, और उनका खुला क्षेत्रफल ऑरिफिस के क्षेत्रफल का कम से कम 10 गुना होगा।

9.8.6 **पंप संप की जालियाँ.** पंपिंग स्टेशन के इनलेटों पर छड़ जालियों (bar screens) की स्पष्ट दूरी, पंप निर्माता द्वारा बताए गए उस सबसे बड़े ठोस से छोटी होगी जिसे पंप निकाल सकते हैं। जालियाँ हटाए जा सकने वाले मॉड्यूलों में बनाई जाएँगी, और जहाँ डिजाइन अंतर्वाह 1 m^3/s से अधिक हो, वहाँ यांत्रिक रूप से रेक की जाने वाली जाली का उपयोग किया जाएगा।

9.8.7 **सुरक्षा.** लंबी वाहिकाओं के प्रवेश पर जालियाँ लोगों को भीतर खिंच जाने से रोकेंगी। उनका डिजाइन पूरी तरह अवरुद्ध जाली के द्रवस्थैतिक भार (hydrostatic load) के लिए किया जाएगा।

> **भाष्य.** CPHEEO (2019, §8.3.1.3) पंपिंग स्टेशन की छड़ जालियों का वर्णन "लगभग 58 mm" (approximately 58 mm) की दूरी वाली, मॉड्यूलों में बनी, और अवरुद्ध होने की स्थिति के लिए आपातकालीन अतिप्रवाह वाली जालियों के रूप में करता है। खंड 9.8.6 उसी पद्धति का अनुसरण करता है, किंतु दूरी को पंप के ठोस-निकास आकार से जोड़ता है, जो पंप के अनुसार भिन्न होता है। 50% अवरोध की जाँच अध्याय 6 के जाली अवरोध गुणक से मेल खाती है। किर्शमर समीकरण और उसके आकृति गुणक मानक हैं (Kirschmer 1926, जैसा

कि हाइड्रोलिक पुस्तिकाओं में दिया गया है)। जाली की दूरी, क्षेत्रफल अनुपात, जाली से होकर वेग, 30 m की वाहिका लंबाई का प्रारंभक मान, ऑरिफिसों के लिए जाली का 10× क्षेत्रफल और यांत्रिक रेकिंग के लिए 1 m^3/s का प्रारंभक मान — इनका कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

9.9 पंप और संप

9.9.1 **पंपिंग का उपयोग कब हो.** पंपिंग का उपयोग केवल वहीं किया जाएगा जहाँ गुरुत्व जल निकासी अध्याय 5 और 6 की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती, उदाहरण के लिए सड़क अंडरपास (अध्याय 6, खंड 6.10.5), बेसमेंट, निचले क्षेत्र और वे आउटफॉल जो अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच के अंतर्गत ज्वार से अवरुद्ध हैं।

9.9.2 **डिजाइन अंतर्वाह और भंडारण.** स्टेशन का डिजाइन जलग्रहण क्षेत्र और किसी भी प्रतिप्रवाह भंडारण से रूट किए गए अंतर्वाह हाइड्रोग्राफ के साथ किया जाएगा। पंप क्षमता और भंडारण एक साथ चुने जाएँगे:

- (a) स्टेशन उस घटक के डिजाइन AEP को पूरा करेगा जिसकी वह सेवा करता है (अंडरपासों के लिए, 1% AEP जाँच सहित 2% AEP);
- (b) जहाँ स्टेशन किसी ज्वारीय आउटफॉल की सेवा करता है, वहाँ भंडारण और पंप मिलकर, ज्वार-अवरोध की अवधि (डिफॉल्ट: 6 h प्रत्येक के दो लगातार उच्च ज्वार) तक आउटफॉल के सीमित रहने की स्थिति में, 48 h के डिजाइन आयतन को रोकेंगे, जैसा कि अध्याय 5 में अपेक्षित है; और
- (c) पंपों का चयन, निम्नतम टेलवाटर के सामने निम्नतम संप स्तर से लेकर उच्चतम टेलवाटर (HAT और महोर्मि और 0.3 m) तक स्थैतिक हेड की पूरी सीमा के लिए किया जाएगा।

9.9.3 **वेट वेल का आयतन.** वेट वेल का प्रभावी आयतन (पंप-बंद स्तर और सबसे निचले पंप-प्रारंभ स्तर के बीच) निम्नलिखित में से सबसे बड़ा होगा:

- (a) जहाँ परिवर्ती गति ड्राइव (variable-speed drives) और स्वचालित नियंत्रण लगे हों, वहाँ न्यूनतम अंतर्वाह के 5 मिनट (CPHEEO 2019, §8.3.3);
- (b) अन्यथा, चरम अंतर्वाह के 10 से 15 मिनट, या पंप निर्माता के न्यूनतम चक्र समय (cycle time) के लिए आवश्यक आयतन, $V = Q \cdot t$ से (CPHEEO 2019, Eq. 8.1); और
- (c) स्थिर-गति पंपों के लिए, प्रत्येक पंप के लिए आयतन $V = \Theta \cdot q / 4$, जहाँ Θ मोटर निर्माता द्वारा अनुशंसित न्यूनतम चक्र समय है और q पंप क्षमता है (FHWA HEC-24, 2001)।

9.9.4 **कार्यरत और स्टैंडबाय.**

- (a) जहाँ व्यवहार्य हो, कार्यरत पंप एक ही आकार के होंगे (CPHEEO 2019, §8.3.3)।
- (b) स्टैंडबाय क्षमता कम से कम सबसे बड़े कार्यरत पंप के बराबर होगी, और कार्यरत पंपों की संख्या के 50% से कम नहीं होगी।
- (c) कार्यरत और स्टैंडबाय भूमिकाएँ स्वचालित रूप से बारी-बारी से बदलेंगी।

9.9.5 **पंप का प्रकार.** पंप ठोस-वहन (solids-handling; नॉन-क्लॉग) प्रकार के होंगे, जो रेत और मलबे वाले वर्षा जल के लिए उपयुक्त हों। अक्षीय-प्रवाह (axial-flow) पंपों का उपयोग केवल खंड 9.8.6 का पालन करने वाली जाली के पीछे किया जाएगा, क्योंकि वे मलबे को नहीं संभाल सकते (CPHEEO 2019, §8.3.2)।

9.9.6 **संप और इनटेक का डिजाइन.** संप की ज्यामिति, पंपों के बीच की दूरी, न्यूनतम जलमग्नता और पहुँच प्रवाह की स्थितियाँ पंप निर्माता की अपेक्षाओं और ANSI/HI 9.8 (Rotodynamic Pumps for Pump Intake Design) के अनुसार होंगी। जहाँ कोई पंप 1 m^3/s से अधिक हो, या जहाँ संप ANSI/HI 9.8 की मानक ज्यामिति का पालन नहीं करता, वहाँ भौतिक हाइड्रोलिक मॉडल अध्ययन किया जाएगा। आसन्न पंपों या मोटरों के बीच न्यूनतम स्पष्ट स्थान छोटी और मध्यम इकाइयों के लिए 0.6 m और बड़ी इकाइयों के लिए 1.0 m है (CPHEEO 2019, §8.2.5)।

9.9.7 **गाद और जालियाँ.** वेट वेल के प्रतिप्रवाह में गाद-जाल और छड़ जाली का प्रावधान किया जाएगा (खंड 9.8.6; अध्याय 6, खंड 6.13.3)।

9.9.8 **नियंत्रण और निगरानी.**

- (a) पंपों का नियंत्रण एक प्राथमिक स्तर सेंसर (अल्ट्रासोनिक, रडार या दाब) द्वारा किया जाएगा, जिसके साथ एक स्वतंत्र फ्लोट-स्विच बैक-अप होगा।
- (b) उच्च-स्तर और पंप-खराबी के अलार्म टेलीमेट्री द्वारा स्थानीय निकाय के नियंत्रण कक्ष को भेजे जाएँगे।
- (c) संप के स्तर, पंपों के चलने के घंटे और विद्युत आपूर्ति की स्थिति दर्ज की जाएगी और कम से कम 5 वर्ष तक रखी जाएगी।

9.9.9 **विद्युत आपूर्ति.**

- (a) स्टेशन में दो स्वतंत्र विद्युत स्रोत होंगे: ग्रिड आपूर्ति और एक स्टैंडबाय जनरेटर (या दूसरा स्वतंत्र ग्रिड फीडर), जो सभी कार्यरत पंपों को एक साथ चला सके (CPHEEO 2019, §2.4.2.3(j))।
- (b) सभी कार्यरत पंपों के कम से कम **72 घंटे** के निरंतर संचालन के लिए ईंधन स्थल पर, खंड 9.9.10 के बाढ़ स्तर से ऊपर, संग्रहीत किया जाएगा।
- (c) स्टैंडबाय विद्युत पर परिवर्तन (changeover) स्वचालित होगा।

9.9.10 **स्टेशन का बाढ़ से संरक्षण.** विद्युत और नियंत्रण कक्ष का फर्श, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर स्टेशन पर 1% AEP बाढ़ जल स्तर से कम से कम 0.5 m ऊपर होंगे (अध्याय 6, खंड 6.11)। रखरखाव वाहनों के लिए स्टेशन तक पहुँच 1% AEP घटना में उपयोग योग्य बनी रहेगी।

9.9.11 **निस्सरण.** प्रत्येक पंप का अपना राइजिंग मेन होगा, या जहाँ मेन मिलते हैं वहाँ एक नॉन-रिटर्न वाल्व और एक पृथक्करण वाल्व (isolating valve) होगा। राइजिंग मेन खंड 9.10 के अंतर्गत फ्लैप गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व लगे डिलीवरी कक्ष (delivery chamber) या आउटफॉल में पानी छोड़ेंगे। निस्सरण पाइपिंग का आकार किसी मान्यताप्राप्त घर्षण सूत्र द्वारा निर्धारित किया जाएगा (CPHEEO 2019, §8.3.9)।

9.9.12 **आपातकालीन कनेक्शन.** प्रत्येक स्टेशन में एक पक्का खड़ा होने का स्थान (hard-standing area) और मोबाइल पंपों के लिए डिलीवरी कक्ष में पानी छोड़ने हेतु त्वरित-युग्मन कनेक्शन (quick-coupling connection) होगा।

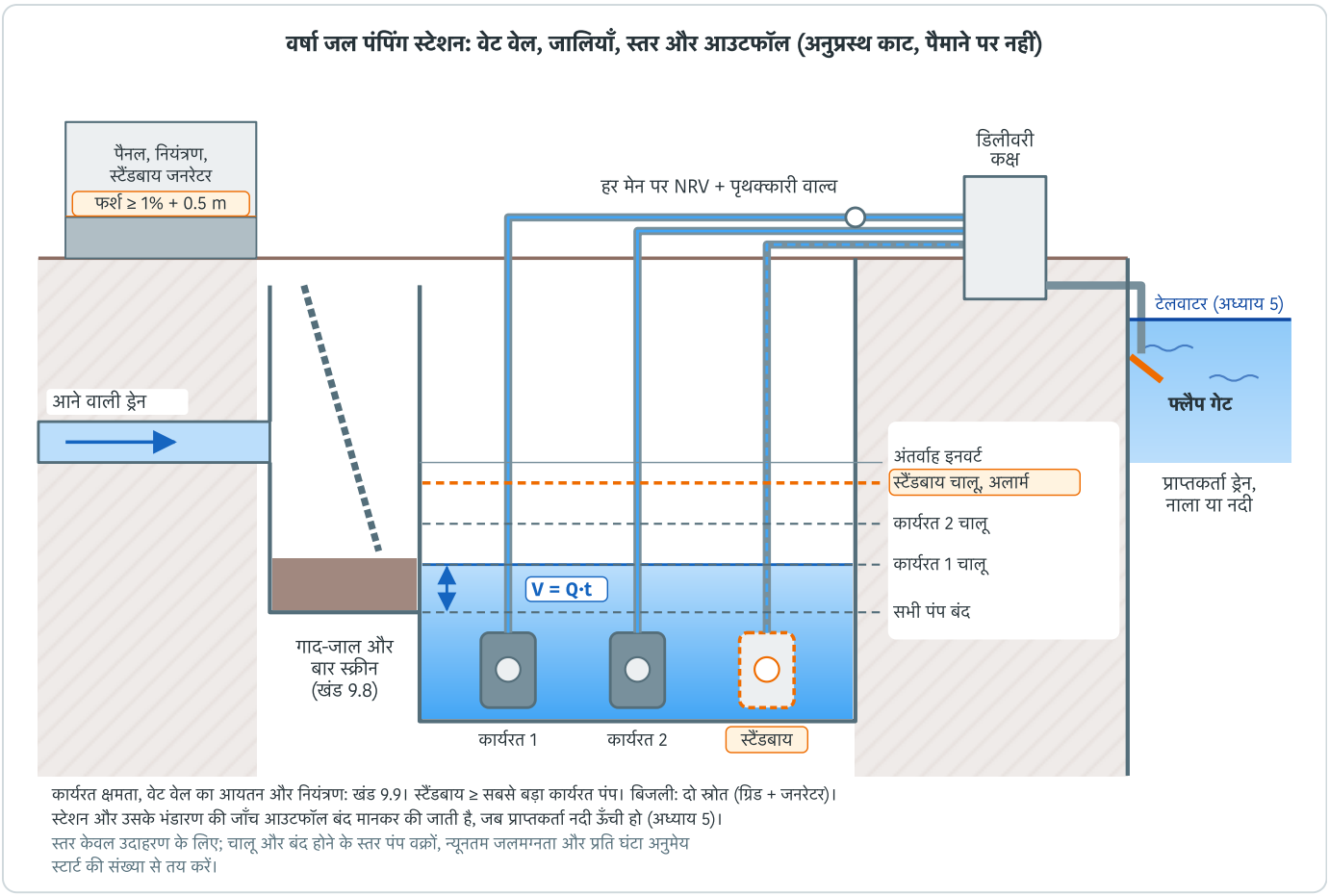

चित्र 9.3 — वर्षा जल पंपिंग स्टेशन: वेट वेल, जालियाँ, स्तर और आउटफॉल। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), Chapter 8, और FHWA, Highway Stormwater Pump Station Design, HEC-24 (2001) से अनुकूलित।

> **भाष्य.** CPHEEO (2019) का अध्याय 8 वर्षा जल पंपिंग को समेटता है: वेट वेल का आकार निर्धारण (§8.3.3), पंपों के प्रकार (§8.3.2), कचरा जालियाँ (§8.3.1.3), स्थान की अपेक्षाएँ (§8.2.5) और "बिजली बंद होने के दौरान आपातकालीन संचालन के लिए स्टैंडबाय के रूप में" (as standby for emergency operation during failure of electricity) जनरेटर सेटों की आवश्यकता (§2.4.2.3)। यह "कार्यरत पंप इकाइयों के न्यूनतम 50%" (minimum 50% of the duty pump units) की स्टैंडबाय इकाइयों की अनुशंसा करता है। खंड 9.9.4(b) अधिक कठोर है: स्टैंडबाय कम से कम सबसे बड़े कार्यरत पंप के बराबर होगा, ताकि सबसे बड़ा पंप सेवा से बाहर होने पर भी स्टेशन अपनी डिजाइन क्षमता पूरी करे। यह अधिक कठोर नियम इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। FHWA HEC-24 (*Highway Stormwater Pump Station Design*, FHWA-NHI-01-007, 2001) FHWA का पंपिंग स्टेशन मैनुअल है। 72 h का ईंधन भंडारण इस मैनुअल द्वारा अध्याय 2 की 72 h की डिजाइन वर्षा घटना के अनुरूप निर्धारित किया गया है। मॉडल अध्ययन का प्रारंभक मान, टेलीमेट्री और आँकड़े रखने की अपेक्षाएँ, और आपातकालीन कनेक्शन — इनका कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

9.10 ज्वार-रोधी गेट, फ्लैप गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व

9.10.1 **कहाँ आवश्यक है.** जिस भी आउटफॉल का इनवर्ट प्राप्तकर्ता जलाशय के 1% AEP स्थिर जल स्तर से नीचे है, उस पर फ्लैप गेट, ज्वार-रोधी गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व का प्रावधान किया जाएगा (अध्याय 5)।

9.10.2 **प्रकार.** स्वीकार्य युक्तियाँ हैं:

- (a) कब्जेदार फ्लैप गेट (ढलवाँ लोहा, तन्य लोहा (ductile iron), स्टेनलेस स्टील, HDPE या कंपोजिट);
- (b) इलास्टोमेरिक इन-लाइन या पाइप-सिरे वाले चेक वाल्व (डकबिल प्रकार); और
- (c) द्वितीयक बंद-व्यवस्था के रूप में, हाथ से या मोटर से चलने वाले पेनस्टॉक या स्लूइस गेट।

9.10.3 **द्वितीयक बंद-व्यवस्था.** 900 mm या उससे बड़े आउटफॉलों पर, और पंप या भंडारण प्रणाली की सेवा करने वाले प्रत्येक आउटफॉल पर, फ्लैप गेट के प्रतिप्रवाह में पेनस्टॉक या स्टॉप-लॉग खाँचा होगा, ताकि गेट का रखरखाव किया जा सके, और गेट के खुला अटक जाने की स्थिति में बैक-अप के रूप में भी।

9.10.4 **हाइड्रोलिक्स.** खुली स्थिति में युक्ति से होकर हेड हानि निर्माता के परीक्षित आँकड़ों से ली जाएगी और HGL में सम्मिलित की जाएगी (अध्याय 6, खंड 6.8.7)। फ्लैप गेट छोटे हेड अंतर पर खुलेंगे (CPHEEO 2019, §6.3.10.1)।

9.10.5 **रेत और मलबा.** समुद्र-तट, ज्वारनदमुख और क्रीक (creek) के उन आउटफॉलों पर जहाँ रेत या मलबा गेट को खुला या बंद रख सकता है:

- (a) गेट को सतह से प्रवेश वाले कक्ष में रखा जाएगा, या इलास्टोमेरिक चेक वाल्वों का उपयोग किया जाएगा; और
- (b) मानसून ऋतु के दौरान प्रत्येक उच्च ज्वार या महोर्मि घटना के बाद गेट का निरीक्षण किया जाएगा (अध्याय 10)।

9.10.6 **सामग्री.** कब्जे, पिन, कड़ियाँ और फिक्सिंग संक्षारण-रोधी सामग्री की होंगी (CPHEEO 2019, §6.3.10.1)। तटीय और ज्वारीय स्थानों में इसका अर्थ ग्रेड 316 का स्टेनलेस स्टील, कांस्य या कोई अधात्विक सामग्री है (खंड 9.13)।

9.10.7 **गेटों के पीछे भंडारण.** जहाँ वर्षा घटना के दौरान गेट बंद होते हैं, वहाँ उनके पीछे का भंडारण या पंपिंग अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच का पालन करेगा।

> **भाष्य.** CPHEEO (2019, §6.3.10.1) ज्वारीय जल में गिरने वाले आउटफॉलों पर फ्लैप गेट और बाढ़ गेटों का वर्णन करता है। यह उल्लेख करता है कि "यदि गेट बंद रहने के दौरान पंपिंग से बचना हो तो पर्याप्त भंडारण आवश्यक हो सकता है" (adequate storage may be necessary if pumping is to be avoided during the closure of the gate) और कब्जे के पिन और कड़ियाँ "संक्षारण-रोधी सामग्री की होनी चाहिए" (should be of corrosion-resistant materials)। राजस्थान का कोई तट नहीं है, इसलिए राज्य में कोई आउटफॉल ज्वार से अवरुद्ध नहीं होता, और खंड 9.6.7, 9.9.2(b) और 9.10.5 के समुद्र-तट, ज्वारनदमुख और ज्वारीय प्रावधान, तथा तालिका 9.5 की तटीय और ज्वारीय पंक्तियाँ, लागू नहीं होतीं; खंड 9.9.2(c) में उच्चतम टेलवाटर अध्याय 5 का नदी या झील का उच्चतम जल स्तर है। तालिका 9.5 की लवणीय भूजल वाली पंक्ति वहाँ लागू होती है जहाँ भी भूजल या मिट्टी लवणीय है, और खंड 9.13.3 के परीक्षणों और खंड 9.13.6 की धातु-सामग्री (metalwork) का उपयोग भी वहाँ किया जाना चाहिए, जैसी स्थिति पश्चिम के बड़े भाग में, सांभर के आसपास और लवणीय गर्तों पर है, जहाँ CGWB ने 47,670 µS/cm तक की विद्युत चालकता मापी है (कुड़ी (Kuri), बाड़मेर)। 1% स्थिर जल स्तर से नीचे गेट फिर भी आवश्यक हैं, क्योंकि नगरों के अनेक आउटफॉल ऐसी झीलों में समाप्त होते हैं जिनके जल स्तर गेटों और एस्केप चैनलों द्वारा रोके जाते हैं, या चंबल में, जिसे बैराज से छोड़ा गया पानी ऊँचा रखता है। अजमेर में आना सागर को उसके एस्केप चैनल (escape channel) के चार गेट खोलकर 13 ft के पूर्ण गेज स्तर पर रखा जाता है; गेट खोले जाने से पहले 14 ft से 15 ft 11 in तक के पाठ्यांक बताए गए, और सितंबर 2024 में एस्केप चैनल खोले जाने से हाथी भाटा, ब्रह्मपुरी और शिवपुरी जलभराव से ग्रस्त हुए; जुलाई 2025 में झील उफन गई, गेट 30 इंच खोले गए, और JLN अस्पताल और चौपाटी जलमग्न हुए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। उदयपुर की झीलें एक शृंखला में छलकती हैं: पिछोला और फतह सागर, जिसे बड़ा मदार (Bada Madar) पानी देता है, एक गेटयुक्त चैनल से जुड़े हैं, जो फतह सागर के अपने गेज पर 11 ft तक पहुँचने पर बंद कर दिया जाता है, और दोनों आयड़ में अतिप्रवाहित होते हैं, जो आगे उदय सागर तक बहती है, जो अपने गेज पर 24 ft पर पूर्ण है; पिछोला 11 ft पर पूर्ण है और फतह सागर 13 ft पर, या एक अन्य रिपोर्ट में 14 ft पर, और फतह सागर के मुख्य बाँध पर फ्रीबोर्ड भारतीय मानक के 1.5 m के न्यूनतम मान के विरुद्ध लगभग 0.75 m आँका गया है, और रेत की बोरियों से पानी डिजाइन पूर्ण जल स्तर से 20–25 cm ऊपर रोका गया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। ये गेज एक स्थानीय शून्य के ऊपर फुट में पढ़े जाते हैं, जिसका औसत समुद्र तल से ऊपर स्तर नहीं मिला, इसलिए उदयपुर या अजमेर में किसी भी झील का स्तर अभी मीटर में नहीं बताया जा सकता [TBC]। इसलिए इनमें से किसी झील में गिरने वाली ड्रेन तब तक बंद या सीमित (throttled) रहती है जब तक झील

अपने पूर्ण स्तर पर या उससे ऊपर है, और उसके भंडारण या पंपिंग की जाँच खंड 9.10.7 और अध्याय 5 के अंतर्गत की जाती है; और किसी एस्केप चैनल या झील के अतिप्रवाह के अनुप्रवाह में स्थित ड्रेन छोड़े गए प्रवाह को अंतर्वाह के रूप में प्राप्त करती है। कोटा में 16 सितंबर 2019 को CWC के कोटा सिटी स्थल पर चंबल 248.68 m पर थी, जो उसका उच्चतम बाढ़ स्तर है, जबकि खतरे का स्तर 242 m है (CWC), और उसी समय कोटा बैराज (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 260.3 m) ने अपने 19 में से 18 या 19 गेटों से लगभग 6.5–6.9 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा, ये आँकड़े 14 सितंबर के CWC के 4.42 लाख क्यूसेक से परस्पर विरोधी हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार); निचले नयापुरा और बालिता खाली कराए गए (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। कोटा में चंबल में गिरने वाला आउटफॉल इस प्रकार पानी छोड़े जाने की पूरी अवधि में बंद रहता है, इसलिए उसे एक फ्लैप गेट, एक पेनस्टॉक और या तो भंडारण या खंड 9.9 और अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच के अंतर्गत आकार दिया गया पंपिंग स्टेशन चाहिए। जालियाँ गेटों जितनी ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि नाले (nala) गाद, हवा से उड़कर आई रेत, ठोस अपशिष्ट और सीवेज ले जाते हैं: जयपुर में द्रव्यवती, जो एक वर्षा जल चैनल थी, लगभग 100 ड्रॉप संरचनाओं (fall structures) और 170 MLD के शोधन संयंत्रों सहित पक्के चैनल के रूप में फिर से बनाए जाने से पहले सीवर बन चुकी थी (JDA; प्रकाशित खबरों के अनुसार), और जोधपुर की ड्रेनें जोजरी तक ऐसे सीवेज और औद्योगिक बहिःस्राव के साथ पहुँचती हैं जिसे उच्चतम न्यायालय ने वर्षा जल ड्रेनों के माध्यम से आता हुआ पाया है (2025–26)। पूरे राज्य में नालों और धाराओं के आर-पार एनीकट (anicut) और चेक डैम बनाए जाते हैं, और मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान जैसे जल-संचयन कार्यक्रम 12,056 गाँवों में 3.80 लाख से अधिक संरचनाओं की रिपोर्ट देते हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार); किसी नाले के आर-पार बना एनीकट, चेक डैम या अवरोधन वियर उसके अनुप्रस्थ काट (section) का एक भाग घेर लेता है और प्रतिप्रवाह की ओर एक स्तर नियत कर देता है, इसलिए वर्षा जल क्षमता पर उसके प्रभाव की जाँच खंड 8.9.5 और अध्याय 6 की HGL के अंतर्गत की जाती है, खंड 9.2.1 में उसका शिखर एक नियत नियंत्रण के रूप में लिया जाता है, और गैर मुमकिन नाला (gair mumkin nala) के रूप में दर्ज किसी चैनल में बनी ऐसी संरचना को ऐसे चैनलों में बाधा डालने पर उच्च न्यायालय की रोक का भी पालन करना होगा (*Ramji Lal Saini*, 2026)। राज्य का लगभग 60% भाग भीतर की ओर बहता है, किसी नदी या समुद्र तक नहीं (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और बीकानेर के आसपास के नहर कमान क्षेत्र में कोई सतही जल निकासी आउटलेट नहीं है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); वहाँ ड्रेन की अंतिम संरचना अध्याय 4 और खंड 4.12.7 के अंतर्गत डिजाइन किया गया अंतःस्यंदन बेसिन, सोख गड्ढा (soakaway), पुनर्भरण शाफ्ट या भंडारण बेसिन है, जिसका आउटलेट और अतिप्रवाह खंड 9.7 के अंतर्गत और जाली खंड 9.8 के अंतर्गत हो, और जिसका एक सुरक्षित अतिप्रवाह मार्ग हो जो पड़ोसी की भूमि पर पानी न छोड़े, और ऐसे बेसिन से पंप किया गया आउटलेट केवल वहीं उपयोग किया जाता है जहाँ भंडारण और अंतःस्यंदन 72-घंटे का डिजाइन आयतन धारण नहीं कर सकते। राजस्थान के किसी भी नगर की ड्रेनों पर स्लूइस, फ्लैप गेटों, एस्केप चैनलों, अवरोधन संरचनाओं, एनीकटों और पंपिंग स्टेशनों की, उनकी क्षमताओं और प्रचालन नियमों सहित, कोई सूची, आना सागर के एस्केप चैनल या उदयपुर की झीलों के गेटों का कोई प्रकाशित प्रचालन नियम, एस्केप चैनल की कोई क्षमता, और किसी भी आउटफॉल पर नदी या झील का कोई डिजाइन जल स्तर सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं मिला। खंड 9.10.3 और 9.10.5 इस मैनुअल द्वारा इसलिए निर्धारित हैं क्योंकि जो फ्लैप गेट या स्लूइस विफल हो जाता है, या गाद, रेत, ठोस अपशिष्ट या मलबे से खुला अटक जाता है, वह बाढ़ में चढ़ी नदी या झील को ड्रेन नेटवर्क में वापस आने देता है, और जो बंद अटक जाता है वह उसे अवरुद्ध कर देता है। राजस्थान के नगरों के नाले (nala) गाद, हवा से उड़कर आई रेत, ठोस अपशिष्ट और सीवेज को अपने आउटफॉलों तक ले जाते हैं, और अनेक नाले ऐसी झीलों में समाप्त होते हैं जिनके जल स्तर गेटों और एस्केप चैनलों द्वारा रोके जाते हैं, जैसे आना सागर पर और उदयपुर की शृंखला में, या चंबल में, इसलिए गेट, उसकी जाली और उसके पास का अवरोधन वियर या एनीकट एक ही मलबे के संपर्क में रहते हैं और उन्हें एक साथ साफ रखना होगा; और क्योंकि कोटा सिटी पर चंबल का दर्ज उच्चतम बाढ़ स्तर (248.68 m, 16 सितंबर 2019) उसके खतरे के स्तर से लगभग 6.7 m ऊपर है (CWC), और चंबल के डैमों और कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी नदी को कई दिनों तक ऊँचा रख सकता है, रिसने वाला या अटका हुआ गेट पूरी बाढ़ के दौरान उसके संपर्क में रह सकता है।

9.11 इनलेट और जालियाँ

9.11.1 **हाइड्रोलिक्स.** इनलेट की क्षमता, उनके बीच की दूरी और अवरोध अध्याय 6 के खंड 6.6 के अनुसार होंगे।

9.11.2 **भार वर्ग.** जालियाँ, ढक्कन और फ्रेम अपने स्थान के यातायात के लिए निर्धारित होंगे। भार वर्ग IS 1726 (ढलवाँ लोहे के मैनहोल ढक्कन और फ्रेम) या EN 124 (गली टॉप और मैनहोल टॉप) के होंगे, कम से कम:

- (a) कैरिजवे और मध्य पट्टियाँ (medians): EN 124 वर्ग D400 या समतुल्य भारी-शुल्क IS वर्ग;
- (b) कर्ब से 0.5 m के भीतर कर्ब-किनारे के चैनल इनलेट: वर्ग C250 या समतुल्य; और
- (c) फुटपाथ और साइकिल ट्रैक: वर्ग B125 या समतुल्य।

9.11.3 **जाली का पैटर्न.**

- (a) कैरिजवे, साइकिल ट्रैक और फुटपाथों में जालियों में यात्रा की दिशा के समानांतर 25 mm से अधिक चौड़े छिद्र नहीं होंगे।
- (b) परीक्षित क्षमता आँकड़ों के बिना जाली प्रकारों का मूल्यांकन FHWA HEC-22 (2024) की वियर और ऑरिफिस विधियों द्वारा, अध्याय 6 के अवरोध गुणकों के साथ किया जाएगा।

9.11.4 **कर्ब छिद्र.** कर्ब-छिद्र इनलेटों (kerb-opening inlets) में स्पष्ट छिद्र की ऊँचाई कम से कम 100 mm और लंबाई कम से कम 1.0 m होगी। जहाँ कोई कर्ब इनलेट किसी ढकी ड्रेन की दीवार से होकर पानी छोड़ता है (अध्याय 6, खंड 6.13.1), वहाँ छिद्र सड़क के स्तर पर होगा।

9.11.5 **सुरक्षा.** सार्वजनिक भूमि पर जालियाँ और ढक्कन अपने फ्रेम से कब्जेदार या तालाबंद होंगे, ताकि उन्हें किसी औजार के बिना हटाया न जा सके।

9.11.6 **इनलेट कक्ष.** इनलेट कक्षों में अध्याय 6 के खंड 6.6.7 का गाद संप होगा, और उनका आकार ऐसा होगा कि संप को सक्शन या ग्रैब मशीन से खाली किया जा सके।

> **भाष्य.** NDMA (2010, §4.13) जल निकासी इनलेटों के लिए ढलवाँ लोहे की जालियों हेतु IS 5961 का उल्लेख करता है। भार वर्ग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रयुक्त EN 124 वर्गों पर आधारित हैं। समानांतर छिद्रों पर 25 mm की सीमा साइकिल चालकों और पैदल यात्रियों की सुरक्षा के लिए निर्धारित है। APWA 5600 (2006, 5604.2) कर्ब छिद्रों के लिए कम से कम 4 फुट (लगभग 1.2 m) लंबाई और 6 इंच (लगभग 150 mm) स्पष्ट ऊँचाई की अपेक्षा करता है। खंड 9.11.4 राजस्थान के नगरों में आम संकरी सड़कों और नीचे कर्बों के अनुरूप छोटे न्यूनतम मान निर्धारित करता है।

9.12 मैनहोल, संगम कक्ष और प्रवेश व्यवस्था

9.12.1 **स्थान और दूरी.** मैनहोल अध्याय 6 के खंड 6.7.11 और तालिका 6.8 के स्थानों और दूरियों पर बनाए जाएँगे। जहाँ पाइप मानक मैनहोल के लिए बहुत बड़े हों, वहाँ सतह तक राइजर वाले संगम कक्ष का उपयोग किया जाएगा (CPHEEO 2019, §11.3.7.3)।

9.12.2 **न्यूनतम आंतरिक आकार.** मैनहोलों के आंतरिक आयाम कम से कम तालिका 9.4 के अनुसार होंगे (CPHEEO 2019, §11.3.7.6):

तालिका 9.4 — मैनहोलों का न्यूनतम आंतरिक आकार

आकृति और गहराई	न्यूनतम आंतरिक आकार
आयताकार, गहराई 0.9 m से कम	900 mm × 800 mm
आयताकार, गहराई 0.9–2.5 m	1,200 mm × 900 mm
वृत्ताकार, गहराई 0.9 m से अधिक और 1.65 m तक	900 mm व्यास
वृत्ताकार, गहराई 1.65 m से अधिक और 2.30 m तक	1,200 mm व्यास

आकृति और गहराई	न्यूनतम आंतरिक आकार
वृत्ताकार, गहराई 2.30 m से अधिक और 6.0 m तक	1,500 mm व्यास
वृत्ताकार, गहराई 6.0 m से अधिक और 9.0 m तक	1,800 mm व्यास

मैनहोल इतना बड़ा भी होगा कि उसमें जुड़ा सबसे बड़ा पाइप और उसके प्रत्येक ओर की बेंचिंग समा सके।

9.12.3 **प्रवेश द्वार.** सार्वजनिक ड्रेनों पर मैनहोलों और निरीक्षण कक्षों का स्पष्ट प्रवेश द्वार कम से कम 600 mm होगा, ताकि सफाई उपकरण नीचे उतारे जा सकें।

9.12.4 **ड्रॉप.** जहाँ आने वाले और जाने वाले इनवर्ट का अंतर 0.6 m से अधिक हो, वहाँ ड्रॉप कनेक्शन का प्रावधान किया जाएगा। 0.6 m से कम होने पर, अंतर को आने वाले पाइप के ढलान या बेंचिंग को समायोजित करके पूरा किया जाएगा (CPHEEO 2019, §11.3.7.5)। जहाँ पाइप का आकार बदलता है, वहाँ मैनहोल के आर-पार इनवर्ट ड्रॉप व्यासों के अंतर का कम से कम निम्नलिखित भाग होगा (CPHEEO 2019, तालिका 11.6):

- 400 mm से कम की वाहिकाएँ: आधा;
- 400 mm से 900 mm: दो-तिहाई;
- 900 mm से अधिक: चार-पाँचवाँ।

9.12.5 **बेंचिंग.** मैनहोल के फर्श की बेंचिंग कम से कम बाहर जाने वाले पाइप के शीर्ष (crown) तक की जाएगी, और प्रत्येक आने वाले पाइप से प्रवाह को दिशा देने के लिए चैनल बनाए जाएँगे।

9.12.6 **सरचार्ज.** उन मेन पर मैनहोल, जहाँ 1% AEP का HGL ढक्कन से ऊपर उठ सकता है (अध्याय 6, खंड 6.8.4), बोल्ट से कसे, तालाबंद या कब्जेदार ढक्कनों वाले होंगे, जिनका डिजाइन उस दाब के लिए किया गया हो।

9.12.7 **यांत्रिक सफाई.** मैनहोल, कक्ष और ढकी ड्रेनें सतह से मशीन (सक्शन, जेटिंग, ग्रैब या रोबोटिक उपकरण) द्वारा सफाई के लिए डिजाइन की जाएँगी। जहाँ स्थिर सीढ़ियाँ लगाई जाती हैं, वे संक्षारण-रोधी, आवरणयुक्त (encapsulated) सामग्री की होंगी।

> **भाष्य.** आकार और ड्रॉप की अपेक्षाएँ CPHEEO (2019) के अध्याय 11 से हैं। 600 mm का प्रवेश द्वार, बेंचिंग का नियम और बोल्ट से कसे ढक्कन इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। यांत्रिक सफाई के लिए डिजाइन करना *The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013* (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013) के अंतर्गत खतरनाक हाथ से सफाई पर प्रतिबंध का समर्थन करता है।

9.13 सामग्री और स्थायित्व

9.13.1 **अनावरण वर्ग.** कंक्रीट संरचनाओं का डिजाइन IS 456: 2000, तालिका 3 के अनावरण वर्ग (exposure class) के लिए किया जाएगा। राजस्थान में तालिका 9.5 के न्यूनतम वर्ग लागू होते हैं, जब तक कि कोई स्थल अन्वेषण अधिक गंभीर स्थिति न दर्शाए:

तालिका 9.5 — राजस्थान के स्थानों के लिए न्यूनतम IS 456 अनावरण वर्ग

स्थान	न्यूनतम IS 456 अनावरण वर्ग
अंतर्देशीय ड्रेनें और संरचनाएँ	मध्यम (Moderate)
तटीय वातावरण में ड्रेनें और संरचनाएँ, और कोई भी ड्रेन जो सीवेज-मिश्रित प्रवाह ले जाती है या ले जा सकती है	गंभीर (Severe)

स्थान	न्यूनतम IS 456 अनावरण वर्ग
समुद्री जल की फुहार के संपर्क में, या लवणीय या आक्रामक भूजल के संपर्क में संरचनाएँ	अति गंभीर (Very severe)
ज्वारीय क्षेत्र में संरचनाएँ	चरम (Extreme)

9.13.2 **कंक्रीट.** न्यूनतम कंक्रीट ग्रेड, अधिकतम जल–सीमेंट अनुपात, न्यूनतम सीमेंट मात्रा और प्रबलन पर नाममात्र आवरण (nominal cover) अनावरण वर्ग के लिए IS 456 के अनुसार होंगे। पाठक की सुविधा के लिए: IS 456 प्रबलित कंक्रीट के न्यूनतम ग्रेड M25 (मध्यम), M30 (गंभीर), M35 (अति गंभीर) और M40 (चरम), और नाममात्र आवरण क्रमशः 30, 45, 50 और 75 mm निर्धारित करता है।

9.13.3 **आक्रामक भूमि.** तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में प्रत्येक संरचना पर भूजल और मिट्टी का क्लोराइड और सल्फेट के लिए परीक्षण किया जाएगा। सीमेंट का प्रकार और कंक्रीट मिश्रण IS 456 के अंतर्गत परिणामों के अनुरूप चुना जाएगा।

9.13.4 **सीवेज-मिश्रित प्रवाह.** जो पाइप और ढकी ड्रेनें सीवेज-मिश्रित प्रवाह ले जाती हैं या ले जा सकती हैं, उन्हें सल्फाइड (शीर्ष) संक्षारण (sulphide crown corrosion) से, त्याज्य कंक्रीट मोटाई (sacrificial concrete thickness), संक्षारण-रोधी अस्तर या गैर-कंक्रीट पाइप सामग्री द्वारा संरक्षित किया जाएगा।

9.13.5 **पाइप.** कंक्रीट पाइप IS 458 का पालन करेंगे, और उनका वर्ग संरचनात्मक डिजाइन द्वारा चुना जाएगा। अन्य पाइप सामग्री (उदाहरण के लिए तन्य लोहा, HDPE या संरचित-दीवार प्लास्टिक पाइप) लागू भारतीय मानक का पालन करेंगी और अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होंगी।

9.13.6 **धातु कार्य.** तट से 5 km के भीतर, और सभी ज्वारीय और लवणीय स्थानों में:

- (a) फिक्सिंग, कब्जे, सीढ़ियाँ, रेलिंग और जाली के फ्रेम ग्रेड 316 के स्टेनलेस स्टील, या सुरक्षात्मक लेप सहित हॉट-डिप जस्तीकृत (hot-dip galvanised) स्टील, या किसी अधात्विक सामग्री के होंगे; और
- (b) असमान धातुओं को एक-दूसरे से पृथक रखा जाएगा।

9.13.7 **चिनाई.** टियर A निकायों में नई सार्वजनिक ड्रेनें प्रबलित या सादे कंक्रीट में होंगी। टियर B निकायों में ड्रेनों के लिए ईंट या पत्थर की चिनाई का उपयोग केवल तभी किया जा सकता है जब गीले फलक पर उसका पलस्तर किया गया हो और वह तालिका 6.6 के n मान का पालन करे।

> **भाष्य.** IS 456 के अनावरण वर्ग और ग्रेड तथा आवरण के मान सुविधा के लिए IS 456: 2000 (तालिकाएँ 3, 5 और 16) से उद्धृत हैं। मानक ही प्रभावी है, और डिजाइनकर्ता उसके वर्तमान संशोधन का उपयोग करेंगे। राजस्थान के स्थानों को अनावरण वर्ग देना, सल्फाइड-संक्षारण की अपेक्षा और टियर A निकायों में नई चिनाई ड्रेनों पर प्रतिबंध — इनका कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। जिन ड्रेनों में सीवेज के अवैध जुड़ाव होते हैं (एक आम स्थिति, अध्याय 8), वे हाइड्रोजन सल्फाइड उत्पन्न करती हैं, जो जल रेखा से ऊपर असंरक्षित कंक्रीट पर आक्रमण करती है।

9.14 प्रस्तुति की अपेक्षाएँ

प्रत्येक संरचना का डिजाइन एक **हाइड्रोलिक संरचना रिपोर्ट** (प्रपत्र 9-1) के साथ प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें यथा लागू निम्नलिखित होंगे:

1. पुलिया की गणनाएँ (HDS-5 या HY-8 आउटपुट), HWi, HWo, आउटलेट वेग, टेलवाटर, ऊपर से बहने और अवरोध जाँच सहित;
2. चैनल की जल-सतह प्रोफाइल, वेग, फ्रूड संख्याएँ और फ्रीबोर्ड;
3. आउटलेट संरक्षण और क्षयकारी का डिजाइन, रिपरैप के आकार निर्धारण सहित;
4. अस्थायी भंडारण आउटलेट की जल स्तर–प्रवाह दर तालिकाएँ और आपातकालीन स्पिलवे की जाँच;
5. 50% अवरुद्ध जाँच सहित जाली और कचरा-रोधी जाली का डिजाइन;

6. पंपिंग स्टेशन डिजाइन रिपोर्ट: अंतर्वाह हाइड्रोग्राफ, भंडारण, पंप वक्र और प्रणाली वक्र, वेट वेल का आयतन, नियंत्रण, विद्युत आपूर्ति और अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच;
7. हेड-हानि आँकड़ों सहित गेट और वाल्व का चयन;
8. इनलेट, जाली और ढक्कन के भार वर्ग; और
9. अनावरण वर्ग और सामग्री का विवरण (खंड 9.13)।

संदर्भ (अध्याय)

- Federal Highway Administration (2012). *Hydraulic Design of Highway Culverts*, Hydraulic Design Series No. 5, 3rd edition, FHWA-HIF-12-026.
- Federal Highway Administration (2006). *Hydraulic Design of Energy Dissipators for Culverts and Channels*, Hydraulic Engineering Circular No. 14, 3rd edition, FHWA-NHI-06-086.
- Federal Highway Administration (2005). *Design of Roadside Channels with Flexible Linings*, Hydraulic Engineering Circular No. 15, 3rd edition, FHWA-IF-05-114.
- Federal Highway Administration (2024). *Urban Drainage Design Manual*, Hydraulic Engineering Circular No. 22, 4th edition, FHWA-HIF-24-006.
- Federal Highway Administration (2001). *Highway Stormwater Pump Station Design*, Hydraulic Engineering Circular No. 24, FHWA-NHI-01-007.
- FHWA Hydraulics Engineering publications listing. https://www.fhwa.dot.gov/Engineering/hydraulics/library_listing.cfm
- MoHUA / CPHEEO (2019). *Manual on Storm Water Drainage Systems*, Volume I, Part A: Engineering Design. §2.4.2.3, §5.3, Tables 5.5, 5.11, 5.12, §6.3.10.1, Chapter 8, Chapter 11. https://www.mohua.gov.in/static/uploads/2025/10/8a2456c722036d78c72a698898ef846d.pdf
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). *Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities* (5604.2, 5608.4); और Version 2025.01 (Dec 2025)।
- Bureau of Indian Standards. IS 456: 2000, *Plain and Reinforced Concrete — Code of Practice* (Tables 3, 5 और 16)।
- Bureau of Indian Standards. IS 458, *Precast Concrete Pipes (with and without Reinforcement) — Specification* (वर्तमान संशोधन)।
- Bureau of Indian Standards. IS 1726, *Cast Iron Manhole Covers and Frames*; IS 5961, *Cast Iron Gratings for Drainage Purposes*; IS 12592, *Precast Concrete Manhole Covers and Frames* (वर्तमान संशोधन)।
- European Committee for Standardization. EN 124, *Gully tops and manhole tops for vehicular and pedestrian areas*.
- Hydraulic Institute. ANSI/HI 9.8, *Rotodynamic Pumps for Pump Intake Design* (वर्तमान संस्करण)।
- Indian Roads Congress. IRC:SP:13, *Guidelines for the Design of Small Bridges and Culverts* (वर्तमान संशोधन)।
- Chow, V.T. (1959). *Open-Channel Hydraulics*. McGraw-Hill. (Fortier और Scobey 1926 के अनुमेय वेग; Rand 1955 के ड्रॉप संबंध।)
- Fortier, S. and Scobey, F.C. (1926). Permissible canal velocities. *Transactions of the ASCE* 89.
- Rand, W. (1955). Flow geometry at straight drop spillways. *Proceedings of the ASCE* 81.
- Brater, E.F. and King, H.W. *Handbook of Hydraulics*. McGraw-Hill.
- Tennessee Department of Environment and Conservation (2026). *Erosion Prevention and Sediment Control Handbook*, §4.3.6 Riprap Apron (HEC-14 का एप्रन समीकरण और तालिका दी गई है)। https://www.tn.gov/content/dam/tn/environment/water/stormwater/epsc-handbook/dwr-npdes-sop-g-16-erosion-prevention-sediment-control-handbook-01092026-4.3.6%20-riprap-apron.pdf
- Purdue University Joint Transportation Research Program. Study of riprap apron design at culvert outlets. https://docs.lib.purdue.edu/jtrp/1704
- CIRIA (2019). *Culvert, screen and outfall manual*, C786. London: CIRIA.

- National Disaster Management Authority (2010). *National Guidelines: Management of Urban Flooding*, §4.13.
- Government of India. *The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013* (हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013)।

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
9A	SI इकाइयों में HDS-5 इनलेट-नियंत्रण गुणांक और पुलिया का हल किया गया उदाहरण
9B	मानक ड्रॉइंग: हेडवॉल, रिपरैप एप्रन, ड्रॉप संरचनाएँ, कचरा-रोधी जालियाँ, अस्थायी भंडारण राइजर
9C	पंपिंग स्टेशन डिजाइन जाँच-सूची और मानक नियंत्रण पद्धति
प्रपत्र 9-1	हाइड्रोलिक संरचना रिपोर्ट जाँच-सूची

अध्याय 10

प्रस्तुतियाँ, समीक्षा, प्रचालन और रखरखाव तथा प्रवर्तन

10.1 उद्देश्य और विस्तार

10.1.1 यह अध्याय बताता है कि इस मैनुअल का अनुपालन किस प्रकार दर्शाया, जाँचा, निर्मित, कार्यशील रखा और प्रवर्तित किया जाएगा। इसमें निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- (a) प्रस्तुति (submittal) के चरण और उनकी विषय-वस्तु (खंड 10.3–10.4);
- (b) अनुपालन कैलकुलेटर (compliance calculator) (खंड 10.5);
- (c) पेशेवर प्रमाणन और समीक्षा (खंड 10.6–10.7);
- (d) निर्माण के दौरान निरीक्षण और यथा-निर्मित (as-built) प्रमाणन (खंड 10.8–10.9);
- (e) रखरखाव घोषणा-पत्र, O&M योजनाएँ, निरीक्षण और पहुँच (खंड 10.10–10.13);
- (f) सार्वजनिक परिसंपत्तियों का हस्तांतरण (खंड 10.14);
- (g) प्रवर्तन (खंड 10.15); और
- (h) निगरानी, घटना-पश्चात समीक्षा और आँकड़ों का प्रकाशन (खंड 10.16–10.17)।

10.1.2 यह अध्याय ऐसे प्रत्येक विकास और लोक निर्माण कार्य पर लागू होता है जिस पर खंड 1.5.2 के अंतर्गत अध्याय 4 और 5 लागू होते हैं। खंड 10.3.1 (चरण 0), 10.15 और 10.17 उस विकास पर भी लागू होते हैं जो केवल खंड 1.5.4 के अधीन है।

भाष्य. जिस मानदंड की अनुमोदन के समय जाँच न हो, जिसे अनुमोदन के अनुसार न बनाया जाए और जिसका बाद में रखरखाव न हो, उसका कोई प्रभाव नहीं होता। राजस्थान में विफलता मानदंडों के अभाव की है, और उन शर्तों की जिनकी जाँच केवल वर्षा जल संचयन के लिए होती है। UDH, स्वायत्त शासन विभाग (LSG), किसी नगर निगम, किसी विकास प्राधिकरण या किसी नगर सुधार न्यास का ऐसा कोई दस्तावेज नहीं मिला जिसमें शहरी वर्षा जल ड्रेनों के लिए डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि, तीव्रता या अपवाह गुणांक बताया गया हो, सिवाय RUIDP के उस मार्गदर्शन के जो उसने 2008 में अपनी परियोजनाओं के लिए दिया (नगर की ड्रेनों के लिए 1–2 वर्ष)। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 जल निकासी को नगरपालिका का कर्तव्य बनाता है (धारा 45), सार्वजनिक तालाब और धाराएँ तथा किसी सड़क में, उसके साथ-साथ या उसके नीचे की ड्रेनें और जलमार्ग उसमें निहित करता है (धारा 68), और नगरपालिका के भीतर की सभी ड्रेनों को उसके सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन रखता है (धारा 200); ड्रेनों का पानी लेने वाली नदियाँ, डैम और जलाशय WRD के पास हैं। अनुमोदन की प्रक्रिया ही इस अध्याय को आकार देती है। मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 UDH ने 12 मई 2025 के अपने आदेश क्रमांक P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025 के साथ, नगरपालिका अधिनियम की धारा 337, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 की धारा 104-A और विकास प्राधिकरणों के अधिनियमों के अंतर्गत जारी किए; प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय या प्राधिकरण उन्हें राजपत्र में अपने प्रकाशन द्वारा प्रवृत्त करता है (विनियम 1.2), इसलिए प्रारंभ की तिथि शहर-दर-शहर भिन्न है [प्रत्येक शहर के लिए TBC; एक द्वितीयक स्रोत 5 दिसंबर 2025 देता है], और प्रारंभ होने पर वे पहले के विनियमों को निरस्त करते हैं, जिनमें मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2020 और जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन) भवन विनियम, 2020 हैं (विनियम 18.1)। इनके अंतर्गत भवन नक्शे का अनुमोदन शहरी स्थानीय निकाय, विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास द्वारा, या किसी सूचीबद्ध वास्तुकार द्वारा किया जाता है; 225 m^2 या उससे बड़े भूखंडों पर वर्षा जल संचयन अनुमोदन के समय शपथ-पत्र द्वारा घोषित किया जाता है और समापन प्रमाण-पत्र के लिए उसकी जाँच होती है (अनुसूची 3), और ₹50,000 से ₹5 लाख की वापसी योग्य धरोहर राशि तभी लौटाई जाती है जब भू-जल विभाग, WRD या इस क्षेत्र का

अनुभवी सेवानिवृत्त अभियंता यह रिपोर्ट दे कि संरचना काम करती है (विनियम 8.3(ii) और अनुसूची 2); प्लिंथ सामने की सड़क से कम से कम 0.45 m ऊँचा होना चाहिए (विनियम 6.6)। नगरपालिका अधिनियम किसी भवन के निर्माण या अधिभोग पर तब तक रोक लगाता है जब तक प्रभावी जल निकासी के लिए आवश्यक "ऐसे स्तर पर और ऐसे ढाल के साथ" ("at such level and with such fall") ड्रेन न बना दी जाए, जो 50 ft के भीतर किसी नगरपालिका ड्रेन में, अन्यथा किसी मलकूप (cess-pool) में खाली हो (धारा 202), नगरपालिका में निहित किसी ड्रेन से जोड़ने या उसके ऊपर निर्माण करने के लिए लिखित सम्मति अपेक्षित करता है (धारा 213), और किसी नए भवन को सार्वजनिक जल कनेक्शन देने पर तब तक रोक लगाता है जब तक नगरपालिका यह प्रमाणित न करे कि वर्षा जल संचयन की व्यवस्था कर दी गई है (धारा 238(4)), और बताया गया है कि PHED यह शर्त लागू करता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। किसी झील के संरक्षित क्षेत्र में निर्माण के लिए झील विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति, और किसी झील को समाविष्ट करने वाली योजना के लिए उसका पूर्व अनुमोदन आवश्यक है (झील अधिनियम, 2015, धारा 5, विधेयक के पाठ के अनुसार), यद्यपि कोई संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित नहीं मिला। 7 अगस्त 2026 से उच्चतम न्यायालय ने किसी भी विभाग, सांविधिक प्राधिकरण या स्थानीय निकाय को राज्य के चिह्नित नदी गलियारों के भीतर औद्योगिक, वाणिज्यिक या आवासीय विकास के लिए नई अनुमतियाँ देने से तब तक रोक दिया है जब तक प्रत्येक नदी प्रणाली की उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और पारिस्थितिक बफर का सीमांकन न हो जाए (*In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*)। कोई भी नियम न तो जल निकासी रिपोर्ट माँगता है, न चरम अपवाह को सीमित करता है, न साइट पर अस्थायी भंडारण अनिवार्य करता है और न किसी नाले, नदी या झील से सेटबैक निर्धारित करता है। इसलिए इस अध्याय की वर्षा जल संबंधी प्रत्येक मद इस प्रकार लिखी गई है कि अभिलेख पर दर्ज वास्तुकार या अभियंता उसे प्रपत्र 1-1, 2-1, 10-2 और 10-3 पर प्रमाणित कर सके, और प्राधिकारी भवन नक्शे के साथ उसकी जाँच अनुमोदन के समय, समापन प्रमाण-पत्र के समय और वर्षा जल संचयन की धरोहर राशि लौटाने वाली सुचारु संचालन जाँच के समय कर सके। यह अध्याय यही प्रक्रिया है।

10.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस अध्याय में अर्थ
प्रस्तुति (submittal)	खंड 10.3 के किसी एक चरण में प्राधिकारी के पास जमा किए गए दस्तावेजों का समूह।
जल निकासी रिपोर्ट	खंड 10.4 द्वारा अपेक्षित प्रारंभिक (चरण 1) या अंतिम (चरण 2) रिपोर्ट।
वर्षा जल सुविधा	इस मैनुअल द्वारा अपेक्षित कोई भी प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, जल गुणवत्ता, वहन, पंपिंग, गेट या आउटफॉल घटक, चाहे सार्वजनिक हो या निजी।
रोक बिंदु (hold point)	निर्माण का वह चरण जिस पर, जब तक प्राधिकारी या प्रमाणकर्ता पेशेवर उसका निरीक्षण न कर ले, कार्य आगे नहीं बढ़ाया जाएगा (खंड 10.8)।
यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र	खंड 10.9 का वह प्रमाण-पत्र कि सुविधा अनुमोदन के अनुसार बनाई गई है और डिजाइन के अनुसार कार्य करती है।
स्वामी	वह व्यक्ति या निकाय जो रखरखाव घोषणा-पत्र के अंतर्गत किसी सुविधा के लिए उत्तरदायी है, या हस्तांतरित परिसंपत्ति के लिए ULB।
O&M योजना	खंड 10.11 की प्रचालन और रखरखाव योजना।
सुविधा रजिस्टर	खंड 10.17 का सुविधाओं का सार्वजनिक रजिस्टर।

अन्य शब्द खंड 1.4 में परिभाषित हैं।

10.3 प्रस्तुति के चरण

10.3.1 प्रस्तुतियाँ निम्नलिखित चरणों में की जाएँगी, जो मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 के अनुमोदन पदों से जुड़े हैं (तालिका 10.1):

तालिका 10.1 — प्रस्तुति के चरण और उनसे जुड़े अनुमोदन

चरण	प्रस्तुति	कब	संबद्ध अनुमोदन
0	**आवेदन-पूर्व** बैठक और **प्रपत्र 1-1** (प्रयोज्यता निर्धारण)	योजना अनुमति या लेआउट आवेदन से पहले	कोई नहीं (परामर्शी अभिलेख)
1	**प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट**	योजना अनुमति या लेआउट आवेदन के साथ	योजना अनुमति / लेआउट अनुमोदन
2	**अंतिम जल निकासी डिजाइन**	भवन अनुमति से पहले, या जहाँ अनुमति योजना अनुमति के साथ ही जारी होती है वहाँ कार्य प्रारंभ से पहले	भवन अनुमति / कार्य प्रारंभ
3	रोक बिंदुओं पर **निर्माण निरीक्षण**	निर्माण के दौरान	कोई नहीं (अभिलेख फाइल किए जाते हैं)
4	**यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र** और सत्यापन परीक्षण	समापन प्रमाण-पत्र से पहले	समापन / अधिभोग प्रमाण-पत्र
5	पंजीकृत **रखरखाव घोषणा-पत्र**, या सार्वजनिक परिसंपत्तियों का **हस्तांतरण**	समापन प्रमाण-पत्र से पहले या उसके साथ	समापन प्रमाण-पत्र; परिसंपत्ति को स्वीकार करना
6	**वार्षिक घोषणाएँ** और निरीक्षण रिपोर्ट	समापन के बाद प्रति वर्ष	सतत अनुपालन

10.3.2 **चरण 0 अनिवार्य है** निम्नलिखित के लिए:

- (a) 2 ha या अधिक की साइटें;
- (b) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में स्थित साइटें;
- (c) विचलन, अधित्याग, क्षेत्रीय सुविधा या एवज शुल्क (fee-in-lieu) प्रस्तावित करने वाली साइटें; और
- (d) ज्वारीय आउटफॉल में जल निकासी करने वाली या किसी जलाशय से सटी साइटें।

अन्य साइटों के लिए चरण 0 वैकल्पिक है, और प्रपत्र 1-1 चरण 1 के साथ जमा किया जाता है।

10.3.3 **संयुक्त चरण.** बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों से बाहर 1 ha से कम की साइटों के लिए प्राधिकारी चरण 1 और 2 को एक ही प्रस्तुति के रूप में स्वीकार कर सकता है।

10.3.4 **लोक निर्माण कार्य.** किसी लोक निर्माण कार्य के लिए चरण 1 DPR का जल निकासी भाग है और चरण 2 निविदा ड्रॉइंग का जल निकासी भाग है। जब तक संबंधित चरण की खंड 10.7 के अंतर्गत समीक्षा न हो जाए, संस्वीकृति प्राधिकारी कार्य को संस्वीकृति नहीं देगा और न उसकी निविदा आमंत्रित करेगा।

10.3.5 **अनुमोदन के बाद परिवर्तन.** चरण 2 के बाद अपारगम्य क्षेत्र, स्तर, भंडारण, आउटलेट या आउटफॉल को बदलने वाला कोई भी परिवर्तन, अनुपालन कैलकुलेटर फिर से चलाकर, उस परिवर्तन के निर्माण से पहले पुनः प्रस्तुत किया जाएगा।

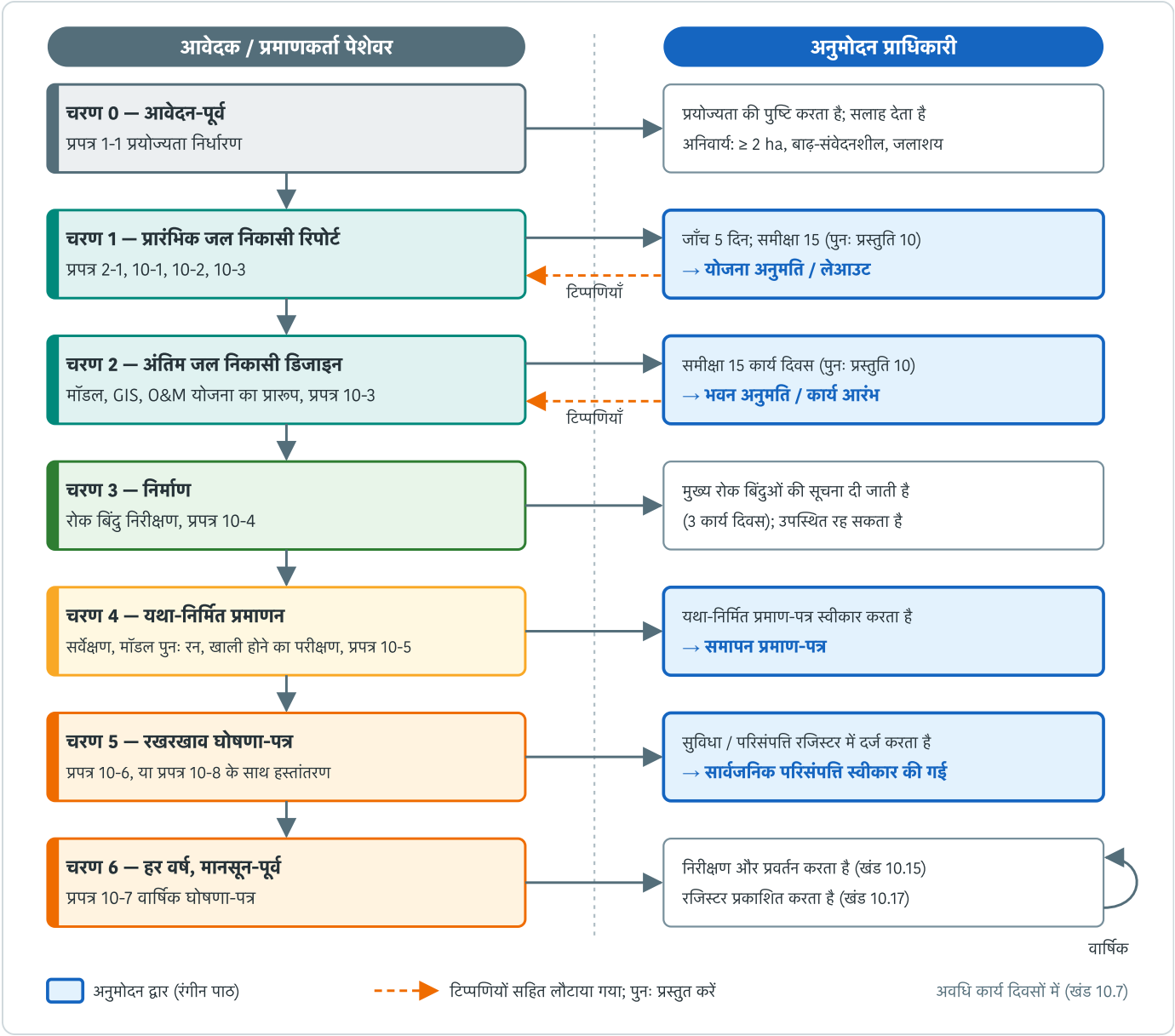

चित्र 10.1 — प्रस्तुति, समीक्षा और अनुमोदन का कार्यप्रवाह (खंड 10.3–10.10)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग।

> **भाष्य.** ये चरण प्रारंभिक और अंतिम वर्षा जल अध्ययन, निर्माण निरीक्षण और रखरखाव अनुबंधों के APWA 5600 के क्रम (APWA 5600, 2006, §5608 और §5609) का पालन करते हैं, जिसे भवन विनियम, 2025 के उन पदों पर बैठाया गया है जिनका पालन राजस्थान का आवेदक पहले से करता है। चरण 4 को समापन प्रमाण-पत्र से जोड़ना MBBL 2016 के RWH मॉडल का अनुसरण है, जिसमें समापन प्रमाण-पत्र से पहले निरीक्षण अपेक्षित है (MBBL 2016, §9.6)। खंड 10.3.2 और 10.3.3 की 2 ha और 1 ha की सीमाओं का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

10.4 अपेक्षित विषय-वस्तु और जाँच-सूचियाँ

10.4.1 **प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट (चरण 1).** रिपोर्ट में कम से कम निम्नलिखित होंगे:

- (a) प्रपत्र 1-1 और, जहाँ लागू हो, प्रपत्र 1-2 (विचलन / अधित्याग अनुरोध);

- (b) विद्यमान और प्रस्तावित स्तरों, अपारगम्य क्षेत्रों, और साइट की ओर तथा साइट से होकर बहने वाले जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाओं के साथ साइट नक्शा;
- (c) मिट्टी (HSG), मौसमी उच्चतम भूजल स्तर, और अंतःस्यंदन परीक्षण के परिणाम या परीक्षण योजना (अध्याय 3);
- (d) खंड 2.13 की अपेक्षा के अनुसार भरा गया **डिजाइन वर्षा पत्रक (प्रपत्र 2-1)**;
- (e) विकास-पूर्व स्थिति और जलवैज्ञानिक विधि (अध्याय 3);
- (f) खंड 1.2 का पदानुक्रम किस प्रकार लागू किया गया है: संरक्षित क्षेत्र, प्रतिधारण विधि, अस्थायी भंडारण की अवधारणा और वहन;
- (g) अनुपालन कैलकुलेटर (खंड 10.5) से प्राप्त प्रारंभिक प्रतिधारण, जल गुणवत्ता और अस्थायी भंडारण आयतन, तथा निकास दरें;
- (h) अनुप्रवाह विश्लेषण का विस्तार और टेलवाटर स्थिति (अध्याय 5);
- (i) जलाशय, सेटबैक और 1% AEP स्तर (अध्याय 6 और 7); और
- (j) सुविधाओं और रखरखाव पहुँच के लिए आरक्षित भूमि (खंड 10.13)।

10.4.2 **अंतिम जल निकासी डिजाइन (चरण 2).** अंतिम डिजाइन में, अद्यतन की गई चरण 1 की विषय-वस्तु के अतिरिक्त, निम्नलिखित होंगे:

- (a) खंड 2.5.2 की प्रत्येक भंडारण अवधि और अध्याय 4 द्वारा अपेक्षित प्रत्येक AEP के लिए अंतिम गणनाएँ, जिनमें अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच भी सम्मिलित है;
- (b) प्रत्येक सुविधा के लिए जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर तालिकाएँ, और आपातकालीन स्पिलवे का डिजाइन (अध्याय 4);
- (c) वहन घटकों, इनलेट और संरचनाओं का हाइड्रोलिक डिजाइन (अध्याय 6 और 9);
- (d) जल गुणवत्ता डिजाइन, और जहाँ अपेक्षित हो वहाँ प्रथम प्रवाह (first flush) युक्ति या स्थूल प्रदूषक जाल (अध्याय 8);
- (e) प्रत्येक सुविधा की निर्माण ड्रॉइंग, विवरण और विनिर्देश;
- (f) निर्माण का क्रम, जिसमें प्रतिधारण और अंतःस्यंदन क्षेत्रों को तलछट और संघनन (compaction) से बचाना सम्मिलित है (खंड 10.8.3);
- (g) रोक-बिंदु अनुसूची (खंड 10.8);
- (h) O&M योजना का प्रारूप (खंड 10.11) और रखरखाव घोषणा-पत्र का प्रारूप (खंड 10.10);
- (i) मॉडल इनपुट फाइलें और खंड 10.4.4 के GIS आँकड़े; और
- (j) खंड 10.6 के प्रमाण-पत्र।

10.4.3 **जाँच-सूची.** प्रत्येक प्रस्तुति में **जल निकासी रिपोर्ट जाँच-सूची (प्रपत्र 10-1)** सम्मिलित होगी, जिसमें खंड 10.4.1–10.4.2 की प्रत्येक मद के लिए वह पृष्ठ या शीट दर्शाई जाएगी जहाँ उस पर विचार किया गया है, या वह कारण जिससे वह लागू नहीं होती। प्राधिकारी पूर्ण रूप से भरे प्रपत्र 10-1 के बिना किसी प्रस्तुति की तकनीकी समीक्षा आरंभ नहीं करेगा।

10.4.4 **डिजिटल प्रस्तुति.**

- (a) रिपोर्ट और ड्रॉइंग खोज-योग्य (searchable) PDF के रूप में प्रस्तुत की जाएँगी।
- (b) जलवैज्ञानिक और हाइड्रोलिक मॉडल उनके मूल, चलाने योग्य फॉर्मेट में (उदाहरण के लिए SWMM .inp, HEC-HMS या HEC-RAS प्रोजेक्ट फाइलें), प्रयुक्त सॉफ्टवेयर के संस्करण के साथ, प्रस्तुत किए जाएँगे।
- (c) सुविधाएँ, आउटफॉल, प्रवाह मार्ग और जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ GIS आँकड़ों (GeoPackage या shapefile) के रूप में, WGS 84 (EPSG:4326) में या लागू UTM जोन में (पूरे राज्य में 43N, सिवाय जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के, जो 42N का उपयोग करते हैं; धौलपुर जिले का 78° E के पूर्व का भाग भी 43N का उपयोग करता है; पूरी परियोजना के लिए एक ही जोन का उपयोग किया जाता है), परिशिष्ट 10B में सूचीबद्ध गुणों (attributes) के साथ प्रस्तुत की जाएँगी।
- (d) स्तर किसी नामित ऊर्ध्वाधर डेटम के सापेक्ष बताए जाएँगे। प्राप्तकर्ता नदियों पर CWC और WRD के गेजों के नदी डेटमों से, और अध्याय 5 में प्रयुक्त, शहर की जल निकासी प्राप्त करने वाली झीलों और जलाशयों के लिए WRD और झीलों के अभिरक्षकों के स्तर डेटमों से इसका संबंध, स्थानीय शून्य से ऊपर फुट में लिए गए झील गेज के पाठ्यांकों को किसी नामित डेटम पर मीटर में बदलकर, बताया जाएगा।

10.4.5 **प्रस्तुतियों में प्रयुक्त प्रपत्रों का सारांश** (तालिका 10.2):

तालिका 10.2 — प्रस्तुतियों में प्रयुक्त प्रपत्र

प्रपत्र	शीर्षक	चरण
1-1	प्रयोज्यता निर्धारण	0 या 1
1-2	विचलन / अधित्याग अनुरोध	1
2-1	डिजाइन वर्षा पत्रक	1, 2
10-1	जल निकासी रिपोर्ट जाँच-सूची	1, 2
10-2	अनुपालन कैलकुलेटर सारांश	1, 2, 4
10-3	पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र	1, 2
10-4	रोक-बिंदु निरीक्षण अभिलेख	3
10-5	यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र	4
10-6	रखरखाव घोषणा-पत्र	5
10-7	वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट	6
10-8	परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र	5

भाष्य. चलाने योग्य मॉडल और GIS आँकड़े देने में आवेदक का खर्च बहुत कम है, और इनसे प्राधिकारी कार्य की जाँच कर सकता है और बाद में निजी भंडारण का शहर-व्यापी चित्र बना सकता है। राजस्थान में अपनी ड्रेनों के लिए कोई अधिसूचित डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि, अपवाह गुणांक या डिजाइन वर्षा घटना नहीं है। मिला एकमात्र राज्य-व्यापी मार्गदर्शन RUIDP का 4 मार्च 2008 का परिपत्र संख्या 8 है, जो उसके ADB-वित्तपोषित नगरों के जल निकासी कार्यों के लिए है; यह नगर की ड्रेनों के लिए 1–2 वर्ष, पुलियों के लिए 25 वर्ष और पुलों के लिए 50 वर्ष की पुनरावृत्ति अवधि, 50 km^2 तक रेशनल विधि (Rational method) और घने क्षेत्रों में 0.7–0.9 के अपवाह गुणांकों की अनुमति देता है, और कहता है कि भारत में डिजाइन तीव्रताएँ "सामान्यतः 12mm/hr से 20mm/hr के परिसर में" ("usually in the range of 12mm/hr to 20mm/hr") होती हैं; यह जयपुर की मापी गई 5-वर्ष की 1-घंटे की 53.1 mm गहराई से बहुत कम है, इसलिए यह परिपत्र इतिहास है, डिजाइन का आधार नहीं। JDA ने जयपुर में द्रव्यवती चैनल को 100-वर्ष की बाढ़ पार कराने के लिए डिजाइन किया (EIA), किंतु उसका डिजाइन प्रवाह नहीं मिला; जोधपुर की वर्षा जल ड्रेनों और RUIDP के अन्य नगरों के ADB दस्तावेज कोई पुनरावृत्ति अवधि, तीव्रता या अपवाह गुणांक नहीं बताते; और JDA के 2025 के एकीकृत वर्षा जल मॉडल की पुनरावृत्ति अवधि नहीं मिली। IMD के राष्ट्रीय IDF अध्ययन (Das et al. 2022) में जयपुर और जैसलमेर के पैनल वही सामान्य वक्र दोहराते हैं जो कई अन्य शहरों के लिए खींचा गया है, और उनका उपयोग नहीं किया जाता; किसी स्टेशन पर किया गया एकमात्र फिट जयपुर में IMD के 44 वर्षों के घंटेवार आँकड़ों का अध्ययन है (Ghate and Timbadiya 2022), जिसकी 50-वर्ष की 1-घंटे की 93 mm गहराई CWC अनुपातों से प्राप्त मान से लगभग एक-तिहाई अधिक है। अन्यथा राज्य के उप-दैनिक डिजाइन मान उप-क्षेत्र 1(a), 1(b), 1(e) और 3(a) की CWC बाढ़ आकलन रिपोर्टों (Flood Estimation Reports) के अल्प-अवधि अनुपात हैं, अध्याय 2 की अंतरिम न्यूनतम सीमाओं के साथ। इसलिए प्रत्येक प्रस्तुति का पूरा डिजाइन आधार प्रपत्र 2-1 और प्रपत्र 10-2 में ही होता है। प्रपत्र 2-1 और प्रपत्र 10-2 यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रत्येक डिजाइन अपने इनपुट स्पष्ट रूप से बताए।

10.5 अनुपालन कैलकुलेटर

10.5.1 राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति एक **अनुपालन कैलकुलेटर** जारी करेगी और उसका अनुरक्षण करेगी: एक संस्करण-नियंत्रित स्प्रेडशीट या वेब टूल, जो किसी दी गई साइट के लिए:

- (a) खंड 1.5 के प्रयोज्यता परीक्षण लागू करता है;
- (b) परिशिष्ट 2E की गहराई से प्रतिधारण आयतन, और जल गुणवत्ता आयतन (अध्याय 8) की गणना करता है;
- (c) संरक्षित क्षेत्रों और प्रतिधारित आयतन के क्रेडिट को अस्थायी भंडारण के विरुद्ध लागू करता है (अध्याय 4);
- (d) डिजाइन सहायिका मार्ग (खंड 1.7, S-1) पर, इकाई-भंडारण तालिकाओं से प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण आयतन देता है;
- (e) विकल्प S-2 पर, प्रत्येक AEP के लिए साइट की अनुमेय प्रवाह दर देता है; और
- (f) **अनुपालन कैलकुलेटर सारांश (प्रपत्र 10-2)** तैयार करता है।

10.5.2 **उपयोग.**

- (a) चरण 1, 2 और 4 की प्रत्येक प्रस्तुति में कैलकुलेटर के वर्तमान संस्करण से तैयार प्रपत्र 10-2 सम्मिलित होगा।
- (b) डिजाइन सहायिका मार्ग पर, कैलकुलेटर ही एकमात्र भंडारण गणना हो सकता है।
- (c) डिजाइन सहायिका मार्ग के बाहर, कैलकुलेटर एक सारांश और प्रारंभिक छँटाई जाँच (screening check) है। यह अध्याय 3 के हाइड्रोग्राफ विश्लेषण का स्थान नहीं लेता। जहाँ मॉडल का परिणाम कैलकुलेटर की छँटाई जाँच से, कैलकुलेटर मार्गदर्शिका में बताई गई सहनसीमा से अधिक भिन्न हो, वहाँ रिपोर्ट उसका कारण स्पष्ट करेगी।

10.5.3 **संस्करण नियंत्रण.** कैलकुलेटर अपने प्रत्येक आउटपुट में अपना संस्करण अभिलिखित करेगा। खंड 2.14.2 के अनुरूप, नया संस्करण जारी होने के 6 महीने बाद से नई प्रस्तुतियों पर लागू होता है। कोई प्रस्तुति चरण 1 से 4 तक एक ही संस्करण का उपयोग करेगी, जब तक कि आवेदक बाद के किसी संस्करण को न चुने।

10.5.4 **खुलापन.** कैलकुलेटर, उसकी उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और उसमें दी गई प्रत्येक तालिका का स्रोत निःशुल्क प्रकाशित किया जाएगा।

> **भाष्य.** मिड-अमेरिका रीजनल काउंसिल (Mid-America Regional Council) ने APWA 5600 संस्करण 2025.01 के साथ एक अनुपालन कैलकुलेटर (Compliance Calculator, .xlsm) और कैलकुलेटर आरंभ मार्गदर्शिका (Calculator Start-Up Guide) जारी की, साथ ही साइट गतिविधि योजना का एक टेम्पलेट और नीति अनुपूरक (Policy Supplement) भी (MARC का वर्षा जल प्रबंधन वेब पेज, 2025)। कैलकुलेटर क्रेडिट वाले स्तरित मानक को संख्याओं के एक सुसंगत समूह में बदल देता है, जिसकी समीक्षक शीघ्र जाँच कर सकता है। सिंगापुर बहुत सरल नियम से ऐसा ही प्रभाव प्राप्त करता है: 4 h तक की 10-वर्ष की वर्षा घटनाओं के लिए 0.55 का एक ही अनुमेय C मान, जिसे सूत्र द्वारा लागू किया जाता है (PUB Code of Practice, cl. 7.1.5)। राजस्थान का कैलकुलेटर विशेष रूप से टियर B प्राधिकारियों के काम आता है, जहाँ वही पूरी गणना हो सकता है।

10.6 पेशेवर प्रमाणन

10.6.1 **हस्ताक्षर कौन कर सकता है.** जल निकासी रिपोर्ट और डिजाइन जलविज्ञान और हाइड्रोलिक्स में सक्षम पंजीकृत पेशेवर (खंड 1.4) द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित किए जाएँगे। निम्नलिखित में से किसी के लिए, हस्ताक्षरकर्ता ऐसा सिविल अभियंता होगा जो प्राधिकारी या UDH द्वारा **वर्षा जल डिजाइन पेशेवर (Stormwater Design Professional) के रूप में सूचीबद्ध** हो:

- (a) 1 ha या अधिक की टियर A साइटें;
- (b) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में स्थित कोई भी साइट;

- (c) तटबंध वाली कोई भी सुविधा, या 0.2% AEP के लिए जाँचा गया उच्च-जोखिम बेसिन (अध्याय 4); और
- (d) पंप द्वारा संचालित कोई भी सुविधा, ज्वार-रोधी गेट या क्षेत्रीय सुविधा।

10.6.2 **सूचीबद्धता के मानदंड** UDH द्वारा जारी किए जाएँगे और उनमें सिविल अभियांत्रिकी की डिग्री, जल निकासी डिजाइन का प्रासंगिक अनुभव, और इस मैनुअल पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा करना सम्मिलित होगा।

10.6.3 **प्रमाण-पत्र.** हस्ताक्षरकर्ता **पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3)** भरेगा, जिसमें वह प्रमाणित करेगा कि:

- (a) डिजाइन इस मैनुअल का अनुपालन करता है, सिवाय उन विचलनों के जो सूचीबद्ध और अनुमोदित हैं;
- (b) वर्षा, मिट्टी और टेलवाटर के इनपुट वही हैं जो प्रपत्र 2-1 और 10-2 में अभिलिखित हैं; और
- (c) प्रस्तुत मॉडल वही परिणाम देते हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं।

10.6.4 **स्वतंत्र जाँच.** खंड 10.6.1(c) और (d) के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं की जाँच ऐसे दूसरे सूचीबद्ध पेशेवर द्वारा की जाएगी जो डिजाइनकर्ता से स्वतंत्र हो। वह पेशेवर प्रपत्र 10-3 पर जाँचकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करेगा।

10.6.5 **मिथ्या प्रमाणन.** मिथ्या या लापरवाही से दिया गया प्रमाण-पत्र खंड 10.15 के अंतर्गत अपराध है।

> **भाष्य.** सिंगापुर की अपेक्षा है कि चरम प्रवाह नियंत्रण के लिए प्रयुक्त उसकी ABC Waters डिजाइन विशेषताओं का समर्थन ऐसा ABC Waters Professional करे जो Professional Engineer (Civil) भी हो (PUB Detention Tank Guide, 2024)। भारत में सिंगापुर के समान पेशेवर अभियंताओं का कोई सांविधिक रजिस्टर नहीं है, इसलिए यह खंड भवन विनियम, 2025 के अंतर्गत पंजीकरण का उपयोग करता है और अधिक जोखिम वाले मामलों के लिए सूचीबद्धता जोड़ता है। 1 ha की सीमा इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

10.7 समीक्षा प्रक्रिया और समय-सीमाएँ

10.7.1 **पूर्णता जाँच.** प्राधिकारी प्रत्येक प्रस्तुति की प्रपत्र 10-1 के आधार पर **5 कार्य दिवसों** के भीतर जाँच करेगा और या तो उसे समीक्षा के लिए स्वीकार करेगा या छूटी हुई मदों की सूची के साथ लौटा देगा।

10.7.2 **तकनीकी समीक्षा.** प्राधिकारी तकनीकी समीक्षा पूरी करेगा और अनुमोदन, सशर्त अनुमोदन या टिप्पणियों की एक ही समेकित सूची निम्नलिखित अवधि के भीतर जारी करेगा:

- (a) पहली प्रस्तुति के लिए, स्वीकार किए जाने के **15 कार्य दिवसों** के भीतर; और
- (b) पुनः प्रस्तुति के लिए, स्वीकार किए जाने के **10 कार्य दिवसों** के भीतर।

10.7.3 **कोई नई टिप्पणी नहीं.** पुनः प्रस्तुति पर, प्राधिकारी उन विषयों पर नई टिप्पणियाँ नहीं करेगा जो अपरिवर्तित थे और जिन पर पिछली समीक्षा में टिप्पणी नहीं की गई थी, जब तक कि वह विषय सुरक्षा को प्रभावित न करता हो।

10.7.4 **समीक्षा क्षमता.** टियर B प्राधिकारी, या अतिरिक्त कार्यभार की स्थिति में टियर A प्राधिकारी, UDH की सूची से किसी सूचीबद्ध समीक्षक की सेवा ले सकता है। सूचीबद्ध समीक्षक ने उसी साइट पर कार्य न किया हो। निर्णय लेने वाला प्राधिकारी ही रहता है।

10.7.5 **समवर्ती अनापत्तियाँ.** जहाँ WRD की किसी नदी, डैम, जलाशय या नहर पर किसी कार्य के लिए या उसमें पानी छोड़ने के लिए WRD की अनुमति, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत किसी नगरपालिका ड्रेन से जोड़ने के लिए या नगरपालिका में निहित किसी ड्रेन के ऊपर निर्माण करने के लिए नगरपालिका की लिखित सम्मति (धारा 213), किसी झील के संरक्षित क्षेत्र में निर्माण के लिए राजस्थान झील विकास प्राधिकरण की पूर्व अनुमति, या किसी झील को समाविष्ट करने वाली योजना का उसका पूर्व अनुमोदन (राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015, धारा 5), किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि में किसी विनियमित गतिविधि के लिए राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का

अनुमोदन, किसी झील या जलाशय में पानी छोड़ने के लिए उसके अभिरक्षक की सम्मति, RIICO के किसी औद्योगिक क्षेत्र की ड्रेन में पानी छोड़ने के लिए RIICO की सम्मति, प्राप्तकर्ता ड्रेन के स्वामी या उसे चलाने वाले निकाय की सम्मति जहाँ वह निकाय प्राधिकारी नहीं है (उदाहरण के लिए कोई विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास), या किसी अन्य एजेंसी की सहमति अपेक्षित हो (अध्याय 7), वहाँ प्राधिकारी प्रस्तुति को उसी दिन अग्रेषित करेगा जिस दिन वह समीक्षा के लिए स्वीकार की जाती है, और समीक्षा की अवधियाँ साथ-साथ चलेंगी।

10.7.6 **अनुमति की समय-सीमाओं से तालमेल.** खंड 10.7.1–10.7.2 की अवधियाँ सरकार द्वारा योजना अनुमति और भवन अनुमति के लिए निर्धारित समग्र समय-सीमाओं के भीतर चलती हैं और उन्हें नहीं बढ़ातीं।

10.7.7 **कारण.** अस्वीकार करने के प्रत्येक निर्णय में और प्रत्येक शर्त में इस मैनुअल के उस खंड का उल्लेख किया जाएगा जिस पर वह आधारित है।

> **भाष्य.** समीक्षा की अवधियों का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। टिप्पणियों की एक ही समेकित सूची और "कोई नई टिप्पणी नहीं" का नियम अभियांत्रिकी समीक्षा की सामान्य अच्छी पद्धति के अनुरूप हैं।

10.8 निर्माण निरीक्षण

10.8.1 **रोक बिंदु.** अनुमोदित रोक-बिंदु अनुसूची (प्रपत्र 10-4) में कम से कम निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- (a) प्रत्येक प्रतिधारण, अंतःस्यंदन और अस्थायी भंडारण सुविधा का खोदा गया तल, कोई माध्यम, लाइनर या संरचना रखे जाने से पहले;
- (b) आउटलेट संरचना, ऑरिफिस और कचरा-रोधी जाली, पीछे भराई (backfill) से पहले या सुविधा को पहली बार भरने देने से पहले;
- (c) खंड 10.9.3 के अंतःस्यंदन परीक्षण;
- (d) आउटफॉल, फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व, अनुप्रवाह कनेक्शन किए जाने से पहले; और
- (e) पंप और नियंत्रण, चालू करते (commissioning) समय।

10.8.2 प्रत्येक रोक बिंदु का निरीक्षण प्रमाणकर्ता पेशेवर द्वारा किया जाएगा और उसे दिनांकित, जियोटैग किए गए फोटो के साथ प्रपत्र 10-4 पर अभिलिखित किया जाएगा। खंड 10.6.1 के अंतर्गत आने वाली साइटों के लिए, रोक बिंदु (a) और (b) की सूचना प्राधिकारी को कम से कम 3 कार्य दिवस पहले दी जाएगी, और प्राधिकारी उपस्थित हो सकता है।

10.8.3 **निर्माण के दौरान सुरक्षा.**

- (a) प्रतिधारण और अंतःस्यंदन क्षेत्रों को निर्माण यातायात और सामग्री के ढेरों से बाड़ लगाकर अलग रखा जाएगा।
- (b) अंतःस्यंदन सुविधाओं को तब तक उपयोग में नहीं लाया जाएगा जब तक उनकी ओर बहने वाला क्षेत्र स्थिर न कर दिया जाए।
- (c) अस्थायी तलछट नियंत्रण के लिए प्रयुक्त किसी भी सुविधा से यथा-निर्मित सर्वेक्षण से पहले तलछट हटाया जाएगा।

चित्र 10.2 — अनुमोदन से यथा-निर्मित प्रमाणन और हस्तांतरण तक निर्माण के रोक बिंदु, प्रत्येक पद पर प्रयुक्त प्रपत्र सहित (खंड 10.8–10.10 और 10.14)। रोक बिंदुओं पर वही अक्षर हैं जो खंड 10.8.1 में हैं। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, APWA Section 5600 (2006), §5608 के निर्माण-निरीक्षण और रखरखाव-अनुबंध क्रम से रूपांतरित।

> **भाष्य.** अंतःस्यंदन सुविधाएँ प्रायः निर्माण के दौरान ही विफल होती हैं, जब वे चालू होने से पहले ही संघनित हो जाती हैं या गाद से भर जाती हैं। रोक बिंदु (a) और (c) इसी विफलता को लक्ष्य करते हैं। 3 दिन की सूचना इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

10.9 यथा-निर्मित प्रमाणन

10.9.1 समापन प्रमाण-पत्र जारी होने से पहले, प्रमाणकर्ता पेशेवर **यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-5)** निम्नलिखित के साथ प्रस्तुत करेगा:

- (a) लाइसेंसधारी सर्वेक्षक द्वारा किया गया यथा-निर्मित सर्वेक्षण, जिसमें प्रत्येक सुविधा के स्तर, भंडारण आयतन, आउटलेट के आयाम और इनवर्ट, तथा आउटफॉल हों;
- (b) यथा-निर्मित मानों के साथ अनुपालन कैलकुलेटर को, और जहाँ मॉडल का उपयोग किया गया था वहाँ मॉडल को, फिर से चलाने के परिणाम;

- (c) पूर्ण रोक-बिंदु अभिलेख (प्रपत्र 10-4); और
- (d) अंतिम O&M योजना और निष्पादित रखरखाव घोषणा-पत्र या हस्तांतरण दस्तावेज (खंड 10.10 और 10.14)।

10.9.2 **स्वीकार्यता.** यथा-निर्मित सुविधा तब स्वीकार की जाती है जब:

- (a) प्रत्येक डिजाइन स्तर पर यथा-निर्मित भंडारण आयतन अध्याय 4 द्वारा अपेक्षित आयतन से कम न हो;
- (b) आउटलेट के आयाम और इनवर्ट अनुमोदित डिजाइन से मेल खाते हों; और
- (c) फिर से चलाने पर अध्याय 4 और 5 के प्रत्येक मानदंड का अनुपालन दिखे।

किसी भी विचलन को ठीक किया जाएगा, या खंड 10.3.5 के अंतर्गत अनुपालक के रूप में पुनः प्रमाणित किया जाएगा।

10.9.3 **सत्यापन परीक्षण.** अंतःस्यंदन पर निर्भर प्रत्येक प्रतिधारण सुविधा का निर्माण के बाद परीक्षण किया जाएगा, यह दिखाने के लिए कि वह अध्याय 4 की अपेक्षा के अनुसार **72 घंटों** के भीतर खाली हो जाती है। पंप द्वारा संचालित सुविधाओं का परीक्षण उनके डिजाइन ड्यूटी बिंदु (duty point) पर किया जाएगा। ज्वार-रोधी गेटों और नॉन-रिटर्न वाल्वों का खुलना और सील होना दिखाया जाएगा।

10.9.4 प्राधिकारी तब तक समापन प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा जब तक प्रपत्र 10-5 स्वीकार न कर लिया जाए।

> **भाष्य.** 72 घंटे में प्रतिधारण का खाली होना अध्याय 4 का मानदंड है। यह मैनुअल अपेक्षा करता है कि इसका परीक्षण केवल निर्माण-पूर्व परीक्षणों पर निर्भर रहने के बजाय निर्माण के बाद किया जाए, क्योंकि निर्माण के दौरान होने वाला संघनन अंतःस्यंदन दरों को डिजाइन मानों से बहुत नीचे ला सकता है।

10.10 रखरखाव घोषणा-पत्र और प्रसंविदाएँ

10.10.1 **घोषणा-पत्र.** प्रत्येक निजी वर्षा जल सुविधा का स्वामी समापन प्रमाण-पत्र जारी होने से पहले **रखरखाव घोषणा-पत्र (प्रपत्र 10-6)** निष्पादित करेगा। घोषणा-पत्र:

- (a) प्रत्येक सुविधा, उसके स्थान और अनुमोदित O&M योजना की पहचान करेगा;
- (b) स्वामी और हक-उत्तराधिकारियों को O&M योजना के अनुसार सुविधा का प्रचालन, निरीक्षण और रखरखाव करने के लिए बाध्य करेगा;
- (c) प्राधिकारी को निरीक्षण के लिए, और खंड 10.15 के अंतर्गत चूक की दशा में कार्य (works in default) कराने के लिए, प्रवेश का अधिकार देगा;
- (d) प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना सुविधा को हटाने, भरने, ढकने, छोटा करने या उसके उपयोग में परिवर्तन को प्रतिषिद्ध करेगा; और
- (e) इस प्रकार पंजीकृत किया जाएगा कि वह भूमि के साथ चलता रहे और क्रेताओं को प्रकट किया जाए।

10.10.2 **अनेक स्वामियों वाले विकास.** अपार्टमेंट, लेआउट और गेटेड सोसाइटियों के लिए, घोषणा-पत्र में उस संघ या निकाय का नाम होगा जो विकासकर्ता द्वारा हस्तांतरण के बाद उत्तरदायी होगा। जब तक वह निकाय विधिवत गठित न हो जाए और घोषणा-पत्र को लिखित रूप में स्वीकार न कर ले, तब तक विकासकर्ता उत्तरदायी रहता है।

10.10.3 **वार्षिक घोषणा.** टियर A क्षेत्र में स्थित किसी सुविधा का, और कहीं भी स्थित पंप द्वारा संचालित किसी सुविधा, ज्वार-रोधी गेट या क्षेत्रीय सुविधा का प्रत्येक स्वामी प्रति वर्ष **15 जून** तक **वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट (प्रपत्र 10-7)** प्रस्तुत करेगा। रिपोर्ट पर स्वामी के, और खंड 10.6.1(c) और (d) के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं के लिए किसी सूचीबद्ध पेशेवर के भी, हस्ताक्षर होंगे। इसमें यह बताया जाएगा कि खंड 10.12 का मानसून-पूर्व निरीक्षण कर लिया गया है और कोई भी दोष ठीक कर दिए गए हैं।

10.10.4 **अंतरण.** विक्रय या अंतरण पर, विक्रेता घोषणा-पत्र और नवीनतम प्रपत्र 10-7 प्रकट करेगा। क्रेता अंतरण की तारीख से दायित्व ग्रहण करता है।

भाष्य. सिंगापुर की अपेक्षा है कि पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण प्रणालियों के स्वामी PUB के पास वार्षिक घोषणाएँ और दस्तावेज फाइल करें (PUB Detention Tank Guide, Code of Practice §13.2 का उल्लेख करते हुए)। Code of Practice के परिशिष्ट संख्या 3 (Addendum No. 3, 16 अप्रैल 2025) ने Sewerage and Drainage Act में संशोधनों के बाद बाढ़ अवरोधों और पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण टैंकों के लिए वार्षिक रखरखाव घोषणाएँ आरंभ कीं। APWA 5600 (2006, §5608) में अस्थायी भंडारण सुविधाओं के लिए सुखाधिकार और रखरखाव के प्रावधान अपेक्षित थे। राजस्थान में पंजीकृत घोषणा-पत्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पोडियम के नीचे और बेसमेंटों में बने अस्थायी भंडारण टैंकों को भवन में अधिभोग के बाद पार्किंग या भंडारण में बदलना आसान होता है। 15 जून की तारीख इस मैनुअल द्वारा इसलिए निर्धारित की गई है कि वह दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून–सितंबर) से पहले पड़े, जब राजस्थान की अधिकांश चरम वर्षा होती है।

10.11 O&M योजनाएँ

10.11.1 प्रत्येक वर्षा जल सुविधा की एक O&M योजना होगी, जिसका चरण 2 पर अनुमोदन किया जाएगा और चरण 4 पर उसे अंतिम रूप दिया जाएगा। योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे:

- (a) प्रत्येक सुविधा की सूची और नक्शा, डिजाइन स्तरों, आयतनों और आउटलेट विवरण के साथ;
- (b) नियमित कार्य और उनकी आवृत्ति: निरीक्षण, मलबा और तलछट हटाना, वनस्पति की देखभाल, जाली की सफाई;
- (c) तलछट हटाने का प्रारंभक मान (trigger), जो गहराई के रूप में या डिजाइन आयतन के प्रतिशत के रूप में बताया गया हो;
- (d) प्रपत्र 10-7 से मेल खाती निरीक्षण जाँच-सूचियाँ;
- (e) पंप द्वारा संचालित प्रणालियों, गेटों और वाल्वों के लिए: प्रचालन नियम, परीक्षण अनुसूची, स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति, और चक्रवात या भारी वर्षा की चेतावनी पर की जाने वाली कार्रवाई;
- (f) रुके हुए पानी और मच्छरों के प्रजनन को रोकने की कार्रवाई, जो अध्याय 4 के खाली होने के समय के अनुरूप हो;
- (g) सीमित स्थानों, गहरे पानी और सार्वजनिक पहुँच के लिए सुरक्षा उपाय;
- (h) पहुँच मार्ग और आवश्यक उपकरण (खंड 10.13);
- (i) वार्षिक लागत का प्राक्कलन और उसका भुगतान कौन करेगा; और
- (j) रखे जाने वाले अभिलेख, और कितने समय तक।

10.11.2 **सार्वजनिक सुविधाएँ.** किसी ULB या विभाग के स्वामित्व वाली सुविधाओं के लिए, O&M योजना परिसंपत्ति रजिस्टर (खंड 10.14.3) में सम्मिलित की जाएगी और वार्षिक रखरखाव बजट से वित्तपोषित की जाएगी।

भाष्य. राजस्थान अपना मानसून मौसम राज्य और जिला नियंत्रण कक्षों के माध्यम से चलाता है, जिन्हें आपदा प्रबंधन, सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग ने 15 जून से चौबीसों घंटे काम करने का आदेश दिया (2026, प्रकाशित खबरों के अनुसार), जब WRD को भी मानसून से पहले अपने डैमों के गेटों का निरीक्षण और मरम्मत करने को कहा गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और WRD और झीलों के अभिरक्षकों द्वारा गेटों के प्रचालन के माध्यम से। शहरी ड्रेनों के लिए जो आदेश मिले वे स्थानीय हैं: जयपुर के नगर निगमों ने कोई तिथि बताए बिना नालों की सफाई के अभियान चलाए हैं, और जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि प्रत्येक ड्रेन की सफाई की जाए (प्रकाशित खबरों के अनुसार); नालों की गाद निकालने के लिए राज्य-व्यापी अंतिम तिथि निर्धारित करने वाला स्वायत्त शासन विभाग या UDH का कोई आदेश नहीं मिला। शहरों के कई आउटफॉल गेटों से नियंत्रित होते हैं: अजमेर में आना सागर को उसके एस्केप चैनल (escape channel) के गेट खोलकर पूर्ण गेज स्तर पर रखा जाता है, जिससे चैनल के किनारे की कॉलोनियों में बाढ़ आती है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); उदयपुर की झीलें गेट वाले संपर्क मार्गों से होकर एक से दूसरी में छलकती हैं; और कोटा में नदी का स्तर कोटा बैराज और उसके ऊपर के डैमों से छोड़े गए

पानी से निर्धारित होता है। राजस्थान के किसी भी शहर के किसी झील एस्केप चैनल, स्लूइस, फ्लैप गेट या पंपिंग स्टेशन का ऐसा कोई प्रचालन नियम, जो उसे झील के स्तर, नदी के जल स्तर या वर्षा चेतावनी से जोड़ता हो, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं मिला। इस मैनुअल के प्रत्येक गेट और पंप के लिए एक लिखित नियम आवश्यक है कि चेतावनी जारी होने पर क्या किया जाएगा।

10.12 निरीक्षण की आवृत्तियाँ

10.12.1 **स्वामी द्वारा निरीक्षण.** स्वामी सुविधाओं का निरीक्षण कम से कम तालिका 10.3 के अनुसार करेंगे:

तालिका 10.3 — स्वामी द्वारा निरीक्षण की न्यूनतम आवृत्तियाँ

सुविधा का प्रकार	नियमित	मानसून-पूर्व (15 जून तक)	भारी वर्षा की घटना के बाद
प्रतिधारण / अंतःस्यंदन (सोख गड्ढे, खाइयाँ, बायोरिटेंशन, पारगम्य पेवमेंट)	प्रत्येक 6 महीने	हाँ	हाँ
सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान	प्रत्येक 6 महीने	हाँ	हाँ
भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट	प्रत्येक 6 महीने	हाँ	हाँ
पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण, पंप और नियंत्रण	मासिक परीक्षण रन	हाँ, पूर्ण ड्यूटी परीक्षण के साथ	हाँ
फ्लैप / ज्वार-रोधी गेट, नॉन-रिटर्न वाल्व	प्रत्येक 3 महीने	हाँ, सील परीक्षण के साथ	हाँ
स्थूल प्रदूषक जाल / प्रथम प्रवाह युक्ति	प्रत्येक 3 महीने	हाँ	हाँ
निजी ड्रेन और इनलेट	प्रत्येक 6 महीने	हाँ	—

इस खंड के प्रयोजन के लिए भारी वर्षा की घटना वह दिन है जिस दिन निकटतम अनुमोदित वर्षामापी IMD की "भारी वर्षा" (heavy rainfall) श्रेणी के बराबर या उससे अधिक वर्षा अभिलिखित करे, या वह दिन जिसके लिए जिले हेतु रेड अलर्ट जारी किया गया हो। राजस्थान में, स्लूइसों, फ्लैप गेटों, नॉन-रिटर्न वाल्वों, झील एस्केप चैनल के गेटों और पंप द्वारा संचालित सुविधाओं का, झीलों, तालाबों (talab) और जलाशयों में गिरने वाले आउटफॉलों के गेटों सहित, मानसून-पूर्व निरीक्षण, पंप ड्यूटी और गेट सील परीक्षणों सहित, **15 जून** तक पूरा किया जाएगा; इन सुविधाओं को, उनके स्टैंडबाय जनरेटरों सहित, **20 जून** तक तैयार प्रमाणित किया जाएगा, जब मानसून का सामान्य आगमन राज्य तक पहुँचता है (झालावाड़ में 24 जून से बीकानेर और पोकरण में 6 जुलाई तक), और किसी नदी या झील में गिरने वाले आउटफॉल पर स्थित प्रत्येक गेट को, और प्रत्येक एस्केप चैनल गेट को, पूरा खोलकर और पूरा बंद करके चलाया जाएगा। इसके बाद पंप, उनकी स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति और गेट, मासिक परीक्षण रन के साथ, **30 सितंबर** तक मानसून स्टैंडबाय पर रखे जाएँगे, और चंबल में या प्रतिप्रवाह में किसी डैम या बैराज द्वारा विनियमित किसी अन्य नदी में गिरने वाले आउटफॉल पर, यदि वह बाद में हो तो, तब तक जब तक नियंत्रक गेज (governing gauge) पर नदी अपने खतरे के स्तर से नीचे न आ जाए और पानी छोड़ना बंद न हो जाए।

10.12.2 **प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण.** प्राधिकारी निम्नलिखित का निरीक्षण करेगा:

- (a) 1,000 m² या अधिक की साइट पर स्थित, या खंड 10.6.1(c) या (d) के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक सुविधा, कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार, और बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में प्रति वर्ष; और
- (b) अन्य सुविधाओं में से कम से कम 10% का यादृच्छिक नमूना, प्रति वर्ष।

10.12.3 प्राधिकारी द्वारा किए गए निरीक्षणों के परिणाम सुविधा रजिस्टर (खंड 10.17) में दर्ज किए जाएँगे।

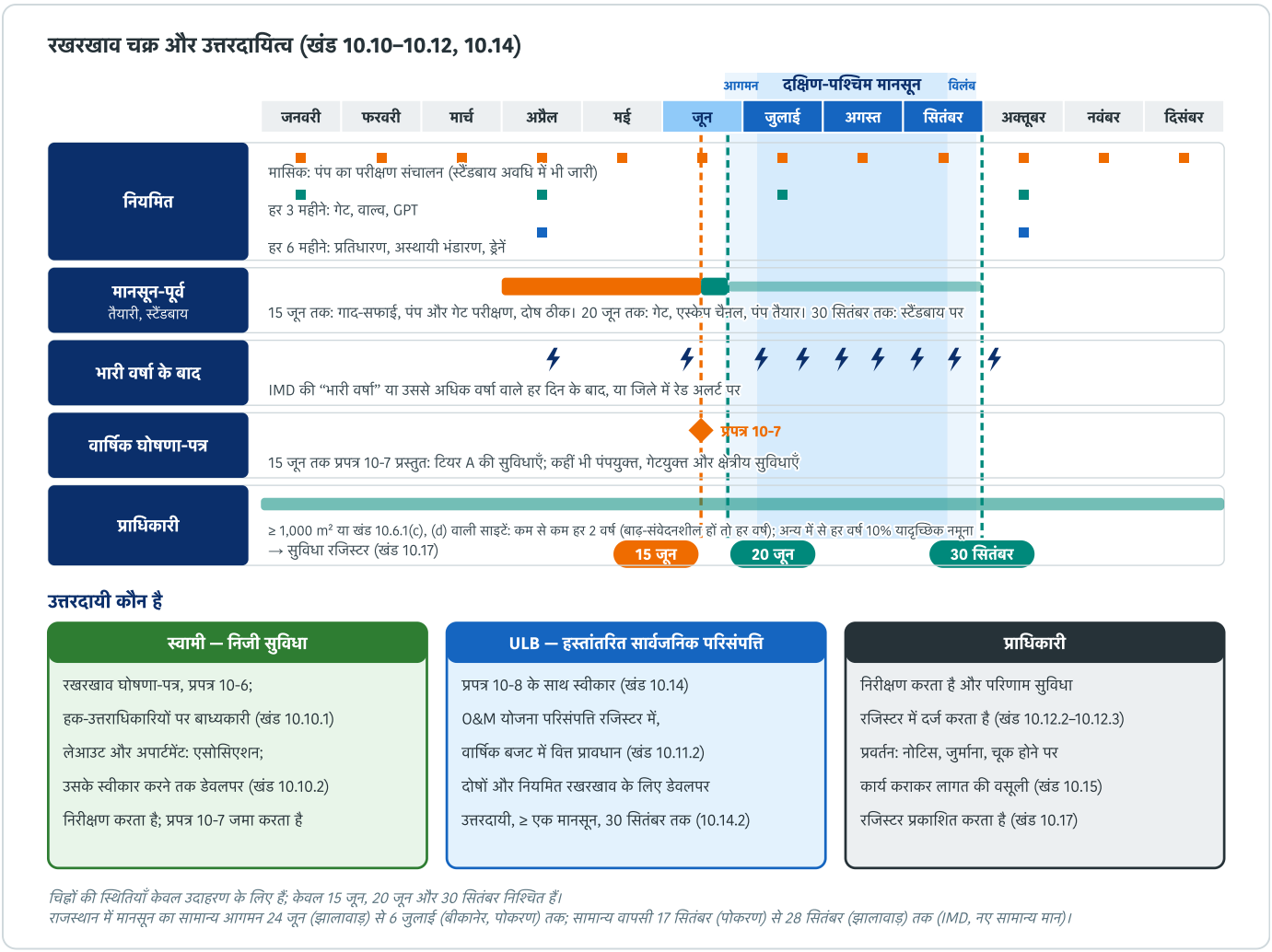

चित्र 10.3 — वार्षिक रखरखाव चक्र और उत्तरदायी कौन है: नियमित, मानसून-पूर्व (15 जून तक) और घटना-पश्चात निरीक्षण, वार्षिक घोषणा (प्रपत्र 10-7) और प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण (खंड 10.10–10.12 और 10.14)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग। समय दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून–सितंबर) के अनुसार है; वर्ष के भीतर चिह्नों की स्थिति केवल उदाहरण के लिए है।

भाष्य. खंड 10.12.2 का विभाजन RWH के लिए MBBL 2016 की निरीक्षण व्यवस्था का अनुसरण करता है, जिसमें 1,000 m² से बड़े भवनों की 100% निगरानी और उससे छोटे भवनों की 10% यादृच्छिक जाँच अपेक्षित है (MBBL 2016, §9.6)। तालिका 10.3 के निरीक्षण अंतराल इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। 15 जून की अंतिम तिथि इस मैनुअल द्वारा जून के अंतिम सप्ताह और जुलाई के पहले सप्ताह में दक्षिण-पश्चिम मानसून के आगमन को ध्यान में रखकर निर्धारित की गई है, और यह वही दिन है जिससे राज्य और जिला नियंत्रण कक्ष चौबीसों घंटे काम करना शुरू करते हैं (प्रकाशित खबरों के अनुसार); राज्य-व्यापी गाद-सफाई की अंतिम तिथि निर्धारित करने वाला स्वायत्त शासन विभाग या UDH का कोई आदेश नहीं मिला। मानसून के आगमन की सामान्य तिथि झालावाड़ में 24 जून, उदयपुर और कोटा में 25–26 जून, जयपुर में 29 जून, अजमेर और जोधपुर में 1–2 जुलाई और बीकानेर और पोकरण में 6 जुलाई है (IMD, 1961–2019 के सामान्य मान), और इससे पहले भी बड़ी वर्षा अभिलिखित हुई है: 10 जून 2002 को अजमेर में 412.3 mm (IMD)। NDMA (2010) राष्ट्रीय स्तर पर मानसून-पूर्व गाद निकालने के लिए 31 मार्च निर्धारित करता है; यह मैनुअल 15 जून तक की अनुमति देता है ताकि शुष्क मौसम का कार्य पूरा हो सके, और वार्षिक घोषणा के लिए 15 जून रखता है। इसके अतिरिक्त, स्लूइसों, गेटों, झीलों के एस्केप चैनलों, पंपों और उनके स्टैंडबाय जनरेटरों को 20 जून तक तैयार प्रमाणित किया जाना होगा, जब मानसून का आगमन दक्षिण-पूर्व तक पहुँचता है। मानसून की वापसी की सामान्य तिथि पोकरण में 17 सितंबर से लेकर झालावाड़ में 28 सितंबर तक है (IMD), इसलिए पंपों और गेटों को 30 सितंबर तक स्टैंडबाय पर रखा जाता है (चित्र 10.3), और चंबल में या किसी डैम या बैराज द्वारा विनियमित किसी अन्य नदी में गिरने वाले आउटफॉल पर, यदि वह

बाद में हो तो, तब तक जब तक नदी अपने खतरे के स्तर से नीचे न आ जाए और पानी छोड़ना बंद न हो जाए। अक्तूबर में भी वर्षा घटनाएँ होती हैं, 5 अक्तूबर 1989 को नसीराबाद में 500.0 mm और 5 अक्तूबर 1997 को झालावाड़ में 350.0 mm (IMD), और तालिका 10.3 के घटना-पश्चात निरीक्षण वर्ष के किसी भी समय की वर्षा घटनाओं को सम्मिलित करते हैं।

10.13 रखरखाव के लिए पहुँच

10.13.1 प्रत्येक सुविधा तक निरीक्षण और रखरखाव के लिए स्थायी पहुँच होगी, जो अनुमोदित ड्रॉइंग पर दर्शाई गई हो और रखरखाव घोषणा-पत्र द्वारा या, सार्वजनिक सुविधाओं के लिए, सुखाधिकार या भूमि अंतरण द्वारा सुरक्षित हो।

10.13.2 **सतही सुविधाएँ.** बेसिनों, तालाबों और खुले चैनलों में इनलेट, आउटलेट और तल तक वाहन पहुँच मार्ग, और कम से कम एक ओर रखरखाव पट्टी होगी। बेसिनों में उतरने वाले रैंप तलछट हटाने के लिए आवश्यक मशीनरी के उपयुक्त होंगे।

10.13.3 **भूमिगत सुविधाएँ.** टैंकों में निम्नलिखित होंगे:

- (a) इनलेट, आउटलेट और प्रत्येक कक्ष के ऊपर प्रवेश द्वार;
- (b) स्थायी सीढ़ियाँ या पायदान, और सीमित स्थान में प्रवेश के लिए संवातन;
- (c) तलछट हटाने के लिए संप या निचला बिंदु; और
- (d) हाथ से सफाई के लिए पर्याप्त ऊँचाई (headroom)।

10.13.4 **आउटलेट.** ऑरिफिस और जालियाँ ऐसी हों कि भरी हुई सुविधा में प्रवेश किए बिना उनकी सफाई के लिए उन तक पहुँचा जा सके।

10.13.5 पहुँच मार्गों पर ऐसा निर्माण नहीं किया जाएगा, ऐसी बाड़ नहीं लगाई जाएगी या पार्किंग के लिए उनका ऐसा उपयोग नहीं किया जाएगा जिससे पहुँच बाधित हो।

> **भाष्य.** APWA 5600 (2006, §5608) में अस्थायी भंडारण सुविधाओं के लिए 15 फुट (लगभग 4.5 m) की रखरखाव पहुँच पट्टी अपेक्षित थी। राजस्थान के शहरों में भूखंडों के आकार के कारण प्रत्येक साइट पर एक नियत चौड़ाई लागू करना कठिन है, इसलिए यह मैनुअल कार्यात्मक अपेक्षाएँ निर्धारित करता है। परिशिष्ट 10C में रखरखाव पहुँच के आयाम दिए गए हैं।

10.14 सार्वजनिक परिसंपत्तियों का ULB को हस्तांतरण

10.14.1 ड्रेन, सड़कें, खुले स्थान की सुविधाएँ, क्षेत्रीय सुविधाएँ और अन्य वर्षा जल परिसंपत्तियाँ, जिन्हें कोई विकासकर्ता ULB को अंतरण के लिए बनाता है, केवल तभी हस्तांतरित की जाएँगी जब:

- (a) यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र (खंड 10.9) स्वीकार कर लिया गया हो;
- (b) सुविधा की सफाई कर दी गई हो, और पाइपों और पुलियों का भीतर से निरीक्षण (उदाहरण के लिए CCTV द्वारा या हाथ से प्रवेश करके) कर लिया गया हो, और उसका अभिलेख सौंप दिया गया हो;
- (c) भूमि, या उस पर सुखाधिकार, ULB को अंतरित कर दिया गया हो;
- (d) O&M योजना, ड्रॉइंग, GIS आँकड़े और वारंटियाँ सौंप दी गई हों; और
- (e) **परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-8)** पर दोनों पक्षों ने हस्ताक्षर कर दिए हों।

10.14.2 **दोष दायित्व.** विकासकर्ता हस्तांतरण के बाद ऐसी दोष दायित्व अवधि तक दोषों और नियमित रखरखाव के लिए उत्तरदायी रहेगा जिसमें कम से कम **एक पूरी मानसून ऋतु, 15 जून से 30 सितंबर तक,** सम्मिलित हो। ULB इस अवधि के लिए प्रतिभूति जमा राशि रख सकता है।

10.14.3 **परिसंपत्ति रजिस्टर.** स्वीकार करने पर, ULB परिसंपत्ति को अपने GIS जल निकासी परिसंपत्ति रजिस्टर में और खंड 10.17 के सुविधा रजिस्टर में दर्ज करेगा।

10.14.4 **निजी सुविधाएँ.** कोई निजी सुविधा अपने रखरखाव घोषणा-पत्र के अंतर्गत स्वामी के उत्तरदायित्व में रहती है, जब तक कि ULB इस खंड के अंतर्गत उसे औपचारिक रूप से स्वीकार न कर ले।

> **भाष्य.** NDMA (2010) ड्रेनों की GIS सूची की अपेक्षा करता है। हस्तांतरण के समय विकासकर्ता से GIS आँकड़े माँगने से, शहर के बढ़ने के साथ, ULB पर कोई लागत डाले बिना वह सूची बनती जाती है। दोष अवधि एक मानसून तक फैली है क्योंकि राजस्थान की जल निकासी के अनेक दोष केवल पहले दक्षिण-पश्चिम मानसून में ही सामने आते हैं।

10.15 प्रवर्तन

10.15.1 **अपराध.** निम्नलिखित इस मैनुअल के उल्लंघन हैं:

- (a) जहाँ अनुमोदित जल निकासी डिजाइन अपेक्षित है, वहाँ उसके बिना निर्माण करना;
- (b) किसी सुविधा का अनुमोदन से भिन्न निर्माण करना;
- (c) अनुमोदन के बिना किसी सुविधा को हटाना, भरना, ढकना, छोटा करना या उसके उपयोग में परिवर्तन करना;
- (d) किसी सुविधा का रखरखाव न करना, या प्रपत्र 10-7 प्रस्तुत न करना;
- (e) वर्षा जल ड्रेन में सीवेज का कनेक्शन;
- (f) जलाशय के सेटबैक या भराई-निषिद्ध जोन में निर्माण या भराई करना (अध्याय 7);
- (g) किसी प्राकृतिक जल निकासी मार्ग या प्रमुख प्रणाली के प्रवाह मार्ग को अवरुद्ध करना; और
- (h) मिथ्या या लापरवाही से किया गया प्रमाणन।

10.15.2 **क्रमिक कार्रवाई.** प्राधिकारी निम्नलिखित क्रम में कार्रवाई करेगा, और जहाँ पहले का पद विफल हो या जहाँ उल्लंघन गंभीर हो वहाँ बाद के पद पर जाएगा (तालिका 10.4):

तालिका 10.4 — प्रवर्तन की क्रमिक कार्रवाई

पद	कार्रवाई
1	लिखित नोटिस, जिसमें उल्लंघन, भंग किया गया खंड, सुधारात्मक उपाय और अनुपालन की अवधि बताई गई हो।
2	जो विकास अभी पूरा नहीं हुआ है, उसके लिए कार्य-रोक आदेश, या समापन प्रमाण-पत्र रोकना।
3	लागू अधिनियम या नियमों के अंतर्गत शास्ति।
4	प्राधिकारी द्वारा चूक की दशा में कार्य, जिसकी लागत स्वामी से वसूल की जाएगी।
5	सार्वजनिक प्रणाली से निजी ड्रेन कनेक्शन काटना, जहाँ इससे दूसरों के लिए कोई खतरा न हो।
6	प्रमाणकर्ता पेशेवर की पंजीकरण प्राधिकारी को रिपोर्ट, और सूचीबद्ध सूची से निलंबन।

10.15.3 **तत्काल कार्रवाई.** जहाँ कोई उल्लंघन मानसून के दौरान जीवन या संपत्ति को जोखिम में डालता है, वहाँ प्राधिकारी तुरंत चूक की दशा में कार्य करा सकता है और लागत बाद में वसूल कर सकता है।

10.15.4 **प्रतिभूति जमा.** खंड 10.6.1 के अंतर्गत आने वाली साइटों के लिए, प्राधिकारी चूक की दशा में कार्य की लागत पूरी करने हेतु प्रतिभूति जमा या बैंक गारंटी की माँग कर सकता है, जो यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र स्वीकार होने के बाद लौटाई जाएगी।

10.15.5 **अभिलेख.** इस खंड के अंतर्गत प्रत्येक नोटिस और कार्रवाई सुविधा रजिस्टर में दर्ज की जाएगी।

भाष्य. शास्तियों का उल्लेख सामान्य रूप से किया गया है। यह मैनुअल स्वयं अपराध या जुर्माने सृजित नहीं कर सकता, और शक्तियाँ उन अधिनियमों से आती हैं जिनके अंतर्गत मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 बनाए गए हैं, और नगरपालिका अधिनियमों से। क्रमिक पद इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। राजस्थान में न्यायालय ही जलग्रहण क्षेत्रों, प्राकृतिक चैनलों, झीलों और नदी गलियारों के वास्तविक नियामक बन गए हैं। उच्च न्यायालय ने रामगढ़ बाँध के, चार तहसीलों में फैले लगभग 769.20 km^2 के जलग्रहण क्षेत्र को निर्माण और अतिक्रमण से मुक्त करने का आदेश दिया (*Abdul Rahman*, D.B.C.W.P. 1536/2003, 2 अगस्त 2004), और एक स्वतः संज्ञान मामले में "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर" ("Johar, Nala, Tank, River, Pond") के जलग्रहण क्षेत्रों में आवंटनों पर रोक लगाई (S.B.C.W.P. 11153/2011, 23 अगस्त 2011 और 29 मई 2012 के आदेश); उच्चतम न्यायालय ने झील को "अब भी पूरी तरह सूखी" ("still bone dry") पाया और पाया कि जमीन पर कुछ भी ठोस प्राप्त नहीं हुआ, हर्जाना लगाया और जलग्रहण क्षेत्र की भूमि पर एक ध्वस्तीकरण का आदेश दिया (*NIMS University v. State of Rajasthan*, 9 नवंबर 2017)। उच्च न्यायालय ने ठहराया है कि मास्टर प्लान नदियों, झीलों, नालों और उनके जलग्रहण क्षेत्रों को बाधित नहीं कर सकते (*Gulab Kothari*, D.B.C.W.P. 1554/2004, 12 जनवरी 2017), कि गैर मुमकिन नाला (gair mumkin nala) के रूप में दर्ज भूमि एक प्राकृतिक चैनल है जिसे किसी सार्वजनिक प्रयोजन के लिए भी न मोड़ा जा सकता है और न उस पर निर्माण किया जा सकता है (*Ramji Lal Saini*, 7 मई 2026), और कि राज्य-व्यापी सर्वेक्षण होने तक किसी आर्द्रभूमि या उसके जलग्रहण क्षेत्र को न भरा जा सकता है, न उस पर निर्माण किया जा सकता है और न उसमें अशोधित सीवेज छोड़ा जा सकता है (स्वतः संज्ञान, 1 जून 2026)। उदयपुर की झीलों के लिए 1997 की एक अधिसूचना के अंतर्गत निर्माण-निषिद्ध जोन है, और उदय सागर के उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 m के भीतर की एक परियोजना को शून्य ठहराया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार); आना सागर पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने आर्द्रभूमि में बनी संरचनाओं को हटाने का आदेश दिया (2023), उच्चतम न्यायालय ने आदेश पर रोक लगाने या उसे संशोधित करने से इनकार किया (2023–2025), और 12 सितंबर 2025 को ध्वस्तीकरण शुरू हुआ (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जोजरी पर उच्चतम न्यायालय ने राज्य की प्रत्येक नदी प्रणाली के लिए उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और पारिस्थितिक बफर का निर्देश दिया है, इस बीच चिह्नित नदी गलियारों में नई अनुमतियों पर रोक लगा दी है और एक नदी आयोग या नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण (River Commission or River Rejuvenation Authority) के गठन का आदेश दिया है (7 अगस्त 2026), और सीमांकन लंबित रहने तक नदी के किनारे से 100 m के भीतर निर्माण पर रोक लगा दी है (24 अगस्त 2026, प्रकाशित खबरों के अनुसार)। विधियों में वास्तविक शक्तियाँ हैं: नगरपालिका अपने में निहित किसी ड्रेन के ऊपर बिना सम्मति बनाए गए भवन को गिराने की अपेक्षा कर सकती है (नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 213(2)), जो स्वामी वर्षा जल संचयन की व्यवस्था नहीं करता वह ₹10,000–20,000 के जुर्माने का भागी है और किसी नए भवन को नगरपालिका के प्रमाण-पत्र के बिना कोई सार्वजनिक जल कनेक्शन नहीं मिलता (धारा 238), और झील विकास प्राधिकरण किसी झील के संरक्षित क्षेत्र या बहाव क्षेत्र में किसी अवरोध को हटा सकता है (झील अधिनियम, 2015, धारा 6(2), विधेयक के पाठ के अनुसार)। राजस्थान में शहरी जल निकासी की, AMRUT के जल निकासी कार्यों की या झीलों की CAG द्वारा कोई लेखापरीक्षा नहीं मिली; राजस्थान की CAG की जो लेखापरीक्षाएँ मिलीं वे शहरी स्थानीय निकायों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (2025 की रिपोर्ट संख्या 4, प्रकाशित खबरों के अनुसार) और भू-राजस्व से संबंधित हैं। इससे पता चलता है कि नियमित प्रवर्तन के बिना नियम का प्रभाव बहुत कम होता है, और कि जहाँ राज्य ने रेखा नहीं खींची, वहाँ न्यायालयों ने खींची है। पेशेवर जवाबदेही (पद 6) प्रायः स्वामियों पर जुर्माने से अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि यह उस व्यक्ति पर कार्य करती है जो डिजाइन पर हस्ताक्षर करता है।

10.16 निगरानी और घटना-पश्चात समीक्षा

10.16.1 **निगरानी नेटवर्क.** टियर A प्राधिकारी अपने मुख्य आउटफॉलों और क्षेत्रीय सुविधाओं पर स्व-अभिलेखी वर्षामापी और जल स्तर गेज का अनुरक्षण करेंगे, या उन तक पहुँच रखेंगे। आँकड़े 15 मिनट या उससे कम के अंतराल पर संग्रहीत किए जाएँगे।

10.16.2 **घटना रिपोर्ट.** किसी ULB क्षेत्र में भवनों में पानी भरने वाली किसी भी घटना के बाद, ULB **3 महीने** के भीतर एक संक्षिप्त घटना रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें निम्नलिखित अभिलिखित होंगे:

- (a) निकटतम अनुमोदित वर्षामापियों पर वर्षा, अवधि के अनुसार, अध्याय 2 की डिजाइन गहराइयों की तुलना में;
- (b) निकटतम CWC या WRD गेज पर प्राप्तकर्ता नदी (कोटा या धौलपुर में चंबल, बनास, लूणी या कोई अन्य नदी) का, या प्राप्तकर्ता झील या जलाशय (उदयपुर में पिछोला, फतह सागर या उदय सागर; अजमेर में आना सागर; जोधपुर में कायलाना या तख्त सागर) का, और जहाँ गेज लगा हो वहाँ आउटफॉल पर, जल स्तर, प्रत्येक किसी नामित डेटम पर, और झील गेज के फुट में लिए गए पाठ्यांक मीटर में बदलकर; बिना आउटफॉल वाले जलग्रहण क्षेत्र के लिए, अंतिम बेसिन या गर्त में चरम स्तर और उसे खाली होने में लगा समय; आउटफॉल पर और उसके प्रतिप्रवाह की ओर ड्रेन पर स्थित प्रत्येक स्लूइस, फ्लैप गेट, एस्केप चैनल गेट, अवरोधन संरचना (interception structure) और पंपिंग स्टेशन की स्थिति, प्रत्येक पंप के चलने के घंटों और विद्युत आपूर्ति के किसी व्यवधान के साथ; और प्राप्तकर्ता स्तर निर्धारित करने वाली किसी झील, डैम या बैराज के गेटों का खुलना और उससे छोड़ा गया पानी, जैसे कोटा बैराज या आना सागर के एस्केप चैनल के गेट;
- (c) जलमग्न स्थान, गहराइयाँ और अवधियाँ, और जहाँ संभव हो वहाँ बाढ़ चिह्नों का सर्वेक्षण;
- (d) सार्वजनिक और निरीक्षित निजी सुविधाओं का कार्य-प्रदर्शन, जिसमें अवरुद्ध आउटलेट, विफल पंप या बंद गेट सम्मिलित हैं; और
- (e) अनुशंसित कार्रवाइयाँ।

10.16.3 **घटना-पश्चात समीक्षा.** जहाँ कोई घटना राज्य में दो या अधिक अनुमोदित वर्षामापियों पर 1% AEP की 24-घंटे या 72-घंटे की डिजाइन गहराई से अधिक हो जाती है (खंड 2.14.1), वहाँ RSDMA, राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति के साथ, **12 महीने** के भीतर घटना-पश्चात समीक्षा का नेतृत्व करेगा। यह समीक्षा आकलन करेगी कि इस मैनुअल के मानदंड पर्याप्त थे या नहीं, और खंड 1.12 की समीक्षा में योगदान देगी।

10.16.4 **सुविधाओं के कार्य-प्रदर्शन का नमूना परीक्षण.** प्राधिकारी, कम से कम प्रत्येक 5 वर्ष में, निजी प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण सुविधाओं के एक नमूने की एक मानसून भर निगरानी करेगा, यह परखने के लिए कि वे डिजाइन के अनुसार कार्य करती हैं या नहीं।

> **भाष्य.** घटना-पश्चात समीक्षा का प्रारंभक वही समीक्षा प्रारंभक है जो खंड 2.14.1 में पहले से निर्धारित है। राजस्थान की शहरी बाढ़ों की जाँच तकनीकी समीक्षाओं के बजाय न्यायालयों और समाचार माध्यमों द्वारा की गई है। 18–20 जुलाई 1981 को जयपुर शहर में तीन दिनों में 82 cm और 19 जुलाई के 24 घंटों में 35 cm वर्षा अभिलिखित हुई, क्योंकि क्षेत्र पर एक निम्न दाब क्षेत्र बनकर ठहर गया था, और शहर का संपर्क कट गया (Gupta and Jindal 1987); उस दिन के लिए IMD के स्टेशन का अभिलेख 326.0 mm है, जबकि CWC प्लेट पर 50-वर्ष की 24-घंटे की गहराई लगभग 200 mm है। 19–21 अगस्त 2006 को बाड़मेर जिले में कवास के आसपास तीन दिनों में लगभग 577 mm वर्षा हुई, जो वार्षिक सामान्य मान के दोगुने से अधिक है, और कवास के कुछ भागों के महीनों बाद भी पानी में डूबे रहने की खबर थी; बताई गई मौतों की संख्या लगभग 50 से लेकर 300 से अधिक तक है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और उसी सप्ताह उदयपुर की झीलें उफनकर अपने नीचे की कॉलोनियों में फैल गईं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। सितंबर 2019 में चंबल कोटा सिटी (Kota City) पर अपने 248.68 m के उच्चतम बाढ़ स्तर तक पहुँच गई, जबकि कोटा बैराज अपने 18 या 19 गेटों से पानी छोड़ रहा था (CWC; प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जुलाई 2022 में जोधपुर में 24 घंटों में लगभग 119 mm वर्षा हुई, जिसका अधिकांश भाग लगभग पाँच घंटों में गिरा; इसे 1943 के बाद जुलाई की सबसे अधिक वर्षा बताया गया, और 30 से अधिक कॉलोनियाँ जलमग्न हुईं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। 31 जुलाई 2024 की रात जयपुर के विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र में पानी से भरे एक बेसमेंट में एक परिवार के तीन सदस्यों की मृत्यु हुई (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और सितंबर 2024 और जुलाई 2025 में आना सागर का एस्केप चैनल खोलने से अजमेर की कॉलोनियाँ जलभराव से ग्रस्त हुईं (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। इनमें से किसी भी घटना की कोई तकनीकी समीक्षा नहीं मिली, और किसी भी नगर निगम या विकास

प्राधिकरण द्वारा रखा गया बाढ़ के विस्तार, गहराई या अवधि का कोई अभिलेख नहीं मिला। NDMA (2010) ने श्रेणी I, II और III शहरों में "प्रत्येक 4 वर्ग km में 1" ("1 in every 4 sq km") स्वचालित वर्षामापी की अपेक्षा की थी। खंड 10.16.1 केवल वहीं वर्षामापी माँगता है जहाँ वे डिजाइन और समीक्षा के काम आते हैं। रिपोर्ट और नमूना परीक्षण के अंतराल इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं।

10.17 आँकड़ों का प्रकाशन

10.17.1 प्रत्येक प्राधिकारी किसी सार्वजनिक वेबसाइट पर निम्नलिखित प्रकाशित करेगा, और कम से कम प्रत्येक तिमाही में उन्हें अद्यतन करेगा:

- (a) एक **सुविधा रजिस्टर**: इस मैनुअल के अंतर्गत अनुमोदित प्रत्येक सुविधा का स्थान, प्रकार, डिजाइन आयतन, निकास दर, स्वामी, यथा-निर्मित स्वीकार्यता की तारीख और नवीनतम निरीक्षण परिणाम;
- (b) प्रत्येक अनुमोदित जल निकासी रिपोर्ट का सारांश, प्रपत्र 2-1 और 10-2 के साथ;
- (c) विचलनों और अधित्यागों का रजिस्टर (खंड 1.10);
- (d) नीति अनुपूरक के अंतर्गत अंगीकृत विकल्प (खंड 1.7);
- (e) प्रवर्तन कार्रवाइयाँ (खंड 10.15.5); और
- (f) घटना रिपोर्ट और घटना-पश्चात समीक्षाएँ (खंड 10.16)।

10.17.2 राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति अनुपालन कैलकुलेटर, सभी परिशिष्ट, बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के मानचित्र और सुविधा रजिस्टरों का राज्य-स्तरीय सारांश मुक्त आँकड़ों (open data) के रूप में प्रकाशित करेगी।

10.17.3 किसी निगमित स्वामी या संघ के नाम के अतिरिक्त अन्य व्यक्तिगत आँकड़े प्रकाशित नहीं किए जाएँगे। महत्वपूर्ण अवसंरचना के सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील विवरण, कारण अभिलिखित करके, रोके जा सकते हैं।

10.17.4 प्रकाशित आँकड़े मशीन द्वारा पठनीय (उदाहरण के लिए CSV और GeoPackage) होंगे और Government Open Data Licence – India या किसी समकक्ष मुक्त लाइसेंस के अंतर्गत जारी किए जाएँगे।

भाष्य. यहाँ पारदर्शिता अपने आप में एक डिजाइन मानदंड है। राजस्थान के कुछ जल निकासी अभिलेख सार्वजनिक हैं: भवन विनियम, 2025 (एक तृतीय-पक्ष प्रति में) और JDA के 2020 के विनियम अपने राजपत्र पाठ में, रामगढ़, प्राकृतिक चैनलों, आर्द्रभूमियों और जोजरी पर उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के निर्णय, द्रव्यवती परियोजना का EIA अध्याय, RUIDP का परिपत्र संख्या 8 और ADB के परियोजना दस्तावेज, CGWB के भूजल आकलन, और CWC के नदी बुलेटिन। बहुत-सी अन्य सामग्री सार्वजनिक रूप से नहीं मिल सकी: प्रत्येक शहर और प्राधिकरण द्वारा भवन विनियम, 2025 का राजपत्र में प्रकाशन, और उनकी पर्यावरणीय अनुसूची का पूर्ण पाठ; द्रव्यवती चैनल का डिजाइन प्रवाह, वर्षा और विधि; JDA के 2025 के जल निकासी उन्नयन की पुनरावृत्ति अवधि और मॉडल; जोधपुर की वर्षा जल ड्रेनों का प्रारंभिक पर्यावरणीय परीक्षण (initial environmental examination); किसी भी शहर के स्लूइसों, फ्लैप गेटों, एस्केप चैनलों और पंपिंग स्टेशनों की, उनकी क्षमताओं और प्रचालन नियमों सहित, सूची; आना सागर के एस्केप चैनल और उदयपुर की झीलों के गेटों के प्रचालन नियम; उदयपुर और अजमेर की झीलों के गेज शून्यों का औसत समुद्र तल से ऊपर स्तर; झील अधिनियम, 2015 के अंतर्गत झील की सीमाओं या संरक्षित क्षेत्रों की कोई अधिसूचना; RSDMA की कोई शहरी बाढ़ योजना; आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित आर्द्रभूमियों की सूची; CAG द्वारा शहरी जल निकासी की कोई लेखापरीक्षा; और जोजरी पर उच्चतम न्यायालय के 24 अगस्त 2026 के आदेश का पूर्ण पाठ। इनपुट और सुविधाओं के अभिलेख प्रकाशित करने से जनता, शोधकर्ता और अन्य एजेंसियाँ यह जाँच सकती हैं कि शहर का बढ़ता निजी भंडारण वास्तव में मौजूद है। मुक्त फॉर्मेट की अपेक्षा इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है।

10.18 इस अध्याय की समीक्षा

10.18.1 इस अध्याय की समीक्षा खंड 1.12 के अंतर्गत मैनुअल के साथ की जाएगी। दो समीक्षाओं के बीच, राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति खंड 10.5.3 के अंतर्गत प्रपत्रों और अनुपालन कैलकुलेटर को संशोधित कर सकती है।

संदर्भ (अध्याय)

- Asian Development Bank (2023). *India: Rajasthan Secondary Towns Development Sector Project, Additional Financing. Jodhpur Storm Water Drainage: Resettlement Plan* (February 2023; prepared by RUDSICO-EAP; drain lengths and outfalls to the Jojari; no design return period stated). https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/42267/42267-034-rp-en_1.pdf
- Das, S.K. et al. (2022). Isopluvial analysis and intensity–duration–frequency curves for different cities in India. *MAUSAM* 73(4), 887–898 (Fig. 4, Jaipur and Jaisalmer panels). https://metnet.imd.gov.in/docs/mausamdocs/173412_F.pdf
- Ghate, A.S. and Timbadiya, P.V. (2022). Effect of discretisation on extreme rainfall analysis: a study of Jaipur city in India. *MAUSAM* 73(2), 341–354. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3570
- Government of Rajasthan, Urban Development and Housing Department (2025). *Model Rajasthan Building Regulations, 2025* (मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025), with UDH order No. P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025 of 12 May 2025 (Hindi; regs 1.2, 6.6, 8.1, 8.3, 8.6 and 18.1, Schedules 2 and 3; third-party copy; the date of commencement in each city to be confirmed). https://frontdesk.co.in/wp-content/uploads/2025/05/Order-Modal-Building-Bye-Laws-2025.pdf
- Government of Rajasthan, RUIDP (2008). Circular No. 8: general guidelines for drainage sector works under RUSDIP, Ref. F3(106)(32)/RUSDIP/PMU/CMS/2007, 4 March 2008 (Wayback copy of 18 January 2026). https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/organizations/ruidp/Downloads/Circular%20No.%208%20(Drainage%20sector%20guidelines)_4.03.2008.pdf
- Gupta, H.N. and Jindal, O.P. (1987). Unprecedented heavy rainfall in Jaipur (Rajasthan) during 18–20 July 1981. *Mausam* 38(3), 362–364. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3120
- India Meteorological Department (2020). Press release of 15 May 2020: new normal dates of onset and withdrawal of the south-west monsoon (Pai et al.), Table 2 (Rajasthan stations). https://internal.imd.gov.in/press_release/20200515_pr_804.pdf
- India Meteorological Department. *Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012)* (Rajasthan stations). https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf
- Jaipur Development Authority (2021). *JDA (Jaipur Region) Building Regulations, 2020*, notification No. ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2021/डी-36, Rajasthan Gazette Extraordinary of 7 January 2021 (predecessor text; regs 10.11 and 11.6 and Annexure 4). http://web.archive.org/web/2023id_/https://urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/lsgs/lsg-jaipur/onlineservices/BUILDING%20BYE%20LAWS%202020.pdf
- Jaipur Development Authority (n.d.; Phase II application of 2017). Environmental Impact Assessment and Environmental Management Plan, Dravyavati River Rejuvenation Project, Chapter 2 (project description; 100-year design flood). https://environmentclearance.nic.in/writereaddata/FormB/EC/FORM_1/170520176S4VOAIDChapter-2.pdf
- Kansas City Metro Chapter APWA (2006). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, §5608 (easements, maintenance, submittals) and §5609 (plan requirements). https://www.kcwater.us/wp-content/uploads/2020/08/Design-Criteria-%E2%80%93-Section-5600-%E2%80%93-Storm-Drainage-Systems-

and-Facilities.pdf

- Kansas City Metro Chapter APWA (2025). Section 5600 Storm Drainage Systems and Facilities, Version 2025.01.
- Mid-America Regional Council (2025). Stormwater management page: 2025 Stormwater Standards Manual, Compliance Calculator, Calculator Start-Up Guide, Policy Supplement. https://www.marc.org/environment/environment-plans/stormwater-management
- PUB Singapore (2018, with Addendum No. 3 of 16 Apr 2025). Code of Practice on Surface Water Drainage, 7th ed. https://info.corenet.gov.sg/docs/default-source/pub-circulars/pub-circular_cop-7th-ed-addendum-no-3_16-apr-2025.pdf?sfvrsn=5a2c1e1a_2
- PUB Singapore (2024). On-site Stormwater Detention Tank Technical Guide. https://www.pub.gov.sg/-/media/PUB/PDF/detentionTank.pdf
- PUB Singapore (11 Nov 2024). Amendments to Sewerage and Drainage Act (press release). https://www.pub.gov.sg/Resources/News-Room/PressReleases/2024/11/Amendments-to-Sewerage-and-Drainage-Act
- MoHUA (2016). Model Building Bye-Laws, Chapter 9, §9.6. https://web.archive.org/web/2022/https://mohua.gov.in/upload/uploadfiles/files/MBBL.pdf
- National Disaster Management Authority (2010). National Guidelines on Management of Urban Flooding. https://sdma.goa.gov.in/sites/default/files/2022-05/management_urban_flooding.pdf
- Rajasthan Municipalities Act 2009 (Act 18 of 2009), sections 45, 68, 200, 202, 213 and 238 (third-party copy derived from India Code; amendments not checked). https://lawgist.in/states/rajasthan/rajasthan-municipalities-act-2009
- Rajasthan Lakes (Protection and Development) Authority Bill 2015 (Bill No. 11 of 2015), authorised English translation, sections 2, 4, 5, 6 and 27 (the enacted Act, No. 5 of 2015, not read). https://www.ielrc.org/Content/e1501.pdf
- Supreme Court of India. *In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*, Suo Motu W.P. (C) 8 of 2025: judgment of 21 November 2025 (2025 INSC 1341), https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_3_50_66079_Judgement_21-Nov-2025.pdf ; judgment of 18 March 2026 (2026 INSC 316), https://www.verdictum.in/pdf_upload/2026/04/07/53967202523569419judgement18-mar-2026watermark-1775389.pdf ; order of 7 August 2026 (2026 INSC 812), https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_2_58_72891_Judgement_07-Aug-2026.pdf
- Supreme Court of India. *National Institute of Medical Science University v. State of Rajasthan*, SLP (C) 38040-38041 of 2012, judgment of 9 November 2017 (the Ramgarh catchment cases). https://hcraj.nic.in/sci/2012/1-38041-2012_2017-11-09.pdf
- Rajasthan High Court (Jaipur). *Ramji Lal Saini v. State of Rajasthan*, D.B. C.W.P. (PIL) 6614/2021, order of 7 May 2026 (quoting *Abdul Rahman*, 2004, and *Gulab Kothari*, 2017). https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/05/22/ramji-lal-675710.pdf
- Rajasthan High Court (Jodhpur). Suo motu, *In re: Protection, Conservation and Notification of Wetlands in the State of Rajasthan*, order of 1 June 2026. https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/06/05/suot-motu-wetlands-uploaded-678250.pdf
- Central Water Commission (2019). Daily flood situation summaries of 16 and 17 September 2019 (Chambal at Kota and Dholpur; Wayback copies). https://cwc.gov.in/sites/default/files/cfcr-cwcdfb17092019.pdf

- SANDRP (2022). 2022 overview of CWC flood monitoring sites in West India (copy of the CWC site list with warning, danger and high flood levels; secondary source). https://sandrp.in/2022/10/02/2022-overview-of-cwc-flood-monitoring-sites-in-west-india/
- ThePrint / PTI (11 June 2026). Rajasthan steps up monsoon preparedness, orders control rooms to operate 24x7 (secondary source). https://theprint.in/india/rajasthan-steps-up-monsoon-preparedness-orders-control-rooms-to-operate-24x7/2957202/
- Zee News (8 August 2024). Report on rainwater harvesting on plots of 225 m^2 and water connections conditional on recharge structures (Hindi; secondary source). https://zeenews.india.com/hindi/india/rajasthan/jaipur/jaipur-news-rajasthan-government-system-of-water-harvesting-rain-water-recharge-structure-system/2373664
- Patrika (Ajmer). Reports on the Ana Sagar gauge and the opening of the escape-channel gates (Hindi; secondary sources). https://www.patrika.com/ajmer-news/heavy-rain-water-flows-from-anasagar-channel-gate-4925040/
- Udaipur Times and Amar Ujala (2025). Reports on the full gauges of Pichola, Fateh Sagar and Udai Sagar and the Pichola–Fateh Sagar link gate (secondary sources). https://www.amarujala.com/rajasthan/udaipur-news-city-submerged-due-to-two-hours-of-torrential-rain-in-udaipur-drainage-system-failed-2025-07-06
- Down To Earth, Dawn, ANI, IANS, Deccan Herald, ThePrint and The Week (2006–2025). Reports of the Barmer and Udaipur floods of August 2006, the Kota flood of September 2019, the Jodhpur rain of July 2022, the Jaipur basement deaths of July 2024, the Ajmer floods of 2024 and 2025 and the Ana Sagar orders of the NGT and the Supreme Court (secondary sources; addresses not retained).

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
10A	अनुपालन कैलकुलेटर और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका
10B	GIS आँकड़ों का विनिर्देश और गुण स्कीमा
10C	रखरखाव पहुँच के आयाम
10D	सुविधा के प्रकार के अनुसार आदर्श O&M योजनाएँ
10E	वर्षा जल डिजाइन पेशेवरों और समीक्षकों की सूचीबद्धता के मानदंड
प्रपत्र 10-1	जल निकासी रिपोर्ट जाँच-सूची
प्रपत्र 10-2	अनुपालन कैलकुलेटर सारांश
प्रपत्र 10-3	पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र
प्रपत्र 10-4	रोक-बिंदु निरीक्षण अभिलेख
प्रपत्र 10-5	यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र
प्रपत्र 10-6	रखरखाव घोषणा-पत्र
प्रपत्र 10-7	वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
प्रपत्र 10-8	परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र
प्रपत्र 2-1	डिजाइन वर्षा पत्रक (अध्याय 2)

अध्याय 11

बेसिन और शहर वर्षा जल मास्टर प्लान

11.1 प्रयोजन और विस्तार

11.1.1 अध्याय 2 से 10 एक समय में एक परियोजना को नियंत्रित करते हैं। यह अध्याय उस प्लान की अपेक्षाएँ निर्धारित करता है जो इन परियोजनाओं को एक साथ जोड़ता है: **बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (BSMP)**। किसी शहर या शहरी क्षेत्र के प्रत्येक जल निकासी बेसिन के लिए एक BSMP तैयार किया जाता है। किसी शहर के BSMP का समूह मिलकर उसका **शहर वर्षा जल मास्टर प्लान** बनाता है।

11.1.2 BSMP:

- (a) विद्यमान और भविष्य की स्थितियों में बेसिन के बाढ़ जोखिम का मानचित्रण करेगा;
- (b) वह सेवा स्तर निर्धारित करेगा जो जल निकासी प्रणाली के प्रत्येक भाग को प्राप्त करना होगा (खंड 11.6);
- (c) उस सेवा स्तर तक पहुँचने के लिए आवश्यक कार्यों, भंडारण और भूमि की पहचान करेगा, और उन्हें प्राथमिकता क्रम में रखेगा (खंड 11.7 और 11.8);
- (d) सांविधिक भूमि उपयोग योजना में क्षेत्रीय भंडारण, तालाब (talab) और तालाब (tank) पुनर्स्थापन, और प्रमुख प्रवाह मार्गों के लिए भूमि आरक्षित करेगा (खंड 11.9);
- (e) वे बेसिन-विशिष्ट इनपुट निर्धारित करेगा जिन पर अध्याय 4 के अंतर्गत साइट डिजाइन निर्भर करते हैं: क्षेत्रीय सुविधाएँ, एवज शुल्क (fee-in-lieu) की इकाई दर, और अध्याय 4 से अधिक कठोर कोई बेसिन निकास दर (खंड 11.8.3); और
- (f) बाढ़-संवेदनशील के रूप में अधिसूचना हेतु जलग्रहण क्षेत्रों की सिफारिश करेगा (खंड 4.5.4)।

11.1.3 **साइट डिजाइन से संबंध.** साइट मानदंड (अध्याय 4 से 8) लागू होते हैं, चाहे BSMP विद्यमान हो या नहीं। BSMP अपने बेसिन के लिए साइट मानदंडों को **अधिक कठोर** बना सकता है। वह उन्हें शिथिल नहीं करेगा, सिवाय खंड 4.13 और 4.5.6 के क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण और एवज शुल्क मार्गों के माध्यम से।

> **भाष्य.** राजस्थान के शहर अपनी ड्रेनों और चैनलों पर व्यय कर रहे हैं, किंतु डिजाइन मानक वाला कोई शहरी जल निकासी मास्टर प्लान प्रकाशित नहीं हुआ है। सबसे बड़ा कार्य जयपुर में JDA की **द्रव्यवती नदी परियोजना** (*Dravyavati River Project*) है, जिसने द्रव्यवती को, जो एक नदी थी और वर्षा जल और सीवेज का चैनल (अमानीशाह नाला) बन गई थी, 47.5 km की लंबाई में, 34.84 km और 12.66 km के दो चरणों में, नाहरगढ़ की पहाड़ियों से ढूँढ में उसके आउटफॉल तक फिर से बनाया; यह नाहरिका (Naharika), अंबाबाड़ी (Ambabari), गंदा नाला (Ganda nala) और जवाहर (Jawahar) नालों का पानी लेती है, इसका डिजाइन इस उद्देश्य से किया गया: "नदी के अनुप्रस्थ काट को सौ वर्ष की बाढ़ सुरक्षित रूप से पार कराने योग्य बनाना" ("to make the river section capable of safely passing the hundred year flood"), और इसमें 170 MLD के शोधन संयंत्र सम्मिलित हैं (JDA का EIA; उच्चतम न्यायालय, 2026)। इसकी लागत ठेकेदार (Tata Projects) ने दस वर्ष के रखरखाव सहित ₹1,676 करोड़ बताई है और EIA में दोनों चरणों के लिए ₹1,490.85 करोड़ बताई गई है, और इसका उद्घाटन 2 अक्तूबर 2018 को हुआ (प्रकाशित खबरों के अनुसार); इसका डिजाइन प्रवाह नहीं मिला। JDA ने मई 2025 में लगभग ₹80 करोड़ का एक मानसून जल निकासी उन्नयन शुरू किया, जो जयपुर में अपनी तरह के पहले एकीकृत वर्षा जल मॉडल पर आधारित है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), जिसकी पुनरावृत्ति अवधि और परामर्शदाता नहीं मिले। जोधपुर में RUIDP, ADB के वित्त से, जोजरी तक 13.1 km का भैरव (Bhairav) नाला और 7.0 km का RTO नाला और माता का थान (Mata ki Than) ड्रेन बना रही

है (ADB, 2023), जिनकी कोई डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि नहीं बताई गई; RUIDP के अपने 2008 के मार्गदर्शन ने नगर की ड्रेनों के लिए 1–2 वर्ष की अनुमति दी थी। उदयपुर की झीलों, अजमेर के आना सागर और कोटा के चंबल में गिरने वाले आउटफॉलों का प्रबंधन गेटों के प्रचालन से, और उदयपुर और आना सागर में उनके किनारों पर न्यायालयों के आदेशों से होता है, किसी जल निकासी प्लान से नहीं; आना सागर के लिए राज्य ने उच्चतम न्यायालय के आदेशों के बाद NEERI और MNIT को लगाया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। जयपुर क्षेत्र की मास्टर विकास योजना (Master Development Plan) का जल निकासी अध्याय नहीं मिला। कोई भी प्रकाशित दस्तावेज राजस्थान के किसी भी शहर के वर्षा जल ड्रेन नेटवर्क के लिए डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि निर्धारित नहीं करता; किसी भी शहरी चैनल के लिए मिला एकमात्र डिजाइन मानक द्रव्यवती की 100-वर्ष की बाढ़ है। यह अध्याय, अध्याय 2 की डिजाइन वर्षा घटनाओं और खंड 11.6 के सेवा स्तरों के साथ, वे डिजाइन वर्षा घटना, सेवा स्तर, भंडारण और बफर मानदंड देता है जिनकी ऐसे प्लान को आवश्यकता है; इसे UDH, स्वायत्त शासन विभाग, किसी नगर निगम, विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास, या किसी अन्य निकाय द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है। साइट-स्तरीय मैनुअल बेसिन-स्तरीय समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता: तालाबों (talab) का खोया हुआ भंडारण; गैर मुमकिन नाला (gair mumkin nala) के रूप में दर्ज नाले और प्राकृतिक चैनल, जिन पर निर्माण कर दिया गया या जिन्हें मोड़ दिया गया; झीलों में गिरने वाले शहरी आउटफॉल, जिन्हें गेट और एस्केप चैनल (escape channel) उनके पूर्ण स्तर पर रखते हैं, और चंबल में गिरने वाले आउटफॉल, जिसे बैराज से छोड़ा गया पानी कई दिनों तक ऊँचा रख सकता है; ऐसे नाले जो सीवेज और औद्योगिक बहिःस्राव द्रव्यवती, जोजरी और उदयपुर की झीलों में ले जाते हैं; पश्चिम के ऐसे जलग्रहण क्षेत्र जिनका कोई आउटफॉल ही नहीं है; एक नगर निगम, एक विकास प्राधिकरण या नगर सुधार न्यास, RIICO और WRD के बीच बँटी हुई एक ही ड्रेन; और ऐसी ड्रेनें जो अपने आप में पर्याप्त हैं किंतु अगले भाग (reach) पर अधिक भार डालती हैं। तुलनीय मैनुअल साइट मानदंडों को बेसिन योजना के साथ जोड़ते हैं:

- डेनवर का Mile High Flood District प्रमुख जल निकासी मार्गों के मास्टर प्लान तैयार करता है जो क्षेत्रीय सुविधाएँ और निकास दरें निर्धारित करते हैं।
- कैनसस सिटी APWA के मानदंड क्षेत्रीय जलसंभर अध्ययनों (MARC) पर आधारित हैं।
- इंग्लैंड की सतही जल प्रबंधन योजनाएँ (Defra, Surface Water Management Plan Technical Guidance, 2010) तैयारी, जोखिम आकलन, विकल्पों और कार्यान्वयन की चरणबद्ध पद्धति निर्धारित करते हैं।
- मलेशिया का MSMA शहरी क्षेत्रों के लिए जल निकासी मास्टर प्लान की अपेक्षा करता है।

यह अध्याय उस पद्धति को राजस्थान के अनुरूप ढालता है: ऐसी झीलों पर स्थित शहरी आउटफॉलों के लिए जिनके स्तर गेटों और एस्केप चैनलों से नियंत्रित होते हैं, जैसे अजमेर में आना सागर पर और उदयपुर की झील-शृंखला में, और कोटा में चंबल पर स्थित आउटफॉलों के लिए, जिसे कोटा बैराज और उसके ऊपर के डैमों से छोड़ा गया पानी कई दिनों तक ऊँचा रख सकता है; राज्य के पश्चिम के लिए, जहाँ लगभग 60% भूमि का पानी भीतर की ओर बहता है और अनेक जलग्रहण क्षेत्रों का कोई आउटफॉल ही नहीं है, जिससे आउटफॉल का स्थान भंडारण, अंतःस्यंदन और वाष्पीकरण लेते हैं; उन नालों के लिए जो सीवेज, औद्योगिक बहिःस्राव और ठोस अपशिष्ट द्रव्यवती, जोजरी और झीलों में ले जाते हैं; नगरपालिकाओं में निहित ड्रेनों और सार्वजनिक तालाबों, विकास प्राधिकरणों और नगर सुधार न्यासों की योजनाओं की ड्रेनों, RIICO की औद्योगिक ड्रेनों, WRD के पास की नदियों और डैमों, गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज उन प्राकृतिक चैनलों जिन्हें उच्च न्यायालय संरक्षण देता है, और झील अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आने वाली झीलों के लिए, जबकि नालों को उनके बीच बाँटने वाला कोई आदेश नहीं है; ऐसे राज्य के लिए जहाँ नदियों और झीलों के साथ रेखाएँ कोई डूब क्षेत्र कानून नहीं, बल्कि न्यायालय खींचते हैं, और उच्चतम न्यायालय ने प्रत्येक नदी प्रणाली के लिए उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) का आदेश दिया है; ऐसे राज्य के लिए जिसमें 100-वर्ष के द्रव्यवती चैनल को छोड़कर किसी भी शहर की ड्रेनों के लिए कोई डिजाइन पुनरावृत्ति अवधि प्रकाशित नहीं है; उन जलभृतों के लिए जो राज्य के अधिकांश भाग में अति-दोहित (over-exploited) हैं किंतु जोधपुर के पुराने शहर और नहरी मैदानों के नीचे ऊपर उठ रहे हैं; और ऐसे दक्षिण-पश्चिम मानसून के लिए जिसके अभिलिखित दैनिक मान CWC के प्लेटों की 50-वर्ष की गहराइयों से बहुत अधिक हैं: 19 जुलाई 1981 को जयपुर में 326.0 mm और 8 सितंबर 1992 को माउंट आबू में 653.0 mm (IMD)।

11.2 परिभाषाएँ

शब्द	इस मैनुअल में अर्थ
बेसिन (basin)	खंड 11.3 के अंतर्गत चिह्नित, समुद्र, किसी नदी या किसी प्रमुख जलाशय में एक आउटफॉल की ओर जल निकासी करने वाली भूमि।
बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (BSMP)	इस अध्याय के अंतर्गत एक बेसिन के लिए तैयार की गई योजना।
अग्रणी प्राधिकारी (Lead Authority)	BSMP तैयार करने के लिए उत्तरदायी निकाय (खंड 11.4)।
सेवा स्तर (LoS)	बाढ़ के संबंध में वह कार्य-निष्पादन जो जल निकासी प्रणाली के किसी भाग को प्राप्त करना होगा, AEP और परिणाम के रूप में व्यक्त (खंड 11.6)।
बाढ़ जोखिम मानचित्र	किसी निर्दिष्ट AEP और परिदृश्य के लिए बाढ़ के विस्तार, गहराई, वेग और जोखिम वर्ग (H1–H6, अध्याय 6) का मानचित्र।
क्षेत्रीय सुविधा (regional facility)	BSMP में चिह्नित, एक से अधिक विकास को सेवा देने वाला भंडारण, वहन या आउटफॉल कार्य।
पूंजीगत सुधार कार्यक्रम (CIP)	BSMP में कार्यों की प्राथमिकता-क्रमित, लागत-सहित सूची (खंड 11.8.4)।

11.3 योजना इकाई: बेसिन, वार्ड नहीं

11.3.1 BSMP **जलवैज्ञानिक बेसिन के अनुसार** तैयार किए जाएँगे, वार्ड, जोन या स्थानीय निकाय की सीमा के अनुसार नहीं। जहाँ कोई बेसिन स्थानीय निकायों की सीमाओं को पार करता है, वहाँ एक BSMP पूरे बेसिन को समाविष्ट करेगा।

11.3.2 बेसिन की सीमाएँ खंड 11.5.2 के डिजिटल उन्नयन मॉडल से चिह्नित की जाएँगी, और ड्रेन नेटवर्क, सड़क तटबंधों, नहरों और तालाबों के आपूर्ति चैनलों से उनकी जाँच की जाएगी। बेसिनों के बीच के मोड़ (diversions), चाहे नहर, ड्रेन या अतिरिक्त जल मार्ग द्वारा हों, मानचित्रित किए जाएँगे और मॉडल में दर्शाए जाएँगे।

11.3.3 राजस्थान के किसी भी शहर के लिए कोई बेसिन सीमांकन प्रकाशित नहीं हुआ है। जिन शहरी क्षेत्रों के बेसिनों की पहचान साक्ष्यों से होती है, उनके लिए बेसिन कम से कम निम्नलिखित हैं:

- **जयपुर, द्रव्यवती:** नाहरगढ़ की पहाड़ियों से **ढूँढ** में उसके आउटफॉल तक **द्रव्यवती** का जलग्रहण क्षेत्र, जिसमें **नाहरिका**, **अंबाबाड़ी**, **गंदा** (परकोटा (walled city)) और **जवाहर** नाले और सांगानेर क्षेत्र उप-बेसिनों के रूप में हों, पुनर्निर्मित चैनल और उसकी ड्रॉप संरचनाएँ (fall structures) 1D नेटवर्क में हों, और उसके अवरोधन कार्य और शोधन संयंत्र मानचित्रित हों (खंड 8.9.5);
- **जयपुर, मान सागर: मान सागर (जल महल)** का जलग्रहण क्षेत्र, जो 23.5 km^2 बताया गया है, जिसमें **ब्रह्मपुरी** (Brahmapuri) और **नागतलाई** (Nagtalai) नाले हों, और झील का स्तर उसमें गिरने वाली प्रत्येक ड्रेन की सीमा-स्थिति (boundary condition) हो;
- **जयपुर, रामगढ़: रामगढ़ बाँध** का जलग्रहण क्षेत्र, चार तहसीलों में लगभग 769.20 km^2, उन भागों में जहाँ तक शहर और JDA का क्षेत्र पहुँचता है, जिसमें उच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत खींची गई जलग्रहण रेखा दर्शाई गई हो;
- **जोधपुर, जोजरी:** दक्षिण और दक्षिण-पूर्व की ओर **जोजरी** में जल निकासी करने वाले जलग्रहण क्षेत्र, जिनमें **भैरव नाला** और **RTO नाला** हैं, जिनमें **कायलाना** (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 273.7 m) और **तख्त सागर** (269.75 m) गेट वाली वाहिकाओं (gated conduits) से जुड़े भंडारण के रूप में हों, पुराने शहर का ऊपर उठता भूजल स्तर एक डिजाइन स्थिति हो, और सीमांकन होने पर जोजरी की उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और बफर दर्शाए गए हों;

- **उदयपुर, झीलें: पिछोला** और **फतह सागर** के जलग्रहण क्षेत्र, जिन्हें **बड़ा मदार** (Bada Madar) से जल मिलता है, और उनके नीचे **उदय सागर** तक **आयड़** (Ayad) के जलग्रहण क्षेत्र, जिनमें पिछोला और फतह सागर के बीच का गेट वाला संबंध और आयड़ में झीलों का अतिप्रवाह बेसिनों के बीच गेट वाले संबंधों के रूप में हों (खंड 11.3.2), और प्रत्येक झील का स्तर उसमें गिरने वाली ड्रेनों की सीमा-स्थिति हो;
- **अजमेर, आना सागर: आना सागर** का जलग्रहण क्षेत्र, जिसमें पूर्ण गेज स्तर पर रखी गई झील सीमा-स्थिति हो, आउटफॉल-बंद स्थिति एक डिजाइन स्थिति हो, और **एस्केप चैनल** और उसके किनारे की कॉलोनियाँ नीचे के बेसिन से गेट वाले संबंध के रूप में हों;
- **कोटा, चंबल:** शहर के वे जलग्रहण क्षेत्र जिनके आउटफॉल **चंबल** में हैं, जिनमें CWC के कोटा सिटी (Kota City) स्थल पर नदी का स्तर, जिसे **कोटा बैराज** और उसके ऊपर के डैमों से छोड़ा गया पानी नियंत्रित करता है, सीमा-स्थिति हो और आउटफॉल-बंद स्थिति एक डिजाइन स्थिति हो; और
- **पश्चिम के बिना आउटफॉल वाले नगर: बीकानेर** और उन अन्य नगरों के लिए जिनके जलग्रहण क्षेत्र भीतर ही समाप्त होते हैं, प्रत्येक **अंतिम गर्त** (terminal depression) या बेसिन, उसमें जल निकासी करने वाली भूमि सहित, जिसका परीक्षण खंड 4.12.7 के 72-घंटे के डिजाइन आयतन से किया जाए और जिसमें अंतःस्यंदन और वाष्पीकरण के अतिरिक्त कोई बहिर्वाह न हो।

अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, श्रीगंगानगर और टोंक सहित अन्य टियर A निकाय अपने बेसिन उन्हें समाविष्ट करने वाले पहले BSMP में परिभाषित करेंगे। जहाँ WRD, CWC, किसी झील के अभिरक्षक या किसी न्यायालय के पास कोई उच्चतम बाढ़ स्तर, पूर्ण जल स्तर या अधिकतम जल स्तर, कोई उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) या बफर, किसी झील का संरक्षित क्षेत्र, या किसी डैम, बैराज, झील गेट या एस्केप चैनल या पंपिंग स्टेशन का कोई प्रचालन नियम हो, वहाँ BSMP अपनी सीमा-स्थितियाँ उसी से लेगा और उन स्तरों को अपने 1% AEP मानचित्र के सापेक्ष दर्शाएगा।

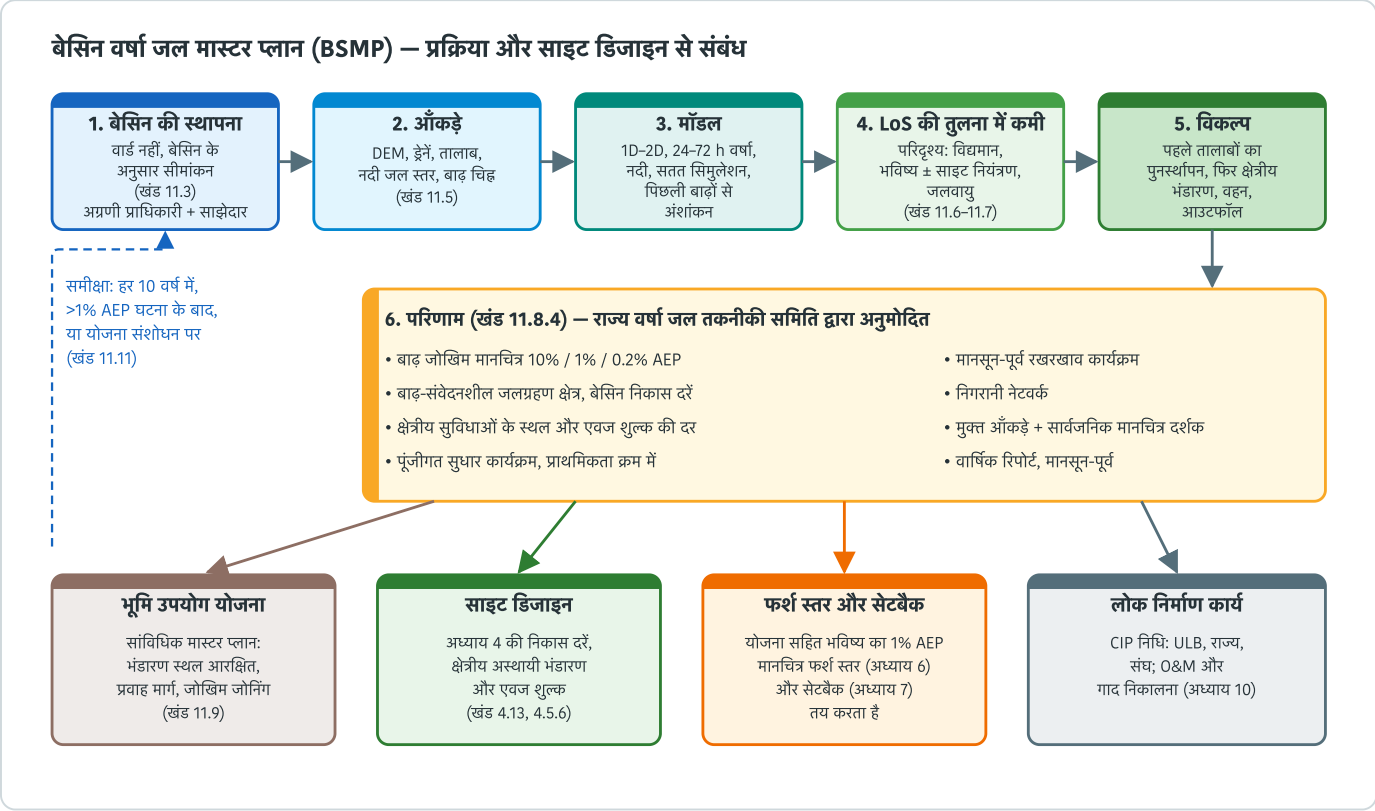

चित्र 11.1 — बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान की प्रक्रिया और साइट डिजाइन से उसके संबंध। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग। चरण-संरचना Defra, Surface Water Management Plan Technical Guidance (2010), और Mile High Flood District की मास्टर प्लान पद्धति पर आधारित है।

भाष्य. पानी वार्ड की सीमाओं का पालन नहीं करता। वार्ड-दर-वार्ड ड्रेन योजना समस्या को अगले वार्ड तक, और अगले स्थानीय निकाय तक, पहुँचा सकती है। राजस्थान में एक ही नाला झील, नदी या गर्त तक पहुँचने के मार्ग में कई हाथों से गुजर सकता है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 सार्वजनिक तालाब और धाराएँ तथा किसी सड़क में, उसके साथ-साथ या उसके नीचे की ड्रेनें और जलमार्ग नगरपालिका में, न्यासी के रूप में, निहित करता है (धारा 68), और उसके भीतर की सभी ड्रेनों को उसके सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन रखता है (धारा 200); विकास प्राधिकरण और नगर सुधार न्यास अपनी योजनाओं की ड्रेनें बनाते हैं; RIICO अपने औद्योगिक क्षेत्रों की ड्रेनें चलाता है, जिन्हें उच्चतम न्यायालय ने जोधपुर में नगरपालिका ड्रेनों में पानी छोड़ते पाया (2026); नदियाँ, डैम और उनकी उच्च बाढ़ रेखाएँ WRD के पास हैं; गैर मुमकिन नाला (gair mumkin nala) के रूप में दर्ज प्राकृतिक चैनल राज्य की भूमि हैं, जिनके बारे में उच्च न्यायालय ने ठहराया है कि उन्हें न मोड़ा जा सकता है और न उन पर निर्माण किया जा सकता है (*Ramji Lal Saini*, 2026); और झीलें झील अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आती हैं, यद्यपि कोई झील सीमा या संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित नहीं मिला। कोई भी नियम प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग नहीं करता (जैसा यह मैनुअल अभिलेख को पढ़ता है), और उच्चतम न्यायालय ने नदी बेसिन के आधार पर नियोजन के लिए बने राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण को "लगभग निष्क्रिय" ("largely defunct") पाया है (7 अगस्त 2026)। ड्रेनें इन सीमाओं के पार सीवेज ले जाती हैं: जयपुर के नाले द्रव्यवती तक पहुँचते हैं, जिसकी परियोजना 170 MLD का शोधन करती है, और जोधपुर का सीवेज, जो 2026 में लगभग 175 MLD के शोधन की तुलना में लगभग 230 MLD आँका गया, और औद्योगिक बहिःस्राव जोजरी तक पहुँचते हैं (उच्चतम न्यायालय, 2025–26)। यह खंड बेसिन को नियोजन इकाई बनाता है, ताकि एक मॉडल प्रत्येक ड्रेन को उसके शीर्ष से झील, नदी या गर्त तक ले जाए, चाहे प्रत्येक भाग (reach) का स्वामी कोई भी हो, और ताकि अवरोधन संरचनाओं का परीक्षण उन ड्रेनों की क्षमता के सापेक्ष किया जाए जिन्हें वे टैप करती हैं (अध्याय 8, खंड 8.9.5)।

11.4 कौन तैयार करेगा, और कब

11.4.1 **अग्रणी प्राधिकारी.**

- नगर निगम वाले शहर के बेसिनों के लिए: **नगर निगम** (जयपुर में **JMC**), जिसमें राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 सार्वजनिक तालाब, धाराएँ और सड़कों की ड्रेनें निहित करता है (धारा 68) और जिसे जल निकासी की व्यवस्था करनी होगी (धारा 45), शहर के **विकास प्राधिकरण** या **नगर सुधार न्यास** (जयपुर में **JDA**) के साथ संयुक्त रूप से, जो वह मास्टर विकास योजना तैयार करता है जिसमें BSMP सम्मिलित किया जाता है (खंड 11.9) और अपनी योजनाओं की ड्रेनें बनाता है; UDH के निर्देश के अनुसार दोनों में से कोई भी प्लान तैयार कर सकता है। जहाँ कोई बेसिन निगम की सीमा से आगे तक फैला है, वहाँ बेसिन के अन्य स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरण या न्यास भागीदार हैं, और एक BSMP पूरे बेसिन को समाविष्ट करता है (खंड 11.3.1)। जयपुर, जोधपुर और कोटा के जुड़वाँ नगर निगमों के 2025 में फिर से एक-एक नगर निगम में मिला दिए जाने की खबर है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); अग्रणी प्राधिकारी वही नगर निगम है जो BSMP तैयार किए जाते समय विद्यमान हो।
- प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से, या स्थानीय निकायों की ड्रेनों को WRD की नदियों और डैमों से, अलग करने वाला कोई आदेश नहीं मिला; जब तक ऐसा आदेश नहीं बनता, यह मैनुअल प्रत्येक BSMP के भीतर भागों (reaches) को निम्नानुसार सौंपता है, जिसमें प्रत्येक निकाय उन भागों और कार्यों के लिए, जिनका वह स्वामी है या जिन्हें वह चलाता है, और उन पर CIP के अंशों के लिए अग्रणी प्राधिकारी है: नदियों, डैमों, बैराजों और जलाशयों, उनके गेटों और उनसे छोड़े जाने वाले पानी, और उनके उच्चतम बाढ़ स्तरों के लिए **WRD**, और नदियों की उच्च बाढ़ रेखाओं और पारिस्थितिक बफरों के लिए, गठित होने पर, वह **नदी आयोग या नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण** (River Commission or River Rejuvenation Authority) जिसका निर्देश उच्चतम न्यायालय ने दिया है (7 अगस्त 2026); झील अधिनियम, 2015 के अंतर्गत आने वाली झीलों, उनकी पूर्ण जल स्तर रेखाओं, गेटों और एस्केप चैनलों, संरक्षित क्षेत्रों और बहाव क्षेत्रों के लिए **राजस्थान झील विकास प्राधिकरण**, **प्रत्येक झील के अभिरक्षक** के साथ; अधिसूचित आर्द्रभूमियों के लिए **राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण**; उसमें निहित नगरपालिका नालों, सड़क ड्रेनों और सार्वजनिक तालाबों के लिए **नगर निगम**, **नगर परिषद** या **नगरपालिका बोर्ड** (धारा 68);

अपनी योजनाओं की ड्रेनों के लिए, उनके हस्तांतरित होने तक, **विकास प्राधिकरण** और **नगर सुधार न्यास**; अपने औद्योगिक क्षेत्रों की ड्रेनों के लिए **RIICO**; बेसिन के नगरपालिका सीमाओं से बाहर के भागों में राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन (gair mumkin) के रूप में दर्ज नालों, नाडियों (nadi) और तालाबों के लिए **कलक्टर**; और अपनी सड़कों की ड्रेनों के लिए PWD और NHAI।

- टियर B निकायों में: अग्रणी प्राधिकारी को UDH, स्वायत्त शासन विभाग के साथ, नामित करता है। नदी के एक ही भाग, झील या गर्त में जल निकासी करने वाले बेसिनों को एक जिला-स्तरीय प्लान में समूहित किया जा सकता है।

जिस BSMP के बेसिन में कोई झील सम्मिलित है, उस प्रत्येक BSMP पर राजस्थान झील विकास प्राधिकरण से, क्योंकि जिस भूमि उपयोग योजना में उसे सम्मिलित किया जाता है उसके लिए उस प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है (झील अधिनियम, 2015, धारा 5); जिस BSMP का बेसिन किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि या रामसर स्थल (केवलादेव, सांभर, खीचन या मेनार) में जल निकासी करता है, उस प्रत्येक BSMP पर राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण से; प्रत्येक BSMP पर RSDMA और जिला प्रशासन से; और किसी झील या नदी तक सीवेज या बहिःस्राव ले जाने वाली किसी ड्रेन पर कार्य प्रस्तावित करने वाले प्रत्येक BSMP पर राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल से परामर्श किया जाएगा।

WRD प्रत्येक ऐसे BSMP में भागीदार होगा जिसमें उसके नियंत्रण वाली कोई नदी, नहर या तालाब सम्मिलित है।

11.4.2 **BSMP कब आवश्यक है.**

- (a) प्रत्येक टियर A निकाय इस मैनुअल के प्रभावी होने के **3 वर्ष** के भीतर अपने पूरे क्षेत्र को समाविष्ट करने वाले BSMP का अनुमोदन करेगा।
- (b) निम्नलिखित से पहले BSMP आवश्यक है:
  - खंड 4.13 के अंतर्गत कोई क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण या एवज शुल्क स्वीकार किया जाए;
  - खंड 4.5.6.3 के अंतर्गत रखा गया कोई शुल्क व्यय किया जाए; और
  - खंड 11.8.3 के अंतर्गत कोई बेसिन-विशिष्ट निकास दर लागू की जाए।
- (c) टियर B निकाय वहाँ BSMP तैयार करेगा जहाँ उसका अग्रणी प्राधिकारी, या राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति, भवनों या धमनी सड़कों में बार-बार बाढ़ पाती है।

11.4.3 **तैयारी.** BSMP बेसिन-स्तरीय मॉडलिंग के अनुभव वाले, वर्षा जल डिजाइन पेशेवर (Stormwater Design Professional; अध्याय 10) के रूप में सूचीबद्ध किसी अभियंता द्वारा, या उसके निर्देशन में, तैयार किए जाएँगे।

11.5 आँकड़े और सर्वेक्षण

11.5.1 प्रत्येक BSMP तालिका 11.1 के आँकड़े एकत्र और प्रकाशित (खंड 11.10) करेगा:

तालिका 11.1 — BSMP के लिए न्यूनतम आँकड़े और सर्वेक्षण

आँकड़े	न्यूनतम अपेक्षा
भू-भाग	LiDAR या फोटोग्रामिति से डिजिटल उन्नयन मॉडल, शहरी क्षेत्रों में 0.15 m RMSE या बेहतर ऊर्ध्वाधर सटीकता के साथ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डेटम से जुड़ा हुआ
ड्रेन नेटवर्क	सभी सार्वजनिक ड्रेन, पुलियों और आउटफॉलों की सूची, इनवर्ट स्तरों, आकारों, स्थिति और गाद की गहराई के साथ; 600 mm से बड़ी निजी ड्रेन
जलाशय	अध्याय 7 के अंतर्गत प्रत्येक तालाब (tank), तालाब (talab), पोखर और दलदल का सर्वेक्षण: FTL, MWL, बाँध का स्तर, जल स्तर-भंडारण, स्लूइस, सरप्लस वियर, आपूर्ति चैनल, अतिक्रमण
नदियाँ और नहरें	200 m से अधिक नहीं के अंतराल पर और प्रत्येक संरचना पर अनुप्रस्थ काट

आँकड़े	न्यूनतम अपेक्षा
आउटफॉल, नदियाँ, झीलें और अंतिम गर्त	प्रत्येक स्तर के डेटम का नाम, और गेज के शून्य का सर्वेक्षण हो जाने पर स्थानीय शून्य से ऊपर फुट में लिए गए झील गेज के पाठ्यांक मीटर में बदलकर; निकटतम CWC या WRD गेज पर प्राप्तकर्ता नदी के चेतावनी, खतरे और उच्चतम बाढ़ स्तरों और उसके अभिलिखित चरमों के सापेक्ष आउटफॉल के इनवर्ट स्तर (कोटा सिटी पर चंबल के लिए, खतरे का स्तर 242 m और 2019 में उच्चतम बाढ़ स्तर 248.68 m); झीलों और जलाशयों में गिरने वाले आउटफॉलों के लिए, WRD या अभिरक्षक से पूर्ण जल स्तर, अधिकतम जल स्तर और मृत भंडारण स्तर, गेट और एस्केप चैनल का प्रचालन नियम और प्रकाशित मानों के बीच कोई भी विरोध (फतह सागर के लिए, 13 ft बनाम 14 ft का पूर्ण गेज); बिना आउटफॉल वाले जलग्रहण क्षेत्र के लिए, अंतिम गर्त या बेसिन का जल स्तर–भंडारण, अंतःस्यंदन और वाष्पीकरण; जहाँ बाध्यकारी हों वहाँ न्यायालय आदेशों के अंतर्गत खींची गई रेखाएँ, जैसे सीमांकन होने पर वह उच्च बाढ़ रेखा और पारिस्थितिक बफर जिनका निर्देश उच्चतम न्यायालय ने राज्य की नदियों के लिए दिया है; आउटफॉलों पर स्लूइस, फ्लैप गेट, एस्केप चैनल, अवरोधन संरचनाएँ, एनीकट (anicut), चेक डैम और पंपिंग स्टेशन, उनकी क्षमताओं और प्रचालन नियमों के साथ; और प्रतिप्रवाह में किसी डैम या बैराज से छोड़ा गया पानी
वर्षा और जल स्तर	सभी उपलब्ध वर्षामापी (IMD, जिसमें जयपुर (सांगानेर), जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और माउंट आबू की उसकी वेधशालाएँ और मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर द्वारा सूचित स्वचालित मौसम केंद्र और वर्षामापी सम्मिलित हैं; राज्य के जिलों और तहसीलों के वर्षामापी; CWC के और WRD के वर्षामापी और नदी गेज, जिनमें डैमों, बैराजों और झीलों पर स्थित गेज सम्मिलित हैं; और नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों और स्मार्ट सिटी कंपनियों द्वारा रखे गए कोई भी गेज) और जल स्तर अभिलेख, जिनमें जुलाई 1981 (जयपुर), अगस्त 2006 (बाड़मेर और उदयपुर), सितंबर 2019 (कोटा और चंबल), जुलाई 2022 (जोधपुर) और जुलाई–अगस्त 2024 (जयपुर) की घटनाओं के अभिलेख सम्मिलित हैं
बाढ़ के साक्ष्य	पिछली घटनाओं के सर्वेक्षित बाढ़ चिह्न और मानचित्रित बाढ़ विस्तार, सार्वजनिक रिपोर्टों सहित
भूमि उपयोग	विद्यमान भूमि उपयोग और अपारगम्यता; सांविधिक मास्टर प्लान से भविष्य का भूमि उपयोग
मिट्टी और भूजल	HSG मानचित्र (परिशिष्ट 3A); मौसमी उच्चतम भूजल स्तर; जलभृत और पुनर्भरण क्षेत्र
सीवर से अंतःक्रिया	ज्ञात सीवेज के अवैध जुड़ाव, ड्रेन में शुष्क मौसम प्रवाह, और ठोस अपशिष्ट हॉटस्पॉट

भाष्य. 0.15 m सटीकता का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे इसलिए निर्धारित करता है कि पश्चिम के टीलों के बीच के (interdune) समतल मैदानों और नहरी मैदानों पर, उन अंतिम गर्तों के आसपास जिनमें बिना आउटफॉल वाले जलग्रहण क्षेत्र समाप्त होते हैं, जयपुर के मैदान पर, कोटा में चंबल के किनारे, और उदयपुर और अजमेर की झीलों के किनारों के आसपास, जहाँ पूर्ण जल स्तर की रेखा तय करती है कि क्या बनाया जा सकता है, भूमि स्तर में छोटी-सी त्रुटि भी बाढ़ की सीमा को बहुत दूर खिसका देती है, और BSMP से प्राप्त 1% विस्तार फर्श स्तर (अध्याय 6) और सेटबैक (अध्याय 7) निर्धारित करता है। पिछले बाढ़ चिह्न उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने मॉडल। जुलाई 1981 (जयपुर), अगस्त 2006 (बाड़मेर और उदयपुर), सितंबर 2019 (कोटा और चंबल), जुलाई 2022 (जोधपुर) और जुलाई–अगस्त 2024 (जयपुर) की घटनाएँ राजस्थान के पास उपलब्ध सर्वोत्तम अंशांकन आँकड़े हैं, और अधिकांश साक्ष्य तस्वीरों, समाचार रिपोर्टों और निवासियों के अभिलेखों में हैं, जिन्हें नष्ट होने से पहले एकत्र किया जाना चाहिए।

11.6 सेवा स्तर

11.6.1 प्रत्येक BSMP निम्नलिखित न्यूनतम सेवा स्तर लेगा। BSMP अधिक कठोर स्तर ले सकता है।

तालिका 11.2 — न्यूनतम सेवा स्तर

तत्व	न्यूनतम सेवा स्तर
लघु प्रणाली	अध्याय 6 की डिजाइन AEP (तालिका 6.1)

तत्व	न्यूनतम सेवा स्तर
आवास योग्य भवन	1% AEP (100-वर्ष) घटना में फर्श स्तर से ऊपर कोई बाढ़ नहीं
महत्वपूर्ण सुविधाएँ (अस्पताल, आपातकालीन सेवाएँ, उप-केंद्र, जल और सीवेज संयंत्र)	0.2% AEP (500-वर्ष) घटना में सुविधा में कोई बाढ़ नहीं; 1% AEP घटना में पहुँच सड़क चलने योग्य
निष्क्रमण मार्ग और धमनी सड़कें	1% AEP घटना में चलने योग्य (जोखिम वर्ग H2 या बेहतर, अध्याय 6)
रुके जल की निकासी का समय	10% AEP (10-वर्ष) घटना में वर्षा रुकने के **6 घंटे** के भीतर सड़कों से सतही जल हट जाए
तालाब (tank) और तालाब (talab) का भंडारण	सबसे पहले उपलब्ध सर्वेक्षण के सापेक्ष मापा गया, बेसिन में MWL से नीचे बाढ़ भंडारण की कोई शुद्ध हानि नहीं
आउटफॉल	अध्याय 5 की संयुक्त और आउटफॉल-बंद स्थितियों में कार्यशील

भाष्य. भवनों और सड़कों के स्तर अध्याय 6 को दोहराते हैं, ताकि बेसिन प्लान और साइट डिजाइन एक ही परिणाम का लक्ष्य रखें। महत्वपूर्ण सुविधाओं के लिए 0.2% AEP, रुके जल की निकासी का 6 घंटे का समय और तालाबों के भंडारण के लिए शुद्ध हानि नहीं का नियम, इनका कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है और ये इस मैनुअल द्वारा निर्धारित हैं। निकासी का समय उस बात को दर्शाता है जिस पर निवासी वर्षा घटना के बाद सबसे अधिक ध्यान देते हैं। शुद्ध हानि नहीं का नियम भंडारण की उस हानि को दर्शाता है जिसकी खबरें तो हैं किंतु माप नहीं हुआ। विधि में राज्य की झीलें और तालाब कई स्तरों पर संरक्षित हैं: झील अधिनियम, 2015 ऐसे किसी भी जलाशय को झील मानता है जिसका अधिनियम से पहले के पचास वर्षों में किसी भी समय कम से कम 3 ha (विरासत या धार्मिक) या 10 ha (अन्य) का जलमग्न क्षेत्र रहा हो, "चाहे उसमें जल हो या न हो, और चाहे वह ... इस रूप में अभिलिखित हो या न हो" ("whether it contains water or not and whether it has been recorded as such ... or not"), उसके "बहाव क्षेत्र" ("flow area") को उस क्षेत्र के रूप में परिभाषित करता है जिससे होकर उसकी संभरक धाराएँ बहती हैं, और झील विकास प्राधिकरण को संरक्षित क्षेत्र या बहाव क्षेत्र में अवरोध हटाने की शक्ति देता है (धारा 2 और 6, विधेयक के पाठ के अनुसार), यद्यपि कोई झील सीमा या संरक्षित क्षेत्र अधिसूचित नहीं मिला; किसी नगरपालिका के भीतर सार्वजनिक तालाब, और उनसे लगी ऐसी भूमि जो निजी संपत्ति नहीं है, उसमें न्यासी के रूप में निहित होते हैं (नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68); तालाबों और नदियों के तल में खातेदारी (khatedari) अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 16), और उच्च न्यायालय ने "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर" ("Johar, Nala, Tank, River, Pond") के जलग्रहण क्षेत्रों में आवंटनों पर रोक लगाई है (2012) और ठहराया है कि गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि अपना वह स्वरूप बनाए रखती है (*Ramji Lal Saini*, 2026)। फिर भी हानियाँ स्पष्ट दिखती हैं: उच्चतम न्यायालय ने रामगढ़ बाँध की, जो कभी जयपुर की जलापूर्ति का स्रोत था, स्थिति उसके 769.20 km² के जलग्रहण क्षेत्र पर वर्षों के आदेशों के बाद भी "अब भी पूरी तरह सूखी" ("still bone dry") पाई (2017); उदयपुर में फतह सागर के मुख्य बाँध पर फ्रीबोर्ड लगभग 0.75 m आँका गया है, और रेत की बोरियों से पानी डिजाइन के पूर्ण जल स्तर से ऊपर रोका गया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); और आना सागर अधिकरण के आदेशों के बाद भी आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचना की प्रतीक्षा में है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। केवलादेव (1981), सांभर (1990) और खीचन और मेनार (2025) रामसर स्थल हैं, और जनवरी 2026 तक आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत 75 आर्द्रभूमियाँ अधिसूचित होने की खबर थी (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। किसी भी नगर निगम के भीतर के तालाबों (talab) की कोई सूची, और उनमें से किसी के भंडारण का कोई सर्वेक्षण, नहीं मिला।

11.7 मॉडलिंग और परिदृश्य

11.7.1 **मॉडल.** प्रत्येक BSMP निम्नलिखित के युग्मित 1D–2D हाइड्रोलिक मॉडल का उपयोग करेगा:

- लघु प्रणाली;
- प्रमुख (सतही) प्रणाली;

- नदियाँ, नहरें और तालाब; और
- आउटफॉल।

विधियाँ अध्याय 3 के अनुसार होंगी। ज्वारीय और नदी सीमा-स्थितियाँ अध्याय 5 के अनुसार होंगी।

11.7.2 **डिजाइन वर्षा घटनाएँ.** मॉडल अध्याय 2 की डिजाइन वर्षा घटनाओं के लिए, जिनमें 24, 48 और 72 घंटे की वर्षा घटनाएँ सम्मिलित हैं, कम से कम 50%, 10%, 1% और 0.2% AEP के लिए चलाया जाएगा। क्षेत्रीय न्यूनीकरण खंड 2.7.3 के अंतर्गत लागू किया जाएगा।

11.7.3 **सतत सिमुलेशन.** तालाब श्रृंखलाओं वाले बेसिनों को सतत सिमुलेशन (खंड 3.13) द्वारा भी चलाया जाएगा, जहाँ उपलब्ध हो वहाँ IMD के संपूर्ण ग्रिड दैनिक अभिलेख का, और कम से कम 30 वर्ष का, उपयोग करते हुए, जिसे परिशिष्ट 2D के कालिक वितरणों द्वारा विभाजित किया गया हो। इससे पता चलता है कि डिजाइन वर्षा घटनाओं के आने पर तालाब कितने भरे हैं, और भारी वर्षा कितनी बार बंद आउटफॉल के साथ घटित होती है। खंड 3.13.5 की दो-पदीय पद्धति का उपयोग किया जा सकता है: एक सरलीकृत भंडारण मॉडल पूरे अभिलेख के लिए चलाया जाता है, और खंड 11.7.1 का युग्मित 1D–2D मॉडल केवल डिजाइन वर्षा घटनाओं के लिए, सतत रन से प्राप्त तालाब स्तरों से आरंभ करके, चलाया जाता है। पूर्ण 1D–2D मॉडल का सतत रन आवश्यक नहीं है।

11.7.4 **परिदृश्य.** प्रत्येक BSMP कम से कम निम्नलिखित का मॉडल बनाएगा:

- (a) **विद्यमान:** विद्यमान भूमि उपयोग, नेटवर्क, तालाब और आउटफॉल;
- (b) **भविष्य, अनियंत्रित:** सांविधिक मास्टर प्लान के अंतर्गत भविष्य का भूमि उपयोग, बिना किसी साइट नियंत्रण के;
- (c) **भविष्य, नियंत्रित:** अध्याय 4 के साइट नियंत्रणों के साथ भविष्य का भूमि उपयोग;
- (d) **भविष्य, योजना सहित:** परिदृश्य (c) और CIP के कार्य; और
- (e) **जलवायु:** परिदृश्य (a) और (d), खंड 2.8 के जलवायु गुणकों के साथ, जिनका उपयोग बिना परिवर्तन के किया जाता है: राजस्थान के लिए डिजाइन गुणक वाला भारी वर्षा का कोई प्रक्षेपण नहीं मिला, और पश्चिमी राजस्थान पर मानसून और भारी वर्षा में बताई गई वृद्धि (Mehta and Yadav 2022; IMD का एक विश्लेषण, प्रकाशित खबरों के अनुसार) उन्हें बनाए रखने का कारण है, घटाने का नहीं, यद्यपि जयपुर स्टेशन के चरम मान 1970–2013 में कोई उल्लेखनीय प्रवृत्ति नहीं दिखाते (Ghate and Timbadiya 2022)।

11.7.5 **अंशांकन.** मॉडल का अंशांकन और वैधीकरण खंड 3.15 के अंतर्गत किया जाएगा, जहाँ आँकड़े उपलब्ध हों वहाँ जुलाई 1981 (जयपुर), अगस्त 2006 (बाड़मेर और उदयपुर), सितंबर 2019 (कोटा और चंबल), जुलाई 2022 (जोधपुर) और जुलाई–अगस्त 2024 (जयपुर) की घटनाओं में से कम से कम दो का उपयोग करते हुए।

BSMP मॉडल: खंड 11.7 द्वारा अपेक्षित तत्व (योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं)

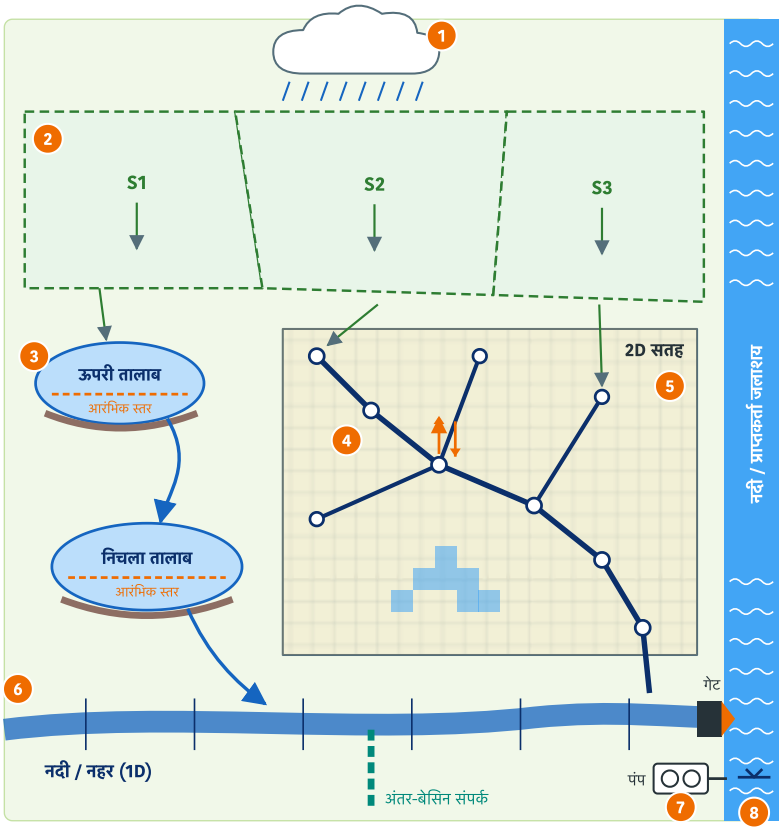

1. **डिजाइन वर्षा** — अध्याय 2 की वर्षा घटनाएँ, 24, 48, 72 h सहित; 50%, 10%, 1%, 0.2% AEP; क्षेत्रीय न्यूनीकरण (खंड 2.7.3, 11.7.2)
2. **उप-जलग्रहण क्षेत्र** — अध्याय 3 की विधियों से अपवाह; खंड 11.7.4 के हर परिदृश्य (a)–(e) के लिए भूमि उपयोग
3. **तालाब और पोखर** — सर्वेक्षित FTL, MWL, जल स्तर–भंडारण, स्लूइस, सरप्लस वियर (खंड 11.5.1); आरंभिक स्तर सतत रन से (खंड 3.13.5, 11.7.3)
4. **1D ड्रेन नेटवर्क** — लघु प्रणाली: सर्वेक्षित इनवर्ट और गाद सहित ड्रेनें, पाइप और पुलियाँ (खंड 11.5.1)
5. **2D सतह** — DEM पर प्रमुख (सतही) प्रणाली, 0.15 m RMSE या बेहतर; इनलेट और मैनहोल पर 1D के साथ आदान-प्रदान
6. **नदियाँ और नहरें (1D)** — अधिकतम 200 m के अंतर पर और हर संरचना पर अनुप्रस्थ काट; बेसिनों के बीच के डायवर्जन मानचित्रित (खंड 11.3.2)
7. **आउटफॉल** — स्लूइस, फ्लैप गेट और पंप; अध्याय 5 की संयोगी और आउटफॉल-बंद स्थितियाँ
8. **अनुप्रवाह सीमा** — नदी (CWC या WRD गेज) या झील का जल स्तर (MWL या FTL + सरचार्ज), अध्याय 5 के अनुसार

जहाँ आँकड़े उपलब्ध हों, कम से कम दो बड़ी पिछली बाढ़ घटनाओं से अंशांकन और वैधीकरण करें (खंड 11.7.5)।

चित्र 11.2 — खंड 11.7 द्वारा अपेक्षित BSMP मॉडल के तत्व: उप-जलग्रहण क्षेत्र, 1D ड्रेन और चैनल नेटवर्क, 2D सतह, सतत सिमुलेशन से प्राप्त आरंभिक स्तरों वाले तालाब (tank) और तालाब (talab), और आउटफॉल पर ज्वारीय या नदी सीमा-स्थिति (योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, युग्मित 1D–2D शहरी बाढ़ मॉडलिंग की सामान्य पद्धति पर आधारित।

> **भाष्य.** परिदृश्य (b) की परिदृश्य (c) से तुलना दर्शाती है कि साइट नियम अपने आप क्या प्राप्त करते हैं। परिदृश्य (d) दर्शाता है कि सार्वजनिक कार्य क्या जोड़ते हैं। यह तुलना बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों को अधिसूचित करने (खंड 4.5.4) और अधिक कठोर बेसिन निकास दर निर्धारित करने (खंड 11.8.3) का साक्ष्य-आधार भी है।

11.8 विकल्प, आउटपुट और पूंजीगत सुधार कार्यक्रम

11.8.1 **विकल्पों का पदानुक्रम.** विकल्पों पर निम्नलिखित क्रम में विचार किया जाएगा, जो खंड 1.2 के पदानुक्रम का बेसिन-स्तरीय रूप है:

1. **भंडारण का संरक्षण और पुनर्स्थापन:** तालाब (talab), तालाब (tank), दलदल और डूब क्षेत्र, जिसमें मूल तल तक गाद निकालना और अतिक्रमित क्षेत्र को वापस प्राप्त करना सम्मिलित है (अध्याय 7);
2. **क्षेत्रीय प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण**, मॉडलिंग द्वारा ऐसे स्थानों पर जहाँ निकास मुख्य धारा के चरम के साथ न मिले (खंड 4.13);
3. ड्रेन, नहरों और पुलियों का **वहन** उन्नयन;
4. **आउटफॉल कार्य:** नदियों और झीलों में गिरने वाले आउटफॉलों पर स्लूइस और फ्लैप गेट, जहाँ कोई आउटफॉल बंद हो सकता है वहाँ पंपिंग स्टेशन और उनके पीछे का भंडारण, शहरी झीलों के एस्केप चैनल और गेट, ड्रेन की वर्षा जल क्षमता को बनाए रखने वाली अवरोधन संरचनाएँ (interception structures), बिना आउटफॉल वाले जलग्रहण क्षेत्रों के अंत में भंडारण और अंत:स्यंदन बेसिन, और प्राप्तकर्ता

स्तर निर्धारित करने वाले झील, डैम और बैराज के गेटों के प्रचालन नियम, जिन पर WRD या अभिरक्षक के साथ सहमति हो;

5. जहाँ कार्य सेवा स्तर तक नहीं पहुँच सकते, वहाँ **संपत्ति-स्तरीय सुरक्षा**; और
6. **गैर-संरचनात्मक उपाय:** बाढ़ चेतावनी (उदाहरण के लिए मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर द्वारा जारी IMD की जिला वर्षा चेतावनियाँ, चंबल, बनास और अन्य नदियों पर CWC के स्थलों पर उनके चेतावनी और खतरे के स्तरों के सापेक्ष CWC के बाढ़ पूर्वानुमान और नदी के जल स्तर, कोटा बैराज और अन्य डैमों के गेट, आना सागर के एस्केप चैनल के गेट या उदयपुर की झीलों के गेट खोले जाने से पहले अनुप्रवाह की बस्तियों को दी जाने वाली चेतावनियाँ, और 15 जून से चौबीसों घंटे चलने वाले राज्य और जिला नियंत्रण कक्ष), बाढ़ जोखिम जोनिंग, आपातकालीन योजना और जन सूचना।

11.8.2 **विकल्पों का आकलन.** प्रत्येक विकल्प का आकलन निम्नलिखित के लिए किया जाएगा:

- बाढ़ जोखिम में कमी (बाढ़ से प्रभावित भवन और लोग; अपेक्षित वार्षिक क्षति);
- पूंजीगत लागत और 30 वर्ष की रखरखाव लागत;
- आवश्यक भूमि;
- राज्य के अधिकांश भाग के नीचे स्थित अति-दोहित जलभृतों में भूजल पुनर्भरण पर, जोधपुर के पुराने शहर और गंगानगर–हनुमानगढ़ की नहर पट्टी में ऊपर उठते भूजल स्तर और जलभराव पर, और भूजल की, जिसमें फ्लोराइड, नाइट्रेट और लवणता आम हैं, और ड्रेनें जिन झीलों तक पहुँचती हैं उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव (अध्याय 8);
- अनुप्रवाह बेसिनों और प्राप्तकर्ता नदी या झील पर प्रभाव; और
- लाभ किसे होता है।

11.8.3 **बेसिन निकास दरें.** जहाँ परिदृश्य (c) सेवा स्तर को पूरा नहीं करता, वहाँ BSMP AEP और उप-जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार, अध्याय 4 से अधिक कठोर, बेसिन-विशिष्ट **साइट की अनुमेय प्रवाह दर** ($m^3/s/ha$) निर्धारित कर सकता है। यह दर खंड 4.5.4 की अधिसूचना प्रक्रिया के अंतर्गत प्रभावी होती है।

11.8.4 **आउटपुट.** प्रत्येक BSMP निम्नलिखित तैयार करेगा:

- (a) 10%, 1% और 0.2% AEP के लिए, विद्यमान और भविष्य-योजना-सहित, बाढ़ जोखिम मानचित्र (विस्तार, गहराई, वेग, जोखिम वर्ग)। **1% AEP भविष्य-योजना-सहित मानचित्र** फर्श स्तरों (अध्याय 6) और सेटबैक (अध्याय 7) के लिए संदर्भ मानचित्र बन जाता है;
- (b) अनुशंसित बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र और कोई बेसिन निकास दरें (खंड 4.5.4 और 11.8.3);
- (c) क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थल, भंडारण आयतनों, भूमि की आवश्यकताओं और उनके द्वारा सेवित साइटों के साथ;
- (d) बेसिन के लिए एवज शुल्क की इकाई दर (खंड 4.13.3);
- (e) **पूंजीगत सुधार कार्यक्रम**: प्रति रुपया जोखिम में कमी के अनुसार प्राथमिकता-क्रमित कार्य, लागत, चरणबद्धता और एजेंसी के साथ;
- (f) मानसून-पूर्व **रखरखाव कार्यक्रम**: गाद निकालना, गेट और पंप का परीक्षण, और तालाबों के प्रचालन नियम (अध्याय 10); और
- (g) निगरानी की आवश्यकताएँ: नए वर्षामापी, स्तर संवेदक और बाढ़ चिह्न सर्वेक्षण बिंदु।

> **भाष्य.** भंडारण का पुनर्स्थापन पहले आता है क्योंकि राजस्थान के शहरों के अनेक आउटफॉल ऐसी झीलें हैं जो सबसे अधिक वर्षा वाले सप्ताहों में प्रायः भरी रहती हैं, और अनेक जलग्रहण क्षेत्रों का कोई आउटफॉल ही नहीं है। अजमेर के आना सागर को उसके एस्केप चैनल के गेट खोलकर पूर्ण गेज स्तर पर रखा जाता है, इसलिए झील में तेज वहन केवल चैनल के किनारे की कॉलोनियों में जल्दी बाढ़ लाता है; उदयपुर की झीलें पिछोला और फतह सागर से आयड़ और उदय सागर में छलकती हैं; और कोटा में चंबल का उच्चतम बाढ़ स्तर उसके खतरे के स्तर से लगभग 6.7 m ऊपर है (CWC), और बैराज से छोड़ा गया पानी उसे कई दिनों तक ऊँचा रखता है। राज्य के लगभग 60% भाग का पानी भीतर की ओर बहता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार), जहाँ निकाले गए पानी के लिए भंडारण, भूमि और वायु के अतिरिक्त कोई स्थान नहीं है। राज्य के तालाब पुराने और सार्वजनिक हैं: तालाबों के तल में खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते (राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, धारा 16), और किसी नगरपालिका के भीतर सार्वजनिक तालाब उसमें न्यासी के रूप में निहित होते हैं (नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68)। बिना किसी बताए गए डिजाइन आधार वाली ड्रेनों के लिए वर्षा घटनाएँ बड़ी हैं: IMD ने जयपुर में एक दिन में 326.0 mm (19 जुलाई 1981), अजमेर में 412.3 mm (10 जून 2002) और माउंट आबू में 653.0 mm (8 सितंबर 1992) अभिलिखित की है, जो वहाँ

CWC के प्लेटों की 50-वर्ष की 24-घंटे की गहराइयों से बहुत अधिक है (IMD; इस मैनुअल का पठन), और अगस्त 2006 में बाड़मेर जिले में कवास के आसपास तीन दिनों में लगभग 577 mm वर्षा बताई गई, जो जिले के वार्षिक सामान्य मान के दोगुने से अधिक है (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। अकेले वहन उन्नयन पानी को तेजी से ऐसे आउटफॉल तक ले जाते हैं जिसे बाढ़ में चढ़ी चंबल या अपने गेटों द्वारा पूर्ण स्तर पर रोकी गई झील बंद कर सकती है, या जो अपने स्लूइस, एस्केप चैनल, अवरोधन संरचना या पंपिंग स्टेशन की क्षमता से सीमित है, और, जहाँ किसी जलग्रहण क्षेत्र का कोई आउटफॉल नहीं है, अंतिम गर्त की सबसे निचली भूमि तक। राजस्थान में भूजल लगभग हर जगह पुनर्भरण की माँग करता है और कुछ स्थानों पर उसका निषेध करता है। 2024 में राज्य का दोहन का चरण (stage of extraction) 149.86% था, और 302 आकलन इकाइयों में से 214 अति-दोहित (over-exploited) और 27 गंभीर (critical) थीं (CGWB), इसलिए पुनर्भरण सामान्य विकल्प है। किंतु जोधपुर के पुराने शहर के नीचे भूजल स्तर 1997 में नहर का पानी आने के बाद से ऊपर उठा है, कुछ स्थानों पर सतह से लगभग 1–1.5 m के भीतर तक, और बेसमेंटों से प्रतिदिन पानी पंप किया जाता है (प्रकाशित खबरों के अनुसार; NIH, 2025), और गंगानगर–हनुमानगढ़ के नहरी मैदानों में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ भूजल सतह से 2 m के भीतर है (CGWB); वहाँ पुनर्भरण जलभराव को बढ़ाता है। गुणवत्ता भी पुनर्भरण को सीमित करती है: 2024 में CGWB के नमूनों में से 43.2% में फ्लोराइड 1.5 mg/L से, 49.5% में नाइट्रेट 45 mg/L से और 48.6% में विद्युत चालकता 3,000 µS/cm से अधिक थी। विधि इन दोनों में से किसी का ध्यान रखे बिना पुनर्भरण माँगती है: भवन विनियम, 2025 225 m^2 या उससे बड़े भूखंडों पर वर्षा जल संचयन संरचना या छत पर भंडारण टैंक की अपेक्षा करते हैं (विनियम 8.3), आकार-निर्धारण या पूर्व-उपचार के किसी नियम के बिना, और केवल उन्हीं जलभराव वाले क्षेत्रों को छूट देते हैं जिन्हें स्थानीय निकाय चिह्नित कर दे। इसीलिए पुनर्भरण, जलभराव और भूजल की गुणवत्ता, तीनों आकलन के मानदंड हैं। यह मैनुअल परियोजनाओं को प्रति रुपया जोखिम में कमी के अनुसार क्रमित करता है, ताकि सीमित बजट पहले वहाँ लगे जहाँ सबसे अधिक लोग सुरक्षित होते हैं।

11.9 भूमि उपयोग योजना के साथ एकीकरण

11.9.1 अनुमोदित BSMP को सांविधिक भूमि उपयोग योजना में समाविष्ट किया जाएगा: विकास प्राधिकरणों के अपने अधिनियमों (JDA 1982, JoDA 2009, AjDA 2013, KDA 2023, UDA 2023 और बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2025) के अंतर्गत बनाई गई मास्टर विकास योजनाएँ और जोनल विकास योजनाएँ (zonal development plans), जिनमें जयपुर क्षेत्र की मास्टर विकास योजना सम्मिलित है, राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 के अंतर्गत UDH और नगर सुधार न्यासों के माध्यम से तैयार किए गए अन्य नगरों के मास्टर प्लान, और उनके अंतर्गत अनुमोदित लेआउट और योजनाएँ; और, किसी झील को समाविष्ट करने वाली योजना के लिए, झील विकास प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के साथ (झील अधिनियम, 2015, धारा 5)। विशेष रूप से:

- (a) क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थल, पुनर्स्थापित तालाब बाढ़ भंडारण, और प्रमुख प्रवाह मार्ग प्लान में **आरक्षित** किए जाएँगे;
- (b) 1% AEP जोखिम मानचित्र दर्शाया जाएगा, और उस पर अध्याय 7 के सेटबैक लागू किए जाएँगे;
- (c) 1% AEP घटना में जोखिम वर्ग H5–H6 की भूमि को नए आवासीय विकास के लिए जोन नहीं किया जाएगा; और
- (d) किसी बेसिन के भीतर लेआउटों के खुले स्थान, जहाँ संभव हो, इस प्रकार स्थित होने चाहिए कि वे BSMP में दर्शाए गए प्रमुख प्रवाह मार्गों या क्षेत्रीय भंडारण का भाग बनें।

11.9.2 जहाँ किसी BSMP के अनुमोदन से पहले कोई भूमि उपयोग योजना संशोधित की जाती है, वहाँ योजना प्राधिकरण सर्वोत्तम उपलब्ध बाढ़ मानचित्रण का उपयोग करेगा और BSMP को लंबित के रूप में अभिलिखित करेगा।

भाष्य. राजस्थान अपनी जल रेखाएँ नियम से नहीं, न्यायालय के आदेश से खींचता है। भवन विनियम, 2025 किसी नाले, नदी या झील से कोई सेटबैक निर्धारित नहीं करते, और केवल बड़ी परियोजनाओं के प्राकृतिक जल निकासी इनलेट और आउटलेट बनाए रखते हैं। रेखाएँ न्यायालयों से आती हैं: उच्चतम न्यायालय ने राज्य की प्रत्येक नदी प्रणाली के लिए उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और पारिस्थितिक बफर का निर्देश दिया है, और तब तक चिह्नित नदी गलियारों में कोई नई अनुमति नहीं दी जानी है (7 अगस्त 2026), और जोजरी पर नदी के किनारे से 100 m के भीतर निर्माण पर और बाढ़ रेखा या प्रवाह मार्ग से 500 m के भीतर खतरनाक उद्योग पर रोक लगाई है (24 अगस्त 2026, प्रकाशित खबरों के अनुसार); उच्च न्यायालय ने ठहराया है कि मास्टर प्लान नदियों, झीलों, नालों या उनके जलग्रहण क्षेत्रों को बाधित

नहीं कर सकते (*Gulab Kothari*, 2017) और कि गैर मुमकिन नाला (gair mumkin nala) के रूप में दर्ज भूमि को न मोड़ा जा सकता है और न उस पर निर्माण किया जा सकता है (*Ramji Lal Saini*, 2026), और आर्द्रभूमियों और उनके जलग्रहण क्षेत्रों में (2026) और फतह सागर के जलग्रहण क्षेत्र में (नवंबर 2025, प्रकाशित खबरों के अनुसार) निर्माण पर रोक लगाई है; और उदयपुर की झीलों के लिए 1997 की एक अधिसूचना के अंतर्गत निर्माण-निषिद्ध जोन है, और उदय सागर के उच्चतम बाढ़ स्तर से 200 m के भीतर की एक परियोजना को शून्य ठहराया गया (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। झील अधिनियम, 2015 अधिसूचना द्वारा प्रत्येक झील के चारों ओर एक संरक्षित क्षेत्र का उपबंध करता है, किंतु कोई भी अधिसूचित नहीं मिला। अधिसूचित आर्द्रभूमियों के लिए औसत उच्च बाढ़ स्तर से 50 m की रेखा है (आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017)। राज्य का कोई डूब क्षेत्र जोनिंग कानून या आदेश नहीं मिला। ये नदी, झील और जलाशय रेखाएँ हैं, जल निकासी-बाढ़ रेखाएँ नहीं; अध्याय 7 के हाइड्रोलिक कॉरिडोर और सेटबैक जोन इस मैनुअल का प्रस्ताव हैं, और जहाँ कोई न्यायालय रेखा बाध्यकारी हो और अधिक चौड़ी हो, वहाँ वही लागू होती है। BSMP भूमि उपयोग योजनाओं को वह 1% AEP जल निकासी-बाढ़ मानचित्र, और अध्याय 7 की बफर चौड़ाइयाँ, देता है जिनकी उन्हें आवश्यकता है। खुले स्थान की भूमि को भंडारण या प्रवाह मार्ग के रूप में उपयोग करने का कोई प्रत्यक्ष पूर्व-उदाहरण नहीं है; यह मैनुअल इसे इसलिए अपनाता है कि भवन विनियम, 2025 पहले से 750 m^2 से बड़े गैर-वाणिज्यिक भूखंडों पर 10–20% हरित क्षेत्र की अपेक्षा करते हैं, जिसका कम से कम आधा भाग प्राकृतिक भूमि पर हो जिसके नीचे कोई स्लैब न हो (विनियम 8.1), और 5,000–20,000 m^2 निर्मित क्षेत्र की परियोजनाओं के लिए अपेक्षा करते हैं कि प्राकृतिक जल निकासी के इनलेट और आउटलेट बिंदु यथावत् रखे जाएँ और खुले स्थान का कम से कम 20% बिना पक्का छोड़ा जाए (विनियमों की अनुसूची की पर्यावरणीय शर्तें, जैसा JDA के 2020 के भवन विनियमों के अनुलग्नक 4 में है), किंतु अस्थायी भंडारण या पारगम्य क्षेत्र का कोई नियम निर्धारित नहीं करते; किसी लेआउट के खुले स्थान में रखा गया भंडारण इन्हीं दायित्वों पर आधारित है, और चूँकि वह भूमि अब भी खुले स्थान के रूप में काम करती है, इसलिए भंडारण को खुले स्थान के रूप में उपयोग योग्य बना रहना होगा। इसे प्रवाह मार्ग पर रखने में विकासकर्ता का कोई अतिरिक्त खर्च नहीं होता और बेसिन को वह भंडारण मिल जाता है जिसे अन्यथा उसे खरीदना पड़ता।

11.10 परामर्श और प्रकाशन

11.10.1 BSMP का प्रारूप कम से कम **60 दिन** के लिए जन सुझावों हेतु प्रकाशित किया जाएगा, प्रत्येक प्रभावित स्थानीय निकाय में सार्वजनिक बैठकों के साथ।

11.10.2 अनुमोदन के बाद, निम्नलिखित को मुक्त आँकड़ों (open data) के रूप में प्रकाशित किया जाएगा:

- मॉडल फाइलें;
- बाढ़ जोखिम मानचित्र;
- खंड 11.5.1 के आँकड़े, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों के विवरण को छोड़कर; और
- CIP।

इन्हें एक सार्वजनिक मानचित्र दर्शक (map viewer) पर भी दर्शाया जाएगा।

भाष्य. मानचित्रों का प्रकाशन खरीदारों, ऋणदाताओं, बीमाकर्ताओं और निवासियों को निर्माण या खरीद से पहले बाढ़ जोखिम देखने देता है। मॉडल का प्रकाशन डिजाइनकर्ताओं को प्राधिकारी वाली ही सीमा-स्थितियों का उपयोग करने देता है, ताकि साइट डिजाइन और बेसिन प्लान सुसंगत रहें। यह अध्याय 10 की प्रकाशन पद्धति से मेल खाता है।

11.11 अनुमोदन, समीक्षा और रिपोर्टिंग

11.11.1 **अनुमोदन.** BSMP का अनुमोदन, मॉडल और जन सुझावों की समीक्षा के बाद, राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति (अध्याय 1) द्वारा किया जाएगा।

11.11.2 **समीक्षा.** प्रत्येक BSMP की समीक्षा की जाएगी:

- प्रत्येक **10 वर्ष** में;
- बेसिन में 1% AEP डिजाइन गहराई से अधिक की किसी घटना के **2 वर्ष** के भीतर (खंड 2.14); और
- जब सांविधिक भूमि उपयोग योजना संशोधित की जाए।

11.11.3 **वार्षिक रिपोर्ट.** अग्रणी प्राधिकारी प्रत्येक दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले (15 जून तक) वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट प्रकाशित करेगा। रिपोर्ट में निम्नलिखित दर्शाए जाएँगे:

- CIP की प्रगति;
- एवज शुल्क की खाता-बही (खंड 4.13.4);
- पूरा किया गया रखरखाव; और
- सेवा स्तरों की तुलना में कोई बाढ़।

11.12 अंतरिम व्यवस्थाएँ

11.12.1 जब तक किसी बेसिन के लिए BSMP का अनुमोदन नहीं हो जाता, तब तक:

- (a) अध्याय 4 से 8 के सभी साइट मानदंड पूर्ण रूप से लागू होते हैं;
- (b) खंड 4.13 के अंतर्गत क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण और एवज शुल्क उपलब्ध नहीं हैं, सिवाय खंड 4.5.6.3 के अंतर्गत शुल्क रखने के;
- (c) फर्श स्तर और सेटबैक सर्वोत्तम उपलब्ध मानचित्रण का, और जहाँ कोई मानचित्रण नहीं है वहाँ अध्याय 6 और 7 की विधियों का, उपयोग करते हैं; और
- (d) सार्वजनिक ड्रेन परियोजनाओं में बेसिन-स्तरीय जाँच सम्मिलित की जाएगी कि उनका आउटफॉल और अनुप्रवाह भाग (reaches) अध्याय 5 की टेलवाटर स्थितियों में डिजाइन प्रवाह ले सकते हैं।

संदर्भ (अध्याय)

- Asian Development Bank (2023). *India: Rajasthan Secondary Towns Development Sector Project, Additional Financing. Jodhpur Storm Water Drainage: Resettlement Plan* (February 2023; prepared by RUDSICO-EAP). https://www.adb.org/sites/default/files/project-documents/42267/42267-034-rp-en_1.pdf
- Central Ground Water Board. *Dynamic Ground Water Resources of India, 2024*: Rajasthan (stage of extraction, categories and quality). https://cgwb.gov.in/cgwbpnm/public/uploads/documents/17422956315926010 65file.pdf
- Central Ground Water Board. *Ground Water Year Book 2020-21, Rajasthan* (depth to water and quality; Wayback copy). https://www.cgwb.gov.in/old_website/Regions/WR/Reports/GW%20Year%20Book%202020-21-Rajasthan.pdf
- Defra (2010). *Surface Water Management Plan Technical Guidance*. Department for Environment, Food and Rural Affairs, London.
- Mile High Flood District (Denver). Master planning programme और Urban Storm Drainage Criteria Manual।
- Mid-America Regional Council (2025). APWA Stormwater Standards Supplement; KC Metro APWA Section 5600, Version 2025.01.
- Department of Irrigation and Drainage Malaysia (2012). *Urban Stormwater Management Manual for Malaysia (MSMA)*, 2nd ed.
- Jaipur Development Authority (n.d.; Phase II application of 2017). Environmental Impact Assessment and Environmental Management Plan, Dravyavati River Rejuvenation Project, Chapter 2 (length, phases, nalas, 100-year design flood, treatment capacity and cost). https://environmentclearance.nic.in/writereaddata/FormB/EC/FORM_1/170520176S4VOAIDChapter-2.pdf
- Tata Projects (2020). Presentation to the NGT Monitoring Committee on the Dravyavati River Rejuvenation Project, 30 January 2020 (47.5 km; contract value ₹1,676 crore with ten years of O&M). https://cpcb.nic.in/NGTMC/T_2_d.pdf
- Government of Rajasthan, RUIDP (2008). Circular No. 8: general guidelines for drainage sector works under RUSDIP, 4 March 2008 (Wayback copy of 18 January 2026). https://lsg.urban.rajasthan.gov.in/content/dam/raj/udh/organizations/ruidp/Downloads/Circular%20No.%208%20(Drainage%20sector%20guidelines)_4.03.2008.pdf
- Government of Rajasthan, Urban Development and Housing Department (2025). *Model Rajasthan Building Regulations, 2025*, with UDH order No. P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025 of 12 May 2025 (Hindi; regs 8.1 and 8.3; third-party copy). https://frontdesk.co.in/wp-content/uploads/2025/05/Order-Modal-Building-Bye-Laws-2025.pdf
- Rajasthan Municipalities Act 2009 (Act 18 of 2009), sections 45, 68 and 200 (third-party copy derived from India Code). https://lawgist.in/states/rajasthan/rajasthan-municipalities-act-2009
- Rajasthan Lakes (Protection and Development) Authority Bill 2015 (Bill No. 11 of 2015), authorised English translation, sections 2, 4, 5 and 6 (the enacted Act, No. 5 of 2015, not read). https://www.ielrc.org/Content/e1501.pdf
- Rajasthan Tenancy Act 1955, section 16, as quoted in *National Institute of Medical Science University v. State of Rajasthan*, Supreme Court of India, judgment of 9 November 2017 (also the Ramgarh catchment cases). https://hcraj.nic.in/sci/2012/1-38041-2012_2017-11-09.pdf

- Rajasthan High Court (Jaipur). *Ramji Lal Saini v. State of Rajasthan*, D.B. C.W.P. (PIL) 6614/2021, order of 7 May 2026 (quoting *Abdul Rahman*, 2004, the suo motu order of 29 May 2012 and *Gulab Kothari*, 2017). https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/05/22/ramji-lal-675710.pdf
- Rajasthan High Court (Jodhpur). Suo motu, *In re: Protection, Conservation and Notification of Wetlands in the State of Rajasthan*, order of 1 June 2026. https://www.livelaw.in/pdf_upload/2026/06/05/suot-motu-wetlands-uploaded-678250.pdf
- Supreme Court of India. *In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan*, Suo Motu W.P. (C) 8 of 2025: judgment of 21 November 2025 (2025 INSC 1341), https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_3_50_66079_Judgement_21-Nov-2025.pdf ; order of 7 August 2026 (2026 INSC 812), https://api.sci.gov.in/supremecourt/2025/53967/53967_2025_2_58_72891_Judgement_07-Aug-2026.pdf
- Ministry of Environment, Forest and Climate Change (2017). Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, rule 4(2)(vi).
- National Institute of Hydrology, North Western Regional Centre (2025). *Assessment of the Water Level Rise Crisis in Jodhpur City*, final report, December 2023 – March 2025 (Kailana and Takhat Sagar levels; city drainage to the Jojari). https://nihroorkee.gov.in/studies_2014-2025/135-Assessment%20of%20water%20level%20rise%20crises%20in%20Jodhpur_S.%20Nema.pdf
- India Meteorological Department. *Extremes of Temperature and Rainfall for Indian Stations (up to 2012)* (Rajasthan stations). https://imdpune.gov.in/library/public/EXTREMES%20OF%20TEMPERATURE%20and%20RAINFALL%20upto%202012.pdf
- Ghate, A.S. and Timbadiya, P.V. (2022). Effect of discretisation on extreme rainfall analysis: a study of Jaipur city in India. *MAUSAM* 73(2), 341–354. https://mausamjournal.imd.gov.in/index.php/MAUSAM/article/view/3570
- Mehta, D. and Yadav, S.M. (2022). *International Journal of Hydrology Science and Technology* (Inderscience, article 120639; Mann-Kendall trends in precipitation over Rajasthan, 1871–2016; abstract only; title and pages to be confirmed).
- Down To Earth (27 July 2022). Change in rainfall patterns is behind regular floods in Rajasthan (IMD analysis of 1989–2018 as reported; secondary source). https://www.downtoearth.org.in/news/climate-change/change-in-rainfall-patterns-is-behind-regular-floods-in-rajasthan-83980
- India Water Portal (2010). Storage above design full tank level: Pichola, Swaroop Sagar and Fatah Sagar lakes, Udaipur (G.P. Soni; secondary source). https://www.indiawaterportal.org/climate-change/disasters/storage-above-design-full-tank-level-pichola-swaroop-saagar-and-fatah-saagar-lakes-udaipur
- Jaipurstuff, ThePrint, The Week, SANDRP and Udaipur Times (2023–2026). Reports of JDA's drainage upgrade with an integrated storm water model (2025), the Ana Sagar orders and demolitions, the Udaipur lake orders, the merger of the twin corporations and the wetlands notified in the State (secondary sources; addresses not retained).

परिशिष्ट और प्रपत्र

परिशिष्ट / प्रपत्र	विषय-वस्तु
11A	BSMP की संदर्भ-शर्तों का टेम्पलेट
11B	टियर A निकायों के लिए बेसिनों की सूचियाँ और सीमाएँ
11C	राजस्थान के भवन प्रकारों के लिए गहराई–क्षति वक्र
11D	BSMP आँकड़ों और मॉडल के प्रकाशन का मानक
प्रपत्र 11-1	वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट

अध्याय 1 के परिशिष्ट

नीति, प्रयोज्यता और अंगीकरण

ये परिशिष्ट अध्याय 1 के लिए हैं। इनमें वे सूचियाँ और मानचित्र हैं जो परिभाषित करते हैं कि मैनुअल कहाँ लागू होता है, नीति अनुपूरक का और उन विधिक लिखतों का आदर्श पाठ है जिनके माध्यम से मैनुअल को प्रभाव दिया जा सकेगा, और वे दो प्रपत्र हैं जिन्हें आवेदक अध्याय 1 के अंतर्गत दाखिल करता है। यह मैनुअल एक प्रारूप है; यह किसी सरकार या एजेंसी द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है: आदर्श विधिक पाठ सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु प्रस्तुत है और प्रवृत्त नहीं है, और प्रपत्र प्रारूप प्रपत्र हैं। "तैयार किया जाना है" के रूप में चिह्नित परिशिष्ट बताता है कि उसे किन आँकड़ों की आवश्यकता है और उसके प्रकाशित होने तक किस नियम का उपयोग किया जाए (खंड 1.11.5)।

परिशिष्ट 1A — टियर A प्राधिकारियों की सूची, नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों की सीमाओं सहित

अध्याय 1 के खंड 1.6.1 से 1.6.5 के लिए।

1A.1 खंड 1.6.1 प्राधिकारी के वर्ग के आधार पर टियर A को परिभाषित करता है। तालिका 1A.1 वर्गों को, और खंड में नामित प्राधिकारियों को, उसी रूप में प्रस्तुत करती है जैसे अध्याय 1 उन्हें परिभाषित करता है। तालिका 1A.1 में न आने वाला प्रत्येक प्राधिकारी टियर B है (खंड 1.6.2)।

तालिका 1A.1 — खंड 1.6.1 में परिभाषित टियर A प्राधिकारी

मद	टियर A प्राधिकारी	खंड
(a)	जयपुर नगर निगम (JMC), और JDA और JDA के जयपुर क्षेत्र (Jaipur Region) के भीतर प्रत्येक अन्य अनुमोदन प्राधिकारी	1.6.1(a)
(b)	राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 के अंतर्गत गठित प्रत्येक अन्य नगर निगम	1.6.1(b)
(c)	राज्य के किसी अधिनियम द्वारा गठित प्रत्येक अन्य विकास प्राधिकरण (JoDA, AjDA, KDA, UDA और बीकानेर और भरतपुर विकास प्राधिकरण), अपने क्षेत्र के भीतर के प्रत्येक अनुमोदन प्राधिकारी सहित	1.6.1(c)
—	ऐसा टियर B प्राधिकारी जो परिषद संकल्प द्वारा टियर A का विकल्प चुनता है, या जिसे सरकार टियर A के रूप में अधिसूचित करती है	1.6.4

1A.2 टियर चाहे जो हो, बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में डिजाइन-सहायिका मार्ग और खंड 1.7 के विकल्प उपलब्ध नहीं हैं (खंड 1.6.5; परिशिष्ट 1B)।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में राज्य के प्रत्येक नगर निगम और प्रत्येक विकास प्राधिकरण की, और प्रत्येक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र के भीतर के प्रत्येक अनुमोदन प्राधिकारी की नामवार पूरी सूची होगी, वह तिथि जिससे प्रत्येक टियर A है, और उन क्षेत्रों की सीमाएँ मानचित्र और GIS परत के रूप में। इसके लिए विकास प्राधिकरणों के, उनके अधिनियमों के अंतर्गत अधिसूचित, क्षेत्र, और प्रत्येक में भवन नक्शों और लेआउट का अनुमोदन करने वाले निकाय (UDH, JDA और अन्य विकास प्राधिकरण, और नगर सुधार न्यास); 2025 में जयपुर, जोधपुर और कोटा के जुड़वाँ नगर निगमों के फिर से एक किए जाने और 2026 में कुछ नगरपालिकाओं के फिर से ग्राम पंचायत बनाए जाने की खबरों के बाद, नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिका बोर्डों की वर्तमान सूची और सीमाएँ (स्वायत्त शासन विभाग; दोनों में से कोई भी अधिसूचना देखी नहीं गई, और नगर निगमों की संख्या सत्यापित नहीं हुई [TBC]); और 2023–24 में जिलों के पुनर्गठन के बाद की जिला और तहसील सीमाएँ (राजस्व विभाग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग) आवश्यक हैं। इसके प्रकाशित होने तक टियर का निर्णय खंड 1.6.1 के वर्गों के आधार पर किया जाता है और उसे प्रपत्र 1-1 पर दर्ज किया जाता है, और प्राधिकारी आवेदन-पूर्व चरण में उसकी पुष्टि करता है (खंड 1.5.9)।

तालिका 1A.2 — टियर A प्राधिकारियों का रजिस्टर (ढाँचा)

क्र.	प्राधिकारी	वर्ग (नगर निगम / नगर परिषद / नगरपालिका बोर्ड / विकास प्राधिकरण / नगर सुधार न्यास / अन्य)	जिला	आधार (खंड 1.6.1(a), (b), (c) या 1.6.4)	टियर A कब से (तिथि)	अधिसूचना या संकल्प का संदर्भ
1						
2						
3						

1A.3 नगर निगमों और विकास प्राधिकरणों के क्षेत्रों की सीमा का मानचित्र, उसमें दर्शाई गई अधिसूचना की तिथि सहित, मशीन-पठनीय फॉर्मेट में मुक्त आँकड़ों (open data) के रूप में प्रकाशित किया जाएगा (खंड 10.17.4)।

परिशिष्ट 1B — बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के मानचित्र

अध्याय 1 के खंड 1.4, 1.6.5 और 1.10.3(d), तथा अध्याय 4 के खंड 4.5.3 और 4.5.4 के लिए।

1B.1 बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र खंड 4.5.3.2 में सूचीबद्ध हैं। तालिका 1B.1 उस सूची को दोहराती है। इस परिशिष्ट के मानचित्र और परिशिष्ट 4A की सीमाएँ एक ही आँकड़ा-समूह हैं और साथ-साथ जारी किए जाएँगे।

तालिका 1B.1 — खंड 4.5.3.2 में सूचीबद्ध बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र

मद	जलग्रहण क्षेत्र	अध्याय 4 में वर्णित विस्तार
(a)	द्रव्यवती पर जयपुर	द्रव्यवती नदी (पूर्व में अमानीशाह नाला) का और उसमें मिलने वाले नालों का जलग्रहण क्षेत्र, जिनमें नाहरिका (Naharika) और अंबाबाड़ी (Ambabari) नाले, परकोटे (walled city) का गंदा नाला (Ganda nala), जवाहर (Jawahar) नाला और सांगानेर कस्बे के नाले सम्मिलित हैं, नगर की उन निचली कॉलोनियों सहित जिनका पानी उनमें जाता है; JDA ने नदी के लगभग 47.5 km भाग को 100-वर्ष की बाढ़ पार कराने वाले चैनल के रूप में फिर से बनाया (JDA EIA; डिजाइन प्रवाह (design discharge) नहीं मिला [TBC]), और अगस्त 2024 में नगर में पानी से भरे एक बेसमेंट में तीन लोगों की मृत्यु हुई (प्रकाशित खबरों के अनुसार)

मद	जलग्रहण क्षेत्र	अध्याय 4 में वर्णित विस्तार
(b)	जोजरी पर जोधपुर और पुराना शहर	नगर से होकर बहने वाली जोजरी के और उसमें गिरने वाले भैरव (Bhairav) और RTO नालों और अन्य नगर नालों के जलग्रहण क्षेत्र, और पुराना शहर, जहाँ 1997 में नहर का पानी आने के बाद से भूजल स्तर ऊपर उठकर कुछ स्थानों पर जमीन से लगभग 1–1.5 m नीचे तक आ गया है (प्रकाशित खबरों के अनुसार); 18–19 जुलाई 2022 को 30 से अधिक कॉलोनियाँ जलमग्न हुईं (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और उच्चतम न्यायालय के आदेशों (2026) के अंतर्गत जोजरी के कॉरिडोर का सीमांकन किया जा रहा है
(c)	उदयपुर की झील-शृंखला	पिछोला, स्वरूप सागर, फतह सागर, आयड़ (आहड़) और उदय सागर में जाने वाली भूमि, जिसके आउटफॉल झीलों के भरे होने और उनके गेट खुले होने पर अवरुद्ध हो जाते हैं; झीलों के स्तर एक अज्ञात शून्य से ऊपर फुट में अंकित गेजों पर, अर्थात् गेज फुट (gauge feet) में, रखे जाते हैं (पिछोला 11 ft पर पूर्ण, फतह सागर 13 ft पर, उदय सागर 24 ft पर, प्रकाशित खबरों के अनुसार), और मीटर में उनके स्तरों की पुष्टि की जानी है [TBC]
(d)	आना सागर और उसके एस्केप चैनल पर अजमेर	आना सागर का जलग्रहण क्षेत्र और उसके एस्केप चैनल (escape channel) के किनारे की भूमि, जो झील को उसके 13 ft के पूर्ण गेज स्तर पर रखने के लिए एस्केप गेट खोले जाने पर जलमग्न हो जाती है (प्रकाशित खबरों के अनुसार; मीटर में स्तर [TBC]), जैसा 11 सितंबर 2024 और 18–20 जुलाई 2025 को हुआ (प्रकाशित खबरों के अनुसार)
(e)	चंबल पर कोटा	नगर से होकर चंबल में जाने वाली भूमि, जहाँ नदी गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर और कोटा बैराज (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 260.3 m) से छोड़े गए पानी से चढ़ती है; कोटा सिटी (Kota City) पर CWC स्थल का खतरे का स्तर 242 m और उच्चतम बाढ़ स्तर 248.68 m (16 सितंबर 2019) है (CWC)
(f)	लूणी पर बाड़मेर और बालोतरा	बालोतरा नगर और वहाँ लूणी में जाने वाली भूमि, जहाँ उच्चतम बाढ़ स्तर 108.755 m (18 जुलाई 1979) है (CWC की सूची, प्रकाशित खबरों के अनुसार); और बाड़मेर नगर और उसके जिले की निचली भूमि, जैसे कवास (Kawas), जहाँ अगस्त 2006 में तीन दिनों में लगभग 577 mm वर्षा के बाद पानी महीनों तक खड़ा रहा (प्रकाशित खबरों के अनुसार)
(g)	अधिसूचित जलग्रहण क्षेत्र	खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचित कोई भी जलग्रहण क्षेत्र

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में तालिका 1B.1 के प्रत्येक जलग्रहण क्षेत्र का ऐसे पैमाने पर मानचित्र होगा जो यह तय करने के लिए उपयुक्त हो कि कोई भूखंड उसके भीतर है या नहीं, और वही सीमाएँ GIS परत के रूप में। इसके लिए डिजिटल उन्नयन मॉडल और ड्रेन नेटवर्क से खींची गई जलग्रहण क्षेत्र सीमाएँ (जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर और कोटा के नगर निगम, बालोतरा और बाड़मेर की नगर परिषदें, विकास प्राधिकरण, भारतीय सर्वेक्षण विभाग); नगर की ड्रेनें, उनके आउटफॉल और अवरोधन कार्य और एक बताए गए डेटम पर उनके स्तर (स्थानीय निकाय, JDA और RUIDP); पिछोला, फतह सागर, उदय सागर और आना सागर के, मीटर में किसी डेटम पर, और कोटा बैराज के पूर्ण स्तर, अधिकतम जल स्तर और गेट और एस्केप चैनल के प्रचालन नियम (WRD, झील विकास प्राधिकरण, झीलों के अभिरक्षक); उच्चतम न्यायालय के 7 अगस्त 2026 के आदेश के अंतर्गत, जोजरी से आरंभ करके, सीमांकित की जा रही उच्च बाढ़ रेखाएँ (High Flood Lines) और बफर; कोटा सिटी पर चंबल और बालोतरा पर लूणी के CWC स्तर; जोधपुर के पुराने शहर में भूजल स्तर की गहराई (CGWB, भू-जल विभाग); और 1981, 2006, 2019, 2022, 2024 और 2025 में जलमग्न हुई भूमि (कलक्टर, RSDMA, स्थानीय निकाय) आवश्यक हैं। भरतपुर, जहाँ 1981 में गंभीर और बाणगंगा की बाढ़ों से अजान बाँध (Ajan bund) खतरे में पड़ गया था; बनास पर टोंक; घग्घर पर श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़; बीकानेर; अलवर; और पश्चिमी बनास पर माउंट आबू और आबू रोड, अपनी जलग्रहण सीमाओं और बाढ़ अभिलेख के दस्तावेजित हो जाने पर खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचना के लिए संभावित हैं। न्यायालयों द्वारा निर्धारित नदी गलियारे (river corridors) और झील और आर्द्रभूमि बफर इस सूची से नहीं, बल्कि अध्याय 7 और वहाँ बाध्यकारी आदेशों से शासित हैं। इसके प्रकाशित होने तक प्राधिकारी आवेदन-पूर्व चरण में, उपलब्ध सर्वोत्तम सीमा के आधार पर, यह निर्णय करता है कि कोई साइट किसी सूचीबद्ध जलग्रहण क्षेत्र में है या नहीं, और निर्णय तथा उसका आधार प्रपत्र 1-1 पर और जल निकासी रिपोर्ट में दर्ज किए जाते हैं (खंड 1.5.9 और 1.11.5)।

तालिका 1B.2 — बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र परत के गुण (ढाँचा)

क्षेत्र (Field)	विषय-वस्तु	इकाई या फॉर्मेट
catchment_id	अद्वितीय पहचानकर्ता	पाठ
name	जलग्रहण क्षेत्र का नाम	पाठ
basis	खंड 4.5.3.2 की मद (a) से (f), या खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचना	पाठ
notification_ref	राजपत्र अधिसूचना संख्या, जहाँ अधिसूचित हो	पाठ
notified_on	अधिसूचना की तिथि	तिथि
applies_from	वह तिथि जिससे नियम आवेदनों पर लागू होता है (खंड 4.5.4.2, पद 5)	तिथि
boundary_source	सीमा का स्रोत और तिथि	पाठ
area_km2	जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल	km^2

परिशिष्ट 1C — नीति अनुपूरक: विकल्प S-1 से S-5 का पाठ और आदर्श परिषद संकल्प

अध्याय 1 के खंड 1.6.3, 1.6.5 और 1.7.1 से 1.7.3 के लिए।

> **सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं.** नीचे दिया गया पाठ दर्शाता है कि खंड 1.7 का नीति अनुपूरक किस प्रकार लिखा जा सकता है। इसका कोई प्रभाव नहीं है, जब तक और जब तक कि इसे सरकार द्वारा जारी न किया जाए और खंड 1.7.3 के अंतर्गत किसी अनुमोदन प्राधिकारी द्वारा अंगीकार न किया जाए।

भाग 1 — सामान्य प्रावधान

P1.1 **दायरा.** यह अनुपूरक राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल (मैनुअल) की उन अपेक्षाओं के लिए, जिनका नाम प्रत्येक विकल्प में दिया गया है, विकल्प S-1 से S-5 निर्धारित करता है। कोई विकल्प किसी अनुमोदन प्राधिकारी (प्राधिकारी) के क्षेत्र में केवल उस तिथि से लागू होता है जिस तिथि को प्राधिकारी उसे P1.3 के अंतर्गत अंगीकार करता है।

P1.2 **कोई निचला मानदंड नहीं.** कोई विकल्प मैनुअल के किसी मानदंड को नीचे नहीं करता। S-1 और S-2 उसी मानदंड को पूरा करने की सरलीकृत विधियाँ हैं (खंड 1.7.3(a))।

P1.3 **अंगीकरण.**

- (a) कोई टियर B प्राधिकारी भाग 3 के रूप में परिषद संकल्प द्वारा विकल्प अंगीकार करता है, और संकल्प के 30 दिनों के भीतर उसकी एक प्रति राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति (समिति) को भेजता है।
- (b) कोई टियर A प्राधिकारी विकल्प केवल तभी अंगीकार करता है जब समिति ने लिखित रूप में सहमति दे दी हो।
- (c) प्राधिकारी अपने द्वारा अंगीकृत विकल्पों को अपनी वेबसाइट पर और खंड 10.17 के रजिस्टर में प्रकाशित करता है।

P1.4 **प्रतिधारण.** कोई विकल्प प्रतिधारण की अपेक्षा (परिशिष्ट 2E की गहराई) का स्थान नहीं लेता, सिवाय वहाँ के जहाँ S-5 के अंतर्गत एवज शुल्क उसी बेसिन में समतुल्य प्रतिधारण का वित्तपोषण करता है (खंड 1.7.3(d))।

P1.5 **तालिकाएँ.** S-1, S-2 और S-3 द्वारा प्रयुक्त तालिकाएँ वे हैं जो समिति द्वारा जारी की गई हैं, और मैनुअल के अध्याय 2 के साथ उनकी समीक्षा की जाती है (खंड 1.7.3(e) और 2.14)। जो विकल्प किसी तालिका पर निर्भर है, उसका उपयोग तब तक नहीं किया जा सकता जब तक वह तालिका जारी न हो जाए।

P1.6 **अभिलेख.** विकल्प का उपयोग करने वाला आवेदक उसे प्रपत्र 1-1 पर और जल निकासी रिपोर्ट में, उस संकल्प या सहमति सहित जिसके अंतर्गत उसे अंगीकार किया गया था, बताता है।

भाग 2 — विकल्प

S-1 — भंडारण के लिए डिजाइन-सहायिका मार्ग

S-1.1 *प्रतिस्थापित करता है:* अध्याय 3 के अंतर्गत हाइड्रोग्राफ विधि द्वारा भंडारण का आकार निर्धारण।

S-1.2 *विकल्प:* प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण आयतन परिशिष्ट 4B के लिए जारी इकाई-भंडारण तालिकाओं (m^3 प्रति ha, वर्षा जोन, जलवैज्ञानिक मृदा समूह और अपारगम्य अंश के अनुसार) और अनुपालन कैलकुलेटर से, खंड 4.14.2 की विधि द्वारा, लिए जा सकते हैं।

S-1.3 *पात्रता:* बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर 2 ha या उससे छोटी साइटें, और उनके भीतर 0.5 ha या उससे छोटी साइटें (तालिका 1.2; खंड 4.14.1)।

S-1.4 *शर्तें:* प्रयुक्त विकास-पश्चात अपारगम्यता वही होगी जो अनुमोदित नक्शों पर दर्शाई गई है; खंड 4.14.2 के आउटलेट, स्पिलवे, RWH लेखांकन और सुरक्षा प्रावधान लागू होते हैं; अनुपालन कैलकुलेटर एकमात्र गणना हो सकता है (तालिका 1.1)।

S-2 — साइट की अनुमेय प्रवाह दर (PSD)

S-2.1 *प्रतिस्थापित करता है:* साइट के लिए गणना की गई निकास दर $Q_{post}(T) \le 0.9 \times Q_{pre}(T)$ (खंड 2.11.2)।

S-2.2 *विकल्प:* प्रत्येक AEP के लिए निकास दर, साइट के जोन और AEP के लिए तालिकाबद्ध इकाई-क्षेत्र निकास दर को साइट क्षेत्र से गुणा करके, ली जा सकती है। तालिकाबद्ध दरें $0.9 \times Q_{pre}$ नियम से व्युत्पन्न हैं (तालिका 1.2)।

S-2.3 *पात्रता:* बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र के बाहर कोई भी साइट।

S-2.4 *शर्तें:* तब भंडारण का आकार इस प्रकार निर्धारित किया जाता है कि वह PSD पर खंड 2.5.2 की प्रत्येक अवधि को धारण कर सके; अध्याय 4 के खाली होने के समय, न्यूनतम ऑरिफिस और स्पिलवे के नियम बिना परिवर्तन लागू होते हैं।

S-3 — नियत-चौड़ाई जलाशय सेटबैक

S-3.1 *प्रतिस्थापित करता है:* मानचित्रित 1% AEP बाढ़ विस्तार और अतिरिक्त मार्जिन तक बढ़ाया गया जलाशय सेटबैक (अध्याय 7)।

S-3.2 *विकल्प:* जहाँ कोई 1% AEP विस्तार मानचित्रित नहीं है, वहाँ सेटबैक खंड 7.4.6 की तालिका (और परिशिष्ट 7B) में जलाशय के वर्ग के लिए दी गई नियत चौड़ाई होगा, जिसे खंड 7.4.3 के अनुसार मापा जाएगा।

S-3.3 *पात्रता:* ऐसे जलाशय जिनका कोई मानचित्रित 1% AEP विस्तार नहीं है।

S-3.4 *शर्तें:* इस विकल्प के अंतर्गत कोई सेटबैक खंड 7.4.7 के जोन 1 न्यूनतम से कम नहीं होता (खंड 1.10.3(c)); अध्याय 7 का भराई-निषिद्ध जोन लागू होता है; जहाँ बाद में कोई 1% AEP विस्तार मानचित्रित और अंगीकृत हो जाता है, वहाँ मानचित्रित सेटबैक नए आवेदनों पर लागू होता है।

S-4 — अनुप्रवाह स्क्रीनिंग जाँच-सूची

S-4.1 *प्रतिस्थापित करता है:* अध्याय 5 के अंतर्गत हाइड्रोलिक मॉडल द्वारा अनुप्रवाह विश्लेषण।

S-4.2 *विकल्प:* आवेदक अनुप्रवाह क्षमता और ज्ञात बाढ़ की एक स्क्रीनिंग जाँच-सूची पूरी करता है, जिसमें कम से कम खंड 5.3.4 की शर्तें सम्मिलित हों: कि प्राप्तकर्ता सार्वजनिक ड्रेन के पास उसके लघु-प्रणाली डिजाइन प्रवाह (अध्याय 6) के लिए दस्तावेजित क्षमता है, और कि अनुप्रवाह में 500 m के भीतर कोई बाढ़-प्रवण स्थान दर्ज नहीं है। अध्याय 5 के अंतर्गत हाइड्रोलिक मॉडल केवल वहीं अपेक्षित है जहाँ स्क्रीनिंग विफल हो।

S-4.3 *पात्रता:* 1 ha से छोटी साइटें, बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर, जो ज्वारीय आउटफॉल में पानी न छोड़ती हों।

S-4.4 *शर्तें:* जाँच-सूची पर वही पंजीकृत पेशेवर हस्ताक्षर करता है जो जल निकासी रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करता है (खंड 10.6); बाढ़-प्रवण स्थान वे हैं जो स्थानीय निकाय, कलक्टर और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, RSDMA, राज्य और जिला नियंत्रण कक्षों या WRD द्वारा दर्ज किए गए हैं (खंड 5.3.3(d))।

S-5 — क्षेत्रीय भंडारण के लिए एवज शुल्क

S-5.1 *प्रतिस्थापित करता है:* अध्याय 4 के अंतर्गत साइट पर अस्थायी भंडारण।

S-5.2 *विकल्प:* अस्थायी भंडारण की अपेक्षा का पूरा या कुछ भाग, बेसिन प्लान में चिह्नित किसी क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण सुविधा या पुनर्स्थापित तालाब (talab) या तालाब (tank) भंडारण के लिए एवज शुल्क द्वारा पूरा किया जा सकता है (खंड 4.13.1)।

S-5.3 *पात्रता:* ऐसे बेसिन की साइटें जिसके लिए बेसिन प्लान अधिसूचित किया गया हो (तालिका 1.2)।

S-5.4 *शर्तें:*

- (a) खंड 4.13.2 की शर्तें लागू होती हैं, जिनमें क्षेत्रीय सुविधा या पुनर्स्थापित तालाब के प्रचालन में आने तक साइट पर अंतरिम अस्थायी भंडारण, और साइट पर प्रतिधारण तथा WQv उपचार सम्मिलित हैं;
- (b) शुल्क की गणना खंड 4.13.3 के अंतर्गत की जाती है और उसे पृथक रखे गए बेसिन खाते में रखा जाता है;
- (c) क्रेडिट दिया गया आयतन और शुल्क खंड 4.13.4 की सार्वजनिक खाता-बही में दर्ज किए जाते हैं; और
- (d) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में एवज शुल्क केवल उतना ही उपलब्ध है जितना खंड 1.10.3(d) अनुमति देता है।

भाग 3 — आदर्श परिषद संकल्प

> **सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं.**

संकल्प संख्या _____, _____ (नगर निगम (Nagar Nigam) / नगर परिषद (Nagar Parishad) / नगरपालिका बोर्ड (Nagar Palika) का नाम), दिनांक _____

विषय: राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल के नीति अनुपूरक के अंतर्गत विकल्पों का अंगीकरण।

परिषद, आयुक्त / अधिशासी अधिकारी की दिनांक _____ की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, और यह नोट करते हुए कि:

- (i) राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल और उसके नीति अनुपूरक को _____ (लिखत और तिथि) द्वारा प्रभाव दिया गया है;
- (ii) यह स्थानीय निकाय मैनुअल के खंड 1.6 के अंतर्गत टियर B / टियर A प्राधिकारी है; और
- (iii) टियर A प्राधिकारी के लिए, राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति ने _____ को (संदर्भ _____) सहमति दी,

संकल्प करती है:

1. मैनुअल के खंड 1.7.3 की शर्तों के अंतर्गत, अपने क्षेत्र में नीति अनुपूरक के निम्नलिखित विकल्पों को अंगीकार करना:

तालिका 1C.1 — इस संकल्प द्वारा अंगीकृत विकल्प

विकल्प	अंगीकृत (हाँ / नहीं)	वह क्षेत्र जिस पर लागू (पूरा क्षेत्र, या वार्ड / जोन)	कब से लागू (तिथि)
S-1 डिजाइन-सहायिका मार्ग			
S-2 साइट की अनुमेय प्रवाह दर			
S-3 नियत-चौड़ाई सेटबैक			
S-4 अनुप्रवाह स्क्रीनिंग जाँच-सूची			
S-5 एवज शुल्क			

2. कि कोई अंगीकृत विकल्प बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में लागू नहीं होगा, सिवाय उतने के जितना मैनुअल अनुमति देता है (खंड 1.6.5);
3. कि इस संकल्प की एक प्रति 30 दिनों के भीतर राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को भेजी जाए;
4. कि अंगीकृत विकल्प स्थानीय निकाय की वेबसाइट पर प्रकाशित किए जाएँ और खंड 10.17 के रजिस्टर में दर्ज किए जाएँ; और
5. कि खंड 1.7.3(e) की तालिकाओं के संशोधित होने पर इस संकल्प की समीक्षा की जाए।

महापौर / अध्यक्ष: _____ आयुक्त / अधिशासी अधिकारी: _____ तिथि: _____

परिशिष्ट 1D — भवन विनियम, 2025 का आदर्श संशोधन और आदर्श ULB उपविधि

अध्याय 1 के खंड 1.3.1, 1.3.4, 1.11 और 1.12 के लिए।

> **सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं.** यह पाठ एक तरीका दर्शाता है जिससे खंड 1.3.1 के लिखतों का प्रारूप तैयार किया जा सकता है। विनियम और धारा संख्याएँ रिक्त छोड़ी गई हैं।

> **प्रारूपण टिप्पणी D1D.1.** मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 की वे विनियम संख्याएँ जिन पर नया विनियम और शर्तें अंतःस्थापित की जाएँगी, और राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959, विकास प्राधिकरणों के अधिनियमों (जयपुर 1982, जोधपुर 2009, अजमेर 2013, कोटा और उदयपुर 2023, बीकानेर और भरतपुर 2025) और नगरपालिका और पंचायत अधिनियमों की सक्षमकारी धाराएँ, सरकार के विधि सलाहकारों द्वारा पुष्ट की जानी हैं। यहाँ उनमें से कोई भी नहीं बताई गई है।

भाग A — मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 में आदर्श संशोधन

A.1 **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**

- (1) ये विनियम राजस्थान भवन (वर्षा जल प्रबंधन) संशोधन विनियम, _____ कहलाएँगे।
- (2) ये राजस्थान राजपत्र में इनके प्रकाशन के छह महीने बाद की तिथि को प्रवृत्त होंगे (खंड 1.11.1)।

A.2 **नए विनियम का अंतःस्थापन.** उन भवन विनियमों में, जिन्हें प्रत्येक शहरी स्थानीय निकाय और विकास प्राधिकरण नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा 12 मई 2025 के उसके आदेश के साथ जारी मॉडल के आधार पर राजस्थान राजपत्र में प्रकाशन द्वारा प्रवृत्त करता है, विनियम [_____] के पश्चात् निम्नलिखित विनियम अंतःस्थापित किया जाएगा:

विनियम [_____]. वर्षा जल प्रबंधन.

(1) *परिभाषाएँ.* इस विनियम में, "मैनुअल" से सरकार द्वारा यथा अधिसूचित, अपने परिशिष्टों और संशोधनों सहित, राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल अभिप्रेत है; अन्य शब्दों के वही अर्थ हैं जो मैनुअल के खंड 1.4 में दिए गए हैं।

(2) *प्रयोग.* यह विनियम ऐसे प्रत्येक विकास पर लागू होता है जिसके लिए इन विनियमों के अंतर्गत योजना अनुमति, भवन अनुमति या लेआउट अनुमोदन अपेक्षित है।

(3) *अपवाह नियंत्रण.* जहाँ किसी विकास में, उसकी विकास की साझा योजना पर, 0.1 ha या अधिक का भूमि विक्षोभ, या 500 m² या अधिक का नया या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र सम्मिलित है, वहाँ वह विकास मैनुअल के अध्याय 4 और 5 (प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण) का अनुपालन करेगा।

(4) *प्रत्येक विकास के लिए प्रावधान.* प्रत्येक विकास, उसका आकार चाहे जो हो, मैनुअल के खंड 1.5.4 का अनुपालन करेगा: वर्षा जल ड्रेन में कोई सीवेज कनेक्शन नहीं; फर्श स्तर; जलाशय सेटबैक और भराई-निषिद्ध जोन; और किसी जल निकासी मार्ग में कोई अवरोध नहीं।

(5) *छूट.* उपविनियम (3) के सीमा-मानों से नीचे अपने ही भूखंड पर एकल आवास, और सड़क का ऐसा रैखिक पुनः सतह बिछाना जिससे कोई अपारगम्य क्षेत्र नहीं जुड़ता, उपविनियम (3) से छूट प्राप्त हैं, किंतु उपविनियम (4) से या इन विनियमों के वर्षा जल संचयन प्रावधानों से नहीं।

(6) *अनुमोदन की शर्तें.* सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित प्रदान नहीं करेगा:

- (a) योजना अनुमति या लेआउट अनुमोदन, जब तक मैनुअल के अंतर्गत प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट स्वीकार न कर ली गई हो;
- (b) भवन अनुमति, या निर्माण आरंभ करने की अनुमति, जब तक अंतिम जल निकासी डिजाइन स्वीकार न कर लिया गया हो; या
- (c) समापन प्रमाण-पत्र, जब तक यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र स्वीकार न कर लिया गया हो और रखरखाव घोषणा-पत्र पंजीकृत न हो गया हो, या सार्वजनिक परिसंपत्तियाँ हस्तांतरित न कर दी गई हों,

उस विकास के लिए जिस पर उपविनियम (3) लागू होता है (मैनुअल, खंड 10.3)।

(7) *प्रमाणन.* जल निकासी रिपोर्टों और डिजाइनों पर किसी पंजीकृत पेशेवर के, और जहाँ मैनुअल का खंड 10.6.1 ऐसी अपेक्षा करता है वहाँ किसी सूचीबद्ध वर्षा जल डिजाइन पेशेवर (Stormwater Design Professional) के भी, हस्ताक्षर होंगे।

(8) *वर्षा जल संचयन.* इस विनियम की कोई बात इन विनियमों के वर्षा जल संचयन प्रावधानों में परिवर्तन नहीं करती।

(9) *विचलन और अधित्याग.* सक्षम प्राधिकारी विचलन या अधित्याग केवल मैनुअल के खंड 1.10 के आधारों पर और उसकी प्रक्रिया द्वारा प्रदान कर सकेगा, और प्रत्येक निर्णय प्रकाशित करेगा।

(10) *संक्रमण.* इस विनियम के प्रारंभ से पहले पूर्ण रूप से दाखिल किए गए आवेदन, और टियर B प्राधिकारी, मैनुअल के खंड 1.11 द्वारा शासित होते हैं।

भाग B — आदर्श ULB उपविधि

B.1 **नाम और प्रारंभ.** इन उपविधियों को _____ (स्थानीय निकाय का नाम) वर्षा जल प्रबंधन उपविधियाँ, _____ कहा जा सकेगा। ये _____ को प्रवृत्त होंगी।

B.2 **मैनुअल का अंगीकरण.** सरकार द्वारा यथा अधिसूचित राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल निम्नलिखित पर लागू होता है:

- (a) स्थानीय निकाय द्वारा अनुमोदित प्रत्येक विकास; और
- (b) स्थानीय निकाय द्वारा निष्पादित प्रत्येक जल निकासी, सड़क, पुलिया, जलाशय और बाढ़-शमन कार्य, जिसमें उसकी अपनी ड्रेनें और सड़कें सम्मिलित हैं (खंड 1.3.1(b))।

B.3 **लोक निर्माण कार्य.** B.2(b) के अंतर्गत किसी कार्य की प्रत्येक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और संविदा, खंड 1.11 की तिथियों से, मैनुअल के अनुपालन की अपेक्षा करेगी (खंड 1.3.4)।

B.4 **टियर और विकल्प.** स्थानीय निकाय मैनुअल के खंड 1.6 के अंतर्गत टियर _____ प्राधिकारी है। स्थानीय निकाय द्वारा अंगीकृत नीति अनुपूरक के विकल्प अनुसूची में, प्रत्येक के अंगीकरण वाले संकल्प सहित, सूचीबद्ध हैं।

B.5 **प्रस्तुतियाँ और समीक्षा.** प्रस्तुतियाँ मैनुअल के खंड 10.3 के चरणों में की जाएँगी और खंड 10.7 की अवधियों के भीतर उनकी समीक्षा की जाएगी।

B.6 **रखरखाव, निरीक्षण और प्रवर्तन.** रखरखाव घोषणा-पत्र, निरीक्षण, सार्वजनिक परिसंपत्तियों का हस्तांतरण और प्रवर्तन मैनुअल के खंड 10.10 से 10.15 के अनुसार होंगे।

B.7 **प्रकाशन.** स्थानीय निकाय मैनुअल के खंड 10.17 के रजिस्टर और रिपोर्टें प्रकाशित करेगा।

B.8 **समीक्षा.** जब भी मैनुअल में खंड 1.12 के अंतर्गत संशोधन किया जाए, इन उपविधियों की समीक्षा की जाएगी।

तालिका 1D.1 — अनुसूची: अंगीकृत विकल्प (ढाँचा)

विकल्प	संकल्प संख्या और तिथि	समिति की सहमति (केवल टियर A)	कब से लागू	क्षेत्र

प्रपत्र 1-1 — प्रयोज्यता निर्धारण

अध्याय 1 के खंड 1.5.1 से 1.5.9 और 1.6, तथा अध्याय 10 के खंड 10.3 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. आवेदन-पूर्व बैठक (चरण 0) में या प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट (चरण 1) के साथ, खंड 10.3.2 की अपेक्षा के अनुसार, दाखिल किया जाता है।

तालिका 1F.1 — प्रपत्र 1-1: प्रयोज्यता निर्धारण

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
	A. आवेदक और साइट	
A1	आवेदक (स्वामी, विकासकर्ता या विभाग)	_____
A2	साइट का पता और सर्वे संख्याएँ	_____
A3	साइट के निर्देशांक (अक्षांश, देशांतर)	_____
A4	अनुमोदन प्राधिकारी (खंड 1.4)	_____
A5	प्राधिकारी का टियर: A / B (खंड 1.6; परिशिष्ट 1A)	_____
A6	माँगा गया अनुमोदन: योजना अनुमति / भवन अनुमति / लेआउट अनुमोदन / लोक निर्माण कार्य (DPR)	_____
A7	विकास का प्रकार: भवन / लेआउट / उप-विभाजन / सड़क / पक्की सतह / भूमि उपयोग परिवर्तन / अन्य (खंड 1.4)	_____
A8	वह चरण जिस पर यह प्रपत्र दाखिल किया गया: चरण 0 / चरण 1 (खंड 10.3)	_____
	B. आच्छादन (खंड 1.5.1)	
B1	भवन विनियम, 2025 के अंतर्गत अनुमोदन की अपेक्षा वाला विकास — 1.5.1(a): हाँ / नहीं	_____
B2	किसी ULB, राज्य विभाग, बोर्ड या राज्य उपक्रम द्वारा लोक निर्माण कार्य — 1.5.1(b): हाँ / नहीं	_____
B3	प्राधिकारी के अनुमोदन या अनापत्ति की आवश्यकता वाला किसी केंद्रीय एजेंसी का कार्य — 1.5.1(c): हाँ / नहीं	_____
	C. विकास की साझा योजना पर क्षेत्र (खंड 1.4, 1.5.5)	
C1	सम्मिलित चरण, भूखंड और उप-विभाजन (एक लेआउट अनुमोदन या एक स्वामित्व)	_____
C2	कुल साइट क्षेत्र (ha)	_____
C3	भूमि विक्षोभ (ha)	_____
C4	विद्यमान अपारगम्य क्षेत्र (m^2)	_____
C5	नया अपारगम्य क्षेत्र (m^2)	_____
C6	प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र, सबग्रेड तक हटाकर पुनः बनाया गया (m^2)	_____
C7	नया और प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र, C5 + C6 (m^2)	_____
C8	RWH अनिवार्यता के लिए भूखंड क्षेत्र (m^2) (खंड 1.5.3)	_____
	D. सीमा-मान और छूट	

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
D1	0.1 ha या अधिक भूमि विक्षोभ — 1.5.2(a): हाँ / नहीं	_____
D2	500 m^2 या अधिक नया या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र — 1.5.2(b): हाँ / नहीं	_____
D3	पुनर्विकास (साइट पर विद्यमान अपारगम्य आवरण) — 1.5.6: हाँ / नहीं	_____
D4	खंड 4.5.6 का सीमित पुनर्विकास मार्ग प्रस्तावित: हाँ / नहीं	_____
D5	रैखिक लोक निर्माण कार्य: पार किए गए प्रत्येक जल निकासी जलग्रहण क्षेत्र में जोड़ा गया अपारगम्य क्षेत्र तालिका 1F.2 में दिया गया — 1.5.7: हाँ / नहीं / लागू नहीं	_____
D6	दावा की गई छूट — 1.5.8(a) सीमा-मानों से नीचे एकल आवास / 1.5.8(b) बिना अतिरिक्त अपारगम्य क्षेत्र के पुनः सतह बिछाना / कोई नहीं	_____
D7	RWH अनिवार्यता लागू (भवन विनियम, 2025, विनियम 8.3: 225 m^2 और उससे बड़ा भूखंड, सिवाय स्थानीय निकाय द्वारा चिह्नित जलभराव वाले क्षेत्र के; RIICO के औद्योगिक भूखंड: उसके अपने विनियम [TBC]) — 1.5.3: हाँ / नहीं	_____
	E. साइट की स्थितियाँ	
E1	साइट बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में (परिशिष्ट 1B; खंड 4.5.3): नहीं / हाँ — नाम	_____
E2	प्रयुक्त जलग्रहण क्षेत्र सीमा का स्रोत	_____
E3	साइट के लिए 1% AEP स्तर मानचित्रित या निर्धारण योग्य (खंड 1.5.4(b)): हाँ / नहीं; स्रोत	_____
E4	साइट पर या उससे लगा जलाशय (खंड 1.5.4(c); अध्याय 7): नहीं / हाँ — नाम	_____
E5	साइट को पार करता प्राकृतिक जल निकासी मार्ग या प्रमुख-प्रणाली प्रवाह मार्ग (खंड 1.5.4(d)): नहीं / हाँ	_____
E6	साइट का पानी ज्वारीय आउटफॉल में जाता है (खंड 10.3.2(d)): हाँ / नहीं	_____
E7	विचलन, अधित्याग, क्षेत्रीय सुविधा या एवज शुल्क प्रस्तावित (खंड 10.3.2(c)): नहीं / हाँ — प्रपत्र 1-2 संलग्न	_____
	F. निर्धारण	
F1	परिणाम: (i) अध्याय 4 और 5 लागू, खंड 1.5.4 और RWH अनिवार्यता सहित; (ii) केवल खंड 1.5.4 और RWH अनिवार्यता (सीमा-मानों से नीचे); (iii) 1.5.8 के अंतर्गत छूट प्राप्त, खंड 1.5.4 और RWH अनिवार्यता फिर भी लागू	_____
F2	खंड 10.3.2 के अंतर्गत चरण 0 अनिवार्य: हाँ (मद (a) से (d) बताएँ) / नहीं	_____
F3	भंडारण विधि: हाइड्रोग्राफ विधि (अध्याय 3) / डिजाइन-सहायिका मार्ग S-1 (खंड 1.7, जहाँ अंगीकृत हो और साइट पात्र हो)	_____
F4	नीति अनुपूरक के अन्य विकल्प जिन पर निर्भरता है (S-2 से S-5), अंगीकार करने वाले संकल्प सहित	_____
F5	टियर B का चरणबद्ध आरंभ लागू (खंड 1.11.3): हाँ / नहीं	_____
	G. घोषणा	
G1	मैं घोषणा करता/करती हूँ कि ऊपर दी गई जानकारी सही है और विकास की संपूर्ण साझा योजना को आच्छादित करती है। आवेदक: नाम, हस्ताक्षर, तिथि	_____
G2	तैयारकर्ता (पंजीकृत पेशेवर, खंड 1.4): नाम, पंजीकरण संख्या, हस्ताक्षर, तिथि	_____
	H. प्राधिकारी के लिए (खंड 1.5.9)	
H1	निर्धारण की पुष्टि / सुधार	_____
H2	सुधार और कारण	_____

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
H3	अधिकारी: नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, तिथि	_____

तालिका 1F.2 — प्रपत्र 1-1: जल निकासी जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार जोड़ा गया अपारगम्य क्षेत्र, रैखिक कार्य (खंड 1.5.7)

पार किया गया जल निकासी जलग्रहण क्षेत्र	चेनेज से – तक	जोड़ा गया अपारगम्य क्षेत्र (m²)	500 m² या अधिक (हाँ / नहीं)	भंडारण स्थान: मार्गाधिकार / क्षेत्रीय सुविधा

प्रपत्र 1-2 — विचलन / अधित्याग अनुरोध

अध्याय 1 के खंड 1.10 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट के साथ दाखिल किया जाता है (खंड 1.10.4(a)), संबंधित प्रत्येक अपेक्षा के लिए एक प्रपत्र।

तालिका 1F.3 — प्रपत्र 1-2: विचलन / अधित्याग अनुरोध

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
	A. आवेदक और साइट	
A1	आवेदक	_____
A2	साइट का पता और निर्देशांक	_____
A3	प्रपत्र 1-1 का संदर्भ और तिथि	_____
A4	प्राधिकारी का टियर: A / B	_____
A5	साइट क्षेत्र (ha)	_____
A6	साइट बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में: हाँ / नहीं	_____
	B. अनुरोध	
B1	प्रकार: संख्यात्मक अपेक्षा से विचलन (1.10.1) / अध्याय 4 के अस्थायी भंडारण का अधित्याग (1.10.2)	_____
B2	मैनुअल का संबंधित खंड	_____
B3	मैनुअल द्वारा अपेक्षित मान	_____
B4	प्रस्तावित मान या व्यवस्था	_____
	C. ऐसे विषय जिनमें विचलन या अधित्याग नहीं हो सकता (खंड 1.10.3) — पुष्टि करें कि अनुरोध इनमें से किसी से संबंधित नहीं है	
C1	(a) वर्षा जल ड्रेन में सीवेज कनेक्शन	संबंधित नहीं: _____
C2	(b) अध्याय 6 का सबसे निचला आवास योग्य तल स्तर	संबंधित नहीं: _____
C3	(c) खंड 7.4.7 के जोन 1 न्यूनतम से नीचे जलाशय सेटबैक, या अध्याय 7 के भराई-निषिद्ध जोन में भराई या निर्माण	संबंधित नहीं: _____
C4	(d) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में प्रतिधारण, सिवाय खंड 1.7 के अंतर्गत एवज शुल्क द्वारा	संबंधित नहीं: _____
	D. विचलन: आधार (खंड 1.10.1(a))	
D1	साइट की स्थिति: उच्च भूजल स्तर / दूषित मिट्टी / चट्टान / अपेक्षित सुविधा के लिए बहुत छोटी साइट / अन्य	_____
D2	साक्ष्य (परीक्षण, सर्वेक्षण, नक्शे), संदर्भों सहित	_____
D3	आकलित विकल्प और प्रत्येक के अव्यवहार्य होने का कारण	_____
	E. विचलन: समान निष्पादन या कमी की पूर्ति (खंड 1.10.1(b))	
E1	प्रयुक्त अनुप्रवाह बिंदु (अध्याय 5)	_____

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
E2	उस बिंदु पर पूर्ण अनुपालन के साथ और विचलन के साथ निष्पादन (चरम प्रवाह, जल स्तर)	_____
E3	या: कमी की पूर्ति उसी जलग्रहण क्षेत्र में एवज शुल्क या साइट से बाहर के कार्यों द्वारा — आयतन (m^3), कार्य या शुल्क	_____
	F. अस्थायी भंडारण का अधित्याग: आधार (खंड 1.10.2)	
F1	साइट सीधे समुद्र में / ऐसे ज्वारीय नदी-भाग में जिसके अनुप्रवाह में कोई बाढ़-प्रवण संपत्ति नहीं है, पानी छोड़ती है	_____
F2	यह दर्शाने वाला विश्लेषण कि बिना अस्थायी भंडारण वाला प्रवाह अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद स्थिति को बदतर नहीं बनाता — संदर्भ	_____
F3	प्रतिधारण फिर भी पूर्ण रूप से उपलब्ध: हाँ	_____
	G. संलग्नक (खंड 1.10.4(a))	
G1	खंड 10.6 के अंतर्गत प्रमाणित रिपोर्ट	_____
G2	प्रारंभिक जल निकासी रिपोर्ट	_____
	H. प्रमाणन और घोषणा	
H1	प्रमाणकर्ता (पंजीकृत पेशेवर; जहाँ खंड 10.6.1 लागू हो वहाँ सूचीबद्ध पेशेवर): नाम, पंजीकरण या सूचीबद्धता संख्या, हस्ताक्षर, तिथि	_____
H2	आवेदक: नाम, हस्ताक्षर, तिथि	_____
	I. प्राधिकारी के लिए (खंड 1.10.4)	
I1	राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को भेजा गया (टियर B, 1 ha या उससे बड़ी साइट): हाँ / नहीं; तिथि	_____
I2	निर्णय: प्रदान किया गया / शर्तों सहित प्रदान किया गया / अस्वीकार किया गया	_____
I3	कारण और शर्तें	_____
I4	सार्वजनिक रजिस्टर में प्रविष्टि संख्या (खंड 10.17)	_____
I5	टिप्पणी: विचलन अनुमोदन के साथ जुड़ा रहता है और अनुमोदन व्यपगत होने पर व्यपगत हो जाता है (खंड 1.10.4(d))	—
I6	अधिकारी: नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, तिथि	_____

अध्याय 2 के परिशिष्ट

डिजाइन वर्षा और डिजाइन वर्षा घटनाएँ

ये परिशिष्ट अध्याय 2 के सहायक हैं। परिशिष्ट 2A से 2E में वे राज्यव्यापी वर्षा तालिकाएँ रखी जाएँगी जिनका उल्लेख अध्याय 2 में है: बेंचमार्क जाँच और जोन मानचित्र, उप-दैनिक अनुपात, ग्रिड-से-बिंदु गुणक, वर्षा का कालिक वितरण (temporal pattern) और प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (retention depth)। प्रत्येक के लिए NIH-DHAARA और IMD के अभिलेखों का ऐसा विश्लेषण आवश्यक है जो इस मैनुअल के लिए अभी नहीं किया गया है, इसलिए प्रत्येक को "तैयार किया जाना है" के रूप में चिह्नित किया गया है और उसमें उसकी प्रस्तावित रूपरेखा (layout) तथा उसके प्रकाशित होने तक लागू नियम दिया गया है (खंड 1.11.5)। प्रपत्र 2-1 डिजाइन वर्षा पत्रक (Design Rainfall Sheet) का प्रारूप प्रपत्र है, जिसे प्रत्येक जलवैज्ञानिक प्रस्तुति (submittal) में सम्मिलित करना अनिवार्य है (खंड 2.13)। यह मैनुअल एक प्रारूप है; यह किसी सरकार या एजेंसी द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है।

परिशिष्ट 2A — बेंचमार्क बिंदुओं पर NIH-DHAARA बनाम IMD केंद्र और IMD ग्रिड आँकड़ों की जाँच; जोन मानचित्र

अध्याय 2 के खंड 2.3.1 से 2.3.5 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में राज्य भर के बेंचमार्क बिंदुओं (benchmark points) पर NIH-DHAARA की डिजाइन गहराइयों की तुलना IMD के दीर्घकालिक दैनिक केंद्र अभिलेखों के आवृत्ति विश्लेषण से और IMD के ग्रिड दैनिक आँकड़ों (gridded data; परिशिष्ट 2C से बिंदु मानों में परिवर्तित) के आवृत्ति विश्लेषण से की जाएगी, 24 घंटे और उससे अधिक की अवधियों के लिए तथा तालिका 2.1 के AEP के लिए। इसमें वर्षा जोन (rainfall zones) का वह मानचित्र भी होगा जिसका उपयोग परिशिष्ट 2B, 2C और 2E तथा अध्याय 4 की टियर B तालिकाएँ करती हैं। इसके लिए बेंचमार्क निर्देशांकों पर NIH-DHAARA मान (NIH), IMD के दैनिक और स्व-अभिलेखी वर्षामापी (recording gauge) केंद्रों के अभिलेख तथा IMD के ग्रिड वर्षा आँकड़े (IMD), राज्य के वर्षामापी अभिलेख (तहसील (tehsil) और डैम-स्थलों के वे वर्षामापी जिनकी रीडिंग IMD और राज्य प्रकाशित करते हैं, WRD के वर्षामापी, और RSDMA का कोई नेटवर्क [TBC]), और जिला तथा बेसिन सीमाएँ (भारतीय सर्वेक्षण विभाग, WRD) आवश्यक हैं। इसके प्रकाशित होने तक डिजाइन गहराइयाँ खंड 2.3.1 के अंतर्गत NIH-DHAARA से ली जाती हैं, खंड 2.3.3 की प्रति-जाँचें प्रपत्र 2-1 में दर्ज की जाती हैं, और किसी साइट का जोन वही होता है जिस पर प्राधिकारी से सहमति हुई हो और जो प्रपत्र 2-1 में दर्ज हो।

तालिका 2A.1 — डिजाइन गहराइयों की बेंचमार्क तुलना (ढाँचा)

बेंचमार्क बिंदु	IMD केंद्र ID	अक्षांश, देशांतर	अभिलेख के वर्ष	अवधि (h)	AEP	NIH-DHAARA (mm)	IMD केंद्र विश्लेषण (mm)	IMD ग्रिड, बिंदु मान (mm)	NIH-DHAARA / IMD केंद्र	टिप्पणियाँ
				24						
				48						

बेंचमार्क बिंदु	IMD केंद्र ID	अक्षांश, देशांतर	अभिलेख के वर्ष	अवधि (h)	AEP	NIH-DHAARA (mm)	IMD केंद्र विश्लेषण (mm)	IMD ग्रिड, बिंदु मान (mm)	NIH-DHAARA / IMD केंद्र	टिप्पणियाँ
				72						

2A.1 नीचे दिए गए जोन नाम वे कार्यकारी नाम हैं जिनका उपयोग अध्याय 4 के टियर B तालिका टेम्पलेट में किया गया है (खंड 4.14.2)। उनकी सीमाएँ, और यह कि क्या और जोन आवश्यक हैं, इस परिशिष्ट के विश्लेषण से निर्धारित किए जाने हैं।

तालिका 2A.2 — वर्षा जोन (ढाँचा)

जोन (कार्यकारी नाम)	विस्तार (जिले, बेसिन)	प्रतिनिधि केंद्र	टिप्पणियाँ
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर	राज्य का पश्चिम और उत्तर, अरावली के पश्चिम में, CWC उप-क्षेत्र 1(a) (Luni) में, आबू सेल (RJ-I) को छोड़कर: थार, लूणी बेसिन, शेखावाटी और घग्घर–नहर के मैदान (खंड 2.3.6(c)); झुंझुनूँ और हनुमानगढ़ की घग्घर पट्टी 1(e) रेखा पर स्थित हैं; जोन रेखा को पार करने वाले जलग्रहण क्षेत्र अधिक जोन मान लेते हैं	Jodhpur 10202 (दैनिक अभिलेख 1901–2012), Bikaner 42165 (1901–2008), Phalodi 42237 (1901–2012), Barmer 42435 (1931–2012), Jaisalmer 42328 (1949–2012), Sriganganagar 42123 (1951–2012), Sikar 42249 (1946–2012), Churu 42170 (1956–2012), Jalore 42439 (1968–2012)	जिलों के वार्षिक सामान्य मान लगभग 170–500 mm (जैसलमेर 172.9, श्रीगंगानगर 243.4, बाड़मेर 251.7, बीकानेर 258.5, जोधपुर 320.7, नागौर 391.2, सीकर 459.6, पाली 498.9 mm; IMD, 1951–2000)। FER में 50-वर्ष 24-घंटे लगभग 120–200 mm, और पाली–जालोर–सिरोही के मैदानों पर लगभग 240–280 mm; 1-घंटे का अनुपात 0.36 (10-वर्ष का आधार)। प्लेटों से बहुत अधिक अभिलेख: Sam (जैसलमेर) 540.0 mm (17 Aug 1973), Sachor (जालोर) 511.8 mm (16 Sep 1893), Desuri (पाली) 381.0 mm (31 Jul 1952), Pachpadra (बाड़मेर) 370.0 mm (12 Aug 1992), Nagaur 310.6 mm (23 Jun 1996), Jodhpur 215.9 mm (12 Sep 1924), Jaisalmer 204.0 mm (16 Aug 1973) (IMD)। *Climate of Rajasthan* का Parbatsar 780.3 mm (16 Sep 1900) FER के 306.8 mm से विरोधाभासी है और प्रयुक्त नहीं किया जाता [TBC]। NIH-DHAARA के 50-वर्ष 24-घंटे के मान यहाँ कम हैं (बीकानेर 89, जैसलमेर 94, बाड़मेर 123, जोधपुर 153 mm)। जोन के बड़े भाग में वर्षा जल ड्रेनों का कोई आउटफॉल नहीं है; खंड 2.3.6(i) की 72-घंटे की आयतन जाँच पूरे जोन में लागू होती है
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-A थार का केंद्रीय भाग	जैसलमेर और बाड़मेर (लूणी के पश्चिम के बालोतरा सहित), पोकरण, फलोदी और पश्चिमी बीकानेर; सीमाएँ [TBC]	Jaisalmer, Barmer, Phalodi	राज्य के सबसे कम सामान्य मान (जैसलमेर 172.9 mm) और सबसे अधिक सापेक्ष परिवर्तनशीलता: सामान्य के 280–299% के वार्षिक योग (जैसलमेर 1973, बाड़मेर 1990), और 1951–2000 में बाड़मेर और जैसलमेर में से प्रत्येक में 14 अधिक वर्षा वाले वर्ष (excess years) (IMD)। कैल्क्रीट (पेट्रोकैल्सिक) परतों और लवणीय गर्तों सहित टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत; भूजल स्तर गहरे। 19–22 अगस्त 2006 को बाड़मेर जिले में तीन दिनों में लगभग 577 mm (प्रकाशित खबरों के अनुसार)। FER में 50-वर्ष 24-घंटे जैसलमेर और पोकरण में लगभग 120–160 mm और बाड़मेर में 180–200 mm। प्राप्तकर्ता जलाशय (receiving waters): अधिकांशतः कोई नहीं; बालोतरा पर लूणी (उच्चतम बाढ़ स्तर 108.755 m, 1979, CWC की सूची, प्रकाशित खबरों के अनुसार) और अंतःस्थलीय गर्त

जोन (कार्यकारी नाम)	विस्तार (जिले, बेसिन)	प्रतिनिधि केंद्र	टिप्पणियाँ
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-B मारवाड़ और लूणी बेसिन	जोधपुर, पाली, जालोर, दक्षिणी नागौर, बालोतरा और सिरोही के मैदान; सीमाएँ [TBC]	Jodhpur, Jalore, Erinpura (Jawai Bandh) 42441 (1955–2012)	धूसर-भूरी मरुस्थलीय मिट्टी और रेतीली दोमट, पूर्व में अरावली की चट्टान; जोधपुर के पुराने शहर में बढ़ता भूजल स्तर। FER में 50-वर्ष 24-घंटे जोधपुर में लगभग 200 mm और पाली–सिरोही के मैदानों पर लगभग 240–280 mm, जहाँ 1(a) की रिपोर्ट का हल किया गया उदाहरण 25.0 cm पढ़ता है; CAZRI के 50-वर्ष के 1-दिवसीय मान जोधपुर में 170 mm, पाली में 190 mm और जालोर में 260 mm हैं (Singh et al., 1992)। जुलाई 1990 में बाली (पाली) में छह दिनों में लगभग 714 mm वर्षा हुई (Singh et al., 1992)। प्राप्तकर्ता जलाशय: जोजरी और लूणी; जोधपुर में कायलाना (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 273.7 m) और तख्त सागर (269.75 m) (NIH, 2025)
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-C शेखावाटी और बीकानेर	बीकानेर (पूर्वी भाग), चूरू, सीकर, झुंझुनूँ और उत्तरी नागौर; झुंझुनूँ 1(a)/1(e) रेखा पर स्थित है; सीमाएँ [TBC]	Bikaner, Sikar, Churu, Pilani 42174 (1958–2012)	रेतीले मैदान और टीले; झुंझुनूँ, सीकर, नागौर और बीकानेर में भूजल स्तर 40 m से अधिक गहरे (CGWB)। FER में 50-वर्ष 24-घंटे लगभग 160–200 mm (बीकानेर लगभग 180)। अभिलेख: Taranagar (चूरू) 319.0 mm (22 Jul 1978), Khetri (झुंझुनूँ) 281.4 mm (13 Jul 1908), Sikar 236.0 mm (13 Jul 1968), Bikaner 165.6 mm (25 Sep 1945) (IMD)। प्राप्तकर्ता जलाशय: अंतःस्थलीय जल निकासी, और बीकानेर में कोई प्रमुख जल निकासी नहीं (CGWB, प्रकाशित खबरों के अनुसार)
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-D घग्घर–IGNP नहर के मैदान	घग्घर के मैदान में और इंदिरा गाँधी नहर के कमान क्षेत्र में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और सूरतगढ़ सहित; 1(a)/1(e) रेखा पर; सीमाएँ [TBC]	Sriganganagar	घग्घर का जलोढ़ और चूनेदार (calcareous) मिट्टी; नहर के रिसाव ने कुछ स्थानों पर भूजल स्तर को 2 m के भीतर तक उठा दिया है, जिससे जलभराव हुआ है (CGWB)। FER में 50-वर्ष 24-घंटे लगभग 160 mm। अभिलेख: Sriganganagar 251.7 mm (31 Aug 1928) (IMD)। प्राप्तकर्ता जलाशय: घग्घर, जिसमें 1976, 1981, 1993, 2004, 2010 और 2023 में बाढ़ आई (प्रकाशित खबरों के अनुसार), और नहरों के एस्केप (canal escapes)
RJ-Z2 पूर्व और मध्य	राज्य का पूर्व और मध्य भाग, अरावली के पूर्व में, CWC उप-क्षेत्र 1(b) (Chambal) में, और उत्तर-पूर्व उप-क्षेत्र 1(e) में (खंड 2.3.6(c)); जयपुर और अजमेर 1(a)/1(b) रेखा पर स्थित हैं; जोन रेखा को पार करने वाले जलग्रहण क्षेत्र अधिक जोन मान लेते हैं	Jaipur (Sanganer) (A) 42348 (1901–2012), Ajmer 42343 (1879–2012), Kota 42451 (1901–2008) और Kota (A) 42452 (1961–2012), Jhalawar 42555 (1930–2012), Tonk 42349 (1959–2012), Alwar 42255 (1956–2000), Bharatpur 42258 (1974–2012), Sawai Madhopur 42453 (1977–2012), Dholpur 42354 (1955–2012)	जिलों के वार्षिक सामान्य मान लगभग 450–920 mm (अजमेर 454.9, जयपुर 596.8, अलवर 618.6, भरतपुर 622.4, कोटा 758.7, झालावाड़ 921.2 mm; IMD, 1951–2000)। FER में 50-वर्ष 24-घंटे लगभग 180–320 mm (अजमेर 180–200, जयपुर और अलवर लगभग 200, भरतपुर 220–240, कोटा और टोंक 240–280, झालावाड़ और सवाई माधोपुर 280–320); 1-घंटे का अनुपात 0.35 (1(b)) और 0.34 (1(e))। जयपुर का केंद्र विश्लेषण 50 वर्ष पर 1 घंटे में 93 mm देता है, जो प्लेटों और अनुपातों से प्राप्त मान से लगभग एक-तिहाई अधिक है (Ghate & Timbadiya, 2022); खंड 2.3.6(h) की न्यूनतम सीमाएँ लागू होती हैं। अभिलेख: Bharatpur 630.0 mm (25 Aug 1996), Kanota (जयपुर) 589.2 mm और Dausa 550.0 mm (19 Jul 1981), Bamanwas 505.0 mm (19 Jul 1981), Nainwa (बूंदी) 502 mm (23 Aug 2025), Nasirabad 500.0 mm (5 Oct 1989), Ajmer 412.3 mm (10 Jun 2002), Jaipur (Sanganer) 326.0 mm (19 Jul 1981) (IMD)। NIH-DHAARA के 50-वर्ष 24-घंटे के मान जयपुर (151) और अजमेर (127 mm) में कम, और कोटा (318) और टोंक (270 mm) में अधिक

जोन (कार्यकारी नाम)	विस्तार (जिले, बेसिन)	प्रतिनिधि केंद्र	टिप्पणियाँ
RJ-Z2 पूर्व और मध्य: RJ-E ढूँढाड़–अजमेर (मध्य)	जयपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, किशनगढ़, ब्यावर और सांभर–फुलेरा की ओर का भाग; जयपुर और अजमेर जिलों का पश्चिमी भाग उप-क्षेत्र 1(a) में है; सीमाएँ [TBC]	Jaipur (Sanganer) (A), Ajmer, Tonk	अरावली की शिस्ट और क्वार्टजाइट पर जलोढ़ और रेतीली दोमट; जयपुर में भूजल स्तर 40 m से अधिक गहरे (CGWB)। राज्य में अल्पकालिक वर्षा घटनाओं का एकमात्र केंद्र विश्लेषण (जयपुर, खंड 2.3.6(b))। 18–20 जुलाई 1981 की वर्षा घटना, जयपुर में तीन दिनों में 82 cm, संदर्भ घटना है (Gupta & Jindal, 1987)। प्राप्तकर्ता जलाशय: ढूँढ तक द्रव्यवती (100-वर्ष का चैनल); मान सागर (जल महल), जिसका पूर्ण स्तर नहीं मिला [TBC]; अजमेर में आना सागर (अपने गेज पर 13 ft पर पूर्ण, प्रकाशित खबरों के अनुसार [TBC]); टोंक पर बनास (उच्चतम बाढ़ स्तर 262.05 m, 1973, CWC की सूची, प्रकाशित खबरों के अनुसार); बीसलपुर (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 315.5 m); और सांभर, बिना आउटफॉल वाली एक खारी झील
RJ-Z2 पूर्व और मध्य: RJ-F मेवात–ब्रज (उत्तर-पूर्व)	अलवर, भिवाड़ी, बहरोड़, भरतपुर और डीग, उप-क्षेत्र 1(e) में; सीमाएँ [TBC]	Alwar, Bharatpur	यमुना की ओर का जलोढ़; भूजल में फ्लोराइड (CGWB)। FER में 50-वर्ष 24-घंटे अलवर में लगभग 200 mm और भरतपुर में 220–240 mm; 1-घंटे का अनुपात 0.34। अभिलेख: Bharatpur 630.0 mm (25 Aug 1996) और 269.4 mm (11 Jul 2003), Mandawar (अलवर) 350.5 mm (3 Oct 1891), Alwar 219.6 mm (10 Sep 1969) (IMD)। प्राप्तकर्ता जलाशय: साहिबी, जो आगे हरियाणा और दिल्ली की ओर बहती है, रूपारेल, बाणगंगा और गंभीर, और भरतपुर में अजान बाँध और केवलादेव
RJ-Z2 पूर्व और मध्य: RJ-G हाड़ौती और चंबल	कोटा, बूंदी, बाराँ, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर; सीमाएँ [TBC]	Kota और Kota (A), Jhalawar, Sawai Madhopur, Dholpur, Rawatbhata 42552 (1956–2012)	मध्यम और गहरी काली मिट्टी (वर्टिसोल, vertisols), जो दरारें बंद हो जाने के बाद चंबल श्रेणी (Chambal series) में लगभग 1–3 mm/h की दर से पानी सोखती है (सारांश के अनुसार); चंबल उप-क्षेत्र की CWC हानि दर 1.7 mm/h है; दक्षिण-पूर्व के बड़े भाग में भूजल स्तर 20 m के भीतर (CGWB)। FER में 50-वर्ष 24-घंटे लगभग 240–320 mm। अभिलेख: Hindoli (बूंदी) 413.3 mm (22 Aug 1942), Bairam (बाराँ) 413.2 mm (13 Aug 1967), Nainwa (बूंदी) 502 mm (23 Aug 2025), Jhalawar 350.2 mm (17 Aug 1969) और 350.0 mm (5 Oct 1997), Kota (A) 251.7 mm (2 Jul 2001) (IMD; CWC FER 1(b))। प्राप्तकर्ता जलाशय: कोटा बैराज (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 260.3 m) के नीचे कोटा सिटी (Kota City) पर चंबल (खतरे का स्तर 242 m, उच्चतम बाढ़ स्तर 248.68 m, 2019, CWC), जिस बैराज से छोड़ा जाने वाला पानी गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर से छोड़े गए पानी के अनुसार चलता है; धौलपुर पर चंबल (खतरे का स्तर 130.79 m, उच्चतम बाढ़ स्तर 145.54 m, 23 Aug 1996, CWC); परवन, कालीसिंध, पार्वती और चंद्रलोही

जोन (कार्यकारी नाम)	विस्तार (जिले, बेसिन)	प्रतिनिधि केंद्र	टिप्पणियाँ
RJ-Z3 दक्षिण और आबू की पहाड़ियाँ	राज्य का दक्षिणी भाग: CWC उप-क्षेत्र 1(b) और 3(a) में मेवाड़ और वागड़, और माउंट आबू के चारों ओर 1(a) के बंद सेल में आबू की पहाड़ियाँ (खंड 2.3.6(c)); उदयपुर 1(b)/3(a) रेखा पर स्थित है; जोन रेखा को पार करने वाले जलग्रहण क्षेत्र अधिक जोन मान लेते हैं	Udaipur City 42543 (1898–2012) और Udaipur (Dabok) (A) 42542 (1965–2010), Mount Abu 42540 (1901–2012), Banswara 42655 (1964–2012), Chittorgarh 42546 (1973–2012), Dungarpur 42652 (1970–2012), Bhilwara 42447 (1962–2011)	जिलों के वार्षिक सामान्य मान लगभग 550–880 mm (राजसमंद 556.5, भीलवाड़ा 592.8, उदयपुर 697.2, डूंगरपुर 699.6, चित्तौड़गढ़ 793.9, बाँसवाड़ा 882.2 mm), और माउंट आबू में 1,677.0 mm (IMD, 1951–2000)। FER में 50-वर्ष 24-घंटे लगभग 200–320 mm, और आबू सेल में 440–480 mm और उससे अधिक; 1-घंटे का अनुपात 0.35 (1(b)), 0.36 (3(a) और 1(a))। अभिलेख: Mount Abu 653.0 mm (8 Sep 1992; *Climate of Rajasthan* में 700.0 mm [TBC]), Pindwara 635.0 mm (1 Sep 1973), Banswara 558.8 mm (23 Jul 1959) और 371.2 mm (26 Aug 1987), Sahara (भीलवाड़ा) 440.0 mm (8 Jul 1984), Udaipur City 292.0 mm (30 Jun 1983) (IMD)। *Climate of Rajasthan* का Chittor 802.9 mm (14 Jul 1982) Chittorgarh केंद्र के 227.0 mm के अभिलेख से विरोधाभासी है और प्रयुक्त नहीं किया जाता [TBC]। NIH-DHAARA के 50-वर्ष 24-घंटे के मान उदयपुर (175 mm) और माउंट आबू (407 mm) में कम, और बाँसवाड़ा (249 mm) में प्लेटों के निकट
RJ-Z3 दक्षिण और आबू की पहाड़ियाँ: RJ-H मेवाड़ और वागड़	उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा और डूंगरपुर; उदयपुर जिले का दक्षिणी भाग, दक्षिणी प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा और डूंगरपुर उप-क्षेत्र 3(a) में हैं; सीमाएँ [TBC]	Udaipur City और Udaipur (Dabok) (A), Chittorgarh, Banswara, Dungarpur, Bhilwara	लाल दोमट, मिश्रित लाल-और-काली मिट्टी और अरावली की चट्टान पर पतली मिट्टी; कठोर चट्टानी जलभृत (hard-rock aquifers)। FER में 50-वर्ष 24-घंटे उदयपुर में लगभग 200–220 mm, चित्तौड़गढ़ में लगभग 280 mm और बाँसवाड़ा और डूंगरपुर में 280–320 mm। प्राप्तकर्ता जलाशय: उदयपुर की झील-शृंखला, अर्थात पिछोला (11 ft पर पूर्ण), फतह सागर (13 ft, एक रिपोर्ट में 14 ft) और उदय सागर (24 ft), ऐसे गेजों पर जिनका शून्य नहीं मिला है (प्रकाशित खबरों के अनुसार [TBC]), जिसका पानी उफनकर आयड़ में और आगे बेड़च और बनास में जाता है; चित्तौड़गढ़ पर गंभीरी; माही बजाज सागर (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 281.5 m, प्रकाशित खबरों के अनुसार)
RJ-Z3 दक्षिण और आबू की पहाड़ियाँ: RJ-I माउंट आबू और सिरोही की पहाड़ियाँ	माउंट आबू, आबू रोड, पिंडवाड़ा और सिरोही; उप-क्षेत्र 1(a) के भीतर, किंतु उसके बंद उच्च सेल में; सीमाएँ [TBC]	Mount Abu, Erinpura (Jawai Bandh)	पतली मिट्टी वाली ग्रेनाइट और रायोलाइट की पहाड़ियाँ; राज्य में वर्षा की सबसे तीव्र प्रवणता, माउंट आबू के 1,677.0 mm के सामान्य मान से सिरोही के मैदानों पर लगभग 560 mm तक (IMD)। FER में 50-वर्ष 24-घंटे बंद सेल में 440–480 mm और उससे अधिक, और 100 वर्ष पर 560 mm से अधिक; 1(a) की रिपोर्ट का अपना अनुलग्नक (annex) माउंट आबू में 1 Sep 1973 को 560.0 mm देता है। प्राप्तकर्ता जलाशय: आबू रोड पर पश्चिमी बनास (उच्चतम बाढ़ स्तर 265.4 m, 31 Aug 1973, CWC की सूची, प्रकाशित खबरों के अनुसार) और नक्की झील

परिशिष्ट 2B — जोनवार उप-दैनिक अनुपात P(t)/P(24h): NIH-DHAARA (घंटेवार आँकड़ों पर आधारित) बनाम एक-तिहाई नियम

अध्याय 2 के खंड 2.6.1 से 2.6.4 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में परिशिष्ट 2A के प्रत्येक जोन के लिए NIH-DHAARA से, जो घंटेवार अभिलेखों से व्युत्पन्न है, t-घंटे और 24-घंटे की डिजाइन गहराई के अनुपात तालिकाबद्ध किए जाएँगे और उनकी तुलना IMD Das et al. (2022) से निकलने वाले अनुपातों तथा एक-तिहाई नियम (one-third rule) से की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक जोन के प्रतिनिधि बिंदुओं पर प्रत्येक अवधि के लिए NIH-DHAARA गहराइयाँ (NIH), IMD के स्व-अभिलेखी वर्षामापी आँकड़े और Das et al. (2022) के IDF मान (IMD) आवश्यक हैं। इसके प्रकाशित होने तक उप-दैनिक गहराइयाँ सीधे NIH-DHAARA से या किसी अनुमोदित केंद्र IDF से पढ़ी जाती हैं (खंड 2.6.1)। जहाँ केवल दैनिक गहराइयाँ उपलब्ध हों, वहाँ वे अनुपात लिए जाते हैं जिन पर प्राधिकारी से सहमति हुई हो, जो राजस्थान में खंड 2.3.6 के अनुपात हैं: तालिका 2B.1 में साइट के उप-क्षेत्र के लिए CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट के अनुपात, जिन्हें RJ-Z2 और RJ-Z3 में 10-वर्ष और उससे दुर्लभ वर्षा घटनाओं के लिए 1 और 3 घंटे पर खंड 2.3.6(h) की न्यूनतम सीमाओं तक बढ़ाया जाता है, और RJ-E में जयपुर के लिए खंड 2.3.6(b) की 1-घंटे की गहराई के साथ प्रयुक्त किया जाता है (खंड 2.6.2), और ये प्रपत्र 2-1 में दर्ज किए जाते हैं। एक-तिहाई नियम का उपयोग नहीं किया जाता (खंड 2.6.4)।

2B.1 तालिका 2B.1 की पहली पंक्ति में एक-तिहाई नियम P(t) = P(24)·(t/24)^(1/3) के अनुपात केवल तुलना के लिए दिए गए हैं। 1, 3, 6 और 12 h के मान वे हैं जो खंड 2.6 के भाष्य में बताए गए हैं; 2 h का मान उसी सूत्र से परिकलित किया गया है। जब तक यह परिशिष्ट संबंधित जोन के लिए इस नियम की पुष्टि न करे, तब तक इसका उपयोग डिजाइन के लिए नहीं किया जाएगा (खंड 2.6.4)।

तालिका 2B.1 — जोनवार अनुपात P(t)/P(24h) (ढाँचा)

जोन	स्रोत	1 h	2 h	3 h	6 h	12 h	24 h
सभी (केवल संदर्भ के लिए, डिजाइन के लिए नहीं)	एक-तिहाई नियम	0.35	0.44	0.50	0.63	0.79	1.00
RJ-Z1 (RJ-A से RJ-D), और 1(a) के आबू सेल में RJ-I	CWC FER 1(a), 10-वर्ष का आधार (अंतरिम डिजाइन अनुपात, खंड 2.3.6(g))	0.36		0.58	0.72	0.85	1.00
RJ-Z2 (RJ-E, RJ-G) और RJ-Z3 का 1(b) वाला भाग (RJ-H उत्तर)	CWC FER 1(b), 50-वर्ष (अंतरिम डिजाइन अनुपात, खंड 2.3.6(g))	0.35		0.53	0.67	0.80	1.00
RJ-Z2 (RJ-F)	CWC FER 1(e), 50-वर्ष (अंतरिम डिजाइन अनुपात, खंड 2.3.6(g))	0.340	0.475	0.560	0.680	0.840	1.00
RJ-Z3 (RJ-H दक्षिण: बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, दक्षिणी उदयपुर और दक्षिणी प्रतापगढ़)	CWC FER 3(a), 50-वर्ष (अंतरिम डिजाइन अनुपात, खंड 2.3.6(g))	0.36		0.57	0.70	0.85	1.00
RJ-Z2 और RJ-Z3	खंड 2.3.6(h)(i) की अनुपात-आधारित न्यूनतम सीमा, 10–100 वर्ष	0.37		0.56			1.00
RJ-Z2 (RJ-E): जयपुर	Ghate & Timbadiya (2022), लेखकों के सुझाए गए 25-वर्ष के डिजाइन मान, 1 h में 70 mm और 24 h में 190 mm (केवल तुलना के लिए)	0.37					1.00
RJ-Z2 (RJ-E): जयपुर	खंड 2.3.6(b) की 50 वर्ष पर केंद्र की 1-घंटे की गहराई (93 mm), लगभग 200 mm के 1(b) प्लेट मान के अनुपात के रूप में (केवल तुलना के लिए)	0.47					1.00

जोन	स्रोत	1 h	2 h	3 h	6 h	12 h	24 h
RJ-Z2 (RJ-E): जयपुर	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, जयपुर सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.31	0.45			0.81	1.00
RJ-Z2 (RJ-G): कोटा	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, कोटा सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.21	0.36			0.79	1.00
RJ-Z1 (RJ-B): जोधपुर	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, जोधपुर सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.29	0.44			0.81	1.00
RJ-Z3 (RJ-H): उदयपुर	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, उदयपुर सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.28	0.42			0.84	1.00
RJ-Z3 (RJ-I): माउंट आबू	NIH-DHAARA, 50-वर्ष, माउंट आबू सेल (केवल तुलना के लिए; 3- और 6-घंटे के मान नहीं देखे गए)	0.16	0.26			0.77	1.00

2B.2 नियत प्रेक्षण अंतरालों (fixed observation windows) की गहराइयों को खंड 2.6.3 के गुणकों से वास्तविक-अंतराल गहराइयों में परिवर्तित किया जाता है, जो तालिका 2B.2 में दोहराए गए हैं। ये WMO (हर्शफील्ड) के मानक मान हैं और अनंतिम नहीं हैं।

तालिका 2B.2 — नियत-अंतराल समायोजन गुणक (खंड 2.6.3)

अवधि में नियत प्रेक्षण अंतरालों की संख्या	गुणक
1	1.13
2	1.04
3–4	1.02

परिशिष्ट 2C — ग्रिड-से-बिंदु गुणक

अध्याय 2 के खंड 2.7.1 और 2.7.4 के लिए।

> **तैयार किया जाना है.** इस परिशिष्ट में वे गुणक दिए जाएँगे जो ग्रिड-औसत डिजाइन गहराइयों (उदाहरण के लिए 0.25° सेल से) को जोन, अवधि और AEP के अनुसार बिंदु गहराइयों में परिवर्तित करते हैं। इसके लिए IMD के ग्रिड वर्षा आँकड़ों और प्रत्येक सेल के भीतर IMD तथा राज्य के वर्षामापियों (IMD, WRD और राज्य के वे तहसील (tehsil) वर्षामापी जिनकी रीडिंग राज्य प्रकाशित करता है [TBC]) के युग्मित आवृत्ति विश्लेषण, परिशिष्ट 2A के बेंचमार्क बिंदु, और गुणक व्युत्पन्न करने की एक घोषित विधि आवश्यक हैं। इसके प्रकाशित होने तक डिजाइन गहराइयाँ NIH-DHAARA से या किसी अनुमोदित केंद्र IDF से बिंदु मानों के रूप में ली जाती हैं (खंड 2.3.1 और 2.3.2)। ग्रिड-औसत मानों का उपयोग डिजाइन गहराइयों के रूप में तब तक नहीं किया जाता जब तक प्राधिकारी से सहमत कोई रूपांतरण प्रपत्र 2-1 में दर्ज न हो (खंड 1.11.5)।

2C.1 खंड 2.7 के भाष्य से स्पष्ट है कि ये गुणक क्यों महत्वपूर्ण हैं, और राजस्थान में पुनर्विश्लेषण (reanalysis) के सेल अधिकतर कम की ओर त्रुटि करते हैं। जयपुर में NIH-DHAARA का IMDAA सेल (लगभग 12 km) 50-वर्ष 24-घंटे की गहराई लगभग 151 mm और 100-वर्ष की गहराई लगभग 170 mm देता है, जबकि CWC प्लेट लगभग 200 mm देती है, Ghate & Timbadiya (2022) का केंद्र विश्लेषण 50 वर्ष पर 194.6–

249.9 mm देता है, और सांगानेर वर्षामापी ने 19 जुलाई 1981 को 326.0 mm दर्ज किया; अजमेर में सेल का 50-वर्ष मान, लगभग 127 mm, केंद्र के 412.3 mm (10 जून 2002) के अभिलेख के एक-तिहाई से भी कम है; बीकानेर में लगभग 89 mm, जबकि प्लेट मान लगभग 180 mm है; और जैसलमेर में लगभग 94 mm, जबकि केंद्र का अभिलेख 204.0 mm है और अगस्त 1973 की उसी वर्षा घटना में सम में 540.0 mm दर्ज हुए। कोटा में सेल का मान, लगभग 318 mm, लगभग 240–280 mm के प्लेट मान और कोटा (A) के 251.7 mm (2 जुलाई 2001) के अभिलेख से अधिक है। सेलों की 50-वर्ष 1-घंटे की गहराइयाँ, लगभग 33–68 mm, उनकी 24-घंटे की गहराइयों की 0.16–0.45 हैं, और जयपुर में यह गहराई 46.3 mm है, जो केंद्र विश्लेषण के 93 mm का आधा है (NIH-DHAARA, 6–7 नवंबर 2026 को देखा गया; IMD; CWC)। इस प्रकार के मान ग्रिड-औसत मान हैं और बिंदु गहराइयों के रूप में किसी भी उपयोग से पहले इन गुणकों की आवश्यकता होती है; खंड 2.3.6 के अंतर्गत राजस्थान में इनका उपयोग डिजाइन गहराइयों के रूप में तब तक नहीं किया जाता जब तक यह परिशिष्ट और परिशिष्ट 2A प्रकाशित न हो जाएँ।

तालिका 2C.1 — ग्रिड-से-बिंदु गुणक (ढाँचा)

जोन	ग्रिड उत्पाद और सेल का आकार	अवधि (h)	AEP	गुणक (बिंदु / ग्रिड)	प्रयुक्त केंद्र	अभिलेख के वर्ष
		24				
		48				
		72				

परिशिष्ट 2D — राजस्थान के वर्षा कालिक वितरण (हफ वक्र)

अध्याय 2 के खंड 2.9.3 और 2.9.4 के लिए, और अध्याय 11 के खंड 11.7.3 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में राजस्थान की वर्षा घटनाओं के आयामहीन समय-वितरण (संचयी, mass) वक्र, Huff (1967) द्वारा प्रस्तुत रूप में, जोन, वर्षा-अवधि वर्ग और चतुर्थक (quartile) के अनुसार, घोषित प्रायिकता स्तरों पर दिए जाएँगे। इसके लिए स्व-अभिलेखी वर्षामापियों और स्वचालित मौसम केंद्रों (IMD, राज्य में IMD के वे स्वचालित मौसम केंद्र और स्वचालित वर्षामापी जो मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर के अधीन हैं, और WRD के तथा नगरों के कमांड सेंटरों (command centres) के कोई स्व-अभिलेखी वर्षामापी [TBC]) से वर्षा घटनाओं के हायटोग्राफ आवश्यक हैं, जिन्हें एक घोषित नियम से स्वतंत्र वर्षा घटनाओं में अलग किया गया हो, और उनमें 18–20 जुलाई 1981 की जयपुर की वर्षा घटना, 16–17 अगस्त 1973 की जैसलमेर और सम की वर्षा घटना, 8 सितंबर 1992 की माउंट आबू की वर्षा घटना, 10 जून 2002 की अजमेर की वर्षा घटना, 19–22 अगस्त 2006 की बाड़मेर की वर्षा घटना, 18–19 जुलाई 2022 की जोधपुर की वर्षा घटना, 31 जुलाई–1 अगस्त 2024 की जयपुर की वर्षा घटना और 23 अगस्त 2025 की नैनवाँ (बूंदी) की वर्षा घटना सम्मिलित हों। इसके प्रकाशित होने तक डिजाइन वर्षा घटनाओं में खंड 2.9.1 का ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक पैटर्न और खंड 2.9.2 का 48- और 72-घंटे का पैटर्न उपयोग किया जाता है; 25–5,000 km^2 के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट के वक्रों का उपयोग खंड 2.9.1 के अंतर्गत संवेदनशीलता रन (sensitivity run) के साथ किया जा सकता है (खंड 2.9.4)। SCS टाइप वितरणों का उपयोग नहीं किया जाता (खंड 2.9.3)। सतत सिमुलेशन (खंड 11.7.3) में दैनिक अभिलेखों के विभाजन (disaggregation) के लिए विधि पर प्राधिकारी से सहमति ली जाती है और उसे दर्ज किया जाता है (खंड 1.11.5)।

तालिका 2D.1 — वर्षा घटना के समय के संचयी अंश के सापेक्ष वर्षा गहराई का संचयी अंश (ढाँचा, प्रत्येक जोन, अवधि वर्ग और चतुर्थक के लिए एक तालिका)

वर्षा घटना के समय का अंश	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
10% प्रायिकता वक्र	0										1.0
50% प्रायिकता वक्र	0										1.0
90% प्रायिकता वक्र	0										1.0

2D.1 प्रत्येक तालिका में जोन, अवधि वर्ग, चतुर्थक (वर्षा घटना का वह चौथाई भाग जिसमें सबसे अधिक वर्षा हुई), विश्लेषित वर्षा घटनाओं की संख्या और अभिलेख की अवधि बताई जाएगी।

संदर्भ: Huff, F.A. (1967). Time distribution of rainfall in heavy storms. *Water Resources Research* 3(4), 1007–1019.

परिशिष्ट 2E — जोनवार प्रतिधारण शततमक गहराइयाँ

अध्याय 2 के खंड 2.8.3 और 2.10.1 से 2.10.2, अध्याय 4 के खंड 4.4 और अध्याय 8 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में परिशिष्ट 2A के प्रत्येक जोन के लिए प्रतिधारण डिजाइन गहराई P_R दी जाएगी: वह 24-घंटे की वर्षा गहराई जो दीर्घकालिक अभिलेख में वर्षा वाले दिनों (≥ 2.5 mm) में से 90% दिनों में पार नहीं होती (खंड 2.10.1)। इसके लिए प्रत्येक जोन के केंद्रों के लंबे दैनिक अभिलेख (IMD, WRD और राज्य के वे तहसील (tehsil) वर्षामापी जिनकी रीडिंग राज्य प्रकाशित करता है [TBC]) और, जहाँ केंद्र कम हों वहाँ, परिशिष्ट 2C के गुणकों सहित IMD के ग्रिड आँकड़े आवश्यक हैं। इसके प्रकाशित होने तक P_R की गणना खंड 2.10.1 की परिभाषा से, प्राधिकारी से सहमत किसी केंद्र के दीर्घकालिक दैनिक अभिलेख से, 2E.1 के पदों के अनुसार की जाती है, और उसे प्रपत्र 2-1 में दर्ज किया जाता है (खंड 1.11.5)।

2E.1 **दैनिक अभिलेख से P_R की गणना।**

1. केंद्र के पूरे अभिलेख की दैनिक (24-घंटे) वर्षा शृंखला लें।
2. केवल 2.5 mm या अधिक वर्षा वाले दिन (वर्षा वाले दिन, wet days) रखें।
3. वर्षा वाले दिनों की गहराइयों को क्रमबद्ध करें और वह गहराई लें जो उनमें से 90% में पार नहीं होती (90वाँ शततमक)।
4. जलवायु गुणक (खंड 2.8.3) या नियत-अंतराल गुणक न लगाएँ; P_R दैनिक सामान्य वर्षा का एक सांख्यिकीय मान है, AEP डिजाइन गहराई नहीं।
5. केंद्र, अभिलेख की अवधि, वर्षा वाले दिनों की संख्या और P_R को प्रपत्र 2-1 में दर्ज करें।

तालिका 2E.1 — जोनवार प्रतिधारण गहराई P_R (ढाँचा)

जोन	प्रयुक्त केंद्र या ग्रिड सेल	अभिलेख की अवधि	वर्षा वाले दिनों की संख्या (≥ 2.5 mm)	P_R, 90वाँ शततमक (mm)	जारी करने की तिथि
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर					
RJ-Z2 पूर्व और मध्य					
RJ-Z3 दक्षिण और आबू की पहाड़ियाँ					

प्रपत्र 2-1 — डिजाइन वर्षा पत्रक

अध्याय 2 के खंड 2.3 से 2.13 के लिए, और अध्याय 10 के खंड 10.4.1(d) के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक जलवैज्ञानिक प्रस्तुति के लिए एक पत्रक। पद अध्याय 2 के चित्र 2.3 के अनुसार हैं।

तालिका 2F.1 — प्रपत्र 2-1: साइट, स्रोत और वर्षा घटनाएँ

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
	A. साइट (खंड 2.13, मद 1)	
A1	परियोजना और साइट	_____
A2	साइट के निर्देशांक (अक्षांश, देशांतर, दशमलव डिग्री)	_____
A3	वर्षा जोन (परिशिष्ट 2A, या प्राधिकारी से सहमति के अनुसार)	_____
A4	योगदान देने वाले जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल (km^2) (खंड 2.7)	_____
A5	डिजाइन आयु: 25 वर्ष से अधिक / अस्थायी कार्य, 5 वर्ष या कम (खंड 2.8.2)	_____
A6	आउटफॉल ज्वारीय या नदी के पश्चजल (backwater) प्रभाव में: हाँ / नहीं (खंड 2.5.3, 2.12)	_____
	B. स्रोत (खंड 2.3, 2.3.5; मद 2)	
B1	NIH-DHAARA: संस्करण या उपयोग की तिथि	_____
B2	जिन निर्देशांकों के मान निकाले गए	_____
B3	निकाले गए मानों का स्क्रीनशॉट या निर्यात संलग्न: संदर्भ	_____
B4	प्रयुक्त केंद्र IDF (खंड 2.3.2): नहीं / हाँ — केंद्र, ID, साइट से दूरी (km)	_____
B5	केंद्र IDF: स्व-अभिलेखी वर्षामापी आँकड़ों के वर्ष (30 या अधिक); प्रकाशित या अनुमोदित करने वाला	_____
B6	केंद्र IDF: वर्षामापी और साइट के बीच भू-भाग या तटीय अनावरण में परिवर्तन: कोई नहीं / वर्णन करें	_____
	C. AEP और अवधियाँ (खंड 2.4, 2.5)	
C1	डिजाइन किए गए अवयव और उनके AEP (तालिका 2.1)	_____
C2	वहन: Tc और डिजाइन अवधि (10 मिनट से कम नहीं) (खंड 2.5.1)	_____
C3	भंडारण: {1, 2, 3, 6, 12, 24, 48, 72 h} में से जाँची गई अवधियाँ; 24, 48 और 72 h सम्मिलित (खंड 2.5.2)	_____
C4	प्रत्येक भंडारण अवयव के लिए प्राप्त क्रांतिक अवधि	_____
	D. रूपांतरण	
D1	उप-दैनिक गहराइयाँ: सीधे पढ़ी गईं / परिशिष्ट 2B के अनुपातों से / प्राधिकारी से सहमत अनुपातों से (खंड 2.6.1, 2.6.2)	_____
D2	लगाया गया नियत-अंतराल गुणक: कोई नहीं (वास्तविक-अंतराल स्रोत) / 1.13 / 1.04 / 1.02 (खंड 2.6.3)	_____
D3	ग्रिड-से-बिंदु गुणक: आवश्यक नहीं (बिंदु स्रोत) / परिशिष्ट 2C / सहमत मान (खंड 2.7.1)	_____

क्र.	मद (खंड)	प्रविष्टि
D4	ARF: 1.0 (10 km² या कम; एकल-साइट भंडारण) / CWC वक्र / अंतर्वेशित (खंड 2.7.2–2.7.4)	_____
D5	जलवायु गुणक: 1.20 (≤ 6 h) और 1.10 (> 6–72 h) / 1.0 अस्थायी कार्य / खंड 2.8.4 के अंतर्गत प्रक्षेपित गहराइयाँ	_____
	E. प्रति-जाँचें (खंड 2.3.3; मद 4)	
E1	1–24 h के लिए IMD Das et al. (2022) के मान: तालिका 2F.2 में दर्ज	_____
E2	CWC उप-क्षेत्र 1(a) / 1(b) / 1(e) / 3(a) का 24-घंटे का बिंदु मान, 25–5,000 km² के जलग्रहण क्षेत्र: प्रयुक्त उप-क्षेत्र	_____
E3	किसी AEP के लिए CWC न्यूनतम सीमा निर्णायक: नहीं / हाँ — AEP	_____
	F. प्रतिधारण गहराई (खंड 2.10)	
F1	P_R (mm) और स्रोत: परिशिष्ट 2E का जोन मान / परिशिष्ट 2E, 2E.1 के अंतर्गत परिकलित — केंद्र और अवधि	_____
F2	P_R पर कोई जलवायु गुणक नहीं लगाया गया (खंड 2.8.3): पुष्टि	_____
	G. डिजाइन वर्षा घटनाएँ (खंड 2.9, 2.11, 2.12; मद 5 और 6)	
G1	24 h तक की वर्षा घटनाएँ: ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक, चरम 50% पर; समय पद (≤ Tc/3 और ≤ 15 मिनट)	_____
G2	48 और 72 h की वर्षा घटनाएँ: खंड 2.9.2 के अंतर्गत निर्मित (तालिका 2F.3)	_____
G3	प्रयुक्त अन्य पैटर्न: कोई नहीं / परिशिष्ट 2D / संवेदनशीलता रन सहित CWC FER (खंड 2.9.3, 2.9.4)	_____
G4	प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के हायटोग्राफ तालिका और आलेख के रूप में संलग्न: संदर्भ	_____
G5	AMC: RJ-G और RJ-H में और कहीं भी काली मिट्टी पर 15 अगस्त–15 सितंबर की प्रत्येक डिजाइन वर्षा घटना के लिए, उसकी अवधि चाहे जो हो, III; किसी अन्य समय और स्थान पर 53 mm से अधिक के 5-दिवसीय योग के बाद आने वाली या उसे अपने भीतर रखने वाली वर्षा घटना के लिए III; अन्यथा II (खंड 2.11.4)	_____
G6	विकास-पूर्व स्थिति: अविकसित खुली भूमि (greenfield), मानचित्रित HSG के लिए अच्छी स्थिति में खुली भूमि (खंड 2.11.5)	_____
G7	निकास मानदंड: मानक, Q_post ≤ 0.9 × Q_pre (खंड 2.11.2) / बाढ़-संवेदनशील, मिश्रित-आवृत्ति नियम (खंड 2.11.3)	_____
G8	चलाई गई टेलवाटर संयुक्त स्थितियाँ (खंड 2.12): स्थिति (a) MHWS + समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई; स्थिति (b) 1% AEP स्थिर जल स्तर + समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई के साथ 10% AEP 48 h वर्षा घटना; निर्णायक स्थिति	_____
	H. तैयारकर्ता	
H1	मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए मान वही हैं जो निकाले गए और प्रस्तुति में प्रयुक्त हुए। नाम, पंजीकरण संख्या, हस्ताक्षर, तिथि	_____

डिजाइन गहराई = स्रोत गहराई × नियत-अंतराल गुणक × ग्रिड-से-बिंदु गुणक × ARF × जलवायु गुणक। जहाँ डिजाइन गहराई उसी AEP के लिए CWC न्यूनतम सीमा से कम हो, वहाँ न्यूनतम सीमा ली जाती है (खंड 2.3.3)।

तालिका 2F.2 — प्रपत्र 2-1: गहराई तालिका (खंड 2.13, मद 3)

AEP (T-वर्ष)	अवधि	स्रोत गहराई (mm)	नियत-अंतराल गुणक	ग्रिड-से-बिंदु गुणक	ARF	जलवायु गुणक	डिजाइन गहराई (mm)	IMD Das et al. (2022) (mm)	CWC न्यूनतम सीमा (mm)	ली गई गहराई (mm)

AEP (T-वर्ष)	अवधि	स्रोत गहराई (mm)	नियत-अंतराल गुणक	ग्रिड-से-बिंदु गुणक	ARF	जलवायु गुणक	डिजाइन गहराई (mm)	IMD Das et al. (2022) (mm)	CWC न्यूनतम सीमा (mm)	ली गई गहराई (mm)

तालिका 2F.3 — प्रपत्र 2-1: 48- और 72-घंटे की वर्षा घटना का निर्माण (खंड 2.9.2)

AEP (T-वर्ष)	अवधि (h)	कुल डिजाइन गहराई (mm)	24 h डिजाइन गहराई, अंतिम 24 h (mm)	शेष (mm)	अंतिम 24 h से पहले के घंटे	अंतिम 24 h से पहले एकसमान तीव्रता (mm/h)
	48				24	
	72				48	

अध्याय 3 के परिशिष्ट

जलवैज्ञानिक विधियाँ

ये परिशिष्ट अध्याय 3 के लिए हैं। परिशिष्ट 3C में सॉफ्टवेयर स्वीकार्यता के लिए बेंचमार्क परीक्षण समस्याएँ दी गई हैं, और प्रपत्र 3-1 और 3-2 खंड 3.17 द्वारा अपेक्षित प्रस्तुति प्रपत्र हैं। परिशिष्ट 3A, 3B, 3D और 3E के लिए सर्वेक्षण, गेजिंग या प्रकाशित रिपोर्टों के ऐसे आँकड़े आवश्यक हैं जो इस प्रारूप में अभी नहीं हैं; प्रत्येक में अभिप्रेत रूपरेखा और अध्याय 3 का वह अंतरिम नियम दिया गया है जो उसके प्रकाशित होने तक लागू रहता है। ये प्रपत्र प्रारूप प्रपत्र हैं और इनकी कोई सांविधिक स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट 3A — राजस्थान की मृदा श्रृंखला से HSG की मिलान-सूची; मौसमी उच्चतम भूजल स्तर का मानचित्र

अध्याय 3 के खंड 3.7 और 3.10 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में (a) राजस्थान में मानचित्रित प्रत्येक मृदा श्रृंखला से उसके जलवैज्ञानिक मृदा समूह (HSG) की मिलान-सूची (lookup), निकासी वाली और बिना निकासी वाली दोनों अवस्थाओं में, और (b) दक्षिण-पश्चिम मानसून (जून–सितंबर) में मौसमी उच्चतम भूजल स्तर की गहराई का मानचित्र होगा। इसके लिए NBSS&LUP और शुष्क क्षेत्र के लिए केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI) या राजस्थान के कृषि विभाग (मृदा सर्वेक्षण) [TBC] के श्रृंखला मानचित्र उनके पैमानों सहित, प्रत्येक श्रृंखला के लिए मापी गई संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता और अपारगम्य परत तक की गहराई, और केंद्रीय भूमि जल बोर्ड तथा भू-जल विभाग के प्रेक्षण कुओं के अभिलेख आवश्यक हैं, जिनके साथ श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के घग्घर–नहर के मैदानों में, जोधपुर के पुराने शहर में, चंबल, बनास, लूणी और घग्घर के डूब क्षेत्रों में, हाड़ौती के काली मिट्टी के मैदानों में, और उदयपुर, अजमेर और जयपुर की झीलों और तालाबों (talabs) के अग्रतटों (foreshores) में पीजोमीटर भी हों। इसके प्रकाशित होने तक अध्याय 3 के अंतरिम नियमों का उपयोग करें: NEH Part 630, Ch. 7 के मानदंडों द्वारा मापी गई संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता और अपारगम्य परत या भूजल स्तर तक की गहराई से HSG निर्धारित करें (खंड 3.7.2); जहाँ भी प्रतिधारण अंतःस्यंदन पर निर्भर है, वहाँ साइट अंतःस्यंदन परीक्षणों द्वारा उसका सत्यापन करें (खंड 3.7.3); मौसमी उच्चतम भूजल स्तर साइट के पीजोमीटरों, परीक्षण गड्ढों या निकटतम प्रेक्षण कुएँ से लें (खंड 3.10.2); और जहाँ भी वह स्तर भू-सतह से 0.6 m के भीतर हो, वहाँ HSG D दें (खंड 3.10.1)।

तालिका 3A.1 — मृदा श्रृंखला से HSG की मिलान-सूची (रूपरेखा)

मृदा श्रृंखला	जिला (जिले)	वर्गिकी वर्ग	सतही बनावट	संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता (mm/h)	अपारगम्य परत तक की गहराई (m)	HSG, निकासी वाली	HSG, बिना निकासी वाली	स्रोत मानचित्र और पैमाना

तालिका 3A.2 — मानचित्रण इकाईवार मौसमी उच्चतम भूजल स्तर (रूपरेखा)

मानचित्रण इकाई या ग्रिड सेल	प्रयुक्त प्रेक्षण कुएँ	जून–सितंबर के अभिलेख के वर्ष	जून–सितंबर का उच्चतम स्तर, भूतल से नीचे (m)	भूतल से 0.6 m के भीतर (खंड 3.10.1)?	आँकड़ों का स्रोत

परिशिष्ट 3B — राजस्थान का CN अंशांकन और पूरक भू-आवरण (टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत, कैल्क्रीट की परतें और लवणीय गर्त, फटी हुई काली मिट्टी की परती भूमि, तालाबों, जोहड़ों, नाडियों और खड़ीनों के तल, अरावली की चट्टान और पतली मिट्टी, मरुस्थलीय झाड़ियाँ और घास के मैदान)

अध्याय 3 के खंड 3.8 और 3.15 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में (a) राजस्थान के जलग्रहण क्षेत्रों में प्रेक्षित वर्षा और अपवाह के सापेक्ष अंशांकित कर्व नंबर, तालिका 3.5 के TR-55 मानों से तुलना सहित, और (b) उन भू-आवरणों के कर्व नंबर होंगे जो तालिका 3.5 में सूचीबद्ध नहीं हैं: थार के टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत, खिसकती हुई या स्थिर, खुली या विरल घास से ढकी; शुष्क क्षेत्र की कैल्क्रीट (कंकड़) और पेट्रोकैल्सिक परतें और लवणीय और जिप्सम वाले गर्त, जो कुछ सेंटीमीटर मिट्टी से ही पानी बहा देते हैं; हाड़ौती की काली मिट्टी की परती भूमि, जब तक वह मानसून के आरंभ में सूखी और फटी हुई हो; तालाबों (talab), जोहड़ों (johad), नाडियों (nadi) और खड़ीनों (khadin) के तल और पिछोला, फतह सागर और आना सागर जैसी झीलों के अग्रतट, जो वर्षा घटना के आरंभ में सूखे या जोते गए हों; माउंट आबू और उदयपुर से अजमेर, जयपुर और अलवर तक अरावली की पहाड़ियों की खुली या लगभग खुली चट्टान और पतली मिट्टी; और पश्चिम की मरुस्थलीय झाड़ियाँ और घास के मैदान और अरावली के शुष्क वन। इसके लिए ज्ञात आवरण और मृदा वाले छोटे गेज किए गए जलग्रहण क्षेत्रों के युग्मित वर्षा–अपवाह अभिलेख आवश्यक हैं, जो WRD के गेजिंग स्थलों, कृषि अनुसंधान केंद्रों और तालाब गेजों से प्राप्त हों और घटनावार तथा पूर्ववर्ती नमी के अनुसार विश्लेषित हों। इसके प्रकाशित होने तक: प्रत्येक साइट के लिए विकास-पूर्व संदर्भ अच्छी दशा वाला खुला स्थान ही रहता है (खंड 3.3.2), इसलिए ये आवरण विकास-पूर्व रन में नहीं आते; साइट के बाहर की विद्यमान स्थितियों के लिए तालिका 3.5 या TR-55 की निकटतम आवरण पंक्ति का, जोती गई भूमि की पंक्तियों सहित (खंड 3.8.3(c)), उपयोग करें, और चुनी गई पंक्ति और उसका कारण प्रपत्र 3-1 में बताएँ; डिजाइन वर्षा घटना के आरंभ में खड़े पानी के नीचे की भूमि को बिना किसी हानि के जल सतह के रूप में मॉडल किया जाता है (तालिका 3.5; खंड 3.10.4(b))। इन डिफॉल्ट मानों से किसी भी विचलन के लिए खंड 3.15 के अंतर्गत अंशांकन अपेक्षित है (खंड 3.15.1(d))।

तालिका 3B.1 — पूरक भू-आवरण, AMC II (रूपरेखा)

आवरण का प्रकार	HSG A	HSG B	HSG C	HSG D	Ia अनुपात	आधार (जलग्रहण क्षेत्र, घटनाएँ, वर्ष)
थार के टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत, खिसकती हुई या स्थिर, खुली या विरल घास से ढकी						
शुष्क क्षेत्र की कैल्क्रीट (कंकड़) या पेट्रोकैल्सिक परत, जिप्सम की परत या लवणीय गर्त						

आवरण का प्रकार	HSG A	HSG B	HSG C	HSG D	Ia अनुपात	आधार (जलग्रहण क्षेत्र, घटनाएँ, वर्ष)
हाड़ौती की काली मिट्टी की परती भूमि, वर्षा घटना के आरंभ में सूखी और फटी हुई (15 अगस्त से पहले)						
तालाब (talab), जोहड़ (johad), नाडी (nadi) या खड़ीन (khadin) का तल, या झील का अग्रतट, वर्षा घटना के आरंभ में सूखा या जोता गया						
अरावली की खुली या लगभग खुली चट्टान और पतली मिट्टी						
पश्चिम की मरुस्थलीय झाड़ियाँ और घास के मैदान, और अरावली के शुष्क वन						
अन्य (बताएँ)						

तालिका 3B.2 — CN अंशांकन जलग्रहण क्षेत्र (रूपरेखा)

जलग्रहण क्षेत्र	जिला	क्षेत्रफल (km^2)	प्रमुख HSG और आवरण	प्रयुक्त घटनाएँ	तालिका 3.5 का CN	अंशांकित CN	अंशांकित ÷ तालिका 3.5

परिशिष्ट 3C — सॉफ्टवेयर स्वीकार्यता के लिए बेंचमार्क परीक्षण समस्याएँ

अध्याय 3 के खंड 3.5, 3.6, 3.8, 3.9, 3.11, 3.12 और 3.16 के लिए।

प्रयोजन. खंड 3.16.1 में सूचीबद्ध न किया गया सॉफ्टवेयर नीचे दी गई पाँच समस्याओं के परिणाम दोहराएगा (खंड 3.16.3)। प्रत्येक समस्या पूरी तरह विनिर्दिष्ट है और केवल अध्याय 3 की विधियों और तालिकाओं का उपयोग करती है, इसलिए प्रत्येक उत्तर की जाँच हाथ से की जा सकती है। स्वीकार्यता की सहनसीमा प्रत्येक सारणीबद्ध परिणाम पर ±5% है, जो खंड 3.16.2 की समतुल्यता सीमा है; बंद-रूप (closed-form) परिणामों (समस्याएँ 3C-1 से 3C-4) के लिए सॉफ्टवेयर को दर्शाए गए पूर्णांकन तक मेल खाना चाहिए। प्रस्तुति में नीचे दिए गए प्रत्येक उत्तर के साथ सॉफ्टवेयर का परिणाम दर्ज किया जाएगा।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं। इनपुट (क्षेत्रफल, तीव्रताएँ, वर्षा की गहराइयाँ, ढलान और बेसिन) केवल परीक्षण के लिए चुने गए हैं। ये किसी भी साइट के डिजाइन आँकड़े नहीं हैं।

समस्या 3C-1 — रेशनल विधि से चरम प्रवाह (खंड 3.5)

इनपुट. एक इनलेट में पानी छोड़ने वाला 2.0 ha का जलग्रहण क्षेत्र: 1.2 ha कंक्रीट फर्श और छतें, C = 0.90 (तालिका 3.2, 0.80–0.95 का ऊपरी आधा भाग); 0.8 ha रेतीली मृदा पर लॉन, औसत ढलान, C = 0.15 (तालिका 3.2, 0.10–0.15 का ऊपरी आधा भाग)। डिजाइन AEP 1% (100-वर्ष)। Tc पर वर्षा की तीव्रता, जलवायु गुणक सहित: i = 120 mm/h।

भाग (b): एक अलग 0.5 ha का पूरी तरह पक्का जलग्रहण क्षेत्र, C = 0.90, डिजाइन AEP 1%, i = 150 mm/h।

तालिका 3C.1 — समस्या 3C-1 का हल

पद	गणना	परिणाम
संयुक्त C (खंड 3.5.4)	(1.2 × 0.90 + 0.8 × 0.15) / 2.0	0.60
आवृत्ति गुणक (तालिका 3.3)	1% AEP	Cf = 1.25
C · Cf (≤ 1.0)	0.60 × 1.25	0.75
चरम प्रवाह (खंड 3.5.1)	0.75 × 120 × 2.0 / 360	**Q = 0.500 m³/s**
भाग (b): C · Cf	0.90 × 1.25 = 1.125, 1.0 तक सीमित (खंड 3.5.3)	1.00
भाग (b): चरम प्रवाह	1.00 × 150 × 0.5 / 360	**Q = 0.208 m³/s**

समस्या 3C-2 — खंड विधि द्वारा सांद्रण समय (खंड 3.6)

इनपुट. विकास-पूर्व प्रवाह मार्ग: अविकसित खुली भूमि पर परत प्रवाह, n = 0.15 (खंड 3.6.3), L = 30 m, S = 0.01; P2 (50% AEP की 24-घंटे की वर्षा, बिना जलवायु गुणक) = 80 mm। उथला संकेंद्रित प्रवाह, कच्ची सतह, L = 200 m, S = 0.01। चैनल प्रवाह, L = 400 m, पूर्ण-तट वेग V = 1.0 m/s (दिया गया)।

तालिका 3C.2 — समस्या 3C-2 का हल

खंड	गणना	यात्रा समय
परत प्रवाह (खंड 3.6.2(a))	0.091 × (0.15 × 30)^0.8 / (80^0.5 × 0.01^0.4) = 0.2138 h	12.83 min
उथला संकेंद्रित (खंड 3.6.2(c))	V = 4.918 × 0.01^0.5 = 0.4918 m/s; 200 / (3,600 × 0.4918) = 0.1130 h	6.78 min
चैनल (खंड 3.6.2(d))	400 / (3,600 × 1.0) = 0.1111 h	6.67 min
Tc (खंड 3.6.1; ≥ 10 min)	12.83 + 6.78 + 6.67	**26.27 min**
पश्चता समय (खंड 3.6.5)	0.6 × 26.27	15.76 min

समस्या 3C-3 — SCS-CN अपवाह की गहराई, AMC और Ia संवेदनशीलता (खंड 3.8)

इनपुट. HSG C पर विकास-पूर्व संदर्भ: AMC II पर CN = 74 (तालिका 3.5), पूरा पारगम्य। संचयी वर्षा P = 100 mm; दूसरी स्थिति P = 25 mm।

तालिका 3C.3 — समस्या 3C-3 का हल

स्थिति	S (mm)	Ia (mm)	अपवाह Q (mm), P = 100 mm	अपवाह Q (mm), P = 25 mm
(a) AMC II, Ia = 0.2S: S = 25,400 / 74 − 254	89.24	17.85	**39.38**	**0.53**
(b) AMC III, Ia = 0.2S: CN(III) = 23 × 74 / (10 + 0.13 × 74) = 86.75	38.80	7.76	**64.93**	—
(c) AMC II, Ia = 0.05S: S0.05 = 25.4 × 1.33 × (89.24 / 25.4)^1.15	143.31	7.17	**36.49**	**1.97**

अपवाह $Q = (P - Ia)^2 / (P - Ia + S)$ है। स्थिति (c) 100 mm पर स्थिति (a) से कम किंतु 25 mm पर अधिक अपवाह देती है, जैसा खंड 3.8.5 और चित्र 3.3 में बताया गया है।

समस्या 3C-4 — अपारगम्य क्षेत्र का अलग बनाम संयुक्त निरूपण, और SCS इकाई हाइड्रोग्राफ का चरम (खंड 3.9 और 3.11.2)

इनपुट, भाग (a). एक साइट जो 50% प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा अपारगम्य क्षेत्र (CN 98) और 50% HSG B पर खुला स्थान (CNp = 61) है, AMC II, Ia = 0.2S, P = 25 mm।

इनपुट, भाग (b). A = 2.5 km^2 का एक उप-भाग, Tc = 1.0 h और गणना अंतराल Δt = 0.1 h के साथ।

तालिका 3C.4 — समस्या 3C-4 का हल

पद	गणना	परिणाम
(a) अपारगम्य आधा भाग (खंड 3.9.2)	S = 5.18 mm, Ia = 1.04 mm; $Q = 23.96^2 / (23.96 + 5.18)$	19.70 mm
(a) पारगम्य आधा भाग	S = 162.39 mm, Ia = 32.48 mm > P	0 mm
(a) क्षेत्र-भारित अपवाह, अलग उप-भाग	0.5 × 19.70 + 0.5 × 0	**9.85 mm**
(a) संयुक्त CN (खंड 3.9.4)	61 + 0.50 × (98 − 61)	79.5
(a) संयुक्त CN से अपवाह	S = 65.50 mm, Ia = 13.10 mm; $Q = 11.90^2 / (11.90 + 65.50)$	**1.83 mm**
(b) अंतराल की जाँच (खंड 3.11.3(a))	0.133 × 1.0 = 0.133 h ≥ Δt = 0.1 h	संतुष्ट
(b) पश्चता समय और चरम तक समय (खंड 3.11.2)	tL = 0.6 × 1.0 = 0.60 h; tp = 0.1 / 2 + 0.60	tp = 0.65 h
(b) इकाई हाइड्रोग्राफ का चरम, Q = 1 mm	0.208 × 2.5 × 1 / 0.65	**qp = 0.800 m^3/s प्रति mm**

भाग (a) खंड 3.9 के भाष्य की तुलना (लगभग 9.9 mm बनाम 1.8 mm) को दोहराता है।

समस्या 3C-5 — स्तर-ताल (modified Puls) भंडारण रूटिंग (खंड 3.12.1)

इनपुट. ऊर्ध्वाधर किनारों और 500 m^2 के प्लान क्षेत्रफल वाला एक अस्थायी भंडारण बेसिन, तालिका 3C.5 के जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर संबंध के साथ। त्रिभुजाकार अंतर्वाह हाइड्रोग्राफ: t = 0 पर 0, t = 30 min पर 0.50 m^3/s तक रैखिक रूप से बढ़ता हुआ, t = 90 min पर 0 तक रैखिक रूप से घटता हुआ। t = 0 पर बेसिन खाली। रूटिंग अंतराल Δt = 10 min (600 s)। कोई टेलवाटर नहीं।

तालिका 3C.5 — समस्या 3C-5 का जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर संबंध

जल स्तर (m)	भंडारण S (m^3)	बहिर्वाह O (m^3/s)
0.0	0	0.00
0.5	250	0.05
1.0	500	0.10
1.5	750	0.15
2.0	1,000	0.20

जल स्तर (m)	भंडारण S (m³)	बहिर्वाह O (m³/s)
2.5	1,250	0.25

विधि. भंडारण-सूचक (storage-indication) समीकरण (I1 + I2) + (2S1/Δt − O1) = (2S2/Δt + O2) है। तालिका से O = S / 5,000 (S m³ में, O m³/s में) मिलता है, इसलिए 2S/Δt + O = 17.667 O और 2S/Δt − O = 15.667 O, और प्रत्येक पद O2 = [(I1 + I2) + 15.667 O1] / 17.667 है। तालिका 3C.5 में रैखिक अंतर्वेशन करने वाला सॉफ्टवेयर यही परिणाम देगा।

तालिका 3C.6 — समस्या 3C-5 का रूट किया गया बहिर्वाह

समय (min)	अंतर्वाह I (m³/s)	बहिर्वाह O (m³/s)	भंडारण (m³)	जल स्तर (m)
0	0.0000	0.0000	0.0	0.000
10	0.1667	0.0094	47.2	0.094
20	0.3333	0.0367	183.3	0.367
30	0.5000	0.0797	398.4	0.797
40	0.4167	0.1226	612.8	1.226
50	0.3333	0.1511	755.7	1.511
60	0.2500	0.1670	835.2	1.670
70	0.1667	**0.1717**	**858.6**	**1.717**
80	0.0833	0.1664	832.1	1.664
90	0.0000	0.1523	761.5	1.523
120	0.0000	0.1062	531.1	1.062
180	0.0000	0.0517	258.3	0.517

परिणाम. 70 min पर चरम बहिर्वाह 0.172 m³/s; चरम भंडारण 859 m³; चरम जल स्तर 1.72 m। 0.50 m³/s का अंतर्वाह चरम घटकर अपने मान का 34% रह जाता है।

तालिका 3C.7 — आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले बेंचमार्क परिणाम

समस्या	परिणाम	बेंचमार्क	सॉफ्टवेयर का परिणाम	अंतर (%)	±5% के भीतर?
3C-1	Q, मुख्य स्थिति (m³/s)	0.500			
3C-1	Q, भाग (b) (m³/s)	0.208			
3C-2	Tc (min)	26.27			
3C-3	Q, स्थिति (a), P = 100 mm (mm)	39.38			
3C-3	Q, स्थिति (b), P = 100 mm (mm)	64.93			
3C-3	Q, स्थिति (c), P = 100 mm (mm)	36.49			
3C-3	Q, स्थिति (c), P = 25 mm (mm)	1.97			

समस्या	परिणाम	बेंचमार्क	सॉफ्टवेयर का परिणाम	अंतर (%)	±5% के भीतर?
3C-4	अपवाह, अलग उप-भाग (mm)	9.85			
3C-4	अपवाह, संयुक्त CN (mm)	1.83			
3C-4	qp (m^3/s प्रति mm)	0.800			
3C-5	चरम बहिर्वाह (m^3/s)	0.172			
3C-5	चरम भंडारण (m^3)	859			

परिशिष्ट 3D — समतल तटीय भूमि के लिए चरम दर गुणक का अध्ययन

अध्याय 3 के खंड 3.11.5 और 3.15 के लिए।

> **राजस्थान में अपेक्षित नहीं.** राजस्थान भू-आबद्ध है और उसमें कोई समतल तटीय मैदान नहीं है, इसलिए राज्य की कोई भूमि खंड 3.11.5(a) की शर्त पूरी नहीं करती, और मानक गुणक 484 (PRF' = 0.208) सारी भूमि पर लागू होता है (खंड 3.11.5)। थार के टीलों के बीच के मैदान, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का नहर कमान क्षेत्र और सांभर बेसिन कहीं-कहीं समतल हैं, किंतु तटीय मैदान नहीं हैं, और उस भूमि के बड़े भाग का कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है; उसकी धीमी प्रतिक्रिया को कम चरम दर गुणक से नहीं, बल्कि भंडारण और पश्चजल (खंड 3.10.4 और 3.12.4) से और खंड 4.12.7 के आयतन नियम से दर्शाया जाता है। यह परिशिष्ट और तालिका 3D.1 की रूपरेखा केवल इसलिए रखी गई है ताकि परिशिष्टों की संख्या न बदले।

तालिका 3D.1 — अंशांकित चरम दर गुणक (रूपरेखा)

जलग्रहण क्षेत्र	क्षेत्रफल (km^2)	औसत ढलान (m/m)	जल निकासी की स्थिति	प्रयुक्त घटनाएँ	अंशांकित PRF (US प्रचलित इकाइयाँ)	PRF' (SI)	प्रयोज्यता का परास

परिशिष्ट 3E — उप-क्षेत्र 1(a), 1(b), 1(e) और 3(a) के लिए CWC SUH प्राचल, हल किए गए उदाहरण के साथ

अध्याय 3 के खंड 3.4.3 और 3.11.4 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में CWC उप-क्षेत्र 1(a) (Luni), 1(b) (Chambal), 1(e) (Upper Indo-Ganga Plains) और 3(a) (Mahi and Sabarmati) के लिए संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ प्राचलों, डिजाइन वर्षा घटना की अवधि, हानि दर, आधार प्रवाह, क्षेत्रीय न्यूनीकरण और समय वितरण के समाश्रयण संबंध सारणीबद्ध किए जाएँगे, प्रत्येक के साथ बाढ़ आकलन रिपोर्ट का संदर्भ होगा, और एक जलग्रहण क्षेत्र के लिए हल किया गया उदाहरण होगा। इसके लिए राजस्थान को सम्मिलित करने वाली चार CWC बाढ़ आकलन रिपोर्टें आवश्यक हैं: Luni उप-क्षेत्र 1(a) की रिपोर्ट (L/20/1992; आवरण पर L-20/1993), जिसके 205,624 km² में से लगभग 202,422 km², अर्थात राज्य का लगभग 59%, राजस्थान में है, और जो थार, लूणी बेसिन और शेखावाटी को सम्मिलित करती है, जिसमें जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, जालोर, सिरोही और माउंट आबू, नागौर, चूरू, सीकर और श्रीगंगानगर और अजमेर और जयपुर जिलों का पश्चिमी भाग आते हैं; Chambal उप-क्षेत्र 1(b) की रिपोर्ट (C/16/1988), जो जयपुर, अजमेर (पूर्वी भाग) और नसीराबाद, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर के उत्तरी भाग, कोटा, बूंदी, बाराँ, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर को सम्मिलित करती है; Upper Indo-Ganga Plains उप-क्षेत्र 1(e) की रिपोर्ट, जो 23–24 जुलाई 1984 को योजना और समन्वय समिति (Planning and Co-ordination Committee) की 40वीं बैठक में अनुमोदित हुई, जिसकी डिजाइन कार्यालय रिपोर्ट संख्या इस मैनुअल के लिए पढ़ी गई स्कैन प्रति पर नहीं है [TBC], और जो राज्य की पूर्वी सीमा को सम्मिलित करती है, जिसमें अलवर, भिवाड़ी, भरतपुर और डीग आते हैं; और Mahi and Sabarmati उप-क्षेत्र 3(a) की रिपोर्ट (MS/13/1986, मुद्रित "M5/13/1986"), जो बाँसवाड़ा, डूंगरपुर और उदयपुर और प्रतापगढ़ के दक्षिणी भाग को सम्मिलित करती है (अध्याय 3 के संदर्भ देखें); साथ ही उप-क्षेत्र 1(a) की समय-वितरण और क्षेत्रीय न्यूनीकरण तालिकाएँ, जो पढ़ी गई प्रति में विकृत हैं, उन सात पुल-जलग्रहण क्षेत्रों के नाम और क्षेत्रफल जिन पर 1(a) का इकाई हाइड्रोग्राफ आधारित है, तालिका 3E.1 की टिप्पणी में सूचीबद्ध छपाई के विरोधाभास, और राजस्थान के भीतर उप-क्षेत्रों की सीमाएँ, जिनमें जयपुर और अजमेर (1(a)/1(b)), उदयपुर (1(b)/3(a)) और झुंझुनूँ, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ (1(a)/1(e)) की सीमाएँ सम्मिलित हैं और जिनकी पुष्टि अभी रिपोर्टों की पृष्ठ-छवियों और सूचकांक मानचित्रों पर की जानी है [TBC]; इन सबको लिप्यंतरित करके प्रकाशित रिपोर्टों से जाँचा गया हो, और सर्वेक्षण या DEM से मापे गए भू-आकृतिक प्राचलों वाला एक जलग्रहण क्षेत्र भी आवश्यक है। इसके प्रकाशित होने तक सभी SUH इनपुट सीधे लागू बाढ़ आकलन रिपोर्ट से लें (खंड 3.11.4(a)), खंड 2.8 के जलवायु गुणक के साथ खंड 2.3.3(b) और 2.7.3 की 24-घंटे की डिजाइन वर्षा लागू करें (खंड 3.11.4(b)), विद्यमान प्राकृतिक स्थिति के लिए HEC-HMS या SWMM के परिणाम के साथ SUH का परिणाम प्रस्तुत करें (खंड 3.11.4(c)), और जहाँ हाइड्रोग्राफ मॉडल कम 1% AEP चरम प्रवाह देता है, वहाँ या तो खंड 3.15 के अंतर्गत अंशांकन द्वारा उसे उचित ठहराएँ या SUH का चरम प्रवाह लें (खंड 3.11.4(d))।

तालिका 3E.1 — उप-क्षेत्रवार SUH संबंध (रूपरेखा)

प्राचल	प्रतीक	इकाई	उप-क्षेत्र 1(a) का संबंध	उप-क्षेत्र 1(b) का संबंध	उप-क्षेत्र 1(e) का संबंध	उप-क्षेत्र 3(a) का संबंध
इकाई वर्षा के केंद्र से चरम तक का समय	tp	h	tp = 0.257 A^0.409 S^0.432, जैसा मुद्रित है, A km² में (S पर धनात्मक घातांक अधिक ढलान वाले जलग्रहण क्षेत्रों पर पश्चता बढ़ाता है; टिप्पणी देखें) [TBC]	tp = 0.339 (L/√S)^0.826	tp = 1.858 qp^−1.038	tp = 0.433 (L/√S)^0.704
प्रति इकाई क्षेत्र चरम प्रवाह दर	qp	m³/s प्रति km²	qp = 2.165 tp^−0.893	qp = 1.251 tp^−0.610 (संबंध तालिका; पद-दर-पद पाठ 1.215 मुद्रित करता है [TBC])	qp = 2.030 (L/√S)^−0.649	qp = 1.161 / tp^0.635
चरम के 50% पर UH की चौड़ाई	W50	h	W50 = 2.654 qp^−0.921	W50 = 2.215 qp^−1.034	W50 = 2.217 qp^−0.990	W50 = 2.284 / qp^1.00

प्राचल	प्रतीक	इकाई	उप-क्षेत्र 1(a) का संबंध	उप-क्षेत्र 1(b) का संबंध	उप-क्षेत्र 1(e) का संबंध	उप-क्षेत्र 3(a) का संबंध
चरम के 75% पर UH की चौड़ाई	W75	h	W75 = 1.672 qp^−0.816	W75 = 1.191 qp^−1.057	W75 = 1.477 qp^−0.876	W75 = 1.331 / qp^0.991
चरम के 50% पर आरोही भुजा की चौड़ाई	WR50	h	WR50 = 1.245 qp^−0.571	WR50 = 0.834 qp^−1.077	WR50 = 0.812 qp^−0.907	WR50 = 0.827 / qp^1.023
चरम के 75% पर आरोही भुजा की चौड़ाई	WR75	h	WR75 = 0.816 qp^−0.559	WR75 = 0.502 qp^−1.065	WR75 = 0.606 qp^−0.791	WR75 = 0.561 / qp^1.037
UH की आधार चौड़ाई	TB	h	TB = 6.299 tp^0.612	TB = 6.662 tp^0.613	TB = 7.744 tp^0.779	TB = 8.375 tp^0.512
इकाई अवधि	tr	h	1	1	2	1
डिजाइन वर्षा घटना की अवधि	TD	h	1.1 tp से TB तक की परीक्षण अवधियाँ; सबसे अधिक चरम देने वाली अवधि ली जाती है (रिपोर्ट के अनुसार "अपर्याप्त आँकड़ों के कारण डिजाइन वर्षा घटना की अवधि अपनाने की सिफारिश करना संभव नहीं" ("not possible to recommend adoption of design storm duration due to scanty data"))	TD = 1.1 tp, या TD = 0.539 (L/√S)^0.724, निकटतम घंटे तक पूर्णांकित (p. 40)	TD = 1.1 tp, 24 h तक सीमित	TD = TB = 5.452 (L/√S)^0.360, निकटतम पूर्ण घंटे तक पूर्णांकित
डिजाइन हानि दर	—	mm/h	5 (मुद्रित "0.5 cm/hr"; 48 घटनाओं का बहुलक मान 0.41 cm/h)	1.7 (मुद्रित "0.17 cm/hr"; बहुलक मान)	3.0	4.5 (मुद्रित "0.45 cm/hr", 148 घटनाओं का बहुलक मान); या, औसत स्थितियों के लिए, I = 0.56 R^0.66 / TD^0.59, जिसमें I cm/h में, TD h में और R रिपोर्ट में परिभाषित वर्षा घटना की वर्षा cm में है [TBC]
डिजाइन आधार प्रवाह	—	m^3/s प्रति km^2	0.05	qb = 0.207 A^−0.290, केवल प्रकाशीय अक्षर पहचान से पढ़ा गया [TBC]	0.05	qb = 0.109 / A^0.126, A km^2 में

प्राचल	प्रतीक	इकाई	उप-क्षेत्र 1(a) का संबंध	उप-क्षेत्र 1(b) का संबंध	उप-क्षेत्र 1(e) का संबंध	उप-क्षेत्र 3(a) का संबंध
t-घंटे और 24-घंटे की वर्षा का अनुपात	—	—	10-वर्ष, सभी पुनरावृत्ति अवधियों के लिए लिया गया: 1 h 0.36; 3 h 0.58; 6 h 0.72; 9 h 0.79; 12 h 0.85; 15 h 0.89; 18 h 0.94; 24 h 1.00	50-वर्ष: 1 h 0.35; 3 h 0.53; 6 h 0.67; 9 h 0.74; 12 h 0.80; 15 h 0.85; 18 h 0.90; 24 h 1.00 (5 वर्ष से आगे पुनरावृत्ति अवधि से स्वतंत्र)	50-वर्ष: 1 h 0.340; 2 h 0.475; 3 h 0.560; 4 h 0.607; 5 h 0.647; 6 h 0.680; 9 h 0.770; 12 h 0.840; 15 h 0.890; 18 h 0.930; 24 h 1.000	50-वर्ष: 1 h 0.36; 3 h 0.57; 6 h 0.70; 9 h 0.78; 12 h 0.85; 15 h 0.89; 18 h 0.93; 24 h 1.00
24-घंटे की वर्षा का समय वितरण	—	संचयी अंश	रिपोर्ट का Fig. 12 और अनुलग्नक 4.1 (2–3, 4–6, 7–12, 13–18 और 19–24 घंटे की वर्षा घटनाओं के लिए 18 केंद्रों के वक्रों का औसत); पढ़ी गई प्रति में विकृत और लिप्यंतरित नहीं किया गया [TBC]	रिपोर्ट का Fig. 12; लिप्यंतरित नहीं किया गया [TBC]	Fig. 12 के औसत वक्र; लिप्यंतरित नहीं किए गए [TBC]	[TBC]
1-दिवसीय से 24-घंटे की वर्षा में रूपांतरण	—	गुणक	1.15	1.15	1.15	1.15
क्षेत्रीय न्यूनीकरण गुणक	ARF	—	रिपोर्ट का अनुलग्नक 4.2 और Fig. 11(a); हल किया गया उदाहरण 414 km² और TD = 5 h के लिए 0.664 का अंतर्वेशन करता है; पढ़ी गई प्रति में अनुलग्नक विकृत है [TBC]	रिपोर्ट की ARF तालिका (p. 60), केवल प्रकाशीय अक्षर पहचान से पढ़ी गई: 200 km² के लिए 66, 75, 81, 87 और 91%, और 300 km² के लिए 60, 69, 76, 84 और 89%, स्तंभों की अवधियाँ पहचानी नहीं गईं; उपयोग से पहले पृष्ठ की छवि से पढ़ी जानी है [TBC]	रिपोर्ट की Table 6 [TBC]	रिपोर्ट की Table-6: 1 h, 100% से घटकर 60% तक; 3 h, 68% तक; 6 h, 74% तक, बढ़ते क्षेत्रफल के साथ, 1,100 km² तक के क्षेत्रों के लिए, 2,500 km² तक बहिर्वेशित (extrapolated) [TBC]
राजस्थान के नगरों पर 50-वर्ष की 24-घंटे की बिंदु वर्षा	—	mm	Plate 9: जोधपुर लगभग 200; बाड़मेर लगभग 180–200; बीकानेर लगभग 180; सीकर लगभग 160–200; श्रीगंगानगर और नागौर लगभग 160; जैसलमेर लगभग 120–160 और पोकरण लगभग 120; पाली–सिरोही के मैदान लगभग 280; माउंट आबू लगभग 440–480 के एक बंद सेल में	Plate 9: जयपुर लगभग 200; अजमेर लगभग 180–200; उदयपुर लगभग 200–220; धौलपुर लगभग 200; कोटा, टोंक और भीलवाड़ा लगभग 240–280; चित्तौड़गढ़ लगभग 280; झालावाड़ और सवाई माधोपुर लगभग 280–320	Plate 9: अलवर लगभग 200; भरतपुर लगभग 220–240	Plate 10: उदयपुर सिटी लगभग 200 (उप-क्षेत्र की सीमा पर); बाँसवाड़ा, डूंगरपुर और देवलिया (Deolia) (प्रतापगढ़) लगभग 280–320
जलग्रहण क्षेत्र जिन पर संबंध लागू होते हैं	A	km²	अरावली के किनारे के 18–682 km² के सात गेज किए गए पुल-जलग्रहण क्षेत्रों से निकाले गए; उस परास के बाहर या टीलों वाले या टीलों के बीच के समतल भू-भाग पर उपयोग नहीं किया जाना है (टिप्पणी देखें)	25–2,500; "ठोस विवेक के आधार पर" ("based on sound judgement") 5,000 तक	25–2,500, "यथोचित रूप से मुक्त जलग्रहण क्षेत्रों" ("reasonably free catchments") के लिए; खड़ी ढलान वाले तलहटी जलग्रहण क्षेत्रों के लिए "उपयुक्त वृद्धि" ("suitable increase")	25–1,500; विवेक के साथ 5,000 तक

प्राचल	प्रतीक	इकाई	उप-क्षेत्र 1(a) का संबंध	उप-क्षेत्र 1(b) का संबंध	उप-क्षेत्र 1(e) का संबंध	उप-क्षेत्र 3(a) का संबंध
रिपोर्ट का संदर्भ	—	—	p. 15 की तालिका, §3.5 और §3.6; हल किया गया उदाहरण pp. 18–20; अनुलग्नक 4.3	संबंध तालिका (p. 20), pp. 21–23, डिजाइन वर्षा घटना (p. 40), §5.3, Table 7	§3.9 (p. 42), §3.11 और §3.12 (p. 57), पाठ की तालिका (p. 61)	Table-4 (p. 29), §3.11 और §4.1

टिप्पणी: संबंध वैसे ही हैं जैसे राजस्थान को सम्मिलित करने वाली चार CWC रिपोर्टों (अध्याय 3 के संदर्भ) में मुद्रित हैं, जिन्हें स्कैन प्रतियों से पढ़ा गया और पृष्ठ-छवियों से जाँचा गया, सिवाय वहाँ के जहाँ केवल प्रकाशीय अक्षर पहचान (OCR) से पढ़े जाने का उल्लेख है; L मुख्य धारा की लंबाई km में है, Lc जलग्रहण क्षेत्र के केंद्रक (centroid) के निकटतम बिंदु तक की लंबाई km में, S समतुल्य ढलान m/km में और A जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल km² में। 50-वर्ष की बिंदु वर्षाएँ समवर्षा प्लेटों से आँख से पढ़ी गईं और लगभग एक समोच्च रेखा की परिशुद्धता तक सही हैं। **उप-क्षेत्र 1(a) चारों में सबसे कमजोर है, और यह राज्य के लगभग 59% भाग को सम्मिलित करता है।** उसका इकाई हाइड्रोग्राफ 18 से 682 km² के सात गेज किए गए पुल-जलग्रहण क्षेत्रों पर आधारित है, जिनमें से प्रत्येक का अभिलेख एक से नौ वर्ष का है, और ये सभी पाली, सिरोही और जालोर में और अजमेर–मारवाड़ रेल मार्गों पर अरावली के किनारे पर हैं; इनमें से कोई भी टीलों वाले भू-भाग में नहीं है, और रिपोर्ट का वर्षामापी नेटवर्क "विशेष रूप से उप-क्षेत्र के उत्तर-पश्चिमी भागों पर बहुत विरल है" ("is very sparse, particularly over the north-western parts of the subzone")। उसका चरम-समय संबंध ढलान पर धनात्मक घातांक रखता है, जिससे अधिक ढलान वाले जलग्रहण क्षेत्र को अधिक पश्चता मिलती है, जो भौतिक रूप से असंगत है, और रिपोर्ट किसी डिजाइन वर्षा घटना की अवधि की सिफारिश नहीं करती। उसका हल किया गया उदाहरण लूणी की सहायक नदी मीठड़ी (Mithri) है, खेरवा–भूमद्रा सड़क मार्ग (Kherwa–Bhumadra) पर (A = 414.00 km², L = 52.80 km, Lc = 28.00 km, S = 3.178 m/km): संबंध tp = 4.98 h देता है, जिसे रिपोर्ट बिना स्पष्टीकरण के "लगभग 4.5 घंटे" ("say 4.5 hrs") के रूप में लेती है, qp = 0.565 m³/s प्रति km², TB = 15.92 h ("लगभग 16 घंटे", "say 16 hrs") और 233.91 m³/s के इकाई-ग्राफ चरम के साथ; 25.00 cm की 50-वर्ष 24-घंटे की बिंदु वर्षा, 0.680 के 5-घंटे के अनुपात, 0.664 के ARF, 0.50 cm/h की हानि और 20.70 m³/s के आधार प्रवाह के साथ वह TD = 5 h की डिजाइन वर्षा घटना बनाती है, और उसका चित्र 1,950.16 m³/s का डिजाइन बाढ़ चरम मुद्रित करता है, जो केवल प्रकाशीय अक्षर पहचान से पढ़ा गया [TBC]। इसलिए यह मैनुअल अपेक्षा करता है कि 1(a) के संबंधों का उपयोग केवल अरावली के किनारे पर निर्धारित चैनल वाले 18 से 682 km² के जलग्रहण क्षेत्रों के लिए किया जाए, जैसे पाली, सिरोही और जालोर की लूणी की सहायक नदियाँ और पहाड़ियों से जोधपुर में प्रवेश करने वाले नाले; इनका उपयोग टीलों या ऊबड़-खाबड़ रेत वाले भू-भाग के लिए, बिना निर्धारित चैनल वाली टीलों के बीच की समतल भूमि या नहर कमान क्षेत्र की भूमि के लिए, या थार, शेखावाटी और बीकानेर के अंतःस्थलीय बेसिनों के लिए, जहाँ FER की कोई विधि अंशांकित नहीं की गई है, **नहीं किया जाएगा**। वहाँ खंड 3.11.4 का कोई FER तुलना-मानक नहीं है: जलग्रहण क्षेत्र का मॉडल खंड 3.4 की विधियों से बनाया जाता है, उसकी डिजाइन वर्षा अध्याय 2 की होती है, और जहाँ उसका कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है वहाँ उसका भंडारण खंड 4.12.7 के आयतन नियम से निर्धारित होता है। उप-क्षेत्र 1(b) में संबंध तालिका qp = 1.251 tp^−0.610 देती है, किंतु पाठ की पद-दर-पद प्रक्रिया 1.215 मुद्रित करती है (p. 21); दोनों में qp का लगभग 3% अंतर है, और यह मैनुअल तालिका का मान लेता है। उप-क्षेत्र 1(e) अन्य तीन के विपरीत 2-घंटे के इकाई ग्राफ का उपयोग करता है। 3(a) की रिपोर्ट संख्या "M5/13/1986" मुद्रित है, जो संभवतः MS/13/1986 की छपाई की भूल है। डिजाइन हानि दरें, 1(a) में 5 mm/h, 3(a) में 4.5, 1(e) में 3.0 और 1(b) में 1.7, पूरे ग्रामीण जलग्रहण क्षेत्रों की बाढ़ों पर फिट किए गए φ-सूचकांक हैं, मृदा की अंतःस्यंदन क्षमताएँ नहीं; 1(a) का मान अरावली के किनारे के बजरी और रेत वाले जलग्रहण क्षेत्रों का बहुलक मान है, टीलों का नहीं, और 1(b) का मान संतृप्ति के निकट हाड़ौती और शेष चंबल बेसिन की काली मिट्टी को दर्शाता है। इनका उपयोग HSG निर्धारित करने (खंड 3.7) या अंतःस्यंदन उपायों का आकार निर्धारित करने (अध्याय 4) के लिए नहीं किया जाता, और प्रत्येक दर का उपयोग केवल उसके अपने उप-क्षेत्र के भीतर किया जाएगा। रिपोर्टें रेलवे और सड़क पुलों पर गेज किए गए ग्रामीण जलग्रहण क्षेत्रों से निकाली गई थीं, जिनमें से कोई भी शहरी नहीं है। राजस्थान में ये नगर सीमाओं में प्रवेश करने वाले ग्रामीण नालों (nala) और जलधाराओं पर लागू होती हैं, जैसे जयपुर के ऊपर नाहरगढ़ की पहाड़ियों से आने वाली द्रव्यवती और उसके पोषक नाले (feeders), पहाड़ियों से जोधपुर पहुँचने वाले नाले (ऊपर बताई गई 1(a) की सीमाओं के भीतर), आयड़ और उदयपुर की झीलों के पोषक नाले, कोटा के निकट चंद्रलोही और अजमेर में आना सागर के पोषक नाले; ये नगरीय जलग्रहण क्षेत्रों का मॉडल नहीं हैं। जहाँ कोई नगरीय जलग्रहण क्षेत्र 25–5,000 km² के भीतर है, वहाँ SUH की गणना केवल उसकी प्राकृतिक स्थिति के तुलना-मानक के रूप में की जाती है (खंड 3.11.4), और जलग्रहण क्षेत्र का डिजाइन स्वयं खंड 3.4 की विधियों से, अध्याय 2 की डिजाइन वर्षा के साथ, किया जाता है। कोटा और धौलपुर पर चंबल, बनास, जिसका उप-क्षेत्र के भीतर बेसिन 48,577 km² है, और बालोतरा पर लूणी, जिसका बेसिन 36,527 km² है, किसी भी रिपोर्ट के जलग्रहण क्षेत्रों से बहुत बड़ी हैं और खंड 3.11.4 के बाहर हैं (खंड 3.4.5)। उप-क्षेत्रों की सीमाएँ, जिनकी पुष्टि रिपोर्टों के सूचकांक मानचित्रों पर की जानी है [TBC]: जयपुर नगर 1(a)/1(b) सीमा पर स्थित है और उसका पानी द्रव्यवती के माध्यम से दक्षिण की ओर ढूँढ में

और आगे बनास में जाता है, इसलिए उसके जलग्रहण क्षेत्र 1(b) में हैं, जबकि सांभर, फुलेरा और दूदू की ओर का भाग, जो भीतर की ओर बहता है, 1(a) में है; अजमेर अरावली के जल-विभाजक (watershed) के दोनों ओर फैला है, जिसमें आना सागर और पूर्वी भाग का पानी बनास में (1(b)) और पुष्कर और पश्चिमी भाग का पानी लूणी में (1(a)) जाता है; उदयपुर 1(b)/3(a) सीमा पर स्थित है, और उसकी झील-शृंखला का पानी आयड़ से होकर बेड़च और बनास में (1(b)) और उसके दक्षिणी उपनगरों का पानी सोम और माही में या साबरमती में (3(a)) जाता है; माउंट आबू और सिरोही की पहाड़ियाँ 1(a) में हैं, किंतु उप-क्षेत्र की सबसे तीव्र वर्षा प्रवणता उन्हीं पर है; झुंझुनूँ, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ 1(a)/1(e) सीमा पर स्थित हैं, और वहाँ 1(a) के मानों का उपयोग केवल 1(e) से जाँच के साथ किया जाता है; अलवर और भरतपुर 1(e) में हैं, और धौलपुर और करौली 1(b) में। उप-क्षेत्र जलग्रहण क्षेत्र के आउटफॉल से चुना जाता है, उसके जिले से नहीं। जहाँ कोई जलग्रहण क्षेत्र दो उप-क्षेत्रों की सीमा के आर-पार पानी छोड़ता है, या उसका आउटफॉल किसी सीमा से 5 km के भीतर है, जैसे जयपुर, अजमेर और उदयपुर में, वहाँ यह मैनुअल अपेक्षा करता है कि SUH की गणना प्रत्येक उप-क्षेत्र के प्राचलों से की जाए और 1% AEP का अधिक चरम प्रवाह लिया जाए, जब तक कि खंड 3.15 के अंतर्गत अंशांकन दूसरे का समर्थन न करे। प्लेटें पुरानी हैं और कई केंद्रों पर उनसे अधिक वर्षा दर्ज हुई है: अभिलेख की सबसे भारी 24-घंटे की वर्षाओं में 19 जुलाई 1981 को जयपुर (सांगानेर) पर 326.0 mm, लगभग 240 mm के 100-वर्ष के प्लेट मान के सामने, 10 जून 2002 को अजमेर में 412.3 mm, लगभग 220 mm के सामने, और 16 अगस्त 1973 को जैसलमेर में 204.0 mm, लगभग 140–180 mm के सामने, सम्मिलित हैं (IMD), और इनमें से कई अभिलेख रिपोर्टों के प्रकाशन के बाद बने। पूर्व में अल्पकालिक वर्षा घटनाएँ भी अनुपातों के संकेत से अधिक प्रबल हैं: जयपुर में IMD के 44 वर्षों के प्रति घंटा आँकड़ों पर फिट की गई 50-वर्ष की 1-घंटे की गहराई, 93 mm (Ghate और Timbadiya, 2022), 1(b) की प्लेट और अनुपात से प्राप्त 50-वर्ष की 1-घंटे की गहराई, लगभग 70 mm, से लगभग एक-तिहाई अधिक है, इसलिए अध्याय 2 जहाँ 25 वर्ष या अधिक का जाँचा गया केंद्र अभिलेख उपलब्ध है वहाँ उसका उपयोग करता है, और अन्यत्र खंड 2.3.6 की न्यूनतम सीमाओं के साथ प्लेटों और अनुपातों का।

तालिका 3E.2 — हल किए गए उदाहरण की रूपरेखा (रूपरेखा)

पद	विषय-वस्तु	खंड
1	सर्वेक्षण या DEM से जलग्रहण क्षेत्रफल, मुख्य धारा की लंबाई, केंद्रक तक की लंबाई और समतुल्य ढलान	3.11.4(a)
2	तालिका 3E.1 से SUH प्राचल और आलेखित इकाई हाइड्रोग्राफ	3.11.4(a)
3	डिजाइन वर्षा घटना की अवधि, जलवायु गुणक सहित बिंदु और क्षेत्रीय 24-घंटे की वर्षा, समय वितरण	3.11.4(a), (b)
4	डिजाइन हानि दर के बाद प्रभावी वर्षा; SUH के साथ संवलन; आधार प्रवाह जोड़ा गया	3.11.4(a)
5	विद्यमान प्राकृतिक स्थिति के लिए HEC-HMS या SWMM के चरम प्रवाह से 1% AEP चरम प्रवाह की तुलना	3.11.4(c), (d)

प्रपत्र 3-1 — जलवैज्ञानिक गणना सारांश

अध्याय 3 के खंड 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10–3.13, 3.15–3.17 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक प्रस्तुति के लिए एक प्रपत्र। भाग H में सूचीबद्ध दस्तावेज संलग्न करें।

A. परियोजना

तालिका 3F.1 — प्रपत्र 3-1: परियोजना

क्षेत्र	प्रविष्टि
A1. परियोजना का नाम और आवेदक	
A2. स्थान (गाँव या वार्ड, सर्वे संख्याएँ, जिला)	
A3. साइट का क्षेत्रफल (ha) और तुलना बिंदुओं (POC) की संख्या	
A4. जलग्रहण क्षेत्र का वर्ग: मानक (खंड 2.11.2) या बाढ़-संवेदनशील (खंड 2.11.3)	
A5. डिजाइन वर्षा पत्रक का संदर्भ (प्रपत्र 2-1)	

B. विधि और सॉफ्टवेयर (खंड 3.4, 3.11, 3.12, 3.16)

तालिका 3F.2 — प्रपत्र 3-1: विधि और सॉफ्टवेयर

क्षेत्र	प्रविष्टि
B1. प्रत्येक गणना का प्रयोजन (वहन, भंडारण, तुलना, जलग्रहण क्षेत्र अध्ययन)	
B2. प्रत्येक प्रयोजन के लिए योगदान देने वाला क्षेत्र (ha या km^2)	
B3. प्रयुक्त विधि और तालिका 3.1 की वह पंक्ति जो इसकी अनुमति देती है	
B4. विधि के चयन का कारण	
B5. सॉफ्टवेयर और संस्करण; SWMM या HEC पर बने पैकेजों के लिए इंजन और संस्करण (खंड 3.16.1, 3.16.2)	
B6. अन्य सॉफ्टवेयर के लिए: परिशिष्ट 3C के बेंचमार्क परिणाम संलग्न (तालिका 3C.7) और खंड 3.16.2 की 5% तुलना	
B7. अपवाह रूपांतरण (खंड 3.11.1)	
B8. गणना अंतराल Δt (h), सबसे छोटे उप-भाग के 0.133 Tc और हायटोग्राफ समय पद के साथ (खंड 3.11.3(a))	
B9. भंडारण रूटिंग और चैनल रूटिंग की विधियाँ (खंड 3.12.1, 3.12.2)	
B10. डायनेमिक-वेव रूटिंग अपेक्षित है? यदि हाँ, तो खंड 3.12.4 की कौन-सी स्थिति	
B11. CWC SUH तुलना-मानक अपेक्षित है (25–5,000 km^2, खंड 3.11.4)? परिणाम का संदर्भ	
B12. सतत सिमुलेशन अपेक्षित है (खंड 3.13.1)? प्रयुक्त अभिलेख और तालाबों के प्रारंभिक स्तर (खंड 3.13.5)	

क्षेत्र	प्रविष्टि
B13. अंशांकन अपेक्षित है (खंड 3.15.1)? अंशांकन रिपोर्ट का संदर्भ	

C. मृदा और भूजल (खंड 3.3.3(b), 3.7, 3.10)

तालिका 3F.3 — प्रपत्र 3-1: मृदा और भूजल

क्षेत्र	प्रविष्टि
C1. HSG का स्रोत मानचित्र, पैमाना और प्रयुक्त मिलान-सूची (खंड 3.7.1, परिशिष्ट 3A) या NEH Part 630, Ch. 7 के अनुसार निर्धारण (खंड 3.7.2)	
C2. अंतःस्यंदन परीक्षण: संख्या, स्थान, गहराइयाँ, परिणाम (खंड 3.7.3)	
C3. मौसमी उच्चतम भूजल स्तर: भूतल से नीचे गहराई और स्रोत (खंड 3.10.2)	
C4. 0.6 m के भीतर के क्षेत्र जिन्हें HSG D दिया गया (खंड 3.10.1)	
C5. विक्षुब्ध पारगम्य क्षेत्र और लागू की गई HSG कमी (खंड 3.3.3(b))	

D. उप-भाग और स्थितिवार प्राचल (खंड 3.3, 3.5, 3.8, 3.9; खंड 3.17 की मद 4)

तालिका 3F.4 — प्रपत्र 3-1: उप-भाग और स्थितिवार प्राचल

उप-क्षेत्र	स्थिति (पूर्व / पश्चात)	क्षेत्रफल (ha)	अपारगम्य: छतें / पक्की सतह / सड़कें (ha)	DCIA (ha)	असंबद्ध (ha)	HSG	CN, AMC II	CN, AMC III (पारगम्य भाग)	C और Cf (यदि रेशनल)	Tc (min)

E. सांद्रण समय की कार्य-पत्रिका (खंड 3.6)

प्रत्येक उप-भाग और स्थिति के लिए एक कार्य-पत्रिका।

तालिका 3F.5 — प्रपत्र 3-1: सांद्रण समय की कार्य-पत्रिका

खंड	प्रवाह का प्रकार	सतह और n (तालिका 3.4)	L (m)	S (m/m)	P2 (mm)	V (m/s)	Tt (min)
1	परत					—	
2	उथला संकेंद्रित				—		
3	चैनल या पाइप				—		
	Tc (10 min से कम नहीं)						

E1. क्या विकास-पश्चात Tc विकास-पूर्व Tc से कम है? यदि नहीं, तो कारण स्पष्ट करें (खंड 3.6.6): _____

F. वर्षा और हानियाँ (खंड 3.8.4, 3.8.5, 3.11.5, 3.12, 3.3.5)

तालिका 3F.6 — प्रपत्र 3-1: वर्षा, हानियाँ और प्रारंभिक स्तर

क्षेत्र	प्रविष्टि
F1. चलाए गए AEP और अवधियाँ; लगाया गया जलवायु गुणक (अध्याय 2)	
F2. प्रत्येक अवधि के लिए प्रयुक्त AMC (खंड 3.8.4)	
F3. डिजाइन रनों के लिए Ia अनुपात; Ia = 0.05S संवेदनशीलता रन किया गया (खंड 3.8.5)	
F4. प्रयुक्त चरम दर गुणक; यदि 484 से कम है, तो परिशिष्ट 3D का मान और वह भूमि जिस पर यह लागू है (खंड 3.11.5)	
F5. प्रत्येक तालाब या जलाशय का प्रारंभिक जल स्तर, और उसका आधार (खंड 3.12.5, 3.13.5)	
F6. साइट के बाहर से आने वाला अपवाह: वहन के लिए और तुलना के लिए माना गया भूमि उपयोग (खंड 3.3.5)	
F7. आनुषंगिक भंडारण गिना गया? यदि हाँ, तो प्राधिकारी की स्वीकार्यता (खंड 3.12.3)	

G. विचलन

तालिका 3F.7 — प्रपत्र 3-1: अध्याय 3 से विचलन

क्र.	जिस खंड से विचलन किया गया	अध्याय 3 के मान के स्थान पर प्रयुक्त मान	औचित्य
1			
2			

H. संलग्नक (खंड 3.17)

तालिका 3F.8 — प्रपत्र 3-1: संलग्नक

मद	संलग्न (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	संदर्भ
H1. विकास-पूर्व और विकास-पश्चात जलग्रहण क्षेत्र मानचित्र, उप-भागों, Tc प्रवाह मार्गों, POC और साइट के बाहर से आने वाले अपवाह के साथ		
H2. HSG मानचित्र, भूजल स्तर के आँकड़े और अंतःस्यंदन परीक्षण के परिणाम		
H3. प्राचल तालिकाएँ (भाग D) और Tc कार्य-पत्रिकाएँ (भाग E)		
H4. डिजाइन वर्षा पत्रक (प्रपत्र 2-1) और हायटोग्राफ		
H5. हाइड्रोग्राफ तालिकाएँ और आलेख; जल स्तर–भंडारण और जल स्तर–प्रवाह दर तालिकाएँ; रूट किए गए बहिर्वाह; चरम जल स्तर		
H6. प्रत्येक POC के लिए प्रपत्र 3-2		
H7. अंशांकन रिपोर्ट (खंड 3.15)		

मद	संलग्न (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	संदर्भ
H8. मूल मॉडल इनपुट और आउटपुट फाइलें (खंड 3.16.4)		

I. उत्तरदायी अभियंता का कथन (खंड 3.17 की मद 10)

मैं कथन करता/करती हूँ कि इस प्रस्तुति में *राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल* (प्रारूप संस्करण 1.0) के अध्याय 3 की विधियों और प्राचलों का उपयोग किया गया है, और प्रत्येक विचलन भाग G में सूचीबद्ध है और उसका औचित्य दिया गया है।

तालिका 3F.9 — प्रपत्र 3-1: उत्तरदायी अभियंता का कथन

क्षेत्र	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
संगठन	
हस्ताक्षर	
तिथि	

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

प्रपत्र 3-2 — विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना

अध्याय 3 के खंड 3.8.5, 3.11.5 और 3.14 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक तुलना बिंदु (POC) के लिए एक प्रपत्र। प्रवाह m^3/s में, आयतन m^3 में।

A. तुलना बिंदु (खंड 3.14.2)

तालिका 3F.10 — प्रपत्र 3-2: तुलना बिंदु

क्षेत्र	प्रविष्टि
A1. POC का पहचानकर्ता और स्थान	
A2. POC की ओर बहने वाला क्षेत्र: साइट (ha) और साइट के बाहर से आने वाला अपवाह (ha)	
A3. साइट के बाहर से आने वाला अपवाह साइट के भंडारण से होकर गुजरता है? (खंड 3.14.2(c))	
A4. जलग्रहण क्षेत्र का वर्ग: मानक (खंड 2.11.2) या बाढ़-संवेदनशील (खंड 2.11.3)	
A5. लगाया गया टेलवाटर, खंड 2.12 की संयुक्त स्थितियों सहित (खंड 3.14.9(c))	
A6. केवल बाढ़-संवेदनशील: सभी अवधियों में 10% AEP का सबसे बड़ा विकास-पूर्व चरम प्रवाह, खंड 2.11.3 की सीमा (खंड 3.14.7)	
A7. केवल बाढ़-संवेदनशील: विकास-पूर्व क्रांतिक अवधि पर 50% AEP का विकास-पूर्व चरम प्रवाह (खंड 2.11.3)	

B. चरम प्रवाह (खंड 3.14.7–3.14.10)

सीमा: मानक जलग्रहण क्षेत्रों के लिए समान AEP और अवधि के लिए 0.9 × Q_pre (खंड 3.14.10(a)); बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के लिए सीमाएँ A6 (1% AEP के लिए) और A7 (50% AEP के लिए) (खंड 3.14.10(b))।

तालिका 3F.11 — प्रपत्र 3-2: AEP और अवधिवार चरम प्रवाह

AEP	अवधि (h)	AMC	Q_pre	Q_post, अनियंत्रित	Q_post, रूट किया गया	सीमा	पूरी हुई?
50% (2-वर्ष)	1	II					
50% (2-वर्ष)	2	II					
50% (2-वर्ष)	3	II					
50% (2-वर्ष)	6	II					
50% (2-वर्ष)	12	III					
50% (2-वर्ष)	24	III					
50% (2-वर्ष)	48	III					
50% (2-वर्ष)	72	III					

AEP	अवधि (h)	AMC	Q_pre	Q_post, अनियंत्रित	Q_post, रूट किया गया	सीमा	पूरी हुई?
10% (10-वर्ष)	1	II					
10% (10-वर्ष)	2	II					
10% (10-वर्ष)	3	II					
10% (10-वर्ष)	6	II					
10% (10-वर्ष)	12	III					
10% (10-वर्ष)	24	III					
10% (10-वर्ष)	48	III					
10% (10-वर्ष)	72	III					
1% (100-वर्ष)	1	II					
1% (100-वर्ष)	2	II					
1% (100-वर्ष)	3	II					
1% (100-वर्ष)	6	II					
1% (100-वर्ष)	12	III					
1% (100-वर्ष)	24	III					
1% (100-वर्ष)	48	III					
1% (100-वर्ष)	72	III					

C. आयतन और भंडारण (खंड 3.14.8–3.14.10)

तालिका 3F.12 — प्रपत्र 3-2: आयतन और भंडारण

AEP	निर्णायक अवधि (h)	अपवाह आयतन, विकास-पूर्व	अपवाह आयतन, विकास-पश्चात अनियंत्रित	प्रतिधारण आयतन	आवश्यक अस्थायी भंडारण	भंडारण में चरम जल स्तर (m)
50% (2-वर्ष)						
10% (10-वर्ष)						
1% (100-वर्ष)						

C1. भंडारण के लिए निर्णायक अवधि, और 24, 48 और 72 h के परिणाम (खंड 3.14.10): _____

D. संवेदनशीलता रन (खंड 3.8.5, 3.14.11)

तालिका 3F.13 — प्रपत्र 3-2: संवेदनशीलता रन

रन	निर्णायक वर्षा घटना (AEP, अवधि)	Q_post, रूट किया गया, में परिवर्तन (%)	आवश्यक भंडारण में परिवर्तन (%)	लागू प्रतिधारण आयतन या WQv (खंड 3.8.5(c))
Ia = 0.05S				
मानक चरम दर गुणक (केवल जहाँ कम गुणक प्रयुक्त किया गया है)				—

E. संबद्ध जाँचें (खंड 3.14.12)

तालिका 3F.14 — प्रपत्र 3-2: संबद्ध जाँचें

जाँच	परिणाम	प्रस्तुति में संदर्भ
खाली होने का समय (अध्याय 4)		
न्यूनतम ऑरिफिस और कचरा-रोधी जाली (अध्याय 4)		
आपातकालीन स्पिलवे (अध्याय 4)		
आउटफॉल-बंद भंडारण जाँच (अध्याय 5)		
अनुप्रवाह विश्लेषण (अध्याय 5)		

F. उत्तरदायी अभियंता का कथन

मैं कथन करता/करती हूँ कि यह तुलना खंड 3.14 की प्रक्रिया द्वारा, विकास-पूर्व और विकास-पश्चात रनों में उन्हीं डिजाइन वर्षा घटनाओं के साथ, की गई है, और मानदंड पूरा करने के लिए किसी भी अपवाह को एक प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्र से दूसरे में नहीं मोड़ा गया है (खंड 3.14.2(b))।

तालिका 3F.15 — प्रपत्र 3-2: उत्तरदायी अभियंता का कथन

क्षेत्र	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
हस्ताक्षर	
तिथि	

अध्याय 4 के परिशिष्ट

साइट अपवाह नियंत्रण: प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण

ये परिशिष्ट अध्याय 4 के लिए हैं। परिशिष्ट 4C, खंड 4.6.7 के उदाहरण पर आधारित, रूटिंग तालिकाओं सहित टियर A का एक पूर्ण हल किया गया उदाहरण है। परिशिष्ट 4B में टियर B की तालिकाओं की संरचना, अनंतिम नियत निकास गुणांक और अध्याय 4 के ऑरिफिस समीकरण से गणना की गई एक मानक ऑरिफिस तालिका दी गई है; जिन मानों के लिए NIH-DHAARA गहराइयों की आवश्यकता है, वे अभी निकाले जाने हैं। परिशिष्ट 4A के लिए GIS और भूजल आँकड़ों की आवश्यकता है जो इस प्रारूप में अभी नहीं हैं; इसमें अभिप्रेत रूपरेखा और अध्याय 4 के अंतरिम नियम दिए गए हैं। प्रपत्र 4-1 से 4-3 खंड 4.17 द्वारा अपेक्षित प्रस्तुति प्रपत्र हैं। ये प्रारूप प्रपत्र हैं और इनकी कोई सांविधिक स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट 4A — बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ (GIS); उथले भूजल के जोन का मानचित्र

अध्याय 4 के खंड 4.5.3, 4.5.4 और 4.12 के लिए।

4A.1 **बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ.** ये जलग्रहण क्षेत्र वे हैं जो खंड 4.5.3.2 में सूचीबद्ध हैं, साथ ही खंड 4.5.4 के अंतर्गत अधिसूचित कोई भी जलग्रहण क्षेत्र। उनके मानचित्र और GIS परत वही आँकड़ा समुच्चय है जो परिशिष्ट 1B का है, जिसमें जलग्रहण क्षेत्र सूचीबद्ध हैं और परत के गुणों (attributes) की रूपरेखा दी गई है। दोनों परिशिष्ट एक साथ जारी किए जाएँगे।

4A.2 **उथले भूजल के जोन का मानचित्र.** यह मानचित्र उन क्षेत्रों को दर्शाता है जहाँ खंड 4.12 लागू होता है: श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के घग्घर–नहर के मैदान, जोधपुर का पुराना शहर, चंबल, बनास, लूणी और घग्घर के डूब क्षेत्र, और उदयपुर, अजमेर, जयपुर और अन्य शहरों की झीलों और तालाबों के अग्रतट, और कोई भी ऐसा क्षेत्र जहाँ वर्ष के किसी भी समय भूजल स्तर सतह से 3 m के भीतर रहता है (खंड 4.12.1)।

तैयार किया जाना है। इस परिशिष्ट में (a) बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ GIS परत के रूप में और ऐसे पैमाने के मानचित्रों के रूप में होंगी जो यह तय करने के लिए उपयुक्त हों कि कोई भूखंड उनके भीतर है या नहीं, और (b) खंड 4.12.1 के उथले भूजल के जोन का मानचित्र होगा, जिसमें दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान और उसके बाद मौसमी उच्चतम भूजल की गहराई दी गई हो। इसके लिए आवश्यक हैं: डिजिटल उन्नयन मॉडल और जल निकासी नेटवर्क (WRD, NRSC, भारतीय सर्वेक्षण विभाग) से बेसिन और उप-बेसिन की सीमाएँ; झीलों, तालाबों और जलाशयों के पूर्ण जल स्तर, राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित की जाने वाली झील की सीमाओं, संरक्षित क्षेत्रों और बहाव क्षेत्रों के साथ (कोई नहीं मिली); 1997 का उदयपुर की झीलों का निर्माण-निषिद्ध जोन; 7 अगस्त 2026 के उच्चतम न्यायालय के आदेश के अंतर्गत सीमांकित की जाने वाली नदी प्रणालियों की उच्च बाढ़ रेखाएँ (High Flood Lines) और पारिस्थितिक बफर, और जोजरी के किनारे से 100 m की रेखा (प्रकाशित खबरों के अनुसार); राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि; रामगढ़ बाँध का जलग्रहण क्षेत्र; WRD के डैम, गेट और नहरें और इंदिरा गाँधी नहर का कमान क्षेत्र; चार रामसर स्थलों की और आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित किसी भी आर्द्रभूमि की सीमाएँ; नगर सीमाएँ (UDH, विकास प्राधिकरण और नगर सुधार न्यास, स्थानीय निकाय निदेशालय, और नगर निगम, नगर परिषदें और नगरपालिका बोर्ड); RSDMA के पास उपलब्ध बाढ़ मानचित्र; CGWB और भू-जल विभाग के प्रेक्षण कुओं के अभिलेख; और मृदा सर्वेक्षण मानचित्रों (NBSS&LUP, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI, शुष्क क्षेत्र के लिए) या राजस्थान का कृषि विभाग (मृदा सर्वेक्षण) [TBC]) से शुष्क क्षेत्र की टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत, कैल्क्रीट की परतों और लवणीय गर्तों, हाड़ौती की काली मिट्टी (वर्टिसोल), अरावली की चट्टान और पतली मिट्टी, और पूर्वी मैदानों और घग्घर के जलोढ़ का विस्तार। इसके प्रकाशित होने तक: (a) खंड 4.5.3.2 में नामित जलग्रहण क्षेत्र लागू होते हैं, और कोई साइट उनमें से किसी में है या नहीं, यह परिशिष्ट 1B में निर्धारित तरीके से तय और दर्ज किया जाता है; और (b) प्रत्येक साइट, जिस पर खंड 4.12.1 लागू हो सकता है, अपना डिजाइन भूजल स्तर एक जून–नवंबर ऋतु में साइट के पीजोमीटर पाठ्यांकों से, या उनके न होने पर, निकटतम CGWB या राज्य के प्रेक्षण कुएँ के स्तर में 0.5 m जोड़कर और किसी आसन्न नदी, नाले (nala) या तालाब (talab) के डिजाइन बाढ़ जल स्तर से, या किसी आसन्न झील के पूर्ण जल स्तर से, निर्धारित करती है (खंड 4.12.1(b))। पीजोमीटर पाठ्यांकों के बिना श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के घग्घर–नहर के मैदानों और जोधपुर के पुराने शहर में उत्प्लावन जाँच के लिए डिजाइन भूजल स्तर विद्यमान भूमि स्तर है (खंड 4.12.1)।

तालिका 4A.1 — उथले भूजल जोन परत के गुण (रूपरेखा)

क्षेत्र (Field)	विषय-वस्तु	इकाई या प्रारूप
zone_id	अद्वितीय पहचानकर्ता	पाठ (text)
zone_class	घग्घर–नहर का मैदान (श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़); जोधपुर का पुराना शहर; नदी का डूब क्षेत्र (चंबल, बनास, लूणी, घग्घर या अन्य); झील या तालाब का अग्रतट (उदयपुर, अजमेर, जयपुर या अन्य); सतह से 3 m के भीतर भूजल वाला अन्य क्षेत्र (खंड 4.12.1)	पाठ (text)
shgw_depth_m	भूमि के नीचे मौसमी उच्चतम भूजल की गहराई, दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतु	m
shgw_basis	प्रयुक्त कुएँ या पीजोमीटर, और अभिलेख की अवधि	पाठ (text)
tidal_influence	क्या भूजल स्तर किसी आसन्न ज्वारीय जलाशय का अनुसरण करता है (खंड 4.12.1(b))	हाँ / नहीं (yes / no)
source	आँकड़ों की स्रोत एजेंसी और दिनांक	पाठ (text)
geometry	जोन की सीमा	बहुभुज (polygon)

परिशिष्ट 4B — टियर B तालिकाएँ: PSD और SSR (तालिका 4.3), प्रतिधारण क्रेडिट गुणक C_R, मानक आउटलेट आकार; पुष्ट नियत निकास गुणांक (तालिका 4.3A)

अध्याय 4 के खंड 4.4.6.3, 4.14.1, 4.14.2 और 4.14.4 से 4.14.6 के लिए।

4B.1 इस परिशिष्ट में चार तालिकाएँ होंगी। इस प्रारूप में उनकी स्थिति इस प्रकार है:

तालिका 4B.1 — परिशिष्ट 4B की विषय-वस्तु और उसकी स्थिति

तालिका	विषय-वस्तु	खंड	इस प्रारूप में स्थिति
4B.2	टियर B साइट की अनुमेय प्रवाह दर (PSD) और साइट पर आवश्यक भंडारण (SSR), तालिका 4.3 के मान	4.14.2	तैयार किया जाना है
4B.3	प्रतिधारण क्रेडिट गुणक C_R	4.4.6.3	तैयार किया जाना है; प्रकाशन तक C_R = 0
4B.4	मानक आउटलेट आकार	4.14.2 पद 4, 4.14.6	इस परिशिष्ट में खंड 4.6.5.2 के ऑरिफिस समीकरण से गणना की गई
4B.5	नियत निकास गुणांक C_10 और C_2 (तालिका 4.3A)	4.14.4	तालिका 4.3A के अनंतिम मान; पुष्ट मान तैयार किए जाने हैं

4B.2 PSD और SSR (तालिका 4.3)

तैयार किया जाना है. यह तालिका प्रत्येक वर्षा जोन, जलवैज्ञानिक मृदा समूह और विकास-पश्चात अपारगम्यता के लिए, मानक और बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों हेतु, 2-वर्ष और 100-वर्ष चरणों के लिए PSD और SSR, तालिका 4.3 की रूपरेखा में देगी। इसके लिए आवश्यक हैं: प्रत्येक जोन के लिए जलवायु गुणक सहित NIH-DHAARA डिजाइन गहराइयाँ (अध्याय 2, परिशिष्ट 2A), परिशिष्ट 2B के उप-दैनिक अनुपात, और तालिका 4.1 के प्रत्येक AEP और अवधि के लिए खंड 4.6 की पूर्ण विधि द्वारा मानक साइटों के एक समुच्चय की रूटिंग। प्रत्येक PSD निर्णायक निकास सीमा और प्रत्येक SSR प्रति हेक्टेयर निर्णायक भंडारण होगा, ऐसे मार्जिन के साथ कि सरलीकृत विधि कभी भी रूटिंग से सस्ती न पड़े। इसके प्रकाशित होने तक, टियर B साइटें खंड 4.6 का, या जहाँ साइट 1 ha या उससे कम हो वहाँ खंड 4.14.3 के नियत-गुणांक मार्ग का उपयोग करती हैं (खंड 4.14.1 और 4.14.3)।

तालिका 4B.2 — टियर B PSD और SSR (तालिका 4.3 की रूपरेखा)

जोन (परिशिष्ट 2A)	HSG	अपारगम्यता	PSD 2-वर्ष (L/s/ha)	PSD 100-वर्ष (L/s/ha), मानक	PSD 100-वर्ष (L/s/ha), बाढ़-संवेदनशील	SSR (m^3/ha), मानक	SSR (m^3/ha), बाढ़-संवेदनशील
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-A थार का केंद्रीय भाग	A / C / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-B मारवाड़ और लूणी बेसिन	A / B / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-C शेखावाटी और बीकानेर	A / B / C	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—

जोन (परिशिष्ट 2A)	HSG	अपारगम्यता	PSD 2-वर्ष (L/s/ha)	PSD 100-वर्ष (L/s/ha), मानक	PSD 100-वर्ष (L/s/ha), बाढ़-संवेदनशील	SSR (m^3/ha), मानक	SSR (m^3/ha), बाढ़-संवेदनशील
RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-D घग्घर–IGNP नहर के मैदान	B / C / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—
RJ-Z2 पूर्व और मध्य: RJ-E ढूँढाड़–अजमेर (मध्य)	B / C / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—
RJ-Z2 पूर्व और मध्य: RJ-F मेवात–ब्रज (उत्तर-पूर्व)	B / C	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—
RJ-Z2 पूर्व और मध्य: RJ-G हाड़ौती और चंबल	C / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—
RJ-Z3 दक्षिण और आबू की पहाड़ियाँ: RJ-H मेवाड़ और वागड़	C / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—
RJ-Z3 दक्षिण और आबू की पहाड़ियाँ: RJ-I माउंट आबू और सिरोही की पहाड़ियाँ	C / D	50% / 70% / 90%	—	—	—	—	—

4B.3 प्रतिधारण क्रेडिट गुणक C_R

तैयार किया जाना है. यह तालिका प्रत्येक वर्षा जोन, जलवैज्ञानिक मृदा समूह और प्रतिधारण पद्धति की डिजाइन अंतःस्यंदन दर या खाली होने की दर के लिए C_R देगी (खंड 4.4.3 और 4.4.6.3)। इसके लिए NIH-DHAARA गहराइयों के साथ खंड 2.5.2 के अवधियों के पूर्ण समुच्चय की रूटिंग आवश्यक है, जिसमें प्रतिधारण पद्धति को खंड 4.4.6.2 के अनुसार मॉडल किया गया हो, और क्रेडिट को प्रदान किए गए प्रति घन मीटर प्रतिधारण पर निर्णायक भंडारण में कमी के रूप में व्यक्त किया गया हो। इसके प्रकाशित होने तक, **C_R = 0** (खंड 4.4.6.3)।

तालिका 4B.3 — प्रतिधारण क्रेडिट गुणक C_R (रूपरेखा)

जोन (परिशिष्ट 2A)	HSG	डिजाइन अंतःस्यंदन या खाली होने की दर (mm/h)	C_R (–)

4B.4 मानक आउटलेट आकार

4B.4.1 तालिका 4B.4, 5 mm के अंतराल पर, वह सबसे बड़ा वृत्ताकार ऑरिफिस देती है जिसकी प्रवाह दर किसी दिए गए हेड पर किसी दी गई अनुमेय प्रवाह दर से अधिक नहीं होती। इसकी गणना खंड 4.6.5.2 के प्रवाह गुणांक के साथ ऑरिफिस समीकरण से की गई है:

$$Q = 0.60 \times (\pi\, d^2 / 4) \times \sqrt{(2\, g\, H)}$$

जहाँ Q प्रवाह दर (m^3/s) है, d ऑरिफिस का व्यास (m) है, g = 9.81 m/s^2 है और H जल स्तर से ऑरिफिस के केंद्र तक हेड (m) है। आकारों को **नीचे** की ओर पूर्णांकित किया गया है, ताकि ऑरिफिस कभी भी अनुमेय प्रवाह दर से अधिक न निकाले। जहाँ गणना किया गया आकार 50 mm से कम है, वहाँ खंड 4.8.2 का 50 mm का न्यूनतम आकार दिखाया गया है; खंड 4.5.5.1 के अंतर्गत इसे अनुपालन करता हुआ माना जाता है।

4B.4.2 तालिका मुक्त निस्सरण (free discharge) मानती है। जहाँ टेलवाटर ऑरिफिस से ऊपर उठ सकता है (खंड 4.6.6), वहाँ H प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह जल स्तरों का अंतर है और ऑरिफिस की जाँच रूटिंग द्वारा की जाएगी। राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति परिशिष्ट 4B जारी करते समय इस तालिका को प्रतिस्थापित कर सकती है।

तालिका 4B.4 — दिए गए हेड पर अनुमेय प्रवाह दर के लिए ऑरिफिस का सबसे बड़ा व्यास (mm) (Cd = 0.60, मुक्त निस्सरण)

अनुमेय प्रवाह दर (L/s)	H = 0.5 m	H = 1.0 m	H = 1.5 m	H = 2.0 m
5	55	50	50	50
10	80	65	60	55
15	100	80	75	70
20	115	95	85	80
30	140	115	105	100
50	180	150	135	130
75	225	185	170	155
100	260	215	195	180
150	315	265	240	225
200	365	305	275	260
300	450	375	340	315

जाँच: H = 1.0 m पर 50 L/s के लिए, क्षेत्रफल 0.050 / (0.60 × √(2 × 9.81 × 1.0)) = 0.0188 m^2 है, इसलिए d = √(4 × 0.0188 / π) = 0.155 m, जिसे नीचे की ओर पूर्णांकित करके 150 mm किया गया।

4B.5 नियत निकास गुणांक (तालिका 4.3A)

4B.5.1 तालिका 4B.5 में तालिका 4.3A के अनंतिम गुणांक दोहराए गए हैं। इनका उपयोग अभी नियत-गुणांक मार्ग के अंतर्गत किया जा सकता है (खंड 4.14.4)।

तालिका 4B.5 — नियत निकास गुणांक C_10 और C_2 (अनंतिम, तालिका 4.3A)

जलवैज्ञानिक मृदा समूह	C_10	C_2	खंड	स्थिति
A (रेतीली, अच्छी जल निकासी वाली)	0.05	0.02	4.14.4	अनंतिम

जलवैज्ञानिक मृदा समूह	C_10	C_2	खंड	स्थिति
B	0.08	0.03	4.14.4	अनंतिम
C	0.15	0.08	4.14.4	अनंतिम
D (चिकनी मिट्टी, खराब जल निकासी वाली)	0.25	0.15	4.14.4	अनंतिम

तैयार किया जाना है. पुष्ट गुणांक तालिका 4B.5 को प्रतिस्थापित करेंगे। इनके लिए प्रत्येक जोन की NIH-DHAARA गहराइयाँ और खंड 3.3 के अविकसित खुली भूमि (greenfield) के कर्व नंबर आवश्यक हैं, जैसा कि खंड 4.14 के भाष्य में वर्णित है। इनके प्रकाशित होने तक, तालिका 4.3A के अनंतिम मान लागू होते हैं।

परिशिष्ट 4C — पूर्ण रूटिंग तालिकाओं सहित हल किया गया उदाहरण (टियर A)

अध्याय 4 के खंड 4.4 से 4.9, 4.15 और 4.17 के लिए।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. यह उदाहरण खंड 4.6.7 के उदाहरण को आगे बढ़ाता है। इसके इनपुट दक्षिण जयपुर में द्रव्यवती के किसी सहायक नाले पर बसी किसी कॉलोनी के लिए विश्वसनीय लगने हेतु कल्पित हैं; ये NIH-DHAARA मान नहीं हैं और इनका उपयोग डिजाइन के लिए नहीं किया जाएगा। भाग 1 में एक परीक्षण आउटलेट (trial outlet) के लिए इनपुट, हाइड्रोग्राफ और रूटिंग क्रमवार दिए गए हैं। भाग 2 में पाया गया है कि परीक्षण आउटलेट खंड 4.8.3 के अवरोध के साथ खाली होने की जाँच में विफल रहता है, और उसे तालिका 4.2 में बताए गए आउटलेट में संशोधित किया गया है। भाग 3 में स्पिलवे, आउटलेट, सुरक्षा और प्रतिधारण की जाँचें पूरी की गई हैं। दक्षिण जयपुर में द्रव्यवती के एक सहायक नाले में गिरने वाले आउटफॉल पर इसी सुविधा के लिए अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच परिशिष्ट 5C में है।

भाग 1 — इनपुट, हाइड्रोग्राफ और रूटिंग (खंड 4.6.1 से 4.6.4)

4C.1 **इनपुट.**

तालिका 4C.1 — इनपुट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

मद	मान	आधार
साइट का क्षेत्रफल A	2.0 ha (0.02 km^2), एक आउटफॉल	खंड 4.6.7
जलग्रहण क्षेत्र का वर्ग	बाढ़-संवेदनशील (खंड 4.5.3)	खंड 4.6.7
भूमि आवरण और कर्व नंबर, AMC II	विकास-पूर्व: पूर्णतः पारगम्य, CN 70। विकास-पश्चात, दो उप-भागों के रूप में: CN 98 पर 1.57 ha प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा अपारगम्य क्षेत्र, और CN 70 पर 0.43 ha पारगम्य खुला स्थान (विकास-पूर्व जैसी ही मिट्टी)। अपारगम्य अंश f = (92 − 70) / (98 − 70) = 0.786, इसलिए क्षेत्र-भारित CN 92 है	खंड 3.9.2, 4.6.7
AMC III में रूपांतरण	केवल पारगम्य क्षेत्र, 12 h और उससे लंबी वर्षा घटनाओं के लिए: CN_III = 23·CN / (10 + 0.13·CN) = 84.3। अपारगम्य CN 98 का रूपांतरण नहीं किया जाता	खंड 3.8.4
प्रारंभिक हानि	Ia = 0.2S; संवेदनशीलता रन के रूप में Ia = 0.05S	खंड 3.8.5

मद	मान	आधार
सांद्रण समय Tc	विकास-पूर्व 45 min; विकास-पश्चात 15 min, दोनों उप-भागों के लिए प्रयुक्त, क्योंकि खुला स्थान छोटा है और उसी साइट प्रणाली से जल निकासी करता है	खंड 4.6.7
इकाई हाइड्रोग्राफ	SCS त्रिकोणीय; tL = 0.6 Tc; tp = Δt/2 + tL; आधार 2.67 tp	खंड 3.6.5, 3.11.2
समय पद Δt	5 min (= विकास-पश्चात साइट का Tc/3)	खंड 4.6.2, पद 8
24-घंटे की गहराइयाँ, 2-, 10-, 100-वर्ष	110, 200, 350 mm, जलवायु गुणक सहित मानी गई	खंड 4.6.7
छोटी अवधियाँ	P(t) = P24 · (t/24)^0.40 (कल्पित अनुपात समुच्चय, परिशिष्ट 2B नहीं)	खंड 4.6.7
48-घंटे और 72-घंटे की गहराइयाँ	1.25 और 1.40 × P24, अंतिम दिन 24-घंटे की गहराई के साथ	खंड 4.6.7, 2.9.2
भंडारण	खुला, ऊर्ध्वाधर दीवारों वाला, 2,500 m² प्लान क्षेत्रफल, खोदा गया, बिना तटबंध, जनता के लिए सुलभ नहीं	खंड 4.6.7
परीक्षण आउटलेट	चरण 1 (Stage 1): फर्श पर 120 mm ऑरिफिस। चरण 2: 470 mm ऑरिफिस, इनवर्ट फर्श से 0.533 m ऊपर। चरण 3 नहीं	इस परिशिष्ट के लिए परीक्षण; भाग 2 में इसे संशोधित किया गया है
आउटफॉल	किसी प्राप्तकर्ता ड्रेन में मुक्त आउटफॉल, जिसका स्तर आउटलेट इनवर्ट से नीचे रहता है	उदाहरणार्थ इनपुट

उदाहरण खंड 3.8.4 और 3.9.2 का अनुसरण करता है: प्रत्येक उप-भाग के अपवाह की गणना अलग से की जाती है और रूटिंग से पहले दोनों को जोड़ा जाता है।

4C.2 **डिजाइन वर्षा.** तालिका 4C.2 में गहराइयाँ दी गई हैं। उदाहरण के लिए, 100-वर्ष 6-घंटे की गहराई 350 × (6/24)^0.40 = 350 × 0.574 = 201.0 mm है।

तालिका 4C.2 — डिजाइन वर्षा की गहराइयाँ, mm (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

अवधि (h)	1	2	3	6	12	24	48	72
50% AEP (2-वर्ष)	30.9	40.7	47.9	63.2	83.4	110.0	137.5	154.0
10% AEP (10-वर्ष)	56.1	74.0	87.1	114.9	151.6	200.0	250.0	280.0
1% AEP (100-वर्ष)	98.2	129.5	152.3	201.0	265.3	350.0	437.5	490.0

4C.3 **हायटोग्राफ.** 24 h तक की वर्षा घटनाएँ 5-मिनट के खंडों में ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक विधि का उपयोग करती हैं, जिसमें चरम खंड वर्षा घटना के मध्य में होता है (खंड 2.9.1)। 48- और 72-घंटे की वर्षा घटनाएँ 24-घंटे की गहराई से अधिक गहराई को पहले 24 या 48 h में समान रूप से फैलाती हैं और 24-घंटे की ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक वर्षा घटना को अंतिम दिन रखती हैं (खंड 2.9.2)। 100-वर्ष 72-घंटे की वर्षा घटना के लिए: पहले 48 h के लिए (490.0 − 350.0) / 576 खंड = 0.243 mm प्रति 5 मिनट; अंतिम दिन का 5-मिनट का चरम खंड 350 × (5/1440)^0.40 = 36.3 mm है, 60:00–60:05 h पर।

4C.4 **हानियाँ.** तालिका 4C.3 में S = 25,400/CN − 254 (mm) और Ia = 0.2S दिए गए हैं। वर्षा की गहराई P के लिए अपवाह की गहराई P > Ia होने पर Q = (P − Ia)² / (P − Ia + S) है, और अन्यथा शून्य।

तालिका 4C.3 — कर्व नंबर और हानियाँ (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

स्थिति	AMC	CN	S (mm)	Ia = 0.2S (mm)
विकास-पूर्व	II (अवधियाँ ≤ 6 h)	70	108.9	21.8
विकास-पूर्व	III (अवधियाँ ≥ 12 h)	84.3	47.3	9.5
विकास-पश्चात पारगम्य खुला स्थान (0.43 ha)	II (अवधियाँ ≤ 6 h)	70	108.9	21.8
विकास-पश्चात पारगम्य खुला स्थान (0.43 ha)	III (अवधियाँ ≥ 12 h)	84.3	47.3	9.5
विकास-पश्चात प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा अपारगम्य क्षेत्र (1.57 ha)	सभी अवधियाँ (रूपांतरित नहीं)	98	5.2	1.0

जाँच: 100-वर्ष 24 h, विकास-पश्चात। अपारगम्य: $Q = (350.0 - 1.0)^2 / (350.0 - 1.0 + 5.2) = 343.9$ mm। पारगम्य, AMC III: $Q = (350.0 - 9.5)^2 / (350.0 - 9.5 + 47.3) = 299.0$ mm। साइट: $0.786 \times 343.9 + 0.214 \times 299.0 = 334.2$ mm। तालिका 4C.4 के विकास-पश्चात स्तंभ ये क्षेत्र-भारित साइट गहराइयाँ हैं।

तालिका 4C.4 — वर्षा घटना के अपवाह की गहराई Q, mm (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

अवधि (h)	AMC	2-वर्ष विकास-पूर्व	2-वर्ष विकास-पश्चात	10-वर्ष विकास-पूर्व	10-वर्ष विकास-पश्चात	100-वर्ष विकास-पश्चात
1	II	0.7	20.1	8.2	41.3	79.2
2	II	2.8	28.2	16.9	57.2	108.5
3	II	5.1	34.2	24.5	69.0	130.2
6	II	11.4	47.5	42.9	94.7	177.1
12	III	45.0	70.5	106.6	137.2	249.9
24	III	68.4	96.4	152.6	185.1	334.2
48	III	93.5	123.3	201.0	234.7	421.5
72	III	108.9	139.6	230.3	264.5	473.9

इस 2.0 ha साइट के लिए अपवाह का आयतन $10 \times Q \times A = 20 \times Q$ m^3 है: उदाहरण के लिए, 100-वर्ष 72-घंटे की वर्षा घटना के लिए 9,478 m^3। रूट किए गए हाइड्रोग्राफ 0.5% तक कम वहन करते हैं, क्योंकि 5-मिनट की ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक वर्षा घटना अंतिम दिन 350.0 mm के बजाय 349.5 mm रखती है।

4C.5 **इकाई हाइड्रोग्राफ.** प्रत्येक 5-मिनट के खंड में अपवाह (विकास-पश्चात साइट के लिए, दोनों उप-भागों का योग) को तालिका 4C.5 के त्रिकोणीय इकाई हाइड्रोग्राफ के साथ संवलित (convolved) किया जाता है। चरम $qp = 0.208 \times A \times Q / tp$ है, जिसमें A km^2 में और Q = 1 mm है (खंड 3.11.2)।

तालिका 4C.5 — इकाई हाइड्रोग्राफ के प्राचल (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

स्थिति	Tc (h)	tL = 0.6 Tc (h)	tp = Δt/2 + tL (h)	आधार 2.67 tp (h)	qp (L/s प्रति mm अपवाह)
विकास-पूर्व	0.75	0.45	0.492	1.313	8.5
विकास-पश्चात	0.25	0.15	0.192	0.512	21.7

4C.6 **निकास सीमाएँ (खंड 4.5.3).** साइट बाढ़-संवेदनशील है, इसलिए मिश्रित-आवृत्ति नियम लागू होता है। 100-वर्ष की सीमा सभी अवधियों में विकास-पूर्व 10-वर्ष का सबसे बड़ा चरम है: **356 L/s** (72 h; तालिका 4.2)। 2-वर्ष की सीमा विकास-पूर्व 2-वर्ष का सबसे बड़ा चरम है: **180 L/s** (72 h)। प्रत्येक सीमा विकास-पश्चात की प्रत्येक अवधि पर लागू होती है (खंड 4.5.3.1)।

4C.7 **जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर.** बेसिन ऊर्ध्वाधर दीवारों वाला है, इसलिए भंडारण S = 2,500 × h (m³), जहाँ h फर्श के ऊपर जल स्तर (m) है। आउटलेट की प्रवाह दर Cd = 0.60 के साथ खंड 4.6.5.2 का अनुसरण करती है:

- चरण 1, h ≥ d के लिए: Q1 = 0.60 × A1 × √(2g (h − d/2))। h < d के लिए (ऑरिफिस आंशिक रूप से भरा), हेड को d/2 लिया जाता है और परिणाम को h/d से गुणा किया जाता है।
- चरण 2 की गणना तब से की जाती है जब पानी उसके केंद्र से ऊपर हो: Q2 = 0.60 × A2 × √(2g (h − z2 − d2/2)), जहाँ z2 उसका इनवर्ट है। उसके केंद्र से नीचे उसके प्रवाह की उपेक्षा की जाती है, जिससे भंडारण थोड़ा अधिक आँका जाता है।

तालिका 4C.6 — जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर, परीक्षण आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

जल स्तर h (m)	भंडारण (m³)	चरण 1, 120 mm (L/s)	चरण 2, 470 mm (L/s)	कुल (L/s)
0.00	0	0.0	0.0	0.0
0.06	150	3.7	0.0	3.7
0.12	300	7.4	0.0	7.4
0.20	500	11.2	0.0	11.2
0.30	750	14.7	0.0	14.7
0.40	1,000	17.5	0.0	17.5
0.50	1,250	19.9	0.0	19.9
0.60	1,500	22.1	0.0	22.1
0.70	1,750	24.0	0.0	24.0
0.80	2,000	25.9	83.0	108.9
0.90	2,250	27.5	167.8	195.3
1.00	2,500	29.1	222.3	251.4
1.10	2,750	30.7	265.8	296.5
1.20	3,000	32.1	303.2	335.3
1.30	3,250	33.5	336.4	369.9
1.40	3,500	34.8	366.7	401.5

h = 1.00 m पर जाँच: Q1 = 0.60 × 0.01131 × √(19.62 × 0.94) = 0.0291 m³/s; Q2 = 0.60 × 0.1735 × √(19.62 × (1.00 − 0.533 − 0.235)) = 0.2223 m³/s।

4C.8 **रूटिंग.** प्रत्येक वर्षा घटना की रूटिंग स्तर-ताल सातत्य (level-pool continuity) द्वारा की जाती है (खंड 4.6.1): प्रत्येक 5-मिनट के पद में भंडारण में परिवर्तन अंतर्वाह आयतन घटा बहिर्वाह आयतन के बराबर होता है। गणना में प्रत्येक 5-मिनट के पद के लिए छह 50-सेकंड के उप-पद प्रयुक्त किए गए। तालिका 4C.7 की प्रत्येक पंक्ति की जाँच हाथ से ΔS ≈ (Ī − Ō) × 300 s के रूप में की जा सकती है, जहाँ । दिखाए गए समय

पर समाप्त होने वाले 5-मिनट के पद में माध्य अंतर्वाह है और Ō पद के आरंभ और अंत के बहिर्वाहों का माध्य है। उदाहरण के लिए, 60:15 और 60:20 के बीच: ΔS = 2,853.0 − 2,613.3 = 239.7 m³, और (1.0891 − (0.2655 + 0.3069)/2) × 300 = 240.9 m³।

तालिका 4C.7 — परीक्षण आउटलेट से होकर 100-वर्ष 72-घंटे की वर्षा घटना की रूटिंग, चरम के आसपास (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

समय (h:min)	पद में वर्षा (mm)	अंतर्वाह I (L/s)	बहिर्वाह O (L/s)	भंडारण S (m³)	जल स्तर h (m)
60:00	8.44	286.3	169.5	2,164.0	0.866
60:05	36.33	354.2	184.1	2,216.9	0.887
60:10	11.61	703.3	218.0	2,367.1	0.947
60:15	6.88	1,066.0	265.5	2,613.3	1.045
60:20	5.23	1,089.1	306.9	2,853.0	1.141
60:25	4.34	897.5	334.8	3,025.0	1.210
60:30	3.77	653.2	349.9	3,117.6	1.247
60:35	3.36	403.6	353.8	**3,132.9**	**1.253**
60:40	3.05	301.5	352.3	3,117.3	1.247
60:45	2.81	254.8	348.6	3,088.7	1.235
60:50	2.61	224.9	343.7	3,052.4	1.221
60:55	2.45	203.3	337.9	3,011.3	1.205

भंडारण 60:35 पर समाप्त होने वाले पद के अंत में सबसे अधिक है। अगले पद में माध्य अंतर्वाह (302 L/s) बहिर्वाह (लगभग 352 L/s) से कम है, इसलिए भंडारण घटता है।

तालिका 4C.8 — परीक्षण आउटलेट से होकर 100-वर्ष 72-घंटे की वर्षा घटना की रूटिंग, प्रति घंटा (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

समय (h)	संचयी वर्षा (mm)	अंतर्वाह (L/s)	बहिर्वाह (L/s)	जल स्तर (m)	भंडारण (m³)
12	35.0	14	8	0.130	325
24	70.0	15	12	0.215	536
36	105.0	16	14	0.264	660
48	140.0	16	15	0.294	736
54	181.7	47	19	0.469	1,172
57	213.5	69	23	0.623	1,559
59	248.5	120	91	0.789	1,971
60	293.3	286	170	0.866	2,164

समय (h)	संचयी वर्षा (mm)	अंतर्वाह (L/s)	बहिर्वाह (L/s)	जल स्तर (m)	भंडारण (m³)
61	378.0	187	332	1.187	2,967
62	399.3	106	237	0.968	2,421
63	414.5	80	142	0.829	2,072
66	446.9	51	52	0.771	1,927
72	489.5	33	33	0.768	1,920
84	489.5	0	18	0.405	1,012
96	489.5	0	10	0.167	418
108	489.5	0	4	0.058	146

रूट किया गया बहिर्वाह आयतन अंतर्वाह आयतन (लगभग 9,470 m³) के बराबर है: अस्थायी भंडारण आयतन को विलंबित करता है, किंतु उसे हटाता नहीं।

4C.9 **परिणाम, परीक्षण आउटलेट.** तालिका 4C.9 में परीक्षण आउटलेट के लिए चरम, अधिकतम जल स्तर और खाली होने के समय दिए गए हैं।

तालिका 4C.9 — परीक्षण आउटलेट (120 mm और 470 mm ऑरिफिस) के परिणाम (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

अवधि (h)	2-वर्ष, भंडारण के बाद (L/s)	2-वर्ष अधिकतम जल स्तर (m)	10-वर्ष, भंडारण के बाद (L/s)	10-वर्ष अधिकतम जल स्तर (m)	100-वर्ष, भंडारण के बाद (L/s)	100-वर्ष अधिकतम जल स्तर (m)	100-वर्ष भंडारण (m³)	10-वर्ष 90% खाली होने का समय, स्वच्छ (h)	10-वर्ष 90% खाली होने का समय, 50% अवरुद्ध (h)
1	9	0.15	15	0.30	22	0.59	1,468	27.2	54.2
2	11	0.20	18	0.42	89	0.79	1,966	28.3	57.0
3	13	0.24	20	0.50	135	0.82	2,058	29.3	59.1
6	15	0.31	23	0.64	190	0.89	2,229	31.1	63.4
12	17	0.40	49	0.77	279	1.06	2,647	36.2	69.2
24	19	0.45	87	0.79	334	1.20	2,991	42.8	75.4
48	20	0.51	144	0.83	353	1.25	3,129	42.5	72.7
72	20	0.52	147	0.84	354	1.25	**3,133**	42.5	71.9

खाली होने का समय 10-वर्ष के अधिकतम भंडारण के समय से तब तक मापा जाता है जब तक उस भंडारण का 90% निकल नहीं जाता (खंड 4.7.1)।

भाग 2 — जाँचें और आउटलेट का संशोधन (खंड 4.5, 4.7 और 4.8)

4C.10 **निकास सीमाएँ.** अस्थायी भंडारण के बाद 100-वर्ष का प्रत्येक चरम 356 L/s पर या उससे नीचे है, और अस्थायी भंडारण के बाद 2-वर्ष का प्रत्येक चरम 180 L/s की 2-वर्ष सीमा से बहुत नीचे है। दोनों सीमाएँ पूरी होती हैं। 2-वर्ष के चरमों की तुलना प्रत्येक अवधि के लिए विकास-पूर्व चरमों से अलग-अलग नहीं की जाती: बाढ़-संवेदनशील साइट के लिए 2-वर्ष की सीमा विकास-पूर्व 2-वर्ष का एकल सबसे बड़ा चरम है (खंड

4.5.3.1)।

4C.11 **खाली होना.** खंड 4.8.3 अपेक्षित करता है कि खाली होने की जाँच करते समय अल्प-प्रवाह ऑरिफिस को **50% अवरुद्ध** माना जाए। 120 mm ऑरिफिस को उसके आधे क्षेत्रफल पर मानने से, 10-वर्ष के भंडारण के 90% को निकलने में 54 से 75 h लगते हैं (तालिका 4C.9), जबकि खंड 4.7.1 की सीमा 48 घंटे है। **परीक्षण आउटलेट विफल रहता है।** स्वच्छ ऑरिफिस के साथ यह लगभग 42 h में खाली हो जाता।

4C.12 **संशोधित आउटलेट.** अल्प-प्रवाह ऑरिफिस को 10 mm के अंतराल पर तब तक बढ़ाया गया जब तक प्रत्येक अवधि के लिए अवरुद्ध स्थिति में खाली होने का समय 48 h के भीतर नहीं आ गया, और फिर चरण 2 का आकार फिर से निर्धारित किया गया ताकि 100-वर्ष की सीमा अब भी पूरी हो। परिणाम:

- चरण 1: फर्श पर **170 mm** ऑरिफिस;
- चरण 2: **460 mm** ऑरिफिस, इनवर्ट फर्श से 0.53 m ऊपर (केंद्र 0.76 m पर);
- चरण 3 नहीं।

बड़ा अल्प-प्रवाह ऑरिफिस बार-बार होने वाली वर्षा घटनाओं में अधिक पानी निकालता है। यहाँ यह स्वीकार्य है क्योंकि बाढ़-संवेदनशील साइट की 2-वर्ष की सीमा विकास-पूर्व 2-वर्ष का सबसे बड़ा चरम है (खंड 4.5.3.1)। माना गया है कि WQv का उपचार प्रतिप्रवाह में एक अलग पद्धति में किया जाता है (अध्याय 8), इसलिए चरण 1 से WQv को 24–48 h तक रोकने की अपेक्षा नहीं है (खंड 4.6.5.1); जहाँ चरण 1 WQv भी निकालता है, वहाँ खंड 4.7.2 की भी जाँच करनी होगी।

तालिका 4C.10 — जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर, संशोधित आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

जल स्तर h (m)	भंडारण (m^3)	चरण 1, 170 mm (L/s)	चरण 2, 460 mm (L/s)	कुल (L/s)
0.00	0	0.0	0.0	0.0
0.085	213	8.8	0.0	8.8
0.17	425	17.6	0.0	17.6
0.30	750	28.0	0.0	28.0
0.40	1,000	33.9	0.0	33.9
0.50	1,250	38.9	0.0	38.9
0.60	1,500	43.3	0.0	43.3
0.70	1,750	47.3	0.0	47.3
0.76	1,900	49.6	0.0	49.6
0.80	2,000	51.0	88.3	139.3
0.90	2,250	54.5	165.3	219.7
1.00	2,500	57.7	216.4	274.1
1.10	2,750	60.8	257.5	318.3
1.17	2,925	62.8	282.8	345.6
1.20	3,000	63.7	293.0	356.7
1.30	3,250	66.5	324.6	391.1

तालिका 4C.11 — संशोधित आउटलेट (170 mm और 460 mm ऑरिफिस) के परिणाम (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

अवधि (h)	2-वर्ष, भंडारण के बाद (L/s)	2-वर्ष अधिकतम जल स्तर (m)	10-वर्ष, भंडारण के बाद (L/s)	10-वर्ष अधिकतम जल स्तर (m)	10-वर्ष भंडारण (m^3)	100-वर्ष, भंडारण के बाद (L/s)	100-वर्ष अधिकतम जल स्तर (m)	100-वर्ष भंडारण (m^3)	10-वर्ष 90% खाली होने का समय, 50% अवरुद्ध (h)
1	15	0.14	28	0.29	734	42	0.57	1,426	31.3
2	20	0.19	34	0.40	990	79	0.76	1,911	32.1
3	22	0.22	37	0.46	1,147	139	0.80	1,999	32.8
6	25	0.26	41	0.56	1,386	194	0.86	2,154	34.2
12	30	0.33	46	0.68	1,692	276	1.01	2,512	39.0
24	32	0.37	49	0.75	1,870	320	1.11	2,766	45.3
48	34	0.40	82	0.77	1,913	343	1.17	**2,913**	44.8
72	34	0.41	84	0.77	1,915	343	1.16	2,911	44.7

निष्कर्ष:

- **100-वर्ष की सीमा:** अस्थायी भंडारण के बाद सबसे बड़ा चरम 343 L/s ≤ 356 L/s। पूरी होती है।
- **2-वर्ष की सीमा:** अस्थायी भंडारण के बाद सबसे बड़ा चरम 34 L/s ≤ 180 L/s। पूरी होती है।
- **खाली होना:** अवरुद्ध स्थिति में खाली होने का सबसे लंबा समय 45.3 h ≤ 48 h (खंड 4.7.1)। पूरा होता है।
- **निर्णायक भंडारण: 2,913 m^3** (100-वर्ष, 48 h), **1.17 m** के अधिकतम जल स्तर पर। बड़ा अल्प-प्रवाह ऑरिफिस लंबी वर्षा घटनाओं में आरंभ में अधिक पानी निकालता है, इसलिए संशोधित आउटलेट को परीक्षण आउटलेट से लगभग 220 m^3 कम भंडारण की आवश्यकता होती है। खंड 4.6.7 की तालिका 4.2 इसी संशोधित डिजाइन को दर्शाती है।
- **निर्णायक वर्षा घटनाएँ (खंड 4.6.2, पद 12):** भंडारण के लिए, 100-वर्ष 48-घंटे की वर्षा घटना; चरण 1 के लिए, 10-वर्ष 24-घंटे की वर्षा घटना (खाली होना); चरण 2 के लिए, 100-वर्ष 48-घंटे की वर्षा घटना (सीमा)।

भाग 3 — संवेदनशीलता, प्रतिधारण, स्पिलवे, आउटलेट का विवरण और सुरक्षा

4C.13 **Ia = 0.05S संवेदनशीलता (खंड 3.8.5).** S को S0.05 = 25.4 × 1.33 × (S0.20 / 25.4)^1.15 के रूप में रूपांतरित करने पर, निर्णायक 100-वर्ष 48-घंटे का रन 2,898 m^3 भंडारण और 341 L/s का चरम देता है, जो डिफॉल्ट रन से थोड़ा कम है। विकास-पूर्व 10-वर्ष का चरम, और इसलिए 100-वर्ष की सीमा, घटकर 344 L/s हो जाती है। डिजाइन डिफॉल्ट रन पर आधारित है (खंड 3.8.5(c)); संवेदनशीलता के परिणाम प्रपत्र 3-2 पर बताए जाते हैं।

4C.14 **प्रतिधारण और प्रतिधारण क्रेडिट (खंड 4.4.2 और 4.4.6).** उदाहरणार्थ प्रतिधारण गहराई P_R = 40 mm के साथ, Q_R की गणना प्रत्येक उप-भाग के लिए AMC II पर की जाती है, क्योंकि प्रतिधारण के लिए संयुक्त CN का उपयोग नहीं किया जाता (खंड 3.9.4)। अपारगम्य, CN 98: S = 5.2 mm, Ia = 1.0 mm, $Q_R = (40 - 1.0)^2 / (40 - 1.0 + 5.2) = 34.4$ mm। पारगम्य, CN 70: S = 108.9 mm, Ia = 21.8 mm, $Q_R = (40 - 21.8)^2 / (40 - 21.8 + 108.9) = 2.6$ mm। RRV = 10 × (34.4 × 1.571 + 2.6 × 0.429) = **552 m^3**। प्रतिधारण को एक ऐसे भंडार के रूप में मॉडल किया गया है जो वर्षा घटना के आरंभ में खाली है और भरने तक सारा अपवाह पकड़ लेता है, और वर्षा घटना के दौरान कोई अंतःस्यंदन नहीं होता (खंड 4.4.6.2)।

तालिका 4C.12 — रूटिंग द्वारा प्रतिधारण क्रेडिट, संशोधित आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

100-वर्ष वर्षा घटना	प्रतिधारण के बिना भंडारण (m^3)	प्रतिधारण सहित भंडारण (m^3)	कमी (m^3)
24 h	2,766	2,628	138
48 h	2,913	2,906	7
72 h	2,911	2,911	0

निर्णायक भंडारण 2,913 से घटकर 2,906 m^3 हो जाता है, इसलिए प्रतिधारण क्रेडिट 7 m^3 है, जो RRV का लगभग 1% है। प्रतिधारण अपने स्वयं के उद्देश्यों के लिए फिर भी पूरा आवश्यक है (खंड 4.4.1, अध्याय 8)।

4C.15 **आपातकालीन स्पिलवे (खंड 4.9).** सुविधा खोदी गई है और बिना तटबंध की है, इसलिए खंड 4.9.7 लागू होता है: अतिप्रवाह मार्ग को स्पिलवे माना जाता है और उसे खंड 4.9.1 का पालन करना होगा।

- डिजाइन प्रवाह: 1% AEP का चरम अंतर्वाह, 1,089 L/s, आउटलेट अवरुद्ध और बेसिन शिखर तक भरा होने पर।
- शिखर: आउटलेट काम करते हुए 1% AEP का अधिकतम जल स्तर 1.17 m है; अनुशंसित 0.15 m अंतर (खंड 4.9.3) के साथ शिखर **1.35 m** पर रखा गया है।
- शिखर की लंबाई: Q = C × L × H^1.5 वाला चौड़े शिखर का वियर, C = 1.7 (SI इकाइयों में चौड़े शिखर वाले वियर के लिए एक उदाहरणार्थ गुणांक; खंड 4.6.5.2 आकार के अनुरूप गुणांक अपेक्षित करता है)। L = 4.0 m के साथ: H = (1.089 / (1.7 × 4.0))^(2/3) = 0.295 ≈ **0.30 m**।
- स्पिलवे के बहते समय अधिकतम स्तर: 1.35 + 0.30 = 1.65 m। 0.3 m फ्रीबोर्ड (खंड 4.9.1) के साथ, दीवारों का शीर्ष फर्श से कम से कम **1.95 m** ऊपर है।
- स्पिलवे भवनों से दूर, 1% AEP सतही प्रवाह मार्ग में पानी छोड़ता है (खंड 4.9.4)।

4C.16 **आउटलेट का विवरण (खंड 4.8).**

तालिका 4C.13 — आउटलेट की जाँचें, संशोधित आउटलेट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

मद	अपेक्षा	मान	परिणाम
न्यूनतम ऑरिफिस	≥ 50 mm (खंड 4.8.2)	170 mm	पूरी होती है
जाली की छड़ों के बीच की दूरी	≤ सबसे छोटे छिद्र का आधा और ≥ 25 mm (खंड 4.8.3)	≤ 85 mm	75 mm पर रखी गई
जाली का खुला क्षेत्रफल	≥ 10 × संरक्षित क्षेत्रफल (खंड 4.8.3)	दोनों ऑरिफिसों के चारों ओर एक जाली के लिए 10 × (0.0227 + 0.1662) m^2 = 1.89 m^2	≥ 1.89 m^2 प्रदान करें
भँवर-रोधी, चरण 1	हेड > 1.5 d होने पर आवश्यक (खंड 4.8.4)	हेड 1.08 m तक > 0.26 m	आवश्यक
भँवर-रोधी, चरण 2	हेड > 1.5 d होने पर आवश्यक (खंड 4.8.4)	केंद्र के ऊपर हेड 0.41 m तक < 0.69 m	आवश्यक नहीं
पृथक्करण	> 1 ha की सेवा करने वाली सुविधा (खंड 4.8.6)	2.0 ha की सेवा करती है	स्टॉप-लॉग खाँचा या पेनस्टॉक, सामान्यतः खुला
आउटलेट बैरल	≥ 300 mm (खंड 4.8.5)	343 L/s के लिए अध्याय 9 के अंतर्गत आकार निर्धारित	डिजाइन किया जाना है

4C.17 **सुरक्षा (खंड 4.15).** 10-वर्ष की गहराई (0.77 m) जनता के लिए सुलभ भंडारण की 0.45 m की सीमा (खंड 4.15.1(a)) से अधिक है, इसलिए सुविधा जनता के लिए खुली नहीं है। इसकी ऊर्ध्वाधर दीवारें 0.6 m से ऊँची हैं और स्पिलवे के बहते समय गहराई 1.2 m से अधिक है, इसलिए ताला लगाने योग्य गेट सहित कम से कम 1.2 m ऊँची, न चढ़ी जा सकने वाली बाड़ आवश्यक है (खंड 4.15.3)। संकेत-पट और गहराई चिह्न लगाए गए हैं (खंड 4.15.5)।

4C.18 **डिजाइन का सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं).**

तालिका 4C.14 — संशोधित डिजाइन का सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

मद	मान
भंडारण	2,500 m^2 प्लान क्षेत्रफल; 1.17 m के 1% AEP अधिकतम स्तर पर 2,913 m^3
चरण 1	फर्श पर 170 mm ऑरिफिस, कचरा-रोधी जाली और भँवर-रोधी प्लेट सहित
चरण 2	460 mm ऑरिफिस, इनवर्ट 0.53 m
स्पिलवे	शिखर 1.35 m, लंबाई 4.0 m, अधिकतम स्तर 1.65 m
दीवारों का शीर्ष	फर्श से ≥ 1.95 m ऊपर
100-वर्ष चरम निकास	343 L/s (सीमा 356 L/s)
2-वर्ष चरम निकास	34 L/s (सीमा 180 L/s)
10-वर्ष खाली होने का समय, 50% अवरुद्ध	45.3 h (सीमा 48 h)
प्रतिधारण	RRV 552 m^3 अतिरिक्त रूप से प्रदान; क्रेडिट 7 m^3
अभी जाँच की जानी है	दक्षिण जयपुर में द्रव्यवती के एक सहायक नाले में गिरने वाले आउटफॉल पर आउटफॉल-बंद जाँच (परिशिष्ट 5C); अनुप्रवाह विश्लेषण (अध्याय 5); भूजल और उत्प्लावन (खंड 4.12); WQv (अध्याय 8)

प्रपत्र 4-1 — साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट

अध्याय 4 के खंड 4.3 से 4.17 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक साइट के लिए एक प्रपत्र। जहाँ साइट से एक से अधिक आउटफॉल में जल निकासी होती है, वहाँ प्रत्येक आउटफॉल के लिए भाग E से J भरें (खंड 4.5.1.3)। खंड 4.14.2 का उपयोग करने वाली टियर B साइटें भाग F और G के स्थान पर प्रपत्र 4-2 संलग्न करती हैं; नियत-गुणांक मार्ग का उपयोग करने वाली साइटें भाग F और G के स्थान पर प्रपत्र 4-3 संलग्न करती हैं (खंड 4.17)।

A. साइट और मार्ग

तालिका 4F.1 — प्रपत्र 4-1: साइट और मार्ग

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
A1. परियोजना का नाम और आवेदक	
A2. स्थान (गाँव या वार्ड, सर्वे संख्याएँ, जिला)	
A3. अनुमोदन प्राधिकारी और टियर (टियर A / टियर B)	
A4. साइट का क्षेत्रफल, भूमि विक्षोभ और नया या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र (ha, ha, m^2) (खंड 4.1.2)	
A5. आउटफॉलों की संख्या (खंड 4.5.1.3)	
A6. आकार निर्धारण का मार्ग: पूर्ण विधि (खंड 4.6) / टियर B तालिकाएँ (खंड 4.14.2) / नियत-गुणांक मार्ग (खंड 4.14.3)	
A7. क्या सीमित पुनर्विकास मार्ग (खंड 4.5.6) का उपयोग किया गया? यदि हाँ, तो बाधा विवरण (Constraint Statement), विद्यमान स्थिति का मॉडल और कमी तथा शुल्क की गणना संलग्न करें	

B. इनपुट (खंड 4.17, मद 1)

तालिका 4F.2 — प्रपत्र 4-1: इनपुट

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
B1. डिजाइन वर्षा पत्रक का संदर्भ (प्रपत्र 2-1)	
B2. जलवैज्ञानिक गणना सारांश का संदर्भ (प्रपत्र 3-1)	
B3. प्रत्येक उप-भाग का HSG और उसकी पुष्टि करने वाले परीक्षण (खंड 4.6.2, पद 1)	
B4. विकास-पूर्व स्थिति और CN (खंड 4.5.1.2)	
B5. प्रत्येक उप-भाग का विकास-पश्चात CN, और विकास-पूर्व तथा विकास-पश्चात Tc	
B6. रूटिंग विधि और सॉफ्टवेयर, संस्करण सहित; समय पद (खंड 4.6.1, 4.6.2)	

C. उपायों का क्रम (खंड 4.3.1; खंड 4.17, मद 2)

तालिका 4F.3 — प्रपत्र 4-1: उपायों का क्रम

पद	डिजाइन क्या करता है	यह पद इससे अधिक क्यों नहीं कर सकता
1. संरक्षण		
2. प्रतिधारण		
3. अस्थायी भंडारण		
4. वहन		

D. प्रतिधारण (खंड 4.4; खंड 4.17, मद 3 और 4)

तालिका 4F.4 — प्रपत्र 4-1: प्रतिधारण

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
D1. प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई P_R (mm) और जोन (परिशिष्ट 2E)	
D2. उप-भागवार अपवाह की गहराई Q_R (mm) और RRV (m^3) (खंड 4.4.2)	
D3. प्रतिधारण पद्धतियाँ और प्रदान किया गया आयतन (m^3)	
D4. अंतःस्यंदन परीक्षण: संख्या, स्थान और गहराइयाँ, मापी गई दरें (mm/h) (खंड 4.4.3(a))	
D5. डिजाइन अंतःस्यंदन दर (mm/h), मापी गई दर के आधे से अधिक नहीं (खंड 4.4.3(b))	
D6. प्रत्येक पद्धति के आधार के नीचे मौसमी उच्चतम भूजल की गहराई (m), कम से कम 1.0 m (खंड 4.4.3(c))	
D7. पुनः उपयोग की माँग की गणना, जहाँ प्रतिधारण पुनः उपयोग द्वारा है (खंड 4.4.3)	
D8. प्रतिधारण के खाली होने का समय (h), 72 h से अधिक नहीं (खंड 4.4.5)	
D9. RRV में कमी (m^3), यदि कोई हो, जिसे WQv माना गया (खंड 4.4.4.2)	
D10. प्रतिधारण के बिना और उसके साथ निर्णायक भंडारण, और प्रतिधारण क्रेडिट (m^3) (खंड 4.4.6)	
D11. संरक्षण क्रेडिट के क्षेत्र और प्रसंविदा का संदर्भ (खंड 4.4.7)	

E. निकास मानदंड (खंड 4.5; खंड 4.17, मद 5)

तालिका 4F.5 — प्रपत्र 4-1: निकास मानदंड

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
E1. जलग्रहण क्षेत्र का वर्ग: मानक (खंड 4.5.2) या बाढ़-संवेदनशील (खंड 4.5.3), परिशिष्ट 4A के मानचित्र के अंश सहित	
E2. AEP-वार निकास सीमाएँ (L/s), और वह अवधि जो प्रत्येक सीमा निर्धारित करती है	
E3. क्या खंड 4.5.5 का उपयोग किया गया (50 mm ऑरिफिस को अनुपालन करता हुआ माना गया, या अल्प-अवधि 2-वर्ष की छूट)? 2-वर्ष की कोई भी अधिकता बताएँ	

F. परिणाम (खंड 4.6; खंड 4.17, मद 6)

प्रत्येक अवधि के लिए तालिका 4.2 के प्रारूप में एक पंक्ति भरें। भंडारण, प्रत्येक आउटलेट चरण और स्पिलवे के लिए निर्णायक स्थिति चिह्नित करें (खंड 4.6.2, पद 12)।

तालिका 4F.6 — प्रपत्र 4-1: अवधिवार परिणाम (L/s; m^3)

अवधि (h)	2-वर्ष विकास-पूर्व	2-वर्ष विकास-पश्चात, भंडारण के बाद	10-वर्ष विकास-पूर्व	10-वर्ष विकास-पश्चात, भंडारण के बाद	100-वर्ष विकास-पश्चात, अनियंत्रित	100-वर्ष विकास-पश्चात, भंडारण के बाद	प्रयुक्त 100-वर्ष भंडारण
1							
2							
3							
6							
12							
24							
48							
72							

G. सुविधा, खाली होना और आउटलेट (खंड 4.7, 4.8, 4.10; खंड 4.17, मद 7 से 9)

तालिका 4F.7 — प्रपत्र 4-1: सुविधा, खाली होना और आउटलेट

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
G1. सुविधा का प्रकार (खंड 4.10) और प्रदान किया गया भंडारण (m^3)	
G2. जल स्तर–भंडारण और जल स्तर–प्रवाह दर तालिकाएँ और आलेख; निर्णायक स्थितियों के लिए अंतर्वाह और बहिर्वाह हाइड्रोग्राफ (संलग्न करें)	
G3. 10-वर्ष खाली होना: अधिकतम संग्रहीत आयतन का 90% निकलने का समय (h), अल्प-प्रवाह ऑरिफिस 50% अवरुद्ध होने पर (खंड 4.7.1, 4.8.3)	
G4. WQv निकास समय (h), 24 से 48 h (खंड 4.7.2)	
G5. ज्वारीय आउटफॉल: ज्वारीय टेलवाटर के साथ खाली होना, और पंप द्वारा कोई खाली करना (खंड 4.7.4)	
G6. प्रत्येक आउटलेट चरण: प्रकार, आकार (mm), इनवर्ट स्तर (m)	
G7. कचरा-रोधी जालियाँ: छड़ों के बीच की स्पष्ट दूरी (mm) और खुला क्षेत्रफल (m^2) (खंड 4.8.3)	
G8. भँवर-रोधी युक्तियाँ (खंड 4.8.4); आउटलेट बैरल का व्यास और रिसाव नियंत्रण (खंड 4.8.5); पृथक्करण (खंड 4.8.6)	
G9. स्वामित्वाधीन युक्तियाँ: प्रमाणित हेड–प्रवाह दर वक्र और न्यूनतम स्पष्ट छिद्र (खंड 4.6.5.3)	

H. स्पिलवे, फ्रीबोर्ड और तटबंध (खंड 4.9; खंड 4.17, मद 10)

तालिका 4F.8 — प्रपत्र 4-1: स्पिलवे और फ्रीबोर्ड

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
H1. जोखिम वर्गीकरण, कारणों सहित (खंड 4.9.2)	
H2. 1% AEP चरम अंतर्वाह (L/s); उच्च-जोखिम सुविधाओं के लिए 0.2% AEP चरम अंतर्वाह (L/s)	
H3. आउटलेट काम करते हुए 1% AEP अधिकतम जल स्तर (m); स्पिलवे शिखर स्तर (m) (खंड 4.9.3)	
H4. स्पिलवे या अतिप्रवाह मार्ग: प्रकार, आयाम, आउटलेट अवरुद्ध होने पर अधिकतम स्तर (m)	
H5. तटबंध के शिखर या दीवार के शीर्ष तक फ्रीबोर्ड (m), कम से कम 0.3 m (खंड 4.9.1)	
H6. स्पिलवे का स्थान और निस्सरण मार्ग (खंड 4.9.4)	
H7. तटबंध की ऊँचाई (m); 2 m से अधिक होने पर भू-तकनीकी रिपोर्ट (खंड 4.9.6)	

I. RWH का लेखा, भूजल और उत्प्लावन (खंड 4.11, 4.12; खंड 4.17, मद 11 और 12)

तालिका 4F.9 — प्रपत्र 4-1: RWH, भूजल और उत्प्लावन

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
I1. प्रदान किया गया RWH भंडारण (m^3), प्रत्येक वर्षा घटना के आरंभ में भरा माना गया (खंड 4.11.2)	
I2. संयुक्त RWH और अस्थायी भंडारण टैंक: जोन स्तर और अस्थायी भंडारण ऑरिफिस का स्तर (खंड 4.11.3); टैंक के काट संलग्न करें	
I3. डिजाइन भूजल स्तर और उसका आधार (खंड 4.12.1)	
I4. लाइनरयुक्त या बिना लाइनर का भंडारण; डिजाइन भूजल स्तर से नीचे का आयतन नहीं गिना गया (खंड 4.12.2)	
I5. उत्प्लावन का सुरक्षा गुणक, कम से कम 1.2 (खंड 4.12.3)	

J. अनुप्रवाह, टेलवाटर, सुरक्षा और रखरखाव (खंड 4.17, मद 13 और 14)

तालिका 4F.10 — प्रपत्र 4-1: अनुप्रवाह, टेलवाटर, सुरक्षा और रखरखाव

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
J1. अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट (प्रपत्र 5-1) या सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण (प्रपत्र 5-2) का संदर्भ	
J2. रूटिंग में प्रयुक्त टेलवाटर, और जहाँ टेलवाटर निर्णायक है वहाँ फ्लैप गेट (खंड 4.6.6)	
J3. जनता की पहुँच, 10% और 1% AEP वर्षा घटनाओं में गहराइयाँ, ढलान, बाड़, जालियाँ, संकेत-पट और गहराई चिह्न (खंड 4.15)	
J4. रखरखाव घोषणा-पत्र के प्रारूप का संदर्भ (अध्याय 10)	

K. पंजीकृत पेशेवर का कथन (खंड 10.6)

मैं कथन करता/करती हूँ कि यह रिपोर्ट राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल (प्रारूप संस्करण 1.0) के अध्याय 4 के अंतर्गत तैयार की गई है, कि बताए गए परिणाम प्रस्तुत मॉडलों द्वारा पुनः प्राप्त होते हैं, और कि अध्याय 4 से प्रत्येक विचलन उसके कारण सहित सूचीबद्ध है। पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3) संलग्न है।

तालिका 4F.11 — प्रपत्र 4-1: पंजीकृत पेशेवर का कथन

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
सूचीबद्धता संख्या, जहाँ खंड 10.6.1 इसकी अपेक्षा करता है	
संगठन	
हस्ताक्षर	
दिनांक	

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

प्रपत्र 4-2 — टियर B साइट पत्रक

अध्याय 4 के खंड 4.4.6.3, 4.14.1 और 4.14.2 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. यह पत्रक खंड 4.14.2 का उपयोग करने वाली टियर B साइटों के लिए साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट (प्रपत्र 4-1) की मद 6 और 7 का स्थान लेता है। इसका उपयोग तालिका 4.3 के परिशिष्ट 4B में प्रकाशित होने के बाद ही किया जा सकता है; तब तक, टियर B साइटें खंड 4.6 का, या 1 ha या उससे छोटी साइटों के लिए नियत-गुणांक मार्ग का उपयोग करती हैं (खंड 4.14.1 और 4.14.3)।

A. पात्रता (खंड 4.14.1)

तालिका 4F.12 — प्रपत्र 4-2: पात्रता

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
A1. स्थानीय निकाय (टियर B)	
A2. साइट का क्षेत्रफल A (ha): बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्रों के बाहर 2 ha या कम; उनके भीतर 0.5 ha या कम	
A3. जलग्रहण क्षेत्र का वर्ग: मानक या बाढ़-संवेदनशील (परिशिष्ट 4A)	

B. तालिका 4.3 के मान (खंड 4.14.2, पद 1)

तालिका 4F.13 — प्रपत्र 4-2: तालिका 4.3 से लिए गए मान

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
B1. वर्षा जोन (परिशिष्ट 2A)	
B2. जलवैज्ञानिक मृदा समूह	
B3. विकास-पश्चात अपारगम्यता (%)	
B4. PSD 2-वर्ष (L/s/ha)	
B5. PSD 100-वर्ष (L/s/ha), जलग्रहण क्षेत्र के वर्ग के लिए	
B6. SSR (m^3/ha), जलग्रहण क्षेत्र के वर्ग के लिए	

C. भंडारण और निकास (खंड 4.14.2, पद 2 और 3)

तालिका 4F.14 — प्रपत्र 4-2: भंडारण और निकास

पंक्ति	राशि	गणना	मान
C1	प्रदान किया गया RRV (m^3)	खंड 4.4	
C2	C_R	परिशिष्ट 4B; प्रकाशन तक 0	

पंक्ति	राशि	गणना	मान
C3	V_credit (m^3)	C2 × C1 (खंड 4.4.6.3)	
C4	आवश्यक भंडारण V (m^3)	B6 × A − C3	
C5	प्रदान किया गया भंडारण (m^3)	ड्रॉइंग से	
C6	Q_PSD,2 (L/s)	B4 × A	
C7	Q_PSD,100 (L/s)	B5 × A	

D. आउटलेट और अन्य प्रावधान (खंड 4.14.2, पद 4 और 5)

तालिका 4F.15 — प्रपत्र 4-2: आउटलेट और अन्य प्रावधान

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
D1. अल्प-प्रवाह ऑरिफिस: परिशिष्ट 4B की आउटलेट तालिका से व्यास (mm), हेड (m), कम से कम 50 mm	
D2. ऊपरी नियंत्रण: प्रकार, आकार और स्तर	
D3. स्पिलवे या अतिप्रवाह (खंड 4.9)	
D4. RWH का लेखा (खंड 4.11)	
D5. सुरक्षा प्रावधान (खंड 4.15)	

E. कथन

मैं कथन करता/करती हूँ कि ऊपर दिए गए मान साइट के जोन, मृदा समूह, अपारगम्यता और जलग्रहण क्षेत्र के वर्ग के लिए परिशिष्ट 4B से लिए गए हैं, और कि ड्रॉइंग पर दिखाए गए भंडारण और आउटलेट उनसे मेल खाते हैं।

तालिका 4F.16 — प्रपत्र 4-2: कथन

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
हस्ताक्षर	
दिनांक	

प्रपत्र 4-3 — नियत-गुणांक मार्ग पत्रक (खंड 4.14.3 से 4.14.7)

अध्याय 4 के खंड 4.14.3 से 4.14.7 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. यह पत्रक नियत-गुणांक मार्ग का उपयोग करने वाली साइटों के लिए साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट (प्रपत्र 4-1) की मद 6 और 7 का स्थान लेता है। इसे प्रत्येक उस बिंदु के लिए भरें जहाँ अपवाह साइट से बाहर जाता है (खंड 4.14.4)। चित्र 4.3 विधि दर्शाता है।

A. पात्रता (खंड 4.14.3)

तालिका 4F.17 — प्रपत्र 4-3: पात्रता

जाँच	हाँ / नहीं
A1. साइट का क्षेत्रफल 1 ha या कम	
A2. डिजाइन में तालाब या जलाशय का भंडारण नहीं गिना गया है (खंड 4.14.3(a))	
A3. साइट का कोई भाग किसी जलाशय के सेटबैक के भीतर नहीं है (खंड 4.14.3(b))	
A4. साइट से जल निकासी किसी ऐसी तालाब शृंखला में नहीं होती जिसका भंडारण किसी अनुप्रवाह डिजाइन में गिना गया हो (खंड 4.14.3(c))	

B. निकास सीमाएँ (खंड 4.14.4)

तालिका 4F.18 — प्रपत्र 4-3: निकास सीमाएँ

पंक्ति	राशि	स्रोत या गणना	मान
B1	साइट का क्षेत्रफल A (ha)	सर्वेक्षण	
B2	प्रत्येक जलवैज्ञानिक मृदा समूह का क्षेत्रफल (ha)	खंड 3.7	
B3	C_10 और C_2, क्षेत्र-भारित	तालिका 4.3A	
B4	i_10 और i_2 (mm/h), 15-मिनट की अवधि, जलवायु गुणक सहित	प्रपत्र 2-1; खंड 2.8	
B5	Q_cap,10 (L/s)	2.78 × C_10 × i_10 × A	
B6	Q_cap,2 (L/s)	2.78 × C_2 × i_2 × A	
B7	संगत जल स्तर पर 50 mm ऑरिफिस की प्रवाह दर (L/s), जहाँ कोई सीमा उससे छोटी हो (खंड 4.5.5.1)	ऑरिफिस समीकरण, खंड 4.6.5.2	

C. आयतनी गुणांक (खंड 4.14.5)

तालिका 4F.19 — प्रपत्र 4-3: आयतनी गुणांक C_v

पंक्ति	राशि	मान
C1	तालिका 3.2 का संयुक्त C (प्रत्येक परास का ऊपरी आधा)	

पंक्ति	राशि	मान
C2	1% AEP के लिए तालिका 3.3 का Cf	
C3	12 h से कम अवधियों के लिए C_v (C1 × C2)	
C4	12 h या अधिक अवधियों के लिए C_v, प्रत्येक पारगम्य सतह के लिए C 0.50 से कम नहीं	

D. भंडारण (खंड 4.14.5)

प्रत्येक अवधि के लिए: अंतर्वाह = 10 × C_v × P(d) × A (m^3); निकास = 1.8 × Q_cap × d (m^3); अंतर = अंतर्वाह − निकास। V_100 और V_2 सबसे बड़े अंतर हैं; V दोनों में से बड़ा है।

तालिका 4F.20 — प्रपत्र 4-3: अवधिवार भंडारण

d (h)	P_100(d) (mm)	100-वर्ष अंतर्वाह (m^3)	1.8 × Q_cap,10 × d (m^3)	100-वर्ष अंतर (m^3)	P_2(d) (mm)	2-वर्ष अंतर्वाह (m^3)	1.8 × Q_cap,2 × d (m^3)	2-वर्ष अंतर (m^3)
1								
2								
3								
6								
12								
24								
48								
72								

तालिका 4F.21 — प्रपत्र 4-3: आवश्यक और प्रदान किया गया भंडारण

पंक्ति	राशि	मान
D1	V_100 (m^3) और निर्णायक अवधि	
D2	V_2 (m^3) और निर्णायक अवधि	
D3	V = D1 और D2 में से बड़ा (m^3)	
D4	प्रदान किया गया भंडारण (m^3)	

E. आउटलेट, प्रतिधारण और अन्य जाँचें (खंड 4.14.3, 4.14.6, 4.14.7)

तालिका 4F.22 — प्रपत्र 4-3: आउटलेट, प्रतिधारण और अन्य जाँचें

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
E1. अल्प-प्रवाह ऑरिफिस: व्यास (mm) और इनवर्ट; भंडारण में V_2 पूरा भरा होने पर प्रवाह दर (L/s), Q_cap,2 से अधिक नहीं	

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
E2. ऊपरी ऑरिफिस या वियर: आकार और स्तर; V के शीर्ष पर कुल निकास (L/s), Q_cap,10 से अधिक नहीं	
E3. V के अतिरिक्त प्रदान किया गया खंड 4.4 का प्रतिधारण आयतन (m^3); कोई प्रतिधारण क्रेडिट नहीं लिया गया	
E4. खाली होना (खंड 4.7), कचरा-रोधी जालियाँ (खंड 4.8), स्पिलवे (खंड 4.9): प्रपत्र 4-1 के भाग G और H का संदर्भ	
E5. अनुप्रवाह और टेलवाटर जाँचें (अध्याय 5) और जल गुणवत्ता (अध्याय 8): संदर्भ	

F. कथन

मैं कथन करता/करती हूँ कि साइट खंड 4.14.3 की पात्रता शर्तों को पूरा करती है और कि ऊपर दी गई सीमाओं, भंडारण और आउटलेटों की गणना खंड 4.14.4 से 4.14.7 के अनुसार की गई है।

तालिका 4F.23 — प्रपत्र 4-3: कथन

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
हस्ताक्षर	
दिनांक	

अध्याय 5 के परिशिष्ट

अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण

ये परिशिष्ट अध्याय 5 के लिए हैं। परिशिष्ट 5C, परिशिष्ट 4C की उदाहरणार्थ सुविधा के लिए, खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच का हल किया गया उदाहरण है। परिशिष्ट 5A और 5B के लिए ज्वार, महोर्मि, सर्वेक्षण और नदी संबंधी ऐसे आँकड़ों की आवश्यकता है जो इस प्रारूप में अभी नहीं हैं; प्रत्येक में बताया गया है कि अध्याय पहले से क्या निर्धारित करता है, अभिप्रेत रूपरेखा दी गई है और अध्याय 5 का वह अंतरिम नियम बताया गया है जो उसके प्रकाशित होने तक लागू रहेगा। प्रपत्र 5-1 और 5-2 खंड 5.14 द्वारा अपेक्षित प्रस्तुति प्रपत्र हैं। ये प्रारूप प्रपत्र हैं और इनकी कोई सांविधिक स्थिति नहीं है।

परिशिष्ट 5A — ज्वारीय डेटम (CD और भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डेटम के सापेक्ष MSL, MHWS, HAT), तटीय खंडवार महोर्मि प्रावधान और 1% स्थिर जल स्तर

अध्याय 5 के खंड 5.7, 5.9, 5.10, 5.11 और 5.12 के लिए।

5A.1 तालिका 5A.1 दर्शाती है कि इस परिशिष्ट के मान तालिका 5.1 के डिजाइन टेलवाटर स्तरों में किस प्रकार प्रयुक्त होते हैं। समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई खंड 5.7.4 द्वारा निर्धारित है और इस परिशिष्ट पर निर्भर नहीं है।

तालिका 5A.1 — डिजाइन टेलवाटर (तालिका 5.1) में परिशिष्ट 5A के मानों का उपयोग

डिजाइन स्थिति	टेलवाटर	प्रयुक्त परिशिष्ट 5A के मान	अध्याय का मान
लघु प्रणाली डिजाइन	MHWS + SLA	MHWS	SLA ≥ +0.3 m (खंड 5.7.4)
प्रमुख प्रणाली और भंडारण डिजाइन	HAT + महोर्मि + SLA	HAT; 10% AEP महोर्मि (खंड 5.7.3(a))	SLA ≥ +0.3 m
संयुक्त स्थिति (खंड 2.12(b))	1% AEP स्थिर जल स्तर + SLA	1% AEP स्थिर जल स्तर (खंड 5.7.3(b))	SLA ≥ +0.3 m
डेटम रूपांतरण	चार्ट डेटम से परियोजना डेटम	चार्ट डेटम से भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डेटम तक का अंतर (खंड 5.7.2(b))	—

राजस्थान के लिए तैयार नहीं. राजस्थान का कोई तट नहीं है, इसलिए राज्य के किसी आउटफॉल का ज्वारीय टेलवाटर नहीं है, और इस परिशिष्ट में राजस्थान से संबंधित कोई सामग्री नहीं है (खंड 5.1.4)। इसकी तालिकाएँ खाली रखी गई हैं, ताकि परिशिष्ट और तालिका संख्याएँ इस मैनुअल के अन्य संस्करणों से मेल खाएँ। प्रपत्र 5-1 की पंक्तियाँ F1 से F7 "लागू नहीं" के रूप में भरी जाती हैं, और टेलवाटर पंक्तियाँ F8 से F10 के अंतर्गत व्युत्पन्न किया जाता है; जिस साइट का कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है, उसके लिए पंक्ति F10 इसके स्थान पर 72-घंटे का डिजाइन आयतन और अतिप्रवाह मार्ग दर्ज करती है (खंड 5.8.5(a))।

तालिका 5A.2 — तटीय खंडवार ज्वारीय डेटम, महोर्मि और स्थिर जल स्तर (रूपरेखा)

तटीय खंड	संदर्भ बंदरगाह और ज्वार सारणी का संस्करण	MSL (m CD)	MHWS (m CD)	HAT (m CD)	CD से भारतीय सर्वेक्षण विभाग का डेटम (m)	10% AEP महोर्मि (m)	1% AEP स्थिर जल स्तर (m CD)	लहर उत्थान (m), खुले समुद्र वाले आउटफॉल	स्रोत

परिशिष्ट 5B — प्रमुख ड्रेन, नदी आउटफॉल वाले नदी-भाग, और रेत अवरोध से बंद होने के अधीन नदी मुख; मानचित्र

अध्याय 5 के खंड 5.2, 5.3, 5.8 और 5.13 के लिए।

5B.1 तालिका 5B.1 उन जलाशयों को सूचीबद्ध करती है जिनका नाम अध्याय 5 में पहले से दिया गया है। यह पूर्ण नहीं है: परिशिष्ट में प्रत्येक नदी-भाग का विस्तार, राज्य की अन्य नदियाँ, नहरें और मुख, और एक मानचित्र जोड़ा जाएगा।

तालिका 5B.1 — अध्याय 5 में नामित जलाशय

जलाशय	क्षेत्र	किस रूप में सूचीबद्ध	खंड
गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैमों और कोटा बैराज के नीचे कोटा सिटी (Kota City) पर चंबल	कोटा	नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; डैम से छोड़े गए पानी वाली नदी; डिजाइन नदी स्तर अंतरित 248.68 m (16 सितंबर 2019) से कम नहीं; खतरे का स्तर 242 m (2019 में 240 m), चेतावनी स्तर 239 m; अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़ा गया पानी (7.9 लाख क्यूसेक तक, प्रकाशित खबरों के अनुसार, सितंबर 2019) सम्मिलित; बैराज के सापेक्ष गेज की स्थिति और डेटम [TBC]; कम से कम 72 घंटे का अवरोध	5.8.1, 5.8.3, 5.8.5
कोटा बैराज का जलाशय (pond)	कोटा	झील आउटफॉल; FRL 260.3 m; MWL 260.9 m या 261.2 m (WRD की पुष्टि तक 261.2 m लागू [TBC]); WRD की सम्मति	5.8.3, 5.8.5
धौलपुर पर चंबल	धौलपुर	नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; डिजाइन नदी स्तर अंतरित 145.54 m (23 अगस्त 1996) से कम नहीं; खतरे का स्तर 130.79 m (2019 में 129.79 m); चंबल के डैमों से छोड़ा गया पानी सम्मिलित; डेटम [TBC]	5.8.1, 5.8.3, 5.8.5
बीसलपुर डैम के नीचे टोंक पर बनास	टोंक	नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; खतरे का स्तर 262.8 m अभिलिखित उच्चतम स्तर, 262.05 m (9 सितंबर 1973), से ऊपर है, इसलिए 262.8 m दोनों स्थितियों की न्यूनतम सीमा है; बीसलपुर से छोड़ा गया पानी (FRL 315.5 m) सम्मिलित; डेटम [TBC]	5.8.1, 5.8.3, 5.8.5
बालोतरा पर लूणी	बालोतरा, बाड़मेर	नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; आकस्मिक बाढ़ (flash floods); डिजाइन नदी स्तर अंतरित 108.755 m (18 जुलाई 1979) से कम नहीं; कोई खतरे का स्तर नहीं मिला [TBC]	5.8.1, 5.8.5
आबू रोड पर पश्चिमी बनास; चित्तौड़गढ़ पर गंभीरी	सिरोही; चित्तौड़गढ़	नदी आउटफॉल वाले नदी-भाग; डिजाइन नदी स्तर अंतरित 265.4 m (आबू रोड, 31 अगस्त 1973) और 409.24 m (चित्तौड़गढ़, 24 जुलाई 1992) से कम नहीं; खतरे का स्तर 259 m और 407.9 m; डेटम [TBC]	5.8.1, 5.8.5

जलाशय	क्षेत्र	किस रूप में सूचीबद्ध	खंड
द्रव्यवती (पूर्व अमानीशाह नाला) और उसके नीचे ढूँढ	जयपुर	प्रमुख ड्रेन और नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; 100-वर्ष की बाढ़ के लिए डिजाइन किया गया चैनल (JDA), डिजाइन प्रवाह और स्तर नहीं मिले [TBC]; JDA का डिजाइन प्रोफाइल या मॉडल अपेक्षित	5.2, 5.8.1, 5.8.5
नाहरिका (Naharika), अंबाबाड़ी (Ambabari), गंदा (Ganda), जवाहर (Jawahar), ब्रह्मपुरी और नागतलाई (Nagtalai) नाले और जयपुर के अन्य नाले	जयपुर	प्रमुख ड्रेन	5.2
जोजरी और बाँडी, और जोधपुर के भैरव, RTO और अन्य नाले	जोधपुर	प्रमुख ड्रेन और नदी आउटफॉल वाले नदी-भाग; कोई गेज स्तर नहीं मिला [TBC]; मॉडल से प्राप्त या सर्वेक्षित स्तर अपेक्षित; जोजरी के किनारे से 100 m (उच्चतम न्यायालय, अंतरिम, प्रकाशित खबरों के अनुसार; अध्याय 7)	5.2, 5.8.1, 5.8.5
पिछोला, स्वरूप सागर और फतह सागर, आयड़ (आहड़) और उदय सागर	उदयपुर	शृंखला में झील आउटफॉल; पूर्ण स्तर केवल गेज पाठ्यांकों के रूप में (पिछोला 11 ft, फतह सागर 13 या 14 ft, उदय सागर 24 ft, प्रकाशित खबरों के अनुसार), मीटर में [TBC]; गेज के शून्य को सर्वेक्षण द्वारा डेटम से जोड़ना अपेक्षित; टेलवाटर MWL, या FTL + 0.5 m, और अभिलिखित उच्चतम स्तर से कम नहीं; आयड़ एक नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग, जिसका कोई गेज स्तर नहीं मिला [TBC]; निर्माण-निषिद्ध जोन (अध्याय 7)	5.2, 5.8.1, 5.8.5
आना सागर और उसका एस्केप चैनल	अजमेर	झील आउटफॉल; पूर्ण गेज 13 ft, बताया गया सबसे ऊँचा पाठ्यांक 15 ft 11 इंच (जुलाई 2025), मीटर में [TBC]; सर्वेक्षण द्वारा डेटम से जोड़ना अपेक्षित; चार एस्केप गेट; अभिलिखित सबसे बड़े गेट-खुलाव के साथ गेटों के नीचे का चैनल; आर्द्रभूमि संबंधी आदेश (अध्याय 7)	5.8.1, 5.8.3, 5.8.5
कायलाना और तख्त सागर	जोधपुर	झील आउटफॉल; MSL से ऊपर FRL 273.7 m और 269.75 m (NIH, 2025); जहाँ कोई MWL प्रकाशित न हो वहाँ टेलवाटर 274.2 m और 270.25 m; राजीव गाँधी लिफ्ट नहर से पोषित; अभिरक्षक की सम्मति [TBC]	5.8.5
मान सागर (जल महल) और रामगढ़ बाँध	जयपुर	झील आउटफॉल; FTL नहीं मिला [TBC]; अभिरक्षक की सम्मति; रामगढ़ के जलग्रहण क्षेत्र संबंधी आदेश (अध्याय 7)	5.8.5
हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर पर घग्घर	हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर	नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; कोई गेज स्तर नहीं मिला [TBC]; मॉडल से प्राप्त या सर्वेक्षित स्तर अपेक्षित	5.8.1, 5.8.5
सांभर झील और अंतःस्थलीय जल निकासी के बंद गर्त	सांभर बेसिन, थार, शेखावाटी और नहर का कमान क्षेत्र	कोई आउटफॉल नहीं; 72-घंटे का डिजाइन आयतन (खंड 4.12.7); सांभर एक रामसर स्थल	5.8.5
WRD की ड्रेनें और नहरें, इंदिरा गाँधी नहर (IGNP), उसकी वितरिकाएँ और एस्केप, वर्षा जल प्राप्त करने वाली सिंचाई और लिफ्ट नहरें, और नगर निगमों, नगर परिषदों, नगरपालिका बोर्डों, विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार न्यासों और RIICO की ड्रेनें, 1.0 m या अधिक चौड़ी	राजस्थान	प्रमुख ड्रेन; स्वामी की सम्मति, डिजाइन जल स्तर और फ्लैप गेट; कोई आपूर्ति नहर या IGNP का एस्केप WRD की लिखित सम्मति के बिना जल निकासी आउटफॉल नहीं है	5.2, 5.8.5
गाँधी सागर, राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर डैम और कोटा बैराज; बीसलपुर डैम; पाँचना डैम; आना सागर के एस्केप गेट; उदयपुर की झीलों के गेट	चंबल; बनास; करौली; अजमेर; उदयपुर	छोड़ा गया पानी और गेट प्रचालन नदी और झील के स्तरों में सम्मिलित किए जाने हैं (प्रचालन नियम और छोड़े गए पानी के अभिलेख [TBC])	5.8.3, 5.8.5
रेत अवरोध से बंद होने के अधीन नदी मुख	राजस्थान में कोई नहीं	लागू नहीं (खंड 5.1.4)	5.13.1

तैयार किया जाना है. यह परिशिष्ट (a) प्रत्येक बेसिन प्लान की प्रमुख ड्रेनें, (b) नदी आउटफॉल वाले वे नदी-भाग (reaches) जहाँ पश्चजल का मॉडल बनाया जाएगा, उनकी प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह सीमाओं और उनके डिजाइन बाढ़ स्तरों के स्रोत के साथ, और (c) मौसमी रेत अवरोध से बंद होने के अधीन नदी मुख और खाड़ी प्रवेश, सबसे हाल के मानसून-पूर्व रेत अवरोध शिखर स्तरों और WRD के किसी मुख-रखरखाव कार्यक्रम के साथ, सूचीबद्ध करेगा और मानचित्र पर दर्शाएगा। इसके लिए WRD के नदी और नहर अभिलेख, डिजाइन और अभिलिखित बाढ़ स्तर, जलाशय प्रचालन नियम, मुख की स्थिति, ड्रेजिंग और रेत अवरोध काटने के अभिलेख और मानसून-पूर्व रेत अवरोध सर्वेक्षण (WRD), JMC और अन्य स्थानीय निकायों की ड्रेन सूचियाँ, बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (अध्याय 11), और भारतीय सर्वेक्षण विभाग और NRSC का आधार मानचित्रण आवश्यक है। इसके प्रकाशित होने तक: प्रत्येक नदी, WRD की नहर, जयपुर की द्रव्यवती (पूर्व अमानीशाह नाला) और वह ढूँढ जिसमें उसका पानी जाता है, नाहरिका, अंबाबाड़ी, गंदा, जवाहर, ब्रह्मपुरी और नागतलाई नाले और जयपुर के अन्य नाले, जोजरी और बाँडी और जोधपुर के भैरव, RTO और अन्य नाले जिनका पानी जोजरी में जाता है, उदयपुर में आयड़ (आहड़), अजमेर में आना सागर का एस्केप चैनल, कोटा के वे नाले जिनका पानी चंबल में जाता है, WRD की कोई ड्रेन या नहर, जिसमें इंदिरा गाँधी नहर (IGNP) और उसकी वितरिकाएँ और एस्केप सम्मिलित हैं, किसी नगर निगम, नगर परिषद, नगरपालिका बोर्ड, विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यास या RIICO द्वारा अनुरक्षित कोई ड्रेन जिसकी भीतरी चौड़ाई 1.0 m या अधिक हो, वर्षा जल प्राप्त करने वाली कोई सिंचाई नहर और प्रत्येक ज्वारीय खाड़ी प्रमुख ड्रेन है (खंड 5.2); तालिका 5B.1 के जलाशय नदी आउटफॉल वाले नदी-भाग हैं (खंड 5.8.1); और तटीय राज्यों की नदियों के मुख (राजस्थान में कोई नहीं) दक्षिण-पश्चिम मानसून के आरंभ में बंद माने जाते हैं, जब तक कि WRD अन्यथा प्रमाणित न करे (खंड 5.13.2)।

तालिका 5B.2 — परिशिष्ट 5B की परतों के गुण (रूपरेखा)

क्षेत्र	विषय-वस्तु	इकाई या प्रारूप
feature_id	अद्वितीय पहचानकर्ता	text
name	ड्रेन, नदी, नहर, खाड़ी या मुख का नाम	text
category	प्रमुख ड्रेन; नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; रेत अवरोध से बंद होने के अधीन मुख	text
clause	अध्याय 5 का वह खंड जिसके अंतर्गत यह सूचीबद्ध है	text
reach_limits	नदी-भाग की प्रतिप्रवाह और अनुप्रवाह सीमाएँ	text
design_flood_level_source	WRD का डिजाइन या अभिलिखित उच्चतम बाढ़ स्तर, या हाइड्रोलिक मॉडल (खंड 5.8.2)	text
reservoir_release	प्रतिप्रवाह का जलाशय या तालाब और उसका प्रचालन नियम, यदि कोई हो (खंड 5.8.3)	text
bar_crest_level	मुखों के लिए, सबसे हाल का मानसून-पूर्व रेत अवरोध शिखर स्तर	m (भारतीय सर्वेक्षण विभाग का डेटम)
mouth_programme	WRD का मुख-रखरखाव कार्यक्रम और प्रमाणन (खंड 5.13.2)	text
source	स्रोत एजेंसी और तिथि	text
geometry	रेखा (ड्रेन और नदी-भाग) या बिंदु (मुख)	line / point

परिशिष्ट 5C — हल किया गया उदाहरण: दक्षिण जयपुर में द्रव्यवती के एक सहायक नाले पर स्थित एक साइट के लिए आउटफॉल-बंद जाँच

अध्याय 5 के खंड 5.9, 5.10, 5.11 और 5.12 तथा अध्याय 4 के खंड 4.6.6 के लिए।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. यह उदाहरण खंड 5.10 की आउटफॉल-बंद जाँच को परिशिष्ट 4C की संशोधित अस्थायी भंडारण सुविधा पर लागू करता है। साइट, उसके स्तर और उसकी प्राप्तकर्ता ड्रेन विधि को दर्शाने के लिए कल्पित हैं। किसी ज्वारीय स्तर का उपयोग नहीं किया गया है: ज्वार केवल तालिका 5C.1 के उन उदाहरणार्थ कथनों के माध्यम से आता है कि प्राप्तकर्ता ड्रेन साइट के आउटलेट से ऊपर है या नीचे।

इनपुट

5C.1 साइट परिशिष्ट 4C की 2.0 ha की बाढ़-संवेदनशील साइट है। यह अपने आउटलेट कक्ष और एक फ्लैप गेट के माध्यम से एक सार्वजनिक वर्षा जल ड्रेन में पानी छोड़ती है जो दक्षिण जयपुर में द्रव्यवती के एक सहायक नाले से मिलती है, जिसका स्तर वर्षा घटना में द्रव्यवती के ऊँचा बहने पर बढ़ता है, इसलिए खंड 5.10.1 सुविधा पर लागू होता है। विधि को दर्शाने के लिए, यह उदाहरण खंड 5.10.3 की 6 घंटे की दो अवरोध अवधियों का उपयोग करता है, जैसा इस मैनुअल के तटीय संस्करण करते हैं। राजस्थान में किसी झील के डिजाइन स्तर से नीचे का आउटफॉल पूरी वर्षा घटना के लिए बंद रहता है, नदी से अवरुद्ध आउटफॉल का, खंड 5.8.5 के अंतर्गत, कम से कम 72 घंटे का एकल अवरोध होता है, जो पूरी वर्षा घटना को समाविष्ट करता है, और जिस साइट का कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है उसे खंड 4.12.7 का 72-घंटे का डिजाइन आयतन रोकना होगा, इसलिए इनमें से प्रत्येक स्थिति में सुविधा को वर्षा घटना का पूरा आयतन संगृहीत या पंप करना होगा (खंड 5.9.4); इसके लिए इस उदाहरण में दर्शाए गए से अधिक भंडारण, या पंपिंग, चाहिए। रूटिंग, खंड 5.10.4 का आयतन संतुलन और आकलन वही रहते हैं।

तालिका 5C.1 — इनपुट (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

मद	मान	आधार
सुविधा	परिशिष्ट 4C की संशोधित सुविधा: 2,500 m^2 प्लान क्षेत्रफल, ऊर्ध्वाधर दीवारें; तल पर 170 mm ऑरिफिस; 460 mm ऑरिफिस, इनवर्ट 0.53 m	परिशिष्ट 4C, तालिका 4C.14
वर्षा घटना	1% AEP, 48 h, चरम दिन अंत में, AMC III; 72 h भी चलाई गई	खंड 5.10.2
अंतर्वाह	परिशिष्ट 4C के विकास-पश्चात 1% AEP हाइड्रोग्राफ (48 h: 8,420 m^3; 72 h: 9,468 m^3)	परिशिष्ट 4C
कनेक्शन पर प्राप्तकर्ता ड्रेन के स्तर, J1, J2 और J3	साइट आउटलेट के इनवर्ट से नीचे (ड्रेन के स्वामी के मॉडल से)	उदाहरणार्थ इनपुट
प्रत्येक अवरोध अवधि के दौरान प्राप्तकर्ता ड्रेन	पानी साइट आउटलेट के इनवर्ट से ऊपर लौट आता है, इसलिए साइट पानी नहीं छोड़ सकती	उदाहरणार्थ इनपुट; खंड 5.10.3(b)
साइट आउटलेट पर फ्लैप गेट	आउटलेट कक्ष में ऑरिफिस इनवर्टों से 0.15 m नीचे रखा गया, ताकि अवरोध अवधियों के बाहर उसका खुलाव हेड और हेड हानि ऑरिफिस नियंत्रण को प्रभावित न करें	उदाहरणार्थ इनपुट; प्रमाणित वक्र से पुष्टि की जानी है (खंड 5.11.2)
अवरोध अवधियाँ	6 h की दो, आरंभ 12.4 h के अंतर पर (अर्ध-दैनिक ज्वार)	खंड 5.10.3(a)
पंप	कोई नहीं	—

5C.2 **तालिका 5.2 की स्थितियाँ.** चूँकि J1, J2 और J3 में प्राप्तकर्ता ड्रेन साइट आउटलेट से नीचे रहती है (तालिका 5C.1), इसलिए ये स्थितियाँ परिशिष्ट 4C के मुक्त-आउटफॉल परिणाम देती हैं: J2 में 1% AEP अधिकतम जल स्तर **1.17 m** (2,913 m^3) है, और J3 (10% AEP, 48 h) में यह 0.77 m है। R1 और R2 लागू नहीं होतीं, क्योंकि साइट किसी नदी में जल निकासी नहीं करती। J4, अर्थात आउटफॉल-बंद जाँच, नीचे हल की गई है।

अवरोध अवधियाँ (खंड 5.10.3)

5C.3 48 घंटे की वर्षा घटना के अंतिम 24 घंटों का चरम 1-घंटे का ब्लॉक 35:35–36:35 h है, जिसमें 98.2 mm वर्षा है (तालिका 4C.2 की 1-घंटे की गहराई)। दो रन किए जाते हैं:

- **रन A:** पहली अवधि उस ब्लॉक पर केंद्रित है: 33:05–39:05 h; दूसरी 12.4 h बाद आरंभ होती है: 45:29–51:29 h।
- **रन B:** पहली अवधि उस ब्लॉक पर आरंभ होती है: 35:35–41:35 h; दूसरी: 47:59–53:59 h।

72 घंटे की वर्षा घटना के लिए, प्रत्येक समय 24 h बाद है।

5C.4 प्रत्येक अवधि के भीतर गुरुत्व निकास शून्य है। अवधियों के बाहर आउटलेट तालिका 4C.10 के ऑरिफिसों से पानी छोड़ता है। रूटिंग वही स्तर-ताल रूटिंग है जो परिशिष्ट 4C में है।

परिणाम

तालिका 5C.2 — आउटफॉल-बंद जाँच के परिणाम (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

वर्षा घटना	रन	अवरोध अवधियाँ (h:min)	अधिकतम जल स्तर (m)	अधिकतम भंडारण (m^3)	अधिकतम का समय (h:min)	किसी अवधि के बाद सबसे बड़ा निकास (L/s)
1% AEP, 48 h	A	33:05–39:05; 45:29–51:29	2.01	5,019	39:05	566
1% AEP, 48 h	B	35:35–41:35; 47:59–53:59	**2.10**	**5,238**	41:35	584
1% AEP, 72 h	A	57:05–63:05; 69:29–75:29	2.00	5,012	63:05	565
1% AEP, 72 h	B	59:35–65:35; 71:59–77:59	2.09	5,233	65:35	584

48 घंटे की वर्षा घटना का रन B निर्णायक है। पहली अवधि आउटलेट को ठीक उसी समय बंद करती है जब वर्षा का चरम आता है, इसलिए पूरा चरम संगृहीत होता है। दूसरी अवधि तब आती है जब सुविधा लगभग 0.7 m तक, चरण 2 के ऑरिफिस से नीचे, खाली हो चुकी होती है, और उसका प्रभाव कम होता है।

5C.5 **आयतन संतुलन (खंड 5.10.4).** तालिका 5C.3 रन B के लिए संतुलन देती है। प्रत्येक अवधि में बहिर्वाह सांतत्य द्वारा ज्ञात किया जाता है: बहिर्वाह = आरंभ में भंडारण + अंतर्वाह − अंत में भंडारण।

तालिका 5C.3 — आयतन संतुलन, 1% AEP 48 घंटे की वर्षा घटना, रन B (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

अवधि (h:min)	अंतर्वाह (m^3)	गुरुत्व बहिर्वाह (m^3)	पंप किया गया (m^3)	आरंभ में भंडारण (m^3)	अंत में भंडारण (m^3)
0:00–35:35, अवधि 1 से पहले	3,817	2,213	0	0	1,604
35:35–41:35, अवधि 1	3,634	0	0	1,604	5,238
41:35–47:59, अवधियों के बीच	941	4,423	0	5,238	1,756
47:59–53:59, अवधि 2	28	0	0	1,756	1,784

अवधि (h:min)	अंतर्वाह (m³)	गुरुत्व बहिर्वाह (m³)	पंप किया गया (m³)	आरंभ में भंडारण (m³)	अंत में भंडारण (m³)
53:59 के बाद	0	1,784	0	1,784	0
कुल	8,420	8,420	0	—	—

अवधि 1 के लिए जाँच: V_inflow = 3,634 m³ ≤ V_storage available + V_pumped + V_gravity = (5,238 − 1,604) + 0 + 0 = 3,634 m³। इसलिए सुविधा को **5,238 m³** भंडारण चाहिए, जिसकी पुष्टि रूटिंग करती है।

तालिका 5C.4 — जल स्तर–समय आलेख, 1% AEP 48 घंटे की वर्षा घटना, रन B (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

समय (h)	अंतर्वाह (L/s)	आउटलेट	बहिर्वाह (L/s)	जल स्तर (m)	भंडारण (m³)
24	20	खुला	18	0.18	445
28	39	खुला	24	0.25	621
32	59	खुला	32	0.36	906
34	85	खुला	37	0.47	1,166
36	286	बंद	0	0.78	1,944
38	106	बंद	0	1.73	4,321
40	66	बंद	0	1.96	4,904
42	51	खुला	529	1.79	4,472
44	42	खुला	204	0.87	2,181
46	37	खुला	49	0.74	1,854
48	33	खुला	47	0.70	1,756
50	0	बंद	0	0.71	1,784
54	0	बंद	0	0.71	1,784
56	0	खुला	43	0.58	1,459
60	0	खुला	32	0.37	921
66	0	खुला	16	0.16	397
72	0	खुला	7	0.06	162

आकलन

5C.6 **खंड 5.10.4(a).** परिशिष्ट 4C की सुविधा J2 में 1.17 m तक पहुँचती है, और उसके स्पिलवे का शिखर 1.35 m पर है (परिशिष्ट 4C)। आउटफॉल-बंद जाँच में जल स्तर 2.10 m तक पहुँचता है, इसलिए स्पिलवे काम करने लगेगा। **परिशिष्ट 4C की सुविधा जाँच में विफल होती है।**

5C.7 **उपाय.** यहाँ पंपिंग (खंड 5.12) सहायक नहीं है: अवरोध अवधियों के दौरान प्राप्तकर्ता ड्रेन स्वयं बंद होती है, और उसमें पंप करने से उसका स्तर बढ़ेगा, जिसकी अनुमति खंड 5.12.3 नहीं देता। उपाय अधिक भंडारण है। 2,500 m^2 का प्लान क्षेत्रफल और परिशिष्ट 4C के आउटलेट रखते हुए:

- सुविधा को **2.10 m** के जल स्तर तक 5,238 m^3 धारण करना होगा;
- स्पिलवे का शिखर उस जल स्तर से ऊपर, खंड 4.9.3 में अनुशंसित 0.15 m की दूरी के साथ, रखा जाता है: **2.25 m**;
- परिशिष्ट 4C के 4.0 m स्पिलवे (हेड 0.30 m) के साथ, स्पिलवे के बहते समय अधिकतम स्तर 2.55 m है, और 0.3 m फ्रीबोर्ड के साथ दीवारों का शीर्ष तल से कम से कम **2.85 m** ऊपर है।

इसलिए आउटफॉल-बंद जाँच भंडारण का निर्धारण करती है: निकास दर जाँचों से प्राप्त 2,913 m^3 की तुलना में 5,238 m^3, लगभग 80% अधिक। बड़ा प्लान क्षेत्रफल सुविधा को उथला बना देगा; तब आउटलेट, निकास सीमाओं और खाली होने के समय की पुनः जाँच करनी होगी, क्योंकि जल स्तर–प्रवाह दर संबंध बदल जाता है।

5C.8 **अवरोध के बाद निकास.** पहली अवधि समाप्त होने पर, संगृहीत पानी लगभग 2 m के हेड पर, 584 L/s तक की दर से छोड़ा जाता है। यह 356 L/s की 100-वर्ष की निकास सीमा से अधिक है। खंड 5.10.4 इसकी अनुमति देता है, क्योंकि निकास ऐसी ड्रेन में पहुँचता है जो स्वयं अभी-अभी फिर खुली है, और अपेक्षा करता है कि इसे अनुप्रवाह विश्लेषण (खंड 5.4 और 5.9) के J4 रन में सम्मिलित किया जाए और प्रपत्र 5-1 के भाग H में रिपोर्ट किया जाए।

5C.9 **वर्षा घटना के बाद खाली होना (खंड 5.10.5).** J1 ज्वारीय वक्र साइट आउटलेट से नीचे रहता है (तालिका 5C.1), इसलिए परिशिष्ट 4C का खाली होने का समय लागू होता है: अल्प-प्रवाह ऑरिफिस के 50% अवरुद्ध रहने पर 10-वर्ष के भंडारण के 90% के लिए 45.3 h, जो खंड 4.7 की 48 घंटे की सीमा के भीतर है। रन B में, अधिकतम J4 भंडारण का 90% अधिकतम के 22.6 h बाद छोड़ दिया जाता है।

5C.10 **अन्य अपेक्षाएँ.**

- साइट आउटलेट के फ्लैप गेट का निरीक्षण और प्रचालन प्रत्येक वर्ष 20 जून से पहले और प्रत्येक ऐसी घटना के बाद किया जाता है जिसमें वह वर्षा प्रवाह के विरुद्ध बंद हुआ (खंड 5.11.5)।
- गहरी सुविधा की उत्प्लावन (flotation) के लिए जाँच डिजाइन भूजल स्तर पर भूजल के साथ की जाती है; श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के घग्घर–नहर के मैदानों और जोधपुर के पुराने शहर में पीजोमीटर पाठ्यांकों के बिना वह स्तर विद्यमान भूमि स्तर है (खंड 4.12.1 और 4.12.3)।
- परिशिष्ट 4C की बाड़ और संकेत-पट गहरी सुविधा पर लागू होते हैं (खंड 4.15)।

तालिका 5C.5 — सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

मद	मान
निर्णायक स्थिति	J4, 1% AEP 48 घंटे की वर्षा घटना, रन B (पहली अवधि चरम 1-घंटे के ब्लॉक पर आरंभ)
आवश्यक भंडारण	5,238 m^3 (परिशिष्ट 4C का निकास दर डिजाइन: 2,913 m^3)
अधिकतम जल स्तर	2.10 m, 2,500 m^2 प्लान क्षेत्रफल के साथ
स्पिलवे का शिखर	2.25 m
दीवारों का शीर्ष	तल से ≥ 2.85 m ऊपर
किसी अवरोध अवधि के बाद सबसे बड़ा निकास	584 L/s, अनुप्रवाह J4 रन में सम्मिलित किया जाना है
खाली होने का समय	परिशिष्ट 4C का परिणाम लागू: अल्प-प्रवाह ऑरिफिस के 50% अवरुद्ध रहने पर 45.3 h

---

प्रपत्र 5-1 — अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट

अध्याय 5 के खंड 5.3 से 5.14 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक परियोजना के लिए एक रिपोर्ट। खंड 5.3.4 को पूरा करने वाली 0.5 ha से कम की साइटें, जहाँ प्राधिकारी इसे स्वीकार करे, इसके स्थान पर प्रपत्र 5-2 प्रस्तुत कर सकती हैं। उल्लिखित नक्शे, मॉडल फाइलें और हाइड्रोग्राफ संलग्न करें।

A. परियोजना

तालिका 5F.1 — प्रपत्र 5-1: परियोजना

क्षेत्र	प्रविष्टि
A1. परियोजना का नाम, आवेदक और स्थान	
A2. परियोजना का प्रकार: अध्याय 4 के अंतर्गत साइट; अध्याय 6 के अंतर्गत जल निकासी परियोजना; क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण या तालाब पुनर्स्थापन (खंड 5.1.2)	
A3. साइट या परियोजना का क्षेत्रफल (ha) और आउटफॉल	
A4. साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट का संदर्भ (प्रपत्र 4-1), जहाँ लागू हो	

B. विश्लेषण का विस्तार (खंड 5.3; खंड 5.14, मद 1)

तालिका 5F.2 — प्रपत्र 5-1: विश्लेषण बिंदु

बिंदु	स्थान	प्रकार (खंड 5.3.3 (a) से (e))	योगदान देने वाला जलग्रहण क्षेत्र (ha)	उसके % के रूप में परियोजना क्षेत्र

तालिका 5F.3 — प्रपत्र 5-1: अंतिम बिंदु

क्षेत्र	प्रविष्टि
B1. अंतिम बिंदु और कारण: 10% बिंदु, तालाब (tank) या तालाब (talab), या प्रमुख ड्रेन या समुद्र (खंड 5.3.1 (a) से (c))	
B2. जहाँ अंतिम बिंदु कोई तालाब (tank) या तालाब (talab) है: अधिकतम जल स्तर (m) में और सरप्लस वियर की प्रवाह दर (m^3/s) में परिवर्तन; स्तर बढ़ने पर वियर के नीचे विश्लेषण जारी रखना (खंड 5.3.2)	
B3. विश्लेषण के विस्तार का नक्शा, जिसमें साइट, प्रत्येक बिंदु उसके योगदान देने वाले क्षेत्र और प्रतिशत के साथ, और अंतिम बिंदु दर्शाए गए हों (संलग्न करें)	

C. मॉडल (खंड 5.4.4; खंड 5.14, मद 2)

तालिका 5F.4 — प्रपत्र 5-1: मॉडल

क्षेत्र	प्रविष्टि
C1. सॉफ्टवेयर और संस्करण; जलवैज्ञानिक और हाइड्रोलिक विधियाँ (खंड 5.4.4)	
C2. नेटवर्क का योजनाबद्ध चित्र, ड्रेन और क्रॉसिंग के सर्वेक्षण स्रोतों के साथ (संलग्न करें)	
C3. साइट से बाहर के क्षेत्रों का भूमि उपयोग और CN (वर्तमान भूमि उपयोग)	
C4. सम्मिलित प्रतिप्रवाह अस्थायी भंडारण, इस साक्ष्य के साथ कि वह निर्मित, अनुरक्षित और दस्तावेजित है	
C5. जहाँ उपलब्ध हो, अंशांकन या वैधीकरण के साक्ष्य	
C6. चलाए गए परिदृश्य: विद्यमान, परियोजना सहित, और जहाँ प्राधिकारी अपेक्षा करे वहाँ भविष्य (खंड 5.4.1)	
C7. चलाई गई वर्षा घटनाएँ: AEP और अवधियाँ, AMC और क्षेत्रीय न्यूनीकरण (खंड 5.4.3)	

D. प्रत्येक विश्लेषण बिंदु पर परिणाम (खंड 5.4.2; खंड 5.14, मद 3)

प्रत्येक विश्लेषण बिंदु, AEP और अवधि के लिए एक पंक्ति भरें। E = विद्यमान; P = परियोजना सहित।

तालिका 5F.5 — प्रपत्र 5-1: विश्लेषण बिंदुवार परिणाम

बिंदु	AEP	अवधि (h)	चरम प्रवाह E / P (m^3/s)	चरम तक समय E / P (h)	अधिकतम जल स्तर E / P (m)	चरम वेग E / P (m/s)	जलमग्नता की अवधि E / P (h)

E. स्वीकार्यता (खंड 5.5; खंड 5.14, मद 4)

तालिका 5F.6 — प्रपत्र 5-1: स्वीकार्यता मानदंड

मानदंड	क्या प्रत्येक बिंदु पर पूरा हुआ?	जहाँ पूरा नहीं हुआ, वहाँ अपनाया गया उपाय (खंड 5.5.3)
E1. भवनों, सबसे निचले खुले भागों और कैरिजवे पर 1% AEP जल स्तर में वृद्धि ≤ 10 mm (खंड 5.5.1(a))		
E2. कोई भवन नए सिरे से जलमग्न नहीं; कोई भवन या सड़क नए सिरे से अध्याय 6 की सीमाओं में विफल नहीं (खंड 5.5.1(b))		
E3. प्रत्येक तत्व की लघु प्रणाली AEP पर या 1% AEP पर चरम प्रवाह विद्यमान से अधिक नहीं (खंड 5.5.1(c))		
E4. पक्के चैनलों में वेग अस्तर की सीमा के भीतर, अधिकतम 3.0 m/s (खंड 5.5.1(d))		

मानदंड	क्या प्रत्येक बिंदु पर पूरा हुआ?	जहाँ पूरा नहीं हुआ, वहाँ अपनाया गया उपाय (खंड 5.5.3)
E5. कच्चे चैनलों में 50% और 10% AEP का वेग 10% से अधिक नहीं बढ़ा (खंड 5.5.1(e))		
E6. धमनी या आपातकालीन मार्गों पर सड़क बंद रहने की अवधि में परिवर्तन (खंड 5.5.2)		
E7. क्या समय संबंधी अपवाद का अनुरोध किया गया (खंड 5.5.4)? पूरी की गई शर्तें बताएँ		

F. टेलवाटर की व्युत्पत्ति (खंड 5.6 से 5.8; खंड 5.14, मद 5)

तालिका 5F.7 — प्रपत्र 5-1: टेलवाटर की व्युत्पत्ति

क्षेत्र	प्रविष्टि
F1. ज्वार सारणी का संस्करण और बंदरगाह, या बंदरगाह प्राधिकरण का स्रोत (खंड 5.7.2(a))	
F2. MHWS, HAT और MSL (चार्ट डेटम से ऊपर m)	
F3. चार्ट डेटम से भारतीय सर्वेक्षण विभाग के बेंचमार्क और परियोजना डेटम तक संबंध: अंतर (m) और स्रोत (खंड 5.7.2(b))	
F4. ज्वारनदमुख, खाड़ी या नहर में आउटफॉल: प्रयुक्त स्तर और खुले तट के स्तरों से विचलन का कोई साक्ष्य (खंड 5.7.2(c))	
F5. 10% AEP महोर्मि और 1% AEP स्थिर जल स्तर: मान, स्रोत, विधि और अभिलेख की अवधि (खंड 5.7.3)	
F6. खुले समुद्र की ओर वाले आउटफॉलों के लिए लहर उत्थान (खंड 5.7.3(d))	
F7. SLA (m), कम से कम +0.3 m; डिजाइन आयु; 50 वर्ष से अधिक डिजाइन आयु के लिए SLA की दोगुनी पर संवेदनशीलता रन (खंड 5.7.4)	
F8. गैर-ज्वारीय टेलवाटर: प्राप्तकर्ता प्रणाली का स्तर और स्रोत (खंड 5.6.2, 5.6.3)	
F9. नदी के स्तर और स्रोत; सम्मिलित जलाशय या तालाब से छोड़ा गया पानी (खंड 5.8.2, 5.8.3)	
F10. बिना आउटफॉल वाले जलग्रहण क्षेत्र, नदी से अवरुद्ध आउटफॉल, झील आउटफॉल और एस्केप गेट, डैमों से छोड़े गए पानी से संचालित नदियाँ और WRD के चैनल और नहरें: जिस साइट का कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है उसके लिए, 72-घंटे का डिजाइन आयतन, उसके अतिप्रवाह से नीचे का भंडारण और उसके खाली होने का समय (खंड 4.12.7), किसी साझा बेसिन या बंद गर्त का परियोजना सहित और परियोजना के बिना स्तर और उसका प्रारंभिक स्तर, और सार्वजनिक भूमि तक अनुरेखित अतिप्रवाह मार्ग, पड़ोसी की भूमि पर या किसी अन्य जलग्रहण क्षेत्र में कोई निस्सरण नहीं; नदी आउटफॉल के लिए, प्रत्येक गेट और पंपिंग स्टेशन के संचालक की पहचान, गेट की सिल, किनारे या दीवार का शिखर, स्थापित क्षमता, प्रचालन स्तर और गेट बंद करने का स्तर प्राप्त किए गए, प्रत्येक स्तर को निकटतम CWC या WRD गेज के डेटम से जोड़कर; आउटफॉल पर 1% AEP नदी स्तर, किसी प्रकाशित अध्ययन से या मॉडल से, डैमों से छोड़े गए पानी के साथ, जो आउटफॉल तक अंतरित निकटतम गेज के अभिलिखित उच्चतम स्तर से कम नहीं (कोटा सिटी पर 248.68 m, धौलपुर पर 145.54 m, टोंक पर 262.8 m), प्रयुक्त प्रोफाइल के साथ, या, जहाँ कोई गेज स्तर नहीं है (द्रव्यवती, जोजरी, बाँडी, आयड़, घग्घर), JDA का डिजाइन प्रोफाइल, मॉडल से प्राप्त या सर्वेक्षित बाढ़ स्तर और उसका स्रोत; 10% AEP नदी स्तर, जो अंतरित खतरे के स्तर से कम नहीं; जहाँ राज्य ने सीमांकन किया हो वहाँ उस नदी-भाग के लिए उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line), और क्या आउटफॉल किसी चिह्नित नदी गलियारे में स्थित है; गेट के पीछे की ड्रेन की रूटिंग उसके संपूर्ण जलग्रहण क्षेत्र और वर्तमान भंडारण के साथ, पंपिंग की उपलब्धता की पुष्टि (केवल स्थायी पंप, स्थापित क्षमता घटा सबसे बड़े पंप से अधिक नहीं), डिजाइन नदी स्तर पर प्रचालन योग्य पंप; पूरी वर्षा घटना को समाविष्ट करने वाला कम से कम 72 घंटे का एकल नदी अवरोध, और उसका स्रोत; गेट के विफल होने और किनारे के टूटने की जाँचें; झील आउटफॉल के लिए, अभिरक्षक की सम्मति, जहाँ अपेक्षित हो वहाँ झील विकास प्राधिकरण और राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण की अनुमति, MWL या FTL जमा डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज (जहाँ दोनों में से कोई प्रकाशित न हो वहाँ FTL + 0.5 m), और अभिलिखित उच्चतम स्तर से कम नहीं, और जहाँ स्तर केवल फुट में गेज पाठ्यांक के रूप में ज्ञात हो वहाँ झील के गेज के शून्य को समतलन (levelling) द्वारा परियोजना डेटम से जोड़ने का विवरण, उससे नीचे का आउटफॉल पूरी वर्षा घटना के लिए बंद माना गया, झील FTL पर आरंभ, अभिरक्षक के लिखित नियम के बिना किसी गेट प्रचालन का क्रेडिट नहीं; किसी डैम, गेट वाली झील या एस्केप के नीचे के आउटफॉल के लिए, अभिलिखित सबसे बड़ी मात्रा में छोड़े गए पानी के साथ डिजाइन वर्षा घटना, छोड़े गए पानी को वर्षा घटना से पहले, उसके दौरान और उसके बाद रखकर; WRD की सम्मति और न्यायालयों की रेखाओं की जाँच; WRD या स्वामी की सम्मति, अनुमत दर, डिजाइन जल स्तर या परिकलित चैनल स्तर, और फ्लैप गेट (खंड 5.8.5)	

G. संयुक्त स्थितियाँ (खंड 5.9; खंड 5.14, मद 6)

तालिका 5F.8 — प्रपत्र 5-1: संयुक्त स्थितियों के परिणाम

स्थिति	वर्षा	प्रयुक्त टेलवाटर (m, परियोजना डेटम)	लागू?	निर्णायक परिणाम (भंडारण, स्तर, पाइप का आकार या पंप की क्षमता)
J1				
J2				
J3				
J4				
R1				
R2				

H. आउटफॉल-बंद जाँच (खंड 5.10; खंड 5.14, मद 7)

तालिका 5F.9 — प्रपत्र 5-1: आउटफॉल-बंद जाँच

क्षेत्र	प्रविष्टि
H1. जाँच लागू होने का कारण (खंड 5.10.1)	
H2. वर्षा घटना: AEP, 48 h और 72 h, AMC III (खंड 5.10.2)	
H3. अवरोध की अवधि और आधार: 6 घंटे की दो अवधियों का डिफॉल्ट, या साइट अध्ययन (खंड 5.10.6); रेत अवरोध से बंद होने के लिए विस्तार (खंड 5.13.5)	
H4. दोनों रनों की अवरोध अवधियाँ (आरंभ और समाप्ति का समय) (खंड 5.10.3(d))	
H5. प्रत्येक सुविधा में अधिकतम जल स्तर, उसके 1% AEP अधिकतम जल स्तर की तुलना में (खंड 5.10.4(a))	
H6. लघु और प्रमुख प्रणालियों में अधिकतम जल स्तर, अध्याय 6 की सीमाओं की तुलना में (खंड 5.10.4(b))	
H7. संपत्ति कनेक्शन: सरचार्ज स्तर, या लगाए गए नॉन-रिटर्न वाल्व (खंड 5.10.4(c))	
H8. जल स्तर–समय आलेख (संलग्न करें)	
H9. वर्षा घटना के बाद J1 ज्वारीय वक्र के अंतर्गत खाली होना, और जहाँ आवश्यक हो वहाँ पंपिंग (खंड 5.10.5)	

तालिका 5F.10 — प्रपत्र 5-1: प्रत्येक अवरोध अवधि के लिए आयतन संतुलन (खंड 5.10.4)

अवधि	अंतर्वाह (m^3)	गुरुत्व बहिर्वाह (m^3)	पंप किया गया (m^3)	आरंभ में भंडारण (m^3)	अंत में भंडारण (m^3)
अवधि 1 से पहले					
अवधि 1					
अवधियों के बीच					
अवधि 2					

अवधि	अंतर्वाह (m³)	गुरुत्व बहिर्वाह (m³)	पंप किया गया (m³)	आरंभ में भंडारण (m³)	अंत में भंडारण (m³)
अवधि 2 के बाद					

I. गेट और वाल्व (खंड 5.11; खंड 5.14, मद 8)

तालिका 5F.11 — प्रपत्र 5-1: फ्लैप गेटों, ज्वार-रोधी गेटों और नॉन-रिटर्न वाल्वों की अनुसूची

स्थान	प्रकार	आकार (mm)	इनवर्ट (m, परियोजना डेटम)	प्रमाणित हेड–प्रवाह दर आँकड़े (संदर्भ)	स्टॉप-लॉग या पेनस्टॉक (आउटफॉल > 600 mm)

J. पंप द्वारा संचालित आउटफॉल (खंड 5.12; खंड 5.14, मद 9)

तालिका 5F.12 — प्रपत्र 5-1: पंप द्वारा संचालित आउटफॉल

क्षेत्र	प्रविष्टि
J1. पंपिंग की आवश्यकता का कारण (खंड 5.12.1)	
J2. J2 टेलवाटर के स्थैतिक हेड पर कार्यरत क्षमता (m³/s); स्टैंडबाय क्षमता (खंड 5.12.2)	
J3. प्राप्तकर्ता जलाशय के जल स्तर पर प्रभाव (खंड 5.12.3)	
J4. विद्युत आपूर्ति: दो स्वतंत्र आपूर्तियाँ, या 72 h के ईंधन के साथ स्टैंडबाय उत्पादन; स्वचालित परिवर्तन (खंड 5.12.4)	
J5. विद्युत पैनलों, नियंत्रणों, जनरेटरों और ईंधन का स्तर, 1% AEP बाढ़ जल स्तर + 0.5 m और HAT + महोर्मि + SLA + 0.5 m में से अधिक की तुलना में (खंड 5.12.5)	
J6. निकास व्यवस्था (खंड 5.12.6); नियंत्रण, अलार्म और लॉगिंग (खंड 5.12.7); जालियाँ (खंड 5.12.8)	

K. रेत अवरोध (खंड 5.13; खंड 5.14, मद 10)

तालिका 5F.13 — प्रपत्र 5-1: रेत अवरोध संबंधी धारणा

क्षेत्र	प्रविष्टि
K1. संबंधित नदी मुख या खाड़ी प्रवेश	
K2. मुख बंद माना गया, या WRD का प्रमाणन संलग्न करके खुला (खंड 5.13.2)	
K3. सबसे हाल के मानसून-पूर्व सर्वेक्षण से रेत अवरोध का शिखर स्तर (m) और बंद-मुख टेलवाटर (खंड 5.13.3)	
K4. जहाँ आवश्यक हो, अवरोध की अवधि का विस्तार (खंड 5.13.5)	

L. निरीक्षण और रखरखाव (खंड 5.14, मद 11)

तालिका 5F.14 — प्रपत्र 5-1: निरीक्षण और रखरखाव

क्षेत्र	प्रविष्टि
L1. 20 जून से पहले और बंद होने की घटनाओं के बाद गेट और वाल्व का निरीक्षण (खंड 5.11.5)	
L2. 20 जून से पहले पंपों के परीक्षण रन (खंड 5.12.9)	
L3. रखरखाव योजना के लिए अन्य अपेक्षाएँ (अध्याय 10)	

M. पंजीकृत पेशेवर का कथन (खंड 10.6)

मैं कथन करता/करती हूँ कि यह रिपोर्ट *राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल* (प्रारूप संस्करण 1.0) के अध्याय 5 के अंतर्गत तैयार की गई है, कि रिपोर्ट किए गए परिणाम प्रस्तुत मॉडलों द्वारा पुनः प्राप्त होते हैं, और कि अध्याय 5 से प्रत्येक विचलन उसके कारण के साथ सूचीबद्ध है। पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3) संलग्न है।

तालिका 5F.15 — प्रपत्र 5-1: पंजीकृत पेशेवर का कथन

क्षेत्र	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
सूचीबद्धता संख्या, जहाँ खंड 10.6.1 अपेक्षा करता है	
संगठन	
हस्ताक्षर	
तिथि	

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

प्रपत्र 5-2 — सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण (छोटी साइटें)

अध्याय 5 के खंड 5.3.4 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. 0.5 ha से कम की साइटों के लिए। प्राधिकारी इस विवरण को पूर्ण विश्लेषण के स्थान पर केवल तभी स्वीकार कर सकता है जब भाग B का प्रत्येक उत्तर "हाँ" हो। अन्यथा प्रपत्र 5-1 प्रस्तुत करें।

A. साइट

तालिका 5F.16 — प्रपत्र 5-2: साइट

क्षेत्र	प्रविष्टि
A1. परियोजना का नाम, आवेदक और स्थान	
A2. साइट का क्षेत्रफल (ha), 0.5 ha से कम	
A3. प्राप्तकर्ता सार्वजनिक ड्रेन: नाम या संदर्भ, प्रकार और आकार	
A4. साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट का संदर्भ (प्रपत्र 4-1)	

B. शर्तें (खंड 5.3.4)

तालिका 5F.17 — प्रपत्र 5-2: शर्तें

शर्त	हाँ / नहीं	साक्ष्य
B1. प्राप्तकर्ता सार्वजनिक ड्रेन की अपने लघु प्रणाली डिजाइन प्रवाह के लिए दस्तावेजित क्षमता है (अध्याय 6)		
B2. साइट के आउटफॉल से अनुप्रवाह की ओर 500 m के भीतर कोई बाढ़-प्रवण स्थान दर्ज नहीं है। जाँचे गए अभिलेख: स्थानीय निकाय, JMC, RSDMA, WRD (खंड 5.3.3(d))		
B3. साइट किसी ज्वारीय या पश्चजल-प्रभावित आउटफॉल में जल निकासी नहीं करती		

C. मार्ग का नक्शा

तालिका 5F.18 — प्रपत्र 5-2: संलग्नक

संलग्नक	संलग्न?
C1. साइट के आउटफॉल से अनुप्रवाह की ओर 500 m तक जल निकासी मार्ग का नक्शा, प्राप्तकर्ता ड्रेन और किसी भी दर्ज बाढ़-प्रवण स्थान के साथ	
C2. ड्रेन की क्षमता के अभिलेख की प्रति या संदर्भ	

D. कथन

मैं कथन करता/करती हूँ कि साइट ऊपर दर्शाए अनुसार खंड 5.3.4 की शर्तों को पूरा करती है, और कि सूचीबद्ध अभिलेखों की जाँच कर ली गई है।

तालिका 5F.19 — प्रपत्र 5-2: कथन

क्षेत्र	प्रविष्टि
नाम	
योग्यता और पंजीकरण संख्या	
हस्ताक्षर	
तिथि	

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

अध्याय 6 के परिशिष्ट

लघु और प्रमुख जल निकासी प्रणालियाँ

ये परिशिष्ट अध्याय 6 के सहायक हैं। परिशिष्ट 6A (मानक इनलेट और उनके क्षमता वक्र) और परिशिष्ट 6B (तलछट उत्पादन) के लिए ऐसे परीक्षण और सर्वेक्षण आँकड़े आवश्यक हैं जो अभी उपलब्ध नहीं हैं; प्रत्येक में बताया गया है कि उसमें क्या होगा और उसके प्रकाशित होने तक कौन-सा अंतरिम नियम लागू होगा। परिशिष्ट 6C में ऐसी मानक ड्रॉइंग दी गई हैं जिनमें केवल वे आयाम हैं जो अध्याय 6 और अध्याय 9 पहले से निर्धारित करते हैं; प्रत्येक अन्य आयाम "डिजाइन में पुष्टि की जानी है" के रूप में चिह्नित है। प्रपत्र 6-1 एक प्रारूप प्रपत्र है: इसमें वही सूचीबद्ध है जिसकी अपेक्षा खंड 6.15 करता है, और यह उसमें कुछ नहीं जोड़ता।

परिशिष्ट 6A — राजस्थान के लिए मानक इनलेट प्रकार और उनके क्षमता वक्र (ढलान पर और निचले बिंदु पर)

अध्याय 6 के खंड 6.6.1 से 6.6.7 और अध्याय 9 के खंड 9.11 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में राजस्थान की सड़कों के लिए मानक इनलेट प्रकारों की एक छोटी सूची होगी (कर्ब ओपनिंग इनलेट (kerb-opening inlet), जाली इनलेट (grate inlet) और संयुक्त इनलेट (combination inlet), जिनमें ढकी ड्रेन की दीवार में सड़क स्तर पर बना ओपनिंग भी सम्मिलित है) और प्रत्येक प्रकार के लिए ढलान पर (on grade) और निचले बिंदु (sag) पर क्षमता वक्र होंगे। इसके लिए सड़क-स्वामी एजेंसियों से सहमत मानक इनलेट ज्यामितियों का एक नियत समूह, और उन ज्यामितियों के रेटिंग परीक्षण (प्रयोगशाला में या पूर्ण पैमाने पर), या प्रत्येक ज्यामिति के लिए परीक्षणों से जाँची गई HEC-22 गणनाएँ आवश्यक हैं (आँकड़े और संभावित स्रोत: लोक निर्माण विभाग (PWD), NHAI और जयपुर नगर निगम के मानक विवरण, MNIT जयपुर, IIT जोधपुर या अन्य हाइड्रोलिक प्रयोगशालाएँ, निर्माताओं की परीक्षित रेटिंग)। इसके प्रकाशित होने तक वास्तव में प्रस्तावित इनलेट की स्वच्छ क्षमता की गणना FHWA HEC-22 (4th edition, 2024) की विधियों से या उसी ज्यामिति के लिए निर्माता की परीक्षित रेटिंग से करें (खंड 6.6.2), उसे तालिका 6.5 के अवरोध गुणकों से घटाएँ (खंड 6.6.3), और तालिका 6A.1 की अंतरिम अपेक्षाएँ पूरी करें।

तालिका 6A.1 — परिशिष्ट 6A के प्रकाशित होने तक इनलेट के लिए अंतरिम अपेक्षाएँ (अध्याय 6 और 9 से)

मद	अपेक्षा	खंड
सार्वजनिक सड़कों पर इनलेट का प्रकार	कर्ब ओपनिंग या संयुक्त इनलेट, जब तक अनुमोदन प्राधिकारी किसी स्थान के लिए केवल-जाली इनलेट स्वीकार न करे	6.6.1(a)
इनलेट का स्तर	ओपनिंग सड़क स्तर पर; जहाँ व्यवहार्य हो, कर्ब चैनल अवनमन (gutter depression)	6.6.1(b)
स्वच्छ क्षमता	FHWA HEC-22 (4th ed., 2024) या उसी ज्यामिति के लिए निर्माता की परीक्षित रेटिंग; CPHEEO §5.6.2 के समीकरण केवल प्रति-जाँच के लिए	6.6.2
अवरोध, ढलान पर	जाली 50%; कर्ब ओपनिंग 10%	6.6.3, तालिका 6.5

मद	अपेक्षा	खंड
अवरोध, निचले बिंदु पर	जाली 50%; कर्ब ओपनिंग 20%	6.6.3, तालिका 6.5
दूरी	प्रत्येक कर्ब चैनल खंड (gutter run) के शीर्ष से क्रमिक गणना द्वारा; कर्बयुक्त सड़कों पर 30 m से अधिक नहीं	6.6.4
कर्ब ओपनिंग का आकार	स्पष्ट ऊँचाई कम से कम 100 mm; लंबाई कम से कम 1.0 m	9.11.4
जाली का पैटर्न	यातायात की दिशा के समानांतर ओपनिंग 25 mm से अधिक चौड़ी नहीं	9.11.3(a)
भार वर्ग	कैरिजवे और मीडियन में D400; कर्ब से 0.5 m के भीतर C250; फुटपाथ और साइकिल ट्रैक में B125 (या समतुल्य IS वर्ग)	9.11.2
कनेक्शन पाइप	कम से कम 300 mm व्यास; ऐसी ढलान जिससे इनलेट के डिजाइन प्रवाह पर कम से कम 0.9 m/s वेग मिले	6.6.6
गाद संप	आउटलेट पाइप के इनवर्ट से कम से कम 300 mm गहरा, सतह से साफ करने योग्य	6.6.7, 9.11.6

परिशिष्ट की प्रस्तावित रूपरेखा तालिका 6A.2 से 6A.4 में दी गई है।

तालिका 6A.2 — मानक इनलेट प्रकारों का रजिस्टर (ढाँचा)

प्रकार कोड	विवरण	जाली का आकार या कर्ब ओपनिंग (mm)	कर्ब चैनल अवनमन (mm)	भार वर्ग	मानक ड्रॉइंग
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 6A.3 — ढलान पर क्षमता (ढाँचा; प्रत्येक इनलेट प्रकार के लिए एक तालिका)

अनुप्रस्थ ढलान Sx (m/m)	अनुदैर्ध्य ढलान SL (m/m)	कर्ब चैनल प्रवाह Q (L/s)	फैलाव T (m)	स्वच्छ स्थिति में ग्रहीत प्रवाह (L/s)	अवरोध के बाद डिजाइन ग्रहीत प्रवाह (L/s)	बाईपास प्रवाह (L/s)
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 6A.4 — निचले बिंदु पर क्षमता (ढाँचा; प्रत्येक इनलेट प्रकार के लिए एक तालिका)

इनलेट पर रुके जल की गहराई (mm)	स्वच्छ क्षमता (L/s)	अवरोध गुणक (तालिका 6.5)	डिजाइन क्षमता (L/s)	प्रवाह की स्थिति (वियर, ऑरिफिस या संक्रमण)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

परिशिष्ट 6B — गाद-जाल के आकार निर्धारण और तलछट प्रावधान के अंशांकन के लिए तलछट उत्पादन

अध्याय 6 के खंड 6.7.4, 6.7.8, 6.13.3 और 6.13.10 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में राजस्थान की शहरी ड्रेनों के लिए भूमि उपयोग और ड्रेन के प्रकार के अनुसार तलछट उत्पादन (sediment yield) होगा, खंड 6.13.3 के गाद-जाल (silt trap) का आकार निर्धारित करने के लिए, और मापी गई गाद गहराइयों के सापेक्ष खंड 6.7.8 के तलछट प्रावधान का अंशांकन होगा। इसके लिए गाद निकालने (desilting) के अभिलेख (ड्रेन की प्रति लंबाई और प्रति जलग्रहण क्षेत्र हटाया गया आयतन या द्रव्यमान, तिथियों सहित), दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले और बाद के गाद-गहराई सर्वेक्षण, और जलग्रहण क्षेत्र के भूमि उपयोग और मिट्टी के आँकड़े आवश्यक हैं (आँकड़े और संभावित स्रोत: जयपुर नगर निगम और अन्य शहरी स्थानीय निकायों के गाद निकालने के अभिलेख, चैनलों के लिए WRD के अभिलेख, NRSC से भूमि आवरण, राजस्थान मृदा सर्वेक्षण और NBSS&LUP से मिट्टी, IMD से वर्षा)। इसके प्रकाशित होने तक प्रत्येक गाद-जाल का आकार निर्धारित सफाइयों के बीच अपेक्षित तलछट के डिजाइनकर्ता द्वारा बताए गए अनुमान से तय करें, जो उसी ड्रेन या उसी स्थानीय निकाय की समान ड्रेनों के गाद निकालने के अभिलेखों पर आधारित हो, और मानी गई सफाई अवधि बताएँ; यह अवधि खंड 6.13.10 की वार्षिक मानसून-पूर्व गाद निकासी से अधिक लंबी नहीं होगी। इनलेट के गाद संप कम से कम 300 mm गहरे रहेंगे (खंड 6.6.7), और खंड 6.7.8 का तलछट प्रावधान बिना परिवर्तन के लागू होगा।

प्रस्तावित विधि एक सरल आयतन संतुलन है, जिसका प्रत्येक पद डिजाइन में बताया जाएगा:

$$V_{trap} = Y \cdot A \cdot t_c$$

जहाँ V_{trap} जाल के आउटलेट इनवर्ट के नीचे का तलछट भंडारण आयतन (m^3) है, Y जलग्रहण क्षेत्र के भूमि उपयोग और ड्रेन के प्रकार के लिए तलछट उत्पादन (m^3/ha प्रति वर्ष, प्रकाशित होने पर तालिका 6B.2 से) है, A जाल की ओर बहने वाले जलग्रहण क्षेत्र का क्षेत्रफल (ha) है, और t_c निर्धारित सफाई अवधि (वर्ष) है। परिशिष्ट में बताया जाएगा कि क्या कोई सुरक्षा मार्जिन जोड़ा जाता है।

तालिका 6B.1 — अध्याय 6 द्वारा पहले से निर्धारित तलछट प्रावधान (अनंतिम, अंशांकन किया जाना है)

अवयव	इनवर्ट पर तलछट प्रावधान	खंड
खुली और ढकी ड्रेन	75 mm और स्पष्ट आंतरिक गहराई के 10% में से जो अधिक हो	6.7.8(a)
600 mm या अधिक व्यास के पाइप	आंतरिक व्यास का 5%	6.7.8(b)
600 mm से कम के पाइप	कोई प्रावधान नहीं; खंड 6.7.3(a) का न्यूनतम वेग लागू	6.7.8(c)
ड्रेन और पाइप जो न्यूनतम वेग तक नहीं पहुँच सकते	प्रावधान दोगुना; यांत्रिक गाद निकासी के लिए पहुँच का प्रावधान	6.7.4(b), (c)
इनलेट के गाद संप	आउटलेट पाइप के इनवर्ट से कम से कम 300 mm नीचे	6.6.7

तालिका 6B.2 — भूमि उपयोग और ड्रेन के प्रकार के अनुसार तलछट उत्पादन (ढाँचा)

भूमि उपयोग या जलग्रहण क्षेत्र का प्रकार	ड्रेन का प्रकार	तलछट उत्पादन Y (m^3/ha प्रति वर्ष)	स्थूल घनत्व (t/m^3)	स्थानीय निकाय और प्रयुक्त अभिलेख	अभिलेख के वर्ष
———	———	———	———	———	———
———	———	———	———	———	———

तालिका 6B.3 — तलछट प्रावधान का अंशांकन (ढाँचा)

ड्रेन या पाइप ID	स्पष्ट आंतरिक गहराई या व्यास (mm)	खंड 6.7.8 के अंतर्गत प्रावधान (mm)	मानसून-पूर्व गाद निकासी से पहले मापी गई गाद गहराई (mm)	मानसून के अंत में मापी गई गाद गहराई (mm)	मापी गई गहराई और प्रावधान का अनुपात
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

परिशिष्ट 6C — मानक ड्रॉइंग: हटाने योग्य ढक्कनों वाली ढकी सड़क किनारे की ड्रेन, निरीक्षण कक्ष, गाद संप सहित इनलेट

अध्याय 6 के खंड 6.6, 6.7.6 से 6.7.10 और 6.13 के लिए, और अध्याय 9 के खंड 9.11 और 9.12 के लिए।

नीचे दी गई ड्रॉइंग योजनाबद्ध मानक ड्रॉइंग हैं। इनमें केवल वे आयाम दिखाए गए हैं जो अध्याय 6 और अध्याय 9 निर्धारित करते हैं। दीवार और स्लैब की मोटाई, सुदृढ़ीकरण (reinforcement), कंक्रीट ग्रेड और कंक्रीट आवरण (cover), कक्षों के प्लान आकार और फ्रेम के विवरण की डिजाइन में पुष्टि की जानी है: ये संरचनात्मक डिजाइन (खंड 9.1.2) और खंड 9.13 के अनावरण वर्ग से आते हैं। तालिका 6C.1 में दिखाए गए आयाम और उनके स्रोत खंड सूचीबद्ध हैं।

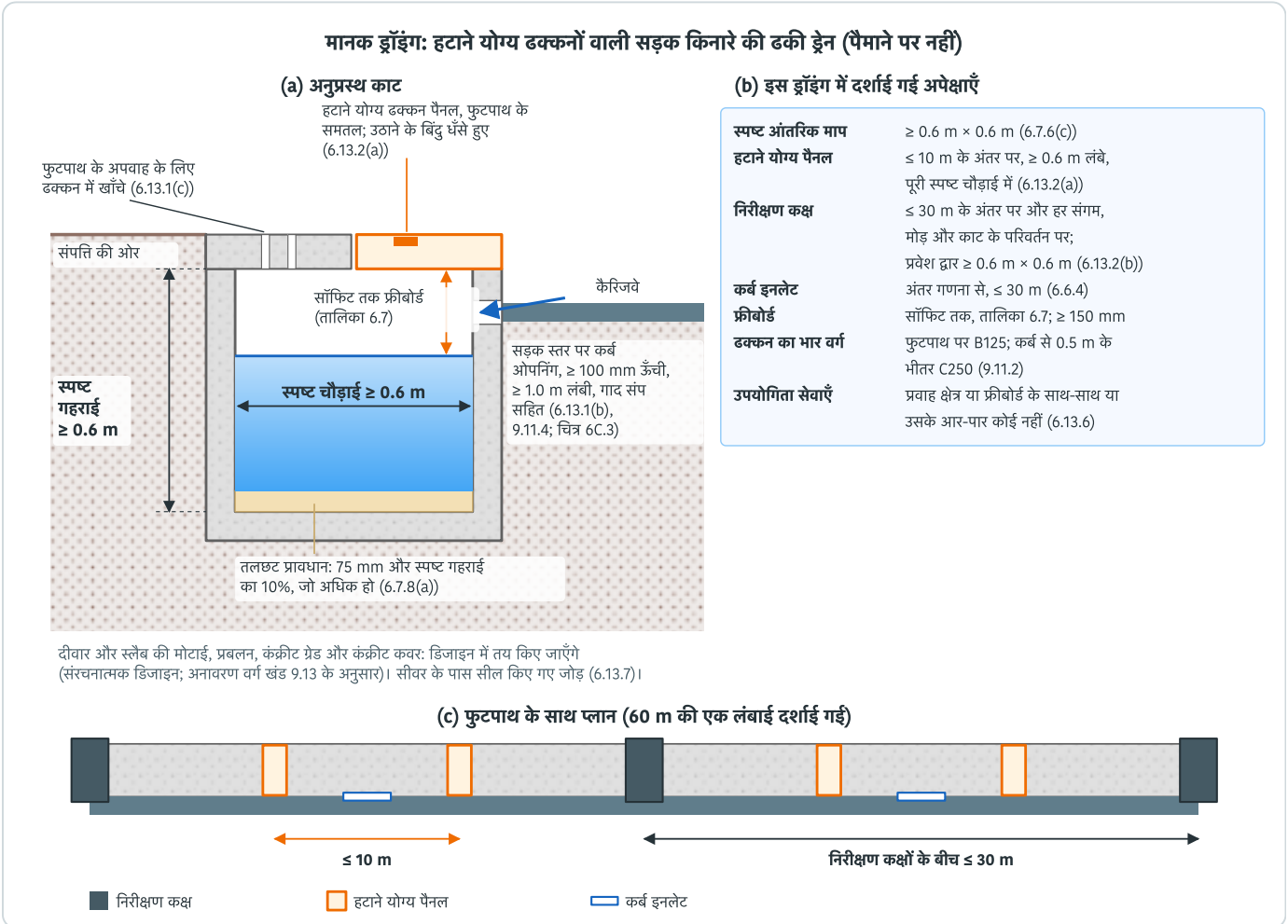

चित्र 6C.1 — मानक ड्रॉइंग: हटाने योग्य ढक्कनों वाली ढकी सड़क किनारे की ड्रेन, सड़क स्तर पर कर्ब इनलेट, फुटपाथ में स्लॉट, सॉफिट तक फ्रीबोर्ड और तलछट प्रावधान, तथा फुटपाथ के साथ ढक्कन पैनलों और निरीक्षण कक्षों का प्लान। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), Chapter 5, और IRC:SP:50-2013 से रूपांतरित।

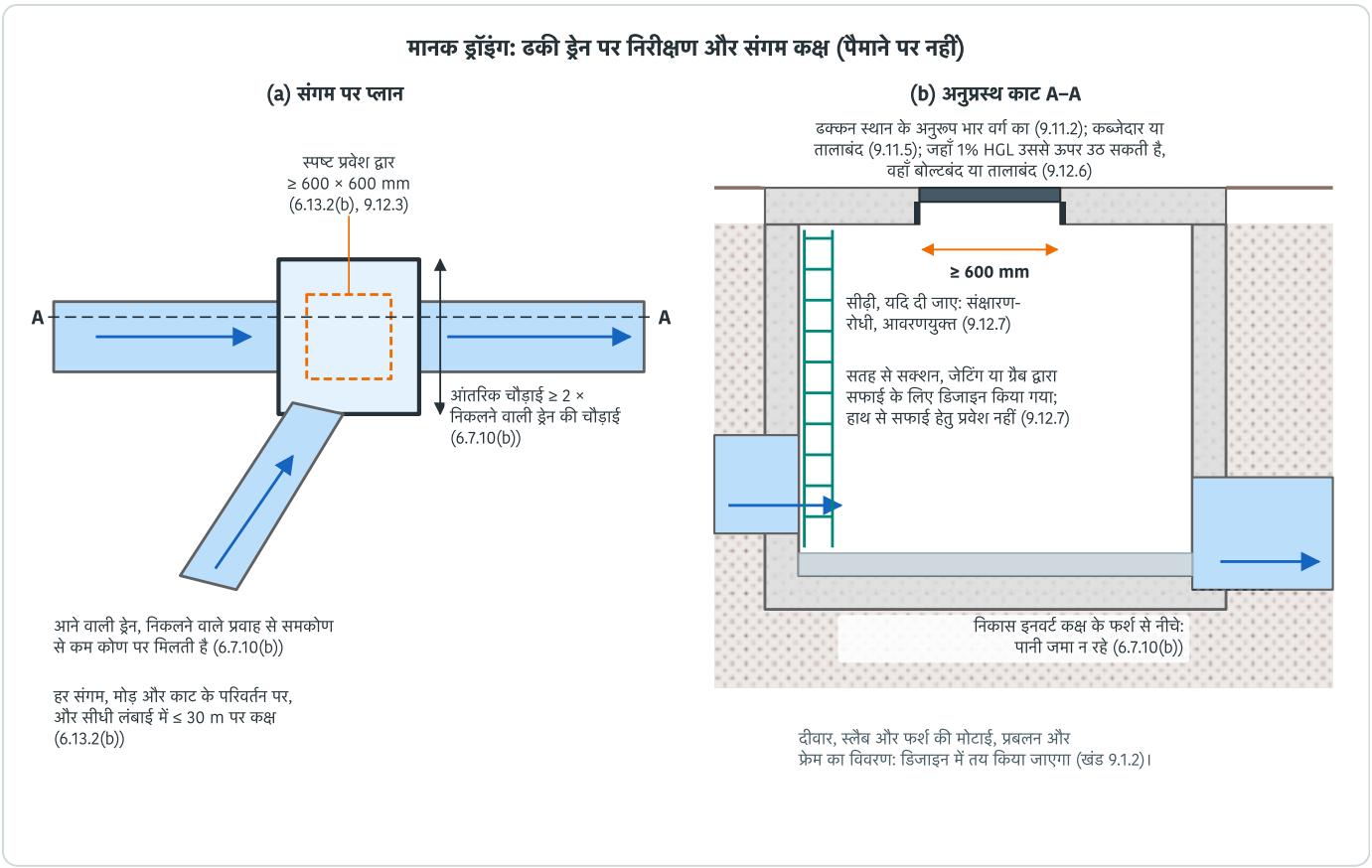

चित्र 6C.2 — मानक ड्रॉइंग: ढकी ड्रेन पर निरीक्षण और संगम कक्ष, स्पष्ट प्रवेश द्वार, संगम की चौड़ाई, आने वाली ड्रेन का प्रवेश कोण, कक्ष के फर्श से नीचे जाने वाला इनवर्ट, और ढक्कन की अपेक्षाओं सहित। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), §5.3.4 और Chapter 11 से रूपांतरित।

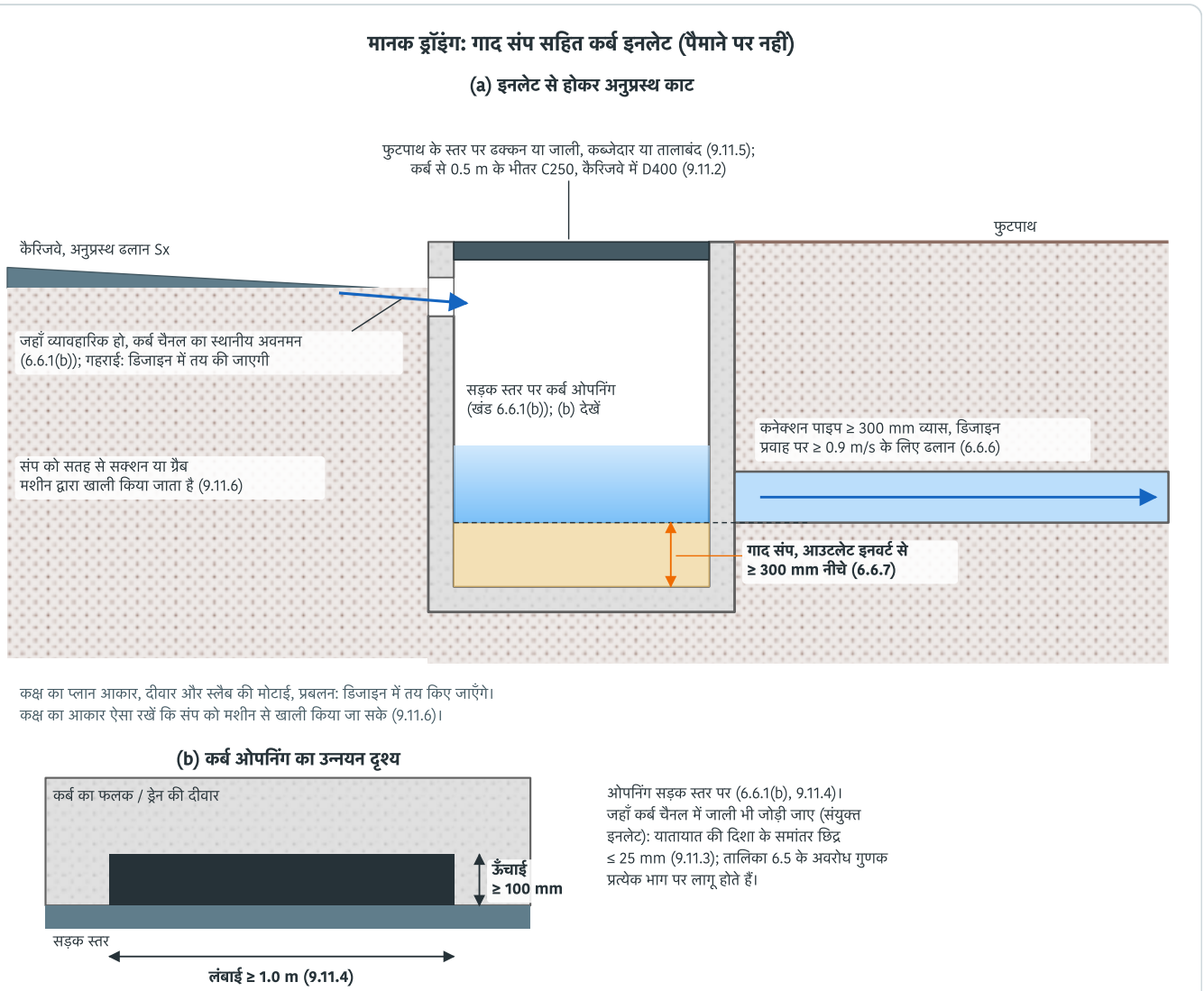

चित्र 6C.3 — मानक ड्रॉइंग: सड़क स्तर पर गाद संप, कनेक्शन पाइप और ढक्कन सहित कर्ब इनलेट, और कर्ब ओपनिंग का उन्नयन (elevation)। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), Figure 5.9, और FHWA, HEC-22 Urban Drainage Design Manual (4th ed., 2024) से रूपांतरित।

तालिका 6C.1 — मानक ड्रॉइंग पर आयाम और उनके स्रोत खंड

ड्रॉइंग	मद	आयाम या नियम	खंड
6C.1	ढकी सार्वजनिक ड्रेन का स्पष्ट आंतरिक आकार	कम से कम 0.6 m चौड़ी और 0.6 m गहरी	6.7.6(c)
6C.1	ढक्कन के सॉफिट तक फ्रीबोर्ड	तालिका 6.7; किसी भी सड़क किनारे की ड्रेन के लिए 150 mm से कम नहीं	6.7.9, 6.13.1(a)
6C.1	तलछट प्रावधान	75 mm और स्पष्ट गहराई के 10% में से जो अधिक हो	6.7.8(a)
6C.1	हटाने योग्य ढक्कन पैनल	केंद्र से केंद्र 10 m से अधिक नहीं; प्रत्येक कम से कम 0.6 m लंबा और पूरी स्पष्ट चौड़ाई को ढकने वाला; धँसे हुए उठाने के बिंदु; फुटपाथ के समतल	6.13.2(a)
6C.1	फुटपाथ का अपवाह	ढक्कन में स्लॉट या जालीदार ओपनिंग के माध्यम से	6.13.1(c)

ड्रॉइंग	मद	आयाम या नियम	खंड
6C.1	कर्ब इनलेट	ड्रेन की दीवार में सड़क स्तर पर ओपनिंग, प्रत्येक में गाद संप; दूरी गणना द्वारा, 30 m से अधिक नहीं	6.13.1(b), 6.6.4
6C.1, 6C.2	निरीक्षण कक्ष	प्रत्येक संगम, मोड़ और खंड-परिवर्तन पर, और सीधे खंडों पर केंद्र से केंद्र 30 m से अधिक नहीं	6.13.2(b)
6C.2	स्पष्ट प्रवेश द्वार	कम से कम 0.6 m × 0.6 m (600 mm)	6.13.2(b), 9.12.3
6C.2	संगम कक्ष	आंतरिक चौड़ाई बाहर जाने वाली ड्रेन की चौड़ाई से कम से कम दोगुनी; आने वाली ड्रेन समकोण से कम कोण पर; बाहर जाने वाला इनवर्ट कक्ष के फर्श से नीचे	6.7.10(b)
6C.2	ढक्कन	स्थान के अनुसार भार वर्ग; कब्जेदार या ताला-बंद; जहाँ 1% AEP HGL ढक्कन से ऊपर उठ सकती है वहाँ बोल्ट से कसे या ताला-बंद	9.11.2, 9.11.5, 9.12.6
6C.2	सफाई	सतह से मशीन द्वारा; सीढ़ियाँ, जहाँ लगाई जाएँ, संक्षारण-रोधी और आवरणयुक्त	9.12.7
6C.3	कर्ब ओपनिंग	सड़क स्तर पर; स्पष्ट ऊँचाई कम से कम 100 mm; लंबाई कम से कम 1.0 m	6.6.1(b), 9.11.4
6C.3	गाद संप	आउटलेट पाइप के इनवर्ट से कम से कम 300 mm नीचे; सक्शन या ग्रैब मशीन से खाली किया जाए	6.6.7, 9.11.6
6C.3	कनेक्शन पाइप	कम से कम 300 mm व्यास; डिजाइन प्रवाह पर कम से कम 0.9 m/s	6.6.6
6C.3	संयुक्त इनलेट में जाली	यातायात के समानांतर ओपनिंग 25 mm से अधिक चौड़ी नहीं; प्रत्येक भाग पर तालिका 6.5 का अवरोध	9.11.3, 6.6.3
सभी	दीवार और स्लैब की मोटाई, सुदृढ़ीकरण, कंक्रीट ग्रेड और कंक्रीट आवरण, कक्ष का प्लान आकार, कर्ब चैनल अवनमन की गहराई	डिजाइन में पुष्टि की जानी है	9.1.2, 9.13

प्रपत्र 6-1 — वहन डिजाइन रिपोर्ट जाँच-सूची

अध्याय 6 के खंड 6.15 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. सांविधिक उपयोग के लिए नहीं।

इस जाँच-सूची को वहन डिजाइन रिपोर्ट के आरंभ में संलग्न करें। प्रत्येक मद के लिए हाँ, नहीं या लागू नहीं लिखें, और वह ड्रॉइंग या पृष्ठ लिखें जहाँ वह दिखाया गया है।

भाग A — परियोजना

तालिका 6F.1 — प्रपत्र 6-1, भाग A: परियोजना

क्षेत्र	प्रविष्टि
परियोजना का नाम और स्थान	_____
स्थानीय निकाय, और टियर A या टियर B (अध्याय 1)	_____
आवेदक	_____
डिजाइनकर्ता (नाम और पंजीकरण)	_____
सेवित कुल जलग्रहण क्षेत्र (ha)	_____
10% AEP लघु प्रणाली के लिए उच्च-घनत्व क्षेत्र की स्थिति (खंड 6.4.4)	_____
खंड 6.11.6 की तटीय पट्टी के भीतर (हाँ / नहीं)	_____
तिथि और संशोधन	_____

भाग B — खंड 6.15 द्वारा अपेक्षित विषय-वस्तु

तालिका 6F.2 — प्रपत्र 6-1, भाग B: खंड 6.15 द्वारा अपेक्षित विषय-वस्तु

क्र.	मद	खंड	प्रस्तुत (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	ड्रॉइंग या पृष्ठ
1	जलग्रहण क्षेत्र का नक्शा: उप-जलग्रहण क्षेत्र, लघु प्रणाली, इनलेट के स्थान और 1% AEP प्रमुख प्रणाली के सतही प्रवाह मार्ग	6.3.2		
2	प्रत्येक अवयव के लिए लिया गया भूमि-उपयोग और सड़क-वर्ग AEP, और उच्च-घनत्व क्षेत्र की स्थिति	तालिका 6.1, 6.4.4		
3	अध्याय 2 के वर्षा पत्रक और अध्याय 3 की विधि सहित डिजाइन प्रवाह	6.3.4		
4	लघु, जाँच और 1% घटनाओं के लिए कर्ब चैनल फैलाव, गहराई और D·V की जाँच	तालिका 6.2, 6.3		
5	इनलेट अनुसूची: स्वच्छ क्षमता, अवरोध गुणक, डिजाइन क्षमता और बाईपास प्रवाह	6.6		
6	पाइप और ड्रेन डिजाइन तालिकाएँ: n, वेग, तलछट प्रावधान और फ्रीबोर्ड	6.7		

क्र.	मद	खंड	प्रस्तुत (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	ड्रॉइंग या पृष्ठ
7	लघु और जाँच घटनाओं के लिए HGL प्रोफाइल, प्रयुक्त टेलवाटर सहित	6.8		
8	निचले बिंदुओं पर जल रुकने के स्तर, पूर्ण-अवरुद्ध जाँच सहित	6.10		
9	प्रत्येक भवन के लिए फर्श-स्तर अनुसूची	6.11		
10	पुलिया और क्रॉसिंग की गणनाएँ (प्रपत्र 9-1 सहित)	6.12, अध्याय 9		
11	उपयोगिता-क्रॉसिंग अनुसूची और ढकी ड्रेन के लिए प्रवेश द्वारों का लेआउट	6.13		

भाग C — डिजाइन आधार

तालिका 6F.3 — प्रपत्र 6-1, भाग C: डिजाइन आधार

क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
लिया गया लघु प्रणाली डिजाइन AEP	_____	तालिका 6.1
सड़क वर्ग और सड़क जल निकासी तथा क्रॉसिंग के लिए डिजाइन / जाँच AEP	_____	तालिका 6.1, 6.4.2
वर्षा का स्रोत और लगाया गया जलवायु गुणक	_____	6.3.4, अध्याय 2
विधि: रेशनल विधि (जलग्रहण क्षेत्र ≤ 16 ha, एकल अवयव) या रूटिंग सहित हाइड्रोग्राफ विधि	_____	6.3.4(a), (b)
प्रयुक्त न्यूनतम सांद्रण समय (10 मिनट से कम नहीं)	_____	6.3.4(c)
HGL के लिए आउटफॉल पर टेलवाटर (ज्वारीय आउटफॉल पर MHWS + 0.3 m, या प्राप्तकर्ता का स्तर)	_____	6.8.2
प्राकृतिक जलग्रहण क्षेत्रों के बीच प्रवाह का कोई स्थानांतरण (6.3.5 के अंतर्गत स्वीकार किए जाने के सिवाय कोई नहीं)	_____	6.3.5

भाग D — अनुपालन जाँचें

तालिका 6F.4 — प्रपत्र 6-1, भाग D: अनुपालन जाँचें

क्र.	जाँच	सीमा	खंड	अनुपालन (हाँ / नहीं / लागू नहीं)
D1	प्रत्येक इनलेट, निचले बिंदु, पाइप, ड्रेन, पुलिया और भंडारण अवयव का 1% AEP सतही मार्ग है	नक्शे पर दर्शाया गया	6.3.2	
D2	प्रमुख प्रणाली का प्रवाह = 1% AEP चरम प्रवाह घटा अवरोध के बाद लघु प्रणाली की क्षमता	प्रत्येक बिंदु पर परिकलित	6.3.3	
D3	लघु घटना में फैलाव	तालिका 6.2	6.5.2	
D4	जाँच और 1% घटनाओं में गहराई	सड़क के शीर्ष पर ≤ 150 mm; सबसे गहरे बिंदु पर ≤ 350 mm	तालिका 6.2	
D5	स्थान के अनुसार प्रवाह जोखिम (D·V)	तालिका 6.3	6.5.3	
D6	इनलेट अवरोध गुणक लगाए गए	तालिका 6.5	6.6.3	
D7	कर्बयुक्त सड़कों पर इनलेट की दूरी	≤ 30 m	6.6.4(a)	

क्र.	जाँच	सीमा	खंड	अनुपालन (हाँ / नहीं / लागू नहीं)
D8	निचले बिंदु के इनलेट की डिजाइन क्षमता ≥ पहुँचने वाला लघु डिजाइन प्रवाह; जहाँ अपेक्षित हो वहाँ पार्श्व इनलेट	—	6.6.5	
D9	इनलेट कनेक्शन पाइप और गाद संप	≥ 300 mm व्यास, ≥ 0.9 m/s; संप ≥ 300 mm	6.6.6, 6.6.7	
D10	मैनिंग n न्यूनतम डिजाइन मानों से कम नहीं	तालिका 6.6	6.7.2	
D11	लघु डिजाइन प्रवाह पर न्यूनतम वेग	ड्रेन 0.6 m/s; पाइप 0.9 m/s	6.7.3(a)	
D12	अधिकतम वेग और फ्रूड संख्या	पक्की ड्रेन और पाइप 3.0 m/s; Fr ≤ 0.8	6.7.3(b), (d)	
D13	जहाँ न्यूनतम वेग प्राप्त न हो सके: वेग दर्ज, तलछट प्रावधान दोगुना, गाद निकासी के लिए पहुँच का प्रावधान	—	6.7.4	
D14	पाइप का आकार पूर्ण-भरे पाइप की क्षमता के लिए, 0.95-गहराई के चरम के लिए नहीं	—	6.7.5	
D15	न्यूनतम आकार	पाइप 300 mm (सार्वजनिक मुख्य पाइप 450 mm); खुली ड्रेन का तल 0.3 m; ढकी सार्वजनिक ड्रेन 0.6 m × 0.6 m	6.7.6	
D16	पाइप के ऊपर मिट्टी का आवरण; जहाँ भूजल पाइप के शीर्ष से 1 m के भीतर हो वहाँ उत्प्लावन जाँच	≥ 0.6 m; कैरिजवे के नीचे ≥ 0.9 m	6.7.7	
D17	क्षमता में तलछट प्रावधान	6.7.8 के मान	6.7.8	
D18	फ्रीबोर्ड, मोड़ों पर अधि-उन्नयन सहित	तालिका 6.7	6.7.9	
D19	मोड़ों की त्रिज्या और संगम संप	6.7.10	6.7.10	
D20	सीधे खंडों पर मैनहोल की दूरी	तालिका 6.8	6.7.11	
D21	लघु घटना में HGL इनलेट रिम और मैनहोल ढक्कन से नीचे	≥ 0.3 m	6.8.3	
D22	भूमि से ऊपर सरचार्ज हो सकने वाले मैनहोल: बोल्ट से कसे या ताला-बंद ढक्कन	—	6.8.4	
D23	सॉफिट मिलाए गए या बाहर जाने वाला सॉफिट नीचे; बाहर जाने वाला इनवर्ट सबसे निचले आने वाले इनवर्ट से ऊपर नहीं	—	6.8.6	
D24	गेट और वाल्व की हानियाँ HGL में सम्मिलित; जहाँ अपेक्षित हो वहाँ निजी कनेक्शनों पर नॉन-रिटर्न वाल्व	—	6.8.7, 6.8.8	
D25	सड़कों से बाहर सतही प्रवाह मार्ग: चौड़ाई, स्वामित्व, कोई बाधा नहीं, सतत ढलान	≥ 1% शीर्ष चौड़ाई + प्रत्येक ओर 0.5 m, ≥ 3.0 m	6.9.2	
D26	मानचित्रित प्रवाह मार्गों के आर-पार चारदीवारी: ओपनिंग 50% अवरोध पर 1% प्रवाह पारित करें	—	6.9.3	
D27	≥ 2 m शीर्ष चौड़ाई वाली खुली ड्रेन के साथ पहुँच पट्टी	≥ 3.5 m, ≤ 500 m पर सड़क से जुड़ी	6.9.4	

क्र.	जाँच	सीमा	खंड	अनुपालन (हाँ / नहीं / लागू नहीं)
D28	जहाँ अपेक्षित हो वहाँ जल निकासी आरक्षित पट्टी: चौड़ाई, अलग भूखंड, कोई संरचना नहीं, चिह्नक, सेवाएँ, 2 m स्थिरता जाँच	तालिका 6.9	6.9.6–6.9.8	
D29	1% घटना में निचले बिंदु पर जल का रुकना, अतिप्रवाह मार्ग, और पूर्ण-अवरुद्ध जाँच	सबसे गहरे बिंदु पर ≤ 350 mm	6.10.2, 6.10.3	
D30	बंद निचले बिंदु और सड़क अंडरपास	6.10.4, 6.10.5	6.10.4, 6.10.5	
D31	फर्श स्तर	≥ 1% AEP स्तर + 0.5 m; जहाँ कोई स्तर परिकलित न हो वहाँ 6.11.3 के डिफॉल्ट	6.11.1–6.11.3	
D32	बेसमेंट और भवन सेवाएँ	6.11.4, 6.11.5	6.11.4, 6.11.5	
D33	तटीय पट्टी: फर्श ≥ 1% स्थिर जल स्तर + 2 × SLA (+ जहाँ लागू हो लहर उत्थान) + 0.5 m; बेसमेंट में कोई कक्ष या संयंत्र नहीं	—	6.11.6	
D34	पुलिया: डिजाइन AEP, ऊपर से बहना, 50% / 20% अवरोध जाँच, न्यूनतम आकार	≥ 900 mm	6.12	
D35	ढकी ड्रेन: हटाने योग्य पैनल और निरीक्षण कक्ष	≤ 10 m; ≤ 30 m	6.13.1, 6.13.2	
D36	गाद-जाल, बाईपास सहित जाली और 50% अवरोध जाँच	—	6.13.3, 6.13.4	
D37	ड्रेन के ऊपर कोई भवन नहीं; प्रवाह क्षेत्र या फ्रीबोर्ड में कोई उपयोगिता सेवा नहीं; विद्यमान क्रॉसिंग 50% अवरोध सहित घटाई गईं	—	6.13.5, 6.13.6	
D38	कोई सीवेज कनेक्शन नहीं; सीवर के पास सीलबंद जोड़; 1.0 m से अधिक गहरी खुली ड्रेन पर किनारा सुरक्षा	—	6.13.7, 6.13.8	
D39	आउटफॉल: टेलवाटर, 1% स्थिर जल स्तर से नीचे फ्लैप गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व, आउटलेट सुरक्षा	—	6.14	

भाग E — विचलन

तालिका 6F.5 — प्रपत्र 6-1, भाग E: विचलन

खंड	पूरी न की गई अपेक्षा	कारण और प्रस्तावित विकल्प	अनुमोदनकर्ता और तिथि
_____	_____	_____	_____

भाग F — हस्ताक्षर

रिपोर्ट एक पंजीकृत पेशेवर द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित की जाएगी, और पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3) संलग्न किया जाएगा (अध्याय 10 के खंड 10.6.1 और 10.6.3)। जहाँ कोई संरचना जल निकासी आरक्षित पट्टी के किनारे से 2 m के भीतर स्थित हो, वहाँ स्थिरता डिजाइन पर एक योग्य संरचनात्मक अभियंता के हस्ताक्षर भी होंगे (खंड 6.9.8(f))।

तालिका 6F.6 — प्रपत्र 6-1, भाग F: हस्ताक्षर

भूमिका	नाम	पंजीकरण या सूचीबद्धता संख्या	हस्ताक्षर	तिथि
डिजाइनकर्ता	_____	_____	_____	_____
संरचनात्मक अभियंता (खंड 6.9.8(f), जहाँ लागू हो)	_____	_____	_____	_____

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

अध्याय 7 के परिशिष्ट

जलाशय, तालाब (पोखर) और सेटबैक

ये परिशिष्ट अध्याय 7 के लिए हैं। इनमें सूची के क्षेत्रों का विनिर्देश, नियत-चौड़ाई सेटबैक तालिका, प्रचालन नियम का एक टेम्पलेट, गाद निकालने और पुनर्स्थापन का विनिर्देश, जलाशयों के हिन्दी और राजस्थानी शब्दों की शब्दावली, और वे तीन प्रपत्र दिए गए हैं जिनकी अपेक्षा खंड 7.15 करता है। जहाँ कोई परिशिष्ट अभी पूरा नहीं किया जा सकता, वहाँ वह यह बताता है और तब तक उपयोग किया जाने वाला नियम देता है। प्रपत्र प्रारूप प्रपत्र हैं; टेम्पलेट और आदर्श पाठ सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु हैं और प्रवृत्त नहीं हैं।

परिशिष्ट 7A — राज्यव्यापी जलाशय GIS परत और सूची के क्षेत्र

अध्याय 7 के खंड 7.3.1, 7.3.3 और 7.3.5 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में खंड 7.3.1 द्वारा अपेक्षित जलाशयों की राज्यव्यापी GIS परत होगी, जिसे प्रत्येक प्राधिकारी WRD और राजस्व विभाग के साथ तैयार करेगा। इसके लिए निम्नलिखित की आवश्यकता है: राजस्व विभाग के राजस्व अभिलेख और खसरा नक्शे, जिनमें तालाब (talab), जोहड़ (johad), नाडियाँ (nadi), नाले (nala) और नदियाँ (river), और जहाँ अभिलिखित हों वहाँ तालाबों और पोखरों के जलग्रहण क्षेत्र, गैर मुमकिन (gair mumkin) तालाब, नदी या नाला के रूप में या भूमि की ऐसी अन्य श्रेणियों में दर्ज हैं जिनमें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अंतर्गत खातेदारी (khatedari) अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते; राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 68 के अंतर्गत किसी नगरपालिका में निहित सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, जलाशय, ड्रेनें और जलमार्ग; झीलों का अभिलेख, उनकी सीमाओं और बहाव क्षेत्रों सहित, और राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015 के अंतर्गत अधिसूचित झील की सीमाएँ और संरक्षित क्षेत्र (इस मैनुअल के लिए कोई नहीं मिला); मास्टर विकास योजनाओं (Master Development Plans) में दर्शाए गए जलाशय, नाले और जलग्रहण क्षेत्र; उच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत किए गए जलग्रहण क्षेत्र सर्वेक्षण, जैसे रामगढ़ बाँध का; उच्चतम न्यायालय के 7 अगस्त 2026 के आदेश के अंतर्गत सीमांकन हो जाने पर प्रत्येक नदी की उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और पारिस्थितिक बफर; आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017 के अंतर्गत अधिसूचित प्रत्येक आर्द्रभूमि की और चार रामसर स्थलों की सीमा; और 1 जून 2026 को उच्च न्यायालय द्वारा आदेशित आर्द्रभूमि सर्वेक्षण; FTL और MWL के साथ WRD और ग्राम पंचायत के तालाब रजिस्टर; एक साझा डेटम पर सर्वेक्षित स्तर; ISRO की राष्ट्रीय आर्द्रभूमि सूची और आकलन (NRSC); भारतीय सर्वेक्षण विभाग के स्थलाकृतिक मानचित्र; और न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत प्रकाशित जलाशयों की कोई सूची। इसके प्रकाशित होने तक, प्रत्येक आवेदक खंड 7.3.3 के सभी स्रोतों से जलाशयों की पहचान करता है, जिसमें बड़ा विस्तार लागू होता है, और उन्हें जलाशय पत्रक (प्रपत्र 7-1) पर अभिलिखित करता है।

नीचे दिया गया क्षेत्र-विनिर्देश पूर्ण है। इसे इस प्रकार लिखा गया है कि अध्याय जिस भी क्षेत्र की अपेक्षा करता है (खंड 7.3.1(a) से (g)) उसका एक परिभाषित नाम, प्रकार और स्रोत हो, और वही क्षेत्र किसी परियोजना के प्रपत्र 7-1 से भरे जा सकें।

7A.1 परतें

- **WB_POLY** — प्रत्येक जलाशय के लिए एक बहुभुज: राजस्व अभिलेख की सीमा (खंड 7.3.1(c))।

- **WB_FTL** — सर्वेक्षित FTL समोच्च रेखा (तालाब, झीलें, पोखर) या किनारे का शीर्ष (चैनल), बहुभुज या रेखा के रूप में।
- **WB_MWL** — प्रत्येक तालाब की MWL समोच्च रेखा, बहुभुज के रूप में।
- **WB_FLOOD** — जहाँ मानचित्रित हो, 1% AEP बाढ़ का विस्तार (खंड 7.3.1(f)), जहाँ निर्धारित हो वहाँ बाढ़ मार्ग सहित (खंड 7.6.1)।
- **WB_STRUCT** — सरप्लस वियरों, स्लूइसों, रेगुलेटरों, इनलेटों और ड्रेन आउटफॉलों के बिंदु।
- **WB_LINK** — आपूर्ति चैनलों, अतिरिक्त जल मार्गों और किसी शृंखला में तालाबों के बीच के संपर्कों की रेखाएँ (खंड 7.3.1(e))।
- **WB_ENCR** — ज्ञात अतिक्रमणों के बहुभुज, प्रत्येक अभिलिखित करने की तिथि सहित (खंड 7.3.1(g))।
- **WB_SETBACK** — जोन 1 और जोन 2 के बहुभुज (खंड 7.4), ऊपर की परतों से व्युत्पन्न।

सभी परतों में जलाशय पहचानकर्ता (WB_ID) होगा ताकि उन्हें जोड़ा जा सके। सभी स्तर एक ही डेटम पर बताए जाएँगे (खंड 7.3.5), जिसका नाम परत के मेटाडेटा में दिया जाएगा।

तालिका 7A.1 — जलाशय सूची के गुण क्षेत्र (WB_POLY)

क्षेत्र	प्रकार	इकाई / डोमेन	अनिवार्य	विषय-वस्तु	खंड
WB_ID	पाठ	जिला कोड + क्रम संख्या	हाँ	अद्वितीय पहचानकर्ता, कभी दोबारा उपयोग नहीं	7.3.1
WB_NAME	पाठ	—	हाँ	राजस्व और WRD अभिलेखों के अनुसार नाम, स्थानीय नाम सहित	7.3.1(a)
WB_NAME_HI	पाठ	देवनागरी लिपि	हाँ	हिन्दी में नाम	7.3.1(a)
WB_TYPE	कोड	तालिका 7A.2	हाँ	जलाशय का प्रकार	7.2, 7.3.1(a)
SURVEY_NOS	पाठ	गाँव, सर्वे और उप-विभाजन संख्याएँ	हाँ	जलाशय की राजस्व सर्वे संख्याएँ	7.3.1(a)
VILLAGE	पाठ	—	हाँ	राजस्व गाँव, तहसील और जिला	7.3.1(a)
CUSTODIAN	कोड	तालिका 7A.2	हाँ	अभिरक्षक निकाय	7.3.1(b)
AREA_REC	संख्या	ha	हाँ	राजस्व अभिलेख सीमा के भीतर का क्षेत्रफल	7.3.1(c)
AREA_FTL	संख्या	ha	तालाब	FTL पर जल-फैलाव क्षेत्र, सर्वेक्षित	7.2, 7.3.1(d)
FTL	संख्या	m (डेटम)	तालाब	तालाब का पूर्ण जल स्तर	7.3.1(d)
MWL	संख्या	m (डेटम)	तालाब	अधिकतम जल स्तर (खंड 7.2 की परिभाषा)	7.3.1(d)
MWL_BASIS	कोड	WRD का अभिलेख / परिकलित 1% AEP	तालाब	MWL के लिए कौन-सा मान लागू है	7.2
TBL	संख्या	m (डेटम)	तालाब	बाँध का शीर्ष स्तर, सबसे निचला बिंदु	7.3.1(d)
WEIR_CREST	संख्या	m (डेटम)	तालाब	सरप्लस वियर का शिखर स्तर	7.3.1(d)
WEIR_LEN	संख्या	m	तालाब	सरप्लस वियर के शिखर की लंबाई	7.3.1(d)
WEIR_TYPE	पाठ	—	तालाब	सरप्लस वियर का प्रकार (उदाहरण के लिए नियत शिखर, शटर या फॉलिंग बोर्ड सहित)	7.3.1(d)
SLUICE_N	पूर्णांक	—	तालाब	स्लूइसों की संख्या; विवरण WB_STRUCT में	7.3.1(d)
SUPPLY_CH	पाठ	WB_ID(s)	तालाब	तालाब को पानी देने वाले आपूर्ति चैनल	7.3.1(d)

क्षेत्र	प्रकार	इकाई / डोमेन	अनिवार्य	विषय-वस्तु	खंड
SURPLUS_CS	पाठ	WB_ID(s)	तालाब	तालाब से निकलने वाले अतिरिक्त जल मार्ग	7.3.1(d)
UPSTR_WB	पाठ	WB_ID(s)	शृंखलाएँ	शृंखला में प्रतिप्रवाह के तालाब	7.3.1(e)
DNSTR_WB	पाठ	WB_ID	शृंखलाएँ	अनुप्रवाह का तालाब, नदी, ड्रेन या समुद्री आउटफॉल	7.3.1(e)
CATCH_AREA	संख्या	ha	चैनल	भाग (reach) के अनुप्रवाह छोर पर जल निकासी क्षेत्र (खंड 7.4.1(b) और तालिका 7.1 के 8 ha प्रारंभक मान के लिए)	7.4.1
DATUM	पाठ	—	हाँ	सभी स्तरों का डेटम; WRD के किसी पुराने डेटम से रूपांतरण	7.3.5
LEVEL_DATE	तिथि	—	तालाब	स्तर सर्वेक्षण की तिथि	7.7.1(a)
SSC_DATE	तिथि	—	तालाब	नवीनतम जल स्तर–भंडारण सर्वेक्षण की तिथि	7.7.1(b)
FLOOD_SRC	कोड	अंगीकृत मानचित्र / साइट अध्ययन / कोई नहीं	हाँ	1% AEP विस्तार का स्रोत	7.3.4
FLOODWAY	कोड	निर्धारित / संपूर्ण 1% विस्तार / MWL से नीचे	हाँ	बाढ़ मार्ग का आधार	7.6.1
ENCR_KNOWN	कोड	हाँ / नहीं	हाँ	ज्ञात अतिक्रमण; विवरण WB_ENCR में	7.3.1(g)
CREDITED	कोड	हाँ / नहीं	तालाब	खंड 7.7 के अंतर्गत गिना गया भंडारण, योजना के संदर्भ सहित	7.7.1
WETLAND	कोड	अधिसूचित / सूचीबद्ध / अन्य	आर्द्रभूमियाँ	खंड 7.12.1 के अंतर्गत स्थिति	7.12.1
SOURCES	पाठ	—	हाँ	प्रयुक्त स्रोत, खंड 7.3.3(a) से (e) की सूची में से	7.3.3
UPDATED	तिथि	—	हाँ	अंतिम संपादन की तिथि, और किसके द्वारा	7.3.1

तालिका 7A.2 — कोड सूचियाँ

कोड सूची	मान	खंड
WB_TYPE	नदी या सूखा नदी-तल; प्राकृतिक ड्रेन या नाला; नहर; झील, सागर या जलाशय; तालाब या पोखर (talab, johad, nadi); बावड़ी या कुंड; टाँका; खड़ीन; खारी झील, प्लाया या अंतःस्थलीय गर्त; दलदल या निचली गीली भूमि; डूब क्षेत्र की आर्द्रभूमि या निचला गड्ढा; परित्यक्त खदान या मिट्टी निकालने का गड्ढा (borrow pit); आपूर्ति चैनल; अतिरिक्त जल मार्ग	7.2
CUSTODIAN	नगर निगम, नगर परिषद या नगरपालिका बोर्ड (नगरपालिका अधिनियम की धारा 68); विकास प्राधिकरण या UIT; WRD (मंडल); झील विकास प्राधिकरण (झील अधिनियम, 2015); कलक्टर या तहसीलदार के माध्यम से राज्य सरकार (गैर मुमकिन तालाब, नदी या नाला; तालाब-तल की भूमि); ग्राम पंचायत; राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (अधिसूचित आर्द्रभूमि); RIICO; निजी स्वामी; अन्य (नाम)	7.3.1(b)
संरचना (WB_STRUCT)	सरप्लस वियर; स्लूइस; रेगुलेटर; इनलेट; ड्रेन आउटफॉल; स्थूल प्रदूषक जाल; क्रॉसिंग	7.3.1(d), 7.10
अतिक्रमण (WB_ENCR)	भवन; भराई; सड़क; दीवार; कचरा डालना; खेती; अन्य — प्रत्येक अभिलिखित करने की तिथि, क्षेत्रफल (m^2) और स्रोत सहित	7.3.1(g), 7.13

तालिका 7A.3 — संरचनाओं के गुण क्षेत्र (WB_STRUCT)

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	विषय-वस्तु	खंड
STR_ID	पाठ	—	अद्वितीय पहचानकर्ता	7.3.1(d)
WB_ID	पाठ	—	सेवित जलाशय	7.3.1(d)
STR_TYPE	कोड	तालिका 7A.2	संरचना का प्रकार	7.3.1(d)
CREST_SILL	संख्या	m (डेटम)	वियर का शिखर या स्लूइस का सिल स्तर	7.7.1(a)
LENGTH_SIZE	पाठ	m	वियर के शिखर की लंबाई, या स्लूइस के खुले भाग का आकार	7.7.1(a)
GATED	कोड	हाँ / नहीं	नियंत्रणीय आउटलेट (बाढ़ कुशन के लिए आवश्यक, खंड 7.8.2(a))	7.8.2
CONDITION	कोड	सेवा योग्य / दोषपूर्ण	नवीनतम मानसून-पूर्व निरीक्षण का परिणाम, तिथि सहित	7.7.1(d), 7.14.4

परिशिष्ट 7B — नियत-चौड़ाई सेटबैक तालिका (विकल्प S-3, परिशिष्ट 1C के साथ)

अध्याय 7 के खंड 7.3.4, 7.4.3, 7.4.6 और 7.4.7 के लिए, और नीति अनुपूरक (परिशिष्ट 1C) के विकल्प S-3 के लिए।

7B.1 तालिका का उपयोग कब किया जा सकता है

नियत-चौड़ाई सेटबैक का उपयोग केवल वहीं किया जा सकता है जहाँ निम्नलिखित सभी लागू हों:

- (a) प्राधिकारी ने जलाशय के लिए 1% AEP बाढ़ विस्तार मानचित्र अंगीकार नहीं किया है (खंड 7.3.4);
- (b) खंड 7.3.4 आवेदक से हाइड्रोलिक अध्ययन द्वारा 1% AEP विस्तार निर्धारित करने की अपेक्षा नहीं करता: साइट बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में नहीं है, किसी जलाशय से सटी 1 ha या अधिक की साइट नहीं है, और प्राधिकारी ने अध्ययन की माँग नहीं की है; और
- (c) जलाशय ऐसा है जिस पर सेटबैक लागू होते हैं (खंड 7.4.1): कोई भी अभिलिखित या पाया गया जलाशय, और साइट पर 8 ha या अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाला कोई भी प्राकृतिक चैनल।

जहाँ कोई प्राधिकारी खंड 1.7 के अंतर्गत विकल्प S-3 अंगीकार करता है, वहाँ नीचे की तालिका S-3 तालिका है। खंड 1.7.3(e) S-3 तालिका को राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा जारी किए जाने का प्रावधान करता है। इसके जारी होने तक, मान खंड 7.4.6 के हैं, जिन्हें यहाँ बिना परिवर्तन दोहराया गया है।

तालिका 7B.1 — जलाशय वर्ग के अनुसार नियत-चौड़ाई सेटबैक (विकल्प S-3)

जलाशय वर्ग	साइट पर जल निकासी क्षेत्र	कुल सेटबैक (जोन 1 + जोन 2)	जिसमें से जोन 1	कहाँ से मापा जाए
चैनल, छोटा	8 ha से 65 ha	25 m	15 m	किनारे का शीर्ष (खंड 7.4.3)
चैनल, मध्यम	65 ha से 20 km²	40 m	15 m	किनारे का शीर्ष
चैनल, बड़ा, और नदियाँ	20 km² से अधिक	50 m	20 m	किनारे का शीर्ष
तालाब, झील या पोखर	कोई भी	MWL समोच्च रेखा + 25 m	MWL समोच्च रेखा तक, और FTL से 15 m से कम नहीं	FTL समोच्च रेखा (जोन 1); MWL समोच्च रेखा (कुल)
दलदल, ज्वारनदमुख या पश्चजल	कोई भी	जैसा प्राधिकारी अधिसूचित करे, और 50 m से कम नहीं	15 m	खंड 7.13.1 की जलाशय सीमा

मान खंड 7.4.6 (तालिका 7.1) से। जोन 2 कुल सेटबैक में से जोन 1 घटाकर है।

7B.2 लागू करने के नियम

- (a) **मापन.** नक्शे पर क्षैतिज रूप से, खंड 7.13.1 की सीमा से बाहर की ओर मापें: राजस्व अभिलेख सीमा और सर्वेक्षित FTL (या किनारे का शीर्ष) में से जो बड़ा हो। जहाँ FTL और किनारे का शीर्ष दोनों लागू हों, वहाँ जिससे अधिक चौड़ा जोन बने उसका उपयोग करें (खंड 7.4.3)।
- (b) **जल निकासी क्षेत्र.** किसी चैनल के लिए, साइट से सटे भाग (reach) के अनुप्रवाह छोर पर जल निकासी क्षेत्र का उपयोग करें। जहाँ कोई भाग साइट के भीतर किसी वर्ग-सीमा को पार करता है, वहाँ साइट के भीतर के पूरे भाग पर अधिक चौड़ा सेटबैक लागू करें।
- (c) **दोनों किनारे.** सेटबैक किसी चैनल के प्रत्येक किनारे पर और किसी तालाब, झील, पोखर या दलदल के चारों ओर लागू होता है।
- (d) **इस मैनुअल द्वारा निर्धारित न्यूनतम.** जोन 1 कभी 15 m से कम नहीं होता (खंड 7.4.7)। अधिक चौड़ा सांविधिक या अनुमोदन सेटबैक उन उपयोगों के लिए लागू होता है जिन्हें वह प्रतिबंधित करता है (खंड 7.4.5)।
- (e) **दोनों में से अधिक कठोर.** जहाँ स्वेच्छा से हाइड्रोलिक अध्ययन किया जाता है, वहाँ सेटबैक तालिका 7B.1 और खंड 7.4.3 तथा 7.4.4 में से अधिक चौड़ा होता है।
- (f) **अभिलेख.** सेटबैक का आधार (नियत चौड़ाई) जलाशय पत्रक (प्रपत्र 7-1) पर और अनुमोदन में बताया जाएगा (खंड 7.4, प्रकटन)।
- (g) **समीक्षा.** प्राधिकारी द्वारा 1% AEP बाढ़ मानचित्र अंगीकार किए जाने के 2 वर्ष के भीतर तालिका की समीक्षा की जाएगी (खंड 7.16.1)।

7B.3 चैनल चौड़ाइयों का स्रोत

चैनल चौड़ाइयाँ इस मैनुअल द्वारा 2006 के कैनसस सिटी APWA के डिफॉल्ट धारा बफरों के संदर्भ में निर्धारित की गईं, ऊपर की ओर पूर्णांकित की गईं और 15 m के न्यूनतम पर सीमित की गईं (खंड 7.4.6, भाष्य)। अध्याय में उद्धृत स्रोत मान ये हैं:

तालिका 7B.2 — खंड 7.4.6 में उद्धृत स्रोत बफर (KC APWA 5600, 2006, §5605.3)

जल निकासी क्षेत्र (स्रोत, एकड़)	लगभग SI समतुल्य	स्रोत बफर
40 ac से कम	16 ha से कम	40 ft (12 m)
40–160 ac	16–65 ha	60 ft (18 m)
160–5,000 ac	65 ha – 20 km²	100 ft (30 m)
5,000 ac से अधिक	20 km² से अधिक	120 ft (37 m)

तालिका 7B.1 में 65 ha और 20 km² की वर्ग-सीमाएँ 160 ac और 5,000 ac के SI समतुल्य हैं। 8 ha की निचली सीमा APWA 2025.01 का 20 एकड़ का प्रारंभक मान है (खंड 7.4.1(b))।

परिशिष्ट 7C — तालाब प्रचालन नियम का टेम्पलेट, बाढ़ कुशन सहित

अध्याय 7 के खंड 7.7.1(c), 7.7.3, 7.8 और 7.14.4 के लिए।

सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं. WRD के नियंत्रण वाले तालाबों के लिए, प्रचालन नियम WRD का नियम है (खंड 7.8.4); यह टेम्पलेट वह विषय-वस्तु बताता है जिसकी अपेक्षा खंड 7.8 करता है, ताकि अभिरक्षक के नियम की इससे जाँच की जा सके। वर्गाकार कोष्ठकों में दिया गया पाठ प्रत्येक तालाब के लिए पूरा किया जाना है।

7C.1 पहचान

1. तालाब: [नाम, परिशिष्ट 7A का WB_ID, गाँव, तहसील, जिला]।
2. अभिरक्षक: [WRD मंडल / ULB / ग्राम पंचायत / अन्य]।
3. शृंखला में स्थिति: प्रतिप्रवाह के तालाब [ ]; अनुप्रवाह का तालाब, नदी या ड्रेन [ ]।
4. डेटम: [ ]। सर्वेक्षित स्तर (खंड 7.7.1(a)), सर्वेक्षण की तिथि [ ]: FTL [ ] m; MWL [ ] m; TBL (सबसे निचला बिंदु) [ ] m; सरप्लस वियर का शिखर [ ] m, लंबाई [ ] m; स्लूइस सिल [ ] m।
5. जल स्तर–भंडारण वक्र (खंड 7.7.1(b)): सर्वेक्षण की तिथि [ ]; अनुसूची 1 के रूप में संलग्न।
6. नियंत्रणीय आउटलेट (खंड 7.8.2(a)): [गेटयुक्त स्लूइस / रेगुलेटर / कोई नहीं]; FTL पर क्षमता [ ] m^3/s।

7C.2 प्रयोजन और प्राथमिकता

7. तालाब [[ ] ha के कमान क्षेत्र की सिंचाई / पेयजल आपूर्ति / पुनर्भरण / बाढ़ भंडारण] के लिए है। सिंचाई और जल आपूर्ति प्राथमिक बनी रहती हैं जब तक कि अभिरक्षक अन्यथा अभिलिखित न करे (खंड 7.8.2(d))।

7C.3 वर्ष भर के स्तर और तिथियाँ (खंड 7.8.1(a))

8. तालाब का संचालन तालिका 7C.1 के स्तरों के अनुसार किया जाएगा।

तालिका 7C.1 — अवधि के अनुसार नियम स्तर (प्रत्येक तालाब के लिए पूरी की जानी है)

अवधि	लक्ष्य स्तर (m)	ऊपरी सीमा (m)	निचली सीमा (m)	प्रयोजन
[1 जनवरी – तिथि]	[ ]	FTL	[ ]	सिंचाई / आपूर्ति के लिए पानी रोके रखना
[तिथि – कुशन अवधि का आरंभ]	[ ]	FTL	[ ]	पानी रोके रखना
[बाढ़ कुशन अवधि, यदि कोई हो]	कुशन स्तर [ ]	कुशन स्तर [ ]	[ ]	बाढ़ कुशन (खंड 7.8.2)
[कुशन अवधि का अंत – 31 दिसंबर]	[ ]	FTL	[ ]	फिर से भरना

9. जहाँ कोई बाढ़ कुशन नहीं रखा जाता, वहाँ डिजाइन के लिए प्रारंभिक स्तर FTL है (खंड 7.7.3) और कुशन अवधि वाली पंक्ति हटा दी जाती है।

7C.4 बाढ़ कुशन (खंड 7.8.2)

10. कुशन स्तर: [ ] m, जो FTL से [ ] m नीचे है, जिससे अनुसूची 1 के अनुसार [ ] m^3 का कुशन आयतन मिलता है।
11. तिथियाँ: कुशन [ ] से [ ] तक लागू होता है।
12. जल स्तर घटाना: तालाब का जल स्तर [आउटलेट] से होकर [ ] घंटों में FTL से कुशन स्तर तक घटाया जा सकता है, ऐसे निकास के साथ जो पैरा 18 की अधिकतम निकास दर से अधिक न हो।
13. विश्वसनीयता: अभिलेख [वर्ष] पर सतत सिमुलेशन (खंड 3.13) दर्शाता है कि कुशन [ ]% दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतुओं में डिजाइन वर्षा घटना के आरंभ में उपलब्ध है, जो कम से कम 90% होगा। सिमुलेशन रिपोर्ट अनुसूची 2 है।
14. उपज: अभिरक्षक अनुसूची 3 में बताई गई सिंचाई या आपूर्ति उपज की हानि [और वहाँ अभिलिखित क्षतिपूर्ति] स्वीकार करता है।
15. जहाँ तालाब में कोई नियंत्रणीय आउटलेट नहीं है, वहाँ यह भाग लागू नहीं होता और कोई बाढ़ कुशन नहीं माना जाता (खंड 7.8.3)।

7C.5 पानी छोड़ना (खंड 7.8.1(b) से (d))

16. प्रत्येक स्तर पर स्लूइस और रेगुलेटर की सेटिंग: तालिका 7C.2।
17. संचालक: स्लूइस और रेगुलेटर [पद] द्वारा संचालित किए जाते हैं। [ ] m^3/s से अधिक पानी छोड़ने का आदेश केवल [पद] द्वारा, या आपात स्थिति में [पद] द्वारा, दिया जा सकता है।
18. अधिकतम निकास दर: [ ] m^3/s। यह दर, अनुप्रवाह के जलग्रहण क्षेत्र के प्रवाह के साथ मिलकर, अनुप्रवाह की ओर भवनों में बाढ़ नहीं लाती (अनुसूची 4 में अनुप्रवाह की जाँच दी गई है)।
19. कोई व्यक्ति अभिरक्षक की आपातकालीन प्रक्रिया के सिवाय बाँध या सरप्लस वियर को नहीं काटेगा, नीचा नहीं करेगा या नहीं तोड़ेगा (खंड 7.14.5)।

तालिका 7C.2 — स्तर के अनुसार आउटलेट की सेटिंग (प्रत्येक तालाब के लिए पूरी की जानी है)

तालाब का स्तर (m)	स्लूइस 1	स्लूइस 2	रेगुलेटर	अपेक्षित बहिर्वाह (m^3/s)	टिप्पणियाँ
कुशन स्तर से नीचे	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
कुशन स्तर से FTL तक	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
FTL (वियर से पानी छलकना आरंभ)	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	
FTL से ऊपर MWL तक	[ ]	[ ]	[ ]	[ ]	TBL तक फ्रीबोर्ड की जाँच करें (खंड 7.7.4(b))

7C.6 पूर्वानुमान, चेतावनियाँ और संवाद (खंड 7.8.1(e) और (f))

20. प्रारंभक और कार्रवाइयाँ तालिका 7C.3 में हैं।
21. इस नियम के अंतर्गत कोई भी पानी छोड़ने से पहले, संचालक अनुप्रवाह के ULB और जिला प्रशासन को, और अनुसूची 5 में बताए गए साधनों से निवासियों को, जहाँ पूर्वानुमान अनुमति दे वहाँ पानी छोड़ने से कम से कम [ ] घंटे पहले सूचित करेगा।

तालिका 7C.3 — प्रारंभक और कार्रवाइयाँ (प्रत्येक तालाब के लिए पूरी की जानी है)

प्रारंभक	स्रोत	कार्रवाई	किसके द्वारा
जलग्रहण क्षेत्र के लिए IMD की जिला भारी वर्षा की चेतावनी	IMD	गेज हर [ ] घंटे पढ़ें; जाँचें कि आउटलेट अवरोध-मुक्त हैं; पुष्टि करें कि तालाब अपने नियम स्तर पर या उससे नीचे है	[ ]
IMD या RSDMA का रेड अलर्ट	IMD, RSDMA	अधिकतम निकास दर के भीतर, नियम स्तर तक पहुँचने के लिए आवश्यक पानी छोड़ना आरंभ करें; अनुप्रवाह के निकायों को सूचित करें (पैरा 21)	[ ]
शहर की पूर्वानुमान प्रणाली की चेतावनी, जहाँ उपलब्ध हो	[ ]	[ ]	[ ]
तालाब का स्तर FTL तक पहुँचता है	गेज	प्रति घंटे बहिर्वाह अभिलिखित करें; बाँध और वियर का निरीक्षण करें	[ ]
तालाब का स्तर [MWL − [ ] m] तक पहुँचता है	गेज	आपातकालीन प्रक्रिया; किसी आपातकालीन कार्य योजना के तटबंध टूटने से प्रभावित क्षेत्र को चेतावनी (खंड 7.14.3(c))	[ ]

7C.7 अभिलेख और समीक्षा (खंड 7.8.1(g))

22. दक्षिण-पश्चिम मानसून (15 जून से 30 सितंबर) के दौरान संचालक प्रतिदिन अभिलिखित करेगा: तालाब का स्तर, छोड़ा गया प्रत्येक पानी (समय, दर और अवधि), और गेट की प्रत्येक सेटिंग। दक्षिण-पश्चिम मानसून के बाहर, अभिलेख [साप्ताहिक] रखे जाएँगे।
23. अभिलेख O&M योजना (अध्याय 10) के साथ रखे जाएँगे और माँगे जाने पर प्राधिकारी को दिए जाएँगे।
24. तालाब का निरीक्षण दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले (15 जून तक) और प्रत्येक भारी वर्षा की घटना के बाद किया जाएगा (खंड 7.14.4)।
25. इस नियम की समीक्षा ऐसी किसी भी घटना के बाद की जाएगी जिसमें तालाब [ ] m से ऊपर के स्तर पर उफना, वियर, स्लूइसों या बाँध में किसी भी परिवर्तन के बाद (खंड 7.7.6), और हर स्थिति में मैनुअल की समीक्षा के साथ।

अनुसूचियाँ: 1 जल स्तर–भंडारण वक्र; 2 सतत सिमुलेशन रिपोर्ट; 3 उपज और क्षतिपूर्ति; 4 अधिकतम निकास की अनुप्रवाह जाँच; 5 संवाद सूची।

परिशिष्ट 7D — गाद निकालने और पुनर्स्थापन का विनिर्देश

अध्याय 7 के खंड 7.7.1(b), 7.9 और 7.14.4 के लिए।

यह विनिर्देश खंड 7.9 के अंतर्गत किसी तालाब, पोखर या अन्य जलाशय से गाद निकालने, उसके पुनर्स्थापन या उसे गहरा करने के प्रत्येक कार्य पर लागू होता है। मान अध्याय 7 के हैं। जहाँ अध्याय कोई मान निर्धारित नहीं करता, वहाँ उसे "डिजाइन में पुष्टि की जानी है" के रूप में चिह्नित किया गया है और उसे कार्यों के डिजाइन में बताया जाएगा।

7D.1 कार्य-पूर्व सर्वेक्षण (खंड 7.9.1)

- (a) जल-फैलाव क्षेत्र, अग्रतट (MWL समोच्च रेखा तक), बाँध, सरप्लस वियर और स्लूइसों का **स्थलाकृतिक और जल-गहराई (बैथिमेट्रिक) सर्वेक्षण**, खंड 7.3.5 के डेटम पर स्तरांकित। सर्वेक्षण ग्रिड और बिंदु घनत्व: डिजाइन में पुष्टि की जानी है।
- (b) **मूल तल स्तर**, ग्रिड पर परीक्षण गड्ढों या ऑगरिंग से (ग्रिड अंतराल की पुष्टि डिजाइन में की जानी है), और जहाँ उपलब्ध हों वहाँ ऐतिहासिक अभिलेखों से ज्ञात किया जाए। प्रत्येक गड्ढे के लॉग में गाद की मोटाई, मूल तल का स्तर, और उसके नीचे चिकनी मिट्टी या गाद की कोई परत दर्शाई जाएगी।
- (c) जहाँ तालाब में शहरी अपवाह या सीवेज आता है, वहाँ **गाद परीक्षण**: (b) के गड्ढों से नमूने, जिनका निपटान की योजना बनाने से पहले भारी धातुओं और अन्य संदूषकों के लिए परीक्षण किया जाए। प्राचल और सीमाएँ वे होंगी जिनका निर्देश राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) दे।
- (d) **संरचनाएँ:** बाँध (रिसाव, खिसकाव, दरारें, जानवरों के बिल, पेड़), सरप्लस वियर और स्लूइसों की स्थिति, जैसा खंड 7.14.4 में है।
- (e) (a) के सर्वेक्षण से **विद्यमान जल स्तर–भंडारण वक्र**।

7D.2 खुदाई की सीमाएँ (खंड 7.9.2 और 7.9.3)

- (a) गाद निकालने में जमा तलछट को 7D.1(b) के मूल तल स्तर तक हटाया जाता है, उससे अधिक गहरा नहीं।
- (b) मूल तल से नीचे गहरा करना केवल ऐसी जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट के साथ जो खंड 7.9.3(a) से (c) में से प्रत्येक को दर्शाए।
- (c) सबसे निचले स्लूइस सिल से नीचे बनाया गया भंडारण बाढ़ भंडारण नहीं है, और संशोधित जल स्तर–भंडारण वक्र में उसे ऐसे नहीं दर्शाया जाएगा।
- (d) खुदाई बाँध के निचले सिरे (toe) से डिजाइन में पुष्टि की जाने वाली दूरी तक दूर रहेगी, ताकि बाँध की स्थिरता कम न हो।

7D.3 किनारे और सुरक्षा (खंड 7.9.4)

जहाँ जनता की पहुँच किनारे तक है:

- (a) **FTL से 0.5 m ऊपर** से **FTL से 1.2 m नीचे** तक किनारे के ढलान **1V:4H** से अधिक खड़े न हों; या
- (b) **FTL से 0.3 m और 0.5 m नीचे** के बीच कम से कम **3 m** चौड़ी समतल सुरक्षा बेंच हो; और
- (c) तल में कोई अलग-थलग गहरा गड्ढा या खड़ी कटान न छोड़ी जाए। मिट्टी निकालने के गड्ढों को तल के बराबर फिर से समतल किया जाएगा।

7D.4 भंडारण कम नहीं होगा (खंड 7.9.5)

- (a) जल-फैलाव क्षेत्र या अग्रतट के भीतर द्वीप, पैदल मार्ग, जल-फैलाव क्षेत्र में बाँध का चौड़ीकरण, रिंग रोड, पार्किंग, भवन और झील-तट प्लेटफॉर्म खोया हुआ भंडारण हैं।
- (b) खोए हुए भंडारण की प्रतिपूर्ति प्रपत्र 7-3 का उपयोग करते हुए, पट्टी-दर-पट्टी, समतुल्य स्तरों पर प्रतिपूरक भंडारण द्वारा की जाएगी।

7D.5 गाद का प्रबंधन और निपटान (खंड 7.9.6)

- (a) निकाली गई सामग्री को सेटबैक के भीतर, बाँध पर (अनुमोदित बाँध सुदृढ़ीकरण के सिवाय), या किसी बाढ़ मार्ग पर नहीं रखा जाएगा।
- (b) संदूषित गाद का निपटान राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB) के निर्देशानुसार किया जाएगा।
- (c) ढुलाई मार्ग और अस्थायी ढेर खंड 8.12 के निर्माण के दौरान अपरदन और तलछट नियंत्रण के नियमों की अपेक्षाएँ पूरी करेंगे, जिसमें ढेर जोन 1 के बाहर रखना शामिल है।

7D.6 इनलेट (खंड 7.9.7)

शहरी अपवाह लाने वाले प्रत्येक इनलेट पर अध्याय 8 (परिशिष्ट 8D) के अंतर्गत डिजाइन किया गया तलछट फोरबे, निर्मित आर्द्रभूमि का इनलेट जोन या स्थूल प्रदूषक जाल होगा।

7D.7 समय (खंड 7.9.8)

गाद निकालने का कार्य, और जलाशय को सुरक्षित बनाने का कार्य, **15 जून** तक पूरा किया जाएगा। दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान कोई खुदाई खुली नहीं छोड़ी जाएगी, और कोई स्लूइस या वियर विघटित अवस्था में नहीं छोड़ा जाएगा।

7D.8 समापन अभिलेख

- (a) यथा-निर्मित सर्वेक्षण और संशोधित जल स्तर–भंडारण वक्र। यह वही वक्र है जिसकी अपेक्षा खंड 7.7.1(b) "पिछली बार गाद निकालने के बाद" करता है।
- (b) हटाया गया आयतन, उसके निपटान का स्थल, और गाद परीक्षण के परिणाम।
- (c) बाँध, वियर, स्लूइसों और इनलेट कार्यों के फोटोग्राफ।
- (d) सूची के अभिलेख का अद्यतन (परिशिष्ट 7A: SSC_DATE, LEVEL_DATE, CONDITION)।

तालिका 7D.1 — गाद निकालने और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए रोक बिंदु

रोक बिंदु	जाँच	खंड
1. खुदाई से पहले	कार्य-पूर्व सर्वेक्षण, गड्ढों के लॉग, गाद परीक्षण, और गहरा करने की स्थिति में जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट	7.9.1, 7.9.3
2. मूल तल तक पहुँचना	गड्ढों के लॉग से स्तरों की जाँच; अनुमोदन के बिना मूल तल से नीचे कोई खुदाई नहीं	7.9.2
3. किनारों का निर्माण	7D.3 के अनुसार किनारे के ढलान या सुरक्षा बेंच	7.9.4
4. इनलेट कार्य	फोरबे, आर्द्रभूमि का इनलेट जोन या GPT निर्मित	7.9.7
5. समापन (15 जून तक)	यथा-निर्मित सर्वेक्षण, जल स्तर–भंडारण वक्र, गाद निपटान का अभिलेख	7.9.8, 7.7.1(b)

परिशिष्ट 7E — जलाशयों के हिन्दी और राजस्थानी शब्दों तथा क्षेत्रीय रूपों की शब्दावली

अध्याय 7 के खंड 7.2 और खंड 7.3 के लिए।

नीचे दिए गए शब्द राजस्थान में प्रयुक्त जलाशयों, जलग्रहण क्षेत्रों और ड्रेनों के हिन्दी, उर्दू और राजस्थानी शब्द हैं, जो देवनागरी में और, जहाँ प्लैट्स (Platts) देते हैं, उर्दू लिपि में दिए गए हैं। राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियाँ (मारवाड़ी, ढूँढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी और अन्य) इनमें से अनेक शब्दों का क्षेत्रीय रूपों के साथ प्रयोग करती हैं, और इनमें से कई शब्द स्थानों, झीलों और नालों के नामों में आते हैं (आना सागर, फतह सागर, पुष्कर सरोवर, अमानीशाह नाला)। प्रत्येक जलाशय के लिए राजस्व, WRD या नगरपालिका के अभिलेख में प्रयुक्त नाम को सूची (परिशिष्ट 7A) में इस मैनुअल के शब्द के साथ अभिलिखित किया जाना चाहिए। तालिका 7E.1 से 7E.3 में केवल वे शब्द दिए गए हैं जिनके अर्थ की पुष्टि J. T. Platts, *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English* (1884) में, या श्यामसुंदर दास (Syamasundara Dasa), *हिंदी शब्दसागर* (*Hindi Shabdasagara*) (1965–1975) में, दोनों डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी पर उपलब्ध रूप में, या किसी कानून या न्यायालय आदेश में हुई; अर्थ प्लैट्स के अंग्रेजी अर्थ-विवरण हैं (उद्धरण-चिह्नों में अंग्रेजी में, उनके हिन्दी अनुवाद के साथ), या शब्दसागर का अनुवाद, डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी द्वारा दर्शाए गए पृष्ठ के साथ, और आधुनिक प्रयोग अधिक सीमित या अधिक व्यापक हो सकता है। राजस्थानी का शब्दकोश, सीताराम लालस का *राजस्थानी सबद कोस* (*Rajasthani Sabad Kos*) (1962–1988), इस मैनुअल के लिए सुलभ नहीं था, इसलिए नाडी (nadi), खड़ीन (khadin), आगोर (agor) और पायतन (payatan) आदि के राजस्थानी अर्थों की पुष्टि नहीं हुई है; वे तालिका 7E.4 में अभी असत्यापित के रूप में सूचीबद्ध हैं। आधुनिक राजस्व, WRD और नगरपालिका प्रयोग के साथ और राजस्थानी शब्दकोश की सहायता से इस सूची का विस्तार राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा किया जाना है।

इस मैनुअल में राजस्थान के तालाब या पोखर (tank or pond) के लिए शब्द **तालाब (talab)** है, और जोहड़ (johad) और नाडी (nadi) इसके क्षेत्रीय पर्याय हैं: तालाब सामान्य हिन्दी शब्द है, जो पूरे राज्य में समझा जाता है, और जिसका अर्थ-विवरण प्लैट्स "तालाब, जलकुंड, सरोवर, पानी का भंडार" ("Pond, pool, tank, reservoir of water") देते हैं; जोहड़ स्रोतों से भली-भाँति पुष्ट है, पर उसका अर्थ कच्चा तालाब है, और वह अधिकतर राज्य के उत्तर-पूर्व में प्रयुक्त होता है; और नाडी, गाँव के तालाब के लिए मारवाड़ का शब्द, मानक शब्दकोशों में इस अर्थ में नहीं है, जबकि छपाई में नाड़ी "धमनी" ("artery") या "नली" ("tube") पढ़ा जाता है। इस मैनुअल में सागर (sagar), सरोवर (sarovar), बावड़ी (baori), झालरा (jhalra), कुंड (kund), टाँका (taanka) और खड़ीन (khadin) अपने-अपने अर्थ बनाए रखते हैं।

तालिका 7E.1 — जलाशय

शब्द	अर्थ	शब्द का स्रोत	मैनुअल का शब्द (खंड 7.2)
तालाब / تالاب (tālāb; talab)	तालाब, जलकुंड, सरोवर, पानी का भंडार (= talā'o; तुलना करें tāl) ("Pond, pool, tank, reservoir of water [= talā'o ; cf. tāl]"); शब्दसागर में, जलाशय; झील; पोखरा (pokhara)	प्लैट्स, पृ. 306; शब्दसागर, पृ. 2071	तालाब (tank या pond), खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें

शब्द	अर्थ	शब्द का स्रोत	मैनुअल का शब्द (खंड 7.2)
जोहड़ (johaṛ; johad, "johar")	शब्दसागर में, "कच्चा तालाब", अर्थात् बिना पक्की परत का (मिट्टी का) तालाब; क्षेत्रीय शब्द। प्लैट्स में नहीं मिला। उच्च न्यायालय का 2012 का आदेश उन जलाशयों में जोहड़ ("Johar") का नाम लेता है जिनके जलग्रहण क्षेत्रों का आवंटन नहीं किया जाना है	शब्दसागर, पृ. 1806; उच्च न्यायालय, 29 मई 2012 (उद्धृत रूप में)	तालाब (tank या pond)
सागर / ساگر (sāgar; sagar)	शब्दसागर में (सागर १), "1. समुद्र ... 2. बड़ा तालाब; झील; जलाशय" ("1. the sea ... 2. a large tank; a lake; a reservoir"); प्लैट्स में, महासागर, समुद्र ("Ocean, sea")	शब्दसागर, पृ. 5053; प्लैट्स, पृ. 626	सागर या शहरी झील (तालाब, tank), खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें
सरोवर (sarovar)	शब्दसागर में, "1. तालाब; पोखरा। 2. झील; ताल" ("1. a talab; a pokhara. 2. a lake [jhil]; a tal")	शब्दसागर, पृ. 5003	आकार के अनुसार सागर या शहरी झील, या तालाब (tank)
बावड़ी, बावली / باولي (bāvaṛī, bā'olī; baori, bawdi)	शब्दसागर में, "सीढ़ियों वाला चौड़ा, बड़ा कुआँ, जिसमें नीचे उतरा जा सके; बावली। 2. छोटा तालाब" ("a wide, large well with steps to go down into it; a baoli. 2. a small tank"); प्लैट्स में (*bā'olī*), "बड़ा पक्का कुआँ, जिसमें सामान्यतः पानी तक घुमावदार सीढ़ियाँ, और चारों ओर की दीवार में घाट और कक्ष होते हैं" ("A large masonry well, generally with winding steps down to the water, and landing-places and chambers in the surrounding wall")	शब्दसागर, पृ. 3474; प्लैट्स, पृ. 128	बावड़ी (खंड 7.3 के लिए जलाशय), खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें
झालरा (jhālarā; jhalra)	शब्दसागर में (झालरा २), "चौड़ा कुआँ; बावली; कुंड" ("a wide well; a baoli; a kund")	शब्दसागर, पृ. 1843	बावड़ी (खंड 7.3 के लिए जलाशय)
कुंड (kuṇḍ; kund)	शब्दसागर में (कुंड ३), "बाँध से घिरा छोटा जलाशय; बहुत छोटा तालाब" ("a small embanked reservoir; a very small tank"); प्लैट्स में, "... जलकुंड, कुआँ, जलाशय, सोता, जल का ऐसा कुंड जो विशेषतः किसी पवित्र प्रयोजन के लिए प्रतिष्ठित हो" ("... a pool, well, reservoir, spring, a basin of water especially consecrated to some holy purpose")	शब्दसागर, पृ. 964; प्लैट्स, पृ. 853	कुंड (tank या pond, जहाँ वह अपवाह प्राप्त करता है; जहाँ वह हौज है, वहाँ उपयोग के लिए भंडारण), खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें
टाँका, टांका / ٹانکا (ṭāṅkā; taanka, tanka)	शब्दसागर में (टाँका ३), "1. एकत्र किया गया पानी रखने के लिए दीवार उठाकर बनाया गया छोटा कुंड; हौज, चहबच्चा। 2. पानी रखने का बड़ा बरतन" ("1. a small kund made by raising a wall, for keeping water collected; a cistern [hauz, chahbachcha]. 2. a large vessel for keeping water"); प्लैट्स में, अन्य अर्थों के साथ, पत्थरों से बना टब ("a tub made of stones")	शब्दसागर, पृ. 1877; प्लैट्स, पृ. 355	टाँका (खंड 8.11.2(a) के अंतर्गत उपयोग के लिए भंडारण), खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें। मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 के विनियम 8.3 का "छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक" ("Rooftop Rain Water Storage Tank") इसका आधुनिक रूप है

तालिका 7E.2 — चैनल, जलग्रहण क्षेत्र, तटबंध और प्रणाली के भाग

शब्द	अर्थ	शब्द का स्रोत	मैनुअल का शब्द (खंड 7.2)
नाला / نالا (nālā; nala, nallah, nullah)	जलमार्ग; (पानी का) चैनल, खड्ड; छोटी नदी, नाला, नहर; ड्रेन, मोरी ("A watercourse; channel [for water], a ravine; a rivulet, brook, canal; a drain, gutter"); शब्दसागर में (नाला १), भूमि पर दूर तक चला गया लंबा गड्ढा, जिससे होकर वर्षा का पानी किसी नदी में जाता है; पानी का चैनल; और उसमें बहने वाला पानी	प्लैट्स, पृ. 1117; शब्दसागर, पृ. 2596	प्राकृतिक ड्रेन या नाला, खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें। राजस्थान में यह शब्द प्राकृतिक जलमार्गों और बड़ी निर्मित ड्रेनों, दोनों के लिए आता है, और जयपुर की द्रव्यवती को अमानीशाह नाला भी कहा जाता है; शब्द नहीं, परिभाषा तय करती है कि यह अध्याय किस पर लागू होगा

शब्द	अर्थ	शब्द का स्रोत	मैनुअल का शब्द (खंड 7.2)
नाली / نالي (nālī; nali)	अन्य अर्थों के साथ, ... ड्रेन; ... छोटा जलमार्ग या चैनल ("a drain; ... a small watercourse, or channel")	प्लैट्स, पृ. 1117	ड्रेन (लघु प्रणाली); जहाँ यह सीवेज या सलेज को वर्षा जल ड्रेन में ले जाती है, वहाँ सीवेज का अवैध जुड़ाव (cross-connection) (खंड 8.9)
बहाव / بهاو (bahā'o; bahav)	प्रवाह, बाढ़; नदी का मार्ग, धारा, सरिता; बहाव ("Flow, flood; course of a river, current, stream; flux"); शब्दसागर में, बहना; बहती हुई धारा	प्लैट्स, पृ. 180; शब्दसागर, पृ. 3422	प्रवाह मार्ग (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ, "आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) और प्रवाह मार्ग")। JDA के 2020 के विनियमों का अनुलग्नक 4 प्राकृतिक जल निकासी के इनलेट और आउटलेट पर "पानी के निर्बाध बहाव", अर्थात् पानी के अबाधित प्रवाह, की अपेक्षा करता है
बाँध / باندھ (bāṅdh; bandh, bund)	बाँधने की वस्तु; बंधन ... तटबंध; डैम ("Fastening; tie ... embankment; dam")	प्लैट्स, पृ. 127	तालाब का बाँध या डैम (खंड 7.14); तालाब (talab), जोहड़ (johad) या खड़ीन (khadin) का बाँध तालाब का बाँध (tank bund) है (खंड 7.14.2)

तालिका 7E.3 — सांविधिक और न्यायालयी शब्द

शब्द	अर्थ
झील (lake (Lakes Act))	"भूमि पर स्थित कोई प्राकृतिक या मानव-निर्मित जलराशि, चाहे उसमें जल हो या न हो, और चाहे वह किसी राजस्व या अन्य शासकीय अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित हो या न हो, जिसका इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व के पचास वर्षों के दौरान किसी भी समय कुल जलमग्न क्षेत्र, सामाजिक-सांस्कृतिक, विरासत या धार्मिक महत्व वाली जलराशि की दशा में तीन हेक्टेयर से कम नहीं और अन्य दशाओं में दस हेक्टेयर से कम नहीं रहा हो" ("an inland water body, whether it is natural or manmade, whether it contains water or not and whether it has been recorded as such in any revenue or other official record or not, which has had, at any time during fifty years preceding the commencement of this Act, a total submerged area of not less than three hectares in case of water body having socio-cultural, heritage or religious importance and not less than ten hectares in other cases") (राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015, धारा 2(x), विधेयक के पाठ के अनुसार)
बहाव क्षेत्र (flow area (Lakes Act))	"वह क्षेत्र जिसमें होकर जल धाराएँ या संभरक धाराएँ झील की ओर उसके पुनर्भरण के लिए बहती हैं" ("the area through which streams or feeders flow to the lake for its recharge") (धारा 2(viii), विधेयक के पाठ के अनुसार); यह मैनुअल इसे झील का आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) मानता है (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ)
संरक्षित क्षेत्र (protected area (Lakes Act))	राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित, किसी झील के चारों ओर का भौगोलिक क्षेत्र, जिसमें पूर्व अनुमति के बिना कोई निर्माण नहीं किया जा सकता (धारा 4 और 5, विधेयक के पाठ के अनुसार); इस मैनुअल के लिए कोई अधिसूचना नहीं मिली
गैर मुमकिन नाला, नदी, तालाब (gair mumkin nala, nadi, talab)	राजस्व अभिलेख में ऐसी भूमि की श्रेणी जिस पर खेती नहीं की जा सकती क्योंकि वह नाला, नदी या तालाब है। "'गैर मुमकिन नाला' एक प्राकृतिक जल निकासी और जल प्रवाह चैनल है, जो पारिस्थितिक ढाँचे और जलवैज्ञानिक प्रणाली का अभिन्न अंग है" ("A 'Gair Mumkin Nala' constitutes a natural drainage and water flow channel forming an integral part of the ecological framework and hydrological system"), जिसे किसी असंगत प्रयोजन के लिए मोड़ा, अवरुद्ध या परिवर्तित नहीं किया जा सकता (*Ramji Lal Saini*, उच्च न्यायालय, 2026); खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ देखें। इस पद की शब्दकोश-प्रविष्टियाँ जाँची नहीं गईं
खातेदारी (khatedari)	राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अंतर्गत काश्तकारी अधिकार, जो चरागाह भूमि में और, प्रकाशित खबरों के अनुसार, नदी और तालाब के तलों में प्रोद्भूत नहीं होता (धारा 16)

शब्द	अर्थ
सार्वजनिक तालाब और ड्रेनें (public tanks and drains (Municipalities Act))	नगरपालिका में न्यासी के रूप में निहित: "सभी सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, जलाशय, हौज, झरने, जलसेतु, नलिकाएँ ... और किसी सार्वजनिक तालाब या कुएँ से संबंधित ऐसी कोई सटी भूमि भी, जो निजी संपत्ति न हो" ("all public tanks, streams, reservoirs, cisterns, springs, aqueducts, conduits ... and also any adjacent land, not being private property, appertaining to any public tank or well"), और "किसी सड़क में, उसके साथ-साथ या उसके नीचे के सभी सार्वजनिक सीवर और ड्रेनें, चैनल, सुरंगें, पुलियाँ और जलमार्ग" ("all public sewers and drains, channels, tunnels, culverts and watercourses in, alongside, or under, any street") (राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, धारा 68(1)(c) और (d), तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़े गए रूप में)
जलग्रहण क्षेत्र (catchment areas (High Court))	उच्च न्यायालय ने "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर आदि जैसे जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में आने वाली भूमि के आवंटन" ("allotment of the land falling in catchment areas of water reservoirs like Johar, Nala, Tank, River, Pond etc.") पर रोक लगाई (29 मई 2012 का आदेश, *Ramji Lal Saini*, 2026 में उद्धृत रूप में)

तालिका 7E.4 — अभी असत्यापित शब्द

निम्नलिखित शब्द राजस्थान के जलाशयों के लिए प्रयोग में हैं, पर इस मैनुअल के लिए किए गए शोध के दौरान प्लैट्स, शब्दसागर या किसी आधिकारिक स्रोत में उनके अर्थ या क्षेत्रीय प्रयोग की पुष्टि नहीं हुई। सत्यापित होने तक उनका उपयोग किसी अभिलेख या ड्रॉइंग में परिभाषित शब्दों के रूप में नहीं किया जाएगा।

शब्द	बताया गया अर्थ या प्रयोग	स्थिति
नाडी, नाड़ी (nāḍī; nadi)	मारवाड़ और पश्चिम का गाँव का तालाब, सामान्यतः कच्चा, जिसे उसका आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) पानी देता है	इस अर्थ में नहीं मिला: शब्दसागर के नाड़ी का अर्थ "नली; धमनी" ("a tube; an artery") है (पृ. 2576), और प्लैट्स में कोई मेल खाती प्रविष्टि नहीं है। *राजस्थानी सबद कोस* (*Rajasthani Sabad Kos*) से जाँच आवश्यक
आगोर, अगोर (āgor, agor; agor, agaur)	तालाब, नाडी या टाँके का जलग्रहण क्षेत्र	पुष्टि नहीं हुई: प्लैट्स केवल *agor* देते हैं, "चौकीदार, रक्षक; फसलों की रखवाली करने वाला" ("Watchman, guard; one who watches over crops") (पृ. 71), जो एक असंबंधित अर्थ है, और शब्दसागर में कोई प्रविष्टि नहीं है; कोई सांविधिक या राजस्व प्रयोग नहीं मिला। इस मैनुअल में केवल अपने अर्थ के साथ प्रयुक्त (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ)
पायतन (pāyatan; payatan)	तालाब के तल या जलमग्न क्षेत्र के रूप में बताया गया	प्लैट्स, शब्दसागर या पढ़े गए किसी कानून में नहीं मिला; इस मैनुअल में प्रयुक्त नहीं
खडीन (khaḍīn; khadin)	ढलान वाले जलग्रहण क्षेत्र के निचले किनारे के आर-पार बना लंबा कच्चा बाँध, जिसके पीछे अपवाह रुकता है और रिसता है, और फिर तल में खेती होती है; जैसलमेर क्षेत्र की एक पुरानी प्रथा	प्लैट्स या शब्दसागर में नहीं मिला; इस मैनुअल में इसके तकनीकी प्रयोग से परिभाषित (खंड 7.2 के बाद की परिभाषाएँ)
कुंडी (kuṇḍī; kundi)	तश्तरीनुमा तैयार जलग्रहण क्षेत्र से भरने वाला ढका हौज, चूरू और बीकानेर क्षेत्र में	शब्दसागर के कुंडी के केवल पत्थर के कटोरे और दरवाजे की साँकल वाले अर्थ हैं (पृ. 966); हौज के अर्थ की पुष्टि नहीं हुई
बेरी (berī; beri)	कठोर परत के ऊपर रेत से रिसकर आने वाला पानी खींचने वाला उथला कुआँ	किसी शब्दकोश में जाँचा नहीं गया; प्लैट्स का *berī* बेर का पेड़ है (पृ. 208)
तालाब, नाडी और नाला के राजस्थानी रूप और तालाब के भागों के नाम	तालिका 7E.1 और 7E.2 के शब्दों के क्षेत्रीय रूप, और तालाब के बाँध, छलकने के बिंदु और आपूर्ति चैनलों (feeder channels) के स्थानीय शब्द	किसी क्षेत्रीय शब्दकोश में जाँचा नहीं गया

प्रपत्र 7-1 — जलाशय पत्रक

अध्याय 7 के खंड 7.3.2, 7.4 और 7.15(1) के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक जलाशय के लिए एक पत्रक। खंड 7.3.2 का नक्शा 1:1,000 या उससे बड़े पैमाने पर संलग्न करें।

तालिका 7F.1 — प्रपत्र 7-1, भाग A: परियोजना और जलाशय

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
A1	परियोजना का नाम और प्राधिकारी की फाइल संख्या	_____	—
A2	जलाशय का नाम (अंग्रेजी और हिन्दी) और सूची ID (परिशिष्ट 7A), यदि कोई हो	_____	7.3.1
A3	जलाशय का प्रकार (खंड 7.2)	_____	7.2
A4	स्थिति: साइट के भीतर / साइट की सीमा से 100 m के भीतर / अध्याय 5 के विस्तार के भीतर अनुप्रवाह की ओर	_____	7.3.2
A5	सर्वे संख्याएँ और गाँव	_____	7.3.1(a)
A6	अभिरक्षक	_____	7.3.1(b)
A7	जाँचे गए स्रोत (चिह्न लगाएँ): राजस्व अभिलेख और खसरा नक्शे (गैर मुमकिन तालाब, नदी, नाला; काश्तकारी अधिनियम की धारा 16), नगरपालिका के तालाब और ड्रेन अभिलेख (नगरपालिका अधिनियम की धारा 68), झील अधिनियम के अभिलेख और अधिसूचनाएँ, मास्टर प्लान, न्यायालय के आदेश पर हुए जलग्रहण क्षेत्र सर्वेक्षण और नदियों के HFL, आर्द्रभूमि अधिसूचनाएँ और रामसर सीमाएँ □; WRD / ग्राम पंचायत के रजिस्टर □; प्राधिकारी की सूची या न्यायालय की सूची □; ऐतिहासिक मानचित्र और चित्र, NWIA सहित □; साइट सर्वेक्षण □	_____	7.3.3
A8	जहाँ स्रोत परस्पर विरोधी हों: कौन-सा विस्तार लागू है (बड़ा)	_____	7.3.3
A9	सभी स्तरों का डेटम, और WRD के किसी डेटम से रूपांतरण	_____	7.3.5

तालिका 7F.2 — प्रपत्र 7-1, भाग B: स्तर और विशेषताएँ

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
B1	FTL (तालाब, झीलें, पोखर) या किनारे का शीर्ष (चैनल), m	_____	7.2
B2	MWL (तालाब), m, और आधार (WRD का अभिलेख या परिकलित 1% AEP)	_____	7.2
B3	TBL, सबसे निचला बिंदु (तालाब), m	_____	7.3.1(d)
B4	1% AEP बाढ़ जल स्तर, m, और स्रोत (अंगीकृत मानचित्र / हाइड्रोलिक अध्ययन / उपलब्ध नहीं)	_____	7.3.4
B5	साइट पर जल निकासी क्षेत्र (चैनल), ha	_____	7.4.1(b)
B6	आपूर्ति चैनल, अतिरिक्त जल मार्ग, स्लूइस और सरप्लस वियर नक्शे पर दर्शाए गए (हाँ / नहीं)	_____	7.3.2
B7	ज्ञात अतिक्रमण, अभिलिखित करने की तिथि सहित	_____	7.3.1(g)

तालिका 7F.3 — प्रपत्र 7-1, भाग C: सेटबैक

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
C1	सेटबैक का आधार: मानचित्रित विस्तार / हाइड्रोलिक अध्ययन / नियत चौड़ाई (परिशिष्ट 7B)	_____	7.15(1)
C2	क्या खंड 7.3.4 (a) / (b) / (c) के अंतर्गत हाइड्रोलिक अध्ययन अपेक्षित है?	_____	7.3.4
C3	बाढ़ मार्ग का बाहरी किनारा, FTL या किनारे के शीर्ष से m, और उसका निर्धारण कैसे किया गया	_____	7.6.1
C4	जोन 1 की चौड़ाई, m (15 m, बाढ़ मार्ग का किनारा, MWL समोच्च रेखा में से सबसे अधिक)	_____	7.4.3
C5	जोन 2 की चौड़ाई, m (1% AEP विस्तार + 10 m तक, या 10 m)	_____	7.4.4
C6	अधिक चौड़ा सांविधिक या अनुमोदन सेटबैक, यदि कोई हो, और उसका स्रोत	_____	7.4.5
C7	लागू किया गया सेटबैक: मैनुअल का मानक / अधिक चौड़ी सांविधिक, न्यायालयी या अनुमोदन रेखा: उच्चतम न्यायालय के 7 अगस्त 2026 के आदेश के अंतर्गत सीमांकन हो जाने पर किसी नदी की उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और पारिस्थितिक बफर (तब तक किसी चिह्नित नदी गलियारे में कोई नई अनुमति नहीं); जोजरी के किनारे से 100 m (उच्चतम न्यायालय का अंतरिम आदेश, 24 अगस्त 2026, प्रकाशित खबरों के अनुसार); गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब के रूप में दर्ज भूमि, या उच्च न्यायालय द्वारा संरक्षित किसी अभिलिखित जलग्रहण क्षेत्र में भूमि; झील अधिनियम, 2015 के अंतर्गत किसी झील का संरक्षित क्षेत्र या बहाव क्षेत्र; उदयपुर की झीलों का निर्माण-निषिद्ध जोन (HFL से 200 m, प्रकाशित खबरों के अनुसार); किसी अधिसूचित आर्द्रभूमि के औसत उच्च बाढ़ स्तर से 50 m; WRD के किसी डैम, जलाशय या नहर की रेखा; न्यायालय या अधिकरण की कोई अन्य रेखा; या अन्य (बताएँ कौन-सी)	_____	7.4, प्रकटन
C8	जोन 1 और जोन 2 में प्रस्तावित उपयोग, और जोन 1 में किसी भी कार्य के लिए अभिरक्षक का NOC	_____	7.5, 7.15(5)
C9	बाढ़ सीमांत क्षेत्र में प्रस्तावित भराई (हाँ / नहीं); यदि हाँ, तो प्रपत्र 7-3 संलग्न	_____	7.6.3
C10	जोन 1 के सीमा चिह्नों की स्थितियाँ दर्शाई गईं (30 m से अधिक दूरी पर नहीं)	_____	7.13.4

तालिका 7F.4 — प्रपत्र 7-1, भाग D: तैयारकर्ता

क्षेत्र	प्रविष्टि
नाम, पंजीकरण और सूचीबद्धता संख्या (खंड 10.6)	_____
हस्ताक्षर और तिथि	_____
स्तरों के लिए लाइसेंसधारी सर्वेक्षक (नाम, लाइसेंस संख्या)	_____

प्रपत्र 7-2 — तालाब भंडारण क्रेडिट पत्रक

अध्याय 7 के खंड 7.7, 7.8, 7.11, 7.14 और 7.15(4) के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रत्येक उस तालाब के लिए एक पत्रक जिसका भंडारण गिना जाता है। जो भंडारण भाग B की किसी भी मद को पूरा नहीं करता, उसे नहीं गिना जाएगा (खंड 7.7.1)।

तालिका 7F.5 — प्रपत्र 7-2, भाग A: तालाब और योजना

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
A1	तालाब का नाम और सूची ID (परिशिष्ट 7A); अभिरक्षक	_____	7.3.1
A2	वह योजना जिसमें भंडारण गिना जाता है: बेसिन प्लान / क्षेत्रीय सुविधा / एवज शुल्क (S-5)	_____	7.7.1, 7.11
A3	मॉडल की गई शृंखला: सबसे ऊपरी तालाब _____ से आउटफॉल _____ तक	_____	7.7.2
A4	डेटम	_____	7.3.5

तालिका 7F.6 — प्रपत्र 7-2, भाग B: भंडारण गिनने की शर्तें

क्र.	शर्त	तिथि / संदर्भ	पूरी हुई (हाँ / नहीं)	खंड
B1	FTL, MWL, TBL, वियर का शिखर और लंबाई, स्लूइस सिल पिछले 5 वर्षों के भीतर सर्वेक्षित	_____	_____	7.7.1(a)
B2	5 वर्षों के भीतर, या पिछली बार गाद निकालने के बाद, इनमें से जो बाद में हो, जल-गहराई और स्थलाकृतिक सर्वेक्षण से जल स्तर–भंडारण वक्र	_____	_____	7.7.1(b)
B3	अभिरक्षक के साथ सहमत दस्तावेजित प्रचालन नियम (परिशिष्ट 7C)	_____	_____	7.7.1(c), 7.8
B4	वियर, स्लूइस और बाँध O&M योजना के अंतर्गत; नवीनतम मानसून-पूर्व निरीक्षण में सेवा योग्य पाए गए	_____	_____	7.7.1(d), 7.14.4
B5	अभिरक्षक की लिखित सहमति	_____	_____	7.7.1(e)

तालिका 7F.7 — प्रपत्र 7-2, भाग C: स्तर और क्रेडिट योग्य आयतन

क्र.	मद	मान	खंड
C1	प्रारंभिक स्तर: FTL, या खंड 7.8.2 की अपेक्षाएँ पूरी करने वाले नियम के अंतर्गत कुशन स्तर, m	_____	7.7.3
C2	यदि कुशन का उपयोग किया जाता है: नियंत्रणीय आउटलेट (प्रकार) और खाली होने का समय, h	_____	7.8.2(a)
C3	यदि कुशन का उपयोग किया जाता है: सतत सिमुलेशन से विश्वसनीयता, दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतुओं का % (≥ 90%)	_____	7.8.2(c)
C4	परिकलित अधिकतम स्तर, जलवायु गुणक के साथ 1% AEP अंतर्वाह शृंखला से होकर रूट किया गया, m	_____	7.7.4
C5	MWL, m; क्या C4 ≤ MWL है?	_____	7.7.4(a)
C6	C4 से TBL तक फ्रीबोर्ड, m; WRD का फ्रीबोर्ड मानक, m; पूरा हुआ?	_____	7.7.4(b)
C7	जल स्तर–भंडारण वक्र से C1 और C4 के बीच का भंडारण, m^3	_____	7.7.5

क्र.	मद	मान	खंड
C8	किसी अन्य सुविधा या योजना के लिए पहले से प्रतिबद्ध आयतन, m^3	_____	7.7.5
C9	क्रेडिट योग्य आयतन = C7 − C8, m^3	_____	7.7.5
C10	खंड 10.17 के अंतर्गत रजिस्टर की प्रविष्टि (एवज शुल्क भंडारण)	_____	7.11.2(d)

तालिका 7F.8 — प्रपत्र 7-2, भाग D: बाँध की सुरक्षा

क्र.	मद	प्रविष्टि	खंड
D1	बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट डैम? ऊँचाई, शिखर की लंबाई, क्षमता, अधिकतम बाढ़ प्रवाह दर	_____	7.14.1
D2	जोखिम वर्ग: उच्च / निम्न	_____	7.14.2
D3	उच्च जोखिम: वियर फ्रीबोर्ड के साथ MWL पर 1% AEP पार कराता है; तटबंध के ऊपर से बहे बिना 0.2% AEP की जाँच	_____	7.14.3(a)
D4	उच्च जोखिम: तटबंध टूटने का विश्लेषण और आपातकालीन कार्य योजना (संदर्भ)	_____	7.14.3(b), (c)
D5	उच्च जोखिम: खंड 10.6 के अंतर्गत स्वतंत्र जाँच (नाम)	_____	7.14.3(d)

तालिका 7F.9 — प्रपत्र 7-2, भाग E: हस्ताक्षर

भूमिका	नाम और पदनाम	हस्ताक्षर और तिथि
डिजाइनकर्ता (खंड 10.6)	_____	_____
स्वतंत्र जाँचकर्ता, जहाँ खंड 7.14.3(d) लागू हो	_____	_____
अभिरक्षक की सहमति (खंड 7.7.1(e))	_____	_____

प्रपत्र 7-3 — प्रतिपूरक भंडारण गणना (ऊँचाई पट्टी के अनुसार)

अध्याय 7 के खंड 7.6.3 से 7.6.5, 7.9.5 और 7.15(3) के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

विधि

1. **निचली सीमा** नियत करें: जलाशय का सामान्य जल स्तर, या जहाँ अधिक हो वहाँ 50% AEP (2-वर्ष) स्तर (खंड 7.6.4(b))।
2. **ऊपरी सीमा** नियत करें: 1% AEP बाढ़ जल स्तर (जलवायु गुणक के साथ)।
3. इस परास को **0.3 m से अधिक मोटाई की न होने वाली पट्टियों** में बाँटें। सबसे ऊपरी पट्टी पतली हो सकती है।
4. किसी पट्टी की सीमा पर प्रत्येक स्तर z के लिए, नक्शे पर मापें:
    - A_fill(z): भराई के आधार-क्षेत्र का वह क्षेत्रफल जहाँ विद्यमान भूतल z से नीचे है; और
    - A_cut(z): खुदाई का वह क्षेत्रफल जहाँ तैयार भूतल z से नीचे है और विद्यमान भूतल z से ऊपर था (नया जलमग्न क्षेत्र)।
5. प्रत्येक पट्टी के लिए, औसत छोर-क्षेत्रफल विधि (average end-area method) से: V = (A(z_bottom) + A(z_top)) / 2 × पट्टी की मोटाई। यह भराई (खोया आयतन) और खुदाई (प्राप्त आयतन) दोनों के लिए करें।
6. **प्रत्येक पट्टी की जाँच करें:** प्राप्त आयतन ≥ खोया आयतन। एक पट्टी का अधिशेष दूसरी पट्टी की कमी की पूर्ति नहीं करता (खंड 7.6.4(b))।
7. भाग C में खंड 7.6.4(c) से (f) की अन्य शर्तों की जाँच करें।

अध्याय 7 का चित्र 7.2 यह विधि दर्शाता है।

तालिका 7F.10 — प्रपत्र 7-3, भाग A: स्तर

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
A1	जलाशय, भाग (reach), और सूची ID	_____	7.6.4(c)
A2	सामान्य जल स्तर, m; 50% AEP स्तर, m; निचली सीमा (दोनों में अधिक), m	_____	7.6.4(b)
A3	जलवायु गुणक के साथ 1% AEP बाढ़ जल स्तर, m (ऊपरी सीमा)	_____	7.6.4(b)
A4	पट्टी की मोटाई, m (≤ 0.3) और पट्टियों की संख्या	_____	7.6.4(b)
A5	डेटम	_____	7.3.5

तालिका 7F.11 — प्रपत्र 7-3, भाग B: पट्टी-दर-पट्टी संतुलन

पट्टी	से (m)	तक (m)	A_fill तल (m²)	A_fill शीर्ष (m²)	खोया आयतन (m³)	A_cut तल (m²)	A_cut शीर्ष (m²)	प्राप्त आयतन (m³)	प्राप्त ≥ खोया?
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
4	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

पट्टी	से (m)	तक (m)	A_fill तल (m²)	A_fill शीर्ष (m²)	खोया आयतन (m³)	A_cut तल (m²)	A_cut शीर्ष (m²)	प्राप्त आयतन (m³)	प्राप्त ≥ खोया?
कुल					_____			_____	

आवश्यकतानुसार पंक्तियाँ जोड़ें।

तालिका 7F.12 — प्रपत्र 7-3, भाग C: अन्य शर्तें

क्र.	शर्त	पूरी हुई (हाँ / नहीं) और साक्ष्य	खंड
C1	भराई बाढ़ सीमांत क्षेत्र में है, बाढ़ मार्ग में नहीं, और अनुमत उपयोग के लिए है	_____	7.6.2, 7.6.3
C2	खुदाई उसी जलाशय की उसी भाग में है, हाइड्रोलिक रूप से जुड़ी है, और भराई से अधिक अनुप्रवाह की ओर नहीं है	_____	7.6.4(c)
C3	बाढ़ उतरने पर खुदाई गुरुत्व से खाली होती है; कोई पंपिंग नहीं; सामान्य जल स्तर से नीचे कोई स्थायी जल-भंडार नहीं	_____	7.6.4(d)
C4	खुदाई भराई से पहले, या उसी समय, बनाई गई	_____	7.6.4(e)
C5	प्रसंविदा या हस्तांतरण ताकि उसे कभी भरा न जाए (संदर्भ)	_____	7.6.4(f)
C6	अध्याय 4 के अंतर्गत अस्थायी भंडारण या प्रतिधारण के रूप में नहीं गिना गया	_____	7.6.5
C7	डिजाइनकर्ता के हस्ताक्षर (खंड 10.6) और तिथि	_____	10.6

हल किया गया उदाहरण

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. किसी चैनल के बाढ़ सीमांत क्षेत्र में स्थित एक साइट को जोन 2 के एक अनुमत उपयोग (खंड 7.5.2) के लिए भराई के एक चबूतरे की आवश्यकता है। निवेश मान कल्पित हैं।

- सामान्य जल स्तर 10.00 m; 50% AEP स्तर 9.80 m। निचली सीमा = 10.00 m (दोनों में अधिक)।
- 1% AEP बाढ़ जल स्तर 11.20 m। परास 1.20 m, इसलिए 0.30 m की चार पट्टियाँ।
- भराई का आधार-क्षेत्र 1,600 m² है। आधार-क्षेत्र में विद्यमान भूतल 10.00 m से 11.20 m तक समान रूप से उठता है, इसलिए प्रत्येक स्तर से नीचे आधार-क्षेत्र का क्षेत्रफल है: 10.00 m पर 0 m²; 10.30 m पर 400 m²; 10.60 m पर 800 m²; 10.90 m पर 1,200 m²; 11.20 m पर 1,600 m²।
- खुदाई चैनल के बगल में ढलानदार कटान है, जिसका तल 10.00 m पर है। प्रत्येक स्तर से नीचे नया जलमग्न क्षेत्र (पहला प्रयास) है: 10.00 m पर 300 m²; 10.30 m पर 900 m²; 10.60 m पर 1,100 m²; 10.90 m पर 1,500 m²; 11.20 m पर 1,500 m²।

पद 1 — खोया आयतन, पट्टी-दर-पट्टी (V = औसत क्षेत्रफल × 0.3 m):

- पट्टी 1: (0 + 400) / 2 × 0.3 = 60 m³
- पट्टी 2: (400 + 800) / 2 × 0.3 = 180 m³
- पट्टी 3: (800 + 1,200) / 2 × 0.3 = 300 m³
- पट्टी 4: (1,200 + 1,600) / 2 × 0.3 = 420 m³
- कुल: 960 m³

पद 2 — प्राप्त आयतन, पहला प्रयास:

तालिका 7F.13 — हल किया गया उदाहरण: पहला प्रयास (उदाहरणार्थ)

पट्टी	से (m)	तक (m)	खोया आयतन (m^3)	A_cut तल (m^2)	A_cut शीर्ष (m^2)	प्राप्त आयतन (m^3)	प्राप्त ≥ खोया?
1	10.00	10.30	60	300	900	180	हाँ
2	10.30	10.60	180	900	1,100	300	हाँ
3	10.60	10.90	300	1,100	1,500	390	हाँ
4	10.90	11.20	420	1,500	1,500	450	हाँ
कुल			960			1,320	

हर पट्टी जाँच में सफल है। ध्यान दें कि केवल कुल आयतन का संतुलन किसी विफलता को छिपा देगा यदि, उदाहरण के लिए, कटान को अधिक गहरा और संकरा बनाया जाए: मान लीजिए डिजाइनकर्ता इसके बजाय ऐसा कटान प्रस्तावित करता है जिसके नए जलमग्न क्षेत्र 10.00 m पर 1,400 m^2, 10.30 m पर 1,400 m^2, 10.60 m पर 1,000 m^2, 10.90 m पर 600 m^2 और 11.20 m पर 200 m^2 हैं।

तालिका 7F.14 — हल किया गया उदाहरण: अधिक गहरा, संकरा कटान (उदाहरणार्थ)

पट्टी	से (m)	तक (m)	खोया आयतन (m^3)	A_cut तल (m^2)	A_cut शीर्ष (m^2)	प्राप्त आयतन (m^3)	प्राप्त ≥ खोया?
1	10.00	10.30	60	1,400	1,400	420	हाँ
2	10.30	10.60	180	1,400	1,000	360	हाँ
3	10.60	10.90	300	1,000	600	240	**नहीं**
4	10.90	11.20	420	600	200	120	**नहीं**
कुल			960			1,140	

कुल प्राप्त आयतन (1,140 m^3) कुल खोए आयतन (960 m^3) से अधिक है, पर पट्टी 3 और 4 में 60 m^3 और 300 m^3 की कमी है। नीचे के अधिशेष को इनके विरुद्ध नहीं गिना जा सकता: निचला भंडारण हर बाढ़ में जल्दी भर जाता है और तब उपलब्ध नहीं होता जब भराई शिखर के निकट भंडारण छीन लेती है। यह डिजाइन खंड 7.6.4(b) में विफल है और इसे फिर से ढलानदार बनाया जाना होगा ताकि ऊपरी पट्टियाँ कम से कम उतना प्राप्त करें जितना वे खोती हैं, जैसा पहले प्रयास में है।

अध्याय 8 के परिशिष्ट

जल गुणवत्ता और पुनर्भरण

ये परिशिष्ट अध्याय 8 के पूरक हैं। इनमें जल गुणवत्ता के लिए वर्षा तालिकाओं का ढाँचा, सेवा स्तर और मूल्य श्रेणी की विधि का विस्तृत विवरण, BMP अंशांकन कार्यक्रम का ढाँचा, प्रत्येक BMP के लिए डिजाइन पत्रक, निर्माण के दौरान अपरदन और तलछट नियंत्रण के मानक विवरण, और वे दो प्रपत्र दिए गए हैं जिनकी अपेक्षा खंड 8.14 करता है। परिशिष्ट 8A और 8C के लिए ऐसे आँकड़े आवश्यक हैं जो अभी उपलब्ध नहीं हैं; वे यह बात स्पष्ट करते हैं और तब तक उपयोग किया जाने वाला नियम देते हैं। प्रपत्र प्रारूप प्रपत्र हैं।

परिशिष्ट 8A — जोन के अनुसार 3-माह ARI 24-घंटे की गहराई और IDF

अध्याय 8 के खंड 8.2, 8.4.1 और 8.4.5 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में अध्याय 2 के प्रत्येक वर्षा जोन के लिए 24-घंटे की 3-माह ARI गहराई P_3m और Q_wq के लिए प्रयुक्त 3-माह ARI तीव्रता–अवधि संबंध होंगे। इसके लिए दीर्घकालिक दैनिक और उप-दैनिक वर्षा अभिलेख (IMD केंद्र और ग्रिड आँकड़े, अध्याय 2 के प्राथमिक स्रोत के रूप में NIH के साथ) आवश्यक हैं, जिनका विश्लेषण आंशिक-अवधि श्रृंखला के रूप में किया जाए। इसके प्रकाशित होने तक, डिजाइनकर्ता साइट के जोन के लिए उपलब्ध सबसे लंबे दैनिक अभिलेख से P_3m की गणना, औसतन वर्ष में चार बार बराबर होने वाली या पार होने वाली 24-घंटे की गहराई के रूप में (खंड 8.2), करेगा, जल गुणवत्ता पत्रक (प्रपत्र 8-1) पर अभिलेख, उसकी अवधि और विधि बताएगा, और P_wq = max (P_ret, P_3m) (खंड 8.4.1) का उपयोग करेगा। जलवायु गुणक लागू नहीं किया जाता (खंड 8.4.3)।

8A.1 परिशिष्ट तैयार करने में प्रयुक्त की जाने वाली विधि

- (a) जहाँ उपलब्ध हों, कम से कम 30 वर्षों के दैनिक अभिलेखों का उपयोग करें (जैसे अध्याय 2 में केंद्र IDF के लिए)।
- (b) 24-घंटे की गहराइयों की आंशिक-अवधि श्रृंखला बनाएँ, जिसमें स्वतंत्र घटनाएँ कम से कम एक शुष्क दिन से अलग हों।
- (c) सीमा-मान ऐसा चुनें कि उससे ऊपर की घटनाओं की संख्या का औसत प्रति वर्ष चार हो; P_3m वही सीमा-मान है।
- (d) 10 मिनट से 24 घंटे तक की अवधियों के लिए 3-माह ARI तीव्रताएँ उप-दैनिक अभिलेखों से, या दैनिक मान से अनुमापन की अध्याय 2 की विधि से, निकालें, और बताएँ कि कौन-सी विधि अपनाई गई।
- (e) जलवायु गुणक लागू न करें (खंड 8.4.3)।

तालिका 8A.1 — जोन के अनुसार जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराइयाँ (ढाँचा)

जोन (अध्याय 2)	प्रतिनिधि केंद्र या ग्रिड	अभिलेख (वर्ष)	P_ret, परिशिष्ट 2E (mm)	P_3m (mm)	P_wq = max (mm)
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

जोन (अध्याय 2)	प्रतिनिधि केंद्र या ग्रिड	अभिलेख (वर्ष)	P_ret, परिशिष्ट 2E (mm)	P_3m (mm)	P_wq = max (mm)
_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 8A.2 — अवधि के अनुसार 3-माह ARI तीव्रता (ढाँचा)

जोन	10 min (mm/h)	15 min (mm/h)	30 min (mm/h)	1 h (mm/h)	2 h (mm/h)	6 h (mm/h)	24 h (mm/h)
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

परिशिष्ट 8B — पुनर्विकास के लिए LoS तालिका और उपचार शृंखला की संयुक्त VR

अध्याय 8 के खंड 8.6.2 से 8.6.5 के लिए।

8B.1 पुनर्विकास के लिए आवश्यक सेवा स्तर

तैयार किया जाना है. इस भाग में पुनर्विकास साइटों (साइट के 20% या अधिक पर विद्यमान अपारगम्य आवरण, खंड 8.6.2) के लिए आवश्यक सेवा स्तर दिया जाएगा। MARC/APWA BMP Manual (2012, Table 4.3) विक्षुब्ध क्षेत्र के भीतर अपारगम्य आवरण के प्रतिशत से पुनर्विकास LoS निर्धारित करता है; राजस्थान के मान राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित किए जाने और स्थानीय पुनर्विकास मामलों पर जाँचे जाने हैं। इसके प्रकाशित होने तक, किसी पुनर्विकास साइट के लिए विक्षुब्ध क्षेत्र हेतु आवश्यक LoS **6** है। जहाँ विद्यमान स्थिति से विकास-पश्चात स्थिति तक CN में परिवर्तन पर लागू की गई तालिका 8.2 उच्चतर LoS देती है, वहाँ वह उच्चतर LoS लागू होता है। यह अंतरिम मान इस मैनुअल द्वारा निर्धारित है। जो पुनर्विकास साइट अध्याय 4 के अंतर्गत अपना पूरा WQv साइट पर रोकती है, उसे उस क्षेत्र के लिए पूर्व-उपचार, हॉटस्पॉट नियंत्रणों और आउटफॉल संबंधी अपेक्षाओं के अतिरिक्त किसी और उपचार की आवश्यकता नहीं है (खंड 8.4.4)।

तालिका 8B.1 — पुनर्विकास के लिए आवश्यक LoS (ढाँचा)

विक्षुब्ध क्षेत्र के भीतर विद्यमान अपारगम्य आवरण (%)	अपारगम्य आवरण में परिवर्तन	आवश्यक LoS
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____

8B.2 संयुक्त मूल्य श्रेणी: क्षेत्र-भारित विधि

किसी साइट की संयुक्त VR, साइट के प्रत्येक भाग की सेवा करने वाली BMP की VR का क्षेत्र-भारित औसत है (खंड 8.6.3):

> VR_site = Σ (A_i × VR_i) / Σ A_i + VR_signage

जहाँ:

- A_i = साइट के भाग i का क्षेत्रफल, ha;
- VR_i = भाग i की सेवा करने वाली BMP की मूल्य श्रेणी (तालिका 8.3), जो केवल तभी गिनी जाती है जब BMP पूरे A_i के लिए खंड 8.6.4 को पूरा करे;
- Σ A_i = पूरी साइट का क्षेत्रफल: साइट का प्रत्येक भाग किसी एक BMP को, या संरक्षित देशज वनस्पति को, सौंपा जाता है; जिस भाग की सेवा कोई BMP नहीं करती उसे VR_i = 0 के साथ दर्ज किया जाता है; और
- VR_signage = 0.25 जहाँ जन शिक्षा के संकेत-पट लगाए गए हों (तालिका 8.3), अन्यथा 0।

साइट अनुपालन करती है जहाँ VR_site ≥ आवश्यक LoS (खंड 8.6.3)।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. 1.0 ha की एक साइट जो पुनर्विकास नहीं है, ΔCN = 18 के साथ। आवश्यक LoS = 8 (तालिका 8.2)।

तालिका 8B.2 — हल किया गया उदाहरण: संयुक्त VR (उदाहरणार्थ)

भाग	क्षेत्रफल A_i (ha)	BMP	VR_i (तालिका 8.3)	A_i × VR_i
बायोरिटेंशन में जाने वाली छतें और पक्की सतह	0.60	बायोरिटेंशन	8.5	5.100
कार पार्क	0.25	पारगम्य पेवमेंट	7.5	1.875
सीमा के साथ संरक्षित पट्टी	0.15	देशज वनस्पति (संरक्षित)	9.25	1.388
कुल	1.00			8.363

- क्षेत्र-भारित VR = 8.363 / 1.00 = 8.36
- संकेत-पट लगाए गए: + 0.25
- VR_site = 8.61 ≥ 8। साइट अनुपालन करती है।

पारगम्य पेवमेंट के बिना (कार पार्क का पानी बिना उपचार के जाता है, VR = 0): (5.100 + 0 + 1.388) / 1.00 + 0.25 = 6.74 < 8। साइट अनुपालन नहीं करेगी।

8B.3 उपचार शृंखलाएँ

तैयार किया जाना है. इस भाग में क्रम में लगी BMP (उपचार शृंखला) की संयुक्त VR दी जाएगी, जो MARC/APWA BMP Manual (2012, Table 4.6) की पद्धति का अनुसरण करेगी, और जिसके मानों की पुष्टि राजस्थान के लिए खंड 8.13.4 के अंशांकन कार्यक्रम (परिशिष्ट 8C) द्वारा की जानी है। इसके प्रकाशित होने तक, साइट के प्रत्येक भाग को शृंखला की उस एक BMP की VR का क्रेडिट मिलता है जो उस भाग के लिए खंड 8.6.4 को पूरा करती है, सामान्यतः निस्सरण से पहले की अंतिम BMP, और क्रम में लगी BMP के लिए कोई अतिरिक्त क्रेडिट नहीं दिया जाता। क्रेडिट की गई BMP से प्रतिप्रवाह की ओर स्थित पूर्व-उपचार युक्तियाँ, गाद-जाल और तेल-ग्रिट पृथक्कारी अपनी कोई VR अर्जित नहीं करते (खंड 8.6.4(c), 8.7.11(c) और 8.7.12(c))।

तालिका 8B.3 — उपचार शृंखलाओं की संयुक्त VR (ढाँचा)

पहली BMP	दूसरी BMP	संयुक्त VR	शर्तें
_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____

परिशिष्ट 8C — राजस्थान में BMP के प्रदर्शन का अंशांकन

अध्याय 8 के खंड 8.6.3, 8.13 और 8.15.1 के लिए।

> **तैयार किया जाना है.** इस परिशिष्ट में राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति के BMP प्रदर्शन अंशांकन कार्यक्रम (खंड 8.13.4) की रिपोर्ट होगी: राजस्थान में बनी BMP के लिए मापी गई अंतर्वाह और बहिर्वाह सांद्रताएँ और आयतन, और उनसे निकलने वाली संशोधित मूल्य श्रेणियाँ। इसके लिए कई दक्षिण-पश्चिम मानसून ऋतुओं में BMP की वर्षा के समय की निगरानी, CPCB की विधियों के अनुसार प्रयोगशाला विश्लेषण, और खंड 10.17 के अंतर्गत प्रकाशित खंड 8.13.1 की आउटफॉल निगरानी आवश्यक है। इसके प्रकाशित होने तक, तालिका 8.3 (MARC/APWA 2012) की मूल्य श्रेणियाँ लागू होती हैं, और कोई स्वामित्वाधीन युक्ति केवल सत्यापित परीक्षण आँकड़ों से ही VR अर्जित करती है (तालिका 8.3)।

नीचे दिए गए ढाँचे वे न्यूनतम अभिलेख निर्धारित करते हैं जो कार्यक्रम रखेगा, ताकि विभिन्न प्राधिकारियों के परिणामों को एक साथ मिलाया जा सके।

तालिका 8C.1 — निगरानी स्थल रजिस्टर (ढाँचा)

स्थल ID	BMP का प्रकार (तालिका 8.3)	स्थान और प्राधिकारी	जलग्रहण क्षेत्र (ha)	अपारगम्य (%)	मिट्टी और भूजल की स्थिति	चालू करने की तिथि	पूर्व-उपचार
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 8C.2 — घटना अभिलेख (ढाँचा; खंड 8.13.2 के प्राचल)

स्थल ID	घटना की तिथि	वर्षा (mm)	अंतर्वाह आयतन (m^3)	बहिर्वाह आयतन (m^3)	TSS अंतर्वाह / बहिर्वाह (mg/L)	BOD अंतर्वाह / बहिर्वाह (mg/L)	COD अंतर्वाह / बहिर्वाह (mg/L)	फीकल कोलीफॉर्म अंतर्वाह / बहिर्वाह (MPN/100 mL)	TN अंतर्वाह / बहिर्वाह (mg/L)	TP अंतर्वाह / बहिर्वाह (mg/L)	तेल और ग्रीस अंतर्वाह / बहिर्वाह (mg/L)	भारी धातुएँ (औद्योगिक जलग्रहण क्षेत्र)
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 8C.3 — प्रदर्शन सारांश और प्रस्तावित VR (ढाँचा)

BMP का प्रकार	स्थल	घटनाएँ	आयतन में कमी (%)	बहिःस्राव TSS की माध्यिका (mg/L)	अन्य निष्कर्ष	तालिका 8.3 में VR	प्रस्तावित VR
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

परिशिष्ट 8D — BMP डिजाइन पत्रक, माध्यम विनिर्देश, पौधों की सूचियाँ

अध्याय 8 के खंड 8.5, 8.7, 8.8 और 8.11 के लिए।

प्रत्येक डिजाइन पत्रक एक BMP के लिए अध्याय 8 की अपेक्षाओं को एकत्र करता है। खंड 8.7.1 में "अनुशंसित प्रारंभिक मान" के रूप में चिह्नित मानों से औचित्य के साथ विचलन किया जा सकता है। जो मान मैनुअल निर्धारित नहीं करता, वे "डिजाइन में पुष्टि की जानी है" के रूप में चिह्नित हैं; डिजाइनकर्ता उन्हें बताएगा और उनका औचित्य देगा। प्रत्येक BMP के लिए यह भी आवश्यक है: WQv या Q_wq के लिए आकार निर्धारण (खंड 8.6.4(a)), पूर्व-उपचार (खंड 8.5.3), Q_wq से अधिक प्रवाहों के लिए सुरक्षित बाइपास (खंड 8.4.6) और रखरखाव के लिए पहुँच (अध्याय 10)।

8D.1 डिजाइन पत्रक

तालिका 8D.1 — पूर्व-उपचार (सभी BMP)

मद	अपेक्षा	खंड
कहाँ आवश्यक	प्रत्येक बायोरिटेंशन सेल, अंतःस्यंदन सुविधा, बाहर से आने वाला अपवाह प्राप्त करने वाला पारगम्य पेवमेंट, वेट पॉन्ड और निर्मित आर्द्रभूमि, प्रत्येक संकेंद्रित अंतर्वाह पर	8.5.3
प्रकार	तलछट फोरबे, घास फिल्टर पट्टी, गाद-जाल या स्वामित्वाधीन युक्ति	8.5.3
आकार	अपने योगदान देने वाले क्षेत्र के WQv का कम से कम 10% रोके; या Q_wq के लिए आकारित (प्रवाही युक्तियाँ)	8.5.3
पहुँच	मुख्य BMP में प्रवेश किए या उसे छेड़े बिना साफ की जा सके	8.5.4
गाद-जाल और कैच पिट	कच्ची भूमि से अपवाह प्राप्त करने वाले प्रत्येक इनलेट पर, और किसी BMP या जलाशय में गिरने वाली प्रत्येक ड्रेन के इनलेट पर; आउटलेट इनवर्ट से कम से कम 300 mm नीचे संप; कोई VR अर्जित नहीं करते	8.7.12

तालिका 8D.2 — बायोरिटेंशन और वर्षा उद्यान (चित्र 8.2)

मद	अपेक्षा	खंड
जल रुकने की गहराई	मल्च के ऊपर ≤ 300 mm, अधिकतम जल रुकने के स्तर पर अतिप्रवाह के साथ	8.7.2(a)
रुके जल का खाली होना	48 h के भीतर	8.7.2(b)
फिल्टर माध्यम	600–900 mm इंजीनियर्ड बलुई दोमट, कम महीन कण, कम फॉस्फोरस (तालिका 8D.12)	8.7.2(c)
मल्च	50–75 mm	8.7.2(c)
संक्रमण (चोकर) और बजरी जल निकासी परतें	आवश्यक; मोटाई और श्रेणीकरण की डिजाइन में पुष्टि की जानी है	8.7.2(d)
अंडरड्रेन	छिद्रित; जहाँ डिजाइन अंतःस्यंदन दर 48 h में खाली होने की अपेक्षा पूरी न कर सके, या जहाँ लाइनरयुक्त हो, वहाँ आवश्यक; व्यास की डिजाइन में पुष्टि की जानी है	8.7.2(e)

मद	अपेक्षा	खंड
लाइनर	जहाँ खंड 8.8 पूरा न हो सके, और हॉटस्पॉट पर, आवश्यक	8.7.2(f)
पौधे	देशज या प्राकृतिकीकृत, जलभराव और लंबी शुष्क अवधि सहने वाले (तालिकाएँ 8D.13 और 8D.14)	8.7.2(g)
VR	8.5 (वर्षा उद्यान / अंतःस्यंदन 9.0)	तालिका 8.3

तालिका 8D.3 — वनस्पति स्वेल

मद	अपेक्षा	खंड
काट	समलंबी या परवलयिक; पार्श्व ढलान 1V:3H से अधिक खड़े नहीं	8.7.3(a)
अनुदैर्ध्य ढलान	0.5% से 4%; अधिक खड़े ढलान पर चेक डैम	8.7.3(b)
Q_wq पर प्रवाह	गहराई घास की ऊँचाई से अधिक नहीं; वेग ≤ 0.3 m/s	8.7.3(c)
1% AEP या बाइपास प्रवाह	कोई अपरदन नहीं (अध्याय 9 के अनुमेय वेग)	8.7.3(d)
अंडरड्रेनयुक्त ("शुष्क") स्वेल	जहाँ ढलान < 1% हो या उप-मृदा में जल निकासी कमजोर हो; फिल्टर माध्यम तालिका 8D.12 के अनुसार	8.7.3(e)
VR	4.0 (देशज वनस्पति स्वेल)	तालिका 8.3

तालिका 8D.4 — वनस्पति फिल्टर पट्टियाँ

मद	अपेक्षा	खंड
अंतर्वाह	केवल परत प्रवाह; जहाँ प्रवाह संकेंद्रित होकर आए वहाँ समतल प्रसारक	8.7.4(a)
प्रवाह की दिशा में लंबाई	≥ 5 m	8.7.4(b)
ढलान	1% से 8%	8.7.4(b)
उपयोग	मुख्यतः बायोरिटेंशन, अंतःस्यंदन और स्वेल के लिए पूर्व-उपचार	8.7.4(c)
VR	5.0	तालिका 8.3

तालिका 8D.5 — पारगम्य पेवमेंट

मद	अपेक्षा	खंड
बाहर से आने वाला अपवाह	अपारगम्य क्षेत्र ≤ 2 × पारगम्य क्षेत्र; कच्चे या अपरदित हो रहे क्षेत्रों से कोई अपवाह नहीं	8.7.5(a)
आधार जलाशय	स्वच्छ खुले श्रेणीकरण वाला एग्रीगेट, जो अपने रिक्त स्थानों में WQv का अपना हिस्सा रोके; रिक्तता अनुपात परीक्षण से पुष्ट	8.7.5(b)
खुला (अंतःस्यंदन करने वाला) आधार	केवल जहाँ खंड 8.8 पूरा हो; अन्यथा अंडरड्रेन के साथ लाइनरयुक्त और केवल निस्यंदन के रूप में गिना जाए	8.7.5(c)
संरचना	सड़क प्राधिकारी के मानकों के अनुसार यातायात भार के लिए डिजाइन	8.7.5(d)
अपवर्जन	हॉटस्पॉट पर नहीं; जहाँ इसे अपारगम्य सामग्री से पुनः बिछाया जाएगा वहाँ नहीं	8.7.5(e)

मद	अपेक्षा	खंड
VR	7.5	तालिका 8.3

तालिका 8D.6 — अंतःस्यंदन खाइयाँ और बेसिन (चित्र 8.3)

मद	अपेक्षा	खंड
पूर्व-उपचार	सदैव (तालिका 8D.1)	8.7.6(a)
भराई	स्वच्छ धुला एग्रीगेट, रिक्तता अनुपात परीक्षण से पुष्ट; पार्श्वों और ऊपर जियोटेक्सटाइल; रेत का आधार	8.7.6(b)
प्रेक्षण कुआँ	प्रत्येक खाई के आधार तक	8.7.6(c)
भंडारण	रिक्त स्थानों में रोका गया WQv (या अध्याय 4 का प्रतिधारण आयतन, यदि अधिक हो)	8.7.6(d)
खाली होना	डिजाइन अंतःस्यंदन दर पर 72 h के भीतर खाली	8.7.6(d), 8.8.7
अतिप्रवाह	सतह के स्तर पर, लघु या प्रमुख प्रणाली में	8.7.6(e)
चालू करना	योगदान देने वाले क्षेत्र के स्थिर होने तक सेवा में नहीं	8.7.6(f)
मानदंड	खंड 8.8 के सभी (तालिका 8D.11)	8.8

तालिका 8D.7 — वेट पॉन्ड (विस्तारित आर्द्र अस्थायी भंडारण)

मद	अपेक्षा	खंड
स्थायी जल-भंडार	≥ WQv	8.7.7(a)
विस्तारित अस्थायी भंडारण	जल-भंडार के ऊपर WQv, 24–48 h में छोड़ा जाए	8.7.7(a), 8.4.7
फोरबे	प्रत्येक इनलेट पर	8.7.7(b)
प्रवाह मार्ग	लंबाई-चौड़ाई ≥ 3:1; कोई शॉर्ट-सर्किट प्रवाह नहीं	8.7.7(c)
जल-भंडार की गहराई	1.0–2.5 m, सुरक्षा बेंच के साथ (खंड 7.9.4)	8.7.7(d)
जल संतुलन	IMD वर्षा और पैन वाष्पन से मासिक संतुलन: 10 वर्षों में सबसे शुष्क वर्ष में भी जल-भंडार के आयतन का ≥ 50% बना रहे; भूजल, पेयजल या सीवेज से नहीं भरा जाए	8.7.8
बाढ़ के लिए अस्थायी भंडारण	अध्याय 4 का अस्थायी भंडारण विस्तारित अस्थायी भंडारण स्तर के ऊपर हो सकता है	8.7.7(f)
VR	5.0	तालिका 8.3

तालिका 8D.8 — निर्मित आर्द्रभूमियाँ

मद	अपेक्षा	खंड
विन्यास	इनलेट पर अवसादन तालाब (फोरबे), फिर उथला वृहत्पादप क्षेत्र	8.7.9(a)
विस्तारित अस्थायी भंडारण	सामान्य जल स्तर के ऊपर WQv, 24–48 h में छोड़ा जाए; गहराई ≤ 0.5 m	8.7.9(b)

मद	अपेक्षा	खंड
प्रवाह मार्ग	लंबाई-चौड़ाई ≥ 3:1; प्रवाह मार्ग के आर-पार गहरे क्षेत्र	8.7.9(c)
बाइपास	उच्च-प्रवाह बाइपास ताकि बाढ़ वृहत्पादप क्षेत्र को न खुरचे	8.7.9(d)
तालाब के इनलेट पर	तालाब के सेटबैक के भीतर, उसके जल-फैलाव क्षेत्र के बाहर; तालाब के भंडारण के रूप में नहीं गिना जाए	8.7.9(e)
जल संतुलन	वेट पॉन्ड के समान (आर्द्रभूमि की न्यूनतम गहराई बनी रहे)	8.7.8
VR	7.0 (विस्तारित अस्थायी भंडारण आर्द्रभूमि)	तालिका 8.3

तालिका 8D.9 — स्थूल प्रदूषक जाल और आउटफॉल की जालियाँ

मद	अपेक्षा	खंड
उपचार प्रवाह	Q_wq; 1% AEP तक के सभी प्रवाह पकड़ी गई सामग्री को बहाए बिना निकलें	8.7.10(a)
पकड़ का आकार	लगभग 5 mm तक	8.7.10(b)
हेड हानि	ड्रेन की HGL में (अध्याय 9), जाली 50% अवरुद्ध	8.7.10(c), 8.10.3(a)
भंडारण	O&M सफाई अंतराल के लिए; 3-मासिक सफाई से कम नहीं	8.7.10(d)
पहुँच	सक्शन या ग्रैब सफाई के लिए वाहन की पहुँच; सफाई के लिए सुरक्षित प्लेटफॉर्म	8.7.10(e), 8.10.3(d)
अवरुद्ध जाली	अतिप्रवाह या बाइपास मार्ग ताकि पूरी तरह अवरुद्ध जाली संपत्ति को जलमग्न न करे	8.10.3(b)
छड़ों के बीच की दूरी	खतरे के अनुसार चुनी जाए: कचरा पकड़ने के लिए कम, जहाँ अवरोध से बाढ़ आएगी वहाँ अधिक; डिजाइन में पुष्टि की जानी है	8.10.3(c)

तालिका 8D.10 — तेल-ग्रिट पृथक्कारी

मद	अपेक्षा	खंड
कहाँ	ईंधन स्टेशन; वाहन वर्कशॉप और धुलाई स्थल; बस और ट्रक डिपो; 50 से अधिक स्थानों वाले पार्किंग क्षेत्र	8.7.11(a)
आकार निर्धारण	Q_wq, उच्च-प्रवाह बाइपास के साथ	8.7.11(b)
अकेले नहीं	जहाँ साइट को 5 से अधिक VR की आवश्यकता हो वहाँ इसके बाद निस्यंदन BMP; हॉटस्पॉट पर किसी भी अंतःस्यंदन से पहले लाइनरयुक्त निस्यंदन BMP	8.7.11(c), 8.8.8

तालिका 8D.11 — अंतःस्यंदन और भूजल पुनर्भरण के मानदंड (सभी अंतःस्यंदन BMP)

मद	अपेक्षा	खंड
भूजल से दूरी	मौसमी उच्चतम भूजल स्तर आधार से ≥ 1.0 m नीचे (अधिसूचित तटीय रेत में केवल छत का अपवाह: उभार जाँच के साथ ≥ 0.5 m, उभार आधार से ≥ 0.3 m नीचे)	8.8.1, 8.8.9(d)
आधार-शैल या अपारगम्य परत	आधार ≥ 1.0 m ऊपर, जब तक कि खंड 8.8.10 के अंतर्गत चट्टानी जलभृत के पुनर्भरण के लिए डिजाइन न हो	8.8.2

मद	अपेक्षा	खंड
परीक्षण	बेसिन, बायोरिटेंशन, पारगम्य पेवमेंट के लिए डबल-रिंग (ASTM D3385); खाइयों, सोख गड्ढों, गड्ढों, कुओं के लिए फॉलिंग-हेड बोरहोल या ट्रायल-पिट सोखन (उदाहरण के लिए BRE Digest 365); प्रति सुविधा ≥ 2 और आधार के प्रति 100 m^2 या खाई के प्रति 50 m पर ≥ 1; प्रपत्र 8-2	8.8.3
डिजाइन दर	मापी गई दर ÷ 2.0 (परीक्षण 8.8.3(c) को पूरा करें और उनमें 2 गुने से अधिक का अंतर न हो), अन्यथा ÷ 3.0	8.8.4
न्यूनतम दरें	≥ 13 mm/h पूर्ण अंतःस्यंदन; 3–13 mm/h आंशिक, अंडरड्रेन सहित, क्रेडिट केवल 72 h के भीतर अंतःस्यंदित आयतन के लिए; < 3 mm/h कोई क्रेडिट नहीं	8.8.5
सेटबैक (पक्की सतहों से अपवाह)	नींव 3 m, बेसमेंट 5 m; संपत्ति की सीमा 1.5 m; पेयजल कुआँ या बोरवेल 30 m; सेप्टिक टैंक या सोख गड्ढा 15 m; 1V:3H से अधिक खड़े ढलान का शिखर 6 m	8.8.6
फैलने वाली मिट्टी	नींव से सेटबैक दोगुना	8.8.11(b)
खाली होना	डिजाइन दर पर 72 h के भीतर खाली; निर्माण के बाद परीक्षण	8.8.7
हॉटस्पॉट	उपचार के बिना कोई अंतःस्यंदन नहीं; अपशिष्ट स्थलों और दूषित भूमि पर बिल्कुल नहीं	8.8.8
सड़क का अपवाह	कभी भी किसी कुएँ, बोरवेल या पुनर्भरण शाफ्ट में सीधे नहीं ले जाया जाए	8.11.3(b)

8D.2 बायोरिटेंशन के खाली होने की जाँच

48 घंटे में रुके जल का खाली होना (खंड 8.7.2(b)) और खंड 8.8.5 की न्यूनतम दरें मिलकर तय करती हैं कि किसी सेल को अंडरड्रेन की आवश्यकता है या नहीं।

- अधिकतम जल रुकने की गहराई को 48 h में खाली करने के लिए आवश्यक दर = 300 mm / 48 h = 6.25 mm/h।
- डिजाइन दर ≥ 13 mm/h: पूर्ण अंतःस्यंदन, बिना अंडरड्रेन, बशर्ते खंड 8.8 पूरा हो।
- डिजाइन दर 6.25 mm/h से 13 mm/h तक: रुका जल समय पर निकल जाता है, परंतु खंड 8.8.5(b) लागू होता है, इसलिए अंडरड्रेन आवश्यक है।
- डिजाइन दर 6.25 mm/h से कम: रुका जल अंतःस्यंदन द्वारा 48 h में नहीं निकल सकता; अंडरड्रेन आवश्यक है (खंड 8.7.2(e)), और 3 mm/h से कम पर कोई अंतःस्यंदन क्रेडिट नहीं दिया जाता।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. किसी प्रस्तावित सेल के आधार पर दो परीक्षण 30 mm/h और 22 mm/h देते हैं। दोनों परिणामों में 30 / 22 = 1.36 गुने का अंतर है, जो 2 से अधिक नहीं है, और परीक्षणों की संख्या खंड 8.8.3(c) को पूरा करती है, इसलिए सुरक्षा गुणक 2.0 है। कम परिणाम लेते हुए, डिजाइन दर = 22 / 2.0 = 11 mm/h। यह 6.25 mm/h से अधिक है, इसलिए रुका जल 300 / 11 = 27 h में, 48 h के भीतर, निकल जाता है। यह 13 mm/h से कम है, इसलिए सेल अंडरड्रेन सहित आंशिक-अंतःस्यंदन डिजाइन है (खंड 8.8.5(b))।

8D.3 फिल्टर माध्यम विनिर्देश

तालिका 8D.12 — बायोरिटेंशन फिल्टर माध्यम और परतें

परत	अध्याय 8 की अपेक्षा	डिजाइन में पुष्टि किए जाने वाले मान
मल्च	50–75 mm (खंड 8.7.2(c)); कटी हुई कठोर लकड़ी या इसी प्रकार की कार्बनिक मल्च जो जल रुकने की गहराई पर तैरकर न बहे	सामग्री और स्रोत

परत	अध्याय 8 की अपेक्षा	डिजाइन में पुष्टि किए जाने वाले मान
फिल्टर माध्यम	कम महीन कणों और कम फॉस्फोरस वाली 600–900 mm इंजीनियर्ड बलुई दोमट (खंड 8.7.2(c))	कण आकार श्रेणीकरण; महीन कणों (गाद + चिकनी मिट्टी) की सीमा; कार्बनिक पदार्थ की मात्रा; फॉस्फोरस की सीमा; संघनित माध्यम की संतृप्त हाइड्रोलिक चालकता; प्रत्येक खेप के लिए स्रोत और परीक्षण प्रमाण-पत्र
संक्रमण (चोकर) परत	माध्यम और बजरी के बीच, माध्यम को बजरी में बहने से रोकने के लिए (खंड 8.7.2(d))	मोटाई और श्रेणीकरण, माध्यम और बजरी से मेल खाते हुए
बजरी जल निकासी परत	संक्रमण परत के नीचे, अंडरड्रेन को घेरे हुए (खंड 8.7.2(d))	मोटाई, श्रेणीकरण, धुली हुई
अंडरड्रेन	जहाँ खंड 8.7.2(e) लागू हो वहाँ छिद्रित पाइप, सफाई द्वारों (cleanouts) के साथ	व्यास, ढलान, छिद्रण, आउटलेट स्तर
लाइनर	जहाँ खंड 8.7.2(f) लागू हो (खंड 8.8 पूरा न हो सके; हॉटस्पॉट)	लाइनर का प्रकार और सुरक्षा

माध्यम का बिछाने से पहले परीक्षण किया जाएगा, और उसे भारी संघनन के बिना परतों में बिछाया जाएगा। राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति को इस परिशिष्ट की समीक्षा करते समय, रेत और कम्पोस्ट के स्थानीय स्रोतों के साथ, श्रेणीकरण, महीन कणों, कार्बनिक पदार्थ और फॉस्फोरस की संख्यात्मक सीमाएँ निर्धारित करनी चाहिए।

8D.4 पौधों की सूचियाँ

नीचे दी गई सूचियाँ **सांकेतिक** हैं। इनमें ऐसी प्रजातियों के नाम हैं जो राजस्थान में देशज हैं या लंबे समय से प्राकृतिकीकृत हैं और लंबी शुष्क अवधियाँ और छोटी गीली अवधियाँ सहने के लिए जानी जाती हैं; वर्षा जल के लिए रोपण पर राजस्थान के किसी स्रोत पर इस मैनुअल के लिए शोध नहीं किया गया। हिन्दी या उर्दू नाम केवल वहीं दिए गए हैं जहाँ जे. टी. प्लैट्स (J. T. Platts), *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English* (1884), या श्यामसुंदर दास (Syamasundara Dasa), *हिंदी शब्दसागर* (*Hindi Shabdasagara*) (1965–1975), दोनों डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी द्वारा उपलब्ध कराए गए रूप में, उस प्रजाति या नामित पौधे के लिए नाम देते हैं, पृष्ठ सहित; डैश का अर्थ है कि किसी नाम की पुष्टि नहीं हुई, और जहाँ कोई प्रचलित राजस्थानी नाम है, वह टिप्पणियों में केवल प्रयोग में आने वाले नाम के रूप में दिया गया है। प्लैट्स प्रायः पुराने वानस्पतिक नामों का उपयोग करता है, जो टिप्पणियों में दिए गए हैं। अंतिम चयन की पुष्टि साइट की मिट्टी, लवणता और भूजल स्तर के लिए किसी उद्यान विशेषज्ञ (horticulturist) या राज्य वन विभाग से की जाएगी। शुष्क पश्चिम की साइटों के लिए ऐसी प्रजातियाँ चाहिए जो वर्षों का सूखा और रेत की मार (sand-blast) सह सकें और स्थापित हो जाने के बाद बिना सिंचाई के जीवित रहें; कैल्क्रीट या लवणीय भूमि पर स्थित साइटों के लिए लवण-सहिष्णु प्रजातियाँ; हाड़ौती की काली मिट्टी वाली साइटों के लिए ऐसी प्रजातियाँ जो ऐसी भारी, दरार पड़ने वाली चिकनी मिट्टी सह सकें जो मानसून में जलभराव से ग्रस्त रहती है; और तालाब (talab) के किनारे और डूब क्षेत्र की साइटों के लिए ऐसी प्रजातियाँ जो खड़ा पानी सह सकें। किसी तालाब के आगोर (agor; जलग्रहण क्षेत्र) के देशज वृक्ष और घासें उसके जलग्रहण क्षेत्र को अपरदन से, और तालाब को गाद से भरने से, भी बचाती हैं।

तालिका 8D.13 — बायोरिटेंशन, स्वेल और फिल्टर पट्टियों के लिए सांकेतिक पौधे

उपयोग	वानस्पतिक नाम	हिन्दी / उर्दू नाम	टिप्पणियाँ
स्वेल, फिल्टर पट्टियाँ, बायोरिटेंशन के किनारे	*Chrysopogon zizanioides* (vetiver)	ख़स / خس (kẖas)	गहरी जड़ों वाली गुच्छेदार घास; बाढ़ और सूखा सहती है; पार्श्व ढलानों और तालाब (talab) के किनारों पर मिट्टी बाँधती है। प्लैट्स: "एक सुगंधित घास, *Andropogon muricatum* (जिसकी जड़ों से *taṭṭīs* बनाई जाती हैं)" ("A fragrant grass, *Andropogon muricatum* (from the roots of which *taṭṭīs* are made)") (पृ. 489), जो इसी प्रजाति का पुराना नाम है

उपयोग	वानस्पतिक नाम	हिन्दी / उर्दू नाम	टिप्पणियाँ
स्वेल और फिल्टर पट्टियाँ (घास का मैदान)	*Cynodon dactylon* (Bermuda grass)	दूब / دوب (dūb)	नीची घास; सूखा, आवागमन और अल्पकालिक बाढ़ सहती है। प्लैट्स: "बेंट घास, पैनिक घास, *Panicum dactylon*, या *Cynodon dactylon*" ("Bent grass, panic grass, *Panicum dactylon*, or *Cynodon dactylon*") (पृ. 531)
शुष्क पश्चिम में स्वेल और फिल्टर पट्टियाँ	*Lasiurus sindicus* (sewan grass)	—	थार की रेत की देशज बहुवर्षीय घास; अत्यधिक सूखा-सहिष्णु। इसका राजस्थानी नाम sewan प्लैट्स या शब्दसागर में नहीं मिला
शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों में स्वेल और फिल्टर पट्टियाँ	*Cenchrus ciliaris* (buffel grass)	—	देशज गुच्छेदार घास; रेतीली मिट्टी बाँधती है। प्रयोग में आने वाला नाम dhaman शब्दसागर में एक भिन्न पौधे के लिए दिया गया है (पृ. 2455), इसलिए यहाँ उसका उपयोग नहीं किया गया
नदी की रेत पर स्वेल और किनारे	*Saccharum spontaneum*	कास / کاس (kās)	नदी की रेत की देशज ऊँची घास; किनारों को बाँधती है; जहाँ यह किसी चैनल में बाधा डाले वहाँ काट दी जाए। प्लैट्स: "घास की एक प्रजाति, जिससे रस्सियाँ आदि बनाई जाती हैं, *Saccharum spontaneum*" ("A species of grass, of which ropes, &c. are made, *Saccharum spontaneum*") (पृ. 801)
स्वेल के किनारों और बायोरिटेंशन के छोरों पर झाड़ियाँ (शुष्क)	*Capparis decidua* (syn. *C. aphylla*)	करील, कैर / کریل، کیر (karīl, kair)	मरुस्थल की बिना पत्तों की काँटेदार झाड़ी; अत्यधिक सूखा-सहिष्णु। प्लैट्स (*karīr*): "एक काँटेदार, पत्तीरहित झाड़ी, केपर झाड़ी, *Capparis aphylla* (जो मरुस्थलों में उगती है, और जिसे ऊँट खाते हैं)" ("a thorny leafless shrub, the caper bush, *Capparis aphylla* [which grows in deserts, and is eaten by camels]") (पृ. 830); *kair* और *karīl* को *karīr* के रूपों के रूप में दिया गया है (पृ. 888, 831)
स्वेल के किनारों और बायोरिटेंशन के छोरों पर झाड़ियाँ (शुष्क)	*Ziziphus nummularia*	झड़बेरी / جھڑبیري (jhaṛ-berī)	शुष्क भूमि की देशज काँटेदार झाड़ी। प्लैट्स: "जंगली बेर या जुजुब की झाड़ी, *Zizyphus jujuba*; जंगली लोट-वृक्ष" ("A wild ber or jujube bush, *Zizyphus jujuba*; the wild lote-tree") (पृ. 404); यह नाम इसी प्रजाति के लिए है, इसकी पुष्टि प्लैट्स में नहीं हुई
बायोरिटेंशन और स्वेल के पास, और आगोर में वृक्ष	*Prosopis cineraria* (khejri)	खेजड़ी (khejaṛī)	शुष्क और अर्ध-शुष्क क्षेत्रों का देशज वृक्ष; गहरी जड़ों वाला, सूखा-सहिष्णु, और चारे का वृक्ष। शब्दसागर में खेजड़ी "शमी का वृक्ष" ("the shami tree") है (पृ. 1178), और शमी "एक बड़ा वृक्ष" ("a large tree") है, जिसके बारे में वहाँ दर्ज है कि वह अन्य प्रांतों के साथ राजपूताना में पाया जाता है (पृ. 4695)। प्लैट्स में नहीं। *Prosopis juliflora* (तालिका 8D.15) से भ्रमित न करें
बायोरिटेंशन और स्वेल के पास, और आगोर में वृक्ष	*Tecomella undulata* (rohida)	—	शुष्क क्षेत्र का देशज वृक्ष; सूखा-सहिष्णु; रेत बाँधता है। इसका राजस्थानी नाम rohida प्लैट्स या शब्दसागर में नहीं मिला
बायोरिटेंशन और स्वेल के पास वृक्ष	*Ziziphus mauritiana* (ber)	बेर / بیر (ber)	देशज; सूखा-सहिष्णु। प्लैट्स: "जुजुब वृक्ष, *Zizyphus jujuba*, या *Z. scandens*; जुजुब का फल" ("The jujube tree, *Zizyphus jujuba*, or *Z. scandens*; the fruit of the jujube") (पृ. 208), जो इसी प्रजाति का पुराना नाम है
स्वेल और चैनलों के पास वृक्ष	*Vachellia nilotica* (syn. *Acacia nilotica*; desi babul)	बबूल, कीकर / ببول، کیکر (babūl, kīkar)	देशज; सूखा और मौसमी जलभराव दोनों सहता है; काँटेदार। प्लैट्स: "गोंद-बबूल का वृक्ष, *Mimosa arabica*" ("The gum-acacia tree, *Mimosa arabica*") (पृ. 130), और *kīkar*, "वृक्ष *Acacia* (या *Mimosa*) *arabica* (पर्याय *babūl*)" ("The tree *Acacia* [or *Mimosa*] *arabica* [syn. *babūl*]") (पृ. 889), जो इसी प्रजाति के पुराने नाम हैं। *Prosopis juliflora* (vilayati babul, तालिका 8D.15) से भ्रमित न करें
स्वेल के पास लवणीय या कैल्क्रीट भूमि पर वृक्ष	*Salvadora persica*	पीलू / پیلو (pīlū); जाल / جال (jāl)	देशज; लवणीय मिट्टी और सूखा सहता है। प्लैट्स: *pīlū*, "वृक्ष *Careya arborea*, या *Salvadora persica*" ("The tree *Careya arborea*, or *Salvadora persica*") (पृ. 301), और *jāl*, "वृक्ष *Salvador indica*" ("the tree *Salvador indica*") (पृ. 371); आपूर्तिकर्ता से प्रजाति की पुष्टि करें

उपयोग	वानस्पतिक नाम	हिन्दी / उर्दू नाम	टिप्पणियाँ
बायोरिटेंशन और स्वेल के पास वृक्ष	*Azadirachta indica* (neem)	नीम / نیم (nīm)	देशज या लंबे समय से प्राकृतिकीकृत; सूखा-सहिष्णु; जलभराव वाले तलों के लिए नहीं। प्लैट्स: "नीम का वृक्ष, *Melia azadirachta*" ("The Nīm-tree, *Melia azadirachta*") (पृ. 1169), जो इसी प्रजाति का पुराना नाम है
तालाब के किनारों और लवणीय गीले छोरों पर वृक्ष	*Tamarix dioica* (syn. *T. indica*)	झाऊ / جھاو (jhā'ū, jhau)	देशज; लवण और खड़ा पानी सहता है। प्लैट्स: "टैमरिस्क जाति का एक वृक्ष, *Tamarix gallica*, या *T. Indica* (... दलदली या रेतीली भूमि में उगने के कारण ...)" ("A tree of the Tamarisk kind, *Tamarix gallica*, or *T. Indica* [... from its growing in marshy or sandy ground ...]") (पृ. 402); आपूर्तिकर्ता से प्रजाति की पुष्टि करें
बायोरिटेंशन और चैनलों के पास वृक्ष (केवल पूर्व और दक्षिण)	*Syzygium cumini*	जामुन, जामन / جامن (jāmun, jāman)	अधिक वर्षा वाले पूर्व और दक्षिण (हाड़ौती, मेवाड़, वागड़) में देशज; गीली भूमि सहता है; शुष्क पश्चिम के लिए नहीं। प्लैट्स: "वृक्ष *Eugenia jambelana*, या *Syzygium jambolanum*, और उसका फल" ("The tree *Eugenia jambelana*, or *Syzygium jambolanum*, and its fruit") (पृ. 372)
चैनलों के पास वृक्ष (केवल पूर्व और दक्षिण)	*Terminalia arjuna*	अर्जुन / ارجن (arjun)	दक्षिण और पूर्व का नदी किनारे का देशज वृक्ष; मौसमी बाढ़ सहता है। प्लैट्स: "एक विशेष वृक्ष, *Terminalia alata glabra*" ("a certain tree, *Terminalia alata glabra*") (पृ. 39); यह नाम इसी प्रजाति के लिए है, इसकी पुष्टि प्लैट्स में नहीं हुई
वेट पॉन्ड और चैनलों के पास वृक्ष	*Ficus racemosa* (syn. *F. glomerata*)	गूलर / گولر (gūlar)	धाराओं के किनारों का देशज अंजीर। प्लैट्स: "जंगली अंजीर, *Ficus glomerata*" ("The wild fig, *Ficus glomerata*") (पृ. 926)। जड़ों को अंडरड्रेन, पाइपों, दीवारों और टाँकों (taanka) से दूर रखें

तालिका 8D.14 — निर्मित आर्द्रभूमियों और वेट पॉन्ड के लिए सांकेतिक पौधे

वेट पॉन्ड और निर्मित आर्द्रभूमियाँ शुष्क पश्चिम में शायद ही व्यावहारिक होती हैं, जहाँ बिना किसी आपूर्ति के कोई स्थायी जल-भंडार शुष्क महीनों में बचा नहीं रहता (खंड 8.7.8); ये प्रजातियाँ उन साइटों के लिए हैं जहाँ जल संतुलन यह दर्शाता है कि वहाँ स्थायी जल-भंडार बचा रहता है।

क्षेत्र	वानस्पतिक नाम	हिन्दी / उर्दू नाम	टिप्पणियाँ
उथला वृहत्पादप क्षेत्र	*Typha* spp. (e.g. *T. domingensis*, syn. *T. angustata*)	—	देशज; कुछ लवणता सहता है; तेजी से फैलता है और समय-समय पर कटाई आवश्यक है। प्लैट्स में किसी हिन्दी नाम की पुष्टि नहीं हुई: पटेर (paṭer), जो कभी-कभी इसके लिए प्रयुक्त होता है, प्लैट्स में *Cyperus* के अर्थ में दिया गया है (पृ. 229)
उथला वृहत्पादप क्षेत्र	*Phragmites karka*	नल / نل (nal); नरसल / نرسل (narsal)	देशज सरकंडा; तेजी से बढ़ता है; नालों (nala) और चैनलों से, जहाँ यह प्रवाह में बाधा डाले, बाहर रखें। प्लैट्स: "सरकंडे की एक प्रजाति, *Amphidonax karka*, या *Arundo karka*" ("A species of reed, *Amphidonax karka*, or *Arundo karka*") (पृ. 1152) और "सरकंडे की एक बड़ी प्रजाति, *Arundo karka*" ("A large species of reed, *Arundo karka*") (पृ. 1132)
उथला वृहत्पादप क्षेत्र	*Canna indica*	—	प्राकृतिकीकृत; जलभराव सहता है; भारत में निर्मित आर्द्रभूमियों में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है
खुला जल और गहरे क्षेत्र	*Nelumbo nucifera* (lotus)	कमल / کمل (kamal)	देशज; केवल स्थायी जल-भंडार के लिए। प्लैट्स: "कमल, *Nelumbium speciosum*" ("The lotus, *Nelumbium speciosum*") (पृ. 849)
खुला जल और गहरे क्षेत्र	*Nymphaea nouchali* (blue water lily)	नीलोफ़र / نیلوفر (nīlofar)	देशज; केवल स्थायी जल-भंडार के लिए। प्लैट्स: "नीली कुमुदिनी, *Nymphæa cyanea*" ("the blue water-lily, *Nymphæa cyanea*") (पृ. 1168), जो इसी प्रजाति का पुराना नाम है

तालिका 8D.15 — न लगाई जाने वाली प्रजातियाँ

वानस्पतिक नाम	हिन्दी / उर्दू नाम	कारण
Prosopis juliflora (vilayati babul)	—	आक्रामक; तालाबों (talab) के तलों पर, तालाबों के आगोर (agor) में, तटबंधों पर और ड्रेनों के साथ-साथ घनी झाड़ियाँ बना लेती है। तालिका 8D.13 की देशज *Prosopis cineraria* (khejri) या *Vachellia nilotica* (desi babul) से भ्रमित न करें
Eichhornia crassipes (water hyacinth)	—	आक्रामक; तालाबों (talab), शहरी झीलों, नालों (nala) और जालियों को अवरुद्ध करती है
Ipomoea carnea	—	तालाबों और चैनलों में आक्रामक; प्रवाह में बाधा डालती है

परिशिष्ट 8E — अपरदन और तलछट नियंत्रण के मानक विवरण

अध्याय 8 के खंड 8.12 के लिए।

नीचे दिए गए विवरण प्रत्येक उपाय की व्यवस्था दर्शाते हैं। मैनुअल द्वारा निर्धारित आयाम दिए गए हैं। जो आयाम मैनुअल निर्धारित नहीं करता, वे "डिजाइन में पुष्टि की जानी है" के रूप में चिह्नित हैं और ESC योजना पर दर्शाए जाएँगे (खंड 8.12.1)। अस्थायी उपाय अध्याय 2 की वर्षा और 1.0 के जलवायु गुणक के साथ डिजाइन किए जाते हैं (खंड 8.12.4)।

तालिका 8E.1 — उपायों का चयन (खंड 8.12.3)

स्थिति	उपाय	विवरण
किसी विक्षुब्ध क्षेत्र से उसके निचले ढलान वाले किनारे के साथ निकलने वाला परत प्रवाह	गाद बाड़	चित्र 8E.1
2 ha तक के विक्षुब्ध क्षेत्र से संकेंद्रित प्रवाह	तलछट जाल	चित्र 8E.2
2 ha से अधिक का विक्षुब्ध क्षेत्र	सतही जल-निष्कासन आउटलेट वाला तलछट बेसिन	चित्र 8E.2
साइट का अपवाह प्राप्त करने वाला विद्यमान ड्रेन इनलेट	इनलेट सुरक्षा	चित्र 8E.4
सार्वजनिक सड़क पर वाहनों का निकास	पहिया धुलाई के साथ स्थिरीकृत निर्माण निकास	चित्र 8E.3
सामग्री के ढेर	किसी भी जलाशय सेटबैक के जोन 1 के बाहर; किसी भी ड्रेन से ≥ 10 m; दक्षिण-पश्चिम मानसून में ढके हुए	चित्र 8E.1 की टिप्पणियाँ
जल-निष्कासन	तलछट बेसिन, अवसादन टैंक या फिल्टर बैग से होकर; कभी भी सीधे किसी ड्रेन या जलाशय में पंप नहीं	चित्र 8E.2 की टिप्पणियाँ
कंक्रीट धुलाई	लाइनरयुक्त गड्ढा; कभी भी किसी ड्रेन में नहीं	चित्र 8E.3 की टिप्पणियाँ

8E.1 गाद बाड़

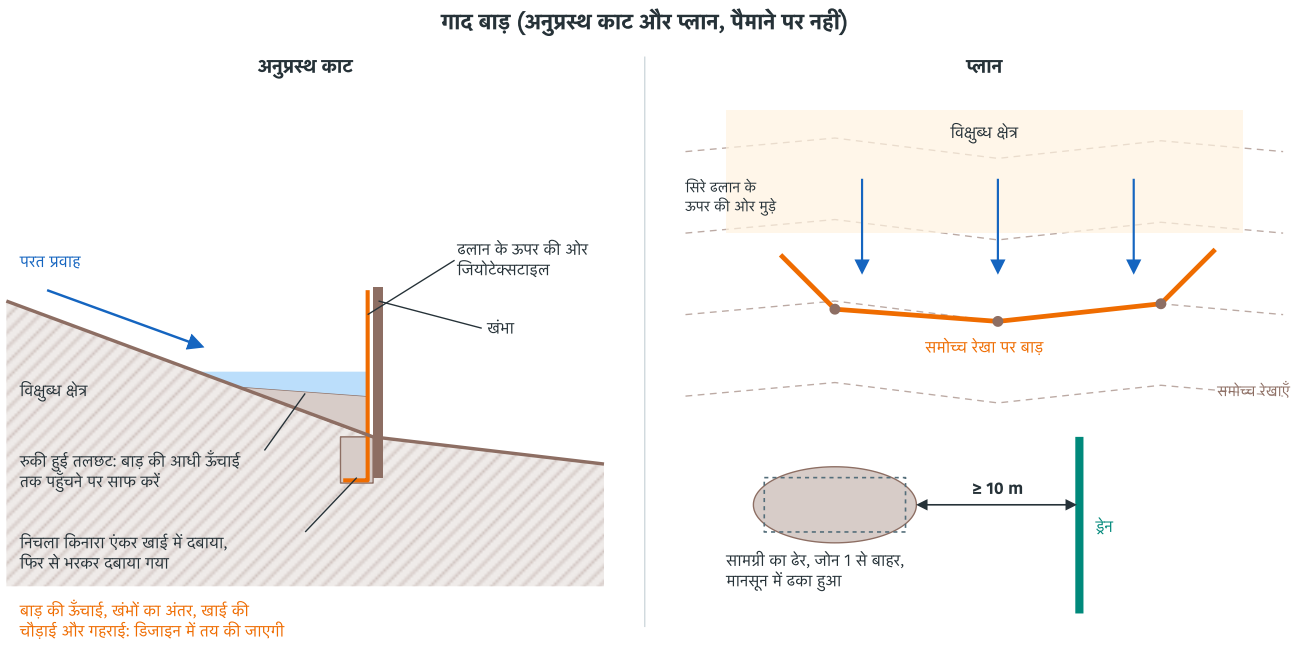

चित्र 8E.1 — गाद बाड़: काट, जिसमें खूँटों पर जियोटेक्सटाइल दर्शाया गया है जिसका निचला किनारा ऊपरी ढलान की ओर एक एंकर खाई में दबा है, और योजना, जिसमें बाड़ को समोच्च रेखा पर, सिरों पर मोड़ के साथ, दर्शाया गया है। मैनुअल द्वारा निर्धारित न किए गए आयामों की डिजाइन में पुष्टि की जानी है। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, US EPA, NPDES Construction General Permit (2022), और CIRIA, The SuDS Manual (C753), 2015 से अनुकूलित।

तैयार किया जाना है। खंड 8.12.3(a) प्रत्येक गाद बाड़ तक बहने वाले क्षेत्र की सीमा के लिए इस परिशिष्ट का संदर्भ देता है। वह सीमा, और बाड़ के ऊपर ढलान की अधिकतम लंबाई, राजस्थान की वर्षा के लिए राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित की जानी हैं। उनके प्रकाशित होने तक, सामान्य अमेरिकी व्यवहार से ली गई निम्नलिखित अंतरिम सीमाएँ लागू होती हैं (US EPA, Stormwater Best Management Practice fact sheet: Silt Fence):

- जल निकासी क्षेत्र: बाड़ के प्रति 30 m पर **0.1 ha** से अधिक नहीं;
- बाड़ के ऊपर ढलान की लंबाई: 2% से कम ढलान पर 30 m, 2–5% पर 23 m, 5–10% पर 15 m, 10–20% पर 8 m और 20% से अधिक खड़े ढलान पर 5 m से अधिक नहीं;
- जहाँ कहीं प्रवाह संकेंद्रित होकर आता हो, या कोई सीमा पूरी न की जा सके, वहाँ उसके स्थान पर तलछट जाल (चित्र 8E.2) का उपयोग किया जाता है।

डिजाइनकर्ता ESC योजना पर प्रत्येक बाड़ द्वारा सेवित जल निकासी क्षेत्र और ढलान की लंबाई दर्शाएगा।

टिप्पणियाँ:

1. विक्षुब्ध क्षेत्र के निचले ढलान वाले किनारे पर समोच्च रेखा के साथ लगाएँ, कभी भी संकेंद्रित प्रवाह मार्ग के आर-पार नहीं।
2. सिरों को ऊपरी ढलान की ओर मोड़ें ताकि पानी उनके चारों ओर से न बह सके।
3. साप्ताहिक और प्रत्येक भारी वर्षा घटना के 24 घंटों के भीतर निरीक्षण करें; 48 घंटों के भीतर मरम्मत करें; जमाव बाड़ की आधी ऊँचाई तक पहुँचने पर तलछट हटाएँ (खंड 8.12.5)।
4. केवल तभी हटाएँ जब उस तक बहने वाला क्षेत्र स्थिर हो जाए (खंड 8.12.6)।
5. सामग्री के ढेर: जोन 1 के बाहर, किसी भी ड्रेन से कम से कम 10 m दूर, और दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान ढके हुए (खंड 8.12.3(f))।

8E.2 तलछट जाल और तलछट बेसिन

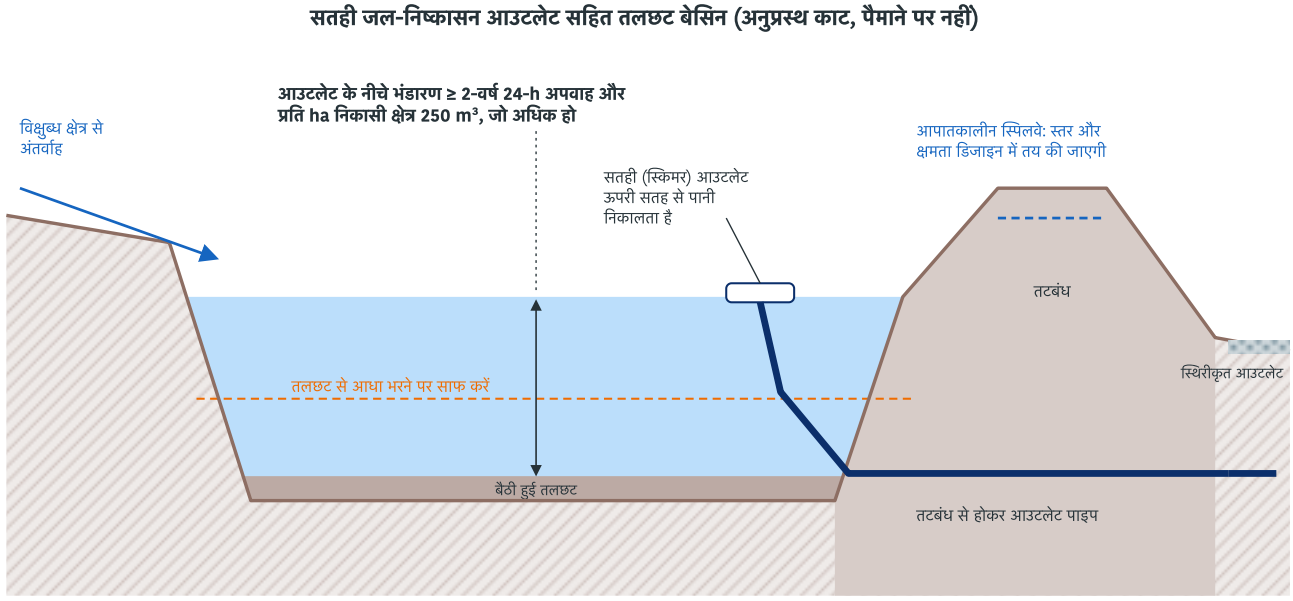

चित्र 8E.2 — तलछट जाल या बेसिन की काट: अंतर्वाह, आउटलेट के नीचे भंडारण आयतन, जल-भंडार के ऊपरी भाग से पानी निकालने वाला सतही जल-निष्कासन आउटलेट (स्किमर), आपातकालीन स्पिलवे, और भंडारण के आधे पर तलछट सफाई स्तर। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, US EPA, NPDES Construction General Permit (2022) से अनुकूलित।

टिप्पणियाँ:

1. **तलछट जाल:** 2 ha तक के विक्षुब्ध क्षेत्रों से संकेंद्रित प्रवाह के लिए (खंड 8.12.3(b))। भंडारण आयतन, गहराई और आउटलेट: डिजाइन में पुष्टि की जानी है।
2. **तलछट बेसिन:** 2 ha से अधिक के विक्षुब्ध क्षेत्रों के लिए। आउटलेट के नीचे भंडारण ≥ (a) 50% AEP (2-वर्ष) 24-घंटे की वर्षा घटना से अपवाह और (b) जल निकासी क्षेत्र के प्रति हेक्टेयर 250 m^3 में से जो अधिक हो (खंड 8.12.3(c))।
3. जल-निष्कासन आउटलेट सतह से पानी निकालता है (खंड 8.12.3(c))।
4. आपातकालीन स्पिलवे और उसकी क्षमता: डिजाइन में पुष्टि की जानी है। जहाँ बेसिन एक स्थायी अस्थायी भंडारण सुविधा भी हो, वहाँ अध्याय 4 के स्पिलवे नियम लागू होते हैं।
5. तलछट से आधा भर जाने पर सफाई करें (खंड 8.12.5)। किसी भी स्थायी सुविधा से उसके यथा-निर्मित सर्वेक्षण से पहले तलछट हटाएँ (खंड 8.12.6)।
6. खुदाई का जल-निष्कासन किसी तलछट बेसिन, अवसादन टैंक या फिल्टर बैग से होकर होगा (खंड 8.12.3(g))।

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं. एक तलछट बेसिन 3.0 ha विक्षुब्ध भूमि की सेवा करता है। 100 mm की 2-वर्ष 24-घंटे की वर्षा (जलवायु गुणक 1.0, खंड 8.12.4) और अध्याय 2 की पूर्ववर्ती नमी स्थिति के अंतर्गत खुली संघनित भूमि के लिए 86 का कर्व नंबर मानें।

- $S = 25{,}400 / 86 - 254 = 41.35$ mm; $I_a = 0.2S = 8.27$ mm
- $Q = (P - I_a)^2 / (P - I_a + S) = (100 - 8.27)^2 / (100 - 8.27 + 41.35) = 8{,}414 / 133.08 = 63.2$ mm
- (a) अपवाह आयतन = $10 \times Q \times A = 10 \times 63.2 \times 3.0 = 1{,}896$ m^3
- (b) 250 m^3/ha × 3.0 ha = 750 m^3
- आउटलेट के नीचे आवश्यक भंडारण = max (1,896, 750) = 1,896 m^3। यहाँ 2-वर्ष का अपवाह निर्णायक है।

8E.3 स्थिरीकृत निर्माण निकास और कंक्रीट धुलाई

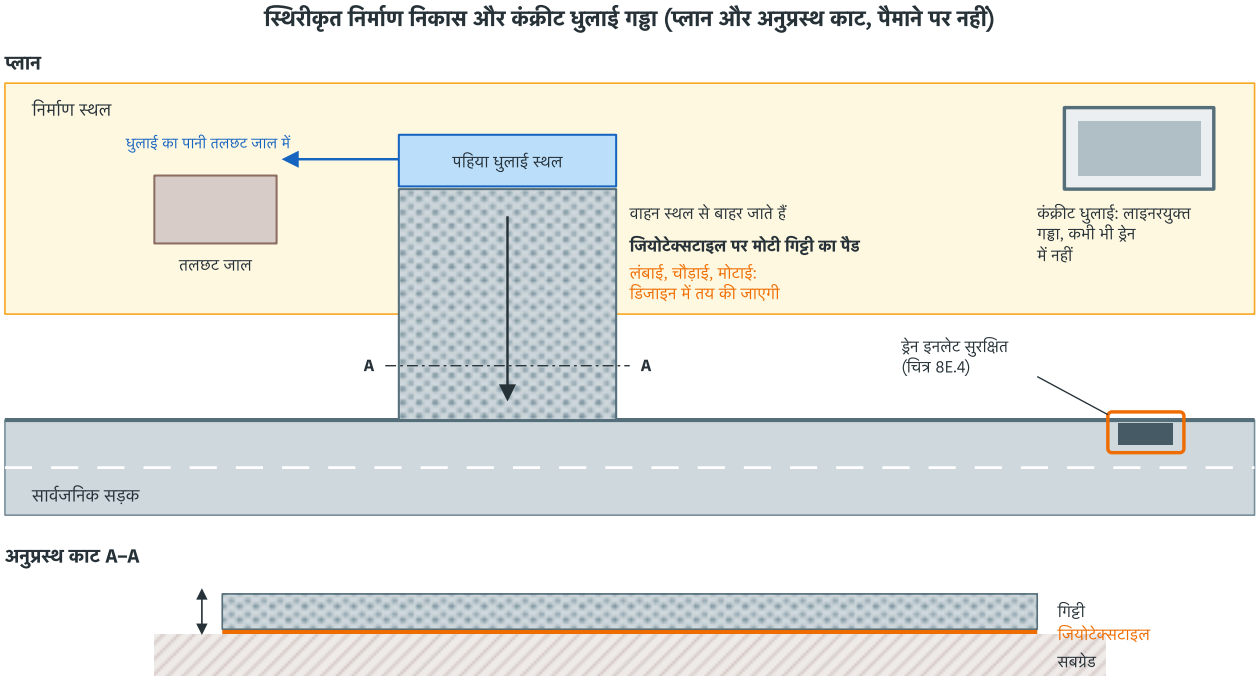

खंड 8.12.3(e) और (h)। सार्वजनिक सड़क पर आई तलछट को हर कार्य दिवस के अंत में झाड़कर हटाएँ।

चित्र 8E.3 — स्थिरीकृत निर्माण निकास: प्लान और काट, जिसमें साइट और सार्वजनिक सड़क के बीच जियोटेक्सटाइल पर मोटे एग्रीगेट का पैड, तलछट जाल में पानी छोड़ने वाला पहिया-धुलाई स्थल, और लाइनरयुक्त कंक्रीट धुलाई गड्ढा दर्शाया गया है। मैनुअल द्वारा निर्धारित न किए गए आयामों की डिजाइन में पुष्टि की जानी है। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, US EPA, NPDES Construction General Permit (2022) से अनुकूलित।

टिप्पणियाँ:

1. प्रत्येक उस बिंदु पर लगाएँ जहाँ वाहन साइट से सार्वजनिक सड़क पर निकलते हैं, पहिया धुलाई के साथ (खंड 8.12.3(e))।
2. पैड की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और एग्रीगेट का आकार: डिजाइन में पुष्टि की जानी है।
3. धुलाई का पानी किसी तलछट जाल या बेसिन में जाए, कभी भी किसी ड्रेन में नहीं।
4. कंक्रीट धुलाई लाइनरयुक्त गड्ढे में, कभी भी किसी ड्रेन में नहीं (खंड 8.12.3(h))।
5. सार्वजनिक सड़क पर आई किसी भी तलछट को प्रत्येक कार्य दिवस के अंत में साफ करें।

8E.4 इनलेट सुरक्षा

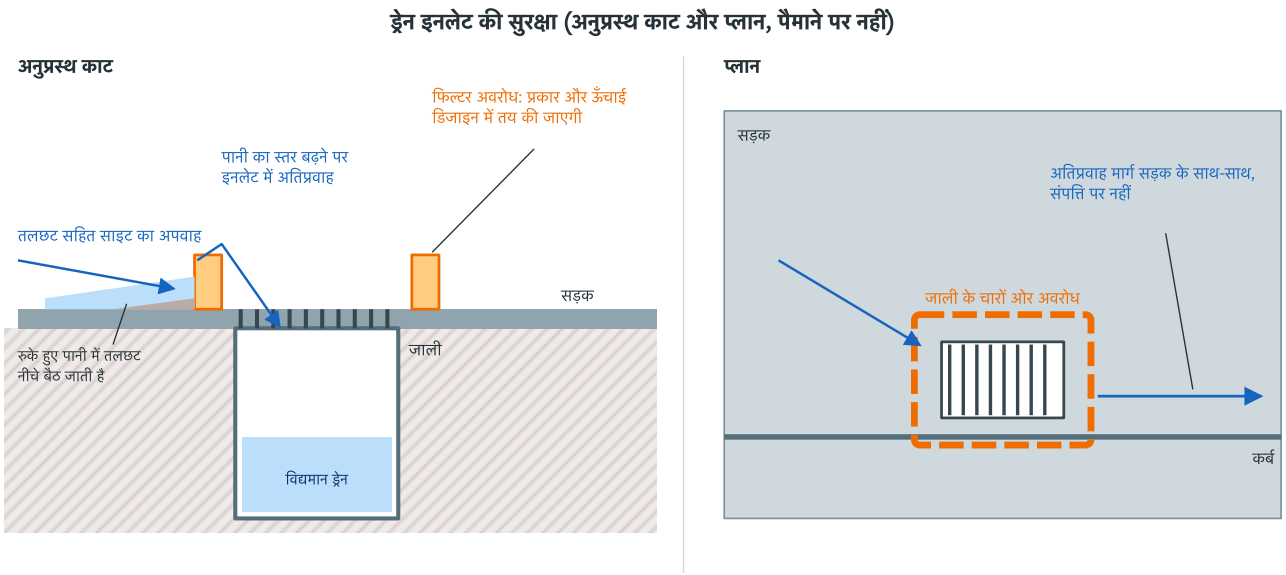

खंड 8.12.3(d)। हर भारी वर्षा के बाद तलछट हटाएँ (खंड 8.12.5)। सुरक्षा व्यवस्था से इनलेट अवरुद्ध नहीं होना चाहिए।

चित्र 8E.4 — किसी विद्यमान ड्रेन इनलेट पर इनलेट सुरक्षा: जाली या कर्ब इनलेट के चारों ओर एक फिल्टर अवरोध, अतिप्रवाह मार्ग के साथ ताकि रुका पानी सड़क या संपत्ति को जलमग्न न करे। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, US EPA, NPDES Construction General Permit (2022), और CIRIA, The SuDS Manual (C753), 2015 से अनुकूलित।

टिप्पणियाँ:

1. साइट से अपवाह प्राप्त करने वाले प्रत्येक विद्यमान ड्रेन इनलेट पर (खंड 8.12.3(d))।
2. सुरक्षा इनलेट को अवरुद्ध नहीं करनी चाहिए: उसके पीछे रुका पानी इनलेट में या सड़क के साथ अतिप्रवाहित हो सकना चाहिए।
3. अवरोध का प्रकार और ऊँचाई: डिजाइन में पुष्टि की जानी है।
4. प्रत्येक भारी वर्षा घटना के बाद तलछट हटाएँ (खंड 8.12.5)।

8E.5 समय और निरीक्षण

तालिका 8E.2 — ESC का समय और निरीक्षण (खंड 8.12.2 और 8.12.5)

मद	अपेक्षा
पूरे हो चुके मिट्टी के काम	15 जून तक वनस्पति, मल्च, मैटिंग या पक्की सतह द्वारा स्थिर
15 जून और 30 सितंबर के बीच साफ किया गया क्षेत्र	सफाई से पहले तलछट नियंत्रण लगे हों
दक्षिण-पश्चिम मानसून में खुला क्षेत्र	यथासंभव छोटा
निरीक्षण	साप्ताहिक, और प्रत्येक भारी वर्षा घटना के 24 h के भीतर (अध्याय 10)
मरम्मत	48 h के भीतर
सफाई	तलछट से आधा भर जाने पर
हटाना	केवल तब जब उपाय तक बहने वाला क्षेत्र स्थिर हो जाए

प्रपत्र 8-1 — जल गुणवत्ता पत्रक

अध्याय 8 के खंड 8.4, 8.6 और 8.14 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0.

तालिका 8F.1 — प्रपत्र 8-1, भाग A: साइट और वर्षा

क्र.	क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि	खंड
A1	परियोजना का नाम और प्राधिकारी की फाइल संख्या	_____	—
A2	टियर (A / B) और साइट का क्षेत्रफल, ha	_____	8.6.1
A3	वर्षा जोन (अध्याय 2)	_____	8.4.1
A4	P_ret, mm (परिशिष्ट 2E)	_____	8.4.1
A5	P_3m, mm (परिशिष्ट 8A, या अंतरिम गणना: अभिलेख, वर्ष, विधि)	_____	8.4.1
A6	P_wq = max (P_ret, P_3m), mm (बिना जलवायु गुणक)	_____	8.4.1, 8.4.3
A7	WQv विधि: SCS-CN, या Rv (केवल < 0.5 ha की साइटें और टियर B सरलीकृत विधि)	_____	8.4.2
A8	पुनर्विकास (विद्यमान अपारगम्य ≥ 20%)?	_____	8.6.2

तालिका 8F.2 — प्रपत्र 8-1, भाग B: जल निकासी क्षेत्र के अनुसार जल गुणवत्ता आयतन और प्रवाह

क्षेत्र ID	क्षेत्रफल (ha)	अपारगम्य I (%)	Q_wq अपवाह गहराई (mm) या Rv	WQv (m^3)	Q_wq (m^3/s)	रोका गया आयतन, अध्याय 4 (m^3)	न रोका गया WQv (m^3)	क्षेत्र की सेवा करने वाली BMP	पूर्व-उपचार
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
कुल	_____			_____		_____	_____		

तालिका 8F.3 — प्रपत्र 8-1, भाग C: सेवा स्तर और मूल्य श्रेणी (टियर A)

क्र.	क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि	खंड
C1	विकास-पूर्व CN; विकास-पश्चात CN; ΔCN	_____	8.6.2
C2	आवश्यक LoS (तालिका 8.2, या पुनर्विकास के लिए परिशिष्ट 8B)	_____	8.6.2
C3	संयुक्त VR (परिशिष्ट 8B की गणना संलग्न)	_____	8.6.3
C4	संयुक्त VR ≥ आवश्यक LoS?	_____	8.6.3
C5	टियर B: खंड 8.6.5 के अंतर्गत अपनाया गया मार्ग (a) साइट पर रोका गया / (b) बायोरिटेंशन, वर्षा उद्यान या अंतःस्यंदन	_____	8.6.5

तालिका 8F.4 — प्रपत्र 8-1, भाग D: अन्य प्रस्तुतियाँ (खंड 8.14)

क्र.	मद	संलग्न (हाँ / नहीं / लागू नहीं)	खंड
D1	खंड 8.7 और परिशिष्ट 8D के अनुसार BMP डिजाइन, पूर्व-उपचार सहित	_____	8.14(3)
D2	अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख (प्रपत्र 8-2), मौसमी उच्चतम भूजल स्तर और स्रोत, डिजाइन दर, खाली होने का समय, सेटबैक	_____	8.14(4)
D3	सीवेज और सलेज जुड़ाव योजना; डाई या धुआँ परीक्षण अभिलेख	_____	8.9.2, 8.14(5)
D4	किसी जलाशय में गिरने वाले किसी भी आउटफॉल के लिए GPT और प्रथम प्रवाह डिजाइन	_____	8.10, 8.14(6)
D5	संचयन, पुनर्भरण और अस्थायी भंडारण को अलग-अलग दर्शाता RWH लेआउट	_____	8.11, 8.14(7)
D6	ESC योजना	_____	8.12, 8.14(8)
D7	हॉटस्पॉट नियंत्रण, जहाँ खंड 8.8.8 लागू हो	_____	8.8.8

तालिका 8F.5 — प्रपत्र 8-1, भाग E: तैयारकर्ता

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
नाम, पंजीकरण और सूचीबद्धता संख्या (खंड 10.6)	_____
हस्ताक्षर और तिथि	_____

प्रपत्र 8-2 — अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख

अध्याय 8 के खंड 8.8.1 से 8.8.7 और 8.11.4 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. प्रति सुविधा एक अभिलेख। परीक्षण स्थानों को दर्शाने वाला एक नक्शा, और प्रत्येक परीक्षण के पाठ्यांक, संलग्न करें।

तालिका 8F.6 — प्रपत्र 8-2, भाग A: सुविधा

क्र.	क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि	खंड
A1	परियोजना और सुविधा ID; सुविधा का प्रकार	_____	8.8.3
A2	अंतःस्यंदन आधार क्षेत्रफल (m^2) या खाई की लंबाई (m)	_____	8.8.3(c)
A3	सुविधा का प्रस्तावित आधार स्तर, m (डेटम)	_____	8.8.3
A4	अपवाह का स्रोत: केवल छत / पक्की सतहें / मिश्रित; हॉटस्पॉट (हाँ / नहीं)	_____	8.8.6, 8.8.8
A5	भूमि की स्थिति: रेतीला तटीय / लैटेराइट या कठोर चट्टान / डेल्टा की चिकनी मिट्टी या काली कपास मिट्टी / अन्य	_____	8.8.9–8.8.11

तालिका 8F.7 — प्रपत्र 8-2, भाग B: परीक्षण

परीक्षण सं.	स्थान (ग्रिड संदर्भ)	तिथि	विधि: डबल-रिंग (ASTM D3385) / फॉलिंग-हेड बोरहोल या ट्रायल-पिट सोखन (उदाहरण के लिए BRE Digest 365)	परीक्षण स्तर, m	परीक्षण के समय भूजल स्तर, m	मापी गई दर (mm/h)
1	_____	_____	_____	_____	_____	_____
2	_____	_____	_____	_____	_____	_____
3	_____	_____	_____	_____	_____	_____

परीक्षणों की न्यूनतम संख्या: प्रति सुविधा 2, और आधार क्षेत्र के प्रति 100 m^2 या खाई के प्रति 50 m पर 1 (खंड 8.8.3(c))।

तालिका 8F.8 — प्रपत्र 8-2, भाग C: डिजाइन दर और खाली होना

क्र.	मद	प्रविष्टि	खंड
C1	किए गए परीक्षणों की संख्या; आवश्यक संख्या	_____	8.8.3(c)
C2	उच्चतम और न्यूनतम मापी गई दरें; अनुपात (उच्चतम ÷ न्यूनतम)	_____	8.8.4
C3	सुरक्षा गुणक: 2.0 (परीक्षण 8.8.3(c) को पूरा करें और अनुपात ≤ 2) या 3.0	_____	8.8.4
C4	डिजाइन दर = प्रयुक्त मापी गई दर ÷ सुरक्षा गुणक, mm/h (बताएँ कि कौन-सी मापी गई दर प्रयुक्त हुई)	_____	8.8.4
C5	श्रेणी: ≥ 13 mm/h पूर्ण अंतःस्यंदन / 3–13 mm/h अंडरड्रेन सहित आंशिक / < 3 mm/h कोई क्रेडिट नहीं	_____	8.8.5
C6	अंतःस्यंदित किए जाने वाले पानी की गहराई, mm; खाली होने का समय = गहराई ÷ डिजाइन दर, h (≤ 72 h)	_____	8.8.7

तालिका 8F.9 — प्रपत्र 8-2, भाग D: दूरी और सेटबैक

क्र.	मद	प्रविष्टि	खंड
D1	मौसमी उच्चतम भूजल स्तर, m, और उसका स्रोत (खंड 3.10.2)	_____	8.8.1
D2	सुविधा के आधार से मौसमी उच्चतम भूजल स्तर तक की दूरी, m (≥ 1.0; अधिसूचित तटीय रेत में केवल छत के अपवाह के लिए उभार जाँच के साथ ≥ 0.5)	_____	8.8.1, 8.8.9(d)
D3	आधार के नीचे आधार-शैल या अपारगम्य परत की गहराई, m (≥ 1.0, जब तक खंड 8.8.10 लागू न हो)	_____	8.8.2
D4	इनसे दूरियाँ: नींव / बेसमेंट / संपत्ति की सीमा / पेयजल कुआँ या बोरवेल / सेप्टिक टैंक या सोख गड्ढा / 1V:3H से अधिक खड़े ढलान का शिखर, m	_____	8.8.6
D5	फैलने वाली मिट्टी: नींव से सेटबैक दोगुना किया गया?	_____	8.8.11(b)

तालिका 8F.10 — प्रपत्र 8-2, भाग E: घोषणा

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
परीक्षणकर्ता: नाम, भू-तकनीकी परीक्षण में योग्यता, संगठन	_____
मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि परीक्षण बताए गए स्थानों और स्तरों पर, बताई गई विधियों से किए गए, और संलग्न पाठ्यांक पूर्ण हैं। हस्ताक्षर और तिथि	_____
डिजाइनकर्ता (खंड 10.6): नाम और हस्ताक्षर	_____

अध्याय 9 के परिशिष्ट

संरचनाओं का हाइड्रोलिक डिजाइन

ये परिशिष्ट अध्याय 9 के लिए हैं। परिशिष्ट 9A में SI इकाइयों में FHWA HDS-5 के इनलेट-नियंत्रण समीकरण, सामान्य इनलेटों के प्रकाशित गुणांकों के साथ, और पुलिया का एक पूर्ण हल किया गया उदाहरण दिया गया है। परिशिष्ट 9B में मानक ड्रॉइंग दी गई हैं, जिनमें केवल वे आयाम हैं जो अध्याय 9 और अध्याय 6 पहले से निर्धारित करते हैं; अन्य प्रत्येक आयाम पर "डिजाइन में पुष्टि की जानी है" अंकित है। परिशिष्ट 9C पंपिंग स्टेशन डिजाइन की जाँच-सूची है, जिसमें खंड 9.9 से ली गई एक मानक नियंत्रण पद्धति (control philosophy) है। प्रपत्र 9-1 एक प्रारूप प्रपत्र है: यह वही सूचीबद्ध करता है जो खंड 9.14 अपेक्षित करता है, और उसमें कुछ नहीं जोड़ता।

परिशिष्ट 9A — SI इकाइयों में HDS-5 इनलेट-नियंत्रण गुणांक और पुलिया का हल किया गया उदाहरण

अध्याय 9 के खंड 9.4.1 से 9.4.7 और अध्याय 6 के खंड 6.12 के लिए।

9A.1 इनलेट-नियंत्रण समीकरण

FHWA *Hydraulic Design of Highway Culverts*, HDS-5, संस्करण 3 (2012), Appendix A में तीन इनलेट-नियंत्रण समीकरण दिए गए हैं। SI इकाइयों में:

> अजलमग्न, रूप 1: HWi/D = Hc/D + K · [Ku · Q / (A · D^0.5)]^M + Ks · S

> अजलमग्न, रूप 2: HWi/D = K · [Ku · Q / (A · D^0.5)]^M

> जलमग्न: HWi/D = c · [Ku · Q / (A · D^0.5)]² + Y + Ks · S

जहाँ HWi इनलेट नियंत्रण के अंतर्गत इनलेट इनवर्ट के ऊपर हेडवाटर की गहराई (m) है, D बैरल की आंतरिक ऊँचाई (rise) (m) है, Hc क्रांतिक गहराई पर विशिष्ट हेड (specific head), dc + Vc²/2g (m) है, Q प्रवाह दर (m³/s) है, A बैरल का पूर्ण अनुप्रस्थ-काट क्षेत्रफल (m²) है, S बैरल का ढलान (m/m) है, K, M, c और Y तालिका 9A.1 के स्थिरांक हैं, SI इकाइयों में Ku = 1.811 (US इकाइयों में 1.0) है, और Ks ढलान संशोधन है: −0.5, या तिरछे कटे (mitred) इनलेटों के लिए +0.7।

कौन सा समीकरण लागू होगा, यह X = Ku · Q / (A · D^0.5) पर निर्भर करता है:

- X ≤ 3.5: अजलमग्न समीकरण (तालिका 9A.1 में दिए अनुसार रूप 1 या रूप 2);
- X ≥ 4.0: जलमग्न समीकरण;

- 3.5 < X < 4.0 (संक्रमण): FHWA HY-8 का उपयोग करें, जो HDS-5 के संक्रमण को लागू करता है। जहाँ हाथ से गणना की जाती है, वहाँ अजलमग्न और जलमग्न परिणामों में से उच्चतर लें। यह इस परिशिष्ट द्वारा किया गया एक सुरक्षित पक्ष का सरलीकरण है, HDS-5 का नियम नहीं।

तालिका 9A.1 — सामान्य इनलेटों के लिए HDS-5 इनलेट-नियंत्रण गुणांक

बैरल	इनलेट किनारा	रूप	K	M	c	Y
वृत्ताकार कंक्रीट	हेडवॉल सहित चौकोर किनारा	1	0.0098	2.0	0.0398	0.67
वृत्ताकार कंक्रीट	हेडवॉल सहित ग्रूव (सॉकेट) सिरा	1	0.0018	2.0	0.0292	0.74
वृत्ताकार कंक्रीट	बाहर निकला हुआ ग्रूव (सॉकेट) सिरा	1	0.0045	2.0	0.0317	0.69
वृत्ताकार नालीदार धातु	हेडवॉल	1	0.0078	2.0	0.0379	0.69
वृत्ताकार नालीदार धातु	ढलान के अनुरूप तिरछा कटा	1	0.0210	1.33	0.0463	0.75
वृत्ताकार नालीदार धातु	बाहर निकला हुआ	1	0.0340	1.50	0.0553	0.54
आयताकार बॉक्स	30° से 75° पर फैली विंगवॉल	1	0.026	1.0	0.0347	0.81
आयताकार बॉक्स	90° और 15° पर फैली विंगवॉल	1	0.061	0.75	0.0400	0.80
आयताकार बॉक्स	0° पर विंगवॉल (पार्श्वों का विस्तार)	1	0.061	0.75	0.0423	0.82
आयताकार बॉक्स	19 mm (3/4 इंच) चैम्फर सहित 90° हेडवॉल	2	0.515	0.667	0.0375	0.79
आयताकार बॉक्स	45° बेवल सहित 90° हेडवॉल	2	0.495	0.667	0.0314	0.82
आयताकार बॉक्स	33.7° बेवल सहित 90° हेडवॉल	2	0.486	0.667	0.0252	0.865

स्रोत: FHWA HDS-5 (2012), Appendix A, Table A.1 (गुणांक विमाहीन हैं और Ku = 1.811 के साथ SI इकाइयों में लागू होते हैं)। मानों की जाँच HIF-12-026, Table A.1 (चार्ट और स्केल संख्या 1/1–1/3, 2/1–2/3, 8/1–8/3 और 10/1–10/3) से की गई। जहाँ HDS-5 का कोई बाद का संस्करण भिन्न हो, वहाँ बाद की तालिका प्रभावी होगी। आउटलेट नियंत्रण के लिए प्रवेश हानि गुणांक अध्याय 9 की तालिका 9.1 में हैं।

9A.2 हल किया गया उदाहरण: संग्राहक सड़क के नीचे पाइप पुलिया

केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं। नीचे दिए गए इनपुट विधि दिखाने के लिए कल्पित हैं; परिणाम किसी भी स्थल के लिए डिजाइन मान नहीं हैं।

इनपुट.

तालिका 9A.2 — हल किए गए उदाहरण के इनपुट

मद	मान	स्रोत
सड़क वर्ग	संग्राहक सड़क; डिजाइन AEP 4% (25-वर्ष), जाँच घटना 2% (50-वर्ष), और 1% AEP जाँच	तालिका 6.1, खंड 6.12.2
डिजाइन प्रवाह, 4% AEP	1.80 m^3/s (जलवायु गुणक सहित)	उदाहरणार्थ
जाँच प्रवाह, 2% AEP	2.20 m^3/s	उदाहरणार्थ

मद	मान	स्रोत
1% AEP प्रवाह	3.00 m^3/s	उदाहरणार्थ
बैरल	कॉलर जोड़ों वाला एक 1,200 mm RCC पाइप, n = 0.015	तालिका 6.6
इनलेट	हेडवॉल सहित चौकोर किनारा: ke = 0.5; K = 0.0098, M = 2.0, c = 0.0398, Y = 0.67, रूप 1	तालिकाएँ 9.1 और 9A.1
लंबाई और ढलान	L = 20.0 m; S = 0.005 (इनलेट इनवर्ट 20.00 m, आउटलेट इनवर्ट 19.90 m, स्थानीय डेटम)	उदाहरणार्थ
इनलेट पर सड़क के स्तर	शोल्डर का किनारा 22.00 m; सड़क के शिखर का निम्नतम बिंदु 22.10 m	उदाहरणार्थ
आउटलेट इनवर्ट के ऊपर टेलवाटर, TW	1.80 m^3/s पर 0.60 m; 2.20 m^3/s पर 0.70 m; 3.00 m^3/s पर 0.85 m (अनुप्रवाह चैनल में सामान्य गहराई)	उदाहरणार्थ; खंड 9.4.4
प्राप्तकर्ता चैनल	कच्चा, बलुई दोमट	तालिका 9.2

न्यूनतम आकार: 1,200 mm ≥ 900 mm (खंड 6.12.5)। स्पैन 1.5 m से कम है, इसलिए अवरोध जाँच में इनलेट क्षेत्रफल का 50% अवरुद्ध माना जाता है (खंड 6.12.4(a))।

पद 1 — बैरल के गुण. $A = \pi \cdot 1.2^2 / 4 = 1.131\ m^2$; पूर्ण-बैरल हाइड्रोलिक त्रिज्या $R = D/4 = 0.300$ m; $D^{0.5} = 1.095$।

पद 2 — क्रांतिक गहराई. प्रत्येक प्रवाह के लिए, dc वृत्ताकार खंड की क्रांतिक-प्रवाह शर्त $Q^2 \cdot T / (g \cdot Ac^3) = 1$ से परीक्षण द्वारा ज्ञात की जाती है, जहाँ Ac और T गहराई dc पर प्रवाह क्षेत्रफल और शीर्ष चौड़ाई हैं।

तालिका 9A.3 — क्रांतिक गहराई और विशिष्ट हेड (D = 1.2 m)

Q (m^3/s)	dc (m)	Ac (m^2)	T (m)	Vc = Q/Ac (m/s)	Hc = dc + $Vc^2/2g$ (m)	Hc/D
1.80	0.737	0.728	1.168	2.471	1.048	0.873
2.20	0.817	0.820	1.119	2.683	1.184	0.987
3.00	0.952	0.962	0.972	3.118	1.447	1.206

पद 3 — इनलेट नियंत्रण के अंतर्गत हेडवाटर. $X = 1.811 \cdot Q / (1.131 \times 1.095) = 1.462 \cdot Q$।

तालिका 9A.4 — इनलेट-नियंत्रण हेडवाटर

Q (m^3/s)	X	समीकरण	HWi/D	HWi (m)
1.80	2.631	अजलमग्न, रूप 1: $0.873 + 0.0098 \times 2.631^2 - 0.5 \times 0.005 = 0.873 + 0.068 - 0.003$	0.939	1.127
2.20	3.216	अजलमग्न, रूप 1: $0.987 + 0.0098 \times 3.216^2 - 0.003 = 0.987 + 0.101 - 0.003$	1.085	1.302
3.00	4.385	जलमग्न: $0.0398 \times 4.385^2 + 0.67 - 0.003 = 0.765 + 0.67 - 0.003$	1.433	1.719

पद 4 — आउटलेट नियंत्रण के अंतर्गत हेडवाटर (खंड 9.4.3)। घर्षण पद $19.63 \cdot n^2 \cdot L / R^{1.33} = 19.63 \times 0.015^2 \times 20.0 / 0.300^{1.33} = 0.0883 / 0.2016 = 0.438$ है, इसलिए $H = (1 + 0.5 + 0.438) \cdot V^2/2g = 1.938 \cdot V^2/2g$। $L \cdot S = 20.0 \times 0.005 = 0.100$ m।

तालिका 9A.5 — आउटलेट-नियंत्रण हेडवाटर

Q (m³/s)	V = Q/A (m/s)	V²/2g (m)	H (m)	(dc + D)/2 (m)	TW (m)	ho (m)	HWo = ho + H − L·S (m)
1.80	1.592	0.129	0.250	0.969	0.60	0.969	1.119
2.20	1.945	0.193	0.374	1.009	0.70	1.009	1.283
3.00	2.653	0.359	0.695	1.076	0.85	1.076	1.671

पद 5 — निर्णायक हेडवाटर (खंड 9.4.1): HWi और HWo में से अधिक।

तालिका 9A.6 — निर्णायक हेडवाटर और जाँचें

घटना	Q (m³/s)	HWi (m)	HWo (m)	नियंत्रण	HW (m)	HW स्तर (m)	HW/D
डिजाइन, 4% AEP	1.80	1.127	1.119	इनलेट	1.127	21.13	0.94
जाँच, 2% AEP	2.20	1.302	1.283	इनलेट	1.302	21.30	1.09
1% AEP	3.00	1.719	1.671	इनलेट	1.719	21.72	1.43

पद 6 — डिजाइन AEP पर हेडवाटर की सीमाएँ (खंड 9.4.5):

- (a) HW/D = 0.94 ≤ 1.2। अनुपालन करता है।
- (b) HW स्तर 21.13 m ≤ शोल्डर का किनारा 22.00 m − 0.30 m = 21.70 m। अनुपालन करता है।
- (c) प्रतिप्रवाह भवनों और संपत्ति सीमाओं पर जल स्तरों की तुलना खंड 6.12.2(d) के अंतर्गत विद्यमान स्थिति से की जाती है। इसके लिए प्रतिप्रवाह सर्वेक्षण आवश्यक है और यह यहाँ नहीं दिखाया गया है।

पद 7 — सड़क के ऊपर से बहना (खंड 6.12.2, 6.12.3 और 9.4.6)। 1% AEP हेडवाटर स्तर, 21.72 m, सड़क के निम्नतम शिखर, 22.10 m, से नीचे है, इसलिए जाँच घटना या 1% AEP घटना में सड़क के ऊपर से पानी नहीं बहता। यदि हेडवाटर शिखर से अधिक होता, तो ऊपर से होने वाले प्रवाह Qr = Cd · L · h^1.5 (Cd ≤ 1.66) को पुलिया के प्रवाह के साथ एक साझा हेडवाटर पर संतुलित किया जाता, और ऊपर से बहने की गहराई की जाँच खंड 6.12.2(a) के विरुद्ध की जाती।

पद 8 — आउटलेट वेग (खंड 9.4.7)। इनलेट नियंत्रण के अंतर्गत, आउटलेट वेग बैरल में सामान्य गहराई पर वेग होता है। बैरल की पूर्ण-प्रवाह क्षमता (1/n) · A · R^(2/3) · S^0.5 = (1/0.015) × 1.131 × 0.448 × 0.0707 = 2.39 m³/s है।

- 1.80 m³/s: सामान्य गहराई 0.778 m, आउटलेट वेग 2.32 m/s।
- 2.20 m³/s: सामान्य गहराई 0.908 m, आउटलेट वेग 2.40 m/s।
- 3.00 m³/s: पूर्ण-प्रवाह क्षमता से अधिक, इसलिए आउटलेट पर बैरल पूरा भरकर बहता है; वेग = Q/A = 2.65 m/s।

प्राप्तकर्ता चैनल कच्चा, बलुई दोमट है, जिसका अनुमेय वेग 0.53 m/s है (तालिका 9.2), इसलिए आउटलेट संरक्षण आवश्यक है (खंड 9.6.1)। बैरल के सभी वेग 3.0 m/s से कम हैं (खंड 6.7.3(b))।

पद 9 — रिपरैप एप्रन (खंड 9.6.3; चित्र 9.2)। D50 = 0.2 · D · [Q / (g^0.5 · D^2.5)]^(4/3) · (D/TW), जिसमें g^0.5 · D^2.5 = 3.132 × 1.577 = 4.941।

तालिका 9A.7 — रिपरैप एप्रन का आकार निर्धारण

Q (m³/s)	TW (m)	Q / (g^0.5 · D^2.5)	[ ]^(4/3)	D50 (m)
1.80	0.60	0.364	0.260	0.2 × 1.2 × 0.260 × 2.00 = 0.125

Q (m^3/s)	TW (m)	Q / (g^0.5 · D^2.5)	[ ]^(4/3)	D50 (m)
2.20	0.70	0.445	0.340	0.2 × 1.2 × 0.340 × 1.71 = 0.140
3.00	0.85	0.607	0.514	0.2 × 1.2 × 0.514 × 1.41 = 0.174

खंड 9.4.7 अपेक्षित करता है कि आउटलेट को डिजाइन AEP और 1% AEP के लिए संरक्षित किया जाए, इसलिए यहाँ एप्रन का आकार सबसे बड़े D50, 0.174 m, के लिए निर्धारित किया गया है। तालिका 9.3 से, वर्ग 2 (D50 = 150 mm) बहुत छोटा है, इसलिए **वर्ग 3** (D50 = 250 mm) का उपयोग किया गया है:

- एप्रन की लंबाई 5D = 5 × 1.2 = 6.0 m;
- एप्रन की मोटाई 2.4 × D50 = 2.4 × 0.25 = 0.60 m;
- आउटलेट पर एप्रन की चौड़ाई कम से कम 3D = 3.6 m, अनुप्रवाह चैनल की ओर फैलती हुई;
- पत्थर दानेदार फिल्टर या जियोटेक्सटाइल पर रखे गए (खंड 9.6.4)।

पद 10 — अवरोध जाँच (खंड 6.12.4(a))। इनलेट क्षेत्रफल के 50% अवरुद्ध होने की स्थिति में 1% AEP प्रवाह के लिए पद 3 से 7 दोहराए जाते हैं, और परिणामों को खंड 6.12.2(a) और (d) का पालन करना होगा। यह मैनुअल अभी आंशिक रूप से अवरुद्ध इनलेट को दर्शाने का कोई मानक तरीका निर्धारित नहीं करता, इसलिए यह जाँच HY-8 में या अनुमोदन प्राधिकारी के साथ सहमत किसी विधि द्वारा की जाती है। इसे यहाँ हल नहीं किया गया है।

तालिका 9A.8 — हल किए गए उदाहरण का सारांश (केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं)

जाँच	परिणाम	खंड
न्यूनतम आकार	1,200 mm ≥ 900 mm	6.12.5
डिजाइन HW/D	0.94 ≤ 1.2	9.4.5(a)
शोल्डर के किनारे से नीचे डिजाइन HW	21.13 m ≤ 21.70 m	9.4.5(b)
जाँच घटना और 1% घटना में ऊपर से बहना	नहीं (21.72 m < 22.10 m)	6.12.2, 9.4.6
आउटलेट संरक्षण	वर्ग 3 रिपरैप एप्रन, 6.0 m लंबा, 0.60 m मोटा, आउटलेट पर 3.6 m चौड़ा	9.6.1, 9.6.3
अवरोध जाँच	HY-8 में या किसी सहमत विधि द्वारा की जानी है	6.12.4

परिशिष्ट 9B — मानक ड्रॉइंग: हेडवॉल, रिपरैप एप्रन, ड्रॉप संरचनाएँ, कचरा-रोधी जालियाँ, अस्थायी भंडारण राइजर

अध्याय 9 के खंड 9.4, 9.6, 9.7 और 9.8 के लिए।

नीचे दी गई ड्रॉइंग योजनाबद्ध मानक ड्रॉइंग हैं। इनमें केवल वे आयाम और नियम दिखाए गए हैं जो अध्याय 9 और अध्याय 6 निर्धारित करते हैं। संरचनात्मक आयाम, प्रबलन, नींव और फिक्सिंग की डिजाइन में पुष्टि की जानी है (खंड 9.1.2)। रिपरैप एप्रन की मानक ड्रॉइंग अध्याय 9 का चित्र 9.2 है, जिसके आयाम तालिका 9.3 से हैं; उसे यहाँ दोहराया नहीं गया है। तालिका 9B.1 में दिखाए गए आयाम और उनके स्रोत खंड सूचीबद्ध हैं।

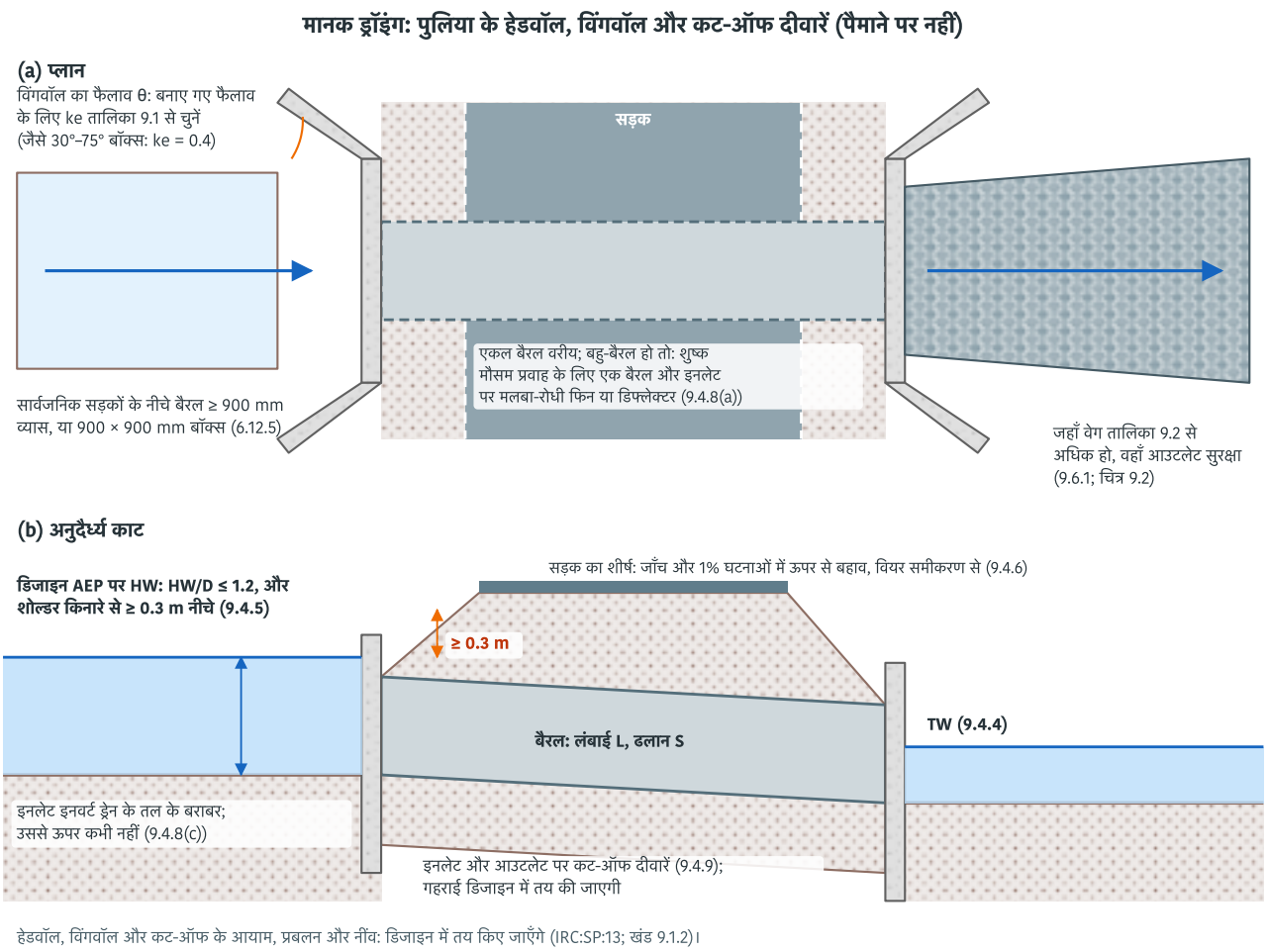

चित्र 9B.1 — मानक ड्रॉइंग: पुलिया के हेडवॉल, विंगवॉल और कट-ऑफ दीवारें, प्लान और अनुदैर्ध्य काट में, हेडवाटर की सीमाओं, इनवर्ट के नियम और मलबा संबंधी प्रावधानों के साथ। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, FHWA, Hydraulic Design of Highway Culverts, HDS-5 (3rd ed., 2012) से अनुकूलित।

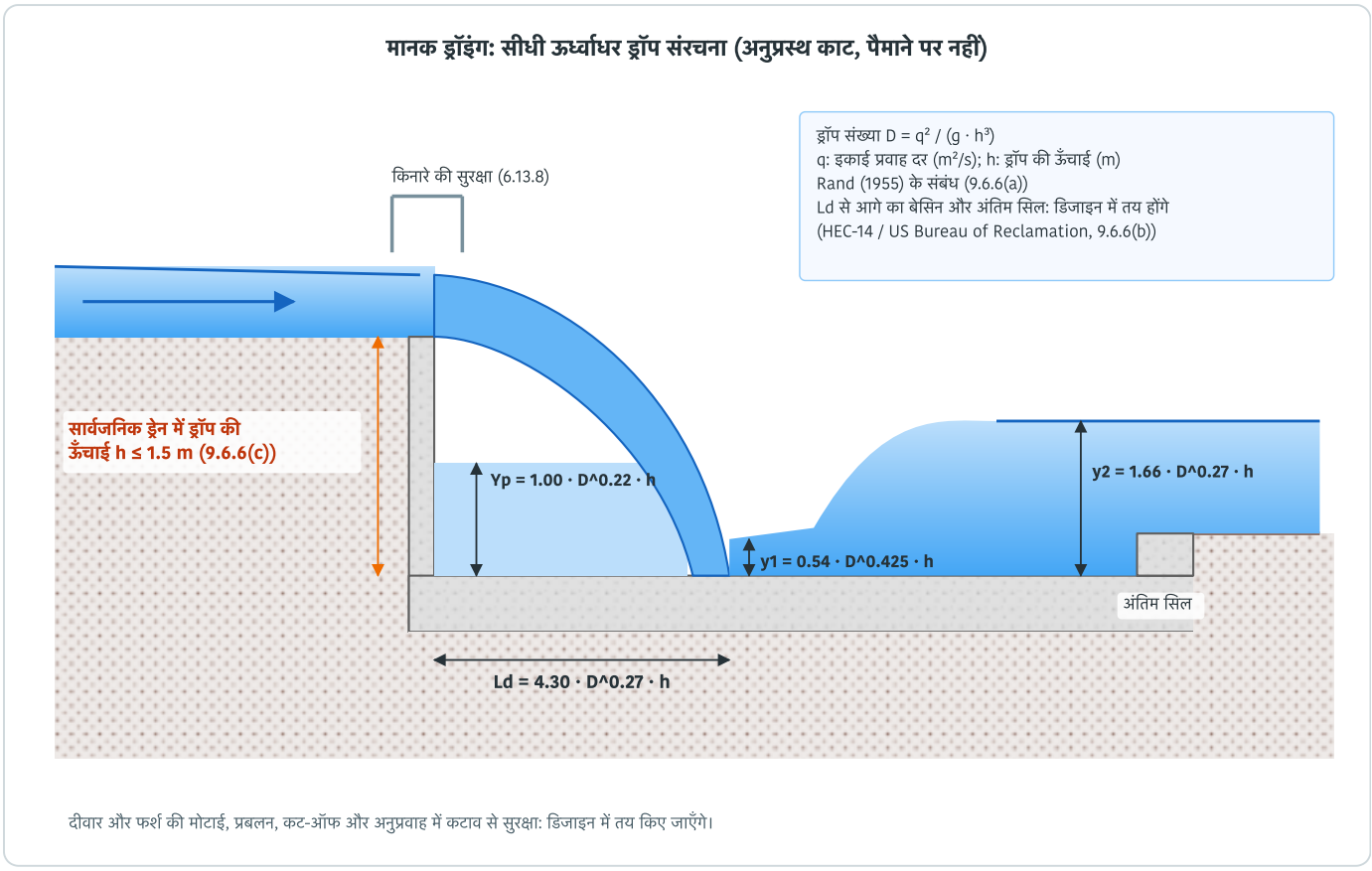

चित्र 9B.2 — मानक ड्रॉइंग: Rand (1955) की कुंड ज्यामिति और 1.5 m की ऊँचाई सीमा सहित सीधी ऊर्ध्वाधर ड्रॉप संरचना। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Chow, Open-Channel Hydraulics (1959), और FHWA, HEC-14 (3rd ed., 2006) से अनुकूलित।

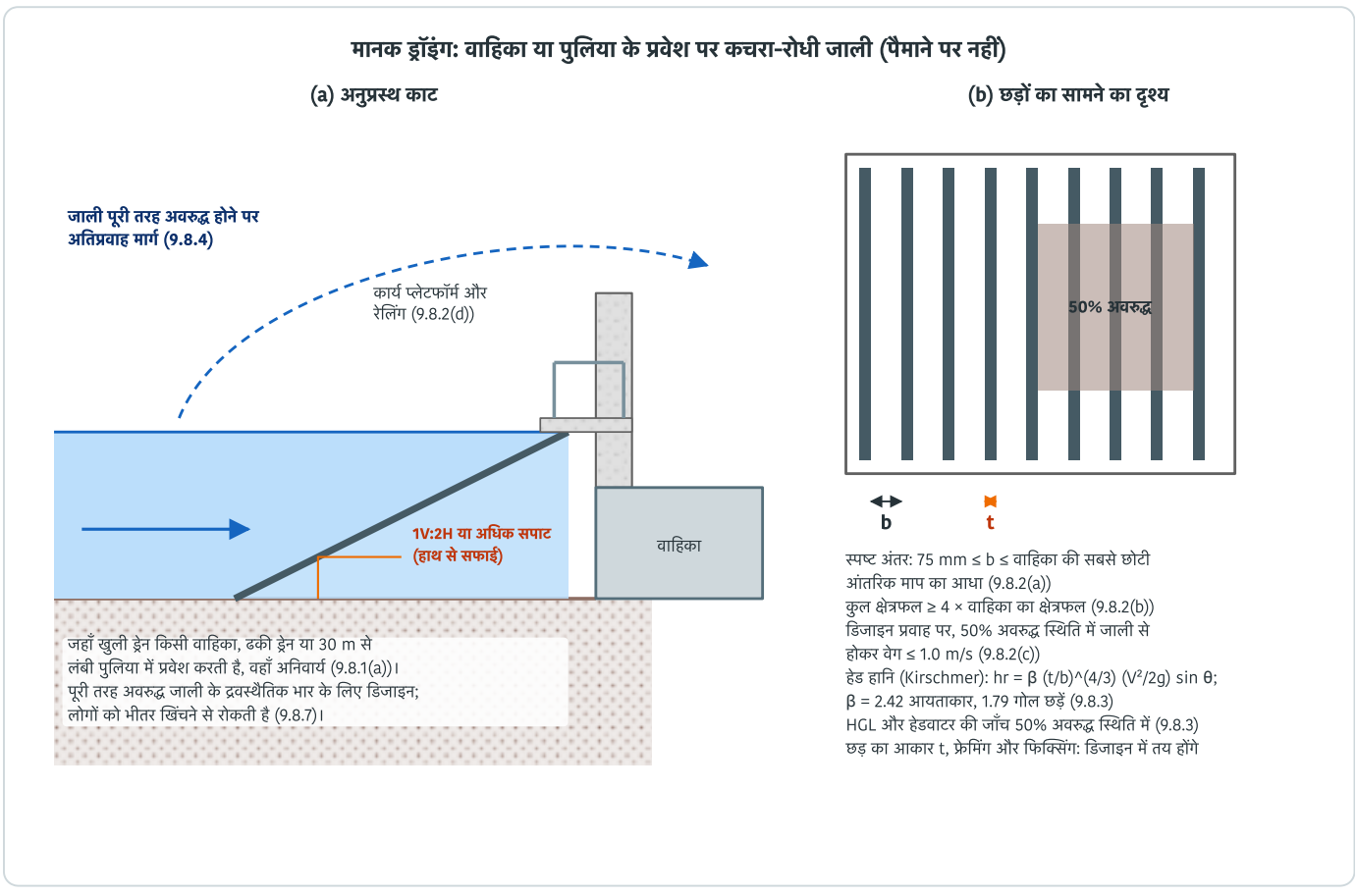

चित्र 9B.3 — मानक ड्रॉइंग: वाहिका या पुलिया के प्रवेश पर कचरा-रोधी जाली, काट और सामने के दृश्य में, छड़ों की दूरी, क्षेत्रफल, वेग, ढलान और अतिप्रवाह की अपेक्षाओं के साथ। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, CIRIA, Culvert, screen and outfall manual, C786 (2019), और CPHEEO, Manual on Storm Water Drainage Systems (2019), §8.3.1.3 से अनुकूलित।

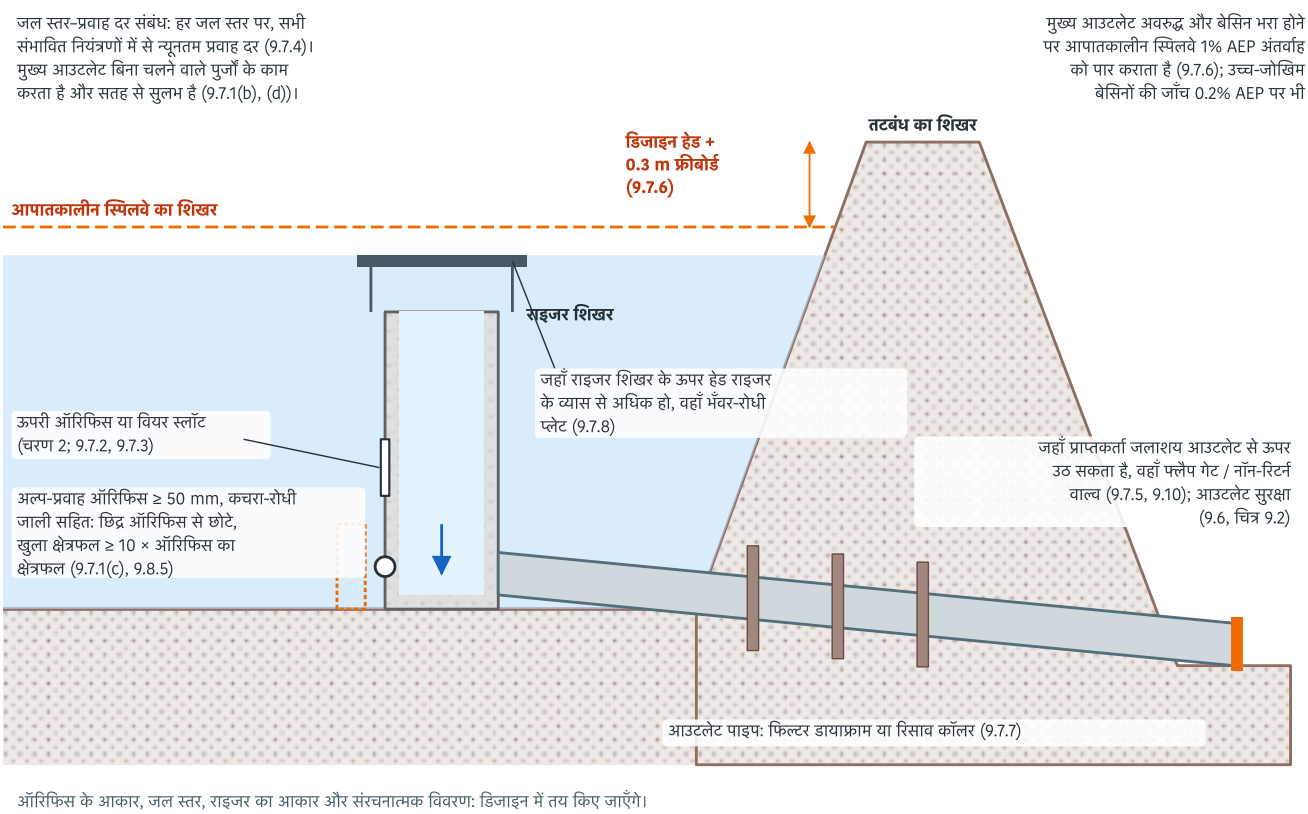

चित्र 9B.4 — मानक ड्रॉइंग: अस्थायी भंडारण बेसिन का आउटलेट राइजर, जाली सहित अल्प-प्रवाह ऑरिफिस, ऊपरी चरण, भँवर-रोधी प्लेट, तटबंध से होकर आउटलेट पाइप, फ्लैप गेट और आपातकालीन स्पिलवे के साथ। इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग, Kansas City Metro APWA, Section 5600 (2006, 5608.4) से अनुकूलित।

तालिका 9B.1 — मानक ड्रॉइंग पर आयाम और नियम तथा उनके स्रोत खंड

ड्रॉइंग	मद	आयाम या नियम	खंड
9B.1	सार्वजनिक सड़कों के नीचे पुलिया का न्यूनतम आकार	900 mm व्यास, या 900 mm × 900 mm बॉक्स	6.12.5
9B.1	डिजाइन AEP पर हेडवाटर	HW/D ≤ 1.2; प्रतिप्रवाह फलक पर शोल्डर के किनारे से कम से कम 0.3 m नीचे	9.4.5
9B.1	प्रवेश हानि गुणांक	निर्मित इनलेट के लिए तालिका 9.1 से (उदाहरण के लिए 30°–75° पर विंगवॉल वाले बॉक्स के लिए 0.4)	9.4.3
9B.1	इनवर्ट	ड्रेन के तल से मेल खाएँ; उससे ऊपर कभी नहीं	9.4.8(c)
9B.1	बहु-बैरल पुलियाएँ	मलबा-प्रवण ड्रेनों में इनसे बचा जाए; जहाँ उपयोग हो, शुष्क मौसम प्रवाह के लिए एक बैरल और मलबा-फिन या विक्षेपक	9.4.8(a)
9B.1	हेडवॉल, विंगवॉल, कट-ऑफ दीवारें	आवश्यक; आयामों की डिजाइन में पुष्टि की जानी है	9.4.9

ड्रॉइंग	मद	आयाम या नियम	खंड
9B.1	सड़क के ऊपर से बहना	Qr = Cd · L · h^1.5, Cd ≤ 1.66	9.4.6
चित्र 9.2	रिपरैप एप्रन	आउटलेट पर चौड़ाई ≥ 3D, चैनल की ओर फैलती हुई; लंबाई और मोटाई तालिका 9.3 से; फिल्टर या जियोटेक्सटाइल	9.6.3, 9.6.4
9B.2	सार्वजनिक ड्रेन में एकल ऊर्ध्वाधर ड्रॉप	ऊँचाई h ≤ 1.5 m; किनारे का सुरक्षा प्रावधान	9.6.6(c), 6.13.8
9B.2	कुंड की ज्यामिति	D = $q^2/(g\ h^3)$; Ld/h = 4.30 D^0.27; Yp/h = 1.00 D^0.22; y1/h = 0.54 D^0.425; y2/h = 1.66 D^0.27	9.6.6(a)
9B.2	Ld से आगे बेसिन, अंतिम सिल	डिजाइन में पुष्टि की जानी है (HEC-14 या US Bureau of Reclamation)	9.6.6(b)
9B.3	कहाँ आवश्यक है	जहाँ कोई खुली ड्रेन 30 m से अधिक लंबी वाहिका, ढकी ड्रेन या पुलिया में प्रवेश करती है	9.8.1(a)
9B.3	छड़ों के बीच की स्पष्ट दूरी b	75 mm से कम नहीं और वाहिका के सबसे छोटे आंतरिक आयाम के आधे से अधिक नहीं	9.8.2(a)
9B.3	जाली का सकल क्षेत्रफल	वाहिका के क्षेत्रफल का कम से कम 4 गुना	9.8.2(b)
9B.3	जाली से होकर वेग	50% अवरुद्ध होने पर डिजाइन प्रवाह पर 1.0 m/s से अधिक नहीं	9.8.2(c)
9B.3	झुकाव	जहाँ हाथ से रेक किया जाए वहाँ 1V:2H से अधिक खड़ा नहीं; कार्य मंच और रेलिंग	9.8.2(d)
9B.3	हेड हानि और अवरुद्ध जाँच	किर्शमर समीकरण; 50% अवरुद्ध होने पर HGL और हेडवाटर की जाँच	9.8.3
9B.3	अतिप्रवाह और सुरक्षा	पूरी तरह अवरुद्ध जाली के लिए अतिप्रवाह मार्ग; पूर्ण द्रवस्थैतिक भार के लिए डिजाइन	9.8.4, 9.8.7
9B.4	अल्प-प्रवाह ऑरिफिस	50 mm से छोटा नहीं; ऑरिफिस से छोटे छिद्रों और ऑरिफिस के क्षेत्रफल के कम से कम 10 गुना खुले क्षेत्रफल वाली कचरा जाली	9.7.1(c), 9.8.5
9B.4	ऑरिफिस और वियर प्रवाह	Q = Cd · A · (2gh)^0.5, तीक्ष्ण किनारे के लिए Cd = 0.60; खंड 9.7.3 के वियर गुणांक	9.7.2, 9.7.3
9B.4	जल स्तर–प्रवाह दर संबंध	प्रत्येक जल स्तर पर प्रत्येक संभव नियंत्रण की सबसे छोटी प्रवाह दर	9.7.4
9B.4	भँवर-रोधी प्लेट	जहाँ राइजर शिखर के ऊपर डिजाइन हेड राइजर के व्यास से अधिक हो	9.7.8
9B.4	तटबंध से होकर आउटलेट पाइप	फिल्टर डायाफ्राम या रिसाव कॉलर; फैला हुआ या हेडवॉल वाला इनलेट	9.7.7
9B.4	फ्लैप गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व	जहाँ प्राप्तकर्ता जलाशय आउटलेट से ऊपर उठ सकता है	9.7.5, 9.10
9B.4	आपातकालीन स्पिलवे	प्राथमिक आउटलेट अवरुद्ध और बेसिन भरा होने पर 1% AEP अंतर्वाह को तटबंध के शिखर तक 0.3 m फ्रीबोर्ड के साथ निकालता है; उच्च-जोखिम बेसिनों के लिए 0.2% AEP जाँच	9.7.6
सभी	संरचनात्मक आयाम, प्रबलन, नींव, छड़ों के आकार, ऑरिफिस के आकार और चरणों के स्तर	डिजाइन में पुष्टि की जानी है	9.1.2

परिशिष्ट 9C — पंपिंग स्टेशन डिजाइन जाँच-सूची और मानक नियंत्रण पद्धति

अध्याय 9 के खंड 9.8.6, 9.9 और 9.10 के लिए, अध्याय 6 के खंड 6.10.5 और अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच के साथ।

9C.1 डिजाइन जाँच-सूची

यह जाँच-सूची खंड 9.14, मद 6 की पंपिंग स्टेशन डिजाइन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करें।

तालिका 9C.1 — पंपिंग स्टेशन डिजाइन जाँच-सूची

क्र.	मद	अपेक्षा	खंड	प्रदान किया गया (हाँ / नहीं / NA)
1	पंपिंग की आवश्यकता	गुरुत्व जल निकासी अध्याय 5 और 6 को पूरा नहीं कर सकती; कारण बताया गया	9.9.1	
2	अंतर्वाह	जलग्रहण क्षेत्र और किसी भी प्रतिप्रवाह भंडारण से रूट किया गया अंतर्वाह हाइड्रोग्राफ	9.9.2	
3	डिजाइन मानक	सेवा किए जाने वाले घटक का डिजाइन AEP; अंडरपासों के लिए, 1% AEP जाँच सहित 2% AEP	9.9.2(a), 6.10.5(a)	
4	ज्वारीय आउटफॉल	ज्वार-अवरोध की अवधि (डिफॉल्ट: 6 h प्रत्येक के दो उच्च ज्वार) तक आउटफॉल सीमित रहने पर भंडारण और पंप मिलकर 48 h का डिजाइन आयतन रोकते हैं	9.9.2(b), अध्याय 5	
5	हेड की सीमा	पंपों का चयन निम्नतम टेलवाटर के सामने निम्नतम संप स्तर से उच्चतम टेलवाटर (HAT + महोर्मि + 0.3 m) तक; पंप और प्रणाली वक्र प्रस्तुत	9.9.2(c), 9.14	
6	वेट वेल का आयतन	इनमें से सबसे बड़ा: न्यूनतम अंतर्वाह के 5 मिनट (परिवर्ती गति और स्वचालित नियंत्रण); चरम अंतर्वाह के 10 से 15 मिनट, या निर्माता का न्यूनतम चक्र आयतन; प्रत्येक स्थिर-गति पंप के लिए $V = \Theta \cdot q / 4$	9.9.3	
7	कार्यरत पंप	जहाँ व्यवहार्य हो, एक ही आकार	9.9.4(a)	
8	स्टैंडबाय	कम से कम सबसे बड़े कार्यरत पंप के बराबर, और कार्यरत पंपों की संख्या के 50% से कम नहीं	9.9.4(b)	
9	बारी-बारी से परिवर्तन	कार्यरत और स्टैंडबाय भूमिकाएँ स्वचालित रूप से बारी-बारी से बदलती हैं	9.9.4(c)	
10	पंप का प्रकार	ठोस-वहन (नॉन-क्लॉग); अक्षीय-प्रवाह केवल खंड 9.8.6 का पालन करने वाली जाली के पीछे	9.9.5	
11	संप और इनटेक	निर्माता की अपेक्षाएँ और ANSI/HI 9.8; स्पष्ट स्थान 0.6 m (छोटी और मध्यम) या 1.0 m (बड़ी इकाइयाँ)	9.9.6	
12	मॉडल अध्ययन	जहाँ कोई पंप 1 m^3/s से अधिक हो या संप ANSI/HI 9.8 की ज्यामिति से भिन्न हो, वहाँ भौतिक मॉडल	9.9.6	
13	गाद-जाल और जाली	वेट वेल के प्रतिप्रवाह में; जाली की दूरी पंपों के ठोस-आकार से छोटी; हटाए जा सकने वाले मॉड्यूल; जहाँ अंतर्वाह 1 m^3/s से अधिक हो वहाँ यांत्रिक रेकिंग	9.9.7, 9.8.6	
14	जाली का अतिप्रवाह	जाली पूरी तरह अवरुद्ध होने पर अतिप्रवाह मार्ग	9.8.4	
15	स्तर नियंत्रण	स्वतंत्र फ्लोट-स्विच बैक-अप सहित प्राथमिक स्तर सेंसर (अल्ट्रासोनिक, रडार या दाब)	9.9.8(a)	
16	अलार्म	उच्च-स्तर और पंप-खराबी के अलार्म टेलीमेट्री द्वारा स्थानीय निकाय के नियंत्रण कक्ष को	9.9.8(b)	
17	अभिलेख	संप के स्तर, पंपों के चलने के घंटे और विद्युत आपूर्ति की स्थिति दर्ज और कम से कम 5 वर्ष तक रखी गई	9.9.8(c)	

क्र.	मद	अपेक्षा	खंड	प्रदान किया गया (हाँ / नहीं / NA)
18	विद्युत स्रोत	ग्रिड आपूर्ति और साथ में स्टैंडबाय जनरेटर या दूसरा स्वतंत्र फीडर, जो सभी कार्यरत पंपों को एक साथ चला सके	9.9.9(a)	
19	ईंधन	सभी कार्यरत पंपों के लिए कम से कम 72 h, खंड 9.9.10 के बाढ़ स्तर से ऊपर संग्रहीत	9.9.9(b)	
20	परिवर्तन	स्टैंडबाय विद्युत पर स्वचालित परिवर्तन	9.9.9(c)	
21	बाढ़ से संरक्षण	विद्युत और नियंत्रण कक्ष का फर्श, जनरेटर और ट्रांसफॉर्मर 1% AEP बाढ़ जल स्तर से कम से कम 0.5 m ऊपर; 1% AEP घटना में वाहनों की पहुँच उपयोग योग्य	9.9.10	
22	निस्सरण	अलग राइजिंग मेन, या जहाँ मेन मिलते हैं वहाँ नॉन-रिटर्न और पृथक्करण वाल्व; फ्लैप गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व सहित डिलीवरी कक्ष या आउटफॉल; मेन का आकार किसी मान्यताप्राप्त घर्षण सूत्र से	9.9.11	
23	गेट	1% AEP स्थिर जल स्तर से नीचे के आउटफॉलों पर फ्लैप या ज्वार-रोधी गेट; 900 mm या उससे बड़े आउटफॉलों और प्रत्येक पंप वाले आउटफॉल के लिए प्रतिप्रवाह में पेनस्टॉक या स्टॉप-लॉग खाँचा; हेड हानि परीक्षित आँकड़ों से	9.10.1, 9.10.3, 9.10.4	
24	आउटफॉल पर रेत और मलबा	समुद्र-तट, ज्वारनदमुख और क्रीक के आउटफॉलों पर सतह से प्रवेश वाले कक्ष में गेट, या इलास्टोमेरिक चेक वाल्व	9.10.5	
25	आपातकालीन कनेक्शन	मोबाइल पंपों के लिए डिलीवरी कक्ष में पक्का खड़ा होने का स्थान और त्वरित-युग्मन कनेक्शन	9.9.12	
26	सामग्री	खंड 9.13 का अनावरण वर्ग; तट से 5 km के भीतर ग्रेड 316 का स्टेनलेस स्टील, जस्तीकृत और लेपित स्टील, या अधात्विक फिक्सिंग	9.13	
27	डिजाइन आयु	सिविल कार्यों के लिए कम से कम 50 वर्ष और यांत्रिक तथा विद्युत उपकरणों के लिए 25 वर्ष	9.2.4	
28	अंडरपास स्टेशन	कैरिजवे पर 150 mm गहराई पर गहराई चिह्न और स्वचालित चेतावनी या बंद करने के संकेत	6.10.5(d)	
29	प्रमाणन	किसी सूचीबद्ध पेशेवर द्वारा डिजाइन और किसी स्वतंत्र सूचीबद्ध पेशेवर द्वारा जाँच	10.6.1(d), 10.6.4	

9C.2 मानक नियंत्रण पद्धति

यह खंड 9.9 के अंतर्गत डिजाइन किए गए वर्षा जल पंपिंग स्टेशन के लिए मानक नियंत्रण पद्धति है। डिजाइनकर्ता इसे स्टेशन के अनुरूप ढालता है और डिजाइन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत करता है। "अनुशंसित" अंकित मद अच्छी पद्धति हैं जिनकी अध्याय 9 अपेक्षा नहीं करता; अन्य सभी किसी खंड को दोहराते हैं।

तालिका 9C.2 — नियंत्रण स्तर (मान डिजाइन में निर्धारित किए जाने हैं)

स्तर	निर्धारण का नियम	खंड
पंप बंद	पंप निर्माता और ANSI/HI 9.8 द्वारा अपेक्षित न्यूनतम जलमग्नता से नीचे नहीं	9.9.6
कार्यरत पंप 1 प्रारंभ	पंप-बंद स्तर से कम से कम खंड 9.9.3 के वेट वेल के प्रभावी आयतन जितना ऊपर	9.9.3
कार्यरत पंप 2, 3 … प्रारंभ	कार्यरत पंप 1 प्रारंभ के ऊपर क्रमबद्ध; अंतराल की डिजाइन में पुष्टि की जानी है	9.9.2
उच्च-स्तर अलार्म	कार्यरत पंप के उच्चतम प्रारंभ स्तर से ऊपर; डिजाइन में पुष्टि की जानी है	9.9.8(b)

स्तर	निर्धारण का नियम	खंड
फ्लोट बैक-अप उच्च	स्वतंत्र फ्लोट; कार्यरत पंपों को प्रारंभ करता है	9.9.8(a)
फ्लोट बैक-अप निम्न	स्वतंत्र फ्लोट; पंपों को बंद करता है	9.9.8(a)

1. **सामान्य (स्वचालित) संचालन.** जैसे ही वेट वेल का स्तर कार्यरत पंप 1 के प्रारंभ स्तर तक उठता है, अग्रणी पंप (lead pump) प्रारंभ होता है। यदि स्तर उठता रहता है, तो प्रत्येक अगला कार्यरत पंप अपने प्रारंभ स्तर पर प्रारंभ होता है। स्तर पंप-बंद स्तर तक गिरने पर पंप बंद हो जाते हैं। यह क्रम प्राथमिक स्तर सेंसर नियंत्रित करता है (खंड 9.9.8(a))।
2. **कार्यरत भूमिका का चक्रण.** अग्रणी पंप, प्रत्येक पंप-डाउन चक्र के बाद या डिजाइन में निर्धारित चलने के घंटों के अनुसार, स्वचालित रूप से बदलता है, ताकि कार्यरत और स्टैंडबाय भूमिकाएँ बारी-बारी से बदलें और घिसाव बँट जाए (खंड 9.9.4(c))।
3. **पंप खराबी.** जो पंप ट्रिप हो जाता है या प्रारंभ नहीं होता, उसे लॉक-आउट कर दिया जाता है। अगला उपलब्ध पंप, स्टैंडबाय पंप सहित, उसका स्थान लेता है, और पंप-खराबी का अलार्म टेलीमेट्री द्वारा भेजा जाता है (खंड 9.9.4(b) और 9.9.8(b))।
4. **स्तर सेंसर की विफलता.** यदि प्राथमिक सेंसर विफल हो जाता है, या फ्लोट स्विचों से असहमत होता है, तो नियंत्रण स्वतंत्र फ्लोट बैक-अप को चला जाता है: फ्लोट-उच्च स्तर पर कार्यरत पंप चलते हैं, और फ्लोट-निम्न स्तर पर वे बंद हो जाते हैं। एक अलार्म भेजा जाता है (खंड 9.9.8(a), (b))।
5. **विद्युत विफलता.** आपूर्ति स्वचालित रूप से स्टैंडबाय जनरेटर या दूसरे फीडर पर बदल जाती है (खंड 9.9.9(c))। अनुशंसित: जनरेटर पर प्रारंभिक भार सीमित करने के लिए, परिवर्तन के बाद पंप एक-एक करके पुनः प्रारंभ हों।
6. **उच्च स्तर.** उच्च-स्तर अलार्म स्तर पर टेलीमेट्री द्वारा स्थानीय निकाय के नियंत्रण कक्ष को अलार्म भेजा जाता है (खंड 9.9.8(b))। अंडरपास पर चेतावनी या बंद करने के संकेत कैरिजवे पर 150 mm गहराई पर सक्रिय होते हैं (खंड 6.10.5(d))।
7. **आउटफॉल और गेट.** राइजिंग मेन फ्लैप गेट या नॉन-रिटर्न वाल्व लगे डिलीवरी कक्ष या आउटफॉल में पानी छोड़ते हैं (खंड 9.9.11)। फ्लैप गेट किसी नियंत्रण कार्रवाई के बिना हेड अंतर के अधीन खुलते और बंद होते हैं। प्रतिप्रवाह पेनस्टॉक या स्टॉप-लॉग केवल रखरखाव के लिए, या फ्लैप गेट के खुला अटक जाने पर बंद किए जाते हैं (खंड 9.10.3)। अनुशंसित: पेनस्टॉक की स्थिति नियंत्रण पैनल पर दिखाई जाए और दर्ज की जाए।
8. **ज्वार-अवरुद्ध संचालन.** जहाँ आउटफॉल ज्वार से अवरुद्ध है, वहाँ भंडारण और पंपिंग मिलकर ज्वार-अवरोध की अवधि तक 48 h का डिजाइन आयतन रोकते हैं (खंड 9.9.2(b) और अध्याय 5)। जहाँ स्टेशन में गुरुत्व आउटफॉल भी है, वहाँ ज्वार उतरने पर फ्लैप गेट से होकर गुरुत्व निस्सरण फिर से प्रारंभ हो जाता है।
9. **जालियाँ.** यांत्रिक रूप से रेक की जाने वाली जालियाँ (जहाँ अंतर्वाह 1 m^3/s से अधिक हो वहाँ आवश्यक, खंड 9.8.6) स्वचालित रूप से चलाई जाती हैं। अनुशंसित: रेकिंग एक टाइमर द्वारा और जाली के आर-पार स्तर अंतर द्वारा प्रारंभ की जाए, और अंतर अधिक बने रहने पर अलार्म हो।
10. **हाथ से संचालन.** अनुशंसित: पैनल पर प्रत्येक पंप के लिए हैंड–ऑफ–ऑटो चयनकर्ता हो, और हैंड मोड में भी फ्लोट बैक-अप का उच्च-स्तर प्रारंभ सक्रिय रहे।
11. **मोबाइल पंप.** जब स्थिर पंप सेवा से बाहर हों या क्षमता से अधिक भार में हों, तो मोबाइल पंप त्वरित-युग्मन कनेक्शन से होकर डिलीवरी कक्ष में पानी छोड़ते हैं (खंड 9.9.12)।
12. **अभिलेख.** संप के स्तर, पंपों के चलने के घंटे और विद्युत आपूर्ति की स्थिति दर्ज की जाती है और कम से कम 5 वर्ष तक रखी जाती है (खंड 9.9.8(c))। अनुशंसित: अलार्म, पंपों के प्रारंभ और बंद होने, और परिवर्तन भी दर्ज किए जाएँ।
13. **परीक्षण.** नियंत्रण, फ्लोट, अलार्म, टेलीमेट्री, परिवर्तन व्यवस्था और जनरेटर का परीक्षण अध्याय 10 के मानसून-पूर्व निरीक्षण (खंड 10.12) में किया जाता है, और परिणाम वार्षिक रखरखाव घोषणा (प्रपत्र 10-7; खंड 10.10.3) में बताए जाते हैं।

प्रपत्र 9-1 — हाइड्रोलिक संरचना रिपोर्ट जाँच-सूची

अध्याय 9 के खंड 9.14 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. सांविधिक उपयोग के लिए नहीं।

यह जाँच-सूची हाइड्रोलिक संरचना रिपोर्ट के आगे संलग्न करें। प्रत्येक मद के लिए हाँ, नहीं या लागू नहीं, और वह ड्रॉइंग या पृष्ठ दर्ज करें जहाँ वह दिखाया गया है।

भाग A — परियोजना

तालिका 9F.1 — प्रपत्र 9-1, भाग A: परियोजना

क्षेत्र (Field)	प्रविष्टि
परियोजना का नाम और स्थान	_____
स्थानीय निकाय, और टियर A या टियर B (अध्याय 1)	_____
आवेदक	_____
डिजाइनकर्ता (नाम और पंजीकरण)	_____
सम्मिलित संरचनाएँ (पुलियाएँ, चैनल, क्षयकारी, आउटलेट, जालियाँ, पंप, गेट, इनलेट, मैनहोल)	_____
प्रयुक्त टेलवाटर स्थितियाँ: MHWS, HAT + महोर्मि, समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई, संयुक्त स्थिति (खंड 9.2.1)	_____
दिनांक और संशोधन	_____

भाग B — खंड 9.14 द्वारा अपेक्षित विषय-वस्तु

तालिका 9F.2 — प्रपत्र 9-1, भाग B: खंड 9.14 द्वारा अपेक्षित विषय-वस्तु

क्र.	मद	खंड	प्रदान किया गया (हाँ / नहीं / NA)	ड्रॉइंग या पृष्ठ
1	पुलिया की गणनाएँ (HDS-5 या HY-8 आउटपुट), HWi, HWo, आउटलेट वेग, टेलवाटर, ऊपर से बहने और अवरोध जाँच सहित	9.4, 6.12		
2	चैनल की जल-सतह प्रोफाइल, वेग, फ्रूड संख्याएँ और फ्रीबोर्ड	9.5		
3	आउटलेट संरक्षण और क्षयकारी का डिजाइन, रिपरैप के आकार निर्धारण सहित	9.6		
4	अस्थायी भंडारण आउटलेट की जल स्तर–प्रवाह दर तालिकाएँ और आपातकालीन स्पिलवे की जाँच	9.7		
5	50% अवरुद्ध जाँच सहित जाली और कचरा-रोधी जाली का डिजाइन	9.8		
6	पंपिंग स्टेशन डिजाइन रिपोर्ट: अंतर्वाह हाइड्रोग्राफ, भंडारण, पंप और प्रणाली वक्र, वेट वेल का आयतन, नियंत्रण, विद्युत आपूर्ति और अध्याय 5 की आउटफॉल-बंद जाँच (परिशिष्ट 9C सहित)	9.9		
7	हेड-हानि आँकड़ों सहित गेट और वाल्व का चयन	9.10		
8	इनलेट, जाली और ढक्कन के भार वर्ग	9.11		

क्र.	मद	खंड	प्रदान किया गया (हाँ / नहीं / NA)	ड्रॉइंग या पृष्ठ
9	अनावरण वर्ग और सामग्री का विवरण	9.13		

भाग C — अनुपालन जाँचें

तालिका 9F.3 — प्रपत्र 9-1, भाग C: अनुपालन जाँचें

क्र.	जाँच	सीमा	खंड	अनुपालन (हाँ / नहीं / NA)
C1	डिजाइन प्रवाहों में जलवायु गुणक सम्मिलित	खंड 2.8	9.2.2	
C2	जहाँ मलबा अवरुद्ध कर सकता है वहाँ अवरुद्ध स्थिति की जाँच; सुरक्षित अतिप्रवाह मार्ग	—	9.2.5	
C3	पाइप और बॉक्स ड्रेन: डिजाइन n (बॉक्स ड्रेन ≥ 0.015); अतिक्रांतिक पाइप: जंप किसी संरचना में, वायु निकास	—	9.3.1, 9.3.4	
C4	पाइप का आकार अनुप्रवाह की ओर नहीं घटता; जोड़ केवल मैनहोल या संगम कक्षों पर; 90° से अधिक का दिशा परिवर्तन नहीं	—	9.3.5	
C5	पुलिया का डिजाइन हेडवाटर = HWi और HWo में से अधिक	—	9.4.1	
C6	डिजाइन AEP पर पुलिया का हेडवाटर	HW/D ≤ 1.2; शोल्डर के किनारे से ≥ 0.3 m नीचे	9.4.5	
C7	सड़क के ऊपर से बहने का वियर गुणांक	Cd ≤ 1.66	9.4.6	
C8	पुलिया के इनवर्ट ड्रेन के तल से मेल खाते हैं; हेडवॉल, विंगवॉल और कट-ऑफ दीवारें	—	9.4.8(c), 9.4.9	
C9	डिजाइन प्रवाह पर चैनल की फ्रूड संख्या	≤ 0.8; 0.8 और 1.2 के बीच कोई नहीं	9.5.2	
C10	चैनल का वेग	तालिका 9.2	9.5.3	
C11	अभियांत्रिक चैनलों में चैनल का ढलान	प्राकृतिक ≤ 0.4%, कंक्रीट ≤ 0.2%, या ड्रॉप / ढलवाँ चैनल	9.5.4	
C12	पार्श्व ढलान; जहाँ तल चौड़ाई ≥ 3 m वहाँ अल्प-प्रवाह चैनल; उत्थान या रिसाव छिद्र	—	9.5.6, 9.5.7, 9.5.9	
C13	जहाँ आउटलेट वेग तालिका 9.2 से अधिक हो वहाँ आउटलेट संरक्षण	तालिका 9.3 का एप्रन, या बेसिन	9.6.1, 9.6.3	
C14	एकल ऊर्ध्वाधर ड्रॉप की ऊँचाई	≤ 1.5 m	9.6.6(c)	
C15	अस्थायी भंडारण का प्राथमिक आउटलेट: कोई गतिशील पुर्जा नहीं; न्यूनतम ऑरिफिस	जाली सहित ≥ 50 mm	9.7.1	
C16	आपातकालीन स्पिलवे	1% AEP, आउटलेट अवरुद्ध, बेसिन भरा, 0.3 m फ्रीबोर्ड; उच्च-जोखिम बेसिनों के लिए 0.2% AEP	9.7.6	
C17	तटबंध से होकर आउटलेट पाइप; जहाँ आवश्यक हो वहाँ भँवर-रोधी प्लेट	—	9.7.7, 9.7.8	

क्र.	जाँच	सीमा	खंड	अनुपालन (हाँ / नहीं / NA)
C18	वाहिका-प्रवेश जालियाँ	दूरी 75 mm से वाहिका के सबसे छोटे आयाम के आधे तक; क्षेत्रफल ≥ 4×; 50% अवरुद्ध होने पर ≤ 1.0 m/s	9.8.2	
C19	अस्थायी भंडारण ऑरिफिस की जालियाँ	छिद्र ऑरिफिस से छोटे; खुला क्षेत्रफल ≥ 10×	9.8.5	
C20	पंपिंग स्टेशन	परिशिष्ट 9C की जाँच-सूची पूर्ण	9.9	
C21	1% AEP स्थिर जल स्तर से नीचे के आउटफॉलों पर गेट; द्वितीयक बंद-व्यवस्था; संक्षारण-रोधी फिटिंग	—	9.10	
C22	जाली के भार वर्ग, समानांतर छिद्र ≤ 25 mm, कर्ब छिद्र ≥ 100 mm × 1.0 m, तालाबंद ढक्कन	—	9.11	
C23	मैनहोल के आकार (तालिका 9.4), 600 mm प्रवेश द्वार, ड्रॉप, बेंचिंग, सरचार्ज ढक्कन	—	9.12	
C24	अनावरण वर्ग (तालिका 9.5); तटीय और डेल्टा क्षेत्रों में क्लोराइड और सल्फेट परीक्षण; सल्फाइड से संरक्षण; तट से 5 km के भीतर धातु कार्य	—	9.13	

भाग D — विचलन

तालिका 9F.4 — प्रपत्र 9-1, भाग D: विचलन

खंड	पूरी न की गई अपेक्षा	कारण और प्रस्तावित विकल्प	अनुमोदनकर्ता और दिनांक
_____	_____	_____	_____

भाग E — हस्ताक्षर

रिपोर्ट किसी पंजीकृत पेशेवर द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित की जाएगी, और पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3) संलग्न किया जाएगा (अध्याय 10 के खंड 10.6.1 और 10.6.3)। तटबंध वाली सुविधा, उच्च-जोखिम बेसिन, पंप वाली सुविधा, ज्वार-रोधी गेट या क्षेत्रीय सुविधा के लिए, हस्ताक्षरकर्ता एक सूचीबद्ध वर्षा जल डिजाइन पेशेवर होगा, और एक दूसरा, स्वतंत्र सूचीबद्ध पेशेवर जाँचकर्ता के रूप में हस्ताक्षर करेगा (खंड 10.6.1(c), (d) और 10.6.4)।

तालिका 9F.5 — प्रपत्र 9-1, भाग E: हस्ताक्षर

भूमिका	नाम	पंजीकरण या सूचीबद्धता संख्या	हस्ताक्षर	दिनांक
डिजाइनकर्ता	_____	_____	_____	_____
स्वतंत्र जाँचकर्ता (खंड 10.6.4, जहाँ लागू हो)	_____	_____	_____	_____

अध्याय 10 के परिशिष्ट

प्रस्तुतियाँ, समीक्षा, प्रचालन और रखरखाव तथा प्रवर्तन

ये परिशिष्ट अध्याय 10 के लिए हैं। इनमें अनुपालन कैलकुलेटर का विनिर्देश और उसकी उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका की रूपरेखा, GIS आँकड़ों का विनिर्देश, इस मैनुअल द्वारा निर्धारित रखरखाव पहुँच के आयाम, प्रत्येक प्रकार की सुविधा के लिए आदर्श O&M योजनाएँ, सूचीबद्धता के आदर्श मानदंड, और अध्याय 10 द्वारा अपेक्षित आठ प्रपत्र दिए गए हैं। डिजाइन वर्षा पत्रक (प्रपत्र 2-1) अध्याय 2 के परिशिष्टों में है। ये प्रपत्र प्रारूप प्रपत्र हैं। आदर्श पाठ सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु हैं और प्रवृत्त नहीं हैं।

परिशिष्ट 10A — अनुपालन कैलकुलेटर और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका

अध्याय 10 के खंड 10.4.1(g), 10.5 और 10.9.1(b) के लिए।

> **स्थिति.** अनुपालन कैलकुलेटर अभी अस्तित्व में नहीं है। खंड 10.5.1 की अपेक्षा है कि राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति इसे जारी करे और इसका अनुरक्षण करे। यह परिशिष्ट वह विनिर्देश है जिसे कैलकुलेटर पूरा करेगा, और उसकी उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका की रूपरेखा है। जब तक कैलकुलेटर जारी नहीं होता, डिजाइनकर्ता अध्याय 4, 5 और 8 की गणनाओं से प्रपत्र 10-2 हाथ से भरता है, कैलकुलेटर संस्करण के रूप में "जारी नहीं" (not issued) लिखता है, और गणनाएँ संलग्न करता है।

10A.1 सामान्य अपेक्षाएँ

कैलकुलेटर:

- (a) एक स्प्रेडशीट या वेब टूल होगा, जो अपनी उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका और उसमें दी गई प्रत्येक तालिका के स्रोत के साथ निःशुल्क प्रकाशित किया जाएगा (खंड 10.5.4);
- (b) प्रत्येक आउटपुट पृष्ठ और प्रत्येक निर्यात की गई फाइल पर अपना संस्करण क्रमांक और जारी होने की तारीख छापेगा (खंड 10.5.3);
- (c) संस्करणों का एक सार्वजनिक लॉग रखेगा। नया संस्करण जारी होने के 6 महीने बाद से नई प्रस्तुतियों पर लागू होता है; कोई प्रस्तुति चरण 1 से चरण 4 तक एक ही संस्करण रखती है, जब तक कि आवेदक बाद के किसी संस्करण को न चुने (खंड 10.5.3);
- (d) एक समय में एक साइट के लिए कार्य करेगा, जिसमें एक या अधिक जल निकासी क्षेत्र हों और प्रत्येक अपने आउटफॉल में पानी छोड़ता हो (खंड 4.5.1.3);
- (e) कभी भी ऐसा मान लागू नहीं करेगा जिसे मैनुअल ने प्रकाशित नहीं किया है। जहाँ उसे आवश्यक कोई तालिका जारी नहीं हुई है (उदाहरण के लिए परिशिष्ट 4B की तालिका 4.3, या परिशिष्ट 1C की S-2 प्रवाह दर तालिकाएँ), वहाँ कैलकुलेटर मान का अनुमान लगाने के बजाय उस मार्ग को "उपलब्ध नहीं" (not available) दिखाएगा; और
- (f) अपने इनपुट और परिणाम प्रपत्र 10-2 के साथ-साथ मशीन द्वारा पठनीय फाइल (CSV या JSON) के रूप में भी निर्यात करेगा, ताकि प्राधिकारी उन्हें सुविधा रजिस्टर में लोड कर सके (खंड 10.17.1(b))।

10A.2 इनपुट

तालिका 10A.1 — कैलकुलेटर के इनपुट

क्र.	इनपुट	इकाई	स्रोत
I1	प्राधिकारी, टियर (A या B) और फाइल संख्या	—	खंड 1.6
I2	साइट का क्षेत्रफल; भूमि विक्षोभ का क्षेत्रफल	ha	खंड 1.5.2
I3	नया अपारगम्य क्षेत्र; प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र; ध्वस्तीकरण से पहले का विद्यमान अपारगम्य क्षेत्र	m^2	खंड 1.5.2, 1.5.6, 4.5.6.1
I4	विकास का प्रकार: नया, पुनर्विकास, रैखिक लोक निर्माण कार्य, एकल आवास	—	खंड 1.5.6–1.5.8
I5	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र (हाँ / नहीं), और अनुमोदित BSMP वाला बेसिन (हाँ / नहीं)	—	खंड 4.5.3, 4.13, 11.12
I6	वर्षा जोन	—	परिशिष्ट 2A
I7	प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई P_R; 3-महीने ARI की 24-घंटे की गहराई P_3m	mm	परिशिष्ट 2E, 8A
I8	अवधि (1–72 h) और AEP के अनुसार डिजाइन वर्षा की गहराइयाँ, जलवायु गुणक सहित, जैसी प्रपत्र 2-1 पर अभिलिखित हैं	mm	खंड 2.5, 2.8, 2.13
I9	15-मिनट की तीव्रताएँ i_10 और i_2, जलवायु गुणक सहित (केवल नियत-गुणांक मार्ग)	mm/h	खंड 4.14.4
I10	जल निकासी क्षेत्र: प्रत्येक के लिए क्षेत्रफल, भूमि आवरण, अपारगम्य प्रतिशत, HSG और कर्व नंबर, विकास-पूर्व और विकास-पश्चात	ha, %, —	खंड 3.3, 3.7, 3.9
I11	पंजीकृत प्रसंविदा के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र	ha	खंड 4.4.7
I12	प्रत्येक प्रतिधारण पद्धति के तल से नीचे मौसमी उच्चतम भूजल की गहराई	m	खंड 4.4.3(c), 8.8
I13	प्रत्येक पद्धति पर मापी गई अंतःस्यंदन दर	mm/h	खंड 4.4.3
I14	पद्धति के अनुसार उपलब्ध कराया गया प्रतिधारण आयतन; जहाँ प्रतिधारण पुनः उपयोग द्वारा है वहाँ पुनः उपयोग की माँग	m^3, m^3/d	खंड 4.4.3, 4.4.5
I15	मार्ग: पूर्ण हाइड्रोग्राफ विधि (खंड 4.6); डिजाइन सहायिका S-1 (खंड 4.14.2); PSD S-2 (खंड 1.7); नियत-गुणांक (खंड 4.14.3); सीमित पुनर्विकास (खंड 4.5.6)	—	खंड 1.7, 4.5.6, 4.6, 4.14
I16	पूर्ण विधि के लिए: प्रत्येक AEP और अवधि के लिए मॉडल परिणाम — विकास-पूर्व और विकास-पश्चात चरम, प्रयुक्त भंडारण, रूटिंग द्वारा प्राप्त प्रतिधारण क्रेडिट	m^3/s, m^3	खंड 4.4.6.2, 4.6
I17	आउटलेट: अल्प-प्रवाह ऑरिफिस का व्यास या स्लॉट का न्यूनतम आयाम; रूटिंग से खाली होने का समय	mm, h	खंड 4.7, 4.8.2
I18	आउटफॉल: ज्वारीय या गैर-ज्वारीय; आउटफॉल-बंद जाँच का परिणाम	—	अध्याय 5
I19	बेसिन के लिए अधिसूचित एवज शुल्क की इकाई दर, जहाँ वह मार्ग लागू हो	₹/m^3	खंड 4.13.3
I20	प्रस्तुति का चरण (1, 2 या 4) और, चरण 4 पर, I14, I16 और I17 के यथा-निर्मित मान	—	खंड 10.5.2, 10.9.1(b)

10A.3 खंड के अनुसार गणनाएँ

तालिका 10A.2 — कैलकुलेटर द्वारा की जाने वाली गणनाएँ

पद	गणना	खंड
C1	**प्रयोज्यता.** अध्याय 4 और 5 वहाँ लागू होते हैं जहाँ विकास की साझा योजना पर भूमि विक्षोभ ≥ 0.1 ha हो या नया और प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र मिलाकर ≥ 500 m² हो। छूटों की रिपोर्ट करें। यह चिह्नित करें कि सार्वभौमिक प्रावधान हर आकार पर लागू होते हैं, और यह कि RWH 225 m² या उससे बड़े भूखंडों पर बने भवनों पर, वर्षा जल संचयन इकाई या संरचना द्वारा, या फिल्टर सहित छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक द्वारा, लागू होता है (भवन विनियम, 2025, विनियम 8.3(i)), सिवाय जलभराव वाले क्षेत्रों के, जब स्थानीय निकाय उन्हें चिह्नित कर दे (विनियम 8.3(iii)); पूर्व-उपचार सहित पुनर्भरण सामान्य विकल्प है, सिवाय इसके कि जोधपुर के पुराने शहर और गंगानगर–हनुमानगढ़ की नहर पट्टी में किसी भी पुनर्भरण को क्रेडिट करने से पहले अध्याय 8 के अंतर्गत भूजल से दूरी की जाँच (groundwater-clearance check) की जाती है, 15 अगस्त के बाद हाड़ौती की काली मिट्टी पर कोई सतही अंतःस्यंदन क्रेडिट नहीं किया जाता, और सड़क के अपवाह का पुनर्भरण केवल फिल्टर सहित सतही अंतःस्यंदन से किया जाता है।	1.5.2–1.5.8
C2	**प्रक्रिया संबंधी संकेत.** चरण 0 अनिवार्य (≥ 2 ha, बाढ़-संवेदनशील, विचलन या क्षेत्रीय मार्ग, ज्वारीय आउटफॉल या जलाशय); चरण 1 और 2 संयुक्त किए जा सकते हैं (< 1 ha, बाढ़-संवेदनशील नहीं); सूचीबद्ध हस्ताक्षरकर्ता अपेक्षित; स्वतंत्र जाँच अपेक्षित।	10.3.2, 10.3.3, 10.6.1, 10.6.4
C3	**मार्ग की पात्रता.** टियर B सरलीकृत विधि: ≤ 2 ha, या बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र में ≤ 0.5 ha, और केवल तालिका 4.3 प्रकाशित होने के बाद। नियत-गुणांक मार्ग: ≤ 1 ha और खंड 4.14.3 के अपवर्जनों में से कोई नहीं। सीमित पुनर्विकास: विद्यमान ≥ 60% अपारगम्य और ≤ 1 ha। क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण या एवज शुल्क: केवल अनुमोदित BSMP वाले बेसिन में।	4.5.6.1, 4.13.1, 4.14.1, 4.14.3, 11.12.1(b)
C4	**प्रतिधारण आयतन.** RRV = 10 × Q_R × A, जहाँ Q_R प्रत्येक उप-भाग के लिए AMC II पर P_R से SCS-CN अपवाह है, जिसे सभी उप-भागों पर जोड़ा जाता है। Ia = 0.2S और Ia = 0.05S के परिणामों में से बड़ा परिणाम निर्णायक होता है। Rv रूप (RRV = 10 × P_R × Rv × A, Rv = 0.05 + 0.009 × I) केवल < 0.5 ha की साइटों और टियर B विधि के लिए दिया जाता है। कोई जलवायु गुणक नहीं।	4.4.2, 3.8.5(c), 2.8.3
C5	**संरक्षण क्रेडिट.** संरक्षित क्षेत्रों को विकास-पश्चात स्थिति में उनके विकास-पूर्व CN पर मॉडल किया जाता है।	4.4.7
C6	**प्रतिधारण जाँच.** डिजाइन अंतःस्यंदन दर ≤ मापी गई दर का आधा; भूजल तल से ≥ 1.0 m नीचे; प्रतिधारित आयतन का डिजाइन दर पर (या बताई गई पुनः उपयोग की माँग द्वारा) 72 h के भीतर खाली होना। जो पद्धति किसी भी जाँच में विफल हो उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलता; किसी भी कमी की रिपोर्ट की जाती है और उसे WQv माना जाता है।	4.4.3–4.4.5, 4.4.6.4
C7	**जल गुणवत्ता आयतन.** P_wq = max(P_ret, P_3m); WQv = SCS-CN द्वारा 10 × Q_wq × A, या < 0.5 ha की साइटों और टियर B विधि के लिए (P_wq / 1000) × Rv × A (A m² में)। प्रतिधारित आयतन WQv में पूरा गिना जाता है। कोई जलवायु गुणक नहीं।	8.4.1–8.4.4, 3.8.5(c)
C8	**प्रतिधारण क्रेडिट.** टियर A: रूटिंग द्वारा प्राप्त क्रेडिट दर्ज किया जाता है (I16); कैलकुलेटर इसकी गणना नहीं करता। टियर B: V_credit = C_R × उपलब्ध कराया गया RRV, जहाँ परिशिष्ट 4B प्रकाशित होने तक C_R = 0 है।	4.4.6
C9	**डिजाइन सहायिका मार्ग (S-1).** V = SSR × A − V_credit; 2-वर्ष और 100-वर्ष चरणों के लिए Q_PSD,T = PSD_T × A, तालिका 4.3 से। तालिका 4.3 प्रकाशित होने तक "उपलब्ध नहीं" दिखाया जाता है।	1.7.2, 4.14.2
C10	**साइट की अनुमेय प्रवाह दर (S-2).** प्रत्येक AEP के लिए Q = PSD (m³/s/ha) × A, S-2 तालिकाओं से। जब तक वे जारी नहीं होतीं, "उपलब्ध नहीं" दिखाया जाता है।	1.7.2, 1.7.3(e)
C11	**नियत-गुणांक मार्ग.** Q_cap,10 = 2.78 × C_10 × i_10 × A और Q_cap,2 = 2.78 × C_2 × i_2 × A (L/s); V_100 और V_2 = d = 1 से 72 h के लिए [10 × C_v × P(d) × A − 1.8 × Q_cap × d] का d पर अधिकतम मान, जहाँ d ≥ 12 h के लिए पारगम्य C ≥ 0.50; V = max(V_100, V_2); प्रतिधारण बिना क्रेडिट के जोड़ा जाता है। गुणांक तालिका 4.3A (अनंतिम) से।	4.14.4–4.14.7
C12	**निकास दर की छँटाई जाँच (पूर्ण विधि).** प्रत्येक AEP और अवधि के लिए: Q_post ≤ 0.9 × Q_pre (मानक), या दो मिश्रित-आवृत्ति सीमाएँ (बाढ़-संवेदनशील)। निर्णायक अवधि और मार्जिन की रिपोर्ट करें।	4.5.2, 4.5.3

पद	गणना	खंड
C13	**सीमित पुनर्विकास.** प्रत्येक अवधि पर 2-, 10- और 100-वर्ष के लिए Q_post ≤ 0.5 × Q_existing; कमी का आयतन = अविकसित खुली भूमि (greenfield) का भंडारण – उपलब्ध कराया गया भंडारण; शुल्क = कमी × इकाई दर।	4.5.6.2, 4.5.6.3
C14	**न्यूनतम ऑरिफिस.** < 50 mm के किसी भी ऑरिफिस को चिह्नित करें। जहाँ कोई सीमा संबंधित चरण पर 50 mm ऑरिफिस की प्रवाह दर से कम हो, वहाँ "50 mm ऑरिफिस अनुपालक माना गया" (50 mm orifice deemed to comply) रिपोर्ट करें।	4.5.5.1, 4.8.2
C15	**खाली होना.** अस्थायी भंडारण के खाली होने (10-वर्ष के संग्रहीत आयतन का 90% 48 h के भीतर), WQv के निकास समय (24–48 h) और प्रतिधारण के खाली होने के समय (≤ 72 h) की रिपोर्ट करें।	4.7
C16	**एवज शुल्क.** शुल्क = साइट पर अपेक्षित अस्थायी भंडारण आयतन × अधिसूचित इकाई दर।	4.13.3
C17	**मॉडल की छँटाई जाँच.** जहाँ पूर्ण विधि का उपयोग किया गया है, वहाँ मॉडल परिणामों (I16) की तुलना कैलकुलेटर के छँटाई मानों (C9 से C11, जहाँ उपलब्ध हों) से करें और उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में बताई गई सहनसीमा से अधिक अंतर को चिह्नित करें।	10.5.2(c)
C18	**यथा-निर्मित पुनः गणना.** चरण 4 पर, यथा-निर्मित मानों के साथ C4 से C17 दोहराएँ और चरण 2 से प्रत्येक परिवर्तन की रिपोर्ट करें।	10.9.1(b), 10.9.2

10A.4 आउटपुट

कैलकुलेटर निम्नलिखित तैयार करता है:

- (a) भरा हुआ **प्रपत्र 10-2**, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर कैलकुलेटर का संस्करण और जारी होने की तारीख हो;
- (b) तालिका 10A.1 और 10A.2 के प्रत्येक इनपुट और परिणाम का मशीन द्वारा पठनीय निर्यात; और
- (c) उठाए गए संकेतों (C1 से C3, C6, C14, C17) की सूची, प्रत्येक के साथ वह खंड जिस पर वह आधारित है (खंड 10.7.7)।

10A.5 जारी करने से पहले परीक्षण

प्रत्येक बार जारी करने से पहले राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति जाँच करेगी कि कैलकुलेटर, पूर्णांकन की सीमा के भीतर, मैनुअल के उन हल किए गए उदाहरणों को दोहराता है जो उसी विधि का उपयोग करते हैं, जिनमें खंड 4.6.7 और 4.14 के उदाहरणार्थ उदाहरण, और जहाँ लागू हों वहाँ परिशिष्ट 3C की बेंचमार्क परीक्षण समस्याएँ सम्मिलित हैं। परीक्षण के परिणाम संस्करण लॉग के साथ प्रकाशित किए जाएँगे।

10A.6 उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका की रूपरेखा

उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका में कम से कम निम्नलिखित होंगे:

1. कैलकुलेटर का उद्देश्य, स्थिति और सीमाएँ: डिजाइन सहायिका मार्ग के बाहर यह एक सारांश और प्रारंभिक छँटाई जाँच है (खंड 10.5.2(c))।
2. वर्तमान संस्करण कैसे प्राप्त करें, और खंड 10.5.3 का संस्करण नियम।
3. तालिका 10A.1 का प्रत्येक इनपुट, और मैनुअल तथा उसके परिशिष्टों में वह कहाँ मिलेगा।
4. तालिका 10A.2 की प्रत्येक गणना, उसके समीकरण और खंड के साथ।
5. पद C17 में प्रयुक्त सहनसीमा, और उसके पार होने पर जल निकासी रिपोर्ट को क्या स्पष्ट करना होगा (खंड 10.5.2(c))।
6. प्रपत्र 10-2 को कैसे पढ़ें और उस पर हस्ताक्षर कैसे करें, और क्या संलग्न करें।
7. प्रत्येक मार्ग के लिए कम से कम एक हल किया गया उदाहरण, जिस पर "केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं" अंकित हो।
8. कैलकुलेटर की प्रत्येक तालिका के स्रोत (खंड 10.5.4), और संस्करण लॉग।

परिशिष्ट 10B — GIS आँकड़ों का विनिर्देश और गुण स्कीमा

अध्याय 10 के खंड 10.4.4, 10.14.1(d), 10.14.3 और 10.17 के लिए।

10B.1 फॉर्मेट और संदर्भ प्रणालियाँ

- (a) **फॉर्मेट.** प्रति प्रस्तुति एक OGC GeoPackage (.gpkg) को वरीयता दी जाती है। Shapefile भी स्वीकार किए जाते हैं, प्रत्येक परत के लिए एक, सभी घटक फाइलों के साथ zip किए हुए। क्षेत्रों (fields) के नाम तालिका 10B.2 से 10B.6 के अनुसार होंगे; shapefile में नाम 10 वर्णों तक सीमित होते हैं, और नीचे दिए गए नाम इस सीमा का पालन करते हैं।
- (b) **क्षैतिज संदर्भ.** WGS 84 भौगोलिक (EPSG:4326), या WGS 84 / UTM जोन 43N (EPSG:32643) या 42N (EPSG:32642) (इस प्रयोजन के लिए कोई साइट 42N में मानी जाती है यदि वह जैसलमेर या बाड़मेर जिले में हो, और राज्य में अन्य सभी स्थानों पर, धौलपुर जिले के 78° E के पूर्व के भाग सहित, 43N में; पूरी परियोजना के लिए एक ही जोन का उपयोग किया जाता है), जिसमें भी साइट आती हो (खंड 10.4.4(c))। सभी परतों के लिए एक ही प्रणाली का उपयोग किया जाएगा।
- (c) **ऊर्ध्वाधर संदर्भ.** सभी स्तर मीटर में, किसी नामित ऊर्ध्वाधर डेटम के सापेक्ष होंगे, जो मेटाडेटा में बताया गया हो। मेटाडेटा में उस डेटम का, प्राप्तकर्ता नदियों पर CWC और WRD के गेजों के नदी डेटमों से और अध्याय 5 में प्रयुक्त, शहर की जल निकासी प्राप्त करने वाली झीलों और जलाशयों के लिए WRD और झीलों के अभिरक्षकों के स्तर डेटमों से संबंध भी, स्थानीय शून्य से ऊपर फुट में लिए गए झील गेज के पाठ्यांकों को किसी नामित डेटम पर मीटर में बदलकर, बताया जाएगा (खंड 10.4.4(d))।
- (d) **परिशुद्धता.** स्थितियाँ साइट सर्वेक्षण या अनुमोदित ड्रॉइंग से ली जाएँगी। चरण 4 पर और हस्तांतरण के समय, स्थितियाँ और स्तर यथा-निर्मित सर्वेक्षण से लिए जाएँगे (खंड 10.9.1(a))।
- (e) **फाइल का नाम.** `<Authority file number>_<stage>_<yyyymmdd>.gpkg`, उदाहरण के लिए `JMC-BP-2026-0123_S2_20261015.gpkg`।
- (f) **पहचानकर्ता.** प्रत्येक फीचर का एक पहचानकर्ता होता है जो प्रस्तुति के भीतर अद्वितीय हो (FAC_ID, OUT_ID, CAT_ID, FLP_ID)। प्राधिकारी स्वीकार करने पर इन्हें रजिस्टर पहचानकर्ताओं से बदल देता है और उनकी मैपिंग आवेदक को लौटा देता है।

10B.2 परतें

तालिका 10B.1 — परतें

परत	ज्यामिति	विषय-वस्तु	कब अपेक्षित
SW_SITE	बहुभुज (polygon)	साइट की सीमा	चरण 1, 2, 4
SW_CATCH	बहुभुज	साइट की ओर और साइट से होकर बहने वाले जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ, विकास-पूर्व और विकास-पश्चात (खंड 10.4.1(b))	चरण 1, 2, 4
SW_FAC	बहुभुज (5 m से छोटी दबी हुई मदों के लिए बिंदु)	प्रत्येक वर्षा जल सुविधा: इस मैनुअल के अंतर्गत डिजाइन किया गया प्रतिधारण, अस्थायी भंडारण, जल गुणवत्ता, पंपिंग, गेट, वहन घटक	चरण 2, 4; हस्तांतरण
SW_OUTF	बिंदु	साइट से प्रत्येक आउटफॉल, और प्रत्येक सार्वजनिक आउटफॉल	चरण 1, 2, 4; हस्तांतरण
SW_FLOW	रेखा	साइट से होकर और साइट से निकलने वाले प्रमुख प्रणाली के प्रवाह मार्ग, और प्राकृतिक जल निकासी मार्ग (खंड 10.15.1(g))	चरण 1, 2, 4
SW_CONV	रेखा	अध्याय 6 के अंतर्गत डिजाइन की गई ड्रेन और पाइप	लोक निर्माण कार्यों के लिए चरण 4; हस्तांतरण
SW_META	तालिका (ज्यामिति नहीं)	तालिका 10B.6 का मेटाडेटा	प्रत्येक चरण

10B.3 गुण स्कीमा

प्रकार: T = पाठ, I = पूर्णांक, R = वास्तविक संख्या, D = तारीख (ISO 8601, yyyy-mm-dd)। "अनिवार्य" उन क्षेत्रों को दर्शाता है जो खाली नहीं छोड़े जाएँगे; अन्य क्षेत्र जहाँ लागू हों वहाँ भरे जाते हैं।

तालिका 10B.2 — SW_FAC (सुविधाएँ) के गुण

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	अनिवार्य	विषय-वस्तु	स्रोत
FAC_ID	T	—	हाँ	सुविधा का पहचानकर्ता	10B.1(f)
FAC_TYPE	T	—	हाँ	तालिका 10B.7 का कोड	खंड 4.10, तालिका 10.3
FAC_NAME	T	—		ड्रॉइंग पर दिया गया नाम	—
OWNER_TYP	T	—	हाँ	PRIVATE / ASSOC / DEVELOPER / ULB / DEPT	खंड 10.10, 10.14
OWNER_NM	T	—	हाँ	केवल निगमित स्वामी या संघ का नाम; किसी व्यक्ति के लिए "निजी व्यक्ति" (private individual) (खंड 10.17.3)	खंड 10.17.3
CTRL_AREA	R	ha	हाँ	सुविधा की ओर बहने वाला क्षेत्र	खंड 4.5.1.3
V_RET	R	m^3		उपलब्ध कराया गया प्रतिधारण आयतन	खंड 4.4
V_WQ	R	m^3		उपलब्ध कराया गया जल गुणवत्ता आयतन	खंड 8.4
V_DET	R	m^3		शीर्ष डिजाइन स्तर पर अस्थायी भंडारण आयतन	खंड 4.6
Q_2	R	L/s		50% AEP (2-वर्ष) डिजाइन स्तर पर निकास	खंड 4.5
Q_10	R	L/s		10% AEP (10-वर्ष) डिजाइन स्तर पर निकास	खंड 4.5
Q_100	R	L/s		1% AEP (100-वर्ष) डिजाइन स्तर पर निकास	खंड 4.5
ORIF_MM	R	mm		अल्प-प्रवाह ऑरिफिस का व्यास या स्लॉट का न्यूनतम आयाम	खंड 4.8.2
INV_OUT	R	m		आउटलेट का इनवर्ट स्तर	खंड 10.9.1(a)
TWL_DES	R	m		शीर्ष डिजाइन जल स्तर	खंड 10.9.2(a)
SPILL_LV	R	m		स्पिलवे या अतिप्रवाह का शिखर स्तर	खंड 4.9
PUMPED	T	—	हाँ	Y / N	खंड 10.10.3
REGIONAL	T	—	हाँ	Y / N	खंड 4.13
EMPANEL	T	—	हाँ	Y / N: खंड 10.6.1(c) या (d) के अंतर्गत आने वाली सुविधा	खंड 10.6.1
STATUS	T	—	हाँ	तालिका 10B.8 का कोड	खंड 10.17.1(a)
APPR_DATE	D	—		चरण 2 के अनुमोदन की तारीख	खंड 10.3
ASB_DATE	D	—		यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र स्वीकार किए जाने की तारीख	खंड 10.9
DECL_REF	T	—		रखरखाव घोषणा-पत्र (प्रपत्र 10-6) का पंजीकरण संदर्भ	खंड 10.10.1(e)
HAND_DATE	D	—		परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-8) की तारीख	खंड 10.14

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	अनिवार्य	विषय-वस्तु	स्रोत
LAST_INSP	D	—		नवीनतम निरीक्षण की तारीख	खंड 10.12
INSP_RES	T	—		तालिका 10B.9 का कोड	खंड 10.17.1(a)
OUT_ID	T	—	हाँ	वह आउटफॉल जिसमें सुविधा पानी छोड़ती है	—

तालिका 10B.3 — SW_OUTF (आउटफॉल) के गुण

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	अनिवार्य	विषय-वस्तु	स्रोत
OUT_ID	T	—	हाँ	आउटफॉल का पहचानकर्ता	10B.1(f)
RECEIVER	T	—	हाँ	प्राप्तकर्ता ड्रेन, चैनल, जलाशय या समुद्र, नाम सहित	खंड 4.5.1.3
RECV_TYPE	T	—	हाँ	PUBLIC_DRAIN / CANAL / RIVER / TANK / SEA / OTHER	अध्याय 5
INV_LEVEL	R	m	हाँ	आउटफॉल का इनवर्ट स्तर	खंड 10.9.1(a)
SIZE_MM	R	mm	हाँ	व्यास, या ड्रॉइंग में लिखे अनुसार चौड़ाई × ऊँचाई	अध्याय 6
TIDAL	T	—	हाँ	Y / N	अध्याय 5
GATE_TYPE	T	—		NONE / FLAP / TIDE / DUCKBILL / PENSTOCK / NRV	खंड 5.11, 9.10
GATE_REQ	T	—	हाँ	Y / N: इनवर्ट 1% AEP स्थिर जल स्तर से नीचे	खंड 5.11.1
GPT	T	—		Y / N: स्थूल प्रदूषक जाल लगा है	खंड 8.10.1
Q_100	R	L/s		1% AEP की डिजाइन प्रवाह दर	अध्याय 5

तालिका 10B.4 — SW_CATCH (जलग्रहण क्षेत्र) के गुण

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	अनिवार्य	विषय-वस्तु	स्रोत
CAT_ID	T	—	हाँ	जलग्रहण क्षेत्र का पहचानकर्ता	10B.1(f)
CONDITION	T	—	हाँ	PRE / POST / EXTERNAL (साइट से बाहर की वह भूमि जिसका पानी साइट से होकर बहता है)	खंड 10.4.1(b)
AREA_HA	R	ha	हाँ	क्षेत्रफल	—
IMPERV_PC	R	%	हाँ	अपारगम्य प्रतिशत	खंड 3.9
HSG	T	—	हाँ	A / B / C / D, या मिश्रित, क्षेत्र के अंश NOTES में	खंड 3.7
CN	R	—		कर्व नंबर, AMC II	अध्याय 3
OUT_ID	T	—	हाँ	वह आउटफॉल जिसमें इसका पानी जाता है	खंड 4.5.1.3
FLOODSENS	T	—	हाँ	Y / N	खंड 4.5.3
NOTES	T	—		मुक्त पाठ	—

तालिका 10B.5 — SW_FLOW और SW_CONV (प्रवाह मार्ग और वहन) के गुण

क्षेत्र	प्रकार	इकाई	अनिवार्य	विषय-वस्तु	स्रोत
FLP_ID	T	—	हाँ	रेखा का पहचानकर्ता	10B.1(f)
LINE_TYPE	T	—	हाँ	OVERLAND / NATURAL / OPEN_DRAIN / COVERED_DRAIN / PIPE / CULVERT	अध्याय 6
US_LEVEL	R	m		प्रतिप्रवाह की ओर का इनवर्ट या भूमि स्तर	अध्याय 6
DS_LEVEL	R	m		अनुप्रवाह की ओर का इनवर्ट या भूमि स्तर	अध्याय 6
SIZE_MM	R	mm		पाइप का व्यास, या ड्रेन की चौड़ाई (गहराई NOTES में)	खंड 6.7.6
Q_DES	R	L/s		डिजाइन प्रवाह दर	अध्याय 6
AEP_DES	T	—		डिजाइन AEP, उदाहरण के लिए "10%" या "1%"	खंड 6.4
RESERVE_M	R	m		जल निकासी आरक्षित पट्टी की चौड़ाई, जहाँ लागू हो	खंड 6.9.7
NOTES	T	—		मुक्त पाठ	—

तालिका 10B.6 — मेटाडेटा (SW_META)

क्षेत्र	विषय-वस्तु
FILE_NO	प्राधिकारी की फाइल संख्या
STAGE	1, 2, 4 या HANDOVER
H_CRS	क्षैतिज संदर्भ प्रणाली का EPSG कोड
V_DATUM	ऊर्ध्वाधर डेटम का नाम
TIDE_REL	ऊर्ध्वाधर डेटम का, अध्याय 5 के अनुसार प्राप्तकर्ता नदियों पर CWC और WRD के गेजों के नदी डेटमों से और शहर की जल निकासी प्राप्त करने वाली झीलों और जलाशयों के लिए WRD और झीलों के अभिरक्षकों के स्तर डेटमों से संबंध, स्थानीय शून्य से ऊपर फुट में लिए गए झील गेज के पाठ्यांक किसी नामित डेटम पर मीटर में बदलकर (उदाहरण के लिए, साइट डेटम पर MSL = x.xx m)
SURVEYOR	सर्वेक्षक का नाम और लाइसेंस संख्या
SURV_DATE	सर्वेक्षण की तारीख
PREP_BY	प्रमाणकर्ता पेशेवर का नाम और पंजीकरण संख्या
CALC_VER	अनुपालन कैलकुलेटर का संस्करण (परिशिष्ट 10A), या "जारी नहीं"
DATE	फाइल तैयार किए जाने की तारीख

10B.4 कोड सूचियाँ

तालिका 10B.7 — सुविधा के प्रकार के कोड (FAC_TYPE)

कोड	सुविधा	तालिका 10.3 की निरीक्षण पंक्ति
RET_SOAK	सोख गड्ढा, पुनर्भरण गड्ढा या शाफ्ट	प्रतिधारण / अंतःस्यंदन
RET_TRENCH	अंतःस्यंदन खाई या बेसिन	प्रतिधारण / अंतःस्यंदन

कोड	सुविधा	तालिका 10.3 की निरीक्षण पंक्ति
RET_BIO	बायोरिटेंशन या वर्षा उद्यान	प्रतिधारण / अंतःस्यंदन
RET_PERM	पारगम्य पेवमेंट	प्रतिधारण / अंतःस्यंदन
RET_REUSE	पुनः उपयोग द्वारा प्रतिधारण (माँग सहित टैंक)	भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट
DET_BASIN	सतही अस्थायी भंडारण बेसिन	सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान
DET_OSR	खुले स्थान, पार्क या खेल के मैदान में बहु-उपयोगी अस्थायी भंडारण	सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान
DET_ROOF	छत पर अस्थायी भंडारण	भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट
DET_PODIUM	पोडियम या लैंडस्केप डेक पर अस्थायी भंडारण	भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट
DET_PARK	पार्किंग स्थल में अस्थायी भंडारण	सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान
DET_TANK	भूमिगत टैंक या वॉल्ट, गुरुत्व आउटलेट	भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट
DET_PUMP	पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण या पंपिंग स्टेशन	पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण, पंप और नियंत्रण
WQ_POND	वेट पॉन्ड (wet pond) या निर्मित आर्द्रभूमि	सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान
WQ_SWALE	स्वेल या फिल्टर पट्टी	निजी ड्रेन और इनलेट
WQ_GPT	स्थूल प्रदूषक जाल, प्रथम प्रवाह युक्ति या तेल-ग्रिट पृथक्कारी	स्थूल प्रदूषक जाल / प्रथम प्रवाह युक्ति
GATE	फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट, नॉन-रिटर्न वाल्व	फ्लैप / ज्वार-रोधी गेट, नॉन-रिटर्न वाल्व
CONV	निजी ड्रेन, इनलेट या पुलिया	निजी ड्रेन और इनलेट

तालिका 10B.8 — स्थिति के कोड (STATUS)

कोड	अर्थ
PROPOSED	चरण 1 या चरण 2 की प्रस्तुति में
APPROVED	चरण 2 अनुमोदित; अभी निर्मित नहीं
ASBUILT	यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र स्वीकार किया गया (खंड 10.9)
HANDEDOVER	ULB द्वारा स्वीकार किया गया (खंड 10.14)
ALTERED	प्राधिकारी के अनुमोदन से परिवर्तित (खंड 10.3.5)
REMOVED	प्राधिकारी के अनुमोदन से हटाया गया

तालिका 10B.9 — निरीक्षण परिणाम के कोड (INSP_RES)

कोड	अर्थ
OK	डिजाइन के अनुसार कार्यशील; कोई दोष नहीं
MINOR	दोष पाया गया और ठीक किया गया; तारीख निरीक्षण अभिलेख में
MAJOR	भंडारण, आउटलेट या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला दोष; नोटिस जारी किया गया (खंड 10.15.2, पद 1)

कोड	अर्थ
NOACCESS	निरीक्षण नहीं किया जा सका
NOTFOUND	सुविधा लुप्त, भरी हुई, ढकी हुई या उसका उपयोग बदला हुआ (खंड 10.15.1(c))

10B.5 सुविधा रजिस्टर का उद्धरण

खंड 10.17.1(a) का सार्वजनिक सुविधा रजिस्टर SW_FAC का एक उद्धरण है: FAC_ID, FAC_TYPE, स्थान (केंद्रक), V_DET (और V_RET, V_WQ), Q_100 (और Q_2, Q_10), OWNER_NM, ASB_DATE, LAST_INSP और INSP_RES। यह खंड 10.17.4 के लाइसेंस के अंतर्गत CSV और GeoPackage के रूप में प्रकाशित किया जाता है। व्यक्तिगत आँकड़े प्रकाशित नहीं किए जाते (खंड 10.17.3)।

परिशिष्ट 10C — रखरखाव पहुँच के आयाम

अध्याय 10 के खंड 10.13 के लिए।

खंड 10.13 पहुँच को कार्य के आधार पर निर्धारित करता है। यह परिशिष्ट उन पहुँच आयामों को एकत्र करता है जिन्हें मैनुअल अन्य अध्यायों में पहले से निर्धारित करता है, और उन आयामों की सूची देता है जिन्हें वह निर्धारित नहीं करता। जहाँ कोई आयाम मैनुअल द्वारा निर्धारित नहीं है, वहाँ डिजाइनकर्ता उसे ड्रॉइंग पर बताएगा, दिखाएगा कि वह O&M योजना में नामित मशीनरी और उपकरणों के उपयुक्त है (खंड 10.11.1(h)), और उस पर "डिजाइन में पुष्टि की जानी है" (to be confirmed in design) अंकित करेगा।

तालिका 10C.1 — मैनुअल द्वारा निर्धारित पहुँच आयाम

घटक	अपेक्षा	खंड
2 m या अधिक शीर्ष चौड़ाई वाली खुली ड्रेन	एक किनारे पर कम से कम 3.5 m चौड़ी रखरखाव पहुँच पट्टी, जो अधिकतम 500 m के अंतराल पर किसी सार्वजनिक सड़क से जुड़ी हो	6.9.4
जल निकासी आरक्षित पट्टियाँ	अपेक्षित ड्रेन आकार के आधार पर चौड़ाई तालिका 6.9 से कम नहीं; जहाँ खंड 6.9.4 की पहुँच पट्टी अधिक चौड़ी हो, वहाँ अधिक चौड़ाई निर्णायक होगी	6.9.7
ढकी ड्रेन, न्यूनतम खंड-काट	0.6 m × 0.6 m स्पष्ट	6.7.6
ढकी ड्रेन, हटाने योग्य ढक्कन	अधिकतम 10 m के केंद्र-अंतर पर पैनल, प्रत्येक कम से कम 0.6 m लंबा और पूरी स्पष्ट चौड़ाई पर फैला हुआ, जिसे दो कर्मी या हाथ से चलने वाली युक्ति उठा सके	6.13.2(a)
ढकी ड्रेन, निरीक्षण कक्ष	प्रत्येक संगम, मोड़ और खंड-काट परिवर्तन पर, और सीधी लंबाई में अधिकतम 30 m के केंद्र-अंतर पर, कम से कम 0.6 m × 0.6 m का स्पष्ट द्वार	6.13.2(b)
सार्वजनिक ड्रेनों पर मैनहोल और निरीक्षण कक्ष	स्पष्ट प्रवेश द्वार कम से कम 600 mm	9.12.3
सार्वजनिक सड़कों पर इनलेट कक्ष	आउटलेट पाइप के इनवर्ट से कम से कम 300 mm गहरा गाद संप, जिसे सतह से साफ किया जा सके	6.6.7
भूमिगत टैंक और वॉल्ट	आउटलेट कक्ष के ऊपर और प्रत्येक इनलेट के ऊपर प्रवेश द्वार; 500 m² से बड़े टैंकों में अधिकतम 30 m की दूरी पर; फर्श का आउटलेट पर स्थित संप की ओर कम से कम 1% ढलान	4.10.2(b), (c)

घटक	अपेक्षा	खंड
1 ha से अधिक क्षेत्र की सेवा करने वाले अस्थायी भंडारण आउटलेट	आउटलेट को पृथक करने का साधन (स्टॉप-लॉग स्लॉट या पेनस्टॉक)	4.8.6
आउटफॉल गेट	600 mm से बड़े आउटफॉलों पर (अध्याय 5) और 900 mm या अधिक के या पंप अथवा भंडारण प्रणाली की सेवा करने वाले आउटफॉलों पर (अध्याय 9) प्रतिप्रवाह की ओर स्टॉप-लॉग स्लॉट या पेनस्टॉक; गेट कक्ष सभी ज्वार स्थितियों में सुलभ, उसका प्रवेश HAT + महोर्मि + समुद्र स्तर वृद्धि के अतिरिक्त प्रावधान से ऊपर	5.11.3(d), (e); 9.10.3
पंपिंग स्टेशन	1% AEP घटना में उपयोग योग्य रखरखाव वाहन पहुँच; मोबाइल पंपों के लिए पक्का स्थान और त्वरित-युग्मन (quick-coupling) कनेक्शन; पास-पास के पंपों या मोटरों के बीच 0.6 m (छोटी और मध्यम इकाइयाँ) या 1.0 m (बड़ी इकाइयाँ) का स्पष्ट स्थान	9.9.6, 9.9.10, 9.9.12
पूर्व-उपचार युक्तियाँ	मुख्य BMP में प्रवेश किए या उसे छेड़े बिना साफ की जा सकें	8.5.4
आउटफॉलों, पुलिया इनलेटों और पंप संपों पर जालियाँ	किसी सुरक्षित प्लेटफॉर्म से साफ की जा सकें, वाहन पहुँच के साथ	8.10.3(d)
अंतःस्यंदन खाइयाँ	प्रत्येक खाई के तल तक प्रेक्षण कुआँ	8.7.6(c)
सार्वजनिक रूप से सुलभ भंडारण	किनारे की ढलान 4H:1V से अधिक तीव्र नहीं, और परिधि के कम से कम एक-चौथाई भाग पर 6H:1V या उससे सपाट	4.15.1(c)
आर्द्र बेसिन	कम से कम 3 m चौड़ी सुरक्षा बेंच, सामान्य जल स्तर से 0.3 m से अधिक नीचे नहीं	4.15.2
बाड़	जहाँ खंड 4.15.3 अपेक्षित करता है, कम से कम 1.2 m ऊँची, चढ़ी न जा सकने वाली, ताला लगने योग्य गेट के साथ	4.15.3

तालिका 10C.2 — मैनुअल द्वारा निर्धारित न किए गए पहुँच आयाम (डिजाइन में पुष्टि की जानी है)

घटक	डिजाइनकर्ता क्या बताएगा	कार्य निर्धारित करने वाला खंड
किसी बेसिन, तालाब या खुले चैनल के इनलेट, आउटलेट और तल तक वाहन पहुँच मार्ग	O&M योजना की मशीनरी के लिए चौड़ाई, ढाल, मुड़ने का स्थान और डिजाइन भार	10.13.2
बेसिन या तालाब के किनारे रखरखाव पट्टी	कम से कम एक ओर की चौड़ाई	10.13.2
बेसिन में उतरने वाला रैंप	तलछट हटाने वाली मशीनरी के लिए चौड़ाई, ढाल और सतह	10.13.2
निजी टैंकों के प्रवेश द्वार	इनलेट, आउटलेट और प्रत्येक कक्ष के ऊपर प्रत्येक द्वार का स्पष्ट आकार	10.13.3(a)
सीढ़ियाँ और पायदान	प्रकार और अंतराल; सीमित स्थान में प्रवेश के लिए संवातन	10.13.3(b)
भूमिगत टैंकों में ऊँचाई (headroom)	हाथ से सफाई के लिए स्पष्ट ऊँचाई	10.13.3(d)
ऑरिफिस और जालियों तक पहुँच	भरी हुई सुविधा में प्रवेश किए बिना आउटलेट को कैसे साफ किया जाता है	10.13.4

> **भाष्य.** APWA 5600 (2006, §5608) में अस्थायी भंडारण सुविधाओं के लिए 15 फुट (लगभग 4.5 m) की रखरखाव पहुँच पट्टी अपेक्षित थी। मैनुअल ने निजी साइटों के लिए कोई नियत चौड़ाई नहीं ली, क्योंकि राजस्थान के शहरों में भूखंडों के आकार बहुत भिन्न होते हैं (खंड 10.13, भाष्य)। राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति परिशिष्ट 6C और 9B की मानक ड्रॉइंग जारी करते समय तालिका 10C.2 में मानक मान

जोड़ सकती है।

परिशिष्ट 10D — सुविधा के प्रकार के अनुसार आदर्श O&M योजनाएँ

अध्याय 10 के खंड 10.11, 10.12 और 10.13 के लिए।

नीचे दी गई आदर्श योजनाएँ आरंभ बिंदु हैं। डिजाइनकर्ता इन्हें प्रत्येक सुविधा के अनुसार ढालता है और "_____" से चिह्नित मदें भरता है। निरीक्षण की आवृत्तियाँ तालिका 10.3 की न्यूनतम आवृत्तियाँ हैं; कोई योजना अधिक बार निरीक्षण निर्धारित कर सकती है, कम कभी नहीं। जहाँ यह परिशिष्ट कोई मान डिजाइनकर्ता पर छोड़ता है, वहाँ मैनुअल उसे निर्धारित नहीं करता।

10D.1 प्रत्येक O&M योजना की विषय-वस्तु

प्रत्येक योजना में खंड 10.11.1 की मदें होंगी:

तालिका 10D.1 — O&M योजना की विषय-वस्तु

मद	विषय-वस्तु	खंड
1	प्रत्येक सुविधा की सूची और नक्शा, डिजाइन स्तरों, आयतनों और आउटलेट विवरण के साथ (SW_FAC, परिशिष्ट 10B से)	10.11.1(a)
2	नियमित कार्य और उनकी आवृत्ति (तालिका 10D.2 से 10D.8)	10.11.1(b)
3	तलछट हटाने का प्रारंभक मान, गहराई (mm) के रूप में या डिजाइन आयतन के प्रतिशत के रूप में: _____	10.11.1(c)
4	प्रपत्र 10-7 से मेल खाती निरीक्षण जाँच-सूची	10.11.1(d)
5	पंपों, गेटों और वाल्वों के लिए: प्रचालन नियम, परीक्षण अनुसूची, स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति, और चक्रवात या भारी वर्षा की चेतावनी पर की जाने वाली कार्रवाई	10.11.1(e)
6	रुके हुए पानी और मच्छरों के प्रजनन के विरुद्ध कार्रवाई, जो खंड 4.7 के खाली होने के समय के अनुरूप हो	10.11.1(f)
7	सुरक्षा: सीमित स्थान, गहरा पानी, सार्वजनिक पहुँच	10.11.1(g)
8	पहुँच मार्ग और उपकरण (परिशिष्ट 10C)	10.11.1(h)
9	वार्षिक लागत का प्राक्कलन (₹ _____ प्रति वर्ष) और उसका भुगतान कौन करेगा	10.11.1(i)
10	रखे जाने वाले अभिलेख, और कितने समय तक: _____ वर्ष (पंप के अभिलेख कम से कम 5 वर्ष, खंड 9.9.8(c))	10.11.1(j)

10D.2 आदर्श योजनाएँ

तालिका 10D.2 — प्रतिधारण और अंतःस्यंदन (सोख गड्ढे, खाइयाँ, बायोरिटेंशन, पारगम्य पेवमेंट)

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
सतह, इनलेट, पूर्व-उपचार और अतिप्रवाह का निरीक्षण	प्रत्येक 6 महीने; 15 जून से पहले; भारी वर्षा वाले प्रत्येक दिन के बाद	कोई अवरोध नहीं; अतिप्रवाह मार्ग खुला	तालिका 10.3

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
प्रेक्षण कुएँ पर या सतह पर खाली होने की जाँच	वर्षा के बाद प्रत्येक निरीक्षण पर	वर्षा समाप्त होने के 72 h के भीतर खाली हो जाए; यदि नहीं, तो अवरोध (clogging) की जाँच करें	4.4.5, 8.7.6(c)
पूर्व-उपचार (फोरबे, फिल्टर पट्टी, गाद-जाल) की सफाई	जब तलछट का प्रारंभक मान (मद 3) पहुँच जाए	मुख्य BMP को छेड़े बिना पूर्व-उपचार की सफाई	8.5.3, 8.5.4
बायोरिटेंशन: मल्च, पौधे, जल का रुकना	प्रत्येक 6 महीने	रुका हुआ पानी 48 h के भीतर निकल जाए; मृत पौधे बदले जाएँ; मल्च 50–75 mm	8.7.2
पारगम्य पेवमेंट: सतह	प्रत्येक 6 महीने	झाड़ू या वैक्यूम से सफाई; अपारगम्य सामग्री से पुनः सतह नहीं बिछाई जाए	8.7.5(e)
योगदान देने वाले क्षेत्र को स्थिर रखना	प्रत्येक निरीक्षण	खुली मिट्टी स्थिर की गई; तलछट बहकर नहीं आ रहा	10.8.3(b)
सुविधा को यथास्थान और उपयोग में रखना	प्रत्येक निरीक्षण	अनुमोदन के बिना भरी, ढकी, पक्की या उस पर निर्माण नहीं किया गया	10.10.1(d)

तालिका 10D.3 — सतही अस्थायी भंडारण बेसिन या बहु-उपयोगी खुला स्थान

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
इनलेट, आउटलेट, ऑरिफिस, कचरा-रोधी जाली और स्पिलवे का निरीक्षण	प्रत्येक 6 महीने; 15 जून से पहले; भारी वर्षा वाले प्रत्येक दिन के बाद	ऑरिफिस और जाली खुली; स्पिलवे अवरोध-मुक्त	तालिका 10.3, 4.8, 4.9
मलबा और तलछट हटाना	जब तलछट का प्रारंभक मान पहुँच जाए, और घटनाओं के बाद	डिजाइन आयतन बहाल	10.11.1(c)
जाँचना कि बेसिन खाली होता है	वर्षा के बाद	किसी निचले बिंदु पर 72 h से अधिक पानी नहीं रुकता	4.15.7
वनस्पति	योजना में निर्धारित अनुसार	घास कटी हुई; तटबंधों पर या आउटलेट क्षेत्र में कोई काष्ठीय वृद्धि नहीं	10.11.1(b)
सुरक्षा सुविधाएँ	प्रत्येक 6 महीने	हिन्दी और अंग्रेजी में संकेत-पट और गहराई चिह्न यथास्थान; जहाँ अपेक्षित हो वहाँ बाड़ और गेट मजबूत	4.15.3, 4.15.5
तटबंध (यदि कोई हो)	प्रत्येक 6 महीने और घटनाओं के बाद	कोई दरार, खिसकाव, रिसाव या जानवरों के बिल नहीं	4.9.6

तालिका 10D.4 — भूमिगत या पोडियम अस्थायी भंडारण टैंक, गुरुत्व आउटलेट

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
प्रवेश द्वारों से निरीक्षण: इनलेट, आउटलेट, ऑरिफिस, जाली, संप, वेंट	प्रत्येक 6 महीने; 15 जून से पहले; भारी वर्षा वाले प्रत्येक दिन के बाद	खुले; वेंट खुले	तालिका 10.3, 4.10.2
संप और फर्श की सफाई	जब तलछट का प्रारंभक मान पहुँच जाए	फर्श से पानी बिना रुकावट संप की ओर बहता है	4.10.2(c)
इनलेट गाद-जाल या GPT	प्रत्येक 3 महीने (GPT के लिए तालिका 10.3 की पंक्ति)	साफ किया गया	4.10.2(e)
अतिप्रवाह मार्ग	प्रत्येक निरीक्षण	आउटलेट अवरुद्ध होने पर कार्य करता है; सतही प्रवाह मार्ग तक का रास्ता अवरोध-मुक्त	4.9.5

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
सीमित स्थान में प्रवेश	प्रत्येक प्रवेश	रखरखाव घोषणा-पत्र में बताई गई प्रवेश प्रक्रिया का पालन; बाद में ढक्कन बंद करके ताला लगाया गया	4.15.6
स्थान का उपयोग	प्रत्येक निरीक्षण	पार्किंग या भंडारण के लिए उपयोग नहीं; आयतन कम नहीं किया गया	10.10.1(d)

तालिका 10D.5 — पंप द्वारा संचालित अस्थायी भंडारण, पंप और नियंत्रण

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
प्रत्येक पंप, कार्यरत और स्टैंडबाय, का परीक्षण रन	मासिक	प्रत्येक पंप स्तर नियंत्रण पर चालू होता है; भूमिकाएँ बारी-बारी से बदलती हैं	तालिका 10.3, 9.9.4(c)
पूर्ण ड्यूटी परीक्षण	15 जून से पहले	स्टेशन अपना डिजाइन ड्यूटी बिंदु प्राप्त करता है	तालिका 10.3, 10.9.3
स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति	मासिक, परीक्षण रन के साथ; 15 जून से पहले पूर्ण परीक्षण	स्वचालित परिवर्तन (changeover) कार्य करता है; साइट पर सभी कार्यरत पंपों के लिए कम से कम 72 h का ईंधन	9.9.9
स्तर सेंसर, फ्लोट बैक-अप, अलार्म, टेलीमेट्री	मासिक	उच्च-स्तर और खराबी के अलार्म नियंत्रण कक्ष तक पहुँचते हैं	9.9.8
जालियाँ और गाद-जाल	प्रत्येक 3 महीने और घटनाओं के बाद	साफ	9.9.7
अभिलेख	निरंतर	संप स्तर, चलने के घंटे और विद्युत स्थिति दर्ज; कम से कम 5 वर्ष तक रखे जाएँ	9.9.8(c)
चेतावनी पर कार्रवाई	IMD की भारी वर्षा या चक्रवात चेतावनी पर	योजना में लिखी गई कार्रवाइयाँ: _____ (उदाहरण के लिए साइट पर कर्मचारी, ईंधन भरा गया, मोबाइल पंप कनेक्शन जाँचा गया)	10.11.1(e), 9.9.12

तालिका 10D.6 — फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट, नॉन-रिटर्न वाल्व

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
निरीक्षण और संचालन	प्रत्येक 3 महीने; भारी वर्षा वाले प्रत्येक दिन के बाद	कम हेड पर खुलता है; कोई मलबा, रेत या वनस्पति उसे रोके नहीं हुए	तालिका 10.3, 9.10.4
सील परीक्षण	15 जून से पहले	प्राप्तकर्ता जलाशय के विरुद्ध सील होता है	तालिका 10.3, 10.9.3
समुद्र तट, ज्वारनदमुख और खाड़ी (creek) के आउटफॉल	मानसून ऋतु में प्रत्येक उच्च ज्वार या महोर्मि घटना के बाद	रेत और मलबा हटाया गया	9.10.5(b)
पृथक्करण	15 जून से पहले	स्टॉप-लॉग स्लॉट या पेनस्टॉक संचालन योग्य	9.10.3
कब्जे, पिन और फिक्सिंग	15 जून से पहले	ऐसा कोई क्षरण नहीं जो गेट का काम रोक दे	9.10.6
संपत्ति के नॉन-रिटर्न वाल्व	प्रत्येक 3 महीने	सफाई छिद्र (cleaning eye) सुलभ; वाल्व सील होता है	5.11.4

तालिका 10D.7 — स्थूल प्रदूषक जाल या प्रथम प्रवाह युक्ति

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
निरीक्षण और खाली करना	प्रत्येक 3 महीने; 15 जून से पहले; भारी वर्षा वाले प्रत्येक दिन के बाद	संग्रह कक्ष भरने से पहले खाली किया गया; बाईपास खुला	तालिका 10.3, 8.4.6
जालियाँ	प्रत्येक निरीक्षण	साफ; अतिप्रवाह मार्ग खुला	8.10.3(b)
निपटान	प्रत्येक सफाई	सामग्री किसी प्राधिकृत ठोस अपशिष्ट सुविधा में ले जाई गई	—

तालिका 10D.8 — निजी ड्रेन और इनलेट

कार्य	आवृत्ति	मानक या प्रारंभक मान	खंड
ड्रेनों, इनलेटों और गाद संपों का निरीक्षण और सफाई	प्रत्येक 6 महीने; 15 जून से पहले	गाद और मलबे से मुक्त	तालिका 10.3
सीवेज कनेक्शनों की जाँच	प्रत्येक निरीक्षण	कोई नहीं; सीवेज का कोई भी अवैध जुड़ाव (cross-connection) हटाया गया	1.5.4, 8.9
सतही प्रवाह मार्ग	प्रत्येक निरीक्षण	दीवारों, भराई या रखी गई सामग्री से अवरुद्ध नहीं	6.9.2, 10.15.1(g)

परिशिष्ट 10E — वर्षा जल डिजाइन पेशेवरों और समीक्षकों की सूचीबद्धता के मानदंड

अध्याय 10 के खंड 10.6, 10.7.4 और 11.4.3 के लिए।

> *सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं.* खंड 10.6.2 सूचीबद्धता के मानदंड जारी करने का कार्य UDH को सौंपता है। नीचे दिया गया पाठ एक आदर्श है। "[ ]" के रूप में दर्शाए गए मान सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जाने हैं; मैनुअल उन्हें निर्धारित नहीं करता।

10E.1 आदर्श मानदंड

1. **सूचियाँ.** सक्षम प्राधिकारी तीन सार्वजनिक सूचियाँ रखेगा:
   - (a) **वर्षा जल डिजाइन पेशेवर**, जो खंड 10.6.1 के अंतर्गत डिजाइनों पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और खंड 10.6.4 के अंतर्गत स्वतंत्र जाँचकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं;
   - (b) **सूचीबद्ध समीक्षक**, जो खंड 10.7.4 के अंतर्गत किसी प्राधिकारी के लिए प्रस्तुतियों की समीक्षा कर सकते हैं; और
   - (c) **बेसिन मॉडलिंग योग्यता-मान्यता** (basin modelling endorsement), जो ऐसे वर्षा जल डिजाइन पेशेवर के पास होती है जो खंड 11.4.3 के अंतर्गत BSMP तैयार कर सकता है या उसका निर्देशन कर सकता है।
2. **सूची (a) के लिए पात्रता.** आवेदक:
   - (a) सिविल अभियांत्रिकी में डिग्री, या सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता रखेगा (खंड 10.6.2);
   - (b) मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025 के अंतर्गत पेशेवर के रूप में पंजीकृत होगा (खंड 1.4);
   - (c) स्नातक होने के बाद जल निकासी डिजाइन में कम से कम [ ] वर्ष का अनुभव रखेगा, जो कम से कम [ ] परियोजनाओं की सूची द्वारा, प्रत्येक में आवेदक की भूमिका सहित, दर्शाया गया हो (खंड 10.6.2); और

    - (d) आवेदन से पहले के [ ] वर्षों के भीतर इस मैनुअल पर मूल्यांकन सहित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरा कर चुका होगा (खंड 10.6.2)।
3. **सूची (b) के लिए पात्रता.** सूची (a) के समान, कम से कम [ ] वर्ष के अनुभव के साथ, जिसमें से कम से कम [ ] वर्ष इस मैनुअल या किसी समकक्ष मानक के अंतर्गत जल निकासी के डिजाइन या समीक्षा में हों।
4. **बेसिन मॉडलिंग योग्यता-मान्यता (c).** ऐसा वर्षा जल डिजाइन पेशेवर जो कम से कम [ ] अध्ययनों पर अंशांकन सहित बेसिन-स्तरीय 1D–2D मॉडलिंग का अनुभव दर्शाए (खंड 11.4.3)।
5. **जाँचकर्ता की स्वतंत्रता.** खंड 10.6.4 के अंतर्गत जाँचकर्ता न तो डिजाइनकर्ता की फर्म या आवेदक द्वारा नियोजित होगा, न उसका भागीदार होगा, और उसने डिजाइन पर कार्य न किया हो।
6. **समीक्षक का हित-संघर्ष.** कोई सूचीबद्ध समीक्षक ऐसी साइट की समीक्षा नहीं करेगा जिस पर समीक्षक ने, या समीक्षक की फर्म ने, किसी भी हैसियत में कार्य किया हो (खंड 10.7.4), और कोई समीक्षा स्वीकार करने से पहले अपने किसी अन्य हित की घोषणा करेगा। निर्णय लेने वाला प्राधिकारी ही रहता है (खंड 10.7.4)।
7. **आवेदन.** आवेदन में डिग्री और पंजीकरण का प्रमाण, संदर्भों सहित परियोजना सूची, प्रशिक्षण प्रमाण-पत्र, और यह हस्ताक्षरित घोषणा सम्मिलित होगी कि दी गई जानकारी सत्य है।
8. **अवधि और नवीकरण.** सूचीबद्धता [ ] वर्षों के लिए वैध है। नवीकरण के लिए निरंतर व्यवसाय का, और मैनुअल के संशोधन के बाद जारी किसी पुनश्चर्या प्रशिक्षण का, साक्ष्य अपेक्षित है (खंड 1.12)।
9. **निलंबन और हटाया जाना.** सक्षम प्राधिकारी किसी सूचीबद्ध व्यक्ति को मिथ्या या लापरवाही से दिए गए प्रमाण-पत्र के बाद (खंड 10.6.5), तालिका 10.4 के पद 6 के अंतर्गत रिपोर्ट पर, या पंजीकरण समाप्त होने पर निलंबित कर सकता है या सूची से हटा सकता है। उस व्यक्ति को नोटिस और सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। प्रत्येक निलंबन और हटाया जाना सूची पर प्रकाशित किया जाएगा।
10. **प्रकाशन.** सूचियाँ प्रकाशित की जाएँगी और अद्यतन रखी जाएँगी, जिनमें प्रत्येक व्यक्ति का नाम, पंजीकरण संख्या, सूची, योग्यता-मान्यता और वैधता की तारीख हो।

प्रपत्र 10-1 — जल निकासी रिपोर्ट जाँच-सूची

अध्याय 10 के खंड 10.4.1 से 10.4.4 और 10.7.1 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. चरण 1 और चरण 2 की प्रत्येक प्रस्तुति के साथ जमा करें। प्रत्येक मद के लिए वह पृष्ठ या शीट बताएँ जहाँ उस पर विचार किया गया है, या वह कारण जिससे वह लागू नहीं होती। प्राधिकारी पूर्ण रूप से भरे प्रपत्र 10-1 के बिना तकनीकी समीक्षा आरंभ नहीं करता (खंड 10.4.3)।

तालिका 10F.1 — प्रपत्र 10-1, भाग A: प्रस्तुति

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
A1	प्राधिकारी और फाइल संख्या	_____
A2	साइट का नाम और पता; सर्वे संख्याएँ	_____
A3	चरण: 1 / 2 / संयुक्त 1 और 2 (खंड 10.3.3) / लोक निर्माण कार्य की DPR या निविदा (खंड 10.3.4)	_____
A4	आवेदक	_____
A5	प्रमाणकर्ता पेशेवर (नाम, पंजीकरण और सूचीबद्धता संख्या)	_____

तालिका 10F.2 — प्रपत्र 10-1, भाग B: चरण 1 की विषय-वस्तु (खंड 10.4.1)

क्र.	मद	खंड	पृष्ठ / शीट	लागू नहीं: कारण
B1	प्रपत्र 1-1; जहाँ विचलन या अधित्याग माँगा गया हो वहाँ प्रपत्र 1-2	10.4.1(a)	_____	_____
B2	साइट नक्शा: विद्यमान और प्रस्तावित स्तर, अपारगम्य क्षेत्र, साइट की ओर और साइट से होकर बहने वाले जलग्रहण क्षेत्रों की सीमाएँ	10.4.1(b)	_____	_____
B3	मिट्टी (HSG), मौसमी उच्चतम भूजल, अंतःस्यंदन परीक्षण या परीक्षण योजना	10.4.1(c)	_____	_____
B4	डिजाइन वर्षा पत्रक (प्रपत्र 2-1)	10.4.1(d)	_____	_____
B5	विकास-पूर्व स्थिति और जलवैज्ञानिक विधि	10.4.1(e)	_____	_____
B6	उपायों का क्रम: संरक्षित क्षेत्र, प्रतिधारण विधि, अस्थायी भंडारण की अवधारणा, वहन	10.4.1(f)	_____	_____
B7	प्रारंभिक प्रतिधारण, WQ और अस्थायी भंडारण आयतन और निकास दरें, प्रपत्र 10-2 के साथ	10.4.1(g)	_____	_____
B8	अनुप्रवाह विश्लेषण का विस्तार और टेलवाटर स्थिति	10.4.1(h)	_____	_____
B9	जलाशय, सेटबैक और 1% AEP स्तर	10.4.1(i)	_____	_____
B10	सुविधाओं और रखरखाव पहुँच के लिए आरक्षित भूमि	10.4.1(j)	_____	_____
B11	पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3)	10.4.5	_____	_____

तालिका 10F.3 — प्रपत्र 10-1, भाग C: चरण 2 की विषय-वस्तु (खंड 10.4.2)

क्र.	मद	खंड	पृष्ठ / शीट	लागू नहीं: कारण
C1	अद्यतन की गई चरण 1 की विषय-वस्तु (भाग B)	10.4.2	_____	_____
C2	प्रत्येक भंडारण अवधि और AEP के लिए अंतिम गणनाएँ, आउटफॉल-बंद जाँच के साथ	10.4.2(a)	_____	_____
C3	जल स्तर–भंडारण–प्रवाह दर तालिकाएँ; आपातकालीन स्पिलवे का डिजाइन	10.4.2(b)	_____	_____
C4	वहन, इनलेट और संरचनाओं का हाइड्रोलिक डिजाइन	10.4.2(c)	_____	_____
C5	जल गुणवत्ता डिजाइन; जहाँ अपेक्षित हो वहाँ प्रथम प्रवाह युक्ति या GPT	10.4.2(d)	_____	_____
C6	प्रत्येक सुविधा की निर्माण ड्रॉइंग, विवरण और विनिर्देश	10.4.2(e)	_____	_____
C7	निर्माण का क्रम, प्रतिधारण और अंतःस्यंदन क्षेत्रों की सुरक्षा के साथ	10.4.2(f)	_____	_____
C8	रोक-बिंदु अनुसूची (प्रपत्र 10-4, भाग A)	10.4.2(g)	_____	_____
C9	O&M योजना का प्रारूप और रखरखाव घोषणा-पत्र का प्रारूप (प्रपत्र 10-6)	10.4.2(h)	_____	_____
C10	मॉडल इनपुट फाइलें और GIS आँकड़े	10.4.2(i)	_____	_____
C11	प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-3, डिजाइनकर्ता द्वारा और, जहाँ अपेक्षित हो, जाँचकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित)	10.4.2(j)	_____	_____

तालिका 10F.4 — प्रपत्र 10-1, भाग D: डिजिटल प्रस्तुति (खंड 10.4.4)

क्र.	मद	खंड	उपलब्ध कराया गया (हाँ / नही)	विवरण
D1	खोज-योग्य PDF के रूप में रिपोर्ट और ड्रॉइंग	10.4.4(a)	_____	_____
D2	मूल, चलाने योग्य फॉर्मेट में मॉडल; सॉफ्टवेयर का नाम और संस्करण	10.4.4(b)	_____	_____
D3	परिशिष्ट 10B के अनुसार GIS आँकड़े; क्षैतिज संदर्भ प्रणाली (EPSG कोड)	10.4.4(c)	_____	_____
D4	ऊर्ध्वाधर डेटम का नाम दिया गया; अध्याय 5 के अनुसार प्राप्तकर्ता नदियों पर CWC और WRD के गेजों के नदी डेटमों से और शहर की जल निकासी प्राप्त करने वाली झीलों और जलाशयों के लिए WRD और झीलों के अभिरक्षकों के स्तर डेटमों से संबंध, स्थानीय शून्य से ऊपर फुट में लिए गए झील गेज के पाठ्यांक किसी नामित डेटम पर मीटर में बदलकर	10.4.4(d)	_____	_____

तालिका 10F.5 — प्रपत्र 10-1, भाग E: घोषणा और पूर्णता जाँच

क्षेत्र	प्रविष्टि
मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि यह जाँच-सूची पूर्ण और सही है। प्रमाणकर्ता पेशेवर: नाम, हस्ताक्षर, तारीख	_____
प्राधिकारी के लिए: प्राप्ति की तारीख	_____
पूर्णता जाँच की तारीख (5 कार्य दिवसों के भीतर, खंड 10.7.1)	_____
परिणाम: समीक्षा के लिए स्वीकार / लौटाया गया	_____
लौटाए जाने पर छूटी हुई मदें	_____
अधिकारी: नाम, पदनाम, हस्ताक्षर	_____

प्रपत्र 10-2 — अनुपालन कैलकुलेटर सारांश

अध्याय 10 के खंड 10.4.1(g), 10.5 और 10.9.1(b) के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. चरण 1, 2 और 4 की प्रस्तुतियों के साथ अनुपालन कैलकुलेटर (परिशिष्ट 10A) द्वारा तैयार किया जाता है। जब तक कैलकुलेटर जारी नहीं होता, इसे हाथ से भरें और A3 में "जारी नहीं" लिखें। जहाँ साइट के एक से अधिक आउटफॉल हों, वहाँ प्रत्येक जल निकासी क्षेत्र के लिए एक स्तंभ।

तालिका 10F.6 — प्रपत्र 10-2, भाग A: साइट और मार्ग

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
A1	प्राधिकारी, फाइल संख्या, चरण (1 / 2 / 4)	_____	10.5.2(a)
A2	साइट का क्षेत्रफल, ha; भूमि विक्षोभ, ha; नया + प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र, m²	_____	1.5.2
A3	कैलकुलेटर का संस्करण और जारी होने की तारीख	_____	10.5.3
A4	टियर (A / B); बाढ़-संवेदनशील (हाँ / नहीं); बेसिन के लिए अनुमोदित BSMP (हाँ / नहीं)	_____	1.6, 4.5.3, 11.12
A5	मार्ग: पूर्ण विधि / S-1 / S-2 / नियत-गुणांक / सीमित पुनर्विकास / क्षेत्रीय या एवज शुल्क	_____	1.7, 4.5.6, 4.13, 4.14
A6	कैलकुलेटर द्वारा उठाए गए संकेत (सूची)	_____	परिशिष्ट 10A.4

तालिका 10F.7 — प्रपत्र 10-2, भाग B: वर्षा और मिट्टी

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
B1	वर्षा जोन; प्रपत्र 2-1 का संदर्भ	_____	2.13
B2	प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई P_R, mm; 3-महीने ARI की गहराई P_3m, mm	_____	2.10, 8.4.1
B3	लागू किया गया जलवायु गुणक (≤ 6 h; > 6–72 h)	_____	2.8
B4	उप-भाग के अनुसार HSG; मौसमी उच्चतम भूजल, तल से m नीचे	_____	3.7, 4.4.3
B5	मापी गई और डिजाइन अंतःस्यंदन दरें, mm/h	_____	4.4.3

तालिका 10F.8 — प्रपत्र 10-2, भाग C: आयतन

क्र.	मात्रा	अपेक्षित (m³)	उपलब्ध कराया गया (m³)	खंड
C1	प्रतिधारण आयतन (RRV)	_____	_____	4.4.2
C2	जल गुणवत्ता आयतन (WQv)	_____	_____	8.4.2
C3	अस्थायी भंडारण के विरुद्ध प्रतिधारण क्रेडिट	_____	—	4.4.6
C4	अस्थायी भंडारण आयतन	_____	_____	4.6, 4.14
C5	एवज शुल्क या क्षेत्रीय आयतन, और शुल्क (₹)	_____	_____	4.5.6.3, 4.13.3

तालिका 10F.9 — प्रपत्र 10-2, भाग D: निकास दरें (प्रत्येक आउटफॉल)

AEP	Q_pre या सीमा (L/s)	Q_post (L/s)	निर्णायक अवधि (h)	मानदंड पूरा (हाँ / नहीं)	खंड
50% (2-वर्ष)	_____	_____	_____	_____	4.5
10% (10-वर्ष)	_____	_____	_____	_____	4.5
1% (100-वर्ष)	_____	_____	_____	_____	4.5

तालिका 10F.10 — प्रपत्र 10-2, भाग E: आउटलेट, खाली होना और चरणों की तुलना

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
E1	अल्प-प्रवाह ऑरिफिस, mm (न्यूनतम 50 mm)	_____	4.8.2
E2	अस्थायी भंडारण: 10-वर्ष के संग्रहीत आयतन का 90% छोड़ने का समय, h (≤ 48 h)	_____	4.7.1
E3	WQv का निकास समय, h (24–48 h)	_____	4.7.2
E4	प्रतिधारण के खाली होने का समय, h (≤ 72 h)	_____	4.7.3
E5	क्या मॉडल परिणाम कैलकुलेटर की छँटाई जाँच से मार्गदर्शिका की सहनसीमा से अधिक भिन्न है? यदि हाँ, तो रिपोर्ट का वह भाग जो इसे स्पष्ट करता है	_____	10.5.2(c)
E6	केवल चरण 4: चरण 2 के मानों से परिवर्तन (सूची), और क्या प्रत्येक मानदंड अब भी पूरा होता है	_____	10.9.2
E7	द्वारा तैयार (नाम, पंजीकरण संख्या), हस्ताक्षर, तारीख	_____	10.6.3(b)

प्रपत्र 10-3 — पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र

अध्याय 10 के खंड 10.6.1 से 10.6.5 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. चरण 1 और चरण 2 की प्रत्येक प्रस्तुति के साथ डिजाइनकर्ता द्वारा, और खंड 10.6.1(c) और (d) के अंतर्गत आने वाली सुविधाओं के लिए स्वतंत्र जाँचकर्ता द्वारा भी, हस्ताक्षरित।

तालिका 10F.11 — प्रपत्र 10-3, भाग A: परियोजना और हस्ताक्षरकर्ता

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
A1	प्राधिकारी, फाइल संख्या, चरण	_____	—
A2	इस प्रमाण-पत्र के अंतर्गत आने वाली साइट और सुविधाएँ	_____	—
A3	डिजाइनकर्ता: नाम, योग्यता, भवन विनियम, 2025 के अंतर्गत पंजीकरण संख्या	_____	10.6.1
A4	सूचीबद्धता संख्या, जहाँ अपेक्षित हो, और कारण: टियर A ≥ 1 ha / बाढ़-संवेदनशील / तटबंध या उच्च-जोखिम बेसिन / पंप द्वारा संचालित, ज्वार-रोधी गेट या क्षेत्रीय सुविधा	_____	10.6.1(a)–(d)
A5	अनुमोदित विचलन या अधित्याग (प्रपत्र 1-2 के संदर्भ), या "कोई नहीं"	_____	10.6.3(a)

तालिका 10F.12 — प्रपत्र 10-3, भाग B: डिजाइनकर्ता का प्रमाण-पत्र

क्र.	मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि:	आद्याक्षर
B1	डिजाइन राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल का अनुपालन करता है, सिवाय A5 में सूचीबद्ध विचलनों के, जिनका अनुमोदन हो चुका है	_____
B2	वर्षा, मिट्टी और टेलवाटर के इनपुट वही हैं जो प्रपत्र 2-1 और प्रपत्र 10-2 पर अभिलिखित हैं	_____
B3	प्रस्तुत मॉडल वही परिणाम देते हैं जो रिपोर्ट किए गए हैं	_____
B4	मैं समझता/समझती हूँ कि मिथ्या या लापरवाही से दिया गया प्रमाण-पत्र खंड 10.15 के अंतर्गत उल्लंघन है	_____

तालिका 10F.13 — प्रपत्र 10-3, भाग C: स्वतंत्र जाँचकर्ता का प्रमाण-पत्र (खंड 10.6.4)

क्र.	क्षेत्र या कथन	प्रविष्टि
C1	जाँचकर्ता: नाम, पंजीकरण और सूचीबद्धता संख्या	_____
C2	मैं डिजाइनकर्ता और आवेदक से स्वतंत्र हूँ और मैंने इस डिजाइन पर कार्य नहीं किया है	_____
C3	मैंने सूचीबद्ध सुविधाओं की जाँच की है: _____, और मैं भाग B के प्रमाण-पत्र से सहमत हूँ	_____
C4	वे विषय जिन पर मैं सहमत नहीं हूँ, यदि कोई हों	_____

तालिका 10F.14 — प्रपत्र 10-3, भाग D: हस्ताक्षर

भूमिका	नाम	हस्ताक्षर	तारीख
डिजाइनकर्ता	_____	_____	_____

भूमिका	नाम	हस्ताक्षर	तारीख
स्वतंत्र जाँचकर्ता (जहाँ अपेक्षित हो)	_____	_____	_____

प्रपत्र 10-4 — रोक-बिंदु निरीक्षण अभिलेख

अध्याय 10 के खंड 10.4.2(g), 10.8 और 10.9.3 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. भाग A रोक-बिंदु अनुसूची है, जिसका अनुमोदन चरण 2 पर होता है। भाग B प्रत्येक रोक बिंदु पर, दिनांकित, जियोटैग किए गए फोटो के साथ भरा जाता है (खंड 10.8.2)। जब तक भाग B पर हस्ताक्षर न हो जाएँ, कार्य किसी रोक बिंदु से आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। चित्र 10.2 देखें।

तालिका 10F.15 — प्रपत्र 10-4, भाग A: रोक-बिंदु अनुसूची

रोक बिंदु	सुविधा (FAC_ID)	कार्य का चरण	नियोजित तारीख	प्राधिकारी को सूचना भेजी गई (तारीख)*	प्राधिकारी उपस्थित (हाँ / नहीं)
(a) खोदा गया तल, माध्यम, लाइनर या संरचना से पहले	_____	_____	_____	_____	_____
(b) आउटलेट संरचना, ऑरिफिस और कचरा-रोधी जाली, पीछे भराई या पहली बार भरने से पहले	_____	_____	_____	_____	_____
(c) अंतःस्यंदन और सत्यापन परीक्षण (खंड 10.9.3)	_____	_____	_____	—	_____
(d) आउटफॉल, फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व, अनुप्रवाह कनेक्शन से पहले	_____	_____	_____	—	_____
(e) पंप और नियंत्रण, चालू करते समय	_____	_____	_____	—	_____
प्राधिकारी द्वारा जोड़े गए अन्य रोक बिंदु	_____	_____	_____	_____	_____

* खंड 10.6.1 के अंतर्गत आने वाली साइटों के लिए, रोक बिंदु (a) और (b) की कम से कम 3 कार्य दिवस पहले सूचना (खंड 10.8.2)।

तालिका 10F.16 — प्रपत्र 10-4, भाग B: निरीक्षण अभिलेख (प्रत्येक रोक बिंदु के लिए एक)

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
B1	रोक बिंदु और सुविधा	_____
B2	निरीक्षण की तारीख और समय; मौसम	_____
B3	निरीक्षणकर्ता (प्रमाणकर्ता पेशेवर); उपस्थित अन्य व्यक्ति	_____
B4	जिस अनुमोदित ड्रॉइंग और संशोधन से मिलान किया गया	_____
B5	पाए गए स्तर, आयाम और सामग्री, अनुमोदित मानों की तुलना में	_____
B6	(a) के लिए: प्रतिधारण और अंतःस्यंदन क्षेत्र यातायात और सामग्री के ढेरों से सुरक्षित (खंड 10.8.3(a))	_____
B7	(b) के लिए: ऑरिफिस का आकार और इनवर्ट; जाली यथास्थान	_____
B8	(c) के लिए: अंतःस्यंदन परीक्षण का परिणाम और खाली होने का समय (≤ 72 h); पंप का ड्यूटी बिंदु; गेट का खुलना और सील होना	_____
B9	(d) और (e) के लिए: गेट का प्रकार, बैठाव और परीक्षण; पंप चालू करने का अभिलेख	_____
B10	फोटो के संदर्भ (दिनांकित, जियोटैग किए गए)	_____

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
B11	परिणाम: आगे बढ़ने की अनुमति दी गई / नहीं दी गई; अपेक्षित सुधारात्मक कार्य	_____
B12	सुधारात्मक कार्य की जाँच (तारीख, किसके द्वारा)	_____
B13	प्रमाणकर्ता पेशेवर के हस्ताक्षर, तारीख	_____

प्रपत्र 10-5 — यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र

अध्याय 10 के खंड 10.9 और 10.3.5 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. समापन प्रमाण-पत्र से पहले जमा किया जाता है। प्राधिकारी तब तक समापन प्रमाण-पत्र जारी नहीं करेगा जब तक यह प्रपत्र स्वीकार न कर लिया जाए (खंड 10.9.4)।

तालिका 10F.17 — प्रपत्र 10-5, भाग A: परियोजना और सर्वेक्षण

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
A1	प्राधिकारी, फाइल संख्या; चरण 2 के अनुमोदन का संदर्भ और तारीख	_____	—
A2	लाइसेंसधारी सर्वेक्षक: नाम, लाइसेंस संख्या, सर्वेक्षण की तारीख	_____	10.9.1(a)
A3	ऊर्ध्वाधर डेटम	_____	10.4.4(d)
A4	परिशिष्ट 10B के अनुसार यथा-निर्मित GIS आँकड़े (फाइल का नाम)	_____	10.4.4(c)

तालिका 10F.18 — प्रपत्र 10-5, भाग B: अनुमोदित बनाम यथा-निर्मित (प्रत्येक सुविधा के लिए एक खंड)

मद	अनुमोदित	यथा-निर्मित	स्वीकार (हाँ / नहीं)	खंड
प्रत्येक डिजाइन स्तर पर भंडारण आयतन, m^3	_____	_____	_____	10.9.2(a)
आउटलेट के आयाम (ऑरिफिस, वियर), mm	_____	_____	_____	10.9.2(b)
आउटलेट और आउटफॉल के इनवर्ट, m	_____	_____	_____	10.9.2(b)
स्पिलवे या अतिप्रवाह स्तर, m	_____	_____	_____	4.9
प्रतिधारण आयतन, m^3	_____	_____	_____	4.4

तालिका 10F.19 — प्रपत्र 10-5, भाग C: पुनः गणना और परीक्षण

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
C1	यथा-निर्मित मानों के साथ अनुपालन कैलकुलेटर की पुनः गणना: संस्करण, और प्रपत्र 10-2 (चरण 4) संलग्न	_____	10.9.1(b)
C2	यथा-निर्मित मानों के साथ मॉडल को फिर से चलाना (जहाँ मॉडल का उपयोग किया गया था): फाइल का नाम	_____	10.9.1(b)
C3	पुनः गणना पर अध्याय 4 और 5 का प्रत्येक मानदंड पूरा (हाँ / नहीं; जो पूरे नहीं हुए उनकी सूची)	_____	10.9.2(c)
C4	अंतःस्यंदन द्वारा प्रतिधारण: मापा गया खाली होने का समय, h (≤ 72 h)	_____	10.9.3
C5	पंप: ड्यूटी बिंदु प्राप्त (हेड पर प्रवाह)	_____	10.9.3
C6	ज्वार-रोधी गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व: खुलना और सील होना दिखाया गया	_____	10.9.3
C7	विचलन, और उन्हें कैसे ठीक किया गया या खंड 10.3.5 के अंतर्गत पुनः प्रमाणित किया गया	_____	10.9.2

तालिका 10F.20 — प्रपत्र 10-5, भाग D: संलग्नक और प्रमाण-पत्र

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
D1	पूर्ण रोक-बिंदु अभिलेख (प्रपत्र 10-4)	_____
D2	अंतिम O&M योजना	_____
D3	निष्पादित रखरखाव घोषणा-पत्र (प्रपत्र 10-6) या हस्तांतरण दस्तावेज (प्रपत्र 10-8)	_____
D4	मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि सूचीबद्ध सुविधाएँ, C7 में बताए गए को छोड़कर, अनुमोदन के अनुसार बनाई गई हैं और डिजाइन के अनुसार कार्य करती हैं। प्रमाणकर्ता पेशेवर: नाम, पंजीकरण संख्या, हस्ताक्षर, तारीख	_____
D5	प्राधिकारी के लिए: स्वीकार / लौटाया गया; अधिकारी, तारीख	_____

प्रपत्र 10-6 — रखरखाव घोषणा-पत्र

अध्याय 10 के खंड 10.10.1, 10.10.2, 10.10.4 और 10.13.1 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं. प्रत्येक निजी वर्षा जल सुविधा के स्वामी द्वारा समापन प्रमाण-पत्र जारी होने से पहले निष्पादित, और इस प्रकार पंजीकृत कि वह भूमि के साथ चलता रहे।

> **प्रारूपण टिप्पणी D10A.1.** वह लिखत जिसके अंतर्गत यह घोषणा-पत्र पंजीकृत किया जाता है, और वह अधिनियम जो प्राधिकारी को प्रवेश का अधिकार और चूक की दशा में कार्य कराने की शक्ति देता है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने हैं। यह प्रपत्र किसी कानून की धाराओं का उल्लेख नहीं करता।

तालिका 10F.21 — प्रपत्र 10-6, भाग A: पक्षकार और भूमि

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
A1	स्वामी (घोषणाकर्ता): नाम और पता; कंपनी या संघ के लिए, उसकी पंजीकरण संख्या	_____
A2	प्राधिकारी	_____
A3	भूमि: सर्वे संख्याएँ, गाँव, तहसील, जिला; विस्तार	_____
A4	अनुमोदन का संदर्भ (फाइल संख्या, चरण 2 के अनुमोदन की तारीख)	_____
A5	अनेक स्वामियों वाले विकास के लिए: वह संघ या निकाय जो विकासकर्ता के बाद दायित्व सँभालता है (खंड 10.10.2)	_____

तालिका 10F.22 — प्रपत्र 10-6, भाग B: सुविधाओं की अनुसूची

सुविधा (FAC_ID)	प्रकार	संलग्न नक्शे पर स्थान	डिजाइन आयतन (m³)	आउटलेट	O&M योजना का संदर्भ
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

आदर्श घोषणा. मैं/हम, भाग A में नामित स्वामी, अपने लिए और भूमि के प्रत्येक हक-उत्तराधिकारी के लिए, घोषणा और वचन देता/देते हैं:

1. भाग B की प्रत्येक सुविधा का अनुमोदित O&M योजना के अनुसार प्रचालन, निरीक्षण और रखरखाव करने का, और खंड 10.12 के निरीक्षण करने का (खंड 10.10.1(b));
2. प्राधिकारी, उसके अधिकारियों और उसके ठेकेदारों को प्रत्येक सुविधा और नक्शे पर दर्शाए गए पहुँच मार्ग के निरीक्षण के लिए, और खंड 10.15 के अंतर्गत चूक की दशा में कार्य करने के लिए, प्रवेश का अधिकार देने का, जिसकी लागत स्वामी से वसूल की जा सकेगी (खंड 10.10.1(c));
3. प्राधिकारी के लिखित अनुमोदन के बिना किसी सुविधा को न हटाने, न भरने, न ढकने, न छोटा करने या उसके उपयोग में परिवर्तन न करने का, या उसके पहुँच मार्ग को अवरुद्ध न करने का (खंड 10.10.1(d), 10.13.5);
4. जहाँ खंड 10.10.3 लागू हो, प्रति वर्ष 15 जून तक वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट (प्रपत्र 10-7) जमा करने का;
5. भूमिगत टैंकों के लिए, यहाँ बताई गई सीमित स्थान में प्रवेश की प्रक्रिया का पालन करने का: _____ (खंड 4.15.6);

6. भूमि या उसके किसी भाग के विक्रय या अंतरण पर, यह घोषणा-पत्र और नवीनतम प्रपत्र 10-7 क्रेता को प्रकट करने का, जो अंतरण की तारीख से ये दायित्व ग्रहण करता है (खंड 10.10.4); और
7. अनेक स्वामियों वाले विकास के लिए, कि विकासकर्ता तब तक उत्तरदायी रहता है जब तक A5 में नामित निकाय विधिवत गठित न हो जाए और इस घोषणा-पत्र को लिखित रूप में स्वीकार न कर ले (खंड 10.10.2)।

तालिका 10F.23 — प्रपत्र 10-6, भाग C: निष्पादन और पंजीकरण

क्षेत्र	प्रविष्टि
स्वामी: हस्ताक्षर, नाम, तारीख	_____
साक्षी 1: हस्ताक्षर, नाम, पता	_____
साक्षी 2: हस्ताक्षर, नाम, पता	_____
A5 में नामित संघ या निकाय द्वारा स्वीकार (गठित होने पर): हस्ताक्षर, तारीख	_____
पंजीकरण: कार्यालय, दस्तावेज संख्या, तारीख	_____
प्राधिकारी के लिए: प्राप्त किया और सुविधा रजिस्टर में दर्ज किया; अधिकारी, तारीख	_____

प्रपत्र 10-7 — वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट

अध्याय 10 के खंड 10.10.3, 10.11.1(d) और 10.12 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. टियर A क्षेत्र में स्थित किसी सुविधा के प्रत्येक स्वामी से, और कहीं भी स्थित पंप द्वारा संचालित किसी सुविधा, ज्वार-रोधी गेट या क्षेत्रीय सुविधा के प्रत्येक स्वामी से, प्रति वर्ष **15 जून** तक देय (खंड 10.10.3)। चित्र 10.3 देखें।

तालिका 10F.24 — प्रपत्र 10-7, भाग A: स्वामी और सुविधाएँ

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
A1	रिपोर्टिंग वर्ष (1 जून से 31 मई)	_____
A2	स्वामी या संघ; रखरखाव घोषणा-पत्र का पंजीकरण संदर्भ	_____
A3	सम्मिलित सुविधाएँ (FAC_ID और प्रकार)	_____
A4	खंड 10.6.1(c) या (d) के अंतर्गत आने वाली कोई सुविधा (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो भाग E अपेक्षित है	_____

तालिका 10F.25 — प्रपत्र 10-7, भाग B: वर्ष के दौरान किए गए निरीक्षण (तालिका 10.3)

सुविधा	नियमित निरीक्षण (तारीखें)	मानसून-पूर्व निरीक्षण (तारीख)	भारी वर्षा की घटनाओं के बाद (तारीखें)	पंप के मासिक परीक्षण रन (संख्या)
_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 10F.26 — प्रपत्र 10-7, भाग C: मानसून-पूर्व जाँच-सूची (प्रत्येक सुविधा के लिए एक)

क्र.	मद	दशा (OK / दोष)	दोष और उसे ठीक करने की तारीख
C1	इनलेट, पूर्व-उपचार और गाद-जाल खुले	_____	_____
C2	ऑरिफिस, कचरा-रोधी जाली और आउटलेट खुले; ऑरिफिस का आकार अपरिवर्तित	_____	_____
C3	तलछट O&M योजना के प्रारंभक मान से नीचे	_____	_____
C4	भंडारण आयतन कम नहीं हुआ; कोई भराई, ढकना या उपयोग में परिवर्तन नहीं	_____	_____
C5	अतिप्रवाह और स्पिलवे मार्ग खुला	_____	_____
C6	प्रतिधारण 72 h के भीतर खाली होता है (प्रेक्षण कुआँ या सतह)	_____	_____
C7	पंप: पूर्ण ड्यूटी परीक्षण; स्टैंडबाय पंप और स्टैंडबाय विद्युत आपूर्ति का परीक्षण; साइट पर 72 h का ईंधन	_____	_____
C8	अलार्म और टेलीमेट्री का परीक्षण	_____	_____
C9	फ्लैप गेट या ज्वार-रोधी गेट और नॉन-रिटर्न वाल्व: संचालित और सील परीक्षण किया गया	_____	_____

क्र.	मद	दशा (OK / दोष)	दोष और उसे ठीक करने की तारीख
C10	सुरक्षा: ढक्कनों पर ताले, बाड़, संकेत-पट और गहराई चिह्न यथास्थान	_____	_____
C11	पहुँच मार्ग खुले और पार्किंग के लिए उपयोग नहीं	_____	_____

तालिका 10F.27 — प्रपत्र 10-7, भाग D: स्वामी की घोषणा

क्षेत्र	प्रविष्टि
मैं/हम घोषणा करता/करते हूँ/हैं कि खंड 10.12 का मानसून-पूर्व निरीक्षण कर लिया गया है, पाए गए दोषों को भाग C में सूचीबद्ध अनुसार ठीक कर दिया गया है, और सुविधाओं का अनुमोदित O&M योजना के अनुसार रखरखाव किया जा रहा है। स्वामी: नाम, हस्ताक्षर, तारीख	_____

तालिका 10F.28 — प्रपत्र 10-7, भाग E: सूचीबद्ध पेशेवर (खंड 10.6.1(c) और (d) के अंतर्गत आने वाली सुविधाएँ)

क्षेत्र	प्रविष्टि
मैंने सूचीबद्ध सुविधाओं का निरीक्षण किया है और भाग C की पुष्टि करता/करती हूँ। नाम, सूचीबद्धता संख्या, हस्ताक्षर, तारीख	_____

तालिका 10F.29 — प्रपत्र 10-7, भाग F: प्राधिकारी के लिए

क्षेत्र	प्रविष्टि
प्राप्ति की तारीख; समय पर (15 जून तक) हाँ / नहीं	_____
सुविधा रजिस्टर में दर्ज (खंड 10.17), तारीख	_____
अनुवर्ती कार्रवाई, यदि कोई हो (खंड 10.15)	_____

प्रपत्र 10-8 — परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र

अध्याय 10 के खंड 10.14 के लिए।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. जब किसी विकासकर्ता द्वारा बनाई गई ड्रेन, खुले स्थान की सुविधाएँ, क्षेत्रीय सुविधाएँ या अन्य वर्षा जल परिसंपत्तियाँ हस्तांतरित की जाती हैं, तब विकासकर्ता और ULB द्वारा हस्ताक्षरित।

तालिका 10F.30 — प्रपत्र 10-8, भाग A: परिसंपत्ति और पक्षकार

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
A1	विकासकर्ता: नाम और पता	_____
A2	ULB	_____
A3	लेआउट या परियोजना, अनुमोदन का संदर्भ	_____
A4	हस्तांतरित परिसंपत्तियाँ (FAC_ID, प्रकार, लंबाई या आयतन), नक्शे के साथ	_____

तालिका 10F.31 — प्रपत्र 10-8, भाग B: हस्तांतरण की शर्तें (खंड 10.14.1)

क्र.	शर्त	पूरी (हाँ / नहीं)	संदर्भ या तारीख
B1	यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र (प्रपत्र 10-5) स्वीकार किया गया	_____	_____
B2	सुविधा की सफाई की गई; पाइपों और पुलियों का भीतर से निरीक्षण (CCTV या हाथ से प्रवेश) किया गया, अभिलेख सौंपा गया	_____	_____
B3	भूमि, या उस पर सुखाधिकार, ULB को अंतरित	_____	_____
B4	O&M योजना, ड्रॉइंग, GIS आँकड़े (परिशिष्ट 10B) और वारंटियाँ सौंपी गईं	_____	_____

तालिका 10F.32 — प्रपत्र 10-8, भाग C: दोष दायित्व और रजिस्टर

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि	खंड
C1	दोष दायित्व अवधि: _____ से _____ तक (हस्तांतरण के बाद कम से कम एक पूरी मानसून ऋतु, 15 जून से 30 सितंबर तक, सम्मिलित)	_____	10.14.2
C2	इस अवधि में दोषों और नियमित रखरखाव के लिए विकासकर्ता उत्तरदायी	_____	10.14.2
C3	ULB द्वारा रखी गई प्रतिभूति जमा राशि, ₹, और उसे लौटाने की तारीख	_____	10.14.2
C4	ULB के GIS जल निकासी परिसंपत्ति रजिस्टर और सुविधा रजिस्टर में दर्ज: तारीख	_____	10.14.3

तालिका 10F.33 — प्रपत्र 10-8, भाग D: हस्ताक्षर

पक्षकार	नाम और पदनाम	हस्ताक्षर	तारीख
विकासकर्ता	_____	_____	_____

पक्षकार	नाम और पदनाम	हस्ताक्षर	तारीख
प्रमाणकर्ता पेशेवर	_____	_____	_____
ULB	_____	_____	_____

अध्याय 11 के परिशिष्ट

बेसिन और शहर वर्षा जल मास्टर प्लान

ये परिशिष्ट अध्याय 11 के लिए हैं। इनमें बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (BSMP) के लिए संदर्भ-शर्तों (terms of reference) का टेम्पलेट, बेसिन सूची और सीमा परत की रूपरेखा, गहराई–क्षति वक्रों की रूपरेखा और विधि, BSMP के आँकड़ों और मॉडलों के प्रकाशन का मानक, और वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट का प्रपत्र दिया गया है। परिशिष्ट 11B और 11C के लिए ऐसे आँकड़ों की आवश्यकता है जो अभी उपलब्ध नहीं हैं; इनमें यह बताया गया है और इस बीच उपयोग किया जाने वाला नियम दिया गया है। टेम्पलेट और प्रपत्र सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ और प्रारूप प्रपत्र हैं, और प्रवृत्त नहीं हैं।

परिशिष्ट 11A — BSMP की संदर्भ-शर्तों का टेम्पलेट

अध्याय 11 के खंड 11.1 से 11.12 के लिए।

> *सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं.* अग्रणी प्राधिकारी प्रत्येक बेसिन के लिए इस टेम्पलेट को अनुकूलित करता है। "[ ]" में दी गई मदें अग्रणी प्राधिकारी द्वारा भरी जानी हैं। खंडों के संदर्भ इस मैनुअल के हैं, जिसका परामर्शदाता पूर्ण रूप से पालन करेगा।

11A.1 पृष्ठभूमि और प्रयोजन

1. [अग्रणी प्राधिकारी] *राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल* के अध्याय 11 के अंतर्गत [नाम] बेसिन के लिए बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान तैयार करने का आशय रखता है।
2. BSMP (खंड 11.1.2):
    - (a) विद्यमान और भविष्य की स्थितियों में बेसिन के बाढ़ जोखिम का मानचित्रण करेगा;
    - (b) जल निकासी प्रणाली के प्रत्येक भाग के लिए सेवा स्तर निर्धारित करेगा;
    - (c) उस सेवा स्तर तक पहुँचने के लिए आवश्यक कार्यों, भंडारण और भूमि की पहचान करेगा, उनकी लागत आँकेगा और उन्हें प्राथमिकता क्रम में रखेगा;
    - (d) क्षेत्रीय भंडारण, तालाब (talab) और तालाब (tank) पुनर्स्थापन और प्रमुख प्रवाह मार्गों के लिए सांविधिक भूमि उपयोग योजना में आरक्षित की जाने वाली भूमि की पहचान करेगा;
    - (e) साइट डिजाइन के लिए बेसिन इनपुट निर्धारित करेगा: क्षेत्रीय सुविधाएँ, एवज शुल्क की इकाई दर, और अध्याय 4 से अधिक कठोर कोई बेसिन निकास दर; और
    - (f) बाढ़-संवेदनशील के रूप में अधिसूचना हेतु जलग्रहण क्षेत्रों की सिफारिश करेगा।
3. BSMP बेसिन के लिए अध्याय 4 से 8 के साइट मानदंडों को अधिक कठोर बना सकता है। वह उन्हें शिथिल नहीं करेगा, सिवाय खंड 4.13 और 4.5.6 के क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण और एवज शुल्क मार्गों के माध्यम से (खंड 11.1.3)।

11A.2 ग्राहक, भागीदार और अध्ययन क्षेत्र

1. **ग्राहक:** [अग्रणी प्राधिकारी] (खंड 11.4.1)।
2. **भागीदार:** WRD, जहाँ भी बेसिन में उसके नियंत्रण वाली कोई नदी, नहर या तालाब सम्मिलित है, और [अन्य स्थानीय निकाय, JDA या UDH, RSDMA] (खंड 11.4.1)।
3. **अध्ययन क्षेत्र:** [आउटफॉल] की ओर जल निकासी करने वाला संपूर्ण [नाम] बेसिन, जैसा खंड 11.3 के अंतर्गत चिह्नित है, जिसमें ग्राहक की सीमाओं से बाहर के भाग भी सम्मिलित हैं (खंड 11.3.1)। अनंतिम सीमा [परिशिष्ट 11B / संलग्न मानचित्र] में है। परामर्शदाता कार्य 2 में इसकी पुष्टि करेगा।
4. **अन्य बेसिनों से संबंध:** [उदाहरण के लिए प्राप्तकर्ता नदी या झील का कॉरिडोर]। नहर, ड्रेन या अतिरिक्त जल मार्ग द्वारा बेसिनों के बीच के मोड़ मानचित्रित किए जाएँगे और मॉडल में दर्शाए जाएँगे (खंड 11.3.2)।

11A.3 दल

1. अध्ययन का नेतृत्व वर्षा जल डिजाइन पेशेवर के रूप में सूचीबद्ध ऐसा अभियंता करेगा जिसके पास परिशिष्ट 10E की बेसिन मॉडलिंग योग्यता-मान्यता (basin modelling endorsement) हो (खंड 11.4.3)।
2. दल में कम से कम निम्नलिखित सम्मिलित होंगे: [एक जलविज्ञानी; एक हाइड्रोलिक मॉडलर; जहाँ बेसिन का ज्वारीय आउटफॉल हो वहाँ एक तटीय या ज्वार विशेषज्ञ; एक GIS और सर्वेक्षण प्रमुख; एक नियोजक; एक लागत अभियंता; एक सामुदायिक सहभागिता प्रमुख]। ग्राहक प्रत्येक की न्यूनतम योग्यताएँ और अनुभव निर्धारित करता है।

11A.4 कार्य

कार्य 1 — आरंभ. बेसिन में विद्यमान अध्ययनों, आँकड़ों और परियोजनाओं की समीक्षा करें। तालिका 11.1 के सापेक्ष आँकड़ों की सूची, कमियों की सूची, सर्वेक्षण योजना, परामर्श योजना और कार्य कार्यक्रम तैयार करें। आरंभिक रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

कार्य 2 — आँकड़े और सर्वेक्षण. तालिका 11.1 की प्रत्येक मद को एकत्र करें, जहाँ अनुपलब्ध हो वहाँ सर्वेक्षण करें, और गुणवत्ता की जाँच करें (खंड 11.5.1):

- (a) भू-भाग: LiDAR या फोटोग्रामिति से DEM, शहरी क्षेत्रों में 0.15 m RMSE या बेहतर ऊर्ध्वाधर सटीकता के साथ, भारतीय सर्वेक्षण विभाग के डेटम से जुड़ा हुआ, सटीकता परीक्षण की रिपोर्ट के साथ;
- (b) ड्रेन नेटवर्क: प्रत्येक सार्वजनिक ड्रेन, पुलिया और आउटफॉल, इनवर्ट स्तरों, आकारों, स्थिति और गाद की गहराई के साथ; 600 mm से बड़ी निजी ड्रेन;
- (c) जलाशय: अध्याय 7 के अंतर्गत प्रत्येक तालाब (tank), तालाब (talab), पोखर और दलदल: FTL, MWL, बाँध का स्तर, जल स्तर–भंडारण, स्लूइस, सरप्लस वियर, आपूर्ति चैनल और अतिक्रमण, परिशिष्ट 7A के क्षेत्रों में;
- (d) नदियाँ और नहरें: 200 m से अधिक नहीं के अंतराल पर और प्रत्येक संरचना पर अनुप्रस्थ काट;
- (e) आउटफॉल, नदियाँ, झीलें और अंतिम गर्त: किसी नामित डेटम पर आउटफॉल के इनवर्ट स्तर, निकटतम CWC या WRD गेज पर प्राप्तकर्ता नदी (चंबल, बनास, लूणी या कोई अन्य नदी) के चेतावनी, खतरे और उच्चतम बाढ़ स्तरों और उसके अभिलिखित चरमों के सापेक्ष; झीलों और जलाशयों में गिरने वाले आउटफॉलों के लिए, WRD या अभिरक्षक से पूर्ण जल स्तर, अधिकतम जल स्तर और मृत भंडारण स्तर, फुट में लिए गए झील गेज के पाठ्यांकों को मीटर में बदलकर, गेट और एस्केप चैनल (escape channel) के प्रचालन नियम और प्रकाशित मानों के बीच किसी भी विरोध के साथ; बिना आउटफॉल वाले जलग्रहण क्षेत्र के लिए, अंतिम गर्त (terminal depression) या बेसिन का जल स्तर–भंडारण, अंतःस्यंदन और वाष्पीकरण; जहाँ बाध्यकारी हों वहाँ न्यायालय आदेशों के अंतर्गत खींची गई रेखाएँ; आउटफॉलों पर स्लूइस, फ्लैप गेट, एस्केप चैनल, अवरोधन संरचनाएँ (interception structures), एनीकट (anicut), चेक डैम और पंपिंग स्टेशन, उनकी क्षमताओं और प्रचालन नियमों के साथ; और प्रतिप्रवाह में किसी डैम या बैराज से छोड़ा गया पानी;

- (f) वर्षा और जल स्तर: सभी उपलब्ध अभिलेख (IMD, जिसमें जयपुर (सांगानेर), जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और माउंट आबू की उसकी वेधशालाएँ और मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर द्वारा सूचित स्वचालित मौसम केंद्र और वर्षामापी सम्मिलित हैं; राज्य के जिलों और तहसीलों के वर्षामापी; CWC के और WRD के वर्षामापी और नदी गेज, जिनमें डैमों, बैराजों और झीलों पर स्थित गेज सम्मिलित हैं; और नगर निगमों, विकास प्राधिकरणों और स्मार्ट सिटी कंपनियों द्वारा रखे गए कोई भी गेज), जिनमें जुलाई 1981 (जयपुर), अगस्त 2006 (बाड़मेर और उदयपुर), सितंबर 2019 (कोटा और चंबल), जुलाई 2022 (जोधपुर) और जुलाई–अगस्त 2024 (जयपुर) की घटनाएँ सम्मिलित हैं;
- (g) बाढ़ के साक्ष्य: पिछली घटनाओं के सर्वेक्षित बाढ़ चिह्न और मानचित्रित विस्तार, सार्वजनिक रिपोर्टों, तस्वीरों और निवासियों के अभिलेखों सहित;
- (h) भूमि उपयोग: विद्यमान भूमि उपयोग और अपारगम्यता; सांविधिक मास्टर प्लान से भविष्य का भूमि उपयोग;
- (i) मिट्टी और भूजल: HSG मानचित्र (परिशिष्ट 3A या खंड 3.7.2), मौसमी उच्चतम भूजल स्तर, जलभृत और पुनर्भरण क्षेत्र; और
- (j) सीवर से अंतःक्रिया: ज्ञात अवैध जुड़ाव, ड्रेन में शुष्क मौसम प्रवाह, ठोस अपशिष्ट हॉटस्पॉट।

बेसिन की सीमा और बेसिनों के बीच के मोड़ों की पुष्टि करें (खंड 11.3.2)। आँकड़ा रिपोर्ट और परिशिष्ट 11D के प्रारूपों में आँकड़े प्रस्तुत करें।

कार्य 3 — मॉडल निर्माण. लघु प्रणाली, प्रमुख (सतही) प्रणाली, नदियों, नहरों और तालाबों, और आउटफॉलों का युग्मित 1D–2D हाइड्रोलिक मॉडल बनाएँ (खंड 11.7.1; चित्र 11.2)। अध्याय 3 की विधियों और अध्याय 5 की ज्वारीय और नदी सीमा-स्थितियों का उपयोग करें। अध्याय 2 की डिजाइन वर्षा घटनाएँ, जिनमें 24, 48 और 72 घंटे की वर्षा घटनाएँ सम्मिलित हैं, कम से कम 50%, 10%, 1% और 0.2% AEP के लिए, खंड 2.7.3 के अंतर्गत क्षेत्रीय न्यूनीकरण के साथ चलाएँ (खंड 11.7.2)। जहाँ बेसिन में तालाब शृंखलाएँ हैं, वहाँ खंड 3.13 के अंतर्गत सतत सिमुलेशन चलाएँ, जहाँ उपलब्ध हो वहाँ IMD के संपूर्ण ग्रिड दैनिक अभिलेख के साथ, और कम से कम 30 वर्ष का, जिसे परिशिष्ट 2D के कालिक वितरणों द्वारा विभाजित किया गया हो। खंड 3.13.5 की दो-पदीय पद्धति का उपयोग किया जा सकता है: सतत रन से प्राप्त तालाबों के आरंभिक स्तर और पूर्ववर्ती स्थितियाँ डिजाइन वर्षा घटना के रनों को दी जाती हैं (खंड 11.7.3)।

कार्य 4 — अंशांकन और वैधीकरण. खंड 3.15 के अंतर्गत मॉडल का अंशांकन और वैधीकरण करें, जहाँ आँकड़े उपलब्ध हों वहाँ जुलाई 1981 (जयपुर), अगस्त 2006 (बाड़मेर और उदयपुर), सितंबर 2019 (कोटा और चंबल), जुलाई 2022 (जोधपुर) और जुलाई–अगस्त 2024 (जयपुर) की घटनाओं में से कम से कम दो का उपयोग करते हुए (खंड 11.7.5)। खंड 3.15.4 के कार्य-निष्पादन माप और खंड 3.15.6 की औचित्य जाँच की रिपोर्ट दें।

कार्य 5 — परिदृश्य और जोखिम मानचित्र. खंड 11.7.4 के परिदृश्यों का मॉडल बनाएँ: (a) विद्यमान; (b) भविष्य, अनियंत्रित; (c) भविष्य, नियंत्रित; (d) भविष्य, योजना सहित; और (e) जलवायु, (a) और (d) पर लागू। 10%, 1% और 0.2% AEP के लिए, विद्यमान और भविष्य-योजना-सहित, विस्तार, गहराई, वेग और जोखिम वर्ग (H1–H6, अध्याय 6) के बाढ़ जोखिम मानचित्र तैयार करें (खंड 11.8.4(a))।

कार्य 6 — सेवा स्तर का आकलन. परिदृश्यों (a), (c) और (d) की तुलना तालिका 11.2 के सेवा स्तरों से और ग्राहक द्वारा लिए गए किसी अधिक कठोर स्तर से करें (खंड 11.6.1)। प्रत्येक कमी का मानचित्रण करें।

कार्य 7 — विकल्प. खंड 11.8.1 के क्रम में विकल्प विकसित करें: भंडारण का संरक्षण और पुनर्स्थापन; मॉडलिंग द्वारा स्थित क्षेत्रीय प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण; वहन; आउटफॉल कार्य; संपत्ति-स्तरीय सुरक्षा; गैर-संरचनात्मक उपाय। प्रत्येक विकल्प का आकलन खंड 11.8.2 के मानदंडों पर करें: बाढ़ जोखिम में कमी (बाढ़ से प्रभावित भवन और लोग, और परिशिष्ट 11C का उपयोग करके अपेक्षित वार्षिक क्षति); पूंजीगत लागत और 30 वर्ष की रखरखाव लागत; आवश्यक भूमि; राज्य के अधिकांश भाग के नीचे स्थित अति-दोहित जलभृतों में भूजल पुनर्भरण पर, जोधपुर के पुराने शहर और गंगानगर–हनुमानगढ़ की नहर पट्टी में ऊपर उठते भूजल स्तर और जलभराव पर, और भूजल की, जिसमें फ्लोराइड, नाइट्रेट और लवणता आम हैं, और ड्रेनें जिन झीलों तक पहुँचती हैं उनकी गुणवत्ता पर प्रभाव; अनुप्रवाह बेसिनों और प्राप्तकर्ता नदी या झील पर प्रभाव; और लाभ किसे होता है।

कार्य 8 — साइट डिजाइन के लिए बेसिन इनपुट. जहाँ परिदृश्य (c) सेवा स्तर को पूरा नहीं करता, वहाँ AEP और उप-जलग्रहण क्षेत्र के अनुसार बेसिन निकास दरें ($m^3/s/ha$) प्रस्तावित करें (खंड 11.8.3)। खंड 4.5.4.1 के साक्ष्य के साथ, बाढ़-संवेदनशील के रूप में अधिसूचना हेतु जलग्रहण क्षेत्रों की सिफारिश करें। क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थलों की, भंडारण आयतनों, भूमि की आवश्यकताओं और उनके द्वारा सेवित साइटों के साथ, पहचान करें, और भूमि, निर्माण और 10 वर्ष के रखरखाव सहित एवज शुल्क की इकाई दर की गणना करें (खंड 4.13.3, 11.8.4(c), (d))।

कार्य 9 — पूंजीगत सुधार कार्यक्रम. कार्यों को प्रति रुपया जोखिम में कमी के अनुसार, लागत, चरणबद्धता और उत्तरदायी एजेंसी के साथ, प्राथमिकता क्रम में रखें (खंड 11.8.4(e))।

कार्य 10 — रखरखाव और निगरानी. मानसून-पूर्व रखरखाव कार्यक्रम तैयार करें: गाद निकालना, गेट और पंप का परीक्षण, और तालाबों के प्रचालन नियम (खंड 11.8.4(f); अध्याय 7 और 10)। निगरानी की आवश्यकताएँ निर्दिष्ट करें: नए वर्षामापी, स्तर संवेदक और बाढ़ चिह्न सर्वेक्षण बिंदु (खंड 11.8.4(g); खंड 10.16.1)।

कार्य 11 — भूमि उपयोग के साथ एकीकरण. खंड 11.9.1 द्वारा अपेक्षित, सांविधिक भूमि उपयोग योजना के लिए सामग्री तैयार करें: आरक्षित किए जाने वाले स्थल; अध्याय 7 के सेटबैक के साथ 1% AEP जोखिम मानचित्र; 1% AEP घटना में जोखिम वर्ग H5–H6 की भूमि; और खुले स्थानों के वे स्थान जो प्रवाह मार्गों या क्षेत्रीय भंडारण का भाग बन सकते हैं।

कार्य 12 — परामर्श. BSMP का प्रारूप कम से कम 60 दिन के लिए जन सुझावों हेतु, प्रत्येक प्रभावित स्थानीय निकाय में सार्वजनिक बैठकों के साथ, प्रकाशित करें (खंड 11.10.1)। सुझावों और उत्तरों का लॉग रखें।

कार्य 13 — अंतिम BSMP और प्रकाशन. परामर्श के बाद BSMP को संशोधित करें। राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति द्वारा अनुमोदन के लिए, समीक्षा हेतु मॉडल सहित, पैकेज तैयार करें (खंड 11.11.1)। आँकड़े, मॉडल, मानचित्र और CIP परिशिष्ट 11D के अंतर्गत प्रकाशित करें (खंड 11.10.2)।

11A.5 सुपुर्दगी योग्य सामग्री

तालिका 11A.1 — सुपुर्दगी योग्य सामग्री

क्र.	सुपुर्दगी योग्य सामग्री	कार्य	देय (आरंभ से महीने)
D1	आरंभिक रिपोर्ट, आँकड़ों की सूची और सर्वेक्षण योजना	1	[ ]
D2	आँकड़ा रिपोर्ट और आँकड़ा समूह (परिशिष्ट 11D)	2	[ ]
D3	मॉडल निर्माण रिपोर्ट और मॉडल फाइलें	3	[ ]
D4	अंशांकन और वैधीकरण रिपोर्ट	4	[ ]
D5	परिदृश्यों के परिणाम, जोखिम मानचित्र और सेवा स्तर का आकलन	5, 6	[ ]
D6	विकल्प रिपोर्ट, साइट डिजाइन के लिए बेसिन इनपुट के साथ	7, 8	[ ]
D7	परामर्श के लिए प्रारूप CIP सहित BSMP का प्रारूप	9–12	[ ]
D8	अंतिम BSMP, परामर्श लॉग, अनुमोदन पैकेज और मुक्त आँकड़ों का विमोचन	13	[ ]

11A.6 स्वामित्व और प्रकाशन

इन शर्तों के अंतर्गत तैयार किए गए सभी आँकड़े, मॉडल, मानचित्र और रिपोर्टें अग्रणी प्राधिकारी के स्वामित्व में हैं और परिशिष्ट 11D के अंतर्गत प्रकाशित की जाएँगी। परामर्शदाता किसी ऐसे सॉफ्टवेयर लाइसेंस, आँकड़ा लाइसेंस या प्रारूप का उपयोग नहीं करेगा जो प्रकाशन को रोकता हो, या जो किसी तीसरे पक्ष को बताए गए सॉफ्टवेयर संस्करण के साथ मॉडल को फिर से चलाने से रोकता हो।

परिशिष्ट 11B — टियर A निकायों के लिए बेसिनों की सूचियाँ और सीमाएँ

अध्याय 11 के खंड 11.3 और 11.4 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में प्रत्येक टियर A निकाय के बेसिनों की सूची होगी, खंड 11.3.2 के अंतर्गत चिह्नित बेसिन सीमाओं की GIS परत के साथ। इसके लिए टियर A निकायों की सूची (परिशिष्ट 1A); खंड 11.5.1 की सटीकता वाला DEM; ड्रेन के स्वामी प्रत्येक निकाय का ड्रेन नेटवर्क (नगर निगम, विकास प्राधिकरणों और नगर सुधार न्यासों की योजनाओं की ड्रेनें, RIICO के औद्योगिक क्षेत्रों की ड्रेनें, और नालों पर अवरोधन कार्य); झीलें, जलाशय और तालाब (talab), उनके पूर्ण जल स्तरों, अधिकतम जल स्तरों, गेज डेटमों और गेट और एस्केप चैनल के नियमों के साथ (WRD और झीलों के अभिरक्षकों से); आउटफॉलों पर स्लूइस, फ्लैप गेट, एनीकट, चेक डैम और पंपिंग स्टेशन; बिना आउटफॉल वाले जलग्रहण क्षेत्रों के अंतिम गर्त; राजस्व अभिलेखों में गैर मुमकिन (gair mumkin) के रूप में दर्ज नाले, नाडियाँ (nadi) और तालाब; न्यायालय आदेशों के अंतर्गत खींची गई रेखाएँ; और द्रव्यवती परियोजना, JDA के वर्षा जल मॉडल और RUIDP के जल निकासी कार्यों के लिए प्रयुक्त जलग्रहण क्षेत्र आवश्यक हैं (अन्य संभावित स्रोत: भारतीय सर्वेक्षण विभाग, CWC, CGWB और झील विकास प्राधिकरण)। राजस्थान के किसी भी शहर का कोई बेसिन मानचित्र नहीं मिला। परिशिष्ट के प्रकाशित होने तक, खंड 11.3.3 में नामित जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा और पश्चिम के बिना आउटफॉल वाले नगरों के बेसिन कम से कम वे हैं जो वहाँ नामित हैं; अन्य टियर A निकाय अपने पहले BSMP में अपने बेसिन परिभाषित करते हैं (खंड 11.3.3); और अनुमोदित BSMP के बिना प्रत्येक बेसिन में खंड 11.12 की अंतरिम व्यवस्थाएँ लागू होती हैं।

तालिका 11B.1 — खंड 11.3.3 में नामित बेसिन (अनंतिम)

टियर A निकाय या क्षेत्र	बेसिन	अध्याय 11 से टिप्पणी
जयपुर (JMC, JDA)	नाहरगढ़ की पहाड़ियों से ढूँढ तक द्रव्यवती, नाहरिका (Naharika), अंबाबाड़ी (Ambabari), गंदा (Ganda) और जवाहर (Jawahar) नालों सहित	1D नेटवर्क में पुनर्निर्मित चैनल और ड्रॉप संरचनाएँ (fall structures); अवरोधन कार्य और शोधन संयंत्र मानचित्रित (खंड 8.9.5)
जयपुर (JMC, JDA)	मान सागर (जल महल), जो 23.5 km² बताया गया है, ब्रह्मपुरी (Brahmapuri) और नागतलाई (Nagtalai) नालों सहित	सीमा के रूप में झील का स्तर
जयपुर क्षेत्र (JDA)	रामगढ़ बाँध का जलग्रहण क्षेत्र, लगभग 769.20 km², उन भागों में जहाँ तक शहर और JDA का क्षेत्र पहुँचता है	उच्च न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत जलग्रहण रेखा दर्शाई गई
जोधपुर (नगर निगम, JoDA)	जोजरी में जल निकासी करने वाले जलग्रहण क्षेत्र, जिनमें भैरव (Bhairav) और RTO नाले हैं	भंडारण के रूप में कायलाना और तख्त सागर; पुराने शहर का ऊपर उठता भूजल स्तर; सीमांकन होने पर जोजरी की उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line) और बफर दर्शाए गए
उदयपुर (नगर निगम, UDA)	पिछोला और फतह सागर, जिन्हें बड़ा मदार (Bada Madar) से जल मिलता है, और उदय सागर तक आयड़ (Ayad)	बेसिनों के बीच संबंधों के रूप में गेट वाला संबंध और झीलों का अतिप्रवाह; सीमाओं के रूप में झीलों के स्तर
अजमेर (नगर निगम, AjDA)	आना सागर का जलग्रहण क्षेत्र	सीमा के रूप में पूर्ण गेज स्तर पर झील; आउटफॉल-बंद स्थिति एक डिजाइन स्थिति; गेट वाले संबंध के रूप में एस्केप चैनल
कोटा (नगर निगम, KDA)	चंबल में जल निकासी करने वाले शहर के जलग्रहण क्षेत्र	सीमा के रूप में CWC के कोटा सिटी (Kota City) स्थल पर स्तर, जो कोटा बैराज से छोड़े गए पानी से नियंत्रित होता है; आउटफॉल-बंद स्थिति एक डिजाइन स्थिति

टियर A निकाय या क्षेत्र	बेसिन	अध्याय 11 से टिप्पणी
बीकानेर और पश्चिम के अन्य बिना आउटफॉल वाले नगर	प्रत्येक अंतिम गर्त या बेसिन और उसमें जल निकासी करने वाली भूमि	72-घंटे का डिजाइन आयतन (खंड 4.12.7), अंतःस्यंदन और वाष्पीकरण के अतिरिक्त कोई बहिर्वाह नहीं
अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, सीकर, पाली, श्रीगंगानगर और टोंक सहित अन्य टियर A निकाय	पहले BSMP में परिभाषित किए जाने हैं	खंड 11.3.3

तालिका 11B.2 — बेसिन सीमा परत के गुण (रूपरेखा)

क्षेत्र	प्रकार	विषय-वस्तु
BASIN_ID	Text	बेसिन का पहचानकर्ता
NAME_EN, NAME_HI	Text	अंग्रेजी और हिन्दी में बेसिन का नाम
TIER_A	Text	बेसिन में टियर A निकाय या निकाय
OUTFALL	Text	समुद्र, नदी या प्रमुख जलाशय में आउटफॉल (खंड 11.2)
AREA_KM2	Real	बेसिन का क्षेत्रफल, km^2
LEAD_AUTH	Text	अग्रणी प्राधिकारी (खंड 11.4.1)
PARTNERS	Text	भागीदार, जहाँ लागू हो वहाँ WRD सहित
LINKS	Text	अन्य बेसिनों में और उनसे मोड़ (खंड 11.3.2)
BSMP_STAT	Text	None / in preparation / draft published / approved (कोई नहीं / तैयारी में / प्रारूप प्रकाशित / अनुमोदित)
BSMP_DATE	Date	वर्तमान BSMP के अनुमोदन की तिथि
REVIEW_DUE	Date	अगली समीक्षा की तिथि (खंड 11.11.2)

परिशिष्ट 11C — राजस्थान के भवन प्रकारों के लिए गहराई–क्षति वक्र

अध्याय 11 के खंड 11.8.2 के लिए।

तैयार किया जाना है. इस परिशिष्ट में खंड 11.8.2 के अंतर्गत अपेक्षित वार्षिक क्षति की गणना में उपयोग के लिए, राजस्थान के शहरों के मुख्य भवन प्रकारों के, संरचना और सामग्री दोनों के, गहराई–क्षति वक्र होंगे। इसके लिए भवन-प्रकार वर्गीकरण और भवन स्टॉक के आँकड़े (जनगणना की आवास तालिकाएँ, संपत्ति-कर अभिलेख, अग्रणी प्राधिकारी का GIS), जुलाई 1981 (जयपुर), अगस्त 2006 (बाड़मेर और उदयपुर), सितंबर 2019 (कोटा और चंबल), जुलाई 2022 (जोधपुर) और जुलाई–अगस्त 2024 (जयपुर) की बाढ़ों के क्षति सर्वेक्षण और दावे (राजस्व विभाग और RSDMA के क्षति आकलन, बीमाकर्ता), और प्रतिस्थापन लागतें (PWD की दर-अनुसूचियाँ) आवश्यक हैं। इसके प्रकाशित होने तक, प्रत्येक BSMP अपने द्वारा प्रयुक्त गहराई–क्षति संबंध और उनका स्रोत बताएगा, और प्रत्येक विकल्प के लिए बाढ़ से प्रभावित भवनों और लोगों में कमी की रिपोर्ट देगा (खंड 11.8.2), जो वक्रों पर निर्भर नहीं है।

तालिका 11C.1 — गहराई–क्षति वक्र (रूपरेखा, प्रत्येक भवन प्रकार के लिए एक तालिका)

फर्श स्तर से ऊपर पानी की गहराई (m)	0	0.25	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0
संरचना की क्षति (प्रतिस्थापन लागत का %)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
सामग्री की क्षति (सामग्री के मूल्य का %)	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
भवन प्रकार, स्रोत और लागतों का वर्ष	_____						

11C.1 विकल्पों के आकलन में उपयोग

अपेक्षित वार्षिक क्षति (EAD) की गणना प्रत्येक परिदृश्य के लिए मॉडल की गई AEP पर क्षतियों से की जाती है। वार्षिक अतिक्रमण प्रायिकताओं $P_1 > P_2 > \ldots$ पर क्षतियाँ $D_1, D_2, \ldots$ होने पर, खंड 11.7.2 के कम से कम 50%, 10%, 1% और 0.2% AEP के परिणामों का उपयोग करते हुए:

> $$EAD \approx \Sigma \tfrac{1}{2} \times (D_i + D_{(i+1)}) \times (P_i - P_{(i+1)})$$

परिदृश्य (c) और परिदृश्य (d) के बीच, या विकल्पों के बीच, EAD में कमी वह जोखिम-न्यूनीकरण लाभ है जिसका उपयोग कार्यों को प्रति रुपया क्रमित करने के लिए किया जाता है (खंड 11.8.4(e))। BSMP बताएगा कि 0.2% AEP से आगे और 50% AEP से नीचे की क्षतियों को किस प्रकार लिया गया।

परिशिष्ट 11D — BSMP आँकड़ों और मॉडल के प्रकाशन का मानक

अध्याय 11 के खंड 11.5.1 और 11.10, और अध्याय 10 के खंड 10.17 के लिए।

11D.1 क्या प्रकाशित किया जाता है, और कब

तालिका 11D.1 — प्रकाशित की जाने वाली मदें

मद	प्रारूप	प्रारूप चरण पर (खंड 11.10.1)	अनुमोदन पर (खंड 11.10.2)
BSMP रिपोर्ट, सेवा स्तर के आकलन और विकल्पों के साथ	खोज योग्य PDF	हाँ	हाँ, अंतिम
बाढ़ जोखिम मानचित्र: खंड 11.8.4(a) की प्रत्येक AEP और परिदृश्य के लिए विस्तार, गहराई, वेग, जोखिम वर्ग	GeoTIFF रास्टर; विस्तार GeoPackage बहुभुजों के रूप में भी	हाँ	हाँ
पूंजीगत सुधार कार्यक्रम	CSV और PDF	प्रारूप	हाँ
बेसिन निकास दरें, अनुशंसित बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र, क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थल, एवज शुल्क की इकाई दर	GeoPackage और CSV	हाँ	हाँ
तालिका 11.1 के आँकड़े (भू-भाग, ड्रेन, जलाशय, अनुप्रस्थ काट, नदी और झील के स्तर, अंतिम गर्त और आउटफॉल संरचनाएँ, वर्षा और स्तर, बाढ़ के साक्ष्य, भूमि उपयोग, मिट्टी और भूजल, सीवर से अंतःक्रिया)	GeoTIFF (भू-भाग); GeoPackage (विशेषताएँ); CSV (तालिकाएँ और समय-शृंखलाएँ)	सारांश	हाँ, सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील परिसंपत्तियों के विवरण को छोड़कर

मद	प्रारूप	प्रारूप चरण पर (खंड 11.10.1)	अनुमोदन पर (खंड 11.10.2)
मॉडल फाइलें: मूल (native), चलाने योग्य, सभी सीमा-स्थिति, वर्षा और नियंत्रण फाइलों, सॉफ्टवेयर के नाम और संस्करण, और रन लॉग के साथ	मूल प्रारूप, जिप किया हुआ	नहीं	हाँ
अंशांकन और वैधीकरण रिपोर्ट	खोज योग्य PDF	हाँ	हाँ
सुझावों और उत्तरों का परामर्श लॉग	PDF या CSV	—	हाँ

11D.2 प्रारूप और संदर्भ

- (a) रास्टर आँकड़े GeoTIFF में होंगे, अधिमानतः cloud-optimised, सेल आकार बताते हुए। वेक्टर आँकड़े GeoPackage में होंगे। तालिकाएँ और समय-शृंखलाएँ UTF-8 में CSV होंगी, शीर्ष पंक्ति के साथ और स्तंभों के नामों में इकाइयों के साथ।
- (b) क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संदर्भ परिशिष्ट 10B.1(b) और (c) के अनुसार होंगे। स्तरों वाले प्रत्येक आँकड़ा समूह में ऊर्ध्वाधर डेटम और अध्याय 5 के अनुसार प्राप्तकर्ता नदियों पर CWC और WRD के गेजों के नदी डेटमों से और शहर की जल निकासी प्राप्त करने वाली झीलों और जलाशयों के लिए WRD और झीलों के अभिरक्षकों के स्तर डेटमों से उसका संबंध, स्थानीय शून्य से ऊपर फुट में लिए गए झील गेज के पाठ्यांकों को किसी नामित डेटम पर मीटर में बदलकर, बताया जाएगा।
- (c) समय भारतीय मानक समय में, ISO 8601 (yyyy-mm-ddThh:mm+05:30) के रूप में लिखा जाएगा। इकाइयाँ SI होंगी।
- (d) जोखिम मानचित्र फाइलों का नाम `<basin>_<scenario>_<AEP>_<variable>.tif` होगा, जहाँ scenario खंड 11.7.4 का a से e है, AEP को 50, 10, 1 या 0p2 लिखा जाता है, और variable depth, velocity, hazard या extent है; उदाहरण के लिए `dravyavati_d_1_depth.tif`।
- (e) जलाशय संबंधी आँकड़ों में परिशिष्ट 7A के क्षेत्रों का उपयोग होगा। सुविधा और आउटफॉल संबंधी आँकड़ों में परिशिष्ट 10B के क्षेत्रों का उपयोग होगा।

11D.3 मेटाडेटा

प्रत्येक प्रकाशित आँकड़ा समूह में निम्नलिखित होंगे: शीर्षक; विवरण; अग्रणी प्राधिकारी; स्रोत और विधि; संग्रह की तिथि; सटीकता (DEM के लिए, मापी गई ऊर्ध्वाधर RMSE); क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर संदर्भ; जहाँ प्रासंगिक हो, परिदृश्य और AEP; BSMP का संस्करण; लाइसेंस; और संपर्क।

11D.4 रोकना और व्यक्तिगत आँकड़े

- (a) महत्वपूर्ण परिसंपत्तियों के सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील विवरण रोके जा सकते हैं, जिसका कारण अभिलिखित और प्रकाशित किया जाएगा (खंड 10.17.3, 11.10.2)। बाढ़ जोखिम मानचित्र और मॉडल फिर भी प्रकाशित किए जाएँगे; केवल संवेदनशील गुण हटाए जाते हैं।
- (b) व्यक्तिगत आँकड़े प्रकाशित नहीं किए जाएँगे (खंड 10.17.3)। निवासियों से एकत्र किए गए बाढ़ के साक्ष्य नामों या संपर्क विवरणों के बिना प्रकाशित किए जाएँगे, जब तक कि संबंधित व्यक्ति सम्मति न दे।

11D.5 लाइसेंस, दर्शक और संस्करण

- (a) प्रकाशित आँकड़े और मॉडल Government Open Data Licence – India या किसी समतुल्य मुक्त लाइसेंस के अंतर्गत जारी किए जाएँगे (खंड 10.17.4)।
- (b) जोखिम मानचित्र, क्षेत्रीय सुविधाओं के स्थल और CIP एक सार्वजनिक मानचित्र दर्शक पर भी दर्शाए जाएँगे (खंड 11.10.2)।
- (c) प्रत्येक अनुमोदित BSMP पर संस्करण संख्या और तिथि होगी। प्रतिस्थापित संस्करण, प्रतिस्थापित के रूप में चिह्नित करके, उपलब्ध रहेंगे, ताकि उनके अंतर्गत अनुमोदित डिजाइनों की जाँच की जा सके।

- (d) प्रकाशित मॉडल पैकेज ऐसा होगा कि बताए गए सॉफ्टवेयर संस्करण के साथ कोई तीसरा पक्ष प्रकाशित परिणामों को पुनः प्राप्त कर सके। डिजाइनकर्ता बेसिन में साइट डिजाइनों के लिए इसकी सीमा-स्थितियों का उपयोग कर सकते हैं (खंड 11.10, भाष्य)।

प्रपत्र 11-1 — वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट

अध्याय 11 के खंड 11.11.3 के लिए, अध्याय 4 के खंड 4.5.6.3 और 4.13.4 के साथ।

प्रारूप प्रपत्र — राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल, प्रारूप संस्करण 1.0. अनुमोदित BSMP वाले प्रत्येक बेसिन के लिए अग्रणी प्राधिकारी द्वारा प्रत्येक दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले, **15 जून** तक, प्रकाशित (खंड 11.11.3)।

तालिका 11F.1 — प्रपत्र 11-1, भाग A: बेसिन और योजना

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
A1	बेसिन; अग्रणी प्राधिकारी; भागीदार	_____
A2	BSMP का संस्करण और अनुमोदन की तिथि	_____
A3	रिपोर्टिंग वर्ष (1 जून से 31 मई)	_____
A4	प्रकाशन की तिथि (15 जून तक) और वेब पता	_____

तालिका 11F.2 — प्रपत्र 11-1, भाग B: CIP की प्रगति

CIP क्रम	कार्य	एजेंसी	CIP में लागत (₹)	इस वर्ष व्यय (₹)	अब तक व्यय (₹)	स्थिति	अपेक्षित समापन
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 11F.3 — प्रपत्र 11-1, भाग C: एवज शुल्क की खाता-बही (खंड 4.5.6.3(c) और 4.13.4)

क्षेत्रीय सुविधा या तालाब	साइटों को क्रेडिट किया गया आयतन (m^3)	उपलब्ध कराया गया आयतन (m^3)	प्राप्त शुल्क (₹)	व्यय किया गया शुल्क (₹)	रखा गया शुल्क, प्राप्ति के वर्ष के साथ
_____	_____	_____	_____	_____	_____
बेसिन का योग: देय और उपलब्ध कराया गया आयतन	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 11F.4 — प्रपत्र 11-1, भाग D: पूरा किया गया रखरखाव (खंड 11.8.4(f))

क्र.	मद	नियोजित	किया गया	समापन की तिथि
D1	ड्रेन और नहरों से गाद निकालना (लंबाई, km; आयतन, m^3)	_____	_____	_____
D2	तालाब (tank) और तालाब (talab) से गाद निकालना और पुनर्स्थापन (तालाब, संख्या; पुनर्स्थापित भंडारण, m^3)	_____	_____	_____
D3	गेट परीक्षण (गेटों की संख्या)	_____	_____	_____
D4	पंपिंग स्टेशन के कार्यरत परीक्षण (स्टेशनों की संख्या)	_____	_____	_____

क्र.	मद	नियोजित	किया गया	समापन की तिथि
D5	अभिरक्षक के साथ समीक्षा किए गए तालाब प्रचालन नियम (संख्या)	_____	_____	_____
D6	जोड़ी गई निगरानी: वर्षामापी, स्तर संवेदक, बाढ़ चिह्न बिंदु (खंड 11.8.4(g))	_____	_____	_____

तालिका 11F.5 — प्रपत्र 11-1, भाग E: सेवा स्तरों की तुलना में बाढ़

घटना (तिथियाँ)	डिजाइन गहराइयों की तुलना में वर्षा (खंड 10.16.2(a))	सेवा स्तर का तत्व (तालिका 11.2)	स्थान	पूरा हुआ (हाँ / नहीं)	घटना रिपोर्ट का संदर्भ (खंड 10.16.2)
_____	_____	_____	_____	_____	_____

तालिका 11F.6 — प्रपत्र 11-1, भाग F: समीक्षा की प्रारंभक घटनाएँ और हस्ताक्षर

क्र.	क्षेत्र	प्रविष्टि
F1	इस वर्ष बेसिन में 1% AEP डिजाइन गहराई से अधिक की घटना (हाँ / नहीं)। यदि हाँ, तो 2 वर्ष के भीतर समीक्षा देय (खंड 11.11.2)	_____
F2	इस वर्ष सांविधिक भूमि उपयोग योजना संशोधित (हाँ / नहीं) (खंड 11.11.2)	_____
F3	अगली 10-वर्षीय समीक्षा देय (तिथि)	_____
F4	अग्रणी प्राधिकारी का अधिकारी: नाम, पदनाम, हस्ताक्षर, तिथि	_____

शब्दावली (अंग्रेजी – हिन्दी)

इस मैनुअल में प्रयुक्त तकनीकी शब्दों के हिन्दी रूप नीचे दिए गए हैं; संक्षिप्त रूप (AEP, CN, IDF, HSG, JMC, JDA, JoDA, AjDA, KDA, UDA, UIT, UDH, LSG, DLB, WRD, PHED, RSPCB, RSDMA, RIICO, RUIDP, CAZRI, NDRF, NGT, CGWA आदि) अंग्रेजी में ही रखे गए हैं (राजस्थान के अधिनियम, विनियम और निकाय चालू पाठ में अपने हिन्दी नाम से लिखे जाते हैं — नगरपालिका अधिनियम, भवन विनियम, 2025), और † चिह्न वाली प्रविष्टियाँ केवल राजस्थान से संबंधित हैं।

English	हिन्दी
Stormwater	वर्षा जल (stormwater; सीवेज नहीं, मल-जल नहीं, तूफानी पानी नहीं)
Floodwater	बाढ़ का पानी
Stormwater drainage	वर्षा जल निकासी (stormwater drainage)
Stormwater drain / storm water drain (SWD)	वर्षा जल ड्रेन (SWD)
Drain	ड्रेन (drain; स्त्रीलिंग; इस मैनुअल में सदा वर्षा जल की ड्रेन — सीवर अलग शब्द है; नाली (nali) केवल जहाँ अंग्रेजी में nali है)
Nala (natural or cut drainage channel)	नाला (nala; प्राकृतिक या खोदा गया जल निकासी चैनल; ड्रेन से अलग शब्द)
Natural drain; nala †	प्राकृतिक ड्रेन; नाला (natural drain; 8 ha या अधिक क्षेत्र की निकासी करने वाला हर नाला खंड 7.4.1(b) के अंतर्गत प्राकृतिक चैनल है, उसका रखरखाव चाहे कोई भी करे और वह पक्का, पाइप में बंद या ढका हो या नहीं। राजस्थान में "नाला" प्राकृतिक जलमार्ग और बड़ी निर्मित ड्रेन दोनों के लिए आता है (जयपुर में द्रव्यवती से मिलने वाले नाले; जोधपुर के भैरव और RTO नाले): जहाँ अंग्रेजी में nala है वहाँ नाला, जहाँ drain है वहाँ ड्रेन — एक ही जलधारा के लिए भी। परियोजना दस्तावेजों के "nallah", "nalla" → नाला। "No rule dividing natural nalas from municipal drains was found" → प्राकृतिक नालों को नगरपालिका ड्रेनों से अलग करने वाला कोई नियम नहीं मिला)
Drainage (the system, the work)	जल निकासी / जल निकासी प्रणाली (drainage)
Drainage area	जल निकासी क्षेत्र (drainage area)
Public drains and watercourses / survey and control of drains / effectual drainage / sewage and rain water drains to be distinct / drain vested in the Municipality (Rajasthan Municipalities Act, 2009, ss.68(1)(d), 200, 202, 204, 213) †	सार्वजनिक ड्रेनें और जलमार्ग ("all public sewers and drains, channels, tunnels, culverts and watercourses in, alongside, or under, any street" (धारा 68(1)(d)) → "किसी सड़क में, उसके साथ-साथ या उसके नीचे के सभी सार्वजनिक सीवर और ड्रेनें, चैनल, सुरंगें, पुलियाँ और जलमार्ग") / ड्रेनों का सर्वेक्षण और नियंत्रण ("under the survey and control of the Municipality" (धारा 200) → "नगरपालिका के सर्वेक्षण और नियंत्रण के अधीन") / प्रभावी जल निकासी ("effectual drainage" (धारा 202) → "प्रभावी जल निकासी"; "at such level and with such fall" → "ऐसे स्तर पर और ऐसे ढाल के साथ"; "into a municipal drain within fifty feet (50 ft) or else into a cess-pool" → "पचास फुट (50 ft) के भीतर किसी नगरपालिका ड्रेन में, अन्यथा किसी मलकूप (cess-pool) में" — cess-pool सदा **मलकूप** (cess-pool), पूरे मैनुअल में एक ही रूप; मलकुंड, मल-कुंड, मल-गड्ढा या सेसपूल नहीं (कुंड राजस्थान का तालाब-शब्द है, इसलिए उससे बचा गया; "fifty feet" → पचास फुट, फीट नहीं) / "Sewage and rain water drains to be distinct" (धारा 204 का शीर्षक; पाठ पढ़ा नहीं गया) → "सीवेज और वर्षा जल की ड्रेनें अलग होंगी" / नगरपालिका में निहित ड्रेन (drain vested in the Municipality; "without the written consent of the Municipality" (धारा 213) → "नगरपालिका की लिखित सम्मति के बिना") — उद्धरण इस मैनुअल का अनुवाद है, अंग्रेजी मूल कोष्ठक में

English	हिन्दी
Lake / flow area / protected area / lake boundary (Rajasthan Lakes (Protection and Development) Authority Act, 2015, ss.2(viii), 2(x), 4, 5, 6(2)) †	झील (lake; धारा 2(x): "an inland water body ... whether it contains water or not and whether it has been recorded as such ... or not" → "भूमि पर स्थित कोई जलराशि ... चाहे उसमें जल हो या न हो, और चाहे वह किसी राजस्व या अन्य शासकीय अभिलेख में इस रूप में अभिलिखित हो या न हो" (अंग्रेजी मूल कोष्ठक में; 3 ha / 10 ha वैसे ही)) / **बहाव क्षेत्र** (flow area; धारा 2(viii) — अधिनियम के हिन्दी पाठ का अपना शब्द, सत्यापित: "बहाव क्षेत्र से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें होकर जल धाराएं या संभरक धाराएं झील की ओर इसके पुनर्भरण के लिए बहती हैं"; यह मैनुअल इसे झील का आगोर मानता है) / संरक्षित क्षेत्र (protected area; धारा 4 और 5; अधिनियम का शब्द, सत्यापित) / झील की सीमा (lake boundary; धारा 4) — "no notification was found" → कोई अधिसूचना नहीं मिली; "as read from the Bill" → विधेयक के पाठ के अनुसार
Dry-weather flow (DWF)	शुष्क मौसम प्रवाह (DWF: वर्षा न होने के समय का प्रवाह, मुख्यतः सीवेज और सलेज)
Design manual	डिजाइन मैनुअल
Manual (this Manual)	मैनुअल (यह मैनुअल; पुल्लिंग)
Guidelines (NDMA, URDPFI)	दिशानिर्देश (guidelines)
Design / designed / designer	डिजाइन / डिजाइन किया गया / डिजाइनकर्ता (designer); नक्शा नहीं, अभिकल्प नहीं
Clause / Clauses	खंड / खंड
Commentary	भाष्य
Note	टिप्पणी
Chapter	अध्याय
Annex / Annexes to Chapter N	परिशिष्ट / अध्याय N के परिशिष्ट
Supplement	अनुपूरक (राजस्थान मैनुअल में कोई अनुपूरक नहीं है)
Form	प्रपत्र
Figure / Table	चित्र / तालिका
References / Sources	संदर्भ / स्रोत
Draft v1.0	प्रारूप संस्करण 1.0
Illustrative — not design values	केवल उदाहरण के लिए — डिजाइन मान नहीं
To be prepared	तैयार किया जाना है
Preserve · Retain · Detain · Convey · Maintain	संरक्षण · प्रतिधारण · अस्थायी भंडारण · वहन · रखरखाव
Retention	प्रतिधारण (retention: अंतःस्यंदन, पुनः उपयोग या वाष्पोत्सर्जन द्वारा अपवाह को स्थायी रूप से हटाना)
Detention	अस्थायी भंडारण (detention: नियंत्रित आउटलेट के साथ अपवाह का अस्थायी भंडारण)
Required retention volume (RRV)	आवश्यक प्रतिधारण आयतन (RRV)
Retention depth	प्रतिधारण के लिए वर्षा की गहराई (retention depth)

English	हिन्दी
Retention credit	प्रतिधारण क्रेडिट (retention credit)
Storage / volume	भंडारण (storage) / आयतन (volume)
Runoff	अपवाह (runoff)
Peak discharge / peak flow	चरम प्रवाह दर (peak discharge) / चरम प्रवाह (peak flow)
Discharge (rate of flow) / flow	प्रवाह दर (discharge) / प्रवाह
Discharge (to discharge into a drain, nala, river, talab or lake)	(में) छोड़ना / (में) गिरना (ड्रेन, नाले, नदी, तालाब या झील में)
Release rate	निकास दर (release rate)
Permissible site discharge (PSD)	साइट की अनुमेय प्रवाह दर (PSD)
Site storage requirement (SSR)	साइट पर आवश्यक भंडारण (SSR)
Site / plot	साइट (site) / भूखंड (plot)
Pre-development / post-development	विकास-पूर्व स्थिति / विकास-पश्चात स्थिति
Existing condition	विद्यमान स्थिति
Greenfield	अविकसित खुली भूमि (greenfield)
Development / redevelopment	विकास / पुनर्विकास
Impervious area	अपारगम्य क्षेत्र (impervious area)
Pervious surface	पारगम्य सतह (pervious surface)
New or replaced impervious area	नया या प्रतिस्थापित अपारगम्य क्षेत्र
Land disturbance	भूमि विक्षोभ (land disturbance: सफाई, समतलन, खुदाई, भराई या पक्का करना)
Fill / filling / filling of ponds	भराई (fill) / भरना / तालाबों की भराई
Rainfall depth / intensity	वर्षा की गहराई (mm, rainfall depth) / वर्षा की तीव्रता
Intensity–duration–frequency (IDF)	तीव्रता–अवधि–आवृत्ति (IDF)
Depth–duration–frequency (DDF)	गहराई–अवधि–आवृत्ति (DDF)
Annual exceedance probability (AEP)	वार्षिक अतिक्रमण प्रायिकता (AEP)

English	हिन्दी
Return period (e.g. 100-yr) / average recurrence interval (ARI)	पुनरावृत्ति अवधि (return period; जैसे 1% AEP (100-वर्ष)) / औसत पुनरावृत्ति अंतराल (ARI)
Point rainfall / rain gauge	बिंदु वर्षा (point rainfall) / वर्षामापी (rain gauge)
Telemetric rain gauge / automatic weather station (AWS)	टेलीमेट्रिक वर्षामापी / स्वचालित मौसम केंद्र (AWS)
Storm / storm event	वर्षा (storm; तूफान या आँधी नहीं) / वर्षा घटना (storm event)
Burst (of rain) / short intense burst	तीव्र बौछार (burst) / अल्पकालिक तीव्र बौछार
Design rainfall	डिजाइन वर्षा (design rainfall)
Design storm	डिजाइन वर्षा घटना (design storm)
Hyetograph	हायटोग्राफ (वर्षा–समय आलेख)
Hydrograph	हाइड्रोग्राफ (प्रवाह–समय आलेख)
Critical duration	क्रांतिक अवधि (critical duration)
Temporal pattern	वर्षा का कालिक वितरण (temporal pattern)
Alternating block method	ऑल्टरनेटिंग ब्लॉक विधि (alternating block method)
Areal reduction factor (ARF)	क्षेत्रीय न्यूनीकरण गुणक (ARF)
Climate factor (CF)	जलवायु गुणक (CF)
Factor / coefficient	गुणक / गुणांक
South-west monsoon (JJAS)	दक्षिण-पश्चिम मानसून (JJAS: जून–सितंबर)
Monsoon season / pre-monsoon / post-monsoon	मानसून ऋतु / मानसून-पूर्व / मानसून-पश्चात
Onset / withdrawal (of the monsoon)	आगमन (onset) / वापसी (withdrawal)
Rain outside the monsoon / western disturbance / thunderstorm / dust storm	मानसून के बाहर की वर्षा / पश्चिमी विक्षोभ (western disturbance) / गरज के साथ बौछार (thunderstorm) / आँधी (dust storm)
Depression (weather) / deep depression / low-pressure area / monsoon depression	अवदाब (depression) / गहरा अवदाब / कम दबाव का क्षेत्र / मानसून अवदाब (monsoon depression; "मानसूनी अवदाब" या "मानसून का अवदाब" नहीं; "a south-west monsoon depression" → दक्षिण-पश्चिम मानसून का एक अवदाब)
Cyclone / severe cyclonic storm / super cyclonic storm	चक्रवात (cyclone) / प्रचंड चक्रवाती तूफान / महाचक्रवात (super cyclonic storm)

English	हिन्दी
Storms and depressions (IMD weather systems)	चक्रवाती तूफान और अवदाब ("storms and depressions" → चक्रवाती तूफान (storms) और अवदाब; पुल्लिंग) — IMD का "storm" एक मौसम प्रणाली (चक्रवाती तूफान) है, इसलिए यहाँ तूफान ठीक है; वर्षा घटना के अर्थ में storm सदा वर्षा / वर्षा घटना, तूफान कभी नहीं; "चक्रवाती प्रणालियाँ" नहीं
Antecedent moisture condition (AMC)	पूर्ववर्ती नमी स्थिति (AMC; अध्याय 2 और 3 में; किसी नगर निगम के अर्थ में नहीं)
Curve number (CN)	कर्व नंबर (CN)
Hydrologic soil group (HSG)	जलवैज्ञानिक मृदा समूह (HSG)
Initial abstraction	प्रारंभिक हानि (initial abstraction)
Time of concentration (Tc)	सांद्रण समय (Tc)
Runoff coefficient (C)	अपवाह गुणांक (C)
Rational Method	रेशनल विधि (Rational Method)
Unit hydrograph / synthetic unit hydrograph (SUH)	इकाई हाइड्रोग्राफ (unit hydrograph) / संश्लिष्ट इकाई हाइड्रोग्राफ (SUH)
Peak rate factor (PRF)	चरम दर गुणक (PRF)
Routing	रूटिंग (प्रवाह-भंडारण गणना)
Continuous simulation	सतत सिमुलेशन (continuous simulation)
Calibration / validation	अंशांकन (calibration) / वैधीकरण (validation)
Model (hydrologic, hydraulic)	मॉडल (model)
Catchment	जलग्रहण क्षेत्र (catchment)
Contributing catchment	योगदान देने वाला जलग्रहण क्षेत्र (contributing catchment)
Uncontrolled catchment	अनियंत्रित जलग्रहण क्षेत्र (uncontrolled catchment)
Basin	बेसिन (basin: एक आउटफॉल की ओर बहने वाला क्षेत्र)
Basins and catchments named in the Manual †	चंबल, बनास, लूणी, माही, घग्घर और साबरमती के बेसिन; अंतःस्थलीय (inland) बेसिन, जिनका कोई आउटफॉल नहीं; जयपुर में द्रव्यवती और उससे मिलने वाले नालों के जलग्रहण क्षेत्र; जोधपुर में जोजरी और भैरव तथा RTO नालों के; उदयपुर में पिछोला, फतह सागर, आयड़ और उदय सागर की झील-शृंखला के; अजमेर में आना सागर का; रामगढ़ बाँध का जलग्रहण क्षेत्र (लगभग 769.20 km^2, चार तहसीलें: जमवारामगढ़, आमेर, शाहपुरा, विराटनगर) — "drains inland" → भीतर की ओर बहता है (किसी नदी या समुद्र तक नहीं)
Flood-sensitive catchment	बाढ़-संवेदनशील जलग्रहण क्षेत्र (flood-sensitive catchment)
Upstream / downstream	प्रतिप्रवाह (upstream) / अनुप्रवाह (downstream)
Downstream analysis / analysis point	अनुप्रवाह विश्लेषण / विश्लेषण बिंदु (analysis point)
Tailwater	टेलवाटर (tailwater: आउटफॉल के अनुप्रवाह की ओर का जल स्तर)

English	हिन्दी
Tide / high tide / low tide	ज्वार-भाटा (tide) / ज्वार / भाटा (तटीय शब्द; राजस्थान में लागू नहीं)
Spring tide / neap tide	वृहत् ज्वार (spring tide) / लघु ज्वार (neap tide)
Tide-locked outfall	ज्वार से अवरुद्ध आउटफॉल (tide-locked outfall)
River-locked outfall / lake-locked outfall	नदी से अवरुद्ध आउटफॉल (river-locked outfall: नदी ऊँची होने पर गुरुत्व से पानी नहीं छोड़ सकता — अध्याय 5 और परिशिष्ट 5 की साझा पंक्तियों का रूप; पहले की पंक्ति का "नदी के जल स्तर से अवरुद्ध आउटफॉल" पाठ में कहीं प्रयुक्त नहीं) / † झील के स्तर से अवरुद्ध आउटफॉल (lake-locked outfall)
River stage / stage hydrograph	नदी का जल स्तर (river stage) / जल स्तर–समय आलेख (stage hydrograph)
Storm surge / surge	तूफानी महोर्मि (storm surge)
Sea-level allowance (SLA)	समुद्र स्तर वृद्धि के लिए अतिरिक्त ऊँचाई (SLA; राजस्थान में लागू नहीं)
MHWS / HAT	वृहत् ज्वार का औसत उच्च जल स्तर (MHWS) / उच्चतम खगोलीय ज्वार (HAT)
Astronomical tide	खगोलीय ज्वार (astronomical tide)
Extreme sea level (ESL)	चरम समुद्र स्तर (ESL)
Outfall	आउटफॉल (outfall: जहाँ ड्रेन का पानी अंत में गिरता है)
Gated outfall / pumped outfall / gravity outfall / regulated outfall	गेटयुक्त आउटफॉल (gated outfall) / पंप द्वारा संचालित आउटफॉल (pumped outfall) / गुरुत्व आउटफॉल (gravity outfall) / रेगुलेटरयुक्त आउटफॉल (regulated outfall)
Outlet / inlet	आउटलेट (निकास) / इनलेट (प्रवेश)
Flap gate / tide gate	फ्लैप गेट (एकदिशी गेट) / ज्वार-रोधी गेट (tide gate)
Gate (of a regulator, barrage, sluice or outfall)	गेट (gate)
Crest gate / sluice gate	क्रेस्ट गेट (crest gate) / स्लूइस गेट (sluice gate)
Non-return valve	नॉन-रिटर्न वाल्व (उलटा प्रवाह रोकने वाला वाल्व)
Backflow (from the river into a drain)	उलटा प्रवाह (backflow: नदी से ड्रेन में)
Sand bar / sand spit / lagoon mouth	रेत अवरोध (sand bar) / रेत जिह्वा (sand spit) / लैगून मुख (तटीय शब्द)
Minor system / major system	लघु प्रणाली (minor system) / प्रमुख प्रणाली (major system)
Major drain	प्रमुख ड्रेन (major drain)
Trunk drain	ट्रंक ड्रेन (trunk drain)
Overland flow path	सतही प्रवाह मार्ग (overland flow path)
Spread (street)	सड़क पर पानी का फैलाव (spread, T)

English	हिन्दी
Kerb inlet / grate inlet / gully pit	कर्ब इनलेट / जाली इनलेट (grate inlet) / गली पिट (gully pit)
Clogging factor	अवरोध गुणक (clogging factor)
Hydraulic grade line (HGL)	हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन (HGL)
Manhole / access chamber	मैनहोल / निरीक्षण कक्ष (access chamber)
Culvert	पुलिया (culvert)
Pipe / box drain	पाइप (pipe) / बॉक्स ड्रेन (box drain)
Open channel / channel	खुला चैनल (open channel) / चैनल (channel)
Open drain / covered drain	खुली ड्रेन / ढकी ड्रेन (covered drain: ऊपर स्लैब, उस पर फुटपाथ)
Side drain (road) / roadside drain	सड़क किनारे की ड्रेन (side drain, roadside drain)
Cross drain / cross-drainage works	क्रॉस ड्रेन (cross drain) / क्रॉस-ड्रेनेज कार्य (cross-drainage works)
Waterlogging / waterlogging spot / waterlogged	जलभराव (waterlogging) / जलभराव स्थल / जलभराव से ग्रस्त (waterlogged: "about 200 colonies were reported waterlogged" → लगभग 200 कॉलोनियाँ जलभराव से ग्रस्त बताई गईं; जलमग्न नहीं — जलमग्न = inundated, flooded) — जलजमाव नहीं (राजस्थान की अंग्रेजी में jaljamav नहीं है; भवन विनियमों का "जल भराव क्षेत्र" केवल देवनागरी उद्धरण में वैसा ही)
Canal / irrigation canal / drainage channel	नहर (canal; nahar) / सिंचाई नहर / जल निकासी चैनल (drainage channel)
Freeboard	फ्रीबोर्ड (अतिरिक्त ऊँचाई)
Silt trap / sediment / silt	गाद-जाल (silt trap) / तलछट (sediment) / गाद (silt)
Trash rack / screen	कचरा-रोधी जाली (trash rack) / जाली (screen)
Orifice / weir	ऑरिफिस (छिद्र) / वियर (weir)
Dams, barrages and reservoirs named in the Manual (Ramgarh, Bisalpur, Gandhi Sagar, Rana Pratap Sagar, Jawahar Sagar, Kota Barrage, Panchana, Mahi Bajaj Sagar, Jawai Bandh, Morel) †	रामगढ़ बाँध (Ramgarh dam; 1903; "the Ramgarh dam" → रामगढ़ बाँध — नाम में बाँध, जैसे जवाई बाँध; संरचना के अर्थ में "dam" → डैम), बीसलपुर डैम (Bisalpur), गाँधी सागर (Gandhi Sagar; मध्य प्रदेश में, चंबल पर), राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज (Kota Barrage; पुल्लिंग), पाँचना डैम (Panchana; करौली), माही बजाज सागर, जवाई बाँध (Jawai Bandh; एरिनपुरा), मोरेल डैम (Morel; ढूँढ-मोरेल) — "18 of the 19 gates of the Kota Barrage" → कोटा बैराज के 19 में से 18 गेट; "barrage" → बैराज
Riser (outlet structure)	राइजर (खड़ी आउटलेट संरचना)
Emergency spillway / spillway	आपातकालीन स्पिलवे (emergency spillway) / स्पिलवे (spillway)
Embankment (river, flood)	तटबंध (embankment; नदी या बाढ़ तटबंध) — तालाब या झील का बाँध bund है (बाँध), डैम dam

English	हिन्दी
Bund (bandh)	बाँध (bund; परिशिष्ट 7E में bandh: "embankment; dam"; डैम के लिए डैम लिखें)
Dam or bund (bandh) of a city lake / escape channel / escape gates / overflow (escape) of a talab †	डैम या बाँध (bandh) / एस्केप चैनल (escape channel; पुल्लिंग — "the Ana Sagar escape channel" → आना सागर का एस्केप चैनल) / एस्केप गेट (escape gates; "the escape gates were opened 30 inches" → एस्केप गेट 30 इंच खोले गए) / अतिप्रवाह (escape) (talab का overflow (escape) — "its overflow (escape)" → उसका अतिप्रवाह (escape); "escape sill = FTL" → अतिप्रवाह सिल = FTL) — गेट खुलने का स्तर (gate-opening level) / मृत भंडारण स्तर (dead storage level; बाढ़ भंडारण नहीं)
Dam / check dam	डैम (dam) / चेक डैम (check dam)
Drawdown time	खाली होने का समय (drawdown time)
Pump / sump / wet well	पंप / संप / वेट वेल (wet well)
Permanent pump / portable pump / mobile pump	स्थायी पंप / पोर्टेबल पंप (portable pump) / मोबाइल पंप (mobile pump)
Pumping station / drainage pumping station	पंपिंग स्टेशन (pumping station) / जल निकासी पंपिंग स्टेशन
Storm water pumping station (SWPS)	वर्षा जल पंपिंग स्टेशन (SWPS)
Tank (talab) †	तालाब (talab; tank) — राजस्थान मैनुअल का local_tank_term। पुल्लिंग ("तालाब भरता है", "तालाब का बाँध"); बहुवचन तालाब, तिर्यक तालाबों। "tank (talab)", "tanks (talabs)" → तालाब (talab); "talabs" → तालाब; परिभाषा तालिका का "Talab (तालाब; johad, nadi)" → तालाब (talab; जोहड़, नाडी); प्रत्येक अनुभाग में पहली बार तालाब (talab)। अकेला "tank" भी साझा नियम के अनुसार तालाब — दोनों एक ही हिन्दी शब्द हैं, इसलिए अलग करने की आवश्यकता नहीं (मध्य प्रदेश संस्करण का निर्णय, यथावत); जहाँ अंग्रेजी tank और talab को एक ही वाक्य में अलग शब्दों की तरह रखती है ("A talab is a tank or pond under Clause 7.2"), वहाँ रोमन कोष्ठक से अलग करें: तालाब (talab) खंड 7.2 के अंतर्गत तालाब (tank) या पोखर (pond) है। सूचियों में "pond" साझा रूप पोखर ("Johar, Nala, Tank, River, Pond" के उद्धरण में → जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर); अकेला "pond" → तालाब (pond)। टैंक कभी नहीं (टैंक = निर्मित टंकी: वर्षा जल भंडारण टैंक; regulation 8.3 का "Rooftop Rain Water Storage Tank" → छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक)
Tank (in the shared chapters)	तालाब (tank; टैंक नहीं)
Lake / jheel	झील (lake; jheel); नामों में प्रचलित हिन्दी नाम रखें
Lake / city lake / reservoir (in Rajasthan) †	झील (lake; स्त्रीलिंग) / शहरी झील (city lake) / जलाशय (reservoir; WRD के बड़े जलाशय — "the Bisalpur reservoir" → बीसलपुर जलाशय; "Kailana and Takhat Sagar store water for Jodhpur" → कायलाना और तख्त सागर जोधपुर के लिए पानी का भंडारण करते हैं) — नाम वाली झीलें: पिछोला (स्त्रीलिंग, झील), फतह सागर, उदय सागर, स्वरूप सागर, आना सागर, मान सागर (पुल्लिंग, सागर); "lake (Lakes Act)" → झील (झील अधिनियम)
Pond	तालाब (pond) / पोखर (pokhar)

English	हिन्दी
Talab / johad / nadi / sagar, sarovar / baori, bawdi / jhalra / kund, kundi / taanka / khadin / beri (Rajasthan terms) †	तालाब (talab) / जोहड़ (johad: कच्चा, बिना पक्की परत का गाँव का तालाब; पुल्लिंग; उच्च न्यायालय के उद्धरण का "Johar" → जोहड़ ("Johar")) / **नाडी (nadi)**: मारवाड़ और पश्चिम का गाँव का तालाब; स्त्रीलिंग; सदा नाडी, बिना नुक्ते के, जैसा अंग्रेजी का देवनागरी रूप देता है — नदी (river) से अलग, और नाड़ी (धमनी) नहीं; प्रत्येक अनुभाग में पहली बार नाडी (nadi), और जहाँ नदी भी पास में हो वहाँ हर बार रोमन कोष्ठक; बहुवचन नाडियाँ, तिर्यक नाडियों / सागर, सरोवर (sagar, sarovar: बड़ा तालाब या झील; नामों में अलग शब्द — फतह सागर, उदय सागर, आना सागर, मान सागर, पुष्कर सरोवर; पुल्लिंग) / बावड़ी (baori, bawdi: सीढ़ियों वाला कुआँ, step-well; स्त्रीलिंग; "baori or bawdi" → बावड़ी (baori, bawdi)) / झालरा (jhalra: सीढ़ियों वाला कुआँ या कुंड; पुल्लिंग) / कुंड (kund: छोटा दीवारों या बाँध से घिरा तालाब; पश्चिम में तश्तरीनुमा तैयार जलग्रहण क्षेत्र से भरने वाला ढका हौज भी; पुल्लिंग) और कुंडी (kundi; स्त्रीलिंग) / टाँका (taanka: छत, आँगन या तैयार जलग्रहण क्षेत्र का अपवाह रोकने वाला छोटा, प्रायः भूमिगत, दीवारों से बना हौज; पुल्लिंग; बहुवचन टाँके) / **खड़ीन (khadin)**: ढलान वाले जलग्रहण क्षेत्र के निचले किनारे पर बना लंबा कच्चा बाँध, जिसके पीछे पानी रुककर रिसता है और फिर तल में खेती होती है; पुल्लिंग; चालू पाठ में खड़ीन (राजस्थान की जल-परंपराओं पर हिन्दी लेखन का प्रचलित रूप), तालिका 7E.4 में स्रोत का खडीन हूबहू / बेरी (beri: रेत में रिसते पानी वाला उथला कुआँ; केवल तालिका 7E.4) — "talabs, johads and nadis" → तालाब, जोहड़ और नाडियाँ; "taankas, kunds, kundis, baoris and jhalras" → टाँके, कुंड, कुंडियाँ, बावड़ियाँ और झालरे; प्रत्येक अनुभाग में पहली बार रोमन कोष्ठक में; सामने के भाग में अंग्रेजी के इटैलिक (*talab*) रखें
Kund (temple or village pool)	कुंड (kund)
Tank cascade	तालाब शृंखला (tank cascade)
Bund / tank bund	बाँध (bund) / तालाब का बाँध (tank bund)
Outer (protective) bund	बाहरी (सुरक्षा) बाँध (outer / protective bund)
Top bund level (TBL)	बाँध का शीर्ष स्तर (TBL)
Surplus weir	सरप्लस वियर (surplus weir: तालाब भरने पर अतिरिक्त पानी निकालने वाला वियर; overflow)
Tank surplussing (spilling over the surplus weir or to the street)	तालाब का उफनना (surplussing)
Sluice / sluice gate / sluice regulator / vented sluice	स्लूइस (sluice) / स्लूइस गेट / स्लूइस रेगुलेटर / वेंटयुक्त स्लूइस (vented sluice)
Sill (of a sluice) / sluice barrel / sluice rating	सिल (sill: स्लूइस का तल स्तर) / स्लूइस बैरल / स्लूइस का हेड–प्रवाह दर संबंध (sluice rating)
Regulator / barrage	रेगुलेटर (regulator; पुल्लिंग) / बैराज (barrage)
City lake / lake-locked outfall / gates of a city lake †	शहरी झील (city lake: नगर के भीतर या पास की झील या सागर, जिसका स्तर अतिप्रवाह, एस्केप चैनल या गेट वाले डैम या बाँध से नियंत्रित होता है; स्त्रीलिंग — आना सागर, फतह सागर, उदय सागर, पिछोला, मान सागर) / झील के स्तर से अवरुद्ध आउटफॉल (lake-locked outfall) / गेट (gates; पुल्लिंग; "the gates are opened" → गेट खोले जाते हैं) — "inflow nala" → आने वाला नाला; "downstream channel" → अनुप्रवाह का चैनल; "backed up" → पीछे रुका हुआ; "held at its full gauge" → पूर्ण गेज स्तर पर रखी जाती है
Supply channel (feeder channel, nala or nahar)	आपूर्ति चैनल (supply channel, feeder channel)
Surplus course	अतिरिक्त जल मार्ग (surplus course)
Primary / secondary / tertiary drain	प्राथमिक / द्वितीयक / तृतीयक ड्रेन (primary / secondary / tertiary drain)

English	हिन्दी
Anicut	एनीकट (anicut)
Full tank level (FTL) / maximum water level (MWL)	तालाब का पूर्ण जल स्तर (FTL) / अधिकतम जल स्तर (MWL)
Full reservoir level (FRL)	जलाशय का पूर्ण जल स्तर (FRL)
Full reservoir level (FRL) of a dam or reservoir / full level of a lake in gauge feet (Kailana 273.7 m; Takhat Sagar 269.75 m; Bisalpur 315.5 m; Mahi Bajaj Sagar 281.5 m; Pichola 11 ft; Fateh Sagar 13 ft; Udai Sagar 24 ft; Ana Sagar 13 ft) †	जलाशय का पूर्ण जल स्तर (FRL) — "Kailana (full reservoir level 273.7 m)" → कायलाना (जलाशय का पूर्ण जल स्तर 273.7 m; "पूर्ण जलाशय स्तर" नहीं) / गेज फुट (gauge feet; "reported in gauge feet" → गेज फुट में बताए गए; "full at 13 ft on its gauge" → अपने गेज पर 13 ft पर पूर्ण) — फुट के मान वैसे ही, मीटर में नहीं बदले जाते (गेज का शून्य समुद्र तल से जुड़ा नहीं मिला [TBC])
Waterspread	जल-फैलाव क्षेत्र (waterspread)
Foreshore	तालाब का अग्रतट (foreshore: FTL और MWL के बीच की भूमि)
Tank bed	तालाब का तल (tank bed)
Revenue boundary (of a tank)	तालाब की राजस्व सीमा
Command area	कमान क्षेत्र (command area)
Top of bank	किनारे का शीर्ष (top of bank)
Flood / the floods and storms named in the Manual †	बाढ़ (flood) / 18–20 जुलाई 1981 की जयपुर की वर्षा (19 जुलाई को जयपुर (सांगानेर) में 326.0 mm; "82 cm in three days" → तीन दिनों में 82 cm); 16–17 अगस्त 1973 की जैसलमेर और सम की वर्षा; 8 सितंबर 1992 की माउंट आबू की वर्षा; 10 जून 2002 की अजमेर की वर्षा; 19–22 अगस्त 2006 की बाड़मेर की बाढ़ (कवास); अगस्त 2006 में उदयपुर की झीलों का उफनना; सितंबर 2019 की कोटा की बाढ़ (कोटा बैराज से पानी छोड़ा जाना); जुलाई 2022 की जोधपुर की वर्षा; 31 जुलाई–1 अगस्त 2024 की जयपुर की वर्षा (विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र के बेसमेंट में तीन मौतें); सितंबर 2024 और जुलाई 2025 में अजमेर (आना सागर का एस्केप चैनल); 23 अगस्त 2025 की नैनवाँ (बूंदी) की वर्षा — "as reported" हर बार (प्रकाशित खबरों के अनुसार); "the reported deaths range from about 140 to more than 300" → बताई गई मौतें लगभग 140 से 300 से अधिक तक
Floodway / flood fringe	बाढ़ मार्ग (floodway) / बाढ़ सीमांत क्षेत्र (flood fringe)
Floodplain / floodplain zoning	डूब क्षेत्र (floodplain) / डूब क्षेत्र का जोनिंग (floodplain zoning)

English	हिन्दी
Lines set by the courts: High Flood Line / ecological buffer zone / river corridors / 100 m along the Jojari / 500 m hazardous-industry bar / Udaipur lakes no-construction zone (200 m from HFL) / catchments closed to allotment †	**उच्च बाढ़ रेखा (High Flood Line)** — उच्चतम न्यायालय द्वारा सीमांकन के लिए निर्देशित भूमि पर खींची जाने वाली रेखा; HFL (उच्चतम बाढ़ स्तर, गेज पर दर्ज) से अलग शब्द, इसलिए "उच्चतम बाढ़ स्तर" नहीं; प्रत्येक अनुभाग में पहली बार अंग्रेजी कोष्ठक में; "the court's High Flood Line" → न्यायालय की उच्च बाढ़ रेखा; "High Flood Lines" → उच्च बाढ़ रेखाएँ; "apparent High Flood Area" (उद्धरण) → "प्रत्यक्ष उच्च बाढ़ क्षेत्र" / पारिस्थितिक बफर जोन (ecological buffer zone) / नदी गलियारे (river corridors; "within the identified river corridors" → चिह्नित नदी गलियारों के भीतर) / जोजरी के किनारे से 100 m (अंतरिम आदेश, 24 अगस्त 2026, प्रकाशित खबरों के अनुसार) / बाढ़ रेखा या प्रवाह मार्ग से 500 m के भीतर खतरनाक उद्योग पर रोक / उदयपुर की झीलों का निर्माण-निषिद्ध जोन (no-construction zone; 1997 की अधिसूचना; HFL से 200 m, प्रकाशित खबरों के अनुसार) / आवंटन से बंद जलग्रहण क्षेत्र — design flood line → डिजाइन बाढ़ रेखा; "court-made" → न्यायालयों द्वारा निर्धारित; "no State floodplain zoning law or order" → राज्य का कोई डूब क्षेत्र जोनिंग कानून या आदेश नहीं
Flood storage	बाढ़ भंडारण
1% AEP flood extent / flood level	1% AEP बाढ़ का विस्तार / बाढ़ जल स्तर
Flood line / flood map	बाढ़ रेखा (flood line) / बाढ़ मानचित्र
Setback / buffer	सेटबैक (छोड़ी जाने वाली दूरी) / बफर (सुरक्षा पट्टी)
Zone 1 / Zone 2	जोन 1 (जलाशय संरक्षण जोन) / जोन 2 (बाढ़ सीमांत सेटबैक)
Statutory clearances / statutory distances	सांविधिक दूरियाँ (statutory clearances)
Compensatory storage	प्रतिपूरक भंडारण (compensatory storage)
Flood cushion	बाढ़ कुशन (FTL से नीचे खाली रखा गया भंडारण)
Water quality volume (WQv)	जल गुणवत्ता आयतन (WQv)
Water quality rainfall depth / design flow	जल गुणवत्ता के लिए वर्षा की गहराई (P_wq) / जल गुणवत्ता के लिए डिजाइन प्रवाह (Q_wq)
Treatment train	उपचार शृंखला (treatment train)
Bioretention / rain garden	बायोरिटेंशन (पौधों और मिट्टी से पानी छानने वाला गड्ढा) / वर्षा उद्यान (rain garden)
Swale	स्वेल (घास से ढका उथला चैनल, swale)
Grass filter strip / bio-swale	घास फिल्टर पट्टी (filter strip) / बायो-स्वेल (bio-swale)
Permeable pavement	पारगम्य पेवमेंट (permeable pavement)
Infiltration trench	अंतःस्यंदन खाई (infiltration trench)
Constructed wetland	निर्मित आर्द्रभूमि (constructed wetland)
Gross pollutant trap (GPT)	स्थूल प्रदूषक जाल (GPT)
Infiltration / recharge	अंतःस्यंदन (infiltration) / भूजल पुनर्भरण (recharge)

English	हिन्दी
Groundwater / seasonal high groundwater table / shallow water table / groundwater separation / groundwater-clearance check	भूजल / मौसमी उच्चतम भूजल स्तर (seasonal high groundwater table) / उथला भूजल स्तर / भूजल से दूरी (groundwater separation; खंड 8.8.1) / **भूजल से दूरी की जाँच** (groundwater-clearance check; प्रत्येक अनुभाग में पहली बार अंग्रेजी कोष्ठक में; "Groundwater clearance first" → पहले भूजल से दूरी की जाँच; "a groundwater check shows" → भूजल से दूरी की जाँच दर्शाए) — एक ही रूप; "भूजल दूरी की जाँच" या "भूजल से पर्याप्त दूरी" नहीं
Rainwater harvesting (RWH)	वर्षा जल संचयन (RWH)
Percolation pit / recharge bore / recharge trench	अंतःस्रवण गड्ढा (percolation pit) / पुनर्भरण बोर (recharge bore) / पुनर्भरण खाई (recharge trench)
Rainwater storage tank	वर्षा जल भंडारण टैंक
Sewage cross-connection / points where sewage enters storm drains / points where storm water enters sewers	सीवेज का अवैध जुड़ाव (cross-connection) / वे बिंदु जहाँ सीवेज वर्षा जल ड्रेन में मिलता है / वे बिंदु जहाँ वर्षा जल सीवर में जाता है
Interception and diversion of nalas / Dravyavati interception and STPs (170 MLD) / sewage and effluent in the Jojari / zero untreated discharge †	नालों का अवरोधन और मोड़ (interception and diversion) / द्रव्यवती के इंटरसेप्टर और STP (170 MLD; "five Sewage Treatment Plants" → पाँच सीवेज शोधन संयंत्र) / जोजरी में सीवेज और औद्योगिक बहिःस्राव ("treated and untreated sewage is discharged" → शोधित और अनुपचारित सीवेज छोड़ा जाता है; "contaminated storm-water" → दूषित वर्षा जल) / अनुपचारित निस्सरण शून्य — शोधन (sewage) और उपचार (stormwater) का साझा भेद यथावत
Erosion and sediment control (ESC)	अपरदन और तलछट नियंत्रण (ESC)
Fee-in-lieu	एवज शुल्क (fee-in-lieu)
Regional detention / regional facility	क्षेत्रीय अस्थायी भंडारण / क्षेत्रीय सुविधा (regional facility)
Constrained redevelopment site	सीमित पुनर्विकास साइट
Basin Stormwater Master Plan (BSMP)	बेसिन वर्षा जल मास्टर प्लान (BSMP)
City stormwater master plan / drainage master plan	शहर वर्षा जल मास्टर प्लान / जल निकासी मास्टर प्लान (drainage master plan)
Dravyavati River Rejuvenation Project (JDA) / JDA drainage upgrade with an Integrated Storm Water Management Model (2025) / RUIDP Jodhpur Storm Water Drainage / RUIDP Circular No. 8 of 2008 (RUSDIP) †	द्रव्यवती नदी पुनरुद्धार परियोजना (Dravyavati River Rejuvenation Project; JDA; 47.5 km चैनल, 100-वर्ष की बाढ़ के लिए; संदर्भों में अंग्रेजी शीर्षक) / JDA का जल निकासी उन्नयन (2025), "Integrated Storm Water Management Model" (ISWMM) के साथ (प्रकाशित खबरों के अनुसार) / RUIDP का *Jodhpur Storm Water Drainage: Resettlement Plan* (शीर्षक अंग्रेजी में; RUDSICO-EAP रोमन) / RUIDP का परिपत्र संख्या 8 (2008), "General guide lines for Drainage Sector work to be taken under RUSDIP" (शीर्षक अंग्रेजी में, उद्धरण-चिह्नों सहित; RUSDIP रोमन) — "superseded for works designed under this Manual" → इस मैनुअल के अंतर्गत डिजाइन किए गए कार्यों के लिए अधिक्रमित

English	हिन्दी
Level of service (LoS) / Value Rating (VR)	सेवा स्तर (LoS) / मूल्य श्रेणी (VR)
Flood hazard map / hazard class	बाढ़ जोखिम मानचित्र / जोखिम वर्ग (H1–H6)
Capital Improvement Programme (CIP)	पूंजीगत सुधार कार्यक्रम (CIP)
Approving Authority (the Authority)	अनुमोदन प्राधिकारी (प्राधिकारी)
Competent authority	सक्षम प्राधिकारी (competent authority)
Development authority / Planning Authority	विकास प्राधिकरण (development authority) / योजना प्राधिकरण (Planning Authority)
Development area / planning area / Master Plan area	विकास क्षेत्र / योजना क्षेत्र (planning area) / मास्टर प्लान क्षेत्र
Applicant	आवेदक
Urban local body (ULB)	शहरी स्थानीय निकाय (ULB; राजस्थान में नगर निगम, नगर परिषद या नगरपालिका बोर्ड)
Urban Development and Housing Department (UDH; Nagariya Vikas evam Awasan Vibhag) / Chief Town Planner / regional support †	नगरीय विकास एवं आवासन विभाग (UDH; पुल्लिंग; "आवासन", "आवास" नहीं — 2025 के भवन विनियमों के आवरण पृष्ठ पर "नगरीय विकास एवं आवासन विभाग राजस्थान, जयपुर", सत्यापित; 2020 के मॉडल विनियमों पर "नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग") / मुख्य नगर नियोजक (Chief Town Planner) / क्षेत्रीय सहायता (regional support; "UDH regional support" → UDH की क्षेत्रीय सहायता)
Local body / local authority	स्थानीय निकाय / स्थानीय प्राधिकारी (local authority)
Municipal Corporation / Municipality / Municipal Council / Cantonment Board / Gram Panchayat	नगर निगम / नगरपालिका / नगर परिषद (राजस्थान का Municipal Council; † पंक्ति देखें) / छावनी बोर्ड / ग्राम पंचायत
Municipal Corporation (Nagar Nigam) / Municipal Council (Nagar Parishad) / Municipal Board (Nagar Palika) / Municipality (Rajasthan Municipalities Act, 2009) †	नगर निगम (Municipal Corporation; पुल्लिंग) / नगर परिषद (Municipal Council; स्त्रीलिंग; अधिनियम के हिन्दी पाठ में "नगर परिषद्"; हलंत के बिना लिखें) / **नगरपालिका बोर्ड** (Municipal Board; पुल्लिंग; अधिनियम के हिन्दी पाठ का शब्द, 2010 के संशोधन विधेयक में सत्यापित: "नगर निगम ... नगर परिषद ... नगरपालिका बोर्ड"; जहाँ अंग्रेजी "(Nagar Palika)" देती है वहाँ नगरपालिका बोर्ड (Nagar Palika)) / नगरपालिका (Municipality: अधिनियम का सामान्य शब्द, जो तीनों के लिए आता है — "vest in the Municipality" → नगरपालिका में निहित होते हैं; स्त्रीलिंग) — "Municipal Corporations, Councils and Boards" → नगर निगम, नगर परिषदें और नगरपालिका बोर्ड; "tier_b_bodies: Municipal Councils and Municipal Boards" → नगर परिषदें और नगरपालिका बोर्ड; नगर पालिका परिषद (मध्य प्रदेश) नहीं
Jaipur Municipal Corporation (JMC) / Greater and Heritage corporations / the twin corporations of Jodhpur and Kota †	जयपुर नगर निगम (JMC; पुल्लिंग) / ग्रेटर और हैरिटेज नगर निगम ("Jaipur's two corporations, Greater and Heritage, created in 2019" → 2019 में बने जयपुर के दो नगर निगम, ग्रेटर और हैरिटेज) / जोधपुर और कोटा के जुड़वाँ नगर निगम (उत्तर और दक्षिण) — "were reported in 2025 to have been merged again" → 2025 में फिर से एक किए जाने की खबर है; "the notifications were not seen" → अधिसूचनाएँ देखी नहीं गईं

English	हिन्दी
Commissioner / Executive Officer / Mayor / Chairperson / the Council (model council resolution) †	आयुक्त (Commissioner; नगर निगम और नगर परिषद) / अधिशासी अधिकारी (Executive Officer; नगरपालिका बोर्ड) / महापौर (Mayor) / अध्यक्ष (Chairperson: अधिनियम का सामान्य शब्द; नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति भी कहते हैं, पर अंग्रेजी एक ही शब्द देती है) / परिषद (the Council) — "Commissioner / Executive Officer" → आयुक्त / अधिशासी अधिकारी; "Mayor / Chairperson" → महापौर / अध्यक्ष; मुख्य नगरपालिका अधिकारी (मध्य प्रदेश) नहीं
Development authority (JDA, JoDA, AjDA, KDA, UDA; Bikaner and Bharatpur Development Authorities) / Urban Improvement Trust (UIT) / region of a development authority †	विकास प्राधिकरण (development authority; पुल्लिंग) — जयपुर विकास प्राधिकरण (JDA; Jabalpur Development Authority नहीं), जोधपुर विकास प्राधिकरण (JoDA), अजमेर विकास प्राधिकरण (AjDA), कोटा विकास प्राधिकरण (KDA), उदयपुर विकास प्राधिकरण (UDA), बीकानेर विकास प्राधिकरण, भरतपुर विकास प्राधिकरण / नगर सुधार न्यास (UIT; Urban Improvement Trust; पुल्लिंग — राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 और झील अधिनियम के हिन्दी पाठ का शब्द, सत्यापित; "Urban Improvement Trusts" → नगर सुधार न्यास; "the Trust" → न्यास) / विकास प्राधिकरण का क्षेत्र (region; "the Jaipur Region" → जयपुर रीजन (विनियमों के नाम में) / जयपुर क्षेत्र (चालू पाठ में))
Rajasthan Urban Infrastructure Development Project (RUIDP) / RUSDIP / RUDSICO-EAP / PMU / Asian Development Bank (ADB) †	राजस्थान शहरी आधारभूत संरचना विकास परियोजना (RUIDP; स्त्रीलिंग — इस मैनुअल का अनुवाद; परियोजना का आधिकारिक हिन्दी नाम नहीं देखा गया, इसलिए प्रत्येक अध्याय में पहली बार अंग्रेजी कोष्ठक में) / RUSDIP, RUDSICO-EAP, PMU रोमन में / एशियाई विकास बैंक (ADB) — "ADB-funded" → ADB से वित्तपोषित; "executing agency" → निष्पादन एजेंसी
Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation (RIICO) / industrial area †	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम (RIICO; पुल्लिंग, निगम — "RIICO ने ..."; राज्य के प्रयोग का नाम; रीको नहीं, RIICO) / औद्योगिक क्षेत्र (industrial area; "the Kakani industrial area" → काकाणी औद्योगिक क्षेत्र; "Vishwakarma Industrial Area" → विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र)
Municipal Commissioner / Mayor / Councillor / Chairperson	नगर आयुक्त / महापौर / पार्षद / अध्यक्ष
Chief Engineer / Superintending Engineer / Executive Engineer / Assistant Engineer / Junior Engineer	मुख्य अभियंता / अधीक्षण अभियंता / कार्यपालक अभियंता / सहायक अभियंता / कनिष्ठ अभियंता
Ward	वार्ड (ward)
State Stormwater Technical Committee	राज्य वर्षा जल तकनीकी समिति
Master plan / Development Plan	मास्टर प्लान (master plan) / विकास योजना (Development Plan; राजस्थान की Master Development Plan के लिए † पंक्ति देखें: मास्टर विकास योजना)
Master Development Plan / master plan / zonal plan / walled city, old city, heritage area †	**मास्टर विकास योजना** (Master Development Plan; स्त्रीलिंग — राजस्थान में शहर की सांविधिक योजना का प्रचलित हिन्दी नाम, जैसे जयपुर की मास्टर विकास योजना; पहली बार प्रत्येक अध्याय में अंग्रेजी कोष्ठक में; उद्धरण "cannot be disturbed while preparing the Master Development Plan" → "मास्टर विकास योजना तैयार करते या उसमें परिवर्तन करते समय बाधित नहीं किए जा सकते") / मास्टर प्लान (master plan; पुल्लिंग — जहाँ अंग्रेजी "master plan" लिखती है; जल निकासी के मास्टर प्लान भी) / जोनल प्लान (zonal plan) / परकोटा (walled city: "the walled city of Jaipur" → जयपुर का परकोटा (walled city); पहली बार अंग्रेजी कोष्ठक में) / पुराना शहर (old city: "the old city of Jodhpur" → जोधपुर का पुराना शहर) / विरासत क्षेत्र (heritage area) — विकास योजना (मध्य प्रदेश) और महायोजना (UP) नहीं
Zone (land use) / zoning	जोन (जैसे आवासीय जोन) / जोनिंग (zoning)

English	हिन्दी
No-construction zone / No Development Zone	निर्माण-निषिद्ध जोन (no-construction zone) / विकास-निषिद्ध जोन (No Development Zone)
Natural hazard prone area / flood-prone area	प्राकृतिक आपदा-प्रवण क्षेत्र / बाढ़-प्रवण क्षेत्र
Open space	खुला स्थान (open space)
Variance / waiver	विचलन (variance) / अधित्याग (waiver)
Maintenance declaration	रखरखाव घोषणा-पत्र (maintenance declaration)
Maintenance	रखरखाव
Operation and maintenance (O&M) / O&M plan	प्रचालन और रखरखाव (O&M) / O&M योजना
As-built / as-built certificate	यथा-निर्मित (as-built) नक्शा / यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र
Registered professional	पंजीकृत पेशेवर (registered professional)
Tier A / Tier B	टियर A / टियर B
Policy supplement	नीति अनुपूरक (policy supplement: अंगीकरणीय वैकल्पिक खंड)
Council resolution / model council resolution	परिषद संकल्प (council resolution) / आदर्श परिषद संकल्प
State (in this Manual) †	राज्य (इस मैनुअल में राजस्थान)
State Government, Government (in this Manual) †	राज्य सरकार, सरकार (इस मैनुअल में राजस्थान सरकार; स्त्रीलिंग — राजस्थान के अधिनियमों का हिन्दी पाठ "राज्य सरकार" लिखता है; संघ के निकाय — CWC, CGWB, CGWA, IMD, NIH, NHAI, NDRF, SoI — राज्य सरकार का भाग नहीं)
Shall / should / may	...करेगा, ...किया जाएगा (अनिवार्य) / ...चाहिए (सिफारिश) / ...सकता है, ...सकेगा (अनुमति)
Shall not	...नहीं करेगा, ...नहीं किया जाएगा (अनिवार्य निषेध)

अतिरिक्त शब्द

English	हिन्दी
Applicability / adoption / adopt	प्रयोज्यता (applicability) / अंगीकरण / अंगीकार करना (केवल सरकार, प्राधिकारी, समिति, अधिकरण, अधिनियम, नियम या विनियम द्वारा औपचारिक अंगीकरण के लिए, और इस मैनुअल के अंगीकरण टियर के लिए; मान के लिए लेना, विधि के लिए अपनाना)
Has not been adopted, notified or endorsed by	... द्वारा अंगीकृत, अधिसूचित या समर्थित नहीं किया गया है
No legal force / in force / not in force	कोई विधिक बल नहीं / प्रवृत्त / प्रवृत्त नहीं
Approve / approval / approved	अनुमोदन करना / अनुमोदन / अनुमोदित
Endorse / endorsement / endorsed	समर्थन करना / समर्थन / समर्थित (पृष्ठांकन नहीं)

English	हिन्दी
Consent / concurrence / agree	सम्मति (consent) / सहमति (concurrence) / सहमत होना
Consent (WRD, to outfalls into its works) †	सम्मति ("consent to outfalls into its works" → अपने कार्यों में आउटफॉल के लिए सम्मति)
Sanction / sanctioned / sanctioning authority	संस्वीकृति / संस्वीकृत / संस्वीकृति प्राधिकारी (स्वीकृति या स्वीकृत अकेले नहीं)
Permission / building permit / planning permission / permissible	अनुमति / भवन अनुमति (building permit) / योजना अनुमति / अनुमेय
Credit / retention credit / preservation credit / tank storage credit	क्रेडिट / प्रतिधारण क्रेडिट / संरक्षण क्रेडिट / तालाब भंडारण क्रेडिट
Notification / notified / Gazette	अधिसूचना / अधिसूचित / राजपत्र
Gazette of India / Rajasthan Gazette (Extraordinary) / Part 6(ख), Part 4(क) / Gazette notification / publication in the Gazette by each local body †	भारत का राजपत्र / **राजस्थान राजपत्र (विशेषांक)** (Rajasthan Gazette (Extraordinary) — राजपत्र के शीर्ष पर छपा "राजस्थान राज-पत्र विशेषांक", सत्यापित; असाधारण नहीं, गजट नहीं; चालू पाठ में राजस्थान राजपत्र, बिना हाइफन) / भाग 6(ख), भाग 4(क) (देवनागरी अक्षर स्रोत के अनुसार) / राजपत्र अधिसूचना / "brought into force by each local body or authority by publication in the Gazette" → प्रत्येक स्थानीय निकाय या प्राधिकरण द्वारा राजपत्र में प्रकाशन से प्रवृत्त किए गए; "Rajasthan Gazette (Extraordinary), 7 January 2021" → राजस्थान राजपत्र (विशेषांक), 7 जनवरी 2021
Government Order / office order / circular / order / resolution	सरकारी आदेश (राजस्थान सरकार के विभाग का Order: आदेश, † पंक्ति देखें) / कार्यालय आदेश (office order) / परिपत्र / आदेश / संकल्प
Act / Rules / rule / Regulation / Code / Bill	अधिनियम / नियम (Rules) / नियम / विनियम / संहिता / विधेयक
Bye-laws / bye-law	उपविधियाँ / उपविधि
Section / sub-section (of an Act; s.)	धारा / उपधारा
Article (of the Constitution) / Schedule	अनुच्छेद / अनुसूची
Para (of a plan, report, order or judgment) / Annexure (of a notification, order or affidavit) / Appendix (of a cited report)	पैरा (*Ramji Lal Saini* का para 6 → पैरा 6; *Gulab Kothari* का para 202 → पैरा 202) / अनुलग्नक (Annexure; परिशिष्ट नहीं; CRZ अधिसूचना का Annexure IV → अनुलग्नक IV; JDA के 2020 के विनियमों का Annexure 4 → अनुलग्नक 4; किसी रिपोर्ट, जैसे CWC बाढ़ आकलन रिपोर्ट, का Annexure या Annex भी अनुलग्नक — संदर्भ-प्रविष्टि के अनुवादित टिप्पण में भी ("Annex 4.3 of heaviest rainfalls" → सर्वाधिक वर्षा का अनुलग्नक 4.3; "Annex 4.1 and 4.2" → अनुलग्नक 4.1 और 4.2; परिशिष्ट 3 की तालिका में "Annex 4.2 of the report" → रिपोर्ट का अनुलग्नक 4.2), ताकि वह इस मैनुअल के परिशिष्ट से न टकराए; केवल अंग्रेजी में रखे गए ग्रंथसूची-अंश में Annexure वैसे ही। साझा अध्याय 6 की कुछ पुनः प्रयुक्त पंक्तियों में "Annexure IV" अभी वैसे ही है) — भवन विनियमों की Schedule के लिए अनुसूची († पंक्ति देखें) / Appendix (अंग्रेजी में ही)
Amendment / amended / as amended / compendium	संशोधन / संशोधित / यथा संशोधित / संकलन (compendium)
Definition (in an Act or a regulation) †	परिभाषा (झील अधिनियम की धारा 2(x) की परिभाषा; नगरपालिका अधिनियम की धारा 2)
General Clauses Act, 1897	साधारण खंड अधिनियम, 1897 (General Clauses Act, 1897)

English	हिन्दी
Union territory / Union (body of the Union)	संघ राज्यक्षेत्र (Union territory) / संघ (संघ का निकाय)
Model Rajasthan Building Regulations, 2025 / the Building Regulations 2025 / the building regulations / Model Rajasthan (name of city) Building Regulations, 2025 (building_rules_abbr, building_rules_short) †	**मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025** (आधिकारिक हिन्दी शीर्षक, सत्यापित: विनियमों के हिन्दी पाठ का आवरण पृष्ठ; पुल्लिंग बहुवचन — "भवन विनियम, 2025 अपेक्षा करते हैं"); प्रत्येक अध्याय में पहली बार और संदर्भों में पूरा शीर्षक; अन्यत्र जहाँ अंग्रेजी में वर्ष है ("Building Regulations 2025", "the Model Rajasthan Building Regulations 2025") वहाँ **भवन विनियम, 2025**, जहाँ वर्ष नहीं ("the Building Regulations", "the regulations", "the building regulations" जब इन्हीं का अर्थ हो) वहाँ **भवन विनियम**; "the regulations of 2020 that they repeal" → जिन 2020 के विनियमों को ये निरस्त करते हैं; "Model Rajasthan Urban Area Building Regulations, 2025" (2026 का संशोधन, प्रकाशित खबरों के अनुसार) → मॉडल राजस्थान नगरीय क्षेत्र भवन विनियम, 2025; अकेला "नियम" या "उपविधि" कभी नहीं
Regulation number and sub-clause of the Building Regulations (reg. 8.3; regulation 8.3(ii); regs. 1.2, 4.13, 6.5, 6.6, 8.1–8.6 and 18; reg. 10.11.1; reg. 11.6(v)) / Schedule 2, item 4; Schedule 3, item 8; Schedule 4 / Annexure 4 (JDA 2020) / Table 6 of the regulations / "rule [___] of the building regulations" (Annex 1D) †	**विनियम N**: विनियम 8.3 / विनियम 8.3(ii) / विनियम 1.2, 4.13, 6.5, 6.6, 8.1–8.6 और 18 / विनियम 10.11.1 / विनियम 11.6(v) — उप-खंड के अंक और अक्षर रोमन में ((ii), (iii), (v)); खंड (इस मैनुअल के लिए आरक्षित), नियम, उपविधि, प्रस्तर, धारा या पैरा नहीं / **अनुसूची** (Schedule): अनुसूची 2, मद 4; अनुसूची 3, मद 8; अनुसूची 4; "schedule of environmental conditions" → पर्यावरणीय शर्तों की अनुसूची / अनुलग्नक 4 (Annexure 4, JDA के 2020 के विनियम) / भवन विनियमों की तालिका 6 / परिशिष्ट 1D के आदर्श पाठ में "rule [] **of the building regulations", "These rules may be called ...", "Insertion of a new rule"** → **विनियम []**, "ये विनियम ... कहलाएँगे", "नए विनियम का अंतःस्थापन" (अंग्रेजी rule लिखती है, पर उपकरण भवन विनियम हैं; मध्य प्रदेश के "नियम N" का स्थान)
UDH order No. P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025 of 12 May 2025 / JDA notification No. ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2021/डी-36 / AjDA No. प्राधिकरण/प.10/2020-21/811 †	12 मई 2025 का UDH का आदेश क्रमांक P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025 (आदेश की संख्या के लिए क्रमांक — राज्य के आदेश "क्रमांक" छापते हैं, अंग्रेजी अनुवाद "Serial No."; संख्या के अक्षर, अंक और देवनागरी अंश ठीक वैसे ही जैसे अंग्रेजी में) / JDA की अधिसूचना संख्या ज.वि.प्रा./अति.मु.न.नि./बी.पी.सी.(बीपी)/2021/डी-36 / AjDA की अधिसूचना संख्या प्राधिकरण/प.10/2020-21/811 (राजपत्र अधिसूचनाओं के लिए संख्या, जैसा राजपत्र छापता है) — "read from a third-party copy" → तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया
JDA (Jaipur Region) Building Regulations, 2020 / Jaipur Region Building Regulations, 2020 / Model Rajasthan Building Regulations, 2020 / Model Building Regulations 2020 / "Unified Building Byelaws 2020" †	जयपुर विकास प्राधिकरण (जयपुर रीजन) भवन विनियम, 2020 (राजपत्र में "जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर (जयपुर रीजन भवन) भवन विनियम, 2020"; संक्षेप में JDA के 2020 के विनियम) / मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2020 (हिन्दी शीर्षक देखा नहीं गया; इस मैनुअल का रूप) / "Unified Building Byelaws 2020" केवल उद्धरण में, अंग्रेजी में — "the predecessor text" → पूर्ववर्ती पाठ
Rajasthan Municipalities Act, 2009 (Act 18 of 2009; the Municipalities Act; RMA) †	**राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009** (2009 का अधिनियम संख्यांक 18; हिन्दी शीर्षक सत्यापित: संशोधन विधेयक 2010 और 2011 तथा झील अधिनियम का पाठ "राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18)"); संक्षेप में नगरपालिका अधिनियम ("the Municipalities Act", "the Act" जब इसका अर्थ हो); "RMA s. 68" (तालिकाओं और प्रपत्रों में) → नगरपालिका अधिनियम की धारा 68 — RMA रोमन में नहीं; पुल्लिंग

English	हिन्दी
Sections of the Rajasthan Municipalities Act cited (ss.45, 68(1)(c), 68(1)(d), 68(1)(h), 68(2), 200, 202, 204, 205, 211, 213(1), 213(2), 238(1)–(4), 337) †	धारा 45 (नगरपालिका के कर्तव्य) / धारा 68(1)(c), (d) (संपत्ति का निहित होना: सार्वजनिक तालाब, धाराएँ, जलाशय, हौज और उनकी संलग्न भूमि; सड़कों की सार्वजनिक ड्रेनें और जलमार्ग — "held ... as trustee" → न्यासी के रूप में धारित) / धारा 200 / धारा 202 / धारा 204 (केवल शीर्षक) / धारा 213(2) / धारा 238 (वर्षा जल संचयन; "fine which shall not be less than rupees ten thousand" → "जुर्माना, जो दस हजार रुपये से कम नहीं होगा") / धारा 337 (उपविधि बनाने की शक्ति) — उप-धारा और खंड के अंक और अक्षर रोमन में (68(1)(c)); "ss.200–215" → धारा 200–215; "sub-section (4)" → उपधारा (4)
Rajasthan Urban Improvement Act, 1959 (Act 35 of 1959; the Urban Improvement Act; UIA) / s.73(c) (provision of rain water harvesting) / s.104-A †	**राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959** (1959 का अधिनियम संख्यांक 35; हिन्दी शीर्षक सत्यापित: राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025 और झील अधिनियम का पाठ) / संक्षेप में नगर सुधार अधिनियम / धारा 73(c) ("Provision of Rain Water Harvesting" → "वर्षा जल संचयन का प्रावधान"; विनियमों के उद्धरण के अनुसार, पढ़ा नहीं गया) / धारा 104-A
Jaipur Development Authority Act, 1982 / Jodhpur Development Authority Act, 2009 / Ajmer Development Authority Act, 2013 / Kota and Udaipur Development Authority Acts, 2023 / Bikaner and Bharatpur Development Authority Acts, 2025 / the Acts of the development authorities †	**जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982** (1982 का अधिनियम संख्यांक 25) / **जोधपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2009** (2009 का अधिनियम संख्यांक 2) / **अजमेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013** (2013 का अधिनियम संख्यांक 39) / **कोटा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023** और **उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2023** / **बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2025** और **भरतपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2025** (सभी शीर्षक सत्यापित: राजस्थान विधियां (संशोधन) विधेयक, 2025, India Code की हिन्दी प्रतियों के शीर्षक, झील अधिनियम का पाठ) / विकास प्राधिकरणों के अधिनियम — "s.90 JDA Act" → जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम की धारा 90; "the Jodhpur Act" → जोधपुर का अधिनियम
Rajasthan Lakes (Protection and Development) Authority Act, 2015 (Act No. 5 of 2015; the Lakes Act; the Lakes Act, 2015) / Bill No. 11 of 2015 / Ordinance, 2015 †	**राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अधिनियम, 2015** (2015 का अधिनियम संख्यांक 5; हिन्दी शीर्षक सत्यापित: राजस्थान राजपत्र विशेषांक, 27 मार्च 2015, भाग 4(क)); संक्षेप में **झील अधिनियम** ("the Lakes Act, 2015" → झील अधिनियम, 2015); पुल्लिंग / 2015 का विधेयक संख्या 11 ("as read from the Bill" → विधेयक के पाठ के अनुसार; "the enacted text not having been read" → अधिनियमित पाठ पढ़ा नहीं गया) / अध्यादेश, 2015 — "deemed in force from 25 January 2015" → 25 जनवरी 2015 से प्रवृत्त समझा गया
Rajasthan Lakes Development Authority (the Lakes Development Authority; the Authority of the Lakes Act) †	राजस्थान झील विकास प्राधिकरण (अधिनियम की धारा 2(i) और 8 का नाम, सत्यापित; पुल्लिंग; संक्षेप में झील विकास प्राधिकरण) — जहाँ अंग्रेजी का "the Authority" इसका अर्थ देता है वहाँ झील विकास प्राधिकरण लिखें, ताकि वह अनुमोदन प्राधिकारी न पढ़ा जाए
Rajasthan Ground Water (Conservation and Management) Authority Act, 2024 (Act No. 20 of 2025) †	**राजस्थान भू-जल (संरक्षण और प्रबंध) प्राधिकरण अधिनियम, 2024** (2025 का अधिनियम संख्यांक 20; हिन्दी शीर्षक सत्यापित: राजस्थान राजपत्र विशेषांक, 8 अक्तूबर 2025) — "comes into force only on a date the State notifies, and no such notification was found" → राज्य द्वारा अधिसूचित तिथि से ही प्रवृत्त होगा, और ऐसी कोई अधिसूचना नहीं मिली; शीर्षक में भू-जल (हाइफन सहित), चालू पाठ में साझा भूजल

English	हिन्दी
Rajasthan Tenancy Act, 1955 (s.16) / khatedari (rights) / pasture land / tank-bed land / Rajasthan Land Revenue Act, 1956 / Rajasthan Land Revenue (Allotment of Tank-bed Lands for Cultivation) Rules, 1961 †	**राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955** (1955 का अधिनियम संख्यांक 3; हिन्दी शीर्षक राज्य के प्रयोग और India Code की हिन्दी प्रति के अनुसार; धारा 16 — "as quoted by the Supreme Court" → उच्चतम न्यायालय द्वारा उद्धृत रूप में) / खातेदारी अधिकार (khatedari rights; "No khatedari rights accrue" → खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं होते) / चरागाह भूमि (pasture land) / तालाब-तल की भूमि (tank-bed land) / **राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956** (1956 का अधिनियम संख्यांक 15; राज्य के प्रयोग का शीर्षक; पढ़ा नहीं गया) / राजस्थान भू-राजस्व (खेती के लिए तालाब-तल भूमि का आवंटन) नियम, 1961 (इस मैनुअल का अनुवाद; हिन्दी शीर्षक नहीं देखा गया; "titles only; not read" → केवल शीर्षक; पढ़े नहीं गए)
Rajasthan Panchayati Raj Act, 1994 / Rajasthan River Basin and Water Resources Planning Act, 2015 / Rajasthan River Basin and Water Resources Planning Authority / Disaster Management Act, 2005 †	राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम संख्यांक 13) / राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना अधिनियम, 2015 (2015 का अधिनियम संख्यांक 15; सत्यापित) / राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना प्राधिकरण (सत्यापित; उच्चतम न्यायालय के उद्धरण "largely defunct" → "लगभग निष्क्रिय") / आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005
Rajasthan Act numbers (Act 18 of 2009; Act 35 of 1959; Act 25 of 1982; Act No. 5 of 2015; Act No. 20 of 2025) †	2009 का अधिनियम संख्यांक 18 / 1959 का अधिनियम संख्यांक 35 / 1982 का अधिनियम संख्यांक 25 / 2015 का अधिनियम संख्यांक 5 / 2025 का अधिनियम संख्यांक 20 — राजस्थान के अधिनियमों के शीर्ष पर छपा रूप ("(2015 का अधिनियम संख्यांक 5)", सत्यापित); मध्य प्रदेश का "क्रमांक ... सन्" नहीं; केंद्रीय अधिनियम साझा रूप में (2021 का अधिनियम संख्या 41)
Quotations from the Building Regulations 2025 and the JDA regulations of 2020 (read in Hindi) †	भवन विनियमों का हिन्दी पाठ पढ़ा गया है (तृतीय-पक्ष प्रति से), इसलिए जहाँ अंग्रेजी विनियमों का हिन्दी अंश देवनागरी में उद्धृत करती है ("झील संरक्षित क्षेत्र", "पानी के निर्बाध बहाव", "मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025", "जल भराव क्षेत्र") वहाँ वह अंश हूबहू; जहाँ अंग्रेजी विनियमों का अंग्रेजी अनुवाद देती है ("natural drainage inlet and outlet points to be kept as is") वहाँ इस मैनुअल का हिन्दी अनुवाद उद्धरण-चिह्नों में और अंग्रेजी कोष्ठक में (विनियमों के मूल हिन्दी शब्दों की नकल करने का प्रयास नहीं)
Rainwater harvesting of the Building Regulations: RWH unit or structure / rooftop rainwater storage tank with a filter / refundable deposit / satisfactory-operation (functionality) report / waterlogged areas exempt / recharge bore / unpaved area †	वर्षा जल संचयन इकाई या संरचना / फिल्टर सहित छत पर वर्षा जल भंडारण टैंक (rooftop rainwater storage tank with a filter) / वापसी योग्य धरोहर राशि (refundable deposit; "₹50,000 to ₹5 lakh" → ₹50,000 से ₹5 लाख) / सुचारु संचालन रिपोर्ट (report that the structure works; "functionality report" → सुचारु संचालन रिपोर्ट) / जलभराव वाले क्षेत्र छूट-प्राप्त ("areas that a local body marks as waterlogged are exempt" → जिन क्षेत्रों को स्थानीय निकाय जलभराव वाले क्षेत्र चिह्नित करे, वे छूट-प्राप्त हैं; विनियमों का अपना शब्द "जल भराव क्षेत्र" केवल उद्धरण में) / पुनर्भरण बोर (recharge bore; "one recharge bore per 5,000 m²" → प्रति 5,000 m² एक पुनर्भरण बोर) / बिना पक्का क्षेत्र (unpaved area; "at least 20% of the open space unpaved" → खुले स्थान का कम से कम 20% बिना पक्का)
Model Building Bye-Laws 2016 (MBBL)	आदर्श भवन उपविधियाँ, 2016 (MBBL)
Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017	आर्द्रभूमि (संरक्षण और प्रबंधन) नियम, 2017
Disaster Management Act, 2005 / Dam Safety Act, 2021	आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 / बाँध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (Dam Safety Act, 2021)
Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013	हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013

English	हिन्दी
Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974	जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974
Official Languages Act, 1963	राजभाषा अधिनियम, 1963
State and district control rooms / Chief Minister / CWC flood bulletins / forecasting site (CWC) †	राज्य और जिला नियंत्रण कक्ष ("run round the clock from 15 June" → 15 जून से चौबीसों घंटे चलते हैं) / मुख्यमंत्री ("the Chief Minister was reported to have directed that all drains be cleaned" → मुख्यमंत्री द्वारा सभी ड्रेनों की सफाई का निर्देश दिए जाने की खबर है) / CWC के बाढ़ बुलेटिन ("Daily Flood Situation Summary", "Bulletin No." अंग्रेजी में) / बाढ़ पूर्वानुमान स्थल (forecasting site)
RSDMA / State Disaster Management Plan (2014) / urban flood plan of RSDMA (none found) / SOP / District Disaster Management Authorities †	राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (RSDMA; पुल्लिंग) / राज्य आपदा प्रबंधन योजना (2014) / RSDMA की शहरी बाढ़ योजना (नहीं मिली) / SOP (मानक संचालन प्रक्रिया) / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण — "RSDMA alerts" → RSDMA की चेतावनियाँ; "IMD or RSDMA red alert" → IMD या RSDMA का रेड अलर्ट
District Disaster Management Plan	जिला आपदा प्रबंधन योजना
Smart Cities Mission / Smart City companies / AMRUT / Mukhya Mantri Jal Swavlamban Abhiyan / Amrit Sarovar mission †	स्मार्ट सिटी मिशन / स्मार्ट सिटी कंपनियाँ / अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) / मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान ("more than 3.8 lakh structures in three phases" → तीन चरणों में 3.8 लाख से अधिक संरचनाएँ) / अमृत सरोवर मिशन
Model Flood Plain Zoning Bill / flood plain zoning Act	आदर्श बाढ़ मैदान जोनिंग विधेयक (Model Flood Plain Zoning Bill) / बाढ़ मैदान जोनिंग अधिनियम
State Water Policy / State Action Plan on Climate Change	राज्य जल नीति / जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना
CRZ Notification 2011 / 2019	CRZ अधिसूचना, 2011 / 2019 (तटीय; राजस्थान में लागू नहीं)
Building permit / layout approval / NOC	भवन अनुमति / लेआउट अनुमोदन / अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC)
Layout / sub-division / landscape plan	लेआउट (layout) / उप-विभाजन / लैंडस्केप योजना
Completion certificate / occupancy certificate	समापन प्रमाण-पत्र / अधिभोग प्रमाण-पत्र
Floor area ratio (FAR) / covered area / plinth area / basement	तल क्षेत्र अनुपात (FAR) / आच्छादित क्षेत्र / प्लिंथ क्षेत्र / तहखाना (basement) — दिल्ली, UP, बिहार और मध्य प्रदेश संस्करणों का साझा रूप; † **राजस्थान संस्करण में सर्वत्र बेसमेंट** (नीचे की † पंक्ति देखें)
Localities and places of the cities named in the Manual †	जयपुर: सांगानेर (Sanganer; IMD वेधशाला हवाई अड्डे पर, और द्रव्यवती पर पुराना कस्बा), सीतापुरा (सांगानेर–सीतापुरा औद्योगिक पट्टी), विश्वकर्मा औद्योगिक क्षेत्र, नाहरगढ़ की पहाड़ियाँ, खातीपुरा, टोंक रोड, रामबाग, सोडाला, अंबावाड़ी, जल महल, परकोटा (walled city); जोधपुर: पुराना शहर, काकाणी औद्योगिक क्षेत्र, माता का थान, रानीसर; अजमेर: हाथी भाटा, ब्रह्मपुरी, शिवपुरी, JLN अस्पताल, चौपाटी, नाला बाजार, दरगाह; कोटा: नयापुरा, बालिता, गावंडी; उदयपुर: राजश्री कॉलोनी (Rajshree colony) — अनिश्चित वर्तनी वाले नामों के साथ प्रत्येक अध्याय में पहली बार रोमन कोष्ठक
Watertight (walls and floor of a basement)	जलरोधी (watertight)
Public work / works / detailed project report (DPR) / tender / estimate	लोक निर्माण कार्य / कार्य / विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) / निविदा / प्राक्कलन
Department (Government) / Division / Circle / Sub-division (office)	विभाग / मंडल (Division) / परिमंडल (Circle) / उपमंडल

English	हिन्दी
Government of Rajasthan †	**राजस्थान सरकार** (राज्य के आदेशों और अधिसूचनाओं के शीर्ष का रूप, जैसे "राजस्थान सरकार, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग"; स्त्रीलिंग: "राजस्थान सरकार ने अंगीकार नहीं किया है", "राजस्थान सरकार की अधिसूचना") — राजस्थान शासन नहीं, मध्यप्रदेश शासन जैसा रूप नहीं
Rajasthan (as a place, in the Manual's title and in official names) / Rajasthani †	राजस्थान — एक शब्द, स्थान, इस मैनुअल के शीर्षक (राजस्थान वर्षा जल निकासी डिजाइन मैनुअल) और सभी आधिकारिक नामों में एक ही रूप (राजस्थान सरकार, राजस्थान राजपत्र, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009, राजस्थान उच्च न्यायालय); राज. जैसा संक्षेप कभी नहीं; RJ-Z1 ... RJ-I और RIICO, RSPCB, RSDMA, RUIDP रोमन में / राजस्थानी (Rajasthani: भाषा और शब्द — "Hindi and Rajasthani terms" → हिन्दी और राजस्थानी शब्द)
Government of India / State Government	भारत सरकार / राज्य सरकार
Chief Secretary / Secretary (of a Department)	मुख्य सचिव / सचिव
Water Resources Department (WRD; Jal Sansadhan Vibhag) / WRD division / District Environment Committees †	जल संसाधन विभाग (WRD; पुल्लिंग) — "WRD division", "WRD (division)" → WRD मंडल (साझा शब्द मंडल; मध्य प्रदेश का संभाग नहीं, और खंड नहीं, जो इस मैनुअल के खंडों के लिए आरक्षित है) / जिला पर्यावरण समितियाँ (District Environment Committees) — "WRD's" → WRD का / की / के
River Commission or River Rejuvenation Authority (directed by the Supreme Court) / Chief Secretary / Integrated Coordination Group †	नदी आयोग या नदी पुनरुद्धार प्राधिकरण (River Commission or River Rejuvenation Authority; इस मैनुअल का अनुवाद; "to be constituted under the Chief Secretary" → मुख्य सचिव के अधीन गठित किया जाना है; "its constitution was not found" → उसका गठन नहीं मिला) / मुख्य सचिव (Chief Secretary) / एकीकृत समन्वय समूह
Public Works Department (PWD) / Public Health Engineering Department (PHED) / Indian Railways / NHAI †	सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD; राजस्थान का नाम) / जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED; राजस्थान का नाम, राज्य के प्रयोग के अनुसार; लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (मध्य प्रदेश) नहीं) / भारतीय रेल / NHAI
Local Self Government Department (LSG) / Directorate of Local Bodies (DLB) †	स्वायत्त शासन विभाग (LSG; पुल्लिंग; राज्य और CAG के हिन्दी प्रयोग का नाम) / स्थानीय निकाय निदेशालय (DLB; पुल्लिंग; राज्य "निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग" भी लिखता है — आधिकारिक रूप सत्यापित नहीं, इसलिए प्रत्येक अध्याय में पहली बार अंग्रेजी कोष्ठक में) — "LSG/DLB" → LSG/DLB; "the LSG Department" → स्वायत्त शासन विभाग
Revenue Department / Collector / tehsil / Tehsildar / tehsil office / district administration / Gram Panchayat / Panchayat †	राजस्व विभाग / **कलक्टर** (Collector; राजस्थान की वर्तनी, जैसे "जिला कलक्टर" — कलेक्टर (मध्य प्रदेश), समाहर्त्ता (बिहार) या जिलाधिकारी (UP) नहीं; "the Collectors" → कलक्टर) / तहसील (tehsil; स्त्रीलिंग) / तहसीलदार / तहसील कार्यालय / जिला प्रशासन / ग्राम पंचायत / पंचायत ("the Panchayat that manages the tank" → तालाब का प्रबंधन करने वाली पंचायत)
Rajasthan Department of Agriculture (soil survey) / State Forest Department / Directorate of Environment †	राजस्थान का कृषि विभाग (मृदा सर्वेक्षण) / राज्य का वन विभाग / पर्यावरण निदेशक
Assessment unit (CGWB; no administrative block is named) †	आकलन इकाई (assessment unit; "214 of its 302 assessment units" → उसकी 302 आकलन इकाइयों में से 214) — राजस्थान की अंग्रेजी कोई प्रशासनिक block नहीं देती; यदि कहीं आए तो ब्लॉक (block), विकासखंड या प्रखंड नहीं

English	हिन्दी
Rajasthan State Pollution Control Board (RSPCB) †	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल (RSPCB; पुल्लिंग — राज्य के प्रयोग का नाम "मण्डल", अनुस्वार से मंडल; बोर्ड नहीं, पर्षद नहीं) — "as RSPCB directs" → जैसा RSPCB निर्देश दे
Rajasthan State Disaster Management Authority (RSDMA) / District Disaster Management Authority †	राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (RSDMA; पुल्लिंग) / जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
Rajasthan State Wetland Authority (the State Wetland Authority; the wetland authority) †	राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण (पुल्लिंग; इस मैनुअल का रूप, नाम के पैटर्न पर — हिन्दी नाम सत्यापित नहीं) — "the State Wetland Authority", "the wetland authority" → आर्द्रभूमि प्राधिकरण, ताकि वह अनुमोदन प्राधिकारी न पढ़ा जाए; "reported to have been constituted in 2019 and reconstituted in 2020" → 2019 में गठित और 2020 में पुनर्गठित बताया गया
CAZRI / NBSS&LUP / NIH / NEERI / MNIT Jaipur / IIT Jodhpur / NRSC †	केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI), जोधपुर / राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (NBSS&LUP) / राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (NIH), रुड़की / NEERI / MNIT जयपुर / IIT जोधपुर / NRSC — संक्षिप्त रूप रोमन में
Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA) / Ministry of Urban Development (MoUD, former)	आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA) / शहरी विकास मंत्रालय (MoUD, पूर्ववर्ती)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEF&CC)	पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC)
Central Water Commission (CWC)	केंद्रीय जल आयोग (CWC)
Central Ground Water Board (CGWB) / Central Ground Water Authority (CGWA)	केंद्रीय भूमि जल बोर्ड (CGWB) / केंद्रीय भूमि जल प्राधिकरण (CGWA)
India Meteorological Department (IMD) / Meteorological Centre Jaipur / Climate of Rajasthan (IMD, 2010) †	भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) / मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर (चालू पाठ में; संदर्भों में Meteorological Centre Jaipur) / *Climate of Rajasthan* (शीर्षक अंग्रेजी में, इटैलिक)
National Institute of Hydrology (NIH), Roorkee	राष्ट्रीय जलविज्ञान संस्थान (NIH), रुड़की
National Disaster Management Authority (NDMA)	राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA)
National Green Tribunal (NGT)	राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT)
Comptroller and Auditor General of India (CAG)	भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG)
Central Public Health and Environmental Engineering Organisation (CPHEEO)	केंद्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण अभियांत्रिकी संगठन (CPHEEO)
Indian Roads Congress (IRC)	इंडियन रोड्स कांग्रेस (IRC)
Survey of India (SoI) / National Hydrographic Office (NHO) / ISRO	भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SoI) / राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय (NHO) / ISRO
No coast / landlocked / neighbouring States †	"Rajasthan has no coast and no tidal reach" → राजस्थान का कोई तट और कोई ज्वारीय नदी-भाग नहीं है; भू-आबद्ध (landlocked) / पड़ोसी: मध्य प्रदेश (चंबल के डैम; "the Jabalpur Development Authority, which the Madhya Pradesh edition calls JDA" → जबलपुर विकास प्राधिकरण, जिसे मध्य प्रदेश संस्करण JDA कहता है), हरियाणा, दिल्ली (साहिबी)

English	हिन्दी
NHAI / IIT Roorkee / ICAR / NBSS&LUP	NHAI / IIT रुड़की / ICAR / NBSS&LUP
ADB / CSE / AMRUT / URDPFI / APWA / PUB / MSMA / CIRIA	संक्षिप्त रूप वैसे ही; CSE = विज्ञान और पर्यावरण केंद्र (Centre for Science and Environment); AMRUT = अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन
Supreme Court / High Court / Tribunal	उच्चतम न्यायालय / उच्च न्यायालय / अधिकरण (राजस्थान उच्च न्यायालय और NGT की केंद्रीय क्षेत्र पीठ: † पंक्ति देखें)
Bench (of a court)	पीठ
Judgment / order / direction / PIL / writ petition (W.P.(C)) / original application (O.A.) / execution application (E.A.) / contempt / affidavit / compliance report / status report	निर्णय / आदेश / निर्देश / जनहित याचिका / रिट याचिका (W.P.(C)) / मूल आवेदन (O.A.) / निष्पादन आवेदन (E.A.) / अवमानना / शपथ-पत्र / अनुपालन रिपोर्ट / स्थिति रिपोर्ट
Police complaint	पुलिस शिकायत
Performance audit / audit / CAG report	निष्पादन लेखापरीक्षा / लेखापरीक्षा / CAG की रिपोर्ट
Custodian (of a waterbody)	अभिरक्षक (custodian)
Revenue records / survey number / village / tehsil / district	राजस्व अभिलेख / सर्वे संख्या (survey number) / गाँव (राजस्व ग्राम) / तहसील (tehsil) / जिला
Recorded talab / public tank (Rajasthan Municipalities Act, s.68) / vest (in the Municipality as trustee) †	अभिलिखित तालाब (recorded talab; इस मैनुअल की परिभाषा — तालाब, जोहड़, नाडी, सागर या झील जो राजस्व अभिलेख, नगरपालिका के अभिलेख, मास्टर विकास योजना, झील अधिनियम के अभिलेख या अधिसूचना, आर्द्रभूमि प्राधिकरण की सूची या न्यायालय के निर्देश पर हुए सर्वेक्षण में दर्ज हो) / सार्वजनिक तालाब (public tank; धारा 68) / (नगरपालिका में न्यासी के रूप में) निहित होना (vest; "vest as trustee" → न्यासी के रूप में निहित होते हैं)
Gram Panchayat / tank registers †	ग्राम पंचायत / तालाब रजिस्टर (tank registers; "WRD and Gram Panchayat tank registers" → WRD और ग्राम पंचायत के तालाब रजिस्टर)
Colony / old city / walled city / colonies on catchments and nalas †	कॉलोनी / पुराना शहर (old city) / परकोटा (walled city; जयपुर; तिर्यक परकोटे: "the walled-city Ganda nala" → परकोटे (walled city) का गंदा नाला; "the walled city of Jaipur" → जयपुर का परकोटा, "in the walled city of Jaipur" → जयपुर के परकोटे में; "walled cities" → परकोटे (walled cities); चारदीवारी = boundary wall, कभी walled city नहीं) — "new colonies on catchments and nalas" → जलग्रहण क्षेत्रों और नालों पर बसी नई कॉलोनियाँ; "low-lying colonies" → निचली कॉलोनियाँ
Acre / hectare (ha)	एकड़ / हेक्टेयर (ha)
Map / plan (drawing) / plan (scheme)	मानचित्र / नक्शा (drawing) / योजना (scheme) — पूरा नियम नीचे "Plan" की पंक्तियों में
Waterbody	जलाशय (waterbody) — चालू पाठ में waterbody के लिए सदा जलाशय; झील अधिनियम का "water body" (झील की परिभाषा में) उद्धरण में जलराशि, जैसा अधिनियम का हिन्दी पाठ लिखता है († पंक्ति देखें)
Marsh / swamp / wetland / mudflat	दलदल (marsh) / दलदली भूमि (swamp) / आर्द्रभूमि (wetland) / कीचड़ वाला मैदान (mudflat)
Floodplain wetland / depression (land)	डूब क्षेत्र की आर्द्रभूमि / निचला गड्ढा (depression)

English	हिन्दी
Ramsar sites of Rajasthan: Keoladeo National Park (1981), Sambhar Lake (1990), Khichan and Menar (4 June 2025) †	केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान (Keoladeo National Park; भरतपुर; 1981; लगभग 2,873 ha) / सांभर झील (Sambhar Lake; खारी झील; 1990; लगभग 24,000 ha) / खीचन (Khichan; फलोदी) / मेनार (Menar; उदयपुर) — दोनों 4 जून 2025 को नामित; "whose reported areas conflict" → जिनके बताए गए क्षेत्रफल परस्पर विरोधी हैं; रामसर स्थल (पुल्लिंग: "रामसर स्थल नामित किया गया")
Gair mumkin nala, nadi or talab / revenue record class / khasra map †	गैर मुमकिन नाला, नदी या तालाब (gair mumkin: "not possible", अर्थात् खेती योग्य नहीं — राजस्व अभिलेख में भूमि की श्रेणी; गैर पर नुक्ता नहीं; "land recorded as gair mumkin nala" → गैर मुमकिन नाला के रूप में दर्ज भूमि) — **इस राजस्व पद में nadi = नदी**, क्योंकि अंग्रेजी का सामने का भाग इसे ऐसे ही परिभाषित करता है ("gair mumkin nadi (नदी, a river)"); अध्याय 7 की परिभाषा ("land that is a nala, a nadi or a talab" → जो भूमि नाला, नदी या तालाब है), तालिका 7E.3 और CUSTODIAN सूची में भी गैर मुमकिन नदी; अंग्रेजी यहाँ एकरूप नहीं है ("Recorded talab" की परिभाषा "gair mumkin talab or nadi" को तालाबों में गिनती है), इसलिए अनुवादक इसकी सूचना दें; पद के बाहर अकेला nadi (तालाब) सदा नाडी — **नियम (संगति जाँच)**: जहाँ अंग्रेजी कहती है कि talabs, johads और nadis "are entered as gair mumkin talab, nadi or nala" (अध्याय 7 पंक्ति 28 और 103, परिशिष्ट 7 पंक्ति 13), वहाँ सूची अंग्रेजी के क्रम में ज्यों की त्यों (गैर मुमकिन तालाब, नदी या नाला) और तालाब-संज्ञाएँ नाडी ("तालाब, नाडियाँ (nadi) और नाले ... गैर मुमकिन तालाब, नदी (river) या नाला के रूप में दर्ज"); "nalas, nadis and talabs recorded as gair mumkin", "tanks, nalas, nadis ... recorded as gair mumkin land" (राजस्व पद नहीं, संज्ञाएँ) → नाले, नाडियाँ (nadi) और तालाब / उच्च न्यायालय के उद्धरण "A 'Gair Mumkin Nala' constitutes a natural drainage and water flow channel" → "'गैर मुमकिन नाला' एक प्राकृतिक जल निकासी और जल प्रवाह चैनल है" (अंग्रेजी कोष्ठक में) / अभिलेख की श्रेणी (record class) / खसरा नक्शा (khasra map; "the revenue (khasra) map" → राजस्व (खसरा) नक्शा)
Nala / nali (Rajasthan terms in running text) †	नाला (nala; बहुवचन नाले, तिर्यक नालों) / नाली (nali: छोटी गली या घर की ड्रेन; स्त्रीलिंग; केवल जहाँ अंग्रेजी nali लिखती है)
Soils of Rajasthan: dune sands / hummocky-plain sands / calcrete (kankar) / petrocalcic pan / gypsum layer / saline depressions / grey-brown desert soils / Aravalli rock / alluvium / black soils of Hadoti (vertisols) / black cotton soils / red loams †	टीलों की रेत (dune sands) / ऊबड़-खाबड़ रेतीले मैदान की रेत (hummocky-plain sands) / कैल्क्रीट (calcrete; कंकड़ — "a calcrete (kankar) pan" → कैल्क्रीट (कंकड़) की परत; "calcrete-capped desert soils" → कैल्क्रीट से ढकी मरुस्थलीय मिट्टी) / पेट्रोकैल्सिक परत (petrocalcic pan) / जिप्सम की परत / लवणीय गर्त (saline depressions) / धूसर-भूरी मरुस्थलीय मिट्टी (grey-brown desert soils) / अरावली की चट्टान / जलोढ़ (alluvium) / हाड़ौती की काली मिट्टी (black soils of Hadoti; मध्यम और गहरी काली मिट्टी, वर्टिसोल (vertisols)) / काली कपास मिट्टी (black cotton soils; केवल जहाँ अंग्रेजी यह शब्द देती है — अध्याय 8 और परिशिष्ट 8 का प्रपत्र) / लाल दोमट (red loams) — मृदा-वर्गीकरण के नाम (Typic Torripsamments, Aridisols, Entisols, Cambids, Calcids) रोमन में; "once its cracks close" → दरारें बंद हो जाने के बाद

English	हिन्दी
Dune / interdunal depression / playa / salt lake / inland depression / inland drainage / no-outfall catchment / 72-hour design volume †	टीला (dune; रेत का टीला) / टीलों के बीच का गर्त (interdunal depression; "in the interdunal depressions" → टीलों के बीच के गर्तों में) / प्लाया (playa) / खारी झील (salt lake) / अंतःस्थलीय गर्त (inland depression) / अंतःस्थलीय जल निकासी (inland drainage) / **बिना आउटफॉल वाला** (no-outfall: "no-outfall catchment" → बिना आउटफॉल वाला जलग्रहण क्षेत्र; "no-outfall site" → बिना आउटफॉल वाली साइट; "where there is no outfall" → जहाँ कोई आउटफॉल नहीं है; "no defined outfall" → कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं; "Sites and catchments with no defined outfall" (खंड 4.12.7 का शीर्षक) → ऐसी साइटें और जलग्रहण क्षेत्र जिनका कोई निर्धारित आउटफॉल नहीं है (खंड 2.3.6(i) के लेबल की तरह) — "बिना निर्धारित आउटफॉल वाली" नहीं; "निकास" नहीं, क्योंकि निकास दर = release rate) / **72-घंटे का डिजाइन आयतन** (72-hour design volume; पुल्लिंग; "the 72-hour design volume shall be stored on site" → 72-घंटे का डिजाइन आयतन साइट पर भंडारित किया जाएगा; "72-h volume" (चित्र) → 72-घंटे का आयतन)
Bandh (dam or embankment) †	बाँध (bandh: Platts "... embankment; dam"; तालाब, जोहड़ या खड़ीन का बाँध = tank bund) — "bund (bandh)" → बाँध (bandh); नाम वाले बाँधों में बाँध (रामगढ़ बाँध, जवाई बाँध, अजान बाँध (Ajan bund)); संरचना के अर्थ में dam → डैम
Eco-cultural asset / protected monument	पर्यावरण-सांस्कृतिक धरोहर (eco-cultural asset) / संरक्षित स्मारक
Water-sensitive urban design (WSUD)	जल-संवेदी शहरी डिजाइन (WSUD)
Zero discharge / zero run-off	शून्य निस्सरण (zero discharge) / शून्य अपवाह (zero run-off)
Aquaculture pond / fishery	मत्स्य पालन तालाब / मत्स्य क्षेत्र
River / stream / streamlet	नदी / धारा (stream) / छोटी धारा
Water course	जलमार्ग (water course)
Abandoned quarry / mine pit / borrow pit	परित्यक्त खदान (abandoned quarry) / खदान का गड्ढा / मिट्टी निकालने का गड्ढा (borrow pit)
Reservoir margin	जलाशय का किनारा
Filled-up tank	भरा जा चुका तालाब (filled-up tank)
Backwater (river, below a barrage)	पश्चजल (backwater)
Open well / tube well / borewell	खुला कुआँ / नलकूप (tube well) / बोरवेल
Natural levee	प्राकृतिक तटबंध (natural levee)
High flood level (HFL) / high flood level (without the abbreviation) / mean high flood level / "normal high flood level"	उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) — "high flood level" का अर्थ HFL ही है, इसलिए वह भी सदा उच्चतम बाढ़ स्तर ("उच्च बाढ़ स्तर" नहीं) / औसत उच्च बाढ़ स्तर (mean high flood level, आर्द्रभूमि नियम) / "सामान्य उच्च बाढ़ स्तर" ("normal high flood level", केवल उद्धरण में)
Danger level / warning level / evacuation level	खतरे का स्तर (danger level) / चेतावनी स्तर (warning level) / निष्क्रमण स्तर (evacuation level; "जल निकासी" से अलग)

English	हिन्दी
River gauges and flood forecasting sites named in the Manual (CWC) †	चंबल: कोटा सिटी (Kota City; CWC गेज, कोटा बैराज नहीं), धौलपुर; बनास: टोंक, बरनवाड़ा (Baranwada); लूणी: बालोतरा; पश्चिमी बनास: आबू रोड; गंभीरी: चित्तौड़गढ़ — CWC तालिकाओं, IMD केंद्र-संख्या वाली सूचियों (जैसे खंड 2.3.6(e)), उद्धरणों और "Records:" सूचियों में स्थल नाम रोमन में, चालू पाठ में और परिशिष्ट 5B जैसी वर्णनात्मक तालिकाओं के हिन्दी कक्षों में देवनागरी, प्रत्येक अनुभाग में पहली बार रोमन कोष्ठक में (कोटा सिटी (Kota City)) — संगति जाँच में सभी फाइलें इसी नियम पर पाई गईं; "the Chambal at Kota City" → कोटा सिटी (Kota City) पर चंबल; "danger level 242 m, highest flood level 248.68 m" → खतरे का स्तर 242 m, उच्चतम बाढ़ स्तर 248.68 m
Displaced (people) / evacuation	विस्थापित / निष्क्रमण
Gauges of the city lakes (gauge feet) †	पिछोला, फतह सागर, उदय सागर और आना सागर के गेज (गेज फुट में; "on gauges whose zero has not been found" → ऐसे गेजों पर जिनका शून्य नहीं मिला)
Rivers named in the Manual †	चंबल, बनास, पश्चिमी बनास (West Banas), लूणी (Luni), जोजरी (Jojari; Jojri भी), बाँडी (Bandi), माही, घग्घर (Ghaggar), द्रव्यवती (Dravyavati; अमानीशाह नाला), ढूँढ (Dhund), मोरेल (Morel), आयड़ (Ayad; Ahar → आहड़), बेड़च (Berach), गंभीरी (Gambhiri), गंभीर (Gambhir), बाणगंगा (Banganga), साहिबी (Sahibi), रूपारेल (Ruparel), कालीसिंध (Kalisindh), पार्वती (Parbati), परवन (Parwan), चंद्रलोही (Chandralohi), साबरमती (केवल CWC उप-क्षेत्र 3(a) के नाम में), यमुना ("the Yamuna side" → यमुना की ओर); मीठड़ी (Mithri; वर्तनी सत्यापित नहीं, रोमन कोष्ठक सहित) — नदियाँ स्त्रीलिंग ("चंबल चढ़ी", "जोजरी में सीवेज"); "river of Jaipur" → जयपुर की नदी
Nalas and drains named in the Manual †	जयपुर: द्रव्यवती (अमानीशाह नाला; Amanisha भी), नाहरिका (Naharika), अंबाबाड़ी (Ambabari), गंदा नाला (Ganda nala; नाम, अनुवाद नहीं), जवाहर (Jawahar), ब्रह्मपुरी और नागतलाई (Nagtalai) नाले; जोधपुर: भैरव (Bhairav) नाला, RTO नाला, माता का थान (Mata ki Than) ड्रेन; अजमेर: आना सागर का एस्केप चैनल — अनिश्चित वर्तनी वाले नामों के साथ प्रत्येक अध्याय में पहली बार रोमन कोष्ठक
Ramsar sites and wetlands named in the Manual †	केवलादेव, सांभर, खीचन, मेनार (ऊपर देखें); आना सागर (आर्द्रभूमि के रूप में अधिसूचना लंबित, प्रकाशित खबरों के अनुसार); सिलीसेढ़ (Siliserh; सूचियों में, असत्यापित)
Tanks and lakes named in the Manual †	उदयपुर: पिछोला (Pichola), स्वरूप सागर (Swaroop Sagar), फतह सागर (Fateh Sagar; Fatah Sagar भी), बड़ा मदार (Bada Madar; वर्तनी सत्यापित नहीं, रोमन कोष्ठक सहित), उदय सागर (Udai Sagar; Udaisagar भी); अजमेर: आना सागर (Ana Sagar); जयपुर: मान सागर (Man Sagar; जल महल), रामगढ़ बाँध; जोधपुर: कायलाना (Kailana), तख्त सागर (Takhat Sagar); पुष्कर सरोवर (Pushkar Sarovar); माउंट आबू: नक्की झील (Nakki) — नाम में सागर अलग शब्द
Regions of the State †	थार (Thar), मारवाड़ (Marwar; जोधपुर और लूणी बेसिन), शेखावाटी (Shekhawati; सीकर, झुंझुनूँ, चूरू), ढूँढाड़ (Dhundhar; जयपुर), मेवात (Mewat) और ब्रज (Braj; उत्तर-पूर्व, अलवर और भरतपुर), हाड़ौती (Hadoti; दक्षिण-पूर्व, कोटा, बूंदी, बाराँ, झालावाड़), मेवाड़ (Mewar; उदयपुर और चित्तौड़गढ़), वागड़ (Vagad; दक्षिण, बाँसवाड़ा और डूंगरपुर), अरावली (Aravalli; "the Aravallis" → अरावली की पहाड़ियाँ), आबू की पहाड़ियाँ, घग्घर–नहर के मैदान (Ghaggar–canal plains), कच्छ का रण ("the marshy land in 'Runn of Kutch'" उद्धरण में → "'कच्छ के रण' की दलदली भूमि") — "The names describe regions, not administrative units" → ये नाम क्षेत्रों के हैं, प्रशासनिक इकाइयों के नहीं; बोलियाँ: मारवाड़ी, ढूँढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी

English	हिन्दी
Cities, towns and districts named in the Manual †	जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, अजमेर, कोटा, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar; Sriganganagar, Ganganagar भी), हनुमानगढ़, धौलपुर, टोंक, अलवर, भरतपुर, सीकर, झुंझुनूँ, चूरू, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही, माउंट आबू, आबू रोड, पिंडवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, प्रतापगढ़, बाँसवाड़ा, डूंगरपुर, बूंदी, बाराँ, झालावाड़, झालरापाटन, सवाई माधोपुर, करौली, दौसा, बालोतरा, फलोदी, डीडवाना-कुचामन, पोकरण (Pokaran), साँचोर (Sanchore), किशनगढ़, ब्यावर, नसीराबाद, केकड़ी, फुलेरा, दूदू, पुष्कर, भिवाड़ी, बहरोड़, डीग, अनूपगढ़, सूरतगढ़, रावतभाटा, नैनवाँ, कानोता, सम (Sam; जैसलमेर जिला), कवास (Kawas; बाड़मेर), लालसोट, आमेर — वर्तनी: अनुस्वार और चंद्रबिंदु के साझा नियम के अनुसार (झुंझुनूँ, बाराँ, बाँसवाड़ा, साँचोर; बूंदी, डूंगरपुर, सांभर, सांगानेर में अनुस्वार), ड़ और ढ़ सदा; "north Nagaur", "west Bikaner" → उत्तरी नागौर, पश्चिमी बीकानेर
IMD observatories and stations in Rajasthan †	Jaipur (Sanganer) (हवाई अड्डे की वेधशाला; इस मैनुअल में Jaipur (Sanganer); चालू पाठ में जयपुर (सांगानेर)), Udaipur City और Udaipur (Dabok) (हवाई अड्डा; चालू पाठ में उदयपुर (डबोक)), Kota (A) और Kota, Mount Abu, Jodhpur, Bikaner, Phalodi, Barmer, Jaisalmer, Sriganganagar, Erinpura (Jawai Bandh), Pilani, Rawatbhata आदि — तालिकाओं और "Records:" सूचियों में स्टेशन के नाम और ID (42348, 42165 …) रोमन में, जिला देवनागरी में ("Taranagar (Churu) 319.0 mm (22 Jul 1978)" → Taranagar (चूरू) 319.0 mm (22 Jul 1978))
Old names and variant spellings †	चित्तौड़गढ़ (Chittorgarh; Chittor), साँचोर (Sanchore; Sachor), करौली (Karauli; Karoli), श्रीगंगानगर (Sri Ganganagar; Ganganagar), माउंट आबू (Mount Abu; Abu), पोकरण (Pokaran; Pokharan), झालरापाटन (Jhalrapatan; Jhalara Patan), जोजरी (Jojari; Jojri), अमानीशाह (Amanishah; Amanisha), फतह सागर (Fateh Sagar; Fatah Sagar), "nallah", "nalla" (नाला) — "This Manual uses the first form" → यह मैनुअल पहला रूप लिखता है; पुराना रूप रोमन में रहता है, ताकि वाक्य का अर्थ बना रहे
Dam / reservoir / release (from a barrage) / cusec	डैम (dam) / जलाशय (reservoir) / छोड़ा गया पानी (release) / क्यूसेक
Travel time (of releases)	पहुँचने का समय (travel time)
Rule level / reservoir regulation rules	नियम स्तर (rule level) / जलाशय विनियमन नियम
Embankment breach / bund breach / regulator failure	तटबंध का टूटना / बाँध का टूटना / रेगुलेटर का ढहना
Landslide / slip	भूस्खलन / खिसकाव
Submergence / submerged	जलमग्नता / जलमग्न
Low-lying land / low-lying area	निचली भूमि / निचला क्षेत्र (low-lying area)
Urban flooding / flooding hotspots	शहरी बाढ़ (urban flooding) / जलभराव हॉटस्पॉट
Encroachment / eviction / desilting	अतिक्रमण / बेदखली / गाद निकालना (desilting)
Dredging	ड्रेजिंग (dredging)
Restoration / revival / renovation / deepening (of a tank)	पुनर्स्थापन / पुनरुद्धार (revival) / नवीकरण / गहरा करना
Demarcation	सीमांकन

English	हिन्दी
Operating rule / rule curve / gate operation schedule	प्रचालन नियम (operating rule) / नियम वक्र (rule curve) / गेट प्रचालन अनुसूची
Gate operator / written rule	गेट संचालक / लिखित नियम
Stage–storage relationship	जल स्तर–भंडारण संबंध
Gauge (water level) / tide gauge	गेज (water level gauge) / ज्वार गेज
Pre-monsoon inspection / inspection / pre-monsoon works / post-event inspection	मानसून-पूर्व निरीक्षण / निरीक्षण / मानसून-पूर्व कार्य / घटना-पश्चात निरीक्षण
Heavy-rainfall warning / red alert / orange alert / forecast / nowcast / bulletin	भारी वर्षा की चेतावनी / रेड अलर्ट / ऑरेंज अलर्ट / पूर्वानुमान / नाउकास्ट (nowcast) / बुलेटिन
Heavy-rain day / extremely heavy rainfall	भारी वर्षा वाला दिन / अत्यधिक भारी वर्षा
Early-warning system / evacuation / relief camp	पूर्व चेतावनी प्रणाली / निष्क्रमण / राहत शिविर
Flash flood / cloudburst	आकस्मिक बाढ़ (flash flood) / बादल फटना (cloudburst)
Electrocution	करंट लगना (electrocution)
Drowning	डूबना
Mixed-frequency rule	मिश्रित-आवृत्ति नियम (mixed-frequency rule)
Coincident (river flood and local rain) / joint probability / joint case	संयोगी (coincident) / संयुक्त प्रायिकता / संयुक्त स्थिति
Still-water level	स्थिर जल स्तर (still-water level)
Chart datum (CD) / mean sea level (MSL)	चार्ट डेटम (CD) / माध्य समुद्र तल (MSL)
Datum / project datum / GTS datum / benchmark	डेटम / परियोजना डेटम / GTS डेटम / बेंचमार्क
Tide tables / tidal range	ज्वार सारणियाँ (tide tables) / ज्वारीय परास (tidal range) (तटीय; राजस्थान में लागू नहीं)
Sea-level rise	समुद्र स्तर वृद्धि
Tide-lock / lock window	ज्वार-अवरोध (tide-lock) / अवरोध अवधि (lock window)
Perigean spring tide / wave set-up	उपभू वृहत् ज्वार (perigean spring tide) / लहर उत्थान (wave set-up)
Coastal band / coastal platform level	तटीय पट्टी / तटीय प्लेटफॉर्म स्तर (तटीय; राजस्थान में लागू नहीं)
High Tide Line (HTL) / Hazard Line	उच्च ज्वार रेखा (HTL) / जोखिम रेखा (Hazard Line)
Coastal Regulation Zone (CRZ) / Coastal Zone Management Plan (CZMP)	तटीय विनियमन क्षेत्र (CRZ) / तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना (CZMP)
Ecologically sensitive area (CRZ-I)	पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र (CRZ-I)
Invert	इनवर्ट (invert: ड्रेन या पाइप का भीतरी तल)
Headwater	हेडवाटर (headwater: संरचना के प्रतिप्रवाह की ओर का जल स्तर)

English	हिन्दी
Inlet control / outlet control	इनलेट नियंत्रण / आउटलेट नियंत्रण
Energy dissipator / stilling basin / riprap / apron / drop structure	ऊर्जा क्षयकारी (energy dissipator) / स्टिलिंग बेसिन / रिपरैप (riprap) / एप्रन / ड्रॉप संरचना
Duty pump / standby pump / rising main / flood-immune electrics	कार्यरत पंप (duty pump) / स्टैंडबाय पंप / राइजिंग मेन (rising main) / बाढ़-सुरक्षित विद्युत व्यवस्था
Penstock / stop-log	पेनस्टॉक / स्टॉप-लॉग
Radial gate	रेडियल गेट
Surcharge	सरचार्ज (surcharge: पाइप या ड्रेन का क्षमता से अधिक भरना; झील या जलाशय के लिए भी यही शब्द — FTL से ऊपर बाढ़ का शीर्ष: "the surcharge of the design flood" → डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज (surcharge); "FTL plus the design-flood surcharge" → FTL जमा डिजाइन बाढ़ का सरचार्ज; अधिभार नहीं)
Ponding / waterlogging	जल का रुकना (ponding) / जलभराव (waterlogging)
Check event	जाँच घटना (check event)
Sediment allowance	तलछट प्रावधान (sediment allowance: क्षमता गणना में गाद से भरा माना गया भाग)
Gutter / kerb / crown (road)	कर्ब चैनल (gutter; गटर नहीं) / कर्ब (kerb) / सड़क का शीर्ष (crown)
Carriageway / footpath	कैरिजवे (carriageway) / फुटपाथ
Sag / trapped sag	निचला बिंदु (sag) / बंद निचला बिंदु (trapped sag: जहाँ से सतह पर कोई अतिप्रवाह मार्ग नहीं)
Arterial / collector / local road	धमनी सड़क (arterial) / संग्राहक सड़क (collector) / स्थानीय सड़क
Underpass / bridge / flyover / railway bridge / tunnel / Metro	अंडरपास / पुल / फ्लाईओवर / रेलवे पुल / सुरंग (tunnel) / मेट्रो
Easement	सुखाधिकार (easement)
Drainage reserve / corridor	जल निकासी आरक्षित पट्टी (drainage reserve) / कॉरिडोर
High-density area / Class I city	उच्च-घनत्व क्षेत्र / श्रेणी I शहर (1 लाख या अधिक जनसंख्या)
Sheet flow / shallow concentrated flow	परत प्रवाह (sheet flow) / उथला संकेंद्रित प्रवाह
Lag time	पश्चता समय (lag time)
Directly connected impervious area (DCIA)	प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा अपारगम्य क्षेत्र (DCIA)
Disconnected impervious area	असंबद्ध अपारगम्य क्षेत्र
Point of comparison (POC)	तुलना बिंदु (POC)
Permanent pool	स्थायी जल-भंडार (permanent pool)
Multi-stage outlet / low-flow orifice	बहु-चरणीय आउटलेट (multi-stage outlet) / अल्प-प्रवाह ऑरिफिस

English	हिन्दी
Detention basin / detention pond / retention pond / wet pond / sediment basin	अस्थायी भंडारण बेसिन (detention basin) / अस्थायी भंडारण तालाब (detention pond) / प्रतिधारण तालाब / वेट पॉन्ड (wet pond; "गीला तालाब" या "आर्द्र तालाब" नहीं) / **आर्द्र बेसिन** (wet basin; खंड 4.10.7, 4.15.2; "wet detention basins" → आर्द्र अस्थायी भंडारण बेसिन — परिशिष्ट 10C और तालिका 3.5 की साझा पंक्तियों का "गीले बेसिन" / "गीले अस्थायी भंडारण बेसिन" इस संस्करण में आर्द्र बेसिन किया गया; आगे के संस्करण भी यही लिखें) / तलछट बेसिन
Combined tank (Clause 4.11.3)	संयुक्त टैंक (combined tank)
Best management practice (BMP)	सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धति (BMP)
Pretreatment	पूर्व-उपचार (pretreatment)
First flush	प्रथम प्रवाह (first flush)
Sewage / sewer / sewerage / sullage / waste water / septic tank	सीवेज / सीवर / सीवरेज प्रणाली / सलेज (रसोई और स्नानघर का गंदा पानी) / अपशिष्ट जल / सेप्टिक टैंक
Sewage treatment plant (STP) / effluent / faecal sludge	सीवेज शोधन संयंत्र (STP) / बहिःस्राव (effluent) / मल कीचड़ (faecal sludge)
Million gallons a day (MGD)	मिलियन गैलन प्रतिदिन (MGD)
Illicit discharge	अवैध निस्सरण (illicit discharge)
Hotspot (land use) / land use	हॉटस्पॉट (प्रदूषक भूमि उपयोग) / भूमि उपयोग
Forebay / underdrain / filter media / geotextile	फोरबे (forebay) / अंडरड्रेन (underdrain) / फिल्टर माध्यम / जियोटेक्सटाइल
Infiltration facility / soakaway	अंतःस्यंदन सुविधा / सोख गड्ढा (soakaway)
Recharge pit / recharge well / recharge shaft	पुनर्भरण गड्ढा / पुनर्भरण कुआँ / पुनर्भरण शाफ्ट
Hydrogeological report	जल-भूवैज्ञानिक रिपोर्ट
Aquifer / confined aquifer	जलभृत (aquifer) / परिरुद्ध जलभृत
Soils: alluvium / older alluvium / kankar / sand / silt / clay / sandy loam / loam	मिट्टी: जलोढ़ (alluvium) / पुराना जलोढ़ (older alluvium) / कंकड़ (kankar) / रेत / गाद (silt) / चिकनी मिट्टी (clay) / बलुई दोमट (sandy loam) / दोमट (loam)
Soil series / soil orders (Inceptisols, Entisols ...) / weathered rock	मृदा शृंखला (soil series) / मृदा गण (soil orders; नाम रोमन में) / अपक्षयित चट्टान
Supplementary land covers and soils (Annexes 3A, 3B, 4A): dune and hummocky sands, calcrete, saline depressions, Aravalli rock, alluvium, Hadoti black soils, desert scrub †	टीलों और ऊबड़-खाबड़ मैदानों की रेत, कैल्क्रीट, लवणीय गर्त, अरावली की चट्टान, जलोढ़, हाड़ौती की काली मिट्टी, मरुस्थलीय झाड़ियाँ — ऊपर की मिट्टी वाली † पंक्ति के रूप; मृदा-श्रेणियों (series) के नाम ("Jassi Pauwali series") रोमन में
Slope / velocity / depth	ढलान / वेग / गहराई
Contour	समोच्च रेखा (contour)
Lined / unlined (channel or drain) / lining	पक्का (lined; आवश्यकता हो तो अस्तरयुक्त) / कच्चा (unlined) / अस्तर (lining) — चैनल या ड्रेन की सतह के लिए
Retaining wall / weep hole	प्रतिधारक दीवार (retaining wall) / रिसाव छिद्र (weep hole)
Dewatering	जल-निष्कासन (dewatering)

English	हिन्दी
Submittal / hold point	प्रस्तुति (submittal) / रोक बिंदु (hold point)
Drainage report (preliminary / final)	जल निकासी रिपोर्ट (प्रारंभिक / अंतिम)
Stormwater facility / facility register / owner	वर्षा जल सुविधा / सुविधा रजिस्टर / स्वामी
Handover / handed-over asset	हस्तांतरण (handover) / हस्तांतरित परिसंपत्ति
Compliance / compliance calculator	अनुपालन / अनुपालन कैलकुलेटर (compliance calculator)
Design aid / simplified method / unit-storage tables	डिजाइन सहायिका / सरलीकृत विधि / इकाई-भंडारण तालिकाएँ
Fixed-coefficient route / release cap	नियत-गुणांक मार्ग (fixed-coefficient route) / निकास सीमा (release cap)
Two-step approach	दो-पदीय पद्धति (step = पद)
Defects liability period / stop-work order	दोष दायित्व अवधि / कार्य-रोक आदेश
Constraint Statement	बाधा विवरण (Constraint Statement)
Ring-fenced account / public ledger	पृथक रखा गया खाता (ring-fenced account) / सार्वजनिक खाता-बही (public ledger)
Lead Authority	अग्रणी प्राधिकारी (Lead Authority)
Critical facilities / evacuation routes	महत्वपूर्ण सुविधाएँ (critical facilities) / निष्क्रमण मार्ग
Expected annual damage / depth–damage curve	अपेक्षित वार्षिक क्षति / गहराई–क्षति वक्र
Digital elevation model (DEM) / drone and DGPS survey / LiDAR	डिजिटल उन्नयन मॉडल (DEM) / ड्रोन और DGPS सर्वेक्षण / LiDAR
GIS layer	GIS परत
UTM zone 43N (EPSG:32643) / 42N (EPSG:32642) †	UTM जोन 43N (EPSG:32643) / 42N (EPSG:32642) — "43N statewide, except the districts of Jaisalmer and Barmer, which use 42N" → पूरे राज्य में 43N, सिवाय जैसलमेर और बाड़मेर जिलों के, जो 42N लेते हैं; "for this purpose a site lies in …" → इस प्रयोजन के लिए कोई साइट … में मानी जाती है; कोड वैसे ही
Hydrology / hydrologic / hydraulic	जलविज्ञान / जलवैज्ञानिक / हाइड्रोलिक (hydraulic)
Design life	डिजाइन आयु
Inflow / outflow	अंतर्वाह (inflow) / बहिर्वाह (outflow)
Stage (water level) / stage (outlet tier; submittal stage; phase)	जल स्तर (stage) / चरण (outlet tier; प्रस्तुति का चरण; phased = चरणबद्ध) — step के लिए चरण नहीं, पद
Crest (weir, spillway, riser) / crest level	शिखर (crest) / शिखर स्तर
Obvert	ऑबवर्ट (obvert: पाइप का भीतरी शीर्ष)
Flotation	उत्प्लावन (flotation)
Backwater (hydraulic)	पश्चजल प्रभाव (backwater)

English	हिन्दी
Back flow (in drains)	उलटा प्रवाह (back flow)
Uniform flow / critical flow / critical depth	एकसमान प्रवाह / क्रांतिक प्रवाह / क्रांतिक गहराई
Supercritical (flow) / Froude number	अतिक्रांतिक (supercritical) / फ्रूड संख्या
Superelevation	अधि-उन्नयन (superelevation)
Anti-vortex device	भँवर-रोधी युक्ति (anti-vortex device)
Outfall-closed check	आउटफॉल-बंद जाँच (outfall-closed check)
Sub-daily (rainfall, ratios)	उप-दैनिक (sub-daily)
One-third rule	एक-तिहाई नियम
Grid-to-point factor	ग्रिड-से-बिंदु गुणक (grid-to-point factor)
Subzone (CWC) / Flood Estimation Report (FER) / plate	उप-क्षेत्र (subzone) / बाढ़ आकलन रिपोर्ट (FER) / प्लेट
CWC subzones covering Rajasthan †	उप-क्षेत्र 1(a) Luni (L/20/1992), 1(b) Chambal (C/16/1988), 1(e) Upper Indo-Ganga Plains (1984), 3(a) Mahi and Sabarmati (MS/13/1986) — तालिकाओं और संदर्भों में उप-क्षेत्र का नाम रोमन में; चालू पाठ में "1(a) Luni" → 1(a) लूणी, "the Luni subzone" → लूणी उप-क्षेत्र; "the closed 1(a) cell around Mount Abu" → माउंट आबू के चारों ओर 1(a) का बंद सेल
Meteorological subdivision	मौसम विज्ञान उप-मंडल (meteorological subdivision)
Sensitivity run	संवेदनशीलता रन (sensitivity run)
Worked example	हल किया गया उदाहरण (worked example)
Template / model text / standard drawing	टेम्पलेट / आदर्श पाठ (model text) / मानक ड्रॉइंग
Inventory / checklist / schedule	सूची (inventory) / जाँच-सूची (checklist) / अनुसूची (schedule)
Layout (blank table to be filled)	ढाँचा (layout; भरी जाने वाली खाली तालिका)
Original drawing for this Manual / schematic, not to scale	इस मैनुअल के लिए मूल ड्रॉइंग / योजनाबद्ध, पैमाने पर नहीं
Section (of a form) / Part	भाग (Section) / भाग (Part)
Attachments / attach	संलग्नक / संलग्न करें
Confined space	सीमित स्थान (confined space)
Empanelled / empanelment / Empanelled Reviewer	सूचीबद्ध / सूचीबद्धता (empanelment) / सूचीबद्ध समीक्षक
Stormwater Design Professional	वर्षा जल डिजाइन पेशेवर (Stormwater Design Professional)
Enforcement	प्रवर्तन
Certify / certificate / certified	प्रमाणित करना / प्रमाण-पत्र / प्रमाणित
Verify / validate / confirm (verification, validation)	सत्यापित करना / वैधीकरण करना / पुष्टि करना (सत्यापन, वैधीकरण)
Threshold (size or value at which a rule applies)	सीमा-मान (threshold)

English	हिन्दी
Trigger (value that starts an action) / trigger (event or warning that starts a review or action)	प्रारंभक मान (trigger) / प्रारंभक घटना (trigger)
Floor (minimum value, e.g. CWC floor)	न्यूनतम सीमा (floor)
Exemption / exempt	छूट / छूट प्राप्त
Conservative (on the safe side) / cautious	सुरक्षित पक्ष का (conservative) / सतर्क
Evapotranspiration	वाष्पोत्सर्जन (evapotranspiration)
Covenant	प्रसंविदा (covenant)
Overflow / overflow route / overflow level	अतिप्रवाह (overflow) / अतिप्रवाह मार्ग / अतिप्रवाह स्तर
Observation well / piezometer	प्रेक्षण कुआँ / पीजोमीटर
Load class / exposure class	भार वर्ग / अनावरण वर्ग
Compound wall / boundary wall	चारदीवारी / सीमा दीवार
Sheet (form name, e.g. Design Rainfall Sheet, Waterbody Sheet)	पत्रक (Sheet; डिजाइन वर्षा पत्रक, जलाशय पत्रक)
No. / Item / Field / Entry / Clause (form columns)	क्र. / मद / क्षेत्र (Field) / प्रविष्टि / खंड
Dam safety / specified dam	डैम सुरक्षा / विनिर्दिष्ट डैम (specified dam)
Manual scavenging	हाथ से मैला उठाना (manual scavenging)
Definitions (clause heading) / definition	परिभाषाएँ / परिभाषा
Disclosure / publication / declaration	प्रकटन / प्रकाशन / घोषणा
Level-pool routing (modified Puls)	स्तर-ताल रूटिंग (level-pool routing; modified Puls)
Head / head loss / static head / opening head	हेड / हेड हानि (head loss) / स्थैतिक हेड / खुलाव हेड
Head–discharge curve	हेड–प्रवाह दर वक्र
Headwall / wingwall	हेडवॉल / विंगवॉल
Conduit	वाहिका (conduit)
Junction / junction chamber / junction sump	संगम (junction) / संगम कक्ष / संगम संप
Plinth / plinth level / floor level	प्लिंथ (plinth; कुर्सी नहीं, परिशिष्ट H-1 के "around the plinth" में भी: प्लिंथ के चारों ओर) / प्लिंथ स्तर / फर्श स्तर
Percentile (e.g. 90th percentile)	शततमक (percentile; जैसे 90वाँ शततमक)
Checker (independent) / reviewer	स्वतंत्र जाँचकर्ता / समीक्षक
Safety bench	सुरक्षा बेंच (safety bench)
Seepage / seepage collar / filter diaphragm	रिसाव (seepage) / रिसाव कॉलर / फिल्टर डायाफ्राम
Silt fence	गाद बाड़ (silt fence)

English	हिन्दी
Training walls	प्रशिक्षण दीवारें (training walls)
Drawdown (lowering a tank or basin)	जल स्तर घटाना (drawdown)
Review (of a submittal, a chapter or the Manual) / post-event review	समीक्षा / घटना-पश्चात समीक्षा
Accept / accepted / acceptance criteria	स्वीकार करना / स्वीकार किया गया / स्वीकार्यता मानदंड (स्वीकृत नहीं)
Software acceptance	सॉफ्टवेयर स्वीकार्यता
Receiving water / receiving drain / receiving system / receiving zone (of a recharge well)	प्राप्तकर्ता जलाशय (receiving water; "the body that owns the receiving water" → वह निकाय जो प्राप्तकर्ता जलाशय का स्वामी है; नए वाक्यों में "प्राप्तकर्ता जल" नहीं — UP/बिहार से पुनः प्रयुक्त पंक्तियाँ "प्राप्तकर्ता जल स्तर" (अध्याय 4), "प्राप्तकर्ता जल निचला हो" (अध्याय 6) और "प्राप्तकर्ता का स्तर" (परिशिष्ट 6) जैसी हैं वैसी रहती है) / प्राप्तकर्ता ड्रेन / प्राप्तकर्ता प्रणाली / प्राप्तकर्ता क्षेत्र (receiving zone)
Equation	समीकरण
Specification	विनिर्देश
Layout (intended structure of an annex or its tables)	रूपरेखा (layout)
Crown (of a pipe) / soffit	पाइप का शीर्ष (crown) / सॉफिट (soffit)
Mosquito / mosquito breeding / dengue	मच्छर / मच्छरों का प्रजनन / डेंगू
As reported / press report(s) / (press) / as reported in the press / secondary, secondary source(s) / search summary	(प्रकाशित खबरों के अनुसार) / (समाचार रिपोर्ट) / (समाचार माध्यम) / समाचार माध्यमों में बताए अनुसार / (द्वितीयक स्रोत) / खोज सारांश (बिना हाइफन; "खोज-सारांश" नहीं) — चालू पाठ और अनुवादित संदर्भों में; जो संदर्भ-सूचियाँ दिल्ली की तरह अंग्रेजी में रखी गई हैं, उनमें अंग्रेजी शब्द वैसे ही
Pre-application meeting / public meeting / public hearing	आवेदन-पूर्व बैठक / सार्वजनिक बैठक / जन सुनवाई
Basin modelling endorsement	बेसिन मॉडलिंग योग्यता-मान्यता (basin modelling endorsement; समर्थन नहीं)
Environmental impact assessment (EIA)	पर्यावरण प्रभाव आकलन (EIA)
Hill slope / hill town / heritage area	पहाड़ी ढलान / पहाड़ी नगर / विरासत क्षेत्र
Glossary of Hindi and Rajasthani waterbody terms and regional variants (Annex 7E) †	जलाशयों के हिन्दी और राजस्थानी शब्दों तथा क्षेत्रीय रूपों की शब्दावली (परिशिष्ट 7E) — तालिकाओं के देवनागरी, उर्दू और रोमन रूप स्रोत के अनुसार हूबहू, शब्दसागर के अर्थ-क्रमांकों सहित, जो स्रोत में देवनागरी अंकों में छपे हैं: सागर के बाद 1, झालरा के बाद 2, कुंड के बाद 3, टाँका के बाद 3 और नाला के बाद 1 (A07 पंक्तियाँ 307, 310, 311, 312 और 318; ये राजस्थान की अंग्रेजी के केवल पाँच देवनागरी अंक हैं और वैसे ही, देवनागरी अंकों में, लिखे जाएँगे); बावड़ी, जोहड़, नाड़ी का ड़ वैसा ही; "नाडी, नाड़ी" और "खडीन" स्रोत के अनुसार; Marwari, Dhundhari, Mewari, Hadoti, Mewati, Wagdi → मारवाड़ी, ढूँढाड़ी, मेवाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, वागड़ी; Sitaram Lalas, *Rajasthani Sabad Kos* → सीताराम लालस, *राजस्थानी सबद कोस* (*Rajasthani Sabad Kos*)
Terms not yet verified (Table 7E.4)	अभी असत्यापित शब्द (तालिका 7E.4)

English	हिन्दी
Platts, *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English* / Hindi Shabdasagara / Digital South Asia Library	प्लैट्स (Platts), *A Dictionary of Urdu, Classical Hindi, and English* / श्यामसुंदर दास, *हिंदी शब्दसागर* (*Hindi Shabdasagara*) / डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी
Headword / sense (dictionary) / gloss	मुख्य शब्द (headword) / अर्थ (sense) / अर्थ-विवरण (gloss)
Not looked up / not found as a headword / modern usage not verified	देखा नहीं गया / मुख्य शब्द के रूप में नहीं मिला / आधुनिक प्रयोग सत्यापित नहीं
Nala, nali, bahav, bandh (Table 7E.2) †	तालिका में देवनागरी, उर्दू और रोमन रूप स्रोत के अनुसार हूबहू (नाला / نالا (nālā; nala, nallah, nullah); नाली / نالي; बहाव / بهاو (bahā'o; bahav); बाँध / باندهه (bāṅdh; bandh, bund)); Platts के अंग्रेजी अर्थ उद्धरण-चिह्नों में अंग्रेजी में ही; विनियमों का "पानी के निर्बाध बहाव" वैसा ही
Lake, flow area, protected area (Lakes Act), gair mumkin, khatedari, public tanks and drains (Municipalities Act), catchment areas (High Court) (Table 7E.3) †	झील (lake (Lakes Act)) / बहाव क्षेत्र (flow area (Lakes Act)) / संरक्षित क्षेत्र (protected area (Lakes Act)) / गैर मुमकिन नाला, नदी, तालाब (gair mumkin nala, nadi, talab (गैर मुमकिन)) / खातेदारी (khatedari) / सार्वजनिक तालाब और ड्रेनें (public tanks and drains (Municipalities Act)) / जलग्रहण क्षेत्र (catchment areas (High Court)) — पहले स्तंभ में हिन्दी शब्द के बाद अंग्रेजी शब्द कोष्ठक में; उद्धरण का हिन्दी रूप उद्धरण-चिह्नों में और अंग्रेजी कोष्ठक में; "as read from the Bill" → विधेयक के पाठ के अनुसार; "as read from a third-party copy" → तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़े गए रूप में; "The dictionary entries for the phrase were not checked" → इस पद की शब्दकोश-प्रविष्टियाँ जाँची नहीं गईं
Nadi, agor, payatan, khadin, kundi, beri, Rajasthani forms (Table 7E.4: terms not yet verified) †	नाडी, नाड़ी (nāḍī; nadi) / आगोर, अगोर (āgor, agor; agor, agaur) / पायतन (pāyatan; payatan) / खडीन (khaḍīn; khadin) / कुंडी (kuṇḍī; kundi) / बेरी (berī; beri) — पहले स्तंभ स्रोत के अनुसार हूबहू; "Needs the *Rajasthani Sabad Kos*" → *राजस्थानी सबद कोस* (*Rajasthani Sabad Kos*) से जाँच आवश्यक; "Not confirmed" → पुष्टि नहीं हुई; "not used in this Manual" → इस मैनुअल में प्रयुक्त नहीं; "Not checked in a regional dictionary" → किसी क्षेत्रीय शब्दकोश में जाँचा नहीं गया; "shall not be used in a record or a drawing as defined terms until verified" → सत्यापन तक किसी अभिलेख या ड्रॉइंग में परिभाषित शब्दों के रूप में प्रयुक्त नहीं किए जाएँगे
Agor (catchment) / agor rule / flow paths (bahav) †	आगोर (agor; पुल्लिंग: तालाब, जोहड़ या नाडी का जलग्रहण क्षेत्र — शब्दकोश या राजस्व पाठ में यह अर्थ पुष्ट नहीं, इसलिए सदा कोष्ठक में अर्थ के साथ: आगोर (जलग्रहण क्षेत्र; agor); "Agor (catchment) and flow paths" → आगोर (जलग्रहण क्षेत्र) और प्रवाह मार्ग) / आगोर संबंधी नियम (agor rule; इस मैनुअल का प्रस्ताव) / प्रवाह मार्ग (flow paths) और बहाव (bahav) — "flow paths (bahav)" → प्रवाह मार्ग (बहाव; bahav); झील अधिनियम का flow area = बहाव क्षेत्र
Plants with Hindi, Rajasthani or Urdu names (Annex 8D) †	खस (vetiver), झड़बेरी, खेजड़ी (khejri), नीलोफर और परिशिष्ट 8D की अन्य प्रविष्टियाँ — तालिकाओं में स्रोत का रूप, नुक्ता और उर्दू लिपि सहित (A08 पंक्ति 300 में खस के ख पर और पंक्ति 328 में नीलोफर के फ पर नुक्ता, आधार अक्षर + U+093C); चालू पाठ में खस, नीलोफर बिना नुक्ते के; वानस्पतिक नाम रोमन, इटैलिक
Plants without a confirmed Hindi name	*Canna indica*, *Typha* spp., *Eichhornia crassipes* (water hyacinth), *Prosopis juliflora*, *Ipomoea carnea* — लैटिन नाम इटैलिक में; तालिका में डैश (—) रखें, कोई प्रचलित नाम न जोड़ें

English	हिन्दी
Native / naturalised / invasive / species / horticulturist	देशज (native) / प्राकृतिकीकृत (naturalised) / आक्रामक (invasive) / प्रजाति / उद्यान विशेषज्ञ (horticulturist)
Macrophyte zone / open water zone / windbreak / hedge	वृहत्पादप क्षेत्र (macrophyte zone) / खुला जल क्षेत्र / वायु-रोधक / बाड़
Edge structure (Clause 7.9.4)	किनारा संरचना (edge structure)
Adopt (technical: a designer, this Manual, a clause or a table adopts a value, factor, method or approach) / adopted value	लेना (मान, गुणक, स्तर, गहराई) / अपनाना (विधि, पद्धति, मार्ग) / लिया गया मान (अंगीकार नहीं)
Isopluvial / isopluvial plates	समवर्षा रेखा (isopluvial) / समवर्षा प्लेटें
Reanalysis (NIH-DHAARA, IMDAA) / gridded data	पुनर्विश्लेषण (reanalysis; NIH-DHAARA, IMDAA) / ग्रिड आँकड़े (gridded data)
Recording rain gauge / autographic (rainfall, records) / self-recording rain gauge (SRRG) / water-level gauge	स्व-अभिलेखी वर्षामापी (recording gauge) / स्व-अभिलेखी (autographic; "स्वलेखी" नहीं) / स्व-अभिलेखी वर्षामापी (SRRG) / जल स्तर गेज
Benchmark (survey level mark) / benchmark (comparison) / benchmark points / benchmark test problems	बेंचमार्क (सर्वेक्षण स्तर चिह्न) / तुलना-मानक (benchmark) / बेंचमार्क बिंदु / बेंचमार्क परीक्षण समस्याएँ
Convolution	संवलन (convolution)
Tolerance	सहनसीमा (tolerance)
Uplift / uplift pressure	उत्थान (uplift) / उत्थान दाब
Factor of safety / safety factor	सुरक्षा गुणक
Proprietary device	स्वामित्वाधीन युक्ति (proprietary device)
Coordinates (latitude, longitude)	निर्देशांक (अक्षांश, देशांतर)
Utilities / utility crossing	उपयोगिता सेवाएँ (utilities) / उपयोगिता क्रॉसिंग
Habitable building / habitable floor / habitable room	आवास योग्य भवन / आवास योग्य तल / आवास योग्य कक्ष
Area-weighted	क्षेत्र-भारित (area-weighted)
Sediment trap / sediment basin (construction sites, Annex 8E)	तलछट जाल / तलछट बेसिन
Drafting note	प्रारूपण टिप्पणी (drafting note)
Model text for consideration by a competent authority. Not in force. (label at the start of a paragraph; keep the bold or italic of the English)	**सक्षम प्राधिकारी के विचार हेतु आदर्श पाठ। प्रवृत्त नहीं.** (एक ही रूप सर्वत्र; अंत में ASCII "."; बीच में दंड)
1 in N years / 1-in-N chance	N वर्ष में एक बार / N में 1 की संभावना
Variance / Waiver Request (Form 1-2)	विचलन / अधित्याग अनुरोध (प्रपत्र 1-2)
Applicability Determination (Form 1-1)	प्रयोज्यता निर्धारण (प्रपत्र 1-1)
Rainfall zones (Annex 2A)	वर्षा जोन (rainfall zones)
National Hydrographic Office	राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण कार्यालय (NHO)

English	हिन्दी
Annual maximum series / partial-duration series / series (data)	वार्षिक अधिकतम श्रृंखला / आंशिक-अवधि श्रृंखला / श्रृंखला
Interpolation / interpolated	अंतर्वेशन (interpolation) / अंतर्वेशित
Benchmark checks (Annex 2A)	बेंचमार्क जाँच
Huff curves / Gumbel / Hershfield	हफ वक्र (Huff curves) / गंबल (Gumbel) / हर्शफील्ड (Hershfield)
Chute	ढलवाँ चैनल (chute)
Access opening / clear access opening	प्रवेश द्वार / स्पष्ट प्रवेश द्वार (clear access opening)
Silt sump	गाद संप (silt sump)
Hydraulic corridor	हाइड्रोलिक कॉरिडोर
Statutory status	सांविधिक स्थिति
Receive (storm water, a drain outfall) / receive (handed-over assets)	(पानी) प्राप्त करना / (परिसंपत्ति) ग्रहण करना
Implementation / annual implementation report	कार्यान्वयन / वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट
Downstream and Tailwater Analysis (Chapter 5) / Downstream and Tailwater Report (Form 5-1) / Simplified Downstream Statement (Form 5-2)	अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण / अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट / सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण
Site Runoff Control Report / Conveyance Design Report / Hydraulic Structures Report / Design Rainfall Sheet	साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट / वहन डिजाइन रिपोर्ट / हाइड्रोलिक संरचना रिपोर्ट / डिजाइन वर्षा पत्रक
Tier B Site Sheet / Fixed-coefficient Route Sheet / Water Quality Sheet / Infiltration Test Record	टियर B साइट पत्रक / नियत-गुणांक मार्ग पत्रक / जल गुणवत्ता पत्रक / अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख
Hydrologic Calculation Summary / Pre- vs Post-Development Comparison	जलवैज्ञानिक गणना सारांश / विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना
Waterbody Sheet / Tank Storage Credit Sheet / Compensatory Storage Calculation	जलाशय पत्रक / तालाब भंडारण क्रेडिट पत्रक / प्रतिपूरक भंडारण गणना
Drainage Report Checklist / Compliance Calculator Summary / Professional Design Certificate / Hold-Point Inspection Record / As-built Certificate / Maintenance Declaration / Annual Maintenance Declaration and Inspection Report / Asset Handover Certificate	जल निकासी रिपोर्ट जाँच-सूची / अनुपालन कैलकुलेटर सारांश / पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र / रोक-बिंदु निरीक्षण अभिलेख / यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र / रखरखाव घोषणा-पत्र / वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट / परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र
CAG audits (none on urban drainage, AMRUT drainage or lakes in Rajasthan) †	"No audit by CAG of urban drainage, of AMRUT drainage works or of the lakes in Rajasthan was found" → राजस्थान में शहरी जल निकासी, AMRUT के जल निकासी कार्यों या झीलों की CAG की कोई लेखापरीक्षा नहीं मिली
Wetland inventory (ISRO National Wetland Inventory and Assessment, NWIA)	आर्द्रभूमि सूची (ISRO, NWIA)
India Flood Atlas / Flood Atlas of India (CWC)	इंडिया फ्लड एटलस (India Flood Atlas) / भारत का बाढ़ एटलस (CWC)

English	हिन्दी
Chapter titles (as in the contents table; title 7) †	1 नीति, प्रयोज्यता और अंगीकरण; 2 डिजाइन वर्षा और डिजाइन वर्षा घटनाएँ; 3 जलवैज्ञानिक विधियाँ; 4 साइट अपवाह नियंत्रण: प्रतिधारण और अस्थायी भंडारण; 5 अनुप्रवाह और टेलवाटर विश्लेषण; 6 लघु और प्रमुख जल निकासी प्रणालियाँ; 7 जलाशय, तालाब (पोखर) और सेटबैक ("Waterbodies, Talabs (Ponds) and Setbacks"; मध्य प्रदेश के समान अंग्रेजी, इसलिए वही हिन्दी); 8 जल गुणवत्ता और पुनर्भरण; 9 संरचनाओं का हाइड्रोलिक डिजाइन; 10 प्रस्तुतियाँ, समीक्षा, प्रचालन और रखरखाव तथा प्रवर्तन; 11 बेसिन और शहर वर्षा जल मास्टर प्लान
Bodies other than the Government (Authority, Corporation, Department, Committee)	प्राधिकरण, निगम, विभाग, समिति — लिंग हिन्दी संज्ञा के अनुसार (प्राधिकरण, निगम, विभाग पुल्लिंग; समिति, परिषद स्त्रीलिंग)
Sub-rule / bye-laws	उपनियम / उपविधियाँ
Station (rain gauge, IMD, weather) / pump station, pumping station	केंद्र (वर्षामापी केंद्र, मौसम केंद्र) / पंपिंग स्टेशन
Observatory (IMD)	वेधशाला (observatory)
Fixed-interval factor / correction	नियत-अंतराल गुणक / संशोधन (correction)
Loss rate	हानि दर (loss rate)
Time to peak / lag time	चरम तक समय (time to peak) / पश्चता समय
Cover (manhole, chamber, tank) / grating / cover slab	ढक्कन (cover) / जाली (grating) / ढकने की स्लैब (cover slab)
Hydraulic radius	हाइड्रोलिक त्रिज्या
Overtopping (road, culvert, embankment) / not overtopped	ऊपर से बहना (overtopping) / ऊपर से न बहे
Oil-grit separator	तेल-ग्रिट पृथक्कारी (oil-grit separator)
Commissioning / commissioning record	चालू करना (commissioning) / चालू करने का अभिलेख
Open data / open licence	मुक्त आँकड़े (open data) / मुक्त लाइसेंस
Certifying professional / certifier	प्रमाणकर्ता पेशेवर / प्रमाणकर्ता
Document / documented / documentation	दस्तावेज / दस्तावेजित / प्रलेखन
Attribute (GIS field)	गुण (attribute)
Disclosure (front matter, interest of the author) / Disclosure (Chapter 7, statement of a gap in the law)	हित-प्रकटन (Disclosure) / प्रकटन (Disclosure)
Data / data gap / not found online / not obtained	आँकड़े / आँकड़ों की कमी / ऑनलाइन नहीं मिला / प्राप्त नहीं हुआ
Agency / agencies / jurisdiction / multi-agency coordination	एजेंसी / एजेंसियाँ / अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) / बहु-एजेंसी समन्वय
Capacity / design capacity / full capacity	क्षमता / डिजाइन क्षमता / पूर्ण क्षमता
Congestion (drainage) / backing up	जल निकासी अवरोध (drainage congestion) / पानी का पीछे लौटना
Resurfacing / subgrade / base	पुनः सतह बिछाना (resurfacing) / सबग्रेड (subgrade) / आधार परत (base)

English	हिन्दी
Paving / compacted gravel / deck / roof	पक्की सतह (paving) / संघनित बजरी / डेक / छत
Reuse	पुनः उपयोग (reuse)
Successors in title	हक-उत्तराधिकारी (successors in title)
Common plan of development	विकास की साझा योजना (common plan of development)
Signs and depth markers	संकेत-पट और गहराई चिह्न (हिन्दी और अंग्रेजी में)
Fence / guard rail	बाड़ / सुरक्षा रेलिंग
Green area (reg. 8.1) / plantation (reg. 8.2) / ground coverage (reg. 4.13) / natural ground with no slab below / terrace †	हरित क्षेत्र (green area; "10 to 20% of non-commercial plots of more than 750 m²" → 750 m² से बड़े गैर-वाणिज्यिक भूखंडों का 10 से 20%) / वृक्षारोपण (plantation) / भू-आच्छादन (ground coverage) / प्राकृतिक भूमि, जिसके नीचे कोई स्लैब न हो (natural ground with no slab below) / छत (terrace; "none of it on a terrace" → उसका कोई भाग छत पर नहीं)
Plinth at least 0.45 m above the road in front (reg. 6.6) / basement (reg. 6.5) / basement roof not more than 1.20 m above road level (JDA 2020, reg. 11.6(v)) †	कुर्सी (प्लिंथ) (plinth; "Plinths must be at least 0.45 m above the road in front" → प्लिंथ सामने की सड़क से कम से कम 0.45 m ऊँचा होना चाहिए) / **बेसमेंट** (basement; पुल्लिंग; बहुवचन तिर्यक बेसमेंटों — इस संस्करण का निर्णय: राजस्थान के 2025 और 2020 के भवन विनियमों और राज्य के प्रचलन का शब्द बेसमेंट है, और नए राजस्थानी पाठ में यही लिखा गया, इसलिए अध्याय 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और परिशिष्ट 6 और 8 की साझा पंक्तियों का तहखाना भी बेसमेंट कर दिया गया ("6.11.4 **Basements.**" → 6.11.4 **बेसमेंट।**; "no basements" → बेसमेंट नहीं); आगे के संस्करण अपने राज्य के विनियमों के शब्द से तय करें) / भवन के बाहर बेसमेंट की छत सड़क के स्तर से 1.20 m से अधिक ऊँची नहीं (JDA के 2020 के विनियम, विनियम 11.6(v)) — "no rule was found that keeps surface water out of a basement" → बेसमेंट में सतही पानी आने से रोकने वाला कोई नियम नहीं मिला
Allowance (climate change, sediment, sea level)	अतिरिक्त प्रावधान (allowance; छूट नहीं)
Rainfall zones RJ-Z1, RJ-Z2, RJ-Z3 (Annex 2A) †	वर्षा जोन RJ-Z1, RJ-Z2, RJ-Z3 (कोड रोमन में; "zone RJ-Z2" → जोन RJ-Z2; "three rainfall zones" → तीन वर्षा जोन; "RJ-Z2/Z3" (चित्र) वैसा ही)
RJ-Z1 Arid west and north †	RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर
RJ-Z2 East and central †	RJ-Z2 पूर्व और मध्य
RJ-Z3 South and the Abu hills †	RJ-Z3 दक्षिण और आबू की पहाड़ियाँ
Sub-areas RJ-A to RJ-I (as in "RJ-Z1 Arid west and north: RJ-A Thar core") †	उप-भाग RJ-A से RJ-I (तालिकाओं में जोन और उप-भाग साथ: "RJ-Z1 शुष्क पश्चिम और उत्तर: RJ-A थार का केंद्रीय भाग"; "RJ-Z2 (RJ-E): Jaipur" → RJ-Z2 (RJ-E): जयपुर; "sub-area RJ-B" → उप-भाग RJ-B; "RJ-H north", "RJ-H south" → RJ-H उत्तर, RJ-H दक्षिण); en dash (–) अंग्रेजी के अनुसार ("Ghaggar–IGNP", "Dhundhar–Ajmer", "Mewat–Braj"), hyphen ("north-east") भी
RJ-A Thar core / RJ-B Marwar and Luni basin / RJ-C Shekhawati and Bikaner †	RJ-A थार का केंद्रीय भाग / RJ-B मारवाड़ और लूणी बेसिन / RJ-C शेखावाटी और बीकानेर
RJ-D Ghaggar–IGNP canal plains / RJ-E Dhundhar–Ajmer central / RJ-F Mewat–Braj north-east †	RJ-D घग्घर–IGNP नहर के मैदान / RJ-E ढूँढाड़–अजमेर (मध्य) / RJ-F मेवात–ब्रज (उत्तर-पूर्व)

English	हिन्दी
RJ-G Hadoti and the Chambal / RJ-H Mewar and Vagad / RJ-I Mount Abu and the Sirohi hills †	RJ-G हाड़ौती और चंबल / RJ-H मेवाड़ और वागड़ / RJ-I माउंट आबू और सिरोही की पहाड़ियाँ
District parts in the zone tables (west Bikaner, south Nagaur, north Nagaur, Balotra west of the Luni, the Ghaggar strip of Hanumangarh, the west of Jaipur and Ajmer districts, south Udaipur, south Pratapgarh, the Sirohi plains) †	पश्चिमी बीकानेर, दक्षिणी नागौर, उत्तरी नागौर, लूणी के पश्चिम का बालोतरा, हनुमानगढ़ की घग्घर पट्टी, जयपुर और अजमेर जिलों का पश्चिमी भाग, दक्षिणी उदयपुर, दक्षिणी प्रतापगढ़, सिरोही के मैदान; "the Sambhar–Phulera side" → सांभर–फुलेरा की ओर; "the 1(a)/1(b) line" → 1(a)/1(b) रेखा; "boundaries [TBC]" → सीमाएँ [TBC]
Indira Gandhi Canal (IGNP) / Rajiv Gandhi Lift Canal / canal belt / canal escapes / canal seepage †	इंदिरा गाँधी नहर (IGNP; Indira Gandhi Nahar Pariyojana; स्त्रीलिंग; "the command of the Indira Gandhi canal" → इंदिरा गाँधी नहर का कमान क्षेत्र) / राजीव गाँधी लिफ्ट नहर / नहर पट्टी (canal belt; "the Ganganagar–Hanumangarh canal belt" → गंगानगर–हनुमानगढ़ की नहर पट्टी) / नहर के एस्केप (canal escapes) / नहर का रिसाव (canal seepage) — गाँधी चंद्रबिंदु के साथ, मध्य प्रदेश के गाँधी सागर की तरह
Sub-area (of a rainfall zone; of a catchment model) / all sub-areas	उप-भाग (sub-area) / सभी उप-भाग — उप-क्षेत्र केवल CWC subzone के लिए
Step (of a procedure, calculation, worked example or enforcement ladder) / Step 1 / steps / sub-step / step by step / time step	पद / पद 1 / पद / उप-पद / पद-दर-पद / समय पद (time step) — एक ही नियम सभी अध्यायों और परिशिष्टों में, आउटलेट चरण हो या न हो; चरण केवल stage (आउटलेट चरण, प्रस्तुति का चरण) के लिए; कदम केवल लाक्षणिक अर्थ में ("the first step toward encroachment" → अतिक्रमण की ओर पहला कदम)
Plan (drawing view): in plan / plan and section / plan area / plan size	प्लान: प्लान में / प्लान और काट / प्लान क्षेत्रफल (plan area) / प्लान आकार
Plan (a drawing sheet): site plan / building plan / service plan / catchment plan / drainage plan (in a submittal) / plan drawing / shown on plan	नक्शा: साइट नक्शा / भवन नक्शा / सेवा नक्शा / जलग्रहण क्षेत्र का नक्शा / जल निकासी नक्शा / नक्शा / नक्शे पर दर्शाया गया
Plan (a drainage plan document): master plan / basin plan / IUSWDMP / the plan (referring to these)	मास्टर प्लान / बेसिन प्लान / IUSWDMP / प्लान (पुल्लिंग: "बेसिन प्लान अधिसूचित किया गया हो")
Plan (a scheme): O&M plan / action plan / fee-in-lieu scheme / basin planning	योजना: O&M योजना / कार्य योजना / एवज शुल्क योजना / बेसिन-स्तरीय नियोजन (Master Development Plan, master plan और zonal plan के लिए † पंक्ति देखें)
I state that … / I declare that … / I certify that … / I confirm that …	मैं कथन करता/करती हूँ कि … / मैं घोषणा करता/करती हूँ कि … / मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि … / मैं पुष्टि करता/करती हूँ कि …
Landlocked	भू-आबद्ध (स्थलरुद्ध नहीं)
Default (value, assumption) / in default (works in default)	डिफॉल्ट (default) / चूक की दशा में (works in default)
Parameter / water quality parameters	प्राचल / जल गुणवत्ता प्राचल (मापदंड नहीं; मानदंड = criterion)
Lookup (soil-series-to-HSG lookup)	मिलान-सूची (lookup)
Liner / lined / unlined (storage, tank, pond, bioretention or other BMP)	लाइनर (liner) / लाइनरयुक्त / बिना लाइनर का — चैनल के अस्तर (lining) से अलग
Compaction / compacted	संघनन (compaction) / संघनित (दबाई गई नहीं)

English	हिन्दी
Backfill	पीछे भराई (backfill)
Developer	विकासकर्ता
Instrument (legal)	लिखत (विलेख नहीं; tool = साधन)
Right of way (ROW)	मार्गाधिकार (right of way)
Estuary	ज्वारनदमुख (estuary; राजस्थान में लागू नहीं)
Polder	पोल्डर (polder)
Breach (of a tank embankment) / breach analysis / breach area	तटबंध टूटना / तटबंध टूटने का विश्लेषण (breach analysis) / तटबंध टूटने से प्रभावित क्षेत्र; नाम वाले बाँध (S.M. Bund, L.M. Bund) के लिए बाँध का टूटना
Danger mark / record level / highest level recorded / high flood level (HFL)	खतरे का निशान / रिकॉर्ड स्तर / दर्ज सबसे ऊँचा स्तर / उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL)
Floodplain zoning (URDPFI) / flood land	डूब क्षेत्र का जोनिंग (floodplain zoning; बाढ़ मैदान नहीं) / बाढ़ भूमि
Wherever feasible / wherever possible / recreational use	जहाँ भी व्यवहार्य हो / जहाँ भी संभव हो / मनोरंजक उपयोग (मनोरंजन उपयोग नहीं)
Soil survey bodies (Chapter 3, Annexes 3A and 4A) †	राष्ट्रीय मृदा सर्वेक्षण एवं भूमि उपयोग नियोजन ब्यूरो (NBSS&LUP); केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान (CAZRI), जोधपुर; राजस्थान का कृषि विभाग (मृदा सर्वेक्षण) — लेखकों के नाम (Dhir et al., Joshi, Kolarkar) रोमन में
Form titles (copy the form heading exactly wherever a form is named)	प्रपत्र 1-1 प्रयोज्यता निर्धारण; 1-2 विचलन / अधित्याग अनुरोध; 2-1 डिजाइन वर्षा पत्रक; 3-1 जलवैज्ञानिक गणना सारांश; 3-2 विकास-पूर्व बनाम विकास-पश्चात तुलना; 4-1 साइट अपवाह नियंत्रण रिपोर्ट; 4-2 टियर B साइट पत्रक; 4-3 नियत-गुणांक मार्ग पत्रक (खंड 4.14.3 से 4.14.7); 5-1 अनुप्रवाह और टेलवाटर रिपोर्ट; 5-2 सरलीकृत अनुप्रवाह विवरण (छोटी साइटें); 6-1 वहन डिजाइन रिपोर्ट जाँच-सूची; 7-1 जलाशय पत्रक; 7-2 तालाब भंडारण क्रेडिट पत्रक; 7-3 प्रतिपूरक भंडारण गणना (ऊँचाई पट्टी के अनुसार); 8-1 जल गुणवत्ता पत्रक; 8-2 अंतःस्यंदन परीक्षण अभिलेख; 9-1 हाइड्रोलिक संरचना रिपोर्ट जाँच-सूची; 10-1 जल निकासी रिपोर्ट जाँच-सूची; 10-2 अनुपालन कैलकुलेटर सारांश; 10-3 पेशेवर डिजाइन प्रमाण-पत्र; 10-4 रोक-बिंदु निरीक्षण अभिलेख; 10-5 यथा-निर्मित प्रमाण-पत्र; 10-6 रखरखाव घोषणा-पत्र; 10-7 वार्षिक रखरखाव घोषणा और निरीक्षण रिपोर्ट; 10-8 परिसंपत्ति हस्तांतरण प्रमाण-पत्र; 11-1 वार्षिक कार्यान्वयन रिपोर्ट
Annex and form lists at chapter ends	प्रत्येक पंक्ति का पाठ परिशिष्ट या प्रपत्र के शीर्षक की हूबहू प्रति (जहाँ अंग्रेजी में भी वही है)
The Manual is a draft; it is not adopted by any government or agency	यह मैनुअल एक प्रारूप है; यह किसी सरकार या एजेंसी द्वारा अंगीकृत नहीं किया गया है
Order / circular / notification of the Government of Rajasthan (UDH order of 12 May 2025; RUIDP Circular No. 8; reported notification of 2024 cutting the RWH threshold; reported amendment of 29 May 2026) †	आदेश (पुल्लिंग; "UDH order of 12 May 2025" → 12 मई 2025 का UDH का आदेश) / परिपत्र (circular; "RUIDP Circular No. 8 of 2008" → 2008 का RUIDP का परिपत्र संख्या 8) / अधिसूचना / निर्देश — शासनादेश नहीं, सरकारी आदेश नहीं; आदेश की संख्या के लिए क्रमांक, राजपत्र अधिसूचना और परिपत्र के लिए संख्या; "notification number not found" → अधिसूचना संख्या नहीं मिली; "(as reported; not read)" → (प्रकाशित खबरों के अनुसार; पढ़ा नहीं गया)
Act and Bill numbers (see the Act rows) †	अधिनियम संख्यांक के लिए ऊपर की अधिनियम वाली † पंक्ति देखें; विधेयक: "Bill No. 11 of 2015" → 2015 का विधेयक संख्या 11

English	हिन्दी
Rajasthan High Court / High Court of Rajasthan (Jaipur bench; Jodhpur) / Supreme Court of India / NGT Central Zone bench (CZ), Bhopal / suo motu / interim order †	राजस्थान उच्च न्यायालय (High Court of Rajasthan; प्रधान पीठ जोधपुर में; "the Jaipur bench" → जयपुर पीठ; "Rajasthan High Court (Jodhpur)" → राजस्थान उच्च न्यायालय (जोधपुर)) / भारत का उच्चतम न्यायालय / NGT की केंद्रीय क्षेत्र पीठ (CZ), भोपाल ("which hears cases from Rajasthan" → जो राजस्थान के मामले सुनती है; "NGT CZ" → NGT CZ) / स्वतः संज्ञान (suo motu; "a case it took up of its own motion" → स्वतः संज्ञान से लिया गया मामला; मामले के नाम में *Suo Motu* वैसे ही) / अंतरिम आदेश — "the Tribunal" → अधिकरण; "the Court" → न्यायालय
Petitioner / petition / PIL / Bench / Monitoring Committee / Technical Committee / Expert Committee / costs / demolition †	याचिकाकर्ता / याचिका / जनहित याचिका (PIL) / पीठ / निगरानी समिति (Monitoring Committee) / तकनीकी समिति (Technical Committee) / विशेषज्ञ समिति / हर्जाना (costs; "costs of ₹10 lakh on each of two petitions" → दो याचिकाओं में से प्रत्येक पर ₹10 लाख का हर्जाना) / ध्वस्तीकरण (demolition)
Case names (Abdul Rahman v. State of Rajasthan; Suo Motu v. State of Rajasthan; Gulab Kothari v. State of Rajasthan; Ramji Lal Saini v. State of Rajasthan; National Institute of Medical Science University v. State of Rajasthan; In Re: 2 Million Lives at Risk, Contamination in Jojari River, Rajasthan; State of Rajasthan v. Ultratech Cement; Alok Gupta v. State) and case numbers (D.B. C.W.P. 1536/2003; S.B.C.W.P. 11153/2011; D.B. C.W.P. (PIL) 6614/2021; S.L.P. (C) 38040-38041 of 2012; Suo Motu W.P. (C) 8 of 2025; C.W. 12630/2026; 2025 INSC 1341; [2026:RJ-JP:19286-DB]) †	मामलों के नाम अंग्रेजी में, इटैलिक, स्रोत की तरह ("*Ramji Lal Saini*", "*Abdul Rahman*", "*Gulab Kothari*", "*National Institute of Medical Science University*" वैसे ही; चालू पाठ में हिन्दी अनुवाद या लिप्यंतरण नहीं) / मामला संख्याएँ और उद्धरण-संख्याएँ ठीक अंग्रेजी के अनुसार — "judgment of 2 August 2004" → 2 अगस्त 2004 का निर्णय; "order of 7 May 2026" → 7 मई 2026 का आदेश; "as quoted in later judgments" → बाद के निर्णयों में उद्धृत रूप में; "not read in full" → पूरा पढ़ा नहीं गया
Supreme Court orders on the Jojari (21 November 2025, 18 March 2026, 7 August 2026, 24 August 2026) and on Ana Sagar (December 2023, about 17 March 2025) †	21 नवंबर 2025 और 18 मार्च 2026 के निर्णय और 7 अगस्त 2026 का आदेश (पढ़े गए) / 24 अगस्त 2026 का अंतरिम आदेश (प्रकाशित खबरों के अनुसार; पढ़ा नहीं गया) / आना सागर पर दिसंबर 2023 और मार्च 2025 के आदेश (प्रकाशित खबरों के अनुसार) — हर बार उसी स्थिति के साथ; "rejected a plan to remodel them" → उन्हें फिर से बनाने की योजना अस्वीकार की; "demolition began on 12 September 2025" → 12 सितंबर 2025 को ध्वस्तीकरण शुरू हुआ
Division (offices of WRD and other Rajasthan departments) †	मंडल (Division; साझा शब्द — "WRD division" → WRD मंडल) — संभाग (मध्य प्रदेश) और प्रमंडल (बिहार) नहीं; खंड नहीं (इस मैनुअल के खंडों के लिए आरक्षित, यद्यपि राजस्थान के विभाग अपने खंड-कार्यालयों को "खण्ड" कहते हैं); मौसम विज्ञान उप-मंडल (साझा) वैसा ही
Monsoon water line †	मानसून जल रेखा (monsoon water line: मानसून में (जुलाई से अक्तूबर की दिनांकित इमेजरी) तालाब, झील या आर्द्रभूमि के पानी का बाहरी किनारा, कम से कम 20 वर्षों के अभिलेख से; इस मैनुअल की परिभाषा) — "A dry year's edge never sets the boundary" → किसी सूखे वर्ष का किनारा कभी सीमा तय नहीं करता; "many of Rajasthan's talabs fill only in wet years" → राजस्थान के कई तालाब केवल गीले वर्षों में भरते हैं
Over-exploited / critical / semi-critical / safe / saline (groundwater units) / stage of extraction / assessment units †	अति-दोहित (over-exploited) / गंभीर (critical) / अर्ध-गंभीर (semi-critical) / सुरक्षित (safe) / लवणीय (saline) — भूजल इकाइयाँ / दोहन का चरण (stage of extraction; "149.86%" वैसे ही) / आकलन इकाइयाँ (assessment units)

English	हिन्दी
Depth to water table / rising water table / hydrogeologist / conductivity of groundwater †	भूजल स्तर की गहराई / उठता भूजल स्तर ("the water table has risen since canal water arrived in 1997" → 1997 में नहर का पानी आने के बाद से भूजल स्तर ऊपर उठा है) / जल-भूवैज्ञानिक (hydrogeologist) / भूजल की चालकता (µS/cm वैसे ही)
Lok Sabha / unstarred question / AU1847, AU1419 †	लोक सभा / अतारांकित प्रश्न / AU1847, AU1419 वैसे ही
Pre-monsoon desilting of drains, nalas and talabs (by 15 June) / drain-cleaning drive †	ड्रेनों, नालों और तालाबों की मानसून-पूर्व गाद-सफाई (15 जून तक) / ड्रेन-सफाई अभियान — "desilted and deepened" → गाद-सफाई और गहरा किया गया
Reach (of a river, drain, channel, pipe network or waterbody)	भाग (reach) — प्रत्येक अनुभाग में पहली बार "(reach)" के साथ; नदी का reach = नदी-भाग (river reach); "the same reach of the same waterbody" → उसी जलाशय का उसी भाग; pipe reach / drain reach → पाइप का भाग / ड्रेन का भाग; "riverine outfall reach" → नदी आउटफॉल वाला नदी-भाग; "tidal reaches of rivers and canals" → नदियों और नहरों के ज्वारीय भाग; "encroached reaches" → अतिक्रमित भाग। खंड नहीं (खंड इस मैनुअल के खंड के लिए आरक्षित है), पहुँच नहीं (पहुँच = access, "reach to orifices" → ऑरिफिस तक पहुँच)
Section (of a channel, drain or conduit) / change of section / clear section / circular sections	अनुप्रस्थ काट (section) / अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन (change of section) / स्पष्ट अनुप्रस्थ काट (clear section) / वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट (circular sections) — खंड नहीं। (दिल्ली संस्करण के 6 और 9 में अब भी "खंड" है; flow segment, gutter run, straight pipe run के "खंड" साझा चित्रों से जुड़े हैं और अभी वैसे ही रखे गए हैं)
Clause of another code or standard (PUB Code of Practice, cl. 7.1.5)	cl. 7.1.5 (रोमन में, जैसा अन्य PUB उद्धरणों में) — खंड नहीं
Interception / interception structure / interception weir / interceptor	अवरोधन (interception) / अवरोधन संरचना (interception structure) / अवरोधन वियर / इंटरसेप्टर (interceptor) — "interception (drain-tapping) structures" → अवरोधन (ड्रेन-टैपिंग) संरचनाएँ
Inundation / inundation analysis	जलमग्नता (inundation) / जलमग्नता विश्लेषण (inundation analysis) — जलप्लावन नहीं; जलजमाव नहीं
Urban flooding / urban flash floods	शहरी बाढ़ (urban flooding; "नगरीय बाढ़" नहीं) / शहरी आकस्मिक बाढ़ें (urban flash floods)
Outcrop (rock)	खुली चट्टान (outcrop) — "granite-gneiss outcrop" → ग्रेनाइट-नीस की खुली चट्टान
Pumping station / tide-locked / not closed by the tide	पंपिंग स्टेशन ("पंप स्टेशन" नहीं) / ज्वार से अवरुद्ध / ज्वार से अवरुद्ध नहीं
Building Regulations references (running text) †	सदा "मॉडल राजस्थान भवन विनियम, 2025", "भवन विनियम, 2025" या "भवन विनियम" (अकेला "विनियम" नहीं जब पूरे विनियमों का अर्थ हो, सिवाय "these regulations" → ये विनियम) और उनके क्रमांकित प्रावधान के लिए सदा "विनियम N" — खंड, नियम, उपविधि, प्रस्तर, धारा या पैरा नहीं; "as brought into force by each local body or authority" → प्रत्येक स्थानीय निकाय या प्राधिकरण द्वारा प्रवृत्त किए गए रूप में; "a date that varies by city [TBC]" → तिथि जो शहर-दर-शहर भिन्न है [TBC]; "Hindi text ... read from a third-party copy" → हिन्दी पाठ ... तृतीय-पक्ष प्रति से पढ़ा गया

English	हिन्दी
Tehsil office / revenue village / land records / khasra †	तहसील कार्यालय / राजस्व ग्राम / भू-अभिलेख (land records) / खसरा (khasra; "village, survey and subdivision numbers" → गाँव, सर्वे और उप-विभाजन संख्याएँ)
Talab bund / sagar bund / lake bund / khadin bund †	तालाब का बाँध / सागर का बाँध / झील का बाँध / खड़ीन का बाँध (tank bund, खंड 7.14.2)
Full tank level of a lake / FTL in gauge feet / conflicting values †	झील का पूर्ण जल स्तर (FTL) — किसी नाम वाली झील के साथ "तालाब का" न जोड़ें: "the FTL of Ana Sagar" → आना सागर का FTL; "full tank level of a lake or tank" → किसी झील या तालाब का पूर्ण जल स्तर; पूर्ण जलाशय स्तर नहीं (वह FRL से टकराता है); "some are given in gauge feet" → कुछ गेज फुट में दिए गए हैं
Sewage (Jodhpur about 230 MLD against 120 MLD of treatment; about 175 MLD; a gap of about 55 MLD) †	"Jodhpur sewage ~230 MLD" → जोधपुर का लगभग 230 MLD सीवेज; "treatment limited to about 175 MLD" → शोधन लगभग 175 MLD तक सीमित; "a stated gap of about 55 MLD" → लगभग 55 MLD का बताया गया अंतर; oxidation pond → ऑक्सीकरण तालाब (oxidation pond)
National Disaster Response Force (NDRF) / Army †	राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (NDRF; पुल्लिंग) / सेना (Army; "the Army was alerted" → सेना को सतर्क किया गया)
Press sources named in the Manual (Down To Earth, Dawn, The Daily Star, OneIndia, Udaipur Times, ThePrint, The Week, LawChakra, LiveLaw, Verdictum, Free Press Journal, ANI, PTI, IANS, Zee News, Rajasthan Patrika, Amar Ujala, Business Standard, SANDRP, TeamLease RegTech, Drishti IAS, NewsOnAir, Deccan Herald, Hindustan Times, The Statesman, The Tribune, Jaipurstuff, Scroll) †	नाम अंग्रेजी में, स्रोत की तरह; चालू पाठ में "as reported" → (प्रकाशित खबरों के अनुसार); राजस्थान पत्रिका, अमर उजाला चालू पाठ में देवनागरी में भी लिखे जा सकते हैं, पर संदर्भों में अंग्रेजी रूप
Peri-urban	उपनगरीय (peri-urban; एक शब्द, "उप-नगरीय" नहीं)
Notification, file and project numbers (P.11(5) नविवि/Building Regulations-2025/2025; ज.वि.प्रा./.../डी-36; प्राधिकरण/प.10/2020-21/811; F1(4)/SEIAA/SEAC/Raj./Sectt/Project/Cat. 8(b)(13203)/16; JMC-BP-2026-0123) †	अंग्रेजी के अनुसार वैसे ही (रोमन और देवनागरी अक्षर, अंक, विराम और स्लैश ठीक वैसे ही; देवनागरी अंश को रोमन में या रोमन को देवनागरी में न बदलें)
Square brackets inside a bracketed English original	उद्धरण के बाद कोष्ठक में दिए अंग्रेजी मूल के भीतर के गोल कोष्ठक वर्गाकार कोष्ठक बन जाते हैं, शब्द वही: ("within nine [9] meters of the highest water mark of a tank"), ("A watercourse; channel [for water], a ravine; ...") — UP के ("roads [paved/unpaved]") की तरह

English	हिन्दी
Reference entries with Hindi connecting text	जिस संदर्भ-प्रविष्टि का अंतिम अंश हिन्दी में अनूदित है, वह URL से पहले दंड (।) से समाप्त होती है; अनुवादित अंश में पूरे महीने हिन्दी में (3 अगस्त 2025, 12 जनवरी 2026; "15 May 2020 की प्रेस विज्ञप्ति" नहीं, 15 मई 2020 की प्रेस विज्ञप्ति) और संस्थाओं के नाम देवनागरी में (NIH रुड़की); संक्षिप्त महीने (12 Jan 2026, "27 May, 11 and 22 Jul and 24 Nov 2014") और अंग्रेजी शीर्षकों के भीतर के महीने अंग्रेजी रूप में वैसे ही। मध्य प्रदेश संस्करण का नियम (बिहार संस्करण में अध्याय 1, 4 और 8 पूर्ण विराम, अन्य अध्याय दंड लिखते थे): URL से ठीक पहले का अंतिम वाक्य (संक्षेपों के बाद के "No.", "pp.", "Vol." वाक्य-सीमा नहीं) यदि हिन्दी शब्द रखता है — कोष्ठक में भी, जैसे " (प्रस्तुति)", "(PRS प्रति, ...)", "pp. 58–59 और Table 18" — तो दंड; यदि वह केवल अंग्रेजी शीर्षक है ("(अब MHFD) (2012). Full Spectrum Detention Release Rate Memorandum.") या पूरी प्रविष्टि अंग्रेजी है, तो पूर्ण विराम; यही नियम बिना URL वाली प्रविष्टि के अंत पर। अध्याय 10 और 11 की संदर्भ-सूचियाँ बिहार संस्करण की तरह पूर्णतः अंग्रेजी में रहती हैं। बाहरी रिपोर्ट की तालिका संदर्भ-प्रविष्टि में अंग्रेजी रूप में (Table 2, Table 18)
Vulnerability study / city vulnerability assessment / vulnerability and risk assessment	सुभेद्यता अध्ययन (vulnerability study) / शहरी सुभेद्यता आकलन (city vulnerability assessment) / सुभेद्यता और जोखिम आकलन — असुरक्षा, भेद्यता और संवेदनशीलता नहीं (संवेदनशीलता = sensitivity: संवेदनशीलता रन (sensitivity run)); अंग्रेजी शीर्षक (*Indore City Vulnerability Assessment*) संदर्भों में अंग्रेजी में। तालिका 6.4 का पुनः प्रयुक्त शीर्षक "संयुक्त बाढ़ जोखिम संवेदनशीलता वर्ग" (hazard vulnerability classes) UP/बिहार का साझा पाठ है और वैसा ही रहता है
Court case / "as stated by the State in a court case" / "as the State told the Court" †	न्यायालय का मामला / (जैसा राज्य ने न्यायालय के एक मामले में कहा) / "the State told the Court that ..." → राज्य ने न्यायालय को बताया कि ... — न्यायालयीन नहीं
Statutory master plan (shared lines of Chapters 6 and 11 and Annex 11) / master plan / master development plan †	सांविधिक मास्टर प्लान ("future land use from the statutory master plan" → सांविधिक मास्टर प्लान से भविष्य का भूमि उपयोग; "where the master plan permits a floor space index above the base value" → जहाँ मास्टर प्लान ... की अनुमति देता है) — बिहार संस्करण की साझा पंक्तियाँ, जिन्हें मध्य प्रदेश ने "सांविधिक विकास योजना" किया था; राजस्थान में मध्य प्रदेश की ये पंक्तियाँ बिहार की पंक्तियों से बदली जाती हैं (अनुवाद-निर्देश का पुनः-प्रयोग खंड देखें); "master development plan" → मास्टर विकास योजना; "approved master plan or development plan" (साझा) → अनुमोदित मास्टर प्लान या विकास योजना (यथावत)
Platts's glosses in Annex 7E (translator's note)	"(उद्धरण-चिह्नों में अंग्रेजी में, उनके हिन्दी अनुवाद के साथ)" — परिशिष्ट 7E के परिचय में यह टिप्पणी अंग्रेजी में नहीं है, पर बिहार संस्करण की तरह रखी जाती है, क्योंकि तालिकाएँ प्लैट्स के अर्थ इसी रूप में देती हैं
Laterite / laterite caps	लैटेराइट / लैटेराइट आवरण (laterite caps; "on rock outcrop and laterite caps" → खुली चट्टान और लैटेराइट आवरणों पर) — लैटेराइट की परतें नहीं

English	हिन्दी
"Johar, Nala, Tank, River, Pond" (High Court, suo motu order of 29 May 2012, as quoted) †	"जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर" ("Johar, Nala, Tank, River, Pond") — अंग्रेजी जिस रूप में उद्धृत करती है उसी रूप में: **"आदि" केवल वहाँ जहाँ अंग्रेजी में "etc." है** ("allotment of the land falling in catchment areas of water reservoirs like Johar, Nala, Tank, River, Pond etc." (अध्याय 7, परिशिष्ट 7E) → "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर आदि जैसे जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में आने वाली भूमि का आवंटन"; "falling in catchment areas of water reservoirs like Johar, Nala, Tank, River, Pond" (अध्याय 6, बिना etc.) → "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर जैसे जलाशयों के जलग्रहण क्षेत्रों में आने वाली"; अन्य सब स्थानों पर उद्धरण बिना etc. है, इसलिए बिना आदि)। अनुवाद-निर्देश का "जोहड़, नाला, तालाब, नदी, पोखर आदि" वाला वाक्य इसी नियम से पढ़ा जाए। "falling in" → में आने वाली (पड़ने वाली नहीं)
Terminal depression / terminal storage / terminal basin / terminal structure †	**अंतिम गर्त** (terminal depression; प्रत्येक अनुभाग में पहली बार अंग्रेजी कोष्ठक में; बहुवचन अंतिम गर्तों; "terminal depression or basin" → अंतिम गर्त या बेसिन; "terminal basin or depression" → अंतिम बेसिन या गर्त) / **अंतिम भंडारण** (terminal storage; "the terminal storage of their catchments" → अपने जलग्रहण क्षेत्रों के अंतिम भंडारण) / अंतिम संरचना (terminal structure of a drain) — अध्याय 4, 7, 9, 10, 11 और परिशिष्ट 11 में यही; अध्याय 5 और परिशिष्ट 5 में "terminal" नहीं आता: वहाँ closed depression → **बंद गर्त**, depression → गर्त
Gauge reading / full gauge reading / highest reading on record †	**गेज पाठ्यांक** (gauge reading; बहुवचन गेज पाठ्यांकों; "gauge readings in feet" → फुट में गेज पाठ्यांक; "lake gauge readings in feet ... converted to metres" → फुट में लिए गए झील गेज के पाठ्यांक मीटर में बदलकर) / पूर्ण गेज पाठ्यांक / अभिलिखित उच्चतम पाठ्यांक — "गेज रीडिंग" नहीं
Overlay (the khasra map on a site plan) †	अध्यारोपित करना (overlay; "with the revenue (khasra) map overlaid" → राजस्व (खसरा) नक्शे को अध्यारोपित (overlay) करके; "shall overlay the khasra map" → खसरा नक्शा अध्यारोपित किया जाएगा) — ओवरले नहीं
Feeders, streams (Lakes Act s.2(viii), flow area) †	संभरक धाराएँ (feeders) / जल धाराएँ (streams) — अधिनियम के हिन्दी पाठ का शब्द, सत्यापित ("जल धाराएं या संभरक धाराएं"); "the area through which streams or feeders flow to the lake for its recharge" → "वह क्षेत्र जिसमें होकर जल धाराएँ या संभरक धाराएँ झील की ओर उसके पुनर्भरण के लिए बहती हैं"; "the area through which its feeders flow" → वह क्षेत्र जिससे होकर उसकी संभरक धाराएँ बहती हैं — पोषक धाराएँ नहीं। नदी-जलग्रहण के अर्थ में "the Dravyavati and its feeders" → द्रव्यवती और उसकी सहायक धाराएँ; विद्युत का "second independent feeder" → दूसरा स्वतंत्र फीडर
Interdunal / interdune; aeolian sands; perched (water above a pan); calcrete pan †	टीलों के बीच का (interdunal, interdune: "interdunal depressions" → टीलों के बीच के गर्त; "flat interdune and canal plains" → टीलों के बीच के (interdune) समतल मैदान और नहरी मैदान; "interdunal plains" → टीलों के बीच के मैदान) / वायूढ़ रेत (aeolian sands) / परत के ऊपर टिका पानी (perched: "a pit that stops on the pan perches the water" → परत पर रुकने वाला गड्ढा पानी को परत के ऊपर ही टिका देता है (perched); "a perched soil that ponds" → ऐसी मृदा जिसमें पानी परत के ऊपर टिक जाता है (perched) और भर जाता है) — निलंबित-जल नहीं / कैल्क्रीट की परत (calcrete pan; बहुवचन कैल्क्रीट की परतें; "**Calcrete pans.**" → **कैल्क्रीट की परतें.**) — "कैल्क्रीट परतें" नहीं
Design discharge / design flow †	डिजाइन प्रवाह (design discharge, design flow; सभी फाइलों में यही — डिजाइन निस्सरण या डिजाइन डिस्चार्ज नहीं)

English	हिन्दी
Hingonia (Tonk, 1981) / Seven Wonders park (Ana Sagar) †	हिंगोनिया (Hingonia; वर्तनी सत्यापित नहीं, इसलिए रोमन कोष्ठक में) गाँव / सेवन वंडर्स पार्क (Seven Wonders park; आना सागर आर्द्रभूमि पर; "among them the Seven Wonders park" → जिनमें सेवन वंडर्स पार्क (Seven Wonders park) भी था)
Statutory and court (adjective: statutory or court line, statutory and court terms) †	सांविधिक और न्यायालयी ("Table 7E.3 — Statutory and court terms" → तालिका 7E.3 — सांविधिक और न्यायालयी शब्द; "any statutory or court line" → किसी भी सांविधिक या न्यायालयी रेखा) — न्यायालयीन नहीं; "court-made" → न्यायालयों द्वारा निर्धारित
Cross-references and titles (consistency pass)	अध्याय-शीर्षक, "अध्याय N के परिशिष्ट — ..." समूह-शीर्षक, विषय-सूची की तालिका और प्रत्येक अध्याय की "परिशिष्ट और प्रपत्र" सूची एक ही शीर्षक लिखते हैं: सूची की पंक्ति का विषय परिशिष्ट या प्रपत्र के शीर्षक से हूबहू लिया जाता है (जहाँ अंग्रेजी सूची शीर्षक से भिन्न है, जैसे "Design Rainfall Sheet (Chapter 2)", वहाँ अंग्रेजी के अनुसार); पाठ में शीर्षक सहित संदर्भ ("Form 4-2 (Tier B site sheet)" → प्रपत्र 4-2 (टियर B साइट पत्रक)) भी शीर्षक के शब्द लेते हैं; "Tables 7E.1 to 7E.3" → तालिका 7E.1 से 7E.3
Numbers of Rajasthan instruments (consistency pass) †	भवन विनियमों के प्रावधान सदा विनियम N (परिशिष्ट 1D के आदर्श पाठ में अंग्रेजी के "rule" के लिए भी विनियम — स्रोत की असंगति); राजस्थान के अधिनियम संख्यांक, राजपत्र अधिसूचनाएँ, परिपत्र और विधेयक संख्या, UDH का आदेश क्रमांक; राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) — संगति जाँच में सभी फाइलें इसी नियम पर पाई गईं; नियम N केवल किसी नियमावली (आर्द्रभूमि नियम, 2017; तालाब-तल नियम, 1961) के प्रावधान के लिए